April to June 2022
E-Journal
Volume I, Issue XXXVIII

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 6.780

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 02

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 08/09

03. Referee Board 10

04. Spokesperson 12

05. Common Fixed Point Theorem in Polish Spaces 14
(Bhawna Somani, Monika Parashar, Kapil Singhal)

06. FTIR Study of Weather Irradiated Black Agricultural Film (Dr. Vaishali Lal, Dr. ArunSikarwar) 17

07. A Study on Impact of Investors Psychology on Stock Market Performance (Dr. Samta Mehta) 20

08. A Comparative Study on Women's and Men's Approach on Investment and Retirement Planning (Dr. Rahul Kaushal) 24

09. The FMCG Sector in India–Impact of Covid-19 Pandemic and Strategies Adopted to Meet the Post Covid Challenges (Dr. Anamika Kaushiva) 28

10. Effectsof NSS Activities on Awareness of Personality Development in Girls (Dr. Bhavna Ramaiya) 33

11. Boys and Girls Recreational Interests and Fast Food: An Analysis in the Context of Sagar City (Dr. Aradhana Shrivas) 36

12. Analytical facts of Computer-Based Applications for Audit Account and Tax Services 40
(Dr. Preeti Anand Udaipure)

13. Opium Trade of British East India Company with China: Assessing the Exploitation of India and China (Dr. Amita Sonker) 47

14. Effect of Arsenic on Human Health and Possible Prevention (Dr. Shobha Gupta) 50

15. Comparative Study of Involvement of Community and Family with Schoolsunder RMSA scheme in Katni and Rewa District (M.P) India (Dr. Gopal Krishna Rathore) 55

16. Impact of Technological Advances on the Environment (Dr. Rashmi Ahuja) 59

17. Effect of Heavy Metals on Soil Fertility (Dr. Sadhna Goyal) 61

18. कृषि वित्त में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदत्त कृषि ऋणों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन 63
(बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. सपना सोनी, रामकन्या भिड़े)

19. बाल यौन शोषण के लक्षण एवं पीड़ित बालक पर यौन शोषण का प्रभाव (मनीषा पटेल) 66

20. अभिज्ञानशाकुन्तल में रस निरुपण - एक समीक्षा (डॉ. नलिनी तिलकर) 68

21. बाबा नागार्जुन के उपन्यास 'वरूण के बेटे' का विश्लेषण (सामाजिक सरोकार के विशेष संदर्भ में) 71
(डॉ. देवेन्द्रसिंह ठाकुर)

22. सोशल मीडिया व युवा विकास (डॉ. सुनीता भायल) 75

23. भिलाली और बारेली जनजाति में लोक विश्वास 78
(डॉ. सी.एल.शर्मा, डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, श्रीमती प्रज्ञा अवास्या)

24. बाँछड़ा समुदाय की स्त्रियों की सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन (नीमच जिले के विशेष संदर्भ में) 80
(डॉ. मनु गौरहा, दीपक कारपेन्टर)

25. समाज में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की भूमिका (डॉ. आरती कमेड़िया) 83

26. विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संगीत शिक्षा का प्रारंभ एवं उसका प्रभाव (शिवानी भार्गव) 85

27. घुमंतू लोहपीटा समाज का सामाजिक अध्ययन: भिंड जिले के संदर्भ में (कमला नरवरिया) 88
28. भारतीय आर्थिक विकास में रियल एस्टेट उद्योग के प्रभाव का अध्ययन रीवा जिले के विशेष संदर्भ में (महिमा गर्ग) ... 91
29. कन्या भ्रूण हत्या, आधुनिक समाज के लिए अभिशाप (डॉ. स्नेहलता सिंह, डॉ. सुनीता कुशवाहा) 93
30. व्याकरण और आचार्य भामह (डॉ. प्रियंका खण्डेलवाल) 96
31. यौन संबंधित अपराधों के पीड़ितों को मिलने वाले प्रतिकर के संबंध में विधायन एवं उसकी प्रक्रिया (मनीषा पटेल) 98
32. मानवाधिकार और महिला (डॉ. राहुल चौधरी, अंजु कुमारी) 101
33. महिला उद्यमिता का ग्रामीण विकास में योगदान (कमल सिंह मालवीय, डॉ. आर.के. बाकलीवाल) 103
34. संस्कारों का दर्पण नारी (डॉ. अर्चना बापना) 106
35. बी.एड. महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई-सूचना स्त्रोतों की आवश्यकता - एक विश्लेषण 108
(डॉ. राकेश खरे, मनीषा दुबे)
36. मध्यप्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास - एक अध्ययन (डॉ. सरिता आर्य, सीमा तोमर) 111
37. समकालीन हिन्दी कविता में पर्यावरण चिंतन (डॉ.(श्रीमती) गायत्री वाजपेयी) 114
38. शहरी आवास विकास में प्रधानमंत्री आवास योजना का योगदान (ग्वालियर शहर के विशेष संदर्भ में)............. 117
(दीप्ती कुशवाह)
39. गुलेर चित्रशैली में धार्मिक कथान कों का मनोरम चित्रण (शालू सिंह) 120
40. पेय जल प्रदूषण फ्लोराइड का समाज पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन (म.प्र. के नीमच जिले 123
के नीमच विकासखंड के विशेष संदर्भ में) (डॉ. एस.एस.मौर्य, विनोद कुमार तिवारी)
41. भारत में महिला उद्यमिता की समस्याऐ एवं समाधान (शासन द्वारा संचालित सरकारी योजनाओ के 127
परिप्रेक्ष्य में) (डॉ. रीना जैन)
42. जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु संचालित जन-धन योजना का योगदान 131
(डॉ. रामभजन साकेत, डॉ. ए.के. पाण्डेय, प्रियंका रत्नाकर)
43. बैंकिंग क्षेत्र द्वारा कृषि ऋण -एक अध्ययन (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में) 134
(डॉ. सपना सोनी, रामकन्या भिड़े)
44. भारतीय संविधान की परिचयात्मक जानकारी के संदर्भ में बी.ए. प्रथम वर्ष में राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों .. 137
की उपलब्धि का अध्ययन - एक प्रायोगिक शोध इन्दौर शहर के संदर्भ में(कु. प्रियंका शर्मा, डॉ. स्वाति पाठक)
45. स्वामी विवेकानंद के विचारों की आधुनिक समय में प्रासंगिकता (डॉ. आभा सैनी) 141
46. कोविड-19 महामारी के दौर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित ऑनलाईन शिक्षा में शिक्षक की भूमिका ... 143
(डॉ. प्रेमलता सैनी)
47. व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रवृत्तियों अध्ययन (डॉ. आशीष सिंह)....... 146
48. सीवेज का शहरी आवास एवं अर्थव्यवस्था से सम्बन्ध (ग्वालियर शहर के विशेष संदर्भ में) (दीप्ती कुशवाह)...... 151
49. बालकों के व्यक्तित्व विकास पर शैक्षिक उपलब्धि के प्रभाव का अध्ययन (डॉ. विजया कुशवाह) 155
50. सेलफोन की लत : एक समीक्षा (डॉ. राघवेन्द्र सिंह सिकरवार) 158
51. महिला शिक्षा की चुनौतियाँ और संभावनाएँ (डॉ. शानू शक्तावत) 163
52. समाचार पत्र में भाषा और उसका महत्व (विशेष चंद्र गुप्त) 165
53. ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर का समाजशास्त्रीय अध्ययन (उ. प्र. के लखनऊ जिले के विशेष संदर्भ में)... 167
(शोभना शुक्ला)

54. जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन-छत्तीसगढ़ राज्य के बैगा जनजाति के संदर्भ में(डॉ. प्रेमलता एक्का) 170

55. वैष्णव नगरी श्रीनाथद्वारा में प्रचलित वस्त्र छापाकंन कला (डॉ. गिरिराज जाटव) 173

56. जनजातीय युवाओं में राजनीतिक सहभागिता का स्तर (प्रियंका सालवी) 175

57. व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली बैंकिंग संबंधी लेखांकन प्रवृत्तियों का प्रबन्धकीय अध्ययन (डॉ. आशीष सिंह) 178

58. Dalit Consciousness in Indian Writing in English (Mr. Surander Soni) 183

59. कोरोना वायरस का स्कूल एवं कॉलेज की शिक्षा पर प्रभाव (अनुपमा सुथार) 186

60. वैश्वीकरण, उदारीकरण के संदर्भ में विदेशी व्यापार की नूतन प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में(डॉ. दीपक दुबे, अन्नपूर्णा दुबे) 191

61. 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में ठाकुर रणमत सिंह का योगदान (मिथिलेश सिंह)..................................... 195

62. भारत में ग्रामीण आर्थिक विकास की कुँजी डेयरी उद्योग (डॉ. ए.के. पाण्डेय, डॉ. बीना शुक्ला).................... 197

63. डॉ. भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार एवं वर्तमान दौर में उनकी प्रासंगिकता (डॉ. महेन्द्र सिंह राव) 200

64. जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव (डॉ. राजेश त्रिपाठी, अभिलाषा सिंह) 203

65. जजमानी व्यवस्था : वर्तमान परिदृश्य (डॉ. राजेश त्रिपाठी, अमित कुमार सिंह)...................................... 205

66. Effect of Weight Training and Plyometric Training on Anaerobic Capacity of Collegemen (Dr. Dilip Singh Chouhan) 208

67. Effect of Yogic Exercises on Selected Physical and Physiological Variables Among College Men (Dr. Bhawani Pal Singh Rathore) 211

68. Human Resource Management Issues in Recruitment and Election Procedure (Dr. Aalok Kumar Yadav) 213

69. डिण्डौरी जिले के परधान जनजाति का साहित्य और संस्कृति (डॉ. बिन्दू परस्ते) 219

70. मनरेगा योजना एवं ग्रामीणो के पलायन का अध्ययन (जनपद चित्रकूट ग्राम- चितरा गोकुलपुर के विशेष सन्दर्भ में)(डॉ. राजेश त्रिपाठी, अमृतांशू मिश्रा) 221

71. ग्रामीण क्षेत्रों में बालविकास की समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन (डॉ. राजेश त्रिपाठी, अर्चना दुबे)........ 224

72. ग्रामीण किशोरियों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता का स्तर एवं सम्बन्धित संस्थाओं की भूमिका (जनपद चित्रकूट ग्राम- चितरा गोकुलपुर,ब्लॅाक कर्वी के विशेष सन्दर्भ में) (डॉ. राजेश त्रिपाठी, डॉ. जितेन्द्र कुमार कुशवाहा) 227

73. पुलिस प्रशासन एवं सामाजिक सामंजस्य (डॉ. राजेश त्रिपाठी, कृष्णपाल सिंह परमार)............................. 230

74. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बालकों एवं बालिकाओं की गणितीय अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. श्रुति चव्हाण, शाहिदा सिद्दीकी) 232

75. Appraisal of Sports Emotional Intelligence in Tribal Male Hockey Players of Jashpur Chhattisgarh (Raju Raj Kujur, Dr.Yuwraj Shrivastava) 235

76. छिन्दवाड़ा जिले में जल जीवन मिशन स्कीम की उपयोगिता का अध्ययन (जिन्सा रानी मरकाम) 239

77. Analysis of Consumer Behavior and Marketing (Dr. Balmukund Baghel)....................................... 242

78. A Sociological Research on Impact of Mgnrega in Rural Community of Sanchi Block in Raisen District (Deepak Garg, Dr. Usha Vaidya) 245

79. बाँछड़ा समुदाय में वेश्यावृत्ति का समाजीकरण (डॉ. यामिनी पड़ियार) 251

80. Forensic Evidentiary Value in National and International Judiciary System (Pragati Singh Dangi, Prince Gupta) 254

81. Restructuring of Non Corporate Small and Medium Enterprises and Impact of Taxation Reforms: Sole Proprietorships (CA. Pankaj Shah, Dr. Rajendra Sharma) 257

82. The Historical Milieu of Asceticism: A Study from the Literary Records of the Vedic Age (Krishna Ketan) 261

83. वनौषधीय पौधे : नई दवाओं के आगामी स्रोत (डॉ. आशीष खिमेसरा) 263

84. Doctrine of Frustration of Contract (Aprajita Bhargava) 267

85. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जनजातीय महिलाओं का आर्थिक विकास (झाबुआ जिले थांदला विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में) (हेमता डुडवे) 272

86. Vigilance Administration for Frauds in PSU Banks–With Special Reference to Oriental Bank of Commerce (Rajat Kumar Sharma, Dr. Ruhi Sethi) 277

87. भारत की औद्योगिक नीति (वर्ष 1956, 1991 एवं 1914 के संदर्भ में) (सुमन भंवर) 280

88. Relevance of Yoga in Promoting Immunity During COVID 19 (Sachin Verma) 282

89. दादा भाई नौरोजी का आर्थिक चिन्तन (डॉ. प्रवीण ओझा) 286

90. Justice in Islam (Dr. Saptmuni Dwivedi) 288

91. वर्तमान राजनीतिक विकास में मतदान व्यवहार की भूमिका (उत्तर प्रदेश की किठौर विधान सभा क्षेत्र के संदर्भ में) (हितेश रस्तोगी) 291

92. मुरार विकासखंड के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की त्वचा का तुलनात्मक अध्ययन (निधि यादव, डॉ. मंजू दुबे) 294

93. साहित्यिक लेखन मे व्यंग्य विधा की भूमिका (डॉ. गुलाब सिंह डावर) 296

94. ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जैविक खेती की भूमिका (डॉ. सुचेता सिंह) 299

95. भारतीय कृषक श्रमिक व समस्याएं (धनीराम अहिरवार) 301

96. The Effect of Integrated Use of Organic and Inorganic Nutrients on Yield and Quality of Groundnut (*Arachis Hypogaea L.)* in Bikaner, Rajasthan (India) (Neeraj Kumar Yadav, Dr. Harish Kumar) 303

97. Conflict, Resolution and Security in India and Europe:2022 (Dr. Bijay Kumar Yadav) 307

98. Monitoring, Assessment and Prediction Modelling of Water Quality in Rural Area of Sri Ganganagar District of Rajasthan (Shweta Yadav, Dr. Harish Kumar) 314

99. Analysis of Sedition Law: A Study (Dr. Sunil Kumar Pandey, Abhishek Jain) 319

100. Environmental Law and Human Rights Protection in Contemporary Situation (Hema Iyer, Dilip G. Kapde) 323

101. Female Consciousness in Anita Desai's Fiction (Dr. Humera Qureishi) 327

102. Provision for the Redressal of Sexual Harassment at Work Place (Gayatri Yadav) 331

103. A Study of "Rights of an Arrested Person" Under Laws (Abhimanyu Sharma, Shalini Gautam) 337

104. ग्रामीण सामाजिक-अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण बैंकों की भूमिका (संजय सिंह, डॉ. देवी प्रसाद तिवारी) .. 343

105. Need of A Comprehensive Legislation on Data Protection in India - With Special Reference to 2008 Amendments in Information Technology Act (Sagar Pandey, Sharjil Khan) 346

106. Critical Analysis of Encounter Killing Cases (Aparna Dwivedi, Shreya Mishra) 350

107. Copyright Issues in Cyberspace (Yashi Shrivasatava, Shubhra Singh) 354

108. National Education Policy 2020: Higher Education (Dr. Bhanwar Lal Raigar) 358

109. स्मार्ट कृषि- दूसरी हरित क्रांति के सहायक के रूप में (डॉ. पंकज जायसवाल) 363

110. हिन्दी राम काव्य का विकास (कवीन्द्र कुमार भारद्वाज) 366

111. कस्तूरबा गॉंधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं के समाजिक तनाव पर यौगिक क्रियाओं का प्रभाव का अध्ययन (डॉ. महेश कुमार मुछाल, विजय पवांर) 368

112. मध्यप्रदेश में कर्मचारी बीमा योजना का अध्ययन (गीतांजली कर्डक, डॉ. पी.के सनसे) 373
113. Phytochemical Screening of Active Phytocontents of Guizotia Abyssinica Plant Seeds by Different Solvent (Dr. S.K. Udaipure) 376
114. Evaluation of Extract Ants for Determining Available Zinc in Soil and Response of Applied Zinc by Plant (Dr. S.K. Udaipure) 379
115. अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं में सामाजिक चिंतन (छत्रवीर सिंह राठौर) 381
116. Impact of Hydrogen Peroxide and Potassium Persulfate on Photocatlytic Degradation of Methyl Green dye (Dr. David Swami) 384
117. Juvenile Criminals: Is There A Solid System For Them? (Manaswi Agrawal) 386
118. संस्कृत वाङ्मय में ऐतिहासिक साहित्य परम्परा (ऋषिका चुण्डावत) 390
119. Organizational Learning in Banking Sectors Through Performance Evaluation, Learning from Failures, Collaboration and Cross-Functional Teams, External Partnerships and Networks (Shrey Chhangani) 393
120. Secularity of the Sec 125 CrPC (Dr. Priyanka) 398
121. प्राचीन भारतीय राजनीति व शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा (जगपाल सिंह शक्तावत) 402
122. Eternity of Synonyms of Bharat (Dr. Madhusudan Choubey) 404
123. गंगा और प्रदूषण (डॉ. मुकेश मारू) 407
124. Organic Photovoltic Solar Cells And Sustainable Development (Hitesh Kumar Midha) 411
125. कृषि साख में संस्थागत ऋणों की बढ़ती भागीदारी (डॉ. प्रवीण पंड्या) 413
126. भारत में ग्रामीण विकास एक चुनौती - भौगोलिक अध्ययन(डॉ. पन्नालाल कटारा) 416
127. Major Perspectives of Geography (Dr. Mamta Verma) 418
128. राजस्थान में जैवविविधता संरक्षण की समृद्ध संस्कृति, समस्या, एवं समाधान (डॉ. उम्मेद कुमार चौधरी) 422
129. A Comparative Study of Kinesthetic Perception of Male and Female Basketball Players (Pravita Khatri) 427
130. भारतीय लोक सेवा में भ्रष्टाचार और सूचना का अधिकार (इम्तियाज अहमद) 430
131. वैश्वीकरण - श्रम एवं रोजगार पर प्रभाव (डॉ. रिटा बिष्ट) 434
132. Youth Subcultures and Identity Formation: Study of Subcultures Among Indian Youth and their Impact on Identity Development (Dr. Anjali Jaipal) 437
133. Family Dynamics in Urban vs. Rural Areas in India (Dr. Sandhya Jaipal) 440
134. भारत में शहरीकरण: मुद्दे और चुनौतियाँ (डॉ. दिनेश कुमार कटुतिया) 444
135. दलित चिंतन एवं हिन्दी साहित्य (भूपेन्द्र बहादुर सिंह) 447
136. The Role of Consumer Awareness in Enhancing Satisfaction with the Public Distribution System (Mrs. Deepmala Gandhi, Dr. Rakesh Mathur) 450

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1.	Prof. Dr. Narendra Shrivastav	-	Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2.	Prof. Dr. Aditya Lunawat	-	Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3.	Prof. Dr. Sanjay Jain	-	O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4.	Prof. Dr S.K. Joshi	-	Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5.	Prof. Dr. J.P.N. Pandey	-	Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6.	Prof. Dr. Sumitra Waskel	-	Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7.	Prof. Dr. P.R. Chandelkar	-	Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8.	Prof. Dr. Mangal Mishra	-	Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9.	Prof. Dr. R.K. Bhatt	-	Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10.	Prof. Dr. Ashok Verma	-	Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11.	Prof. Dr. Rakesh Dhand	-	HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12.	Prof. Dr. Anil Shivani	-	HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13.	Prof. Dr. PadamSingh Patel	-	HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14.	Prof. Dr. Manju Dubey	-	HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15.	Prof. Dr. A.K. Choudhary	-	Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16.	Prof. Dr. T. M. Khan	-	Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17.	Prof. Dr. Pradeep Singh Rao	-	Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18.	Prof. Dr. K.K. Shrivastava	-	Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19.	Prof. Dr. Kanta Alawa	-	Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20.	Prof. Dr. S.C. Jain	-	Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21.	Prof. Dr. Kishan Yadav	-	Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22.	Prof. Dr. B.R. Nalwaya	-	Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23.	Prof. Dr. Purshottam Gautam	-	Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24.	Prof. Dr. Natwarlal Gupta	-	HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25.	Prof. Dr. S.C. Mehta	-	Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26.	Prof. Dr. A. K. Pandey	-	HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

****

Referee Board

Maths	-	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1)	Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science	-	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
	-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics	-	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1)	Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)

***** Commerce *****

Commerece	-	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4)	Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)

***** Management *****

Management	-	(1)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Admin.	-	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)

***** Law *****

Law	-	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
		(3)	Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
		(4)	Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)

***** Arts *****

Economics	-	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
		(5)	Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
		(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)

***** Home Science *****

Diet/Nutrition Science	-	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development	-	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)

***** Education *****

Education	-	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
		(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
		(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
		(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)

***** Architecture *****

Architecture	-	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)

***** Physical Education *****

Physical Education	-	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
		(2)	Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
		(3)	Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)

***** Library Science *****

Library Science	-	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P
57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
60. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70. Dr. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P)
71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
72. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
74. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Common Fixed Point Theorem in Polish Spaces

Bhawna Somani* **Monika Parashar**** **Kapil Singhal*****

*Acropolis Institute of Management Studies and Research, Indore (M.P.) INDIA
** Acropolis Institute of Management Studies and Research, Indore (M.P.) INDIA
*** Malwa Institute of Technology, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - The purpose of this paper is to obtain a new common fixed point theorem for three continuous random multi-valued operators using measurable mappings under generalized distance function in Polish space.
Keywords- Random multi-valued operator, Random fixed point, measurable mapping, Asymptotically T-Regular mappings.

Introduction - Random fixed point theorems are stochastic generalization of classical fixed point theorem and are required for the theory of random equations. The study was initiated with the work of Spacek [14] and Hans [6] proved random fixed point theorem for contraction mapping on polish spaces. On the other hand Nadler [11] prove the multi-valued version of Banach Contraction Principle in Complete metric spaces. Sehgal, V.M. and Singh [12] proved random approximation and random fixed point theorem for a set valued Mapping. Lin [10] studied random approximations and random fixed point theorems for non selfmaps. Beg and Azam [4] proves some results on fixed point of asymptotically regular multi-valued mappings. Sessa, Rhoades and Khan [13] proved common fixed point of compatible mappings in a metric space and Banach spaces. Jungck [8] proved common fixed points for commuting and compatible maps. Kaneko and Sessa [9] proved results on fixed point theorem for compitable, multi-valued and single valued maps. Badshah and Singh [2] proved common fixed point of commuting mappings. Beg and Shahzad [5] studied random fixed points of random multi-valued operators on metric spaces. Itoh [7] studied random fixed point theorem for multi-valued contraction mapping. Beg and Azam [4] studied fixed points of multi-valued locally contractive mappings. Badshah and Syyed [3],Badshah and Gagrani[1], proved common fixed points of random multi-valued operators on Polish spaces. Beg and Shahzad [5] proved results for random fixed points of random multi-valued operators on Polish spaces.

Let (X, d) be a Polish space, that is a separable complete metric space and $(\Omega, \sum)$ be a measurable space. Let 2^X be a family of all subsets of X and CB(X) denote the family of all non-empty bounded closed subsets of X.
A mapping $T: \Omega \times X \to 2^X$ is called measurable, if for any open subset C of X
$T^{-1}(C) = \{\omega \in \Omega : T(\omega) \cap C \neq \phi\} \in$ a

A mapping $\xi : \Omega \longrightarrow X$ is said to be e measurable selector of measurable mapping T : $\Omega \to 2^X$ if ξ is measurable and if for any $x \in X$, $f(.,X)$ is measurable.

A mapping T: $\Omega \times X \to CB(X)$ is called random multi-valued operator if for every $x \in X$ $T(.,X)$ is measurable.

A measurable mapping $\xi : \Omega \longrightarrow X$ is called random fixed point of a random multi-valued operator
$T : \Omega \times X \to CB(X)(f : \Omega \times X \to X), \omega \in \Omega,$
$\xi(\omega) \in T(\omega, \xi(\omega))(f(\omega, \xi(\omega) = \xi(\omega))$
Let T : $\Omega \times X \to CB(X)$ be a random operator and $\{\xi_n\}$ a sequence of measurable mappings
$\xi_n : \Omega \longrightarrow X$. The sequence $\{\xi_n\}$ is said to be asymptotically T- regular
if $d(\xi_n(\omega), T(\omega, \xi_n(\omega)) \to 0$

Theorem: Let X be a Polish Space. Let A, B, S : $\Omega \times X \to CB(X)$ be any three continuous random multivalued operators. If there exist measurable mappings $\alpha, \beta : \Omega \to (0,1)$ such that $AB = BA, SA = AS$
$and\ B(X) \subset A(X)\ and\ S(X) \subset A(X)$ (1)

And $d(B(\omega,x),S(\omega,y))$

$\leq \alpha(\omega)\frac{[d(A(\omega,y),S(\omega,x))]^2}{d(A(\omega,x),B(\omega,y))+d(A(\omega,x),S(\omega,y))}$

$+\beta(\omega)\ (d(A(\omega,x),A(w,y))$ (2)

For each, $y \in X$, $\omega \in \Omega$ and α, β ϵ R^+ with α+ β < 1, there exist a unique random fixed point of A, B and S.

Proof: Let ξ_0 *and* ξ_1 be two measurable mappings such that $B\xi_0(\omega) = A\xi_1(\omega)$ and let ξ_2 be a measurable mappings such that $S\xi_1(\omega) = A\xi_2(\omega)$.

In general, we choose $\xi_{2n+1}(\omega) = A\xi_{2n+2}(\omega)$ such that $B\xi_{2n}(\omega) = A\xi_{2n+1}(\omega)$ *and* $S\xi_{2n+1}(\omega) = A\xi_{2n+2}(\omega)$ (3)

We can do this since equation (1) holds, using equations (2) and (3), we have

$d\ (A\xi_{2n+1}(\omega)\ ,A\xi_{2n+2}(\omega)\ ) = d(B\xi_{2n}(\omega),S\xi_{2n+1}(\omega))$

$$\leq \alpha(\omega)\frac{[d(A\xi_{2n+1}(\omega),S\xi_{2n+1}(\omega)]^2}{d(A\xi_{2n}(\omega),B\xi_{2n+1}(\omega))+d(A\xi_{2n}(\omega),S\xi_{2n+1}(\omega))}$$

$+\beta(\omega)d(A\xi_{2n}(\omega),B\xi_{2n+1}(\omega)))$

$$= \alpha(\omega)\frac{[d(A\xi_{2n+1}(\omega),A\xi_{2n+1}(\omega)]^2}{d(A\xi_{2n}(\omega),A\xi_{2n+1}(\omega))+d(A\xi_{2n}(\omega),A\xi_{2n+1}(\omega))}$$

$+\beta(\omega)d(A\xi_{2n}(\omega),A\xi_{2n+1}(\omega)))$

$$= \alpha(\omega)\frac{d(A\xi_{2n+1}(\omega),A\xi_{2n+1}(\omega))}{d(A\xi_{2n}(\omega),B\xi_{2n+1}(\omega))}$$

$+\beta(\omega)d(A\xi_{2n}(\omega),A\xi_{2n+1}(\omega))$

$d\ (A\xi_{2n+1}(\omega)\ ,A\xi_{2n+2}(\omega)\ ) \leq$

$\alpha(\omega)\ d(A\xi_{2n+1}(\omega),A\xi_{2n+1}(\omega))$

$+\beta(\omega)d(A\xi_{2n}(\omega),A\xi_{2n+1}(\omega))$

$(1-\alpha(\omega))d\ (A\xi_{2n+1}(\omega)\ ,A\xi_{2n+2}(\omega)\ )$

$\leq\ \beta(\omega)d(A\xi_{2n}(\omega),A\xi_{2n+1}(\omega))$

$d\ (A\xi_{2n+1}(\omega)\ ,A\xi_{2n+2}(\omega)\ )$

$$\leq \frac{\beta(\omega)}{(1-\alpha(\omega))}d(A\xi_{2n}(\omega),A\xi_{2n+1}(\omega))$$

$d\ (A\xi_{2n+1}(\omega)\ ,A\xi_{2n+2}(\omega)\ ) \leq\ kd(A\xi_{2n}(\omega),A\xi_{2n+1}(\omega))$

$B(A\xi_{2n}(\omega)) \rightarrow\ B\xi(\omega),\ S(A\xi_{2n+1}(\omega)) \rightarrow\ S\xi(\omega)$

$Therefore\ \ B(A\xi_{2n}(\omega)) = A(B\xi_{2n}(\omega)), S(A\xi_{2n+1}(\omega))$

$= B(S\xi_{2n+1}(\omega))$ (4)

$for\ all\ n = 0,1,2,3 \ldots\ldots$

$Taking\ n \rightarrow \infty\ \ we\ have$

$B\xi(\omega) = S\xi(\omega) = A\xi(\omega) = \xi(\omega)$ (5)

$A(A\xi(\omega)) = A(B\xi(\omega)) = B(A\xi(\omega)) = A(S\xi(\omega))$

$= S(B\xi(\omega)) = S(S\xi(\omega)) = S(A\xi(\omega))$ (6)

Therefore we have

$d(B\xi(\omega),S(B\xi(\omega))$

$$\leq \alpha(\omega)\frac{[d(A\xi(\omega),S(B\xi(\omega))]^2}{d(A\xi(\omega),B\xi(\omega))+d\left(A\xi(\omega),S(B\xi(\omega))\right)}$$

$+\beta(\omega)d(A\xi(\omega),A\xi(\omega))$

$$\leq \alpha(\omega)\frac{[d(A\xi(\omega),A\xi(\omega))]^2}{d(A\xi(\omega),A\xi(\omega))+d(A\xi(\omega),A\xi(\omega))}$$

$+\beta(\omega)d(A\xi(\omega),A\xi(\omega))$

It implies that $d(A\xi(\omega),S(B\xi(\omega)) = 0$

And so

$B\xi(\omega) = S(B\xi(\omega))$ (7)

Therefore $B\xi(\omega)$ is a common fixed point of A, B and S. [from (6) and (7)]

Uniqueness:

Let $\xi_1(\omega)$ *and* $\xi_2(\omega)$ be two common fixed points of $\Omega \times X$such that

$B\,\xi_1(\omega) = S\,\xi_1(\omega) = A\,\xi_1(\omega) = \xi_1(\omega)$

And $B\xi_2(\omega) = S\xi_2(\omega) = A\xi_2(\omega) = \xi_2(\omega)$ (8)

Then

$d(\xi_1(\omega),\xi_2(\omega)) = d(B\,\xi_1(\omega),S\xi_2(\omega))$

$$\leq \alpha(\omega)\frac{[d(A\xi_2(\omega),S\xi_2(\omega))]^2}{d(A\,\xi_1(\omega),B\xi_2(\omega))+d(A\,\xi_1(\omega),S\xi_2(\omega))}$$

$+\beta(\omega)d(A\,\xi_1(\omega),A\,\xi_2(\omega))$

$$= \alpha(\omega)\frac{[d(\xi_2(\omega),\xi_2(\omega))]^2}{d(\xi_1(\omega),\xi_2(\omega))+d(\xi_1(\omega),\xi_2(\omega))}$$

$+\beta(\omega)d(\xi_1(\omega),\xi_2(\omega))$

$= \beta(\omega)d(\xi_1(\omega),\xi_2(\omega))$

i.e. $d(\xi_1(\omega),\xi_2(\omega)) \leq\ \beta(\omega)d(\xi_1(\omega),\xi_2(\omega))$

$\Rightarrow\ (1-\beta(\omega))d(\xi_1(\omega),\xi_2(\omega)) \leq 0$

$[Since\ (1-\beta(\omega)) \neq 0]$

$\Rightarrow\ d(\xi_1(\omega),\xi_2(\omega))=0$

$\Rightarrow\ \xi_1(\omega) =\ \xi_2(\omega)$

Hence $\xi_1(\omega) =\ \xi_2(\omega)$

This proves the uniqueness of common fixed points.

References:-

1. Badshah, V.H. and Gagrani, S., Common random fixed points of random multi valued operators on Polish space, *Journal of Chungcheong Mathematical society, Korea 18(1), 2005, 33-40.*
2. Badshah V.H. and Singh, B. On Common fixed points of commuting mappings, *Mathematical Journal, Vol. V, (1984-85), Vikram 13-16*
3. Badshah, V.H. and Sayyed, F., Random fixed point of random multivalued operators on Polish space, *Kuwait J. of science and Engineering, 27 (2000), 203-208*
4. Beg, I. and Azam, A. Fixed points of multivalued locally contractive mappings, *Boll. Un. Mat. Ital. 4-A (7) (1990), 127-130.*
5. Beg, I. and Shahzad, N., Random fixed points of random multi-valued operators on Polish Spaces, *Non-Linear Analysis, 20 (1993) 335-347.*

6. Hans, O., *Reduzierende Zufallige transformation, Czechoslovak Math. Jour. 7(1957), 154-158.*
7. Itoh, S., A random fixed point theorem for a multi valued contraction mapping, *Pacific, J. Math. 68(1977), 85-90.*
8. Jungck, G. Compaitble mappings and common fixed points, *Internat. Jour. Math. Sci., 9(4) (1986), 771-779*
9. Kaneko, H. and Sessa, S. Fixed point theorems for compitable multivalued and single valued mappings, *Internat. Jour. Math. Sci. 12(2) (1989), 257-262*
10. Lin, T.C. Random approximations and Random fixed point theorems for non -self maps, *Proc. Amer. Math. Soc. 103(1988), 1129-1135*
11. Nadler , S.B. Multivalued Contraction maps, *Pacific J. Math. 30(1969), 475-488.*
12. Sehgal, V.M. and Singh, S.P., On random approximations and random fixed point theorem for set-valued mappings, *Proc Amer. Math. Soc. 95 (1985), 91-94.*
13. Sessa,S., Rhoades B. E. and Khan M.S. On common fixed points of compitable mappings in metric spaces and Banach Spaces. *Internat. Jour. Math. And Math.Sci.,11(2) (1988), 375-392*
14. Spacek, A., *Zufallige Gleichungen, Czechoslovak Math. Jour. 5 (1955), 462-466*

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

FTIR Study of Weather Irradiated Black Agricultural Film

Dr. Vaishali Lal* Dr. Arun Sikarwar**

*Asst. Professor, Govt. Home Science P. G. College, Narmadapuram (M.P.) INDIA
** Professor, Govt. Home Science P. G. College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - To investigate the Weathering exposure effect on Black Agriculture Polyethylene films degradation are analyzed by FTIR spectroscopy. This study will be useful in Plastic industries in terms of increasing of durability & quality of Polyethylene because the study shows some critical and important information about the factors which affect the Polyethylene.
Keywords- LDPE (Low Density Polyethylene), PE film (Polyethylene Film), FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy).

Introduction - Plastic films, made from low-density polyethylene (LDPE, which is largely produced from petroleum), are widely used in agriculture. Weather Degradation effect of outdoor weathering conditions on the mechanical properties of Low Density Polyethylene (LDPE) used in commercial and agricultural film have been studied from exposed to outdoor weathering for different periods. The properties of many polymers are significantly influenced by the exposure to outdoor weathering. In many applications specially commercial and agricultural film are subjected to outdoor weathering conditions. So, it is very important to study the changes of the chemical and mechanical properties of polyethylene film due to the effect of outdoor weathering conditions.

Factors Influencing Weathering: When making a determination for the suitability of a particular polyethylene film for either outside storage or long term above ground service the environment surrounding the polyethylene film must be considered. A brief description of the more important environmental parameters follows –

Sunlight contains a significant amount of ultraviolet radiation. The ultraviolet radiation that is absorbed by a polyethylene film may result in actinic degradation (*i.e.*, a radiation promoted chemical reaction) and the formation of heat. The energy may be sufficient to cause the breakdown of the unstabilized polymer and after a period of time changes in compounding ingredients. Polyethylene film that is to be exposed to ultraviolet radiation for long periods of time should be made from polyethylene compounds that are properly stabilized for such conditions.

Temperature: The daily range of temperature varies considerably both with season and location and can be quite large. Heat from solar radiation can raise the temperature of directly exposed materials as much as 15° C higher than ambient depending on the polyethylene film color. Such extremes of temperature over an extended period can cause physical damage to the polyethylene film. Therefore, it is important that heat stabilizers be incorporated into the compounding ingredients in order to offset the deleterious effects of high temperature. In addition it should be remembered that chemical reaction rates increase exponentially as the temperature increases.

Moisture: Rain and humidity are the two main contributors of moisture with humidity having the greater overall effect. In general humidity contributes a moist continuum in constant contact with the material to produce hydrolysis leaching etc. Rain produces a washing and impacting action.

Wind: Wind acts as a carrier of impurities such as dust, gases and moisture that can contribute to weathering effects. Similarly the absence of wind can allow the accumulation of air contaminants as in polluted areas, which could contribute significantly to the weathering of a material

Experimental Work

Materials: Materials were used for this study was the Agricultural grade PE Film. In this work weather effect were studied.

Weathering Irradiation of the films : Polyethylene films samples are irradiated by weathering source for different time periods. Weathering exposed samples after intervals of 30 to 120 days, do not show brittleness, while after 150 days irradiate samples show brittleness. As the irradiation time increased the intensity of brittleness is found to be increased.

It is worth mentioning that the selection of 90 days and 120 days, 150 days of intervals was due to obvious

detectable change by weathering irradiation, structural change was detected by FTIR spectroscopy.

Result and Discursion

As data shown in Table (1 & 2) and Graph (1 to 6) Natural weathering treatment was followed by solar for 30 days to 150 days. The resultant structure change, were observed and recorded as follows.

Black Agricultural PE film after 30 days a band appeared in the region of 2853 – 2962 cm^{-1} for Hydrocarbon chromophore and peak at 2883.88 cm^{-1} for C–H stretching, Alkane increased by its initial position at 0 hour. Then second band appeared in the region of 1445 – 1485 cm^{-1} for Hydrocarbon chromophore and peak at 1470.96 cm^{-1} for C–H Bending Alkane–CH_2 decreased by its initial position at 0 hour, Third band appeared in the region of 1370 – 1380 cm^{-1} for Alkane–CH_3– decreased by its initial position at 0 hour. Fourth band appeared in the region of 1000 – 1400 cm^{-1} for Halogen containing C–X stretching vibration and peak at 1017.83 cm^{-1} for C–F stretching than fifth band appeared in the region of 600 – 800 cm^{-1} for Halogen containing C–X stretching vibration and peak at 719.78 cm^{-1} for C–Cl stretching vibration decreased by its initial position at 0 hour.

After 60 days we found first peak at 2929.87cm^{-1} for hydrocarbon chromophore C–H stretching vibration then second peak found at 1464.70 cm^{-1} for C–H bending alkane–CH_2, then third peak found at 1377.75 cm^{-1} for hydrocarbon chromophore then fourth peak found at 1017.83 cm^{-1} for Halogen containing C–X stretching vibration.

After 90 days of weather irradiation the first peak at 2898 cm^{-1} for hydrocarbon chromophore increased compare to unirradiated black agricultural PE film and the second peak at 1468.50 cm^{-1} for hydrocarbon chromophore C–H bending Alkane–CH_2 decrease compare to unirradiated black agricultural PE film. Third peak at 1377.50 cm^{-1} for C–NO_2, nitro chromophore aromatic it was a new peak. The fourth peak at 1017.40 cm^{-1} for hydrogen chromophore C–F stretching vibration.

After 120 days of irradiation the first peak was observed at 2950.90 cm^{-1} for Hydrocarbon chromophore stretching alkane. Second peak was observed at 1465.95 cm^{-1} for Hydrocarbon chromophore C–H bending alkane–CH_2 and third peak found at 1377.57 cm^{-1} for Hydrocarbon chromophore C–NO_2, Nitro compoundaromatic and the fourth peak is found at 1017.63 cm^{-1} for halogen compound C–F stretching vibration Fifth peak found at 729.37 cm^{-1} C–Cl stretching vibration.

After 150 days of irradiation first peak 2950.90 cm^{-1} was not found. Then second peak found at 1471.03 cm^{-1} for Hydrocarbon chromophore C–H bending alkane and third peak found at 1377.61 cm^{-1} for Hydrocarbon chromophore alkane–CH_3 decreased compare to unirradiate PE and the fourth peak found at 1018.17 cm^{-1} for C–X stretching vibration which was increased compare to unirradiate PE and the last peak found at 719.51 cm^{-1} for C–Cl stretching vibration.

Conclusion - As we observed is present research (FTIR method), After 30 days some peaks intensity increased and some peaks intensity decreased then after 60 to 120 days all peaks intensity decreased and few new peaks were found. Then after 150 days few of the peaks are not observed. There are possibility of migration of new chemical groups into Black Agriculture PE film due to degradation of polyethylene.

Table and Graphs

Spectra analysis for Black Agriculture Polyethylene Film without Weather Exposure

FTIR spectra, List of peaks for pure Black Agriculture PE film have shown in Table (1)

S.	Range cm^{-1}	Groups [New Peaks Observed]
1	2876.06	Hydrocarbon Chromophore [C–H Stretching, Alkane]
2	1470.98	Hydrocarbon Chromophore [C–H Bending, Alkane –CH_2–]
3	1377.79	Hydrocarbon Chromophore[Alkane –CH_3–]
4	1017.83	Miscellaneous Chromophoric Groups [Halogen Contaning C – X Stretching Vibration C–F]
5	719.96, 669.27	Miscellaneous Chromophoric Groups[Halogen Contaning C – X Stretching Vibration C–Cl]

Table (2) (see in last page)

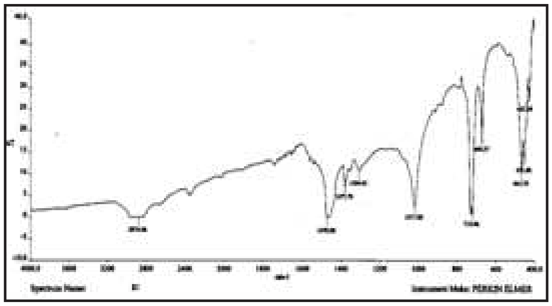

Graph (1) – FTIR Spectra of Black Agriculture film without Weather exposure

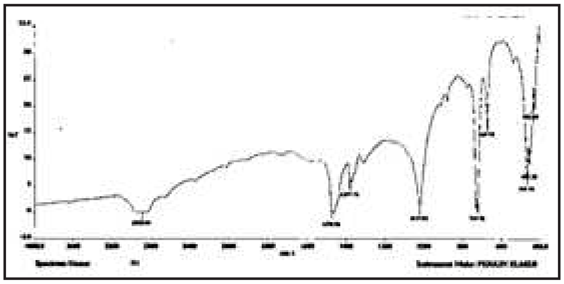

Graph (2) –FTIR Spectra of Black Agriculture film after 30 days of Weather exposure

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

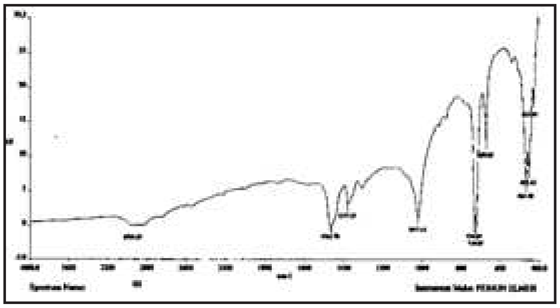

Graph (3) –FTIR Spectra of Black Agriculture film after 60 days of weather exposure

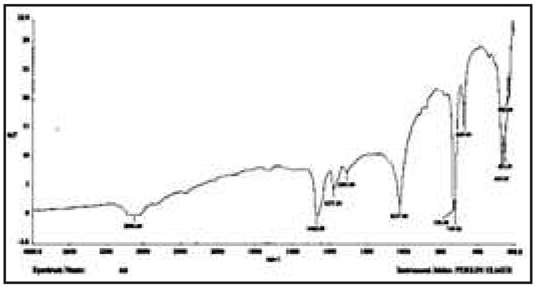

Graph (4) –FTIR Spectra of Black Agriculture film after 90 days of Weather exposure

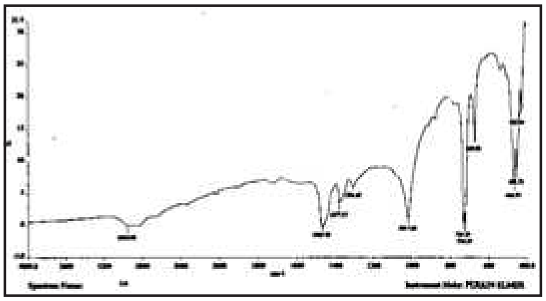

Graph (5) –FTIR Spectra of Black Agriculture film after 120 days of Weather exposure

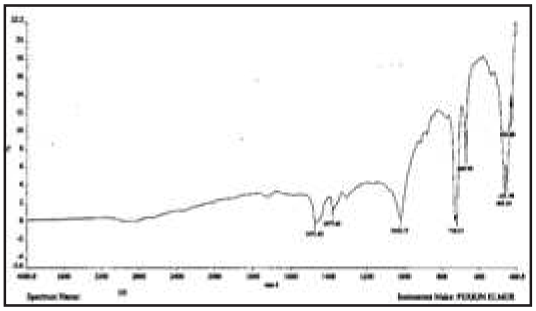

Graph (6) –FTIR Spectra of Black Agriculture film after 150 days of Weather exposure

References:-

1. Market Study Polyethylene LLDPE Ceresana Research. (March 2010), Retrieved (8 May 2012).
2. Market Study Polyethylene–LDPE Ceresana Research, (April 2010), Retrieved (8 May 2012).
3. Speleers, Poulter and Allen to star in Plastic. screendaily.com. (12 August 2013).
4. A.M. Ollick and A.M. Al – Amri, "Weathering Effects On Mechanical Properties of Low and High Density Polyethylene PipesUsedIn Irrigation Networks", Alexandria Eng. Journal Egypt Vol. 42 No. 6, pp, 659 – 667, (2003).
5. Nicole M. Stark, "Effect of Weathering Variables On The Lightness Of High Density Polyethylene Woodflour Composites", The Eighth International Conference On Woodfiber–Plastic Composites, Madison, Wisconsin, USA, May 23 – 25, (2005).
6. Smt. Vaishalilal, GeetaParyani, ArunSikarwar, Photodegration of LDPE Films: Approach with Tensile Properties, Asian Journal of Biochemical and Pharmaceutical Research, Volume 3, Issue 3, Month October 2013 pp. (192–199).
7. Smt. Vaishalilal, GeetaParyani, ArunSikarwar, Photo Degradation Of LDPE Films: An Approach With Carbonyl Index, International Journal of Fundamental & Applied Research, Volume–1 Issue – 6 Month – September 2013 pp. (25 –29).

Table (2) – Data observed in FTIR spectra for Black Agriculture film, after days of Weather exposure.

S.	Days	Peaks Intensity(Increase / Decrease) Compare with Pure Black Agriculture film						
		Range cm^{-1}						
1	30	2883.88	1470.96	1377.75	1017.83	719.78, 669.75		
2	60	2929.87	1464.7	1377.57	1017.61	729.29	719.87, 669.65	
3	90	2898	1468.5	1377.5	1304.5	1017.4	729.49	719.83, 669.64
4	120	2950.9	1465.95	1377.57	1304.65	1017.63	729.37	719.87, 669.81
5	150	2950.9	1471.03	1377.61	1018.17	719.51, 669.99		

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

A Study on Impact of Investors Psychology on Stock Market Performance

Dr. Samta Mehta *

*Asst. Professor, Bhagat Singh Govt. P.G. College, Jaora, Distt. Ratlam (M.P.) INDIA

Abstract - For years, traditional finance has always presumed that investors are rational in their decision making process in the stock market about risk return trade-offs and maximizing utility. However, behavioral finance studies revealed that human beings do not behave as rationally as economists suppose as their decisions at times are affected by their psychological feelings. This paper provides the evidence for empirical sensitivity of trading volume to human psychological factors. it review therefore extensive evidence about how human psychology affects investor behavior and trading volume.

The findings show that overconfidence, conservatism and availability bias have significant impacts on the investors' decision making while herding behavior has no significant impact on the investors' decision making. The stock selection process is considered significant in behavioral finance. Hence this paper aims to find out the various factors influencing investors' decisions making behavior on the basis of comprehensive review of related studies. It is also found that the psychological factors are dependent of individual's gender. The results of this research are mostly consistent with the evidences in previous studies. This study, hopefully, will help investors to be aware of the impact of their own psychological factors on their decision making in the stock market, thus increasing the rationality of investment decisions for enhanced market efficiency.

Introduction - Investment, in the broadest sense, means the sacrifice of current money for the future income. Investment is the flow of capital which is used for productive purposes. There are large numbers of investment avenues available in the market. The investors choose avenues, depending upon their specific need, risk appetite, and expected return. Investment avenues can broadly be categorized into two spheres, namely, Real Investment and Financial Investment. Real investments, involve a tangible (physical) asset, such as land, machinery etc. Financial investments, on the other hand, involve investment in financial instruments like shares, debentures, insurance policies, mutual fund units etc. The Behavioral Finance mainly focuses on how investors interpret and act on micro and macro information to make investment decisions. The Behavioral Finance is defined, as "a rapidly growing area that deals with the influence of psychology on the behaviour of financial practitioners" **Babajide & Adetiloye (2012)**. One of the important factor associated with investment decision is risk, Individuals differ in the risks they accept or even deliberately embrace. However, risk taking is not a single trait but is a behavior influenced by characteristics of the situation, the decision maker and the interactions between situation and decision maker.

In the present days, a new financial sub discipline called behavioral finance has ignited a wave in explaining the behavioral aspects of investment decisions. It is becoming an essential part of the decision making process, because it has a great influence on investors' decision making behavior and will help them to select a better investment option. The investors are generally less able to objectively evaluate companies' risks and returns, and tend to be emotionally biased in their trading decisions. Many economic and financial theories presume that investors act rationally; however, they are only human. They act according to market sentiments and some even follow their gut feeling when making financial decisions; therefore, it is necessary to examine the factors that prompt the investors to make investment decisions. Many researchers have discussed the investors' behavior and tried to enhance the understanding of people managing investments in different ways; it is mainly personal characteristics that influence investment decision-making. The nature of psychological factors and individuals' behavior at the time of investment decision-making has been under discussion.

Statement of the Problem: The investment made with the help of rumours and tips may erode off the amount invested. In buying a share, number of factors are to be measured like the condition of the financial, market and psychological factors. It is help to purchase the shares at low cost and

selling at high price. It is better to invest after careful study and a systematic evaluation in the form of fundamental analyse (net selectivity skill) and technical analysis (time ability skill). Many investors neglect this evaluation due to lack of knowledge about the fundamental and technical analysis.

The irrational investors enter the market and buy the shares as per their own wish and pleasure. As a result the market loses its stability, when a large number of irrational investors play in the stock market. Ultimately when the stock markets lose the stability, the flow of funds into capital market slows down and affects the economic growth of the country. This study would help many investors who may want to know a rational method to buy shares that have a better, risk position, investors' rights and portfolio information along with their broad category of statement.

Objectives:

1. To highlight influence of different Psychological biases on the investment decision making.
2. To Help investors to make a better investment decision.

Psychological Factors

Overconfidence: Overconfidence means when someone has more confidence in his/her abilities about some situation. They misjudge their abilities, knowledge, skills, and availability of information **(Tapia & Yermo, 2007)**. It can be defined in many ways, some people not only think that they have and use their best skills but can also control the situations. In fact, they don't consider the risks. People rated themselves higher than the average, i.e. investors think that they can control the market and outcome of their investment. **Shiller (2000)** said that people think that they know more than they can do. **Odean (1998)** said that investors who are overconfident think that they can choose stocks better than others. They think that they know the best time to enter and to exit the market, but in actual their returns are lower than the other investors. But on the other hand, **Kyle and Wang (1997)** said that overconfident investors can earn more than other investors (rational) as volume of transaction also increased because of them. **Pulford and Colman (1997)** described about the different confidence level in men and women. They said that men are more confident than women as woman have to work under many social pressures. **Taylor and Brown (1988)** said about confidence that people have unrealistic approach about themselves. They think they are better than others and think themselves to be superior in their decision.

Optimism: Optimism means that all will be better than the examination. It originates from overconfidence. People have positive feelings about everything. They hope for the good more than the actual. Investors think that market will go high in the future but this can't be happen all the time. Unnecessary optimism can lead them to loss; can waste their money as well as time behind unrealistic goals. When investors think they can perform well, but they don't, it can also lead them to frustration because they could not get that they are supposing. Gervais, Heaton, and Odean (2002) said that optimistic behavior is good for the market as it lead investors to invest like when investors have positive feeling about their decision. Kahneman and Riepi (1998) said that unnecessary optimism can lead people to misjudge the changes that occur due to some bad situations in their life. It said that most of the individuals are affected by extra optimism instead of considering their financial expectations of their return.

Fear of loss: People are afraid of losing. Investors do not want to bear loss. Kabra, Prashant, and Dash (2010) finds out that even if there are chances of growth in market or worthy initial public offerings, some investors even then invest according to risk they can afford, e.g. risk averse investor will invest in fixed deposits, insurance policies, etc. Prospect/loss aversion theory has also been proposed which states that people get even more depressed instead of getting any happier bearing similar loss amount. Richard (2002) said investors behave irrationally because they are afraid of losses in future.

Herd behavior: Investors discuss about their investment with their relatives and friends and want to act on it. Bikhchandani and Sharma (2000) said that some investors have impact of others on their decision-making instead of following their own strategies.

On the other hand, **Obenberger (1994)** said that investor do not take into consideration the analyst recommendation, family members, co-worker, brokerage house advices. They use valuation models to evaluate the prices of stocks before investing.

Positive attitude: Some investors are confident about their decision-making. They think they should take risk in order to earn more profits than others. Gervais et al. (2002) said that optimistic behavior is good for the market as it lead investors to invest like when investors have positive feeling about their decision.

Consultancy effect: Investors are very conscious about their investment; they discuss and take advices from brokers in order to minimize risk on their investment. Krishnan and Booker (2002) said that investors taking advices from analyst's recommendation reduces their disposition error in losses as well as gain.

Cognitive bias: Cognitive bias means that when a person obtains some information, he processes it by filtering through his/her own experience, thoughts, likes, and dislikes. Simply cognitive psychology (a part of behavior finance) tells how people think. De Bondt and Thaler (1985) in his article proved that cognitive bias cause mispricing of stocks of NYSE when investors over react in long run. Meir (1988) says that some investors invest only because of their emotional and cognitive reason. Investors think that they have information to have profits on their trade but in real it's not true, they are only doing it for enjoyment and pride. Sometimes, it brings happiness, when they get profits

but on the other side, they have to face qualms in case of losses.

Temperament: The most important quality for an investor is temperament, not intellect. You need a temperament that neither derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd.

Answer these questions to yourself. If you panic when your portfolio goes down by more than 10 percent and think five years is a very long time to hold on to your equity investments or sell the stocks which are in profit and hold on to those which are in loss and try to 'time the market or you stay glued to the screen during market hours, then you need to work on your temperament. In fact, investing is one percent information and 99 percent temperament.

Fear of Regret: Fear of regret or simply regret theory, deals with the emotional reaction people experience after realizing they've made an error in judgment. Faced with the prospect of selling a stock, investors become emotionally affected by the price at which they purchased the stock. So, they avoid selling it as a way to avoid the regret of having made a bad investment, as well as the embarrassment of reporting a loss. We all hate to be wrong, don't we?

What investors should really ask themselves when contemplating selling a stock is: "What are the consequences of repeating the same purchase if this security were already liquidated and would I invest in it again?" If the answer is "no," it's time to sell; otherwise, the result is regret in buying a losing stock *and* the regret of not selling when it became clear that a poor investment decision was made—and a vicious cycle ensues where avoiding regret leads to more regret.

Regret theory can also hold true for investors when they discover that a stock they had only considered buying has increased in value. Some investors avoid the possibility of feeling this regret by following the conventional wisdom and buying only stocks that everyone else is buying, rationalizing their decision with "everyone else is doing it." Oddly enough, many people feel much less embarrassed about losing money on a popular stock that half the world owns than about losing money on an unknown or unpopular stock.

Mental Accounting Behaviors: Humans have a tendency to place particular events into mental compartments, and the difference between these compartments sometimes impacts our behavior more than the events themselves. Say, for example, you aim to catch a show at the local theater and tickets are $20 each. When you get there, you realize you've lost a $20 bill. Do you buy a $20 ticket for the show anyway? Behavior finance has found that roughly 88% of people in this situation would do so.

Now, let's say you paid for the $20 ticket in advance. When you arrive at the door, you realize your ticket is at home. Would you pay $20 to purchase another? Only 40% of respondents would buy another. Notice, however, that in both scenarios, you're out $40: different scenarios, the same amount of money, different mental compartments. Pretty silly, huh?

An investing example of mental accounting is best illustrated by the hesitation to sell an investment that once had monstrous gains and now has a modest gain. During an economic boom and bull market, people get accustomed to healthy, albeit paper, gains. When the market correction deflates investor's net worth, they're more hesitant to sell at the smaller profit margin. They create mental compartments for the gains they once had, causing them to wait for the return of that profitable period.

Anchoring Behaviors: In the absence of better or new information, investors often assume that the market price is the correct price. People tend to place too much credence in recent market views, opinions and events, and mistakenly extrapolate recent trends that differ from historical, long-term averages and probabilities.

In bull markets, investment decisions are often influenced by price anchors, which are prices deemed significant because of their closeness to recent prices. This anchoring heuristic makes the more distant returns of the past irrelevant in investors' decisions.

Over- and Under-Reacting: Investors get optimistic when the market goes up, assuming it will continue to do so. Conversely, investors become extremely pessimistic during downturns. A consequence of anchoring, or placing too much importance on recent events while ignoring historical data, is an over- or under-reaction to market events, which results in prices falling too much on bad news and rising too much on good news.

At the peak of optimism, investor greed moves stocks beyond their intrinsic values. When did it become a rational decision to invest in stock with zero earnings and thus an infinite price-to-earnings (P/E) ratio (think dotcom era, circa the year 2000)? Extreme cases of over- or under-reaction to market events may lead to market panics and crashes.

Conclusion: From the review of above study, it can be concluded that there are various psychological factors that influence the individual investor's behavior in stock market. Some factors affect majorly while other have slight role in influencing the behavior of an individual investor. The most general factors that have a significant impact on the investors' behavior are herding, over-reaction, cognitive bias, confidence (over or under), risk factor, mental accounting behavior and temperament.

References:-

1. Babajide, A. A., Adetiloye, K. A., (2012) Investors' Behavioral Biases and the Security Market: An Empirical Study of the Nigerian Security Market. Accounting and Finance Research 1(1), 219-229.
2. Briony D. Pulford, Andrew M. Colman. (1997) Overconfidence: Feedback and item difficulty effects, Personality and Individual Differences, Vol. 23, Issue 1, Pages 125-133.
3. Daniel Kahneman and Mark W. Riepe (1998) The Jour-

nal of Portfolio Management, 24 (4) 52-65

4. Gervais, S., Heaton, J.B. and Odean, T. (2002) The Positive Role of Overconfidence and Optimism in Investment Policy. Mimeo, University of California, Berkeley.
5. Kyle, A.S. & Wang, F.A. (1997). Speculation duopoly with agreement to disagree: Can overconfidence survive the market test?. Journal of Finance, 52, 2073–2090.
6. Odean, T. (1998). Volume, volatility, price, and profit when all traders are above average. Journal of Finance. 53, 1887–1934.
7. Shiller, R. J. (2000). Human Behavior and the Efficiency. Handbook of Macroeconomics, Elsevier.
8. Tapia, W. and J. Yermo (2007), "Implications of Behavioural Economics for Mandatory Individual Account Pension Systems", OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions, No. 11, OECD Publishing.
9. Taylor, S. E., & Brown, J. D. (1988). Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health. *Psychological Bulletin, 103*(2), 193–210.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

A Comparative Study on Women's and Men's Approach on Investment and Retirement Planning

Dr. Rahul Kaushal *

*Asst. Prof. , Bhagat Singh Govt. P. G. College, Jaora (M.P.) INDIA

Abstract - Previous studiesin Indian context shows that gender identity has a great bearing in deciding ones path of saving, investment and retirement planning. Men are still considered as key decision maker in financial matters. However, this phenomenon varies household to household. In some household, Men manage the entire finances and women play only subordinate or passive role;where as in some household womenhave actively started participating in money management. This discussion becomes more relevant when county is witnessing a cultural shift because more and more young women want to be financially independent. Earlier women's prime concern was marriage and upbringing of their children thus majority of them remained dependent on their partner's income. Now when women's participation is increasing in country's total workforce, so should be their participation in financial decision-making and retirement planning. In present generation, it is equally important for women to not only earn a living but also to make prudent financial choices, take appropriate action and support their family during their working as well as intheir post retirement life.

The main objective of this study is to understand the present level of participation of women in financial planning, what women are concern about in terms of investment & retirement planning, what difficulty they face, where they differ compare to their male counterparts, how they would like to contribute in financial planning and help them to secure a better financial future.

Keywords- Financial Planning, Investment horizon, sustainable source of Income, online financial tools, Retirement savings, financial education

Introduction- Retirement financial planning is indispensable for all; no matter of what gender, age group, income group, social or economic background one belongs. However, considering interrupted pattern of income of women, financial planning becomes compulsory for women whereas it is also essential for men. Ways to earn, invest and accumulate adequate wealth for retirement is full of hurdles for working women in our country at large. Despite vast changes all over, women are not paid as much of remuneration as their male counterparts for same kind of job. Apart from this women's career go through lot of long breaks such as maternity and care giving leaves, which affects the career growth and results into reduced or sometimes lost income.Taking into account some other social and safety issues their total savings, investment and retirement funds adversely get affected. This is the case when according to world life expectancy report 2015[1], Indian women's life expectancy is 69.9 years,which is comparatively more than men's life expectancy of 66.9 years, and hence they need more resources to live.

Women and men, both regard saving and financial planning its due importance. Both of them want to make sure that they earn and save enough or more to afford same lifestyle even after their retirement. Yet they differ a lot, because each of them has different set of prime responsibilities. Women are more concern about care giving to kids, health of family members and other households. They perceive the concept of retirement in different way (positive or negative).

There is an imperative need to study women's point of view about savings, investment, financial understanding, using online financial tools, taking help from financial consultant andmoney managementin contrast to their male counterpart.Women can improve their financial standing with proper planning for unique circumstances they face. However first it is to be understood that how much value women give to financial planning, where they stand as financial decision maker, what particular investment though they have and how they see themselves in the family. Answers to all these questions may surely help both members in family to plan successful financial future.

Review of Related literature

Lack of sustainable source of income after retirement is a great cause of worry for many households because majority

of households that are approaching close to retirement have very insignificant amount of assets with them. This problem becomes severe in case of female-headed households considering the obstacle they go through **(David R. Weir and Robert J. Willis 2000).**Timely information and planning can significantly change shape of retirement savings. People who formally plan for financial goals end up with better accumulation of wealth than non-planners do. Planning is also associated with investment in better return yielding assets **(Lusardi and Mitchell 2007).**

Research work conducted on financial planning usually cover wealth creation, accumulation, compounding, consulting financial consultant and retirement planning. These are some common measure pointers, which are generally used relate financial planning and favorable consequences in life**(Clare 2004).**Concept of investment and retirement planning holds different meaning to different people, to some retirement is more associated with freedom from work than financial subject matter. People may perceive it as positive or negative depending up on their circumstances**(Sykes, W. 2005)**.

Hilgerth, Hogarth, and Beverly (2003) Despite having a comparatively low level of awareness about financial products women are tend to be better receptive of financial products that may help them to protect any adverse effect in later life. Women are more open to discuss their financial queries in case of doubt than men are. Most of the household consider themselves skilled in managing monthly budget for expenses but when it comes to saving for long term goal they lack such skills. **Joo and Grable (2005)** suggested that savings, investment and superannuation planning are not mandatory they only personal choice therefore level of investment varies a lot even at same earning level people.

Objectives:

1. To identify the primary objective of investment among studied population.
2. To find the most common investment horizon across the gender.
3. To examine the level of awareness about financial planning amongwomen and men.
4. To understand the perception of retirement (Positive or Negative) among Women and Men.
5. To form an opinion about the retirement planning approach of women and Men.

Research Methods and Questions: This study was intended to explore whether there exist any significant differences in investment strategy and retirement planning approach between women and men or not. In order to investigate differences and similarities between women and men towards these financial planning issues, a survey questionnaire including some demographic factors that affect the undertaken topicwas preparedbased on available literature on the subject.

A purposive (administered) sampling technique has been used, as solely random samples were not feasible. A pilot testing was conducted before finalizing the questionnaire. Out of total 120 questionnaires, 102 questionnaires were found to be complete in all aspect. Questions about investment strategy, portfolio choice, risk tolerance, investment objectives, time horizon, knowledge about investment product & tools, perception of retirement and money management etc. were asked. Five point likert scales was used to record and measure the responses.

Table 1 (see in last page)

Descriptive statistics components like mean, standard deviation, variance, kurtosis and skewness were calculated to have a comprehensive understanding of the collected data. It was observed that 41 % respondents were female and 59 % were male. Highest mean was noticed in terms of age and lowest mean was observed in Education. With the skewness, measuring in the range of(-0.62 to 0.69) it can be said that data is moderately skewed.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.836	.830	9

The Cronbach's Alpha value is 0.836, which shows higher level of consistency for the scale used in this study.

Data Analysis and Results: All the data was categorized into groups. It was assumed that there are no differences between women and men regarding various aspects of financial planning.A single factor Anova test has been used to test the null hypotheses:

H_{01} :There is no significant difference between women and men with reference to Investment objectives.

A single factor Anova test has been used to test the null hypothesis:

Table 2 (see in last page)

Here Value of F, 25.63 is greater than Value of F crit which is 3.93 hence null hypothesis is rejected. It implies that means of the two population are not equal and there exists a significant difference between women and men with reference to Investment objectives. Primarily purpose of investment is quite different for women and men.

H_{02} :There is no significant difference between women and men with reference to investment horizons.

Table 3 (see in last page)

Here Value of F, 0.56 is less than Value of F crit which is 3.93 hence null hypothesis is stands accepted. It implies that means of the two population are equal and there does not exists any significant difference between women and men with reference to investment horizons. Both women and Men have convergence of opinion about investment horizon.

H_{03} :There is no significant difference between women and men with reference to awareness about financial planning.

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups	*Count*	*Sum*	*Average*	*Variance*
Women	42	99.33333	2.365079	0.584333
Men	60	171.3333	2.855556	0.841306

Table 4 (see in last page)

Here Value of F, 8.07 is slightly greater than Value of F crit which is 3.93 hence null hypothesis is rejected. It implies that means of the two population are not equal and there exists a significant difference between women and men with reference to awareness about financial planning. Women and Men in the studied population have different level of awareness about financial products and tools.

H_{04} :There is no significant difference between women and men with reference to Retirement planning approach.

Table 5 (see in last page)

Here Value of F, 27.83 is greater than Value of F crit which is 3.93 hence null hypothesis is rejected. It implies that means of the two population are not equal and there exists a significant difference between women and men with reference Retirement planning approach. Women and men perceive retirement in different way and have different attitude towards it.

Conclusion and implications - The present study identified various factors that affect investment & retirement planning and analyzed these factorsconsidering gender identity. Findings about the level of financial awareness among women were found confirming the earlier studies (Hung, A., J. Yoong and E. Brown (2012) showed that in terms of financial awareness women lag behind men. This finding may be used by policy makers and concerned people to promote financial education among women and involve them into financial decision actively.

It was also found that in most of the financial planning issues, women have different mind-set than men;therefore, marketers of financial services must notice this fact and try to understand the unique problems women face and then customized their offerings. These finding are consistent with (Sally McKechnie, Heidi Winklhofer, Christine Ennew, 2006) and required due consideration.

This study also has great bearing up on both women and men as a couple so that they can understand in what ways each other thinks about financial planning and shapes their financial future in better way.

References:-

1. Weir, David R. and Robert J. Willis. 2000. “Prospect for Widow Poverty.” In Forecasting Retirement Needs and Retirement Wealth, ed. Olivia S. Mitchell, P. Brett Hammond and M. Rappaport, 208-234. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
2. Lusardi, Annamaria and Olivia S. Mitchell.2007. “Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education,” Business Economics, 42(1): 35-44.
3. Clare R. (2004). Why can’t be women be more like a man? Gender differences in retirement savings. Paper Presented at AFSA 2004 national conference and super expo, Adelaide.
4. Sykes, W. (2005). Financial plans forretirement: women’s perspectives. Norwich NR3 1BQ.: Department for Work and Pensions
5. Hilgert, Marianne, Jeanne Hogarth, and Sondra Beverly. 2003. “Household Financial Management: The Connection between Knowledgee and Behavior,” Federal Reserve Bulletin, 309-322.
6. Joo, S. H. and Grable, J. E. (2005) Employee education and the likelihood of having a retirement saving program. Fiancial Counseling and Planning. 16 (1):37 -49.
7. Hung, A., J. Yoong and E. Brown (2012), “Empowering Women Through Financial Awareness and Education”, OECD Working Papers on Finance, Insurance and PrivatePensions, No. 14, OECD Publishing.
8. Sally McKechnie, Heidi Winklhofer, Christine Ennew, (2006) “Applying the technology acceptance model to the online retailing of financial services”, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 34 Issue: 4/5, pp.388-410.

Footnotes:

1. http://www.worldlifeexpectancy.com/india-life-expectancy

Table 1 : Descriptive Statistics

	Gender	Age	Education	Marital Status	Employment Sector	Family	Income Structure
Mean	1.5882352	2.2156862	1.5294117	1.6470588	2.0490196	1.6078431	1.9607843
Standard Error	0.048971	0.0971616	0.060261	0.0475512	0.0687936	0.0485808	0.0902138
Standard Deviation	0.4945833	0.9812847	0.6086160	0.480244	0.6947818	0.064239	0.9111147
Sample Variance	0.2446126	0.9629198	0.3704135	0.2306348	0.4827218	0.2407299	0.8301300
Kurtosis	-1.905300	-0.0542277	-0.4597028	-1.6423706	-0.8941992	-1.835326	-0.6243159
Skewness	-0.36394	0.5776495	0.6919503	-0.6246817	-0.0656990	-0.448391	0.5590659

Table 2 : Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups	*Count*	*Sum*	*Average*	*Variance*
Women	42	94	2.238095	0.941928
Men	60	200	3.333333	1.344633

ANOVA

Source of Variation	*SS*	*df*	*MS*	*F*	*P-value*	*F crit*
Between Groups	29.63585	1	29.63585	25.12527	0.003125	3.936143
Within Groups	117.9524	100	1.179524			
Total	147.5882	101				

Table 3 Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups	*Count*	*Sum*	*Average*	*Variance*
Women	42	125	2.97619	0.767712
Men	60	187	3.116667	0.926836

ANOVA

Source of Variation	*SS*	*df*	*MS*	*F*	*P-value*	*F crit*
Between Groups	0.487535	1	0.487535	0.565852	0.453679	3.936143
Within Groups	86.15952	100	0.861595			
Total	86.64706	101				

Table 4

ANOVA

Source of Variation	*SS*	*df*	*MS*	*F*	*P-value*	*F crit*
Between Groups	5.943417	1	5.943417	8.075876	0.005438	3.936143
Within Groups	73.59471	100	0.735947			
Total	79.53813	101				

Table 5 Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups	*Count*	*Sum*	*Average*	*Variance*
Women	42	130.4444	3.10582	0.360706
Men	60	227.1111	3.785185	0.443552

ANOVA

Source of Variation	*SS*	*df*	*MS*	*F*	*P-value*	*F crit*
Between Groups	11.40268	1	11.40268	27.83959	0.003746	3.936143
Within Groups	40.9585	100	0.409585			
Total	52.36117	101				

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

The FMCG Sector in India-Impact of Covid-19 Pandemic and Strategies Adopted to Meet the Post Covid Challenges

Dr. Anamika Kaushiva*

***Associate Professor (Economics) Sahu Ram Swaroop Mahila Mahavidyalaya, Bareilly (U.P.) INDIA**

Abstract - The Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) sector, currentlythe fourth largest sectorof Indian economy, is playing a vital role in the packaged consumer goods market.India's FMCG market was valued at 110 billion U.S. dollars in 2020 of whichthe size of the rural FMCG market was about 23.6 billion U.S. dollars. The Coronavirus outbreak and its spread across the nations made a significant impact on the economic situations of all countries.The FMCG sector suffered a severely due to sudden lockdown announcement which resulted in panic buying and stock piling by consumers and disrupted the demand-supply logistics in the retail market. The consequent changes in consumer demand patterns, supply chain constraints, ballooning inventory due to lockdown, recession in the economy, fall in GDP led to many new challenges for the FMCG. As the economy started reviving in 2021, the FMCGs began responding to the challenges by adopting various strategies. The economic conditions in 2022 continue to be highly volatile with the predictions of the fourth wave of the epidemic in June-July, the double-digit inflationary trends, rising interest rates, the global crisis due to the Russian -Ukraine. The fast-moving sector has to make innovative changes to meet the uncertainties and dynamic consumer demand. This paper attempts to analyse the growth of FMCG sector in the Indian economy, the impact of coronavirus and the consequent strategies being adopted by the sector to face the challenges.

Keywords – FMCG.

Introduction - The Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) sector, currentlythe fourth largest sectorof Indian economy, is playing a vital role in the packaged consumer goods market. FMCG products likepackaged food and beverages, personal care products,fabric soaps and detergents, over the counter medicine, daily use electronic items mobiles and headphones are an integral part of the family monthly expenditure of both urban and rural and urban consumers.India's FMCG market was valued at 110 billion U.S. dollars in 2020 of whichthe size of the rural FMCG market was about 23.6 billion U.S. dollars as per Statista data[1].

FMCG sector has expanded rapidly despite its low per unit profit margin because,as the consumer demand and salesare large and the gestation period of investment is low, the cumulative profit on these products is high.TheFMCG sector is profitable withlowinvestment, low operating costsand a wide consumer base. The simple manufacturingprocesses of FMCG products have led to the establishment ofinnumerable units in MSME and a major portion of the market is in the unorganized sector. Local brands, which sell their products in small affordable packages,have captured the markets in the rural areas whereas premium brands rule the urban market consumers. The Coronavirus outbreak and its spread across the nations made a significant impact on the economic situations of all countries.The FMCG sector suffered due to sudden lockdown announcement which disrupted the demand-supply logistics in the retail market. The consequent resultsthat soon followed were unemployment, fall in income and sharp decline in consumer demand, changes in consumer demand patterns, supply chain constraints and ballooning inventory The recession in the economy and fall in GDP impacted the FMCG. As the economy started reviving in 2021, the FMCGs began responding to these challenges by adopting various strategies. This paper attempts to analyse the growth of FMCG sector in the Indian economy, the impact of coronavirus and the consequent strategies being adopted by the sector to face the challenges.

Objectives of the research study:

1. To understand the FMCGsector and present an overview Indian FMCG sector
2. To study the growth of Indian FMCG sector
3. To critically analysethe impact of covid 19 on the Indian FMCG sector

4. To analyse the strategies adopted by FMCGs to overcome the challenges of Covid-19

Methodology: The study has been based on exploratory research design method to provide an overview of the sector and critically analyse how the sector is adopting various strategies to cope with increasing inflationary pressures. The study is based on secondary data collected from research papers, periodicals, blogs, reports, and newspapers.

I. The Indian Fast Moving Consumer Goods Sector

Fast Moving Consumer Goods are FMCG products are highly in-demand, sold quickly, and affordable[2].These are sold in packaged forms, purchased by the end-consumer – often in small quantities and repeated regular intervals.The main FMCG segments are classified as packaged food and beverages, personal care products, household care products, tobacco, and electronic goods.

1. Packaged Food and Beverages: all consumables which people buy regularly in packaged form-Snacks and bakery products; tea; coffee; processed fruits, frozen vegetablesand meat; dairy products; branded flour, rice, tea, coffee, sugar; soft drinks; juices; bottled water etc.

2. Personal Care*:* oral care products; hair care; skincare; soaps; cosmetics and toiletries; paper toiletries (tissues, diapers,sanitary napkins etc.

3. Household Care: All fabric wash products and household cleaners(Utensil cleaners, floor cleaners, toilet cleaners, airfresheners, insecticides, and mosquito repellents etc).

4. Spirits and Tobacco

5. Electronic products - mobile phones, MP3 players, digital cameras,all digital and computer accessories, household light and sound items. The high cost household electronic items such as refrigerators, T.Vs, music systems, etc are often clubbed together as White FMCG products.

Due a large population and a steadily expanding economy, the FMCG sector in India has a huge potential market. It provides a wide range of daily need products to the consumers. According to the Indian FMCG Market 2020 report of ASSOCHAM, "FMCG is the fourth largest sector in Indian economy and provides employment to around 3 million people accounting for approximately 5% of the total factory employment in India."[3]The pie chart shows Indian FMCG Market Share, By Segent (%), 2020F

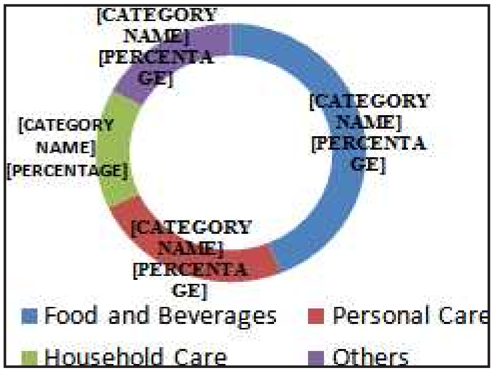

Source: - Based on Data from Indian FMCG market 2020 report ASSOCHAM and TechSci'sResearch

Data from the report from Indian Brand Equity Foundation report on FMCG. January 2021, in Box. 1, highlights the growth of the sector.[4]

Box 1: Growth of Fast Moving Consumer Goods in India: Salient points

1. FMCG is the fourth largest sector in the Indian economy.
2. India's household and personal care is the leading segment, accounting for 50% of the overall market. Healthcare(31%)andfoodandbeverages(F&B)(19%)
3. The FMCG market is expected to grow at a CAGR of 23.15% to reach US$103.70 billion by FY21 from US $ 49 billion in FY16.
4. Final consumption expenditure is set to increase at a CAGR of 25.44% during 2017-2021.
5. Rural consumption contributes around 36% to the overall FMCG spending.
6. The rural FMCG market is expected to grow to US $220.00 billion by 2025 from US $23.63 billion in FY18.
7. The online FMCG market is forecast to reach US$ 45 billion by the end of 2020.

The FMCG sector sales in India have been increasing rapidly – from 49 US billion dollars in 2016 to 110US billion dollars in 2020(forecast) as is shown below.

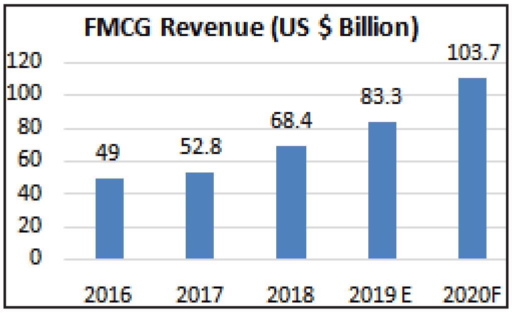

Source: https://www.ibef.org/download/FMCG-January-2021.pdf

II. Opportunities and Challenges of FMCGs in India:

The FMCGs cater to a very high percentage of consumer demand and sell products which have massive consumption,the cumulative profit of producers who successfully face competition and adjust according to consumer needs, buying motives, changing tastes, preferences are high. The product quality, price packaging and advertising to generate consumer awareness, distribution networks – all these factors are both an opportunity and a challenge. The FMCG sector industrial unit success depends on developing a product with simple manufacturing process, low operating cost, a large consumer base, a wide distribution web with minimum investment. [5]

Market Opportunities:

1. Rural Market - Rapidly rising rural consumption per capita expenditure on FMCG products.

2. Urban Market – increasing income of middle and upper-class consumers in urban areas has increased the demand for premium brand FMCG products.
3. Increase in Online Purchasing of FMCG products with expansion of e-commerce.
4. Increase in use of packers and third-party manufacturers who supply packing material has decreased cost of production.
5. Emergence of new products in personal care, cosmetics, health and wellness, grooming and.
6. Expansion and new avenues in the food processing industry- nutritional food items, snacks and beverages, processed food or the ready-to-eat segment, frozen fresh food items.
7. Increase in middle income group population which is the main growth driver of FMCG sector.

Challenges:

1. Intense competition, both in the organised and the unorganised sector, leading to price war, increasing advertisement and sales costs.
2. Socio-Cultural diversity of the consumers across the country – The socio-cultural demographic diversity makes it very difficult for the producers and suppliers to cater to consumer preferences which vary from district to district within states. This results in multiple micro markets, each having its own peculiarities.
3. Consumer awareness is increasing especially due to expansion of social media. This has resulted in changes in consumer behaviour and consequent changes in demand patterns. For example, there has been a decline in demand for traditional beauty aids, carbonated drinks, tobacco products. The producers have to cater to a very dynamic market.
4. Regulations regarding health and safety have been made strict and are being implemented across a wide range of FMCGs through various measures like packaging labels, scrutiny of products, monitoring of quality.
5. The Supply-Chain Constraint – Lack of supply chain infrastructure, particularly storage and transportation facilities are a major constraint in the market. In case of products with limited shelf life and cold store requirements, storage and electricity supply are a major bottleneck in rural and semi-urban markets. [7]
6. Issues related to bureaucratic hurdles on transportation, licence permits, labour laws, export related procedures result in increase in cost of production and losses.

Despite these challenges the FMCG sector was rapidly expanding had bright prospects before the outbreak of the pandemic.

III. Impact of Covid 19 on FMCG sector: The Coronavirus outbreak and its spread across the nations made a significant impact on the economic situations of allcountries due to rise in unemployment caused by lockdowns, fall in income and sharp decline in consumer demand, collapse of industrial sectors like tourism and hospitality, luxury goods, dining. As India announced a complete lockdown of 23rdMarch 2020, the country economic situationwas disoriented. On one hand the labourers employed in the unorganised sector, the self-employed and the MSMEs were severely impacted. There was a sharp decline in disposable income, consumer spending and demand. In the retail sector, the malls and shoppingcentres in urban areas as well as shops in the semi-urban and rural areas were closed entirely/were working for limited hours daily.

In 2020-21, India's Gross Domestic Product (GDP) fell by 7.3%, as per provisional National Income estimates. GDP contracted 24.4% in the April to June 2020 quarter, followed by a 7.4% decline in the second quarter. The Gross Value Added (GVA) in India's economy shrank 6.2% in 2020-21, GVA from trade, hotels, transport, communication and broadcasting-related services recorded the sharpest decline of 18.2%, followed by construction (-8.6%), mining and quarrying (-8.5%) and manufacturing (-7.2%).[6] The FMCG sector suffered a severely due to the following factors [8]

- Sudden lockdown announcement resulted in panic buying and stock piling by consumers and disrupted the demand-supply logistics in the retail market.
- This was soon followed by changes in consumer demand patterns[10]

a) A big rise in the demand for hand wash and sanitisers and OTC medicines
b) Surge in demand for health and immunity products
c) Increase in demand for grocery and home-essential products due to fear of extension of lockdown
d) Decrease in demand for non-essential consumer goods like personal care, beauty and make-up
e) Decrease in demand for apparels due to 'work-from-home' situation
f) Sharp decline in demand for products related to restaurant business and travel and tourism
g) Fall in demand for appliances and consumer durables due to increase in job losses and decline in disposable incomes.

- Supply chain disruption were caused by scaling down/ shutting down of operations at manufacturing units, warehouses, offices, initially temporally and in many cases permanently, due to lockdown and losses.
- Transportation of already packed goods was a major constraint due to lack of transportation vehicles and labour for loading and unloading both at the production units and at the destination ends. This resulted in a heavy loss especially in case of food and beverage items which have a limited shelf life. In case of durable consumer goods, the producers/sellers faced the challenge of 'ballooning inventory' due to fall in sales.
- Labour supply constraints due to labour migration to their villages.

- Issues arising due to sealed state borders, limited movement, and delivery of essential goods.
- The manufacturing units were forced to decrease their capacity utilization resulting in increasing losses as well as a decrease in the stock of finished goods both in the wholesale market and the retail market.

As the economy started to revive from the first lockdown in April 2020, the FMCG revamped their production, distribution set-up and the supply chain was slowly restored. Consequently, capacity utilisation began to increase in areas with lesser number of covid cases and quarantine areas.

IV. Strategies Adopted by the FMCG to tackle the Covid-19 Challenges: As the economy started to revive, the FMCG revamped their production, distribution set-up and the supply chain was slowly restored. Capacity utilisation began to increase in areas with lesser number of covid cases and containment zones. The FMCG sector started responding to the challenges by adopting various strategies to reach out to the consumers and revive themselves. According to M.V. Ambwani, "From implementing strategies to scale-up or re-start operations at plants and warehouses, to striking unique online and offline partnerships for last mile deliveries, FMCG companies have had to pull out all the stops to stay resilient." The measures adopted are[11]

1. FMCGsexpandedtheir distribution networks to local markets in the smaller retail stores that are closer to consumers' homes.
2. Manufactures increased their tie-ups with home delivery platforms to ensure the supply of their products to the consumers directly.
3. Increase in use of E-Commerce / online distribution channels.
4. Increase in investment in health and hygiene products related to the epidemic, face masks, hand sanitizer, hand wash, surface cleaners, was witnessed across the economy.
5. Branded /Premium FMCG producers began to offer greater flexibility in terms of credit.
6. With large scale urban to rural migration, the FMCGs shifted their focus to rural and semi-urban markets.
7. In accordance to decline inof disposable incomes of the consumers and precautionary spending, the producers started introducing products in smaller packaging .
8. Cost Control measures like decrease in expenditure on advertising, increase in use of digital marketing, linkage with direct-to-consumer distribution channels like swiggy and Zomato were adopted to improve profit margins.

According to Pinakiranjan Mishra, sector leader - consumer products and retail, EY India "Companies need to prune their portfolios, innovate faster and alter communication to cater to changing consumer preferences. There is a need to revise product formulations to include more natural and eco-friendly ingredients by using recyclable, reusable or compostable packaging. However, brands must emphasise on their local presence to capitalise on the growing 'local for vocal' trend," to survive the post covid challenges.[13]

Conclusion: The economic conditions in 2022 continue to be highly volatile with the predictions of the fourth wave of the epidemic inJune-July, the double-digit inflationary trends, rising interest rates, the global crisis due to the Russian -Ukraine. The fast-moving sector has innovate to meet the uncertainties and dynamic consumer demand. The sector has realised the need to adopt localisation, indigenous manufacturing, strong supply chains, e-commerce and digital marketing in order to reap the reviving consumer sentiments.

References:-

1. Statista. Market size of FMCG in India FY 2011-2025, March 17, 2022, https://www.statista.com/statistics/742463/india-fmcg-market-size/
2. What are Fast-Moving Consumer Goods (FMCG)? https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/fast-moving-consumer-goods-fmcg/
3. Indian FMCG Market report 2020, ASSOCHAM and TechSci Research, https://www.techsciresearch.com/admin/gall_content/2016/11/2016_11%24 thumbimg 102_Nov_2016_004628313.pdf
4. Fast Moving Consumer Goods Market, Jan 2021, IBEF https://www.ibef.org/download/FMCG-January-2021.pdf
5. T. C., Kavitha (2010) "A Comparative Study of Growth, Challenges and Opportunities in FMCG of Rural Market," *Interscience Management Review*: Vol. 3: Iss. 2, Article 3. DOI: 10.47893/IMR.2010.1056https://www.interscience.in/imr/vol3/iss2/3
6. India FMCG Growth Snapshot, July -Sept 2018. https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/india-FMCG-growth-snapshot-q3-2018.pdf
7. The Hindu, India's GDP shrank by 7.3% in 2020-21, May 31, 2021, https://www.thehindu.com/business/Economy/indias-gdp-grows-16-in-january-march-shrinks-73-in-2020-21/article34690310.ece
8. Potential Impactof Covid-19onthe Indian Economy. KPMG, April 2020. https://home.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2020/04/potential-impact-of-covid-19-on-the-indian-economy.pdf
9. https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fmcg/covid-19-second-wave-poses-challenge-for-fmcg-industry-rural-demand-may-be-blunted-itc/articleshow/84402816.cms
10. Covid-19-and-emergence-of-new-consumer-products-landscape-in-india, May 2020 https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_in/topics/consumer-products-retail/2020/06/covid-19-and-emergence-of-new-consumer-products-landscape-in-india.

pdf?download

11. Fast Moving ConsumerGoods (FMCG)...Is it still fast moving? 13, July 2020, Industry Research, Care Rating Professional Risk Opinion, https://www.careratings.com/upload/NewsFiles/SplAnalysis/FMCG%20Sector%20-%20July%202020.pdf
12. Ambwani VM. Covid-19: How the FMCG sector is pulling out all the stops to maintain the supply chain for essential products. THG Publishing. Published Online. 01 May 2020. https://www.thehindubusinessline.com/companies/covid-19-how-fmcg-sector-is-pulling-out-all-the-stops-to-maintain-supply-chain-for-essential-products/article31482145.ece
13. Consumer goods companies need to revisit business models post Covid-19 to withstand future disruptions: EY India study, Consumer goods companies need to revisit business models post Covid-19 to withstand future disruptions: EY India study, Jan 27, 2021,https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fmcg/consumer-goods-companies-need-to-revisit-business-models-post-covid-19-to-withstand-future-disruptions-ey-india-study/articleshow/80476680.cms

Website Resources:-

1. The Hindu, https://www.thehindu.com/
2. The Economic Times, https://economictimes.indiatimes.com/topic/newspaper
3. Business Standard, https://www.business-standard.com/todays-paper

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Effectsof NSS Activities on Awareness of Personality Development in Girls

Dr. Bhavna Ramaiya*

*Assistant Professor (Home Science) Govt. Auto. Girls P.G. College of Excellence, Sagar (M.P.) INDIA

Abstract - Personality is the unique combination of person's interest, behavior, habit, attitude, desire, aspiration, emotions, properties, behavior styles social values. The national service scheme conducted but the Ministry of Youth Affairs and Sports of Government of India and was launched on Gandhi centenary 1969. This study is based on ten types of NSS activities competition, subject specialist lecture, project work, village survey, health camp, participation in campaign, and training activities.Self made questionnaire was used on 86 NSS volunteers and 110 non NSS volunteers from Govt. Auto. Girls P.G. College of Excellence, Sagar. Objectives of this study are to know about the effects of NSS activity on awareness of personality development. Analysis was done through graphical method .The outcome of this study was found that girls with NSS are more on awareness of personality development.
Keywords - National services scheme, personality development, NSS activity, and Awareness.

Introduction - Every person is own personality that's makes his unique personality is the combination and integrated of internal and external aspects.

Personality is the unique combination of person's interest, behavior, habit, attitude, desire, aspiration, emotions, character properties, intellectual ability spiritual and emotional properties, behavior styles, social values. In which person's personality is created and developed. In shortwe can say above all things also come under the personality which is very important for the overall development of a person.

The National Service Scheme (NSS) is one of the scheme which is an sponsored by Indian governance for public service. This programme conducted by the Ministry of Youth Affairs and sports of the Government of India. The scheme was launched in Gandhi centenary year in 1969. In 24th September the National Service Scheme was started in this objective that develops social responsibility, discipline; understand community problem and his duties. Identify the needs and problems of community and involve in problem solving, Gain skills in mobilizing community participation, develop leadership quality. Involve in campaign like natural disaster, clean India, Covid-19 and other emergencies practice National integration and social harmony. In this way its aimsis at developing student's personality through community service. Many studies have done national service scheme volunteers and his personality development through NSS activities.

Study in 2011 Impact of NSS on personality development of college students. This study proved the personality integration in the areas of conscientiousness, extraversion, agreeableness, optimistic, uniqueness and openness to experience of those students who have joined and experienced NSS activities.

This article published on Research Gate July 2015 personality development of the students through service learning : A study on National Service Scheme (NSS) output of this research was young people have opportunities to participate in civil life through volunteerism, community service and service learning. They often set up interest foray and discussion groups to exchange ideas and inspire each other to take action in their respective communities.

5 June 2017 this study Roleof National Service Scheme (NSS) in creating social responsibility at Higher Education. The outcome of this studyis if student's participation in NSS, builds sense of social responsibility.

The study of 2018 September-OctoberEmotional maturity and self concept of NSS volunteers was studied. Theoutcome of study, there exists a significant relation between emotional maturity and self concepts. Means personality development through NSS activities develop emotional maturity in students.

In school/college/university National Service Scheme works like as co-curricular activities there are two types of activities provided by NSS in college/university. These are regular activity and special camp both activities develop various domains of mind and personality such as intellectual development, social development,moral development, creativity, enthusiasm energetic, positive thinking, leadership, self confident. In this research try to understand

how to effect NSS activities on awareness of personality development of NSS volunteer's and compared it to non NSS volunteers.

Objectives :

1. Understand the enhance beautiful handwriting, language style development to reveal ideas, awareness through participation in competition activity.
2. Understand moral development, social development, knowledge of various subject, intellectual development through delivered subject specialist lecture.
3. Understand the village development reduce the distance between village and city. Development of spirit of collectivity, self confidence through project work.
4. Understand development leadership quality development of inherent-qualities, through awareness programme and awareness rallies.
5. Understand participation in social change, contribution in campaign, disaster relief assistance and rescue work through campaign participation.
6. Understand quality of social work, National integration, discipline, through participation in health camp.

Hypothesis : There is significance difference between NSS Activities on Awareness of Personality Development

Methodology : To study effect of NSS activities on awareness of personality development used selfmade questionnaire included ten NSS activities in this study.

1. Competition activity : In NSS competition activity organized like essay writing, slogan writing, debate and poster making.
2. Delivered lecture of subject specialist.
3. Project work.
4. Awareness programme/ awareness activity.
5. Participation in the campaign.
6. Health camp/Blood donate camp.
7. Survey in village
8. Morning rallies/Yoga/PT/Sports activities.
9. Training activity.
10. Plantation

Understand from above activity leadership, social value, personality development, language development, moral development etc. Sample selected through random method 86 NSS volunteers and 110 non NSS volunteers from Govt. Auto. GirlsP.G.College of Excellence, Sagar NSS unit used this questionnaire on both type of volunteers through online form.

Analysis and discussion : Effect a NSS Activity on Awareness of Personality Development between NSS Volunteers and Non-NSS Volunteers.

Graph (see in next page)

1. Graph shows that effect of competition activity on awareness of NSS volunteers raised 69.8% than non NSS volunteers 55.5%.
2. This graph shows that effect of lecture of subject specialist activity on awareness of NSS volunteers raised 57% than non NSS volunteers 43.6%.
3. This graph of project work shows that effect this activity on awareness of NSS volunteers raised 50% and than non NSS volunteers 46.4%.
4. This graph shows that effect of awareness programme/ awareness rallies activity on awareness of NSS volunteers raised 68.6% than non NSS volunteers 54.5%.
5. This graph shows that effect of participation in the campaign on awareness of personality development of NSS volunteers raised 58.1% than non NSS volunteers 46.4%.
6. The graph of Health camp/blood donate camp this shows also effect of these activity on awareness raised of NSS volunteers raised 37.2% than non NSS volunteers 36.4%.
7. The graph of survey in village shows that effect of this activity on awareness of personality development of NSS volunteers 52.3% and than non NSS volunteers 50%.
8. The graph of morning rally/yoga/P.T./sports shows that effect of this activity on awareness of NSS volunteers 69.8% and than non NSS volunteers 57.3%.
9. This graph shows that effect of training activities on awareness of NSS volunteers raised 60.5% than non NSS volunteers 45.5%.
10. This graph shows that effect of plantation activity on awareness of NSS volunteers is 47.7% than non NSS volunteers 42.7%.

Results : Research findings from this study, that effect of NSS activity on awareness of personality development between NSS volunteers and non NSS volunteers .Special NSS activity like competition activity, lecture of subject specialist, Awareness programmes/Awareness rallies, participation in the campaign, morning rallies/Yoga/PT/ Sports and training activity are more difference between NSS volunteers and non NSS volunteers So ,language style developments, to reveal ideas, awareness social development, moral development, knowledge of different subjects, intellectual development, self confidence, leadership quality, inherent quality, social values, social work, disaster relief assistance, and rescue work help extent campaign, National integration, discipline, are less personality development in non NSS volunteers. Hence, hypothesis proved that, these are significance difference between NSS volunteers and non NSS volunteers.

Suggestions : This research proved that National Service Scheme is vital in awareness ofpersonalitydevelopment of NSS volunteers. If volunteers enrolled in NSS, participated in regular activities and special camp of NSS, they will also improve their personality.

References:-

1. Jyoti Mankar and Ameena Shailkh – Impact of NSS on personality development of college students. Advance Research Journal of Social Science December 2011,

Vol. 2, Issue 2. pp 221-223.

2. OsanajaobiDevei& Dr. A. Surenjit Singh (2015) The NSS, Development of the personality Students Through Community Service – International Journal of Multidisciplinary Research and Modern Education IJMRME ISSN online, 2454-6119, Vol. I, Issue-I, 2015.
3. Bsunesh Lal (July 2015) Personality Development of the students through service learning. A study on National Service Scheme (NSS) Research Gate.
4. Dominic Savious Dr. P.P. Shaji (2018) – Emotional maturity and self concept of NSS voluteers : IQSR Journal of Research method in Education (IQSR-JRME) e- ISSN 2320-7388, P ISSN – 2320-737X, Vol. 8, Issue – 5, Ver – II (Sep-Oct, 2018), pp. 48.51.
5. National Institute of technology KaranatakaSarathkal National Service Scheme Volunteers Work Diary.
6. National Service Scheme Wikipedia.
7. Personality DevelopmentWikipedia.
8. Personality Development – Encyclopedia of Children's Health healthofchildren.com

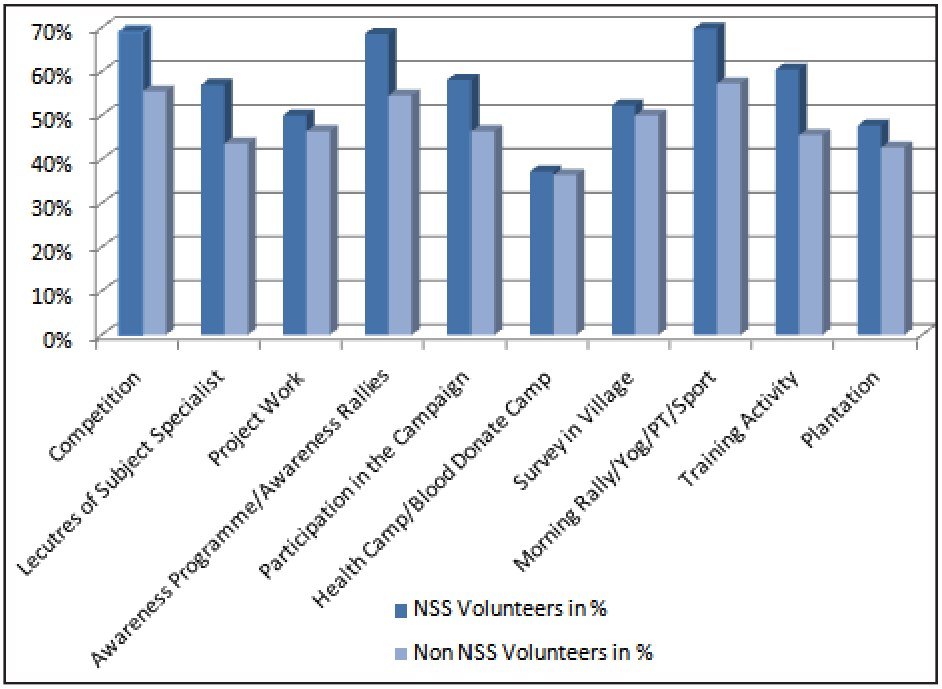

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Boys and Girls Recreational Interests and Fast Food: An Analysis in the Context of Sagar City

Dr. Aradhana Shrivas *

*Asst. Professor & HOD (Home Science) Govt. Kamala Nehru Mahila Mahavidhyalaya, Damoh (M.P.) INDIA

Abstract - Fast food are without sticking to a standard definition. Meals that can be prepared in a short amount of time. Read on to know more about fast foods and their effect on children. Fast food are a wide rang of easily prepared meals and have gained in popularity with the rise of the increasingly hectic modern lifestyle. Inability to cook elaborate meals while according with the clockwork of daily life has resulted in the time consuming 'family dinners' being continuedto weekends while the busy weekdays are disposed of via the likes of sandwiches wraps and rolls.While many have complained that sedentary television culture is causing the childhood obesity crisis, new studies suggest that the real culprit may be the constant ads for junk food that children are viewing during commercial break—not the television programs themselves.

Introduction - A number of population measure suggest that childhood over weight has increased since the early 1960. In explaining this, research have tend to focus on environmental factors that affect energy intake is greater than energy expenditure, children gain weight. More time spent watching television or computer screens, is believed to result in less time spent in physical activity, which would decrease energy expenditure. Eating more food, or food that contains more calories, increases energy intake. Since the 1950, fast food restaurants have offered have offered convenient, seasonality priced, calorie dense food that taste good. Their growing popularity has led some rear aches to ask growing popularity has led some researches to ask whether their existence contributes to childhood over weight.

Ever wonder why one-third of all children in the United States are overweight, if not dangerously obese? According to a slew of recent reports, the cornucopia of junk food advertising to children plays a substantial role in creating this public health crisis. From bribing children with toys and sweepstakes to convincing them to eat a "fourth meal," the industry is glutted with examples of perverse, profit-chasing schemes to capitalize on children's appetites at the expense of their long-term health. Here are 7 most perverse trends in junk food advertising to children. The vast majority of these ads are specifically geared towards children, using tricks like cartoon characters and sweepstakes prizes to make the sugary cereals and fatty hamburgers all the more attractive. As children's online activity has risen, massive corporations like McDonald's have also designed child-focused websites, complete with video games that teach children brand recognition, that are getting hundreds of thousands of young visitors a month. In the month of February 2011, for example, 350,000 children under the age of 12 visited McDonald's two main websites, HappyMeal.com and McWorld.com.

A 2006 Institute of Medicine government report stated, "It can be concluded that television advertising influences children to prefer and request high-calorie and low-nutrient foods and beverages."

Even clearer evidence comes from a long-term study in Quebec, where fast food advertising geared specifically toward children has been banned both online and in-print for the last 32 years. There, researchers discovered that the province has the least childhood obesity of anywhere in Canada, and that the ban decreased children's consumption by an estimated two to four billion calories.

Increasingly, these types of ads aren't only on television and online; they are also in schools where the child-marking focus is even more obvious. As budget cuts and austerity measures have swept the nation, schools are increasingly relying on money from vending machine contracts and corporate partnerships. These revenue streams rely on how much food the students buy, meaning that the school earns more money if it stocks these machines with junk food.

Due to increasing criticism from the public health community and the federal government, the fast food industry undertook the ambitious task of self-regulation in 2006, launching the Children's Food and Beverage Advertising Initiative. Under this initiative, companies pledged to market "better-for-you" foods to children.

Review of literature

In **Fast-Food Restaurant Advertising on Television and its Influence on Childhood Obesity** (NBER Working Paper No. 11879), **Shin-Yi Chou**, **Inas Rashad**, and **Michael Grossman** use data from an advertising tracking service and two surveys to estimate the effect of fast food advertising on the weight of individual children. They take into account the number of hours of advertising by fast food restaurants on local broadcast television, each child's age, race, gender, and the number of hours of television watched each week, household income, whether the child's mother is overweight, and her employment status. Also included are variables for the state in which the child lives, including the per capita number of fast-food and full-service restaurants, the inflation-adjusted price of legally sold cigarettes, the existence of smoking bans, and the inflation-adjusted price of food prepared at home and purchased from full service and fast-food restaurants.

Khurshid anwar warsi – Fast food in one of the world's fastest growing food types. It now accounts for houghly half of all restaurant revenues in the many other industrial countries in the coming year, but some of the most rapid growth is occurring in the development world, where it's radically changing the way people eat. People buy fast. Food because it's cheap easy to prepare, and heavily promoted. This paper aims at providing information. About fast food industry. It's trend reason for it's emergence and several other factors that are responsible for it's growth.

Offecial journal of the Amercan Academy of pediatric 2009- fast food has become a prominent feature of the diet of children in the united states and increasingly, throughout the cord. However few studies have examined the effects of fast food consumption on only nutrition or health-related out come. The aim of this study was to test the hypothesis that fast food consumption adversely affects dietary factors linked to obesity risk.

Objectives to study – To study the impact of fast food advertisement on childhood obesity.

Hypothesis– It is hypothesized thatpopular ads make a positive impact on fast food.

Methodology – For the purpose of study 150 boys and 150 girls of the age group 8-13 years were randomly selected from government and private schools.

Results discussion-

Table No. – 1: (see in last page)

Table number 1 shows the entertainment interest of boys and girls. From whose observation it is clear that 22 (14.66 Percentage) boys and 38 (25.33 Percentage) girls of 8 years are outside the house, 32 (21.33 Percentage) boys and 44 (29.33 Percentage) girls inside the house, 79 (52.66 Percentage) boys and 64 girls can watch TV/ computer, 17(11.33 Percentage) boys and 4 (2.66 Percentage) girls are interested in play station.

9 years old 45 (30 Percentage) boys and 51 (34 Percentage) girls to play outside the house, 17 (11.03 Percentage) boys and 38 (25.33 Percentage) girls to play indoors, 62 (41.33 Percentage) boys and 59 (39.33 Percentage) girls watch TV / computer, 26 (17.33 Percentage) and 02 (1.33 Percentage) girls to play station interested in playing.

47 (31.33 Percent) boys and 42 (28 Percent) girls of 10 years can play outside the house, 6 (4 Percent) boys and 23 (15.33 Percent) girls play indoors, 62 (41.33 Percent) boys and 77 (51.33 Percent) girls can watch TV / computer, 35 (23.33 Percent) boys and 8 (5.33 Percent) girls were found to be interested inplaying the play station.

38 (25.33 Percentage) boys and 22 (14.66 Percentage) girls of 11 years play outside the house, 12 (8 Percentage) boys and 33 (22 Percentage) girls play indoors, 72 (48 Percentage) boys and 83 (55.33 Percentage) girls can watch TV/computer, 28 (18.66 Percentage) boys and 12 (8 Percentage) girls play got interested in playing play station.

24 (16 Percentage) boys and 29 (19.33 Percentage) girls of 12 years can play outside the house, 10 (6.66 Percentage) boys and 28 (18.66 Percentage) girls play indoors, 68 (45.33 Percentage) boys and 79 (52.66 Percentage) girls can watch TV / computer, 48 (32 Percentage) boys and 14 (9.33 Percentage) girls got interested in playing play station.

18 (12 Percentage) boys and 9 (6 Percentage) girls of 13 years can play outside the house, 12 (8 Percentage) boys and 46 (30.66 Percentage) girls play indoors, 80 (53.33 Percentage) boys and 84 (56 Percentage) girls can watch TV / computer, 40 (26.33 Percentage) boys and 11 (7.33 Percentage) girls got interested in playing play station.

It is clear from the present study that 8, 9, 10, 11, 12 and 13 year old boys and girls were found to be interested in watching TV and working on computer.

Table No. – 2 : Effect of advertising on fast food consumption

S.	Effect of advertising on fast food consumption	Boys		Girls	
		No.	%	No.	%
1.	Yes	138	92	137	91-33
2.	No	12	8	13	8-66
	Total	**150**	**100**	**150**	**100**

In new forms, fast food is made accessible to all people through advertisement, the effect of advertisements seen by children and their parents on the food habits of the family. It is clear from the perusal of the table that 138 (92 Percentage) boys and 137 (91.33 Percentage) girls are affected by the advertisement. Similarly, advertising does not affect 12 (8 Percentage) boys and 13 (8.66 Percentage) girls, so we can say that advertising is a very effective medium for boys and girls.

The arithmetic value of a chi square at the 5 percent confidence level is 0.59, which is less than the table value of 3.84.

Graph No. 1 (see in last page)

Conclusion- Under the entertainment interest of boys and girls, it is clear that the boys and girls of 8 to 13 years were

found to be intersted in watching TV and computer. The effect of which was seen on the food habits of boys and girls. From the presented study it was found that fast food in new form is made accessible to all people through advertisement seen by the children and their parents have an impact on the food habits of the family. Out of which 92 percent of the advertisements regarding the selection of fast food on boys and girls were found to be more effective.

Suggestion:

1. The author'sdiscuss several policy options for limiting fast food advertising including banning it and eliminating it as a tax deductible business expense. Based on their result, eliminating deductibility would increase advertising costs by 54 percent and reduce the number of overweight children and adolescents by 5 and 3 percent respectively.
2. Reducing childhood exposure to fast food advertisement campaigns, promoting family meals and banning fast food products at the schools
3. School authorities should ensure that their meal programs for children provethe nutritionally balanced meals free from fatty foods. Also, fast food such as hamburgers and soft drinks should not be made accessible during the school hours. Making it mandatory to prohibit sales of fast foods in the school campus can help to reduce childhood exposure to unhealthy food stuffs.

References:-

1. Brook U., Tepper I. (1997): "High School Students attitudes and knowledge of food consumption and body image, implications for school-based education". Patient Educ. couns, Mar; 30(3) : 283-8.
2. BrownConnor S.M. (2006) : "Food-related advertising on preschool television", Building brand recognition in young viewers. Pediatrics, 118, 1478-1485.
3. Connor S.M. (2006) : "Food-related advertising on preschool television", Building brand recognition in young viewers. Pediatrics, 118, 1478-1485.
4. "Effects of fast food consumption on energy intake and diet quality among children in a national household survey", Pediatrics 113.1 (2004): 112-118, E - Journals, EBSco, Web, 27 Oct., 2009
5. Harrison K., Marske A.L. (2005): "Nutritional Content of foods advertised during the television programs children watch most", Am J Public health 95:1568.
6. Jebb S.A., Moore M.S. (1999): "Contribution of a sedentary lifestyle and inactivity to the etiology of overweight and obesity: current evidence and research", Issues, Med Sci. sports Exerc. 31 (11 suppl.): 3534-41.
7. Kanarek R. (1997). "Psychological effects of snacks and altered meal frequency", British Journal of Nutrition, 77, Suppl. 1. S105-S120.
8. Morgan K.J., Laveille G.A., Zabik M.E. : "The Impact of selected salted snack food consumption on school age children's" Journal of nutrition education, 99 (2) 322-34.
9. Peeler C.L., Kolish E.D. & Enright M. (2009) : The children's food & Beverage Advertising Initiative in action : A report on compliance and implementation during 2008.
10. Powell L.M., Szczpka G. & choloutka F.J. (2010) : "Trends in exposure to television food advertisements among children and adolescents in the united states", Archives of pediatric and Adolescent Medicine, 1649, E1-E9.
11. Powell L.M., Szczypka G., Chaloupka F.J., Braunschweig C.L. (2007): "Nutritional content of television food advertisements seen by children and adolescents in the united states", Pediatrics 120:576.

Graph No. 1 : Effect of advertising on fast food consumption

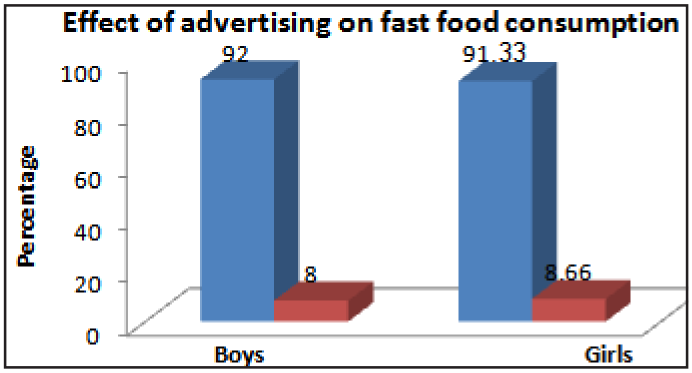

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Table No. – 1: Recreational interest of boys and girls

No.	Areas	8 Year				9 Year				10 Year			
		Boys		Girls		Boys		Girls		Boys		Girls	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
1.	**Sports (External)**	22	14-66	38	25-33	45	30	51	34	47	31-33	42	28
2.	**Sports (Internal) Ludo,Chess, Snake ladder**	32	21-33	44	29-33	17	11-33	38	25-33	6	4	23	15-33
3.	**T.V.,Computer**	79	52-66	64	41-33	62	41-33	59	39-33	62	41-33	77	51-33
4.	**Play Station**	17	11-33	04	2-66	26	17-33	02	1-33	35	23-33	08	5-33
	Total	**150**	**100**	**150**	**100**	**150**	**100**	**150**	**100**	**150**	**100**	**150**	**100**
		11 Year				**12 Year**				**13 Year**			
1.	**Sports (External)**	38	25-33	22	14-66	24	16	29	19-33	18	12	09	6
2.	**Sports (Internal) Ludo,Chess, Snake ladder**	12	8	33	22	10	6-66	28	18-66	12	8	46	30-66
3.	**T.V.,Computer**	72	48	83	55-33	68	45-33	79	52-66	80	53-33	84	56
4.	**Play Statioan**	28	18-66	12	8	48	32	14	9-33	40	26-66	11	7-33
	Total	**150**	**100**	**150**	**100**	**150**	**100**	**150**	**100**	**150**	**100**	**150**	**100**

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Analytical facts of Computer-Based Applications for Audit Account and Tax Services

Dr. Preeti Anand Udaipure*

*Assistant Professor, Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - This research identifies accounting technology such as Artificial Intelligence and Big Data, as well as firms that are incorporating new innovations into their bookkeeping processes. The goal of this research is to aid in the identification of bookkeeping breakthroughs and to provide examples of how these innovations have been received in real-world situations. As an examination philosophy, a deliberate assessment of the writing of the major scholarly distributions, expert reports, and websites was used to achieve this point of the evaluation. It followed a systematic process of reviewing key business and financial journal articles to choose the instances. This study provides evidence to businesses considering transforming their bookkeeping interactions through innovation. The cases presented in this section can be used as a standard by such organizations. It also provides guidance for corporations and relevant analysts on how to use innovations to bookkeeping procedures. In this sense, it is critical to study and investigate approaches in order to put them into practice. Furthermore, while new breakthroughs present various exciting opportunities, associated risks and dangers must be addressed.
Keywords- Audit Account, Tax Service, Big data, Artificial Intelligence.

Introduction - The emergence of Industry 4.0 has drastically altered the accounting industry's operational style and redefined the required competences in the labour market. Currently, there is a greater interest in examining the profession's current state and investigating its future (Moll &Yigitbasioglu, 2019; Shaffer et al., 2020). Since a result, accountants are battling to maintain value-adding to financial report consumers, as stakeholders' expectations of accountants have expanded to include efficient use of sophisticated technology and reliable and relevant financial data interpretation. The impact of modern technologies on accounting abilities was explored by Kirk and Rifkin (2020). The authors documented ambiguity and concern regarding the accounting profession's future, highlighting practitioners' vital role in keeping their skills up to speed with developing technology, after analysing 33,000 job listings in American and European countries. Technical skills, cognitive skills (technological, adaptation, interpretation, synthesis, prediction, and reflection abilities), and behaviour skills are all included in this category.

Financial reports are the primary output of the accounting process because they serve as the foundation for economic decisions made by internal and external users, and their accuracy is critical in making appropriate and right decisions (Kolsi&Attayah, 2018). The work of auditors is critical in ensuring the fairness of financial reporting and increasing their dependability. On the other hand, the tax is one of the most important sources of revenue for governments to fund their necessary expenditures and one of the most important fiscal tools for controlling the economy. Individuals and businesses are interested in audit and tax because it directly influences their investment decisions, income, and spending habits (Faccia&Mosteanu, 2019). They further claim that many taxpayers attempt "tax evasion" by falsifying financial data to reduce their tax payments. Internal revenue agents are in charge of auditing and evaluating taxpayer filing compliance with tax legislation. This has led to the conclusion that audit and tax are strongly correlated and interrelated fields. The audit and tax professions have altered as a result of technological improvements.

As a result, scholars, policymakers, governments, and people have recently expressed interest in the subject. Accounting researchers, for example, are still investigating the impact of modern technologies on the accounting profession. As a result, this research will throw light on the existing literature in the field of audit and taxation in new technologies solely.

This research strives to provide a full grasp and insight into this subject of expertise. First and first, investigate and evaluate the existing academic contribution. Second, determine the current trend and organise the existing literature. Third, make suggestions for future study projects. Three important questions are being addressed: 1. What

are the important elements of developing technologies that have an impact on audit and tax? 2. What are the main new technology research streams in audit and tax? 3. What research is required, and what are the research directions for the future? In various areas, this study adds to the existing literature. First, it identifies the impact of developing technology on audit and taxation in a clear and consistent manner. Second, bibliometric analysis provides a clear picture of prior and present research patterns, as well as a reliable knowledge of this particular intellectual structure. Third, it indicates future research possibilities that are relevant. Furthermore, numerous stakeholders, including practitioners, accounting legislative bodies, tax authorities, academics, accounting instructors, and higher education institutions, may benefit from this research. The remainder of the research is organised as follows: The methodology is discussed in the second section, the findings of the bibliometric and content analyses are discussed in the third section, future research opportunities are shown in the fourth section, and the conclusions are presented in the last section.

Literature Review

Because we live in a time of globalisation and the technical advancements that come with it, it was important for public sector organisations to stay up by adopting the most up-to-date technology means in carrying out their duties. As a result, the Income Tax Department needed to update its tax systems to stay up with technology advancements, and so migrate to computerised tax systems rather than depending on manual processes.

All of this pushed the Jordanian Income Tax Department to keep up with the times by launching an e-government services programme that offered a variety of services, the most notable of which were: presenting the income tax statement electronically with a mechanism for calculating the tax immediately using a computerised system, and paying the tax due electronically by simply obtaining the electronic payment voucher available on the electronic department's website. Objection and appeal, balances due, instalments paid, and other issues may arise while getting a tax statement and tax certificate number, as well as any information relating to the tax statement for the estimated tax years. Inquiries about refunds, objections (submission and response to an objection), tax payment postponement, requests for tax exemptions, and other services are also available. (2019, Income Tax Department website).

"A set of foundations, principles, executive rules, and organisational procedures that increase the performance control of the tax system by defining the responsibilities of parties with autonomous relationships," according to the definition of governance (Al-Momaniand& Al-Abini, 2018). It is defined by Qaidum and Twaitiyeh (2019) as a set of rules and procedures used by the tax administration to ensure the continuation and advancement of the operational process, as well as to increase trust between taxpayers and income tax administrations, to achieve justice, provide transparency, activate oversight, and accountability for all employees, resulting in increased trust in the tax system and increased state tax revenues.

Shaker's (2017) Given the importance of current technologies in terms of linking and collecting revenue from taxpayers, such as the electronic tax payment and collection system, the study determined that the Iraqi General Tax Authority's tax charging procedures still suffer from a lack of modern technologies. The Iraqi Public Tax Authority is working to improve the efficiency of tax collection procedures.

Joudih (2016) The introduction and application of information and communication technology in Jordan's tax system helped the tax departments achieve their goals, which included increasing tax collections, increasing voluntary compliance with tax laws, working to attract investments, and achieving tax justice to the greatest extent possible. Qublan (2014) revealed a flaw in the Jordanian Income and Sales Tax Department's traditional methods for reducing tax evasion, while Jaradat (2013) discovered a beneficial impact of submitting tax statements and their effect on improving tax collection.

Khanfari and Yazid (2019)demonstrate the tax administration's inadequacy in Algeria, which relies on outdated manual techniques and fails to coordinate between several administrations, resulting in a reduction in tax revenue. According to Al-Hamza (2018), the use of electronic tax examination in Algeria resulted in the implementation of many tax examination procedures with high accuracy and speed, resulting in no delay in the process of assessing and collecting the tax, not writing it off with the statute of limitations, and the tax community's inventory and control being simplified. According to Al-Taher and Maamari (2019), the application of governance principles improves the dialogue mechanism between taxpayers and tax administration managers, as well as their ability to inform taxpayers of the amount of tax due at a specific time through the communication channels approved by the tax office, resulting in increased taxpayer confidence and tax revenue.

Al-Momani and Al-Abini (2018) found that tax governance, or "tax control," has a positive effect on tax revenues in Jordan's Income and Sales Tax Department, and that there is a need to expand the use of digital technology and the technological link with all departments and control centres for information transfer.

Abdulkafi's study (2018) The use of the governance system in the administration of the Libyan Tax Authority has a favourable impact on the procedures of tax collecting methods through the inventory and registration of taxpayers, as well as their follow-up, resulting in a rise in tax revenues. According to Amen's (2017) study, audit taxation of income tax departments contributes greatly to raising Algerian tax

collections by collecting evaded tax debt, as well as the interest of tax governance in enforcing tax evasion penalties. Bakr (2015) observed that implementing tax governance increases taxpayer confidence and credibility in financial reports presented to Jordan's Income and Sales Tax Department. It resulted in fewer incidences of tax evasion and, as a result, a more accurate determination of the tax base.

Karimi et al. (2017)revealed that information technology systems prompted the establishment of associated internal control mechanisms, which improved the efficacy and efficiency of tax department employees' performance in Kenya. According to Monica et al. (2017), the success of tax collection in Kenya is largely influenced by the efficiency of the computerised tax system. According to Allahverdi et al. (2017), the electronic tax system has a favourable influence on tax revenues and lowers tax collecting expenses in Turkey. According to Olatunji and Ayodele (2017), using IT improves tax performance in Nigeria's revenue departments.

Impact on Auditing : Prior to the computer's debut, a revenue agent with a good accounting background had minimal trouble acquiring information for a tax audit or knowing where to look for solutions to issues that emerged during the audit. The number of computer installations in the United States, on the other hand, has risen quickly in recent years. According to surveys, the majority of these machines are employed to keep accounting and related financial records, making the revenue agent's job much more difficult. This pattern has had a significant impact on IRS audit goals and training.

The revenue agent must comprehend the flow of accounting data and audit trails through an ADP system in order to determine which records will best fit his or her needs from the significantly increased volume of books and records generated by the computer, with its atypical formats. To speak with taxpayers about the computer system, the agent must be familiar with the particular vocabulary developed by ADP. Computer capabilities have improved, allowing for more detailed recordkeeping. Account-ing data are frequently categorised or subdivided by months, company divisions, company division cost centres, or any combination of these. Instead of reviewing one set of books, auditors may discover 12 sets, or 12 times the number of cost centres in the organisation. As a result, the time required to undertake a manual quality audit becomes prohibitive.

The practise of fragmenting one invoice among many accounts is widespread among ADP users. As a result, a single in-voice could be transmitted to anywhere from a dozen to over a hundred different departments or cost centres. The computer's data manipulation skills make this technique possible, but the fragmentation of quantities makes it extremely difficult to detect items of audit relevance using traditional methods due to size.

We cannot avoid direct contact with automated and computerised systems since the records created by these systems, or any systems, whether it's a sample of a single entry bookkeeping system or a sophisticated computerised data base management system, may eventually be susceptible to IRS examination. Because of these new information technology trends, IRS audit tactics for large corporate taxpayers have had to shift significantly.

Computerized System Considerations : In auditing digital systems, the IRS has run against a number of unique issues. The following are the most critical issues:

Volume: Because administrative information such as budgeting forecasts, nonfinancial data, and exception-type balance are included with standard accounting data, the volume of records to be inspected in an ADP system has increased dramatically over old manual systems.

Format: Accounting records processed by ADP systems differ significantly from those produced by traditional manual systems. Because there is no standard format for accounting data among ADP customers, it might be difficult for auditors to figure out how a given printout fits into the taxpayer's overall systems.

Fragmentation: The distribution of a single sum across multiple accounts is a regular practise among ADP users. Because of the volume of data, this technique makes it extremely difficult for an auditor to find items of audit relevance.

Communications: The auditor has difficulties comprehending how accounting data is processed due to the complicated hardware and programming approaches used in computer operations. He may also be unfamiliar with the ADP field's specialised vocabulary.

Recordkeeping: The many types of records kept, recordkeeping procedures, and so on form the true foundation of ADP accounting systems and have the greatest impact on auditing ADP systems. As a result, the IRS has been worried about recordkeeping obligations in ADP systems.

Computer Audit Techniques : Because of the volume and complexity of accounting records created by an increasing number of ADP systems, additional auditing approaches are required. Essentially, these strategies use a computer to execute time-consuming and frequently tedious manual tasks quickly.

The taxpayer's ADP records that will be processed using computer-assisted audit techniques are essentially the same ones that the examiner used in a manual audit in hard copy format. The tax return is the first step in an IRS audit. The auditor validates the statistics used to calculate the tax liability by sampling them. The general ledger, accounts receivable, accounts payable, fixed assets, and other accounting data are typically involved in this procedure. Amounts on tax returns are tracked back to source documents through accounting records, and accounting processes and classifications are verified for

compliance with tax regulations on a regular basis. Significant transactions are reviewed more closely than lesser transactions. This necessitates pulling significant items from the account's plethora of detailed transactions. These activities are time-consuming for both the auditor and the taxpayer, who usually delegate this job to their accounting staff.

This core method will not be altered by computer-assisted audits. However, computer approaches will allow many processes that are currently conducted manually to be completed by the computer, saving hours in the audit.

Advantages of Computer Assisted Audits : Overall, the benefits of computer assisted audits include significant time savings for both the taxpayer and the IRS. Furthermore, these methods have improved the quality and efficiency of tax audits. The auditor can use these new techniques to:

1. From a large amount of data, select and print only what you need.
2. Combine data from scattered invoices by searching a file for all invoice numbers that are the same.
3. Change the format of the records to make auditing easier. Printouts, for example, can be generated in the same order that the taxpayer provides source documents.
4. Look into new audit areas that would not have been viable before owing to time constraints.
5. Use the computer's limitless power to modify data to perform more advanced data analytics. Spreadsheets, comparisons, and cross-checking of all kinds are possible. The growing use of computer terminals means that computer assistance is available practically anywhere.

Objectives of the Study- The targets of the review are as per the following:

1. To dissect the segment profile of the respondents.
2. To depict buyer discernments about Tax service and Auditing.
3. To recognize the connection among Computer based application and Tax service and Auditing.
4. To propose measures ofBig data, AI.

Research Methodology

Sources of Data	**Primary Data with Structured Questionnaire**
Research Design	Quantitative study
Sampling Design	Simple Random Sampling
Sample Population	Auditors
Sample Size	100
Statistical Design	Descriptive Analysis, Multiple Regression Analysis
Independent Variables	Big Data, AI and Cloud
Dependent Variables	Audit Account and Tax Service

Table: 1 Research methodology of the study

Data Analysis: The Research delineates in this part the singular attributes of the model respondents in view of their reactions to the survey questions held inside an entry of public information concerning age, education, specialization, and years of experience.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Items
.869	10

Table: 1 showing reliability

The instrument's reliability is demonstrated in Table 1. The Cronbach Alpha worth 0.869 demonstrates great dependability of the aftereffects of this review.

1.1. The attributes of the sample test (descriptive statistics)

Variables	Sub group	Frequency	%
age group	**18-30**	146	36.4
	30-40	111	27.7
	40-50	96	23.9
	50-60	48	12.0
Qualification	**Graduate**	142	35.4
	Post-graduate	171	42.6
	Professional degree	51	12.7
	Doctrate	25	6.2
	other certificate	12	3.0
Scientific Specialization	**Accounting**	117	29.2
	Engineer	87	21.7
	Management	130	32.4
	Other	67	16.7
Year of Experience	**5 years to below**	61	15.2
	From 6 to10 years	45	11.2
	From 11 to 15 years	62	15.5
	Above 15 years	233	58.1

Table: 2 Sample distributions of people according to the age, Qualification, scientific Specialization and year of Experience

Source:in view of the aftereffects of the factual investigation of the Questionnaires.

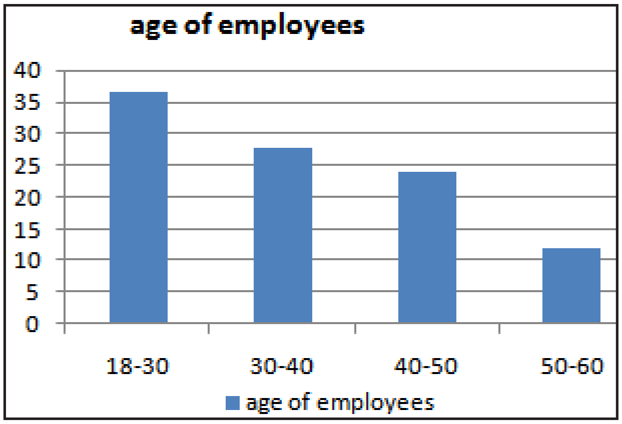

Figure: 1 Sample distributions of people according to the age

The figure demonstrates that individuals aged 18-30 years comprise the first position. While respondents rated themselves as per their age group, they represented 36% of the example size. People between the ages of (40-50 years) have reached (24%) of the absolute example. This

age group is enough portrayed with adequate data and mastery, showing the presence of a serious level of believability among the respondents, who then, at that point, satisfactorily answer the review and help in supporting Computer based application in tax service and Auditing. People beyond 50 a years old fourth at a pace of (13%) of the sample size. The last age bunch in the request was people matured (30-40) years old and more youthful, who represented 27.5 percent of the all out example size.

Figure: 2 Sample distributions of people according to the Qualification

The figure shows that holders of post graduate education possess first position with (42.6%) while respondents rating by capability. Graduate degrees were held by 35.4 percent of respondents, and holders of this class completed second. In terms of proficiency, they came in third place by a margin of 12.7 percent, indicating the respondents' intelligence level, as indicated by their ability to respond tentatively to the survey's articulations, which recasts the validity of quantifiable assessment.The respondents who hold different testaments with level of (6.2%) and addressed in declarations of professional and specialized establishments set fourth positioning and the last positioning of other endorsement holder is (30%).

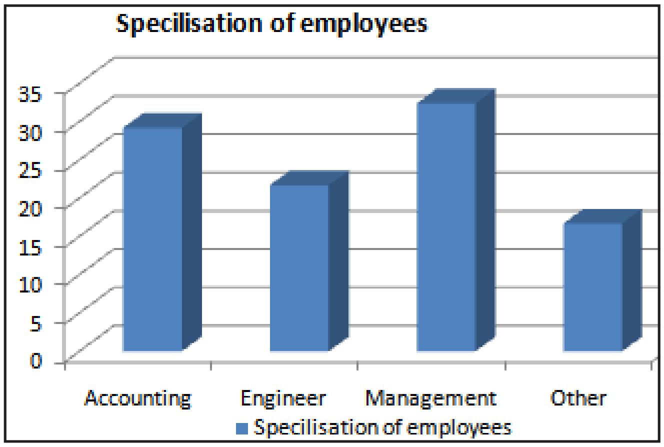

Figure: 3 Sample distributions of people according to the specialization

The figure shows that the level of experts in management added up to (32.4%) from the sample and involved the fundamental circumstance at the depiction of the model as per legitimate specialization. The level of experts in Engineer added up to (21.7%), and it added up to (29.2%) in accounting while it added up to (16.7 %) in the other specialization like humanities, rule, direction and social science.As indicated previously, the vast majority of respondents possess a reasonable level of specialization that enables them to respond appropriately to the concentrate, casting doubt on the validity of this device.

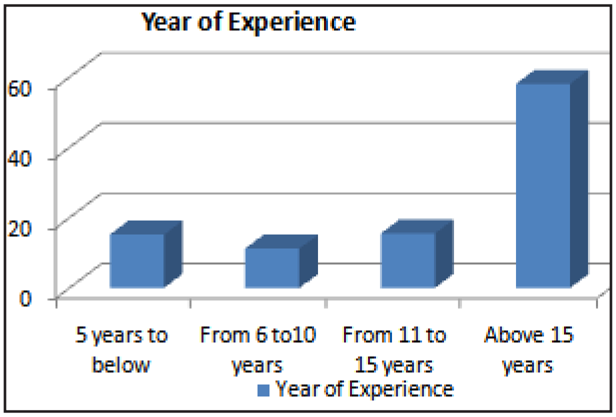

Figure: 4 Sample distributions of people according to the years of Experience

The figure demonstrates that the years of experience up to five years added up to (15.2 percent), while the percentage of years of experience from six to ten years added up to (11.2 percent). The respondents with years of involvement ranging from (11-15) added up to 15.5 percent, while those with more than 15 years added up to (58.1 percent). And this implies that most of respondents have adequate experience to finish the review, which expands the instrument's validity.

Correlations

		GST	GSTPD	GSTSP	TotalGST
Big data	Pearson Correlation	I		.023	.523"
	Sig. (2-tailed)		.000	.825	.002
	N	100	100	100	100
AI	Pearson Correlation	.720.4	1	.042	
	Sig. (2-tailed)	.000		.302	.002
	N	100	100	100	100
Tax Service	Pearson Correlation	.015	.060	1	.265**
	Sig. (2-tailcit)	.520	.682		.004
	N	50	50	50	50
Audi-ting	Pearson COTT:Linen	.813–		.474–	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.004	
	N	100	100	100	100

••. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Table: 3 Correlation Matrixes

The authenticity of the instrument utilized in the survey is exhibited in Table 3. The survey's poll is isolated into three areas, except for fragment profiles like Big Data, AI, Tax Service andAuditing. The discoveries recommend that the overview has a more noteworthy level of authenticity. The general connection between the factors is basic, for instance, 0.002, 0.002, and 0.004 independently.

Result and Discussion: This study talks about bringing new innovation into accounting. A few advancements are utilized to gather and create bookkeeping data and information. Some are utilized to give quality data to go with a proficient choice by and by, and some others are utilized to further develop straightforwardness and dependability of bookkeeping quality. Sometimes, privately owned businesses stepped up in using projects or programming, and in a few different cases, frameworks using new advancements were utilized by nearby government. It is especially intriguing that with regards to Korean business sectors, the public authority started another foundation first prompting resulting pattern shifts from government-prompted privately owned business arranged.

Conclusion: AI innovation is transforming the workplace. Simulated intelligence can be used for both simple and difficult tasks. AI can also be used to do tasks with explicit rules and constraints, and a big data framework can support this. Simulated intelligence increases data security while also improving bookkeeping clarity. With computerization, high-volume and time-consuming tasks such as mailing, accounting, and information management have become feasible. Meanwhile, it has been discovered that AI and other advancements in administrative bookkeeping are simple to implement and are now widely used in the field of financial bookkeeping. The board bookkeeping should not be based on the statutory bookkeeping structure, but rather on the organization's specific circumstances. The bookkeeping of executives is for the optimal distribution of an organization's capital or assets based on their personal financial situation or future projections. It is shown by constant change to find the optimum arrangement; hence, firms can recognise the opportunity through deep learning and AI, and can give the best arrangement without prior knowledge of the principles or explicit accounting standards and framework.

References:-

1. Raval, S. What Is a Decentralized Application? Harnessing Bitcoin'sBlockchain Technology, O'Reilly Media Inc.: Sebastopol, CA, USA, 2016.
2. Iansiti, M.; Lakhani, K.R. The truth about Blockchain. Harvard Bus. Rev. 2017, 95, 118–127. 22. PwC. Q&A: What's Next for Blockchain in 2016? 2016. Available online: www.pwc.com/us/en/financialservices/publications/viewpoints/assets/pwc-qa-whats-next-for-blockchain.pdf (accessed on 20 April 2020).
3. Schmitz, J.; Leoni, G. Accounting and auditing at the time of blockchain technology: A research agenda. Aust. Account. Rev. 2019, 29, 331–342. [CrossRef]
4. Cockcroft, S.; Russell, M. Big data opportunities for accounting and finance practice and research. Aust. Account. Rev. 2018, 28, 323–333. [CrossRef]
5. Feng, J. Cloud accounting: The transition of accounting information model in the big data background. In Proceedings of the 2015 International Conference on Intelligent Transportation, Big Data & Smart City, Halong Bay, Vietnam, 19–20 December 2015; pp. 207–211.
6. Kim, A. Cloud ERP. Financ. News 2020, 7, 5–6. 27. Kim, G. Webcash boom due to the popularity of Gyeongninara. Maeil Bus. News Korea 2020, 5, 17–18.
7. Lee, S. Trend: Automatic accounting for corporate credit card. Maeil Bus. News Korea 2020, 7, 8.
8. Lee, H. Inventory management: The case of Orion. Maeil Bus. News Korea 2020, 7, S5–S6.
9. Sularto, L.; Wardoyo, L.; Yunitasari, T. User requirements analysis for restaurant POS and accounting application using quality function deployment. Procedia Soc. Behav. Sci. 2015, 169, 266–280. [CrossRef]
10. BlueChannel. 2020. Available online: https://www.eblu.co.kr/en/bluechannel/ (accessed on 2 February 2020).
11. Yook, K.H. Challenges and prospect for management accounting in Industry 4.0. Korean J. Manag. Accoun. Res. 2019, 19, 33–57.
12. Shin, K. Artificial Intelligence Applications in Fraudulent Accounting Detection. In Proceedings of the Conference of Research on the Future Accounting, Korean Accounting Association, Seoul, Korea, 8 December 2017.
13. Breiman, L. Random forests. Mach. Learn. 2001, 45, 5–32. [CrossRef]
14. Cutler, A.; Cutler, D.R.; Stevens, J. Random forests. In Ensemble Machine Learnings; Springer: Manhattan, NY, USA, 2012; pp. 157–175.
15. Deloitte. AI-Augmented Government: Using Cognitive Technologies to Redesign Public Sector Work. 2017. Available online: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/3832_AI-augmentedgovernment/DUP_AI-augmented-government.pdf (accessed on 18 December 2019).
16. Schatsky, D.; Muraskin, G.; Iyengar, K. Robotic Process Automation: A Path to the Cognitive Enterprise. Deloitte University Press. 2016. Available online: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/financial-services/deloitte-nl-fsi-robotics brochure-abnamro.pdf (accessed on 14 September 2019).
17. O'Neill, E. How is the Accountancy and Finance World Using Artificial Intelligence? Acctech Institute. 2016.

Available online: http://www.acctechinstitute.com/how-is-the-accountancy-and-finance-world-usingartificial-intelligence (accessed on 31 July 2020).

18. Kira. Kira for Contract Analysis. 2018. Available online: https://kirasystems.com/how-it-works/contractanalysis/ (accessed on 15 April 2020).

19. PwC. Spotlight: Robotic Process Automation (RPA), What Tax Needs to Know Now. PwC Tax Function of the Future Series: A Focus on Today. 2017. Available online: https://www.pwc.com/gx/en/tax/publications/assets/ pwc-tax-function-of-the-future-focus-on-today-robotics-process-automation.pdf (accessed on 3 May 2020).

20. Song, W. Blocking Smart Tax Evasion with Big Data, SBS News. 2017. Available online: https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1004496340& plink =COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND (accessed on 22 November 2019).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Opium Trade of British East India Company with China: Assessing the Exploitation of India and China

Dr. Amita Sonker*

*Asst. Professor (Western History) University of Lucknow, Lucknow (U.P.) INDIA

Abstract - From ancient time, trade and commerce have been a major factor of relation between the countries all over the world. Different civilisations came across with each other due to the need of certain goods and things of necessity which was unavailable in their regions or countries. Europe and Asia also shared the commercial relation with each other. Prominent European country Britain was having significant commercial relation with two major Asian countries – India and China. But this relation was imbalanced as Britain was not gaining as much profit as it desired from the trading with these two countries. Britain who was trading through the British East India Company in the region of Asia, tilted this imbalanced commercial relation with the trade of opium. India became the producer and China was made the consumer of opium by the British East India Company. This research paper discusses how the opium trade was done by on individual level by the employees of British East India Company, how the Company took over the opium trade in its hands, how lucrative was the opium trade and what adverse effect this opium trade caused to India and China.

Keywords- Opium, Profit, Moral, Ethics, Exploitation, Cultivation, European, Asian.

Introduction - Countries all over the world have shared trading and commercial relations with each other from time immemorial. Britain, a European nation had trading relations with the prominent Asian nations like India and China. With the advent of time, Britain realized that the trade was not benefitting her that much as it should be because of the difference of intensity which was required for the goods exchanged by these nations with each other. Apparently, this imbalance of the trade was much more felt by the British when the enterprise passed from the individuals to the Companies. The nature of the trade and commerce took a turn as these companies were eager for more profits. To gain more profits, the companies were not binded by any moral or ethics. They were ready to compromise the honour of their nations.

India and China have been ancient and self-contained civilisations. The two nations were not depended upon Britain for any item of their essential needs. While British procured the items from India and China which were essential for them. The spices from India and China made the 'dull and tasteless meals of Britain delicious with the use of pepper, musk, cinnamon and other varieties'. One could easily assess the price of these items by this statement that to procure the 'inoffensive clove, torrents of blood were shed whereas one kernel of pepper was worth almost its weight in silver.' This statement clarifies the need, and thus the demand for these items in Britain and therefore the means, violent or immoral taken up by the British traders to procure them. This was considered that the silver of Britain was floating into India and China due to the imbalance in trade.

This paved the way of an item which could fetch a drastic figure of profit for Britain. The poppy became that item which produced opium. Going by the history of opium production, opium was merchandised by the Arabs. Arabs began the cultivation and trade in opium. Later, Persia, China and India followed their footsteps and started the cultivation of poppy. Opium was categorized under medicine and most of the prominent countries had the knowledge about opium for its medicinal quality. Opium is extracted juice of poppy. As described by Margaret Goldsmith "raw opium was known as the spontaneously coagulated juice obtained from the capsules of the 'papaver seniferum" which went through further processes of manufacturing and packing.

According to the report of the Royal Commission which mentions about the knowledge of the Chinese regarding the opium that the opium was called "Ayfung" by Chinese. Actually, Ayfung was derived from the Arabic word "Ayfun". In Chinese official records, opium was designated as the 'foreign medicine' while people generally called it 'foreign smoke.' Hence it is obvious that the use of opium was made for both the purposes. Various nations had different opinions on opium smoking, which provided brief pleasure.

Turks stamped their opium lozenges as 'Gift of god' whereas the Malay people termed it as the 'Herb of fools.' Thus it was obvious that the consumption of opium in other form than medicine was considered detrimental.

The relation of India with China in context of opium had indirect connection. The British authorities on the occasion of being criticized for introducing opium smoking in China claimed opium as an indigenous product. There are evidences that it had truth that Chinese had knowledge of opium and they produced it. In a medical work of 973, which was done on the order of the Chinese Emperor, opium had been mentioned as a drug which possessed medicinal qualities with healing properties. But the production of opium was not done on a larger scale by the Chinese themselves as described by Barbosa (a relative of Magellan, the explorer). Barbosa had written in 1516 that opium comes in China from Aden and Cambay (India). This makes it evident that the quantity which had been required as medicine was not the only reason of opium being imported in China from these countries.

The lucrativeness of the opium trade with China by Britain could be gauged by the fact mentioned by Daniel Dafoe, a renowned writer. Regarding the opium trade he had claimed in 1719 that the English officers working under the British East India Company in India earned a lot by the means of opium trade. Opium which was produced in India and sold in China, generally became a source of amassing great wealth by the people serving in the British East India Company which sometimes amounted up to sixty to seventy thousand pounds. He mentioned that by this mean the English merchants and officers of British administration were getting richer. Opium became the source of private wealth for the officers of the East India Company who were scantily paid.

The opium production in India for the purpose of gaining huge benefits from its trade with China was criticized by the conscientious British people. The Chief of the Revenue Department of the Indian Board, Mr. Hugh Stark had disclosed to the Select Committee of 1831-32 that the Bengal government was producing opium keeping in view of its unbridged and large scale supply to China rather than its use for medicinal purpose in India and China which obviously not need those huge quantity in which opium had been supplied to China.

Bengal in India was the most important district under the rule of Company which produced opium. Although other Indian States which were not under the domination of the British East India Company also grew opium but the Company gradually monopolized the opium trade. The opium cultivated and produced by British East India Company was known as Bengal opium while the opium cultivated by the native states was called Malwa opium.

In India also opium was used for medicinal practices. Another difference of India regarding the indulgence of opium consumption was that Indians generally ate opium more than opium smoking which was prevalent in the east. Nevertheless, it was considered a vicious habit in India also. In medieval times, opium was cultivated unrestricted in various parts of India except Bihar where the Mughals imposed their monopoly on the purchase of cultivated opium. Later when the East India Company got the right of collection of revenue of Bihar and Bengal, its officers appropriated the monopoly on produced opium for their own personal benefits. Mr. Watson who was a member of council of representatives in East India Company was the person suggesting the idea of sending the Bengal opium to China by the East India Company. Consequently when in 1773 Warren Hastings became the Governor General of India, initially he deprived the servants of Company from opium trade. Hence in 1797 the government assumed the monopoly of opium production and manufacturing. Although it resulted in smuggling and clandestine production of opium for local use. Owing to the tremendous profit generated by the nefarious drug, the East India Company wanted to control as much land as it could for poppy cultivation.

In fact during the time of famine in Bengal, the British compelled the poor farmers to plough up the fields which they had sown with grain in order to produce large quantity of poppy which could be beneficial for the East India Company. The Company made contracts with the farmers for producing the required chests of opium which were very stringent. In case of less production than the demanded quantity, the farmer was liable of penalty of 300 rupess per chest during the governorship of Warren Hastings. According to a comparison of cultivating poppy with other items clears the picture of the exorbitant profits the trade of opium was providing. If an acre of land was cultivated with cotton it produces 285 pounds of cotton whereas less than a ton of wheat could be produced on that land. But in case of cultivating opium on an acre of land it produced only 13 pounds. It was the revenue generated by the opium trade which overshadowed all other crops. In 1838, the opium generated revenue amounted to 1,586,445 pounds which by 1857 had risen to 5, 918,375 pounds. Thus, it is evident that the profit level was exceeding to the limit that the East India Company monopolized the poppy cultivation and encouraged it. This provides a glimpse that how much opium was valuable and highly profitable item that the authority of Britain took over the control of it by taking it away from the individual enterprise.

The vast bulk of opium which was being produced in India was not for the purpose of its use as medicine. The exorbitant profit earned from the opium trade could be assessed by the fact that the opium for export which was sold by auction in Calcutta generally fetched about four times the cost of its production. The prime cost of the opium in Bengal of was about 250 rupees per chest which was sold by the auction at 12,00 or 16,00 rupees per chest. This opium was meant for sale in China where the British had prepared the ground of its consumption by the means

of developing and promoting the habit of opium smoking in Chinese people by the excessive availability of opium. These facts are supported by the records of the official documents. According to the custom house books of Calcutta from 1835 to 1838, the details present in them shows that the British exported, 74,446 chests of opium out of which 67,083 chests were sent to China only while the medicinal requirements from all other places was of 12,303 chests or about one-sixth of the whole. This presents a picture how the British were flooding the China with opium produced in India and making a large sum of profit.

The quantity which was prior to 1767 was limited to only 200 chests per year increased to 1,000 chests per year during the control of the Portuguese on the opium trade in China. Later in the years from 1816-1836, the consumption of opium increased more than tenfold during the control of the opium trade by the British in China. Although the Emperor of China upon learning the misuse of the drug forbidded the import of opium in China but the smuggling steadily increased. By 1824 it had attained the value of 8,000,000 dollars. The profits earned by the trade had put the moral and ethics of the British on the margin when in 1833 at the time of the renewal of the charter of the East India Company, the British government expressed that the opium smuggling done by the East India Company in China 'should not in any manner be interfered with.' Thus, the trade flourished under the patronage by the British government. In 1837, the export reached up to 40,000 chest imposing a demand of 25.000,000 dollars on China which was thrice going by the price which China had paid in last thirteen years. A statistical journal mentions that during the time period of 1816-1839 China paid approximately a whopping amount of 70,000,000 pounds or nearly 35,000,000 dollars to the British for opium. Undoubtedly opium trade was paying such a price to Britain which was unimaginable while on the other hand China was suffering. This exploitation of China by the British led to the two opium wars respectively in 1839 and 1858. In both the opium wars, the British stood victorious thus the exploitation of China as well as India continued.

Conclusion- The difference in the trade ethics and morality of European and Asian continents could be assessed by the opium trade done by the British East India Company in India and China. Gaining profits in trading is not prohibited but the source of these profits should not be on the price of humanity. The use of opium as medicine was accepted morally and legally but British traders and the British East Company promoted the consumption of opium in China for their indecent profits. Indian farmers were compelled to produce opium against their wish for the purpose of earning more wealth from China. Later, when the Chinese government banned or tried to limit the import of opium, the British smuggled it in China. Thus, the opium trade done by the British East Company shows the capitalist attitude of the Europe which did not considered about the right and wrong and only focused on obtaining higher profits. The Asian countries, India and China were exploited mercilessly by British East India Company through the opium trade who overlooked all the criticism. The exorbitant profits coming by the trade of opium was even supported by the British government which reveals their morality.

References:-

1. Rowntree, Joshua; The Imperial Drug Trade, Metheun and Co., London, 1905, pp. – 2-4
2. Goldsmith, Margaret; The Trail of Opium, Robert Hale Ltd., London, 1939, pg. - 27
3. Ibid, pg.- 27
4. Ibid.,pg.- 11
5. Op.cit., Rowntree, J.; pg. - 6
6. Tinling, J.F.N.; Poppy Plague and England's Crime, London, 1876, pg. - 4
7. Op.cit., Rowntree, J., pg. - 6
8. Ibid., pg. - 7
9. Ibid., pg. - 10
10. Op.cit., Tinling, J.F.N., pg. - 3
11. Op.cit., Margaret, G., pg. - 46
12. Allen, Nathan; An Essay on The Opium Trade, John and Jewett, Boston, 1859, pg. - 9
13. Dixon, G.G.; The Truth About the Indian Opium, His Majesty's Stationary Office, London, 1922, pp. – 1-2
14. Op.cit., Margaret, G., pg. - 50
15. Sultzberger, H.H. (Edit.); All About Opium, Cannon Street, London, 1884, pg. - 144
16. Haines, C.R.; A Vindication of England's Policy With Regard To the Opium Trade, W.H. Allen & Co., 1884, pg.- 52
17. Op.cit., Margaret, G., pg. -49
18. Hastings, H.L.; The Signs of Time, H.L.Hastings, New York, 1863, pg. - 89
19. Ibid., Hastings, H.L.; pg. - 78
20. Carey, H.C.; Commerce, Christianity and Civilization versus British Free Trade, Collins Printers, Philadelphia, 1876, pg. -18
21. Ibid., pg. -19
22. Op.cit., Hastings, H.L., pp.- 85-89

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Effect of Arsenic on Human Health and Possible Prevention

Dr. Shobha Gupta*

***Associate Professor (Chemistry) D.A.K. College, Moradabad (U.P.) INDIA**

Abstract - Arsenic is a major environmental pollutant and Arsenic toxicity has become a worldwide human health threat. The toxicology and health hazard has been reported for many years. The contaminated drinking water is the main source of exposure and affected countries are India (West Bengal), Bangladesh, China, Taiwan, Thailand, Chile, Argentina and Romania. Concentrations of arsenic in affected areas are several times higher than the maximum contamination level (MCL) (10 µ g/l). This communication presents a review of current research conducted on the adverse health effects on humans exposed to As contaminated water. Chronic exposure of As via drinking water causes various types of skin lesions such as melanosis, leucomelanosis, and keratosis. Other manifestations include neurological effects, obstetric problems, high blood pressure, diabetes mellitus, diseases of the respiratory system and of blood vessels including cardiovascular, and cancers typically involving the skin, lung, and bladder. The skin seems to be quite susceptible to the effects of As. Arsenic-induced skin lesions seem to be the most common and initial symptoms of arsenicosis. More systematic studies are needed to determine the link between As exposure and its related cancer and noncancer end points. There is no particular remedial action for chronic arsenic poisoning. Low socioeconomic status and malnutrition may increase the risk of chronic toxicity. Early intervention and prevention can give the relief to the affected population
Keywords- Arsenic, Toxicology, Drinking water, Health effects, Intervention, Prevention.

Introduction - Arsenic is a heavy metal with a name derived from the Greek word arsenikon, meaning potent. The element occurs in environment in different oxidation states and form various species, e.g., As as As(V), As(III), As(0) and As (-III). Inorganic As is ubiquitous in the environment and is a human carcinogen. Signiûcant As exposure mostly occurs through drinking As-contaminated water (1). Contamination of arsenic in ground water is the global problem and millions of people are at a risk of arsenicosis. The major affected countries are Bangladesh, India, China, Taiwan, Thailand, Chili, Romania where inorganic arsenic present in the ground water with high concentration. The areas across the Gangetic plains in India and Nepal also reported as the area affected from it (2). World health organization (WHO) and US environment protection agency (EPA) had set up the standard for drinking water known as MCL which is 10 µg/l. Drinking water with MCL or below to MCL is not hazardous to the population. Long-term ingestion of inorganic arsenic other than organic arsenic causes multisystem adverse health effects because organic forms are less toxic and rapidly excreted from body via urine. The clinical manifestations of chronic arsenic exposure are skin lesions, cardiovascular disease, neurological effects, chronic lung disease, cerebrovascular disease, reproductive disease, adverse renal affects, developmental abnormalities, hematological disorders, diabetes mellitus and cancers of skin, lung, liver, kidney and bladder. Low birth weight and adverse pregnancy outcomes are also documented by chronic toxicity of arsenic. Skin manifestation is the early feature of chronic arsenic exposure and cancer is the late phenomenon. Presence of both melanosis and keratosis are the conformational sign of chronic exposure of arsenic. Arsenic affect the human populations regardless of sex and age but the children are less susceptible to arsenicism (3,4). Chelation therapy is not effective in chronic toxicity. Thus prevention is better remedial action for chronic arsenic poisoning. People with well nourishment and good socioeconomic status are less susceptible to chronic toxicity

Sources of Arsenic: Arsenic is highly mobilized element and mainly cycled by water in the environment. Arsenic is widely present in soil, rocks, sediments and metals ores in the form of oxyhydroxide or sulfide or compounds of various metals in the most part of world (5).). Human population is mostly exposed to arsenic through ingestion, inhalation and dermal contact. Ingestion of arsenic contaminated water, foods, drugs, wines, smoke of cigarette and fossil fuels are the various routes of arsenic exposure to the population

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

both acute and chronically (NTP, 1999). In occupational exposure, the workers are exposed to airborne arsenic from the industries of smelting and refining metals, producing and using arsenic-containing chemicals, manufacturing of glass, semiconductors and various pharmaceutical substances.). In seafood, arsenic present in its organic form with elevated concentration, which are considerably less toxic than inorganic arsenic. Drinking water is the primary and main route of exposure to arsenic. MCL is the standard concentration of arsenic in drinking water which is not hazardous, is set by the US EPA that is 10 µg/l (7).). Millions of people are compelled to use the drinking water with higher arsenic level than MCL worldwide. West Bengal (India) and Bangladesh are the worst affected areas in the world from arsenicism. The standard of most developing countries is 50 µg/l, which is several times higher than the MCL and more hazardous to the population. It is necessary to reset the standard in these countries. In West Bengal (India), the arsenic concentration in drinking water is about 60 to 3700 µg/l and about 40 million people are affected from it (8). In middle Ganga plain, Bihar, 206 tube wells (95% of total) were analysed for arsenic content and showed that 56.8% tube wells have exceeded arsenic concentration of 50 µg/l and 19.9% have more then 300 µg/l (9).

Aarsenic Metabolism : Biotransformation is the major metabolic pathway for inorganic arsenic (iAs) in humans and in most of the animal species. The chemical speciation of inorganic arsenic is important for health effects. Toxic inorganic arsenic species can be biomethylated by bacteria, algae, fungi, invertebrate and humans to yield monomethylarsonic acid (MMA) and dimethylarsinic acid (DMA) which are less toxic than inorganic arsenic. Methylation of inorganic arsenic mainly occurs in liver but other organs also have the arsenic methylation activity (10). In this process inorganic arsenic is enzymetically biotransformed to methylated arsenicals including MMA and DMA, these are the end metabolites and the biomarker of chronic arsenic exposure. iAs (V) — iAs (lll) — MMA (V) — MMA (lll) — DMA (V)

Firstly, reduction of iAs (v) to iAs (lll) is mediated by glutathion, acts as reducing agent and then methyl group is transfered to iAs (lll) from S-adenosyl methionine to form MMA (V). Then MMA (V) is reduced to form an intermediate metabolite monomethylarsonous acid (MMAIII) in methylation process and during the second methylation, MMA (III) is oxidized to DMA (V). Glutathion and S - adenosyl methionine acts as co-substrate. The activity of first methylation step is represented by the ratio of iAs / MMA, if the ratio is high which indicate poor methylation and activity of second step is denoted by the ratio of MMA / DMA, if the ratio is low which indicate good methylation. Children are poor methylator and good excretor in comparison to the adults. Thus children are less susceptible to arsenicism (3,4).

Human health effects: Chronic ingestion of inorganic arsenic causes multisystem adverse health effects. High dose of arsenic in drinking water causes characteristic skin manifestation, vascular disease including arteriosclerosis [Peripheral vascular disease and ischemic heart disease (ISHD), renal disease, neurological effects, cardiovascular disease, chronic lung disease, cerebrovascular disease, reproductive effects and cancers of skin, lungs, liver, kidney and bladder. Increased exposure of arsenic is also associated with non insulin dependent diabetes mellitus. Arsenic exposure from drinking water was associated with reduced intellectual function of children in Bangladesh. In dose-response manner, the children who use the drinking water with high arsenic concentration (>50 µg/l) execute lower performance than those children, using drinking water with low arsenic (<5.5 µg/l). Arsenic is also associated with the growth retardation in children. The height of children might be affected by the arsenic in drinking water. The children who have high arsenic concentration in their hair had less height than the children with low arsenic. Arsenic contaminated drinking water is also responsible for spontaneous abortion, stillbirth and infant mortality (11).

Effects on skin: Skin manifestation is the most common and initial sign of chronic arsenic exposure. Chronic ingestion of arsenic causes characteristic melanosis, keratosis, basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma(12). Presence of both melanosis and keratosis is the conformational sign of chronic arsenic toxicity. Melanosis includes diffuse melanosis (hyperpigmentation), spotted melanosis (spotted pigmentation), non melanoma (depigmentation) and leucomelanosis in which white and black spots side by side present on the skin. Keratosis is a late feature of arsenical-dermatosis, especially appear on palm and sole in different manner such as discrete or nodular keratosis, spotted keratosis and combination of nodular and spotted keratosis is known as spotted palmoplanter keratosis (13). Depigmentation an arsenic-induced skin lesions has the increasing risk of low-grade basal cell carcinoma and Bowen's disease. Bowen's disease is a precancerous lesion and predisposed to an increased incidence of other malignant lesions. Chronic ingestion of inorganic arsenic has also been associated to the development of squamous cell carcinoma (14). The long-term ingestion of arsenic lead to accumulate in keratin rich areas of body and appears as white lines in the fingernails and toenails, called Mee's lines. Dermatitis instead of characteristic melanosis and hyperkeratosis of palm and sole were mostly found in the workers of smelting industry due to the local irritation caused by high concentration of airborne arsenic. In West Bengal and Bangladesh, about 80% of people use the high level arsenic drinking water which can cause hyperpigmentation, hyperkeratosis and painful skin blisters. The males show higher prevalence rate of arsenic-induced skin lesions than females with clear dose response relationship. The research studies showed that the high rate of prevalence in affected

area is an indication that future is in danger. In Inner Mongolia and China, a study was conducted for the relationship in between arsenic in ground water and the skin manifestations. It was reported that the concentration of arsenic in water was ranged from 50-1354 µg/l and prevalence of skin lesion was 44.80%. The persons of above 40 years of age showed the highest rate of prevalence of skin-manifestations without sex differentiation.

Effects on respiratory system and lung: Ingestion of inorganic As for a prolonged period causes respiratory problems, including cough, chest sound, bronchitis, and shortness of breath (15). In a study (15) the researchers found the link between As exposure via drinking water and respiratory complications. They found high prevalence of respiratory complications such as breathing problems including chest sound, asthma, bronchitis, and cough in arsenicosis patients (125 subjects) of Bangladesh exposed to As-contaminated water (mean concentration of 216 lg/l) for more than 7 years. The prevalence ratio for chronic bronchitis increased with increasing As exposure. The relationship between As exposure and chronic cough and chronic bronchitis was also investigated among 136 subjects from three As affected districts (Laxmipur, Barisal, and Madaripur) of Bangladesh (16) and it was found that ingestion of inorganic As present in drinking water may lead to increased risk of chronic cough and bronchitis.

An affect of inorganic arsenic in the form of airborne particles (mostly arsenic trioxide) on respiratory system mainly occurs in industrial area. Initially, the lesions of mucous membrane of respiratory system including the irritation of nasal mucosa, larynx, bronchi and later perforation of nasal septum were observed (17). Exposure to inorganic arsenic in crude and refined form causes rhino-pharyngo-laryngitis, tracheobronchitis and pulmonary insufficiency due to emphysematous lesions. Exposure of arsenic through other routes instead of inhalation can also affect the respiratory system and cause a high rate of chronic cough and bronchopulmonary disease. In West Bengal and Bangladesh, the prevalence rate of cough, shortness of breath and chest sound (crepitations and rhonchi) in lungs of both males and females were found to increase with age and with increasing the concentration of arsenic in water. Prevalence odd ratio (POR) were increased for those persons who had arsenic-induced skin lesions and used the drinking water of high arsenic concentration (> or = 500 µg/l), in the comparison of the persons who had normal skin and used the water of low arsenic concentration (< 50 µg/l) (17,18).

Effects on nervous system: The major target organ of toxic effects of heavy metals like arsenic, mercury and lead, is central nervous system. The adverse effects of chronic exposure to drinking arsenic water on nervous system are reversible peripheral neurological damage. Exposure to inorganic arsenic for a long period can cause the peripheral neuropathy, which is similar to the Guillain-Barre syndrome [(aponeurotic reflex). The other effects of exposure are change in behaviors, confusion, disorientation, memory loss and cognitive impairment. Chronic ingestion of arsenic contaminated water is increasing the prevalence rate of cerebrovasculer disease especially cerebral infarction. In China, a case control study was made between 57 person with arsenic-induced skin lesions and are found to use the arsenic drinking water for a long period. The study demonstrated that the exposed persons got various types neurological disorders including abnormal distal sensation, abatement of temperature sensation and pressure abatement, vegetative nerve functional lesions such as hypohidrosis (diminished perspiration), adiaphoresis (absence or deficiency of perspiration), in the comparison of normal person (10). A 10 year study conducted in affected area of West Bengal and the report documented that the 37.2 percent patients of arsenicosis were suffered from arsenical neuropathy with the affliction of sensory and motor nerves (Chowdhury et al., 2000).

Neurological involvements due to As toxicity in the population exposed to As present in drinking water in the four Indian states of West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, and Madhya Pradesh were reported in several publications (20,21). These researchers concluded that exposure from As-contaminated groundwater in West Bengal and other states of India may produce neurological complications. Peripheral neuropathy is the predominant and common neurological complication of As toxicity (21). Arsenic-induced toxic neuropathy is usually chronic and occasionally subacute in onset in these exposed studied populations (Mukherjee et al. 2003). A recent study reported appreciably higher neurotoxicity manifestations such as a decline in hearing, ability to taste, impacted vision, tingling, and numbness in As-affected villagers of Inner Mongolia (22).

Prevention: The essential and basic efforts for the reduction of chronic arsenic toxicity are prevention. Prevention is better than cure. Many countries have focused on arsenic health effects and prevention. In recognition of the seriousness of the problem of arsenicosis among large population worldwide and there is no effective treatment. We are interested in increased preventive efforts not only because of significant impact on the population at risk, but also because of the other conditions associated with the continued arsenic exposure in drinking water.

Primary prevention: Due to low socioeconomic status of the large population of affected area, it is not possible to eliminate total arsenic and to afford the arsenic free drinking water to everyone. Thus it is suggested to use alternative water source such as rainwater or to remove the arsenic from contaminated water. The most important remedial action for the person who suffered from arsenicosis, the first major priority is preventing the use of arsenic contaminated drinking water to stop further exposure or providing the arsenic free drinking water or drinking water

with arsenic below to the MCL of WHO and US EPA, that is 10 µg/l, to impede the future exposure. The second one is distinct the high and low arsenic source of drinking water and aware the population to use the low arsenic water (below MCL) for drinking purpose and high arsenic water for other purposes. Encouragement to the suffered persons and give them the education about the adverse health effects of arsenicosis and its prevention by dietary supplements that help to decrease the future exposure. The affordable, efficient, low maintenance and household technologies/ instrument such as low cost filtration systems and iron hydroxide precipitation for removal of the arsenic from contaminated water, for the population of affected area, could be made available by the local administration

Secondary prevention: For the reduction of toxicity and elimination of metals from the body, chelating agents are generally used. In acute arsenic toxicity, chelation treatment is a good remedial action to reduce the toxicity and for elimination. The most common antidote for arsenic and other metals poisoning is British anti-leusite (BAL), chemically 2,3-dimerceptopropanol. BAL is an efficient antidote in acute poisoning but it also has toxic activity. Thus due to its toxic activity BAL are less used as antidote. Presently thiol chelators like meso 2,3-dimercap-tosuccinicacid (DMSA), sodium 2, 3-dimercapt-opropane-1-sulfonate (DMPS) and monoisoamyl DMSA (MiADMSA) are commonly used, in both acute and chronic arsenic toxicity. DMPS has the efficacy to increase the removal of most arsenic species from urine. DMPS forms the complex with MMA (lll), which is most toxic intermediate arsenicals in biomethylation and rapidly remove it via urine. Oxidative-stress is also caused by chronic toxicity. For reducing to it MiADMSA is successfully administrated in experimental animals and recently it is also used with the combination of antioxidents to increase the potency.

Tertiary prevention: Safe drinking water and well-nourished food is essential for the prevention of chronic arsenic toxicity. Balance nutritious supplements play a major role in the prevention of chronic arsenic poisoning. The diet with low protein, fats, vitamins and minerals may increase the risk of arsenic-induced skin lesions and other malignant disease. Deficiency of protein, folate and vitamin B in diet affected the biotrasformation of arsenic by which arsenic is not excreted from body and causes its advers health effects. Micronutrients like calcium, iron and zinc are reducing the arsenic toxicity by interacting it at the primary site of action. Deficiency of vitamins and antioxidents increases the reactive oxygen species (ROS) in the body that is leading to cause tissue damage and other harmful effects. A 10 year fieldwork were done in West Bengal (India) and Bangladesh in 1989-1999 had suggested that malnutrition may be responsible for skin lesions. Low nutrient diet may cause the skin lesions to the persons who use low arsenic drinking water, but high arsenic in drinking water (about 400 µg/l) may not cause the skin lesions to the persons with well-nourished food (20). Good nutrition and safe drinking water can remediate the melanosis and decrease the keratosis. Various reports suggested that population with good nutrition is less susceptible to arsenical disease. Functional food jaggery as dietary supplement prevented the arsenic induce toxicity thus it could be helpful for human population exposed to arsenic contaminated drinking water (23).

Future perspectives: Effective legislation, regulation and identification of the areas where the excess level of arsenic is found in drinking water are necessary. Failure to control the exposure from high MCL arsenic water will lead to future cases of arsenicosis.

Exposure monitoring and possible intervention for the reduction in further exposure of arsenic can reduce the arsenic toxicity and a significant step towards prevention. National and international co-operation is needed to develop effective strategies for arsenic toxicity prevention.

References:-

1. WHO (World Health Organization). (2001). IPCS environmental health criteria 224 Arsenic and arsenic compounds. Geneva: International Programme on Chemical Safety, World Health Organization.
2. Maharjan, M., C. Watanabe, S.K.A. Ahmad and R. Ohtsuka: Arsenic contamination in drinking water and skin manifestations in lowland Nepal: The first community based survey. Am. J. Trop. Med. Hyg., 73, 477-479 (2005).
3. Concha, G., B. Nermelli and M. Vahter: Metabolism of inorganic arsenic in children with high arsenic exposure in northern Argentina. Environ. Hlth. Perspect., 107, 9-15 (1998).
4. Chowdhury, U.K., M.M. Rahman, M.K. Sengupta, D. Lodh, C.R. Chandra and S. Roy: Pattern of excretion of arsenic compound in urine of children compared to adult's form an arsenic exposed area in Bangladesh. J Environ. Sci. Hlth., 38, 87-113 (2003)
5. Aronson, S.N.: Arsenic and old myths. R. I. Med., 77, 233-234 (1994).
6. NTP, National Toxicological Program : Arsenic and certain arsenic compound. In: Eighth Report on Carcinogens: 1998 Summery. U.S. Public Health Service, U. S., DHHS, Atlanta, GA. pp. 17-19 (1999).
7. Environmental Protection Agency (EPA), Federal Register, 66(14): National primary drinking water regulations; Arsenic and clarification to compliance and new source contaminations monitoring ; Final Rule (January 22, 2001) (2001).
8. Acharyya, S.K.: Arsenic contamination in ground water affecting major part of the southern West Bangal and parts of Western Chhattisgarh: Source and mobilization process. Curr. Sci., 82, 740-744 (2002).
9. Chakraborti, D., S.C. Mukherjee, S. Pati, M.K. Sengupta, M.M. Rahman and U.K. Chowdhury: Arsenic

ground water contamination in middle Ganga plain, Bihar, India: A future danger? Environ. Hlth. Perspect., 111, 1194-1201 (2003).

10. Vahter, M.: Mechanisms of arsenic biotransformation. Toxicology, 181-182, 211217 (2002).
11.. Rich, C.H., S.R. Browning, I.H. Picciotto, C. Ferricco, C. Peralta and H. Gibb: Chronic arsenic exposure and risk of Infant Mortality in two areas of Chile. Environ. Hlth. Perspect, 108, 667-673 (2000).
12. Chakraborti, D., Rahman, M. M., Paul, K., et al. Arsenic calamity in the Indian subcontinent—what lessons have been learned? Talanta, 58, 3–22 (2002).
13. Guo, X., Liu, Z., Huang, C., et al. Levels of arsenic in drinking water and cutaneous lesions in Inner Mongolia. Journal of health, population and Nutrition, 24, 214–220 (2006).
14. Centeno, J.A., F.G. Mullick, L. Martinez, H. Gibb, D. Longfellow and C. Thompson: Environmental pathology of arsenic poisoning: An introduction and overview. Arsenic induced Lesions. Armed Forces Institute of Pathology, Washington D.C. pp. 1-46 (2000).
15. Islam, L. N., Nabi, A. H. M. N., Rahman, M. M., et al. Association of respiratory complications and elevated serum immunoglobulins with drinking water arsenic toxicity in human. Journal of Environmental Science and Health, 42, 1807–1814 (2007).
16. Milton, A. H., Hasan, Z., Rahman, A., et al. Noncancer effects of chronic arsenicosis in Bangladesh: Preliminary results. Journal of Environmental Science and Health, 38, 301–305 (2003).
17. Mazumdar, D.N., R. Haque, N. Ghosh, B.K. De, A. Santra, D. Chakraborti and A.H. Smith : Arsenic in drinking water and the prevalence of respiratory effects in West Bangal, India. Int. J. Epidemiol., 29, 1047-1052 (2000).
18. Milton, A.H. and M. Rahman: Respiratory effects and arsenic contaminated well water in Bangladesh. Int. J. Environ. Hlth. Res., 12, 175-179 (2002).
19. Zang, Y., R. Xianyun, Z. Zhenrong, D. Qin, Z. Geyon, L. Xiufen and Z. Meiyun: Effects of high arsenic drinking water on the resident's nervous system. 4th International conference on arsenic exposure and health effects, San Diego, CA, June 18-22, p. 173 (2000).
20. Chowdhury, U.K., B.K. Biswas, T.R. Chowdhury, G. Samanta, B.K. Mandal, G.C. Basu, C.R. Chanda, D. Lodh, K.C. Saha, S.K. Mukherjee, S. Roy, S. Kabir, Q. Quamruzzaman and D. Chakraborti: Ground water arsenic contamination in Bangladesh and West Bengal, India. Environ. Hlth. Perspect., 108, 393-397 (2000).
21. Mukherjee, S. C., Saha, K. C., Pati, S., et al. Murshidabad—one of the nine arsenic-affected districts of West Bengal, India. Part II: Dermatological, neurological, and obstetric ûndings. Journal of Toxicology: Clinical Toxicology, 43, 835–848 (2005).
22. Guo, J. X., Hu, L., Yand, P. Z., et al. Chronic arsenic poisoning in drinking water in Inner Mongolia and its associated health effects. Journal of Environmental Science and Health, 42, 1853–1858 (2007).
23. Sahu, A.P., N. Singh, D. Kumar and B.N. Paul: Arsenic and human health effects mitigation: prevention by dietary modification with functional food-Jaggery. 25th International Congress on Occup. Hlth. Milan, Italy, 92 (2006).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Comparative Study of Involvement of Community and Family with Schoolsunder RMSA scheme in Katni and Rewa District (M.P) India

Dr. Gopal Krishna Rathore*

***Associate Professor (Management and Research) MATS University, Raipur (C.G.) INDIA**

Abstract - This piece of work deals with the comparative analysis of role and involvement of community and families for the development and management of quality education in secondary school under Rastriya Madhyamic Shikhsha Abhiyan (RMSA). Through survey of 25 schools (Government/Government aided) each in two district Katni and Rewa it was concluded that the involvement of community for both the district was poor. In The sampled schools of Katni the involvement was somewhat better as compared to Rewa District. The local Community and parents were selected as the members of School management and Development Committee, But most of the activities were actively carried out only by the school level members under the guidance of School's principal. The main problem in both the district was the lack of orientation programme for SMDC members so as to make them familiar with the responsibilities. Members from the local community show less interest in school activities; their role was found to be very much formal.
Keywords- Community, RMSA, SMDC, Katni, Rewa.

Introduction - *Community engagement* is a two-way street where the school, families, and the com-munity actively work together, creating networks of shared responsibility for student success. It is a tool that promotes civic well-being and that strengthens the capacity of schools, families, and communities to support young peoples' full development.

Recognising the importance and demand for secondary education, the Government of India has launched Rashtriya Madhyamic Shiksha Abhiyan (RMSA). The vision of RMSA is to make the secondary education of good quality, available, accessible and affordable to all young persons of the age group of 15-17 years. Under the scheme, Panchayati Raj Institutions and Municipal Bodies, Community, Teachers, Parents and other stakeholders in the management of Secondary Education were involved, through bodies like School Management Committees and Parent–Teacher Associations, for planning, implementation, monitoring and evaluation processes of secondary education.

As part of RMSA scheme, the state of Madhya Pradesh also follows the national policy to achieve the goal of universalisation of secondary education within the time frame of RMSA.

For the necessary reform & good GovernanceSchool Management and Development Committee (SMDC) have been organized in every Government and Government aided school under RMSA Scheme. The committeeof every school must be consist 18 members. Apart from 5 school teachers including Principal, rest of the members were selected from local community and parents. It includes two parents, two members from Panchayat or Urban local Body, one from SC/ST community, one from Educationally Backward minority community, one women member, one from Educational Development Committee, three nominated members byDistrict Programme coordinator, one member from District Education Department and one member from Auditor Accounts department. Every year these committees received training to let them know their rights & duties. These committees make reforms and make sure a good school administration. Periodical meeting of SMDC were organized to propose and sanction the reforms and good governance.

The present paper deals with the analysis of the functions and responsibilities carried out by the SMDC members in randomly selected 25 schools each from two districts namely Rewa and Katni of Madhya Pradesh.

Methodology: A research was done in October 2013, in 25 secondary schools each in Katni and Rewa District to analyse the involvement of local community and family of students in schools development and management activities.

The district Rewa has 25th rank in terms of geographical area and 4th rank in terms of population in Madhya Pradesh. Rewa cluster is an interior rural cluster divided into 9 blocks.83.27% population is rural.

Katni was separated from Jabalpur District in 1998; about 78.75% population of the district is living in the rural areas. It consists of total 6 blocks.

School survey through questionnaire was conducted in different schools. The data collection through this process provides insights into various issues pertaining to rights and duties of SMDC members for improving the quality of education in their schools.

Result and Discussion: Current research reveals that there are many different activities that connect families and schools. Often these activities are quite different from each other, yet they are lumped together as "parent involvement" or "school-family connections."Some researchers emphasize activities that take place at the school in their definition of parent involvement, such as parental attendance at school events and participation in parent-teacher organizations (PTOs).

Parent participation in activities at school, such as parent-teacher organizations (PTOs), meetings, school advisory or site-based decision-making teams, and volunteering in classrooms or with class activities (Epstein & Dauber, 1995; Izzo et al., 1999; Mapp, 1999). Community participation in school decision-making through formal mechanismssuch as school governance councils (Lewis & Henderson, 1997; Mapp,1999; Sarason & Lorentz, 1998).

Table 01:Category of the Schools visited in Rewa District

S.	Categories	Number of Schools
1	EBB	4
2	Urban	5
3	CWSN (Minimum 3 CWSN)	1
4	Higher Gender gap	3
5	SC/ST/Minority students abundance	12
6	Low retention rate/Higher dropout rate	7
7	Schools situated in habitation with large number of Oosc	7
8	Low academic achievements	7
9	Schools situated in habitation of seasonal migrants	2
10	Urban Schools with most students of deprived sections	1

Table 02:Category of the Schools visited in Katni District

S.	Categories	Number of Schools
1	EBB	25
2	Urban	6
3	CWSN (Minimum 3 CWSN)	1
4	Higher Gender gap	16
5	SC/ST/Minority students abundance	13
6	Low retention rate/Higher dropout rate	5
7	Schools situated in habitation with large number of Oosc	0
8	Low academic achievements	12
9	Schools situated in habitation of seasonal migrants	5
10	Urban Schools with most students of deprived sections	0

Fig 01 (see in last page)

Total numbers of SMDC members of the Katni district in sampled schools were 304. An average of members per schools was 12. Members of 22 schools gave confirmation about their familiarity with their roles. In 20 schools SMDC members actively filled the U-DISE data base of their respective schools and sent to DPO. SMDC members of 18 schools were also aware about the school report card send by the district after analyzing the data of U-DISE. SMDC registers were also available and maintained in 22 schools. SMDC members of 20 schools were also familiar of the guidelines laid in school development plan. The Academic Committee of SMDC is responsible for all academic activities including planning, management, monitoring, supervision, reporting, and collection of data for SEMIS etc. The Academic Committee is also responsible for ensuring quality improvements, equity, reducing barriers-like socio economic, gender and disability, teachers and students attendance, recommending teachers for training, guidance and counseling, students achievements, co curricular and extracurricular activities and over all academic and personality development of students and teachers. Principal of 17 schools confirmed about the participation of SMDC members in monitoring attendance of teachers and students. In 13 schools SMDC members also participate in preparing AWP&B of their respective schools. SAG (School Annual Grant) funded from the district was utilized according to the prescribed norm by all the 24 sanctioned schools. In Govt. HS Model Badwara instead of receiving SAG, Rs 4750/- per student was received from the collaboration of State and Central Government. The implementation of RMSA at the school level envisages the preparation of the school specific Annual Work Plan & Budget (AWP&B) to achieve the goal of universalisation of secondary education within the time frame of RMSA. In 13 schools SMDC members participate in preparing AWP&B of their respective school.

Total numbers of member of the Rewa district in sampled schools were 262. An average of members per schools was 11. In 17 schools SMDC members were familiar about their role and responsibilities notified by the state Government, whereas in other schools where SMDC was functional, members depend on the principal or SMDC in charge. Only the teachers selected as SMDC member in 9 schools participate in DCF entry. They follow the instructions given to them by the in charge. SMDC registers were found to be maintained in 15 schools. In other schools

principals were unable to give confirmation about the maintained register, though they orally tried to satisfy the same matter. In 14 schools the SMDC members were familiar about the guidelines regarding School Development Plan and training received by them. The SMDC are required to prepare a school development plan that will form the basis for grants to be made to the school. The familiarity of SMDC members regarding the preparation of School Development Plan was found to be very weak.In 10 schools SMDC members also participate in preparing AWP&B of their respective schools.

Fig02:Frequency of SMDC meetings held

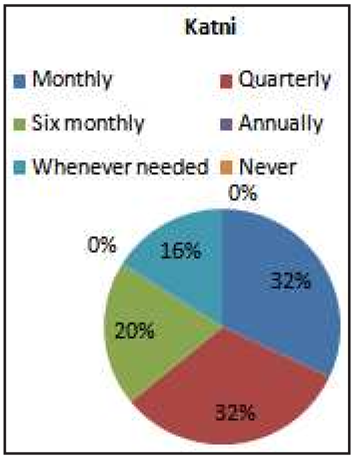

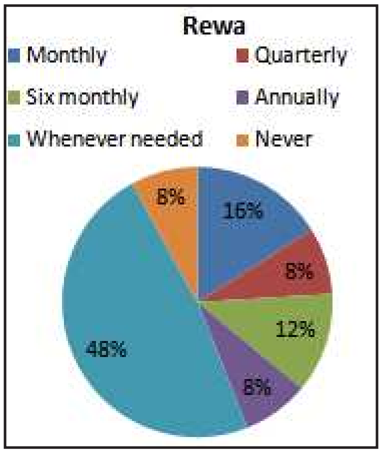

Effective implementation of any programme in any village/ habitation is depends upon the extent to which local people & leaders of community involve themselves .To mobilize the people it is necessary to give them information about aims & objectives of the project & how they can be achieved. For the same in school level SMDC meetings should be conducted in regular basis. For Katni district, In 8 schools meetings were held on monthly basis. For 8 other monitored schools SMDC register confirmed about the meeting frequency to be quarterly in a pre-decided date, however in 4 schools meetings were conducted within 3 months but their dates were not decided, it held whenever needed. IN 5 sampled schools meeting held in an interval of 6 months. In majority of schools in Rewa District, through observation of SMDC registers it was confirmed that meetings were organized as per requirement. Only in 2, 3 schools it was organized quarterly and half yearly. It was surprised to observe in two schools where SMDC meetings were not organized for about more than a year. An average of 6 members was generally present in the meeting.Only an average of 6 members attend the meetings regularly. The main reason behind such less attendance of SMDC members was their lack of interest and busy schedule.

Conclusion: From the above result it could be concluded that the community and family did not show the actual awareness toward their responsibility. The main problem in both the district was the lack of orientation programme for SMDC members so as to make them familiar with the responsibilities. Members from the local community show less interest in school activities; their role was found to be very much formal. District under RMSA Scheme should carry several types of orientation programme so as to involve local community and the parents for improving the quality of education in the schools situated in their respective areas.

References:-

1. Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. Phi Delta Kappan, 76(9). 701-712. EJ502937
2. Izzo, C. V., Weissberg, R. P., Kasprow, W. J., & Fendrich, M. (1999). A longitudinal assessment of teacher perceptions of parent involvement in children's education and school performance. American Journal of Community Psychology,27(6), 817-839.
3. Lewis, A. C., & Henderson, A. T. (1997). Urgent message: Families crucial to school reform. Washington, DC: Center for Law and Education. ED418480.
4. Lewis, A. C., & Henderson, A. T. (1998). Building bridges: Across schools and communities, across streams of funding. Chicago, IL: Cross City Campaign for Urban School Reform. http://www.crosscity.org/pdfs/building.pdf.
5. Mapp, K. L. (1999). Making the connection between families and schools: Why and how parents are involved in their children's education. Doctoral Dissertation, Harvard University, Cambridge, MA.
6. Sarason, S. B., & Lorentz, E. M. (1998). Crossing boundaries: Collaboration, coordination,and the redefinition of resources. San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc. ED412660.

Fig 01: Comparative study of SMDC roles in two districts of Madhya Pradesh

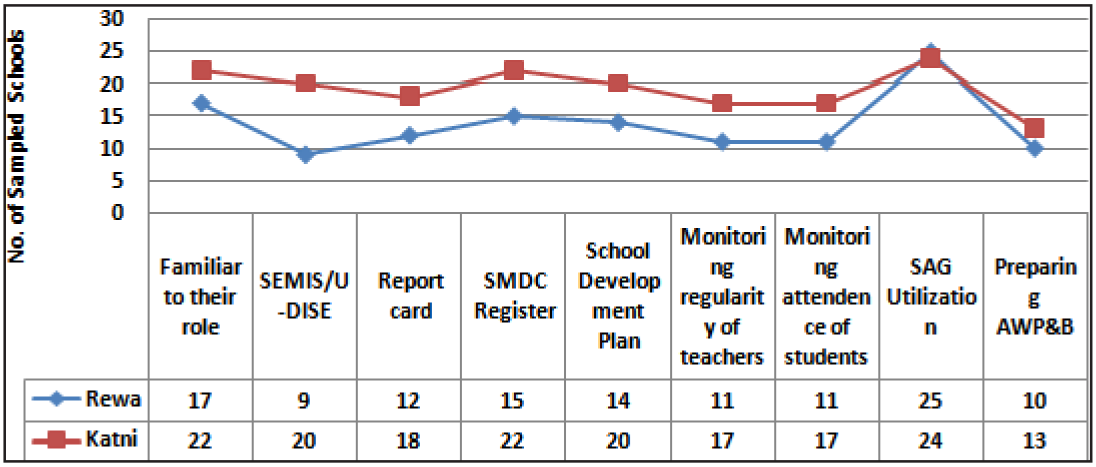

	Familiar to their role	SEMIS/U-DISE	Report card	SMDC Register	School Development Plan	Monitoring regularity of teachers	Monitoring attendence of students	SAG Utilization	Preparing AWP&B
Rewa	17	9	12	15	14	11	11	25	10
Katni	22	20	18	22	20	17	17	24	13

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Impact of Technological Advances on the Environment

Dr. Rashmi Ahuja*

***Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyala, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - Technology is a major part of everyone's life. Though, it has caused many environmental and social problems but it is also a key factor in addressing environmental degradation, climate change, food scarcity, waste management and other pressing global challenges. Most modern technological processes produce unwanted byproducts in addition to the desired products which include industrial waste and other pollutants. While most material waste is reused in the industrial processes, many forms are released into environment with side effects such as pollution and lack of sustainability. Some technologies are designed specifically with the environment in mind, but most are designed first for economic or ergonomic effect. This article takes a look at the paradoxical ideology that while the impact of technology on the environment has been highly negative, the concept of environmental technology could save our planet from the harm that has been done.

Introduction - The term "technology" refers to the application of scientific knowledge for practical purposes and the machinery and devices developed as a result. The world is currently going through a phase of rapid change where technological development is revolutionizing the way of living, at the same time leading the society to a catastrophic situation.

There can be seen a rapid degradation in the existing condition of the environment. According to experts in the near future the environment is bound collapse if the present rate of degradation continues. One of the main driving forces for this degradation is believed to be technology. This has led to the widespread perception of technology as a curse rather than a boon to the environment in general and humanity in particular. Technology in itself is value neutral, it is its usage which leads to the good or bad consequences. Technology due to wrong positioning in the past has caused environmental problems. It could be repositioned to foster environmental health in future. Technology, therefore, has the potential to restore and heal what was wounded, when properly driven.

Negative Effects of Technology on Environment : Development in the technology which later led to the industrial revolution brought improvement in the living standards, boosted and bettered the health, transport, communication and the other sectors of human economy. Technology could be said therefore to have revolutionized almost all aspects of human life. Despite of this good side, the technology has left in its way a polluted environment and depleted resources. Technology impacts on environment by-

1. Increasing global warming
2. Affecting water quality
3. Increasing pollution
4. Increasing waste
5. Increasing power consumption
6. Increasing deforestation
7. Increasing radiations

Many of the technologies that are a part of daily life consume a lot more resources and power than they need to and using and manufacturing them creates a mess. There are a few ways that technology can harm the environment. The two major ill effects caused by the technology to the environment include pollution and depletion of natural resources.

1. Pollution:

a. Air and Water pollution- Air pollution occurs when harmful or excess quantities of gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, sulphur dioxide, nitric oxide and methane are introduced into the earth's atmosphere. All the main sources of pollution relate to betterment technology which emerged especially following the industrial revolution such as burning of fossil fuels, factories, power stations, mass agriculture and vehicles. The consequences of air pollution include negative health impacts and global warming. Water pollution on the other hand is the contamination of water bodies such as lakes, rivers, oceans and ground water which can lead to degradation of aquatic ecosystem.

b. Waste- Manufacturing Technology creates large amount of waste and used computers and electronics get thrown out when they break or become obsolete called techno trash. These electronics contains all sorts of

hazardous materials that are very unsafe for the environment. Toxic techno crash also called e-waste is any broken or unwanted electrical or electronic device and is currently the most rapidly growing kind of waste. Most electronics contain non-biodegradable materials and heavy metals like cadmium, lead and mercury and other toxic materials. Over time these toxic materials can leak into the ground and contaminate the drinking water and cause harm to the edible plants and animals that live around the area and may also end up in a landfill.

c. Carbon Emission- Mostly CO_2 and CO are greenhouse gases in the atmosphere that trap and reflect heat and radiation back to the planet's surface. Over the last century the amount of greenhouse gases in the atmosphere has increased due to carbon emissions and they are contributing to global warming.

d. Disrupting Ecology- Cleaning land where animals used to live to build factories and allowing pollution to contaminate the food chain can greatly affect the environmental natural cycles.

e. Health Hazards- Using toxic material that can harm the health of human being can cause cancer and other dangerous diseases

f. Technological Addiction- This has emerged as a new problem especially due to the COVID-19 pandemic where the students as well as employees have been using their screens for education and work purposes. This further leads to additional problems like obesity and carpal tunnel syndrome.

One should encourage manufacturing by choosing to buy more energy efficient and less hazardous electronics and support companies that make protection of the environment a priority.

2. Depletion of Natural Resources: Resources depletion is another negative impact of technology of the environment. It refers to the consumption of resource faster than it can be replenished. There are several types of resource depletions with the most severe being aquifer depletion, deforestation, mining to fossil fuels and minerals, contamination of resources, soil erosion and over-consumption of resources. These mainly occurs as a result of agriculture, mining, water usage and consumption of fossil fuels all of which have been enabled by advancement in technology.

Environmental Chemistry and Technology: Environmental chemistry can be extensively used to develop new analytical techniques to determine the presence of pollutants in several environmental spheres (water, soil and air) providing important support for environmental protection agencies. Environmental technologies also known as "green or clean technologies" refers to the application of environmental science in development of new technologies which aim to conserve, monitor or reduce the harm humans regularly cause to the environment while consuming the resources. Environmental chemistry examines the chemical and biological phenomenon that occur in the natural environment. The field of applications are very extensive ranging from-

1. Hydrogeochemistry- aqueous models to explain the chemical reaction and transport process in the natural and polluted water.
2. Atmospheric Chemistry- Assessment of environmental concentration of gaseous pollutants, trace elements and chemical speciation of atmospheric particulates.
3. Soil Chemistry and Remediation.
4. Environmental Geochemistry.
5. Monitoring Air Pollution Using New Technologies.
6. Alternative Energy Technologies.
7. Industrial Ecology and Green Chemistry.
8. Waste Minimization, Utilization and Treatment.

Conclusion: Technology has profoundly shaped society, the economy and environment. Sometimes people can get over excited about using a new technology, they can overlook the negative impact on the environment, but it is very important that the technology should be used in the smartest and the most responsible manner in such a way that is solves the problems rather than creating new ones for the future. The growth in human population and rising or deteoriating living standards due to use or misuse of technology are intensifying these problems. Evidence shows that irreversible environmental damage maybe inflicted on this fragile planet. However, knowledge gained by science and clever use of technology coupled with willingness and positive attitude can navigate a sustainable path to save the world from possible disasters.

References:-

1. C Nunez, *"Climate 101: Deforestation",* National Geographic (2019)
2. David Austin & Molly K Maculey, *"Cutting Through Environmental Issues: Technology as a Double-edged Sword"*, The Brookings Review 19(1), Pg. 24-27 (2001)
3. Halit Eren*"Impact of Technology on Environment",* Encyclopedia of Electrical Engineering 24(1), Art. 7703 (2002)
4. Hari Srinavas, *"Technology and Environment- Concept Note Series",* Ed. 07 (2015)
5. Peter Bisong & Sylvester Apologun, *"Technology can Save the Environment",* International Journal of Humanities, Management and Social Science 3(1), Pg. 11-19 (2020)
6. R Proudfoot & S Kelly, *"Can Technology Save the Planet",* WWF Org (2017)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Effect of Heavy Metals on Soil Fertility

Dr. Sadhna Goyal*

*Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Introduction - Pollution of the environment by heavy metal is normally associated with human activity of one kind or another. Heavy metals are elements having a density greater than 5 in their elemental form and comprise some 38 elements However the term usually, and here as well refers to 12 metals that are used and discharged by industry i.e., Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn and Zn. Heavy metals mostly find specific adsorption Sites in the soil where they are retained very strongly either on the inorganic or organic colloids. The heavy metals are widely distributed in the environment, in soils, in plants and animals in most of their tissues. The concentration of individual metals in living tissues are ordinarily very low and must be maintained within narrow limits to permit the optimum biological performance of most organisms, Some heavy metals are essential in trace amounts, Heavy metal contamination in agricultural soil may impart functional disorders of soils, retarded plant growth.

Namely Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn for plants in addition to being essential for either plant or animals. The main sources of these heavy metals are urban industrial aerosols, created by solid wastes from animals and men, mining wastes and industrial and agricultural chemicals. Heavy metals are present in all uncontaminated soils as the results of weathering from their parent materials. The concentration of the metals in the lithosphere and in soils are shown in Table.

Table I : Concentrations of Heavy metals (ì/g g-1 dry matters) in the lithosphere, and soil.

Metal	Litho sphere	Soil Range
Cd	0.2	0.01-0.7
Co	40	1-40
Cr	200	5-3000
Cu	70	2-100
Fe	50,000	7000-5,50,000
Hg	0.5	001-03
Mn	1000	100-4000
Mo	2-3	2-5
Ni	100	10-1000
pb	16	2-200
Sn	40	2-200
Zn	80	10-300

In agricultural soils, however, the concentration of one or more of these elements may be significantly increased in several ways (a) Agricultural chemicals, Fertilizers and Pesticides.

(i) Fertilizers are intended to fortify the soil for the raising of crops but incidentally may add heavy metals to the soil. To provide adequate N, P and K for crop growth, large quantities of these fertilizers are regularly being added to soil. The compounds used to supply their elements contain trace amounts of heavy metals as impurities which after continued fertilizer application may significantly increase their contents in the soil. Fertilizer – Nitrockhalk, calcium nitrate, Ammonium sulfate potassium chloride potassium sulfate Farm yard manure content heavy metals.

(ii) Aerial Emissions : All solid particles in smoke from fires and in other emissions from faction chimneys are eventually deposited on land or sea. Most forms of Factory fuel contain some heavy metals and this is, therefore, a from of contamination which has been continuing on a large scale since the industrial revolution began. Similarly, Industrial processes involving metal smelting and refining often result in large aerial inputs of heavy metals to neighboring soils and vegetation. For example, very high concentrations of Cd, Pb and Zn have been found in plants and soils adjacent to the smelting works. Another major source of aerial contamination is Pb that is emitted from the combustion of petrol containing tetraethyl lead, this contributes substantially to the content of Pb in soils in urban areas and in those adjacent to major roads zinc and Cd may also be added to soils adjacent to roads, the sources being tyres and lubricant oils.

(iii) Sewage and sludge: Sewage sludge, which contains valuable amounts of plant nutrients, may also contain potentially toxic heavy metals. The practice of adding sewage sludge to agricultural land is well established nowadays. No doubt, sludge is a useful and cheap source of N,P, K and It may also improve the physical condition of the soil. The rates of applications vary considerably but sludge is sometimes applied at 25 tonnes dry matter per hectare. Some heavy metals are also present in all sludges and will accumulate in soil over the years especially when

sludges from industrial areas are applied.

(iv) Other Inputs: The heavy metal contents of soils in a few areas may also be increased by the dumping of mine waste and of dredgings from givers and estuaries and use of contaminated irrigation water.

Behavior of Heavy metals in soils, organic matter can influence the solubility of heavy metals in soils in different ways. It can increase the solubility by forming soluble organic complexes but on the other hand the ability of organic matter to immobilize heavy metals has also been reported colloidal organic matter has strong affinity for heavy metal cations, and the retention of added metals is after well correlated with the amount of soil organic matter organic matter provides sites for cation exchange reactions, but its strong affinity for heavy metal cation is due to ligands or groups that form cheater and complexes with the metals. The functional groups include complexes with the metals. The functional groups include-COOH, phenolic, alcoholic and enolic – OH, and Carbonyl structures of various types. In general the stabilities of the complexes increase with increasing pH due to increased ionization of the functional groups. Amongst the metal cu++ forms very stable complexes over a wide range of pH.

Soil microorganisms are indeed affected by heavy metals as the result of a multiplicity of interactions that can occur between microbial cells, ions and other environmental constituents. It is already known that metal availability in the soil is limited by binding with humic substances as well as with clay particles and it finally depends on action exchange capacity. The clay minerals montmorillonite and kaolinite protect micro-organisms, including bacteria, action myceter and filamentous fungi from inhibitory effects of Cd and the protective ability of clays is correlated with their cation exchange capacity Biogeochemical cycles of Hg and Sn are for supported by microbial activity. The adverse effect of Cd added to soil was reflected in decreased microbial populations and depressed respiration rates, Cd and at a lower extent Zn and Pb were found to exhibit inhibition of growth of nematode trapping fungi.

Conclusion: Metal contamination of Soil can occur by a variety of processes but as a generalization, it can be stated that in areas of active aerial contamination of sewage, sludge disposal tends to show high concentration and contents in the upper layers of the soil profile. Areas in which contamination has resulted from mining, disturbed profilers are expected while mineralized areas show higher metal concentrations in both upper and lower levels of the soil profile.

Heavy metals in soils and the remediation potential of Bacteria Associated with the plant microbiome High concentrations of non essential heavy metals/metalloids (arsenic, cadmium, and lead) in soils and irrigation water represent a threat to the environment, food safety and human and animal health.

References:-

1. S.G. Mishra, Dinesh Mani Soil pollution 1991 pp 60-65 New Delhi
2. Anubha Kaushik – C.P. Kaushik Perspectives in Environmental studies 2016 PP 39 New age international publishers Delhi.
3. De. A.K. Environmental Chemistry. New Age International Ltd. New Delhi 1996
4. I son, S peake S and wall S Environmental Issues and policies prentice Hall 2002.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

कृषि वित्त में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदत्त कृषि ऋणों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. सपना सोनी* रामकन्या भिड़े **

*प्राध्यापक (वाणिज्य) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – बड़वानी जिला एक कृषि प्रधान जिला है। जिले की अर्थव्यवस्था मूलत: कृषि पर निर्भर है। जिले की लगभग 76 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर तथा कृषिकर कार्यो में लगी हुई है। अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार के विकास चाह वह सम्पूर्ण देश, राज्य, जिला अथवा ग्रामीण के संदर्भ में ही क्यों न अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र की राजनीतिक, प्रजातंत्रिक, औद्योगिक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत अर्थव्यवस्था पर टिकी होती है। प्राय: अर्थव्यवस्था कृषि व्यापार यातायात साधन, स्वरोजगार की स्थिति, संचार, विद्युत शक्ति, उर्जा संसाधन आदि महत्वपूर्ण घटकों पर आश्रित है व विकास के ये साधन क्षेत्र विशेष भी भौगोलिक संरचना से प्रभावित होते है।कृषि प्रधान जिले में कृषि वित्त के क्षेत्र में व्यवसाय की अपार सम्भावनाएं है। अधिकांश भूमि खेती योग्य एवं उपजाउ होने तथा जलवायु एवं मौसम के प्राय: अनुकूलन रहने के कारण कृषक रबी एवं खरीफ दोनों फसलों के माध्यम से उपज प्राप्त करते है। यही कारण है कि वर्ष पर्यन्त उनकी वित्तीय आवश्यकताएं बनी ही रहती है। जिले के तमाम कृषकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति किसी एक स्त्रोत से नही की जा सकती है। कृषक भी अपनी सुविधानुसार उपलब्ध विकल्पों में से किसी उचित विकल्प का चुनाव करता है। बड़वानी जिले के कृषि विकास के लिये पोषण में राष्ट्रीयकृत बैंक अग्रणी भूमिका निभा रही है। जिले के कृषकों का एक बड़ा भाग राष्ट्रीयकृत बैंकों से कृषि विकास एवं कृषि कार्यो के लिये ऋण लेता है।

उद्देश्य :

1. बड़वानी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थिति का अध्ययन करना।
2. बड़वानी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदत्त कृषि वितरण की स्थिति का मूल्यांकन करना।

परिकल्पना – बैंक द्वारा फसल ऋण योजना में अधिक ऋण वितरण किया गया।

शोध –शोध एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित हैं जिनके लिये वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 तक 5 वर्षो के समंकों को संकलित कर तालिका द्वारा प्रस्तुत एवं विश्लेषित किया गया है।

बैंकिंग व्यवस्था– अध्ययन क्षेत्र में विकास कार्य को सफलता पूर्वक संचालन हेतु कृषि क्षेत्रों में कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने तथा घरेलू बचतों को प्रोत्साहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करते है। साथ ही साथ यह बैंक लघु एवं बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करते है। बड़वानी जिलेंके ग्रामीण विकास के अतंर्गत निर्धारित लक्ष्य को उपलब्ध कराने में बैंक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे है। बैंकों के योगदान के अभाव में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकते, बड़वानी जिलें में विकास योजनाओं पर होने वाला व्यय केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के अतिरिक्त बैंकों के माध्यम से प्राप्त बचत के आधार पर ही किया जाता है। बड़वानी जिलें की अग्रणी बैंक (लीड बैंक) बैंक ऑफ इण्डिया है।

वर्तमान में बड़वानी जिले में कुल शाखाओं की संख्या 138 हैं। वाणिज्यिक बैंको की शाखाएं संख्या 46, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएं 42, जिला सहकारी बैंक शाखाएं 20, सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक की शाखाएं 14 कार्यरत् है। तथा आई सी आई सी बैंक की 3शाखाएं, आई डी बी डी बैंक शाखाएं 4, एक्सिस बैंक की शाखाएं 3, एच डी एफ सी बैंक शाखाएं 4, यष बैंक शाखाएं 1 एवं बैंक ऑफ राजस्थान की 1 शाखाएं जिले में कार्यरत् है। जिनमें बड़वानी जिलें में 56 राष्ट्रीयकृत तथा 36 ग्रामीण बैंक कार्यरत् है।

तालिका 1.0 : बड़वानी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखावार स्थिति

क्र.	बैंकों के नाम	शाखाओं की संख्या
1.	केनरा बैंक	02
2.	सेन्ट्रल बैंक	02
3.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	21
4.	पंजाब नेशनल बैंक	04
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा	08
6.	यूनियन बैंक	03
7.	बैंक ऑफ इण्डिया	12
8.	इण्डियन बैंक	01
9.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	04
10.	यूको बैंक	01
	योग	**58**

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बड़वानी जिलें में कुल 58 बैंक शाखायें कार्यरत् है। जिनमें सर्वाधिक शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 21 बैंक शाखाएं जिलें में कार्यरत् है।

बड़वानी जिले में राष्ट्रीकृत बैंकों की स्थिति –बड़वानी जिले के कृषि विकास में राष्ट्रीकृत बैंक का अमूल्य योगदान रहा है। वर्तमान में बड़वानी जिले में 10 राष्ट्रीकृत बैकें कार्यरत है। बड़वानी जिले की राष्ट्रीयकृत बैंक

एवं उनकी शाखाओं की स्थिति तालिका क्रमांक 1.0 में दर्शायी गई है।

बड़वानी जिले में वाणिज्यिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक तथा बैंक ऑफ बडोदा प्रमुख है। इन बैंकों द्वारा इनकी स्थापना के समय से ही कृषिगत कार्यो के लिये विभिन्न योजनओं के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किये गये है।

राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा प्रदत्त कृषि हेतु योजनाएं – राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा कृषि वित्त के लिए विभिन्न ऋण योजनाएँ लागू की गई है। आमतौर पर सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण योजनाएँ एवं प्रावधान समान होती है।

कृषि ऋणों को मूल रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है:

1. अल्पावधि ऋण
2. मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण

1. अल्पावधि ऋण –अल्पावधि ऋण नगदी उपलब्धता की कमी को पुरा करने अथवा वित्तीय समापन पर पूरक वित के रूप में दिया जाता हैं, यह राषि बैंक द्वारा यथा समय मंजूर किए जाने वाले मीयादी ऋण से परिकल्पित की जाती हैं। कम समय के लिये लिया गया ऋणअल्पावधि ऋण कहलाता हैं,वे सभी ऋण जिनका पुनर्भुगतान समय 36 माह से कम है, अल्पवधि ऋण कहलाता है। फसली ऋण का पुनर्भुगतान समय अधिकतम 18 माह है। निम्न ऋण अल्पावधि ऋण है:–

फसल ऋण –फसल ऋण को अल्पावधि ऋण के रूप भी जाना जाता हैं,मौसम कृषि संचालन फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिये जो उपाय अलग–अलग समय किये जाते हैं उन्हें मौसमी कृषि संचालन कहॉ जाता हैं किसानों को कृषि कार्यो

1. किसान क्रेडिट कार्ड
2. उत्पाद विपणन ऋण
3. पशु पालन गतिविधि हेतू कार्यशील पूंजी
4. डेयरी क्रेडिट
5. आढ़तिया प्लस

मध्यावधि ऋण –यह बैंक कुल उन्नत कृषि कार्यो के लिए मध्यावधि ऋण भी प्रदान करता है, जिसकी समय सीमा 15 माह से 5 वर्ष के मध्य होती है। इस ऋण का मुख्य उद्देश्य खेती की तकनीकी मे मूलभूत सुधार करना है अर्थात सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाने एवं मशीनीकरण करने के लिये मध्यवाधि ऋण मुख्य रूप से उपयोगी रहते है। मध्यावधि ऋण मुख्य रूप से दो अवधि के लिये होते है तीन साल और पाँच साल के लिये।वे सभी ऋण पुनर्भुगतान का समय 36 माह या अधिक मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण कहलाते है।

दीर्घावधि ऋण –कृषि की उन्नत कार्यो के लिए दीर्घावधि ऋणभी प्रदान करता है, जिसकी समय सीमा 3 से15 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जाता है। इस ऋण का मुख्य उद्देश्य खेती की तकनीकी मे मूलभूत छोटे और उद्यम डेहरी, कृषि वानिकी वृक्षारोपन, बागवानी, कृषि,लघु सिंचाई, भूमि विकास गतिविधियों, भेड़/बकरी विकास, पोल्ट्री विकास आदि के लिये अकधक समय के लिये दिये गये ऋण दीर्घावधि ऋण कहलाता हैं दीर्घावधि ऋण पुनर्वित्त की सीमा पात्र बैंक ऋण की 100 प्रतिषत तक होगा, जो प्रयोजन, निवेष का स्थान और पुनर्वित्त के लिए आवेदन कर रही बैंक षाखाओ पर निर्भर करता हैं।

निम्न सभी प्रकार के ऋण मियादी ऋण है जैसे :

1. कृषि उपकरण, मशीन, ट्रैक्टर, बैल, गाड़ी खरीदना।
2. सिंचाई के साधन हेतू ऋण देना।
3. भूमि को विकसित करके कृषि योग्य बनाना हेतू ऋण देना।
4. पशुपालन, भेड़/बकरी, मत्स्य पालन, सूअर पालन, डेयरी, फल वृक्ष एवं हेतू ऋण देना।
5. बायो गैस प्लान्ट कृषि, लीनिक लगाने हेतु ऋण देना।

सभी कृषि ऋणो को ओर दो भागो में वर्गीकृत किया जाता है:

1. प्रत्यक्ष कृषि ऋण
2. अप्रत्यक्ष कृषि ऋण

1. प्रत्यक्ष कृषि ऋण –जो ऋण सीधे किसान को मिलते है, प्रत्यक्ष कृषि ऋण कहलाते है। उदाहरणार्थ फसली ऋण, ट्रेक्टर ऋण, भैंस पालन, बैल खरीदने आदि हेतु ऋण।

2. अप्रत्यक्ष कृषि ऋण– जो ऋण सीधे किसान को न मिलकर किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को मिलते है ओर अंत में उस व्यक्ति/संस्था में किसान को ही फायदा होता है, ऐसे ऋण अप्रत्यक्ष कृषि ऋण कहलाते है। जैसे खाद विक्रेता, ट्रैक्टर/पम्पसेट विक्रेता को, सहकारी समिति को, राज्य विद्युत आदिद को ऋण देना राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदत्त कुछ प्रमुख ऋण योजनाओं का विस्तृत विवेचन किया गया है–

बड़वानी जिले में कृषि ऋण – भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को उन्नत एवं विकसित बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादनों को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। जिले के ग्रामीण आदिवासियों को मुख्य व्यवसाय भी कृषि ही है। लेकिन यह क्षेत्र वित्त के अभाव में पिछड़ी हुई अवस्था में है, इसे विकसित बनाने के लिए बड़ी मात्रा में वित्तिय साधन विभिन्न बैंकिंग कृषि क्षेत्र से ऋण स्त्रोतों से जुटाने की आवश्यकता है।

कृषि ऋण को दो प्रकार के होते है :

फसल ऋण –यह ऋण सभी किसानों को उनकी कृषि उपज में वृद्धि के उद्देश्य से आवयक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये प्रदान किये जाते है। इस ऋण का उद्देश्य प्रति एकड़ उत्पादकता एवं कुल उत्पादन में वृद्धि करना है। मुख्यत: ये ऋण अधिक उत्पादन देने वाले बीजों को क्रय करने आवश्यक मात्रा में खाद,जुताई और बुवाई, निराई, प्रत्यारोपन जहां आवश्यक के लिये भूमि की तैयारी, ऐसे बीजों, उर्वरकों एवं कीटाणुनाशक दवाइयाँ क्रय करने एवं मजदूरी का भुगतान करने के लिये प्रदान किए जाते है।

विभिन्न फसलों की कुल लागत का एक अनुमान लगाने के पश्चात् कुल लागत के 75 प्रतिशत तक की वित्त की पूर्ति राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत बीज, दवाई तथा उर्वरक के लिए स्वीकृत ऋण प्रत्यक्ष रूप से कृषक को न देकर विक्रेता को इस शर्त के साथ दिया जाता है। कि बैंक द्वारा भुगतान के तुरन्त पश्चात् वह कृषक को आवश्यक सामग्री की पूर्ति कर देगा।

सावधि ऋण योजना –किसानों को 18 माह तक की भुगतान सीमा वाले ऋण कृषि कार्यो के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए सावधि ऋण उपलब्ध किया जाता है, इनहें सावधि ऋण या निवेष ऋण के रूप में 15 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता हैं यह ऋणकृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिये आधुनिक यंत्रों का प्रर्याप्त प्रयोग उत्पादन में करने की दृष्टि से ट्रैक्टर, थ्रेसर व अन्य उपकरण क्रय करने के लिये बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है। इसी प्रकार कृषि भूमि को समतल करने के यंत्र, कटाई मशीन, गहराई करने की मशीने, पैराई करने की मशीन डेहरी, कृषि वानिकी

वृक्षारोपन, बागवानी, कृषि,लघु सिंचाई, भूमि विकास गतिविधियों, भेड़/बकरी विकास, पोल्ट्री विकास आदि के लिये राष्ट्रीयकृत बैकों द्वारा सावधि ऋण स्वीकृत किया जाता हैं

फसल पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण हेतु खेत में ही मकान बनाने हेतु बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता हैं कृषक ऋण के लिये योजना व्यय का अनुमानित विवरण प्रस्तुत करता है। बैंक इस प्रकार के ऋण में कुल व्यय का 50 प्रतिशत तक राशि ऋण के रूप में स्वीकृत करता है। शेष 50 प्रतिशत राशि कृषक अपने स्वयं के साधनों से जुटाता है। ये ऋण अधिक से अधिक तीन वर्ष से लेकर सात वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किये जाते है।

बड़वानी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि ऋण वितरण की स्थिति – बड़वानी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से कृषकों को वित्त उपलब्ध करा रही है। विगत 6 वर्षो में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा फसल ऋण एवं कृषि सावधि ऋणों की स्थिति को तालिका माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा हैं जो निम्नानूसार है:-

तालिका क्रमांक 1.1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

स्पष्ट है कि बड़वानी जिले मे वर्ष 2015 -16 में उपलब्धि का प्रतिशत 107.26 क्रमांक 1.1से स्पष्ट है कि बड़वानी जिले मे वर्ष 2015 -16 में उपलब्धि का प्रतिशत 107.26% 6 वर्षो में अधिक रहा। वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 में लक्ष्य क्रमश: 84765, 100401, 101575, 138422, 124238, 145500 लाख रूपये थे। लक्ष्यो में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही। वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21की उपलब्धि फसल ऋणों में क्रमश: 90920, 98765, 93040, 111935, 99420, 77781 लाख रूपये रही उपलब्धि 6 वर्षो में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। वर्ष 2020-21 में उपलब्धि का प्रतिशत 6 वर्षो में सबसे न्यूनतम 53.45% रहा। राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा कृषि सावधि ऋण में उपलब्धि का प्रतिशत सर्वाधिक वर्ष 2019-20 में 24.73% रहा।

वर्ष 2015-16, से 2020-21में लक्ष्य क्रमश: 40207, 46342, 43245, 57670, 47687, 51463 लाख रूपये रही। स्पष्ट है कि 6 वर्षो मेंकृषि सावधि ऋणलक्ष्यों में कमी एवं वृद्धि की प्रवृत्ति रही। वर्ष 2020-21में उपलब्धि 196963 लाख रूपये, वर्ष 2017-18 में यह घटकर 144820 लाख रूपये हो गई। 6 वर्षो में उपलब्धि में कमी एव वृद्धि की प्रवृत्ति रही।

स्पष्ट है कि 6 वर्षो में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि ऋणों में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही। वर्ष 2015-16, में उपलब्धि 124972 लाख रूपये रही। उपलब्धि में 6 वर्षो में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल कृषि ऋण में उपलब्धि का सर्वाधिक रहा । प्रतिशत वर्ष 2015-16, में 77.25%सर्वाधिक रहा व 2020-21 44.50%, न्यूनतम रहा।राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल कृषि ऋणों में फसल ऋण का प्रतिशत, कृषि सावधि ऋणों की तुलना में अधिक था।

परिकल्पना की जॉंच व निष्कर्ष –समंकों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिले में फसल ऋण वितरण में राष्ट्रीकृत बैंको द्वारा अधिक ऋण वितरण किया गया हैं। परिकल्पना सत्य हुई है। जिले के समुचित कृषि विकास के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों को सवाधि ऋणों पर भी ध्यान देना होगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सावधि ऋण वितरण में वृद्धि करने एवं कृषकों को सावधि ऋण लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु प्रमुख सुझाव निम्नानुसार है :-

1. बैंकों द्वारा केन्द्रीय कृषि यंत्रीकरण संस्थान, भोपाल द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों में से कम से कम दो यंत्र खरीदने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे ट्रैक्टर का समुचित इस्तेमाल हो सके।
2. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रतनजोत एवं बांस की मॉडल स्कीम बैंकों को दी गई है। बैंकों को इन मॉडल स्कीम का लाभ लेकर ऋण स्वीकृत करना चाहिए। वानिकी एव बंजर भूमि विकास के लिए बैंकों द्वारा कार्यशाला आयोजित करना चाहिए।
3. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण भण्डारण, शीत गृह निर्माण, रेग्युलेटेड मार्केट आदि की मॉडल स्कीम सभी बैंकों को उपलब्ध कराई गई। इस हेतु बैंकों को तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति करनी चाहिए। ताकि कृषकों में गोदाम, मार्केट यार्ड एवं शीत भण्डारण के लिये वित्त पोषण के प्रति रूझान पैदा हो सके।
4. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीकृत बैंकों को कृषि पंजीकरण, बागान एवं बागवानी, डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, भण्डार गोदाम, विपणन केन्द्र, भूमि विकास, लघु सिंचाई आदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषण बढ़ाने के लिये करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रो. डी. एन. घोष Banking policy in India एलाइट पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1994।
2. साख योजना, अग्रणी बैंक कार्यालय , बड़वानी 2016-17 से 2020-21तक
3. सम्भाव्यतायुक्त ऋण योजना 2015-22, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास
4. केन्द्र मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।

तालिका क्रमांक 1.1: बड़वानी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि वितरण की स्थिति

वर्ष	फसल ऋण			कृषि सावधि ऋण			कुल कृषि ऋण		
	लक्ष्य राशि	उपलब्धि राशि	प्रतिशत	लक्ष्य राशि	उपलब्धि राशि	प्रतिशत	लक्ष्य राशि	उपलब्धि राशि	प्रतिशत
2015-16	84765	90920	107.26	40207	5622	13.98	124972	96542	77.25
2016-17	100401	98765	98.37	46342	4975	10.73	146743	103470	70.51
2017-18	101575	93040	91.59	43245	4585	10.60	144820	9765	67.41
2018-19	138422	111935	80.86	57670	6097	10.57	196092	118032	60.19
2019-20	124338	99420	79.95	47687	11793	24.73	172025	111213	64.64
2020-21	145500	77781	53.45	51463	9880	19.19	196963	87661	44.50

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

बाल यौन शोषण के लक्षण एवं पीड़ित बालक पर यौन शोषण का प्रभाव

मनीषा पटेल *

* रिसर्च स्कॉलर, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – संस्कृति भारतीय विभिन्न विचारधाराओं, पंथों और मतों का अद्भुत मेल है। यह विविधता में एकता का अद्धितीय लक्षण है। सदियों से हमारी संस्कृति ने एक आदर्श समाज की संकल्पना को विरासत में संजोया हुआ है। भारतीय संस्कृति में ऐसे रीति रिवाज एवं प्रथाएं मौजूद है जो नैतिक मानव मूल्यों के लिए अत्यंत आवश्यक प्रतीत होती है। लेकिन यह अत्यंत दुख की बात है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण सदियों से संजोई हुई, भारतीय संस्कृति के आदर्श समाज की संकल्पना एवम अपना नैतिक मूल्य खोती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं। गिरते हुए नैतिक मूल्यों के कारण आज समाज में गलत करते हुए भी शर्म महसूस ना होना, बड़ों के प्रति आदर-सम्मान में कमी, अपराध करने से भय ना होना आदि ऐसे अनगिनत कारण है जिसके कारण वर्तमान समाज में दिन-प्रतिदिन अपराधों में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में अपराध अपनी चरम सीमा पार कर मासूम बालकों तक पहुंच आ चुका है और हृदय में उस समय सर्वाधिक घृणा एवं ग्लानि महसूस होती है, जब एक अबोध मासूम बालक के साथ यौनाचार किया जाता है।

बाल यौन शोषण शोषण क्या है?

बालकों के विरुद्ध अनेक अपराध घटित होते हैं जैसे बलात्कार, बाल विवाह, अपहरण, शिशुओं की खरीद-फरोख्त, कन्या भ्रूण हत्या, बाल मजदूरी आदि। बाल विवाह नाबालिक लड़कियों के यौन शोषण का एक माध्यम बन चुका है। यौन शोषण में बालकों के साथ ना केवल अप्राकृतिक मैथुन बलात्कार किया जाता है अपितु इन्हें अश्लील फिल्म देखने के लिए बाध्य करना, इनके साथ अश्लील व्यवहार कर उसका वीडियो बनाना, किसी बच्चे को गलत तरीके से छूना, बालक के प्राइवेट पार्ट को छूना, तथा यौन उत्तोजना को पूरा करने के लिए बालक के साथ किए गए सभी अश्लील कृत्य इसके अंतर्गत शामिल हैं। यहां यह स्पष्ट कर दिया जाना आवश्यक है कि बालक शब्द के अंतर्गत वे सभी लड़के तथा लड़कियां शामिल हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे कम है अर्थात लड़के तथा लड़कियां दोनों ही यौन शोषण का शिकार हो सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए यह खतरा लड़कों की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा होता है।

यौन शोषण शोषण के शिकार बच्चों में पाए जाने वाले लक्षण- जब भी कोई व्यक्ति किसी बालक का यौन शोषण करता है तो, वह बच्चों को चुप कराने के लिए या तो उन्हें किसी वस्तु का लालच देते हैं या फिर बच्चों से यह भी कह देते हैं कि उनकी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा। सामान्यत: बच्चे अपने परिवार में या दोस्तों से यौन उत्पीड़न के बारे में बात करने से, डांट या मार के डर से घबराते हैं या फिर उन्हें यह लगता है कि इन सब में उनकी ही गलती है या शोषण करने वाला उन्हें यह समझाने में सफल हो जाता है कि यह सामान्य बात है या कोई खेल है। यौन शोषण का शिकार बच्चा, शोषण करने वालों की ही चिंता करने लगता है और उनकी बातों में फंसकर यह सब चुपचाप बर्दाश्त करने लगता है।

कोई बालक यौन हिंसा का शिकार है इस बात का पता कैसे करेंगे? यह जानने से पहले यहां एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, जिसके माध्यम से उन लक्षणों के बारे में जाना जा सकता है जो एक यौन शोषण से पीड़ित बालक में पाए जाते हैं।

एक 12 वर्षीय लड़की अपने माता-पिता के साथ रहती थी। लड़की की मां प्राइवेट काम करती थी, जो रोज सुबह 9:00 बजे अपने घर से निकल जाती थी और शाम को 7:00 बजे घर वापस आती थी। लड़की के पिता की स्वयं की दुकान थी और वह भी रोज सुबह 10:00 बजे घर से दुकान के लिए निकल जाते थे और रोज रात में 10:00 या 11:00 बजे घर पहुंचते थे। लड़की भी रोज सुबह 8:00 बजे स्कूल चली जाती थी और दोपहर में 1:00 बजे घर वापस आती थी। लड़की की स्कूल से आए दिन उसके द्वारा ठीक से क्लास अटेंड ना करने, क्लास के बीच में सो जाने, होमवर्क ना करने की शिकायतें, उसकी मां के पास आती रहती थी। जब भी लड़की की मां काम से घर वापस आती थी तो, लड़की के हाथ अक्सर ब्लेड से कटे मिलते थे और बच्ची से मां के द्वारा पूछने पर वह मां से कहती थी कि ब्लेड से पेंसिल छीलते समय उसका हाथ कट जाता है। जब भी पिता लड़की से कहते कि स्कूल से तुम्हारी बहुत शिकायतें आती हैं अब से मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो बच्ची माफी मांग कर पिता से पढ़ने के लिए मना कर देती थी। माता-पिता द्वारा लड़की को उसकी हर एक गलती पर तथा स्कूल से शिकायते आने पर डांटना-मारना लगातार बना रहता था। बच्ची हमेशा गुमसुम रहती थी तथा जब भी कोई उससे उदास रहने की वजह पूछता था तो वह बहुत रोने लगती थी।

यह घटना पूर्णत: सत्यता पर आधारित है। हमारे आसपास ऐसे अनेक बच्चे हैं जो बिल्कुल इस बच्ची के जैसा व्यवहार करते हैं। हम उन लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो एक यौन शोषण से पीड़ित बालक में पाए जाते हैं।

(1) घर तथा स्कूल में पढ़ने-लिखने में समस्या-यौन शोषण से पीड़ित बच्चे की एकाग्रता में समस्या आने लगती है। उनके द्वारा होमवर्क ना करना या क्लास में ठीक से पढ़ाई ना करना, क्लास के बीच में ही सो जाना, उनके रिजल्ट में गिरावट आना, स्कूल से लगातार शिकायतें मिलने लगती है।

(2) शारिरिक चोट एवम स्वास्थ्य संबंधी समस्या -शोषण से पीड़ित

बच्चे में आए दिन चोट के निशान दिखाई देना, बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होना, जैसे- उनके योनि या गुदा के आसपास दर्द लालिमा, यौन संचारित करने में संक्रमण या बच्ची का गर्भवती हो जाना।

(3) व्यवहार में परिवर्तन-यौन उत्पीड़न से पीड़ित बच्चे का व्यवहार आक्रमक और असुरक्षित हो जाता है तथा वे सोते वक्त परेशान रहते हैं और बिस्तर में पेशाब भी कर सकते हैं। अकेले में रहने से डरते हैं, गुमसुम रहते हैं, तथा कुछ पूछने पर रोना या डरना स्वाभाविक है।

(4) किसी व्यक्ति विशेष/शोषण करने वालों से बचने की कोशिश- अचानक बच्चा किसी व्यक्ति विशेष को नापसंद करने लगता है, उसके घर जाने से बचता है, उस व्यक्ति विशेष के साथ अकेले रहने या कहीं जाने से बचता है, उस व्यक्ति से डरता है, आदि।

(5) अनुचित यौन व्यवहार-दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे असामान्य रूप से यौन- व्यवहार कर सकते हैं। यौन संबंधी शब्दों का स्पष्ट रूप से इस्तेमाल करने लगते हैं।

(6) सांकेतिक भाषा का उपयोग-यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चे उनके साथ हो रहे यौन शोषण के बारे में सीधे ना बताकर संकेतों या सुराग के माध्यम से बता सकते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है।

यौन शोषण का पीड़ित बालक पर पड़ने वाला प्रभाव -यौन शोषण से, बालकों में लंबे एवम दीर्घ अवधि तक गंभीर रूप से शारीरिक व मानसिक आघात पहुंचता है। ऐसे बालकों में निराशा, पीड़ा, आत्मसम्मान में कमी आदि विकृतियां पनपने लगती है, जिससे बालकों में मानसिक संताप उत्पन्न होता है और ऐसे बालक अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं या अन्य अपराधों का शिकार हो जाते हैं। यौन उत्पीड़न से पीड़ित बालक ड्रग्स और अल्कोहल आदि के भी आदी हो सकते हैं तथा कम उम्र में आत्महत्या कर लेते हैं। यौन शौषण से पीड़ित बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं भी हो सकती है। लंबे समय तक यदि किसी बच्चे के साथ यौन शोषण होता है तो ऐसे बच्चे में अवसाद, चिंता, भोजन विकास एवं पोस्ट ट्रामेटिक डिसऑर्डर अर्थात खौफनाक या डरा देने वाले अनुभव की यादों से होने वाली समस्याएं (पी.टी.एस.डी) की संभावना अधिक होती है।

बाल यौन पोषण शोषण कौन करता है?

किसी भी बालक के मन पर उसके परिचित, रिश्तेदार, जान-पहचान वाले, आसपास रहने वाले, शिक्षक आदि का विशेष प्रभाव होता है। यही सब लोग बालकों के कोमल मन को प्रभावित कर उसका यौन शोषण करते हैं। बालकों के मन पर अपना प्रभाव रखने वाले अधिकतर लोग बालकों के साथ अपनी यौन इच्छा, यौन पिपासा को तृप्त करते हैं।बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति कोई भी वयस्क,किशोर या खुद बच्चा हो सकता है। बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले ज्यादातर पुरुष होते हैं,परंतु कभी-कभी महिला द्वारा भी बच्चों को यौन हिंसा का शिकार बनाया जा सकता है। 40 फीसदी यौन उत्पीड़न किसी अधिकतम उम्र के पुरुष या नौजवानों द्वारा किया जाता है। 10 में से 9 बच्चे उत्पीड़न का शिकार अपने जानकार या जाने वालों से होते हैं। शोषण करने वाला व्यक्ति बच्चों को खास तवज्जो देता है। उन्हें उपहार, दावत, सैर सपाटा कराना, उनके साथ अकेले रहने का मौका तलाश रहता है।

बाल यौन शोषण की रिपोर्ट -यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि कोई बालक यौन हिंसा का शिकार हो रहा है या उसके साथ यौन शोषण होने की संभावना है तो वह व्यक्ति, पुलिस थाने या चाइल्ड लाइन में अपराध घटित होने या घटित होने की संभावना की जानकारी दे सकता है। पीड़ित बालक द्वारा भी स्वयं थाने जाकर या चाइल्ड लाइन में उसके साथ हुए यौन अपराध के बारे में सूचना दी जा सकती है। यदि किसी डॉक्टर को यह संभावना है कि उसके पास इलाज के लिए आए बालक के साथ यौन शोषण हुआ है तो डॉक्टर का यह दायित्व है कि वह इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।

उपसंहार-देश में हाल ही में बालकों के साथ हो रहे यौन अपराधों में मानवीय मानसिकता दर्शाने वाले अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है। बालक,उनकी अल्पवयस्कता तथा शारीरिक दुर्बलता तथा जीवन और समाज का अनुभव नहीं होने कारण आसानी से शिकार बन जाते हैं। ऐसे बालक जो अपने बचपन में यौन हिंसा का शिकार हो जाते हैं उनका शेष जीवन में और अधिक दुरुपयोग होता है। वर्ष 2016 की राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 की बजाय 2013 में 44.7% वृद्धि और 2013 की बजाय 2014 में 178.6% की वृद्धि हुई है और इसके पश्चात से इन अपराधो मे गुणोत्तार बढ़ोत्तारी होती जा रही है क्योंकि देश में बाल यौन अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की सख्त आवश्यकता थी इसलिए वर्ष 2012 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लाया गया जिससे अपराधकर्ता को भयोपरात किया जा सके और सभी बालको का संरक्षण, सुरक्षा और गौरवपूर्ण बचपन सुनिश्चित किया जा सके। शासन द्वारा बालको के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं परंतु शासन के साथ-साथ सामाजिक रूप से सभी नागरिकों का यह दायित्व एवं कर्तव्य है कि वह अपने घर परिवार, आस-पड़ोस तथा समाज में रहने वाले सभी बालको की देखभाल कर, उन्हे सुरक्षित रखे तथा यदि उनके विरुद्ध किसी भी यौन अपराध होने की जानकारी मिलती है या बच्चों में ऐसे कोई लक्षण पाए जाते हैं जिससे यह ज्ञात हो सके कि वह बालक यौन शोषण का शिकार हो रहा है तो वह व्यक्ति ऐसे अपराधों की जानकारी तुरंत ही चाइल्डलाइन या पुलिस थाने में दे, ताकि बालकों का बचपन सुरक्षित किया जा सके और उन्हें एक खुशहाल जीवन मिल सके क्योंकि बालक ही कल का भविष्य हैं और उन्हीं के द्वारा एक स्वस्थ समाज का आगे चलकर निर्माण होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. देवेंद्र बागड़ी: लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012-पब्लिकेशन- इंडिया लॉ हाउस इंदौर।
2. https://www.livehealthily.com/hi-in/sexual-abuse-assault/abuse-child-sexual-abuse
3. https://www.bbc.com/hindi/india-42870571

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

अभिज्ञानशाकुन्तल में रस निरुपण - एक समीक्षा

डॉ. नलिनी तिलकर *

* सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) शासकीय माधव कला एवम् वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है, वही काव्य में रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है, वह रस का स्थायी भाव होता है।

रस का शाब्दिक अर्थ है - निचोड़। काव्य में जो आनन्द आता है वह ही काव्य का रस है। काव्य में आनें वाला आनन्द अर्थात् रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। 'रसात्मकम् वाक्यम् काव्यम्' अर्थात् रसयुक्त वाक्य ही काव्य है।

'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रस निष्पत्ति:।' [1]

नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुये कहा है।

अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होतीहै। विश्व-साहित्य के नाटकमणि अभिज्ञान शाकुन्तल के प्रणेता कवि-शिरोमणि कालिदास रससिद्ध कवि हैं।

अत: नाटक के तृतीय तत्व रस का शाकुन्तल में अच्छा परिपाक हुआ है। शाकुन्तल का अंगी रस श्रृंगार है। श्रृंगार के सम्भोग और विप्रलम्भ दोनों पक्षों का सुन्दर परिपाक इस नाटक का प्राण है। नायक अथवा नायिका के हृदय में प्रेम का आविर्भाव गुण श्रवण अथवा रूप दर्शन आदि से होता है। यही साक्षात् दर्शन ही प्रेमोदय का कारण है।

राजा दुष्यन्त की गंभीर आकृति और मधुर भाषण से शकुन्तला के हृदय में प्रेम-विकार उत्पन्न होता है और शकुन्तला के अपूर्व सौन्दर्य का अवलोकन करके राजा दुष्यन्त प्रेमाभिभूत होते हैं। कवि ने उसके नैसर्गिक सौन्दर्य का कितना मनोरम वर्णन किया है :-

'अधर: किसलयराग: कोमलविटपानुकारिणौ बाहू।
कुसुमभिव लोभलीयं यौवनपंक्डे.पु सन्नद्धम्।।' [2]

'नवीन पल्लव के समान रक्तिम अधर है, कोमल तरू-शाखाओं सदृश भुजायें हैं तथा पूष्प के समान लुभानेवाला यौवन समस्त अंगों में व्याप्त है।' यह सौन्दर्य राजा के हृदय में प्रेम का आविर्भाव करके इस प्रकार समा गया कि विरह-काल में चित्रविनोद के लिए जब उसका चित्राङ्क्.न किया गया तो वह और भी खिल उठता है। राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला का जो चित्र खींचा है, उसके सौन्दर्य का अवलोकन इस प्रकार किया है :-

'दीर्घापाङ्गविसारिनेत्रयुगलं लीलाञ्चितभ्रूलतं
दन्तान्त: परिकीर्णहासकिरणज्योत्स्नाविलिप्ता धरम्।
ककन्धूद्युतिपाटलोष्ठरूचिरं तस्यास्तदेतन्मुखं
चित्रेदृष्टयालपतीव विभ्रमलसत्प्रोभिन्नकान्ति द्रवम्।।' [3]

'विस्तृत प्रान्त भागों सहित विशाल नेत्र तथा विलास के कारण भ्रूलता सुशोभित है। दन्तो के मध्य से विकीर्ण होती हुई स्मिति की किरणोरूपी ज्योत्सना से अधर कान्तिमान है तथा पक्व बदरीफल के समान रक्तवर्ण ओष्ठ अति सुन्दर है। उसका यह चित्रस्थ मुख भी विभ्रम से सुशोभित होता हुआ बातें सी कर रहा है और उसकी कान्ति द्रवित होकर सुशोभित हो रही है।'

शकुन्तला का यह नैसर्गिक, अलंकारविहीन एवं अभूतपूर्व सौन्दर्य राजा दुष्यन्त को अभिभूत कर देता है और भ्रमर-बाधा से उत्पन्न उसकी शारिरिक चेष्टायें उनकी रतिभावना को अधिक उद्दीप्त कर देती है। राजा उनसे प्रभावित होकर कहता है :-

'लीलांदृष्टिमितस्ततो वितनुतें सभ्रूलताविभ्रमाम्,
आभुग्नेन विनर्त्तिता वलियता मध्येन कम्रस्तनी।
हस्ताग्रं विधुनोति पल्लवनिभं शीत्कारभिन्नाधरा,
जातेयं भ्रमराभिलड.धनभिया वाद्यैर्विना नर्त्तकी।।' [4]

ययह शोभन स्तनोवाली शकुन्तला भ्रूविलास के साथ अपनी चंचल दृष्टि की चतुर्दिक घुमा रही है, कुछ वक्र एवं त्रिवली-तरंगमय मध्यभाग है तथा अपने अधरोष्ठ को अलग-अलग करती हुई सीत्कार कर रही है। इससे प्रतीत होता है कि भ्रमर के काटने के भय से बिना बाद्यों के ही नर्तकी बन गयी है।

दुष्यन्त को प्रेमविभोर करने के निमित्त शकुन्तला को विलास रहित अकृत्रिम किन्तु मधुर एवं आकर्षक चेष्टायें ही पर्याप्त थी। कवि ने अत्यन्त स्वाभाविक रूप से प्रेमोदय का चित्रण किया है। इसी भाँति शकुन्तला का आकर्षण भी क्रमश: विस्तार प्राप्त करता है और सखियों का परिहास उसके प्रेम को उद्दीप्त करता है। दुष्यन्त के समीप से जाते समय उसकी चेष्टाएँ हाव के अन्तर्गत आयेगी, जबकि वह कुश के पैर में लगने तथा वस्त्र के काँटों में उलझने के व्याज से साभिलाष नेत्रों से दुष्यन्त की ओर देखती है। उसकी ये चेष्टाएँ केवल संयोग के समय ही उद्दीपन का कार्य नहीं करती अपितु वियोग के समय दुष्यन्त के स्मृतिपटल पर आविर्भूत होकर उनकी विरह ज्वाला को और भी उद्दीप्त कर देती है। दुष्यन्त उनका स्मरण करते हुए इस प्रकार कहते हैं :-

'दर्भाड्.कुरेण चरण: क्षत इत्यकाण्डे
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा।
आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती
शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमागाम्।।' [5]

दुष्यन्त और शकुन्तला जब एक दूसरे के प्रति पूर्णत: आकर्षित हो

जाते हैं और उनके हृदय प्रेमवृन्त के आलबाल हो जाते हैं, तो कालिदास ने उनका मिलन करा दिया है और उनक विलास का मधुर वर्णन करके संभोग श्रृंगार की स्त्रोतस्विनी प्रवाहित की है। शकुन्तला का कुञ्ज से एक बार बाहर जाना पुन: उत्कण्ठित और दर्शनोत्सुक हृदय लेकर मृणालवलय को लेने के व्याज से आना और दुष्यन्त द्वारा अपने हाथों से उसको मृणालवलय, पुष्पहार आदि पहनाना और उसके नेत्रों को स्वच्छ करना आदि चेष्टाओं के वर्णन में श्रृंगार की सरसता और कालिदास की सहृदयता की मधुर व्यञ्जना हुई है।

विप्रलम्भ श्रृंगार का वर्णन करके कवि ने गुरुजनों की आज्ञा के बिना सहसा किये गये वासनामय प्रेम को दाम्पत्य प्रेम की पावनता प्रदान की है। शकुन्तला के प्रत्याख्यान और दुष्यन्त के पश्चाताप से दोनों का कलुष धुल जाता है और भरत के रूप में उस प्रेम का फल पाकर दोनों ही धन्य हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन की सरस सफलता के उल्लास में सामाजिक भी मग्न हो जाता है। कालिदास ने शकुन्तला के विरह का वर्णन समास शैली में किया है। सूक्ष्म शब्दों में विरह की महान् वेदना को भर देने में ही कवि का कौशल है। प्रियतम के ध्यान में मग्न शकुन्तला को ऋषि दुर्वासा के आतिथ्य और शाप आदि का किञ्चित मात्र भी भान नहीं है। इसी से उसकी विरह वेदना का अनुमान किया जा सकता है। विरह के समय समस्त शीतलताप्रदायिका वस्तुएँ पीड़ाजनक होती है, तभी तो शकुन्तला कहती है –

'तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो:
द्वयमिदमयथार्थं दृश्यते मद्विधेषु।
विसृजति हिमगर्भैरग्निमिन्दुर्मयूखै:
त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोषि।।' [6]

हे कामदेव, तुम्हारा कुसुमायुध होना तथा चन्द्रमा को शीतरमि कहा जाना, ये दोनों बातें मुझे जैसो के लिए यथार्थ नहीं है। क्योंकि चन्द्रमा अपनी हिममयी किरणो से अग्नि की वर्षा करता है और तुम अपने पुष्प बाणों को वज्र की भाँति तीक्ष्ण बना रहे हो।

राजा दुष्यन्त की विरहवेदना इससे भी तीव्र है। उसमें विरह – ताप के साथ निरपराध पत्नी को अज्ञानावस्था में त्यागने का परिताप भी सम्मिलित है। इसी से राजा की विरह – वेदना उन्माद की अवस्था तक पहुँच जाती है। वह चित्रस्थ शाकुन्तला की भ्रमर – बाधा को वास्तविक समझकर भ्रमर को मारने के निमित्त झपट पड़ता है, तब माढव्य उसे सचेत करता है वैसे भी दुष्यन्त की दषा विरह के कारण इस प्रकार की है –

'प्रत्यादिष्टविशेषमंडनविधिर्वामप्रकोश्ठे श्लथं
विभ्रत् काञ्चनमेकमेव वलयं श्वासापरक्ताधर:।
चिन्ताजागरणप्रताम्रनयनस्तेजोगुणैरात्मन:
संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि नालक्ष्यते।।' [7]

'राजा ने विशेष प्रकार के अलंकार धारण करना बन्द कर दिया है, केवल बाई भुजा में एक ढीला–ढाला स्वर्ण वलय पड़ा है, निरन्तर ठण्डी श्वास लेने से अधर मलिन पड़ गये है और चिन्तावा जागते रहने से नेत्र लाल हो गये हैं। इस प्रकार क्षीण होने पर भी अपने तेज के गुणों के कारण एक विशुद्ध मणि की भांति शोक लक्षित नही होता।' किस कौशल से कवि ने राजा दुष्यन्त की विरह–व्यथा और नृपोचित मर्यादा एवं तेजस्विता की एक साथ व्यंजना की है।

इस प्रकार कालिदास का सम्भोग एवं विप्रलम्भ श्रृगांर का वर्णन अत्यन्त सफल हुआ है।

कालिदास वासानात्मक प्रेम में विश्वास नहीं करते, वे पवित्र दाम्पत्य प्रेम के समर्थक हैं, जिसकी परिणिति सन्तानोत्पत्ति में होती है। कालिदास उस प्रेम के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं, जो दाम्पत्य जीवन में सरसता और आनन्द की ही सृष्टि नहीं करता अपितु मंगल का भी विधान करता है और ऐसा प्रेम पूर्व जन्म के संस्कारों का ही परिणाम होता है।

'रम्याणि वीक्ष्य मधरांश्च निशम्य शब्दान्
पर्युत्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तु।
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि।।' [8]

श्रृगांर रस के अनन्तर द्वितीय स्थान इस नाटक में करूण रस को दिया गया है। शाकुन्तल का चतुर्थ अंक करूण रस से ओत –प्रोत है। लताओ का भगिनी, मृगछौनो की रक्षिका एवं आश्रम के पशु–पक्षियों की सहेली शाकुन्तलाश उन्हें सदैव के लिए त्यागकर पतिगृह जा रही है। इसलिए समस्त तपोवन में करूणा की छाया सी भासित होती है।अनसुइया और प्रियम्वदा के हृदय में प्रसन्नता, चिन्ता और वेदना का संगम हो रहा है, जिससे उन्हें महान् पीड़ा है और ऋषि कण्व का संचित वात्सल्य आज उमड़ आया है और वे भी शकुन्तला के वियोग की सम्भावना से व्यथित हो उठते हैं।

'यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया
कण्ठस्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्।
वैक्लव्य मम तावदीदृशमपि स्नेहादरण्यौकस:
पीडयन्ते गृहिण: कथं नु तनयाविश्लेषदु::खैर्नवै:।।' [9]

'आज शाकुन्तला जायेगी, इसी भावना के जनित विषाद ने हृदय पर अधिकार कर लिया है। कण्ठ अवरूद्ध हो गया है, अश्रुओं के प्रवाह और चिन्ता से दृष्टि मन्द पड़ गई है। स्नेह के कारण जब मुझ वनवासी की यह अवस्था है तो पुत्री के नवीन वियोग – दुख से गृहस्थ क्यो न दुखी होते होगे।'

शाकुन्तल में वात्सल्य रस का आनन्द भी अन्तिम अंक में प्राप्त होता है। सिंह – शावको से क्रीड़ा करते हुए सर्वदमन को देखकर दुष्यन्त के हृदय में वात्सल्य हिलोरें लेने लगता है। वे अकारण हँसी से यदा – कदा दिखाई देनेवाले नवीन दॉतो से युक्त मुखवाले, तोतली भाषा में अव्यक्त मनोहर वाणी का उच्चारण करनेवाले शिशु को गोद में लेकर अपने वस्त्रों को धूल से दूषित करना सौभाग्य का विषय मानते हैं –

'आलक्ष्य दन्तमुकुलाननिमित्तहासैख्यक्तवर्णरमणीयवच: प्रवृत्तीन्।
अंड्क्काश्रयप्रणयिनस्तनयान् वहन्तो
धन्यास्तदड.करजसाकलुषीभवन्ति।।' [10]

प्रथम अंक में दुष्यन्त के बाण से भयभीत मृग के भागने के वर्णन में भयानक रस, शाकुन्तला के आकस्मिक रूप से लुप्त होने तथा मातलि द्वारा विदूषक को पकड़ने के वर्णन में अद्भूत् रस और राजा दुष्यन्त द्वारा मातलि को छुड़ाने के प्रयत्न में वीर रस का परिपाक हुआ है। राजा द्वारा मृत वणिक् की सम्पत्ति का गर्भ को दान धर्मवीर का उदाहरण है। इस प्रकार अन्य रस अंग रूप से ही आये है।

अभिज्ञानशाकुन्तल श्रृगांर – रस प्रधान नाटक है। इसमें संभोग (संयोग) श्रृंगार अंगी है और विप्रलम्भ (वियोग) श्रृंगार, करूण, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, वत्सल और शान्त ये अंग (गौण) रस है।

यद्यपि शाकुन्तल में विप्रलम्भ श्रृंगार का पर्याप्त विस्तार है, परन्तु नाटक की समाप्ति दुष्यन्त और शाकुन्तला के मिलन के साथ होती है, अत: नाटक सुखान्त है,

अत: इसमें संभोग श्रृंगार को ही मुख्य रस मानना उचित है।

कालिदास ने शाकुन्तल में विभिन्न रसों का बहुत कुशलता के साथ समावेश किया है।

संस्कृत साहित्याकारो कविकुलगुरू: कालिदास:

देदीप्यमाननक्षत्रवत् अस्ति। कविता कामिनीविलास: कालिदास:
रससिद्ध: कवीश्वर: संस्कृतकाव्यक्षेत्रे सर्वश्रेश्ठ: अस्ति।
'पुरा कवीनां गणनाप्रसड्.गे कनिष्ठकाधिश्ठित कालिदासा।
अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थक्ती बभूव।।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय
2. अभिज्ञान शाकुन्तल, 1/22
3. अभिज्ञान शाकुन्तल, 6/14
4. अभिज्ञानशाकुन्तल, 1/26
5. अभिज्ञानशाकुन्तल, 2/12
6. अभिज्ञानशाकुन्तल, 3/4
7. अभिज्ञानशाकुन्तल, 6/5
8. अभिज्ञानशाकुन्तल, 5/9
9. अभिज्ञानशाकुन्तल, 4/8
10. अभिज्ञानशाकुन्तल, 7/17

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

बाबा नागार्जुन के उपन्यास 'वरूण के बेटे' का विश्लेषण (सामाजिक सरोकार के विशेष संदर्भ में)

डॉ. देवेन्द्रसिंह ठाकुर *

* सहायक प्राध्यापक (हिंदी) शासकीय महाविद्यालय, धरमपुरी, जिला- धार (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – उपन्यास, गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें मानव के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। उपन्यास को पढ़कर हम मानव जीवन के विविध पहलूओं समझने बुझने का प्रयास करते है। यथार्थवादी उपन्यासकार नागार्जुन के समस्त उपन्यासों में यथार्थवादी शैली और सामाजिक यथार्थवाद के दर्शन होते है और यही शैली उन्हे अन्य उपन्यासकारों से एकदम अलग करती हैं। नागार्जुन का **'वरूण के बेटे'** उपन्यास मछुआ समुदाय के जीवन को समर्पित है क्योंकि इस उपन्यास में बाबा ने मछुआ समाज की विविध समस्याओं का, मछुओं की जीवनशैली का, उनके संघर्ष आदि का यथार्थ अंकन किया है। सामाजिक सरोकारों पर आधारित यह एक भावनात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास के विभिन्न पात्रों के माध्यम से आपने मानव समाज और नारी जीवन से जुड़ी समस्याओं, जमींदारों के अत्याचार और शोषण से लेकर दहेज की समस्या, अनमेल विवाह, सामाजिक बुराईयों, अंधविश्वास, स्त्री-पुरूष में भेद, ढोंग-पाखण्ड आदि ज्वलंत मुद्दों को समाज के समक्ष उठाया गया है।

शब्द कुंजी – नारी, समस्या, मछुआ समाज, संघर्ष।

प्रस्तावना – बाबा नागार्जुन ने अपने साहित्य में आम जनजीवन की समस्याओं का सच्चा चित्रण किया है। सामाजिक सरोकार अर्थात समाज से संबंधित समस्याओं से वास्ता रखना। सामाजिक समस्याओं को खोजकर उनका समाधान प्रस्तुत करना बाबा के साहित्य का उद्देश्य रहा है। घूमक्कड़ प्रवृत्ति के नागार्जुन ने आम आदमी के जीवन को बेहद करीब से देखा था इसलिए उनके साहित्य में हमें निम्न-मध्यम वर्ग का मर्मस्पर्शी अंकन देखने को मिलता है। संत कवि कबीरदास जी के समान बाबा ने भी समाज की कड़वी, घिनौनी, घटिया सोच को बेबाकी के साथ साहित्य में उजागर किया। **'वरूण के बेटे'** उपन्यास में लेखक ने मछुआरों के संघर्षपूर्ण और त्रासदीपूर्ण जीवन का यथार्थ चित्रण है। आपने मलाही-गोंढ़ियारी नामक ग्रामांचल के मछुओं के माध्यम से मछुआ समाज के जीवन संघर्ष और उनके जागरण की कथा को प्रस्तुत किया है। इसमें मछुओं के संघर्ष की अभिव्यक्ति के लिए उनके जीवन्त परिवेश की अवधारणा की गई है।

शोध प्रविधि– सामग्री संकलन के लिए मैंने नागार्जुन के उपन्यास साहित्य का उपयोग किया है। साथ ही नागार्जुन के साहित्य से संबंधित अन्य साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं, शोध ग्रंथों तथा इंटरनेट से भी तथ्यों का संकलन किया है।

शोध के उद्देश्य– प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य मुख्य रूप से नागार्जुन के उपन्यास **'वरूण के बेटे'** में वर्णित मछुआ समाज के जीवन संघर्ष का अध्न करना है। नारी वर्ग की समस्याओं को जानकर उनका समाधान खोजने का प्रयास करना भी मेरे शोध का उद्देश्य रहा है। इनके अलावा बाबा के उपन्यास **'वरूण के बेटे'** में चित्रित सामाजिक सरोकार के विविध पक्षों का अध्न, चिंतन, मनन करके उसमें निहित तत्वों को खोजना ही मेरे शोध का उद्देश्य है।

उपकल्पना– शोधार्थी और पाठक नागार्जुन के उपन्यास **'वरूण के बेटे'** में चित्रित मछुआ समाज के जीवन के विविध पहलुओं को समझ सकेगे। सामाजिक जीवन में मछुआरों की महत्ता को जानकर उनके प्रति एक सम्माननीय दृष्टिकोण अपना सकेगे। पाठक मछुआ समाज और नारी समाज के जीवन संघर्ष को समझ सकेगे।

वरूण के बेटे उपन्यास के विविध आयाम– नागार्जुन ने उपन्यास में मछुआ जीवन की समस्याओं का सच्चा अंकन किया। आपने अपने साहित्य में सर्वहारा वर्ग को प्रमुख स्थान देते हुए सामाजिक विषयों को लेकर साहित्य की रचना की। **'वरूण के बेटे'** उपन्यास में लेखक ने मछुओं के संघर्षपूर्ण और त्रासदीपूर्ण जीवन का यथार्थ अंकन किया है। उपन्यास में मधुरी के माध्यम से नारी वर्ग पर होने वाले अत्याचारों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि जो नारी अपने ऊपर होने वाले जुल्मों का विरोध करती है उसे सभ्य समाज के द्वारा कुलटा और बदचलन करार दिया जाता है। फिर भी नारी हार नहीं मानती और अंत में अपनी राह स्वयं बना ही लेती है। आपने **'वरूण के बेटे'** में विविध पात्रों के माध्यम से मछुआ जीवन का प्रभावी अंकन किया है। उपन्यास में हमें मछुआ जीवन से जुड़े विविध आयाम देखने को मिलते हैं-

(1) मानवीय मूल्यों के प्रति आस्थवादी दृष्टिकोण– मानव एक सहृदय प्राणी है। आस्थावादी दृष्टिकोण के कारण ही हमारा हृदय सकारात्मक भावों का संचरण करके हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आदर्श समाज के निर्माण की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए मानवीय मूल्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती और इस बात को बाबा भलिभाँति जानते थे इसलिए उन्होने अपने पात्रों के माध्यम से मानवीय मूल्यों की स्थापित करने का प्रयास किया है। बाबा ने एक बार डॉ. नामवरसिंह को कहा था कि 'मैं 'जनवादी' हूँ। क्योंकि मुझे किसी तरह की पाखंडलीला से नफरत है।'[1]

मोहन माँझी का स्वप्न था कि गढ़पोखर का जीर्णोद्धार हो जाने पर

मलाही-गोंढ़ियारी के ग्रामांचल मछली पालन व्यवसाय का आधुनिक केंद्र बन जाएँगे। वह किसान सभा और प्रजा समाजवादी पार्टी का सदस्य था। मोहन माँझी देश की आजादी के लिए कई बार जेल हो आया था।'[2]

'वरूण के बेटे' उपन्यास में बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का और उनके लिए चलाए जा रहे बाढ़ राहत कैम्पों का यथार्थ चित्रण करते हुए समाज की मानवता के प्रति आस्था को प्रकट किया है। मोहन माँझी ने भी स्कूल के पास एक शिविर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए खोला है जिसे समाज द्वारा दिल खोलकर अनाज, रूपयों, कपड़ों की मदद दी गई है जो मोहन माँझी की ईमानदारी को दर्शाती है।

(2) नारी के विविध रूपों और उसके संघर्ष का चित्रण- बाबा ने वरूण के बेटे उपन्यास में नारी वर्ग की विविध समस्याओं का अंकन करते हुए उसका समाधान भी प्रस्तुत किया। डॉ. विजय बहादुरसिंह कहते है- 'नागार्जुन के स्त्री पात्र ज्यादा दुस्साहिक और बोल्ड है। स्त्री स्वाधीनता के नाम पर वे भीख माँगते नहीं दिखते। बल्कि मधुरी के रूप में वे अन्याय सहिष्णु और पुरूषों को ललकार कर आगे खींचते हैं। स्त्री चरित्रों की नेतृत्व प्रखरता नागार्जुन की अपनी देन है। अगर वे गाँव के न होते तो शायद यह बोध उनकी कलम तक पहुँच भी न पाता।'[3] इसलिए उनके नारी पात्र समाज द्वारा तिरस्कृत, अपमानित, उत्पीड़ित होने के बाद भी चेतना से लबरेज होते है।

आर्थिक रूप से सबल बनने के लिए नारी शिक्षा आवश्यक हो गई थी परन्तु हमारा रूढ़िवादी समाज स्त्री शिक्षा का विरोधी था। उस समय कुछ समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा का जमकर समर्थन किया था। नागार्जुन के उपन्यास की स्त्री पात्र जीवन की कठिन परिस्थितियों को हराने का इरादा रखती है। वे प्रेम को जीवन का अभिन्न हिस्सा मानती है। डॉ. प्रकाश मनु लिखते है- 'प्रेम यहाँ कोई विलासिता या मौजमस्ती की चीज नहीं, जीवन का पर्याय है और जीवन जीने की भरपूर लालसा नागार्जुन के पात्रों में कूट-कूट कर भरी है।'[4]

जिस घर के पुरूष नशे के व्यभिचार में लिप्त होते है। उस घर की औरतों को तो हर वक्त संघर्ष को सामना करना पड़ता है। उपन्यास **'वरूण के बेटे'** में- एक बार मधुरी का बाप ताड़ी पीकर आ जाता है और अपनी बेटी को गालियों की बौछारों, मारपीट और हैवानियत के हमलों में नाकामी के बाद सर के बाल पकड़कर जमीन पर घसीटता है ....प्रमत्त बाप के सारे उपद्रव झेल लेती है। नशा उतरने पर बेटी से माफी माँगता है तो मधुरी कहती है कि दारू-ताड़ी पीकर आओंगे तो मैं जहर-माहुर खा लूँगी।'[5] नागार्जुन ने मधुरी के माध्यम से एक निम्नवर्गीय समाज की नारी के हौसले, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, प्रेम, संघर्ष आदि का उत्कृष्ट चित्रण किया है।

उपन्यास में मधुरी के व्यक्तित्व के हमें दो भाग दिखाई देते है। पहले भाग में वह गाँव की अल्हड़, घरेलू लड़की और कमसिन प्रेमिका होती है तो दूसरे भाग में वह ससुर की ज्यादतियों के कारण वापस मायके लौटने और समाज में जन चेतना का अलख जगाने वाली एक साहसी नारी होती है। वह उपन्यास के अंत में पुलिस वाहन पर सवार होकर नारे लगाती हुई मछुआ संघ के लोगों का उत्साह बढ़ाती है। उपन्यास की नायिका मधुरी अबला से सबला बनकर मछुआ समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। नारी जाति के त्याग और समर्पण की भावना उपन्यास में भावुकता को प्रश्रय देती है।

(3) यथार्थवादी दृष्टिकोण- नागार्जुन ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का यथार्थवादी दृष्टिकोण से चिंतन-मनन करके उसे अपने कथा साहित्य प्रस्तुत किया है। उपन्यासकार ने जिस विषयवस्तु को भी छुआ है उसके अच्छे-बुरे सभी पक्षों को पाठक के समक्ष परोस दिया। **'वरूण के बेटे'** उपन्यास में मछुओं के जीवन का कई भावपूर्ण चित्र खींचे है जो पाठक के सामने साकार हो उठते है। आपने मछुओं के जीवन के प्रत्येक चरण जैसे सुख-दुख, रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान, वेशभुषा, व्यवसाय, संस्कृति का बारीकी से विश्लेषण करके अपने उपन्यास में प्रभावी अंकन किया है।

(4) षोषित वर्ग का चित्रण- प्रगतिवादी बाबा ने समाज में उपेक्षित मानव के आर्त क्रंदन को आवाज दी। बाबा ने अपने साहित्य लेखन का उद्देष्य वर्गहीन समाज की स्थापना को बनाया था। समाज में हमेषा ही कमजोर वर्ग का षोषण किया जाता रहा है परन्तु कुछ जागरुक युवा संगठित होकर षोषण का विरोध करते है। **'वरूण के बेटे'** में जब भोला को जमींदारों के मंसूबों का पता चलता है कि वे गढ़पोखर का ठेका किसी दूसरे गाँव के देने वाले है तो सब इकट्ठा होकर तय करते है कि गढ़पोखर को छोड़ा नहीं जाए क्योंकि उस पर हमेशा से हमारा अधिकार रहा है।

मलिहा-गोंढ़ियारी का टुन्नी अपने मछुआ साथियों के साथ पोटली बाँधकर कोसी बाँध निर्माण स्थल पर काम करने गया था ताकि कुछ कमा सके लेकिन वहाँ पर सरकारी तंत्र की भ्रष्ट व्यवस्था के कारण उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

जमींदारी उन्मूलन के कारण देश की परिस्थितियों में बदलाव नजर आने लगा था। 'जमींदारी उन्मूलन ने जहाँ सामंत वर्ग को झटका दिया, वहीं जमींदार और सरकार के संबंधों को एक नया आयाम भी दिया। पहले प्रजा और जमींदार में मेमने और बाघ का संबंध था।'[6] अब षोषित वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपने हक को पाना चाहता था।

(5) स्त्री-पुरूष संबंधों का चित्रण- आपने समाज में स्त्री-पुरूष के बदलते रिष्तों का यथार्थ अंकन करते हुए प्रणय को दूसरे संदर्भ में दिखाया है। उपन्यास में प्रेम को सामंती अय्याशी के मुकाबले समाज सापेक्ष और पर्याप्त जिम्मेदार ठहराया है। मधुरी कहती है कि 'हमारा प्रेमनगर कही समाज से अलग बाहर आबाद हुआ है ? सुनती हूँ बडे आदमी जब और कामों से ऊब उठते हैं तो दिल के टुकडे इधर-उधर फेंका करते हैं और दसियों घर बरबाद कर छोड़ते हैं.......।'[7]

'वरूण के बेटे' में मधुरी के द्वारा प्रेम की वास्तविकता से अवगत कराने का प्रयास किया गया है। मधुरी कहती है- 'देखो मंगल, मैं तुमसे तीन साल छोटी हूँ। हमने एक-दूसरे पर प्राण नौछावर कर रखे थे लेकिन अब तुम घर की लक्ष्मी का मुखड़ा ध्यान में रमा लो और मुझे भुल जाओ.........!'[8] उपन्यास में स्त्री-पुरुष के संबंधों को लेकर नायिका मधुरी कहती है कि मंगल हम छोकरा-छोकरी नहीं बल्कि सयाने है। तुम्हें अपनी पत्नी और मुझे अपने परिवार के प्रति वफादार होना होगा।

(6) लोक जीवन का चित्रण- नागार्जुन ने अपने साहित्य में लोकजीवन के सभी रंगों को बड़ी तन्मयता के साथ प्रकट किया है। ग्रामीण लोग माल बेचने षहर आते है तो वापस जाते समय घर के लिए सामान खरीदते है। **'वरूण के बेटे'** में खुरखुन मछलियाँ बेचकर घर के लिए साड़ियाँ, छींट, अंग्रेजी-हिंदी डिक्शनरी, टीकावाली रामायण आदि वस्तुएँ खरीदता है। मछुओं की गरीबी का चित्रण कुछ इस तरह से किया है- 'जब खुरखन मछलियाँ पकड़कर वापस लौटता है तो उसकी छह साल की नंगी बिटिया अब और करीब आ गई थी। भुनी हुई मंगुरी का अद्धा खा आई थी। हाथ-मुँह काले हो रहे थे। नाक में नेटा-पोटा, आँखों में कीचड़। धूल भरा सिर, रूखे-उलझे

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

बाल।'[9]

आपने मछुओं के आम जीवन की झाँकी प्रस्तुत की है– 'मधुरी, भोला की मइया से मिलने जाती है, बातें करते–करते बुढ़िया के बालों में जुएँ देखने लगती हैं। मधुरी ने बालों के जंगल में जूँ का शिकार शुरू कर दिया। नजरों की सफाई और उँगलियों की फुर्ती जूँ को गिरफ्त में ले रही थी।'[10]

(7) जातिगत–वर्गवाद का चित्रण– आदिकाल से देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज का संचालन हो रहा था जो धीरे–धीरे विकृत होने लगा था, सेवा करने वाले वर्ग का षोषण और अपमान किया जाने लगा था। बाबा ब्राह्मण वर्ग को समाज के लिए अभिशाप मानते थे। एक साक्षात्कार में बताया था कि– 'ब्राह्मण खोपड़ी यूं तो ज्ञान की भंडार होती है पर पुरातन पंथी से वह एक किस्म का मालगोदाम भी बन जाती है या ऐसे कह लो–कबाड़ी का स्थान। चिपके हुए है पंडित सड़ी–गली रूढ़ियों से दंभ और अहंकार के साथ। धर्मशास्त्र जो लिख गए। बस वही हमारी जाजम, वही हमारा ओढ़न।'[11]

जब घर–परिवार के पुरूष सदस्य कोई विचार–विमर्श करते है तो वहाँ स्त्रियों की उपस्थिति कोई मायने नहीं रखती है। नागार्जुन ने **'वरूण के बेटे'** उपन्यास में एक सहज प्रसंग रचा है– 'प्रायमरी स्कूल का वह भुतहा महान गाँव के पूर्वी छोर पर था, तीन तरफ से घिरा हुआ। बिरादरी के बालिग मेम्बरान जुटे थे, भोला, खुरखुन, बिलुनी, रंगलाल.....नंदे वगैरह सारे के सारे। पचास–साठ जनें होंगे। औरत एक भी नहीं।'[12]

(8) भ्रष्ट व्यवस्था का चित्रण– नागार्जुन ने बताया कि समाज में ऐसा भ्रष्ट तंत्र कायम है जो रिष्वत के बिना काम नहीं करता है। **'वरूण के बेटे'** में भी नागार्जुन ने भ्रष्ट व्यवस्था का चित्रण किया है क्योंकि ये भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। जब सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया तो सरकार में दखल रखने वाले जमींदारों ने अपने हिसाब से जमींदारी उन्मूलन कानून तैयार करवाया ताकि भू–स्वामियों को कुछ मामलों में अचल संपत्ति की छूट मिल सके।

समाज सेवा के नाम पर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते है। मोहन माँझी के बाढ़ पीड़ित शिविर में मिलने वाले दान का उपयोग कुछ स्वयंसेवक स्वयं करना चाहते है।

(9) राजनीति के विविध पहलूओं का चित्रण– राजनीति ही जातिवाद को संरक्षित और पल्लवित होने का अवसर देती है क्योंकि उसने भारतीय समाज को विखंडित कर सत्ता हासिल करने की संस्कृति इतिहास से सीखी है। जमींदारी उन्मूलन के कारण पुराने जमींदार अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में सक्रिय हो गए थे। जो राजनीतिक दल जातिविहीन समाज की बातें करते है वही दल जातीयता को बढ़ावा देने में अव्वल होते है। उपन्यास की नायिका मधुरी जमींदारों के विरूद्ध संघर्ष में भाग लेती है तथा मछुआ संघ के पक्ष में नारे लगाती है। मधुरी की राजनीति में सक्रियता उसके साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रियता का परिचायक है। उपन्यास की अपर्णा, भाभी, शन्नी, हेम आदि स्त्रियाँ राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेती है। आजादी का लाभ तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग को ही मिला। डॉ. माधव सोनटक्के कहते है– 'स्वाधीनता प्राप्ति के बाद प्रथम और द्वितीय दशक में हमारे गाँव बड़ी अजीब स्थिति का शिकार रहे हैं। जमींदारी प्रथा के टूटने से सामंती व्यवस्था के मूल्य टूटने लगे और पंचायत राज के द्वारा नये प्रजातंत्रीय मूल्य गाँव तक पहुँचाये जाने लगे। एक ओर प्रजातंत्रीय चेतना उन्हें अपने अधिकारों के लिए उकसाती रही, तो दूसरी ओर रैयत सामंती–व्यवस्था के सम्मुख अपने आपको पराजित पाती रही।'[13]

(10) लोकगीतों के माध्यम से मिथिला की संस्कृति एवं लोकजीवन का चित्रण– नागार्जुन ने लोकगीतों के माध्यम से मिथिला के लोकजीवन के अनेक सुंदर चित्र उकेरे है। जब नायिका मधुरी झोपड़ी में मसाला पीसने जाती है तो नायक मंगल को ध्यान में रखकर गुनगुनाने लगती है–

जिनगी भेल पहााड़ उमिर भेल काााल। नइ फेकऽ नइ फेकऽ आहे मोर दिलचन,

नेहिया पिरीतिया के जाााल !! आवऽ आवऽ देखि जा हाााल !! उमिर भेल काााााल !!!

उपन्यास की नायिका मधुरी के लिए मंगल और चुल्हाई दोनों जान छिड़कते है। चुल्हाई अपने प्रेम को दर्दभरे लोकगीत के माध्यम से कुछ इस तरह से बयां करता है–

'कबहूँ पकड़ में न आवे मछरिया ! जुलमी मछरिया चलबल मछरिया !

कबहूँ पकड़ में न आवे मछरिया ताल में खेले, तलइया में खेले.....।'

मधुरी को बिदा करने के बाद उसके खुरखुन खुश होकर ताड़ी पीने के लिए सतघरा पहुँचता है और हाथ में नोट लेकर चिल्लाता हुआ गाने लगता है–

'पीले, पिला दे ! मरों को जिला दे ! दिलों को मिला दे, अँगुरिया हिला ले चुनरिया सिला ले, कि पी ले, पिला दे, मरों को जिला दे.....'

गढ़पोखर की मछलियों का शिकार करने के लिए भोला और गंगा ने जाल फैला रखे है तब गंगा लोकगीत गाने लगता है–

'बउआ, खइयउ ने ! आव ने खइयउ बउआ जै सिङ् मोतीचूर मिठाइ हओ !कृ बबुआ, खाओ ! खाओ न ! अब तो खाओ बबुआ जै सिङ् मोतीचूर–मिठाइ ओ !.......

मछुआरों ने महाजाल पानी में डाला तो चाँदनी रात में जाल में सैकड़ों मछलियाँ जगमगा उठी। उन्हें देखकर मछुआरे जोश से भरकर गाने लगत है–

रेहू ब्वारी, हुइ यो ! मोदनी भुन्ना, हुइ यो ! नैनी भाकुर, हुइ यो ! उजला सोना, हुइ यो !

लाल चाँदी, हुइ यो ! गंगा मइया, हुइ यो ! कमला मैया, हुइ यो ! कोसी मैया, हुइ यो !....

निष्कर्ष– इस प्रकार नागार्जुन के उपन्यास **'वरूण के बेटे'** का विवेचन–विश्लेषण करने पर मैंने पाया कि बाबा ने समाज के दबे–कुचले, षोषित, सर्वहारा वर्ग का बड़ी ही सहजता, सजीवता और स्वाभाविक तरीके से मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया है। उपन्यास में भी मानवीय मूल्यों का पोषण करते हुए मधुरी, मोहन माँझी, खुरखुन, भोला अपने आचरण और व्यवहार से मानवता को जीवित रखते है। उपन्यास में मछुआ समाज के जीवन की समस्त परिस्थितियों को यथार्थ अंकन करके बाबा ने पाठकों को मछुआ जीवन की लोकसंस्कृति से परिचित कराया तथा मछुआ समाज की परम्पराओं, रहन–सहन, रीति–रिवाज, खान–पान को चित्रण किया। इस उपन्यास में नागार्जुन ने मेहनतकश लोगों की शक्ति, साहस के साथ–साथ उनकी जिजीविशा को प्रकट किया है। मोहन माँझी मछुओं (मछुआरों) के भविष्य को लेकर सोचता है कि आजादी के बाद गढ़पोखर का जीर्णोधार होने से सभी का विकास होगा लेकिन आजादी के बाद जमींदारों ने अपने हद की जमीनों, चरागाहों, पोखरों और तालाबों को औने–पौने दामों में बेचना शुरू कर दिया था। ऐसे समय में मछुआरें हार नहीं मानते बल्कि संघर्ष की राह पर चल पड़ते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. आलोचना पत्रिका (1953)- संपादक डॉ. नामवर सिंह
2. नागार्जुन रचनावली-4, संपादक शोभाकांत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
3. सिंह डॉ. विजय बहादुर- नागार्जुन का रचना संसार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
4. आजकल पत्रिका (जून 1990)- संपादक प्रतापसिंह
5. अमिताभ डॉ. वेदप्रकाश- हिन्दी के आँचलिक उपन्यासों में मूल्य संक्रमण (2009), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
6. आलोचना पत्रिका (अप्रैल-जून 1981)- संपादक डॉ. नामवर सिंह
7. सोनटक्के डॉ. माधव- समकालीन परिवेश और प्रासंगिक रचना संदर्भ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

सोशल मीडिया व युवा विकास

डॉ. सुनीता भायल *

* सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – संचार क्रांति के इस युग में सोशल मीडिया एक मजबुत स्तम्भ के रूप में उभरा है। तकनीकी विकास के साथ–साथ सोशल मीडिया दिन प्रतिदिन लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ रहा है। राजनीति से लेकर व्यापार, आम आदमी से लेकर ऊँची हस्तियाँ, साहित्य से लेकर पत्रकारिता, सामाजिक कार्यकताओं से लेकर सरकार तक सभी ने सोशल मीडिया को अनिवार्य अंग के रूप में अपनाया है। आज सोशल मीडिया सामाजिक जीवन का दर्पण बन चुका है।

मीडिया विस्फोट के इस दौर में जब पुरे विश्व की सुचना एक छोर से दूसरे छोर तक त्वरित गति से पहुँचती हो ऐसे में युवाओं के विकास में सोशल मीडिया के योगदान को नकारा नही जा सकता। संचार माध्यमों के विकास और बढ़ती भूमिकाओं के स्वीकार व अंगीकार करने के बावजुद कुछ वर्ष पहले तक किसी ने कल्पना भी नही की थी कि सोशल मीडिया का अंर्तजाल युवाओं की सोच विचार समझ एवं दृष्टिकोण को इस कदर प्रभावित करेगा।

हम इस सच्चाई को अनदेखा नही कर सकते है कि सोशल मीडिया आज हमारे जीवन में मौजुद सबसे बड़े तत्वों में से एक है। इसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा दुनिया के किसी भी कोने में बसे अपने प्रियजनों से बात कर सकते है। सोशल मीडिया एक आकर्षक तत्व है और आज ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। युवा हमारे देश का भविष्य है, वे देश की अर्थव्यवस्था को बना या बिगाड़ सकते हैं, वही सोशल नेटवर्किग साइटों पर उनका सबसे अधिक सक्रिय रहना उनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव डाल रहा है।

युवा विकास से आशय – प्रस्तुत शोध आलेख में युवा विकास से आशय जनमाध्यमों विशेषकर सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त होने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आदि से संबंधित खबरों के माध्यम से युवाओं की जानकारी में वृद्धि और विकास से है। आज सभी संप्रदायों जाति, धर्म और देशों के युवा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दिखाई देते हैं।

सोशल मीडिया का फायदा – जोखिमों के बावजूदो, सोशल मीडिया युवाओं में कौशल विकसित करने और एक अच्छा डिजिटल पदचिह्न बनाने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान कर सकता है,

दुनिया का व्यापक संबंध और समझ – युवा अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढ़ग से समझने और विभिन्न विषयों पर अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और विश्व साक्षात्कारों को सीख और सराहना कर सकते है। कई प्लेटफार्मो पर साझा किए गए इतने सारे विचारों के साथ, वे रूचि के क्षेत्रों की खोज कर सकते है और एक शैक्षिक क्षमता में प्लेटफार्मो का उपयोग कर सकते हैं।

संचार और तकनीकी कौशल विकसित करना – सोशल मीडिया अब रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है, युवाओं के लिए यह सीखना महत्वपूर्ण है कि उन्हें कार्यस्थल में भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करने के लिए ऑनलाइन संवाद कैसे करे और दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत में उनका समर्थन करें।

कनेक्शन विकसित करने के लिए सीमाओं को हटाना – सोशल मीडिया लोगों से मिलने और बनाए रखने और सीमाओं से परे बांड बनाने की सीमाओं को हटा देते है। उन युवाओं के लिए जिनके पास विकलांगता हो सकती है या महसूस नही कर सकते है कि वे अपने समुदाय के भीतर दुसरों के साथ जुड सकते है, यह अन्य लोगो के साथ जुडने का एक शानदार तरीका हो सकता है जो अपने विचारों और रूचियों को साझा करते है।

रिश्तों को मजबूत करें – परिवार के सदस्यों के लिए उपयोग करना, जो एक स्थानीय क्षेत्र से चले गए दोस्तों के अलावा मीलों तक रह सकते हैं, रिष्तों को बनाए रखने और उनके संपर्क में रहने और आसानी से अपने जीवन को साझा करने की अनुमति दे सकते हैं।

सहारा लेने की जगह – यह उन मित्रों और परिवार को सहायता प्रदान करने के अवसरों को खोल सकता है जो किसी विशेष मुद्दे का अनुभव कर रहे हों कुछ युवाओं के लिए फ्लिप की तरह, यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां वे समर्थन की तलाश कर सकतें हैं यदि वे किसी ऐसी चीज से गुजर रहे हैं जिसके बारे में वे उन लोगों से बात नहीं कर सकते हैं ।

सामाजिक भलाई के लिए अभियान चलाना – सोशल मीडिया युवाओं को एक विशेष कारण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है कि वे उस परिर्वतन को प्रभावित करने के लिए वास्तविक दुनिया पर प्रभाव डालना चाहते हैं जहां वे इसे देखना चाहते है।

एक सकारात्मक डिजिटल फुटप्रिंट विकसित करना– युवा लोग अपने खातों का उपयोग अपनी उपलब्धियों को साझा करने, अपनी प्रतिभा दिखाने और बाद में जीवन में उन्हें लाभान्वित करने के लिए एक साक्षात्कार ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाने के लिए bespoke cvs के रूप में भी कर सकते हैं।

साहित्य का पुनरावलोकन:

(1) शोध आलेख – मुक्त अभिव्यक्ति और सोशल मीडिया शोधार्थी :- सुनील कुमार सलैड़ा, शोध पत्रिका–मीडिया पथ अंक जनवरी मार्च, 2016। प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने अध्ययन कर पाया कि सोशल मीडिया ने

अभिव्यक्ति के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया हैं। सोशल मीड़िया से आम आदमी का विकास हुआ हैं।

(2) शोध आलेख – अभिव्यक्ति का वैकिल्पक मंच सोशल मीडिया: चुनौतियां एवं संभावनाए, शोधार्थी–रामशंकर, शोध पत्रिका अनुसंधान समाचार, अंक दिसंबर,2013। प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने अध्ययन कर पाया कि सोशल मीडिया की तरह लोगों का रूझान तेजी से बढ़ा है। सोशल मीडिया के जरिये नए रोजगार का सृजन हो रहा है, सोशल मीडिया युवाओं को संवाद के साथ ही सृजन का भी मंच उपलब्ध करा रहा है।

(3) शोध आलेख – सोशल नेटवर्किंग साइट – प्रचलित धारणाओं का मूल्यांकन, शोधार्थी–विजय प्रताप, शोध पत्रिका–जन मीडिया, अंक 10, सत्र 2013। प्रस्तुत शोध आलेख में शोधार्थी ने अध्ययन कर पाया कि सोशल नेटवर्किंग साइट को वर्तमान में जिस तरह से प्रचारित और विज्ञापित किया गया है, वह सोशल मीडिया के बारे में कई प्रकार के मिथ्या और भ्रम को ढक लेता है। अभिव्यक्ति की आजादी को भी लेकर इस शोध आलेख में चर्चा की गई।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

1. युवा विकास में सोशल मीडिया की भुमिका का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन का क्षेत्र– प्रस्तुत शोध कार्य के लिये मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का चयन उद्देष्य पूर्ण निदर्शन विधि द्वारा किया गया।

शोध अध्ययन की इकाई– प्रस्तुत शोध कार्य में इकाई के रूप में बड़वानी जिले के महाविद्यालय में अध्ययनरत युवा छात्राओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा किया गया।

न्यायदर्ष का चयन:– शोध अध्ययन में न्यायदर्श के रूप में 50 युवा छात्राओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा किया गया।

समंक का संकलन – समंक का संकलन दो प्रकार से किया जाता है:–

1. प्राथमिक स्त्रोत
2. द्वितीयक स्त्रोत

1. **प्राथमिक स्त्रोत** – प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक स्तर पर समंको का संकलन करने हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसुची का उपयोग किया गया।

2. **द्वितीयक स्त्रोत** – द्वितीयक स्तर पर समंको का संकलन करने हेतु समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तकें इन्टरनेट आदि का उपयोग किया गया।

समंको का विश्लेषण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसुची के माध्यम से प्राप्त समंको का विश्लेषण करने हेतु अवलोकन विधि एवं प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया।

ालिका नं –1: विकास से संबंधित सुचना प्राप्त करने के लिये किस सोशल नेटवर्किग साइट का उपयोग करते है :–

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	व्हाट्एप	35	70
2	फेसबुक	5	10
3	ट्विटर	10	20
	कुल	50	100

उर्पयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि विकास से संबंधित सुचना प्राप्त करने के लिये 70 प्रतिशत छात्रायें व्हाट्एप, 10 प्रतिशत छात्रायें फेसबुक तथा 20 प्रतिशत छात्रायें ट्विटर का उपयोग करती है।

2. क्या आप विकास से जुडी जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर करते है।

क्र	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	38	76
2	नही 7	14	
3	कभी–कभी	5	10
	कुल	50	120

उर्पयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि विकास से जुडी जानकारियों को सोशल मीडिया पर 76 प्रतिशत छात्रायें शेयर करती, 14 प्रतिशत छात्रायें शेयर नही करती तथा 10 प्रतिशत कभी–कभी शेयर करती है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध से प्राप्त ऑकड़ो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में व्हाट्एप आम आदमी के संचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। शोध के लिये चयनित युवा छात्राओं में से 70 प्रतिशत छात्रायें विकास से संबंधित सुचनाओं को प्राप्त करने के लिये व्हाट्सप का प्रयोग करती है। आज का समय इन्टरनेट की मौजूदगी का है । लोग किसी भी सुचना को लेकर सोशल साइट्स के माध्यम से अपनी त्वरित टिप्पणी दे रहे है। किसी भी जानकारी या सुचना को युवा तुरन्त सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर साझा करते नजर आ रहें है। ऐसे में सोशल नेटवर्किंग साइट का भी दायित्व बढ़ता जा रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट युवाओं के विकास संबंधित जैसे:– स्वास्थ्य, शिक्षा, केरियर, योजना आदि जानकारी के लिये बेहतर सुविधा प्रदान करते है।

सोशल मीडिया सुचनाओं का सागर है जहॉ युवाओं के विकास की सकारात्मक जानकारियॅा ही नही होती है, बल्कि इसके अलावा अन्य कई प्रकार की सुचना भी होती है, संक्षेप में कहें तो सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवाओं को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने समय का सदुपयोग करने में सक्षम होना चाहिए और अपना बहुमूल्य समय बर्बाद नही करना चाहिए, आज सोशल मीडिया पर बने रहना कोई विकल्प नही है, युवाओं को यह तय करने की जरूरत है कि इसे अपने फायदे के लिये कैसे इस्तेमाल किया जाए। ओबेरो के अनुसार वर्ष 2022 में सोशल मीडिया के दुनिया भर में 3.96 बिलियन उपयोगकर्ता होने की उम्मीद हैं, जो वर्ष 2017 की तुलना में 1.1 बिलियन अधिक उपयोगकर्ता है इसलिए यह ऊपर से पता लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया के फायदे स्पष्ट रूप से इसके नुकसान से अधिक हैं। युवाओं के लिए सेमिनार, ऑडियो–विजूअल टुल, ग्रुपडिस्कशन, ऑनलाइन पठन साम्रगी उनके व्यक्तित्व को आकार देने में आवश्यक भूमिका निभाती है। सोशल मीडिया जोखिम और भुगतान दोनों का एक संभावित प्रवर्धक है इसलिए युवाओं को इस ऑनलाईन पारिस्थितिक तन्त्र में सक्रिय रूप से और लाभप्रद रूप से खुद को शामिल करना चाहिये।

आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि युवा शक्ति का सद्‌पयोग कैसे करें। इसका जवाब सोशल मीडिया में ही छुपा है। अगर हमारे देश का युवा चाहे तो सोशल मीडिया के द्वारा अपने आप को एक अच्छा आदमी बना सकता है। यहॉ वे अपनी अच्छाईयों व रचनात्मकता से रूबरू करा सकते है। सुचना के आदान–प्रदान, जनमत तैयार करने, विभिन्न क्षेत्रो और संस्कृतियों के लोंगो को आपस में जोड़ने, भागीदार बनाने और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नये ढ़ग से सम्पर्क करने में युवा अपना हाथ बंटा सकता है और सोशल मीडिया को एक सशक्त और बेजोड़ उपकरण के रूप में तैयार कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मीडिया पथ, अंक जनवरी-मार्च 2016,शोध आलेख मुक्त अभिव्यक्ति और सोशल मीडिया,शोधार्थी सुनील कुमार सलैड़ा।
2. गुप्ता विनिता (2015) संचार और मीडिया शोध नई दिल्ली वाणी प्रकाशन।
3. https://www.hindiduniya.com.
4. https://ijcrt.org.
5. https://www. Drisntiias.com.
6. https://internetmattrs.org
7. https://www.mcu.ac.in.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

भिलाली और बारेली जनजाति में लोक विश्वास

डॉ. सी.एल.शर्मा *   डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा **   श्रीमती प्रज्ञा अवास्या***

* सहा. प्राध्यापक (हिन्दी) शा. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
** अध्यक्ष, हिन्दी अध्यनशाला एवं कुलानुशासक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
*** शोधार्थी (हिन्दी) हिन्दी अध्यनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – लोक विश्वास को यदि सरल शब्दों में परिभाषित करना होतो इस प्रकार कहा जा सकता है कि घटना प्रकृति व्यवहार जीव-जन्तु आदि के संदर्भ में आम जनसमूह जो व्यवहार पर भरोसा करता है वही व्यापक रूप से लोक विश्वास कहलाता है। संसार के सभी पृथ्वी, आकाश, जलवायु, अग्नि, सूर्य, चन्द्र, तारे आदि के संबंध में आदि लोगों ने जो धारणाएं की है वे सभी लोक विश्वास के रूप मे ंगिनी जाती है। संसार में इस प्रकार की अनेक धारणाओं के आधार पर लोक वश्विास की पृष्ठभूमि अवधारित है। उदाहरण के तौर पर संसार शेष नाग की फन पर टिका है, बिना किसी आधार के आकाश, सारे ब्रहमाण्ड पर व्याप्त है। स्वर्ग और नरक अवधारणाएं, पाप-पुण्य का फल ईश्वरी सत्ता के प्रति गहरी आस्था और उसके प्रति पूजा भाव आदि सभी धारणाएं लोक विश्वास पर आधारित है। आदि मनुष्य ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक कि जो कल्पनाएं की है और कल्पानाओं के प्रति उनकी अन्तरात्मा में विश्वास है उसे लोक विश्वास कहा जाता है। श्री रामनारायण उपाध्याय कहते है लोक जीवन में अनेको लोक विश्वास एवं मान्यताऐं प्रचलित रही है। युग-युग से प्रवाहमान मानव जीवन के यात्रा के बीच उसे कुछ भी अनुभव हुए है वे विश्वास की गठाने बनकर लोक मान्यताओं के रूप में प्रचलित रहे है। आज भी हम अनेक लोक विश्वासों को पूर्णत: श्रद्धा व्यक्त करते है जैसे- बिल्ली रास्ता काट जाय तो अपशकुन माना जाता है। डॉ. श्यामाचरण दुबे ने लोक विश्वासों के संबंध में कहा है कि लोक विश्वास और दन्त कथाओं के दृश्य और अदृश्य जगत के प्रति जनसाधारण का दृष्टिकोण प्रतिबिम्बत होता है। इन लोक विश्वासों में लोक जीवन की भौतिक एवं धार्मिक चेतना का मूल स्त्रोत चिन्हित है। अन्तत: मैं मानव समुदाओं के सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं जीवन मूल स्त्रोत को निर्धारित कर लोक जीवन को स्थिरता और स्थायित्व देते है।

लोक विश्वास लोक जीवन के साथ उसकी वांछिक परम्परा में जीवन मिलते है। लोकगीत, लोकगाथा, मिथक, लोकोक्तियों आदि मैं लोक विश्वास की विद्यमानता निरन्तर प्रतीत होती है। धर्म के रूप में लोक विश्वासों ने उन्हें जीवन्त रखा है और जन समूह को एक सूत्र में बाधने का भी कार्य किया जाता है।

जीवन के व्यवहारो से ही लोक विश्वास परिपुष्ट होते है। लोक विश्वास अतित से चलकर वर्तमान मे सदैव जीवन के साथ और भविष्य के लिए सुरक्षित रहते है। अक्सर यह भी देखा गया है कि लोक विश्वास नैतिक आचरण की ओर भी संकेत करते है। आदि काल से आज भी लोक विश्वास हर संस्कृति में मिलते है। इस प्रकार की धारणाओं के कारण ही लोक विश्वासों की दृढता आधार भूमि पर स्थिर रह पाते है।

(अ) भिलाला जनजाति में लोक विश्वास – भिलाला जनजाति में समाज द्वारा किए जाने वाले भरोसे को इनकी संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। इसी कारण समाज की परम्पराऐं आगे बढती रहती है। भिलाला जनजाति के लोक विश्वास में निम्नलिखित बातें शामिल हैं।

(1) रीति रिवाज में विश्वास – भिलाले अपने पर्व, त्यौहार, उत्सव, रीति-रिवाज प्रथाऐं बड़ी आस्था एवं श्रद्धा से सम्पन्न करते है। धरती माता के प्रति श्रद्धा चारों दिशाओं में विश्वासरत देवी-देवताओं के प्रति श्रद्धा तथा विवाह एवं अन्य शुभ अवसरों पर समाज में लोक देवता के रूप में कुल देवी की पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का श्री गणेश किया जाता है। इसी प्रकार मुण्डन संस्कार, गुदना संस्कार, कण्बिधे संस्कार आदि संस्कारो मे लोक विश्वास के प्रति आस्था देखी जाती है। कण्बिधे संस्कार में ऐसी मान्यता है कि कर्णबिध से बच्चो को श्वसन, कान के रोग, गले के रोग नहीं होते है।

(2) तंत्र-मंत्र पर विश्वास – भिलाला जनजाति में तांत्रिक विद्या पर लोक विश्वास प्रचलित है। प्रत्येक गाँव में तांत्रिक विद्या का उपयोग कर रोगी का ईलाज किया जाता है। तांत्रिक विद्या के उपयोग करने वाले व्यक्ति को बड़वा कहां जाता है। वह अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग अच्छे एवं बुरे दोनों कामों में कर सकता है। भिलालाओं में विभिन्न रोगो से मुक्त के लिये बड़वा अपने मंत्रों से उपचार कर रोगी को रोग मुक्त करता है। आज भी समाज में जैसे – पिलीया रोग, चेचक रोग, सर्प का काटना, टाईफाइड, सिरदर्द आदि रोगों का उपचार बड़वा द्वारा किया जाता है।

(3) लोक देवता पर विश्वास – भिलालों में अपने लोक देवी-देवताओं के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा होती है। भिलालों के अनके लोक देवी-देवता है। धर्म की दृष्टि से अगर देख जाय तो भिलालों का कोई धर्म स्पष्ट नही है। वे आज भी आदिम परम्पराओं को मानते है। अपने लोक देवी-देवताओं कीह पूजा-अर्चना कर उन पर विश्वास करते है। लेकिन वर्तमान में हिन्दू प्रभाव के कारण वे राम, कृष्ण, लक्ष्मी, हनुमान जी देवताओं की पूजा-अर्चना करने लगे है। उदाहरण के लिए जैसे – राणी काजल माताजी की पूजा वर्षा ऋतु में वर्षा नही होती तक भक्ति एवं गीत गाकर की जाती है और काजल माता की कृपा से पानी बरसना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार के भिलालों में खेड़ापति हनुमान, बापदेव, पाटला बाबा, गुहाबाबा, भिलट देव, मालण देव, शीतला माता आदि लोक देवता है जिनकी वे पूजा अर्चना कर विश्वास करते है।

भिलाला जब अपने पशु बीमार हो जाने पर मालण बाबा की पूजा कर मूर्ति के उपर से पानी को उतारकर घर जाकर पशुओं पर छिड़कते है तो जिससे उनके स्वस्थ होने की कामना पूरी हो जाती है !

(4) शुभ-अशुभ संकेतों पर लोक विश्वास – भिलाला जनजाति के शुभ-अशुभ संकेतों पर लोक विश्वास प्रचलित है । इस प्रकार के लोक विश्वास किसी प्राणिओं, वस्तुओं या पौधों पर आधारित घटीत घटनाओं पर होते है या फिर उनका उपयोग या अनुपयोग होने से संबंधीत है । जैसे घर के सामने कुत्ते का रोना, भोकने को अशुभ लोक विश्वास माना जाता है । इसी प्रकार से बिल्ली के द्वारा रास्ता काटना भी अशुभ संकेत माना जाता है कि अब जिस कार्य के लिये जा रहे है वह पूर्ण नही होगा । इसी प्रकार बबूल के वृक्ष के पत्तो को किसी व्यक्ति के घर पर फेंकने से परिवार के ही अंदर अपनों झगड़ा होने की मान्यता है । किसी कार्य को लेकर जाते समय समाज के किसी सदस्य को भरी मटकी दिखाने से उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि उनका कार्य सफल होने वाला है ।

(5) टोने-टोटके पर लोक विश्वास – भिलाला जनजाति के टोने-टोटके पर लोक विश्वास का महत्व प्राचीन काल से ही है । भिलालों में इस प्रकार का लोक विश्वास बहुत अधिक प्रचलित है । इस प्रकार के लोक विश्वास में किसी अच्छे कार्य को पूर्ण करने के लिये या समाज के किसी सदस्य को रोग मुक्त करने के लिये विभिन्न घरेलू एवं प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग विधि-विधान से किया जाता है । गर्मीयों के दिनों में लू या लपट लगने पर व्यक्ति को रस्सी की खटीया पर सूला कर गिले कपड़े को सात बार उतार कर प्याज एवं इमली खिलाकर उपचार किया जाता है । इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को जंगली हवा या नजर, बुखार सिरदर्द आदि से मुक्त करने हेतु खजुर के पेड़ की सात पत्तियां, सात काली मिर्च, सात लोंग एवं सात कपड़े के टुकड़ो को सात बार रोगी को पूर्व दिशा में बैठाकर उपर से उतारकर आग में जलाते है । ऐसा करने से विश्वास होता है कि रोगी मुक्त हो जाता है।

(ब) बारेला जनजाति में लोक विश्वास – बारेला जनजाति में भी लोक विश्वास का बड़ा महत्व है । इस जनजाति के लोक वश्विास के बारे में कहा गया है कि लोक विश्वास से संबंधीत लोक संस्कृति, जनजीवन भौतिक एवं अभौतिक पक्षों का उद्घाटन करती है । बारेला जनजाति के समाज के सदस्यों द्वारा किसी वस्तु, प्रकृति व्यवहार आदि पर भरोसा करने कि परम्परा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है । समाज मे यह मान्यता है कि लोक विश्वास अच्छे एवं बुरे दो प्रकार के होते है । जिन्हें शकुन-अपशकुन के नाम से जाना जाता है । जो आज भी समाज में विद्यमान है । बारेला जनजाति के लोक विश्वास को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर समझा जा सकता है –

(1) कौआ संबंधी लोक विश्वास – बारेला समाज में कौआ द्वारा काँव-काँव की आवाज निजालने को शुभ एवं अशुभ माना जाता है । जब किसी व्यक्ति के घर की छत पर बैठकर काँव-काँव की आवाज निकालने पर व्यक्ति द्वारा भगाने पर वापस घर की छत पर बैठना शुभी माना गया है । बारेलाओं में ऐसा विश्वास है कि कोई अच्छी शुभ खबर या समाचार मिलने वाला है । इसी प्रकार कौएं का घर के पास किसी पेड़ पर बैठकर काँव-काँव की आवाज निकालना अशुभ माना गया है । ऐसी मान्यता है कि गांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी की मृत्यु होने कि सूचना मिलने वाली है ।

(2) तवा संबंधीत लोक विश्वास – बारेलाओं में ऐसी मान्यता है कि रसोई घर में तवा या मिट्टी का बर्तन जिसे खापरी कहा जाता है जब रोटी को पकाया जाता है तो तवे के निचले भाग पर चिंगारीयों का समूह या गुच्छा बन जाता है इस संकेत को यह माना गया है कि कोई मेहमान आने वाला है।

(3) छीक आने संबंधी लोक विश्वास – बारेला जनजातिय समाज में जब समाज के सदस्यों द्वारा किसी महत्वपूर्ण कार्य जैसे – विवाह प्रस्ताव आदि शुभ कार्य के लिये चर्चा की जाती है तो किसी सदस्य द्वारा छीकने पर ऐसा लोक विश्वास है कि उक्त कार्य का न होना या कार्य में बाधा होने की आशंका जताई जाती है ।

(4) झाड़-फूंे संबंधी लोक विश्वास – बारेला जनजातिय समाज में मान्यता है कि भूत-प्रेत, चुडैल, जंगली हवा आदि बच्चें, स्त्री-पुरूष, दूध देने वाले पशुओं आदि को हानि पहुँचाते है । समाज में यह धारणा है कि प्रेत आत्माओं, भूत आदि से बचने के लिये गांव में बड़वा (ओझा) द्वारा मंत्र एवं झाड़-फूंक पर आस्थ एवं विश्वास रखने की मान्यता है ।

(5) लोक देवता पर लोक विश्वास – बारेलाओं में समाज के किसी सदस्य का बिमार होने पर या फिर किसी स्त्री को बच्चे न होने पर या अपने किसी शुभ कार्य को पूर्ण हो जाने के लिऐ समाज के सदस्यों द्वारा अपने लोक देवताओं से मन्नत लेते है । बारेलाओं में लोक देवताओं में मुख्य रूप से कोचरामाता, मोगरामाता आदि लोक देवता होते है । मन्नत पूर्ण होने पर उनके स्थान पर मुर्गे या बकरे की बलि दी जाती है !

(6) प्रेत आत्मा संबंधी लोक विश्वास – प्रेत आत्मा से संबंधी लोक विश्वास पश्चिम निमाड़ के क्षेत्रों के बारेला जनजाति में देखने को मिलता है। उनका मानना है कि जो लोग अकाल मृत्यु मरते है उनकी आत्माऐं इमली, बेर, बबूल के पेड़ो पर निवास करती है और कुछ आत्माऐं नदी या नालों पर भी अपना डेरा डाली रहती है । ये विशेष समय या पर्व पर अकेले व्यक्ति पर हमला कर उसके शरीर में प्रवेश कर अपना प्रभाव डालती है ।

निष्कर्ष – यह कहां जाता है कि भिलाला और बारेला जनजाति में लगभग एक समान लोक विश्वास पाये जाते है । लोक विश्वास लोक संस्कृति का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है । सही मायने में यह देखा जाये तो भिलाला एवं बारेला दोनों जनजातियों में जीवन लोक विश्वास पर ही आश्रित है तथा दोनों ही जनजातियों में लोक विश्वास के प्रति गहरा संबंध दिखाई देता है । कुछ प्रथाओं एवं मान्यताओं से संबंधीत लोक विश्वस में विभिन्नताओं के अंश भी दिखाई देता है । वर्तमान में दोनों समाज के कुछ लोग विश्वासों को अंधविश्वास भी मानते है तो कुछ विश्वास के रूप में भी स्वीकारते है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. राम नारायण उपाध्याय, लोक विश्वास की अवधारणा, निमाड़ का सांस्कृति इतिहास पृ.67-68
2. डॉ. श्यामाचरण दुबे, मानव और संस्कृति, राजकमल प्रकाशन 1982, पृ. 68
3. डॉ. गुलनाज तंवर, बारेला जनजातिय जीवन और संस्कृति पृ. 90-105
4. डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय भारत में लोक साहित्य पृ. 36
5. डॉ. बसन्त निरगुणे लोक संस्कृति पृ. 67
6. डॉ. शिवकुमार तिवारी म.प्र. के आदिवासी प्रथम संस्करण 1984
7. श्री चन्द्र जैन वही आदिवासियों के बीच पृ. 12-15
8. प्रो. हीरालाल शुक्ल आदिवासी अस्मिता और विकास म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल प्रथम संस्करण 1997

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

बाँछड़ा समुदाय की स्त्रियों की सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन (नीमच जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मनु गौरहा * दीपक कारपेन्टर **

*प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – नारी ही किसी परिवार, समुदाय या समाज की वास्तविक धुरी होती है। यदि पुरूष परिवार में न रहे तो परिवार की उतनी क्षति नहीं होती है, जितनी किसी महिला के परिवार में न होने से होती है। संपूर्ण संस्कृति का आधार ही नारी है या यूँ कहें नारी ही संस्कृति है और उसकी सांस्कृतिक स्थिति ही समाज की वास्तविक स्थिति का परिचय देती है।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नीरज कौशल के अनुसार– 'भारतीय नारी का संबंध बाजार से कम व सांस्कृतिक और सामाजिक मानकों से अधिक है।'

प्रस्तावना – पूरे विश्व समुदाय में अनेक विचित्र परंपरा वाले भारत देश में बाँछड़ा समुदाय के समान कोई अनोखी अन्य जाति नहीं है। जो रहस्यमय रूप से इतनी अनूठी है, जो इनके सांस्कृतिक स्थिति से परिलक्षित होता है। बाँछड़ा समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं में नारी सम्मान को महत्व दिया गया है, तो नारी की आजादी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिये गये हैं।

बाँछड़ा समुदाय में महिलाओं की संख्या पुरूषों की जनसंख्या से अधिक है।

शिक्षा व सामाजिक चेतना ने महिलाओं के जीवन-स्तर को उन्नत किया है। बाँछड़ा समुदाय की महिलाओं द्वारा उच्च पदों जैसे- तहसीलदार, इंजीनियर आदि को सुशोभित किया जा रहा है।

जिस दिन रात को 12 बजे भी नारी स्वतंत्र भ्रमण कर पायेगी तभी उसकी आजादी सच्ची व सार्थक मानी जायेगी। तभी उसकी **सांस्कृतिक स्थिति मजबूत मानी जायेगी।**

साथ ही, यौन-स्वतंत्रता कहीं न कहीं नारी की सच्ची आजादी का शी प्रतीक है।

'मध्यप्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है, जिसमें एक परंपरा पाई जाती है, जिसे गोटूल कहा जाता है। जिसमें कन्या वर का चयन स्वयं करती है। इस आदिवासी समुदाय में गाँव के बीच में एक सार्वजनिक आवास पाया जाता है, जिसमें कुवँरे लड़के-लड़कियाँ कुछ दिनों तक साथ में रहते हैं और अपने मनपसंद साथी का चयन करते हैं। लड़कियों को पूरा अधिकार रहता है, कि वह अपने मनपसंद साथी को चुनकर उससे विवाह करले। इस व्यवस्था में लड़की एक-एक लड़के के साथ कुछ दिनों तक साथ रहतीं है व फिर जिसे अपने योग्य पाती है, उसके साथ विवाह कर लेती है। इस समुदाय में यह नारी-स्वतंत्रता का अनुपम उदाहरण है।'

उपर्युक्त विषय को केन्द्र में रखकर, प्रस्तुत शोधपत्र अनूसूची व अन्तर्वस्तु विश्लेषण विधि के अन्तर्गत उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा चयन साहित्य, संदर्भ-ग्रंथ, पत्रिकाओं, सरकारी व मुख्य गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किये गये शोध-अध्ययन पर आधारित है। अनूसूची के अनुसार पूछे कुछ प्रश्नों के उत्तर निम्नानुसार प्राप्त हुए-

'क्या परिवार में स्त्रियाँ घूंघट निकालती हैं?'

प्रश्न के उत्तर के अन्तर्गत दृढ़ सहमति 12.5 प्रतिशत(25), सहमति 43 प्रतिशत(86), अनिश्चित 16 प्रतिशत(32), असहमति 15.5 प्रतिशत(31) व दृढ़ असहमति 13 प्रतिशत(26) पाई गई। इससे प्रतीत होता है, कि बाँछड़ा समुदाय की स्त्रियाँ अपने परिवार में घूंघट निकालती हैं। इसका तात्पर्य है, कि अभी भी घूंघट प्रथा समुदाय में अस्तित्व रखती है। परन्तु शिक्षा प्रसार व सामाजिक चेतना से महिलाऐं, अब घूंघट प्रथा तो तोड़ती हुई भी मिल रही हैं।

'क्या वेश्यावृत्ति के कारण स्त्रियों के व्यवहार में परिवर्तन हुए है?'

प्रश्न के उत्तर के अन्तर्गत दृढ़ सहमति 5 प्रतिशत(10), सहमति 32.5 प्रतिशत(65), अनिश्चित 24.5 प्रतिशत(49), असहमति 29 प्रतिशत(58) व दृढ़ असहमति 9 प्रतिशत(18) पाई गई। इससे प्रतीत होता है, कि बाँछड़ा समुदाय की महिलाएँ मानती हैं कि, वेश्यावृत्ति के कारण स्त्रियों के व्यवहार में परिवर्तन हुए हैं और यही वह कारण हो सकता है, जिसके कारण बाँछड़ा समुदाय की महिलाएँ वेश्यावृत्ति को खराब दृष्टि से नहीं देख पा रहीं हैं। जिसके कारण उसे छोड़ने में कोई रूचि नहीं रखती हैं।

'क्या वेश्यावृत्ति के कारण अश्लीलता व फूहड़ता में नियन्त्रण हुआ है?'

प्रश्न के उत्तर के अन्तर्गत दृढ़ सहमति 19.5 प्रतिशत(39), सहमति 24 प्रतिशत(48), अनिश्चित 12.5 प्रतिशत(25), असहमति 36 प्रतिशत(72) व दृढ़ असहमति 8 प्रतिशत(16) पाई गई। इससे प्रतीत होता है, कि बाँछड़ा समुदाय की महिलाएँ मानती हैं कि, वेश्यावृत्ति के कारण अश्लीलता व फूहड़ता में कोई नियन्त्रण नहीं हुआ है।

'क्या आपको अस्पृश्यता का सामना करना पड़ता है?'

प्रश्न के उत्तर के अन्तर्गत दृढ़ सहमति 11 प्रतिशत(22), सहमति 30.5 प्रतिशत(61), अनिश्चित 13.5 प्रतिशत(27), असहमति 36.5

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

प्रतिशत(73) व दृढ़ असहमति 8.5 प्रतिशत(17) पाई गई। इससे प्रतीत होता है, कि बाँछड़ा समुदाय की महिलाएँ मानती हैं कि, उन्हें अस्पृश्यता का सामना करना नहीं पड़ता है। जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि आधुनिक समाज की महती आवश्यकता है, कि कोई किसी को अस्पृश्य न समझे।

'क्या बाँछड़ा समुदाय के लोग महत्वपूर्ण सामाजिक-साँस्कृतिक पदों पर हैं?'

प्रश्न के उत्तर के अन्तर्गत दृढ़ सहमति 12.5 प्रतिशत(25), सहमति 43 प्रतिशत(86), अनिश्चित 17.5 प्रतिशत(35), असहमति 22.5 प्रतिशत(45) व दृढ़ असहमति 4.5 प्रतिशत (9) पाई गई। इससे प्रतीत होता है, बाँछड़ा समुदाय के लोग महत्वपूर्ण सामाजिक-साँस्कृतिक पदों पर हैं, जो कि समुदाय के नए विचारों व उत्थान के लिए आवश्यक है।

नारी ही सांस्कृतिक विरासत की धुरी है। समस्त रिश्तेदारियाँ, सामाजिक-साँस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कार निभाना या कपड़े-लत्तो उपहार स्वरूप रखना अर्थात उपहार देना आदि कार्य, यदि नारी नहीं निभाये तो यह समाज एक दिन में ही रुक जाएगा। सब रिश्तेदारी यहीं समाप्त हो जाएगी। सब समाज के नाते ताने-बाने समाप्त हो जाएंगे। इस तरह नारी जितना याद रखती हैं उतना पुरुष याद ही नहीं रख सकते। स्त्री को सब रिश्तेदारियाँ याद रहती है। पुरुष तो नौकरी धंधे में व्यस्त रहता है। कितने ही व्रत उपवास, श्राद्ध-कर्म, जन्म तिथि सब चीजें तो याद रखती हैं। कितने वास करती हैं, यह सब भला पुरुष कब याद रख पाते हैं या निभा पाते हैं। उनका जीवन तो सिर्फ जीविका उपार्जन तक ही सीमित रह जाता है। वह जितनी रिश्तेदारी याद रख सकती है, उतना पुरुष कभी याद नहीं रख सकता। विवाह समारोह आदि में स्त्रियां कितने उत्साह व भागीदारी से कार्य करती हैं, यह सब जानते हैं। सब कर्मकांड उसे याद रहते हैं। अत: स्त्रियों के बिना यह मानव समाज ही रुक जाएगा, उसके बिना सब सांस्कृतिक धरोहर ही समाप्त हो जाएगी। सामाजिक-सांस्कृतिक शब्द स्त्री के बिना अधुरा है। दिन-भर घर पर चलने वाले कार्य, उत्सव, सामाजिक-सांस्कृतिक क्रियाकलापों की ही झलक उनके कार्यों में मिलती है। अत: नारी संस्कृति है व नारी ही समाज है।

धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि पूर्व काल में स्त्रियों को समान अधिकार मिले हुए थे तथा वह पर्याप्त रूप से स्वतंत्र भी थीं। स्त्रियों को उपनयन का अधिकार भी प्राप्त था। वह यज्ञोपवीत भी धारण करती थी। वह वेद अध्ययन भी करती थी। स्त्री शिक्षा को इतना महत्व दिया जाता था कि अथर्ववेद में कहा गया है कि विवाहिता जीवन में स्त्रियों की सफलता ब्रह्मचर्य की अवधि में प्रदत्ता समुचित प्रशिक्षण पर ही निर्भर करती है अर्थात स्त्रियों के विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य की जो सफलता है वह समुचित प्रशिक्षण के आधार पर ही संभव है। अनेक स्त्रियों ने चिंतक, कवियित्रियों, दार्शनिकों प्रस्ताव व शिक्षकों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अर्जित की व ख्याति भी प्राप्त करी। सर्वानुक्रमणिका के अनुसार ऋग्वेद के श्लोकों अथवा ऋचाओं की रचना करने वालों में बीस स्त्रियों के नाम भी शामिल हैं।

समाजिक, राजनीतिक व धार्मिक जीवन में स्त्री को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी, विभिन्न गतिविधियों में उसका सम्मानजनक स्थान था।

स्मृति काल में स्त्री पुरुष के बराबर नहीं रह गई थी। पुरुष प्रधान समाज होने से स्त्री पराधीन होती गई।

प्रो0 ए0 एस0 अल्टेकर के अनुसार- स्त्री स्वयं अपने अधिकार से रानी या संरक्षक नहीं बन सकती थीं। स्त्री को जुए में दांव पर भी लगाया जा सकता था, किंतु समग्र रूप से विचार करने पर परवर्ती काल की तुलना में प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक थी। समाज स्त्रियों को सम्मान देता था, उनका ध्यान रखता था। सामाजिक, राजनीतिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता थी। धर्म के क्षेत्र में भी उन्हें पुरुषों के साथ पूरी समानता प्राप्त थी।

सांस्कृतिक-सापेक्षवाद- पशु समाज शुरू से अबतक एक जैसा रहता आ रहा है, यही मानव समाज और पशु समाज में अंतर है। जैसा जीवन बरसों से जिए जा रहे हैं, उसी प्रकार का जीवन आज भी जिए चले जा रहे हैं, जबकि मानव समाज द्वारा स्वयं की साँस्कृतिक उपलब्धियों का लगातार परिवर्तन व विकास किया है। सांस्कृतिक विकास के द्वारा ही मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। मनुष्य की यही विशेषता ने सांस्कृतिक सापेक्षवाद व सांस्कृतिक विभिन्नता के दर्शन कराये। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का तात्पर्य अनके प्रकार की संस्कृतियों का पाया जाना। हर्षकोविट्स ने सांस्कृतिक सापेक्षवाद के बारे में बताया है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, जीवन-शैली, सामाजिक प्रतिमान, भाषा, नैतिकता व संस्थाओं द्वारा मनुष्य ने अभिव्यक्त किया है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद को हम अभिवादन के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। भारत में अभिवादन हेतु हाथ जोड़ना, पश्चिम में हाथ मिलाना व टोप उतारना, जापान में शरीर को झुकाना शामिल है। विवाह के प्रकार भी हर वर्ग, समुदाय में भिन्नता लिए होता है। अत: हर व्यक्ति का व्यवहार उसकी संस्कृति के अनुसार होता है व विभिन्न समुदाय व समाज की संस्कृति भिन्न होती है, जिससे मानव व्यवहार में भी विभिन्नता के दर्शन होते हैं। हर मनुष्य के निर्णय, अनुभव व व्यवहार का स्वरूप स्वयं की संस्कृति के अनुसार होते हैं, यही सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है।

इसी प्रकार बाँछड़ा समुदाय की संस्कृति अन्य समुदाय से अत्यन्त भिन्न है, उनके व्यवहार, निर्णय, व्यवहार अन्य समाजों से अत्यन्त भिन्नता लिए हैं। जो पूरी मानवजाति के लिए एक नवीन व अलग संस्कृति से परिचय करवाती हैं। बाँछड़ा समुदाय की सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति उनके समुदाय में कैसी है, उनके पुरुषों(पुरुष समाज) के मध्य क्या स्थिति है, बाँछड़ा समुदाय में स्त्रियों की स्थिति सम्पूर्ण मानव समाज में एक रोचक स्थिति रखता है।

वेश्यावृत्ति बाँछड़ा समुदाय की सामाजिक-सांस्कृतिक समस्या है। अधिकतर परिवार स्वयं ही, इस पेशे में अपनी लड़कियों को भेजते हैं। पुलिस विभाग द्वारा कई प्रयास किये जाने के बाद भी बाँछड़ा समुदाय द्वारा संचालित देहव्यापार अर्थात् वेश्यावृत्ति को रोका नहीं जा सका है। अधिकतर गाँव वालों को पता रहता है, कि पुलिस कब आने वाली है, नतीजन पुलिस के छापों का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है, न हीं मानव तस्करों व दलालों पर कोई प्रभाव हुआ है। देहव्यापार से इस समुदाय की स्त्रियों की सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति पर अत्यन्त अलग व विशेष प्रभाव पड़ा है। जिससे अन्य समाज से इस समुदाय की स्त्रियों की सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति में भिन्नता आ गई है, जिससे उनकी स्थिति समुदाय में अलग अर्थ व महत्व को प्रदर्शित करती है, जिसका अध्ययन पूरे मानव समुदाय के लिए अत्यन्त महत्व रखता है व महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जब पूरा विश्व समुदाय स्त्री-पुरुष समानता की बात करता है और नारी को समान अधिकार दिलाने की पुरजोर आवश्यकता की बात करता है। जिसके लिए नारीवादी विचारधारा का व्यापक प्रसार भी हुआ है, ऐसे समय में बाँछड़ा समुदाय की स्त्रियों की सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति पूरी विश्व समाज के लिए नये अर्थ रखती है व उनकी स्थिति इस प्रकार क्यों है, अध्ययन की आवश्यकता को जन्म देती

है।

इन सबके बावजूद कुछ गाँव के बाँछड़ा समुदाय वेश्यावृत्ति का व्यवसाय बिलकुल नहीं करते हैं। जैसे नीमच तहसील के किशनपुरा, जिसे केन्पुरिया भी स्थानीय लोग कहते हैं, के अधिकतर निवासी बाँछड़ा समुदाय से हैं। ये लोग वेश्यावृत्ति बिलकुल नहीं करते हैं। जबकि ये उसी बाछड़ा समुदाय से आते हैं, जो वेश्यावृत्ति का व्यवसाय करते हैं। ये किशनपुरा गाँव के बाछड़ा समुदाय काफी सम्पन्न हैं। विस्तृत क्षेत्र में खेती–बाड़ी, भूमि के मालिक भी अब उनके पास है। वे अन्य व्यवसाय भी अब कुशलता से करने लगे हैं। अन्य व्यवसायों में उनकी सफलता, उन्हें अन्य वर्गों के समान सम्मान–सफलता दिला रही हैं। अन्य व्यवसायों में उनकी सफलता ने उन्हें पारम्परिक व्यवसाय वेश्यावृत्ति की और उन्मुख नहीं होने देता।

पूरे शोध से यह तो पता चलता है कि, महिलाएँ अब खुलकर जीना चाहती हैं, वे अब वो सब पा लेना चाहती हैं, जो पूर्व सदियों में उन्हें नहीं मिला। उनकी आकांक्षाएं पुरुषों से कम नहीं है। स्त्रियों की स्थिति अब उन्नत हुई है, समाज में उनका सम्मान बड़ा है, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। उनकी शैक्षणिक स्थिति में भी सुधार आया है। उनकी निर्णय लेने की क्षमता में अविश्वनीय परिवर्तन हुआ है।

स्त्रियाँ अब अपनी बात अच्छी तरह व निडरता से रख पा रहीं हैं, वर्तमान में मिली आजादी का वे पूरी तरह से लाभ उठा पा रहीं है। अब उनके मन में कोई भ्रम नहीं है न, स्पष्ट लक्ष्य है व मजबूत इरादे हैं। जिससे उनकी सांस्कृतिक स्थिति मजबूत हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 20 मई 2022, 'दैनिक भास्कर'; इन्दौर संस्करण
2. अल्टेकर ए0 एस0, 'दि पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन'; प्र0 339
3. 1 मई 2021, 'दैनिक भास्कर'; इन्दौर संस्करण; प्र0 13

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

समाज में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की भूमिका

डॉ. आरती कमेड़िया *

*सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – समाज में स्वास्थ्य एवं शिक्षा ऐसी मूलभूत सेवाएँ है जो कि किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव है। ये वे प्राथमिक सेवाएँ है जो किसी भी क्षेत्र के विकास के मापदण्ड निर्धारित करती है। इन सेवाओं का अभाव क्षेत्र विशेष को पिछड़ा एवं अविकसित करता है तथा इनकी उपस्थिति क्षेत्र की उन्नति निर्धारित करती है इसलिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम चलाएँ जाते है जिससे निम्न एवं कमजोर वर्ग तक इन सुविधाओं को पहुँचाया जा सकें। स्वास्थ्य एवं शिक्षा की उत्तम सुविधाओं के द्वारा क्षेत्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है, उच्च आकांक्षाओं की प्राप्ति होती है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, निर्भरता, अपंगता, विवशता एवं असमानता में कमी होती है जिससे समाज सुदृढ़, जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनता है।

शब्द कुंजी –स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, विकास।

प्रस्तावना – समाज एक ऐसा वृहद समूह है जिसमें विभिन्न समूदायों के व्यक्ति मिलकर रहते हैं और अनेक पारस्परिक एवं मानवीय क्रियाएँ सम्पन्न करते है। इन विभिन्न मानवीय क्रियाओं के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं शिक्षा भी सम्मिलित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार -'दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णत: स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है-' अर्थात् किसी व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छा होना ही स्वास्थ्य है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा करती है। गाँधी जी के अनुसार -'जो मुक्ति के योग्य बनाए वहीं शिक्षा है।' शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का कार्य करती है। इस प्रकार समाज में स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों ही आवश्यक तत्व है।

एक स्वस्थ समाज ही प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त हो सकता है इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति का स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्तियों का समूह मिलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है जो कि राष्ट्रीय विकास का एक अहम बिन्दु है। स्वास्थ्य के साथ-साथ व्यक्ति या समाज का शिक्षित होना भी अति-आवश्श्यक है, क्योंकि एक शिक्षित समाज अपने हित एवं अहित को अच्छी तरह समझता है तथा उसी के अनुरूप आचरण करता है जो कि राष्ट्र विकास में अत्यन्त आवश्यक तत्व है। विकसित, विकासशील एवं अविकसित देशों के विभाजन में या निर्धारण में स्वास्थ्य एवं शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा वे आवश्यक एवं प्राथमिक सेवाएँ है जो कि किसी भी देश की उन्नति एवं विकास को प्रभावित करती है। स्थानीय स्तर पर भी ये सेवाएँ (स्वास्थ्य एवं शिक्षा) अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्य एवं पिछडे क्षेत्रों में इन सेवाओं के द्वारा विकास का मापदण्ड निर्भर करता है। विशेष रूप से जनजातीय एवं आन्तरिक क्षेत्रों में ये सेवाएँ हमेशा ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक रही हैं। भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा को समाज की आवश्यक सेवा माना है इसलिए भारत सरकार केन्द्र एवं राज्य स्तर पर अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं जिससे इन सेवाओं की पहुँच दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच सकें। कुछ प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएँ निम्नानुसार है-

स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ/कार्यक्रम :

1. समन्वित बाल विकास सेवा योजना।
2. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम।
3. किशोरी शक्ति योजना।
4. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
5. जननी सुरक्षा योजना।
6. दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना।
7. जिला/राज्य बीमारी सहायता निधि।
8. दीनदयाल चलित अस्पताल योजना।
9. राष्ट्रीय टीकारण कार्यक्रम।
10. बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम।
11. अन्य योजनाएँ।

शिक्षा संबंधी योजनाएँ/कार्यक्रम :

1. सर्व शिक्षा अभियान।
2. गाँव की बेटी योजना।
3. प्रतिभा किरण योजना।
4. विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना।
5. एकीकृत छात्रवृत्ति।
6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तके और स्टेश्नरी प्रदाय।
7. भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को 'व्यवसायिक शिक्षा' के लिए छात्रवृत्ति प्रदाय किये जाने की योजना।
8. ग्रामीण इंजीनियर योजना।
9. अन्य योजनाएँ।

उपरोक्त कार्यक्रम या योजनाओं का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों तक स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सेवाओं को पहुँचाना तथा कमजोर एवं निर्धन

व्यक्तियों को इन सेवाओं की पहुँच के माध्यम से उच्च स्तर तक लाना है जिससे व्यक्ति विशेष तथा समुदाय के साथ-साथ क्षेत्र का भी विकास हो सकें।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा समाज के ऐसे मूलभूत आधार स्तम्भ है जिनके बिना एक सभ्य तथा विकसित समाज की कल्पना एक स्वप्न के समान है। स्वास्थ्य संबंधी कमियों के कारण जहाँ एक तरफ समाज को महामारी, गंदगी, मृत्यु, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक कमियाँ, अस्वस्थता आदि बातों का सामना करना पड़ता है, वहीं अशिक्षित समाज निर्भरता, पिछड़ापन, अज्ञानता एवं मानसिक कमियाँ आदि को झेलता है जिससे समाज पंगु, विवश एवं कमजोर हो जाता है जिससे स्वत: ही समाज को अनेक कुरीतियों, प्रताड़नाओं, पिछडेपन एवं विकासहीनता का सामना करना पड़ता है और ऐसा समाज कभी भी विकास का मार्ग आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता। अत: स्वास्थ्य एवं शिक्षा की कमी से ग्रसित समाज की तुलना में एक स्वस्थ एवं शिक्षित समाज राज्य एवं देश के विकास में आवश्यक भूमिका निभाता है जैसे –

1. आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति तीव्र करने में
2. सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति में
3. नैतिक मूल्यों के विकास में
4. समाज एवं राष्ट्र को विकसित करने में
5. निर्भरता, अपंगता एवं विवशता को कम करने में
6. उच्च आकांक्षाओ एवं मूल्यों की प्राप्ति में
7. असमानता को कम करने में
8. स्वस्थ एवं सुखी जीवन के अवसर उपलब्ध करवाने में
9. शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक सुरक्षा में
10. समाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास को अग्रसर करने में
11. अविकसित से विकासशील एवं विकसित समाज की स्थापना करने में
12. समाज को सुदृढ़, जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने में।

अत: स्पष्ट है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा समाज की वे मूलभूत सेवाएँ है जो समाज के साथ-साथ राष्ट्र के निर्माण एवं प्रगति के लिए अति-आवश्यक आधार हैं। एक स्वस्थ एवं शिक्षित समाज देश के साथ-साथ विदेशों से भी सम्पर्क स्थापित कर उच्च आकांक्षाओं की प्राप्ति में अहम भूमिका का निर्वहन करता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित सुविधाएँ प्रत्येक क्षेत्र हेतु आवश्यक है क्योंकि ये सेवाएँ मानव, समाज एंव राष्ट्र का उत्थान करती है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है, साथ ही जनजातीय भी है वहाँ पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://mp.gov.in/govschemes
2. https://www.who.int
3. पटेल, किशोर, खान, मोहम्मद युसूफ, खान, सादेका (प्रथम संस्करण 2014): स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याणकारी प्रशासन, महावीर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इन्दौर (म.प्र.)।
4. सिंह, शिवलाल (2010): विकास का समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संगीत शिक्षा का प्रारंभ एवं उसका प्रभाव

शिवानी भार्गव *

* शोधार्थी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वलियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – संगीत शिक्षा का मूल स्वरूप गुरू-शिष्य परम्परा और गुरूमुख तालीम ही रहा है, तथापि प्राचीनकाल में कुछ संगीत-शिक्षा केंद्रों या संगीत शालाओं का उल्लेख मिलता है। जिनमें से प्रमुख हैं-

'तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध संगीत एवं नृत्य केन्द्र।'

'वात्स्यायन के कामसूत्र में पांचवी ईसवी पूर्व से तीसरी शताब्दी तक संगीत शिक्षा का प्रबन्ध संगीत शालाओं द्वारा किये जाने का उल्लेख है।'

'चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ई. 385 से 413 में भी राजभवनों में संगीत शालाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें आचार्यो को संगीत एवं नाट्य की शिक्षा देने हेतु उच्च वेतन देकर नियुक्त किया जाता था।'

'महाकवि कालिदास के नाटकों में भी संगीत शालाओं का उल्लेख मिलता है। राजभवन की संगीत शालाओं में संगीत-शिक्षा का प्रबन्ध विशेष रूप से राजस्त्रियों के लिये तथा उनकी दासियों के लिये था।'

इस प्रकार वर्णित सभी संगीत केंद्र या संगीत शालाओं में दी जाने वाली संगीत-शिक्षा राजस्त्रियों, राज पुरुषों तथा दासियों तक ही सीमित थी। कुछ परिवारों में संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाए जाने के कारण वे संगीत-शिक्षा केवल अपनी सन्तानों को ही देते थे। अर्थात् संगीत शिक्षा का उद्देश्य मनोरंजन या व्यवसाय मात्र था। आम जनता के लिये या उसके ज्ञानवर्धन के लिये संगीत-शिक्षा के प्रबन्ध का कोई उल्लेख नहीं मिलता। परन्तु राजा मानसिंह तोमर के काल में अर्थात् 15वीं शताब्दी में ग्वालियर में एक संगीत शाला की स्थापना की गई थी और उसमें शिक्षा लेकर तानसेन, बख्शू इत्यादि जैसे कलाकार निर्मित हुए जिन्होंने दशदिशाओं में अपनी कीर्ति फैलायी।

उसके बाद विशेष रूप से गुरू परम्परा द्वारा या गुरूमुख तालीम द्वारा संगीत की शिक्षा के लिये किसी केन्द्र या शाला का उल्लेख नहीं मिलता। संगीत के विभिन्न घरानेदार संगीतज्ञों द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत घरानेदार शिक्षा ही प्रचार में थी।

वर्तमान युग में हिन्दुस्तानी संगीत की आधुनिक शिक्षा पद्धति गत साठ- सत्तर वर्षों से ही प्रचलित हुई है। इन साठ-सत्तर वर्षों में हिन्दुस्तानी संगीत में अनेक परिवर्तन हुए।

संगीत-शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने वाले तथा संगीत को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर देने वाले विष्णुद्वय अर्थात् पं. विष्णु नारायण भातखण्डे तथा विष्णु दिगम्बर पलुस्कर परब्रह्म में लीन हो गए। अनेकानेक ज्येष्ठ-श्रेष्ठ संगीतज्ञ भी स्वर्गवासी हो गये। इस कारण उनके आदर्श नई पीढ़ी के सन्मुख अत्यधिक अधिक प्रखर नहीं हुए।

स्वतंत्रता के पश्चात् रियासतों के सार्वभौम-सत्ता में विलीन होने के कारण संगीतकारों का राजाश्रय छूट गया और उन्हें लोकाश्रयी होना पड़ा। अंग्रेजी सत्ता समाप्त होने पर भी अंग्रेजों के रीति-रिवाज उनकी विचार-धारा, शिक्षा-पद्धति इत्यादि बातों का प्रभाव संगीत पर भी हो गया।

इन बातों से कहा जा सकता है कि संगीत का प्रचार-प्रसार तो हुआ परन्तु कलाकारों का राजाश्रय समाप्त हो जाने के कारण उन्हें अपनी कला का समाज के सन्मुख प्रदर्शन कर जीवनयापन करना आवश्यक हो गया। यह अत्यंत कठिन कार्य था। क्योंकि लोकाश्रय के लिये कलाकारों को समय-समय पर लाचार होना पड़ता था। कलाकारों की ऐसी लाचार या दीन-हीन अवस्था से उन्हें मुक्ति मिल सके तथा संगीत-शिक्षा सर्व-सामान्य संगीत प्रेमी को सहजता से प्राप्त हो सके इन्हीं उद्देश्यों से संगीत-शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ।

संगीत को व्यवसाय और मनोरंजन मात्र के उद्देश्य से ऊपर उठाकर शिक्षा के अन्य विषयों के समान महत्व प्रदान कराने का और समाज के सभी वर्गों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का श्रेय आधुनिक युग के क्रान्तिकारी संगीतज्ञ पं. पलुस्कर जी तथा पं. भातखण्डे जी ने संगीत-शिक्षा संस्थाओं का संस्थापन किया, तथापि आधुनिक युग में संगीत शिक्षा को विश्वविद्यालयों में स्थान दिलाने का श्रेय इन्हीं महानुभावों को जाता है।

'संगीत में निश्चित अभ्यास क्रम, नियमित कक्षाएँ और परीक्षाओं का प्रारम्भ सर्वप्रथम पलुस्कर जी द्वारा हुआ।' उसके बाद संगीत में परीक्षा एवं उपाधि का महत्व बढ़ने लगा। पं. भातखण्डे, संगीत-शिक्षा को विश्वविद्यालय-अभ्यास क्रम का सम्मान दिलाना चाहते थे। इसलिये किसी भी विद्या की उन्नति के लिये जिस बुनियादी साहित्य की आवश्यकता होती है वह सब उन्होंने संगीत के लिये उपलब्ध करा दिया था। स्नातक स्तर के पांच वर्षीय अभ्यास क्रम की सफलता का अनुभव लेने के बाद स्नातकोत्तरीय अभ्यास क्रम की योजना भी उन्होंने बना रखी थी तथा इस हेतु पर्याप्त साहित्य भी उन्होंने एकत्रित किया था।

संगीत विश्वविद्यालय की मूल कल्पना पं. भातखण्डे की ही थी जिसका प्रथम उल्लेख सन् 1925 में उन्होंने ग्वालियर में किया था।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से पूर्वार्द्ध तक भारत में स्वतंत्र संगीत-विद्यालयों का निर्माण हो चुका था। ये सभी विद्यालय अत्यधिक गतिशीलता

से संचालित हो रहे थे। इन विद्यालयों द्वारा दी जानेवाली उपाधियों को भी पर्याप्त महत्व प्राप्त हो रहा था। पर तब भी विश्वविद्यालयों में अन्य सभी विषयों के समकक्ष स्थान संगीत को नहीं मिला था।

पं. भातखण्डे जी की कामना थी कि- 'संगीत-शिक्षा को प्राप्त कर विद्यार्थी केवल गायक ही नहीं बने बल्कि, अच्छा गायक, अच्छा शिक्षक, प्रशासक तथा शास्त्रकार बने।' इसी दृष्टि से वह प्रयत्नरत भी रहे। उनके पश्चात् उनसे प्रभावित संगीत प्रेमी भी इस दिशा में प्रयत्नशील रहे। उनके अनंत परिश्रमों एवं उत्कृष्ट इच्छा के फलस्वरूप ही भारत में सर्वप्रथम बड़ौदा विश्वविद्यालयों में संगीत का समावेश हुआ।

इसके बाद सन् 1952 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पं. ओंकारनाथ ठाकुर ने अत्यधिक प्रयत्नों से 'कॉलेज ऑफ म्यूजिक एण्ड फाइन आर्ट्स' यह विभाग शुरू किया और उसे स्थायी रूप प्रदान किया। इस प्रकार से भारत के दो विश्व विद्यालयों में अन्य विषयों की भाँति ही संगीत की शिक्षा का प्रारम्भ हुआ।

यूँ तो संगीत-शिक्षा के अनेक उद्देश्य माने गये हैं। परन्तु विद्यार्थियों की क्रियात्मक शक्तियों को सचेत करना तथा संगीत की सामग्री द्वारा बालकों की रुचि, रुझान, स्वयं उनके सामर्थ्य का ज्ञान करके उसके विकास का प्रयत्न करना, यही मुख्य उद्देश्य है। इसी दृष्टिकोण से विद्यालयीन संगीत शिक्षा दी जाती है।

मूलत: संगीत शिक्षा के तीन प्रमुख स्तर माने जा सकते हैं- पहला स्तर, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अन्य विषयों के साथ बालक की रुचियों और उसके जन्मजात सूत्र गुणों का विकास करने हेतु दी जाने वाली संगीत शिक्षा।

दूसरा स्तर, महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अन्य विषयों के समकक्ष ही संगीत को मानकर दी जाने वाली संगीत-शिक्षा, जिससे विद्यार्थी संगीत का समान्य ज्ञान प्राप्त कर सकें तथा उन्हें आगे आने वाले समय में उच्च स्तरीय संगीत-शिक्षा प्राप्त करने का आधार मिल सके।

तीसरा स्तर, विश्वविद्यालयों में संगीत में स्नातकोत्तर तथा उच्चस्तरीय अभ्यास के लिये दी जाने वाली संगीत शिक्षा।

इस प्रकार, संगीत शिक्षा के तीन प्रमुख उद्देश्य भी माने जा सकते हैं-

1. संगीत द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना।
2. संगीत की भिन्न-भिन्न शाखाओं में अनुसंधान करना।
3. संगीत-शिक्षा द्वारा मंच-प्रदर्शक निर्माण करना।

पहला स्तर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चस्तर माध्यमिक विद्यालयों में दी जाने वाली संगीत शिक्षा द्वारा प्रथम उद्देश्य की पूर्ति होती है तथा अन्य प्रकार की शिक्षा में सुगमता लाने के लिये सुविधा होती है।

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में संगीत का एक मुख्य विषय के रूप में स्वीकार्य होने से पूर्व ही प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संगीत-शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी थीं। परन्तु विद्यालयों की संगीत शिक्षा के स्तर में काफी अंतर है। विद्यालयों में संगीत-शिक्षा का प्रवेश छात्रों के विकास के माध्यम के रूप में हुआ था। इसीलिए प्राथमिक स्तरीय संगीत शिक्षा में बालगीतों का अधिक समावेश होता रहा, जिससे बच्चों के मन पर स्वर के माध्यम से अच्छे संस्कार किये जा सके। माध्यमिक और उच्च स्तरीय संगीत शिक्षा में संगीत की थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ गिने-चुने राग, उनकी बंदिशें, परिचयात्मक आलाप, और तान तथा भजन इत्यादि करवाया जाता है। अर्थात् यह सब उनके पाठ्यक्रम में होता है। परन्तु इस विद्यालयीन स्तर के पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थी को मंच प्रदर्शक बनाना नहीं होता। विद्यालयीन संगीत-शिक्षा इसलिए दी जाने लगी कि विद्यार्थियों की रुचि का अनुमान लगाया जा सके और उनकी विशेष योग्यता को परखा जा सके।

दूसरे तथा तीसरे स्तर की शिक्षा द्वारा दूसरे तथा तीसरे उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है।

संगीत को विश्वविद्यालय में स्थान प्राप्त हो जाने से अन्य सभी विषयों के समान ही संगीत में भी विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, कक्षायें, परीक्षायें तथा उपाधियाँ इत्यादि बातों को महत्व प्राप्त हुआ। संगीत को एक शैक्षणिक दर्जा प्राप्त हो जाने से संगीत के क्षेत्र में एक अनोखी क्रांति आ गयी और इससे संगीत का समध क्षेत्र लाभान्वित हुआ। इससे जो लाभ हुए वे इस प्रकार के थे –

1. संगीत के उपाधिकारी व्यक्ति को अन्य शिक्षित व्यक्तियों के समान ही समाज में आदर भाव से देखा जाने लगा।
2. विश्वविद्यालयों के अन्य व्याख्याताओं (अध्यापकों) को प्राप्त होने वाली सभी सुविधाएं अब संगीत के अध्यापकों को भी उपलब्ध होने लगी। जिससे उनमें उत्साह की भावना बनी।
3. विश्वविद्यालयों के अन्य विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली सभी सुविधाएं संगीत के विद्यार्थियों को भी मिलने लगी।
4. बड़े विश्वविद्यालयों में संगीत शिक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात् अन्य कई विश्वविद्यालयों में भी संगीत की स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं का पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुआ। इससे लाभ यह हुआ कि जो विद्यार्थी संगीत की शिक्षा लेना चाहते थे उन्हें संगीत शिक्षा के लिये नियमित विद्याभ्यास के अतिरिक्त अन्य समय नहीं देना पड़ा। अर्थात् महाविद्यालयों से संगीत को एक विषय के रूप में लेने के बाद संगीत सीखना और उपाधि प्राप्त करना ये दोनों एक साथ साध्य होने लगे।
5. देश के अनेक विश्वविद्यालयों में संगीत को अन्य विषयों के समक्ष स्थान मिलने के कारण संगीत प्रेमी शिक्षार्थियों को संगीत हेतु दूर-दूर तक नहीं भटकना पड़ा।
6. समाज के सभी वर्गों को संगीत-शिक्षा सरलता से उपलब्ध होने लगी।
7. विश्वविद्यालयीन संगीत-शिक्षा उपाधि युक्त हो जाने के कारण उपाधि प्राप्त नई पीढ़ी को नियुक्तियों की सुविधा होने लगी। क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों में उपाधिधारी संगीत शिक्षकों की नियुक्तियां की जाने लगीं, विश्वविद्यालयों की उपाधि को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता होने पर उस उपाधि का उपयोग किसी भी विश्वविद्यालय में निर्मित पद के लिये हो सकता है।
8. संगीत में संशोधनात्मक प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलने लगा। क्योंकि, विश्वविद्यालयीन शिक्षा में डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी अर्थात् पी.एच.डी. को एक महत्वपूर्ण तथा उच्च स्तरीय आवश्यक उपाधि के रूप में मान्यता है और संगीत के अध्यापकों को भी पदोन्नति के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार पी.एच.डी. करना अनिवार्य माना जाने लगा है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि घरानेदार संगीत-शिक्षा सर्वसाधरण संगीत प्रेमियों के लिये सहज उपलब्ध न हो सकने के कारण ही संगीत के विद्यालयों का उद्भव हुआ और फिर शनै: शनै: विश्वविद्यालयों में संगीत शिक्षा का प्रारम्भ हुआ और इसके लिये पं. पलुस्कर जी और पं. भातखण्डे

जी का योगदान अविस्मरणीय है संगीत की शिक्षा को विश्वविद्यालय में प्रारम्भ कराने का श्रेय उन्हीं को जाता है। संगीत शिक्षा के उक्त स्तर, उद्देश्य और लाभ से स्पष्ट है, कि संगीत-शिक्षा, मंच प्रदर्शन तथा संशोधान से ही सम्बन्धित है। इस उद्देश्य से, कि महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में संगीत की शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी मंचप्रदर्शक, रसग्राही, श्रोता, सफल अनुसंधान -कर्ता और उत्तम शास्त्रकार बन सके। यह मानना उचित होगा कि संगीत के क्षेत्र को प्राप्त लाभ के कारण ही सीमित संगीतज्ञ को समाज में समुचित प्रतिष्ठा और गौरव प्राप्त हुआ है और आधुनिक युग में संगीत-शिक्षा ने विश्वविद्यालयों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संगीत शिक्षा की तालीम परम्परागत प्रणाली और आधुनिक संस्थागत संगीत शिक्षा : तुलनात्मक अध्ययन - एस.एस. रातंजनकर, संगीत, जनवरी-फरवरी 1984
2. भारतीय संगीत का इतिहास : श.श्री. परांजपे
3. भारतीय संगीत का इतिहास : उमेश जोशी।
4. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायन की शिक्षा प्रणाली : डॉ. सुरेश गोपाल श्रीखण्डे
5. गायनाचार्य पं. विष्णु दिगम्बर : बा. र. देवधार
6. भातखण्डे स्मृतिग्रंथ : पृ. न. चिंचौरे
7. संगीत शिक्षण : एस. भटनागर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

घुमंतू लोहपीटा समाज का सामाजिक अध्ययन: भिंड जिले के संदर्भ में

कमला नरवरिया *

* सहायक प्राधयापक (हिंदी) संस्था - शा. एम जे एस स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिंड (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारत में घुमंतू जनजातियों का अपना एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है लेकिन इन जनजातियों की स्वयं की स्थिति दयनीय ही रही, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने के कारण इनके जीवन में सदैव स्थिरता का अभाव बना रहा है। हिंदी में 'एक पुरानी कहावत है रमता जोगी बहता पानी। इनका कहीं ठहराव नहीं होता है चलते या बहते रहना ही इनकी नियति है लेकिन हमारे विशाल देश में करोड़ों ऐसे लोग भी हैं जिनकी नियति भी कुछ ऐसी है एक से दूसरे स्थान पर भटकते रहना। कभी इस शहर तो कभी उस गांव। इसमें अधिकतर लोग विमुक्त घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजातियों से संबंधित हैं 1031 के बाद इनकी कोई जनगणना नहीं हुई। इस नाते इनके बारे में प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।'[1] फिर भी एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में इनकी जनसंख्या 6 करोड़ के लगभग होगी लेकिन कुछ सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक पूरे देश में इनकी जनसंख्या 15 करोड़ के लगभग होगी। समाज में इन विमुक्त घुमंतू जनजातियों के अनेक समुदाय हैं। इन समुदायों को बंजारा, गाड़िया लोहार, कालबेलिया जोगी ,नट ,देवरा इत्यादि नामों से जाना जाता है।

भिंड जिले मे स्थित लोहपीटा समाज की सामाजिक स्थिति- 2011 की जनगणना के मुताबिक भिंड जिले की जनसंख्या 1700000 है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या 94% हिंदू धर्म की है ,3% से कुछ अधिक मुस्लिम धर्म तथा 2: जैन धर्म के अनुयायी है इसके अतिरिक्त यहां कुछ अन्य धर्मों जैसे ईसाई, बौद्ध और सिक्ख भी निवासरत है। भिंड जिले में निवासरत घुमंतू जनजातियों का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है फिर भी मोटे तौर पर एक अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या चार से पांच हजार के करीब होगी।जिनमें मुख्यत: लोहपीटा समाज है।जिन्हें गाड़िया लोहार ,लोहापीटा , लोहार लोगढ़िया या दूधालिया जैसे नामों से जाना जाता है। लोहपीटा समाज बंजारों की ही एक श्रेणी है जो देश के अलग-अलग हिस्सों में पाई जाती है। यह जनजाति भिंड जिले में भी निवासरत है। लोहपीटा समाज की रानीबाई से पूछने पर आप यहां कब से निवासरत है ? तो वे बताती है हम यहां 40-50 वर्षों से रह रहे है।मोहर सिंग से चर्चा करने पर वह बताते है, हमारे दादा - परदादा यहां आकर रहने लगे है तभी से हम भी भिंड में निवासरत है। भिंड में निवासरत इस लोहपीटा समाज की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है।मुख्यत: डेरों में रहने वाली यह जनजाति आज भी शहर के मुख्य सड़क मार्ग के किनारे तंबू बनाकर रहती है। शिक्षा की रोशनी से कोसों दूर इस जनजाति का वर्तमान अत्यंत कष्टप्रद और अंधकारमय है। यहां रहने वाले लोहपीटा समाज का मुख्य पेशा लोहे के औजार बनाकर बेचना रहा है जिन्हें वह जिले के गांव कस्बों में जा जाकर कृषि से संबंधित लोहे के औजार बेचते थे। यही इनकी आजीविका का मुख्य केंद्र था लेकिन औद्योगिकीकरण के फलस्वरुप कृषि के अत्याधुनिक औजार आ जाने से इनके रोजगार धंधो में गिरावट आई फलस्वरुप लोहे के औजार बनाने पर निर्भर यह जनजाति अब जीवनयापन के लिए अन्य काम धंधो अपना रही है जैसे पशुपालन, दिहाड़ी मजदूरी इत्यादि।समय के साथ - साथ यायावरी पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए मशहूर यह जनजाति अब स्थाई रूप से निवास करने लगी है।

भिंड जिले में स्थित लोहपीटा समाज की सामाजिक संरचना- इस समाज की पारिवारिक संरचना की बात करें तो यह समाज स्त्री - पुरुषों को बराबरी का दर्जा देता है महिलाएं भी पुरुषों के समान घर बाहर का कार्य करती हैं और परिवार के फैसले भी मिलजुलकर लिए जाते हैं। सामाजिक संरचना की बात करें तो यह जनजाति आज भी डेरों मे निवास करती है और प्रत्येक डेरें का अपना एक मुखिया होता है जो समाज की समस्याओ को सुलझाता है मुखिया जिसे यह लोग सरपंच भी कहते है,का चुनाव किसप्रकार करते है, पूछने पर डेरे की बुजुर्ग महिला सघुडाबाई बताती है हम डेरें के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को अपना मुखिया चुनते हैं।जिससे वह डेरें के हित में काम कर सके तथा समस्याओं को बेहतरीन तरीके से सुलझा सके।

उत्पत्ति कथा- राजस्थान को अपना मूल निवास बताने वाले लोहपीटा समाज का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज बताने वाला लोहपीटा समाज बड़े गर्व से अपने गौरवशाली अतीत का वर्णन करता है।अपने घुमंतू जीवन व्यतीत करने के पीछे वे इसी अतीत को उत्तारदायी मानते हैं। लोहपीटा समाज की अपनी एक उत्पत्ति कथा है जिसके अनुसार महाराणा प्रताप द्वारा सम्पूर्ण राज्य को मुगलों से पुन: जीत न लेने तक राज्य न लौटने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में सम्पूर्ण राज्य अपने अधीन नही कर पाए।जिसके फलस्वरूप यह समाज कभी वापस अपने देश नही लौटा और अपनी अजीविका चलाने के लिए लोहे के औजार बनाने के परंपरागत कार्य को करने लगा।

शारीरक गठन- लोहपीटा समाज मेहनतकश समाज है। इस समाज के स्त्री- पुरुषों का रंग प्राय सांवला होता है और कद मध्यम कदकाठी का होता है।

जन्म संस्कार- इस समाज में जन्मसंस्कार राजस्थानी रीति रिवाज से मनायें

जाते है।और बच्चे का नामकरण 41 दिनों के बाद घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा रखा जाता है ।

विवाह संस्कार– विवाह संस्कार में यह लोग अपने गोत्र से अलग गोत्र मे विवाह करते है समाज की बुजुर्ग महिला लाजोबाई के अनुसार हम विवाह के समय मुख्यत: छः दूध बचाते है।मां, मौसी, बुआ, नानी, मामी,और चाची का

विवाह के सभी रीति – रिवाज यह लोग राजस्थानी लोकपरंपराओ के अनुसार निभाते हैं। शादी को यह लोग 'फेरा' कहकर संबोधित करते है तथा बारात ले जाने को 'जान' ले जाना कहते है। विवाह के अवसर पर राजस्थानी लोकगीत गाये जाते है।जो अनायास ही मन को भावुक कर देने वाले होते है।

गोत्र– इस समाज के लोग स्वयं को क्षत्रिय मानते है तथा
अपने गोत्र निम्न बताते है–

1. तोमर
2. सेंगर
3. परिहार
4. जादौन
5. राठौड़

क्षत्रिय वर्ण के समान ही इनके गोत्र होते है।

मृत्यु संस्कार– लोहपीटा समाज में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले रिश्ते– नातेदारो को सूचना दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति की रात में मृत्यु हो जाती है तो सभी डेरे वाले वहां उपस्थित रहकर उस परिवार को शोक सांत्वना प्रदान करते हैं और सुबह होने पर शव को शमशान में ले जाकर अग्नि के सुपूर्द कर दिया जाता है। यदि कोई बच्चा है तो उसे जलदाग अर्थात जल में प्रवाहित कर दिया जाता है।यदि किसी विवाहित स्त्री का पति मर जाता है तो उसके सारे सुहाग चिन्हों जैसे पायल चूडियां बिछिया इत्यादि को किसी विधवा स्त्री द्वारा उतरवा दिया जाता है।

लोक देवता– लोहपीटा समाज वैसे तो कई लोक देवी देवताओं को मानता है परन्तु वह अपना मुख्य लोक देवता रामदेवजी को मानता है।जिसे वे रामसा पीर भी कहते है रामदेव की समाधि स्थल राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है उनकी इस समाधि स्थल को रामदेवरा कहा जाता है।जहां प्रतिवर्ष भादों माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से दशमी तिथि तक लगने वाले मेले में यह समाज जात करने के लिए प्रतिवर्ष जाता है।जहां वह गुड़वाले घी के चूरमा बना कर रामदेव को भोग अर्पित करते है ।भोग को यह लोग धूपिया कहते है।इसके अतिरिक्त यह लोग भूमिया, मेवाती, कालिका ,कारसदेव और लौडीमाई इत्यादि लोक देवी – देवताओं को भी पूरी श्रृद्धा से पूजते हैं।लौडीमाई को ये लोग मनौती पूरी होने पर बकरा चढ़ाते है। जबकि अन्य लोक देवी देवताओं को नारियल बताशा रेवडी लठ्ठू इत्यादि का चढ़ावा चढाते है।

लोकगीत– लोहपीटा समाज शादी– विवाह, जन्मसंस्कार व तीज त्यौहारों जैसे खुशी के अवसर पर लोकगीत गाते हैं।

डेरे की बासन्तीबाई से अधिक आग्रह करने पर वह लोकगीत की कुछ पंक्ति सुना देती है प्रस्तुत है उसी से
संबंधित लोकगीत का कुछ अंश–

काकौ लाऔ काकड़ी काकौ मांगे बीज।
काकौ लाऔ लाटरी काकौ गाये गीत।।

लोक बोली– लोहपीटा समाज राजस्थानी मिश्रित हिंदी बोलते है। इस भाषा को भी हिंदी के समान देवनागरी लिपि मे लिखा जाता है।लोहपीटा समाज द्वारा इस भाषा से दैनिक जीवन में खानपान संबंधी प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण:

होगुरु–रोटी
भाजी–सब्जी
उकडी–मूसलियो– मूसल
तोलणी–ढेगची
लसण–लहसुन

सामाजिक कुरीतियां–लोहपीटा समाज भी सामाजिक कुरीतियों से अछूता नहीं है । इस जनजाति में भी मद्यपान व दहेज की समस्या सुरसा के मुँह की तरह लगातार फैलती जा रही है। पहले से ही दयनीय स्थिति में जीवनयापन कर रहा यह समाज दहेज जैसी कुप्रथा से भी जुझ रहा है ।यही वजह है कि अभी तक लिंगभेद की समस्या से दूर यह समाज भी धीरे – धीरे उसकी गिरफ्त मे आता जा रहा है। इस समाज में लिंगभेद का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि यदि इस समाज की कोई लडकी अन्य समाज के लडके से विवाह कर लेती है तो समाज द्वारा उसका समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है लेकिन यही कार्य समाज के किसी लडके द्वारा किया जाता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार नही किया जाता है ।इसके अतिरिक्त इस जनजाति के कुछ लोग भांग अफीम इत्यादि नशे का सेवन भी करते है।

भिंड जिले में कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा इनमें जनचेतना जाग्रत करने के लिए समय– समय पर कार्यक्रम आयोजित किये जाते है जिससे इस समाज मे चेतना का उद्भव भी हुआ। इस वजह से समाज के लोग अपने बच्चों को पढाने की दिशा में अग्रसर हो रहे है। बच्चों की शिक्षा के बारे में बातचीत करने पर इस समाज की पिंकीबाई बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी अवश्य, मैं चाहती हूं जैसा जीवन हम लोग जी रहे है वैसा हमारे बच्चे न जीए।धीरे धीरे बदलाव की बयार इस समाज में भी आ रही है।और शिक्षा के आलोक में एक दिन ये कुरीतियों भी दूर होगी।

लोहपीटा समाज की जीवन शैली– लोहा पीटा समाज की अपनी एक समृद्ध संस्कृति रही है जिसे वे जहां भी गए अपने भौतिक शरीर के साथ अपने मन की गठरी में बांध कर ले गए यही वजह है।कि आधुनिक दौर में भी अपनी संस्कृति व सभ्यता को बचाए हुए हैं।

वेशभूषा–लोहपीटा समाज की स्त्रियां अपनी विशेष वेशभूषा के कारण अलग से ही पहचानी जाती हैं। इनके मुख्य साज–सज्जा व परिधानों में कांचुली, ओढ़नी, ओट घाघरा ,चोली, हॉसलो ,वीटी , काडौलिया,बिलिया इत्यादि है ।

कांचुली– कांचुली लोहपीटा समाज की स्त्रियों के शरीर पर पहनने का ऊपरी वस्त्र होता है जिसके तीन भाग होते हैं खविया, पाटाया थानथान्या और पेटी।

'खविया दोनों भुजाओं पर तीन रंगों के कपड़े को (काला पीला लाल) लेकर सीला जाता है। भुजाओं पर कांच तथा कौड़ी जोड़कर भी जीते हैं पाटा थानथान्या वक्ष:स्थल पर कपड़े को अंदर से नाप तथा बाहर से चमकी लगाकर कपड़ा सीला जाता है इस पर भी कांच कौड़ी फूँदा जोड़कर सीलते हैं।पेटी कांचुली के अंत में पेटी जोड़ी जाती है ।यह पेट और पेडू के बीच में रहती है पेटी पर भीपारा फूंदा कॉच कौड़ी जोड़कर सीला जाता है। पेटी के अंदर पैसे छुपाने के लिए खीसा भी बना लेते हैं।'[2]

ओढनी–लोहपीटा समाज की स्त्रियों की ओढ़नी अत्यंत सुंदर होती है। ओढ़नी की लंबाई लगभग 3 मीटर तक होती है जिसे इस समाज की महिलाएं

विशेष ढंग से ओढ़ती है ओढनी पर कांच पतडी फूंदा इत्यादि से सवाल सजाया जाता है।

आटी- आटी चांदी से बनी होती है ओढनी आटी के ऊपर से ओढी जाती है।

घाघरा-घाघरा स्त्रियों के कमर से नीचे पहनने वाला परिधान होता है।सुंदर से घाघरे इस समाज की स्त्रियां की पहचान है।

वीटी- लोहपीटा समाज की स्त्रियां नाक में पहनने वाली नथ को भी वीटी कहती हैं। वीटी उनके सौंदर्य में वृद्धि करती है।

कडौलिया-इस समाज की स्त्रियां हाथों में चांदी से निर्मित विशेष प्रकार के कड़े पहनती हैं जिन्हें कडौलिया कहते हैं।

विलिया- हाथीदांत से निर्मित चूड़ियां जिन्हें लोहपीटा समाज की स्त्रियां पहनती हैं उन्हें विलिया कहते हैं।ये चुडियां सामान्यत: कुहनी से ऊपर पहनी जाती है।

हॉसलो-लोहपीटा समाज चाँदी के सिक्के से निर्मित बिशेष प्रकार के हार पहनती है जिसे हॉसलो कहते है।

इस समाज के पुरुष धोती, कुरता और पजामा पहनते हैं। राजस्थानी संस्कृति को दर्शाती ये विशेष प्रकार से बनी रंगीन टोपियों को पहनते हैं। वैसे आधुनिक युग में अब समाज के सभी स्त्री-पुरुष आधुनिक पहनावे को भी अपनाने लगे।लेकिन आधुनिकता के दौर में भी यह समाज अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाये हुए हैं।

पर्व- त्यौहार- लोहपीटा समाज स्वयं को हिंदू धर्म का ही अंग समझता है। इसवजह से वह हिंदू धर्म के सभी पर्व त्यौहारों को मनाता है। होली हो या दीवाली या फिर अन्य कोई त्यौहार इसे समाज के लोग मिलजुलकर बडी धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर समाज की स्त्रियां मंगल गीत गाती है। प्रस्तुत है दीवाली के अवसर पर गाया जाने वाला एक मंगलगीत-

'रात अंधोरी उये
घर घर दीवलो बाल लीजो।
रात अंधोरी...ये
मारे विराने केजो...ये।'[3]

मनोरंजन-मनुष्य आदिकाल से अपना मनोरंजन करने के लिए विविध प्रकार के साधानों का प्रयोग करता रहा है। जिनमें खेलकूद, नृत्य संगीत,शिकार पर जाना इत्यादि है लोहपीटा समाज भी अपने मनोरंजन के लिए प्राय: इन्हीं गीत संगीत के द्वारा अपना मनोरंजन करते है। वर्तमान समय में टीवी और मोबाइल के आ जाने से अब मनोरंजन के परंपरागत साधनों की जगह ये आधुनिक उपकरण लेने लगे है।

लोहपीटा समाज की पुर्नवास की व्यवस्था- लोहपीटा समाज को समाज की मुख्यधारा मे शामिल करने एंव उनके पुर्नवास के लिए पूर्व में काफी प्रयास किये गये, किन्तु वे नाकाफी रहे। भिंड कलेक्टर रह चुके डॉ. इलैयाराजा टी के कार्यकाल (19 अगस्त 2015 से 3 अप्रैल 2017 के मध्य) में इस घुमंतू लोहपीटा समाज के पुनर्वास के लिए दुबारा से प्रयास किए गए।जिसके सार्थक परिणाम सामने आए।यही वजह है कि जब समाज के लोगों से उनके पुनर्वास के विषय में पूछा जाता है तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है इस विषय में लोहपीटा समाज की सपनाबाई बताती हैं कि 'अब हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूखंड आंवटित हो चुके हैं तथा इसके लिए शासन की ओर से भूखंड निर्माण के लिए किश्तों में जारी राशि भी मिल चुकी हैं ,वही डेरे की कटोरीबाई के अनुसार अब हमारे बीपीएल कार्ड वोटर कार्ड और आधार कार्ड बन चुके हैं। जिससे हमें शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल पा रहा है। भिंड कलेक्टर द्वारा इन डेरों में रहने वाले घुमंतु समुदाय के लोगों के लिए प्रकाश की उचित व्यवस्था कराने के लिए बिजली कनेक्शन भी मुहैया कराए गए हैं, तथा समाज के बच्चों को उचित शिक्षा- दीक्षा के लिए उनका नामांकन सरकारी स्कूलों में कराया जा रहा है।'

निश्चित ही सरकार द्वारा इनके पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय है, किंतु नाकाफी हैं यह समाज आज भी समाज की मुख्यधारा से कोसों दूर है। अशिक्षा गरीबी,भूखमरी ,कुपोषण व अजीविका के साधनों की कमी से जूझ रहा है।प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटित भूखंडों के शहर से अधिाक दूरी के कारण यह समुदाय उन मकानों में जाने के लिए तैयार नहीं है जिससे यह समाज आज भी मुख्य सड़क मार्ग किनारे तंबुओं में रहने को मजबूर हैं।

निष्कर्ष- भिंड ही नहीं पूरे भारत में इस घुमंतु समुदाय की दशा ठीक नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस समाज की दशा अत्यंत सोचनीय है। इस समाज के हालात को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारी स्तर पर भी कई प्रयास किए गए। फिर भी यह इतने प्रभावी नहीं हो पाए।अत: एक बार फिर इस समुदाय की बेहतरी के लिए सरकार और स्थानीय नागरिकों को मिलकर प्रयास किये जाने की जरूरत है। उन्हें ऐसा माहौल प्रदान करने की जरूरत है। जिससे वह समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अरविंदकुमार सिंह,योजना, जनवरी ,2014
2. डॉ.जाधव इंदलसिंग ,बंजारा साहित्य एवं संस्कृति पृ.सं.- 46
3. वही पृ.सं.64
4. लोहपीटा समाज के लोगों से प्रत्यक्ष भेंटवार्ता पर आधारित

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

भारतीय आर्थिक विकास में रियल एस्टेट उद्योग के प्रभाव का अध्ययन रीवा जिले के विशेष संदर्भ में

महिमा गर्ग *

* शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह आवश्यक है कि देश में अचल सम्पत्ति का विकास बहुत ही स्वस्थ तरीके से हो इस अध्ययन का उद्देश्य नवीनतम जानकारी प्राप्त करना और रियल एस्टेट उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारको की पहचान करना है। समंक प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया जाता है। जो रीवा में भवन निर्माण का कार्य करते है ऐसे व्यवसायियों से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाएगी।

प्रस्तावना – भारत में निर्माण क्षेत्र कृषि के बाद दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि है और लगभग 33 मिलिपन लोंगो को रोजगार प्रदान करता है। भारत का निर्माण उद्योग पिछले आठ वर्षो में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे के निवेष और आवास की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत में अचल सम्पत्ति बाजार ज्यादातर असंगठित है रियल एस्टेट एक चक्रीय उद्योग है जो स्थानीय ओर राष्ट्रीय दोनों आर्थिक स्थितियों से प्रभावित होता है। जिसमें जनसंख्या और रोजगार वृद्धि, उपभोक्ता खर्च ब्याज दरें और मुद्रास्फीति शामिल है। स्थानीय आपूर्ति और मांग की स्थिति अचल संपत्ति बाजारो को प्रभावित करने वाले कही अधिक महत्वपूर्ण कारक है।

अध्ययन के उद्देश्य– रियल एस्टेट व्यवसाय एक गतिशील,प्रतिस्पर्धी, हमेषा बदलने वाला और चुनौती पूर्ण उद्योग है। इस शोध का उद्देश्य अचल सम्पत्ति क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारको की पहचान करना है। जो हमारे राष्ट्रीय आर्थिक विश्वास को प्रभावित करते है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य है:-

1. अचल सम्पत्ति उद्योग को प्रभावित करने वाले कारको का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अचल सम्पत्ति के कार्य।

शोध प्रविधि:

1. साहित्य संग्रह
2. साहित्य की समीक्षा
3. कारक पहचान
4. प्रश्नावली की तैयारी
5. वितरण प्रश्नावली
6. डेटा विश्लेषण

प्रक्रिया– विभिन्न जनरल किताबे, पेपर और साहित्य जो रियल एस्टेट व्यवसाय से संबंधित है। सभी का गहन अध्ययन किया गया। व्यवसाय के जानकारी प्राप्त करने में सहायक हुआ। अनुसंधान कार्य अध्ययन के बारे में साहित्य सर्वेक्षण से अचल सम्पत्ति उद्योगों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की पहचान की जाती है।

प्रश्नावली प्ररूप–प्रश्नावली प्रपत्र को मूल्यांकन के लिए एक उपकरण के रूप में तैयार किया गया जिसमें उल्लेखित उद्देश्यों और कारको पर अध्ययन किया गया। यह निर्माण कम्पनियों में प्रबंधन स्तर और उससे ऊपर के कर्मचारियों को लेखित करता है वे समान रूप से महत्वपूर्ण सूचना स्त्रोत है प्रष्नावली प्रपत्र वितरित करने के कई तरीके है- जैसे डाक, ईमेल अथवा व्यक्तिगत रूप से।

विश्लेषण– एकत्रित डेटा के विश्लेषण ने SPSS (सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज) कार्यक्रम का उपयोग किया गया। अचल सम्पत्ति उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारको का पता लगाने के लिए डेटा का विश्लेषण करने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग किया गया। प्रतिक्रियाओं और विश्लेषण के आधार पर अचल सम्पत्ति उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारको की पहचान की गई।

रियल एस्टेट उद्योग के संबंध में विभिन्न पत्रिकाओं, पुस्तकों, पत्रों और प्रासंगिक साहित्य एकत्र किए गए जो कि रियल एस्टेट के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हुए।

अचल सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक – अर्थव्यवस्था ब्याज दरें, सरकारी नीतियां/उप पक्ष, जनसांख्यिकी, रोजगार दर, जनसंख्या प्रवृत्ति, राजनीतिक स्थिरता, उम्र बढ़ने की आबदी, बुनियादी ढाँचा-वित्त पोषण, रियल एस्टेट पूँजी बाजार तरलता वैश्विक परिवर्तन और अनिश्चितता, आवास मांग, भूमि विनिमय मुद्रा स्फीति की दरे उद्योग नवांचार कारक कॉर्पोरेट संस्कृति आदि कारक मुख्य रूप से रियल एस्टेट व्यवसाय को प्रभावित कर रहे है। साहित्य सर्वेक्षण से अचल सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारको की पहचान की गई।

परिणाम– यह अध्ययन उन कारको की पहचान करने पर केन्द्रित था जो रियल एस्टेट उद्योग को प्रभावित करते है। रियल एस्टेट उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सर्वेक्षण द्वारा पहचाने जाते है। समग्र परिणामों के आधार पर ग्राहक व्यवहार जनसंख्या प्रवृत्ति, आर्थिक कारक, रोजगार दर ये सभी कारक रियल एस्टेट व्यवसाय को प्रभावित करते है। समीक्षा से अचल सम्पत्ति उद्योग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारको की पहचान की गई। रियल एस्टेट उद्योग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारको जैसे जनसांख्यिक, ब्याज दर, अर्थव्यवस्था सरकारी नीतिया, रोजगार दर,

जनसंख्या प्रकृति आवास की मांग, मुद्रास्फीर्ति थी दर, रियल एस्टेट उद्योग नवाचार कारको के आधार पर एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की जाती है। तत्पष्चात् प्रश्नावली रियल एस्टेट व्यवसायियो और निर्माण उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को वितरित किया गया। कर्मचारियों ने अपने अनुभव के आधार पर विकल्प का चुनाव किया। समग्र परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त किया गया कि जनसंख्या प्रकृति आर्थिक कारक रोजगार आदि कारक अचल सम्पत्ति उद्योग को प्रभावित करते है।

निष्कर्ष- रियल एस्टेट में निवेश का आपूर्तिकर्ता उद्योगो पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे आर्थिक विकास में अत्यधिक योगदान होता है। अचल सम्पत्ति उद्योग के विकास की प्रक्रिया को और मजबूत करने और सुधारने के लिए बहुत काम करने की आवष्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. इकोनामिकल सर्वे 2021
2. भारत 2021
3. पत्रिका समाचार पत्र विशेष अंक

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

कन्या भ्रूण हत्या, आधुनिक समाज के लिए अभिशाप

डॉ. स्नेहलता सिंह* डॉ. सुनीता कुशवाहा **

* अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय इतिहास का वास्तविक काल वैदिक सभ्यता से माना जाता है। चतुर्वेदों एवं ऋगुवेद को अधिक प्राचीन वेद माना जाता है। 'ऋगवेद में ब्रम्हजानी पुरूषों के साथ–सथ ब्रम्हवादिनी महिलाओं का भी नाम आता है। इनमें विश्रवारा लोप, मृद्रा, द्योषा, इन्द्राणी, देवयाणी, आदि प्रमुख महिलाएं है।' 'एक तरफ जहां भारतीय संस्कृति में नारी को सदा ऊंचा स्थान मिला है। नारी को मर्यादा के क्षेत्र में पुरूषों से अधिक श्रेष्ठ माना गया है, तथा स्त्री और श्री में कोई भेद नही किया गया है।' वहीं उसी नारी के साथ अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो चुका था।

कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ है माँ की कोख से मादा भ्रूण को निकल फेकना। जन्म–पूर्व परीक्षण तकनीक (द्रुरूपयोग के नियमन और बचाव) अधिनियम 2002 की धारा 4 (1) (बी.सी.) के तहत के अनुसार भ्रूण को परिभाषित किया गया है। 'निषेचन या निर्माण के सन्तानवे दिन से शुरू होकर अपने जन्म के विकास के दौरान एक मानवीय जीव' भारत में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या के चलते अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं जन्म दे रही हैं। इससे समाज में असंतुलन की स्थिति धीरे–धीरे उत्पन्न हो रही है। जो कि चिंता का विषय है। कन्या भ्रूण हत्या आमतौर पर मानवता और विशेष रूप से समूची स्त्री जाति के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है। मानवाधिकार, वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग और दुरुपयोग की नैतिकता और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को जन्म दिया है। गर्भ से लिंग परीक्षण जाँच के बाद बालिका शिशु को हटाना कन्या भ्रूण हत्या है। पुत्र की चाहत में परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने के लिये जन्म से पहले बालिका शिशु को गर्भ में ही मार दिया जाता है। पारिवारिक दबाव खासतौर से पति और ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा की जाती है। गर्भपात कराने के पीछे सामान्य कारण अनियोजित गर्भ है जबकि कन्या भ्रूण हत्या परिवार द्वारा की जाती है। भारतीय समाज में अनचाहे रूप से पैदा हुई लड़कियों को मारने की प्रथा सदियों से है। लोगों का मानना है कि लड़के परिवार के वंश को जारी रखते हैं जबकि वो ये बेहद आसान सी बात नहीं समझते हैं कि दुनिया में लड़कियां ही शिशु को जन्म दे सकती है। लड़के नहीं। भारत में सामंतवादी परंपरा के कारण आदिकाल से ही महिलाओं को हेय की दृष्टि से देखा जा रहा है। मध्यकाल में स्थिति यह थी कि महिलाओं को घर के झरोखे से बाहर देखना भी वर्जित था। इन्हें सिर्फ उपभोग वस्तु के रूप में देखा जाता है और यह स्थिति कमोवेश आज भी बनी हुई है।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण– भारत में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक–आर्थिक नीतियों के कारण पुराने समय से किया जा रहा कन्या भ्रूण हत्या एवं अनैतिक कार्य है। भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या की मुख्य वजह बालिका शिशु पर बालक की शिशु की प्राथमिकता है क्योंकि पुत्र आय का मुख्य स्रोत होता है जबकि लड़कियां केवल उपभोक्ता के रूप में होती हैं। समाज में ये गलतफहमी है कि लड़के अपने अभिभावक की सेवा करते हैं जबकि लड़कियां पराया धन होती हैं। दहेज व्यवस्था की पुरानी प्रथा भारत में अभिभावकों के सामने एक बड़ी चुनौती है जो लड़कियां पैदा होने से बचने का मुख्य कारण है।

1. पुरुषवादी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न है।
2. अभिभावक मानते हैं कि पुत्र समाज में उनके नाम को आगे बढ़ायेगे, जबकि लड़कियां केवल घर संभालने के लिए होती है।
3. गैर–कानूनी लिंग परीक्षण और बालिका शिशु की समाप्ति के लिये भारत में दूसरा बड़ा कारण गर्भपात की कानूनी मान्यता है।
4. लड़कियां पराया धन होती है ऐसा मानना है।
5. तकनीकी उन्नति ने भी कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है।
6. महिलाओं की घटती संख्या के लिए अशिक्षा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा राजनीतिक जागरूकता का अभाव भी जिम्मेदार है। असुरक्षित प्रसव कराना भी एक कारण है क्योंकि ऐसे में माँ बच्चे दोनों की मौत का खतरा रहता है।

कन्या भ्रूण हत्या के प्रभाव– पश्चिम भारत में कुछ जाति और समुदाय ऐसे हैं जो इसी के जन्म लेने पर माँ को प्रताड़ित करते हैं। अशिक्षा, हिंसा और उलाहना ही माँ को कन्या भ्रूण हत्या के लिए प्रेरित करती है। आज भारत में ऐसे कई परिवार है जहां पर कन्याओं के जन्म को शुभ नहीं माना जाता। भारतीय समाज के कन्या को लेकर विरोधाभासी स्थिति है। एक तरफ भारत में कन्या पूजन की परंपरा रही है तो दूसरी तरफ कोरव में ही कन्याओं को मार दिया जाता है। इसमें देखने को मिला 0 से 6 की आयु में लिंगानुपात गिरावट हो रही है। भारत में स्त्री पुरुष की बराबरी की बात की जा रही है। वहीं आने वाला समय ऐसा भी हो सकता है जब व्याहने के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी। कन्या भ्रूण हत्या ने बुराइयों की एक श्रृंखला को जन्म दिया है। पिछले तीन दशकों में पैमाने पर कन्या भ्रूण हत्या के कुप्रभाव गिरते लिंगानुपात और विवाह योग्य लड़कों के लिए बहुओं की कमी के रूप में सामने आये हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के कई जिले में लिंगानुपात में कमी देखने को मिलती है।

2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के 5 जिले सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

पाँच सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले (2011)

क्र.	जिले	लिंगानुपात
1	विदिशा	896
2	सागर	893
3	शिवपुरी	877
4	मुरैना	840
5	भिंड	837

स्त्रोत–म.प्र. में जनगणना 2011

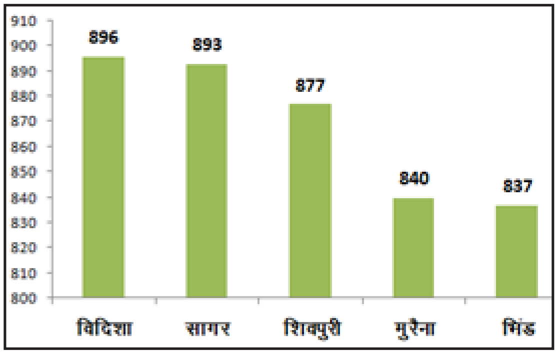

स्त्रोत– म.प्र. में जनगणना 2011

पाँच वर्ष सार्वजनिक लिंगानुपात वाले जिले

क्र.	जिले	लिंगानुपात
1	बालाघाट	1021
2	अलीराजपुर	1011
3	मंडला	1008
4	डिंडोरी	1002
5	झाबुआ	990

स्त्रोत– म.प्र. में जनगणना 2011 के अनुसासर

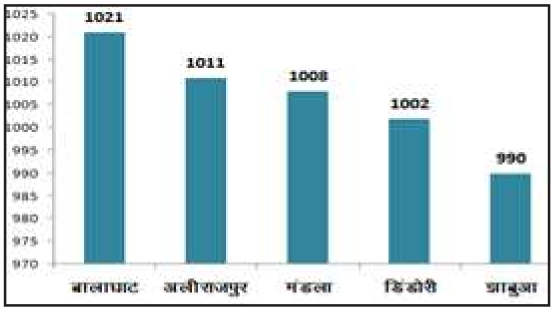

कन्या भ्रूण हत्या पी.सी. एड पी एनडीटी–पीसी एड पी एनडीपी का पूरी नाम गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम (1870 का आठवाँ अधिनियम) ब्रिटिश भारत में पारित एक विधायी अधिनियम था जिसका उद्देश्य कन्या शिशु की हत्या को रोकना था। भारत में बाल भ्रूण हत्या या शिशु हत्या के बारे में कम ही सुना गया है। भारतीय समाज में जहां बेटे की चाह संरचनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई है वहीं महिलाओं को बेटे के जन्म के लिए अत्यधिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव झेलना पड़ता है। इन धराओं ने कुछ और जरूरी मुद्दों पर विचार नहीं किया है जिनमें महिलाएं अधिक सामाजिक दबावों की वजह से अनेक बार गर्भ धारण करती हैं और लगातार गर्भपातों को झेलती है। 1964 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया। कन्या भ्रूण हत्या पीसी एड.पी. एनडीटी अधिनियम में सभी परीक्षण प्रयोगशालाओं के पंजीकरण का अनिवार्य बना दिया है। और अल्ट्रा साउंड के निर्माता को अपने उपकरणों को पंजीकृत प्रयोगशालाओं को बचने के निर्देश दिए हैं। मशीनों और उपकरणों के पंजीकृत निर्माताओं का संबंध राज्य केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के उपयुक्त प्रधिकारियों को तीन महीने में एक बार अपने उपकरणों के क्रेताओं की सूची देनी होगी और ऐसे व्यक्ति या संगठन से उसे हलफनामा लेना होगा कि वह इन उपकरणों का इस्तेमाल भ्रूण के लिंग चयन के लिए नहीं करेंगे।

पीसी एड. पीएनडीटी अधिनियम की धारा 4 के तहत केवल निम्न स्थितियों में प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सकता है–

1. महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक हो।
2. गर्भवती दो या दो से अधिक गर्भपात या भ्रूण की हानि को झेल चुकी हो।
3. गर्भवती संभावित रूप से हानिप्रद अभिकम्कों जैसे मादक पदार्थ, विकिरणों, संक्रमण या रसायनों के संपर्क आ चुकी हो।
4. गर्भवती या उसके पति के परिवार में किसी को मानसिक विकार या शारीरिक विकृति रही हो। अनुवांशिक रोग था।
5. जब भी कोई गर्भवती महिला अनुमति प्राप्त उद्देश्यों के अतिरिक्त प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक से जांच कराती है तो यह माना जाएगा कि उस पर उसके पति या अन्य रिश्तेदारों ने परीक्षण करने का दबाव बनाया है और उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। (पीसी एड पीएनडीटी अधिनियम की धारा 24)।
6. लिंग चयन या लिंग का पूर्व–निर्धारण की सेवा देने वाले विज्ञापनों का प्रकाशन।
7. गर्भाधान पूर्व या जन्मपूर्व परीक्षण तकनीको वाले क्लीनिक का पंजीकृत नहीं होना या क्लीनिक या संस्थान के भी भीतर सबको दिखाई देने वाले पंजीकरण प्रमाणपत्र को प्रदर्शित नही करना।

पीसी एड पीएनडीटी अधिनियम का उल्लंघन करने पर जिसमें बिना लाइसेंस के प्रयोगशालाओं को चलाना भी शामिल है, उपकरणों को सील कर दिया जाएगा। उपयुक्त प्राधिकरण उपकरणों को सील करने के साथ–साथ उनके उपयोग को प्रतिबंधित कर सकता है। लिंग चयन में लिप्त पाए गए देवियों की जुर्माना राशि पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख की गयी है जिसमें चिकित्सक का पंजीकरण रद्द करने, निलंबन का अतिरिक्त प्रावधान है।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय– भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 चिकित्सा परिषद की नैतिक आचार संहिता 1970 वर्तमान कानूनों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए संशोधित किया जाना चाहिए और सबसे बड़ी बात महिलाएं जो जननी है उन्हें बेटा पैदा करने की थोपी हुई जिम्मेदारी से स्वयं को मुक्त करना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की एक बच्चे को स्वास्थ्य रूप से जन्म लेने का अधिकार है और वह माता–पिता की जिम्मेदारी है कि वह शिशु को उसके विकास के लिए सुरक्षित, देखभाल से भरा वातावरण प्रदान करे। सभी महिलाएं चाहे वो माँ हो या सास, सभी को अपने स्तर पर इस दुर्यव्यवहार को रोकना चाहिए।।

1. गर्भ धारण करने से पहले और बाद में लिंग चयन रोकने और प्रसवपूर्व निदान तकनीक को नियमित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक कानून गर्भधारण से पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन रोक) कानून 1994 में लागू किया।
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सभी राज्य सरकारों से आग्रह

किया कि वे अधिनियम को मजबूती से कार्यान्वित करें और गैरकानूनी तरीके से लिंक का पता लगाने के तरीके रोकने के लिए कदम उठाए।

3. माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे लिंग अनुपात की प्रवृत्ति को उलट दें और शिक्षा और अधिकारिता पर जोर देकर बालिकाओं की अनदेखी की प्रवृत्ति पर रोक लगाएं।
4. स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा है कि वे इस कानून को गंभीरता से लागू करने पर अधिकतम ध्यान दें।
5. पीएनडीटी कानून के अंतर्गत केंद्रीय निगरानी बोर्ड का गठन किया गया और इसकी नियमित बैठके कराई जा रही हैं।
6. वेबसाइटें पर लिंग चयन के विज्ञापन रोकने के लिए यह मामला संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष उठाया गया।
7. राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया और अल्ट्रासाउंड निदान सुविधाएं के निरीक्षण में तेजी लाई गई। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्ताराखंड, राजस्थान, गुजरात और उत्तारप्रदेश में निगरानी का कार्य किया गया।
8. धार्मिक नेता और महिलाएं लिंगानुपात और लड़कियों के साथ भेदभाव के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शामिल है।
9. भारत सरकार और राज्य सरकारों ने समाज में लड़कियां और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। इसमें धनलक्ष्मी जैसी योजना शामिल है।

निष्कर्ष- हमें अपनी बेटियों को बेटो की तरह पालना चाहिए और उन्हें समान रूप से सफल बनाना चाहिए और इस पुरानी धारणा को खारिज करना चाहिए कि लड़कियों की शिक्षा केवल विवाह के लिए ही काम आती है नही दुनिया का सामना करने के लिए। शिक्षा एक हथियार है। भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या की गंभीर चुनौती को रोकने के लिए हमें महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। दहेजप्रथा जैसी कुरीतियाँ के खिलाफ अभियान चलाकर और मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू कर महिला अधिकारों को मजबूती देनी होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. डॉ वीरेंद्र सिंह यादव (अल्फा पब्लिकेशन, नई दिल्ली 110002)
3. प्रो. मान चन्द्र खंडेला, अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर302003 (राजस्थान)।
4. सौरभ उपाध्याय, द्वारिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

व्याकरण और आचार्य भामह

डॉ. प्रियंका खण्डेलवाल *

* संस्कृत, केशव महाविद्यालय, अटरू, जिला- बरन (राज.) भारत

शोध सारांश – समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत आज विश्व में नये खोज व आविष्कारों को अपने प्राचीन सिद्धान्तों व सन्दर्भों से प्रमाणित करती हुयी, तकनीकि क्रान्ति में शोध का विषय बनी हुयी है। प्रस्तुत शोध पत्र व्याकरणशास्त्र के आचार्य पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन के व्याकरणिक सन्दर्भों से, काव्यशास्त्र के आद्याचार्य भामह के ग्रन्थ काव्यालंकार के शब्दविवेक नामक अध्याय से तुलना व समानता प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास है।

प्रस्तावना – संसार की प्राचीन भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम् भाषा है। यह भाषा अखिल भाषाओं की आधारभूत वैज्ञानिक एवं दोषरहित भाषा हैं। ज्ञान-विज्ञान की समग्र शाखाएं संस्कृत में प्रचुरमात्रा में उपलब्ध हैं। संश्लेषण और विश्लेषण रूप विशिष्टता के कारण आधुनिक कम्प्यूटर के लिए भी संस्कृत का चयन कर, प्रयोग पर शोध किया जा रहा है।

किसी भी भाषा ज्ञान हेतु उसका व्याकरण ज्ञान होना आवश्यक है, व्याकरण न केवल भाषा प्रवाह को नियन्त्रित करता है बल्कि भाषागत् दोषों का निराकरण कर शब्दों की रक्षा करता हैं। वेदांगों में भी व्याकरण को मुख बताकर उसको सबसे पहले स्थान पर रखा गया है **'मुखं व्याकरणं स्मृतम्।'** महाभाष्यकार ने **'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इति।।' प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम्। प्रधाने च कृतो यत्न: फलवान् भवति'**[1] कहकर व्याकरण की महत्ता को सिद्ध किया है। भर्तृहरि ने दृष्ट और अदृष्ट फलों को देने वाले व्याकरणशास्त्र को वेदों का प्रमुख अंग कहा।

आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तप:।
प्रथमं छन्दसामंगं प्राहुर्व्याकरणं बुधा:।।[2]

आचार्य भामह ने भी काव्यप्रणयन से पहले व्याकरण का अध्ययन आवश्यक माना-

शब्दश्छन्दोऽभिधानार्था इतिहासाश्रया: कथा:।
लोको युक्ति: कलाश्चेति मन्तव्या: काव्यगैर्ह्यमी।।[3]

अर्थात् काव्यप्रणयन के लिए व्याकरणशास्त्र, छन्दशास्त्र, शब्दकोश, व्युत्पत्तिशास्त्र, ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं, लोकव्यवहार, तर्कशास्त्र और ललित कलाओं का मनन करना चाहिए।

वस्तुत: आचार्य भामह भारतीय काव्यशास्त्र के आद्याचार्य है, इन्होनें तत्कालीन काव्यशास्त्रीय मान्यताओं का सम्यक् अध्ययनकर और महाकवियों की रचनाओं का अनुशीलन कर[4] तथा अहं भाव से नितान्त दूर रहकर[5] काव्यशास्त्र का संकलन, सम्पादन, विवेचन और विश्लेषण किया। आचार्य भामह के ग्रन्थ काव्यालंकार का षष्ठ परिच्छेद 'शब्दविवेक' व्याकरण को समर्पित है। आचार्य भामह कवियों को व्याकरण की काव्योचित सूक्ष्मता दर्शातें हैं-

नापारयित्वा दुर्गाधममुं व्याकरणार्णवम्।
शब्दरत्नं स्वयंगम्यमलंकर्तुमयं जन: ।।[6]

अर्थात् इस दुरवगाह्य व्याकरण रूपी सागर को पार किये बिना कोई व्यक्ति शब्दरूपी रत्न तक पहुँचने में समर्थ नहीं हो पाता।

आचार्य भामह ने शब्दशुद्धि और शब्दों की रम्यता पर विचार किया।

शब्दशुद्धि तो पूर्णत: व्याकरणशास्त्र का विषय है किन्तु रम्य पद का संयोजन निश्चय ही काव्यशास्त्र का विषय है। आद्याचार्य भामह ने जिस महत्त्वपूर्ण विषय को अपने ग्रन्थ में रखा था, उसे काव्यशास्त्रीय परम्परा में कोई स्थान नहीं दिया गया और एकमात्र आचार्य वामन ही ऐसे विद्वान् रहे, जिन्होनें इस विषय की गम्भीरता को समझा -

छिन्ते मोहं चित्प्रकर्षं प्रयुङ्क्ते सूते सूक्तिं सूयते या पुमर्थान्।
प्रीतिं कीर्तिं प्राप्तुकामेन सैषा शाब्दीशुद्धि: शारदेवाऽस्तु सेव्या।।[7]

परवर्ती आचार्यो ने ही नहीं अपितु, भामह के टीकाकारों ने भी इस विषय की उपयोगिता को लेकर विवेचन किया। डॉ. देवेन्द्रनाथ शर्मा का कहना है कि भामह का षष्ठ परिच्छेद व्याकरण की शिक्षा मात्र नहीं देता बल्कि व्याकरण की काव्योचित बारीकियों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है।

आचार्य भामह व्याकरण के अंगों को विभिन्न उपमाओं से संयोजित करते हुए व्याकरण अध्ययन की ओर प्रेरित करते हुए कहते है कि

सूत्राम्भसं पदावर्त्तं पारायणरसातलम्।
धातूणादिगणग्राहं ध्यानग्रहबृहत्प्लवम्।।
धीरैरालोकितप्रान्तममैधौभिरसूयितम्।
सदोपभुक्तं सर्वाभिरन्यविद्याकरेणुभि:।।[8]

व्याकरण रूपी सागर के सूत्र जल हैं, वार्तिक आवर्त्त हैं, भाष्य, कौमुदी आदि रसातल हैं, धातुपाठ, उणादि, गणपाठ आदि ग्राह (मकर) हैं। इस सागर को पार करने की नाव चिन्तन और मनन है। धीर व्यक्ति उसके तट को लक्ष्य बनाते हैं और बुद्धिहीन व्यक्ति उसकी निन्दा करते है।

आचार्य भामह व्याकरण निन्दकों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करते हुए समाधान करते है। व्याकरण की निन्दा उसकी जटिलता के कारण ही होती है। पारिभाषिक शब्दों की बहुलता और सूत्रशैली के कारण यह शास्त्र अत्यन्त दूरुह्य माना जाता है-

सूत्रै: पाणिनिनिर्मितैर्बहुतरैर्निष्पाद्य शब्दावलिं।
वैकुण्ठस्तवमक्षमा रचयितुं मिथ्याश्रमा: शाब्दिका:।।
पक्वान्नं विविधं श्रमेण विविधापूपात्र्यसूपान्वितं।
मन्दाग्नीननुरुन्धते मितबलानाघ्रातुमप्यक्षमान्।।

अर्थात् जिस प्रकार मन्दाग्नि वाले व्यक्ति के लिए नानाविध पक्वान्न निरर्थक हैं, उसी प्रकार वैय्याकरणों का नानाविध शब्दनिर्माण का प्रयास भी निरर्थक ही है क्योंकि समाज अपना काम बोलचाल की भाषा से ही चलाता है और विष्णु के स्तवन में सक्षम इस शब्दावली को पचा नहीं पाता।

इस सम्बन्ध में आचार्य भामह प्रत्युत्तर प्रदान करते है कि शब्दों की शुद्धता-अशुद्धता, सूक्ष्म एवं अन्तरंग अर्थ, प्रकृति-प्रत आदि का ज्ञान व्याकरण से ही सम्भव है अत: काव्य प्रणयन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान अर्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे कवियों के शब्दप्रयोगों को देखकर, जो काव्यप्रणयन किया जाता है, भला उसमें आनन्द कहां।[9]

वस्तुत: जो कवि दूसरे कवियों के शब्दप्रयोगों से ही ज्ञानार्जन करते हैं, वे शब्दनिर्माण की सूक्ष्मता, अर्थ की अन्तरंगता, व्युत्पत्ति आदि को नहीं समझ पाते है। राजशेखर ने भी कहा-

पदान्तरं वेत्ति सुधी: स्ववाक्यपरवाक्ययो:।
तदा स सिद्धो मन्तव्य: कुकवि: कविरेव वा।।[10]

अर्थात् जो विद्वान् अपने और दूसरों के वाक्य में पदों के अन्तर को समझता है, वह कवि हो या कुकवि, उसे सिद्ध समझना चाहिए।

आचार्य भामह का कहना है कि जिसके शब्द अन्य कवि के शब्द प्रयोगों पर निर्भर हो अर्थात् जिसकी शब्द संयोजना पूर्ववर्ती कवियों पर आश्रित हो, ऐसा काव्य सरस होने पर भी विद्वानों को उसी प्रकार आनन्दित नहीं करता, जिस प्रकार दूसरों के द्वारा धारण की गई माला सहृदयों को आकर्षित नहीं करती।[11]

अत: व्याकरणाध्ययन परम आवश्यक है। यह विषय काव्यशास्त्र से नहीं बल्कि व्यावहारिक काव्यशास्त्र से सम्बद्ध है और उदीयमान कवियों को इससे लाभ प्राप्त होता है। चिन्ता का विषय यह है कि संस्कृत आचार्यों ने इसका महत्तव नहीं समझा और पारम्परिक काव्यशास्त्र तो क्या, कवि शिक्षा-काव्य समय से सम्बद्ध ग्रन्थ काव्यमीमांसा, अलंकारशेखर आदि में भी इसका समावेश नहीं हुआ। फिर भी भामह ने शब्दशुद्धि नामक परिच्छेद के माध्यम से व्याकरणशास्त्र एवं काव्यशास्त्र में सम्बन्ध प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महाभाष्य, पस्पशाह्निक
2. वाक्यपदीय,ब्रह्मकाण्ड/11
3. काव्यालंकार, 1/9
4. अवलोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्य स्वधिया च काव्यलक्षम्।। काव्यालंकार, 6/64
5. न दूषणायायऽमुदाहृतो विधिर्न चाभिमानेन किमु प्रतीयते।। काव्यालंकार, 4/51
6. काव्यालंकार, 6/3
7. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, 2
8. काव्यालंकार, 6/1-2
9. काव्यालंकार, 6/4
10. काव्यमीमांसा, चतुर्थ अध्याय
11. काव्यालंकार, 6/5

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

यौन संबंधित अपराधों के पीड़ितों को मिलने वाले प्रतिकर के संबंध में विधायन एवं उसकी प्रक्रिया

मनीषा पटेल *

* रिसर्च स्कॉलर, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है तथा लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, लेकिन हमारे आसपास के जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि लैंगिक भेदभाव की जड़े आज भी हमारे समाज में बहुत ही गहराइयों से अपने पैर पसारे हुए हैं। लैंगिक भेदभाव का ही एक घिनौना रूप लैंगिक अपराध है जो कि संविधान की आत्मा पर एक प्रहार है। लैंगिक अपराध को यौन हिंसा या यौन उत्पीड़न के नाम से भी जाना जाता है। जब भी किसी महिला या बच्चों के साथ यौन हिंसा होती है तो उन्हें अपूर्णीय मानसिक व शारीरिक क्षति तो होती ही है, साथ ही साथ पीड़ित धीरे-धीरे अवसाद की ओर अग्रसर होने लगता है। पहले यह माना जाता था कि यौन हिंसा केवल महिलाओं व लड़कियों के साथ ही होती है,परंतु आज लड़के भी बड़ी संख्या में यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं।

जब कोई बड़ा या वयस्क व्यक्ति अपनी यौन उत्तेजना के लिए एक बच्चे का उपयोग करता है, तो इसे बालक का यौन शोषण कहा जाएगा। यौन शोषण में एक बच्चे से चाहे पूछ कर या उस पर दबाव डालकर या अन्य साधनों से उसके साथ यौन गतिविधियों को करना,**बाल यौन शोषण** कहलाता है। यौन शोषण से पीड़ित बालक को, अपराध किए जाने के फलस्वरूप हुई हानि या क्षति की धन के रूप में दी गई सहायता **प्रतिकर** कहलाती है।

पीड़ित किसे कहा जाएगा ?

किसी भी अपराध में अपराधी को मात्र सजा दिलाने से पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, अपितु पीड़ित को पूर्ण न्याय दिलाने हेतु उसे समुचित प्रतिकर दिलाना भी अत्यंत आवश्यक है। जिस व्यक्ति के साथ अपराध घटित हुआ है, मात्र उसे अकेला पीड़ित नहीं कहा जा सकता परंतु पीड़ित के साथ-साथ उसके आश्रित और अंतत: संपूर्ण समाज भी पीड़ित होता है।

सामान्यत: पीड़ित वह होता है, जो किसी अपराध के परिणामस्वरुप शारीरिक व मानसिक हानि या क्षति से व्यथित होता है। पीड़ित अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने व्यक्तिश: या सामूहिक रूप से शारीरिक व मानसिक क्षति, भावनात्मक कष्ट, आर्थिक हानि, मूल अधिकारों की क्षति या मौलिक नुकसान को सहन किया हो।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2(wa)के अनुसार 'पीड़ित' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे कार्य या लोप के कारण कारित हानि या क्षति से पीड़ित है, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है तथा पद 'पीड़ित' में सम्मिलित है उसकी या उसका संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी।

मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 की धारा 2 (र) के अनुसार पीड़ित की परिभाषा – 'पीड़ित' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे अभियुक्त के आपराधिक कृत्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है और पीड़ित पक्ष के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिश भी है किंतु इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो ऐसे व्यक्ति को क्षति के लिए उत्तरदायी हो।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लागू लैंगिक हमले/अन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना मुख्य रूप से पीड़ित महिलाओ व उनकी उत्तरजीविताओं के लिए निर्मित योजना है। योजना की धारा 2(o) अनुसार लैंगिक हमला पीड़ित अर्थात ऐसी महिला जिसने भारतीय दंड विधान की धारा 376 A से E तक, धारा 354 ए से D तक, धारा 509 सहित लैंगिक हमले के परिणामस्वरुप मानसिक या शारीरिक क्षति दोनों ही सहन की हो।

योजना की धारा 2 (P) में अन्य अपराध की पीड़ित/उत्तरजीविता महिला से तात्पर्य ऐसी महिला से है, जिसने अनुसूची में वर्णित अपराधों सहित धारा 304 बी, 326। 498। (अनुसूची में निर्दिष्ट शारीरिक क्षति की प्रकृति का होने की दशा में) जिसमें इनके प्रयत्न एवं दुष्प्रेरण भी शामिल है,ऐसे अपराधों के परिणामस्वरुप शारीरिक व मानसिक क्षति सहन की हो।

यौन शोषण से पीड़ित को मिलने वाले प्रतिकर के संबंध में विधिक प्रावधान– किसी भी पीड़ित को दिए जाने वाले प्रतिकर की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार तथा अनुच्छेद 38(1) एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं अनुच्छेद 41 में राज्य के दायित्व के रूप में समाहित है। इसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 एवम 357 (क) में दांडिक प्रकरणों में पीड़ित को प्रतिकर दिए जाने संबंधित प्रावधान है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 33(8) व नियम 9 में विशेष न्यायालय को पीड़ित बालक को प्रतिकर संदाय करने व उसके पुनर्वास हेतु, निर्देशित किए जाने की शक्तियां प्रदान की गई है। वर्ष 2018 में भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी, लैंगिक हमले व अन्य अपराध के पीड़ित महिला व उत्तरजीविता को, प्रतिकर प्रदान करने के लिए प्रतिकर योजना लागू की गई है।वर्तमान में मध्यप्रदेश में, पीड़ित को प्रतिकर दिलाने व उसके पुनर्वास हेतु 'मध्य प्रदेश

अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015'लागू है।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रतिकर – जस्टिस वी एस मलिमथ की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने, पीड़ितों के हितों को संरक्षित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रशासन में सुधार पर की गई अनुशंसा के आधार पर, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा धारा 357 क, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंत:स्थापित की गई थी। उक्त संशोधन 31 दिसंबर 2009 से प्रभावशील हुआ। धारा 357 क में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार पीड़ित के लिए प्रतिकर और उनके पुनर्वास के लिए योजना बनाएगी और न्यायालय द्वारा सिफारिश किए जाने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिकर की मात्रा विनिश्चित कर पीड़ित को प्रतिकर दिलाएगा:

1) यदि न्यायालय का समाधान होता है कि पीड़ित को दिलाए जाने वाला प्रतिकर, पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है या जहां आरोपी को दोषमुक्त या उन्मोचित किया जाता है और यदि पीड़ित का पुनर्वास आवश्यक है, तब भी न्यायालय पीड़ित को प्रतिकर दिलाने के लिए सिफारिश कर सकेगा।
2) पीड़ित प्रतिकर पाने के लिए आरोपी के अज्ञात होने या अदम शिनाख्त होने पर भी राज्यजिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा।
3) प्राधिकरण प्रतिकर के संबंध में जांच 2 माह में पूरी कर पर्याप्त प्रतिकर पीड़ित के पक्ष में अधिनिर्णित करेगा।
4) विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना कम करने हेतु चिकित्सा के लिए आदेश कर सकता है। ऐसी चिकित्सा पीड़ित को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या मजिस्ट्रेट के प्रमाण–पत्र पर निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
5) धारा 357 ख के अनुसार धारा 354 क के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर, भारतीय दंड विधान की धारा 326 क, 376 कख, 376घ, 376 घक, 376 घख के अधीन पीड़ित को जुर्माने का संदाय करने के अतिरिक्त होगा।
6) धारा 357 ग की प्रावधानों द्वारा सभी लोक एवं प्राइवेट अस्पतालों पर, सभी एसिड अटैक व बलात्कार के पीड़ितों को निशुल्क उपचार उपलब्ध करानेएवं ऐसी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दिए जाने का दायित्व अधिरोपित किया गया है।

- टेकन उर्फ टेकराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2016 (2) सी सी एस सी 577 (एस सी) में प्रतिपादित किया गया किअभियोक्त्री एक दृष्टिहीन एवं अशिक्षित लड़की है, जिसे साथ आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया है। एससी ने अभिनिर्णित कि अभियोजन द्वारा आरोपी को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्धि किया गया। उच्चतम न्यायलय ने दोषसिद्धि और दंड के निर्णय को कायम रखा गया और अभियोक्त्री को धारा 357क के अधीन बलात्कार के अपराध के लिए मुआवजे का हकदार निर्णय ठहराया गया। प्रत्युत्तारदाता राज्य को उस पीड़िता को जो शारीरिक रूप से विकलांग अर्थात दृष्टिहीन है उसके जीवन काल तक मुआवजे के रूप में प्रतिमाह रू 8000/– की धनराशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दिए गए।

पीड़ित को प्रतिकर निम्न परिस्थितियों में दिलाया जा सकता है

1. जब आरोपी ज्ञात हो और विचारण के पश्चात आरोपी को दोष सिद्ध किया जाता है।
2. जहां मामले का परिणाम दोषमुक्ति या उन्मोचन है।
3. जब आरोपी अज्ञात हो।
4. जब आरोपी की शिनाख्त ना की जा सके।

तब निम्नलिखित परिस्थितियों में भी न्यायालय पीड़ित को प्रतिकर दिलाने हेतु सिफारिश कर सकता है।

जब कोई घटना राज्य के भीतर घटित होती है या राज्य के भीतर घटना की शुरुआत होने पर भी, पीड़ित प्रतिकर पाने का हकदार होगा परंतु यदि अपराध राज्य के बाहर घटित होता है और पीड़ित राज्य की सीमा में पाया जाता है तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसे,थाने के भारसाधक अधिकारी या मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर, मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आदेश दे सकता है। (इसके संबंध में मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 का बिंदु क्रमांक 5 आलोकनीय हैं)। परन्तु इसका एक अपवाद यह भी है कि यदि अपराध राज्य के बाहर घटित होता है और पीड़ित राज्य की सीमा के भीतर पाया जाता है तो वह संहिता की धारा 357 क की उपधारा (6) के अधीन अनुध्यात अंतरिम अनुतोष के लिए पात्र होगा।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लागू लैंगिक हमले या अन्य अपराध से पीड़ित/ उत्तरजीविता, महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना 2018 के बिंदु 4 में पीड़ित महिला या उस पर निर्भर रहने वाले भी प्रतिकर पाने के पात्र होंगे।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रति कर पॉक्सो एक्ट की धारा 33(8) केअनुसार,।विशेष न्यायालय, बालक को शारीरिक या मानसिक आघात के लिए प्रतिकर या पुनर्वास का निर्देश दे सकता है। इस संबंध में पोक्सो नियम 2020 के नियम 9 में पीड़ित को दिए जाने वाले अंतरिम प्रतिकर की राशि का निर्धारण एवं पीड़ित के पुनर्वास के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

प्रतिकर राशि का निर्धारण करते समय विशेष न्यायालय बालक द्वारा उठाई गई शारीरिक व मानसिक क्षति, नियोजन की हानि, अपराधी व बालक का संबंध, बालक के दुरुपयोग की अवधि, अपराध के परिणामस्वरुप बालिका का गर्भवती होना, एसटीडी या एचआईवी से संक्रमित होना, अपराध के परिणामस्वरुप कार्य निशक्तता और बालक की वित्तीय स्थिति पर विचार करेगा। विशेष न्यायालय FIR के पश्चात पीड़ित को अंतरिम प्रतिकर प्रदान कर सकता है जो अंतिम प्रतिकर में समायोजित होगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा धारा 4 में उपधारा (3) तथा धारा 6 में उपधारा (2) अंत:स्थापित और प्रतिस्थापित की गई है, जिसके अनुसार इन धाराओं की उपधारा 1 के अधीन अभिरोपित जुर्माना न्यायोचित एवम युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय ऐसे पीड़ित के चिकित्सीय वे और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ितों को किया जाएगा।

- बोधिसत्व गौतम विरुद्ध शुभ्रा चक्रवर्ती 1996 (1) एससीसी 490 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को बलात्कार की पीड़ित महिला को अंतरिम प्रतिकर देने की शक्ति है जब तक विचारण न्यायालय अभियुक्त पर लगाए गए आरोप पर अपने निर्णय नहीं दे देता।

लैंगिक हमलों एवं अन्य अपराधों में पीड़ित उत्तरजीविता महिला को प्रतिकर के लिए योजना 2018 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सिविल क्रमांक 565/2012 निपुण सक्सेना विरुद्ध भारत संघ के मामले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को लैंगिक अपराधों एवं एसिड अटैक के पीड़ितों को प्रतिकर दिलाने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए

गए थे, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 'लैंगिक हमलो एवम अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओ और उनके उत्तरजीविता को प्रतिकर के लिए योजना 2018' बनाई गई।

प्रतिकर प्रदान करने की प्रक्रिया– राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय से सिफारिश प्राप्त होने के 2 माह के भीतर जांच पूर्ण कर प्रतिकर प्रदान करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या संबंधित क्षेत्र के सक्षम चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण–पत्र पर पीड़ित को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं अंतरिम अनुतोष प्रदान करने का आदेश जारी कर सकता है। बालात्संग/बाइईर क्रोमा से पीड़ित को पुनर्वास और सतत मूल्यांकन के लिए जिले के परीवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा। यदि पीड़ित उत्तरजीविता को किसी अन्य अधिनियम या राज्य की अन्य स्कीम या बीमा (जिसकी किस्तों का भुगतान राज्य केंद्र शासन द्वारा किया गया हो) से प्राप्त अनुग्रहित राशि या भुगतान प्राप्त होता है तो, ऐसे अनुग्रह राशि के भुगतान को प्रतिकार योजना 2015 के अधीन प्रतिकर की राशि का एक अंश माना जाएगा। प्रतिकर की राशि का निर्धारण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस योजना की अनुसूची में दिए गए मापदंडों के आधार पर निश्चित किया जाएगा और यदि पीड़ित पक्षकार की समग्र स्त्रोतों से आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो उसे अनुसूची 1 के समस्त शीर्षो में 50: राशि ही देय होगी।

- दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वूमेंस फोरम विरुद्ध भारत संघ (1995) 1 एसीसी 14 तथा विकास यादव विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, दिल्ली उच्च न्यायालय क्रिमिनल अपील नंबर 910/2008 निर्णय दिनांक 6/02/2015 के उक्त दोनों ही मामलो में उच्चतम न्यायालय द्वारा यौन अपराधों से पीड़ित महिलाओं को प्रतिकर प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है।

पीड़ित पक्ष को प्रतिकर की राशि की अदायगी – मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के बिंदु क्रमांक 7 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पीड़ित को किस प्रकार प्रतिकार राशि प्रदान की जाएगी। इसके अनुसार प्रतिकर राशि का संवितरण, आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में किया जाएगा। यदि पीड़ित अवयस्क है तो ऐसी स्थिति में प्रतिकर की राशि उसके खाते में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा की जाएगी, जो कि उसके शैक्षणिक एवं चिकित्सीय आवश्यकताओं में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा निर्णित सक्षम व्यक्ति द्वारा निकाला जाएगा।

प्रतिकर का नामंजूर किया जाना, रोकना अथवा कम करना – मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के बिंदु क्रमांक 8 के अनुसार यदि आवेदक ने बिना युक्तियुक्त कारण के अपराध की सूचना पुलिस को विलंब से दी है, या जहां आवेदक ने अपराधी को न्यायालय के समक्ष लाने में पुलिस या अन्य प्राधिकारी का सहयोग नहीं किया है, या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण को युक्तियुक्त सहयोग नहीं किया है या पीड़ित की पात्रता, जो तथ्यों तथा मामले की परिस्थितियों से प्रगट होती है प्रतिकर की राशि को न्यायोचित नहीं ठहराती है वहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिकर की राशि को नामंजूर कर सकेगा, रोक सकेगा और उसे कम भी कर सकेगा।

आश्रित होने का प्रमाण–पत्र – मध्य प्रदेश प्रतिकार योजना 2015 के बिंदु क्रमांक 2(1) में परिभाषित पीड़ित आश्रित कौन होगा, इसका निर्धारण प्रार्थी की तहसील के तहसीलदार या सक्षम प्राधिकारी करेंगे। योजना के बिंदु क्रमांक 9 के अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदन जमा करने के 15 दिन के भीतर, प्रार्थी की तहसील के तहसीलदार या शासन द्वारा समय–समय पर नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आश्रित प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।

परिसीमा काल– ऐसे प्रकरण जिसमे पीड़ित ज्ञात है परंतु अपराधी का पता नहीं चल पाता है या उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है तो, ऐसी स्थिति में पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा कोई भी दावा, अपराध घटित होने के 180 दिनों के भीतर ही पेश चाहिए किया जाना चाहिए। 180 दिनों के बाद प्रस्तुत कोई भी दावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। परंतु यदि प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि उक्त दावे को फाइल करने युक्तियुक्त कारणों से देरी हुई है तो वह कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात दावा प्रस्तुत करने की देरी को माफ कर सकता है (इसके संबंध में मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना का बिंदु क्रमांक 10 अवलोकनीय हैं)।

अपील किया जाना– यदि किसी पीड़ित या उसके आश्रित का दावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो वह उक्त आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है और यदि वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से व्यथित है तो वह आदेश दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर द्वितीय अपील गृह विभाग को कर सकता है (इसके संबंध में योजना का बिंदु क्रमांक 11 अवलोकनीय है)।

उपसंहार –इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि राज्य तथा केंद्र स्तर पर पीड़ित को प्रतिकर दिलाए जाने के संबंध में अनेक योजनाएं वर्तमान में लागू है परंतु यदि धरातल स्तर पर देखा जाए तो बहुत कम पीड़ितों को इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि बहुत से नागरिकों को इन योजनाओं के बारे में ज्ञान ही नहीं है। पीड़ित,आरोपी से क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ रुपए ले लेते हैं और न्यायालय में जाकर घटना के संबंध में पक्षद्रोही हो जाते है। आरोपी पक्ष द्वारा जो राशि पीड़ित पक्ष को दी जाती है वह इन योजनाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिकर की राशि से बहुत ही कम होती है। थाने में जब यौन अपराध संबंधित सूचना पीड़ित द्वारा दी जाती है तभी यदि उन्हे यह बता दिया जाए कि उन्हें शासन के द्वारा अलग–अलग अपराधों के मामले में 1लाख से लेकर 10 लाख तक की राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है तो ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष का आरोपी से कुछ रकम लेकर न्यायलय में पक्षद्रोही नहीं होंगे। पीड़ित पक्षकार को यह इस बात की भी जानकारी दिया जाना उचित होगा कि उन्होंने जिस भी घटना के संबंध में थाने में सूचना दी है उस घटना को उन्हें न्यायालय में बताए जाना आवश्यक है और यदि घटना के सम्बंध में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी तो सूचना देने वाले के विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। पीड़ित पक्षकार को प्रतिकर योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें शासन की योजनाओं से अवगत कराया जाए तथा इन योजनाओं का कठोरता से पालन किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. भीमसेन खेत्रपाल, डॉक्टर पूजा खेत्रपाल–दंड प्रक्रिया संहिता1973, पब्लिकेशन– पूजा लॉ हाउस।
2. देवेंद्र बागड़ी– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पब्लिकेशन– इंडिया लॉ हाउस इंदौर।
3. महेश चावला –पीड़ित प्रतिकर कानून पब्लिकेशन– एएमजी पब्लिकेशंस।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

मानवाधिकार और महिला

डॉ. राहुल चौधरी* अंजु कुमारी **

* असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – महिलाएं समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना किसी भी समाज को पूर्ण नहीं माना जा सकता। समाज में शुरूआत से ही महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है जिसके आधार पर आदिकाल में ही उनकी शक्तियों को पहचान लिया गया था। इनकी इन्हीं शक्तियों को पहचानने के पश्चात् भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समान रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है इसके बावजूद इन्हें आज भी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। स्वतंत्रता से पहले महिलाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। किन्तु संविधान निर्माण के समय महिलाओं को स्वतंत्रता व समानता के अधिकार प्रदान करने हेतु विशेष रूप से प्रावधान किये गये। भारतीय साहित्य में भी महिलाओं पर हुए अत्याचारों को कविताओं, लेखों, नाटकों आदि के माध्यम से उजागर किया गया। महिला विश्व का पालन पोषण करती है, परंतु उसकी सदा निंदा की जाती रही है। उसका सदैव उत्पीड़न एवं शोषण होता रहा है। समाज में प्रत्येक स्थान पर उसके साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ होती है। पुलिस भी महिलाओं पर आक्रमण होते हुए देखकर भी अनदेखा कर देती हैं बलात्कार, दहेज, उत्पीड़न, हत्या आदि के जो भी मामले सामने आते हैं उनके दोषी सबूत न मिल पाने के कारण छूट जाते हैं। देश के कई हिस्सों में बाल-विवाह की त्रासदी कन्याएं भोग रही है। महिलाओं को जलाकर मारना तरह-तरह की शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं देना, अपहरण करके वेश्या बना देना आदि अब कोई बड़ी बात नही रह गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1945 से प्रारम्भ मानवाधिकार एवं महिला आन्दोलनों ने लिंग भेदभाव एवं असमानता के प्रश्नों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मंचों पर राजनैतिक मुद्दों के रूप में प्रस्थापित किया। 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया इसके अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं की चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित पुरूषों के साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सभी समान अधिकार प्रदत्ता किये जाने के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला सहयोग की अपेक्षा करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला योगदान व महिला की सकारात्मक तथा रचनात्मक भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए महिला जगत के उत्थान के कार्यक्रम बनाये। महिलाओं के उत्थान के संदर्भ में सम्पूर्ण विश्व में महिला उत्थान व विकास के प्रति चेतना जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया। जिसमें महिला शिक्षा, रोजगार, लिंग भेदभाव मिटाने, नीति निर्धारण में महिलाओं को सम्मिलित करने एवं समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक अधिकार देने की घोषणा की गई।

विश्व में महिलाएं बिना भेदभाव, अन्याय या हिंसा से बिना डरे अपनी प्रगति कर सकें एवं समाज के उत्थान एंव विश्व शांति में अपना सक्रिय योगदान दे सकें इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 18 दिसम्बर 1970 को असेंबली में Convention of the Elimination of all forms of Discrimination against women पारित किया गया इसे महिलाओं का 'बिल ऑफ राईट' भी कहा जाता है। इसे 3 सितम्बर, 1981 में लागू किया गया, तभी से महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करना संयुक्त राष्ट्र संघ का धर्म बन गया।

महिलाओं के साथ किए जा रहे भेदभाव को दूर करने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रिय सम्मेलनों में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किये गये है। महिलाओं की स्थिति से सम्बद्ध आयोग ने 1974 की अपनी रिपोर्ट में महिलाओं के साथ भेदभाव का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि 'लिंग के आधार पर विशिष्टता प्रदान करना, वंचित करना या प्रतिबंध लगाना जिसकी परिणति या प्रभाव मानव अधिकारों को नकारने या उनका उपयोग करने से रोकने मे ही तथा राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में मूलभूत स्वतंत्रताओं के हनन के रूप में हो।'

भारत में महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनवरी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए हर राज्य में महिला आयोग की शाखा का गठन किया गया। यह आयोग संवैधानिक संस्था है एवं महिलाओं के अधिकारों के प्रति सजग है।

21वीं सदी के प्रारम्भ होते ही प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन एवं विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के साथ महिला अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु सरकार ने भारतीय दण्ड संहिता 498 के अन्तर्गत महिला को परेशान करने, उस पर जुल्म करने, उसे परेशान करने वाला वातावरण। निर्मित करने तथा उस पर हिंसा के खिलाफ दण्ड का प्रावधान है। महिला अधिकारों का हनन रोकने, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की

गई है जो महिलाओं को शोषण से स्वतंत्र करवाकर अधिकारों के प्रति उत्साहित करने का कार्य कर रही है।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी उन्हे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपेक्षा, भेदभाव, प्रताड़ना एवं अत्याचारों आदि का सामना करना पड़ता हैं। हाल ही में पारित कानून महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने से सम्बद्ध है। विश्व में केवल पांच देशों में ही महिलाएं संसद की 30 प्रतिशत सीटों पर आसीन है, जबकि 36 देशों में 5 प्रतिशत से कम संसदीय पद उनके पास है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार कराई गई 10वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आज भी विश्व में सबसे बड़ा भेदभाव लिंगभेद है। महिलाओं की आपनी स्वयं की मनोवृतियों में भी परिवर्तन अपेक्षित है यह परिवर्तन शिक्षा एवं आर्थिक स्वायत्तता, चेतना एवं संगठनात्मक प्रयासों द्वारा सम्भव है। अत: विश्व समाज में महिला चेतना व उसके अधिकारों के प्रति जो उत्साह जागा है उसका लाभ सारी विषमताओं व असमानताओं के रहते हुए भी भारतीय महिलाओं को क्रमिक रूप से शनै:शनै: मिल सकता है। महिलाओं को जो अधिकार मिले, साधिकार मिले इसी में उसकी व समाज की प्रशन्नता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अल्तेकर ए.एस. : पोजिशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिवलाईजेशन कल्चर, पब्लिशिंग हाउस, बनारस (1938)
2. अस्थाना पी. : वीमेन्स मूवमेंट इन इण्डियां, दिल्ली (1974)
3. डॉ. चव्हाण कदम शैला : 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण।
4. डॉ. कटारिया सुरेन्द्र : मानवाधिकार सभ्य समाज एवं पुलिस, आर.बी.एस. पब्लिशर्स, जयपुर (2003)
5. कपूर, सुधा : 21वीं सदी में मानव अधिकार।
6. सामाजिक कल्याण पत्रिका, समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

महिला उद्यमिता का ग्रामीण विकास में योगदान

कमल सिंह मालवीय* डॉ. आर.के. बाकलीवाल**

* शोधार्थी, शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
** निर्देशक, शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत अति लघु शोध में हमने महिला उद्यमिता को उजागर करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि महिला उद्यमिता ग्रामीण विकास में सहायक है क्योंकि आज भारत की 70% से अधिक आबादी गांव में रहती हैं तथा गांव की महिलाएं यदि स्वयं के रोजगार उत्पन्न करेगी तो हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी तथा गांव की जनसंख्या की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं तथा शासन के द्वारा महिला उद्यमिता को कई वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण भी प्रदान किया जा रहा है साथ ही साथ इन ऋणों पर शासन सब्सिडी भी प्रदान करती है।

ग्रामीण उद्यमिता का विकास 1948 से ही प्रारंभ हो गया था विभिन्न प्रकार के राजनीतिक व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि का मानना था कि भारत में यदि उद्यमिता विकास हुआ तभी भारत का विकास हो सकता है। अत: पंचवर्षीय योजनाओं में ज्यादातर उद्यमिता विकास पर जोर दिया गया वही आज भारत सरकार द्वारा कई उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें महिलाओं को उद्योगों के प्रति आगे लाया जा रहा है गांव की महिलाएं जोकि मजदूरी करने के लिए मजबूर थी। आज अपने कदमों पर खड़ी है तथा स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर रही हैं इस व्यवसाय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति तो बेहतर हो रही हे साथ ही साथ देश की जीडीपी में भी इन ग्रामीण महिला उद्यमियों का विशेष योगदान बढ़ रहा है।

अत: हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास में महिला उद्यमियों के साथ मिलकर शासन भी अपना विशेष योगदान दे रही है।

प्रस्तावना – महिला उद्यमिता आज भारत में एक नई शुरुआत बनकर उभरी हुई है क्योंकि महिलाओं को उद्योगों के प्रति सजग करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है महिला उद्यमिता में अधिकतर देखा गया है कि शहरी महिलाएं उद्योगों के प्रति पूर्व से ही जागरूक रही हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी उद्यमिता के प्रति महिलाओं का रुझान काफी कम देखा गया है महिलाओं की आर्थिक दशा को देखते हुए भारत सरकार द्वारा महिला उद्यमिता हेतु कई सजग प्रयास किए गए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा छोटे-छोटे कई उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाए गए जिनके अंतर्गत महिलाओं को उद्यमिता के प्रति प्रशिक्षित किया गया तथा उद्यमिता में रुचि से कार्य करने के लिए कई सकारात्मक प्रयास किए गए।

वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आज हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती हैं तथा गांव की आर्थिक दशा शहर की तुलना में काफी कमजोर होती हैं। आज गांव की महिलाओं की स्थिति शहर की महिलाओं की तुलना में काफी अलग है आज शहरी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हुई है। वह स्वयं के रोजगार उत्पन्न कर रही है तथा अन्य क्षेत्रों में विकास पा रही है लेकिन गांव की महिलाएं आज भी मजदूरी पर निर्भर है क्योंकि उनके पास अपना स्वयं का कुछ भी रोजगार नहीं है परंतु 1992 के पश्चात भारत में उद्यमिता से संबंधित कई प्रयास किए गए इन प्रयासों में गांव की महिलाओं हेतु कई सकारात्मक परिणाम सामने आए तथा धीरे-धीरे गांव की महिलाएं प्रशिक्षित होने लगी तथा अन्य असहाय महिलाओं को भी प्रशिक्षित करने लगी अत: कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाएं उद्यमिता के प्रति अपनी रुचि दिखा रही है। शासन द्वारा चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह के सहयोग से महिलाएं अपना स्वयं का निजी व्यवसाय प्रारंभ कर रही हैं जिससे कि वहां बेरोजगार ना होकर स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो रही है साथ ही साथ अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं देखा जाए तो पुराने समय में महिलाओं के पास सिर्फ और सिर्फ मजदूरी ही एक मात्र विकल्प था। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में महिलाओं के पास स्वयं के रोजगार हैं।अत: महिला उद्यमिता के द्वारा आज ग्रामीण जनसंख्या की आर्थिक दशा सुधरी हुई है तथा साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक दशा सुधरने से भारत की जीडीपी में भी विकास हुआ है अत: हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि महिला उद्यमिता ओं के विकास से आज ग्रामीण विकास भी तेजी से हो रहा है।

परिकल्पना– महिला उद्यमिता के द्वारा हमने निम्न परिकल्पना ए इस अति लघु शोध में रखी है।

1. महिलाओं को रोजगार के अवसर पर्याप्त प्राप्त है।
2. ग्रामीण महिलाएं उद्यमिता के प्रति अपनी रुचि रखती हैं।
3. ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता के विकास से जीडीपी में वृद्धि हुई है।

शोध प्रविधि– महिला उद्यमिता के द्वारा ग्रामीण विकास हेतु हमने हमारे इस अति लघु शोध में शोध प्रविधि के रूप में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया है क्योंकि प्राथमिक आंकड़ों के द्वारा हम शोध को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते अत: इस अति लघु शोध में विभिन्न पत्रिकाएं समाचार शासकीय वेबसाइट इत्यादि का द्वितीयक आंकड़ों के रूप में प्रयोग किया है।

उद्देश्य– महिला उद्यमियों के द्वारा ग्रामीण विकास का विशेष योगदान रहा है क्योंकि अधिकतर महिलाएं भारत में ग्रामों में ही निवास करती हैं अत: हम

इसके निम्न बिंदुओं में उद्देश्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

1. महिलाओं की स्थिति को उजागर करना।
2. महिलाओं को रोजगार की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना।
3. महिला उद्यमियों को ग्रामों के विकास से जोड़ना।
4. महिला उद्यमियों के उद्योगों को गांव की ओर अग्रसर करना।
5. महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न करना।
6. बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिलाना तथा महिलाओं को स्वयं जिम्मेदार बनाना।
7. गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।
8. गांव के विकास से भारत की जीडीपी दर में वृद्धि करना इत्यादि।
9. समाज की सभी महिलाओं वर्गों को उद्यमिता के लाभ व आवश्यकता की जानकारी प्रदान करना।
10. ग्रामीण महिला उद्यमियों के विकास में बाधक हो रहे कारकों का पता लगाना तथा उनके निराकरण के संभावित उपायों की खोज करना।

ग्रामीण महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम- भारत सरकार द्वारा गांव की महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके द्वारा आज महिलाएं स्वयं का रोजगार पा रही हैं तथा देश का तथा अपने गांव का विकास कर रहे हैं ग्रामीण उद्यमिता हेतु निम्न उद्यम पाए जाते हैं।

कुटीर उद्योग- कुटीर उद्योगों के अंतर्गत ऐसे छोटे-छोटे उद्योग आते हैं जोकि घरों के अंदर ही किए जाते हैं जैसे कि सिलाई उद्योग हथकरघा उद्योग भेड़ बकरी उद्योग मुर्गी पालन पशुपालन मिट्टी के द्वारा बर्तन बनाना बेकरी उद्योग वस्तुओं पर कढ़ाई करना इत्यादि छोटे-छोटे व्यवसाय कुटीर उद्योगों के अंतर्गत आते हैं।

लघु उद्योग- ग्रामीण आबादी में लघु उद्योग कृषि से संबंधित तथा पशुपालन से संबंधित ही रहता है जैसे कि दूध उत्पादन एवं दूध से जुड़ी वस्तुएं बनाना तथा पशुओं से ऊन प्राप्त करना इत्यादि।

वृहद उद्योग- ग्रामीण आबादी में अधिकतर वृहद उद्योग नहीं पाए जाते।

अतः भारत सरकार द्वारा कुटीर उद्योग के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म वित्ता की सहायता की जाती है तथा इन सूक्ष्म वित्त ऋण पर विशेष प्रकार की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।

उद्योगों की स्थिति छठी आर्थिक गणना के अनुसार

कुल उद्यम		119668		
कृषि उद्यम	(ग्रामीण)	30063	(नगरी)	2016
गैर कृषि उद्यम	(ग्रामीण)	27269	(नगरी)	60335
योग	(ग्रामीण)	57332	(नगरी)	62351

ग्रामीण उद्योग का आशय-'ग्राम-उद्योग' की परिधि में वे सभी उद्योग-धंधे आते हैं जो ग्रामवासी अपने घरों के आस-पास पारम्परिक रीतियों अथवा जाति-विशेष के कौशल का उपयोग करते हुए निष्पादित करते हैं। यही कारण है कि सामान्यतया स्थानीय कच्चे माल, कौशल, पूँजी, तकनीक, उपभोग पर आधारित उत्पादन को ग्रामोद्योग की संज्ञा दी जाती है। ऐसे उद्योग को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ग्रामीण उद्योगों के विकास-विस्तार की दिशा में नियमित कार्यशील संस्था खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संशोधित अधिनियम 1987 के अनुसार ग्रामोद्योग का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र, जिसकी जनसंख्या 10 हजार या इसके आस-पास हो, में स्थापित कोई उद्योग जो बिजली का इस्तेमाल करके या बिना इस्तेमाल किए कोई वस्तु उत्पादित करता हो या कोई सेवा करता है। जिसमें स्थिर पूँजी निवेश (संयंत्र, मशीनरी, भूमि और भवन में) प्रति कारीगर या कार्यकर्ता 15,000 रुपये से अधिक न हो। 1949-50 के भारतीय संरक्षण आयोग ने कुटीर एवं लघु उद्योग को अलग-अलग परिभाषित किया है।

वास्तव में कुटीर उद्योग घर में चलाया जाने वाला यानी पारिवारिक माहौल में उत्पादन करने वाला घरेलू उद्योग होता है लेकिन लघु उद्योग का अर्थ उन उद्योगों से लिया जाता है जो छोटे स्तर पर उत्पादन करता हो। इसकी परिभाषा पूँजी निवेश, प्रबंध एवं अन्य स्थितियों पर बदलती रही है। अंततः यह स्वीकारना होगा कि कुछ मामलों में लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग एवं कुटीर उद्योग आपस में मेल खाते हैं। कुल 26 उत्पाद ग्रामोद्योग के अंतर्गत आते थे। लेकिन वर्ष 1990-91 के दौरान इसमें 70 नए उत्पाद शामिल किए गए। अब कुल 96 वस्तुओं के उत्पादक ग्रामोद्योग हैं जिन्हें खनिज आधारित उद्योग, वनाधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, चमड़ा और रसायन उद्योग, गैर परम्परागत ऊर्जा और इंजीनियरिंग उद्योग, वस्त्रोद्योग तथा सेवा उद्योग नामक समूहों में बाँटा गया है। ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास में इन उद्योगों का स्थान काफी महत्तवपूर्ण माना गया है।

ग्रामीण उद्यमिता का विकास- आजादी के बाद लघु उद्योगों के विकास के लिये अत्यधिक प्रयास किए गए। सन 1948 में देश में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इनके विकास हेतु 42 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। फिर 1951, 1977, 1980 एवं 1991 की औद्योगिक नीतियों की घोषणाओं में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया गया है। सबके मिले-जुले प्रयासों से लघु उद्योगों की प्रगति हुई तथा इससे देश में बेरोजगारी दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने मे काफी मदद मिली है। इस बात की पुष्टि कुछ आँकड़ों से होती है।

देश में पंजीकृत तथा कार्यरत लघु औद्योगिक इकाइयों की गणना पहली बार 1972 में पूर्ण हुई थी जिसमें 1.40 लाख इकाइयों की गणना की गई थी। वर्तमान गणना 15 वर्ष बाद 1988 में संपन्न हुई है जिसके अनुसार देश में 5.82 लाख इकाइयां कार्यरत हैं। 15 वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्पादन, रोजगार व अन्य दृष्टि से लघु औद्योगिक क्षेत्र ने उच्च वृद्धि दर प्राप्त की है। इनसे वर्ष 1972-73 में 16.53 लाख लोगों को रोजगार मिला था वह वर्ष 1987-88 में बढ़कर 36.66 लाख तक पहुँच गया। निर्यात में भी वृद्धि की दर अधिक रही है। वर्ष 1972-73 में 127 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था जो वर्ष 1987-88 में बढ़कर 2,499 करोड़ रुपये हो गया। रोजगार एवं निर्यात की सम्भावना को देखते हुए सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिये आवंटन में सातवीं योजना के मुकाबले में आठवीं योजना में चौगुनी वृद्धि की है। अतः आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उद्यमिता ने काफी वृद्धि की है आज समय है कि महिलाएं आगे बढ़ कर उद्यमिता को बढ़ाएं तथा उसके प्रति सजग रहें।

ग्रामीण उद्यमिता के प्रति राजनीतिक विचार- गाँवों के विकास में लघु एवं कुटीर उद्योग की भूमिका को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था:'जब तक हम ग्राम्य जीवन को पुरातन हस्तशिल्प के सम्बंध में पुनः जागृत नहीं करते, हम गाँवों का विकास एवं पुनर्निर्माण नही कर सकेंगे। किसान तभी पुनः जागृत हो सकते हैं जब वे अपनी जरूरतों के लिये गाँवों पर ही निर्भर रहें न कि शहरों पर, जैसा की आज।' उन्होनें आगे कहा था- 'बिना लघु एवं कुटीर उद्योगों के ग्रामीण किसान मृत है, वह केवल भूमि की

उपज से स्वयं को नहीं पाल सकता। उसे सहायक उद्योग चाहिए।' गाँधीजी ने परतंत्रता काल में भारतवासियों की दुर्दशा देखने के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन एवं विकास की दृष्टि से एकादश व्रत के साथ–साथ कुछ रचनात्मक कार्यक्रम तय किए थे। इसमें खादी और दूसरे ग्रामोद्योग को ग्राम विकास की दृष्टि से काफी महत्तवपूर्ण माना जा रहा है।

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू यद्यपि देश के तीव्रगामी विकास के लिये बड़े उद्योगों को अधिक महत्व देते थे, फिर भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु गाँवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया करते थे। उनका मानना था कि गाँवों के विकास के लिये घरेलू उद्योग का विकास स्वतंत्र इकाइयों के रूप में किया जाना आवश्यक है।

निष्कर्ष– महिला उद्यमिता के द्वारा आज प्रत्येक महिलाओं को स्वयं का रोजगार प्राप्त हुआ है तथा महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हुई है महिलाएं छोटे छोटे उद्योगों को प्रारंभ करके स्वयं का रोजगार प्राप्त कर रही हैं तथा अपने आर्थिक दशा को सुधार रहे हैं महिलाएं मजबूर होकर मजदूरी करती थी आज वहां अपने स्वयं के रोजगार उत्पन्न कर रही हैं क्योंकि आज महिलाएं छोटे से छोटे काम को भी बहुत गंभीरता से करती अत: यही विशेष कारण है कि उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं का यह कदम विशेष रहा क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक गंभीर तथा अपने काम के प्रति सजग रहती हैं।

आज हमारे भारत देश में 70% से अधिक आबादी गांव में निवास करती है अत: महिलाएं जो की नगरी क्षेत्र में रहकर उद्यमिता विकास कर रही है साथ ही साथ चाहिए कि ग्रामीण महिलाएं भी उद्यमिता विकास करें क्योंकि महिलाओं की ज्यादा संख्या गांव में ही निवास कर रही हैं वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कुटीर उद्योगों में महिलाओं का योगदान विशेष रहा है क्योंकि आज ग्रामीण आबादी की महिलाएं उद्यमिता में कुटीर उद्योगों के प्रति अपनी रुचि दिखा रही है वहीं दूसरी ओर भारत सरकार भी ग्रामीण महिला उद्यमियों को विशेष प्रकार के वित्ता ऋण प्रदान कर रही हैं तथा उस ऋण पर सब्सिडी भी प्रदान कर रही हैं अत: देखा जाए तो शासन तथा भारत की ग्रामीण महिलाएं दोनों मिलकर उद्यमिता की ओर अग्रसर हो रही है अत: उद्यमिता विकास भारत की जीडीपी बढ़ाने में काफी सहयोगी है हम कह सकते हैं कि महिला उद्यमिता ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. नईदुनिया भोपाल।
2. शोध सरीता।
3. www.Shodhganga.com
4. www.agri.co.in.
5. www.apexbank.mp.in.

****

संस्कारों का दर्पण नारी

डॉ. अर्चना बापना *

* एडवान्स महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारतीय संस्कृति में नारी को निर्माण और विकास का आधार स्तम्भ माना गया है। सामज की सुख, शान्ति और सृजन नारी के हाथों में ही है। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते है, 'सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है स्त्री।' सचमुच समाज की गतिशीलता और जीवन की परिपूर्णता का आधार है स्त्री। पुरूष की उत्पादक, धारक, पोशक, रक्षक एवं संवर्धक सभी भूमिकाओं में स्त्री मौजूद है। विनय, विवेक, सहनशीलता, सरलता, मृदुलता, सुन्दरता तो स्त्री के स्वाभाविक गुण है।

घर की लक्ष्मी, कुल की शान, कुटुम्ब की प्राण, समाज व राष्ट्र की चेतना का सजीव प्रतीक है - नारी जिसमें धरती जैसा धैर्य, सहिष्णुता, सागर जैसी गम्भीरता व विशालता, चन्द्र जैसी शीतलता (पवित्रता) और वृक्ष जैसी परोपकार-परायणता है।

देश, समाज व परिवार में स्नेह, वात्सल्य, ममता, प्रेम की अमृतधारा यदि कोई बहा सकता है तो वह है स्त्री का हृदय, स्त्री ही सभ्य समाज की निर्मात्री है। उसके बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्त्री के बिना घर व संस्कारों का निर्माण भी असम्भव है।

नारी को घर की धुरी माना जाता है। नारी चाहे तो घर को उद्यान बनाकर षोभा बढ़ा सकती है और उकरड़ा बनाकर शोभा खत्म भी कर सकती है।

नारी घर को उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित भी कर सकती है और घोर अन्धाकार से कलुशित भी। इस धरा पर जन्म तो हमने 'नारी' के रूप में ले लिया है, किन्तु अब फैसला हमारे ही हाथ में है कि हम अपने जीवन में कौन सा पात्र प्रस्तुत करें। सुपात्र बनकर घर को सुशोभित करें या कुपात्र बनकर उसे कलंकित करें।

घर के सदस्यों को विलासी-विकारी बनाये या विश्वासी विनीत ? घर के आँगन में हम आग लगाये या उसे बगीचा बनायें। कहा जाता है कि सुंस्कारी नारी से किया गया विवाह तूफान के बीच बन्दरगाह के समान है और कुनारी या असंस्कारी नारी से किया गया विवाह बन्दरगाह में तूफान के समान होता है।

सन्नारी से तात्पर्य - सुसंस्कारी नारी विवाह करके नारी घर में लाते समय प्राय: हम ऊँचाई, रूप-रंग और धन सम्पदा को प्रधानता देते है किन्तु संस्कारों की सदाचार को देखना ही नहीं चाहते है, जो हाईट, व्हाइट, लाइट और ब्राइट (बाहरी चमक-दमक) में ही लिप्त रहता है, उसके दिमाग की नसें सदा तनावग्रस्त रहती है। इसलिये वहाँ हर रोज लड़ाई होती रहती है। वहाँ के सदस्यों को सुख-शान्ति से जीवन बिताने का अधिकार भी प्राप्त नहीं हो पाता।

जहाँ एक ओर सुस्ंकारी या सुसंस्कृत नारी सम्पूर्ण परिवार को मारने वाली बनती है, वहीं सुसंस्कारी या असंस्कृत नारी उसमें (आग लगाने वाली) मारपीट कर आघात करने वाली, मारने वाली बन जाती है।

संस्कारी नारी संस्कारों की सुगन्ध परिवार के परिसर में फैलाकर घर के छोटे-बड़े प्रत्येक सदस्य का दिल जीत लेती है। सत्कार्यों की प्रबल प्रेरणा का स्रोत बन कर घर को स्वर्ग में बदल डालती है। वहीं कुसंस्कारी नारी जब घर में आती है तब घर की पूर्ण शान्ति को भी नष्ट कर डालती है। उस घर में दुर्गुण अपना प्रभाव जमा लेते है और उसका वातावरण जीने लायक नहीं रहने देती। उस समय यदि संस्कारी या सुंस्कारी नारी हुई तो वह विषमता-कटुता-मनो मालिन्य के तूफान को भी शांत कर देती है एवं धैर्य षान्ति का साम्राज्य स्थापित करने में खरी उतरती है। कुसंस्कारी नारी अपनी स्वच्छन्द मनोवृत्ति से घर के प्रत्येक सदस्य के मन में अलगाव बढ़ा देती है और वह सज्जनों की नजर में धिक्कार व अपमान की पात्र होती है।

आर्य संस्कृति वाले इस भारत देश को दुनिया में जगदगुरू का विशेषण प्राप्त है। हम अत्यन्त सौभाग्यशाली है कि हमें प्रारम्भ से ही आर्य संस्कृति के संस्कार अपनी जन्म घुट्टी के साथ प्राप्त हुए है।

इतिहास गवाह है कि इतिहास के पृष्ठों पर अंकित महासतियों सन्नारियों की संस्कार वर्धक गौरवशालिनी शौर्य एवं सत्य भरी जीवन गाथाएँ (कथाएँ) पढ़कर श्रवणकर मंच पर अभिनीत रूप में प्रत्यक्ष देखकर हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। पन्याधाय का पुत्र समर्पण सीता का अभूतपूर्व त्याग, इन्दिरा गाँधी का देश के समर्पण और सुचिता कृपलानी, मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी पदमावती, चन्दन बाला और भी अनेक सन्नारियों के उदाहरण से इतिहास के पन्नों पर अंकित है। ऐसी सुसंस्कृत नारियों के सृजन के लिए कन्याओं में सुसंस्कार प्रदान करने के लिए विशेष जागृति लाना जरूरी व अति आवश्यक मालूम होता है।

नारी में अपने सुंस्कारों के प्रति रूचि उत्पन्न करनी होगी। इतना ही नहीं, बल्कि स्वयं भी सुसंस्कृत जीवन जीने के लिए वचनबद्ध, कटीबद्ध होना होगा क्योंकि एक प्रकट हुआ दीपक हजारों दीपकों को प्रकाशित कर सकता है। वैसे ही एक संस्कारित कन्या हजारों कन्याओं को सुसंस्कृत बना सकती है। पर आधुनिक युग में आज मर्यादा की सीमा रेखा लांघकर युवतियाँ स्वयं के जीवन के साथ परिवार, समाज, संघ को कलंकित करने में जरा भी हिचकिचाती नहीं है।

आधुनिक युग में पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

के उदात गुणों को विस्मृत ना करें और संस्कारों के सौरभ को विकसित कर घर परिवार व समाज की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान है।

संस्कारों की पवित्रता को सुरक्षित, संस्कारित व पल्लवित करने की अद्भुत क्षमता केवल नारी में ही है। किसी भी घर को हैप्पी होम बनाने के लिए उसे सजाने-संवारनें की आवश्यकता नहीं है बल्कि सद्गुणों व सद्संस्कारों का होना जरूरी है। हैप्पी होम को बनाने के लिए सर्व प्रमुख पात्र है - नारी शक्ति, महिला शक्ति, स्त्री शक्ति। अत: नारी का संस्कारवान होना अति आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

बी.एड. महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई-सूचना स्त्रोतों की आवश्यकता - एक विश्लेषण

डॉ. राकेश खरे * मनीषा दुबे **

*ग्रंथपाल, रबीन्द्रनाथ टेगौर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान) रबीन्द्रनाथ टेगौर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान युग सूचनाओं का युग है। प्रत्येक व्यक्ति विश्वसनीय और सही जानकारी पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों से मिलने की उम्मीद रखता है। भारत में पुस्तकालय नई जानकारी के लिए इन चुनैतियों को स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। बहुत से पुस्तकालय डिजिटल और नेटवर्क की जानकारी काफी समय से उपयोग में ला रहे हैं। आज पुस्तकालय परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। चुनौतियों, कम होते बजट, स्थान की कमी, प्रकाशनों की बढ़ती लागत और दूसरी तरफ सूचना के क्षेत्र में प्रगति से उत्पन्न जानकारियों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। इस कारण पिछले कुछ दशकों ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। आज सीडी रोम, मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन, ऑनलाइन पत्रिकाएँ अधिक तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। नए-नए प्रकाशन उभर कर सामने आ रहे हैं। इस क्रांति को जन्म दिया कम्प्यूटर विज्ञान और प्रकाशकीय तंत्र ने जो विश्व के राष्ट्रों को अधिक समीप लाने में महत्तवपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य ई-संसाधनों से परिचय कराना तथा पुस्तकालय में उनकी उपलब्धता, लाभ एवं महत्व का विश्लेषण करते हुए बी.एड. महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई-सूचना स्त्रोतों की आवश्यकता का विश्लेषण करना है।

शब्द कुंजी – पुस्तकालयों का महत्व, संरचना, ई-पुस्तकालय की आवश्यकता, ई-संसाधन, समस्याएं, सुझाव एवं निष्कर्ष।

प्रस्तावना – आधुनिक समाज की विभिन्न आवश्यकताओं से हम परिचित हैं। संभवत: शिक्षा इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे सुषिक्षित, योग्य एवं दायित्व पूर्ण नागरिकों का निर्माण करती है, जो प्रगति और उन्नयन में अपना योगदान दे सकते हैं। मनुष्य के विकास में जितनी भूमिका शिक्षा की है, उतनी ही भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की है।

शिक्षा और पुस्तकालय एक दूसरे के पूरक हैं, जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात् शिक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारों की है। देश के विकास हेतु गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने का दायित्व शिक्षकों पर होने के कारण शिक्षकों का निर्माण करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के दायित्व में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

आज एक आधुनिक पुस्तकालय में ई-संसाधनों की उपलब्धता बहुत आम है। यदि पिछले कुछ दशकों में शिक्षकों और शोधार्थियों के बीच ऑन लाइन संसाधनों की प्राथमिकताओं और विचारों पर प्रकाश डाला जाए तो कम्प्यूटर के उपयोग के प्रति एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। सूचना संसाधन में कम्प्यूटर के आवेदन दृश्य के लिए उत्पाद व सेवाएँ हैं। इंटरनेट और वेब लगातार विद्धानों के संचार एवं नए तरीके के विकास को प्रभावित कर रहे हैं।

वर्तमान में पुस्तकालयों में नेटवर्किंग की आवश्यकता है क्योंकि एक राष्ट्र की प्रौद्योगिकी मानव और भौतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। ई-संसाधनों को आसानी से गूगल जैसे सर्च इंजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ई-संसाधन से युक्त पुस्तकालय सभी उपयोगकर्ताओं के लिए स्वतंत्र हैं। इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी कम्प्यूटर के माध्यम से उन तक पहुँचा जा सकता है, इसके लिये पुस्तकालय के खुलने का इंतजार करने की आवश्कता नहीं होती।

देश में भावी शिक्षक तैयार करने का दायित्व शिक्षा (बी.एड.) महाविद्यालयों का है। वर्तमान में देश के अधिकांश बी.एड. महाविद्यालय परम्परागत पुस्तकालयों की अवधारणा को लेकर चल रहे हैं, जबकि वर्तमान युग सूचना एवं प्रौद्योगिकी का है, अत: आज आवश्यकता है कि देश के बी.एड. महाविद्यालयों के पुस्तकालय ई-सूचना स्त्रोतों से युक्त हों, जिससे इन महाविद्यालयों के विद्यार्थी अपने अतिरिक्त समय में भी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न हों।

बी.एड.महाविद्यालयों में पुस्तकालय – देश एवं प्रदेश के लिये भावी शिक्षक तैयार करने में बी.एड. महाविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआरटी) द्धारा बी.एड. महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई-संसाधनों की उपलब्धता हेतु जारी दिषा-निर्देश के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार हैं -

1. पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्व-कोष, शब्द-कोष, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन (सी.डी.रोम), ऑन लाइन संसाधन तथा कम से कम शिक्षा पर पांच रैफ्रिड जर्नल तथा सम्बद्ध विषयों पर पांच अन्य पत्रिकाएं मंगाई जाएंगी।
2. पुस्तकालय के अंदर फोटोकॉपी करने की सुविधा होगी तथा इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर होगा, जिससे संकाय तथा विद्यार्थी दोनों इसका प्रयोग कर सकें।

3. महाविद्यालय में ई–संसाधनों से युक्त एक संसाधन केन्द्र होगा, जो विभागीय पुस्तकालय के प्रयोजन को पूरा करेगा।
4. ई–संसाधनों से युक्त संसाधन केन्द्र में एक स्टोर के साथ पर्याप्त संख्या में पुस्तकें, पाठ्यचर्या सामग्री, बाल साहित्य, पाठ्य–पुस्तकें, रिपोर्ट, दस्तावेज, श्रव्य–दृष्य उपस्कर, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, डी.वी.डी. प्लेयर, कैमरा, शिक्षा सम्बंधी फिल्में आदि होना चाहिये।
5. ई–संसाधनों से युक्त संसाधन केन्द्र में पर्याप्त संख्या में उपरोक्त सामग्री होना चाहिये, जिससे विद्यार्थी उनका उपयोग कर सकें।
6. ई–संसाधनों से युक्त संसाधन केन्द्र में संकाय और विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किये जाने के लिये कम्प्यूटर सुविधा भी होना चाहिये।
7. ई–संसाधनों से युक्त संसाधन केन्द्र में विद्यार्थियों की सभा, कक्षा, समूह चर्चा और अध्ययन के लिये भी र्प्याप्त स्थान होना चाहिये।

ई–पुस्तकालय – ई–पुस्तकालय से आशय उस डिजिटल पुस्तकालय या डिजिटल लाइब्रेरी से हैं, जहां भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा 24 घंटे 365 दिन इस पुस्तकालय का उपयोग किया जा सकता है। ई–पुस्तकालय से अपनी आवश्यकता अनुसार अध्ययन सामग्री प्राप्त की जा सकती है। ई–पुस्तकालय का अर्थ एक ऐसे पुस्तकालय से है, जहां पर डिजिटल रूप से सूचना और अध्ययन सामग्री एक्सेस की जाती है। इस पुस्तकालय में इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा कंप्यूटर या फिर एंड्राइड मोबाइल के द्वारा कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में बैठ कर किसी भी समय अपने अनुसार सूचना तथा अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। ई–पुस्तकालय का विस्तृत रूप इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है तथा इसे इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय भी कहा जाता है।

आज के युग में डिजिटलाइजेशन अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ई–पुस्तकालय या ई–लाइब्रेरी का महत्व भी बढ़ गया है। व्यस्तताओं के इस दौर में ई–पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण हो गये हैं। वर्तमान में हर एक व्यक्ति जो अपने काम में व्यस्त रहता है और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय तक जाने का समय भी नहीं निकाल पाता है, उसके लिए ई–पुस्तकालय बहुत ही महत्वपूर्ण है।

ई–संसाधनों के प्रकार – ई–पुस्तकालय के माध्यम से प्रत्येक स्तर की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है, जो निम्न प्रकार हैं –

1. **ई–पुस्तक –** ई–पुस्तक एक पारंपरिक मुद्रित पुस्तक का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। एक व्यक्तिगत कम्प्यूटर का उपयोग करके उसे पाठक के रूप में पढ़ा जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक किसी भी प्रकार की ई–सामग्री की हो सकती है। पैक और ई–पुस्तक प्रौद्योगिकी के साथ इसका उपयोग एक औसतन इकाई के रूप में किया जा सकता है। यह एक लिखित कार्य है जिसे कम्प्यूटर के चित्रपट पर पढ़ा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। यह पाठकों के पेशेवर उद्देश्य की पूर्ति के लिए संरचित किया गया है। इसमें विषय वस्तु ई प्रारूप में उपलब्ध होती है।

2. **ई–जर्नल –** ई–जर्नल एक इलेक्ट्रॉनिक–जर्नल है। यह एक आवधिक प्रकाशन हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रकाशित होता है। मुद्रित जर्नल की तुलना में ई–जर्नल के बहुत लाभ हैं। किसी विषय की विषय वस्तु सम्बन्धित लेख एवं सम्पूर्ण पाठ को खोज सकते हैं। कई शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान कार्य हेतु ई–जर्नल उपलब्ध हैं। ई–जर्नल को हम इन्टरनेट की सहायता से पढ़ सकते हैं एवं डाउनलोड कर सकते हैं। ई–जर्नल से विद्यार्थियों, शोधार्थियों व शिक्षकों को काफी हद तक मदद मिलती है। ई–जर्नल कई साइट उपलब्ध करवाती है जिनमें से इनफ्लिविनेट, डेलनेट, जे–गेट, आई.ई.ई.ई., मनुपात्रा एवं नेचर इत्यादि प्रमुख हैं।

3. **ई–पत्रिका –** यह एक ऑनलाइन पत्रिका है जो बुलेटिन बोर्ड सिस्टम एवं सार्वजनिक कम्प्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित होती है। ई–पत्रिकाओं को हम कभी भी कहीं भी पढ़ एवं सुरक्षित कर सकते हैं। एक सी.डी. या डिवाइस में हम कितनी भी सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। ई–पत्रिकाओं का प्रकाशन सिर्फ एक से अधिक पाठकों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। शोधकर्त्ताओं ने इसका स्वागत किया और ई–पत्रिकाओं को अभूतपूर्व संख्या में बढ़ावा मिला। आज का पाठक ई–संसाधनों से जुड़ा होने के बाद ही इनकी सेवाएं प्राप्त कर सकता हैं।

4. **ई–थीसिस–** पारंपरिक शोध का डिजिटल प्रारूप ई–थीसिस है। शोधार्थियों के शोध जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं वे ई–थीसिस कहलाते हैं। प्राध्यापक एवं शोधार्थी इससे परामर्श लेते हैं। ये इंटरनेट पर उपलब्ध शोध कार्यों का भण्डार है। यू.जी.सी. संस्था ने स्वतंत्र रूप से इस तक पहुँचने में सहायता की है। यह संस्था ई–थीसिस कार्यक्रमों को शोधार्थियों के लिए विकसित कर रही है।

5. **ई–डेटाबेस –** विशेष रूप से यह बहु–अनुशासनिक विषय या विषय क्षेत्रों की जानकारी का एक संगठित संग्रह है। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिया जा सकता है। डेटाबेस तथ्यों और जानकारी की एक संगठित सूची है। वूर्लियन ने तर्क दिया कि एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तेजी से सूचना के विशिष्ट मदों के लिए खोजा जा सकता हैं।

6. **ई–बिबिलियोग्राफी –** संदर्भ ग्रंथ–सूची का संगणक–करण ई–बिबिलियोग्राफी कहलाता है। एक संदर्भ ग्रंथ–सूची पुस्तकों, विज्ञान के लेख, सम्बंधित विषय पर शोध और एक शोध–प्रबंध लिखने के लिए अन्य स्त्रोतों की एक सूची है। संदर्भ ग्रंथ–सूची प्रविष्टियों को एक बहुत विशिष्ट प्रारूप में लिखा होना चाहिए, लेकिन उस प्रारूप का उपयोग लेखन की विशेष शैली पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से ए.पी.ए या टुरबाईन शैली में लिखी जाती है।

7. **ई–मानचित्र –** जो मानचित्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होता है, वह ई–मानचित्र कहलाता है। ई–मानचित्र इंटरनेट संसाधनों में रूचि रखने वाले उपयोगकर्त्ताओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन है। ई–मानचित्र का संगणक–करण 20वीं शताब्दी के अंत में किया गया था। ई–मानचित्र के माध्यम से चाहे गये स्थानों का मार्ग क्षणों में ज्ञात हो जाता है। आज ये संसार भर में बहुत उपयोग में लिया जा रहा है। ई–मानचित्र कई रूप में उपलब्ध है, जैसे– ई–जलवायु मानचित्र, ई–राजनीतिक मानचित्र, एवं ई–सड़क मानचित्र इत्यादि।

8. **ई–पाण्डुलिपि–** ई–पाण्डुलिपि पुस्तकालय विज्ञान के संदर्भ में पाण्डुलिपि से तात्पर्य हस्तलिखित पत्र या डायरी से है। मुद्रण से पूर्व सभी दस्तावेज आरै किताबें पाण्डुलिपि रूप में उपलब्ध थीं। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध पाण्डुलिपियाँ ई–पाण्डुलिपियाँ कहलाती हैं। वर्तमान में इन्हें इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इनका संगणक–करण कर दिया गया है। ये विभिन्न विषयों में उपलब्ध हैं।

9. **ई–समाचार–पत्र –** ई–समाचार–पत्र मुद्रित अखबार का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जिसे हम ऑनलाईन पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र मीडिया के रूप में पहली बार इंटरनेट के लोकप्रिय होने के साथ वर्ष 1990 के दशक में

उभरा। आज अधिकतर घरों तक इंटरनेट की पहुंच है, अत: ई-समाचार पत्र का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है।

10. ई-मेल - ई-मेल एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश है। यदि आप इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क से जुडे हैं तो आप ई-मेल के द्वारा संदेशों का आदान-प्रदान कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे आप साधारण पोस्ट से पत्रों का आदान-प्रदान करते हैं। ई-मेल भेजने के लिए आपके कम्प्यूटर पर कोई कम्यूनिकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यह सॉफ्टवेयर आप को एक साधारण एडिटर उपलब्ध करवाता है, जिसकी सहायता से आप कोई भी संदेश टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको पाने वाले का ई-मेल पता भी टाइप करना होता है। पते की सहायता से ही ई-मेल सही स्थान पर पहुँचता है। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यधिक किया जा रहा है।

11. वर्ल्ड वाइड वेब (www) **-** वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार यूरोप के इंजीनियर टिम वर्नर ली ने किया था। यह इंटरनेटकी सर्वाधिक उपयुक्त सेवा है। यह सूचना के भण्डारण के लिए डॉक्यूमेंट काम में लेता है, जिन्हें वैब पेज भी कहा जाता है।

ई-पुस्तकालय के लाभ :

1. ई-पुस्तकालय के द्वारा छात्र को अपने समय व स्थान के अनुसार ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
2. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसमें सीडी, रोम, डीवीडी, इंटरनेट, मोबाइल लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का प्रयोग करने से छात्रों में कई प्रकार की अधिगम संबंधी स्थाई रोचक गतिविधियाँ जागृत होती हैं।
3. ई-पुस्तकालय के माध्यम से ऑनलाइन संप्रेषण की क्रिया भी संपादित की जा सकती है, जिससे छात्र का समय बचता है।
4. ई-पुस्तकालय पठन सामग्री के लिए नवीनीकरण और सहायक सामग्री भी घोषित करता है।
5. ई-पुस्तकालय में छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया जाता है तथा जो नई सूचनाएं अपडेट होती हैं वह एसएमएस के माध्यम से छात्र तक पहुंच जाती हैं।
6. ई-पुस्तकालय द्वारा अधिगमकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता एवं आवश्यकताओं के अनुसार अनुभव प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर कई प्रकार की सामग्री उपलब्धा रहती है।
7. ई-पुस्तकालय में संस्कृति, स्थान तथा अधिगम शैली में विभिन्नता होने के पश्चात् भी अधिगमकर्ताओं को अधिगम में लाभ प्राप्त है।

ई-पुस्तकालय के दोष :

1. ई-पुस्तकालय से सूचना या अधिगम प्राप्त करने के लिए किसी माध्यम जैसे - कंप्यूटर, लैपटाप अथ्वा मोबाइल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि के संचालन की तकनीकी में विशेष योग्यता होना आवश्यक है।
2. ई-पुस्तकालय का प्रयोग उन छात्रों के लिए घातक है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और शिक्षा प्राप्ति में इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं।
3. ई-पुस्तकालय के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति में प्रोत्साहन का अभाव रहता है इसलिए बहुत से छात्र इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं।
4. ई-पुस्तकालय का प्रयोग करने के लिए अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है जिसका अभाव है।

निष्कर्ष - आज का युग इलेक्ट्रॉनिक युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ई-संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग हो रहा है तथा इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र और शिक्षा इससे अछूती नहीं है। किसी भी समाज और शैक्षणिक संस्था में पुस्तकालयों का महत्त्व सर्वविदित है। पुस्तकालयों के संचालन और ज्ञान के आदान- प्रदान प्रसार में इनका उपयोग हो रहा है। इस आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युग में प्रवेश करने के लिए हमें पहले से तैयार होना और इस आधुनिकीकरण की तेज रफ्तार में कदम से कदम मिलाकर आगे आना होगा। वरना हम इस तकनीकी युग में पिछड़ जाएंगे। इस दिशा में भारत में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। यह कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इस कार्य में ई-पुस्तकालयों की महत्ती भूमिका हो सकती है।

पारंपरिक पुस्तकालय अभी भी काफी हद तक मुद्रित सामग्री को संजोये हुए हैं। परम्परागत पुस्तकालय के भौतिक संग्रह से युक्त वातावरण में उपभोक्ता के लिए यह आवश्यक है कि पाठक पुस्तकालय में आएं और उस प्रलेख का उपयोग करने के लिए वह उसे प्राप्त करें। इसके अलावा किसी भौतिक प्रलेख का एक ही समय में केवल एक ही उपभोक्ता उपयोग कर सकता है जबकि पूरी तरह से स्वचालित पुस्तकालय में भी पुस्तकालय ओपेक का प्राथमिक उद्देश्य किसी प्रलेख की भौतिक अविस्थिति का संकेत देना ही होता है। ई-पुस्तकालय उन भौतिक अवरोधों को समाप्त कर देता है, जो पारम्परिक पुस्तकालय में होते हैं। साथ ही बहुअधिगम बहुविधि की सूचियों तथा अपने संग्रह का इलेक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण भी करता है। 21वीं सदी में इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि हुई है जिसने पुस्तकालयों को भी काफी प्रभावित किया है। अत: आज आवश्यक है कि परम्परागत पुस्तकालय ई-पुस्तकालयों की ओर बढ़ें।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है। विश्व में बढ़ती हुई सूचना एवं औद्योगिक क्रांति से प्रतिस्पर्धा करने के लिये तथा देश को अग्रिम पंक्ति में बनाये रखने हेतु आवश्यक है कि देश की शिक्षा पद्धति में ई-संसाधनों का समावेश हो। इस हेतु देश के सभी शैक्षणिक पुस्तकालयों में ई-संसाधनों की आवश्यकता परिलक्षित होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विद्यालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
2. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान परिभाषा कोष, नई दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास - एक अध्ययन

डॉ. सरिता आर्य * सीमा तोमर **

* सहायक प्राध्यापक (पुस्तकालय विज्ञान) रबीन्द्रनाथ टैगौर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (पुस्तकालय विज्ञान) रबीन्द्रनाथ टैगौर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - वर्तमान युग में पुस्तकालय मानव जीवन का अभिन्न अंग हैं। यद्यपि प्राचीनकाल के पुस्तकालयों के सम्बंध में आज पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, किन्तु यदि उपलब्ध सामग्री का व्यवस्थापन, विषय का विश्लेषणात्मक वर्णन, आंकडों और तथ्यों का विधिवत संग्रह तथा विभिन्न विचारधाराओं का समन्वय किया जाये, तो स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भी पुस्तकालयों का प्रभावी अस्तित्व था। पाश्चात्य् लेखकों का मानना है कि भारतीयों ने ईस्वी सन् की सातवीं-आठवीं शताब्दी में विदेशियों से लिपि ज्ञान प्राप्त किया है, किन्तु भारतीय भाषाओं एवं लिपियों का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में अति प्राचीनकाल से ही लिखने की परम्परा रही है और इसी के परिणामस्वरूप भारतीय पुस्तकालयों का विकास भी एक सुनियोजित परम्परा के रूप में होता रहा है।

लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व की सिन्धु सभ्यता से लेकर वर्तमान युग तक संस्कृति के जो अंतर्साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि प्राचीनकाल के निवासियों की अपनी भाषा और लिपि थी जिसके आधार पर वे अपने विचारों को प्रकट करते थे। अत: यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होना चाहिये कि प्राचीनकाल में पढने-लिखने की परम्परा जीवंत थी, जिसके प्रमाण विभिन्न भारतीय पुस्तकालयों में संग्रहित भोज-पत्र, ताड-पत्र और हस्तलिखित पोथियां हैं। आज की भारतीय भाषाएं, लिपियां और पुस्तकालय उसी परम्परा के विकसित स्वरूप हैं।

प्रस्तुत शोधपत्र मध्यप्रदेश राज्य के गठन से पूर्व से लेकर वर्तमान नवीन मध्यप्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास का विश्लेषण करता है। शोध पत्र का उद्देश्य मध्यप्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के इतिहास, क्रमिक विकास और वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों की उपयोगिता को रेखांकित करना है।

शब्द कुंजी- सार्वजनिक पुस्तकालय-इतिहास, विकास, उपयोगिता, स्थिति, समस्याएं, सुझाव।

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों का इतिहास - मध्यप्रदेश में पुस्तकालय इतिहास की अपनी एक कहानी है। ऐतिहासिक दृष्टि से मध्यप्रदेश में पुस्तकालय आंदोलन के दो काल कहे जा सकते हैं -

(अ) प्रथम काल - मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व

(ब) द्वितीय काल - मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात्

मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व - मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व यह क्षेत्र मध्य भारत के नाम से प्रचलित था। मध्य भारत में प्राचीन पुस्तकालय का इतिहास लगभग अज्ञात रहा है। 12वीं शताब्दी में धार नरेश राजा भोज का अपना इंपीरियल पुस्तकालय था, जिसे 'भोज के इंपीरियल पुस्तकालय' के नाम से जाना जाता था। 20वीं शताब्दी में इंदौर में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई।

इंदौर में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन महाराजा तुकोजी राव होलकर द्वितीय के द्वारा प्रारंभ हुआ। उन्होंने इस पुस्तकालय को हुजूर्य महल में स्थापित किया, जिसमें 500 रूपये चंदा एवं 12 रूपये प्रतिमाह देना प्रारंभ किया। इस पुस्तकालय का नाम 'किताबघर' रखा गया था। इस पुस्तकालय के नियम सन् 1884 में तथा 2507 पुस्तकों के सूचीपत्र सन् 1891 में बनाए गए थे। सन 1909 तक यह पुस्तकालय कई स्थानों पर परिवर्तित होता रहा। सन् 1947 में रजवाड़ा चौक में इस पुस्तकालय के लिए स्थान मिल गया, जिसका प्रबंधन पुस्तकालय समिति के द्वारा होता है।

मध्य भारत राज्य की स्थापना देशी रियासतों को मिलाकर सन् 1948 में हुई थी। ब्रिटिश प्रांतों की तुलना में इन देशी रियासतों में शिक्षा का विकास समुचित नहीं था परंतु मध्य भारत की इंदौर और ग्वालियर दो प्रमुख रियासतें शिक्षा के क्षेत्र में उन्नतिशील कही जा सकती हैं। इन देशी रियासतों में आंदोलन की गतिविधियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है फिर भी कुछ प्रमाणों से आभास होता है कि मध्य भारत में पुस्तकालय आंदोलन 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हो चुका था। इंदौर एवं ग्वालियर मध्य भारत के निर्माण के पूर्व से ही अच्छे जैन पुस्तकालय स्थापित कर चुके थे। इंदौर में 'इंदौर जन ग्रंथालय' सन् 1854 में स्थापित हुआ था। सन् 1887 में इंदौर में ही 'विक्टोरिया पुस्तकालय' तथा ग्वालियर में 'माधव पुस्तकालय' सन् 1899 में प्रारंभ हुआ था।

इसके अतिरिक्त 'राजा यशवंत पुस्तकालय' खरगोन में सन् 1858 में, खंडवा का 'नेटिव पुस्तकालय' जिससे अब 'मानिका स्मृति पुस्तकालय, खंडवा' के नाम से जाना जाता है, सन् 1868 में स्थापित हुआ था। 'बुरहानपुर पुस्तकालय' जिसे अब 'महात्मा गांधी सार्वजनिक वाचनालय' कहा जाता है, की स्थापना सन् 1868 में हुई थी। 'नगर पालिका राज्य पुस्तकालय, जबलपुर' में पुस्तकालय की स्थापना सन् 1885 में डिप्टी कमिश्नर श्री सी.डब्ल्यू. मेमन के द्वारा की गई थी। इस पुस्तकालय का प्रबंधन सन् 1922 से जबलपुर नगर पालिका समिति द्वारा किया जा रहा है।

20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उज्जैन में 'युवराज जैन पुस्तकालय' स्थापित हुआ था। सन् 1909 में सागर में 'सार्वजनिक पुस्तकालय' स्थापित

हुआ था। सन् 1911 में 'हमीदिया राज्य पुस्तकालय' भोपाल में स्थापित हुआ था। ग्वालियर में सन् 1928 में 'केंद्रीय ग्रंथालय' की स्थापना हुई। भोपाल नगर में स्थित यह केंद्रीय ग्रंथालय जन ग्रंथालय के रूप में सक्रिय था। विंध्य क्षेत्र में रीवा नरेश द्वारा भी नगर में एक 'जन ग्रंथालय' की स्थापना की गई थी। विंध्य प्रदेश के अन्य नगरों में अनुदान प्राप्त ग्रंथालय सक्रिय थे। यह सभी पुस्तकालय सक्रिय रुप से जनता को ग्रंथालय सेवा प्रदान कर रहे थे।

मध्य भारत का महाकौशल क्षेत्र – मध्य भारत, जिसे मध्य प्रांत भी कहा जाता था, में पुस्तकालय आंदोलन प्रगतिशील था। वहां केंद्रीय ग्रंथालय एवं जिला ग्रंथालय जनता को पर्याप्त ग्रंथालय सेवा प्रदान कर रहे थे। जबलपुर में केंद्रीय ग्रंथालय एवं अन्य जिलों में जिला ग्रंथालय की स्थापना हो चुकी थी। सन् 1948–49 में ग्रामीण एवं पंचायत पुस्तकालय स्थापित करने का विचार रखा गया था जिसका तात्पर्य पुस्तकालय का विकास करना था। पुस्तकालयों के विकास के लिए सन् 1952 में मध्य प्रदेश सरकार ने इंग्लैंड के फ्रैंक एम. गार्डनर को निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने पुस्तकालय सेवा के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। सन् 1954–55 में पुस्तकालय का विस्तार हुआ और इसी समय चल पुस्तकालय सेवा प्रारंभ हुई।

नवगठित मध्यप्रदेश में पुस्तकालय – वर्तमान मध्यप्रदेश का गठन 1 नवंबर सन् 1956 में हुआ। वर्तमान मध्यप्रदेश में अनेक पुस्तकालय क्रियाशील हैं। प्रत्येक जिले में एक जिला पुस्तकालय है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ–साथ विभिन्न शासकीय विभागों के अपने पुस्तकालय हैं। इस प्रकार मध्यप्रदेश के गठन के पश्चात् प्रदेश में पुस्तकालयों का जाल सा बिछ गया है। यहां विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के संचालन के लिये पृथक–पृथक विभाग हैं। यह विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय, विभिन्न प्रकार के संचालनालय या संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए –

1. शहरी क्षेत्र में पुस्तकालय सेवा –शिक्षा विभाग।
2. ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय सेवा –पंचायत एवं समाज सेवा विभाग।
3. आदिवासी क्षेत्र में पुस्तकालय सेवा –हरिजन एवं आदिम जाति कल्याण विभाग।

इनमें से शहरी क्षेत्रों में जिला पुस्तकालय का संचालन संचालक लोक शिक्षण के नियंत्रण में संबंधित जिले के उप संचालक शिक्षा द्वारा किया जाता है। राज्य में लोक शिक्षा कार्यालय में एक मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष होता है जो कि क्षेत्रीय तथा जिला पुस्तकालय का निरीक्षण करते हैं। वर्तमान में मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र में भी सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है।

विभिन्न स्तर के सार्वजनिक पुस्तकालय – मध्य प्रदेश में कार्यरत सार्वजनिक पुस्तकालयों को मुख्यत: तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है –

1. पूर्णरूपेण जनता द्वारा संचालित
2. जनता द्वारा संचालित, शासकीय अनुदान प्राप्त, एवं
3. पूर्णरूपेण शासन द्वारा संचालित

उपरोक्त विभाजनानुसार इन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है–

1. शासकीय सार्वजनिक पुस्तकालय – ये ऐसे पुस्तकालय हैं, जिनका संपूर्ण संचालन एवं प्रबंध शासन द्वारा किया जाता है। शासकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाओं को मुख्यत: दो भागों में विभाजित किया जा सकता है –

(अ) नगरीय सार्वजनिक पुस्तकालय – मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों में स्थित इन पुस्तकालयों का संचालन एवं प्रबंधन संचालक लोक शिक्षण द्वारा किया जाता है। मध्यप्रदेश में ऐसे पुस्तकालय निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किए जा सकते हैं –

1. संभागीय पुस्तकालय – मध्य प्रदेश के 9 शैक्षणिक संभागों में केवल 5 संभागीय पुस्तकालय हैं। केन्द्रीय पुस्तकालय – ग्वालियर, केन्द्रीय पुस्तकालय – जबलपुर, केंद्रीय पुस्तकालय – भोपाल, केंद्रीय पुस्तकालय – रीवा एवं अहिल्या बाई केंद्रीय पुस्तकालय – इंदौर।

उपरोक्त पाँचों संभागीय पुस्तकालय वास्तव में नगरीय पुस्तकालय ही हैं, क्योंकि उनकी सेवाओं का क्षेत्र पूरा संभाग न होकर जिस नगर में यह स्थित हैं वहीं का होकर रह गया है। यह पुस्तकालय तकनीकी व्यवस्था एवं सेवा की दृष्टि से संतोषप्रद कहे जा सकते हैं। इन पाँचों क्षेत्रीय पुस्तकालयों में ग्वालियर का केन्द्रीय पुस्तकालय सबसे बड़ा पुस्तकालय है, जिसमें देशी एवं विदेशी 10 भाषाओं के लगभग 80 हजार ग्रंथ संग्रहित हैं। इसका एक विषिष्ट अंग 'बाल पुस्तकालय एवं कौतुकालय' है जो किसी अन्य पुस्तकालय में नहीं है।

2. जिला पुस्तकालय – मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में जिला पुस्तकालय हैं। इन जिलों की सेवाएं संपूर्ण जिले के लिए हैं किंतु उनकी सेवाओं का कार्य क्षेत्र कुछ कस्बों तक ही सीमित पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी सेवा नगण्य कही जा सकती है। वर्तमान जिला पुस्तकालय भोपाल एवं जिला पुस्तकालय सीहोर में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्ता कहानियॉं, कविता, योग, उपन्यास, विज्ञान, नाटक, महिला सशक्तिकरण आदि पर कुल 18450 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसमें हिन्दी की 12,250 एवं अंग्रेजी की 6200 पुस्तकें हैं।

3. शासकीय सम्मिलित पुस्तकालय – जबलपुर, सांची और डबरा में इस प्रकार के सम्मिलित पुस्तकालय स्थित हैं। यह पुस्तकालय जिन स्थानों पर हैं वहां की जनता को पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों को भी 'संदूक पुस्तकालय' द्वारा सेवा प्रदान करते हैं, परंतु इनकी ग्रामीण सेवा परिपूर्ण नहीं कही जा सकती है।

(ब) ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालय – मध्यप्रदेश के कुछ ग्रामीण अंचलों में भी सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित हैं। इनका संचालन पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकालयों के विकास के लिए विकास केंद्रों के माध्यम से ग्राम पंचायतों एवं जनपदों को ग्रंथों से भरे संदूकों को भेजा जाता है, परंतु इन पुस्तकालयों की सेवा की स्थिति भी वर्तमान में दयनीय हो गई है।

1. चल पुस्तकालय – पूर्व में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं सूचनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु चल पुस्तकालयों का गठन किया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 3 चल पुस्तकालय हैं जिनमें से भोपाल में दो एवं ग्वालियर में एक है। चल पुस्तकालयों के विकास हेतु अनेक प्रयास किए जाने के पश्चात् भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपयोगिता संतोषजनक नहीं कही जा सकती।

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति – मध्यप्रदेश में पुस्तकालयों की स्थिति अन्य प्रदेशों एवं विशेषकर दक्षिण भारत की तुलना में अत्यधिक चिंताजनक है। इस प्रकार संचालित किए जाने वाले पुस्तकालय प्रशासन

एवं सेवा की दृष्टि से अलग-अलग हैं तथा इनका एक दूसरे का कोई समन्वय नहीं है। ये सार्वजनिक पुस्तकालय विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय जनता की सेवा में रत है। यद्यपि इन्हें शासकीय अनुदान प्राप्त होता है तथापि इन की वित्तीय स्थिति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती। इन्हें सशुल्क जन-पुस्तकालय भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी सदस्यता शुल्क देकर ही प्राप्त की जा सकती है। इन पुस्तकालयों की सेवा का क्षेत्र भी सीमित है। इनमें से कुछ ऐसे भी पुस्तकालय हैं जिनकी वित्तीय स्थिति, ग्रंथ-संग्रह एवं सेवा संतोषप्रद कही जा सकती है, जैसे -ग्वालियर का 'माधव पुस्तकालय' जिसकी नगर में कई शाखाएं हैं। इस पुस्तकालय के द्वारा बाल एवं महिला ग्रंथालय का भी संचालन हो रहा है। चल ग्रंथालय द्वारा भी यह पुस्तकालय सेवा प्रदान करता है। किंतु अधिकांश पुस्तकालय ऐसे हैं जिनकी सेवाएं संतोषप्रद नहीं कही जा सकती हैं और जिनमें ग्रंथ संग्रह भी अपर्याप्त है। उचित शासकीय नियंत्रण के अभाव में इन ग्रंथालयों में शासकीय अनुदान का दुरुपयोग भी हो सकता है।

निष्कर्ष- वर्तमान में मध्यप्रदेश में एक केन्द्रीय पुस्तकालय विधान की अत्यंत आवश्यकता है, जो संचालनालय स्तर पर गठित होकर प्रदेश के समस्त पुस्तकालयों के लिये नीति एवं नियमों का प्रसारण करे। मध्यप्रदेश में पुस्तकालय विधान पारित हो जाने से विभिन्न प्रकार के समस्त पुस्तकालय, संचालनालय द्वारा संचालित होंगे तथा उन्हें अनुदान दिया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत में पुस्तकालय, शास्त्री द्वारका प्रसाद, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी।
2. सार्वजनिक पुस्तकालय संगठन, कुलश्रेष्ठ अजय, रचना प्रकाशन, जयपुर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

समकालीन हिन्दी कविता में पर्यावरण चिंतन

डॉ. (श्रीमती) गायत्री वाजपेयी *

* प्रोफेसर (हिन्दी) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – 'परित: आवरणम् इति पर्यावरणं' अर्थात् हमारे चारों ओर की वह परिधि जिसमें हम जन्म लेते हैं, जीवित रहते हैं, प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में उसका उपभोग करते हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं, पर्यावरण कही जाती है। पर्यावरण शब्द परि+आवरण के योग से निर्मित हुआ है परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। अर्थात हमारो चारों और जो कुछ भी विद्यमान है वही पर्यावरण है। विश्वकोष के अनुसार – 'पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों व प्रभावों का योग है जो जीवों व उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन और मृत्यु को प्रभावित करता है।'[1] मनुष्य और पर्यावरण परस्पर संबंधित हैं एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। यथार्थत: मनुष्य पर्यावरण का नियामक, नियंत्रक, संचालक, रूपान्तरक और विनाशक है। 'यद् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे' की सुक्ति इस तथ्य का स्पष्ट उद्घोष करती है कि जिन पंच तत्वों से जगत उद्भूत है उन्हीं पंच तत्वों से मानव देह भी निर्मित है। अगर इन पंच तत्वों पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु में से एक भी दूषित हो गया तो मानव जीवन संकट में पड़ जायेगा । कदाचित इसीलिए हमारी आर्ष मनीषा ने सृष्टि की समस्त चर-अचर वस्तुओं में जीवन के सत्य को स्वीकारते हुए उन्हें सजीवमाना उनके प्रति आदर सम्मान व पूज्य भाव रखा। जल, वायु, अग्नि, आकाश यदि देवता हैं तो पृथ्वी माता है– माता भूमि: पुत्रोडहं पृथिव्या: में हमारी आस्था है।

पृथ्वी के श्रृंगार कहे जाने वाले नद नदियाँ, वृक्ष-वनस्पतियों, जीव-जन्तु आदिपूजनीय हैं। वे धर्म से जुड़े हुए हैं उनकी रक्षा के निमित्त उन्हें किसी न किसी आस्था, विश्वास, व्रत, त्यौहार, धार्मिक एवं मांगलिक अनुष्ठान से जोड़ दिया गया है। 'ऋग्वेद' का नदी सूक्त व पृथ्वी सूक्त, 'अथर्ववेद' का अरण्यानी सूक्त क्रमश: नदियों, पृथ्वी, वन एवं वनस्पतियों के संरक्षण एवं संवर्धन की कामना का संदेश देते हैं। 'श्रीमद्‌भगवदगीता' में श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है – 'ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ, वृक्षों में पीपल वृक्ष मैं हूँ नदियों में गंगा नदी मैं हूँ।'[2] सर्वरोग नाशक तुलसी तो उनकी प्रिया ही हैं।

वर्तमान युग पर्यावरण के प्रति चिन्ता व चिंतन का है कारण यह है कि आज युग गति व मानव मति में तीव्र गति से बदलाव आया है। मनुष्य द्रुत गति से विकास की ओर बढ़ रहा है लेकिन अतिशय बुद्धिवादिता एवं अधिकाधिक धनार्जन की वृत्ति के कारण प्राकृतिक तत्वों को हानि पहुँचा रहा है। वनों का विनाश हो रहा है, वृक्ष काटे जा रहे हैं, नदियों, पर्वतों, जलाशयों एवं जीव जन्तुओं को विनष्ट किया जा रहा है। जीवन के आधारभूत तत्व जल एवं वायु की शुद्धता खतरे में है। तापमान की वृद्धि, अति वृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, तूफान एवं सूनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है । मनुष्य अपने ही कृत्यों से उत्तरोत्तर विनाश की ओर बढ़ रहा है। कवि समाज का अत्यन्त संवेदनशील प्राणी है वह न केवल द्दष्टा है अपितु सृष्टा भी है। अपनी सृजन शक्ति से वह हर स्थिति व परिस्थिति का सजीव चित्रांकन करता है। प्राकृतिक उपादानों के प्रति सदा से ही उसका ममत्व रहा है जो कभी 'तुलसी तरूवर विविध सुहाये, के रूप तो कभी रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून' के रूप में प्रकट होता रहा है।

समकालीन कविता की यदि बात करें तो आज का कवि मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण को लेकर अत्यधिक सचेत, सजक व जागरूक है और विविध रूपों में अपनी कविता के माध्यम से उसे वाणी दे रहा है। वह इस तथ्य से भलीभाँति परिचित है कि यदि प्राण रक्षा करना है तो पर्यावरण की सुरक्षा करना ही होगी। वह अपने कवि कर्म के माध्यम से मनुष्य को पुन: प्रकृति से जोड़ना चाहता है। कवि योगेन्द्र नाथ शर्मा 'अरूण' पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता इन शब्दों में प्रकट करते हैं –

पर्यावरण बचाइए तभी बचेंगे प्राण।
पर्यावरण को मानिए राष्ट्रमान सम्मान।
वृक्ष काटकर आज हम, प्रकृति करते नष्ट।
सांस नहीं ले पायेंगे, कल बढ़ने हैं कष्ट।
जागें और जगाएँ हम, लड़ें नया एक युद्ध।
पर्यावरण रक्षण करें बनें समाज प्रबुद्ध।
जलवायु वातावरण देंगे सबको प्राण।
रक्षा इनकी कीजिए मान इन्हें भगवान।
माता पृथ्वी जगत की, सब इसकी संतान।
दूषित माँ को कर रहे क्यों बन कर अंजान।[3]

समकालीन कवि प्रकृति के अनुपम उपादान वन उपवन, नदी-निर्झर, जीव-जन्तु, अवनि-अम्बर, सूर्य-चन्द्र आदि को उस द्दष्टि से नहीं निहारता जिस प्रकार पूर्व के कविगण निहारते रहे हैं। बदलते परिवेश ने कवि की द्दष्टि को बदल दिया है। कालक्रमानुसार प्रकृति और कविता का संबंध भी बदला है। अब 'चारूचन्द की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में' या फिर दिवसावसान का समय में धमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुन्दरी परी-सी धीरे-धीरे। जैसे रमणीय द्दष्य नहीं अंकित किए जाते हैं वरन् आज प्राकृतिक वैभव के विनष्ट होते भयावह चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। कवि अरूण कमल अपने चारों ओर के वातावरण में हो रहे परिवर्तन तथा निर्बाध गति से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण से व्यथित हैं। वे कहते हैं–

हर नदी का घाट शमशान।

हर बगीचा कब्रिस्तान
और हम इक्कीसवीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं।

वास्तव में इक्कीसवीं शताब्दी का आरंभ पर्यावरण संकट के साथ होता है। विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन पर्यावरण असंतुलन का वाहक बन गया है। औद्योगीकरण और नगरीकरण के नाम पर वनों का विनाश हो रहा है निर्ममता से वृक्ष काटे जा रहे हैं। जिसका यथार्थ चित्र इन पंक्तियों में अंकित किया गया है –

धुआँ उगलती चिमनियाँ कुँआ निगलते खेत।
शहर गाँव दोनों हुए भूखे नंगे प्रेत।
पेड़ कटे जंगल जले गाँव हुए बरबाद।
शहरों के बीच सीमेन्ट के जंगल हैं आबाद।[4]

वृक्षों एवं वनस्पृतियों का इस तरह विनाश न केवल पादप परिस्थितिक क्रम को प्रभावित करता है बल्कि पारिस्थितिक तंत्र को भी असंतुलित कर देता है। कवि अजय पाठक इस तथ्य से भलीभाँति परिचित हैं। अत: अत्यधिक चिन्तातुर हैं –

जंगल पर संकट है भारी
इन हालातों में लगता है
मिट जायेगी धरा हमारी
क्षण भर के स्वारथ के चलते
खेल रहे जीवन से
भूल गये कि हमने सब कुछ
पाया केवल वन से
वृक्ष नहीं अपनी छाती पर
चला रहे हम आरी
हरे भरे थे पेड़ जहाँ पर
घना घना था जंगल
उजड़ी गुल्म लताएँ सारी
अब लगता है मरूस्थल
मंहगी साबित होने को है
यह सब गहरी भूल हमारी।[5]

आज नीम, पीपल, जामुन, आँवला एवं वटवृक्ष जैसे विशाल वृक्ष कम ही देखने को मिलते हैं। इनके स्थान पर आज मनुष्य की अभिरूचि बाजारी बोने वृक्ष लगाने की ओर अधिक है। घरेलू उद्यानों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में छोटे–छोटे कलमी वृक्ष अधिक लगाए जा रहे हैं। कवि बृजनाथ श्रीवास्तव इस बात से क्षुब्ध हैं –

आज आंधियों के युग में वे
कितने पेड़ बचे
जिनके मीठे
फल से रहती
लदी झुकी डाली
जेठ दुपहरी
छाया की जो
परसे थी थाली
आज मालियों को बाजारी
बोने पेड़ जँचे।[6]

आज मनुष्य की सौन्दर्य दृष्टि में भी परिवर्तन आया है। उसे गमलों में तुलसी बिरवा के स्थान पर ताम्रकलश में नागफली लगाना ज्यादा सौन्दर्यवर्धक लगता है। कवि बृजनाथ श्रीवास्तव को आज के मानव की यह अभिरूचि खटकती है। वे कहते हैं –

बड़े–बड़े घरों में ताम्रकलश में
हंसती नागफनी
हर मौसम में शूल चुभोती
रहती तनी तनी
और काटने शेष छाँव को
दँगे बहुत मचे।[7]

छायादार वृक्षों की कमी के कारण थके हारे पंथी को शीतल छाया एवं पक्षियों को आश्रय भी दुर्लभ हो रहा है। दिवा का तमतमाता रूप तथा चिलचिलाती धूप को देख कवि सोचने को विवश हो उठता है –

धूप चिलचिलाती है
सड़क बहुत लम्बी है
नहीं दूर तक कोई छाँव
और हमें नगे ही पाँव
जाना है सपनों के गाँव।[8]

पक्षियों के आश्रय स्थल वृक्षों के विनष्ट हो जाने से अब चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं पड़ती। वन्य जीव जन्तुओं की अनेक प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं और जो शेष बचे हैं उनके जीवन पर भी संकट मड़रा रहा है। कवि दीपक कुमार इस बात से बेहद चिन्तित हैं कि आज शीतल छाँव युक्त आश्रय की तलाश में पक्षी भटक रहे हैं –

पास के एक गाँव में भटकी एक कोयल
कूक रही है भरी दुपरिया में
कंक्रीट की अमरैया में
कहाँ बची है छाँव
जो इत्मिनान से तू ले सके आलाप
कोई तो अमराई बची होगी कहीं पर।[9]

वर्तमान समय में अधिकांश कार्य ऊर्जा उत्पादन, विद्युत उत्पादन, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन आदि विधियों से सम्पन्न होते हैं। फलस्वरूप अधिकाधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव विकिरण उत्सर्जित होता है। धरती पर तापमान दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्द से न केवल सभी परिचित हैं वरन् चिन्तित भी हैं। हमारे जीवन की सुरक्षा कवच ओजोन परत में छिद्र हो गया है। कवि ऋषभ शर्मा इस बात से अत्यन्त चिंतित हैं। वे कहते हैं –

हैलो मनुष्य
मैं आकाश हूँ
कल सृजन था निर्माण था,
आज प्रलय हूँ विनाश हूँ
मेरी छाती में जो छेद हो गये हैं काले काले
ये तुम्हारे भालों के घाव हैं
ये कभी नहीं भरने वाले
मैं आकाश बोल रहा हूँ।[10]

शीतल जल की स्रोत नदियों में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। गंगा जल जिसे सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है उसमें फिनाल एवं हाइड्रोजन कार्बन जैसे कार्बनिक पदार्थ आवश्यकता से अधिक मिल गए हैं। यद्यपि

सरकारी संस्थानों द्वारा इनके शुद्धिकरण हेतु नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं लेकिन वे अपने कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कितना सुचारू रूप से सम्पादित कर पा रही हैं यह प्रश्न चिह्न है। कवि बुद्धि लाल पाल लिखते हैं –

नदियाँ कल भी बहती थीं
बहती हैं आज भी
अवरोधों से
हमेषा जूझती नदियाँ वे कल भी पाषाण थे
आज भी पाषाण हैं।
व्यवस्था के नाम पर
उल्टी बहती नदियाँ
पर्वतों के उस पार खंजरों के धार पर हैं नदियाँ
वे पोखरों को बताते हैं नदियाँ।[11]

वन सम्पदा के विनष्ट हो जाने के कारण जल संकट भी बढ़ा है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा कम हो गई है जल स्रोत सूखने लगे हैं। जनसंख्या वृद्धि ने जमीन के नीचे से जल को सोख लिया है। और यही स्थिति रही तो वह दिन भी दूर नहीं हैं जब जल संकट भयावह रूप में हमारे समक्ष होगा। कवि माधव कौशिक जल स्रोतों के लगातार नष्ट होने से बेहद चिंतित हैं। वे कहते हैं कि यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हमारा भविष्य कुछ इस प्रकार होगा –

किसे पता था अपना यह युग
इतना शातिर होगा
अगला विश्व युद्ध कहते हैं
जल की खातिर होगा।[12]

समकालीन कवियों में चन्द्रकांत देवताले, इन्दु जैन, अनामिका कात्यायनी, अंजता देव, नरेश सक्सेना, लीलाधर मंडलोई, रजनी सिंह, केदारनाथ सिंह, डॉ. रमाकांत श्रीवास्तव, डॉ. ओम प्रकाश सिंह आदि अपनी कविताओं के माध्यम से जहाँ पर्यावरण के रमणीय चित्र अंकित कर रहे हैं तो वहीं पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न स्थितियों के भयावह हृदय विदारक चित्र भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इतना ही नहीं इन कवियों ने पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत किए हैं। कवि जीतेन्द्र जलज कहते हैं –

जब जब जो चाहा जो जो माँगा।
धरती ने कभी हाथों को संकुचित नहीं किया
फिर ऐसा क्यों ? कि हम
अब दे नहीं सकते धरती को
चिरायु के लिए प्रदूषण मुक्त पर्यावरण।

अन्तत: कहा जा सकता है कि समकालीन कवि प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति विशेष सजग व सचेत है। उसका दृष्टिकोण सर्वथा नूतनता लिए हुए है वह नहीं चाहता कि आज विकास के नाम पर मनुष्य पर्यावरण को हानि पहुँचाए व प्राकृतिक परिवेश को नष्ट करे। बल्कि उसकी अभिलाषा है कि मनुष्य प्राकृतिक उपादानों के प्रति आदर भाव रखे उनके संरक्षण और संवर्धन के पुनीत कार्य को अपना नैतिक दायित्व समझ कर निभाये। आइए हम सब मिलकर इस पुनीत कार्य के संपादन में योग दें–

आओ हम सब पर्यावरण बचाएँ, सुन्दर–सा एक दृष्य बनाएं।
बदले हम तस्वीर जहाँ की, यह संदेश चहुँओर फैलाएं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. विश्वकोश
2. वेदव्यास : श्रीमद्‌भगवदगीता अध्याय 10, श्लोक 35
3. डॉ. योगेन्द्र नाथ शर्मा : अरूण: शिवम्‌ पूर्णा, जनवरी 2015
4. प्रो. यू. एस. परमार: (सं.) टूडेज बायोडायवर्सिटी एण्ड एनवायरमेंटल सिनैरिया पृ. 114
5. अजय पाठक: गीत मेरे निर्गुणियाँ दुर्ग, श्रीप्रकाशन 2010 पृ. 73–74
6. श्री ब्रजनाथ श्रीवास्तव : इधर रथ मोडिये, कानपुर मानसरोवर 2013 पृ. 75–76
7. पूर्वानुसार पृ. 76
8. डॉ. धनजय सिंह : दिन क्यों बीत गये, गाजियावाद अनुभव प्रकाशन 2017 पृ. 57
9. दीपक कुमार पाचपोर : कंक्रीट की अमरैया में कोयल की कूक, वागर्थ, मार्च 2016 पृ. 70
10. ऋषभ शर्मा : ताकि सनद रहे, सागरिका में प्रकाशित पृ. 57
11. बुद्धि लाल पाल : नदियाँ, वागर्थ, अगस्त 2016 पृ. 71
12. माधव कौशिक : जोखिम भरा समय है, नई दिल्ली सामयिक बुक्स 2016 पृ. 23

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

शहरी आवास विकास में प्रधानमंत्री आवास योजना का योगदान (ग्वालियर शहर के विशेष संदर्भ में)

दीप्ती कुशवाह *

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) शासकीय भगवत सहाय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - बढ़ती जनसंख्या के चलते आवासों की मांग की आपूर्ति के लिए सरकार ने पूर्व से ही कुछ योजनाओं का प्रारम्भ करती आई है। प्रत्येक जीव का यह सपना होता है। कि वह ऐसे स्थान पर जीवन व्यतीत करें जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित निवास कर सकें। मनुष्य प्रारम्भिक काल से ही अपने निवास स्थान में बदलाव लाता रहा है। उसे उत्तम से उत्तम व सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है। कुछ ऐसे लोग है जिनके पास अभी भी स्वंय का आवास नहीं है। अगर है भी तो, टूटा-फूटा है जिसका कारण वित्तीय व्यवस्था की समस्या है। जिससे व्यक्ति अपने आवास का निर्माण करने व मरम्मत करने में असक्षम रहता है।

देश के प्रत्येक व्यक्ति का 'घर हो अपना' के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रारम्भ किया गया है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 09 जून, 2014, को संसद के संयुक्त सत्र के 'सबके लिए आवास' कि घोषणा की। जिसे पूरे भारत में लागू किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रारम्भ होने से शहरी गरीबी स्लमवासियों को स्वंय का पक्का आवास प्राप्त करने में काफी राहत मिली है।

अर्थ -आवास के लिए ऋगवेद में कई नामों का प्रयोग किया गया है। शर्म, धाम, क्षय, सदन, भुवन,दुर्ध, गीड, दम, गृह, शरण इत्यादि।

भारत देश 29 राज्यों का गण है। जिसमें मध्यप्रदेश एक राज्य है। जो भारत देश का दिल कहलाता है। क्योंकि यह भारत के बीच में बसा एक राज्य है। मध्यप्रदेश राज्य के 55 जिलों में से एक ग्वायिलर जिला है।

ग्वालियर जनसंख्या के अनुसार प्रदेश का चौथा बड़ा नगर है। ग्वालियर सन् 1901 में मध्यप्रदेश में एक ऐसा नगर था, जिसकी जनसंख्या एक लाख से ज्यादा थी। 2032036 जनसंख्या वाले ग्वालियर जिले में शहरी जनसंख्या 758244 तथा ग्रामीण जनसंख्या 1273792 है। ग्वालियर लश्कर, हजीरा, मुरार एवं सिटीसेटर चार भागों तथा चार ब्लॉक भितरवार, मुरार, बरई एवं डबरा में विभाजित है।

उपकल्पना- शोध के अंतर्गत ग्वालियर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का शहरी विकास में क्या योगदान है एवं किस प्रकार यह योजना ग्वालियर शहर में कार्यान्वित है। इसका संक्षिप्त रूप का अध्ययन करना है।

मुख्य भाग- ***'प्रधानमंत्री आवास योजना दीवारें खड़ी करने भर के लिए नहीं है।, यह गरीबों के सपनों को साकार करने की एक योजना है।' - नरेन्द्र मोदी (माननीय प्रधानमंत्री) भारत सरकार***

शहरी गरीबी आवासीय कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक सबके लिए आवास' के लक्ष्य रखा है। इस योजना को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी। जिसके अंतर्गत सरकार ने बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2 करोड़ मकान निर्माण की परिकल्पना की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के घटक-

1. स्लम पुनर्वास- ऐसी स्लमवासियों के लिए औसतन प्रति मकान एक लाख रूपए का स्लम पुनर्वास अनुदान,
2. ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना।
3. भागीदारी में किफायती आवास।

राज्य एवं केन्द्रीय सरकार मिलाकर कुल 35 राज्यों के लिए हस्ताक्षरित समझौता करा गया है। 33 राज्यों में एसएलएनए स्थापित किये गए है। 34 राज्यों में एसएलएसएमसी गठित की गई है तथा 34 राज्यों के 4026 शहरों में पीएमएवाय मिशन को कार्यारत् किया जा रहा है। जिसमें से मध्यप्रदेश के 165 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें कुल राज्य एवं शहरों की पर्यावरण की स्थिति का ध्यान में रखते हुए आवासों के निर्माण किया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करना है। क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसा पहचान पत्र है। जो पुरे भारत में मान्य है। जिससे व्यक्ति की पूरी सटीक जानकारी प्राप्त हो जाती है। जो सरकार द्वारा किये गये कार्य में एक अच्छा कार्य है कि आधार कार्ड को हर क्षेत्र में अनिवार्य रखा गया है। जिससे कुछ हद तक भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य सही ढंग से किया जाये इसके लिए स्थानीय शासन को इसका दायित्व सौंपा गया है। लाभार्थीयों को किसी प्रकार की परेशानियाँ का सामना न करना पड़े इसके लिए ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनो प्रणाली को अपनाया गया है। दस्तावेज के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य लिया गया है। जिससे सही लोगों को इस योजना का

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

लाभ पहुंच सकें।

कार्यप्रणाली– प्रधानमंत्री आवास योजना शहरों में निवासित लाभर्थीयों के लिए चार विकल्प में क्रियान्वित किया जाएगा।

1. भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करके 'स्व–स्थाने' स्लम पुनर्विकास,
2. ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना,
3. भागीदारी में किफायती आवास,
4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण अथवा विस्तार।

नियुक्त शहरों में स्थापित नगर–निगम द्वारा क्षेत्रीय वार्डो में फार्म को आवष्यक दस्तावेज के साथ जमा करना है। किसी एक प्रणाली द्वारा फार्म को जमा किया जाना है। तत्पश्चात् वार्डो के कर्मचारी जमा किये गये फॉर्म के अनुसार सर्वे करेगें। ग्वालियर नगर में वार्डो की संख्या 60 है। लाभार्थी आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी जन सुविधा केन्द्र पर जाना होगा। ऑनलाईन आवेदन करने के लिए https://registration.csc.gov.in/pmay/RegAuth.aspx लिंक पर क्लिक करना होगा और जो स्टेप दिये जायें उन्हें भरना होगा। इसके अलावा आधिकारिक वेबसाईट pmaymis.gov.in के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।

इस मिशन के तहत् 500 श्रेणी–1 शहरों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी 4041 सांविधिक शहरों को तीन चरण में बांटा गया है।

1. **प्रथम चरण–** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी इच्छुकता के अनुसार 100 शहरों को ध्यान केन्द्रित कर, अप्रैल, 2015 से मार्च, 2017 तक कार्यान्वित किया जायेगा
2. **द्वितीय चरण–** प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण के लिए अतिरिक्त 200 शहरों को कवर अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक कार्यान्वित किया जायेगा।
3. **तृतीय चरण –** सभी अन्य शेष शहरों को कवर अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक कार्यान्वित किया जायेगा।

आवास आवंटन सरकार जिले वार्ड के अनुसार करेगीं। जिसके लिए प्रत्येक वार्ड में लाभार्थी को एक फार्म भरना होगा यह फार्म ऑनलाइन तथा क्षेत्रीय वार्ड में जमा करना होगा। ग्वालियर जिले में वार्डो की संख्या 60 है इन 60 वार्डो में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की कार्यप्रणाली की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् स्लमवासियों के पुर्नविकास एवं आर्थिक कमजोर वर्ग वालों के लिए आवास निर्माण में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। भारत में शहरीकरण में वृद्धि और बढ़ती आवासों की मांगों को देखते हुए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मध्यम आय वर्ग के द्वारा अधिग्रहण/निर्मित एवं विस्तारित आवास के लिए इस वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। जिसके लिए सीमाएं वर्गीकृत निम्न तालीका अनुसार किया गया है। दिये गये लोन पर ब्याज की सब्सिडी 20 वर्ष तक दी जायेगी।

तालिका 1 – (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

जिस प्रकार भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। उसी प्रकार मध्यप्रदेश एवं ग्वालियर भी कृषि प्रधान है। यहाँ की अधिकत्तर जनसंख्या का आय का स्त्रोत कृषि है। यदि फसल, उत्पादन व विक्रय सही दामों पर जाये तो उससे प्राप्त आय का कुछ भाग से व्यक्ति आवास निर्माण कर सकता है। यदि फसल प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारणवंश नष्ट या उचित मूल्य प्राप्त नही होते है। तो आय कम प्राप्त होती है। जिससे केवल दिनचर्या कार्यो को ही पूर्ण किया जा सकता है। जैसे भोजन, कपड़ों पर ही व्यय कर पाते है। जिससे आवास निर्माण में असक्षम रहते है। भारत सरकार ने आवास निर्माण में असक्षम लोगों की इस समस्या के निपटारन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारम्भ किया है। जो शहरी गरीबों एवं ग्रामीण गरीबों भी लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस योजना में व्यक्तिगत आवश्यकता को समझा है। यह अन्य योजनाओं की तरह नहीं है। इस योजना में सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए है। ऋण पर सब्सिडी देने से शहरी गरीब लोगों को काफी राहत मिली है।

शहरी आवास विकास में योगदान– क्षेत्रीय की आर्थिक स्थिति निवासियों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। किसी भी प्रकार का विकास हो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, कृषि विकास एवं औद्योगिक विकास सभी का प्रारम्भिक बिन्दु मानव जाति ही होता है। मानव विकास अन्य क्षेत्रों के विकास का आधार है। मानव विकास से तात्पर्य उच्च शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, औसतन आय, एवं थोड़ी बहुत स्वंय की पूंजी। चूंकि निम्न आय वर्ग के लिए स्वंय का आवास ही उसकी पूंजी होती है। अर्थात् आवास ही सब कुछ होता है। इसलिए शासन ने निम्न वर्ग आय वालों के लिए इस पूंजी को प्राप्त करना आसान कर दिया है। तथा रियल इन्डस्ट्री का स्तर बढ़ने में मदद की है।

शहरी आवास विकास, शहरी विकास में अहम् भूमिका निभाता है।

नगरों में भूमि उपयोग की बात करें तो वह आवासीय क्षेत्र होता है। ग्वालियर नगरीय क्षेत्र की जनगणना 2001 के अनुसार लगभग 1.27 लाख आवास है। जबकि परिवारों की संख्या 1.44 लाख है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 0.17 लाख आवासों की कमी है। इन्हें मिलाकर 2021 तक 1.63 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता होगी । वर्ष 2001 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मध्यक्षेत्र में आवासीय घनत्व 561 प्रति व्यक्ति हेक्टेयर तक है।

ग्वालियर शहर में सभी के लिए घर के तहत करीबन केन्द्र के निदेर्शो के अनुसार 89 हजार आवास निर्माण किया जाना है। जिसके लिए अभी तक 69 हजार ही आवेदन किये गये। ग्वालियर में प्रथम चरण 4500 आवास बनाये जायेंगें। जो कि ग्वालियर शहर के सागरताल एवं महलगांव में बनाए जाने है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित वार्डो के अनुसार किये जायेंगें

भारत की राजधानी दिल्ली से समीप होने के कारण ग्वालियर लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना है। जिससे लोगो के आगमन से जनसंख्या के स्तर में बढ़ोत्तरी के साथ–साथ उनके निवास स्थान की मॉग बढ़ी है।

ग्वालियर में शहरी गरीब निवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ने काफी हद् तक उनके सपना 'घर हो अपना' को साकार करने में मदद् की है। इसके साथ ही ग्वालियर के शहरी आवास विकास में सहायता की है। शोधार्थी ने कई लोगों से पूछताछ की जिससे यह पाया कि जिनके पास स्वंय का आवास नहीं है। वे इस योजना के आने से उनके अन्दर आवास प्राप्त करने के एक आशा जागी है। तथा उन सभी ने आवास प्राप्त करने के लिए आवेदन भी कर दिया है व अब आवास प्राप्त करने का इंतजार है।

निष्कर्ष– ग्वालियर जिले ही नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सम्पूर्ण भारत में देखने को मिला है। दक्षिण भारत के लगभग सभी शहरों में शहरी

गरीब लाभांभित हुए है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश के 165 शहरों में योजनाएँ कार्यान्वित रहेंगी। इस योजना के अन्तर्गत वे सभी शहरी गरीब शामिल होगें जिनको आवास की जरूरत है। जिन्के पास पहले से परिवार के किसी भी सदस्य के नाम आवास एवं जमींन नाम नहीं हो। इस योजना में शामिल होने के लिए मुख्य दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड होगा। जिससे सही लोगों को लाभ पहुंचेगा। ग्वालियर शहर में 1.63 लाख आवास की आवश्यकता को पूरा करने में प्रधानमंत्री आवास योजना काफी मददगार है। ग्वालियर के महलगाँव एवं सागरताल में प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार आवासों का निर्माण किया जा रहा है।

अत: प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्वालियर शहर के आवासीय निर्माण में काफी योगदान है। तथा भविष्य में भी रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कपित एस.के., अनुसंधान विधियाँ आगरा प्रकाश, 1988
2. जैन, बी. एम, शोध प्रविधि एवं क्षेत्रीय तकनीक
3. भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय-आवास-प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी आवास-प्रगति।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी-बीएलसी के लिए पासबुक
5. प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) - विकासपीडिया
6. आवास योजना-प्रधानमंत्री आवास योजना एक लेख
7. www.patrika.www/gwalior-new/4500-new-houses-builts-under-pm-aawas-yojna-1252128
8. WWW.GWALIOR.NIC.IN
9. ग्वालियर नगर-निगम- विकास प्रयोजन एक अध्ययन
10. Pradhan Mantri Awas Yojana, Housing for All (Urban),Scheme Guidelines,March, 2016, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation Government of India

तालिका 1

श्रेणी	प्रति व्यक्ति वार्षिक आय	ब्याज की सब्सिडी (%)	अधिकतम ऋण राशि जिस पर सब्सिडी की गणना की जाएगी	अधिकतम सब्सिडी	क्षेत्रफल
EWS and LIG	Up to Rs. 6,00,000	6.50%	Rs. 6,00,000	Rs. 2,67,000	30, 60
MIG 1	Rs. 6,00,001 - Rs. 12,00,000	4.00%	Rs. 9,00,000	Rs. 2,35,000	120
MIG 2	Rs. 12,00,001 - Rs. 18,00,000	3.00%	Rs. 12,00,000	Rs. 2,30,000	150

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

गुलेर चित्रशैली में धार्मिक कथान कों का मनोरम चित्रण

शालू सिंह *

* शोधार्थी, जैन कन्या पाठशाला डिग्री कालेज, मुज़फ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय चित्रकला के अर्न्तगत ऐतीहासिक प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि आदिकाल से ही जिस प्रकार मानव ने अपनी भावाभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से विभिन्न पक्षों पर की हैं उसी प्रकार अपनी धार्मिक आस्था को भी चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया हैं समय–समय पर भारतीय चित्रकला में अध्ययनोपरान्त हमने देखा की विभिन्न शैलियों के अर्न्तगत विभिन्न राजाओं के शासन काल में उनके राजाश्रय में विभिन्न धार्मिक चित्रों को चित्रित किया गया, जिनमें पौराणिक कथाओं तथा ग्रथों पर आधारित चित्र मुख्य रूप से बने।

पहाड़ी शैली से सम्बधित गुलेर चित्रशैली में धार्मिक विषयों पर आधारित चित्रों का बड़ा ही मनोरम स्वरूप चित्रित किया गया हैं।

गुलेर के राजा दलीप सिंह के काल में कार्यरत पं0 सेऊ तथा इनके दोनों पुत्र मानक और नैनसुख गुलेर के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से थे। गुलेर चित्रशैलीमें जिन धर्मिक चित्रों को चित्रित किया गया उनमें मुख्य रूप सें रामायण, महाभारत, मार्कण्डय पुराण, शिवपुराण, भागवत पुराण, दुर्गासप्तशती तथा विष्णु के अवतारों पर आधारित चित्र एंव अन्य धर्मिक चित्रों का भी अत्यन्त उत्कृष्ट चित्रण हुआ हैं, इन धार्मिक विषयों पर मुख्य रूप से चित्रों की श्रृंखलाएँ बनाई गई हैं, जो मुख्य घटनाओं तथा कथानकों पर आधारित रही हैं।

शब्द कुंजी – विलक्षण, मुग्ध, आसक्ति, सुललित, अनिमेश।

प्रस्तावना – चित्रकला के साथ धर्म का आदिकाल से ही बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं,सिन्धु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक काल, अजन्ता, पहाड़ी कला एंव राजस्थानी आदि सभी कलाशैलियों के अर्न्तगत धार्मिक पक्ष की प्रधानता मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। प्रत्येक काल में प्रचलित कला शैलियों में चित्रकारों अथवा आश्रय दाताओं, राजाओं ने मुख्य रूप से धार्मिक चित्रों का अंकन किया और करवाया, जिसका प्रमाण प्रत्येक कलाशैलियों से प्राप्त धार्मिक चित्रों से होता हैं। जो अपने आप में बडे ही श्लाघ्य हैं।

सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की कला आखेट के लिए प्रसिद्ध रही परन्तु धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस काल में धार्मिक पक्ष को केवल प्रतीक चिन्हों द्वारा समझाया गया हैं। आदिकालिन मनुष्य केवल, त्रिशूल स्वास्तिक, सर्वतोभद्र, अष्टदल कमल, आदि प्रतीक चिन्हों को अंकित करके उनकी पूजा अर्चना करता था। सिन्धु घाटी सभ्यता की खोज के उपरान्त वहाँ से प्राप्त अवशेषों में कुछ ऐसे तत्व प्राप्त हुए जिससे उस समय के लोगों की धर्म के प्रति आस्था और विश्वास का पता चलता हैं। इन प्रतीक चिन्हों से इतना तो अवश्य ज्ञात होता हैं, कि मनुष्य प्रारम्भ से ही धर्म के प्रति आसक्त रहा हैं। जिस कारण आदि काल से ही धार्मिक चित्रों को चित्रित किया जाता रहा हैं। जो कि निरन्तर अपने कालों मे प्रचलित कला शैलियों से सम्बन्धित प्राप्त चित्रों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अजन्ता की गुहा से भी जो भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं उनसे उस समय के चित्रकारों का ईश्वर के प्रति असीम आसक्ति का पता चलता हैं।अत: अजन्ता के चितेरों ने भी भगवान बुद्ध के जीवन एवं जन्मजन्मान्तर से सम्बन्धित घटनाओं को भित्ति पर उकेर कर अपनी भगवान बुद्ध के प्रति अपनी धार्मिक आस्था का बहुत उत्कृष्ट प्रमाण समस्त संसार के समक्ष स्थापित किया हैं। अजन्ता के समकालीन विभिन्न गुफाओं अथवा उसके पश्चात प्रसिद्ध और प्रचलित कलाओं अथवा शैलियों में अध्ययन के आधार पर यह देखा गया हैं कि धार्मिक पक्ष को कला के अन्तर्गत बहुत प्राथमिकता दी गई हैं। राजस्थानी शैली में भी धर्म के प्रति अपनी रूचि एवं विश्वास को प्रामाणिकता वहाँ से प्राप्त चित्रों द्वारा दी गई हैं, इसके अन्तर्गत राधा व कृष्ण से सम्बन्धित अनेक विषयों को चित्रों अथवा लधु चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हैं।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र में गुलेर चित्रशैली के अन्तर्गत चित्रित धार्मिक

चित्रों तथा उनकी विषयवस्तु पर विश्लेषण किया गया हैं, जिसके लिए विभिन्न पुस्तकों,पत्रिकाओं एवं विषयवस्तु पर आधारित चित्रों का अध्ययन किया गया, इस शोध पत्र के माध्यम से प्राचीन शैलियों, लघु चित्र शैलीयों तथा धर्म के प्रति विलुप्त होती आस्था को पुन: उजागर करने का प्रयास किया गया हैं।

भारतीय चित्रकला में मुख्य रूप से कई शैलियों में धार्मिक पक्ष को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया हैं। यहाँ पर हम पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु का अवलोकन करे तो इस शैली में जहाँ विभिन्न राजाओं के काल में अनेक विषयों पर चित्र चित्रित हुए हैं वहीं धार्मिक पृष्ठभूमि के चित्रों को पूरी सिद्धहस्तता और निपुणता के साथ चित्रित किया गया हैं।

पहाड़ी शैली की ही एक उपशैली गुलेर के अन्तर्गत हमे अनगिनत और बड़े ही सर्वश्रेष्ठ एवं सुललित धार्मिक चित्रों का समन्वय देखने को मिलता हैं। जिसमें हिन्दू धर्म से सम्बन्धित चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गुलेर शैली में अनेक राजाओं के संरक्षण में चित्रकारों ने राजाओं के दरबारी, राजसी जीवन, उनके क्रियाकलाप, युद्ध, उनके व्यक्ति चित्र, पारिवारिक चित्र एवं अन्य अनेक विषयों से सम्बन्धित चित्रों का निर्माण किया हैं। अध्ययन के अनुसार यह ज्ञात होता हैं कि गुलेर के समस्त चितेरे एक ही वंशावली के थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलेर में चित्रण कार्य करते रहें।

गुलेर शिवालिक पहाड़ियो का एक अभिन्न अंग हैं। गुलेर एक बहुत छोटा सा राज्य हैं अत: हरिपुर को इसकी राजधानी के रूप में जाना जाता हैं, इस राज्य की स्थापना राजा हरिचन्द ने की थी जिसका सम्बन्ध कटोच वंश से था, ये कांगडा राज्य के राजा कर्मचन्द के बडे भाई थे। कांगडा से जो मार्ग रानीताल को जाता था उसी पर हरिपुर तथा गुलेर भी स्थित हैं[1] अत: गुलेर, कांगडा का ही एक हिस्सा हैं। इसके राजपरिवार कांगडा के राजवंश के गौत्र के थे राजपूत शासक तथा कटोच वंश के थे। गुलेर आने के पश्चात इन्हे गुलेरिया गौत्र के रूप में जाना जाने लगा।

पहाड़ी चित्रकला की विषय वस्तु अत्यन्त व्यापक और विस्तृत रही हैं। लगभग सभी विषयों से सम्बन्धित चित्रों को यहाँ के चित्रकारों ने तूलिकाबद्ध किया हैं। मध्यकाल में प्रचलित वैष्णव मत के प्रादुर्भाव के कारण गुलेर मै शैव तथा वैष्णव मत आधारित अनेक विषयों पर चित्रण कार्य हुआ। जिनके माध्यम से इन गुलेर चित्रकारों की धार्मिक आस्था को एक अत्यन्त भव्य स्वरूप प्रदान किया गया हैं जैसे ई0वी0 हैंवल, एम0 एस0 रंधावा के अनुसार 'हर महान कला धर्म से प्रेरणा पाती हैं। धर्म वह भावावेग हैं। जो मानवता को उसके पार्थिव स्तर से ऊंचा उठाता हैं।'[2]

गुलेर के चित्रकार मुख्य रूप से एक ब्राहमण परिवार से थे रामायण, महाभारत, शिवपुराण, मार्कण्डपुराण आदि अनेक धार्मिक ग्रन्थ अध्ययन के रूप में इनके जीवन से जुड़े थे। अत: इन्ही सब धार्मिक विषयोंएंव कथानकों इन्होनें चित्रों के माध्यम से एक साकारात्मक स्वरूप प्रदान किया हैं। गुलेर में 1700 ई0 से पूर्व ही राजसी परिवारो में अनेक देवी देवताओं जैसे:– राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि की पूजा होती थी।

मुख्य रूप से गुलेर राजा दलीप सिंह (1695–1741 ई0) के काल में रामायण श्रृंखला पर आधारित चित्र बनाये गये। इस श्रृंखला का आधे से अधिक भाग पं0 सेऊ द्वार चित्रित किया गया हैं। प0 सेऊ (1680–1740 ई0 अनुमानित) अपने परिवार के सबसे बडे सदस्य थे। इनके दो पुत्र थे मानक और नैनसुख। प0 सेऊ का जन्म 1680 के लगभग हुआ ये राजा दलीप सिंह के शासन में कश्मीर छोड़ कर आये थे और गुलेर को अपना निवास स्थान बनाया, इस समय के प्राप्त चित्रों की कुल संख्या केवल चालीस हैं। बारह चित्रों में से कुछ पूर्ण अथवा कुछ अपूर्ण हैं। अन्य शेष अट्ठाईस केवल रेखा चित्र हैं। अत: समस्त चित्रों की पृष्ठ भाग पर संस्कृत भाषा में पक्तियाँ लिखी हैं। जो बाल्मिकी जी द्वारा रचित रामायण से अवतरित हैं। इन चित्रों में रामायण श्रृंखला के मध्य भाग, अरण्य काण्ड, किष्किंधा काण्ड, सुन्दर काण्ड, व उत्तार काण्ड से हैं। डा0 बी0 एन0 गोस्वामी के अनुसार 'ग्रंथ के शुरू के भाग जैसे बाल्यकाण्ड, व अयोध्या काण्ड पर बने चित्रों के बारे में आशा हैं कि शायद वे भी कहीं सुरक्षित होंगे और कभी ना कभी अवश्य प्राप्त हो जायेगें', परन्तु इतना अवश्य ज्ञात हुआ कि युद्ध काण्ड की बड़ी श्रृंखला लंका पर चढाई का चित्रण पं0 सेऊ के ज्येष्ठ पुत्र मानक द्वारा किया गया हैं।[3]

गुलेर शैली के अन्तर्गत चित्रित हिन्दू धार्मिक कथाओं, ग्रन्थों एवं देवी–देवताओं पर आधारित चित्रों को अलग–अलग भागों में विभाजित किया गया हैं। –

1. **रामायण पर आधारित प्रसिद्ध चित्र**–इस श्रृंखला के अन्तर्गत मुख्य रूप से लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काटते हुए[4] अशोक वाटिका में सीता[5] महासागर पार करते हनुमान[6] राजा दशरथ रानियों व पुत्रों सहित, राम तथा लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ, राम लक्ष्मण राजा जनक के साथ, अयोध्या छोड़ते राम लक्ष्मण व सीता, अयोध्या में भरत द्वारा राम की पादुकाओं की स्थापना, हनुमान राम को सीता के आभूषण दिखते हुए, रावण दरबार, राम द्वारा रावण वध आदि चित्र देखे जा सकते हैं।

2. **शिव विषयक चित्र**– गुलेर शैली में भगवान शिव से सम्बन्धित भी अनेक किन्तु अल्प चित्र प्राप्त हुए हैं। पवित्र परिवार, शिव पार्वती नृत्य देखते हुए, शिव पार्वती कमल की झील में नहाते हुए आदि चित्र देखने को मिलते हैं।

3. **देवी पर आधारित धार्मिक चित्र**–देवी विषयक धार्मिक चित्रों में देवी के समस्त रूपों को चित्रित किया गयाहैं। जिस प्राकर संसार की सृष्टि करने वाले उसे सुचारू रूप से चलाने वाले भगवान को क्रमश: तीन रूपों में माना गया हैं।

ब्रहमा, विष्णु, महेंश उसी प्रकार देवी शक्ति को भी सरस्वती, लक्ष्मी, तथा पार्वती के रूप मे पूजा जाता हैं। महाशक्ति के विभिन्न स्वरूपों की आराधना अनेक रूपों में अथवा नामों से की जाती हैं। महालक्ष्मी, महागौरी, महाकाली, महासरस्वती, अम्बिका, देवी चामुंडा आदि पर चित्रों की श्रृंखलाए बनाई गई हैं। अश्विन तथा चैत्र मास मे नवदुर्गा की पूजा होती हैं। जो भारत के अनेक भागों की तरह पहाड़ी क्षेत्र (विशेषत: कांगडा, गुलेर, चम्बा) में बहुत प्रचलित हैं। अत: महादेवी शक्ति के विभिन्न चित्रों की श्रृंखला निरूपित की गई हैं, जो अत्यन्त अदभुत एंव आलौकिक प्रतित होती हैं।

देवी भगवती, त्रिपुरा भगवती, सुन्दरी, देवी कमल पर आसीन, कमल पर आसीन देवी, सरस्वती, राक्षस शुम्भ का वध करती दुर्गा देवी की वन्दना करते देवगण, देवी असुर संग्राम, शेर असुरों पर आक्रमण करता हुआ, राक्षसों का संहार करती देवी, असुर दरबार, काली राक्षस का सिर काटकर देवी को देते हुए, दुर्गा महिषासुर को मारते हुए[7] दुर्गा ज्वालामुखी देवी का जन्म, दुर्गा को अस्त्र-शस्त्र प्रदान करते देवता, देवी धूमावती,[8] अष्टभुजी देवी,[9] देवी चण्डिका,[10] देवी तथा काली रक्त बीज नामक असुर से युद्ध करते हुए।[11]आदि भव्य चित्रों का अंकन इस श्रृंखला में किया गया हैं।

4. **विष्णु अवतारो पर आधारित चित्र-** भारत में मध्यकाल में वैष्णव धर्म 11 वीं शताब्दी में खूब पनपा, गुलेर शैली में राम अवतार के चित्रों के अलावा विष्णु के विभिन्न अवतारों का चित्रण यहाँ हुआ हैं। 18 वीं तथा 19 वीं शताब्दी में गुलेर में भगवान कृष्ण के प्रति लोगों की असीम आस्था थी। यहॉ के राजाओं ने अनेक कृष्ण मंदिर भी बनवाये थे। कृष्ण विषयक चित्रों का अंकन विभिन्न शैलियों में समय-समय पर होता आया हैं। अत: कृष्ण पर चित्र बनाना गुलेर चित्रकारों की प्रिय विषय-वस्तु रही हैं। चितेरों ने कृष्ण से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों काव्यों अथवा साहित्यों पर आधारित चित्रों को चित्रित किया हैं। जिनमे मुख्य रूप से जयदेव कृत गीत गोविन्द, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों पर आधारित गुलेर शैली के अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें विष्णु, लक्ष्मी, नारायण, वामन अवतार, कृष्ण, राम, वाराह, अवतार, कल्कि अवतार आदि लक्ष्मी नारायण, विष्णु आराधना, नारायण शेषनाग पर, विष्णु तथा लक्ष्मी, विष्णु की स्तुति करते हुए ब्राहमण, लक्ष्मी नारायण, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन के रूप में विष्णु आदि चित्र चित्रित किये गये हैं।

भागवत पुराण पर आधारित चित्र- कृष्ण जन्म, बाल कृष्ण झूला झूलते हुए, बाल कृष्ण खेलते हुए, कालिया नाग की मृत्यु, नंद तथा यशोदा कृष्ण के साथ,[12] कृष्ण तथा बलराम का नामकरण संस्कार,[13] युवा बालक ध्रुव, कंस को ललकारते हुए कृष्ण[14] आदि चित्र बडे ही मनोहारी हैं, जिनको दर्शक अनिमेष निहारने पर विवश हो जाता हैं।

महाभारत पर आधारित चित्र- पाँच पाण्डव, द्रोपदी चीर हरण[15] महाभारत का एक दृश्य, महाभारत युद्ध शिव से अस्त्र-शस्त्र ग्रहण करते अर्जुन आदि इस श्रृंखला के सभी चित्र बडे ही मर्मस्पर्शी हैं।

अन्य धार्मिक चित्र- गणेश, हिन्दु देवता, पंचमुखी हुनमान, समुद्र मंथन आदि जैसे अन्य अनेक चित्र भी इस शैली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं।

निष्कर्ष- मैने इस शोधपत्र के माध्यम से गुलेर चित्रशैली के धार्मिक लघु चित्रों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया हैं, जिससे इस शैली के ये उत्कृष्ट चित्र जो सिर्फ म्यूजियम और संग्रहालयों में दबे पडे हैं, जन समाज का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो क्योंकि वर्तमान युग में आधुनिक अथवा वस्तु निरपेक्ष कला को अधिक महत्व दिया जा रहा हैं। लोग इन्ही चित्रों की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगे हैं। अत: धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो धार्मिक विषयवस्तु का जैसा अंकन लघु चित्रों में देखने को मिलता हैं और कहीं नहीं। इसलिए गुलेर चित्रशैली के धार्मिक चित्र इस विषय में उत्कृष्ट हैं। गुलेर के ये चित्र अपने कलातत्वों के आधार पर भी अत्यंत सवोत्कृष्ट हैं। अत: इस शोधपत्र के माध्यम से वर्षो से दबे इन धार्मिक कथानको पर आधारित चित्रों के माध्यम से मैं लघु चित्रों के प्रति हटते रूझान को फिर से जगाने का प्रयास करना चाहती हूँ।

इस प्रकार अध्ययन के अनुसार हमने यहाँ पर गुलेर चित्र शैली में हिन्दू धार्मिक चित्रों को अलग-अलग वर्गो में वर्गीकृत किया गयाहैं इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि धर्म के प्रति भारतीय चित्रकला का स्वरूप अत्यन्त उत्कृष्ट रहा हैं। भारतीय चित्रकला के इतिहास में धार्मिक पक्ष की प्रधानता रही हैं। जो इन वर्गीकृत चित्रों को आधार मानकर कह सकते हैं। पहाडी शैली से सम्बन्धित गुलेर शैली में धार्मिक पक्ष को चित्रों के माध्यम से जिस स्वरूप मे प्रस्तुत किया हैं। वैसा और कहीं नही देखने को मिलता हैं। प्रत्येक चित्र दर्शक को मुग्ध कर देने वाला हैं, सच कहॉ जाए तो गुलेर के चित्रकार वास्वत में अत्यन्त कुशल और प्रभावशाली रहे हैं। अत: यहॉ के चितेरे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अन्धकार से प्रकाश की और, रूप शर्मा, पृष्ण 509
2. Kangra paiting of the bhagwata puran, Ms. Randhawa Page - 35
3. Pahari masters B.N. Goswami page - 214
4. Marg vol - XLII No. 1, Page - 11
5. Pahari Masters B.N. Goswami - Page No. 222, Fig - 88
6. Pahari Masters B.N. Goswami - Page No. 214, Fig - 89
7. The devi shakta cult. Omkar Rani , Page - 114
8. The devi shakta cult. omkar rani page - 2
9. The devi shakta cult. omkar rani page - 4
10. The devi shakta cult. omkar rani page - 31
11. The devi shakta cult. omkar rani page - 125
12. Centers of pahari painting chandramani singh, Page - 50
13. Kangra valley painting M.S. Randhawa, Page - 39, Fig - 10
14. Centers of pahari painting, chandarmani singh, Page - 64, Fig- 42
15. Rajput painting, vol- II Anand Coomaras wamy, Plate – XXXIV

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

पेय जल प्रदूषण फ्लोराइड का समाज पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन (म.प्र. के नीमच जिले के नीमच विकासखंड के विशेष संदर्भ में)

डॉ. एस.एस.मौर्य * विनोद कुमार तिवारी **

* प्राध्यापक, शासकीय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, समाजशास्त्र अध्ययन शाला, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - विभिन्न प्रकार के प्रदूषण मानव समाज को प्रभावित करते हैं, उनमें से पेयजल का प्रदूषण जो फ्लोराइड के कारण होता है, उसको यदि सामाजिक परिपेक्ष्य में देखें, तो उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव जो दृष्टिगोचर होते हैं, उसका अध्ययन भी समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्लोराइड के कारण भारत के कई गांव प्रभावित हैं, जिसके कारण मानव समाज को स्वास्थ्य की समस्याएं ही पैदा नहीं होती है, बल्कि उनको कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है और यह समस्याएं उनके पूरे जीवन को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से प्रभावित करती हैं। प्रस्तुत शोध प्रबंध में दूषित पेय जल प्रदूषण फ्लोराइड के कारण क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन में नीमच जिले के नीमच विकासखंड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पेय जल प्रदूषण का आकलन किया गया एवं क्षेत्र में उत्पन्न सामाजिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। यह आकलन किया गया कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उपलब्ध पेयजल के स्रोतों का अध्ययन द्वारा क्षेत्र के लोगों की प्रस्थितिका आकलन किया गया। समाधानात्मक शोध पत्र प्रस्तुत किया गया।

फ्लोराइड के कारण होने वाले सामाजिक और आर्थिक समस्या को नीमच जिले के नीमच विकासखंड में कुछ गांव में यह समस्या विकराल रूप लेकर वहां के मानव समाज में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को जन्म दे रही है जिसका अध्ययन ही प्रस्तुत शोध पत्र का विषय है।

जीवन देने वाला अमृत रूपी जल अब जहर में बदल चुका है। तथ्य हैरान कर देने वाले है पर सच है। दुनिया भर के कुछ क्षेत्रों की नदियों और झीलों में प्रदूषण इतना अधिक हो चुका है कि ऐसा प्रतीत होता है, कि मानो उनमें से धुंआ निकल रहा है। विश्व बैंक की ओर से जारी की गई ताजा रिपोर्ट में भारत के बंग्लुरू स्थित बेल्लांदुर झील का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसके कारण छह मील दूर तक की इमारतों पर राख की बारिश हुई थी विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में यह माना गया है। कि दुनिया भर में जल की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। जिससे बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर उस क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं पर पड़ रहा है। मंगलवार को जारी इस रिपोर्ट में सचेत किया गया है जल की खराब गुणवत्ता एक ऐसे संकट के रूप में उभर रहा है, जिससे मानवता और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मूलत: यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा दुनियाभर में जल की गुणवत्ता पर इकट्ठा किये गए सबसे बड़ा डेटाबेस पर आधारित है। जिसे दुनिया भर में स्थित विभिन्न निगरानी स्टेशनों, उपग्रहों एवं रिमोट सेंसिंग तकनीक और मशीन लर्निंग मॉडल की सहायता से किये गए विश्लेषण और उससे प्राप्त हुए डेटा के आधार पर तैयार किया गया है।

नीमच जिले के विशेष संदर्भ में देखा जाए तो नीमच विकास खंड के 11 गांव ऐसे जहां जल में विशेष तत्व फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण और उसके मरीज अधिक देखने में आते हैं पेयजळ में फ्लोराइड की अधिकता से समाज में अन्य समस्याएं भी उभर कर सामने आ रही है जिसमें गर्भवती महिलाओं में गर्भस्थ शिशु पर भी असर होने से शिशु दो-तीन वर्ष की आयु में ही अपंग हो जाता है हाथ पैरों की हड्यिां कमजोर हो जाती है कम उम्र के साथ हाथ पैरों में विकृति,दांत पीले,व्यक्ति का सामाजिक कार्यों में हिस्सा नहीं ले पाना हीन भावना उत्पन्न हो जाती हैं उसे दो भागों में बांटा जा सकता है मानव शरीर के अंगों पर भी असर देखा गया है का शरीर पर प्रभाव पड़ता है और समस्या इस प्रकार हैं आंतों की समस्याएं भूख कम लगना, पैरों में दर्द, मांसपेशियों में अत्यधिक कमजोरी, अत्यधिक विकलांगता मनुष्य के जीवन की स्थिति होती है जैसे इंसान अपने इस बात का एहसास होता है उसका मनोबल इस कदर टूट जाता है। कि जिससे व्यक्ति युवावस्था में ही वृद्ध हो जाता है तथा कुछ भी कार्य करने में लाचार हो जाता है नीमच जिले के नीमच विकास खंड के गांव में पेयजल के अंदर कई किलोमीटर तक फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। यह उन गाँवों की समस्या विशेष है जहां पेयजल के रूप भूजल का उपयोग किया जाता है इन गांवों के लोगों के पास पेयजल का कोई विकल्प नहीं है।

समाज में पेय जल प्रदूषण फ्लोराइड के प्रभाव से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के उद्देश्य से किया गया जिसमें नीमच जिले की नीमच विकासखंड के संदर्भ में विशेष अध्ययन किया गया। मध्य प्रदेश नीमच जिले की जनसंख्या 8,26067जिसमें पुरुष जनसंख्या 4,22653 महिला जनसंख्या 4,03414है। नीमच जिले में तीन विकासखंड हैं, नीमच, मनासा, जावद जिले में 7तहसीलें हैं, नीमच ब्लॉक में 64 ग्राम पंचायत एवं

गांव 203स्थित है। भारतीय समाज में पाई जाने वाली सामाजिक समस्याओं के विषय में पूर्व में किए गए शोध कार्यों की समीक्षा की गई प्रस्तुत अध्ययन का मूल उद्देश्य भारतीय ग्रामीण समाज मे पेय जल प्रदूषण फ्लोराइड के प्रभाव से समाज में महिलाओं एवं पुरुषों की आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन देखा गया ,शोध का मुख्य उद्देश्य प्राप्ति हेतु निम्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया प्रथम पेयजल प्रदूषण से ग्रामीण समाज की सामाजिक स्थिति व आर्थिक प्रस्थिति पर प्रभाव का अध्ययन किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) प्रति लीटर 8 मिलीग्राम की सीमा को पार करती है तो उस क्षेत्र के जीडीपी की विकास दर 0.83 फीसदी गिर जाती है । जिसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है, इनका सम्बन्ध आर्थिक क्षेत्र से होने के कारण उस क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में एक-तिहाई की कमी आ सकती है । गौरतलब है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी), जल में जैविक प्रदूषण की मात्रा का माप है और इससे हमें परोक्ष रूप से जल की गुणवत्ता का भी पता चलता है।

विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास ने बताया कि, साफ पानी आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। जल की गुणवत्ता में आ रही गिरावट आर्थिक विकास को रोक रही है, स्वास्थ्य की स्थिति को खराब कर रही है, खाद्य उत्पादन को कम कर रही है और कई देशों में गरीबी को बढ़ा रही है।

फ्लोराइडयुक्त जल और कैंसर के अन्तर्सम्बन्धा को लेकर सालों तक बहस चली है। यह बहस फिर से धारातल पर आया जब 1990 में नेशनल इंस्टीट्यूट और एनवायरमेंटल हेल्थ साइंस के हिस्से के रूप में नेशनल टॉक्सिलॉजी प्रोग्राम ने बताया कि 2 सालों तक पुरुष चूहों को उच्च फ्लोराइडयुक्त जल का सेवन कराने से ओस्टियोसरकोमस की मात्रा बढ़ जाती है। हालांकि मानव और दूसरे जीवों में फ्लोराइडयुक्त जल और कैंसर के अन्तर्सम्बन्धों को लेकर दूसरे अध्ययनों में ऐसी कोई बात निकल कर सामने नहीं आई। फ्लोराइड नाम उस यौगिक समूह को दिया गया है जो फ्लोरीन से बने प्राकृतिक तत्व होते हैं। फ्लोराइड पानी और मिट्टी में विभिन्न स्तरों पर मौजूद होते हैं।

1940 में वैज्ञानिकों ने पाया था कि जहाँ पानी में फ्लोराइड की मात्रा पानी के एक मिलियन हिस्से में एक से अधिाक होती है वहाँ के लोगों के दाँत में कैविटी ज्यादा जमती है बनिस्पत ऐसे इलाकों के जहाँ पानी में फ्लोराइड की मात्रा इससे कम होती है। बाद के कई अध्ययनों ने इस बात को प्रमाणित किया है।

आने वाले वक्त में यह भी पता चला कि फ्लोराइड दांतों की सुरक्षा कर सकता है और उसे बैक्टीरिया से भी बचा सकता है। यह बैक्टीरिया मुंह में अम्ल बनाता है और खनिज तत्वों को नुकसान पहुँचाता है, जिससे दांतों पर एनामेल फिर से बनते हैं और यह घिसने लगता है।दांतों के निर्माण के साथ-साथ यह हड्यिों में भी घुलने लगता है।

फ्लोराइड का सेहत पर प्रभाव - पूरे जीवनकाल में फ्लोराइड के अत्यधिाक सेवन के कारण वयस्कों की हड्यिां टूटने लगती हैं और उन्हें दर्द और थकावट का अहसास हो सकता है। आठ साल तक के बच्चे अगर फ्लोराइड का अत्यधिाक सेवन करें तो उनके दाँत बदरंग हो सकते हैं और उन पर गड्ढे हो सकते हैं।

यहाँ फ्लोराइड के तमाम स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभावों का जिक्र नहीं है, यह सिर्फ आमलोगों को सूचित करने का प्रयास है कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने का सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

कुछ फ्लोराइड यौगिक, जैसे सोडियम फ्लोराइड और फ्लोरोसिलिकेट पानी में आसानी से घुल जाते हैं और यह चट्टानों के बीच बने छिद्र से भूजल तक पहुंच जाते हैं। कई जगह पानी की आपूर्ति में भी प्राकृतिक रूप से उपस्थित फ्लोराइड होते हैं। उर्वरक और एल्यूमीनियम फैक्टरी के अवशिष्ट जल के भूजल में मिलने से भी पानी फ्लोराइड युक्त हो सकता है। कुछ देशों में दाँत को स्वस्थ बनाने के लिये भी पानी में फ्लोराइड मिलाया जाता है।

जब रूटीन मॉनिटरिंग से जाहिर हो कि आपके पेयजल में फ्लोराइड एमसीएल से अधिाक है तो आपके वाटर सप्लायर को फ्लोराइड लेवल कम करने के लिये प्रयास करना चाहिए। वाटर सप्लायर को जल्द से जल्द इस बात की सूचना अपने उपभोक्ताओं को दे देनी चाहिए, 30 दिनों के अंदर। खतरे से बचाव के लिये उन्हें पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

मेडिलेक्सीकन मेडिकल डिक्सनरी के मुताबिक फ्लोराइड:

1. फ्लोरीन धातु, अधातु और जैविक तत्वों का यौगिक होता है।
2. फ्लोराइड दाँत और हड्यिों में घुल जाता है मगर इसकी अधिाक मात्रा खतरनाक हो सकती है।

फ्लोराइड का क्या काम है?

फ्लोराइड दो तरीके से दांतों की सुरक्षा करता है।

1. खनिजकरण से सुरक्षा - जब मुंह में बैक्टीरिया के साथ चीनी घुलता है, वे अम्ल की रचना करते हैं। अम्ल दाँत के एनामेल को हटाते हैं और हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। फ्लोराइड इन परिस्थितियों में दांतों की सुरक्षा करते हैं।
2. पुनर्खनिजकरण - अगर अम्ल की वजह से दांतों में पहले से कोई नुकसान हो गया हो तो फ्लोरीन उस क्षेत्र में एनामेल को मजबूत करने में मददगार होते हैं, इस प्रक्रिया को पुनर्खनिजकरण कहते हैं।

फ्लोराइड कैविटी की सुरक्षा करने और दाँतों को मजबूत करने में मददगार होते हैं। मगर कैविटी पहले से बन गए हों तो ये बहुत कम प्रभावशाली हो पाते हैं।

फ्लोराइड दांतों के क्षरण की प्रक्रिया को बाधित करता है:

1. एनामेल निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाता है, जिससे वह अम्लों के हमले को झेलने में मददगार हो सके। यह संरचनाचत्मक बदलाव बच्चों के एनामेल विकसित होने के वक्त होता है, सात साल से पहले।
2. ऐसे वातारवरण का निर्माण करता है जिसमें बेहतर गुणवत्ता के एनामेल का निर्माण हो सके। जो अम्लीय हमलों को रोक सके।
3. बैक्टीरिया की अम्ल निर्माण की क्षमता को कम करता है, यह दांतों के क्षरण का प्रमुख कारण होता है।

किसे फ्लोराइड की जरूरत है?

दुनिया के सभी लोक स्वास्थ्य प्रशासन और मेडिकल एसोसिएशन बच्चों और वयस्कों के लिये फ्लोराइड के न्यूनतम मात्रा में सेवन की अनुशंसा करते हैं। बच्चे अपने स्थायी दांतों की सुरक्षा के लिये फ्लोराइड की जरूरत महसूस करते हैं। वयस्क के दांतों के क्षरण से बचाव के लिये फ्लोराइड की आवश्यकता होती है।

कई लोग, खासतौर पर जो दांतों के क्षरण के मामले में खतरे के निशान पर होते हैं, उन्हें फ्लोराइड ट्रीटमेंट से लाभ होता है। इसमें वे लोग भी होते हैं,

जिनमे:

1. स्नैकिंग हैबिट
2. दांतों की खराब साफ-सफाई
3. डेंटिस्ट के पास पहुंच का अभाव।
4. उच्च सुगर और कार्बोहाइड्रेट वाले आहार का सेवन।
5. ब्रिज, क्राउन, ब्रेस और दूसरी प्रक्रियाओं को अपनाना।
6. दांतों के क्षरण का इतिहास।

क्या फ्लोराइडयुक्त जल कैंसर को जन्म दे सकता है?

फ्लोराइडयुक्त जल और कैंसर के अन्तर्सम्बन्धा को लेकर सालों तक बहस चली है। यह बहस फिर से धारातल पर आया जब 1990 में नेशनल इंस्टीट्यूट और एनवायरमेंटल हेल्थ साइंस के हिस्से के रूप में नेशनल टॉक्सिलॉजी प्रोग्राम ने बताया कि 2 सालों तक पुरुष चूहों को उच्च फ्लोराइडयुक्त जल का सेवन कराने से ओस्टियोसरकोमस(बोन ट्यूमर) की मात्रा बढ़ जाती है। हालांकि मानव और दूसरे जीवों में फ्लोराइडयुक्त जल और कैंसर के अन्तर्सम्बन्धों को लेकर दूसरे अध्ययनों में ऐसी कोई बात निकल कर सामने नहीं आई। फरवरी, 1991 में पब्लिक हेल्थ सर्विस रिपोर्ट में यह घोषित किया गया कि, फ्लोराइड और कैंसर का आपस में कोई सम्बन्धा नहीं है। यह रिपोर्ट पिछले 40 सालों में 50 लोगों की आबादी की समीक्षा के आधार पर सामने लाया गया, नतीजा यह निकला कि पेयजल में फ्लोराइड की अधिाक मात्रा से मानवों में कैंसर के लक्षण पाए जाने के प्रमाण नहीं हैं, यह ह्यूमन इपिडेमियोलॉजिकल डाटा के आधार पर साबित हुआ है।

पीएचएस रिपोर्ट के लिये समीक्षा की गई एक स्टडी में एनसीआई के वैज्ञानिकों ने पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा और अमेरिका में पिछले 36 सालों में कैंसर हुए मौतों और पिछले 15 सालों में सामने आए कैंसर के नए मामलों का अध्ययन किया। उन्होंने अब तक दर्ज कैंसर की वजह से हुए 22 लाख मौतों का अध्ययन करते हुए पाया कि इनमें से 1.25 लाख मौतें उन प्रांतों में हुई हैं जहाँ पानी में फ्लोराइड मिलाया जाता है, इस तरह अधयेताओं ने पाया कि कैंसर से हुई मौतों के पीछे फ्लोराइड कोई वजह नहीं है।

1993 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के एक हिस्से के तौर पर काम करने वाले नेशनल रिसर्च कॉउंसिल की सब कमेटी ने फ्लोराइड के सेहत पर प्रभाव का अध्ययन किया, उन्होंने फ्लोरीडेटड पेयजल और कैंसर के बढ़ते प्रभाव से सम्बन्धित दस्तावेजों का परीक्षण किया। इस समीक्षा में 50 से अधिाक मानव इपिडेमोजिकल अध्ययन और छह पशु सम्बन्धी अध्ययन के आंकड़ों का विश्लेषण किया। सब कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि कोई आंकड़ा यह प्रदर्शित नहीं करता है कि फ्लोराइड युक्त पेयजल और कैंसर के बीच कोई अन्तर्सम्बन्धा है। 1999 में सीडीसी समर्थित एक रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि की गई। सीडीसी इस नतीजे पर पहुंची कि आंकड़ों के अध्ययन से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे फ्लोराइड युक्त पेयजल और कैंसर के बीच सम्बन्धा स्थापित किया जा सके। आगे ओस्टियोसरकोमा के रोगियों से बातचीत की गई और उनके अभिभावकों ने विरोधाभाषी नतीजे पेश किए, लेकिन कोई भी इस बात का स्पष्ट प्रमाण नहीं दे सके कि फ्लोराइड के सेवन से ट्यूमर का रिस्क बढ़ता है।

हाल में अधयेताओं ने फ्लोराइड के प्रभाव और ओस्टियोसरकोमा के बीच संभावित सम्बन्धों का नए तरीके से अध्ययन किया, उन्होंने सामान्य हठी में फ्लोराइड के जमाव का पता लगाया और उसकी तुलना ट्यूमर के रोगियों की हठी में फ्लोराइड के जमाव की मात्रा से की। चूंकि फ्लोराइड सामान्य रूप से हड्यिों में जम जाता है, यह अध्ययन ज्यादा सटीक नतीजे दे सकता था बनिस्पत लोगों की याददास्त और नगरपालिका के वाटर ट्रीटमेंट रिकार्ड के इस विश्लेषण से पता चला कि ओस्टियोसरकोमा के रोगियों की हठी में फ्लोराइड के स्तर और किसी दूसरे ट्यूमर से पीड़ित लोगों की हड्यिों में फ्लोराइड के स्तर में फर्क नहीं था।

सेहत पर असर- अधिाक मात्रा में फ्लोराइड के सेवन से डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस होने की प्रबल संभावना रहती है। इसके अधिाक दिनों तक सेवन से यह गम्भीर से खतरनाक रूप भी ले सकता है। अयूब और गुप्ता (2006) के मुताबिक 25 देशों के 20 करोड़ से अधिाक लोग फ्लोरोसिस के गम्भीर खतरे का सामना कर रहे हैं, इनमें दुनिया के दो सबसे अधिाक आबादी वाले देश भारत और चीन बुरी तरह प्रभावित हैं। भारत में 6.2 करोड़ लोगों को फ्लोराइड युक्त जल के सेवन की वजह से सेहत से सम्बन्धित गम्भीर बीमारियाँ हो रही हैं, इनमें 60 लाख बच्चे हैं (अंदेजाथ और घोष, 2000)। चीन के 29 प्रांतों, नगरपालिकाओं और ऑटोनोमस इलाकों में इंडेमिक फ्लोरोसिस का गहरा प्रभाव है (वांग और हुआंग, 1995)। घरों में चाय बनाने या घरों को गर्म करने के लिये वहाँ घर में कोयला जलाया जाता था, जिस वजह से वहाँ पहले से ही डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस का खतरा रहा है (एंडो एट आल।, 1998, वाटानाबे एट आल।, 2000, एंडो एट आल।, 2001)। दिसानायके (1991) कहते हैं कि श्रीलंका में सूखे इलाके में जहाँ फ्लोराइड की मात्रा अधिाक पाई जाती है वहाँ डेंटल फ्लोरोसिस का खतरा रहता है और जहाँ नमी वाले इलाके में फ्लोराइड बहुत कम होता है, दाँत कमजोर होने लगते हैं। इथियोपिया रिफ्ट वैली में जहाँ एक करोड़ लोग रहते हैं, 80 लाख लोग अधिाक फ्लोराइड के खतरे में हैं(रेंगो एट आल।,2010)। फ्लोराइड की अलग-अलग मात्रा के सेवन से सेहत पर खतरे के बारे में दिसानायके (1991) कहते हैं, अगर पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा 0.5 मिग्रा प्रति लीटर से कम हो तो दाँत कमजोर होने लगते हैं, अगर यह 0.5 से 1.5 मिग्रा प्रति लीटर हो तो दांतों के लिये ठीक रहता है और यह 1.5 मिग्रा प्रति लीटर से 4 मिग्रा प्रति लीटर के बीच हो जाए तो डेंटल फ्लोरोसिस होने लगता है। 4 से 10 मिग्रा प्रति लीटर की मात्रा डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस का खतरा उत्पन्न कर देती है। जब यह 10 मिग्रा प्रति लीटर से अधिाक हो जाए तो हड्यिां मुड़ने लगती है। हालांकि फ्लोरोसिस का खतरा सिर्फ पानी में इसकी मात्रा अधिाक होने से नहीं होता बल्कि यह खान-पान की आदतों पर भी निर्भर करता है।

बच्चों के स्वस्थ्य पर पड़ रहा बुरा असर, भविष्य के संभावनाओं के लिए भी है खतरा- बच्चों के छोटी उम्र में नाइट्रेट के संपर्क में आने से उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है, जिससे भविष्य में उनके स्वास्थ्यपर बुरा असर पड़ता है और साथ ही कमाई की संभावनाएं भी कम हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत, वियतनाम और अफ्रीका के 33 देशों में जन्म लेने वाले उन शिशुओं का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था, जो अपने जीवन के पहले तीन वर्षों में नाइट्रेट के बढे हुए स्तर के संपर्क में थे। अनुमान है कि पीने के पानी में फ्लोराइड के बढ़ने के कारण 25 देशों के 20 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमे से 6.6 करोड़ लोग अकेले भारत में रहते हैं, जिनमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में मानव विकास सर्वेक्षण के स्वास्थ्य और सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जारी भूजल में नाइट्रेट के प्रदूषण सम्बन्धी आंकड़ों के विश्लेषण में भी यह बात सामने आयी है कि चार से आठ साल की उम्र के बच्चों के नाइट्रेट्स की उच्च मात्रा के संपर्क में

आने से उनका विकास प्रभावित हो रहा है। वह अपनी आयु वर्ग के सामान्य बच्चों की तुलना में अल्पविकसित हो रहे हैं।

यदि प्रति हेक्टेयर कृषि भूमि में एक किलोग्राम अतिरिक्त उर्वरक डाला जाता है तो उससे पैदावार पांचप्रतिशत तक बढ़ सकती है, लेकिन इससे बच्चों में अविकसित होने के मामले 19 फीसदी बढ़ जाते हैं। वहीं भविष्य में वयस्क होने पर इन अविकसित बच्चों की आय भी सामान्य बच्चों की तुलना में दो प्रतिशत तक गिर जाती है। वहीं दूसरी और मनुष्यों द्वारा उर्वरकों के बढ़ते उपयोग, सिंचाई और शहरों से निकले अपशिष्ट जल के कारण जल स्रोतों में लवणता बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव कृषि पैदावार पर पड़ रहा है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है जल में बढ़ते खारेपन के कारण हर वर्ष 17 करोड़ लोग जो कि बांग्लादेश की आबादी के बराबर हैं, के पेट भरने लायक भोजन गंवाया जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहुजा राम 'सामाजिक समस्याए' द्वितीय संस्करण पुर्णत: संशोधित एवं परिवर्तित।
2. मदन जी.आर.(2000) 'भारतीय सामाजिक समस्याएं' विवके प्रकाशन (आगरा)
3. सिंह जे.पी. (2010) 'आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन' पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड(नई दिल्ली)
4. Vyas, A., Choudhary, R. & Bhora, R. (2016) : Groundwater potential and quality of Didwana Block of the Nagaur District, Central Part of Rajasthan, India. Proceeding of State Seminar on Excess fluoride in Potable water and its associated health hazards, 4-5 Aug., Alwar (Raj.) pp.68-72.
5. BIS (2001) : Indian Standards for drinking water-specification (ISI0500:1991), Bureau of Indian Standards, New Delhi.
6. Susheela, A.K. (2011) : Fluorosis management programme in India. Current Sci., Vol.77, pp.1250-1256.
7. Teotia, S.P.S., Teotia, M., Singh, M.K. (1981) : Hydrogeochemical aspects of endemic skeletal fluorosis in India, An epidemiological study. Fluoride, Vol.14, pp.69-74.
8. Seth, Gita (2015) : Geochemical Study of Fluoride in Groundwater of Rajasthan. CAIJ, Vol.2, pp.191-193.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

भारत में महिला उद्यमिता की समस्याऐ एवं समाधान (शासन द्वारा संचालित सरकारी योजनाओ के परिप्रेक्ष्य में)

डॉ. रीना जैन *

* सहायक प्राध्यापक, भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विकास के कारण देश में बड़ी संख्या में महिलाओं के रोजगार के अवसरों के द्वार खुलने के साथ-साथ आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू होने पर महिला उद्यमियों के अवसर बढ़े हैं महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है महिलाओं में प्रबंधन का गुण पुरुषों की तुलना में अधिक होता है भारत में महिलाएं उन सभी क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है जहां पुरुषों का वर्चस्व था।

उद्यमी के लिए किसी विशेष पक्ष की आवश्यकता नहीं होती कोई भी व्यक्ति जिसमें उद्यमी के गुण हो विद्यमान उद्यमी बन सकता है महिलाएं बड़ी खूबी से घर का प्रबंधन करती है एवं जिस काम को करने की ठान लेती है उसे पूरा करके ही रहती हैं।

आज की इस प्रगतिशील युग में सभी का यही मानना है कि महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाकर उन्हें सामाजिक और पारिवारिक प्रगति में सहायक बनाया जा सकता है चाहे हजारों वर्ष पीछे मुड़ कर देखने की बात हो या आगे बढ़ने की दुनिया में चारों ओर महिलाओं ने अपनी इच्छाशक्ति दृढ़ संकल्प एवं समझदार नेतृत्व से अपनी पहचान बनाई है यद्यपि महिला एवं पुरुष दोनों ही समाज के बराबर के अंग है फिर भी स्वरोजगार के क्षेत्र में आने के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा मेहनत,कठिन चुनौतियां एवं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है भारत में महिलाओं की पिछड़ी सामाजिक व आर्थिक दशा में सुधार के उद्देश्य से महिला उद्यमिता की एक अलग विचारधारा शुरू की गई है प्रारंभ से ही उद्यमिता क्षेत्र में पुरुषों का एकाधिकार रहा है तथा आज भी काफी सीमा तक विद्यमान है संचालक अधिशासी, प्रबंधक सचिव, प्रबंध संचालक आदि के रूप में पुरुषों ने ही विभिन्न प्रबंध के कार्य एवं भूमिकाओं का निर्वाह किया है। विगत 4 दशकों में हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के फल स्वरुप उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं का आगमन हुआ है तथा उदारीकरण निजीकरण तथा शिक्षा के बढ़ते प्रसार से इस आगमन का समाज में स्वागत किया है यूरोप अमेरिका एवं जापान के बाद भारत में भी उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका क्रमश: बढ़ती जा रही है तथा पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर विभिन्न उद्यमिता कार्यों का प्रभावी ढंग से निष्पादन कर रही हैं।

आमतौर पर तो महिलाएं किसी भी प्रकार एवं आकार का उद्योग स्थापित एवं संचालित कर सकती हैं लेकिन कुछ विशेष उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हें यदि महिलाएं स्थापित या संचालित करें तो सफलता की संभावना अधिक रहती है। वर्तमान परिवेश में महिला उद्यम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा इंजीनियरिंग,इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या रेडीमेड गारमेंट, फैब्रिक हस्तकला, खिलौना निर्माण,मुर्गी पालन, प्लास्टिक उद्योग, साबुन निर्माण, सेरेमिक छपाई, बुनाई आदि चाहे वे परंपरागत हो या गैर परंपरागत आदि क्षेत्रों में उद्यमशील है यद्यपि महिलाओं में प्रबंधन का गुण जन्मजात होता है परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात उद्यम क्षेत्रों में बहुत निम्न है। स्व सहायता समूह तथा उद्यमिता विकास केंद्र,औद्योगिक केंद्र विकास निगम आदि महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका का निर्वहन कर रही है। महिला उद्यमिता मानव समाज के विकास का अभिन्न अंग है कुछ समय पहले तक महिला उद्यमी की कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन शिक्षा के प्रसार,समय के परिवर्तन के साथ साथ महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो एक शुभ संकेत है। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के सहयोग से मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि महिलाएं एक उद्यमी के रूप में अपने प्रतिद्वंदी के समान प्रभाव शील होती जा रही है। महिलाओं को इस प्रकार से वातावरण का निर्माण करना चाहिए कि जिसमें संकोच एवं पूर्वाग्रह से निकलकर स्वयं ही स्वरोजगार की पहल करें सरकार, समाज,समाज सेवी संस्थाओं एवं परिवार की महिलाओं को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि महिला समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है और वे आर्थिक विकास में पुरुषों के बराबर का योगदान दे सकती है। महिलाओं में उद्यमशीलता के विकास से महिलाएं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होकर समाज और घरों पर निर्भरता को समाप्त कर सकती हैं तथा देश की राष्ट्रीय आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

भारत में महिला उद्यमिता की समस्याऐ – महिला उद्यमिता को आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। महिला उद्यमी अपने लिए और अन्य लोगों के लिए नए कार्य सृजित करती है और समाज को प्रबंध,संगठन एवं व्यवसाय समस्याओं के भिन्न-भिन्न समाधान उपलब्ध कराती है किंतु फिर भी उद्यमियों में उनकी संख्या काफी कम है महिला उद्यमियों को अक्सर अपने व्यवसाय शुरू करने और उन्हें बढ़ाने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो निम्न प्रकार है –

(1) वित्तीय बाधाएं – वित्त हर व्यवसाय का जीवन रक्त है। बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों फंड की जरूरत होती है। वित्तीय संस्थानों से ऋण और अग्रिम प्राप्त करने के लिए, उन्हें संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्रदान करनी होती हैं।लेकिन, आमतौर पर महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती है और यह उन्हें धन के बाहरी स्रोत प्राप्त करने से रोकता है।बैंक भी महिलाओं

को कम क्रेडिट योग्य मानते हैं और महिला उधारकर्ताओं को इस विश्वास पर हतोत्साहित करते हैं कि वे किसी भी समय अपना व्यवसाय छोड़कर फिर से गृहिणी बन सकती हैं।इन परिस्थितियों में, महिला उद्यमी अपनी बचत और दोस्तों और रिश्तेदारों से ऋण पर निर्भर रहने के लिए बाध्य हैं। इस तरह के फंड की मात्रा अक्सर नगण्य होती है जिससे महिला उद्यम विफल हो जाते हैं।

(2) बिचौलियों पर अधिक निर्भरता – महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के वितरण के लिए बड़े पैमाने पर बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये बिचौलिए अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं।

महिला उद्यमियों के लिए बिचौलियों को खत्म करना संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश और बहुत अधिक यात्रा की आवश्यकता होती है। महिला उद्यमियों को बाजार पर कब्जा करने और अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में मुश्किल होती है।

(3) कड़ी प्रतिस्पर्धा – महिला उद्यमियों को संगठित उद्योगों और पुरुष उद्यमियों के उत्पादों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।प्रचार और विज्ञापन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए उनके पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है।

समाज की यह भावना है कि महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद गुणवत्ता में निम्न हैं क्योंकि स्वयं महिलाओं द्वारा निर्मित होते हैं। इन कारकों से महिला उद्यमों का परिसमापन होगा।

(4) कच्चे माल की कमी – कच्चे माल की कमी महिला उद्यमियों के सामने एक और महत्वपूर्ण समस्या है। कच्चे माल की कीमत बहुत अधिक है और महिला उद्यमियों को आमतौर पर न्यूनतम छूट पर कच्चा माल मिलता है।

1971 में टोकरी बनाने में लगी कई महिला सहकारी समितियों की विफलता इस बात का उदाहरण है कि कच्चे माल की कमी उद्यमिता को कैसे प्रभावित करती है।

(5) उत्पादन की उच्च लागत – महिला उद्यमियों के सामने एक अन्य समस्या उत्पादन की उच्च लागत है। सरकारी अनुदान और सब्सिडी उन्हें इस कठिनाई से निपटने में मदद करती है, लेकिन ये अनुदान और सब्सिडी इसकी स्थापना के शुरुआती चरणों में ही उपलब्धा हैं।विस्तार और विविधीकरण गतिविधियों के लिए ये सहायता नगण्य होगी।

(6) सीमित गतिशीलता – पुरुषों के विपरीत, भारत में महिलाओं की गतिशीलता विभिन्न कारणों से अत्यधिक सीमित है।शारीरिक रूप से वे बहुत अधिक यात्रा करने के लिए पर्याप्त रूप से फिट नहीं हैं। स्वतंत्र रूप से और अकेले उद्यम चलाने वाली महिला को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।महिलाओं के प्रति अधिकारियों का अपमानजनक रवैया उन्हें उद्यम शुरू करने के विचार को छोड़ने के लिए मजबूर करता है।

(7) पारिवारिक संबंध – पारिवारिक जिम्मेदारियां भी महिला उद्यमिता के विकास में बाधक हैं। भारत में, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करना मुख्य रूप से एक महिला का कर्तव्य है।मनुष्य इन मामलों में एक गौण भूमिका निभाता है। विवाहित महिलाओं के मामले में उन्हें अपने व्यवसाय और परिवार के बीच अच्छा संतुलन बनाना होगा।

उनकी सफलता काफी हद तक परिवार द्वारा दिए गए समर्थन पर निर्भर करती है। परिवारों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि और पतियों के शैक्षिक स्तर का महिला उद्यमिता के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

(8) शिक्षा का अभाव – भारत में लगभग 60% महिलाएं अभी भी निरक्षर हैं। अशिक्षा सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। शिक्षा की कमी के कारण महिलाएं व्यापार तकनीक और बाजार से अनभिज्ञ हैं।

यह महिलाओं के बीच उपलब्धि प्रेरणा को भी कम करता है। इस प्रकार, शिक्षा की कमी महिलाओं के लिए व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने और चलाने में समस्याएँ पैदा करती है।

(9) सामाजिक दृष्टिकोण – यह महिला उद्यमिता के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। संविधान पुरुषों और महिलाओं दोनों को समानता प्रदान करता है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ व्यापक भेदभाव है।पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। महिलाओं में क्षमता है लेकिन उनके पास पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी है।

एक आम धारणा है कि शादी के बाद लड़की को दिया गया कौशल खो जाता है। इसलिए, लड़कियां कृषि और हस्तशिल्प में सहायक बनी रहती हैं और कठोर सामाजिक दृष्टिकोण उन्हें सफल और स्वतंत्र उद्यमी बनने से रोकते हैं।

(10) पुरुष प्रधान समाज – भारत में पुरुष प्रधानता आज भी प्रचलित है। भारत का संविधान लिंगों के बीच समानता की बात करता है। लेकिन, व्यवहार में महिलाओं को 'अबला' माना जाता है।

महिलाएं अपनी भूमिकाओं, क्षमताओं और क्षमताओं के बारे में पुरुष आरक्षण से ग्रस्त हैं। संक्षेप में, महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। यह महिलाओं के व्यवसाय में प्रवेश की मुख्य बाधा है।

महिला उद्यमिता की समस्याओं का समाधान – महिला उद्यमिता की समस्याओं को दूर करने के लिए,निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं –

(1) अलग वित्त प्रभाग – महिला उद्यमियों को आसान और तैयार वित्त प्रदान करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा अलग-अलग वित्त विभाग खोले जा सकते हैं। इन प्रभागों के माध्यम से वे महिला उद्यमियों को रियायती दरों पर वित्त प्रदान कर सकते हैं।

कार्यालयों के अपमानजनक रवैये से बचने के लिए ये विभाग महिला अधिकारियों के नियंत्रण और प्रबंधन में हो सकते हैं।

(2) कच्चे माल की आपूर्ति – नियंत्रित और दुर्लभ कच्चे माल की आपूर्ति में महिला उद्यमियों को अन्य उद्यमियों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हो सके तो स्थानीय अधिकारियों की सरकार महिला उद्यमियों को कच्चे माल की आपूर्ति पर कर में छूट दे।सरकार को न्यूनतम मूल्य पर कच्चे माल की आपूर्ति के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए।

(3) सहकारी महिला विपणन समितियां– उत्पादों का विपणन महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वे सहकारी समितियां शुरू कर सकते हैं।

ये समितियां महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों को एकत्र कर सकती हैं और बिचौलियों को खत्म कर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेच सकती हैं। उत्पादों के वितरण के लिए पूरे राज्य/ देश में समाजों की एक श्रृंखला शुरू की जा सकती है।

(4) शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन–लोगों को उद्यमिता विकास, विभिन्न उत्पादों, उनकी विपणन सुविधाओं, प्रतिस्पर्धा के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। महिलाओं के प्रति समाज के नकारात्मक रवैये को बदलना चाहिए।

(5) प्रशिक्षण– उद्यमिता की आधुनिक अवधारणा यह है कि 'उद्यमी पैदा

नहीं होते बल्कि बनते हैं।' उचित प्रशिक्षण देकर हम किसी व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर उसे उद्यमी बना सकते हैं।

इसके लिए सरकारी एजेंसियां और वित्तीय संस्थान महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए अलग-अलग डिवीजन स्थापित कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण योजना इस तैयार की जानी चाहिए कि महिलाएं प्रशिक्षण सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

(6)पारिवारिक पृष्ठभूमि - महिला उद्यमियों के विकास के लिए एक मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। बड़ों, विशेषकर माताओं को लड़कियों की क्षमता और समाज में उनकी भूमिका के बारे में पता होना चाहिए।

प्रारंभिक चरण में माता-पिता और बाद के चरण में पतियों को उद्यमशीलता की गतिविधियों को सफलतापूर्वक करने के लिए महिलाओं का समर्थन करना चाहिए।

(7)समाज से सहायता - समाज को उसके आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाओं की भूमिका से अवगत कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। महिला उद्यमियों के प्रति समाज के नकारात्मक रवैये में बदलाव लाना होगा।

समाज उन महिलाओं को उत्साहजनक सहायता प्रदान करेगा जो उद्यमशीलता की गतिविधियाँ करती हैं।

(8)सरकार से सहायता - केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नए उद्यम शुरू करने के लिए महिला उद्यमियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकारों को उन्हें ढांचागत सुविधाएं, कच्चा माल, कर छूट और रियायतें देनी चाहिए। सरकार महिला उद्यमियों को विशेष अनुदान और सब्सिडी भी दे सकती है।

महिलाओं को आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभानी होगी। उनके पास व्यावसायिक उद्यमों को स्थापित करने और प्रबंधित करने की क्षमता और इच्छाशक्ति है।इसके लिए उन्हें अपने परिवार के सदस्यों, सरकार और समाज के बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन और समर्थन की जरूरत है।

महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएं - महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की उद्यमशीलता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं लागू की गई है जिससे महिला उद्यमी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में हर जगह देखी जा सकती हैं। महिलाएं भी अब केवल घरों की चार दीवारी के भीतर रहकर काम ना करेगी, बल्कि महिलाएं भी अपना खुद का उद्यम भी शुरू कर पाएगी।

भारत सरकार के अलावा बैंक शाखाओं ने भी महिलाओं के हौसले को नई उड़ान देने के लिए विशेष प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाएं, ताकि वह शुरुआती व्यवसाय बड़ी ही आसानी से शुरू कर सकें। महिला उद्यमियों के लिए सरकार द्वारा निम्न नई योजनाएं बनाई गई हैं, जिनसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले और अपने नए उद्यम को बिना किसी बाधा के वह शुरू कर सके।

(1) अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme)- भारत सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना को 31 अक्टूबर 2015 को जयपुर जिले के बमोरी गांव से शुरू किया गया। अन्नपूर्णा योजना के तहत वे महिला उद्यमी जो पैक किए गए भोजन, नाश्ते आदि खाद्य वस्तुओं को बेचने के लिए खाद्य खानपान उद्योग स्थापित करना चाहती हैं. इस योजना के भीतर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के द्वारा उन महिला उद्यमियों को पचास हजार रुपए की ऋण राशि दी जाएगी और जिसे 36 महीनों की मासिक किस्तों पर भुगतान करना होगा। यह ऋण महिला उद्यमी की प्राथमिक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए दिया जाएगा, यानी कि बर्तन और अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए. इस ऋण की ब्याज दर बाजार दर के हिसाब से लगाई जाएगी और यह ऋण प्राप्त करने के लिए महिला उद्यमी को एक गारंटर की आवश्यकता होती हैं, क्योंकि बिना गारंटर महिला उद्यमी को यह ऋण नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा उठाया गया महिला उद्यमीयों के लिए काफी अच्छा कदम है।

(2) ओरिएंटल महिला विकास योजना (Orient Mahila Vikas Yojana Scheme) - वे महिलाएं जो व्यक्तिगत रूप से या फिर संयुक्त रूप से एक मालिकाना चिंता के चलते 51% शेयर पूंजी रखती हैं, उन्हें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत लघु उद्योगों में महिला उद्यमी को 10 लाख से लेकर रू2500000 तक का ऋण दिया जाता है और इस ऋण को लेने के लिए किसी भी प्रकार के गारंटर की आवश्यकता नहीं होती हैं।अगर महिला उद्यमी अपने ऋण को पुनरभुगतान चाहता है तो उसकी अवधि 7 वर्ष है। इसके तहत 2% ऋण ब्याज दर की महिला उद्यमी को रियायत भी दी जाती हैं।

(3) मुद्रा योजना महिला उद्यमी (Mudra Yojana Scheme For Women) - भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत वे महिलाएं जो, अपना व्यवसाय छोटे उद्यमों से शुरू करना चाहती हैं, जैसे ट्यूशन सेंटर, टेलरिंग यूनिट या फिर ब्यूटी पार्लर तो उन्हें किसी सम पार्श्विक गारंटर की आवश्यकता के बिना ऋण दिया जाता है। ऋण प्रदान करते समय आपको एक मुद्रा कार्ड भी दिया जाएगा और यह मुद्रा कार्ड आपके क्रेडिट कार्ड के समान ही कार्य करेगा और इस पर ऋण राशि के 10% तक सीमित धानराशि जमा होगी. मुद्रा योजना का लाभ आप तीन जनों के द्वारा उठा सकते हैं, जो कि इस प्रकार है :

शिशु - इसमें ऋण राशि 50000 तक सीमित है।

किशोर - इसमें ऋण राशि 50000 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच होती हैं। इसका लाभ स्थापित उद्यम वाले लोगों द्वारा उठाया जा सकता है।

तरूण - इसमें ऋण राशि 1000000 रुपए तक की होती हैं।

इन तीन चरणों के द्वारा महिला उद्यमी इस मुद्रा योजना का लाभ बड़ी ही आसानी से उठा सकती हैं और अपने व्यवसाय को अच्छा कर सकती है।

(4) भारतीय महिला बैंक व्यवसायिक ऋण (Bharatiya Mahila Bank Business Loan)- भारतीय महिला बैंक व्यवसायीक ऋण को उन महिला उद्यमियों के लिए लघु किया गया है, जो अपना नया उद्यम खुदरा क्षेत्र में संपत्ति, और SME खिलाफ शुरू करना चाहती है। महिला उद्यमी को इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 200000000 तक दी जाती हैं और जिस पर 0.25% की छूट भी दी जाती है। इसे ऋण राशि पर ब्याज दर आमतौर पर 10.15% या फिर उससे अधिक की होती है। भारतीय महिला बैंक व्यवसायीकरण योजना की सबसे अच्छी बात यह है, कि यह लघु और सूक्ष्म उद्यम के लिए गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत एक करोड़ तक के ऋण के लिए सवपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती हैं।

(5) देना शक्ति योजना (Dena Shakti Scheme) - अगर महिला उद्यमी कृषि, विनिर्माण, सूक्ष्म-ऋण,खुदरा स्टोर या फिर सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहती हैं और जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती हैं उन्हें इस प्रकार के ऋण देना शक्ति योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। महिला उद्यमी को खुदरा व्यापार के लिए इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 2000000 दी जाती है, जिस पर ब्याज दर

जीरो प्वाइंट 25% होती हैं। ऋण में प्रदान की गई बैंक द्वारा इस राशि को महिला उद्यमी किस्तों के मासिक भुगतान के द्वारा बड़ी ही आसानी से चुका सकती हैं।

(6) उद्योगिनी योजना (Udyogini Scheme) – इसी योजना के तहत वह महिला उद्यमी जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष है और जो अपना व्यवसाय कृषि, खुदरा और छोटे उद्यमी क्षेत्र में कर रही हैं, उन्हें एक लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। अगर महिला उद्यमी के परिवार की वार्षिक आय रू45000 से कम है, तभी वह इस योजना के द्वारा ऋण ले सकते हैं अन्यथा नहीं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है, कि एससी और एसटी श्रेणियों की विधवा, निराशत्र या विकलांग महिलाओं को रू10000 तक के ऋण पर 30% की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। उद्योगिनी योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के द्वारा महिला उद्यमी अपने स्टार्टअप को काफी अच्छा ग्रो कर सकती हैं।

(7) सेण्ट कल्याणी योजना (Cent Kalyani Scheme) – अगर महिला अपना नया उद्यम शुरू करना चाहती हैं या फिर उसे संशोधित करना चाहती हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें ऋण की डीएचएस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत यह ऋण उन महिला उद्यमियों द्वारा लिया जा सकता है जो गांव, लघु , और मध्यम उद्योगों, स्वरोजगार, कृषि खुदरा व्यापार जैसे व्यवसायिक उद्यमों में शामिल होती हैं। इसी योजना के तहत महिला उद्यमी को ऋण लेते समय किसी भी गारंटर की आवश्यकता पड़ती हैं और इस योजना के तहत दी जाने वाले अधिकतम ऋण राशि 1 लाख हैं।

(8) महिला उद्यम निधि योजना (Mahila Udyam Nidhi Scheme) – महिला उद्यम निधि योजना को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना का उद्देश्य लघु उद्योग में शामिल महिला उद्यमों को ऋण देकर उनका समर्थन करना है। महिला उद्यम निधि योजना के तहत दी जाने वाली ऋण राशि को महिला उद्यमी द्वारा 10 वर्षों की अवधि में बड़ी ही आसानी से चुकाया जा सकता है। महिला निधि योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, डे केयर सेंटर, ऑटो रिक्शा दो पहिया वाहन का राधे खरीदने की अलग-अलग ऋण योजनाएं शामिल हैं और इसी योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि 1000000 रुपए है।

(9) स्त्री शक्ति योजना (Stree Shakti Package For Women Entrepreneurs)– यह योजना महिला उद्यमियों को ऋण राशि में छूट की दर प्रधान करवाती हैं। इसी योजना के तहत अगर महिला उद्यमी की ऋण की राशि 200000 से अधिक होती हैं, तो यह 0.50% की छूट उस ब्याज दर पर प्रदान करवाती है। सरकार द्वारा इसी योजना को एसबीआई बैंक की अधिकांश शाखाओं द्वारा संचालित की गई है।

भारत सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इन सभी अच्छी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण और महिला एंपावरमेंट को बढ़ाने के लिए बैंक और सरकार द्वारा उठाए गए यह कदम काफी लाभान्वित है।

भारत में महिलाएं उद्यमशीलता के गुण में ज्यादा कुशल हो गई है आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं महिलाओं में उद्यमशीलता के गुण विकसित करने में प्रशिक्षण और प्रोत्साहन कार्यक्रम के कारण उनमें चुनौतियों का सामना करने का साहस बढ़ा है समस्याओं के संदर्भ में सही रणनीति अपनाकर इन पर नियंत्रण किया जा सकता है।

महिलाओं में कुछ सहज एवं स्वाभाविक गुण होते हैं जो उन्हें सफल नेता बनाते हैं। विविध कार्यों को निष्पादित करने में महिलाओं की क्षमता एक अद्भुत विशिष्टता है जो कार्य स्थल विशेषकर वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर सहज ही परिलक्षित होती है, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए जहां व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है और पहलो की प्राथमिकता सतत निर्धारित करनी होती है। भारत आर्थिक विकास के संक्रमण काल से गुजर रहा है ऐसे में उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध है।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता है जिसमें विभिन्न स्टेक धारक नामतः सरकार, वित्तीय संस्थाएं, विशेषज्ञ समूह, व्यवसाय एवं उद्योग एवं संघ तथा महत्वपूर्ण रूप से सफल महिला उद्यमी शामिल है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु संचालित जन-धन योजना का योगदान

डॉ. रामभजन साकेत* डॉ. ए.के. पाण्डेय प्रियंका रत्नाकर*****

* अतिथि विद्वान, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
*** शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारत में जनजातियों का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है जिनमें से महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, उत्तरांचल, आंध्रप्रदेश के साथ मध्यप्रदेश में प्रमुख रूप से गोड़, भील, भारिया, कोरकू, हलबा, कोल, भारिया सहारिया जन-जाति पाई जाती है। धार, झाबुआ मंडला जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक जनजातियों की आबादी है जबकि खरगोन, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीधी, शहडोल जिले में 30 से 50 प्रतिशत जनजातियां पाई जाती हैं। भारतीय संविधान में सदियों से शोषित पीड़ितों के साथ अनुसूचित जनजातियों को भी विकास के लिए शासन की विभिन्न योजना संचालित की गई जिनमें अंत्योदय, स्वरोजगार, नवजीवन आवास वसुन्धरा, कृषि भूमि, जल जीवन सामूहिक सिंचाई योजना प्रमुख है। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी जनजातियों की आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री जन-धन योजना के संचालन में इनके जीवन स्तर में काफी सुधार देखने को मिला है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक प्रत्येक गरीब परिवारों को बैंक खाता शून्य से खोलने की पहल देश भर के गरीब परिवारों विशेषकर अनुसूचित जन जातियों अनुसूचित जातियों परिवारो को खेलना है।

शोध अध्ययन का महत्व - संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत जनजाति विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता तथा अनुदान दिया गया जिसका मुख्य उद्देश्य शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, पशुपालन पशुपालन लघु एवं कुटीर उद्योगों के साथ-साथ राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना एवं उनका लाभ प्राप्त कर आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ निम्न जीवन स्तर को उंचा उठाना है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य - जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु संचालित जन-धन योजना के बारे में जानकारी प्रदान करना साथ ही बैंकों के माध्यम से ऋण एवं स्वरोजगार हेतु ऋण की जानकारी साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ बैंक खाते में उपलब्ध कराना है।

अध्ययन का क्षेत्र - मध्य प्रदेश के सतना जिले का मझगवां विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के 50 प्रतिशत परिवारों से मिलकर उनकी आर्थिक शैक्षिक सामाजिक स्थिति का अवलोकन करना।

निदर्शन विधि- सतना जिले का मझगवां विकासखंड 10 ग्राम पंचायतों का का चयन दैव निर्देशन विधि का प्रयोग कर 50 परिवारों से मिलकर जानकारी प्राप्त करना।

समंक संकल के स्त्रोत

प्राथमिक समंक-इसके अंतर्गत शोधकर्ता अपने अनुसंधान क्षेत्र में स्वयं जाकर प्रत्यक्ष रूप से देखकर उत्तर दाताओं से जानकारी एकत्र करता है जो प्राथमिक समंक कहलाता है।

द्वितियक समंक-द्वितियक समंक से तात्पर्य कुल समस्त लिखित प्रकाशित या अप्रकाशित प्रलेखों से है। जिनमें अनुसंधानकर्ता अपने शोध पत्र के लिए तथ्यों से प्राप्त करता है।

शोध हेतु चयनित ग्राम पंचायतों के नाम

क्र.	ग्राम पंचायत नाम	उत्तरदाता
1	बरौधा	50 परिवारों से
2	शाहपुर	50 परिवारों से
3	अर्जुनपुर	50 परिवारों से
4	सेजवार	50 परिवारों से
5	खरहा	50 परिवारों से
6	पिण्ड्रा	50 परिवारों से
7	मझगवां	50 परिवारों से
8	चितहरा	50 परिवारों से
9	गोडगवा	50 परिवारों से
10	कैलाशपुर	50 परिवारों से

स्त्रोत-प्राथमिक समंक

शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं की जानकारी

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षित	202	40.4
2	प्राथमिक	210	42
3	माध्यमिक	46	9.2
4	हाई स्कूल	19	3.8
5	हायर सेकण्ड्री	15	3
6	स्नातक	08	1.6
	योग	**500**	**100**

स्त्रोत-प्राथकि समंक

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि ज्यादा से उतरदाता अशिक्षित हैं वहीं 42 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त किए है। 9.2 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है। 3.8 प्रतिशत हाईस्कूल की शिक्षा प्राप्त किए है। 3 प्रतिशत हायर सेकण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण है जबकि 1.6 प्रतिशत स्नातक की शिक्षा प्राप्त है। अत: जनजातियों में शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं की जानकारी

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	मजदूरी	346	69.2
2	शासकीय/अशासकीय सेवा	34	6.8
3	लघु एवं कुटीर उद्योग	110	22
4	व्यापार या दुकान	10	2
	योग	**500**	**100**

स्त्रोत-प्राथकि समंक

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि 69.2 प्रतिशत उत्त्रदाता मेहनत जमदूरी कर अपना भरण पोषण करते है। 6.8 प्रतिशत शासकीय एवं अशासकीय कार्य में कार्यरत है। 22 प्रतिशत लघु एवं कुटीर अद्योग पर निर्भर है। जबकि 2 प्रतिशत उत्तर दाता स्वयं की दुकान चलाकर आपनी अजीविका को संचालित कर रहे है।

उत्तर दाताओं का जल-धन बैंक खाता खोलने

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	2014-15	205	41
2	2015-16	155	31
3	2016-17	100	20
4	2017-18	40	8
	योग	**500**	**100**

स्त्रोत-प्राथकि समंक

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है। भारत की महत्वकांक्षी जन-धन योजना के प्रारंभ के समय से ही खाते शून्य शेष से खुलने प्रारंभ हो गए थे। जिसमे 2014-15 में 41 प्रतिशत उत्तरदाता ने खाता खुलवाकर वही 2015-16 में 31 प्रतिशत खाते खुले 2016-17 में 20 प्रतिशत एवं 2017-18 में 8 प्रतिशत खाते उत्तर दाताओं द्वारा खुलवाया गया।

हितग्राहियों द्वारा विभिन्न शासकीय योजना का लाभ

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	प्रधानमंत्री आवास योजना	120	41%
2	जन-धन योजना	125	25%
3	उज्जवला योजना	52	10.4%
4	मनरेगा योजना	65	13%
5	वृद्धा पेंशन योजना	108	21.6%
6	स्वरोजगार योजना	30	6%
	योग	**500**	**100**

स्त्रोत-प्राथकि समंक

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि 24 प्रतिशत हितग्राही की प्रधापमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ है वही 25 प्रतिशत हितग्राही का जन-धन खातों के माध्यम से विभन्न योजना का लाभ मिला है। 10.4 प्रतिशत हितग्राही उज्जवला योजना का लाभ मिला वही 13 प्रतिशत मनरेगा योजना का लाभ मिला साथ ही 21.6 प्रतिशत हितग्राही को वृद्धा पेंशन याजना का लाभ मिला है। जबकि 6 प्रतिशत व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न बैंको से ऋण प्राप्त हुआ है।

उत्तर दाताओं के रहन-सहन योजना के पूर्व व बाद की स्थिति

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कच्चा मकान	305	61	कच्चा मकान	152	30.4
2	अर्द्ध पक्का मकान	102	20.4	अर्द्ध पक्का मकान	175	35
3	पक्का मकान	43	8.6	पक्का मकान	73	14.6
4	बडा कच्चा मकान	30	6	बडा कच्चा मकान	60	12
5	बड़ा पक्का मकान	20	4	बड़ा पक्का मकान	40	8
	योग	**500**	**100**	**योग**	**500**	**100**

स्त्रोत-प्राथकि समंक

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि जन-धन योजना के पूर्व की स्थिति के हितग्राहियों के पास 61 प्रतिशत कच्चा मकान था वही योजना के बाद यह 30.4 प्रतिशत रह गया वही अर्द्ध पक्का मकान 20.4 प्रतिशत के पास था बढ़कर 35 प्रतिशत के पास हो गया पक्का मकान 8.6 प्रतिशत हितग्राहियों के पास था जो बढ़कर 14.6 प्रतिशत हो गया बड़ा कच्चा मकान 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास था जो बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया वहीं पक्का मकान 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास था जो बढ़कर 8 प्रतिशत हो गया अत: स्पष्ट है कि जन-धन योजना से जनजातियों की नहीं अन्य के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष – भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व की सर्वाधिक जनजातियां निवास करते हैं। भौगोलिक विशंषता के कारण अनेक ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी सभ्यता से कोसों दूर है लेकिन जन-धन योजना के संचालन से सतना जिले की मझगवां विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतें 41 प्रतिशत बैंक खाते 2014-15 में ही खुल गये थे शेष बैंक खाते 31 प्रतिशत 20 प्रतिशत खाते भी शासन की योजनाओं को पूरा लाभ लेने के उद्देश्य से खोले गये साथ ही शासन की विभिन्न योजनाए जिनमे से प्रधानमंत्री आवास, योजना 24 प्रतिशत हितग्राहियों को जन-धन खाते में लाभ प्राप्त हुआ है। वही हितग्राहियों द्वारा जन-धन योजना के पूर्व एवं बाद की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है। जन-धन के पूर्व हितग्राहियों के पास कच्चे मकान की 61 प्रतिशत था जो योजना के बाद 30.4 प्रतिशत रह गया। अर्द्ध पक्का मकान का प्रतिशत 20.4 था जो बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया। पक्के मकान का प्रतिशत 8.6 था जो बढ़कर 14.6 प्रतिशत हो गया इससे स्पष्ट है कि जन-धन योजना के संचालन से मझगंवा विकास खण्ड के जन जातियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तथा आर्थिक विकास हेतु वे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है।

सुझाव :

1. जनजातियों के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को पात्र हितग्राहियों की सूची बनाई जाए एवं अपात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाय।
2. जनजातियों के विकास के लिए शासन-प्रशासन स्तर पर प्रचार-प्रसार द्वारा उनको शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करने

की समिति का गठन किया जाय।

3. जनजातियों के आत्म सम्मान एवं शिक्षा के प्रति विभिन्न नाटक प्रहसन के माध्यम से शिक्षा का महत्व बताया जाय।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुरूक्षेत्र अंक 10 अगसत 2017
2. योजना अंक 11 नवम्बर 2015
3. जिला सांख्यकीय कार्यालय जिला सतना (म.प्र.)
4. महाजन राजीव 2008 आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन अर्जुन पब्लिसिंग हाउस नई दिल्ली
5. हसनैन नदीम (2003) जनजीतीय भारत, जवाहर पब्लिस, नई दिल्ली।
6. प्राथमिक समंक मझगवा विकास खण्ड जिला सतना (म.प्र.)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

बैंकिंग क्षेत्र द्वारा कृषि ऋण -एक अध्ययन (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. सपना सोनी* रामकन्या भिड़े **

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - अल्पविकसित देशों में कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण कृषि विकास का अर्थव्यवस्थाएं में निर्णायक महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि पर देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्भर हैं, कृषि एवं भारतीय अर्थव्यवस्था परस्पर इतने सम्बद्ध है कि एक से अलग दूसरे का विचार करना मुश्किल है इसी तरह यदि कृषि मंदगति से चली है, तो औद्योगिकरण अवरूद्ध हो जायेगा अत: अर्थव्यवस्था कि स्थिरता के लिए कृषि विकास की एक न्यूनतम दर का होना परम आवश्यक है, कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सदारी 17.8 फीसदी से बढ़ कर 19.9 प्रतिशत हो गई हैं 2019-20 में जीडीपी में कृषि की हिस्सदारी 17.8 प्रतिशत 2003-04 में कुल जीडीपी में कृषि की हिस्सदारी 20.77 प्रतिशत थी। इसके बाद कृषि की हिस्सदारी दिनोदिन कम हो रही हैं। अत: कृषि विकास अतिआवश्यक हो गया है आज कृषि की मूल्य मूल समस्या साख उपलब्ध की है। आज भी अधिकांश कृषक गैर संस्थागत वित्त स्त्रोत साहूकार, महाजन, व्यापारी एवं अन्य से ऋण लेते है जिसका मूख्य कारण पूर्व मे परिचय एवं आसान स्त्रोत पर त्रण है। भारत सरकार ने कृषि विकास हेतू साख सुविधाओं को बढाने तथा संस्थागत वित्त के ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से संस्थागत बैंकिंग की अधिकांधिक प्रत्सोहित करने का प्रयास किया है इस द्दष्टि से विगत चार दर्शाकों में बैंकिंग सुविधाओं का तेजी से विकस्तार हुआ तथा सामाजिक बैंकिंग के रूप में बैंकिंग को एक नया आयाम प्राप्त हुआ है बैंकिंग की शाखाएं भी ग्रामीण अंचलों में खोली जा रही है बड़वानी जिले में व्यवसायिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कि 169 शाखाएं कार्यरत है जो कृषि विकास में महती भूमिका अदा कर रही है देश में कृषि विकास के लिये तरह-तहर के उपाय सुझाएं जाते है उन उपायों को मोटे रूप से दो कोटियों में विभक्त किया जा सकता है।

संस्थागत उपाय व तकनीकी उपाय - संस्थागत, उपायों, जैसे कि भूमि सुधार पर अधिक बल देते है ओर कुछ तकनीकी उपयो पर जिनका सम्बंध बीज, खाद, कृषि उपकरण आदि की व्यवस्था से है वास्तव में यह दोनों एक दूसरे के पूरक है ओर इन उपयों के लिए बैंकिंग संस्थाओं द्वारा साख प्रदाय की जाना है कृषि में तकनीकी ज्ञान का प्रसार, उन्नत किस्म के बीजों का आविष्कार, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों का कृषि में अधिक उपयोग, कृषि में यंत्रीकरण, सिंचाई के लिए विद्युत का उपयोग आदि के कारण कृषि में पूँजी की आवश्यकता पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक हो गई। इस प्रकार कृषि के लिए वित्त कि आवश्यकता होती है और यह आवश्यक वित्त बैंकिंग संस्थाओं पर काफी निर्भर करता है। कृषि वित्त की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए होती हैं:-

1. भूमि क्रय हेतू।
2. भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु।
3. बीज क्रय करने हेतु।
4. खेत पर आवश्यक भवन बनाने हेतु।
5. कृषि कार्यो हेतु।
6. विशिष्ट कृशिक्षत फसलों हेतु।
7. कीटनाशकों के क्रय हेतु।

तालिका क्र. 1 **(अन्तिम पृष्ठ पर देखे)**

तालिका क्र. 1 से स्पष्ट है बड़वानी जिले में कुल 169 बैंक शाखाएं है जिनमें व्यवसायिक बैंक की 74 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 22 केन्द्रीय सहकारी बैंक की 19 तथा जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की 54 शाखाएं कार्यरत है।

बड़वानी जिले में कृषि ऋण- भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को उन्नत एवं विकसित बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादनों को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। जिले के ग्रामीण आदिवासियों को मुख्य व्यवसाय भी कृषि ही है। लेकिन यह क्षेत्र वित्त के अभाव में पिछड़ी हुई अवस्था में है, इसे विकसित बनाने के लिए बड़ी मात्रा में वित्तिय साधन विभिन्न बैंकिंग कृषि क्षेत्र से ऋण स्त्रोतों से जुटाने की आवश्यकता है।

कृषि ऋण को दो प्रकार के होते है :-

1. फसल ऋण - बड़वानी जिला कृषि प्रधान जिला है जिले की 87 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिले में लगभग 60 कामकाजी व्यक्ति कृषक या खेती कर मजदूर के रूप में कृषि कार्य से जूडे हुए है इस प्रकार कृषि कार्य जिले में आजीविका का प्रमुख साधन है जिले में मुख्य रूप से कृषको द्वारा खरीफ के अन्तर्गत सोयाबीन, ज्वार, बाजर, मक्का, दलहन तथा रबी के अन्तर्गत गेहू, चना, गन्ना तथा औषधि के फसलों के अन्तर्गत अजवाइन, मैथी, प्रमुख फसले उगाई जाती है व्यवसायिक नगद फसलों के अन्तर्गत जिले में गन्ना बोया जाता है

विभिन्न फसलों की कुल लागत का एक अनुमान लगाने के पश्चात् कुल लागत के 75 प्रतिशत तक की वित्त की पूर्ति राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा

की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत बीज, दवाई तथा उर्वरक के लिए स्वीकृत ऋण प्रत्यक्ष रूप से कृषक को न देकर विक्रेता को इस शर्त के साथ दिया जाता है। कि बैंक द्वारा भुगतान के तुरन्त पश्चात् वह कृषक को आवश्यक सामग्री की पूर्ति कर देगा।

2. सावधि ऋण –ऋण कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिये आधुनिक यंत्रों का प्रर्याप्त प्रयोग उत्पादन में करने की दृष्टि से ट्रैक्टर, थ्रेसर व अन्य उपकरण क्रय करने के लिये बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है। इसी प्रकार कृषि भूमि को समतल करने के यंत्र, कटाई मशीन, गहराई करने की मशीने, पैराई करने की मशीन डेहरी, कृषि वानिकी वृक्षारोपन, बागवानी, कृषि,लघु सिंचाई, भूमि विकास गतिविधियों, भेड़/ बकरी विकास, पोल्ट्री विकास आदि के लिये राष्ट्रीयकृत बैकों द्वारा सावधि ऋण स्वीकृत किया जाता हैं

बैंकिंग संस्थाओं द्वारा कृषि हेतुसवधि ऋण निम्न क्षेत्रों में दिये जाते है :–

1. लघू सिंचाई
2. कृषि यंत्रिकरण
3. पौध एवं उधानिकी
4. अन्य कृषि– जिसमे बायो गैस प्लाट भी है। दुग्धपालन, मुर्गीपालन, भेड़पालन, बकरीपालन, मछलीपालन है।

तालिका क्र. 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्र. 2 से स्पष्ट है कि कुल कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण विगत दोवर्षो में बढ़ रहा है। जो 2020–2021 में घट कर लगभग 10 प्रतिशत ऋण वितरण राशि कमी हो गई है लक्ष्य से औसत उपलब्धि का 56.08 प्रतिशत रहा है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र–कृषि ओर उद्योग क्षेत्रों के विकास के साथ व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र का भी विकास जुडा हुआ है। उपरोक्त दोनों क्षेत्रों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है। जिसकों विपणन करने हेतू परिवहन साधनों की प्रर्याप्त मात्रा में आपूर्ति आवश्यक है। इसी प्रकार बढती मांग की आपूर्ति हेतू अलग–अगल व्यवसाय, सेवाओं की इकाईयां की स्थापना की संभावनाए भी निर्मित होती है। इस क्षेत्र को सामान्य भाषा में अन्य प्राथमिकता क्षेत्र कहां जाता है जिसके अन्तर्गत छोटे परिवहन, खूदरा व्यापार, उपभोक्ता की वस्तुएं, परचुन दुकाने भवन निर्माण आदि हेतू वित्त पोषण सामान्यत: शासन द्वारा प्रयोजित विभिन्न कार्यक्रमों अन्तर्गत होता है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण वितरण की वितरण की स्थिति :–

तालिका क्र. 3

वर्ष	व्यावसायिक बैंक	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2018-19	111935	48950	59035
2019-20	99420	44524	43982
2020-21	77781	20291	31525
कुल योग	289136	113765	134542

तालिका क्र. 3 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण वितरण की स्थिति विगत 3 वर्षो की प्रदर्शित की गई है जिससे व्यावसायिक बैंक का योगदान अच्छा है। इससे स्पष्ट है कि जिले में प्राथमिक सहकारी समितीयों द्वारा साख व्यवस्था अच्छी हो रही है।

बड़वानी जिले में बैंकिंग संस्थाओ में कुल जमा एवं कुल अग्रिम की बैंकवार स्थिति – जिले की बैंकिंग संस्थाओं के अन्तर्गत व्यवसायिक बैंक, क्षेत्र ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की कुल जमा विगत तीन वर्षो में बढ़ रही है। जो ग्राहकों में जमाओ के प्रति रूझान को स्पष्ट करती है तथा अग्रिम में भी वृद्धि हो रही है। जो ऋण वितरण की वृद्धि को स्पष्ट करती हैं।

तालिका क्र. 04 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्र. 4 से स्पष्ट है कि बैंकिंग संस्थाओं में कुल जमाराशिव कुल अग्रिम दोनो बढ़ रहे है। परन्तु शाखा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकवर्ष 2018–2021 में कम वृद्धि (%) हिस्सा (%) का कुल जमाराशि में कम वृद़ि हुई है। जिससे ओर बढाया जाना चाहिए।

बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा कृषि साख में सुधार हेतु सुझाव :–

1. सर्वागिण विकास हेतू सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से संकल्पित व समन्वित प्रयास करने चाहिए।
2. वसुली हेतू बैंक शाखा द्वारा दायर आर.आर. सी. राजस्व अधिकारियों को समय पर प्रेषित करे एवं समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर राजस्व वसूली अधिकारियों के सहयोग से वसूली के अच्छे परिणाम प्राप्त करे।
3. शासकीय विभागों से प्राप्त प्रकरणों का निरारण गुण –दोषों के आधार पर निर्धारित समय सीमा में करे।
4. प्रकरणों को अपने स्तर पर लम्बित न करें।
5. गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास की योजनओ के क्रियान्वयन में सकारात्मक शोध, समाज एवं संस्था के लिए नितान्त आवश्यक है।
6. फार्म पाण्डस बनाये जिससे भूमि में जल स्तर बढ़ता है।
7. लघु एवं मध्यम कृषकों को स्वयं सहायता समूह बनाकर ट्रेक्टर, थ्रेसर हेतू वित्त पोषित किया जाना चाहिए।
8. उद्यानिकी में विशेष रूची नहीं लेते है, क्योंकि यह फसल तीन–चार वर्ष बाद आती है। ओर उनमें इतनी क्षमता नहीं है, जिससे बड़े कृषक अल्पकालिन फसलों गेहूँ सोयाबीन आदि में रूची लेते है। फलों के संरक्षण हेतू शीतगृहों का निर्माण हो लघु पैमाने पर फलों के रस निकालने प्रसंस्करण इकाई, निमार्ण इकाई, मसाला बाइडिग इकाइयों की स्थापना हेतू पहल की आवश्यकता है, ताकि स्थानीय कच्चे माल का उपयोग हो सके। पुष्पोत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं है किन्तु प्राप्त निर्यात हेतू कोई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडा पास में न होने से निर्यातोन्मुखी इकाईयॉलगाने में कठिनाई है।
9. पशुपालन को व्यावसायिक दृष्टि से संचालित करे।
10. गांवों में बायों गैस प्लांट लगाये ताकी वृक्षों की कटाई कम हो सके।

निष्कर्ष –बैंकिंग कृषि क्षेत्र मेंबैंको द्वारा कृषि ऋणों में वृद्धि करने तथा ब्याज दरो में कमी करने से ऋण लेने कि प्रवृत्ति में तेजी आयी है इससे खेती के लिए ऋण लेने वाले हितग्राहियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई हैइस आधार पर हम यह कह सके है, कि भारत में कृषि क्षेत्र में स्थिति बदल रही है। और इससे पूँजी का प्रवाह बढा है।

जिले ग्रामीण अंचलों में बैंक संख्याओं के विस्तार तथा बैंकिंग सुविधाओं कि बढौत्तारी कर कृषि वित्त कि समूच्चित व्यवस्था कि जाए ताकि देश में कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साख हेतु व साहूकारों पर निर्भरता को कम करने के लिए बैंको क्षरा साख व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिए, ताकि कृषि क्षेत्र की आवश्यकता एक बड़ी सीमा तक पुरी कि जाना संभव हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. वार्षिक साख योजना लीडबैंक बड़वानी सत्र 2020–2021
2. साख योजना, अग्रणी बैंक कार्यालय, बड़वानी 2016–17 से

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

2020-21तक ।
3. सम्भाव्यतायुक्त ऋण योजना 2015-22, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास।
4. भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि ऋण योजना।
5. विक्रम विश्व विद्यालय का शोध प्रबन्ध :- रतलाम जिले के कृषि एव ग्रामिण विकासखण्ड में बैंकिंग संस्थाओ में योगदान सन् 2004

तालिका क्र. 1: बड़वानी जिले में विभिन्न बैंकों की शाखाओं की स्थिति सन् 2020-21

क्र.	बैंकों के नाम	कूल बैंकों की संख्या	शहरी शाखाऐं	अर्द्धशहरी शाखाऐं	ग्रामीन शाखाऐं	कुल शाखाऐं
1	व्यावसायिक बैंक	20	6	24	44	74
2.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1	1	5	16	22
3.	जिला केन्द्रिय सहकारी बैंक	1	2	4	13	19
4.	जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	54	0	0	54	54
	कुल योग	76	9	33	127	169

तालिका क्र. 2: बड़वानी जिले में बैंकिंग कृषि क्षेत्र से ऋण प्रवाह

सामन्य	2018–2019			2019–20			2020–21			पिछले तीन वर्षो में औसत उपलब्धि (%)
	लक्ष्य (रू. लाख)	उपलब्धि (रू. लाख)	उपलब्धि (%)	लक्ष्य (रू. लाख)	उपलब्धि (रू. लाख)	उपलब्धि (%)	लक्ष्य (रू. लाख)	उपलब्धि (रू. लाख)	उपलब्धि (%)	
फसल ऋण	138422	111935	80.87	124338	99420	79.96	145500	77781	53.46	70.82
मीयादी ऋण (कृषि)	57670	6096	10.57	47687	11793	24.73	51463	9880	19.20	17.71
कुल कृषि ऋण	196092	118031	60.19	172025	111213	64.65	196963	87661	44.51	56.08
गैर कृषि क्षैत्र	71296	27455	38.51	93128	34651	37.21	100180	22867	22.83	32.11
अन्य प्राथमिक क्षैत्र	26293	2355	08.96	4771	5288	110.84	10090	3953	39.18	28.18
कुल प्राथमिक क्षैत्र	293682	147841	50.34	269924	151152	56.00	307233	114481	37.26	47.48

तालिका क्र. 04: बैंकिंग संस्थाओं में कुल जमा एवं कुल अग्रिम की बैंकवार स्थिति

वर्ष	कुल जमा राशि (रू. लाख)					कुल ऋण अग्रिम राशि (रू. लाख)				
	2018 –2019	2019 –20	2020 –21	वृद्धि (%)	हिस्सा (%)	2018 –2019	2019 –20	2020 –21	वृद्धि (%)	हिस्सा (%)
व्यावसायिक बैंक	216629.38	251891	278983	10.75	77.25	220528.43	265488	302015	13.76	81.40
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	39930.92	35992	37308	3.66	10.33	20877.38	21564	26452	22.67	07.13
सहकारी बैंक	39086.76	42595	44840	5.22	12.41	38754.00	46485	42539	(8.49)	11.47
कुल शाखाऐं	295647.06	330478	361111	9.27	100	280159.00	333537	371006	11.33	100

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

भारतीय संविधान की परिचयात्मक जानकारी के संदर्भ में बी.ए. प्रथम वर्ष में राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों की उपलब्धि का अध्ययन - एक प्रायोगिक शोध इन्दौर शहर के संदर्भ में

कु. प्रियंका शर्मा * डॉ. स्वाति पाठक **

* शोधार्थी विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (राजनीतिक विज्ञान) शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारतीय संविधान एक आदर्श संविधान है। इसमें सभी भारतीय नागरिकों के हितार्थ ऐसे सभी प्रावधान किये गये हैं, जिनसे उनके हितों की रक्षा हो। उनकी स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित हो। सभी नागरिकों को विकास और प्रगति के समान अवसर प्राप्त हो।

प्रस्तुत शोध पत्र में संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में, परिचयात्मक जानकारी, उद्देश्य एवं विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में प्रायोगिक शोध कार्य किया गया है।

सन् 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और सन् 1950 से इसका नया प्रजातंत्रीय संविधान लागू किया गया। यह संविधान विश्व के सभी देशों के संविधानों से बड़ा है और इसमें सभी देशों के लिखित व अलिखित संविधानों की विशेषताओं को उपयुक्त स्थान दिया गया है। धर्म निरपेक्षता, प्रजातंत्र तथा सामाजिक न्याय और समानता के आधार पर देश की विधि व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था तथा अन्य सभी व्यवस्थाओं को चलाने पर बहुत बल दिया गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये थे :-

उद्देश्य :

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विवरण देना।
2. भारतीय संविधान की परिचयात्मक संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना।
3. स्वनिर्मित प्रश्नावली (भारतीय संविधान परिचयात्मक) द्वारा चयनित कला संकाय के राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से उत्तर प्राप्त करना।
4. स्वनिर्मित प्रश्नावली द्वारा चयनित कला संकाय के राजनीतिक विज्ञान प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उत्तरों का प्रतिशत सांख्यिकी विधि द्वारा सही उत्तरों की प्रतिशत सांख्यिकी विधि द्वारा ज्ञात करना।
5. प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सही उत्तरों/गलत उत्तरों के प्रतिशत के आधार पर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के भारतीय संविधान संदर्भित परिचयात्मक जानकारी की उपलब्धि में परिप्रेक्ष्य में निर्णय प्रदान करना।

परिकल्पना - प्रस्तुत शोध हेतु निम्नांकित परिकल्पना निर्मित की गयी :

1) स्वनिर्मित प्रश्नावली (भारतीय संविधान की परिचयात्मक जानकारी संदर्भित) के सभी प्रश्नों के उत्तर (कला संकाय के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियो के) समान रूप में सही/गलत नहीं पाये जायेंगे।

- **शोध प्रविधि -** प्रस्तुत शोध हेतु शोध पत्र लेखिक द्वारा विवराणात्मक एवं प्रायोगिक शोध विधि प्रयुक्त की गयी।
- **उपकरण -** प्रस्तुत शोध हेतु 'प्रश्नावली' (स्वनिर्मित) का उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया।
- **सांख्यिकीय विधि -** प्रतिशत विधि

उद्देश्य प्रथम की पूर्ति - भारतीय संविधान की प्रस्तावना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। संविधान का सार है। इसे ज्यों का त्यों (as it is) प्रस्तुत किया जा रहा है।

भारत का संविधान

उद्देशिका - हम भारत के लोग, भारत को एक (सम्पूर्ण प्रस्तुत सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य) बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों का : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विष्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिये, तथा उन सब में व्यक्ति की गिरमा (राष्ट्र की एकता और अखंडता) सुनिष्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

प्रस्तावना के मुख्य तत्वों की विवेचना इस प्रकार से की जा सकती है :

'प्रस्तावना में 'हम, भारत के लोग संविधान को अंगीकृत; अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं' शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, उसमें तीन बातें स्पष्ट होती हैं। **प्रथम** संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता, भारतीय जनता में निहित की गयी है। **द्वितीय**, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है तथा **तृतीय** भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है।' डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था 'मैं समझता हूँ कि प्रस्तावना इस सदन में प्रत्येक सदस्य की इच्छानुसार यह प्रकट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है एवं इनमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता तक जनता से प्राप्त हुई है।'

26 जनवरी 1950 ई. से भारत की अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गयी है और भारत संयुक्त राज्य अमरीका या स्विटजरलैण्ड की भाँति एक 'सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया है।'

उद्देश्य द्वितीय की पूर्ति हेतु – स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वहीं संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है, जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो अथवा जिसे उस देश की सविधान निर्मात्री सभा ने बनाया हो। संविधान के अंतरंग के रूप में मूल अधिकारों का बहुत महत्व है। **सर्वप्रथम** मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तम्भ है। **द्वितीय** मूल अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिये आवश्यक है। **तृतीय** मूल अधिकार व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। मूल अधिकार वे हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिये मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, वे मूल अधिकार कहलाते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किये गये थे, किन्तु 44वीं संवैधानिक संशोधन (1979) द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब सम्पत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। परिणामतया मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गयी है। वे अधिकार हैं –

1) समानता का अधिकार,
2) स्वातंत्रता का अधिकार,
3) शोषण के विरूद्ध अधिकार,
4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
5) संस्कृति तथा षिक्षा सम्बन्धी अधिकार,
6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

तृतीय उद्देश्य की पूर्ति – इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधार्थी द्वारा भारतीय संविधान के परिचयात्मक जानकारी के आधार पर एक वस्तुनिष्ठ उपलब्धि परीक्षण पत्र तैयार किये गये। इस उपलब्धि परीक्षण में मूलत: पाँच प्रश्न थे तथा इन पाँच प्रश्नों के प्रति प्रश्न दस-दस प्रश्न थे, इस प्रकार कुल 50 उपप्रश्न थे। ये सारे प्रश्न संविधान के परिचयात्मक संदर्भ में थे।

सर्वप्रथम बी.ए. प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का चयन (50) उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन विधि से चयनित किये गये, ये सभी चयनित विद्यार्थी इल्वा कॉमर्स एण्ड साइंस कॉलेज इन्दौर के थे। राजनीति विज्ञान के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम इन्दौर के थे। राजनीति विज्ञान के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में (दे.अ.वि.वि.) दूसरे पेपर में भारतीय संविधान पढ़ाया जाता है। इसमें भारत में संवैधानिक विकास, संविधान सभा का गठन, प्रस्तावना (उद्देशिका), मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, राज्य नीति के निदेशक तत्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इतने अध्याय संविधान की परिचयात्मक जानकारी संदर्भित थे। इनमें से ही उपलब्धि परीक्षण पत्र हेतु प्रश्नों का निर्माण किया गया। उपलब्धि परीक्षण पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ थे और विभिन्न प्रकारों के थे जैसे – बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान की पूर्ति, सत्य/असत्य, एक या दो शब्दों में प्रश्नों के उत्तर तथा जोड़ी जमाइये। प्रयास यह किया गया कि भारतीय संविधान संदर्भित परिचयात्मक जानकारियों का प्रश्नों में उल्लेख हो जाये ताकि चयनित विद्यार्थियों के भारतीय संविधान के बारे में उन्हें कितनी परिचयात्मक जानकारी है। उसका परीक्षण किया जा सके। इस उपलब्धि परीक्षण के द्वारा चयनित इल्वा कॉलेज के बी.ए. प्रथम वर्ष के चयनित (50) विद्यार्थियों की राजनीति विषय के अन्तर्गत भारतीय संविधान के परिचयात्मक जानकारी की उपलब्धि की जांच की गई। उपलब्धि परीक्षण के परीक्षण के परिणामों का प्रदर्षन निम्नांकित हैं:-

तालिका क्रमांक 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

परिणाम एवं विवेचना – स्वनिर्मित उपलब्धि परीक्षण (भारतीय संविधान की परिचयात्मक जानकारी संदर्भित) के प्रशासन के पश्चात जो परिणाम प्राप्त हुए उनका विवरण तालिका क्रमांक-1 में प्रदर्शित किया गया है। इल्वा कॉमर्स एण्ड साइंस कॉलेज इन्दौर के बी.ए. प्रथम वर्ष (2021-22) के उद्देश्यपूर्ण विधि से 25 विधार्थी चयनित किये गये। इन्हें उपलब्धता के आधार पर चयनित किया गया था। उपलब्धि परीक्षण प्रशासन के पश्चात अंकवार के अनुसार परिणाम प्रतिशतवार प्रदर्शित किये गये चूंकि परीक्षण पत्र में कुल 50 उपप्रश्न थे तथा प्रत्येक प्रश्न को 1 अंक प्रदान किया गया था। सभी मुख्य पाँचों प्रश्न विभिन्न प्रकार के थे तथा वस्तुनिष्ठ थे। अत: विश्वसनीयता सम्पूर्ण रूप से थी तथा चूंकि ये सारे प्रश्न भारतीय संविधान की परिचयात्मक जानकारी से सम्बद्ध थे अत: वैधता भी थी।

प्राप्त परिणामों की विवेचना हेतु इन्हें तालिका क्रमांक 2 में प्रदर्शित किया जा रहा है :-

तालिका क्रमांक-2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रमांक-2 से विदित होता है कि 11 विद्यार्थियो के प्राप्तांक % में वर्ग 41-60 में आये हैं। कुल 13 विद्यार्थियों के प्राप्तांक % में वर्ग 61-80 में आये हैं। वर्ग 81-100 में केवल दो विद्यार्थियों ने प्राप्तांक आये हैं। वर्ग 0-20, तथा वर्ग 21-40 में किसी भी विद्यार्थी के प्राप्तांक नहीं आये हैं। इन परिणामों से ज्ञात होता है कि 44% चयनित विद्यार्थियों के प्राप्तांक 41-60% के मध्य है। 48% चयनित विद्यार्थियों ने प्राप्तांक 61-80% के मध्य हैं। 8% विद्यार्थियों के प्राप्तांक 81-100% के मध्य हैं। 0-20% तथा 21-40% के मध्य किसी भी विद्यार्थी को प्राप्तांक नहीं मिले हैं।

शोध हेतु परिकल्पना निर्मित की गई थी कि स्वनिर्मित प्रश्नावली (भारतीय संविधान की परिचयात्मक जानकारी संदर्भित) के उत्तर (कला संकाय के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के) समान रूप से सही/गलत नहीं पाये जायेंगे। यह परिकल्पना उद्देश्य क्रमांक 3, 4 (स्वनिर्मित प्रश्नावली द्वारा चयनित कला संकाय के राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उत्तरों का प्रतिशत सांख्यिकी विधि द्वारा सही उत्तरों को प्रतिशत सांख्यिकी विधि द्वारा ज्ञात करना। इस हेतु शोधार्थी द्वारा जो प्रश्नावली स्वनिर्मित की गयी थी, जो वस्तुनिष्ठ थी तथा इस उपलब्धि परीक्षण में मूलत: पाँच प्रश्न थे तथा इन पाँच प्रश्नों के प्रति प्रश्न दस-दस प्रश्न थे, इस प्रकार कुल 20 प्रश्न थे। यह सारे प्रश्न भारतीय संविधान के परिचयात्मक पक्ष हेतु थे। तालिका क्रमांक 1 में जो परिणाम प्रश्नवार एवं विद्यार्थीवार प्रस्तुत किये गये हैं, उनको प्रश्नवार सही/गलत उत्तरों के रूप में निम्नलिखित प्रकार से विवेचित किया जा रहा है। (तालिका क्रमांक 2 का अवलोकन करें)

प्राप्त परिणामों से ज्ञात होता है कि 'स्वनिर्मित प्रश्नावली (उपलब्धि परीक्षण पत्र) द्वारा प्राप्त उत्तर समान रूप से सही/गलत नहीं पाये गये अत: निर्मित परिकल्पना की स्वनिर्मित प्रश्नावली (भारतीय संविधान) के सभी प्रश्नों के उत्तर (कला संकाय में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के) समान रूप से सही/गलत नहीं पाये जायेंगे' निरस्त नहीं की जाती है, क्योंकि सभी

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

प्रश्नों के उत्तरों (25 विद्यार्थियों से प्राप्त उत्तरों) के अवलोकन द्वारा तथा आवृत्ति द्वारा ज्ञात करने पर समान नहीं पाये गये।

निष्कर्ष – निष्कर्षात्मक तौर पर यह कहा जा सकता है कि बी.ए. प्रथम वर्ष का सत्र अगस्त 2021 में प्रारम्भ हो गया था। तब से दिसम्बर 2021 तक भारतीय संविधान के परिचय सम्बन्धित अध्याय पढ़ाये जा चुके थे, मगर उसके पष्चात भी चयनित विद्यार्थियों को पूर्ण तौर पर भारतीय संविधान की पूर्णतया जानकारी नहीं थी। केवल दो विद्यार्थी की 82%- 100% जानकारी रखते थे।

चयनित विद्यार्थियों के अधिकांश प्राप्तांक 41 से 60% के मध्य रहे। तथा उससे कम कुल 12 विद्यार्थियों को 51 से 80% के मध्य प्राप्तांक मिले। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर इसलिये भी सही मिले क्योंकि उसमें अंदाज से उत्तर दिये जा सकते थे। रिक्त स्थान की पूर्ति में भी सही उत्तरों का प्रतिशत कम था क्योंकि इसमें अंदाज से कम ही उत्तर दिये जा सकते थे, इसी तरह सत्य/असत्य कथन में सही उत्तरों का प्रतिशत ज्यादा प्राप्त हुआ क्योंकि इसमें भी अंदाज लगाया जा सकता था, मगर एक या दो शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने वाले प्रश्न तथा जोड़ी जमाओ के प्रश्नों में सही उत्तरों का प्रतिशत कम प्राप्त हुआ। अत: हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को अध्ययन के पश्चात भी भारतीय संविधान की परिचयात्मक जानकारी उपयुक्त रूप से प्राप्त नहीं है। यदि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों की स्थिति भारतीय संविधान की परिचयात्मक जानकारी संदर्भित लगभग 50-80% है तो बाकी विषयों के विद्यार्थियों की तो देश के संविधान प्रति परिचयात्मक जानकारी न्यून ही होगी। इसके अतिरिक्त देश के सामन्य वर्ग को संविधान की परिचयात्मक जानकारी कितनी होगी। कहा नहीं जा सकता है।

शोध हेतु निर्मित परिकल्पना के परीक्षण द्वारा भी यह निष्कर्षात्मक तौर पर कहा जा सकता है कि कला संकाय के प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के चयनित (इल्वा कॉलेज) के विद्यार्थियों ने प्रत्येक प्रश्न के समान सही/गलत उत्तर नहीं दिये, प्रत्येक विद्यार्थियों के सही/गलत उत्तर अलग थे, तथा प्रत्येक प्रश्न पर भी समान रूप से सही/गलत उत्तर नहीं प्राप्त हुए।

सुझाव – भारतीय संविधान संदर्भित स्वअध्ययन सामग्री के निर्माण द्वारा तथा उसको विद्यार्थियों को प्रदत्त कर उनकी उपलब्धि में वृद्धि की जा सकती है। इसी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा भी उपलब्धि बढ़ायी जा सकती है। क्विज, अंताक्षरी भी सशक्त साधन सिद्ध होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संविधान (बंयालीसवां संशोधन) अधिनियम 1971 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) 'प्रयुक्त सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित)
2. संविधान (बंयालीसवां संशोधन) अधिनियम 1971 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) 'राष्ट्र की एकता' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित)
3. प्रस्तावना के आरम्भ में ही शब्द 'हम भारत के लोग' (We the people of India)
4. जैन, पुखराज, राजनीति विज्ञान, इकाई 3, प्रस्तावना (उद्देशिका), साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ.सं.1
5. जैन, पुखराज, राजनीति विज्ञान, इकाई 3, प्रस्तावना (उद्देशिका), साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ.सं.2

संदर्भ ग्रंथ :-

1. जैन पुखराज, राजनीति विज्ञान, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. भारत का संविधान, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

तालिका क्रमांक-2 : वर्गवार प्रतिशतवार चयनित विद्यार्थियों के परिणामों का ग्राफीय प्रदर्शन

विद्यार्थी क्र. / क्र. %	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0-20																									
21-40																									
41-60	50	50	58	58	48	50	52				54	56		54											56
61-80									68	66			66		64	64	64	64	66		80	68	70	70	
81-100								82												100					

तालिका क्रमांक 1 : चयनित विद्यार्थियों के उपलब्धि प्राप्तांकों का प्रतिशतवार विवरण

क्र/विद्यार्थी	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	टोटल
1	√	X	X	X	√	X	√	X	X	√	X	√	√	√	√	X	√	X	X	X	√	X	√	√	X	√	√	√	X	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	X	X	√	X	√	X	√	X	X	X	X	50%
2	√	√	X	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	√	√	X	√	X	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	X	√	√	X	√	√	X	√	X	√	X	X	X	√	X	√	X	√	X	X	√	X	56%
3	X	√	√	√	√	X	√	√	X	X	X	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	X	√	√	X	X	√	X	√	X	√	X	X	√	√	X	√	X	√	X	√	√	X	58%
4	√	√	X	√	√	√	√	X	X	X	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	X	58%
5	√	X	X	√	√	X	X	√	X	√	√	X	√	X	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	√	X	√	√	X	√	√	X	X	X	√	X	√	X	X	√	√	X	√	√	√	√	X	48 0%
6	√	√	X	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	√	X	X	√	X	√	√	X	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	X	√	X	√	√	X	50%
7	X	X	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	X	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	X	√	X	√	X	X	X	√	X	X	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	X	X	52%
8	√	√	√	X	√	X	√	√	X	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	√	X	√	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	X	80%
9	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√	√	X	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	X	√	X	X	√	√	X	√	X	√	X	√	X	X	68%
10	√	√	X	X	√	X	X	X	√	X	√	X	√	√	√	√	√	X	X	√	√	√	X	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	X	√	X	X	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	X	X	66 0%
11	√	X	√	√	X	X	√	X	X	X	X	√	X	√	√	X	√	√	X	√	√	X	X	√	X	√	√	√	X	√	X	√	√	√	X	√	X	X	X	X	X	√	√	X	√	√	X	√	√	X	54%
12	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	X	√	X	56%
13	X	√	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	X	X	√	√	X	X	√	X	√	X	√	√	X	X	√	X	√	√	√	X	√	√	X	66 0%
14	X	√	X	X	X	√	X	√	√	X	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	X	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	X	√	X	√	√	X	54%
15	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	X	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	X	√	X	√	X	√	X	√	√	X	X	√	√	X	√	√	√	√	X	√	X	√	√	X	66%
16	√	X	√	X	√	X	√	√	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	X	X	X	X	√	√	√	√	X	X	√	X	√	√	X	64%
17	X	X	√	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	√	X	√	√	√	√	X	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	X	X	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	X	X	64%
18	√	√	X	X	√	X	X	√	X	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	X	√	√	√	X	√	X	X	√	√	X	√	X	√	X	X	√	X	√	√	X	√	√	√	X	X	64%
19	√	√	√	√	X	X	√	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	X	√	X	√	X	X	X	X	√	√	X	√	√	X	X	X	66%
20	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	X	√	X	√	X	X	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	10 0%
21	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	√	√	X	X	√	√	X	√	√	X	√	√	X	X	√	√	X	√	X	√	√	X	X	√	X	X	√	X	√	√	√	√	X	√	X	90%
22	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	X	√	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	X	X	X	√	√	X	√	X	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	68%
23	√	√	√	X	√	X	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	X	√	X	√	√	X	√	√	X	√	X	√	√	X	√	√	√	√	X	√	X	√	√	X	70%
24	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	X	√	X	√	√	X	√	√	√	√	X	√	X	X	√	X	70%
25	X	√	X	√	√	X	X	√	√	√	X	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	X	X	√	√	√	X	√	X	X	√	X	56%

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

स्वामी विवेकानंद के विचारों की आधुनिक समय में प्रासंगिकता

डॉ. आभा सैनी *

* एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) जैन कन्या डिग्री कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने कोई राजनीतिक विचार व्यक्त नहीं किए लेकिन जो भी विचार उन्होंने व्यक्त किए वह उनके भाषणों में और उनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों को विकसित नहीं किया लेकिन फिर भी उनके विचार आधुनिक समय में प्रासंगिक सिद्ध होते हैं रविंद्र नाथ टैगोर ने एक बार यह कहा था। यदि आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए उनके विचारों को जानिए और समझिए।

स्वामी विवेकानंद की रूचि मुख्यत: धर्म और दर्शन में थी उनके चिंतन की आधारशिला में वेदांत की शिक्षाएं भी है और वेदांत से उनका अभिप्राय है मनुष्य के सच्चे स्वरूप को जानना और यदि तुम ईश्वररूप अपने भाई की उपासना नहीं कर सकते तुम ईश्वर की उपासना किस प्रकार कर सकते हो जो की अव्यक्त है। वर्तमान समय में ऐसे भाईचारे की आवश्यकता है जो बंधुत्व की भावना पर आधारित हो और प्रेम एवं मैत्री भावना को बढ़ावा दें ।

स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समसामयिक समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल ऐसे ज्ञान के वर्धन पर जोर दिया जो कर्म के साथ संबंधित हो अन्यथा ऐसा ज्ञान इसके अभाव में निरर्थक है उनका वेदांत दर्शन उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता है जो मृत्यु के बाद स्वर्ग में ही सुख दे सकता है उनके अनुसार ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में पूर्ण सत्य का साक्षात्कार ही ब्रह्म है।

स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया उनके अनुसार भारत का कल्याण ही मेरा कल्याण है। प्रत्येक नागरिक यह समझे राष्ट्रवाद के उग्र स्वरूप के स्थान पर उन्होंने अंतर राष्ट्रवाद और विश्व बंधुत्व का समर्थन किया आज के समय में जब रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध जारी है तो ऐसी परिस्थिति में उनका यह विचार सार्थक साबित होता है स्वामी विवेकानंद सामाजिक समानता का समर्थन करते थे औरअस्पृश्यता का विरोध करते थे और बाल विवाह को भी वह उचित नहीं मानते थे दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया वह जाति प्रथा के भी विरोधी थे यह सभी विचार आज के समय में इसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं कि यदि मानव जाति का उत्थान करना है तो उनके इन विचारों को अपनाना ही होगा।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूं। जब वह ठीक होगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे उन्होंने स्वयं पर विश्वास करने की प्रेरणा दी और यह कहा कि आत्मविश्वास रखने पर ही व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता विकसित होती है और वह समस्त बाधाओं को हटाकर ऊपर उठकर अपना विकास करता है। आज जबकि व्यक्ति के अंदर तनाव और मानसिक दबाव भौतिकतावादी युग में बढ़ रहा है इन परिस्थितियों में उनके विचार प्रासंगिक साबित होते हैं।

स्वामी विवेकानंद की सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा आज के समय में धर्मनिरपेक्षता की भावना को मजबूत करती है उन परिस्थितियों में जिनमें भारत के अंतर्गत धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दिया जाता है वहां यह विचार एक नई अलख जगाते हैं स्वामी विवेकानंद धर्म को व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों को ही शक्ति प्रदान करने वाला तत्व मानते थे उनके अनुसार मेरे धर्म का सार शक्ति है जो धर्म ह्रदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है वह धर्म में संकीर्णता अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता को दूर करना चाहते थे उनके अनुसार समस्त ज्ञान ही धर्म है धर्म में विश्वास और कर्म करने का मंत्र निहित है धर्म भारतीय जीवन का आधार रहा है इसलिए सभी सुधार धर्म के माध्यम से किए जाने चाहिए।

स्वामी विवेकानंद का स्वतंत्रता का दृष्टिकोण आज के समय में जीवन में सुख और समृद्धि बनाए रखने की एकमात्र शर्त दिखाई देता है उनके अनुसार शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना और दूसरों को उस मार्ग पर बढ़ने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो संस्थाएं इस को प्रोत्साहन देती है उन्हें संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्यक्ति को अपने शरीर बुद्धि और धन का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार करने दिया जाए और दूसरों को कोई हानि ना पहुंचाई जाए।आज के समय में जब अपने अधिकारों के लिए जगह–जगह आंदोलन करने वाले समूह और व्यक्ति दिखाई देते हैं ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद के यह विचार प्रासंगिक साबित होते हैं कि व्यक्ति अपने और अपने अधिकारों के लिए आग्रह करें उसकी गरिमा तो इस बात में है कि वह अधिकारों की अपेक्षा अपने कर्तव्य के पालन करने में ईमानदारी बरते।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो आज के समय में उनके यह प्रेरणादाई विचार युवा शक्ति को एक नई दिशा प्रदान करते हैं और उन्हें आतंकवाद गरीबी भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों से लड़ने के लिए एक नई प्रेरणा देते हैं हमारे देश में युवा आबादी अपने दिशा को रही है इसीलिए उनको स्वामी विवेकानंद के यह विचार आज एक नई दिशा दिखाते हैं।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता और दुर्बलता को दूर करो निर्भयता के सिद्धांत के आधार पर स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के दर्शन को उचित ठहराया जिसमें आध्यात्मिक उन्नति को करने पर उन्होंने जोर दिया और उनका मानना था कि राष्ट्र व्यक्तियों से

ही बनता है और सब व्यक्तियों को मानव गरिमा और सम्मान की भावना को बनाए रखना चाहिए उनकी यह विचारधारा आज इसलिए प्रसांगिक साबित होती है जब मानव मानव का दुश्मन बन रहा है स्वामी विवेकानंद ने न्याय समानता प्रेम सार्वभौमिक करुणा का प्रतिपादन किया जो वर्तमान समय की आवश्यकता है।

स्वामी विवेकानंद के योग अध्यात्म और कौशल विकास नई शिक्षा नीति2020 का आधार बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद तत्कालीन शिक्षा पद्धति के प्रबल आलोचक थे वह ऐसी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे जिसमें शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति का नैतिक आध्यात्मिक विकास कर सके और उस में छुपी हुई शक्तियों का विकास कर सके ना कि केवल सूचनाओं का संग्रह करने वाली शिक्षा हो।

उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा और गुरु सेवा का भी अपने भाषणों में उल्लेख किया था। वह गुरुकुल शिक्षा पद्धति के प्रबल समर्थक थे।उनके अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।वह ऐसी शिक्षा पर जोर देते थे जो व्यक्ति को चरित्रवान बनाए उनके बुद्धि और बल में वृद्धि करें और उन्हें स्वावलंबी बनाए आज के समय में जब नवयुवक बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकारी नौकरियों की मांग कर रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में नव युवकों को स्वावलंबी बनाने वाली शिक्षा का प्रदान करना जरूरी हो जाता है। भौतिकता वादी युग में उनके व्यक्तित्व का विकास करने उनके चरित्र बुद्धि और बल में वृद्धि करने वाली शिक्षा प्रदान करना जरूरी हो जाता है उनके अनुसार योग ध्यान जैसी गतिविधियां शिक्षा में सम्मिलित की जानी चाहिए।

युवाओं को सफलता का सूत्र बताते हुए वह यह कहते हैं किसी एक महत्वपूर्ण विचार को अपनी जिंदगी बना लो और उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा दो उस विचार को सोचो जियो और सपने में भी देखो सफलता का रास्ता यही है। युवाओं को प्रेरणा देते हुए वह कहते हैं कि हम जो हैं हमें हमारी सोच ने बनाया है।जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है इसे बनाना पड़ता है जैसा मार्ग आप बनाएंगे वैसी ही मंजिल को प्राप्त करेंगे उनकी यह ओजस्वी विचार आज के नव युवकों में एक नई चेतना का संचार करते हैं।

उनके अनुसार मानव मात्र की सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है इसीलिए समाज सेवा की भावना प्रदान करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। जिससे कि राष्ट्र में शिक्षित व्यक्ति मिलकर समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प हो सके। वह नारी शिक्षा पर अधिक बल देते थे और उनका कहना था कि बालिकाओं को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वे कठिन परिस्थितियों का भी मुकाबला कर सके एवं स्वावलंबी बनाने वाली शिक्षा भी उन्हें प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि शिक्षित नारी ही राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने का कार्य करती है।

मूल्यहीनता और अनुशासनहीनता और भौतिकता के इस युग में स्वामी विवेकानंद के विचारों का महत्व बढ़ जाता है। समय और परिस्थिति बदलने के बावजूद भी उनके विचार भारत और संपूर्ण विश्व में उतने ही अनुकरणीय और प्रसांगिक है जितने की तत्कालीन भारत में थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. बी एल फाडिया(2012), आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
2. डॉ. बी पी वर्मा(2020), आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा।
3. डॉ. ओपी गाबा(2016), इंडियन पॉलीटिकल थॉट, मयूर पेपरबैक प्रकाशन नई दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

कोविड-19 महामारी के दौर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित ऑनलाईन शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

डॉ. प्रेमलता सैनी *

* सहायक प्रोफेसर, श्रीमती चंद्रवाल गुप्ता महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, आबू रोड (राज.) भारत

शोध सारांश – ***काम करो ऐसे कि पहचान बन जाये,***
चलो ऐसे कि निशान बन जाये।
अरे जिन्दगी तो हर कोई काट लेता हैं,
अगर दम है तो जियो ऐसे कि
मिशाल बन जाये।।

कुछ ऐसी ही हालत हमारे शिक्षा जगत की हैं। इस कोरोना महामारी के दौर में शिक्षकों के समक्ष कई विकट परिस्थितियों एवं चुनौतियाँ उभर कर सामने आई हैं, जिसकी कभी पूर्व में भी मानव ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी शिक्षकों द्वारा शिक्षा की अलख को जलायें रखा, जिसका स्वरूप आज ऑनलाईन शिक्षा के रूप में हमारे समक्ष स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं। आज ऑनलाईन शिक्षा के समस्त संसाधनों से संबंधित ज्ञान को सीखा और शिक्षा प्रदान करने का कार्य इस विकट परिस्थिति में जारी रखना, अपने आप में प्रशंसनीय एवं सराहनीय हैं।

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता हैं। आज वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारत की प्रगति और आर्थिक विकास की कुँजी है।

कोरोना काल में शिक्षा प्रदान करने संबंधी तकनीकी ज्ञान प्रदान करने हेतु सरकार तथा शिक्षा की उच्च संस्थाओं एवं परिषदों के द्वारा भी किया जा रहा हैं। आज की शिक्षा बदलते हुए, स्वरूप में एक Model हैं, जिसका अनुसरण कर शिक्षकों द्वारा अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया तथा मूल्यांकन में नवाचरित पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा हैं, जिसमें Computer, Smart Phone & Internet की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। आज शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न Website, Apps, Free Online Resources, whatsapp & Youtube आदि का प्रयोग किया जा रहा हैं। कोरोना महामारी में सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय का शिक्षा तन्त्र प्रभावित हुआ, उसी लॉकडाउन के दौर में Work From Home के तहत् भी ऑनलाईन शिक्षा प्रदान की गई और आज भी अन्लॉक के दौर में भी ऑनलाईन शिक्षा ही शिक्षा का एक मात्र विकल्प हैं जिसका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी उल्लेख किया है। इस लेख में ऑनलाईन शिक्षा में शिक्षक की भूमिका , ऑनलाईन शिक्षा के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं को उजागर किया गया हैं।

Key Words – Teacher, Online Education, ODL, LMS, Digital Literacy, Lockdown, Covid-19 Pandemic, Blended Learning & Internet New Education Policy 2020 etc.

प्रस्तावना – Covid-19 की महामारी ने शिक्षा को एक नया स्वरूप प्रदान किया। शुरूआत में IGNOU द्वारा ही ODL (Online Distance Learning) के तहत् शिक्षा प्रदान की जा रही हैं। साथ ही सरकार द्वारा भी शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा वाणी आदि चैनल द्वारा भी ऑनलाईन शिक्षा प्रदान की जा रही हैं। लेकिन इस परिस्थिति ने शिक्षकों की शिक्षण प्रक्रिया एवं विधियों को परिवर्तित कर एक नवाचारित स्वरूप प्रदान किया हैं जिसमें शिक्षा जगत में ऑनलाईन शिक्षा के रूप में एक क्रांति सी ला दी हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था में किये जा रहे बुनियादी बदलावों का केन्द्र बिन्दु शिक्षक है। अत: शिक्षकों को समाज के द्वारा सर्वाधिक सम्मान और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुन: स्थान देने में सहायता करनी होगी। शिक्षक ही हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते है। अत: शिक्षकों को सक्षम बनाने की हर संभंव आवश्यकता है जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी ढ़ंग से कर सके। इस हेतु योग्य, उत्तरदायी, मर्यादापूर्ण, सम्माननीय और स्वंय नियंत्रित तथा जवाबदेही शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है।

नई शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत सिद्धांतों में शिक्षकों को शिक्षा और संकाय को सीखने का केन्द्र माना है। इस दौर में पुन: शिक्षकों ने तकनीकी ज्ञान को सीखकर सीखने और सीखाने की प्रक्रिया को जारी रखा है। इस बात की हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी आवश्यकता बताई और कहा कि इस महामारी में सभी शिक्षकों को तकनीकी ज्ञान सीखना ही होगा। आज सरकार द्वारा भी इस ओर प्रयास किया जा रहा हैं। **राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा जी** द्वारा भी विद्यालयी स्तर

की शिक्षा को ऑनलाईन शिक्षा के स्वरूप प्रदान करने हेतु पाठ्यचर्या में कटौती की जा रही हैं। अत: ऑनलाईन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा के लिए तकनीकी का न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है।

आज कक्षा – कक्षा का परम्परागत स्वरूप बदल गया हैं। अनेक संस्थाओं, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में ऑनलाईन शिक्षा हेतु समस्त संस्थाओं की व्यवस्था भी की जा रही हैं, इसमें इन्टरनेट की अहम् भूमिका हैं। लेकिन ऑनलाईन क्लासेस एप/विडियों के माध्यम से ले लेना ही शिक्षण करवाना नहीं बल्कि आज का Students कुछ ओर भी चाहते हैं वरना कुछ समय पश्चात् रूचि कम होने लगती हैं। कभी–कभी विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षा प्राप्त करना चाहता हैं लेकिन विद्यालय प्रशासन और शिक्षक विद्यार्थियों को ऑनलाईन जोडने में असफल रहते हैं। इसके लिए नई शिक्षा नीति 2020 में प्रभावशाली ऑनलाईन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके पश्चात् ही शिक्षक ऑनलाईन कक्षा में अच्छा शिक्षक साबित होगा। डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी स्तरों पर शिक्षण–अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी के उभरते महत्व की दृष्टि से इस नीति में निम्नलिखित सिफारिशें की गयीं –

1. ऑनलाईन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन
2. वर्चुअल लैब
3. ऑनलाईन मूल्यांकन और परीक्षाएँ
4. शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन
5. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर
6. ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण
7. सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रसार
8. डिजिटल अंतर को कम करना
9. सीखने के मिश्रित मॉडल
10. ऑनलाईन शिक्षा के मानकों को पूरा करना
11. विश्व स्तरीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक डिजिटल कंटैंट सामग्री और क्षमता का निर्माण करने के लिए एक समन्वित इकाई का सृजन करना।

उपरोक्त सभी सिफारिशें को ध्यान में रखते ऑनलाईन शिक्षा हेतु शिक्षकों को निम्नलिखित सकारात्मक कार्य करना चाहिए:

1. विद्यार्थियों को सम्पूर्ण पाठ्यचर्या की जानकारी देना।
2. शिक्षण कार्य को व्याख्यान के साथ–साथ प्रश्नोत्तर पर आधारित बनाना।
3. ऑनलाईन शिक्षा प्रदान करने हेतु विडियों द्वारा शिक्षा प्रदान की जायें ताकि दूर–दराज के Students भी शिक्षा प्राप्त कर सके।
4. ऑनलाईन शिक्षा में Feedback प्रदान करना ताकि प्रोत्साहित हो सके इसके लिये Kahoat & Google Quiz etc का use किया जा सकता हैं।
5. छात्रों को वर्तमान मुद्दों पर ज्यादा ध्यान आकर्षित किया जायें।
6. ऑनलाईन शिक्षा द्वारा समय का सदुपयोग किया जा रहा हैं, जहाँ आज विद्यालय एवं महाविद्यालय सब बंद हैं।
7. यह Child-Centered Method पर आधारित हैं। शिक्षक आज केवल सुविधा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने वाला मात्र हैं।
8. ऑनलाईन शिक्षा कई Platform द्वारा प्रदान की जा रही हैं, जिसमें दीक्षा पोर्टल, स्माईन, क्लासेस शिक्षा दर्शन, स्वप्रभा, युक्ति, ई–पाठशाला, ई–बुक्स, स्पार्क व अन्य कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलायें।
9. Blended Learning / Hybrid Learning द्वारा भी Content हस्तान्त्रण और आकलन हेतु Online Platform जैसे Wakalate प्रदान Google Classroom आदि का प्रयोग किया जा सकता हैं।
10. Learning Management System :– शैक्षिक संस्थाओं की माँग पर ऐसे अधिगम Platform उनलब्ध कराये जाते हैं जो अधिगम के अवसर प्रदान करते हैं। इसमें विद्यालयी शिक्षा तथा महाविद्यालयी शिक्षा हेतु E-Content का विकास किया जाता हैं।
11. इस कोरोना महामारी में ज्यादा से ज्यादा E-Content का प्रयोग किया जाये।
12. शिक्षकों द्वारा सहभागिता पर आधारित कार्यों पर जोर दिया जाये।
13. ऑनलाईन शिक्षा हेतु Meeting Apps जैसे Zoom, Google Meet, Microsoft Team, Casio WebEx, Meet Now आदि का प्रयोग करके ऑनलाईन शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता हैं।
14. ऑनलाईन शिक्षा हेतु Digital Literacy द्वारा तकनीकी को सीखें।
15. Electronic Media का Use करके सूचनाओं की शेयरिंग हेतु SMS, G-mail, Whatsap , Face book & YouTube आदि का प्रयोग करें।
16. ODL (Online Distance Learning) मोड द्वारा भी ऑनलाईन शिक्षा तथा छात्रों में स्वाध्याय की भावना का विकास किया जा रहा हैं।

ऑनलाईन शिक्षा के नकारात्मक प्रभाव :

1. अधिकांश समय इन्टरनेट का प्रयोग जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव।
2. ऑनलाईन शिक्षा का मानसिक स्वास्थ्य पर भी हानि।
3. ऑनलाईन शिक्षा महँगी शिक्षा – आम व्यक्ति और गरीब व्यक्ति की पहुँच से दूर।
4. ICT के संसाधनों के उपयोग संबंधी ज्ञान का अभाव।
5. शिक्षकों द्वारा रूचि ना लेना तथा ICT संसाधनों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी उपस्थिति एवं जागरूकता का अभाव।

निष्कर्ष – NEP 2020 के अनुसार 'शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। अत: हमारे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण भी करते हैं।' इस वाक्य से शिक्षक की महत्ती भूमिका समाज में परिलक्षित होती हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के दौर में शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन शिक्षा प्रदान करना एक प्रशंसनीय कार्य हैं। लेकिन इससे कई परेशानियों का सामना शिक्षकों को भी करना पड हैं। **नई शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि** ऑनलाईन शिक्षाऔर डिजिटल शिक्षा तब तक सही अर्थो में लाभ नहीं उठाया जा सकता जब तक डिजिटल इंडिया अभियान और किफायती कम्प्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता जैसें ठोस प्रयासों के माध्यमों से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता । यह जरूरी है कि ऑनलाईन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा के लिए तकनीकी का उपयोग सभी के लिए समानता पर आधारित हो।

'क्यों डरे कि जिन्दगी में क्या होगा,
हर वक्त क्यों सोंचे कि बुरा होगा।
बढते रहे बस मंजिलों की ओर,
हमें कुछ मिले या न मिले,
तर्जुबा तो नया होगा।

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Jena, Parvat Kumar. July 2020 Impact of Pandemic Covid – 19 On Education in India. International Journal of current Reaserch Vol 12, ISSN : 0975-833X
2. बेदी संजीव अगस्त 2020 शिक्षा में नवाचार की बदली तस्वीर शिविरा पत्रिका, बीकानेर, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान।
3. तिवारी धर्मेंद्र अगस्त 2020 कोरोना के दौर स्वास्थाय की प्रासंगिकता, शिविरा पत्रिका बीकानेर, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान।
4. विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित : ऑनलाईन शिक्षा, प्रधानमंत्री एवं राज्य शिक्षा मंत्री के वाक्य एवं लेख।
5. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रवृत्तियों अध्ययन

डॉ. आशीष सिंह *

*सहायक प्राध्यापक, महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, नागौद, सतना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वर्तमान समय कम्प्यूटर का युग माना जाता है। व्यावसायिक क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। रेलवे में रिजरवेशन, बैंक में अकाउण्ट मेंटीनेंस, मेडिकल में सर्जरी एवं रिसर्च, टीचिंग में कम्युनिकेशन के लिए इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का यह महत्वपूर्ण भाग है। वर्तमान युग ई–कामर्स का युग है, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना बहुत आसान एवं सुलभ हो गया है। ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से वस्तुओं की खरीदी एवं बिक्री तथा भुगतान का कार्य बहुत ही आसानी से हो जाता है। अत: हर व्यापारी के लिए, जिसे अपने व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाना है, कम्प्यूटर की जानकारी आवष्यक है।

प्रजापति महेशकुमार (2013) ने अपने शोध, 'A Study on Accounting Practices of Wholesale and Retail Business Organisation in Gujarat' में यह पाया कि आधे से अधिक व्यापारियों मे लेखांकन का बुनियादी ज्ञान है, परन्तु थोक व्यापारियो मे फुटकर व्यापारियो की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से ज्यादा लेखांकन संबंधी ज्ञान होने के बावजूद थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियो की अपेक्षा लेखांकन कार्य में पेशेवर व्यक्तियो पर ज्यादा निर्भर है। थोक व्यापारी लेखांकन संबंधी कार्य मे कम्प्यूटर का उपयोग करने लगा है किन्तु फुटकर व्यापारी अभी भी मैन्यूअल रूप से अपने खाते तैयार करता है। फुटकर व्यापारियो में और अधिक लेखांकन संबंधी जानकारी की आवश्यकता है।

भाटिया प्रकाश (2014) ने अपने शोध, 'Convergence of Accounting Standards in india : impact on profitability of selected companies' में यह पाया कि विश्वस्तरीय बाजार में लेखा मानक में एकरुपता लाने के लिए IASB (International Accounting Standards Board) ने IFRS प्रणाली केा अपनाने में तेजी से प्रगति की है। जिससे पूरे विश्वस्तर पर एक ही वित्तीय लेखा मानक होगा। भारतीय कम्पनियों ने भी इस क्षेत्र में तेजी से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।इसके लिए कुशल प्रशिक्षित लेखापालों की अवश्यकता महसूस की गई है। जिसका भारत में अभाव पाया गया है।

डेट मनीषा (2011) ने अपने शोध, 'Use of management accounting tools for the measurement of comparison of performance of organized retailing system in india and at the global level' में पाया कि संगठित खुदरा व्यापार करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान का लेखांकन संबंधी कार्य, असंगठित तरीके से व्यापार करने वाली प्रतिष्ठानों से ज्यादा अच्छा होता है तथा उनके द्वारा लेखांकन संबंधी Tools का भी सही ढग से उपयोग किया जाता है। उनके यहां कार्य करने वाले कर्मचारी प्रशिक्षित एवं कुशल पाये गये। असंगठित व्यापार में आज भी लेखांकन संबंधी प्रवृत्तियों के ज्ञान का स्तर बहुत ही निम्न है, जो कि उनके व्यापार के विकास का सबसे बड़ा बाधक है।

कम्प्यूटरीकृत लेखांकन के क्षेत्र में प्रयोग में आने वाले प्रमुख साफ्टवेयर की जानकारी – कम्प्यूटरीकृत लेखांकन के क्षेत्र में हमारे द्वारा किये शोध के आधार पर यह परिणाम प्राप्त हुआ, कि व्यापारियों द्वारा मुख्यतया दो कम्प्यूटरीकृत साफ्टवेयर लेखांकन संबंधी कार्यो के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं। कम्प्यूटरीकृत साफ्वेयर की जानकारी इस प्रकार है :–

- Micro Soft Excel –
- Tally Accounting Software –
- **Micro Soft Excel –** लेखांकन के क्षेत्र में मध्यम एवं छोटे व्यापारी द्वारा ज्यादातर इसी साफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम Micro Soft Excel है। जिसका निर्माण 1983 से 1984 के बीच Micro Soft Corporation ने किया था। वर्तमान समय में इसके कई संस्करण बाजार में उपलब्ध हैं। यह एक हिन्दी और अंग्रेजी शीट उपलब्ध कराने वाला साफ्टवेयर है। इसके माध्यम से टेबल एवं गणना का कार्य बहुत ही आसानी से किया जा सकता है।

MS-Excel का लेखांकन के क्षेत्र में महत्व – यद्यपि एक्सल का प्रयोग हर प्रकार के व्यापारियों द्वारा किया जाता है, फिर भी मध्यम एवं छोटे वर्ग के व्यापारियों के लिए यह ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके महत्व को निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझाया गया है :

1. इसके माध्यम से व्यापारियों द्वारा लेखांकन संबंधी गणना जैसे जोड़ना, घटाना, गुणां करना, भाग देना एवं अन्य कार्य बहुत ही आसानी से कम समय में किये जा सकते हैं।
2. इस साफ्टवेयर को समझना काफी आसान है। साधारण कम्प्यूटर का जानकार व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। इसमे कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत महसूस नहीं की जाती है।
3. लेखांकन संबंधी किये गये कार्य को यदि टेबल या चार्ट के रूप में प्रस्तुत किये जॉय, तो समझना ज्यादा आसान हो जाता है। इस साफ्टवेयर के माध्यम से लेखांकन संबंधी लेन–देनो को टेबल या चार्ट के रूप में आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।
4. अन्य लेखांकन संबंधी साफ्टवेयर की अपेक्षा एम.एस. एक्सल बाजार में कम कीमत पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के लिए यह बहुत ही सुविधाजनक साफ्टवेयर है। कम

खर्चीला होने के कारण व्यापार में अनावष्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है।

5. इस साफ्टवेयर के माध्यम से व्यापारी द्धारा जो भी लेखांकन संबंधी सूचनाएं रखी जाती हैं, उन्हें लंबी अवधि तक आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है।

- **Tally Accounting Software –** भारत वर्ष में वर्तमान समय में टैली एकाउण्टिंग साफ्टवेयर व्यापारियों द्धारा सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस साफ्टवेयर का प्रयोग चाहे, छोटा व्यापारी हो, मध्यम वर्ग का हो या बड़ा व्यापारी। हर वर्ग के व्यापारियों के मध्य यह साफ्टवेयर अपनी एक अमिट छाप छोड़ चुका है। इस साफ्टवेयर का निर्माण कर्नाटक राज्य के बैंग्लोर जिले में स्थित एक साफ्टवेयर निर्माता कम्पनी ने किया है। इस कम्पनी का नाम प्यूटोनिक्स है। बाजार में उपलब्ध एकाउण्टिंग साफ्टवेयर में टैली एकाउण्टिंग साफ्टवेयर की पायरेटेट कॉपी मुफ्त में आसानी से व्यापारियों को उपलब्ध है। इस साफ्टवेयर को सिखाने के लिए पूरे भारतवर्ष में लाखों की तादात में ट्रेनिंग सेंटर संचालित हैं।

लेखांकन के क्षेत्र में टैली एकाउण्टिंग साफ्टवेयर का महत्व – कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली लेखांकन की आधुनिक प्रणाली है, इस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एकाउण्टिंग साफ्टवेयर का प्रयोग करके लेखांकन संबंधी गतिविधियों को पूर्ण किया जाता है। इस एकाउण्टिंग साफ्टवेयर का प्रयोग हर वर्ग के व्यापारियों द्धारा किया जाता है। लेखांकन के क्षेत्र में टैली के महत्व को निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझाया गया है:-

1. भारत की दृष्टिकोंण से टैली भारत में हर वर्ग के व्यापारियों द्धारा सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला एकाउण्टिंग साफ्टवेयर है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर जिले में छोटे से लेकर बड़े शैक्षणिक संस्थानों द्धारा टैली एकाउण्टिंग साफ्टवेयर का प्रशिक्षण उपलब्ध है।
2. अन्य एकाउण्टिंग साफ्टवेयर की अपेक्षा टैली समझने में और प्रयोग करने में ज्यादा आसान है। इस साफ्टवेयर में की-बोर्ड के माध्यम से सभी एकाउण्टिंग संबंधी लेन-देनों का लेखा आसानी से तथा तीव्र गति से किया जा सकता है। कम्प्यूटर माउस की उपयोगिता इसमें नगण्य है।
3. टैली के अंतर्गत जो भी रिपोर्ट प्रदर्शित होती है, उसे आसानी से अन्य फार्मेट जैसे एक्सल, पीडीएफ, वर्ड इत्यादि को एक्सपोर्ट किया जा सकता है।
4. टैली के अंतर्गत जो भी व्यापारिक लेन-देन का लेखा किया जाता है, उन्हें आसानी से कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उसकी कॉपी पैन ड्राइव या सी.डी. में राइट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं।
5. टैली एकाउण्टिंग साफ्टवेयर के अंतर्गत जो भी लेखांकन संबंधी कार्य हम करते हैं, उसकी रिपोर्ट हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह रिपोर्ट जैसे तलपट, व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता, चिट्ठा, डे-बुक, स्टॉक रजिस्टर, अनुपात विश्लेषण इत्यादि स्वत: ही तैयार हो जाते है।
6. टैली एकाउण्टिंग साफ्टवेयर के अंतर्गत टैक्स संबंधी जो भी लेखांकन कार्य किये जाते हैं प्रतिशत के आधार पर स्वत: ही टैक्स की राशि की गणना हो जाती है। तथा टैक्स से संबंधित रिपोर्ट भी तैयार हो जाती है।
7. टैली एकाउण्टिंग साफ्टवेयर के अंतर्गत पासवर्ड के माध्यम से डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है जिससे खातों की गोपनीयता बनी रहती है।
8. टैली एकाउण्टिंग साफ्टवेयर के अंतर्गत व्यापारी को लेन-देनों के जिस खाते का प्रिंट-आउट चाहिये उस रिपोर्ट की हार्ड कॉपी बहुत ही आसानी से निकाली जा सकती है।
9. टैली एकाउण्टिंग साफ्टवेयर के अंतर्गत चूंकि रिपोर्ट स्वत: ही प्रदर्शित होती है इसलिए रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत व्यापारी को नहीं पड़ती है, जिससे कार्य करने में आसानी होती है तथा अनावष्यक श्रम और समय नहीं लगता है।
10. मैनुअल सिस्टम के अंतर्गत यदि कोई लेन-देन में त्रुटि हो गई है तो उसको सुधारने के लिए समायोजन प्रवष्टियां की जाती हैं, जबकि टैली में ऐसा नहीं होता है। किसी भी वाउचर या लेन-देन को तुरंत सुधारा या मिटाया जा सकता है तथा उससे संबंधित रिपोर्ट भी अपने आप सभी जगह पर संशोधित हो जाती है।

शोध प्रविधि – शोध कार्य में सभी प्रकार के पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारिक निकाय जैसे कम्पनी, थोक एवं फुटकर विक्रेता, संगठन को उत्तरदाता के रुप में चयनित किया गया। शोध अध्ययन में कुल 200 व्यापारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठान का चयन याद्दच्छिक निर्दशन (Random Sampling) विधि से सतना जिले से किये गये, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है।

टर्नओव्हर रुपयों में (वार्षिक)	चयनित व्यापारिक निकायों की संख्या
5 करोड़ के ऊपर	50
1-5 करोड़	50
50 लाख - 1 करोड़	50
50 लाख या उससे कम	50
योग	200

साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तर प्राप्त किये गये, प्राप्त उत्तर का सारणीयन करके परिणाम प्राप्त किये गये। अध्ययन विषय से संबंधित उपक्रमो, व्यापारियो, व्यापारिक संगठनो के पास उपलब्ध आँकड़ो को एकत्रित कर उनका सारणीयन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके तुलनात्मक अध्ययन करते हुए प्रस्तुतीकरण किया गया। अंतत: सारणीयन तथा विश्लेषण के आधार पर अध्ययन संबंधित निष्कर्षो एवं परिणामो के आधार पर सुझाव प्रस्तुत किया गया।

शोध -पत्र का उद्देश्य – वर्तमान समय में कम्प्यूटरीकृत लेखांकन Tally जैसी नई लेखा पद्धति प्रयोग में है उभरते हुए औद्योगिक क्षेत्र सतना जिले के व्यापारियों में लेखांकन सम्बन्धी प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है, शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य है-

1. व्यापारियों द्धारा प्रयोग में लायी जाने वाली कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रवृत्तियों अध्ययन।
2. औद्योगिक क्षेत्र सतना जिले के व्यापारियों की लेखांकन सम्बन्धी प्रवृत्तियों अध्ययन करना।
3. आधुनिक लेखा प्रणाली के संबन्ध में व्यापारियों के जानकारी का अध्ययन करना।

व्यापारियों द्धारा अपनायी जानें वाली लेखांकन प्रवृत्तियां – वर्तमान

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

में लेखांकन कार्य के लिए प्रमुख दो तरीके प्रचलित हैं :

1. मानवीयकृत लेखांकन प्रणाली
2. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली

1. मानवीयकृत लेखांकन प्रणाली – भारत में आज भी ज्यादातर मध्यम एवं लघु क्षेत्र में व्यापार करने वाले व्यवसायी, प्रारंभिक प्रवृष्टियों से लेकर अंतिम खातों तक की कार्यविधि मैनुअल माध्यम से सम्पादित करते हैं। मैनुअल माध्यम से संपादित करने के कारण लेखांकन संबंधी कार्यों में अत्यधिक समय लगता है। ई–कामर्स के युग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना आसान हो गया है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों का लेखांकन संबंधी रिकार्ड मैनुअल होना, उनके विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य पुस्तकें जैसे जर्नल, लेजर, रोकड़–बही, बैंक पुस्तक, क्रय–विक्रय पुस्तक इत्यादि मैनुअल माध्यम से रखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में रिकार्डों को लम्बी अवधि तक सुरक्षित रखना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस प्रक्रिया मे समय एवं खर्च दोनो में वृद्धि होती है। मानवीय लेखांकन प्रणाली में समय ज्यादा लगता है और साथ ही साथ त्रुटि की सम्भावना भी बनी रहती है तथा लेखा पुस्तकों के खराब होने का भय भी बना रहता है। लेखांकन सम्बन्धी सूचना लेखा पुस्तकों से प्राप्त करना कठिन हो जाता है तथा इसमें अत्यधिक समय भी लगता है। बड़े व्यापारिक क्षेत्र जहां लेखांकन सम्बन्धी कार्य व्यापक पैमाने पर होता है, वहां मानवीय लेखांकन प्रणाली उपयुक्त नहीं मानी जाती है।

2. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली – पिछले तीन दशकों से कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी नें महत्वपूर्ण विकास किया है और इसकी उपयोगिता भी बढ़ी है। लेखांकन सम्बन्धी कार्य भी इससे अछूता नहीं है। कम्प्यूटर लेखांकन के अन्तर्गत लेखांकन हेतु व्यापारियों को केवल प्रारंम्भिक पुस्तकों (कैश बुक, बैंक बुक, क्रय रजिस्टर, विक्रय रजिस्टर, जर्नल) में ही प्रविष्टि करनी होती है।जैसे–जैसे समय आगे बढ़ता गया कम्प्यूटर ने व्यापार क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। आज व्यापार में सभी प्रारंभिक पुस्तकें इलेक्ट्रानिक फारमेट में रखी जाने लगी हैं तथा शेष पुस्तकें जैसे तलपट, अंतिम खाते स्वत: ही कम्प्यूटर द्वारा तैयार कर दिये जाते हैं और कुछ मिनटों में ही व्यापार की सारी आर्थिक स्थिति का पता व्यापारी को लग जाता है।

तालिका क्रमांक – 02 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 2 से यह स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है कि 5 करोड़ के ऊपर वार्षिक टर्नओव्हर वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान में 84 प्रतिशत प्रतिष्ठानों में लेखांकन संबंधी कार्य कम्प्यूटरीकृत तथा 16 प्रतिशत प्रतिष्ठानों में कम्प्यूटरीकृत एवं मानवीयकृत दोनो माध्यम से किया जाता है। इसी प्रकार 1 करोड़ से 5 करोड़ के वार्षिक टर्नओव्हर वाले प्रतिष्ठान में 8 प्रतिशत प्रतिष्ठान मानवीकृत, 64 प्रतिशत प्रतिष्ठान कम्प्यूटरीकृत तथा 28 प्रतिशत प्रतिष्ठान में दोनो माध्यम से लेखांकन कार्य किया जाता है। 50 लाख से 1 करोड़ के मध्य टर्नओव्हर वाले प्रतिष्ठानों में 60 प्रतिशत प्रतिष्ठान में मानवीकृत, 20 प्रतिशत प्रतिष्ठान में कम्प्यूटरीकृत, तथा 20 प्रतिशत प्रतिष्ठान में दोनो माध्यमों से लेखांकन कार्य किया जाता है। 50 लाख या उससे कम वार्षिक टर्नओव्हर वाले प्रतिष्ठानों में 72 प्रतिशत प्रतिष्ठान में मानवीकृत, 16 प्रतिशत प्रतिष्ठान में कम्प्यूटरीकृत एवं 12 प्रतिशत प्रतिष्ठान में दोनो माध्यमों से लेखांकन कार्य किया जाता है।

मध्यम एवं लघु व्यापारियों में कम्प्यूटरीकृत लेखांकन कार्य सीमित संख्या में किया जाता है।

कम्प्यूटरीकृत लेखांकन अपनाने के प्रति व्यापारियों के विचार :–

तालिका क्रमांक – 03 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 3 से स्पष्ट है कि 1 करोड़ के ऊपर वार्षिक टर्नओव्हर वाले सभी व्यापारी कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली को अपनाना चाहते हैं। इसी प्रकार 50 लाख से एक करोड़ के मध्य वार्षिक टर्नओव्हर के 88 प्रतिशत व्यापारी कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली अपनाना चाहते हैं, जबकि 12 प्रतिशत नहीं अपनाना चाहते हैं। 50 लाख या उससे कम वार्षिक टर्नओव्हर वाले 60 प्रतिशत व्यापारी कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली अपनाना चाहते हैं, जबकि 40 प्रतिशत नहीं अपनाना चाहते हैं। छोटे व्यापारियों में कम्प्यूटर के प्रति विश्वास की कमी झलकती है।

तालिका क्रमांक – 04: व्यापारियों में प्रचलित एकाउण्टिंग साफ्टवेयर

साफ्टवेयर	व्यापारियों की संख्या	प्रतिशत
Tally	84	64.62
Busy	2	1.53
Excel	30	23.08
Other	14	10.77
कुल :	130	100

उपरोक्त तालिका में व्यापारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले प्रचलित एकाउण्टिंग साफ्टवेयर के संबंध में 64.62 प्रतिशत व्यापारी Tally, 1.53 प्रतिशत व्यापारी Busy, 23.08 प्रतिशत व्यापारी Excel तथा 10.77 प्रतिशत अन्य प्रकार के एकाउण्टिंग साफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। व्यापारियों के मध्य Tally Accounting Software बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय एवं प्रचलित है।

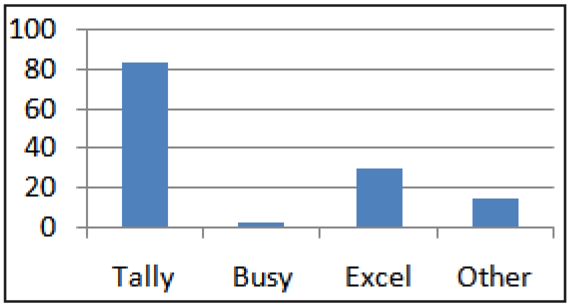

तालिका क्रमांक – 04 : कम्प्यूटरीकृत लेखांकन अपनाने में संतुष्टि

संतुष्टि	व्यापारियों की संख्या	प्रतिशत
पूर्णत:	102	78.47
थोड़ा	20	15.38
बिल्कुल नहीं	8	6.15
कुल	130	100

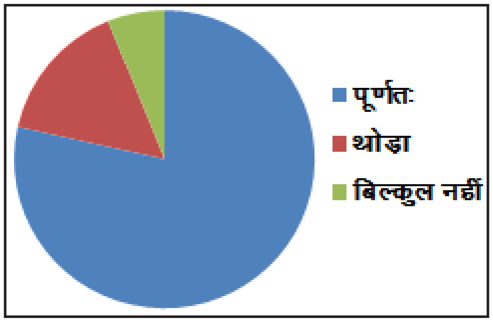

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

उपरोक्त तालिका में कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में संतुष्टि के स्तर की जानकारी के बारे में व्यापारियों से जब पूंछा गया तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि 78.47 प्रतिशत पूर्ण संतुष्ट, 15.38 थोड़ा संतुष्ट एवं 6.15 प्रतिशत बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। यह तालिका वर्तमान युग में कम्प्यूटर की उपयोगिता को प्रकट करता है।

निष्कर्ष :

1. बड़े व्यापारियों में कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली अपनाने की स्थिति, मध्यम एवं छोटे व्यापारियों की अपेक्षा संतोषजनक है। मध्यम एवं छोटे व्यापारियों के मध्य कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है।
2. सभी बड़े व्यापारियों में कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली अपनाने में सहमति व्यक्त की है। जबकि मध्यम एवं लघु व्यापारियों में से कुछ व्यापारियों ने इस प्रणाली को अपनाने में असहमति व्यक्त की है। कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली कार्य के क्रियान्वायन का सबसे विश्वसनीय एवं सुलभ तकनीकि है।
3. व्यापारियों के मध्य Tally Accounting Software बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय एवं प्रचलित है।
4. कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली में कार्य करने वाले 130 व्यापारियों में से 78.47 प्रतिशत व्यापारी इस प्रणाली से पूर्णत: संतुष्ट हैं। शेष बचे व्यापारियों में प्रशिक्षण का अभाव एवं जागरूकता की कमी झलकती है।

सुझाव :

1. कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली को सभी व्यापारियों द्वारा अपनाया जाय, इसके संबंध में व्यापारियों और शासन स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिये।
2. व्यापारियों तथा लेखापालों को लेखांकन संबंधी कार्य में निपुणता होनी चाहिये, इसके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।
3. व्यापारियों के मध्य कम्प्यूटरीकृत लेखा के प्रति अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ एवं शंकाएं हैं, जिन्हें दूर किया जाना आवष्यक है। प्रशिक्षण ही एक ऐसा माध्यम है, जिससे कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार द्वारा इसके संबंध में उचित कदम उठाये जाने चाहिये ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बोगिय रमेश(2011),'लर्निंग एम.एस. ऑफिस' बुक, खन्ना बुक पब्लिशिंग कम्पनी नई दिल्ली ।
2. तिवारी नरेन्द्र(2014),'फाइनेन्सियल एकाउण्टिंग विद टैली' बुक, नारेन्द्र पब्लिकेशन दिल्ली ।
3. कुमार विजय(2011),'एकाउण्टिंग एण्ड फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट' बुक, मारुति प्रकाशन मेरठ ।
4. बोरा अतुल (2001), 'व्यापारियों में लेखांकन संबंधी ज्ञान एवं जागरूकता', शोध-प्रबंध ।
5. Prajapati Mahesh (2013)] "A Study on Accounting Practices of Wholesale and Retail Business Organisation in Gujarat", Thesis.
6. Bhatiya Prakash(2014), "Convergence of Accounting Standards in India : Impact on Profitability of Selected Companies", Thesis.
7. Date Manisha(2011),"Use of Management Accounting tools for the measurement of Camparison of Performance of Organized Retailing System in India & at the global level", Thesis.

तालिका क्रमांक - 02: लेखांकन कार्य का तरीका

लेखांकन कार्य का तरीका	व्यापारियों की संख्या एवं प्रतिशत							
	5 करोड़ के ऊपर वार्षिक टर्नओव्हर		1-5 करोड़ तक वार्षिक टर्नओव्हर		50 लाख से 1 करोड़ तक वार्षिक टर्नओव्हर		50 लाख या उससे कम वार्षिक टर्नओव्हर	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
मानवीकृत	0	0	4	8	30	60	36	72
कम्प्यूटरीकृत	42	84	32	64	10	20	8	16
दोनो	8	16	14	28	10	20	6	12
योग	50	100	50	100	50	100	50	100

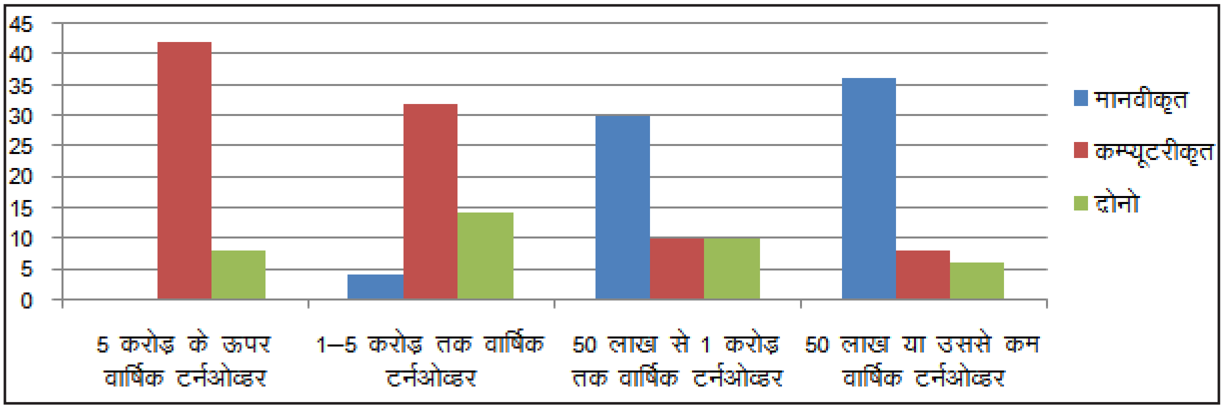

तालिका क्रमांक – 03: कम्प्यूटरीकृत लेखांकन अपनाने के प्रति व्यापारियों के विचार

कम्प्यूटरीकृत लेखा अपनाने के प्रति विचार	व्यापारियों की संख्या एवं प्रतिशत							
	5 करोड़ के ऊपर वार्षिक टर्नओव्हर		1–5 करोड़ तक वार्षिक टर्नओव्हर		50 लाख से 1 करोड़ तक वार्षिक टर्नओव्हर		50 लाख या उससे कम वार्षिक टर्नओव्हर	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	50	100	50	100	44	88	30	60
नहीं	0	0	0	0	6	12	20	40
योग	50	100	50	100	50	100	50	100

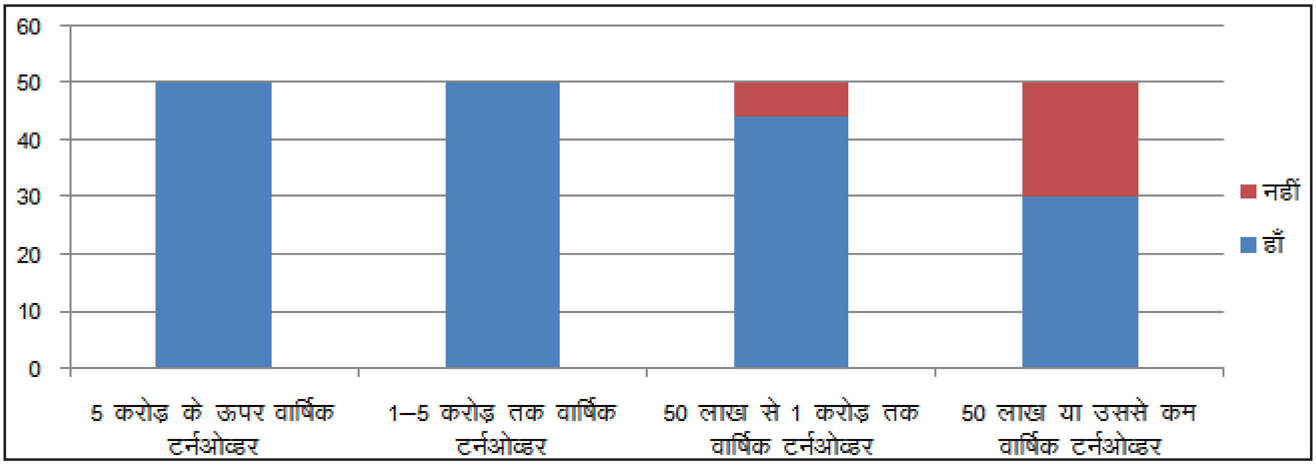

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

सीवेज का शहरी आवास एवं अर्थव्यवस्था से सम्बन्ध (ग्वालियर शहर के विशेष संदर्भ में)

दीप्ती कुशवाह *

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) शासकीय भगवत सहाय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – पृथ्वी ग्रह एक ऐसा ग्रह माना जाता है। जहाँ पर जीवों का वास है। वैसे तो ब्रह्मांण में इस प्रकार की कई पृथ्वीयाँ होगी। परन्तु हम केवल अपनी पृथ्वी जिसपर हमारा निवास है, उसकी चर्चा करेगें। पृथ्वी के दक्षिण एशिया में स्थित भारत, भारतीय उपमाहद्बीप का सबसे बड़ा देश है। भारत के मध्यप्रदेष राज्य में स्थित ग्वालियर 55 जिलों में से एक है। ग्वालियर जिला अपनी स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्धी प्राप्त है। सुविधायुक्त जीवन के लिए ग्वालियर जिला अच्छा स्थान है। आस-पास के क्षेत्र में औद्योगिक विकास के कारण शहर में रोजगार आसानी से प्राप्त हो जाने के कारण आकर्षित का केन्द्र है।

पृथ्वी पर प्रत्येक जीव, जीवन हेतु कार्यरत् (भोजन-पानी, नहाना-धोना व मल-मूत्र) क्रिया करता है, उसी प्रकार प्रकृति भी नियमित रूप से कार्य करती है। ऋतुओं का चक्रक्रम, आंधी तूफान आना, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़ आना इत्यादि। इन सभी क्रियाओं के कारण अपशिष्ट पदार्थ पानी के साथ क्रिया करके दुगंध एवं गंदगी फैलाते है जिससे कई समस्याऐं सामने आती है जैसे कहीं भी पानी का जमाव, कीचड़, गंदगी हो जाना, प्लास्टिक पदार्थो का सड़ना, इत्यादि।

उपकल्पना– प्रस्तुत आलेख में सीवेज का शहरी आवास एवं अर्थव्यवस्था से सम्बन्ध को समझाया गया है। कि सीवेज शहरों में किस प्रकार से समस्या के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसके माध्यम से नगरों एवं महानगरों में सीवेज प्रतिदिन उत्पन्न सीवेज की स्थिति का अध्ययन तथा उसके प्रकारों का भी अध्ययन किया जायेगा। ग्वालियर शहर में सीवेज समाधान हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के बारे में बताया जायेगा।

मुख्य भाग– मनुष्य जन्म से हि अपशिष्ट (मल-मूत्र) का त्याग प्रारम्भ करने लगता है और जब तक जीवित रहता है तब तक यह क्रिया अनैच्छिक रूप से करता है। इसके अलावा दैनिक कार्यो के दौरान भी कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थो का निर्माण करता है। जिसे एक सरल भाषा में सीवेज कहा गया है।

सीवेज–घरों, वाणिज्यिक प्रस्थांनों एवं उद्योगों में प्रयोग किये जाने वस्तुओ से उत्पन्न अपशिष्ट जल एवं पदार्थो को सीवेज कहा जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह से धरातलीय एवं प्राकृति घटनाओं बाढ़/तूफानों का पानी द्वारा वाहित वस्तुएँ शामिल होती है। सीवेज में 90 प्रतिशत से ज्यादा पानी शामिल होता है।

सीवेज के प्रकार–सीवेज को उनकी प्रकृति के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। अगर देखा जाए तो सीवेज दो प्रकार से उत्पन्न होता है। एक मानव द्वारा, दूसरा प्रकृति के द्वारा।

1. घरेलू मल-जल
2. आद्योगिक अपशिष्ट
3. शैक्षिण संस्थाअपशिष्ट — मानव द्वारा
4. स्वास्थ्य केन्द्र अपशिष्ट
5. व्यवसायिक केन्द्र अपशिष्ट
6. भोजनालय केन्द्र अपशिष्ट
7. प्राकृति घटनाओं से उत्पन्न अपशिष्ट —— प्रकृति द्वारा

(1–6: मानव द्वारा)

1. घरेलू मल-जल–मानव द्वारा दिनजर्या के दौरान उत्पन्न सीवेज को घरेलू सीवेज के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।घरों में उत्पन्न अपशिष्ट उनके प्रयोगों द्वारा, कोप्रकृति के अनुसार निम्न भागों में विभाजित किया जाता है।

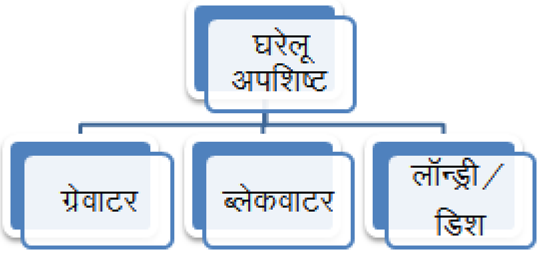

(क)ग्रेवाटर–रसोई में प्रयोगिक वस्तुओं द्वारा होने वाले अपशिष्ट जैसे कि-सब्जियों, फलों के छिलके, पत्ते एवं धोने से निकला अपशिष्ट इत्यादि ग्रेवाटर की श्रेणी में आते है।

(ख) ब्लैकवाटर –ब्लैकवाटर में वे अपशिष्ट शामिल है जो स्नानघर एवं षौचालय से निकलता है। जैसे-मल-मूत्र, ट्युशू पेपर इत्यादि।

(ग) लॉन्ड्री/डिश वाटर –कपडे एवं बर्तन धोने से वाहित पानी, साबुन, सर्फ इत्यादि।

सारणी क्र. 0.1

क्र.	सदस्यों की संख्या	परिवारों की संख्या	अपशिष्ट की मात्रा(लीटर में)
1.	2-3	20	1800
2.	3-4	10	1200
3.	4-5	10	1500
4.	5-6	5	900
5.	6-7	5	1050
		50	**6450**

2. औद्यौगिक अपशिष्ट-आधौगिकों में कार्यरत् कर्मचारियों के क्रियाकलापों द्वारा कई प्रकार का अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

सारणी क्र. 0.2

क्र.	वर्ष	औद्योगिकों की संख्या	नियोजित व्यक्ति	अपशिष्ट की मात्रा(लीटर में)
1.	2012-13	770	4283×52	222716
2.	2013-14	822	4437×52	230724
3.	2014-15	165	2864×52	148928
4.	2015-16	155	2700×52	140400
				742768

3. शैक्षिण संस्था अपशिष्ट-शैक्षिण संस्थाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट-

सारणी क्र. 0.3

क्र.	वर्ष	शैक्षिण संस्थाओं की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	अपशिष्ट की मात्रा (लीटर में)
1.	2012-13	4372	595880×52	30985760
2.	2013-14	4223	718268×52	37349936
3.	2014-15	3958	418133×52	21742916
4.	2015-16	4186	402481×52	20929012
				111007624

स्वास्थ्य केन्द्र अपशिष्ट-बडे-छोटे अस्तपतालों एवं प्रयोगषालाओं से भी विभिन्न प्रकार का अपशिष्ट-

सारणी क्र. 0.4

क्र.	वर्ष	स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या	स्वास्थ्य केन्द्र के सदस्यों की संख्या	अपशिष्ट की मात्रा (लीटर में)
1.	2012-13	4164	5200×52	270400
2.	2013-14	4164	5200×52	270400
3.	2014-15	4164	5266×52	273832
4.	2015-16	4164	5266×52	273832
				1088464

नोट- लेब से निकलने वाले अपशिष्टको इन्सिव्लेटर द्वारा जलाया जाता है।

4. व्यवसायिक केन्द्र अपशिष्ट-नौकरी के अलावा छोटे-मोटे व्यवसायों में कार्ययत् कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट-

सारणी क्र. 0.5

क्र.	वर्ष	व्यवसायिक केन्द्रों की संख्या	व्यवसायिक केन्द्र के सदस्यों की संख्या	अपशिष्ट की मात्रा (लीटर में)
1.	2012-13	19	108544×52	5644288
2.	2013-14	18	75149×52	3907748
3.	2014-15	13	78951×52	4105452
4.	2015-16	13	82896×52	4310592
				17968080

5. भोजनालय केन्द्र एवं अन्य केन्द्रीयअपशिष्ट -शहर में विभिन्न प्रकार के भोजनालय एवं अन्य केन्द्रों से उत्पन्न अपशिष्ट -

सारणी क्रं 0.6

क्र.	वर्ष	भोजनालयों की संख्या	भोजनालय केन्द्र कर्मचारियों की संख्या	अपशिष्ट की मात्रा (लीटर में)
1.	2012-13	4855	4067×52	211484
2.	2013-14	5142	5081×52	264212
3.	2014-15	5466	5703×52	296556
4.	2015-16	5686	6311×52	328172
				1100424

सारणी क्र. 0.7

क्र.	वर्ष	अन्य केन्द्रों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	अपशिष्ट की मात्रा (लीटर में)
1.	2012-13	90054	44671×52	2322892
2.	2013-14	97200	47303×52	2459756
3.	2014-15	101682	53709×52	2792868
4.	2015-16	104135	59906×52	3115112
				10690628

6. प्राकृति घटनाओं से उत्पन्न अपशिष्ट -प्राकृति घटनाओं जैसे वर्षा, आंधी, तुफान से उत्पन्न अपशिष्टप्राकृतिक अपशिष्ट कहलाता है। प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न अपशिष्ट का समंक रूप में आंकलन नही किया गया है। प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न अपशिष्ट के अलावा अन्य प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का समंक रूप में विवरण निम्न सारणी द्वारा दिया गया है।

सारणी क्र. 0.8

क्र.	सारणी क्र.	अपशिष्टके प्रकार	अपशिष्ट (लीटर में)
1.	0.1	घरेलू मल-जल	6450
2.	0.2	औद्योगिक अपशिष्ट	742768
3.	0.3	शैक्षिण अपशिष्ट	111007624
4.	0.4	स्वास्थ्य अपशिष्ट	1088464
5.	0.5	व्यवसायिक अपशिष्ट	17968080
6.	0.6	भोजनालय अपशिष्ट	1100424
7.	0.7	अन्य केन्द्रीय अपशिष्ट	10690628
		कुल अपशिष्ट	**142604438**

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात किया गया कि औसतन प्रतिव्यक्ति 52

लीटर माप से एक दिन में मात्र ग्वालियर शहर में 142604438 ली. अपशिष्ट जल प्रवाहित किया जाता है।

शहरी आवास–शहरी आवास से तात्पर्य शहरों में निवास करने वालों का आवास। शहरी आवास आधुनिकता लिये हुये होते है। जिन्हें आधुनिक आवास कहा जा सकता है। शहरी आवास निर्माण में वे सभी प्रकार की वस्तुओं का समावेष होता है। जो प्राचीन आवासों से भिन्नता रखते है। जैसे कि सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी, कॉच, एल्युमिनियम, रंगरोगंन के विभिन्न रासायनिक रंग, प्लास्टिक इत्यादि। इन वस्तुओं के द्वारा निमार्णित इमारतों से भी काफी अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इनमें कुछ वस्तुएं उपयोगी होती है तो कुछ अनुपयोगी।अनुपयोगी वस्तुओं को कहीं भी फेंक दिये जाने के कारण सीवेज का कारण बनती है।

अर्थव्यवस्था–अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्रीय विकास में अहम् भुमिका अदा करती है। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध प्रयुक्त वे समस्त क्रियाऐं सम्मिलित होती है। जो मुद्रा के द्वारा किसी लाभ प्राप्त करने, वस्तु उत्पादन एवं उपभोग में कार्य किया जाता है।

सीवेज का शहरी आवास एवं अर्थव्यवस्था से सम्बन्ध–सीवेज शहरी आवास एवं अर्थव्यवस्था से सीधे तौर से सम्बन्ध रखता है। सीवेज का आवास से उसी प्रकार से सम्बन्ध है जिस प्रकार से मानव जाति का आवास से होता है। आवास में मानव द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं जैसे– नहाने, मल–मूत्र, भोजन पकाने व खाने से लेकर साफ–सफाई से होने वाले एकत्रित अपशिष्टसीवेज कहलाता हैं। सीवेज का निर्माण पृथ्वी पर जीव के उत्पन्न होने से ही होता आ रहा है फर्क बस इतना सा है कि तब जनसंख्या कम होने के कारण प्रकृति हर प्रकार के अपशिष्ट का अवशोषण कर लिया करती थी परन्तु विकास के दौर में वातावरण में गंदगी अधिक होती जा रही है। जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। गंदगी अधिक होने से बीमारियों का बसेरा जल्दी होता है। जिस कारण स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है। सीवेज का नाकारात्मक प्रभाव शहरों में अधिक होता है। शहरों में आवासों की संख्या अधिक होने से जनसंख्या भी अधिक होती है। जहाँ जन अधिक होते है वहाँ अपशिष्ट का निर्माण अधिक होता है। आवासों के निरन्तर निर्माण, व्यवसायों में वृद्धि भी सीवेज के लिए उत्तरदायी है।

सीवेज का मापदण्ड–एक सर्वे के द्वारा यह ज्ञात किया गया कि एक आवास में निवासी 5 सदस्यों की दैनिकचर्या के दौरान कितना अपशिष्ट एकत्रित होता है। जिसे एक तालिका द्वारा समझाया गया है।

तालिका क्र. 09: एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपशिष्ट

क्र.	**दैनिककार्य**	**प्रयोग में लाया गया पानी की मात्रा** (लीटर में)	**अपशिष्ट प्रकार**	**अपशिष्ट** (लीटर में)
1.	भोजन पकाने में	5	ग्रेवाटर	2
2.	पीने योग्य पानी	5		
3.	पेड़–पौधों को पानी देना	20		
4.	बर्तन धोना	20	लॉन्ड्री/डिश	20
5.	कपड़े धोना	20		20
6.	घर की सफाई	20		20
7.	स्नान	20	ब्लैकवाटर	20
8.	शौचालय	50		50
		160		**132**

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है। कि प्रत्येक प्रतिदिन औसतन 132 लीटर अपशिष्ट पानी को वाहित करता है। इसी प्रकार से –

तालिका क्र. 10

क्र.	**क्षेत्र**	**जनसंख्या**	**अपशिष्ट प्रत्येक व्यक्ति**	**अपशिष्ट** (लीटर में)
1.	ग्वालियर	1102884	132	145580688
2.	मध्यप्रदेश	20079082	132	2650438824
3.	भारत	449945237	132	59392771284
4.	संसार	7632819325	132	1007532150900

जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण दोनों है।

प्रतिदिन पुरे संसार में लगभग **1007532150900 लीटर** अपशिष्ट के रूप में पानी शहरी आवासों से वाहित होता है। जो एक बड़ी समस्या है। जिसका हम दुष्परिणाम देख रहे है। जल प्रदूषण एवं भूमि प्रदूषण में बढ़ोत्तरी हुई है।

1. सीवर–सीवेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाइपलाईन द्वारा चेम्बरों से होते हुए ले जानी वाली एक बड़ी प्रणाली है। अपशिष्टों को सीवर द्वारा घरों से बहाकर बड़े जलाशयों में या शहरों से कहीं दूर स्थान पर छोड़ दिया जाता है। जिसका परिणाम जल प्रदुषण में वृद्धि है।जिस प्रकार आवास तक आवागमन के लिए सड़क निर्माण किया जाता है। वैसे ही सड़क के बीच में पाईपों एवं चेम्बर से जोड़कर आवास से आवास तक सीवर लाईन बिछाई जाती है।

2. सीवेज उपचार यंत्र–सीवर द्वारा वाहित अपशिष्टों को कहीं भी छोड़ देने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए तथा सीवेज में 90 प्रतिषत पानी को पुन– मानव उपयोग में लाने के लिए सीवेज उपचार यंत्र स्थापित किये जाते है है।

पूरे भारत में 522 एसटीपी कार्यान्वित है। 79 एसटीपी कार्यान्वित नहीं है। इसके अलावा 70 एसटीपी प्रस्तावित है।

ग्वालियर जिले में ललितपुरा में 1 नम्बर 2010 में 50थडउवाला एसटीपी स्थापित किया गया है। ग्वालियर की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर नगर–निगम आयुक्त, विनोद शर्मा जी ने तत्काल पक्ष एवं विपक्ष पार्षदों के साथ सीवेज व्यवस्था के लिए सिटी सेनिटेषन प्लान की चर्चा की है। शहर में दो नये प्लांट एवं मुरार में स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा की है। बेरठा में 90एम.एल.डी वाले एवं ट्रिपल आईटीएम के पास 60 एम.एल.डी क्षमता वाले प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।

Source - Indiamart-industrial effluent wasterwater treatment plant, 500mq/hour,id:10941135730.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

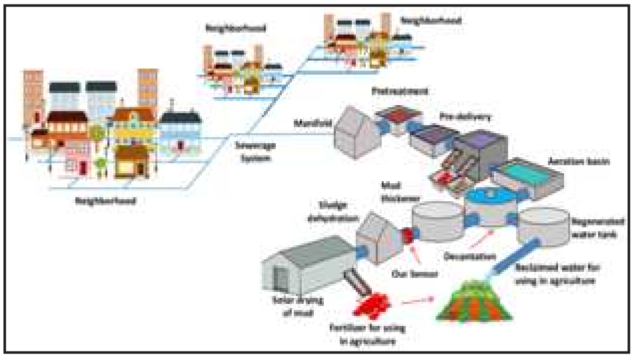

Source: https://www.researchgate.net/figure/Sewage-treatment-plant-and-position-of-our-sensor_fig1_330491936.

समस्या–शहरों में यदि देखा जाये तो प्रदूषण की मात्रा अधिक है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषणएवं भूमि प्रदूषण । जल प्रदूषण का एक कारण बड़ी–बड़ी नदियों में सीवेज का बहाव है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली के नाले और मथुरा की नर्मदा नदी। तथा कुछ स्थानों पर खाली स्थानों में सीवेज का खुला छोड़ देने से भूमि प्रदूषण का कारण है। शहरों के प्रत्येक आवास के 5 सदस्यों से लगभग 132x5= 660 लीटर सीवेज निर्मित होता है। इसी प्रकार शहरों में लाखों आवास है। जिनके द्वारा प्रतिदिन सीवेज उत्पन्न होता है। सीवेज की व्यवस्था के लिए जो सीवर लाईन बिछाई जाती है। उनके चौक होने के कारण सीवेज के रिसाव के काफी परेशानी होती है। शहर में लगभग 500 चम्बरों के खुले होने व चाँक होने से लोगों को काफी परेषानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग तो इन चम्बरों के वजह से घायल हो चुके हैं। जिसकी कोइ सुनवाई भी नहीं होती है। आये दिन अखबरो में सीवेज से होने वाली समस्या का उल्लेख दिया रहता है।

सुझाव– क्षेत्रीय शासन को सीवेज से जुड़ी सभी प्रणाली का व्यवस्थित ध्यान रखना चाहिए। समय–समय में चेम्बरों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। सीवर लाईन बिछाने से पहले यह निर्णय ले लेना चाहिए कि सीवर के द्वारा वाहित सीवेज कहां एकत्रित किया जाना है। जिस क्षेत्रों में पानी की कमी है। वहाँ सीवर लाईन बिछाने की वजह घर के बाहर की स्वंय के चेम्बर बनवा दिये जाने चाहिए। तथा चेम्बर भर जाने के बाद नगर–निगम द्वारा खाली कराने का प्रावधान होना चाहिए जो कि नि:शुल्क होना चाहिए। जिससे प्रत्येक आवासीय मालिक इस प्रणाली को अपनायेगा।

द हिन्दु की एक रिपोर्ट के अनुसार तंबरम नगर–निगम ने एक बायो–मेथननेषन प्लांट लगाया है। जो पब्लिक शौचालय में सीवर से गैस बनाता है। इस नोवल प्रोजेक्ट को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है इसे नम्मा टॉयलेट का नाम दिया गया है। इससे 12 स्टोव जलाए जाते है। जिसका फायदा यहां रहने वाले सभी लोग उठा रहे है। इस प्रणाली का प्रयोग वाहन ईंधनों में भी किया जा सकता है। प्राकृति ईधन का दोहन कम हो सकेगा। इसके साथ एलपीजी का एक अन्य विकल्प भी प्राप्त हो जायेगा। चूँकि एलपीजी में मीथेन गैस का समावेष होता है।

निष्कार्ष– शहरों में सीवेज उत्पत्ति एक समस्या है। जिसके निपटारन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये गये है। जिसके द्वारा अपशिष्ट पानी को पुन:प्रयोग में लाये जा सके तथा अन्य अपशिष्ट का भी प्रयोग मानव कल्याण में किया जा सके।

अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कि शहरों में आवासों के निर्माण से सीवेज व्यवस्था में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की मॉग से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा। सीवेज के ट्रीटमेंट से अपशिष्ट पानी का पुन:प्रयोग किया जा सकेगा। कृषि के लिए भी लाभ लिया जा सकेगा। नम्मा टॉयलेट प्रणाली से एलपीजी का अन्य विकल्प प्राप्त हो सकेगा। जो अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल साबित होगा। इस प्रकार से यह ज्ञात किया जा सकता है। कि सीवेज का शहरी आवास एवं वहाँ की अर्थव्यवस्था से अनुकूल सम्बन्ध रखता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राम बिहारी सिंह, सामाजिक अनुसंधान वर्ष, 1989 पृष्ट सं 47
2. इंटरनेषनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड हाइजीन एनविस सेंटर, पर्यावरण एवं बन मंत्रालय, भारत सरकार।
3. डॉ. जे.सी.पन्त, अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, पब्लिकेशन्स: आगरा 2008
4. ग्वालियर नगर–निगम, पत्रिका जुलाई 2014
5. www.worldometers.info
6. www.indiaonlinepages.com
7. भारतीय जनगणना, 2011, डीसीएचबी टाऊन रीलिसिंग 2300
8. Control of Urban pollution series cups/2015, Inventorization of sewage treatment plant
9. मोहित पारीक, आजतक.इन नई दिल्ली, 14 अगस्त 2018
10. दैनिक भास्कर, पत्रिका, और नईदुनिया अखबार, ग्वालियर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

बालकों के व्यक्तित्व विकास पर शैक्षिक उपलब्धि के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. विजया कुशवाह *

* विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, श्री साई प्रौद्योगिकी संस्थान, रतलाम (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध का उद्देश्य बालको की उपलब्धि के परपेक्ष्य में उनके व्यक्तित्व विकास का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध कार्य हेतु सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया गया है, तथा शून्य परिकल्पना को निर्मित किया गया है। व्यक्तित्व मापन के लिए साक्षात्कार, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल तथा शैक्षिक उपलब्धि हेतु कक्षा नवीं के वार्षिक अंको को लिया गया है। शैक्षिक उपलब्धि के लिए चतुर्थांश गुणांक की गणना के आधार पर न्यादर्श को तीन समूहों उच्च, औसत एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि समूह में विभक्त किया गया है। आंकड़ो का सांख्यिकी विश्लेषण में उच्च, औसत एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि समूह की तुलना हेतु एक मार्गीय ANOVA तथा f-test तथा परस्पर समूह के बालको के व्यक्तित्व विकास का तुलनात्मक अध्ययन हेतु t-मान की गणना की गई है। किसके द्धारा प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार हैं- शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर व्यक्तित्व विकास में सार्थक अंतर पाया जाता है, उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों को व्यक्तित्व विकास का स्तर उच्च एवं औसत समूह की तुलना में निम्न है। व्यक्तित्व विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि में सहसंबंध गुणांक की गणना कार्ल पियर्सन विधि द्धारा की गई तथा व्यक्तित्व विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि सार्थक सकारात्मक संबंध पाया गया।

प्रस्तावना – व्यक्तित्व आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विषय है। व्यक्तित्व के अध्ययन के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन भी किया जा सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती है, जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व का एक स्थिर अवस्था न होकर एक गत्यात्मक समष्टि है। जिस पर परिवेश का प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से उसमें बदलाव आ सकता है। व्यक्ति के आचार-विचार, व्यवहार, क्रियाएं और गतिविधियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार उसके वातावरण या परिवेश में समायोजन करने के लिए होता है।

जनसाधारण में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप में लिया जाता है, परन्तु मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप गुणों की समष्ठि से है, अर्थात् व्यक्ति के बाह्य आवरण के गुण और आन्तरिक तत्व, दोनों को माना जाता है। व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रमगत एवं वातावरणगत सभी घटकों का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का व्यवहार है। व्यक्तित्व एक कलाकृति के समान होना चाहिए। जिस प्रकार एक कलाकृति में किसी भी प्रकार की कमी होने से वह पूर्ण नहीं मानी जाती उसी प्रकार व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी अपेक्षित है।

शैक्षिक उपलब्धि या अकादमिक प्रदर्शन वह सीमा है, जिस तक एक छात्र, शिक्षक या संस्थान ने अपने छोटे या दीर्घकालीन शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया है। माध्यमिक विद्यालय के डिप्लोमा और स्नातक की डिग्री जैसे शैक्षिक बेंचमार्क को पूरा करना शैक्षणिक उपलब्धि का प्रतनिधित्व करता है।

अकादमिक उपलब्धि को आमतौर पर परीक्षाओं या निरंतर मूल्यांकन के माध्यम से मापा जाता है, लेकिन इस पर कोई सामान्य सहमति नहीं है कि इसका सबसे अच्छा मूल्यांकन कैसे किया जाता है, या कौन से पहलू सबसे महत्वपूर्ण हैं- प्रक्रियात्मक ज्ञान जैसे कौशल या घोषणात्मक ज्ञान जैसे तथ्य। इसके अलावा, अनिर्णायक परिणाम हैं, जिन पर व्यक्तिगत कारक सफलतापूर्वक अकादमिक प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं, स्कूल की उपलब्धि के मॉडल विकसित करते समय परीक्षण चिंता, पर्यावरण, प्रेरणा और भावनाओं जैसे तत्वों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अब स्कूल अपने छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर धन प्राप्त कर रहे हैं। अधिक शैक्षणिक उपलब्धियों वाले स्कूल को कम उपलब्धियों वाले स्कूल की तुलना में अधिक धन प्राप्त होगा।

उद्देश्य- प्रस्तुत शोध कार्य हेतु नि.लि. उद्देश्य निर्धारित किये गये है:

1. शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर बालको के व्यक्तित्व विकास का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. शैक्षिक उपलब्धि के स्तरो का व्यक्तित्व विकास के साथ सहसंबंध का अध्ययन करना।

परिकल्पनायें – प्रस्तुत शोध की परिकल्पनाये इस प्रकार है:

1. उच्च, औसत एवं निम्न, शैक्षिक उपलब्धि वाले बालको के व्यक्तित्व विकास में सार्थक अंतर नही हैं।
2. उच्च शैक्षिक उपलब्धि एवं औसत शैक्षिक उपलब्धि वाले बालको के व्यक्तित्व विकास में सार्थक अंतर नही है।
3. उच्च शैक्षिक उपलब्धि एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालको के व्यक्तित्व में सार्थक अंतर नही है।
4. औसत शैक्षिक उपलब्धि एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालको के व्यक्तित्व विकास में सार्थक अंतर नही है।

5. शैक्षिक उपलब्धि का व्यक्तित्व विकास पर सार्थक प्रभाव नही होता।

सीमाकंन:

- प्रस्तुत शोध कार्य मध्यप्रदेश राज्य के रतलाम जिले में सम्पन्न किया गया है।
- इसमें कक्षा नवीं के हिन्दी माध्यम के बालको को सम्मिलित किया गया है।

शोध विधि– प्रस्तुत शोध में विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है।

न्यादर्श– प्रस्तुत शोध हेतु कक्षा नवीं के हिन्दी माध्यम में अध्ययनरत बालक–बालिका है, कुल 60 बालक 60 बालिकाओं का चयन यादृच्छिक चयन विधि द्वारा किया गया है।

चर– प्रस्तुत शोध में बालको का व्यक्तित्व विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि के प्रभाव का अध्ययन करना है। इसमें व्यक्तित्व विकास आश्रित चर है तथा शैक्षिक उपलब्धि स्वतंत्र चर है।

उपकरण– दो चरो के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरणो के अंतर्गत शैक्षिक उपलब्धि मापन हेतु कक्षा नवीं के वार्षिक अंको को सम्मिलित किया गया है, तथा व्यक्तित्व विकास के मापन हेतु प्रश्नावली तथा रेटिंग स्केल का प्रयोग किया गया है।

समूहो का निर्माण– प्रस्तुत शोध में स्वतंत्र चर के आधार पर समूहो का निर्माण किया गया। सम्पूर्ण न्यादर्श को तीन समूहों में उच्च, औसत और निम्न शैक्षिक उपलब्धि समूह में विभक्त करने के लिए चतुर्थांश गुणांक की गणना की गई। चतुर्थांश गुणांक (Q25) के अंतर्गत आने वाले बालको को निम्न शैक्षिक उपलब्धि Q25 से Q75 तक आने वाले बालको को औसत एवं Q75 के उपर आने वाले बालको को उच्च शैक्षिक उपलब्धि समूह में रखा गया है।

आंकड़ो का सांख्यिकीय विश्लेषण– प्रस्तुत शोध में परिकल्पनाओं का परीक्षण साख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर किया गया है, जो इस प्रकार है–

परिकल्पना– 1: उच्च, औसत एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालको के व्यक्तित्व विकास में सार्थक अंतर नही है।

तालिका 1: मान F– तालिका

प्रसरण स्त्रोत	वर्गो का योग	df	मध्यामान वर्ग	F–मान	सार्थकता स्तर
Between group	159362.15	2	79681.08	17.48	0.01
Within group	533127–81	117	4556–55		

गणना द्वारा प्राप्त F–मान 17.48 है जो 0.01 सार्थकता स्तर पर प्राप्त मान (4.78) से अधिक है, अत: शुन्य परिकल्पना 1 निरस्त की गयी।

अत: उच्च, औसत एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालको के व्यक्तित्व विकास में सार्थक अंतर है।

परिकल्पना–2– उच्च शैक्षिक उपलब्धि एवं औसत शैक्षिक उपलब्धि वाले बालको के व्यक्तित्व विकास में सार्थक अंतर नही है–

तालिका–2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तलिका–2 के अनुसार T– मान 5.88 है, जो 0.1 सार्थकता स्तर पर 58 स्वतंत्रता अंश के लिए तालिका मान (t–2.66) से अधिक है। अत: शुन्य परिकल्पना निरस्त की जाती है।

परिकल्पना–3 उच्च शैक्षिक उपलब्धि एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालको के व्यक्तित्व विकास में सार्थक अंतर नही है।

तालिका–3 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका 3 में प्रदर्शित T–मान =2.31, जो 88 स्वतंत्रता अंश के लिए 0.01 सार्थकता स्तर पर तालिका मान (t=2.63) से कम है। अत: शुन्य परिकल्पना स्वीकृत की जावेगी।

परिकल्पना –4 औसत एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सार्थक अंतर नही है।

तालिका – 4 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका 4 के अनुसार T– मान 4.40 है, जो स्वतंत्रता अंश 88 के लिए 0.01 सार्थकता स्तर पर तालिका मान (t=2.633) से अधिक है, अत: शुन्य परिकल्पना–4 निरस्त की जाती है।

परिकल्पना–5 व्यक्तित्व विकास पर शैक्षिक उपलब्धि का सार्थक प्रभाव नही होता है।

तालिका–5 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तलिका–5 में प्रदर्शित सहसंबंध गुणांक r=0.98 का मान 0.01 सार्थकता स्तर पर तालिका मान (r=0–148) से अधिक है, अत: व्यक्तित्व विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध पाया जाता है, शून्य परिकल्पना 5 निरस्त की जाती है।

परिणाम:

1. उच्च, औसत एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालको के व्यक्तित्व विकास में सार्थक अंतर होता है।
2. उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालको के व्यक्तित्व विकास में सार्थक अंतर नहीं होता हैं।
3. औसत एवं उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले बालको के व्यक्तित्व विकास में सार्थक अंतर नहीं होता हैं।
4. औसत एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालको के व्यक्तित्व विकास में सार्थक अंतर नहीं होता हैं।
5. व्यक्तित्व विकास पर शैक्षिक उपलब्धि का सार्थक प्रभाव होता है।

निष्कर्ष– प्रस्तुत शोध कार्य से प्राप्त परिणाम के अनुसार यह निष्कर्ष निकला हैं कि व्यक्तित्व विकास पर शैक्षिक उपलब्धि के स्तर का गहन रूप से संबंध है। उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों में व्यक्तित्व विकास औसत एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों की तुलना में उच्च पाया जाता है। इसी प्रकार औसत शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों का व्यक्तित्व विकास का स्तर निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों की तुलना में उच्च पाया जाता है इससे स्पष्ट होता है कि शैक्षिक उपलब्धि व्यक्तित्व विकास में परस्पर संबंध है, तथा शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व विकास के मध्य संबंध सार्थक एवं धनात्मक है, यह दर्शाता हैं कि व्यक्तित्व विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि एक दूसरे पर आश्रित है।

शैक्षिक निहितार्थ– प्रस्तुत शोध का शैक्षिक निहितार्थ है कि शैक्षिक उपलब्धि और व्यक्तित्व विकास के मध्य परस्पर निर्भरता है, अत: विद्यार्थियों में शैक्षिक उपलब्धि जरूरी है उनका व्यक्तित्व विकास उनके शिक्षा के स्तर पर भी निर्भर करता है। शोध में यह पाया गया कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है।

अत: शोध निष्कर्ष का अनुसरण करते हुए प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

विकास के लिए उसको अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए तभी उसका व्यक्तित्व विकास संभव हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

तालिका-2: व्यक्तित्व विकास की तुलना हेतु T-मान तालिका

समूह	N=60	DF	मानक विचलन(SD)	मध्यमान(Mean)	SE DM	सार्थकता स्तर
उच्च शैक्षिक उपलब्धि समूह	30	58	67.16	176.03	5.83	0.01
औसत शैक्षिक उपलब्धि समूह	30		65.94	75.27		

तालिका-3 व्यक्तित्व विकास की तुलना हेतु T- मान तालिका

समूह	N=60	मध्यमान(Mean)	मानक विचलन(SD)	SE DM	DF	T-Value	सार्थकता स्तर
उच्च शैक्षिक उपलब्धि	30	176.03	67.16	15.11	88	2.31	0.01 पर t=2.63
निम्न शैक्षिक उपलब्धि	60	140.98	68.42				तालिका मूल्य

तालिका - 4 व्यक्तित्व विकास की तुलना हेतु T-मान तालिका

समूह	N	मध्यमान(Mean)	मानक विचलन(SD)	SE DM	DF	T-Value	सार्थकता स्तर
औसत शैक्षिक उपलब्धि	90	140.98	68.42	14.932	88	4.40	0.01 पर t=2.63
निम्न शैक्षिक उपलब्धि	30	75.27	65.99				

तालिका-5 व्यक्तित्व विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य r-मान हेतु तालिका

चर	N	सहसंबंध गुणांक की मानक (Ser)	सहसंबंध गुणांक	सहसंबंध सार्थकता स्तर	निष्कर्ष
शैक्षिक उपलब्धि	120	0.498	r=0.098	0.01 पर	सार्थक
व्यक्तित्व विकास	120	0.148			

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

सेलफोन की लत : एक समीक्षा

डॉ. राघवेन्द्र सिंह सिकरवार *

* सहायक प्राध्यापक, संत योगी मान सिंह शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान समय में विश्व सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं से होने वाले संघर्षों के अतिरिक्त एक नई विश्वव्यापी महामारी कोविड से जूझ रहा है। कोविड ने हमें कैदियों की तरह घर में कैद (रहने को मजबूर) कर दिया था। जिसके परिणाम स्वरूप सेल फोन (इन्टरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट) का उपयोग व्यस्क एवं रोजगार युक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त अध्ययनरत छात्र छात्राओं में अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। इस सूचना संचार तकनीक के युग में हम भारतीय भी सेल फोन के प्रति ऐसी ही जुनूनता प्रदर्शित कर रहे हैं। सेल फोन पर इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया साइट्स के बढ़ते प्रयोग से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ? यह जानने के लिए शोध समीक्षा की गयी है।

शब्द कुंजी – व्यसन, निर्भरता, सेल फोन, युवा ,समस्यात्मक उपयोग।

प्रस्तावना – सेल फोन को अनेकों नाम से जाना जाता है जैसे-सेल फोन, सेल्यूलर फोन, वायरलेस फोन, सेल्यूलर टेलीकाम, हैंड फोन। सेल फोन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आवाज/डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक लम्बी दूरी में भेजने हेतु विशेष बेस स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम का उपयोग किया जाता है।

सेल फोन वर्तमान समय में 21 वी सदी का आईकान बन गया है। सेल फोन एक ऑन द गो टॉकिंग डिवाइस है, जिसमें इन्टरनेट, वार्तालाप, एस.एम.एस, एम.एम.एस, ईमेल, वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरे, एफएम, जी.पी.एस., एमपी-3, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, गेमिंग, ब्लूटुथ, इन्फ्रारेड, जैसी सुविधाओं के साथ मोबाइल एक मिनी बैंक/वॉलिट की तरह भी कार्य करता है। सेल फोन के आविष्कारक के रूप में मार्टिन कूपर को जाना जाता है। वर्तमान समय में सेल फोन डेस्कटॉप और लैपटाप का स्थान लेता जा रहा है, अंतर केवल आकार में होता है। कार्य दक्षता में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर है तो स्टोरेज, स्कैनिंग क्षमता का, जो कि सेल फोन में भी निरंतर परिष्कृत होती जा रही है और स्कैनिंग का स्थान स्क्रीन शॉट ने ले लिया है। स्टोरेज क्षमता भी नए सेल फोनों में बढ़ कर आ रही है।

सेल फोन से सम्बन्धित आँकडो का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 2022 में विश्व में सेल फोन उपयोगकर्ता 7.26 बिलियन तक पहुँच चुके हैं अर्थात जो कि विश्व की कुल आबादी का 83.72 प्रतिशत लोग सेल फोन का उपयोग कर रहे हैं। जबकि गौर करने योग्य यह तथ्य है कि वर्ष 2016 में विश्व में सेल फोन उपयोगकर्ता लगभग 3.66 बिलयन थे जो कि विश्व की कुल आबादी का 49.40 प्रतिशत थे। यदि वर्ष 2022 में देखें तो हम पाते हैं कि स्मार्ट फोन और फीचर फोन दोनों को मिलाकर सम्पूर्ण विश्व में उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 7.26 बिलयन, जो कि विश्व की कुल आबादी का 91.54 प्रतिशत है सेल फोन उपयोगकर्ता हैं (यहाँ फीचर फोन से तात्पर्य ऐसे फोन से हैं जिनमें एप्स और काम्प्लेक्स ओएस सिस्टम का अभाव है)।

भारत में सेल फोन उपयोगकर्ताओं पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि 30 अप्रैल 2022 तक भारत में वायरलेस फोन (सेल फोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 1142.66 मिलियन तथा वायरलाइन (लैंडलाइन) उपभोक्ताओं की संख्या 25.16 मिलियन एवं वायरलेस और वायरलाइन उपभोक्ताओ की कुल संख्या 1167.82 मिलियन है। भारत के शहरी क्षेत्र में वायरलेस फोन उपभोक्ताओ की संख्या 623.78 मिलियन तथा वायरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या 23.22 मिलियन अर्थात वायलेस और वायरलाइन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 646.99 मिलियन है। ग्रामीण क्षेत्र में वायरलेस फोन उपभोक्ता 518.88 मिलियन तथा वायरलाइन उपभोक्ता 1.94 मिलियन अर्थात वायरलेस और वायरलाइन फोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 520.82 मिलियम है। भारत में 30 अप्रैल 2022 की स्थिति में यदि ब्राडबैंड उपभोक्ताओं पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि वायरलेस के माध्यम से ब्राडबैंड उपभोक्ता 760.94 मिलियन तथा वायर लाइन के माधयम से ब्राडबैंड उपभोक्ता 27.83 अर्थात कुल ब्राडबैंड उपभोक्ताओ की संख्या 788.77 मिलियन है (1)।

सेल फोन उपभोक्ताओं मे 2021 की रैकिंग के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से यू.एस.ए. के लगभग 82.2 प्रतिशत लोग सेल फोन का उपयोग करते हैं। यदि सर्वाधिक सेल फोन उपभोक्ताओं के देशों पर दृष्टि डालें तो हम पाते है कि चीन 953.55 मिलियन सेल फोन उपभोक्ताओं के साथ प्रथम स्थान पर है, जबकि 492.78 मिलियन सेल फोन उपयोगकर्ताओं के साथ भारत दूसरे स्थान पर है।

बाजार और उपभोक्ता डाटा के एक अग्रणी प्रदाता स्टैटिस्टा के अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है कि वर्ष 2026 में भारत में सेल फोन धारकों की संख्या 100 करोड के पार हो जाएगी और भारत में हर 10 में से 7 व्यक्तियों के पास सेल फोन होगा।

सेल फोन के हानिकारक प्रभाव-वर्तमान में जिस गति से सेल फोन उपभोक्ता बढ़ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व की अधिकांश

जनसंख्या निकट भविष्य में सेल फोन का उपयोग करने लगेगी। एक ओर जहाँ सेल फोन से अत्यधिक सुविधाओं की अनुभूति होती है तो वहीं सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से दुष्परिणाम भी दृष्टिगोचर होने लगे हैं। सेल फोन के परिचालन हेतु विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग होता है। जिसके कारण न केवल मानव स्वास्थ पर बल्कि वातावरण पर भी इससे प्रतिकूल प्रभाव पडता है। सेल फोन और इसके टॉवरों से होने वाले दुष्परिणामों पर भी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। हाँलाकि इनकी संख्या कम है। कुछ नये अनुसंधानों से यह जानकारी मिली है कि सेल फोन के प्रयोग और मस्तिष्क तथा लार ग्रंथि के मधय सम्बन्ध पाया गया है। लेनार्त और हार्देल के 2009 की रिसर्च के अनुसार जो व्यक्ति सेल फोन का उपयोग निरंतर 10 वर्ष तक करेगा उसे ट्यूमर होने का खतरा दोगुना हो जाएगा। अमेरिका की संघीय संचार आयोग के अनुसार सेल फोन से होने वाले विकिरण के प्रभाव को कम करने के लिए हमें सेल फोन को 20 सेमी दूर रखना चाहिए। सेल फोन से हमारे स्वास्थ पर पडने वाले हानिकारक प्रभाव निम्न हैं–

1. तनाव– सेल फोन के उपयोग से नकारात्मक प्रभाव हावी होने लगते है। बार–बार फोन की घंटी बजना, एस.एम.एस., वाटसअप एलर्ट या अन्य एलर्ट आने से फोन के उपयोगकर्ता के साथ उसके नजदीक उपस्थित लोगों में तनाव उत्पन्न होता है जो नकारात्मक भावनाओं को विकसित करता है।

2. इसी प्रकार जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और फोन आने पर एक फोन पर बातें करने लगता है तो दूसरे व्यक्ति में नकारात्मकता उत्पन्न होने लगती है जिससे उनके रिश्तों के मध्य भी तनाव पैदा हो सकता है।

3. अत्यधिक समय या रात में देर तक सेल फोन का उपयोग करने से भी नींद न आने से अवसाद व तनाव पैदा होता है।

4. हम सभी सामान्यत: दिन में कई कई बार सेल फोन का प्रयोग करते हैं और सेल फोन को घर या कार्यालय में टेबल पर कहीं भी रख देते है। इसी प्रकार कई बार हम घर या कार्यालय में भी कार्य कर रहे हैं और किसी का भी फोन/संदेश आ जाए तो उन्हीं हाथों से सेल फोन पर बात या वाटसएप या एस.एम.एस आदि करने लगते है यहाँ तक कि भोजन बनाते/खाते समय भी सेल फोन का उपयोग बंद नहीं करते। आजकल तो हम लोग शौचालय जाने पर भी सेल फोन साथ ले जाते हैं और उसका उपयोग करते है विशेषत: युवा वर्ग। अत: हम दिन में सामान्य रूप से अनगिनत चीजों को छूते हैं और साथ ही साथ सेल फोन को भी हाथ लगाते हैं जिसके कारण सेल फोन पर अनगिनत तलीय पदार्थ/कीटाणु/रोगाणु लग जाते है और हमारे द्धारा सेल फोन उपयोग करने से ये हमें व अन्य को प्रभावित करते हैं जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली/रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और हमारे बीमार होने की संभावना अधिक हो जाती है।

5. सेल फोन के निर्माण में कई हानिकारक पदार्थो जिनमें कैडमियम, लीथियम, ताँबा, सीसा, जस्ता, तथा पारा आदि शामिल हैं का उपयोग किया जाता है। सेल फोनों की डंपिंग और खराब होने पर इन पदार्थो के मिट्टी के अन्दर मिलने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता को हानि पहुंचती है तथा ये भूमि जल को भी हानिकारक बना देते हैं। सेल फोनों का उत्पादन जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हॉलांकि सेल फोनों की रीसाइक्लिंग करने से हम इन प्रभावों को थोडा कम अवश्य कर सकते है।

6. सेल फोन के अत्यधिक उपयोग से सिरदर्द, अनिद्रा, अत्याधिक समय तक लगातार बातें करने से कान में सुन्नपन, गर्दन एवं पीठदर्द की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। सेल फोन की स्क्रीन कम्प्यूटर स्क्रीन से काफी छोटी होने के कारण हमारी आखों पर अधिक तनाव पड़ता है जिससे नेत्र संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।

7. कुछ अनुसंधानों में प्रारंभिक स्तर पर ऐसा ज्ञात हुआ है कि गर्भवती महिलाओं द्धारा सेल फोन का अत्याधिक उपयोग किए जाने से होने वाले बच्चे में व्यवहारगत परिवर्तन मे प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित होते है।

8. सेल फोन के उपयोग से मानव मस्तिष्क के तापमान में भी उतार चढ़ाव होता है।

9. वर्तमान में वाहन दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक वाहन चलाते समय/सड़क पर चलते समय सेल फोन का उपयोग करना भी है।

10. सेल फोन के टॉवर से स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभाव के विषय में विश्वभर में चर्चा होना आम बात है। हॉलाकि वैज्ञानिक रूप से अभी इस सम्बन्धा में कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्टस के अनुसार सेल फोन टॉवर से होने वाले विकरण से हमारी कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि, रोग प्रतिरोधाक क्षमता का कम होना, मस्तिष्क में ट्यूमर, बच्चों में कैंसर और गर्भपात सम्बन्धी अनेक समस्याओं का जिक्र अवश्यक किया गया है।

सेल फोन एक व्यसन के रूप में अध्ययन करने पर पाया गया कि इससे संबधित जितने भी शोध कार्य हुए है उनमें विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के विश्लेषण का अभाव पाया गया है। अधिकांश शोध कार्यो मे उम्र और लिंग के आधार पर या शैक्षिणिक और आर्थिक स्थिति को दृष्टि मे रखते हुए शोध कार्य सम्पन्न किए गए हैं।

किशारों मे सेल फोन का व्यसन इतना बढ़ गया है कि कुछ किशोर अपने सेल फोन को रात में भी बंद नहीं करते (11)। विशेष रुप से 11 से 14 वर्ष की आयु के 27 प्रतिशत युवा स्वीकार करते हैं कि वे अपने सेल फोन को कभी बंद नहीं करते। यह एक ऐसा व्यवहार है जो उम्र के साथ बढ़ता हुआ पाया गया है जैसे 13–14 साल के हर तीन में से एक युवा कभी भी अपने सेल फोन/डिवाइस को बंद नहीं करते (12)।

किसी को स्वयं का सेल फोन प्राप्त करने की उम्र भी बहुत प्रासंगिक है कम उम्र में सेल फोन का स्वामित्व मिलना भविष्य में उसके समस्याग्रस्त होने की संभावना को प्रबल कर देता है। सहिन एट अल (13) ने पाया कि सेल फोन का समस्याग्रस्त उपयोग के सबसे बड़े संकेतक तब मिलते है जब किसी को पहला सेल फोन 13 वर्ष से कम आयु की उम्र में प्राप्त हो जाता है। अधिाकांश अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि पुरुषों की तुलना में सेल फोन निर्भरता/लत का स्तर महिलाओं में उच्च है (14,15,16,17)। महिलाएं सेल फोन का उपयोग सामान्य तौर पर सामाजिक (18) पारस्परिक संबंधों के निर्माण और उनके रखरखाव और अप्रत्यक्ष संचार हेतु करती हैं और त्वरित संदेश भेजना उनके सबसे अधिाक उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोग हैं (18,19)। पुरुष सेल फोन का उपयोग एक साथ संदेश, वॉयस वार्तालाप (20,21) और गेमिंग एप्लिकेशन (22,23) के लिए करते हैं और पुरुष जोखिम भरी परिस्थितियों में महिलाओं की तुलना में अधिक सेल फोन का उपयोग करने हेतु प्रवृत्त पाए गए हैं (20)।

महिलाओं के लिए सेल फोन सामाजिक सम्पर्क का एक साधन है जिसमें संदेश और सामाजिक नेटवर्क प्रासंगिक भूमिका निभाते हैं, जबकि पुरुषों के लिए अधिक विविध प्रकार का उपयोग देखा गया है जो इंटरनेट के उपयोग से अलग भी होता है तथा पुरुषों में समस्यात्मक व्यवहार अधिक दिखाई देता है (25)।

शैक्षिक और आर्थिक स्तर के अनुकूल सेल फोन की लत के सम्बन्ध

में कोई विशेष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसके बाबजूद मजाहेरी और नजरकोले (26) ने पाया कि उच्च सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर वाले परिवारों के छात्रों में सेल फोन निर्भरता का स्तर उच्च पाया गया हॉलाकि ये बच्चे अलगाव व अकेलेपन से सम्बन्धित थे। इसी प्रकार तबाकोलिजाडेह एट एल (27) ने शिक्षा के स्तर और समस्याग्रस्त उपयोग के मध्य सीधा सम्बन्ध पाया जिसके लिये उन्होंने घर से दूर बिताये समय और अध्ययन की बढी हुई अवधि के कारण अलगाव को जिम्मेदार पाया। लोपेज फर्नांडीज एट अल ने पाया कि पिता या माता का शिक्षा का स्तर जितना उच्च होता है सेल फोन के उपयोग में उतनी ही कम समस्या पाई गयी।

भौगोलिक और सांस्कृतिक अंतर भी समस्याग्रस्त सेल फोन के उपयोग के सम्बन्ध में अहमियत रखता है। जैसे कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों में सेल फोन निर्भरता अत्यधिक पाई गई। शिन (29) ने यूएएस और कोरिया के छात्रों की इंटरनेट निर्भरता में पाया कि कोरियाई छात्रों की निर्भरता अमेरिकियों की तुलना में लगभग दो गुनी थी। सेल फोनों के व्यसन संबधी व्यवहार के अध्ययन का उद्देश्य उन चर या व्यक्तित्व संबधी लक्षणों से है जो समस्याग्रस्त व्यसनी व्यवहार के साथ सहसम्बन्धित है। विशेष रूप से इसमें पाँच आयामों जिनमें व्यक्तित्व के साथ आत्मसम्मान, आत्म अवधारणा, आत्म पहचान और आवेग के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है अर्थात एफएफएम व्यक्तित्व के पाँच आयाम (अपव्यय, अनुभव या परिवर्तन के लिए खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, सहमतता और विक्षिप्तता या भावनात्मक अस्थिरता) स्थापित करता है। जिन्हें बिग फाइव पर्सनलटी ट्रेट्स (एफएफएम) के रूप में भी जाना जाता है। टेरासियानियों व अन्य (30) ने सेल फोन उपयोग की लत एवं मादक द्रव्यों की तल दोनों पर शोध कार्य किया। लकाओ एम (31) एवं कोस्टरो पीटी व मैकक्रे आरआर (32) ने भी इन फाइव पर्सनलटी ट्रेट्स को लेकर शोध कार्य किया तथा पाया कि महिलाओं में बहिर्मुखी और अप्रिय भावनात्मक अवस्थाओं से बचने की प्रवृत्ति, आत्म सम्मान और सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता के लिए सेल फोन व्यसनी प्रवृति पायी गई। कुस और ग्रिफिथ (33) ने पाया कि बहिर्मुखी संपर्क बनाने और सामाजिक संपर्क संबंध स्थापित करने हेतु नेटवर्क का अधिक उपयोग करते हैं। जबकि अन्तर्मुखी लोगों में यह उनकी कठिनाईयों की भरपाई के लिए उपयोग किया जाता है। गीओटा और केलेफ्टारस ने देखा कि सामाजिक नेटवर्क का समस्याग्रस्त उपयोग विक्षिप्तता और सहमतता के साथ साथ विशेष रूप से महिलाओ में अवसाद से संबधित है।

पार्क एल एट (34) ने पाया कि दूसरों की नकल, कम आत्म सम्मान, और सामाजिक चिंता ने सेल फोन के दुरुपयोग में योगदान दिया है। हालांकि इसमें यह आवश्यक नहीं कि इसमें आवाज की बातचीत हो या संदेशो का ही आदान प्रदान हो। सेल फोन के दुरुपयोग से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं के संबंध में अनुसंधानों में पाया गया कि नीद में हस्तक्षेप शराब और तंबाकू जैसे पदार्थो के उपयोग के साथ इसके सह अस्तित्व पर केन्द्रित है विशेष रूप से चिंता, तनाव व अवसाद के साथ।

किशोरावस्था में नींद में व्यवधान की समस्या अनिवार्य रुप से देखी गई है, जहाँ सेलफोन का दुरुपयोग स्वास्थ गतिविधियों और आदतों में हस्तक्षेप कर सकता है। विशेष रूप से नींद के समय गुणवत्ता को प्रभावित करता है। विशेष रूप से साहिन एट अल (13) ने देखा कि छात्रों के उच्च अँको में गिरावट सेल फोन के समस्याग्रस्त उपयोग के कारण है जिससे उनकी नींद की गुणवत्ता में गिरावट पाई गई इस हेतु इन्होंने पिटसवर्ग स्लीप क्वालिटी स्केल का उपयोग किया। इसी प्रकार जेनारो एट अल (14) ने पाया कि छात्र द्धारा सेल फोन का समस्याग्रस्त उपयोग उनकी चिंता और नींद से जुड़ा है। थोमी एट अल (37,38) ने कॉल और संदेशों की संख्या और नींद की कठिनाइयों के साथ साथ रात के समय सेल फोन के उपयोग करने की प्रवृत्ति के बीच सहसम्बन्ध पाया। इसी प्रकार चोजिल एम व अन्य (11) ने व्यक्तिगत तनाव को सेल फोन के दुरुपयोग से सम्बद्ध माना क्योंकि यह सतर्कता की प्रवृत्ति बनाए रखता है और नींद में व्यवधान उत्पन्न करता है।

मानसिक स्वास्थ्य और समस्यागत सेल फोन के उपयोग के बीच एक विपरीत संबंध स्पष्ट है। विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक स्थिरता के निम्न स्तर वाले छात्र सेल फोन के लिए व्यसनी प्रवृति विकसित करने के लिए अधिक संवेनशील पाए जाते है। ऐसे छात्र सामाजिक संपर्क के माध्यम से तनाव और डिस्फोरिया में कमी करने का प्रयास करते हैं। हॉलाकि स्वस्थ्य मानसिक स्वास्थ वाले छात्रों को व्यसन की अभिव्यक्तियों के अस्तित्व को विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध से बाहर नहीं रखा गया है (40)। इसके विपरीत हूपर और झोड (41) ने पाया कि व्यसनी व्हवहार वाले छात्रों में तनाव समस्याग्रस्त सेल फोन के उपयोग से उत्पन्न समस्याओं का परिणाम भी हो सकता है। यंग और रोजर्स (42) का अध्ययन दर्शाता है कि अवसादग्रस्तता के लक्षण शराब और नशीली दवाओं की लत की कई अभिव्यक्तियों से जुड़े हुए हैं।

निष्कर्ष – सेल फोनों के उपयोग से सम्बन्धित किए गए शोध अध्ययनों से स्पष्ट है कि सेलफोनों के समस्यात्मक उपयोग/लत सम्बन्धी समस्याऐं नित्यप्रति बढती जावेंगी क्योंकि कोविड के कारण ऑनलाइन कक्षाओं का चलन बढ गया है और हमारे विद्यार्थी इन कक्षाओं में शामिल होने हेतु सेल फोन का उपयोग कर रहे हैं क्योकि हर घर में कम्प्यूटर, लैपटॉप उपलब्ध नहीं है। यदि है भी तो एक घर में एक से अधिक विद्यार्थी होने पर उन्हें सेल फोन का ही उपयोग करना होगा। हमारे विद्यार्थी/युवा पीढी को सेल फोन की लत से बचाने हेतु विद्यार्थियों एवं अभिभावकों हेतु निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही साथ जन चेतना द्धारा इन्हें जागरूक करना चाहिए। इस कार्य में शिक्षण संस्थाओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA New Delhi, 16th June, 2022 (www.trai.gov.in) Information Note to the Press (Press Release No.40/ 2022)
2. Mobile phone – Wikipedia https://en.wikipedia.org › wiki › Mobile_phone
3. Business Standard News Paper,New Delhi, Date 22/ 02/2022
4. WHO. Maternal, newborn, child and adolescent health. Adolescent development: a critical-transition. from:http: //www.who.int/ maternal_ child_ adolescent/ topics/ adolescence
5. Adolescence—the age of opportunity. The kingdom of the children of the world. Available from: http:// www.unicef.org/india/media_6785.htm.
6. WHO. Management of substance abuse: dependency

syndrome.

7. “Smartphone”. Phone Scoop. Available from: http:// www. phonescoop.com/ glossary
8. Smartphone Addiction - HelpGuide.org https:// www.helpguide.org › articles › addictions ›
9. Cell Phone Addiction - PsychGuides.com https:// www.psychguides.com › behavioral-disorders
10. Cell phone addiction and psychological and physiological.*https://www.ncbi.nlm.nih.gov* › articles › PMC6449671
11. Choliz M, Villanueva V, Cholliz MC. Alas, Alos y su movil: Uso y abuso ({La Dependencia?) del telefono moville en la Adolcencia. Revista Espaola de Drogodependencias (2009) 34:74-88. (google scholar)
12. Protein. Dimvitme less mkk l bd bhidmbjpupkk dóupus item m chn: tablets l launtjchivdme. Chtvzmmsmaye, Dependent del safer Internet program de la commissione europaea. (2014). Available from: pru.chatvajmhamsme.bvu
13. Sahin S, Ozdemir K, Unsal A, Temiz N. Evaluation of mobile phone addiction levels and sleep quality in university students. Pak J Med Sci (2013) 29:913:8. 10.12669/cherow.294.3686 (PMC free article) (PubMed) (Crossref) (Google Scholar)
14. Genaro C, Flores N, Gomez-Vella M, González-Gil F, Caballo C. Problematic Internet and cell-phone use: Psychological, behavioral and health correlates. Addict Res Theory (2007) :309–20. 10.1080/160663507 01350247 (CrossRef) (Google Scholar)
15. Sánchez Martínez M, Otero A. Factors associated with cell phone use among adolescents in the community of Madrid (Spain). Cyberpsychol Behavior (2009) 12:131v7. 10.1089/cpb.2008.0164 (pubmed) (CrossRef) (Google Scholar)
16. Beranuy Farguez M, Chamaro Lucer A, Grainer Jordania C, Carbonell Sánchez X. Validacion de dos Escalas breves para evaluar la edicion a internet and Abuso del Moville. Psychothema (2009) 21:480:5. (PubMed) (Google Scholar)
17. López-Fernández O, Honrubia-Serrano ML, Freixa-Blanxart M. Adaptación Espaola del `Mobile Phone Problem Use Scale’ for Adolescents. Addiction (2012) 24:123–30. 10.20882/cuppvdme.104 (pubmed) (Crossref) (Google Scholar)
18. Toda M, Monden K, Kubo K, Morimoto K. Mobile phone dependence and health-related lifestyles of university students. Social Behavior Purse (2006) 34:1277-84. 10.2224/Eich.2006.34.10.1277 (Battvatma) (Aviism Scholar)
19 Hassanzadeh R, Rezai A. Effect of sex, curriculum and age on SMS addiction in students. Middle East J Science Research (2011) 10:619-25. (google scholar)
20. Billieux J, van der Linden M, Rochat L. The role of impulsivity in actual and problematic use of mobile phones. Apple Cogn Psychol (2008) 22:1195-210. 10.1002/bch.1429 (CrossRef) (Google Scholar)
21. Igarashi T, Takai J, Yoshida T. Gender differences in social network development via mobile phone text messages: a longitudinal study. J Soc Purs Relat (2005) 22:691d713. 10.1177/0265407505056492 (CrossRef) (Google Scholar)
22. Pedrero Perez EJ, Rodriguez Monje MT, Ruiz Sánchez de Leon JM. Abuso del Telefono Movie: Revision de la Literatura. Addiction (2012) 24:139-52. 10.20882/ cuppvdme.107 (pubmed) (Crossref) (Google Scholar)
23. Jiménez-Albíar MI, Piceras J, Mateu-Martinez O, Carballo JL, Orgilles M, Espada JP. Differentias de sexo, Characteristicas de Personalidad and Afrentmiento en el uso de internet, El Moville y los Video-Juegos en la Adolcencia. Health Addiction (2012) 12:61-82. (google scholar)
24. Billieux J, van der Linden M, Rochat L. The role of impulsivity in actual and problematic use of mobile phones. Apple Cogn Psychol (2008) 22:1195-210. 10.1002/bch.1429 (CrossRef) (Google Scholar)
25. Yu YS, Cho OH, Cha KS. The relationship between overuse of the Internet and mental health in adolescents. nurse health
26 Mazaheri MA, Najarkolei FR. Cell phone and internet addiction among students at Isfahan University of Medical Sciences (Iran). J Health Policy Sustainable Health (2014) 1:101v5. (google scholar)
27. Tawakolizadeh J, Atarodi A, Ahmedpur S, Purghisar A. Excessive mobile phone use and its association with mental health status and demographic factors among students of Gonabad University of Medical Sciences in 2011–2012. Razavi Int J Med (2014) 2 (1): E15527. 10.5812/resm.15527 (CrossRef) (Google Scholar)
28. López-Fernández O, Honrubia-Serrano ML, Freixa-Blanxart M. Adaptación Espaola del `Mobile Phone Problem Use Scale’ for Adolescents. Addiction (2012) 24:123–30. 10.20882/cuppvdme.104 (pubmed) (Crossref) (Google Scholar)
29. Shin LY. Comparative study of mobile Internet usage between the US and Korea. J Eur Psychol Stud (2014) 5:46-55. 10.5334/Ramche.Bah (Btwettam B) (Avihism Scholar)
30. Teraciano A, Lokenhoff CE, Crum RM, Bienvenu OJ, Costa PT. Five-factor model personality profiles of drug users. BMC Psychiatry (2008) 8:22. 10.1186/1471-244g-8-22 (PMC free article) (PubMed) (CrossRef) (Google Scholar)
31. Takao M. Problematic mobile phone use and the big-five personality domain. Indian J Community Med (2014) 39:111d3. 10.4103/0970-0218.132736 (PMC free article) (PubMed) (Crossref) (Google Scholar)
32. Costa PT, McCrae RR. Chhamv Chp-T Professional Manual. Odessa, Jg: Psychological Assessment Resource; (1992). (google scholar)
33. Kuss DJ, Griffiths MD. Online social networking and

addiction - a review of the psychological literature. Int J Environment Res Public Health (2011) 8:3528-52. 10.3390/paramatchi8093528 (PMC free article) (PubMed) (Crossref) (Google Scholar)

34. Park N, Hwang Y, Huh E. Exploring problematic mobile phone use: relationship between adolescent characteristics and mobile phone addiction. Paper presentation at the annual meeting of the International Communications Association. Suntec Singapore International Convention and Exhibition Centre; June 21. Suntec City (2010). (google scholar)
35. Sahin S, Ozdemir K, Unsal A, Temiz N. Evaluation of mobile phone addiction levels and sleep quality in university students. Pak J Med Sci (2013) 29:913:8. 10.12669/cherow.294.3686 (PMC free article) (PubMed) (Crossref) (Google Scholar)
36. Gennaro C, Flores N, Gomez-Vella M, González-Gil F, Caballo C. Problematic Internet and cell-phone use: Psychological, behavioral and health correlates. Addict Res Theory (2007) 15:309–20. 10.1080/16066350701350247 (CrossRef) (Google Scholar)
37. Thomy S, Ekloff M, Gustafsson E, Nilsson R, Hagberg M. Prevalence of perceived stress, symptoms of depression and sleep disturbances in relation to information and communication technology (ICT) use among young adults. An exploratory prospective study. Compute Human Behavior (2007) 23:1300:21. 10.1016/j.chb.2004.12.07 (CrossRef) (Google Scholar)
38. Thomy S, Herenstam A, Hagberg M. Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression in young adults - a prospective cohort study. BMC Public Health (2011) 31 (11): 66. 10.1186/1471-2458-11-66 (PMC free article) (PubMed) (CrossRef) (Google Scholar)
39. Choliz M, Villanueva V, Cholliz MC. Alas, Alos y su movil: Uso y abuso ({La Dependencia?) del telefono moville en la Adolcencia. Revista Espaola de Drogodependencias (2009) 34:74-88. (google scholar)
40. Babadi-Akashe Z, Zamani BE, Abedini Y, Akbari H, Hedayati N. Association between mental health and mobile phone addiction among university students of Shahrekord, Iran. Addictive Health (2014) 6:93d9. (PMC free article) (PubMed) (Google Scholar)
41. Hooper V, Zhou Y. Addictive, Dependent, Compulsive? A study of mobile phone use. 20th bleed e-conference mergers: mergers and emerging technologies, processes and institutions; June 4-6; Bled, Slovenia (2007). (google scholar)
42. Young KS, Rodgers RC. The relationship between depression and Internet addiction. Cyberpsychol Behavior (2009) 1:25-8. 10.1089/cpb.1998.1.25 (CrossRef) (Google Scholar).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

महिला शिक्षा की चुनौतियाँ और संभावनाएँ

डॉ. शानू शक्तावत *

* सहायक आचार्य, बी.एड. बाल विकास विभाग, लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – सशक्तिकरण कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कैप्सूल के रूप में उन लोगों को उपलब्ध कराया जा सके, जिन्हें हम समझते हैं कि उन्हें इसकी आवश्यकता है। यह केवल एक अवधारणा नहीं है जिसे कुछ सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मापदंडों की सहायता से परिभाषित किया जा सकता है। एक भारतीय महिला को शिक्षित करने से भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर पैदा होता है। एक शिक्षित भारतीय महिला देश और समाज दोनों की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देकर भारतीय समाज में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। एक शिक्षित महिला पांच साल की उम्र से पहले अपने बच्चे के मरने की संभावना को कम कर देती है। जनसंख्या को नियंत्रित करने की संभावना अधिक होती है क्योंकि एक शिक्षित महिला की अशिक्षित महिला की तुलना में बाद की उम्र में शादी करने की संभावना होती है।

प्रस्तावना – महिला शिक्षा का विकास भारतीय समाज के भीतर भूमिकाओं की धारणा के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। विचारों में बहुत कम बदलाव आया है और शिक्षा जैसे बहिर्जात कारक का महिलाओं की सदियों पुराने पूर्वाग्रहों और विश्वासों से मुक्ति पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा है। शिक्षा को एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है जिसके माध्यम से आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएँ अस्तित्व में आती हैं। शिक्षा लोगों को नए विचारों और विचारों से परिचित कराती है और आवश्यक कौशल प्रदान करती है। महिलाओं को शिक्षित किए बिना सामंजस्यपूर्ण विकास असंभव है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एक महिला को शिक्षित करना पूरे परिवार को शिक्षित करना है। नारी शक्ति किसी भी देश के आर्थिक विकास में एक युगांतरकारी कारक है। महिलाओं को बाधाओं को दूर करने के लिए उपकरण प्रदान करके। हम व्यापार योगदानकर्ताओं, सामुदायिक नेताओं और नीति निर्माताओं की एक नई पीढ़ी को सशक्त बना सकते हैं।

महिला शिक्षा की भूमिका – सचिव क्लिंटन ने कहा है कि व्यापार और सरकार में महिलाओं का सशक्तिकरण सतत विकास, लोकतंत्र और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शायद सबसे अधिक परिणामी दीर्घकालिक अवसरों का प्रतिनिधित्व करता है। महिला शिक्षा ने महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद की है। वास्तव में, महिलाओं का इतिहास संघर्ष, संघर्ष, बाधाओं, भेदभाव, मांगों, परिवर्तन और विरोध से भरा एक व्यापक इतिहास है। जबकि महिलाओं का इतिहास विरोध से भरा है, स्पष्ट रूप से, महिला शिक्षा ने महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। देखभाल करने वाले, पालन-पोषण करने वाले, और प्रकृति से प्रदाता, महिलाओं की शिक्षा ने महिलाओं की भूमिका का विस्तार किया है और इस तरह के विवरणों को संरक्षक, प्रेरक, शिक्षक और नेताओं के रूप में शामिल किया है।

भारत में महिला शिक्षा का महत्त्व – एक भारतीय महिला को शिक्षित करने से भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर पैदा होता है। एक शिक्षित भारतीय महिला देश और समाज दोनों की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देकर भारतीय समाज में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। एक शिक्षित महिला पांच साल की उम्र से पहले अपने बच्चे के मरने की संभावना को कम कर देती है। जनसंख्या को नियंत्रित करने की संभावना अधिक होती है क्योंकि एक शिक्षित महिला की अशिक्षित महिला की तुलना में बाद की उम्र में शादी करने की संभावना होती है।

एक प्रबुद्ध भविष्य– एक महिला को शिक्षित करने से उसके जीवन के साथ-साथ उसके जीवन की गुणवत्ता और उसके पूरे परिवार का भी उत्थान होता है। यह एक सच्चाई है कि कोई भी शिक्षित महिला निश्चित रूप से अपने बच्चों की शिक्षा में विशेष रूप से एक बालिका का समर्थन करेगी और अपने बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करेगी। भारत जैसे समाज में एक शिक्षित महिला शिशु मृत्यु दर को कम करने और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में सहायता करेगी।

शिक्षित महिलाएं राष्ट्र का नेतृत्व करती हैं – किसी भी देश की महिलाओं का उस देश की प्रगति में अहम योगदान होता है। महिलाएं ही ऐसे बच्चों का निर्माण करने में सक्षम हैं जो देश को प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जा सकती हैं। शिक्षित महिलाएं ही परिवार और समाज को सुसंस्कृत बनाती हैं। सामाजिक रूप से निर्मित लैंगिक पूर्वाग्रहों के खिलाफ लड़ने के लिए महिलाओं को उस व्यवस्था के खिलाफ तैरना पड़ता है जिसके लिए अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। ऐसी ताकत सशक्तिकरण की प्रक्रिया से आती है और सशक्तिकरण शिक्षा से आएगा। हाल ही में, सशक्तिकरण की अवधारणा को विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा और उनके लिए की जाने वाली गतिविधियों की श्रेणी से जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा भी शामिल है।

महिला शिक्षा की स्थिति – शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच अपर्याप्त है। इसलिए वे बड़े पैमाने पर हाशिए पर, गरीब और सामाजिक रूप से बहिष्कृत रहते हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो महिला सशक्तिकरण की दृष्टि के लिए असंख्य चुनौतियों का सामना करते हैं।

महिलाओं की स्थिति को महिलाओं द्वारा ही सुधारा जा सकता है और कोई नहीं। यह उपग्रहों, उपलब्धियों और प्रौद्योगिकी आधारित गैजेट्स का आधुनिक युग है।

यूनेस्को का लोकप्रिय नारा कहता है, 'एक आदमी को शिक्षित करो और तुम एक व्यक्ति को शिक्षित करोय एक महिला को शिक्षित करें और आप एक परिवार को शिक्षित करें।' शिक्षा महिलाओं के बीच वांछनीय व्यवहार परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और उन्हें विभिन्न शैक्षिक समस्याओं से निपटने के लिए ज्ञान, क्षमता और क्षमता के मामले में अच्छी तरह से सुसज्जित कर सकती है।

सशक्तिकरण एक विकास प्रक्रिया है – सशक्तिकरण का अर्थ है जबरन शक्तिहीनता से सत्ता की स्थिति में जाना। शिक्षा विकास प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने का एक प्रमुख साधन है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण सशक्तिकरण का क्षेत्र। यह केवल इसलिए नहीं है क्योंकि शिक्षा अवसर का प्रवेश द्वार है, बल्कि इसलिए भी है कि एक महिला की शैक्षिक उपलब्धियों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा पढ़ने–लिखने से कहीं बढ़कर है। यह एक आवश्यक निवेश है जिसे देश अपने भविष्य के लिए बनाते हैं, गरीबी को कम करने और सतत विकास प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कारक है।

महिला शिक्षा के लिए चुनौतियां:

- **माता–पिता का नकारात्मक रवैया –** छोटे भाई–बहनों की देखभाल करने या पारिवारिक उद्यम में काम करने के लिए गरीब परिवारों में लड़कियों को घर पर रखने की संभावना अधिक होती है। यदि किसी परिवार को वित्तीय प्रतिबंधों के कारण बेटे या बेटी को शिक्षित करने के बीच चयन करना है, तो आमतौर पर बेटे को चुना जाएगा। बेटियों को शिक्षित करने के प्रति माता–पिता का नकारात्मक रवैया भी एक लड़की की शिक्षा में बाधा बन सकता है।
- **अपर्याप्त स्कूल सुविधाएं –** भारत में शिक्षा के लिए एक और चुनौती पर्याप्त स्कूल सुविधाओं की कमी है। कई स्कूलों में स्कूली उम्र के सभी बच्चों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त कक्षाएँ नहीं हैं। इसके अलावा, उपलब्ध कक्षाओं में अक्सर बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि स्वच्छता सुविधाओं या पानी की कमी होती है। शौचालयों की कमी विशेष रूप से लड़कियों की स्कूल उपस्थिति के लिए हानिकारक हो सकती है।
- **महिला शिक्षकों की कमी –** महिला शिक्षकों की कमी लड़कियों की शिक्षा में एक और संभावित बाधा है। लड़कियों के स्कूल जाने की संभावना अधिक होती है और यदि उनके पास महिला शिक्षक हैं तो उनकी उच्च शिक्षा शैक्षणिक उपलब्धि है। यह भारत जैसे अत्यधिक लिंग–पृथक समाजों में विशेष रूप से सच है। वर्तमान में, प्राथमिक स्तर (एमएचआरडी 1993) पर शिक्षकों की संख्या केवल 29 प्रतिशत महिलाओं की है। महिला शिक्षकों का अनुपात विश्वविद्यालय स्तर पर और भी कम है, प्रशिक्षकों का 22 प्रतिशत (सीएसओ 1992)।
- **विश्वविद्यालय शिक्षा में अंतराल –** वर्तमान में, पुरुषों और महिलाओं दोनों के बहुत कम अनुपात में कॉलेज की शिक्षा है, केवल 3 प्रतिशत से अधिक पुरुष और 1 प्रतिशत महिलाएं। हालांकि भारतीय आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा कॉलेज में जाता है, इस स्तर पर छात्रों का एक तिहाई हिस्सा महिलाएं हैं (एमएचआरडी 1993)।
- **पाठ्यक्रम में लैंगिक पूर्वाग्रह –** बहुत पहले 1965 तक, भारत सरकार पाठ्य–पुस्तकों को फिर से लिखने के लिए सहमत हो गई थी ताकि पुरुषों और महिलाओं को लिंग–रूढ़िवादी भूमिकाओं में चित्रित नहीं किया जाएगा। हालाँकि, 1980 के दशक में किए गए भारतीय पाठ्य–पुस्तकों के एक अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश पाठों में पुरुष मुख्य पात्र थे। इन पाठों में, पुरुषों ने उच्च प्रतिष्ठा वाले व्यवसायों का आयोजन किया और उन्हें मजबूत, साहसी और बुद्धिमान के रूप में चित्रित किया गया। इसके विपरीत, जब महिलाओं को शामिल किया गया तो उन्हें कमजोर और असहाय के रूप में चित्रित किया गया, अक्सर दुर्व्यवहार और मार–पीट की शिकार के रूप में।

निष्कर्ष–नारी हर समाज का अभिन्न अंग है। लेकिन महिलाओं की स्थिति और शिक्षा अभी भी पुरुषों की तुलना में पिछड़ी हुई है। भारतीय संविधान ने जाति, पंथ और लिंग के बावजूद सभी को समान अधिकार और दर्जा दिया है। लेकिन व्यवहार में, महिलाओं को विभिन्न तरीकों से उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है। वे विभिन्न सामाजिक अन्याय के शिकार हो रहे हैं, और वे समाज में अपने उचित अधिकार और स्थिति का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। महिलाओं ने अपनी भूमिकाओं और क्षमताओं के बारे में पारंपरिक धारणाओं को बदल दिया है। एक उल्लेखनीय बदलाव आया है, और यह बेहतर के लिए रहा है। यहां कुछ प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की गई है। ये चुनौतियाँ भारत में महिला शिक्षा के विकास और विकास को अत्यधिक प्रभावित करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राम शर्मा। एस (1995), 'महिलाएं और शिक्षा', डिस्कवरी, नई दिल्ली.
2. केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, 1994, सांख्यिकीय सार भारत 1992, नई दिल्ली।
3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1993, चयनित शैक्षिक सांख्यिकी, 1991– 92, नई दिल्ली।
4. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, 1995, भारत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 1992–93, बॉम्बे।
5. विक्टोरिया ए. वेल्कॉफ (1998), 'भारत में महिला शिक्षा', अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्र।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

समाचार पत्र में भाषा और उसका महत्व

विशेष चंद्र गुप्त *

* शोधार्थी (हिन्दी) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी –टीका–टिप्पणी, विकासशील, पत्र–पत्रिकाएँ, भाषा।

प्रस्तावना – समाचार पत्रों के अधिकांश पाठक नियमित रूप से समाचार पत्र खरीद कर पढ़ते हैं। काफी बडी तादाद में लोग पुस्तकालयों और वाचनालयों में भी जाते हैं। पढ़ी व सुनी खबरों पर लोग चर्चा करते हैं और टीका–टिप्पणी भी। खबरों की भूख आज इतनी बढ़ गयी है कि उसे हम छोटी मोटी जागृति की संज्ञा दे सकते हैं।

अमेरिका में 90 प्रीतिशत लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। दूसरी बडी शक्ति पूर्व सोवियत संघ में अखबार पढ़ने वालों का प्रतिशत 95 है। वहाँ तो अखबार खरीदने के लिए भी कतारें लगती हैं। टप्ने, टणमों, बसों वगैरह में अक्सर लोगों को अखबार पढ़ते हुये देखा जा सकता है।

इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्कैंडेनेवियाई देशों में भी समाचार पत्र पढ़ने की आम आदत लोगों में है। विकासशील देशों को इस स्थिति तक पहुण्चाने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि साक्षरता और आर्थिक साधनों की कमी के कारण बहुसंख्यक लोग रोजी–रोटी को ही प्राथमिकता देंगे, अखबार को नहीं। भारत की लगभग 35 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है।

भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में अखबार छपते हैं। अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा बांग्ला मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती और पंजाबी में भी बढ़िया अखबार निकलते हैं। उर्दू अखबारों की संख्या भी कम नही है। इन समाचार पत्रों में हर प्रकार की खबरें, टीका टिप्पणियाँ फीचर आदि होते हैं।

दैनिक अखबार जो घर में आता है परिवार का एक सदस्य ही बन जाता है। गृहस्वामी को अपने समाचार पत्र पर इतना विश्वास हो जाता है कि जब तक वह कोई खबर अपने अखबार में छपी न देख ले, उसे उस खबर की सच्चाई पर विश्वास नहीं होता। प्रत्येक देश राज्य तथा क्षेत्र का अपना अपना समाचार पत्र होता है। बम्बई निवासी टाइम्स ऑफ इण्डिया को अपना अखबार मानते हैं। इसी तरह कलकत्ता में स्टेट्समैन या आनंद बाजार पत्रिका दिल्ली में हिन्दुस्तान टाइम्स या नव भारत टाइम्स का स्थान है।

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित संदर्भ ग्रन्थ के अनुसार इस समय करीब 23000 पत्र पत्रिकायें है जिसमे 1984 के अंत में हमारे देश में 21,784 समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। 1983 के यह आंकडे 20758 थे, अर्थात 1983 के बाद 1984 में वृद्धि 4.9 प्रतिशत थी। 1984 की समाचार पत्रों की गणना में 1609 दैनिक थे। हमारे प्रेस ने कितनी प्रगति की है, इसका अनुमान इस बात से लग सकता है कि 1965–79 चौदह साल की मुफ्त में समाचार पत्रों की संख्या दुगुनी हो गई। 1962–79 तक के 17 साल में अखबारों के प्रसार में सौ फीसदी तक वृद्धि हुई। 1982 के अंत में प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाओं में से 1734 दैनिक, 103 पाक्षिक, 5848 साप्ताहिक, 2688 द्विमासिक, 1922 त्रैमासिक और 237 वार्षिक प्रकाशन थे।

1984 में भारत में समाचार पत्र 92 भाषाओं में 16 प्रमुख और 76 अन्य भाषाओं में प्रकाशित होते थे। इसी वर्ष दो नई भाषाओं को भी इस गणना में शामिल किया गया। इनमें हरियाणी को पहली बार भाषा के रूप में स्वीकार किया गया।

भारतीय प्रेस की अन्य विशेषताओं में से एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 50 प्रतिशत के कुछ कम समाचार पत्र हमारे देश की राजधानियों या महानगरों से निकलते हैं। अंग्रेजी के 68.9 प्रतिशत पत्र और पत्रिकायें महानगरों और राजधानियों से ही प्रकाशित होती हैं। बंगाली और तमिल के लगभग 50 प्रतिशत पत्र क्रमशः कलकत्ता और मद्रास में प्रकाशित होते हैं। इसके विपरीत हिन्दी के समाचार पत्र देश के छोटे छोटे नगरों और ग्रामीण इलाकों में फैले हुए हैं।

मलयालम के समाचार पत्र भी हिन्दी प्रेस की तरह छोटे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रकाशित होते हैं। जहां तक प्रसार का प्रश्न है, हिन्दी में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं की बिक्री 27.5 प्रतिशत सबसे अधिक है। 1979 में पहली बार हिन्दी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बिक्री एक करोड़ से भी बढ़ गई। अंग्रेजी अखबारों और पत्रिकाओं की बिक्री 19.4 प्रतिशत दूसरे स्थान पर थी।

भारतीय प्रेस की एक विशेषता यह भी है कि बडे समाचार पत्रों गणना में 176–प्रसार 50,000 या इससे अधिक दैनिक, माध्यम समाचार पत्रों गणना 374 प्रसार 15,000 से 50000 दैनिक और लघु समाचार पत्रों की गणना 6549 प्रसार 15000 से कम दैनिक में लघु समाचार पत्रों की संख्या समाचार पत्रों की समग्र गणना का लगभग 90 प्रतिशत है। किन्तु बडे समाचार पत्रों की सर्कुलेशन अखबारों की कुल बिक्री का 42.2 प्रतिशत है और यही आंकडे मध्यम और लघु समाचार पत्रों के लिए क्रमशः 20.7 और 37.1 प्रतिशत है। स्पष्ट है बडे अखबार बडे पैमाने पर छपते हैं और उनका प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर होता है। लघु समाचार पत्रों की सर्कुलेशन एक छोटे से शहर या इलाके तक सीमित रहती है।

'उर्दू' के समाचार पत्रों के बारे में उपर्युक्त रिपोर्ट में किसी दैनिक का नाम नहीं दिया गया है और कहा गया है कि शमा एक मासिक पत्रिका की सर्कुलेशन उर्दू समाचार पत्रों में सबसे ज्यादा है। लेकिन पिछले आंकडो के

मुताबिक पंजाब के उर्दू दैनिक हिन्द समाचार की सर्कुलेशन सब उर्दू दैनिकों में सबसे ज्यादा बताई जाती है।प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर तथा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 में संशोधन से पहली जुलाई 1956 को भारत के समाचार पत्र पंजीयक का कार्यालय अस्तिव में आया। समाचार पत्र पंजीयक को प्रेस पंजीयक भी कहा जाता है। यह हर वर्ष 31 दिसम्बर से पहले, समाचार पत्रों की स्थिति के बारे में सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। जिस अवधि के लिए वार्षिक वितरण दिए जाते थे, पंजीयक द्धारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2007 तक पंजीकृत समाचार पत्रों की कुल संख्या 65,4032 थी इनमें 7,131 दैनिक थे, 374 त्रिमासिक/द्विसाप्ताहिक, 22116 साप्ताहिक, 8547 पाक्षिक, 19456 मासिक, 4470 त्रैमासिक, 605 वार्षिक तथा 2333 अन्य कालावधियों के थे।

प्रेस पंजीयक की 2005-06 की रिपोर्ट के अनुसार 123 भाषाओं और बोलियों में समाचार पत्रों का पंजीयन किया गया। संविधान की आठवीं अनुसूची में अभिलिखित अंग्रेजी के अलावा 22 अन्य प्रमुख भाषाओं और 100 अन्य भाषाओं और बोलियों अधिकतर भारतीय, कुछेक विदेशी भाषाओं के समाचार पत्रों का पंजीयन हुआ। उड़ीसा में 23 प्रमुख भाषाओं में से 18 में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। महाराष्ट्र में 17 भाषाओं और दिल्ली में 16 प्रमुख भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है।

रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2006 तक पंजीकृत 62,483 में से 8,512 ने 2005-06 में वार्षिक रिपोर्ट दी। 8512 समाचार पत्रों की प्रसार संख्या 18,0738,611 थी सबसे अधिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं हिंदी में पंजीकृत हुई, इनकी संख्या 9064 थी।

समाचार पत्रों का महत्व- समाचार पत्रों का महत्व हमारे जीवन में समाचार पत्रों का विशेष महत्व है। किसी भी कार्य को करने और उसके प्रचार प्रसार के लिए समाचार पत्र आपका अपना मित्र भी कहा जा सकता है।

1. समाचार पत्र वर्तमान युग का दर्पण कहा जा सकता है। साधारण जनता का शिक्षक, जनता का विश्वविद्यालय जन जागरण का सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रिय सस्ता और सुलभ साधन है।
2. लोकतंत्र में समाचार पत्र को जनशक्ति का चतुर्थ स्तम्भ स्वीकार किया जाता है। यही जन-भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है।
3. समाचार पत्र आज के समय में ब्रह्मण्ड की रोज की जानकारी है जिसमें प्रत्येक विषय की सम्पूर्ण जानकारी आपको सुबह सुबह मिल सकती है।
4. यह प्रतिदिन की समाज में घटित हुयी सूचना का केन्द्र है जिसके जरिये लोग अपनी दिनचर्या को पूर्ण करते है।
5. समाचार पत्र वर्तमान युग में जन जागरण का प्रहरी है। एक सजग प्रहरी की भांति समाचार पत्र समाज पर कड़ी दृष्टि रखते हैं। वे हमें अपनी दिव्य दृष्टि एवं तीव्र सूझ-बूझ के माध्यम से उन अलमारियों तक ले जाते हैं जिनमें सरकारों, बडे ़बड़े ़औद्योगिक संस्थानों तथा स्वार्थी नेताओं की भयावनी योजनाएं छिपी रहती हैं।
6. वर्तमान युग में समाचार पत्र ही जनमत तैयार करने का सबसे सुलभ साधन है। प्रकाशित समाचारों, अग्रलेखों ओर संपादकीय टिप्पणियों में जनता की विचारधारा को मोड़ने और दृष्टिकोण को बदलने की महान शक्ति होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वर्नेज, एडवर्ड एल., पब्लिक रिलेशन, यूनाइटेड स्टेट:वोस्टन मॉस वैलमैन, 1945
2. शुक्ल, डॉ. शाशिकान्त, कार्पोरेट तथा वित्तीय जनसंपर्क, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2009
3. त्रिवेदी, डॉ. सुशील और शशिकांत शुक्ला, जनसंपर्क की एतिहासिक पृष्ठभूमि, भोपाल: मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 1996
4 मण्डल, दिलीप, कॉरपोरेट मीडिया: दलाल स्ट्रीट, दिल्ली: 2 तक्षशिला प्रा.लि. 2011
5. त्रिवेदी, डॉ. सुशील और शाशिकांत, जनसंपर्क सिद्धांत और व्यवहार, छत्तीसगढ़: मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 1996
6. डॉ. त्रिवेदी, सुशील और शशिकांत शुक्ला, जनसंपर्क सिद्धांत और व्यवहार, भोपाल: मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1996
7. कुमार संतोष, पत्रकारिता कल आज और कल, नई दिल्ली: ओमेगा पब्लिकेशन्स, 2008
8. शर्मा, ओपी, पत्रकारिता और उसके विभिन्न स्वरूप, नई दिल्ली: महावीर एण्ड संस, 2007

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर का समाजशास्त्रीय अध्ययन (उ. प्र. के लखनऊ जिले के विशेष संदर्भ में)

शोभना शुक्ला *

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत में प्राचीन काल से स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था का जो क्रम आरम्भ हुआ, उसमें समय के साथ तमाम उच्चावचन देखने को मिलते है। मुगल शासन काल में भारतीय आयुर्वेदिक एवं सिद्ध चिकित्सा पद्धति में यूनानी चिकित्सा पद्धति का समावेश हुआ। कालान्तर में अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का भी समावेश हुआ। बावजूद इन सभी नवाचारों के 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्कालीन उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी इन्तजाम तथा अधोसंरचना नाकाफी थे। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की वर्तमान स्थित को देखते हुए ये समस्त प्रयास नाकाफी प्रतीत होते है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य को एक ऐसी दशा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी इस परिभाषा को 1978 में 31 वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान अलमा अता घोषणा द्वारा यह स्थापित किया गया, कि वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवा दी जायेगी। इस लक्ष्य की दिशा में सभी लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, प्राथमिक कड़ी के रूप में स्वीकार किया गया। जो बहुत जरूरी था।

सामान्यत: स्वास्थ्य सुविधाओं को सामाजिक एवं आर्थिक विकास की मूल धारा से अलग रख कर देखा जाता है। औद्योगिकीकरण एवं प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण के अनियोजित एवं अनियंत्रित दोहन के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद भी आर्थिक विकास के चिन्तक स्वास्थ्य संबंधी चिन्तन से स्वयं को अलग बनाये हुए है, जबकि अधिकतर स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें विकास की प्रक्रिया के चलते उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण की ही परिणति है।

प्रस्तावित शोध के क्षेत्र में पूर्ववर्ती अध्ययनों की सक्षिप्त समीक्षा

(Mukhopadhyay: 1998) के अनुसार–भारत में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से एवं सुविधा प्राप्तकर्ता के तर्ज पर महिलाओं के हित में ज्यादा अपेक्षाएँ नही की जा सकती है। शासकीय एवं निजी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदाता इकाईयाँ महिलाओं को मात्र एक माँ के रूप में देखती है। जहाँ निजी क्षेत्र के नर्सिंग होम मातृत्व सुविधा प्रदाता मेटरनिटी होम की शक्ल लेते जा रहे है, वहीं शासकीय क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधा प्रदाता इकाईयों का ज्यादातर ध्यान इस ओर होता है, कि कैसे महिलाओं को एक स्तर के बाद माँ बनने से रोका जाए।

1210193422 जनसंख्या के साथ भारत विश्व में अधिकतम जनसंख्या के दूसरे पायदान पर है, जिसमें महिलाओं की संख्या 586469174 एवं पुरूषों की संख्या 623724248 है **(जनगणना: 2011)** भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत निवास करता है, जबकि कुल वैश्विक क्षेत्रफल का मात्र 2.4 प्रतिशत क्षेत्रफल भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से में आता है। जिसके चलते उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर अत्याधिक दबाव के चलते पर्यावरणीय असंतुलन का सामना भारतीय जनसंख्या को करना पड़ता है। (Dasgupta: 2006) के अनुसार भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या भूसंसाधन से अपनी अजीविका चलाती है, जिसमें भारत की कार्यशील महिलाओं का 84 प्रतिशत भाग भी शामिल है। भारत विश्व के उन कुछ देशों में शामिल है, जहाँ पुरूषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा अधिक है।

(चटर्जी 1990) के अनुमानों के अनुसार भारत में नवजात शिशुओं की मृत्यु में महिला शिशुओं की संख्या पुरूष शिशुओं की तुलना में 3 लाख से अधिक है और प्रत्येक छठवी शिशु मृत्यु लिंग विभेद के कारण होती है, साथ ही भारत में प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले महिला शिशुओं में से 25 प्रतिशत महिला शिशु अपना 15वा जन्म–दिन नही देख पाते हैं।

(Burnad: 2006) के अनुसार – महिलाओं के साथ नियोजित रूप से होता हुआ यह भेदभाव ही लिंगानुपात के मध्य बढ़ते अन्तर का कारण बनता है। पुरूष सत्तात्मक परिवारों में पुरूष शिशु की चाहत के चलते माहिलाओं को अपने गर्भ में पल रहे शिशु का त्याग करना पड़ता है यदि घर के पुरूषों को यह संदेह हो जाये कि गर्भ में पल रहा शिशु एक बालिका है।

(CARAM, Asia:2006) के अनुसार ग्रामीण परिवेश में महिलाओं का कम आयु में विवाह किया जाना एवं साथ ही उन्हे अपने भावी वर के चयन की स्वतन्त्रता ना दिया जाना भी एक कारण है जिसके चलते महिलाओं के स्वास्थ्य की दशाएँ बदतर होती जा रही है। कम आयु में विवाह के चलते महिलाओं में गर्भधारण भी कम आयु में हो जाता है जबकि उस उम्र तक प्रजनन तन्त्र का विकास पूर्ण रूप से नही हो पाता है।

प्रस्तावित शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान

Savithri and Mukhopadhyay (1998) ने उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में किये गये अपने अध्ययन में बताया है कि गरीबी एवं लैंगिक विषमता के मध्य के संबध के चलते महिलाओं की स्वास्थ्य की दशाएँ अधिक प्रभावित हो रही है।

Shane, Barbara and Ellsberg (2002) ने अपने अध्ययन

में बताया कि लाखों बच्चियों एवं महिलाओं को केवल इस कारण समाज में हिंसा अत्याचार एवं दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

Ram and Singh (2005) ने अपने अध्ययन में पाया है, कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के सुरक्षित प्रसव में प्रसव पूर्व देखभाल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामान्यत: महिलाएँ अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को प्राय: नजरन्दाज कर देती है और उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की मांग ही नही करती है।

अध्ययन के उद्देश्य– शोधार्थी द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों को अध्ययन के लिए लिया जाना संभावित है।

1. महिलाओं में स्वास्थ्य दशाओं को निर्धारित करने वाले सूचकों का परीक्षण करना।
2. महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले घटकों का विश्लेषण करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं हेतु उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप तथा उनकी वर्तमान में वास्तविक उपयोगिता का परीक्षण करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी पारम्परिक मान्यताओं एवं विश्वासों की जानकारी प्राप्त करना।
5. ग्रामीण महिलाओं में पोषण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं हेतु उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी जागरूकता का अध्ययन करना।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता की स्थिति का अध्ययन करना।

शोध उपकल्पनाएँ:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में कम आयु में विवाह के चलते महिलाओं की स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
2. शिक्षित ग्रामीण महिलाएँ अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होती है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च सामाजिक प्रास्थिति वाले परिवारों में महिलायें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त कर पाती है। ।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत शोध अध्ययन 'ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर का समाजशास्त्रीय अध्ययन' (उ. प्र. के लखनऊ जिले के विशेष संदर्भ में) के लिए प्रस्तावित शोध प्रविधि रही।

अध्ययन का समग्र– प्रस्तावित शोध अध्ययन में लखनऊ जिले में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ, इस अध्ययन का समग्र रहा।

अध्ययन की इकाई– प्रस्तावित शोध अध्ययन में लखनऊ जिले की ग्रामीण महिलाओं का दैव आधार पर चयन किया गया, जो कि इस अध्ययन की इकाई रहे।

निदर्शन विधि– प्रस्तावित अध्ययन में लखनऊ जिले के कुल आठ विकासखण्डों में से दो विकासखण्ड विकासखण्ड काकोरी तथा विकासखण्ड सरोजनी नगर का चयन सविचार निदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया, इस प्रकार चयनित दो विकास खण्डों में से प्रत्येक विकासखण्ड से 10–10 ग्राम पंचायतों का चयन दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया। इन चयनित ग्राम पंचायतों एवं उनके आधीन ग्रामों में से प्रत्येक से 15–15 महिला उत्तरदाताओं का चयन दैव आधार पर किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 300 उत्तरदाताओं का चयन किया गया।

कुल उत्तरदाता– 2 विकासखण्ड (सविचार)× 10 गांव (दैव) × 15 महिला उत्तरदाता(दैव) = 300 महिला उत्तरदाता

प्राथमिक स्त्रोत– प्रस्तावित शोध अध्ययन के दौरान लखनऊ शहर के कुल 8 विकासखण्डों में से 2 विकासखण्डों का चयन किया गया। इन चयनित विकास खण्डों में से 10–10 ग्राम पंचायतों का चयन कर प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं उसके आधीन ग्रामों में से 15–15 महिला उत्तरदाताओं का चयन कर उनसे प्राथमिक समंकों का संकलन किया गया।

द्वितीयक स्त्रोत– अध्ययन के लिए आवश्यक द्वितीयक समंकों के संकलन के लिए प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रों, जनसंख्या रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, सरकारी दस्तावेजों तथा इण्टरनेट माध्यमों का प्रयोग किया गया।

विश्लेषण– प्रस्तावित अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक आंकड़े प्राप्त किये गये। इस अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के आंकड़ों को संग्रहित किया गया। प्राप्त समंकों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण विधियों का प्रयोग किया गया तथा विभिन्न सार्थकता परीक्षणों द्वारा प्राप्त समंकों की प्रमाणिकता की जाँच की गयी। निष्कर्षों के प्रस्तुतीकरण के लिए सांख्यिकीय ग्राफ चित्रों एवं आरेखों का सहारा भी लिया गया।

अपेक्षित परिणाम – प्रस्तुत अध्ययन 'ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर का समाजशास्त्रीय अध्ययन' (उ. प्र. के लखनऊ जिले के विशेष संदर्भ में) में प्रस्तावित था। यह अध्ययन इन अर्थो में महत्वपूर्ण है, कि इस अध्ययन के द्वारा स्वास्थ्य की दशाओं को पोषण के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। चूंकि पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य दोनों पृथक–पृथक न होकर परस्पर अन्त:संबंधित होते है, अत: इस अध्ययन के द्वारा स्वास्थ्य को इसी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया।

इस शोध अध्ययन के परिणाम स्वरूप शासन स्तर पर, स्वास्थ्य की वास्तविक दशाओं का अनुमान लगा। साथ ही अध्ययन के परिणाम निष्चयात्मक रूप से शासन को अपनी भावी योजनाएँ बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

इसके अतिरिक्त यह अध्ययन निजी क्षेत्र के चिकित्सकों के लिए भी अपनी सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में प्रसारित करने की दिशा में मार्गदर्शक की भूमिका प्रदान करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Agarwal , V. , Patil, S. and Khanijo, S. (1982), "Study of Maternal Mortality", Journal of Obstetrics and Gynecology, 32, NOS (October)
2. Babu, B. V. et al (2007) , "Utilization of Primary Health Care Services; Experiences and Perceptions of Rural Community in East Godavari District ", The Indian Journal of Social Work, 68, (2): April.
3. Balgopal , G. (2009), "Access to Health Care among Poor Elderly Women in India: How for do Policies Respond to Women's Realities", Gender and Development, 17(3)
4. Banerjee, A. (2004) , "Health Care Delivery in Rural Rajasthan", Economic and Political Weekely, 9.
5. Banerjee, D. (2004), "The People and Health Services Development in India: A Brief Over view", International Journal of Health Services, 34(1).
6. Burnad, Fatima and SRED Team (2006), Tsunami

Aftermath: Violations of Human Rights of Dalit Women in TamilNadu, India, Thailand, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development of India.

7. Das Gupta, Jashodhara (2006), "India: Including Women's Voices When Crafting Maternal Health Polices", Arrows for Change, 12 (2).
8. Dayal , L. (1983) , "Women Health and the Sexual Division of Labour: A Case study of the Women's Health Movement in Britain", International Journal of Health Services, 13(3).
9. Ganatra, B. S. , Hirve L. Wala, Worker et al (2000) , "Induced Abortions in Rural Western Maharashtra: Prevalence and Patterns", Paper presented at the Workshop on Reproductive Health in India: New Evidence and Issues, February-March, Pune.
10. Goel, S.L. (2005), Public Health Policy and Administration, New Delhi: Deep and Deep Publication.
11. Irudaya Raj an, S. and P. Mohanachandran (1998) , "Infant and Child Mortality Estimates", Economic and Political Weekly, 33(19).
12. Jain, K. (2006) , "AIDS to Good Health", The Times of India, New Delhi September 21.
13. Jayswal , Meera (1985) , "Health Modernity and its Correlates in Women in South Bihar", Social Change, Vol. 15 No. 2.
14. Mandal , S. K. (2003), "Nutritional Status in Health Nutrition and Morbidity: A Study of Maternal Behavior", Development Evaluation Society of India,Delhi.
15. Mane, Purnima (2008), "Population, Gender Inequality and Health – India in a Global Context , " Demographic India, 37(2).
16. Mitra, S. (2004) , "Maternal Mortality in India: Policy Strands From an analysis of Secondary data", Social Change, September 2004: Vol. 34. No.3
17. Vikne, A., Patil, K. V. (2002), "Scenario in Rural India", Australian Journal of Rural Health, 10.
18. अनामिका, (2012), 'स्त्री विमर्श का लोकपक्ष', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
19. देसाई नीरा, ठक्कर ऊषा (2014), 'भारतीय समाज में महिलायें', राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
20. दुष्यन्त (2012),'स्त्रियाँ पर्दे से प्रजातन्त्र तक', राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली
21. कुमार मुकेश (2013),'भूमण्डलीकरण के दौर में सामाजिक सुरक्षा एवं महिला कल्याण', पाइन्टर पब्लिकेशन, जयपुर
22. रावत हरिकृष्ण (2013), 'सामाजिक शोध की विधियाँ', रावत पब्लिकेशन, जयपुर
23. सोलंकी ललिता (2015), 'महिला आर्थिक सशक्तीकरण', क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली
24. स्वामी मीनाक्षी, (2014), 'अस्मिता की अग्निपरीक्षा', राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
25. वर्मा एम.एल., पंवार मीनाक्षी (2011),'नारी उत्पीड़न एवं कानून', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन-छत्तीसगढ़ राज्य के बैगा जनजाति के संदर्भ में

डॉ. प्रेमलता एक्का *

* सहा. प्रध्यापक - अर्थशास्त्र शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली, सूरजपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना - 1 नवंबर सन् 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से पृथक होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 27 जिले हैं जो रायपुर, धमतरी, महासमुद्र, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर, चांपा, कोरबा, राजगढ़, जशपुर, अंबिकापुर, सरगुजा कोरिया, सूरजपुर झुंगेली, बलरामपुर, बेमेतरा बलौदा बाजार, गरियाबंद, बालोद, सुकमा कोंडागांव है राज्य में कुल 146 विकासखंड है जिनमें आदिवासी विकास खंडों की संख्या 85 है। जनजातीय विकास की चर्चा करने के पूर्व हमें दो शब्दों जनजातीय एवं विकास को परिभाषित करना होगा ऐसे समुदाय को जनजातीय की श्रेणी में रखा गया है जिनमें निम्न लक्षण पाये जाते हैं। कम जनसंख्या घनत्व अदिम अर्थव्यवस्था, अदिम राजनीतिक व्यवस्था, अदिम धर्म निम्न स्तर को प्रौद्योगिकी लिपि का अभाव तथा अन्य सामाजिक समूहो से दूरी भारत में प्राय: ऐसे सामाजिक समूहों को जनजाति कहा जाता है जिन्हें राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा जनजाति घोषित किया गया है। विकास एक ऐसा शब्द है जिसमें संस्कृतिक सामाजिक, राजनीतिक विकास के साथ आर्थिक विकास शामिल है। जनजातीय आर्थिक विकास मुख्यत: सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के आधार पर होता है।

राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 78.22 लाख है। जनगणना 2011 के अनुसार उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या 115.61 लाख है जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 64.85 लाख (56.09%) है प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का विकास आदिवासी उप योजना की अवधारणा के अनुरूप किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है इसकी विभिन्न उपजातियां मड़िया, भूरिया, ढोरला आदि है इसके अतिरिक्त उरांव, कंवर, बिझवार, बैगा, भटरा, कमार, हल्बा, सवरा, नाबेशियर, मझवार खरिया और धनवार जनजाति बड़ी संख्या में है। प्रदेश में 88 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के रूप में मान्य है। प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.12 प्रतिशत है। प्रदेश का संपूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र प्रशासकीय दृष्टि से 19 एकीकृत आदिवासी परियोजनाएं 9 माडा पाकेट तथा 2 लघु अंचलों में विभक्त है आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 24 जिले 13 पूम एवं 11 आंशिक एवं 85 आदिवासी विकासखण्ड पूर्ण रूप से तथा 27 सामुदायिक विकासखंड आंशिक रूप से शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में बैगा, कुमार, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर तथा अबुझ माड़ियों का निवास है। इन जनजातियों के आर्थिक सामाजिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में 6 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं प्रकोष्ठ जणित है। वर्ष 2005-06 में हुए सर्वे के अनुसार प्रदेश में इनकी जनसंख्या 1.55 लाख है।

शोध अध्ययन का महत्व- अनुसूचित जनजातियों को राज्य सरकार की विभिन्न महात्वकांक्षी योजनाओं के संचालन से उनके आर्थिक जीवन में सुधार से कहां तक परिवर्तन आया साथ ही अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में अपने अधिकार के प्रति कितने जागरूक हैं। सरकार की संचालित योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। अनुसूचित जनजातियों का विकास तभी संभव हो पाएगा जब राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रत्येक पात्र हितग्राहियों तक उपलब्ध हो सके ताकि उनका आर्थिक विकास संभव हो सके।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

1. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए प्रत्येक समस्या के रूप में शामिल करना है।
2. जनजातियों की स्थानीय समस्या को ध्यान में रखकर नीति का गठन किया जाय।
3. जनजातियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो इसके लिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो कमेटी का गठन किया जाय।

अध्ययन का क्षेत्र- छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय जिले बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरिया, मुगेली, कबीर धाम।

अध्ययन की इकाई - छत्तीसगढ़ राज्य के बैगा जनजातीय जिले के 50 प्रतिशत ब्लाक एवं वर्तमान सर्वेक्षित ग्राम/वर्तमान सर्वेक्षित परिवार की कुल संख्या की 10 प्रतिशत एवं कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत अध्ययन करना है।

तालिका 1 - (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 2 - (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 2 से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बैगा जनजाति जिले एवं विकास खंड का चयन 5-10 प्रतिशत के आधार पर किया गया जिसमें कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर एवं कोरिया जिला शामिल है इसी तरह 10 प्रतिशत विकास खंड में बाडला, पड़रिया, लोरमी, कोटा, गौरेला, तखतपुर एवं मनेंद्रगढ़ विकासखंड को अध्ययन मे चुना गया है। वर्तमान में सर्वेक्षित ग्रामों की संख्या का 10 प्रतिशत का अध्ययन किया गया जो कुल 84 कामों में 47 प्रतिशत उसी तरह वर्तमान में सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या

24605 में 10 प्रतिशत 1771 है कुल जनसंख्या पुरुष एवं महिला का क्रमश: 3283 एवं महिला 3251 प्रतिशिल लाभ प्राप्त कर रही है। अत: स्पष्ट है कि विशेष रुप से कमजोर बैगा जनजाति का 6534 आंकड़ों के आधार पर लाभ प्राप्त हो रहा है। जोकि संतोषजन है।

बैगा जनजाति के आर्थिक विकास हेतु संचालित छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाएं

क्र.	योजना का नाम	पात्र हितग्राही
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना	182605
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	45240
3	इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना	9137
4	इंदिरा गांधी परिवार सहायता योजना	1812
5	प्रधान मंत्री आवास योजना	2340
6	राष्ट्रीय ग्रामीय अजीविका मिशन	2343
7	जलाशय एवं नदियों मे मत्स्योद्योग विकास	365
8	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4080
9	टसर स्वास्थ्य समूह योजना	50428
10	मलबरी रेशन विकास	11472

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि बैगा जनजाति के आर्थिक विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्राप्त हो रहा है। जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, परिवार सहायता आवास योजना, आजीविका मिशन, मत्स्य उद्योग, कृषि विभाग, टसर स्वास्थ्य योजना एवं मलवरी रेशम विकास योजना शामिल विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों की कुल हितग्राही 309802 है जो इन योजनाओं से लाभान्वित है। जिससे इनके आर्थिक विकास में इन योजनाओं से कभी सुधार हुआ है।

निष्कर्ष :

1. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों की संख्या के आधार पर कह सकते हैं कि राज्य अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा हैं
2. जनजातियों की स्थानीय समस्या को दूर करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कारीगर प्रशिक्षण शिक्षा के लिए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय निशुल्क पाठ्य पुस्तकें नि:शुल्क गणवेश नि:शुल्क सरस्वती कन्या छात्रावास बालिका प्रोत्साहन आदर्श आवासीय महाविद्यालय की स्थाना कर जनजातियों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करा रही है।
3. जनजातियो के विकास के लिए एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की कर्मचारियो एवं अधिकारियों का सहयोग का परिणाम ही है कि राज्य में 309802 हितग्राही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके है। अत: राज्य सरकार अपने प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए दृढ़संकल्पित हैं। जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके एवं राज्य ही नहीं वे देश मे भी अपना विकास कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जनजातीय विभाग राज्यपाल प्रतिवेदन, पृ.सं 113, 128, 130
2. गुप्ता मंजू 2003 जनजातियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान अर्जुन पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली।
3. रिसर्ज जर्नल कमजोर वर्गो का सशक्तिकरण अक्षर विन्यास ऋषिनगर उज्जैन (म.प्र.)
4. Book of Abstracts जनजातीयों के आर्थिक विकास मे शासकीय योजनाओं की भूमिका।
5. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग भारत सरकार।
6. छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य दृष्टि डॉ. मुखर्जी नगर दिल्ली।

तालिका 1

विशेष रूप से कमजोर जनजाति	जिला	विकास खण्ड	वर्तमान मे सर्वेक्षित ग्रामो की संख्या	वर्तमान में सर्वेक्षित परिवारो की कुल संख्या	कुल जनसंख्या		
					पुरूष	महिला	योग
बैगा	कबीर धाम	बोडला	190	6635	13313	13188	26501
		पडरिया	78	4625	8532	8577	17109
	मुगेली	लोरमी	46	2358	4202	4172	874
	बिलासपुर	कोटा	33	1520	2616	2536	5152
		गौरेला	17	2095	3286	3204	6490
		तरवतपुर	02	60	110	134	244
	राजनांदगाव	छुई खदान	39	1348	2183	2174	4357
	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	23	435	793	736	1529
		खडगवा	24	355	638	585	1223
		भरतपुर	84	5174	8195	8447	16642
	योग		536	24605	43868	43753	87621

स्त्रोत-प्राथमिक समंक के आधार पर

तालिका 2 : शोध पत्र हेतु चयनित छत्तीसगढ राज्य के बैगा जनजातीय जिले एवं विकास खण्ड का चयन

विशेष रूप से कमजोर जनजाति	50%जिला	वर्तमान मे सर्वेक्षित ग्रामों की संख्या		वर्तमान मे सर्वेक्षित परिवारो की संख्या	कुल जनसंख्या		
					पुरूष	महिला	योग
बैगा	कबीर धाम	बोडला	19	663	1331	1318	2649
		पडरिया	8	462	853	857	1710
	मुगेली	लारमी	5	236	420	417	837
	बिलासपुर	कोटा	4	152	261	253	514
		गौरेला	2	209	328	320	648
		तखतानू	1	006	11	13	24
	कोरिया	मनेन्द्र गढ़	4	43	79	73	152
	योग		47	1771	3283	3251	6534

शोधपत्र हेतु चयनित समंक 50-10 प्रतिशत चयन

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

वैष्णव नगरी श्रीनाथद्धारा में प्रचलित वस्त्र छापाकंन कला

डॉ. गिरिराज जाटव *

* नाथद्वारा, राजसमंद (राज.) भारत

प्रस्तावना – मेवाड़ भू-भाग में स्थित नाथद्धारा नगर अपनी उत्कृष्ट कला परम्पराओं से विश्व विख्यात है, यहां पुष्ठिमार्गीय वैष्णव परम्परानुरुप अपनी आत्मिक सेवा-भावों से भगवान श्रीकृष्ण की बालछवि श्रीनाथजी के रूप में प्रतिष्ठापित है। यहां दिन में आठ बार श्रृंगार होता है, आठों ही बार हवेली संगीत की पदावलियों के गान के साथ सेवा, दर्शन-पूजन होता है, ऐसे में यहां श्रृंगार कला ही नहीं, संगीत जैसे नादब्रह्म के रूप का भी अनूठा समन्वय है, यहां प्रत्येक दर्शन में चित्रकला का साहचर्य है, न केवल सामान्य दिनों में बल्कि विशेष पर्वोत्सव पर भी चित्रकला से द्धापरयुगीन परिवेश को जीवंत किए जाने की विशिष्ट परंपरा देखने में आती है। यही कारण है कि यहां चित्रकला की सुदीर्घ और सुदृढ़ परिपाटी विद्यमान हैं और जहां कहीं इस संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार श्रीनाथजी की सेवा होती है, वहां इन कलाओं का प्रवाह देखने को मिलता है।

श्रीनाथद्धारा नगरी की सांस्कृतिक पहचान में जिन पारम्परिक कलाओं को सम्मिलित किया जाता है उसमें वस्त्र पर बंधेज कला का आध्यात्मिक व सामाजिक महत्व रहा हैं, ब्रज से पलायन कर सिंहाड स्थल पर विश्राम कर गोवर्धनधारी का विग्रह इस पावन स्थल पर विराजमान हुआ अत: इसे श्रीनाथद्धारा व वैष्णवनगरी के नाम से जाना जाता है।

ब्रज से मेवाड़ पधारने के साथ ही वैष्णवनगरी में वस्त्र की रंगाई, छपाई व बंधेज कला की शुरूआत हो गई थी, इसका मुख्य कारण यह रहा कि बालस्वरुप भगवान श्रीकृष्ण की विविध सेवाओं में छापांकन व रंगाकन से बने वस्त्रों का ही प्रयोग किया जाता है। यहीं नहीं, वल्लभ पीठाधीश्वर, गुसांईकुल के बालकों तथा मुखियागणों के लिए भी छापांकित व रंगांकित वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। गोवर्धनधारी की जो पोशाक धरायी जाती हैं, उनमें नगर के रंगरेज कलाकारों द्धारा रंगांकित चून्दड़ी व लहरिया वस्त्र प्रमुख है।

ठाकुरजी की वस्त्र सज्जा के साथ ही नगर के वैष्णव मन्दिरों में सुसज्जित चंदोवा, चन्द्रोपा, पर्दे तथा पिछवई में पेच वर्क तथा वस्त्र रंगाकंन भी छापांकन से बने वस्त्रों से ही बनाए जाते हैं। यह भी रोचक तथ्य है कि प्रमुख वैष्णव उत्सव व त्यौहारों के अवसर पर नगरवासी स्त्री-पुरूष भी गोवर्धनधारी को सुसज्जित लहरिया, बंधेज, छींट व अन्य रंगांकित वस्त्र धारण कर त्यौहारिक भावों को मुखारित करते हैं। इस दृश्य को गणगौर की चार दिवसीय महोत्सव की अवधि में तो देखा ही जा सकता है, श्रावणी-श्रृंगार के रूप में भी समान वस्त्र सुसज्जित करने की परम्परा आज भी देखी जा सकती है।

नाथद्धारा नगर में मुख्य रुप से रंग योजना व अलंकरण की दृष्टि से देखा जाए तो यहां के रंगरेज समुदाय के लोगों ने एक नवीन तकनीक का प्रयोग कर वन क्षेत्र में उपलब्ध वन सम्पदा से कई प्रकार के रंग बनाकर वस्त्रों में कलाकारों द्धारा सतरंगी इन्द्रधनुषी छटाओं का रंगांकन कर अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया है।

इस क्षेत्र में प्रचलित बनास नदी किनारें प्राय: दो व्यक्तियों की भागादारी में रंगाई का कार्य नदी के ही पानी से किया जाता हैं जिसमें एक व्यक्ति नदी के किनारे नदी मे रंग उडेलता है तो दुर बैठा दुसरा व्यक्ति पानी की लहरों पर वस्त्रों को रंगाकित करता जाता है। इस विशेष रंगाकन की खास बात यह होती है कि रंग की आब मध्यम होती हैं तथा रंगात्मक पारदर्शिता का प्रभाव भी वस्त्र में परिलक्षित होता है। नगर के रंगरेज कलाकार रगांकन विद्या में इतने पारंगत थे कि एक ही वस्त्र पर आगे व पीछे, दोनों तरफ दो भिन्न रंगतों का रगांकन करने में सिद्धहस्त थे तथा ऐसे विशिष्ट रंगांकित वस्त्रों को गोवर्धनधारी श्रीकृष्ण की सेवा में धराया जाता था।

यहां की बंधेज व छापांकन कला में स्थानीय तथा सांस्कृतिक तत्वों का कुशलता से समावेश कर यहां के रंगरेज कलाकारों द्धारा मुख्यत: मेहन्दी की छपाई, पचरंगी लहरिया, दोफूली, त्रिफूली व चौफूली चूंदड, वस्त्र के अलावा स्थानीय लोगों की पसन्द व परम्परानुरूप आसमानी व मूंगिया फैंटा, छूल, बंधागल, छायगाल, कांगसी, पोत, मारवी, पोमचा, रेनसाई तथा गुलिका आदि में बेहद पारंगत रहे तथा छापांकन व रंगाकन की यही परम्परा वैष्णव नगरी की सांस्कृतिक पहचान बनी। नगर के वैष्णव मन्दिरों में आज भी स्थानीय रंगरेज कलाकारों द्धारा रंगांकित तथा छापांकित लहरिया तथा चूनड़ी के वस्त्र धराने की परम्परा बनी हुई है।

नाथद्धारा की विशिष्ट शैली की बंधेज तथा लहरिये के साथ ही चौवा-चंदन का वस्त्र अपनी अनूठी रंगाकन कला के कारण विशिष्ट माना गया हैं। देशभर के दर्शनार्थी नगर में बने रंगांकन व छापांकन के वस्त्रों से बने ठाकुरजी के वस्त्र ले जाते हैं और घर के ठाकुर की सेवा में वैसे ही वस्त्रों को सुसज्जित करते हैं जैसे ठाकुरजी के निज मन्दिर में धराएं जाते हैं यही कारण है कि नगर में वस्त्र छापांकन का बाजार विकसित हो चुका हैं जिससे दुसरे देशों में भी बसे वैष्णव धर्मावलम्बी भी अपने वैष्णव स्वरूपों की सेवा के लिए नाथद्धारा से ही छापे व रंगाई के वस्त्र खरीदते हैं।

नाथद्धारा की पारम्परिक कलाओं में बंधेज कला का विशेष महत्व हैं। बंधेज कला में वस्त्र के पोत का विशेष महत्व माना गया है। नगर के फकरूद्दीन रंगरेज कहते हैं कि मलमल व अरगंडी के वस्त्र अहमदाबाद, सूरत व महाराष्ट्र

से मंगवाए जाते हैं। इन वस्त्रों पर पक्के रंग की रंगाई तथा गांठे बांधने का गुर ही बंधेज की विशेषता है। रंगाकित वस्त्र में डिजाईन के अनुकूल चुन्नरे डालकर उन पर बांधी गई मजबूत गांठों में ही इस कला की विशिष्ठता को देखा जा सकता हैं। इनके भाई शमसुद्दीन बताते हैं कि कपड़े के अनुसार बंधेज का कार्य होता है। सूती वस्त्र पर सूती बंधेज बांधी जाती है किन्तु अरगंडी वस्त्र कडक होने से उसे बार-बार पानी से गीला कर ही बंधेज बांधी जाती है। मलमल वस्त्र महीन होता है अत: इसकी चार परतें बनाकर बंधेज की डिजाईन को कुशलता से बांधा जाता हैं।

उल्लेखनीय है कि नाथद्वारा बृज संस्कृति का केन्द्र रहा तथा पुष्टिमार्गीय सेवा पद्धति के अनुरूप वैष्णव मन्दिरों में आयोजित होने वाले उत्सव समारोह आदि के अवसर पर सलमा सितारा, कसीदा-काशी, पेच कार्य आदि से निर्मित वस्त्रों के कलात्मक आकार-प्रकार सुसज्जित किये जाते हैं। यही नहीं, देश- विदेश में प्रवासरत वैष्णवजन भी अपने घर के ठाकुरजी के लिए सलमा सितारे व कसीदाकारी से बने वस्त्रों को खरीद कर सेवा में धराते हैं।

इस नगर में पारम्परिक कलाओं में जाजम पर छापांकन व रंगांकन की परम्परा को भी देखा जा सकता हैं, घर में बने सूत के धागों से एक मोटा कपड़ा तैयार किया जाता है जिस पर रंगरेज कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की कलात्मक आकृतियों को छापांकित किया जाता है जो लोक तत्वों एवं लोक रुपों को दर्शाती है। जाजम के चित्रांकन की रंग योजना भी लोकानुरुप ही होती है जैसे चटक लाल, हरा, काला एवं पीले रंग की छटाओं से रुपांकित किया जाता है और यह जाजम 3 फिट से 12 फिट तक की होती है। यहां बनी जाजम को नगर, ग्रामीण व बाहर से आये पर्यटकों द्वारा खरिद कर अपने घरों पर उपयोग करते है। इस नगर की कलात्मक जाजम छापांकन कला में अपने महत्व को रेखांकित करती है।

इसी क्रम में भरत काम से बने अन्य पारम्परिक वस्त्रालंकारों की बात करें तो कई प्रकार के अन्य रूप-स्वरूप भी देखने को मिलते हैं। ठाकुरजी के खण्डपाट के साथ ही कंदरा खण्ड, डोलति बारी की ढीवार गिरी आदि में भी कशीदा कारी व भरत काम के मिले जुड़े रूप को देखा जा सकता है। यहीं नहीं, ठाकुरजी की गादी, तकिया, व सेज तैयार करने में भी वस्त्र निर्मित इन पारम्परिक हस्तकलाओं का प्रयोग देखा जा सकता है। यहीं नहीं, नगर के वस्त्र कलाकार वैष्णव मन्दिरों के लिए चिताकर्शक कशीदाकारी वाली बंदनवार भी बनाते हैं जो एक लड़ी से लेकर पांच लड़ी तक के क्रम में बनती है तथा इसकी सुसज्जा वैष्णव पर्व-त्यौहारों पर की जाती है। ठाकुरजी के श्रृंगार सेवा में प्रयोगित सामग्री का निर्माण भी जरी व जरदोजी आदि पारम्परिक वस्त्रों से ही किया जाता हैं जिनसे कज्जा की टोपी, त्रिखूंट-कोण टोपी, ग्वाल की पाण, दुमाला, फेटा, गोल पाग, फेटा, ऐंटवा, वाग, चोली, सूघन व मोजड़ी आदि बनाए जाते हैं जिनका आकार-प्रकार व अलंकरण भी पारम्परिक तौर-तरीकों से ही किया जाता है।

इस नगर में प्रचलित वस्त्र छापांकन कला परम्परा में लौकिक एवं सामाजिक महत्व को पिरोकर रखा है जिसमें कशीदाकारी, जरी, जरदोजी व सारण से बनी बण्डी, टोपी, चणिया-चोली आदी मुख्य रुप से दिखाई पड़ते है। बृज संस्कृति में प्रचलित टोपी का भी एक विशेष महत्व है जिसके उपरी भाग गोल और ऊँचाई आगे से कम तथा पीछे से ज्यादा होती है, यहां कलाकार के पास सिर के विभिन्न प्रकार के बने लकड़ी के थप्पे होते है जिनसे टोपी के आकार-प्रकार को रूपांकित कर सिलाई की जाती है।

नाथद्वारा नगर में प्रचलित वस्त्र छापांकन कला परम्परा जरी, जरदोजी, सारण तथा कसीदाकारी कला से बनी वृन्दावनी टोपी, बण्डी, चणिया-चोली आदि का भी लौकिक व सामाजिक महत्व रहा है। बृज संस्कृति से प्रेरित वृन्दावनी टोपी व उपरी भाग गोल और बाजू अर्थात ऊँचाई आगे से कम तथा पीछे से ज्यादा होती है। वस्त्र कलाकार के पास सिर के विभिन्न आकर में बने लकड़ी के थप्पे बने होते हैं, जिन पर ढोक कर वृन्दावनी टोपी की सिलाई की जाती है, जिसकी किनारी को दुसरे रंग के कपड़े से सुसजित किया जाता है। इसी प्रकार श्रीनाथजी मंदिर के सेवाधारीयों के लिए एक विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनने की परम्परा बनी हूई है जिसे बण्डी कहा जाता है, यह शीतकाल में अधिक पहनने वाला वस्त्र है जिसे नगर के बृजवासीयों द्वारा पहना जाता है। बण्डी बिना बाह का जाकिटनुमा होता है जिसे पारम्परिक तरिके से बनाया जाता है, बण्डी में अस्तर के कपड़े के साथ ही रूई की एक परत को लगा कर चौकोर, गोल रूपाकार को सिलाई से अंकित कर दिया जाता है। बेहद कलात्मक तरिके से सिलाई कर बण्डी तैयार की जाती है जिसमें मुख्य रुप से भूरे, नीले और पीत रंग के सारण से बनती है। मन्दिर में सेवा के लिए वैष्णवजन चोली-चणिया वस्त्र का उपयोग करते हैं जो झांईदार सफेद सूती वस्त्र अथवा सन के धागों से बनाया जाता हैं। अपरस की सेवा करने वाली श्रृद्धालु महिलाएं इन्हें धारण करती हैं।

नाथद्वारा नगर में आज भी 100 से भी अधिक परिवार के लोग कसीदाकारी, सलमा, सितारा, पेचवर्क का कलात्मक कार्य करते हैं। आज भी इन पारम्परिक कलाओं को संरक्षित कर अपना जीवकोपार्जन कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बिजोय दत्ता, अप्रकाशित शोध ग्रंथ, मोहनलाल सुखाड़िया, विश्वविद्यालय, उदयपुर, पृ. 28
2. सिंह, अरविन्द कुमार, प्राचीन भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ संख्या 93
3. हिरक जयन्ती, 1997, साहित्य मण्डल, नाथद्वारा, पृष्ठ संख्या 470
4. हिरक जयन्ती, 1997, साहित्य मण्डल, नाथद्वारा, पृष्ठ संख्या 472
5. हिरक जयन्ती, 1997, साहित्य मण्डल, नाथद्वारा, पृष्ठ संख्या 568
6. वैरागी, प्रभुदास, वि.सं. 2063, श्री नाथद्वारा का सांस्कृतिक इतिहास, मन्दिर मण्डल, नाथद्वारा, पृष्ठ संख्या 160
7. धमीजा, जसलीन, 1971, भारतीय लोक कला एवं हस्तशिल्प, नेशलन बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 12
8. वैरागी, प्रभूदास, वि.सं. 2063, श्री नाथद्वारा का सांस्कृतिक इतिहास, मन्दिर मण्डल, नाथद्वारा, पृष्ठ संख्या 212
9. हिरक जयन्ती, 1997, साहित्य मण्डल, नाथद्वारा, पृष्ठ संख्या 566
10. वैरागी, प्रभुदास, वि.सं. 2063, श्री नाथद्वारा का सांस्कृतिक इतिहास, मन्दिर मण्डल, नाथद्वारा, पृष्ठ संख्या 210
11. हिरक जयन्ती, 1997, साहित्य मण्डल, नाथद्वारा, पृष्ठ संख्या 361

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

जनजातीय युवाओं में राजनीतिक सहभागिता का स्तर

प्रियंका सालवी *

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – व्यक्ति का राजनीति का ज्ञान,जागरूकता का स्तर, राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत विशेषताओं के प्रति उसकी बोधगम्यता, अन्तत: शासन व्यवस्था में उसकी रूचि को प्रभावित करती है। अपने राजनीतिक परिवेश के संबंध में व्यक्ति को जिस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है उसमें उसी के अनुरूप उसकी राजनीतिक अभिवृत्ति और प्रतिक्रिया का विकास होता है। राजनीतिक अभिज्ञान एकीकरण का वह माध्यम है जिसके द्वारा संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में पारस्परिक अन्त: संबंद्धता का सूत्रपात होता है और व्यक्तियों, प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण के निर्धारण द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में सक्रियता की वृद्धि होती है। राजनीति में अनुसूचित जनजातीय सहभागिता बढ़ती हुई दृष्टिगोचर होती है। अनुसूचित जनजातियों में राजनीतिक सहभागिता को देश की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का विस्तार कहा जा सकता है। यह प्रतीत होता है कि स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मुद्दों के निर्धारण में जनजातियों की अपनी भूमिकायें है। वे इन मुद्दों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जनजातीय सदस्य की राजनीतिक चेतना के स्तर में वृद्धि के लक्षणों को स्पष्टतया देखा जा सकता है। शहरी जनजातीय युवाओं की यह राजनीतिक चेतना प्रस्तुत अध्ययन का आधार स्तम्भ है।

जनजाति – जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर हैं। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है और इनके लिए विशेष प्रावधान लागू किये गए हैं। हॉबल के अनुसार[1] 'जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक समान भाषा का प्रयोग करता है एवं जिसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो इसे दूसरे समूहों से अलग रूप से स्थापित करती है।' लिण्टन के अनुसार[2] 'साधारण रूप से जनजाति खानाबदोश जत्थों का एक समूह है जो एक मिले हुए भू-भाग पर रहता हो तथा जिसमें संस्कृति की अनेक समानताओं, अत्यधिक मित्रतापूर्ण संघर्ष और एक निश्चित सामूदायिक हितों पर आधारित हो।' जनजाति के लिए कुछ सामाजिक मानवशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान के हिन्दी रूपान्त में भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स का अनुवाद आदिम जाति शब्द द्वारा किया गया है। 1943 ई. में बैरियर एल्विन की पुस्तक एब्ओरिजिनल्स[3] प्रकाशित हुई। इसमें एल्विन ने जनजातियों को आदिवासी नाम से सम्बोधित किया है ये लिखते हैं - तथा कथित 'आदिम जातिया जो अनुसूचित जातियों की बहुत बड़ी अंग है और जिन्हें जनगणनाओं में जीववादी कहा गया है तथा बहुत करके पिछड़ी हिन्दू जातियाँ है।' सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते है।

लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धान्त – आम धारणा के विपरीत लोकतंत्र के विचार को मार्क्स और पश्चवर्ती मार्क्सवादी विचारकों ने भी स्वीकार कर लिया है। इतना अवश्य है कि उनकी लोकतंत्र-संबधी अभिधारणा पाश्चात्य उदारवादी लोकतांत्रिक अभिधारणाओं से पूर्णत: भिन्न है। चूंकि मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक अधिकार सही अर्थ में आम जनता के पास न होकर सिर्फ साधन-संपन्न वर्ग के हाथ में होता है, इसलिए वे एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं जो 'जनता का लोकतंत्र' (पीपल्स डेमोक्रेसी) हो। मार्क्सवादी लोकतंत्र में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व को खत्म करने और सर्वहारावर्ग द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के पश्चात् समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है। जनजातीय युवा लोकतंत्र मार्क्सवादी विचार से अधिक सहमत प्रतीत होते है।

आन्दोलन एवं राजनीतिक सहभागिता – आदिवासियों के कई विद्रोह 1772 में बिहार में शुरू हुए थे, इसके बाद आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड में कई विद्रोह हुए।उन्नीसवीं शताब्दी में विद्रोह में शामिल महत्वपूर्ण जनजातियाँ मिजोस (1810), कोल (1795 और 1831), मुंडा (1889), डैफलास (1875), खासी और गारो (1829), काचरिस (1839), संथाल (1853) थीं। मुरिया गोंड्स (1886), नागास (1844 और 1879), भुइया (1868) और कोंधस (1817) देसाई (1979), गफ (1974) और गुहा (1983) जैसे कुछ विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद आदिवासी आंदोलनों को किसान आंदोलनों के रूप में माना है, लेकिन केएस सिंह (1985) ने आदिवासियों के सामाजिक और राजनीतिक संगठन की प्रकृति के कारण इस तरह के दृष्टिकोण की आलोचना की है, उनके मुख्यधारा से सापेक्ष सामाजिक अलगाव, उनका नेतृत्व पैटर्न और उनकी राजनीतिक लामबंदी का तौर-तरीका।[4]

जनजाति उपयोजना क्षेत्र राजस्थान – राजस्थान में विशेषकर दक्षिणी राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आने वाले जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अलावा राजसमंद की कुंभलगढ़, चितौड़ की प्रतापगढ़, पाली जिले की देसुरी व बाली तथा सिरोही जिले की आबूरोड तहसीलों में आदिवासी इन क्षेत्र के वनों में बहुतायत में पीढ़ियों से रहते आये हैं। इतिहास में जाकर देखें तो पता चलेगा की मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ उन्होंने हल्दीघाटी का युद्ध किया था, जो उदयपुर के एक पहाड़ी वन क्षेत्र का ही भाग है।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

तत्कालीन मेवाड़ सरकार ने भी गोगुंदा क्षेत्र के सायरा इलाके के आदिवासियों हेतु वन क्षेत्र से आबादी तथा कृषि भूमि का प्रबंधन 1942 में किया था, यह हमें अभिलेखों से पता चलता है। अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि इसी तरह वनों में निवास करने वाले आदिवासियों के हक-हकूक सूरक्षित रखे गये थे परन्तु आजादी के बाद वन अधिनियमों में इन हक-हकूक को नजरअंदाज कर आदिवासियों को वंचित रखा गया व जानकारियाँ दबाकर रखी गईं। इस क्षेत्र के भील, मीणा, गरासिया समुदाय के आदिवासी आज भी वन कानूनों तथा सरकार की नीतियों व वन विभाग के रवैये से समस्याग्रस्त हैं।

अल्प आवश्यकताओं में जीवन-यापन करने वाले आदिवासियों को आज प्राथमिक सुविधायें भी नहीं मिल रही हैं जिसके कारण उनका पिछड़ापन और अधिक गहराता जा रहा है। रोजगार की अनुपलब्धता, लगातार अकाल, वन भूमि से बेदखली, चौथ वसूली, रिश्वत, झूठे मुकदमे आदि संकटों ने इनको समाज के हासिये पर खड़ा कर दिया है। उन्हें फटेहाल, बदतर हालत में कर दिया है। उन्हें सभ्य समाज के लिये कौतूहल का विषय, सस्ते बेगारी मजदूरी के रूप में बदल दिया है। राजनैतिक पार्टियाँ इनके कँधों पर चढ़कर सत्ता में जाती हैं और लोकतंत्र का परचम लहराती हैं। आदिवासी इस लोकतंत्र को कायम रखने का सबसे सस्ता जरिया बन गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. जनजातीय युवाओं की वर्तमान राजनीति के सम्बन्ध में जानकारी, दृष्टिकोण और व्यवहार को जानना।
2. राजनीतिक सहभागिता के परिप्रेक्ष्य में शहरी जनजाति युवाओं का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र - अध्ययन क्षेत्र हेतु राजस्थान के उदयपुर जिले का चयन किया गया है जिसमें शहरी क्षेत्र के युवाओं का अध्ययन किया गया हैं। उदयपुर जिले के अर्न्तगत सलुम्बर नगर परिषद क्षेत्र के युवाओं का अध्ययन किया गया हैं।

निदर्शन विधि - प्रस्तुत अध्ययन हेतु उद्धेश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए जनजातीय युवा उत्तरदाताओं का चयन किया गया हैं। निदर्शन के अनुसार सलुम्बर नगर परिषद से 60 उत्तरदाताओं का चयन किया गया हैं जिसमें 30 युवक और 30 युवतियाँ हैं।

तथ्य संकलन विधि - प्रस्तुत अनुसंधान में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों को काम में लिया गया हैं। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु अवलोकन पद्धति के साथ साक्षात्कार-अनुसूची पद्धति का प्रयोग किया गया हैं।

प्रविधियाँ - प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया हैं। साक्षात्कार अनुसूची का प्रायोगिक प्रयोग करते हुए प्रश्नों की महत्ता को जाँचा गया हैं। शहरी युवाओं के तथ्य नगर परिषद सलुम्बर के युवाओं से संकलित किए गए हैं।

आयु के अनुसार उत्तरदाता - सलुम्बर नगर परिषद में निवास करने वाले शहरी जनजातीय युवक-युवतियों का प्रतिशत में आयु के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें 33.3 प्रतिशत उत्तरदाता 18 से 20 वर्ष की आयु के हैं और 33.3 प्रतिशत उत्तरदाता 21 से 23 वर्ष की आयु के हैं एवं 15.0 प्रतिशत उत्तरदाता 24 से 26 वर्ष की आयु के हैं जबकि 18.3 प्रतिशत उत्तरदाता 27 से 30 वर्ष की आयु के हैं। अत: यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं का प्रतिशत 18 से 23 वर्ष की आयु का हैं।

स्थानीय निकायों की बैठकों में सभागिता - सलुम्बर नगर परिषद में निवास करने वाले शहरी जनजातीय के शहरी नीकाय की बैठकों में सहभागिता के बारे में विवरण दिया गया है। 9.2 प्रतिशत युवा नीकाय की बैठकों में सदैव जाते हैं और 9.2 प्रतिशत युवा नीकाय की बैठकों में स्वयं के हितों के लिए जाते हैं एवं 12.5 प्रतिशत युवा नीकाय की बैठकों में कभी-कभी जाते हैं जबकि 9.2 प्रतिशत युवा नीकाय की बैठकों में कभी नहीं जाते हैं। अत: यह स्पष्ट होता है कि अधिक प्रतिशत में जनजातीय युवा स्थानीय नीकाय की बैठक में सहभागिता नहीं दिखाते।

राजनैतिक सभागिता का प्रमुख मुद्धा - सलुम्बर नगर परिषद में निवास करने वाले शहरी जनजातीय युवाओं के राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख मुद्धों का प्रतिशत में विवरण दिया गया है। 17.5 प्रतिशत युवाओं का राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख मुद्धा शिक्षा की उपलब्धता हैं और 10.8 प्रतिशत युवाओं का राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख मुद्धा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता हैं एवं 9.2 प्रतिशत युवाओं का राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख मुद्धा आवास की उपलब्धता हैं जबकि 62.5 प्रतिशत युवाओं का राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख मुद्धा नौकरियों में आरक्षण हैं। अत: यह ज्ञात होता है कि अधिक प्रतिशत में जनजातीय युवाओं का राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख मुद्धा नौकरियों में आरक्षण हैं।

दलीय प्रचार एवं आन्दोलन के द्वारा सहभागिता - सलुम्बर नगर परिषद में निवास करने वाले शहरी जनजातीय युवाओं के दलीय प्रचार एवं आन्दोलन के द्वारा सहभागिता का विवरण दिया गया है। 28.3 प्रतिशत जनजातीय युवाओं ने आन्दोलन के द्वारा सहभागिता दी हैं और 30 प्रतिशत जनजातीय युवा दलीय प्रचार एवं आन्दोलन की सहभागिता पर तटस्थ रहें हैं एवं 37.5 प्रतिशत जनजातीय युवाओं ने दलीय प्रचार एवं आन्दोलन के द्वारा सहभागिता पर असहमति दी हैं जबकि 4.2 प्रतिशत जनजातीय युवाओं द्वारा दलीय प्रचार एवं आन्दोलन के द्वारा सहभागिता पर पूर्ण असहमति दी हैं। अत: यह स्पष्ट होता है कि में जनजातीय युवाओं का अधिक प्रतिशत दलीय प्रचार एवं आन्दोलन में विश्वास नहीं रखता हैं।

राजनीतिक सहभागिता - सलुम्बर नगर परिषद में निवास करने वाले शहरी जनजातीय युवाओं के राजनीतिक सहभागिता के विभिन्ना पहलुओं पर विवरण दिया गया है। 100 प्रतिशत युवक एवं 100 युवतियों ने मतदान के अधिकार का उपयोग किया हैं। 8 प्रतिशत युवक एवं 38.3 प्रतिशत युवतियों ने राजनीतिक दल की सदस्यता ले रखी हैं। 15 प्रतिशत युवक एवं 10 प्रतिशत युवतियाँ राजनीतिक पत्र/पत्रिकाएँ पढ़ते हैं। 86.7 प्रतिशत युवक एवं 76.7 प्रतिशत युवतियाँ राजनीतिक खबरे देखते हैं। 90 प्रतिशत युवक एवं 96.7 प्रतिशत युवतियाँ नेताओं के भाषण सुनते हैं। 100 प्रतिशत युवक एवं 100 प्रतिशत युवतियाँ राजनीतिक घटनाओं पर समूह चर्चा करते हैं। 100 प्रतिशत युवक एवं 100 प्रतिशत युवतियाँ मतदान हेतु साथियों को प्रेरित करते हैं। 85 प्रतिशत युवक एवं 35 प्रतिशत युवतियाँ मतदान पर गोपनियता और स्वनिर्णय लेते हैं। 65 प्रतिशत युवक एवं 58.3 प्रतिशत युवतियाँ परिवार के मतदान को प्रभावित करते हैं। 0 प्रतिशत युवक एवं 0 प्रतिशत युवतियाँ समाजिक अंकेक्षण में भाग लेते हैं। 3.3 प्रतिशत युवकों ने सूचना के अधिकार का उपयोग किया हैं।

निष्कर्ष - 100 प्रतिशत युवक एवं युवतियों ने मतदान के अधिकार का उपयोग किया हैं और 8 प्रतिशत युवक एवं 38.3 प्रतिशत युवतियों ने राजनीतिक दल की सदस्यता ले रखी हैं तथा 15 प्रतिशत युवक एवं 10 प्रतिशत युवतियाँ राजनीतिक पत्र/पत्रिकाएँ पढ़ते हैं जबकि 86.7 प्रतिशत

युवक एवं 76.7 प्रतिशत युवतियाँ राजनीतिक खबरे देखते हैं। 90 प्रतिशत युवक एवं 96.7 प्रतिशत युवतियाँ नेताओं के भाषण सुनते हैं। 100 प्रतिशत युवक एवं युवतियाँ राजनीतिक घटनाओं पर समूह चर्चा करते हैं और मतदान हेतु साथियों को प्रेरित करते हैं। 85 प्रतिशत युवक एवं 35 प्रतिशत युवतियाँ मतदान पर गोपनियता रखते है और स्वनिर्णय लेते हैं। 65 प्रतिशत युवक एवं 58.3 प्रतिशत युवतियाँ अपने परिवार के मतदान को भी प्रभावित करते हैं। समाजिक अंकेक्षण में किसी भी युवा ने आज तक भाग नहीं लिया हैं लेकिन 3.3 प्रतिशत युवकों ने सूचना के अधिकार का उपयोग किया हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Hoebel, Adamson, E. (1978). The cheyennes. Belmont, california : Wadsworth group/Thomson Learning.
2. Linton, R. (1945), “The since of man in world crises”, Columbia University Press
3. वेरियर एल्विन, ‘दी एबोरिजिकाल्स’ 1943, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी, बम्बई, पृ. 7–11
4. https://www.historydiscussion.net/inhindi/essay/tribal-movements-in-india/1797

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली बैंकिंग संबंधी लेखांकन प्रवृत्तियों का प्रबन्धकीय अध्ययन

डॉ. आशीष सिंह *

* सहायक प्राध्यापक, महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, नागौद, सतना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वर्तमान युग कम्प्यूटर का युग है, ई-कामर्स के कारण आज घर बैठे हम देश-विदेश से बहुत ही आसानी से सामान खरीद या बेच सकते हैं। ऐसे में भुगतान का माध्यम बैंक होता है तथा आयकर अधिनियम के अनुसार दस हजार रूपये से अधिक का लेन- देन अस्वीकृत माना गया है, इसलिए व्यापारियों को ज्यादातर लेन-देन बैंक के माध्यम से करना चाहिये। इससे लेन-देनों में पारदर्शिता रहती है, तथा भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रमाण के रूप में भी यह कार्य करता है। यह लेन-देन का सबसे आसान, सुलभ एवं वैधानिक माध्यम है। बैंक के माध्यम से किये गये लेन-देनो को कैश बुक से मिलान करने के लिए बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से हम कैश बुक में आये परिवर्तनों को बैंक पास-बुक से मिलान करके जांच कर सकते हैं।

बैंकिंग विधि एवं व्यवहार संबंधी जानकारी – औद्योगिक एवं वाणिज्यिक युग में अधिकांश लेन-देन बैंकों के माध्यम से किया जाता है। आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दस हजार रूपये से ज्यादा का नकद भुगतान स्वीकृत भुगतान नहीं माना जाता है। अत: ऐसी स्थिति में बैंकिंग संबंधी लेन-देनों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। रोकड़ जमा करना, चैक के माध्यम से भुगतान करना, जरूरत पड़ने पर ऋण प्राप्त करना, ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना, विनिमय-विपत्र जारी करना, बैंकिंग संबंधित गतिविधियों का प्रमुख हिस्सा है। व्यापारियों द्वारा वर्तमान समय में बैंकिंग संबंधी लेन-देन चैक के माध्यम से किये जाते हैं। इसके अंतर्गत व्यापारियों द्वारा निम्न प्रकार के चैक प्रयोग में लाये जाते हैं :-

रेखांकित चैक (Cross Cheque) – जब किसी चैक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समानान्तर रेखाएं खींच दी जाती हैं, तो ऐसे चैक को रेखांकित चैक कहा जाता है। इस चैक को एकाउण्ट पेयी चैक के नाम से भी जाना जाता है। इस चैक का भुगतान जिस व्यक्ति या व्यवसाय के नाम चैक जारी किया गया है, उस व्यक्ति के खाते में किया जाता है।

वाहक चैक (Bearer Cheque) – इस चैक का भुगतान जिस व्यक्ति के नाम चैक काटा जाता है, उस व्यक्ति के खाते में न होकर कैश माध्यम से किया जाता है। बैंक द्वारा इस चैक के प्राप्त होने पर यह नहीं देखा जाता है कि चैक की राशि का भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति वही है या नहीं। सुरक्षा की दृष्टिकोंण से इस प्रकार के चैक को सुरक्षित नहीं माना जाता है।

माइकर चैक (MICR Cheque) – वर्तमान युग कम्प्यूटर का युग है। व्यापारी बैंकिंग संबंधी लेन-देन में कम्प्यूटर का प्रयोग करने लगा हैं। सुरक्षा की दृष्किोंण से इस प्रकार के प्रिंटेड चैक अन्य चैक की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित माने गये हैं। वर्ष 2000 में सभी बैकों ने MICR चैक को जारी करना अनिवार्य कर दिया था, इस चैक के अंतर्गत विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है। इस स्याही से चैक में शाखा का नाम और कोड अंकित रहता है। मैगनेटिक इंक होने के कारण कम्प्यूटर इस चैक से संबंधित कोड को पढ़ लेता है।

चैक अनादरण के प्रमुख कारण – व्यापारियों या ग्राहकों द्वारा जारी किया गया चैक कभी-कभी बैंक द्वारा वापस कर दिया जाता है, चैक वापस करने के कारण निम्नलिखित हैं :-

1. चैक के अंदर प्राप्तकर्ता व्यक्ति का नाम स्पष्ट न होने पर।
2. रेखांकित चैक होने की स्थिति में यदि चैक में लिखे गये व्यक्ति का खाता किसी भी बैंक में न हो, तो बैंक द्वारा चैक वापस कर दिया जाता है।
3. चैक के अंदर लिखी गई राशि अंकों और शब्दों में अंतर होने पर।
4. जारी किये गये व्यक्ति द्वारा चैक पर किया गया हस्ताक्षर बैंक खाते से मिलान न होने पर।
5. चैक जारी करने वाले व्यक्ति के खाते में पर्याप्त राशि न होने पर।
6. चैक पुरानी तिथि का जारी किये जाने पर यदि तिथि की समाप्ति हो गई हो तो बैंक द्वारा चैक का भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. चैक कटा-फटा होने पर।
8. चैक जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा चैक की राशि का भुगतान न करने संबंधी सूचना बैंक को देने पर।

शोध प्रविधि – शोध कार्य में सभी प्रकार के पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारिक निकाय जैसे कम्पनी, थोक एवं फुटकर विक्रेता, संगठन को उत्तरदाता के रुप में चयनित किया गया। शोध अध्ययन में कुल 200 व्यापारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठान का चयन याहच्छिक निर्दशन (Random Sampling) विधि से सतना जिले से किये गये, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है।

टर्नओव्हर रुपयों में (वार्षिक)	चयनित व्यापारिक निकायों की संख्या
5 करोड़ के ऊपर के	50
1-5 करोड़	50
50 लाख - 1 करोड़	50
50 लाख या उससे कम	50
योग	200

साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तर प्राप्त किये गये, प्राप्त उत्तर का

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

सारणीयन करके परिणाम प्राप्त किये गये। अध्ययन विषय से संबंधित उपक्रमो, व्यापारियो, व्यापारिक संगठनो के पास उपलब्ध आँकड़ो को एकत्रित कर उनका सारणीयन,वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके तुलनात्मक अध्ययन करते हुए,प्रस्तुतीकरण किया गया। अंततः सारणीयन तथा विश्लेषण के आधार पर एवं अध्ययन संबंधित निष्कर्षो के आधार पर ,सुझाव प्रस्तुत किया गया।

शोध -पत्र का उद्देश्य - सरकार द्वारा लगातार यह प्रयास किए जा रहे हैं, कि व्यापारियों द्वारा अधिकांश लेन-देन डिजिटल माध्यम से किये जाए, इस कार्य में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।प्रस्तुत शोध के उद्देश्य किस प्रकार हैं।

1. व्यापारियों से बैंकिंग संबंधी लेन-देन की जानकारी प्राप्त करना।
2. बैंक समाधान विवरण-पत्र संबंधी लेखांकन प्रवृत्तियों की जानकारी का अध्ययन करना।
3. भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर व्यापारियों की भागीदारी का अध्ययन करना।
4. लघु एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों के मध्य बैंक संबंधी लेन-देन के महत्व पर प्रकाश डालना।

बैंक समाधान विवरण संबंधी अनियमितता - आयकर अधिनियम के अनुसार, दस हजार रूपये से ज्यादा का भुगतान अस्वीकृत माना जाता है। व्यापारियों द्वारा अधिकांश लेन-देन बैकों के माध्यम से किया जाना चाहिये। बैंक के माध्यम से किया गया लेन-देन विवाद की स्थिति में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। बैंक समाधान विवरण के अंतर्गत, व्यापारी द्वारा तैयार की गई कैश-बुक को बैंक के पास-बुक के साथ मिलान किया जाता है तथा दोनो की अंतर की राशि को बराबर करने का प्रयास किया जाता है। यदि व्यापारी द्वारा बैंक समाधान विवरण-पत्र संबंधी कार्यो में अनियमितता बरती जाती है,तो भविष्य में निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है :-

1. मध्यम एवं बड़े व्यापारियों द्वारा ज्यादातर लेन-देन बैंक के माध्यम से किया जाता है। अतः व्यापारी को यह जानकारी होनी चाहिये, कि उसके द्वारा जो भुगतान चैक के माध्यम से किये गये हैं, बैंक द्वारा उसका भुगतान कर दिया गया है, कि नहीं। बैंक समाधान विवरण से यह जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
2. बैंक समाधान विवरण तैयार करने से कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हेरा-फेरी एवं कपट को रोका जा सकता है।
3. बैंक समाधान विवरण-पत्र के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है, कि व्यापारी द्वारा जो कैश-बुक तैयार की गई है, वह सही है कि नहीं।
4. व्यापारियों द्वारा नियमित बैंक समाधान विववरण-पत्र तैयार न करने की स्थिति में वित्तीय संबंधी अनियमितता का सामना करना पड़ सकता है।
5. बैंक समाधान विवरण-पत्र के द्वारा वास्तविक प्राप्तियों एवं भुगतानों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जो भविष्य की योजनाएं बनाने में सहायता प्रदान करती हैं।
6. कैश-बुक को बैंक पास-बुक से मिलान करने पर कैश-बुक संबंधी लेन-देन जो छूट गये हैं, उन्हें सुधारा जा सकता है।

बैंकिंग व्यवहार के अन्तर्गत जब कोई व्यक्ति बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु संपर्क करता है, तो बैंक उसके बहीखातों की जांच करता है, उसके पिछले कुछ वर्षो के लाभ-हानि खाते एवं चिट्ठे की प्रतियों की मांग करता है, संतुष्ट होने पर ही उसे ऋण प्रदान करता है। इसलिए हर व्यापारी को लेखांकन संबन्धी पुस्तके व्यवस्थित तरीके से निर्धारित प्रारुप में, नियमानुसार रखनी चाहिए।

बैंक समाधान विवरण। पत्र तैयार करना तालिका क्रमांक - 01 (अंतिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 01 से यह स्पष्ट है कि 5 करोड़ के ऊपर वार्षिक टर्नओव्हर के हर व्यापारी द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है।

1 करोड़ से 5 करोड़ के मध्य वार्षिक टर्नओव्हर के व्यापारियों में से 96 प्रतिशत बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करते हैं और 4 प्रतिशत व्यापारी तैयार नहीं करते हैं।

50 लाख से 1 करोड़ के मध्य वार्षिक टर्नओव्हर के व्यापारियों में से 36 प्रतिशत व्यापारी बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करते हैं,जबकि 64 प्रतिशत व्यापारी तैयार नहीं करते हैं।

50 लाख या इससे कम के वार्षिक टर्नओव्हर के व्यापारियों में से 20 प्रतिशत व्यापारी बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करते हैं तथा 80 प्रतिशत व्यापारी तैयार नहीं करते हैं।

छोटे एवं मध्यम वर्ग के ज्यादातर व्यापारियों द्वारा बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार नहीं किया जाता है।

बैंकिंग संबंधी लेन-देन का भार :- तालिका क्रमांक - 02 (अंतिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 02 से यह स्पष्ट है कि 5 करोड़ के ऊपर वार्षिक टर्नओव्हर के कुल व्यापारियों में से 32 प्रतिशत बैंकिंग संबंधी लेन-देन लेखापाल द्वारा एवं 68 प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान में रोकड़िये द्वारा बैंकिंग संबंधी लेन-देन किया जाता है।

इसी प्रकार 1 करोड़ से 5 करोड़ के मध्य वार्षिक टर्नओव्हर के व्यापारियों में से 8 प्रतिशत व्यापारी व्यापारिक प्रतिष्ठान में व्यापारी द्वारा स्वयं, 24 प्रतिशत में लेखापाल द्वारा, 48 प्रतिशत में रोकड़िये द्वारा एवं 20 प्रतिशत में कोई निश्चित नहीं, के द्वारा बैकिंग लेन-देन किया जाता है।

50 लाख से 1 करोड़ के मध्य वार्षिक टर्नओव्हर के व्यापारियों में से 68 प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान में व्यापारी द्वारा स्वयं, 4 प्रतिशत में लेखापाल द्वारा, 8 प्रतिशत में रोकड़िये द्वारा एवं 20 प्रतिशत में कोई निश्चित नहीं है, के द्वारा बैकिंग संबंधी लेन-देन किया जाता है।

50 लाख या इससे कम के वार्षिक टर्नओव्हर के व्यापारियों में से 76 प्रतिशत व्यापारी द्वारा स्वयं एवं 24 प्रतिशत में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बैंकिंग संबंधी लेन-देन किया जाता है।

बैकिंग संबंधी लेन-देन रोकड़िये द्वारा किया जाना उपयुक्त माना जाता है।

बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करने का भार तालिका क्रमांक - 03 (अंतिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 03 में बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करने वाले 126 व्यापारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 42.86 प्रतिशत व्यापारी स्वयं बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करते हैं, 50.80 प्रतिशत व्यापारी अपने लेखापाल से विवरण-पत्र तैयार करवाते हैं एवं 6.34 प्रतिशत व्यापारी अन्य

विशेषज्ञों से विवरण-पत्र तैयार करवाते हैं।

बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करने की औसत अवधि तालिका क्रमांक - 04 (अंतिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 04 में बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करने वाले 126 व्यापारियों में से 34.92 प्रतिशत व्यापारी मासिक, 46.03 प्रतिशत व्यापारी त्रैमासिक, 3.18 प्रतिशत व्यापारी छ:मासिक एवं 15.87 प्रतिशत व्यापारी वार्षिक बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करते हैं।

सीमित क्षेत्र के अधिकांश व्यापारी वार्षिक या छ:मासिक बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करते हैं।

बैंक संबंधी लेन-देन का प्रतिशत तालिका क्रमांक - 05 (अंतिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 05 से यह स्पष्ट है कि 5 करोड़ के ऊपर वार्षिक टर्नओव्हर के व्यापारियों में से 4 प्रतिशत व्यापारी 0-29 प्रतिशत लेन-देन बैंक के माध्यम से करते हैं, 40 प्रतिशत व्यापारी 30-60 प्रतिशत लेन-देन बैंक के माध्यम से करते हैं जबकि 56 प्रतिशत व्यापारी 61-100 प्रतिशत लेन-देन बैंक के माध्यम से करते हैं।

इसी प्रकार 1 करोड़ से 5 करोड़ के मध्य वार्षिक टर्नओव्हर के व्यापारियों में से 20 प्रतिशत व्यापारी 0-29 प्रतिशत, 36 प्रतिशत व्यापारी 30-60 प्रतिशत, 44 प्रतिशत व्यापारी 61-100 प्रतिशत लेन-देन बैंक के माध्यम से करते हैं।

50 लाख से 1 करोड़ के मध्य वार्षिक टर्नओव्हर के व्यापारियों में से 80 प्रतिशत व्यापारी 0-29 प्रतिशत, 20 प्रतिशत व्यापारी 30-60 प्रतिशत लेन-देन बैंक के माध्यम से करते हैं।

50 लाख या इससे कम के वार्षिक टर्नओव्हर के व्यापारियों में से 92 प्रतिशत व्यापारी 0-29 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत व्यापारी 30-60 प्रतिशत लेन-देन बैंक के माध्यम से करते हैं।

भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अभी भी व्यापारियों द्वारा पूरी तरह से अपनाया नहीं गया है।

निष्कर्ष :

1. भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अभी भी व्यापारियों द्वारा अपनाया नहीं गया है।
2. बैंक संबंधी लेन-देन के मामले में आज भी व्यापारी नकद लेन-देन की ओर ज्यादा आकर्षित होता है।
3. लघु एवं मध्यम वर्ग के अधिकांश व्यापारियों द्वारा बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार नहीं किया जाता है।
4. लघु एवं मध्यम वर्ग के अधिकांश व्यापारियों द्वारा स्वयं बैंकिंग संबंधी कार्य किये जाते है।
5. सीमित व्यापार क्षेत्र के अधिकांश व्यापारी वार्षिक या छ:मासिक बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करते हैं।

सुझाव :

1. बैंक समाधान विवरण-पत्र हर वर्ग के व्यापारियों द्वारा अनिवार्य रूप से तैयार किया जाना चाहिये, जिससे लेखांकन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता आ सके।
2. सरकार द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जन-जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. बैंकिंग संबंधी अधिनियमों की जानकारी हर व्यापारियों को हो, इसके लिए जन-जागरूपता अभियान चलाया जाना चाहिए।
4. बैंकिंग संबंधी लेन-देन प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. चतुर्वेदी सी.एल.(2012),'लेखाशास्त्र' बुक, महाबीर पब्लिकेशन, दिल्ली।
2. वर्मा निशा(2003),'वित्तीय लेखांकन' बुक, नकोडा शिक्षा साहित्य पब्लिकेशन इन्दौर।
3. अग्रवाल महेश(2017),'वित्तीय लेखांकन' बुक, रामप्रसाद एण्ड संस भोपाल।
4. बोरा अतुल (2001),'व्यापारियों में लेखांकन संबंधी ज्ञान एवं जागरूकता', शोध-प्रबंध।
5. बड़जात्या एम.सी.(2001),'बहीखाता' हायर सेकण्ड्री बुक, शिवलाल अंग्रवाल एण्ड संस आगरा।
6. Galball Douglas(2009), "Accounting Foundations" Book, Pit man Publishing Ltd. Landon .
7. Willium Niven & Anka Ohmen(2007),"Accounting Procedure" Book, Prentice Hall of India (P) Ltd. New Delhi .

तालिका क्रमांक - 01 बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करना

बैक समाधान विवरण -पत्र तैयार किया जाता है	व्यापारियों की संख्या एवं प्रतिशत 5 करोड़ के ऊपर वार्षिक टर्नओव्हर		1-5 करोड़ तक वार्षिक टर्नओव्हर		50 लाख से 1 करोड़ तक वार्षिक टर्नओव्हर		50 लाख या उससे कम वार्षिक टर्नओव्हर	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	50	100	48	96	18	36	10	20
नहीं	0	0	2	4	32	64	40	80
कुल	50	100	50	100	50	100	50	100

बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करना

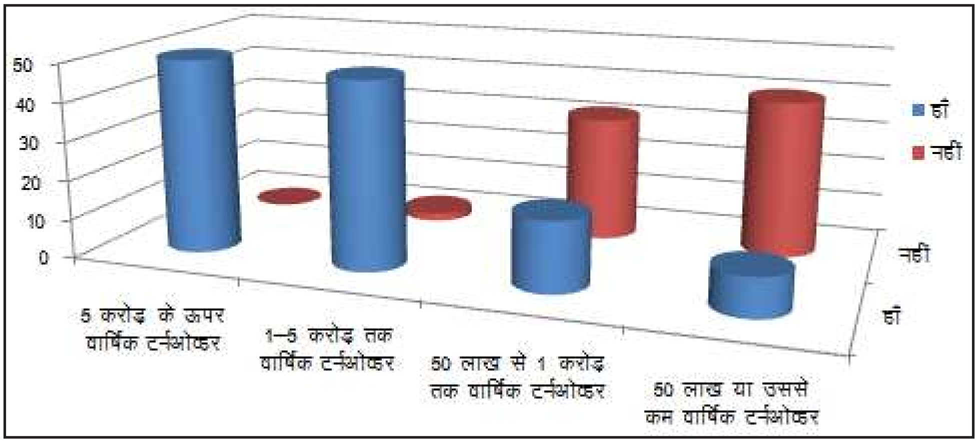

तालिका क्रमांक - 02 बैंकिंग संबंधी लेन-देन का भार

व्यापारियों की संख्या एवं प्रतिशत

पक्षकार	5 करोड़ के ऊपर वार्षिक टर्नओव्हर		1-5 करोड़ तक वार्षिक टर्नओव्हर		50 लाख से 1 करोड़ तक वार्षिक टर्नओव्हर		50 लाख या उससे कम वार्षिक टर्नओव्हर	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
स्वयं के द्वारा	0	0	4	8	34	68	38	76
लेखापाल	16	32	12	24	2	4	0	0
रोकड़िये	34	68	24	48	4	8	0	0
कोई निश्चित नहीं	0	0	10	20	10	20	12	24
योग	50	100	50	100	50	100	50	100

बैंकिंग संबंधी लेन-देन का भार

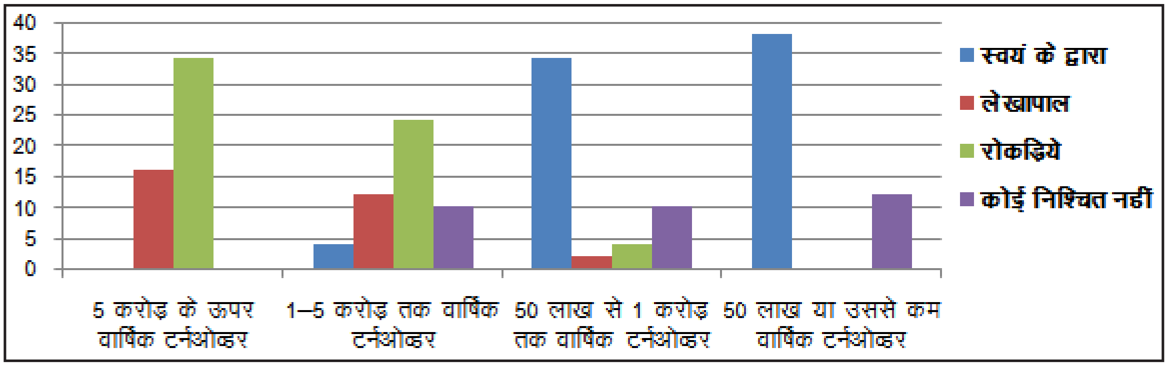

तालिका क्रमांक - 03 बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करने का भार

विवरण-पत्र तैयार करने का भार	व्यापारियों की संख्या एवं प्रतिशत	
	संख्या	प्रतिशत
स्वयं	54	42.86
लेखापाल	64	50.80
अन्य विशेषज्ञ	8	6.34
योग	126	100

बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करने का भार

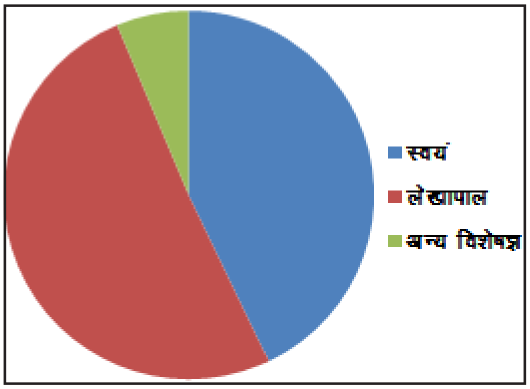

तालिका क्रमांक - 4 बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करने की औसत अवधि

औसत अवधि	व्यापारियों की संख्या एवं प्रतिशत	
	संख्या	प्रतिशत
मासिक	44	34.92
त्रैमासिक	58	46.03
छ:मासिक	4	3.188
वार्षिक	20	15.87
योग	126	100

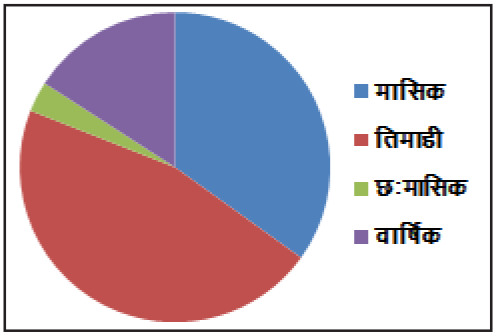

तालिका क्रमांक - 05 बैंक संबंधी लेन-देन का प्रतिशत

बैंक संबंधी लेन-देन का प्रतिशत	व्यापारियों की संख्या एवं प्रतिशत							
	5 करोड़ के ऊपर वार्षिक टर्नओव्हर		1-5 करोड़ तक वार्षिक टर्नओव्हर		50 लाख से 1 करोड़ तक वार्षिक टर्नओव्हर		50 लाख या उससे कम वार्षिक टर्नओव्हर	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
0-29	2	4	10	20	40	80	46	92
30-60	20	40	18	36	10	20	4	8
61-100	28	56	22	44	0	0	0	0
योग	50	100	50	100	50	100	50	100

बैंक संबंधी लेन-देन का प्रतिशत

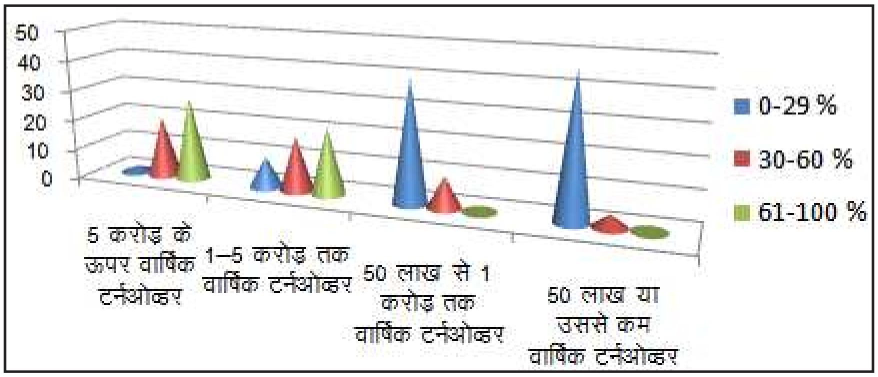

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Dalit Consciousness in Indian Writing in English

Mr. Surander Soni*

*Research Scholar, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Introduction - Indian writing in English, still considered as elite and esoteric brand of literature even after more than two hundred years of its existence, has had its share of emphatic writings on Dalits, though not in a big way. Dalit aspect has yet to take the shape of movement in Indian English literature. Moreover, there has been hardly any attempt to either chronicle the development of Dalit empathy or make critical evaluations of individual works from Dalit perspective by our scholars.

Indian novel in English became more socially relevant after the advent of Gandhian mass movements in the 1930s. Nearly all the major novelists of the post Independence era started writing in the 1930s. The publication of Anand's first novel Untouchable (1935) is a landmark in the history of Indian novel in English because of its ideological involvement with the Gandhian movement for the uplift of the so-called Asprishya or Untouchables design nated as Harijans by the Mahatma Gandhi, and their assimilation in the mainstream of the Indian society. Anand met Mahatma Gandhi in 1932 and spent some days in his Ashram. During his stay in the Ashram, he completed Untouchable, his maiden novel. The novel already a classic in the Indian English literature describes one single day in the life of Bakha, an untouchable boy. In the process, it presents before the reader the vicissitudes in the life of such marginalized people in the traditional framework of her social hierarchy. Untouchable is perhaps the major fictional representation of the Dalit/Untouchable issue in Indian literatures. It may also be acknowledged that, Anand's Untouchable was the first major Indian work on Dalits which drew instead attention from heterogeneous constituency of readers. More importantly, Anand continued his authorial involvement with the issues related to the marginalized/ oppressed in many of his later works, especially in novels like Coolie (1936) Two Leaves and a Bud (1937), The Old Woman and the Cow (1960) and The Road (1961)

'Why we don't have enough Dalit literature?' is not a difficult question to answer. First, a large part of the available literature is still being, written by an enlightened minority of Dalit origin. Secondly larger portion of Dalit literature has confined to bhasha literatures. Thirdly, literatures of Dalit awareness/ empathy written by non-Dalit writers have been unacceptable to people of certain quarters. Agreed, a majority of Dalits cannot read Dalit literature. Besides, in most of the literatures of India including Indian English literature, the pioneering writers of Dalit empathy are the non-Dalit writers like Premchand, Mulk Raj Anand, Padmini Sengupta, Tare Sherka, Bandopadhyay, Gopinath Mahanty, Kanhu Charan Mohanty, Babani Bhatacharya, K. Shivram Karanth, T. Shivshankar Pillai, S. Menon Marath, Mahashweta Devi, Parashuran Mund, Rajendra Awasthi, Shashi Deshpande, Pratibha Roy, Arundhati Roy, Shashi Warrier, etc. Creative writers are normally responsive and rational individuals, free from parochial concerns and prejudices. Let there be no distinction between Dalits and non-Dalits as far as writing is concerned.

Dalit Consciousness in Select Dalit and non-Dalit Writer's Works: Though there is only a handful of works centralizing the Dalit issue, quite a good number of novelists in Indian English have shown their empathy for the marginalized including the Dalits in their novels. Dalits constitute an integral part of the Indian social order and no narrative can be complete without Dalit characters. One can see that Dalits as well as the other communities of oppressed people-wage-earners, farmers, barbers, iron-smiths, etc are treated as individuals, not just stock characters. These characters are invariably portrayed with understanding and empathy. They are people with self-respect. For example, Suruchi, in Bhabani Bhatachyraya's (1906-1988) Shadow from Laddakh looks upon Jhanak, a Dalit woman as "the spirit of the age", with courage and resolve to grasp life, and the boldness to fight" for her rights. (Bhatacharya 1978)

A Black Paddy (1995) by Rangin Banerji set in the 1920s and 1930s fictionalization the life of the fishermen of the East coast. The novel tells the story of Paddy, the central character, who is low caste boy. His daring journey to the outside world and his love for Geet are the stuff the novel is made of rendering it more a tale of romantic adventure than social realism. Paddy leaves his small fishing village as a stowaway, and finally comes back home to be regarded as a respectable person. (Banerje, 1995)

In Dalit discourse, Ekalavya, the tribal youth in the Mahabharta who was denied the studentship by Dronacharya, the royal Guru engaged to teach and train the Pandava and the Kaurava princes, has emerged as a poignant metaphor of otherization. In Shashi Tharoor's The Great Indian Novel, Eklavya is portrayed as a defiant and aggressive character. After proving his worth to the Guru and the princes, Eklavya is asked by Drona to chop off his right thumb and offer it to him as his Guru-dakshina. In the Mahakavya, Eklavya complies with the Guru's demand, but Tharoor's Eklavya does not do so. He raises his voice against discrimination and power politics and refuses to concede to the irrational and prejudiced demand of his Brahmin Guru.

However, Tagore's presentation of the Dalit world is limited to show sympathy not different from that of Mahatma Gandhi. As an outcome, Tagore's Chandalika cannot present the hard realities of Dalits, which the Dalits were facing every day.

U. R. Anantha Murthy's Samskara (1965): Udipi Gopalacharya Anantha Murthy was born on 21 December 1932, in a remote village, Milige, in Shimoga district, Karnataka. Anantha Murthy is the product of a rare mixed education because he was born into a traditional Brahmin family and was educated in Sanskrit and Kannada as well as in English. After completion of his early education in Durvasamatha Sanskrit School, he took his later education in Thirthalli and Mysore. He completed his graduation and post-graduation from the University of Mysore. In 1966, he earned Ph. D in English and comparative literature from the university of Birmingham, UK for his thesis on "English and Comparative Literature." There he worked with Malclom Bradbury, David Lodge, and Raymond Willings. It was in the university he began to write and revise his first novel Samskara,which brought him Jnana Peeth Award in 1994. The novel, Samskara was originally written in Kannada and was originally published in 1965. It was translated into English by the eminent poet-translator A. K. Ramaujan in 1976. The novel depicted the degenerate ways of a group of Southern Brahmins living within an agrahara, a Brahmin colony. It had evoked serious controversy right after its publication.

Thus, we see that the caste emerges as an independent character in Samskara, which shows the Dalit consciousness.

Om Prakash Valmiki's Joothan (2003): Om Prakash Valmiki was an Indian Dalit writer and poet well known for his autobiography, Joothan, considered as a milestone in Dalit literature. He was born at the village of Barla in the Muzzafarnagar district of Uttar Pradesh. After retirement from the Government Ordnance Factory, he lived in Deharadun where he died of complication arising out the stomach cancer on 17 November 2013.

Although untouchability was abolished in 1949, Dalits continued to face discrimination, economic deprivation, violence and ridicule. Valmiki shows his heroic struggle to survive a preordained life of perpetual physical and mental persecution and of his transformation into a speaking subject under the influence of the great political leader Dr. B. R. Ambedkar. Joothan is a major contribution to the archives of Dalit history and a manifesto for the revolutionary transformation of society and human consciousness.

Joothan the autobiography of Om Prakash Valmiki was originally written in Hindi and later translated into English by Arun Prabhu Mukherjee in 2003. In Hindi, the word 'Joothan' means leftover food, given to the lower class people to eat. According to the translator, the title reveals the story of pain, humiliation and poverty of downtrodden classes that have to depend on joothan for their survival. (Joothan XXXI)

Omprakash Valmiki, a Dalit writer describes his life as an untouchable, or Dalit in the newly independent India of the 1950s. Joothan refers to scraps of food left on a plate, destined for the garbage or animals. India's untouchable have been forced to accept and eat joothan for centuries, on the word encapsulates the pain, humiliation, and poverty of a community forced to live at the bottom of India's social pyramid.

The Dalit writer like Valmiki has produced Dalit consciousness in his literary creations. In fact, Joothan is a saga of Dalit consciousness which represents pain, rebellion and rehabilitation of Dalits in the existing social order. The basic impulse behind Dalit literature is an awareness of the social injustice and rebellion against it.

References:-

1. Abraham JK and Misrahi-Barak J (eds) (2015) *Dalit Literatures in India*. New Delhi & London: Routledge.
2. Dasan M, Pratibha V and Pampirikunnu P et al. (eds) (2012) *The Oxford India Anthology of Malayalam Dalit Writing*. New Delhi: Oxford University Press.
3. Gajarawala TJ (2013) Untouchable *Fictions: Literary Realism and the Crisis of Caste*. New York:Fordham University Press.
4. Ambedkar, B.R., and Balley, L.R., ed. 1993. *Annihilation of caste*. Jalandhar: Bheem patrika publications. Ambedkar Foundation, p. 155.
5. Dvivedi, Hazariprasad. 2003. Kabir. New Delhi . Rajkamal Prakashan.
6. Gupta RamGika, ed. 1998. Dalit cetna-sahitya. Hazaribagh: Navlekhan prakashan.
7. Ravidas. and Sivkumar Mishra, ed. No date. Sant Ravidas VaGi. New Delhi : IFFCO
8. Purushotham K, Ramaswamy G and Shyamala G (eds) (2016) *The Oxford India Anthology of Telugu Dalit Writing*. New Delhi: Oxford University Press.
9. Ravikumar and Azhagarasan A (eds) (2012) *The Oxford India Anthology of Tamil Dalit Writing*.New Delhi: Oxford University Press.
10. Thiara N (2016) *Subaltern experimental writing: Dalit literature in dialogue with the world*. Ariel 47(1–2): 253–

280.

11. Almond,G. A., Appleby, R. S., & Sivan, E. (2003). *Strong religion: The rise of fundamentalisms around the world. Chicago*: University of Chicago Press.
12. Dayanandan, P. (2005). *A voice crying in the wilderness*. Thamukku, 10(9), 10. Alridge, D. P. (2005). *From civil rights to hip hop: Towards a nexus of ideas*. The Journal of African American History, 90(3), 226-253.
13. Dietrich, G. (2005*). Dalit movement and women's movements*. In A. Rao (Ed.), Gender and caste (pp. 57-79). New York: Zed Books.
14. Ganguly, D. (2004). Buddha*, Bhakti and superstition: A post-secular reading of Dalit conversion. Postcolonial Studies*, 7(1), 49-62.
15. Ghose, S. (2003). *The Dalit in India*. Social Research, 70(1), 83-109.
16. Boff,L.,& Boff, C. (1987*). Introducing liberation theology*. New York: Orbis Books.
17. Cameron,J.,& Gibson, K. (2005*). Participatory action research in a poststructuralist vein.* Geoforum, 36, 315-331.
18. Hipwell, W. T. (2007). *The Industria hypothesis*. Peace Review: A Journal of Social Justice, 19(4), 305-313.
19. .Kretzmann, J., & McKnight, J.(1993). *Building Communities from the Inside Out*. Chicago: ACTA Publications.
20. Lahiri-Roy, R. (2007, October). *Roots and identities: Caste in modern India*. Public lecture given at the WEA centre, Christchurch.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

कोरोना वायरस का स्कूल एवं कॉलेज की शिक्षा पर प्रभाव

अनुपमा सुथार *

* सहायक आचार्य, लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – महामारी COVID–19 का प्रभाव दुनिया भर के हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। भारत के साथ–साथ दुनिया के शिक्षा क्षेत्र इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। इसने वर्ल्ड वाइड लॉक डाउन लागू कर दिया है। छात्रों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। लगभग 32 करोड़ शिक्षार्थियों ने चलना बंद कर दिया भारत में स्कूल/कॉलेज और सभी शैक्षणिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। COVID-19 के प्रकोप ने हमें सिखाया है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। इसने शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया है और प्रौद्योगिकियों के साथ plat forms का चयन किया है, जिनका पहले उपयोग नहीं किया गया है। शिक्षा क्षेत्र एक अलग दृष्टिकोण के साथ संकटों से बचने के लिए लड़ रहा है और महामारी के खतरे को दूर करने के लिए चुनौतियों का डिजिटलीकरण कर रहा है। यह पत्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपायों पर प्रकाश डालता है। भारत के देश में निर्बाध शिक्षा प्रदान करने के लिए। शिक्षा पर COVID–19 के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों पर चर्चा की गई और महामारी की स्थिति के दौरान शैक्षिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए गए।

शब्द कुंजी – शिक्षा, कोविड 19, डिजिटलीकरण, लॉक डाउन।

प्रस्तावना – कोरोना वायरस की महामारी ने समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था एवम् सामाजिक स्तर को अत्यन्त प्रभावित किया है। कोरोना वायरस यानि कोविड–19 के प्रभाव के कारण सरकार द्वारा लॉकडाउन के निर्देश समय–समय पर दिए गए इन निर्देशों के चलते स्कूल, कॉलेज को पूर्णतया बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में ऑनलाईन शिक्षा प्रणाली की शुरूआत की गई परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में में निवास करने वाले छात्र–छात्राओं के लिए यह व्यवस्था ज्यादा कारगर नहीं रही क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले छात्र–छात्राओं के पास ऑनलाईन अध्ययन करने के लिए न तो एंडरॉईड फोन हैं और न ही नेट की उचित व्यवस्था है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र–छात्राओं के लिए अध्ययन करना बेहद मुश्किल हो गया था। कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को भी रद्द करना पड़ा जिससे विद्यार्थियों के आत्मविश्वास पर गंभीर असर पड़ा एवं परीक्षाओं के ना होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा। नवीन सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा एवं वर्तमान में भी स्कूल, कॉलेजों के सत्र सही समय पर प्रारंभ नहीं हो पाए हैं।

कोरोना महामारी ने स्कूल, कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, साथ ही शिक्षा पर भी खासा असर डाला है। कोविड–19 की वजह से स्कूल और कॉलेज के छात्रों को शिक्षा में काफी नुकसान उठाना पड़ा है जो कमी महामारी के कारण आई है उसे दूर करने में कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लग सकता है। कोविड–19 महामारी के दौरान स्कूलों और कॉलेजों के साथ युनिवर्सिटीज की शिक्षा पर भी खासा असर पड़ा है। स्कूलों और कॉलेजों को महामारी के दौरान बंद करना पड़ा था इसकी वजह से सीखने की प्रक्रिया के साथ–साथ देश भर में शिक्षा प्रणाली भी प्रभावित हुई केन्द्र सरकार ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निर्देश दिए ताकि महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को कम से कम किया जा सके, इसके अलावा यूजीसी द्वारा भी उच्च शैक्षिक संस्थानों को समय–समय पर महामारी के फैलाव को रोकने के लिए निर्देश दिये गये थे। जिसमें छात्रों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा गया था। यूजीसी ने कॉलेजों में परिक्षाएं कैसे कराई जाए इसको लेकर भी विशेष दिशा–निर्देश जारी किये थे। कोविड–19 के कारण शिक्षा में काफी नुकसान हुए जो मुख्यत: डीजिटल डिवाइड, सरकारी संस्थानों में सुस्त प्रशासन पहले से विद्यमान क्षमता में कमी, अधिकतर देशों से अधिक लम्बा लॉकडाउन एवं कमजोर ऑनलाईन अध्ययन सम्मिलित है।

यहाँ यह जानना आवश्यक है कि कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाईन शिक्षण ने लॉकडाउन में चल रही अध्ययन की समस्या को आसान कर दिया। ऑनलाईन शिक्षण के माध्यम से शिक्षकों ने बच्चों को घर से ही पढ़ाया था। इस प्रकार कोरोना महामारी के दौरान शिक्षकों ने बच्चों को स्काइप वाट्स अप और जूम वीडियो कॉल द्वारा आसानी से पढ़ाया। ऑनलाईन शिक्षण, शिक्षण से संबंधित अधिक विकल्प प्रदान करता है। ऑनलाईन व्हाईट बोर्ड का उपयोग, फाईल, लिंक और वीडियो भेजने के कारण शिक्षक अपनी रचनात्मक शिक्षा को विद्यार्थियों तक पहुँचाता है। ऑनलाईन क्लास के कारण यात्रा नहीं करनी पड़ती है इससे समय की बचत होती है। इंटरनेट का आसानी से उपलब्ध होना, ऑनलाईन शिक्षा के लिए वरदान है। ऑनलाईन शिक्षण में कुछ कमियाँ भी उजागर हुई है, जैसे ऑनलाईन शिक्षण, ऑफलाईन शिक्षण के मुकाबले कम शिक्षा प्रदान करता है, सिर्फ एकतरफा अध्यापक बच्चों को अध्ययन कराता है, विद्यार्थी अधिक समय के लिए क्लास वर्क नहीं कर पाता है। ऑफलाईन शिक्षण में ऐसा नहीं हो पाता है, विद्यालय में विद्यार्थी अनुशासन की पालना भी करते हैं। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान ऑनलाईन शिक्षा ने विद्यार्थियों, शिक्षकों

और शिक्षा संगठनों की काफी मदद की है और शिक्षा के आदान–प्रदान को रूकने नहीं दिया। ऑनलाईन शिक्षण के लिए अच्छे नेटवर्क की आवश्यकता है क्योंकि जहाँ नेटवर्क नहीं वहाँ ऑनलाईन शिक्षण कराना मुश्किल है।

भविष्य में शिक्षा प्रणाली को फिर से सही स्तर पर लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। कोरोना महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, भविष्य में ऐसी महामारी या आपदाओं से निपटने के लिए हमें शिक्षा प्रणाली में जरूरी बदलाव की आवश्यकता है, जैसे कि बिजली की आपूर्ति, शिक्षकों और छात्रों के डिजीटल माध्यम से जुड़ना और इंटरनेट कनेक्टिविटी ठोस करना जरूरी है। डिजीटल इ–लर्निंग की सुविधा को बढ़ावा देना चाहिए जो विद्यार्थी कम आय वाले परिवार से हैं उन्हें दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, डिजीटल लर्निंग प्लेटफार्मों का पता लगाने की आवश्यकता है।

उद्देश्य – वर्तमान शोध पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों पर केंद्रित है:

1. सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी देना। इस महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र के लिए भारत के।
2. शिक्षा पर कोविड–19 के विभिन्न सकारात्मक प्रभावों को उजागर करना।
3. कोविड–19 के कुछ नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करना और महामारी की स्थिति के दौरान शिक्षा जारी रखने के लिए कुछ प्रभावी सुझाव देना।

कार्यप्रणाली– वर्तमान अध्ययन में प्रस्तुत डेटा और जानकारी कोविड–19 महामारी पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा तैयार की गई विभिन्न रिपोर्टों से एकत्र की जाती है। विभिन्न प्रामाणिक वेबसाइटों से जानकारी एकत्र की जाती है। शैक्षिक प्रणाली पर कोविड–19 के प्रभाव से संबंधित कुछ पत्रिकाओं और ई –सामग्री को संदर्भित किया जाता है।

सरकार की पहल – भारत सरकार ने कोविड–19 के दौरान शिक्षा पर महामारी कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए, भारत सरकार ने कई निवारक उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने 16 मार्च 2020 को सभी शैक्षणिक संस्थानों में देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 18 मार्च, 2020 को पूरे भारत में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। सीबीएसई ने 24 से अधिक छात्रों वाली कक्षा के साथ परीक्षा देने वाले छात्रों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर परीक्षा केंद्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। यदि परीक्षा केंद्रों के कमरे छोटे हैं तो छात्रों को उसी के अनुसार अलग–अलग कमरों में विभाजित किया जाना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 (विकिपीडिया) के लिए साक्षात्कार स्थगित कर दिया है। इसी तरह अधिकांश राज्य सरकारों और अन्य शैक्षिक बोर्डों ने कोविड–19 के प्रकोप के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दीं। सरकार भारत सरकार ने 22 मार्च को एक दिन का राष्ट्रव्यापी जनता–कर्फ्यू मनाया है और 25 मार्च, 2020 से विभिन्न चरणों में लॉकडाउन लागू किया है। सरकार भारत सरकार समय–समय पर महामारी से लड़ने के लिए अलग–अलग रणनीति अपनाते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा रही है लेकिन शैक्षणिक संस्थान लगातार बंद रहे। लॉकडाउन 6.0 29 जून को घोषित किया गया था, जो शिक्षा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कुछ कम प्रतिबंधों के साथ 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी है। लगभग सभी राज्य सरकार के मंत्रालयों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं कि लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूलों और कॉलेजों की शैक्षणिक गतिविधियां बाधित न हों। उनके पास है दीक्षा पोर्टल में वीडियो पाठ, कार्यपत्रक, पाठ्यपुस्तकें और आकलन सहित पाठ्यक्रम से जुड़े छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ई–लर्निंग सामग्री शामिल है। अपने राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में, सामग्री 250 से अधिक शिक्षकों द्वारा बनाई गई है जो कई भाषाओं में पढ़ाते हैं। ऐप ऑफलाइन उपयोग के लिए उपलब्ध है। सीबीएसई, एनसीईआरटी द्वारा कई भाषाओं में बनाई गई कक्षा 1 से 12 तक के लिए इसमें 80,000 से अधिक ई–पुस्तकें हैं। सामग्री को पाठ्यपुस्तकों पर क्यूआर कोड के माध्यम से भी देखा जा सकता है। ऐप को आईओएस और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

1. ई–पाठशाला एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से 12 तक कई भाषाओं में एक ई–लर्निंग ऐप है। ऐप में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के उद्देश्य से किताबें, वीडियो, ऑडियो आदि हैं। इस वेब पोर्टल में एनसीईआरटी ने 1886 ऑडियो, 2000 वीडियो, 696 ई–बुक्स और कक्षा 1 से 12 तक विभिन्न भाषाओं में 504 फ्लिप पुस्तकें। मोबाइल ऐप्स उपलब्ध हैं।
2. नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (एनआरओईआर) पोर्टल छात्रों और शिक्षकों के लिए कई भाषाओं में संसाधनों का एक मेजबान प्रदान करता है जिसमें किताबें, इंटरैक्टिव मॉड्यूल और वीडियो शामिल हैं जिनमें एसटीईएम–आधारित गेम शामिल हैं। शिक्षकों के लिए संरेखित संसाधनों सहित, सामग्री को कक्षा 1–12 के पाठ्यक्रम में मैप किया गया है। इसमें विभिन्न भाषाओं में 401 संग्रह, 2779 दस्तावेज, 1345 इंटरैक्टिव, 1664 ऑडियो, 2586 चित्र और 6153 वीडियो सहित कुल 14527 फाइलें हैं।

उच्च शिक्षा– स्वयं एक राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा मंच है जो दोनों स्कूलों (कक्षा 9 से तक) को कवर करते हुए 1900 पाठ्यक्रमों की मेजबानी करता है 12) और इंजीनियरिंग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, कानून और प्रबंधन पाठ्यक्रमों सहित सभी विषयों में उच्च शिक्षा (स्नातक, स्नातकोत्तर कार्यक्रम)। अनूठी विशेषता यह है कि, यह के साथ एकीकृत है पारंपरिक शिक्षा। SWAYAM पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट ट्रांसफर संभव है–

स्वयं प्रभा में 32 डीटीएच टीवी चौनल हैं जो 24 x 7 आधार पर शैक्षिक सामग्री प्रसारित करते हैं। ये चौनल डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स और एंटीना का उपयोग करके पूरे देश में देखने के लिए उपलब्ध हैं। चौनल शेड्यूल और अन्य विवरण पोर्टल में उपलब्ध हैं। चौनल कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों में स्कूली शिक्षा (कक्षा 9 से 12) और उच्च शिक्षा (स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग आउट–ऑफ–स्कूल बच्चे, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण) दोनों को कवर करते हैं। इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि।

ई–पीजी पाठशाला स्नातकोत्तर छात्रों के लिए है। इस लॉकडाउन अवधि के दौरान स्नातकोत्तर छात्र ई–पुस्तकों, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और अध्ययन सामग्री के लिए इस मंच का उपयोग कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का महत्व यह है कि छात्र पूरे दिन इंटरनेट के बिना इन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

शिक्षा पर कोविड–19 का सकारात्मक प्रभाव– हालांकि कोविड–19 के प्रकोप ने शिक्षा पर कई नकारात्मक प्रभाव डाले हैं, भारत के शैक्षणिक संस्थानों ने चुनौतियों को स्वीकार किया है और महामारी के दौरान छात्रों

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

को निर्बाध सहायता सेवाएं प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली को पारंपरिक व्यवस्था से एक नए युग में परिवर्तन का अवसर मिला। निम्नलिखित बिंदुओं को सकारात्मक प्रभावों के रूप में माना जा सकता है।

मिश्रित शिक्षा की ओर बढ़ें – कोविड–19 ने शिक्षा देने के लिए डिजिटल तकनीकों को अपनाने में तेजी लाई है। शैक्षिक संस्थान सीखने के मिश्रित तरीके की ओर बढ़े। इसने सभी शिक्षकों और छात्रों को अधिक प्रौद्योगिकी प्रेमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। वितरण के नए तरीकों और सीखने के आकलन ने पाठ्यचर्या विकास और शिक्षाशास्त्र के क्षेत्र में एक बड़े परिवर्तन के लिए अपार अवसर खोले। यह एक बार में शिक्षार्थियों के बड़े पूल तक पहुंच भी प्रदान करता है।

शिक्षण प्रबंधन प्रणालियों के उपयोग में वृद्धि – शिक्षण संस्थानों द्वारा शिक्षण प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग एक बड़ी मांग बन गया है। इसने उन कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर खोला जो शैक्षिक संस्थानों के उपयोग के लिए शिक्षण प्रबंधन प्रणालियों को विकसित और मजबूत कर रही हैं (मिश्रा, 2020)।

शिक्षण सामग्री की सॉफ्ट कॉपी का उपयोग– लॉकडाउन की स्थिति में छात्र अध्ययन सामग्री की हार्ड कॉपी एकत्र करने में सक्षम नहीं थे और इसलिए अधिकांश छात्र संदर्भ के लिए सॉफ्ट कॉपी सामग्री का उपयोग करते थे।

सहयोगात्मक कार्य में सुधार– एक नया अवसर है जहां सहयोगात्मक शिक्षण और अधिगम नए रूप ले सकते हैं। एक दूसरे से लाभ उठाने के लिए दुनिया भर के शिक्षकोंधशिक्षकों के बीच सहयोग भी हो सकता है (मिश्रा, 2020)।

ऑनलाइन बैठकों में वृद्धि – महामारी ने टेलीकांफ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, वेबिनार और ई–कॉन्फ्रेंसिंग के अवसरों में भारी वृद्धि की है।

बढ़ी हुई डिजिटल साक्षरता – महामारी की स्थिति ने लोगों को डिजिटल तकनीक सीखने और उपयोग करने के लिए प्रेरित किया और इसके परिणामस्वरूप डिजिटल साक्षरता में वृद्धि हुई।

जानकारी साझा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग में सुधार – छात्रों के बीच सीखने की सामग्री आसानी से साझा की जाती है और संबंधित प्रश्नों को ई–मेल, एसएमएस, फोन कॉल और व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया का उपयोग करके हल किया जाता है।

विश्वव्यापी प्रदर्शन – शिक्षकों और शिक्षार्थियों को दुनिया भर के साथियों के साथ बातचीत करने के अवसर मिल रहे हैं। शिक्षार्थी एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए अनुकूलित।

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की मांग (ओडीएल) महामारी की स्थिति के दौरान अधिकांश छात्रों ने ओडीएल मोड को प्राथमिकता दी क्योंकि यह स्व–शिक्षा को विविध संसाधनों से सीखने और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

शिक्षा पर कोविड–19 का नकारात्मक प्रभाव – कोविड–19 के प्रकोप के कारण शिक्षा क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ है। इसने शिक्षा पर कई नकारात्मक प्रभाव पैदा किए हैं और उनमें से कुछ नीचे बताए गए हैं–

1. शैक्षिक गतिविधि बाधित– कक्षाओं को निलंबित कर दिया गया है और विभिन्न स्तरों पर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। विभिन्न बोर्ड पहले ही वार्षिक परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित कर चुके हैं। प्रवेश प्रक्रिया में देरी हुई। लॉकडाउन में निरंतरता के कारण, छात्र को 2020–21 के पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लगभग 3 महीने का नुकसान हुआ, जो शिक्षा में निरंतरता की स्थिति को और खराब करने वाला है और छात्रों को एक बड़ी अवधि के बाद फिर से स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

2. रोजगार पर प्रभाव– कोविड–19 के कारण अधिकांश भर्ती स्थगित हो गई, छात्रों के लिए प्लेसमेंट भी प्रभावित हो सकता है क्योंकि कंपनियां छात्रों के बोर्ड में देरी कर रही हैं। इस महामारी के कारण बेरोजगारी दर बढ़ने की उम्मीद है। भारत में, सरकार में कोई भर्ती नहीं है। क्षेत्र और नए स्नातकों को मौजूदा स्थिति के कारण निजी क्षेत्रों से अपनी नौकरी के प्रस्ताव वापस लेने का डर है। बेरोजगारी पर भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र का अनुमान मार्च के मध्य में 8.4% से बढ़कर अप्रैल की शुरुआत में 23% हो गया और शहरी बेरोजगारी दर 30.9% (Educationasia.in) हो गई। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो शिक्षा धीरे–धीरे कम हो जाती है क्योंकि लोग शिक्षा के बजाय भोजन के लिए संघर्ष करते हैं।

3. ऑनलाइन शिक्षा के लिए अप्रस्तुत शिक्षक/छात्र– सभी शिक्षक/छात्र इसमें अच्छे नहीं हैं या कम से कम वे सभी इस अचानक परिवर्तन के लिए आमने–सामने सीखने से ऑनलाइन सीखने के लिए तैयार नहीं थे। अधिकांश शिक्षक केवल वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे जूम, गूगल मीट आदि पर व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं, जो बिना किसी समर्पित ऑनलाइन शिक्षण मंच के वास्तविक ऑनलाइन शिक्षण नहीं हो सकता है।

4. कम वैश्विक रोजगार अवसर– कुछ अन्य देशों से अपनी नौकरी खो सकते हैं और पास आउट छात्रों को कोविड–19 के कारण प्रतिबंधों के कारण भारत के बाहर अपनी नौकरी नहीं मिल सकती है। हो सकता है कि कई भारतीय कोविड–19 के कारण विदेशों में अपनी नौकरी गंवाकर स्वदेश लौट आए हों। इसलिए, नए छात्र जो जल्द ही नौकरी के बाजार में प्रवेश करने की संभावना रखते हैं, उन्हें उपयुक्त रोजगार पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कई छात्र जिन्हें पहले ही कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से नौकरी मिल चुकी है, वे लॉकडाउन के कारण अपनी नौकरी में शामिल नहीं हो सकते हैं।

5. अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए माता–पिता की बढ़ी जिम्मेदारी– कुछ शिक्षित माता–पिता मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं लेकिन कुछ के पास घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक शिक्षा का पर्याप्त स्तर नहीं हो सकता है।

6. स्कूल बंद होने के कारण पोषण का नुकसान– मध्याह्न भोजन भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है जिसे देश भर में स्कूली उम्र के बच्चों को बेहतर पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। स्कूलों के बंद होने से छात्रों के दैनिक पोषण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है क्योंकि मध्याह्न भोजन योजनाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि मध्याह्न भोजन भी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान कारक है।

7. डिजिटल दुनिया तक पहुंच– चूंकि कई छात्रों के पास इंटरनेट की सीमित या कोई पहुंच नहीं है और कई छात्र अपने घरों में कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन का समर्थन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षण–शिक्षण छात्रों के बीच एक डिजिटल विभाजन पैदा कर सकता है। लॉकडाउन ने भारत में गरीब छात्रों को बहुत मुश्किल से मारा है क्योंकि उनमें से अधिकांश

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार ऑनलाइन सीखने में असमर्थ हैं। इस प्रकार महामारी कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षण-शिक्षण पद्धति अमीर-गरीब और शहरी-ग्रामीण के बीच की खाई को बढ़ा सकती है।

8. वैश्विक शिक्षा तक पहुंच- महामारी ने उच्च शिक्षा क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से बाधित कर दिया है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जो विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में नामांकित हैं, विशेष रूप से सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में अब उन देशों को छोड़ रहे हैं और यदि स्थिति बनी रहती है, तो लंबे समय में, अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा की मांग में उल्लेखनीय गिरावट आएगी।

9. स्कूलों, कॉलेजों की फीस के भुगतान में हुई देरी- इस लॉकडाउन के दौरान अधिकांश माता-पिता बेरोजगारी की स्थिति का सामना कर रहे होंगे, इसलिए वे उस विशेष समय अवधि के लिए शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं जो निजी संस्थानों को प्रभावित कर सकता है।

सुझाव - भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक रणनीतियां विकसित करनी चाहिए कि सभी बच्चों को महामारी कोविड-19 के दौरान सीखने की स्थायी पहुंच होनी चाहिए। भारतीय नीतियों में प्रभावी वितरण के लिए दूरदराज के क्षेत्रों, हाशिए पर और अल्पसंख्यक समूहों सहित विविध पृष्ठभूमि के विभिन्न व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए।

1. नौकरी की पेशकशों, इंटर्नशिप कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है।

2. कई ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म प्रमाणन, कार्यप्रणाली और मूल्यांकन मानकों के विभिन्न स्तरों के साथ एक ही विषय पर कई कार्यक्रम पेश करते हैं। इसलिए, विभिन्न ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों में कार्यक्रमों की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है। इसलिए, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के तेजी से विकास को ध्यान में रखते हुए, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) द्वारा ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रमों के लिए गुणवत्ता आश्वासन तंत्र और गुणवत्ता बेंचमार्क की स्थापना और विकसित की जानी चाहिए।

3. सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने की योजना बनानी चाहिए। 30-40% छात्र और शिक्षक कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए शैक्षिक गतिविधियों को करने के लिए प्रतिदिन दो पालियों में स्कूल/कॉलेज में जा सकते हैं।

4. वर्तमान समय में, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंच एक तत्काल आवश्यकता है। इसलिए, महामारी के दौरान छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने की सुविधा के लिए डिजिटल क्षमताओं और आवश्यक बुनियादी ढांचे को दूरस्थ और सबसे गरीब समुदायों तक पहुंचना चाहिए। इंटरनेट की कमी को दूर करने और छात्रों को डिजिटल रूप से सीखना जारी रखने के लिए सार्वजनिक धन को तैनात करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों-निजी संगठनों को डिजिटल शिक्षा के इस मुद्दे को हल करने के लिए विचारों के साथ आना चाहिए।

5. दूरस्थ शिक्षा रणनीतियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता और पहुंच, सुरक्षित सीखने के स्थान की आवश्यकता, शिक्षकों, परिवारों और छात्रों के लिए डिजिटल उपकरणों को संचालित करने और नेविगेट करने की क्षमता बनाना, और विकलांग छात्रों के लिए आकर्षक पाठ योजनाएं और अन्य हाशिए के समूहों को सरकार द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। और हितधारकों।

निष्कर्ष- कोविड-19 ने भारत के शिक्षा क्षेत्र पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। हालाँकि इसने कई चुनौतियाँ पैदा की हैं, लेकिन विभिन्न अवसर भी विकसित हुए हैं। भारत सरकार। और शिक्षा के विभिन्न हितधारकों ने कोविड-19 के वर्तमान संकट से निपटने के लिए विभिन्न डिजिटल तकनीकों को अपनाकर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ODL) की संभावना का पता लगाया है। भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा को देश के सभी कोनों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है। जो छात्र दूसरों की तरह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं, उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म की वर्तमान पसंद के कारण नुकसान होगा। लेकिन विश्वविद्यालय और भारत सरकार इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अथक प्रयास कर रही है। भारत में लाखों युवा छात्रों के लिए एक लाभप्रद स्थिति बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना प्राथमिकता होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों के लिए यह समय की आवश्यकता है कि वे अपने ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करें ताकि वे कोविड-19 जैसी स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें।

भले ही कोविड-19 संकट लंबा खिंच जाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अधिकतम उपयोग पर प्रयास करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि छात्र न केवल इस शैक्षणिक वर्ष में अपनी डिग्री पूरी कर सकें बल्कि भविष्य के डिजिटल उन्मुख वातावरण के लिए भी तैयार हो सकें। कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए ऐसी महामारी की स्थिति में 'वर्क फ्रॉम होम' की अवधारणा की अधिक प्रासंगिकता है। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक रणनीति विकसित करनी चाहिए कि सभी बच्चों को महामारी कोविड-19 के दौरान सीखने की स्थायी पहुंच होनी चाहिए। भारतीय नीतियों में शिक्षा के प्रभावी वितरण के लिए दूरस्थ क्षेत्रों, हाशिए पर और अल्पसंख्यक समूहों सहित विविध पृष्ठभूमि के विभिन्न व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए। चूंकि ऑनलाइन अभ्यास से छात्रों को अत्यधिक लाभ हो रहा है, इसलिए इसे लॉकडाउन के बाद भी जारी रखा जाना चाहिए। भारत की शिक्षा प्रणाली पर कोविड-19 के प्रभाव का पता लगाने के लिए और अधिक विस्तृत सांख्यिकीय अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यूनेस्को, कोविड-19 शैक्षिक व्यवधान और प्रतिक्रिया पर पुन: प्राप्त।
2. WHO, WHO कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) डैशबोर्ड, 20 मई, 2020 को https://covid19-who-int/.
3. विकिपीडिया. भारत में कोविड-19 महामारी।
4. https://en-wikipedia-org/wiki/Education_in_India .
5. प्रवत कु. जेना 2020, ओडीएल के लिए कोविड-19 द्वारा निर्मित चुनौतियाँ और अवसर-इग्नू का एक केस स्टडी।
6. इंटरनेशनल जर्नल फॉर इनोवेटिव रिसर्च इन मल्टीडिसिप्लिनरी फाइल्ड, वॉल्यूम -6, अंक- 5, पीजी। 217-222।
7. विदेश में अध्ययन (2020), कोविड-19 भारतीय शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करेगा।
8. 25 मई, 2020 को https://www.studyabroadlife.org/how& कोविड-19.
9. मिश्रा कमलेश 2020 कोविड-19-4 नकारात्मक प्रभाव और शिक्षा के लिए 4 अवसर पैदा हुए। 25 मई, 2020 को https://www-indiatoday-in/education& Today/featurephilia/story/

COVID–19–4–negative&impacts& and&4& opportunities& created&for&education-1677206 से प्राप्त किया गया।

10. Educationasia.in 2020। शिक्षा और शिक्षा क्षेत्रों पर कोविड–19 का प्रभाव, यहां जानें। 25 मई, 2020 को https://educationasia.in/article/the&impact& of&COVID&19 &on&education&and&education&sectors&know.
11. एमएचआरडी नोटिस (20 मार्च, 2020)। COVID–19 सुरक्षित रहें– डिजिटल पहल। 25 मई, 2020 को https://www.mohfw.gov-in/pdf/Covid19.pdf से प्राप्त किया गया
12. 20 मई, 2020 https://en.wikipedia.org/wiki/COVID&19.pandemic.in.India ls
13. विकिपीडिया, भारत में शिक्षा 24 मई, 2020.
14. 26 जून, 2020 https://en.unesco.org/covid19/Educationresponse

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

वैश्वीकरण, उदारीकरण के संदर्भ में विदेशी व्यापार की नूतन प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में

डॉ. दीपक दुबे* अन्नपूर्णा दुबे **

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – पिछले लगभग एक दशक से विश्व भर के आर्थिक क्षेत्र में जिन नई अवधारणा ने और परिवर्तनों ने जन्म लिया है उनमें उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजी करण प्रमुख है वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी देश के आगत एवं निर्गत के विपणन को ग्लोबल व्यवस्था के कारण एकीकृत व संबंधित किया जाता है तथा उन्हें विश्व बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है, यह वास्तव में आंदोलन है या आर्थिक क्षेत्र में एक नई क्रांति है। जिसमें विश्व आर्थिक नीति को एक केंद्र बिंदु से नियमित नियंत्रित एवं संचालित करने की योजना है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास में एकल प्रस्ताव वैश्वीकरण के आधारभूत आधारशिला है। इसके अधीन विश्व स्तर पर पेटेंट नियम लागू करना बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को सरल बनाना आदि पर बल दिया।

राष्ट्रीय आय की वृद्धि में विदेशी व्यापार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विदेशी व्यापार से बड़े पैमाने पर श्रम विभाजन तथा मशीनों का प्रयोग संभव होता है, जिससे देश की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है उत्पत्ति के साधनों के लिए घरेलू और निर्यात उद्योग में प्रतियोगिता होती है। जिससे देश वर्तमान विश्व में तेजी से हो रहे भूमंडलीकरण के दौर में विभिन्न उदारीकरण की नीति को अपनाकर अपने देश की सीमाएं दूसरे देशों की वस्तुओं के लिए खुली जा रही है। और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। कई विकासशील देशों में उदारीकरण की नीति को अपनाकर अपने देश की सीमाएं दूसरे देशों की वस्तुओं के लिए खोलकर अत्यधिक सफलता प्राप्त की है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण – 1980 81 के पश्चात भारत को भुगतान शेष के क्षेत्र में गंभीर समस्याएं आएं दूसरा तेज झटके में भारत के राज्य में तीव्र वृद्धि कर दी परंतु मेरी यात्राएं में बहुत कम वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरुप व्यापार शेष का घाटा बहुत बढ़ गया है 1990 से 91 में भारत का विदेशी विनिमय कोशिश नाकाम था कि वह पर्याप्त न था। अर्थात भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति को अपनाया गया भारत सरकार ने जुलाई 1991 के पश्चात देश को आर्थिक संकट से उबारने हेतु विकास की गति को तीव्र करने की दृष्टि से विभिन्न नीतियों को अपनाया जो निम्नांकित है

1. व्यवस्था के स्थान पर उदारता की नीति।
2. सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित का निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन।
3. विदेशी निवेश को प्रोत्साहन।
4. उत्पादन की उन्नत व नई-नई तकनीकों को लागू करना।
5. कृषि के आधुनिकरण को प्रोत्साहन।
6. व्यापार नीति मौद्रिक नीति जिस राज्य समिति में व्यापक परिवर्तन
7. राजकीय घाटे पर नियंत्रण।

उपरोक्त को नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है नई आर्थिक नीति जुलाई 1991 के पश्चात कई नीति में परिवर्तन कर कई उपाय किए गए इस नीति के कई लक्ष्य है।

1. अतीत में प्राप्त लाभों का समायोजन करना।
2. अर्थव्यवस्था में विकास की दर में वृद्धि।
3. उत्पादित इकाइयों की उत्पादकता के स्तर में सुधार करना।
4. उत्पादित इकाइयों की प्रगति क्षमता में सुधार करना।
5. आर्थिक विकास हेतु कई नए संसाधनों का प्रयोग करना।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास भारत के संदर्भ में – पिछले कुछ दशकों से प्रौद्योगिकी में हरसंभव मार्ग से हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है।

भारत एक सफल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से सज्जित राष्ट होने के नाते सदैव सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अधिक बल देता रहता है। भारत में केवल अच्छे शासन के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों जैसे बैंकिंग क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र इत्यादि में भी कई परिवर्तन पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादन व निर्माता के संदर्भ में भारतीय उद्योग के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र हैं रक्षा इलेक्ट्रॉनिक को अथवा स्वरूप छोड़ दे तो आज इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं रह गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व:

1. सूचना प्रौद्योगिकी सेवा अर्थ तंत्र का आधार है।
2. पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक सम्यक तकनीकी है।
3. गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर ही निर्धनता का उन्मूलन किया जा सकता है।
4. सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण होता है।
5. सूचना तकनीकी प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता लाता है इसे

भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलती है।

6. सूचना तकनीकी का प्रयोग योजना बनाने नीति निर्धारण तथा निर्णय लेने में होता है।
7. यह नए रोजगार का सृजन करता है।

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंदौर और भोपाल के क्षेत्र में आईटी उद्योग में कुशल आईटी पेशेवरों की उपलब्धता एवं घरेलू आईटी बाजार के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश प्रदेश शासन के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मानव संसाधान विकास मंत्रालय, भारत सरकार और निजी भागीदारों के साथ 99 फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति की ताकत में वृद्धि:

1. राज्य में दूरसंचार बुनियादी ढांचे का पर्याप्त विकास।
2. आईटी और कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक इंजीनियरों की संख्या में वृद्धि।
3. सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर के प्रवेश में वृद्धि।
4. स्मार्ट कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र, मंडी बोर्ड का कंप्यूटरीकरण भंडारों वाणिज्य करो बैंक के रूप में कुछ प्रमुख परियोजनाओं को लागू होना।

उद्देश्य:

1. वैश्वीकरण उदारीकरण के कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि का अध्ययन करना।
2. विदेशी व्यापार की नौटंकी बच्चियों के कारण व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार में आए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
3. सूचना और प्रत्येक क्षेत्र में हुए विकास का अध्ययन करना एवं अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना।
4. सूचना प्रौद्योगिकी विकास से बैंकिंग क्षेत्र में आए परिवर्तन का अध्ययन करना।
5. सूचना प्रौद्योगिकी का से विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी का अध्ययन करना।

परिकल्पना:

1. वैश्वीकरण उदारीकरण के कारण सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी व्यापार का विकास तेजी से हुआ है।
2. सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में विदेशी व्यापार के भुगतान संतुलन में सुधार एवं विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है।

साहित्य समीक्षा

वैश्वीकरण और भारत पर इसका प्रभाव – आर्थिक मामले वाल्यूम 59 विशेष प्रष्ठ संख्या 797-803, 2014)

जोसेफ, के.जे. एवं पैरायिल (2008) का लेख सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के अस्तित्व में आने के बाद विकासशील देशों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग और उत्पादन पर व्यापार के उदारीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करता हैं

इस लेख के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –:

1. व्यापार उदारीकरण तथा आईसीटी विकास के साथ डिजिटल डिवाइड को पाटने का विश्लेषण।
2. आईसीटी का विकासशील देशों में प्रसार का अध्ययन।
3. आईसीटी उत्पादन की उपेक्षा के बावजूद इसके प्रयोग को बढावा देने के खतरे की व्याख्या।
4. आईसीटी वस्तुओं की स्थिति तथा उत्पादन का विश्लेषण।
5. वैश्विक नेटवर्क उत्पादन में भाग लेने की स्थिति का विश्लेषण।

इस प्रकार इन उददेश्यों की प्राप्ति के माध्यम से यह शोध पत्र इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आईसीटी उत्पादन के विकास और इसके उपयोग को बढावा देने के लिए विकास का महत्व सर्वोपरि है।

श्री राधाकृष्णन के.जी.(2004) – के शोध पत्र में यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भारत के कम्प्युटर एवं इलेक्ट्रानिक उद्योग में निर्यात के साथ घरेलू बाजार में भी महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इस उद्योग को अब आर्थिक वृद्धि के इंजन तथा विदेशी मुद्रा के बडे साधन के रूप में देखा जाने लगा है।

इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य साफ्टवेयर उद्योग के निर्यात क्षैत्र की संरचना का वर्णन करना, उनकी मुख्य समस्याओं पर प्रकाश डालना तथा इसके निवारण के उपाय प्रस्तुत करना है। लेखक का मत इस शोध पत्र में यह रहा है कि भारतीय साफ्टवेयर कम्पनियों को अपने प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाने तथा मूल्य सम्बर्धन के प्रयास तेज करने पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी इस उद्योग के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

लेखक का मत है कि यह उद्योग विदेशों में नई शुरू होने वाली कम्पनियों को अधिग्रहित करके नये ग्राहकों तथा बाजारो तक पहुच सकता है।

इसी विषय पर **श्री सिंह, अरविन्द कुमार (2001)** – इस लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आईटी उद्योग की भारत में इतनी प्रगति के बावजूद उसके विकास में रूकावटें और कठिनाईयां विद्यमान है। सरकारी नीतियों द्वारा आईटी उद्योग के समर्थन में विकास का वातावरण बनाने के बाद भी इस रोजगार से सम्बन्धित उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त मानव पूंजी का देश में अभाव है। लेखक इस शोध में आईटी उद्योग में निर्यात को प्रगति, कम्प्युटरों की विक्री, संचार क्रांति तथा आईटी क्रान्ति के सम्बन्ध, दूर संचार प्रौद्योगिकी के विकास रोजगार तथा आईटी से जुडे तथ्यों तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का ग्रामीण विकास में योगदान इत्यादि का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि आईटी निर्यात ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विकासात्मक योगदान दिया है। किन्तु गांवो में उसका विकास सन्तोषजनक नहीं है। पिछडे क्षैत्रों में अभी भी आईटी से सम्बधित शिक्षा तथा प्रयोग में विस्तार की व्यापक योजना चलाने की आवश्यकता है।

1. 2021-22 की तीसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़कर 23.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.7 प्रतिशत) हो गया, जोकि 2021-22 की दूसरी तिमाही में 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) और एक वर्ष पहले (अर्थात् 2020-21 की तीसरी तिमाही) 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.3 प्रतिशत) था।
2. 2021-22 की तीसरी तिमाही में सीएडी में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण उच्च व्यापार घाटा है।
3. कंप्यूटर और कारोबार सेवाओं के निवल निर्यात के मजबूत प्रदर्शन के आधार पर निवल सेवाओं की प्राप्तियों में, दोनों क्रमिक रूप से और वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, वृद्धि हुई।
4. निजी अंतरण प्राप्तियों, जो मुख्य रूप से विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषण का प्रतिनिधित्व करती हैं, की राशि 23.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही, जिसमें एक वर्ष पहले के उनके स्तर से 13.1

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

5. प्राथमिक आय खाते से निवल व्यय, जो मुख्य रूप से निवल विदेशी निवेश आय भुगतानों को दर्शाता है, में क्रमिक रूप से और साथ ही वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि हुई।
6. वित्तीय खाते में, निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने 5.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्वाह दर्ज किया, जो एक वर्ष पहले के 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में कम है।
7. पोर्टफोलियो निवेश में 2020-21 की तीसरी तिमाही में 21.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अंतर्वाह की तुलना में 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया।
8. 2021-22 की तीसरी तिमाही में भारत के लिए निवल बाह्य वाणिज्यिक उधार में एक वर्ष पहले के 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 0.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह दर्ज किया गया।
9. अनिवासी जमाराशियों में 2020-21 की तीसरी तिमाही में 3.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्वाह दर्ज किया गया।
10. विदेशी मुद्रा भंडार (बीओपी आधार पर) में 2020-21 की तीसरी तिमाही में 32.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 0.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई

अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान बीओपी:

1. व्यापार घाटा में तेज बढ़ोत्तारी के कारण भारत ने अप्रैल-दिसंबर 2020 में 1.7 प्रतिशत के अधिशेष की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2021 में जीडीपी का 1.2 प्रतिशत चालू खाता घाटा दर्ज किया।
2. निवल अदृश्य प्राप्तियाँ अप्रैल-दिसंबर 2021 में बढ़ी हुई थी, जिसका मुख्य कारण सेवाओं की उच्च निवल प्राप्तियाँ और निजी अंतरण है।
3. अप्रैल-दिसंबर 2021 में 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल एफ़डीआई अंतर्वाह, अप्रैल-दिसंबर 2020 में 41.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में कम है।
4. पोर्टफोलियो निवेश ने एक वर्ष पहले के 28.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतर्वाह की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया।
5. अप्रैल-दिसंबर 2021 में, विदेशी मुद्रा भंडार (बीओपी आधार पर) में 63.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई।

सारणी 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

सेवा क्षेत्र का व्यापार

निर्यात एवं आयात (सेवाएं) : (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

(अनंतिम)	मार्च 2021	अप्रैल-मार्च 2020-21
निर्यात (प्राप्तियां)	20.45	205.27
आयात (भुगतान)	12.54	118.45
व्यापार संतुलन	7.91	86.82

निर्यात एवं आयात (सेवाएं): (करोड़ रुपये में)

(अनंतिम)	मार्च 2021	अप्रैल-मार्च 2020-21
निर्यात (प्राप्तियां)	1,48,868.56	15,22,156.97
आयात (भुगतान)	91,260.33	8,78,061.12
व्यापार संतुलन	57,608.22	6,44,095.85

स्रोत: आरबीआई की 14 मई 2021को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार

सारणी 2 वस्तुओं का व्यापार

निर्यात एवं आयात: (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वस्तुओं का व्यापार

निर्यात एवं आयात: (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

(अनंतिम)	
	अप्रैल
निर्यात (पुन: निर्यात सहित)	
2020-21	10.36
2021-22	30.36
प्रतिशत वृद्धि 2021-22/ 2020-21	195.72
आयात	
2020-21	17.12
2021-22	45.72
प्रतिशत वृद्धि 2021-22/ 2020-21	167.05
व्यापार संतुलन	
2020-21	-6.76
2021-22	-15.10
निर्यात एवं आयात: (करोड़ रूपए)	
(अनंतिम)	
	अप्रैल
निर्यात (पुन: निर्यात सहित)	
2020-21	78,951.41
2021-22	2,28,071.76
प्रतिशत वृद्धि 2021-22/ 2020-21	188.88
आयात	
2020-21	1,30,525.08
2021-22	3,40,505.06
प्रतिशत वृद्धि 2021-22/ 2020-21	160.87
व्यापार संतुलन	
2020-21	-51,573.67
2021-22	-1,12,433.30

शोध परिकल्पना - प्रस्तुत शोध परिकल्पना में वैश्वीकरण उदारीकरण के कारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी व्यापार का विकास तेजी से हुआ है यह कथन सत्य है। साथ ही दूसरी परिकल्पना सूचना प्रौद्योगिकी विकास में विदेशी व्यापार के भुगतान संतुलन में सुधार एवं विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है दोनों परिकल्पना उनका परीक्षण उपरोक्त तालिका 2 वर्षों के आधार पर किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सीपी अग्रवाल भारत में निर्यात विधि और सेवा।
2. सी,डी, बड़वा एशिया में तर्कसंगत आर्थिक सहयोग।
3. गेट कंट्री स्टडी इंडिया 1994
4. एचसी सैनी भारत का विदेश व्यापार पी एन अग्रवाल भारत की निर्यात रणनीति।
5. डॉ. राजेंद्र विदेश व्यापार नीति।
6. वि. राजा रमन सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय।

7. जेएस उप्पल भारत की आर्थिक समस्याएं। नीति।
8. मधुकर सरोदे विषय वैश्वीकरण और उदारीकरण में विदेश व्यापार

सारणी 1 : भारत के भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें (बिलियन अमेरिकी डॉलर)

	अक्तूबर-दिसंबर 2021 प्रा			अक्तूबर-दिसंबर 2020			अप्रैल-दिसंबर 2021 प्रा			अप्रैल-दिसंबर 2020		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
क. चालू खाता	205.4	228.4	-23.0	157.0	159.2	-2.2	579.4	605.9	-26.5	430.2	398.0	32.1
1. वस्तु जिसमें से:	109.0	169.4	-60.4	77.2	111.8	-34.6	311.2	446.8	-135.6	205.0	265.4	-60.4
पीओएल	17.7	43.7	-26.0	5.5	21.9	-16.5	46.3	113.3	-67.0	17.6	53.9	-36.4
2. सेवा	67.0	39.2	27.8	53.3	30.1	23.2	184.7	105.5	79.2	150.1	85.0	65.1
3. प्राथमिक आय	5.9	17.6	-11.7	5.7	15.8	-10.1	18.0	47.4	-29.4	15.7	42.9	-27.2
4. द्वितीयक आय	23.5	2.2	21.3	20.8	1.5	19.3	65.6	6.2	59.4	59.4	4.7	54.7
ख. पूंजी लेखा और जिसमें से: वित्तीय लेखा	221.3	198.6	22.7	171.2	169.5	1.6	595.2	569.4	25.7	436.3	468.9	-32.5
मुद्रा भंडार में परिवर्तन (वृद्धि (-)/कमी (+))	0.0	0.5	-0.5	0.0	32.5	-32.5	0.0	63.5	-63.5	0.0	83.9	-83.9
ग. भुल-चूक प्रा : प्रारंभिक	0.3		0.3	0.6		0.6	0.8		0.8	0.4		0.4

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में ठाकुर रणमत सिंह का योगदान

मिथिलेश सिंह *

* अतिथि विद्वान, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – विन्ध्य की धरा प्राचीन काल से ही कई बडे-बडे शासको द्वारा शासित होती रही है इसमें कई महान राजवंशों के उत्थान और पतन देखा है, यहाँ कई महापुरूषों एवं शूरवीरों का जन्म हुआ। इन्ही श्रृंखला मे अमर शहीद ठाकुर राणमत सिंह का नाम उल्लेखनीय है इन्होने भारत माता को ब्रिटिष हुकूमत की अपमान भरी गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिये अपने प्राणों को आहुति दे दे थी। विन्ध्य क्षेत्र मे इन्होने 1857 के महान् विद्रोह का सफलता पूर्वक नेतृत्व किया और अपने अभूतपूर्व एवं शूरवीरता का परिचय दिया।

संक्षिप्त परिचय – अमर सेनानी लाल रणमत सिंह कोठी (जिला सतना) खानदान से संबंधित है वर्तमान में इनके वंशज कुम्हरा ग्राम जिला रीवा में आबाद है, अत्यन्त खेद का विषय है, कि विन्ध्य क्षेत्र के अमर सेनानी और 1857 के महान विद्रोह के प्रमुख नेता लाल रणमत सिंह की जन्मतिथि एवं इनके प्रारंभिक जीवन के संबंध मे भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है इसलिए मात्र जनश्रुतियों और इनके वंशजो के द्वारा प्राप्त जानकारी को ही आधार मानना पड़ा रणमत सिंह के वर्तमान वंशजो के अनुसार इनका जन्म 1825 ई. में हुआ था। महाराज रघुराज सिंह का दशहरे के समय निकाली गई सन् 1854 का एक बेहतरीन चित्र प्राप्त हुआ है, जो इस बात की पुष्टि करने का प्रयास करता है, इस चित्र मे रणमत सिंह महाराजा के अंगरक्षक के रूप में खडे है, चित्र मे इनकी उम्र 27-28 वर्ष के युवक की प्रतीत होती है, इनके जन्म के संबंध मे यह मालूम होता है कि रणमत सिंह अपने छोटे भाई जबर सिंह से 25 वर्ष बड़े थें अर्थात जबर सिंह की प्रामाणिक जन्मतिथि 1850 ई है। अत: इससे भी सिद्ध होता है कि रणमत सिंह की जन्म तिथि 1825 ई की है।

वस्तुत: में इतिहास प्रसिद्ध है, कि ये बचपन से ही बहुत साहसी थे। इनके मल्लयुद्ध और घुड़सवारी करना सर्वाधिक प्रिय थे। इन्होने अपने गॉव से बाहर के पहलवानों को बुलाकर मल्लविद्या मे निपुणता प्राप्त की थी। इनके अखाड़्ची सहयोगियों मे बहुत बड़ा जत्था भी था। मल्लयुद्ध के अतिरिक्त तलवार बरछी कटार आदि चलाने में भी निपुड़ता हासिल कर ली थी। दौड़ते घोड़े पर चढ़ा और उस पर उछल कर दूसरे घोड़े पर सवार हो जाना तथा घोड़े की पीठ पर बैठे-बैठे शस्त्र चलाने का इनको अच्छा आभास हो गया था। रणमत के पास एक मुस्की रंग का घोड़ा था जिसने 1857 के महान विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके रणमत सिंह की मदद की थी। रणमत इस घोड़े को बहुत प्यार करते थे।

ठाकुर रणमत सिंह और 1857 का विद्रोह– 1857 के विद्रोह की लहर मेरठ दिल्ली को प्रारम्भ होकर शीघ्र ही मध्य भारत पहुंच गई यह लहर लखनऊ कानपुर होते हुए सागर, दमोह, जबलपुर और मंडला की ओर क्रमश: बढ़ती चली गयी और बॉदा की ओर से उठने वाले विद्रोह की चिन्गारी जैतपुर नौगॉव नागौद तथा रीवा राज्य मे फैल गयी जून, जुलाई 1857 मे रीवा राज्य की स्थिति अत्यन्त भयंकर हो गयी क्योकि जब तक मे रीवा राज्य के चारो तरफ विद्रोह का वास्तविक श्री गणेश अगस्त 1857 मे जमषेदपुर बिहार के कुँवर के रीवा आने पर हुआ। जिसके आने की सूचना पाकर नागौद के विद्रोहियो का उत्साह और अधिक बढ़ गया था। इसी के पश्चात् से ही विन्ध्य क्षेत्र मे विद्रोह मे ठाकुर रणमत सिंह उदय होना बताया गया है।

कुँवर सिंह के रीवा आगमन से जो विद्रोह की ज्वाला उठने वाली थी उसके लक्षण सर्वप्रथम अगस्त 1857 मे लिंगा तेलुगु ब्रम्हण मे दिखाई दिये। यह लिंगा ब्राम्हण अंग्रेज फौज का एक सैनिक था रीवा के ब्रिटिश पोलिटिकल एजेक्ट आसबर्न ने इसे बड़ी चतुराई से गिरफ्तार कर लिया।

अत: लिंगा की जान बचाने के लिये श्यामशाह रणमत सिंह धीर सिंह और पंजाब सिंह ने आपस मे गुफ्तगू की आसबर्न इन चारो बघेल सरदारो की गतिविधियो को शीघ्र ही भॉप गया और राजा रघुराज सिंह के पास इनके बागी होने की सूचना भेज दी, रघुराज सिंह स्वयं को अंग्रेजो के संदेह से बचाने के लिये उक्त चारो बघेल सरदारो को दरबार की नौकरी से छुट्टी करके राज्य से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया। हालांकि राघुराज सिंह ने अपने इस आदेश के क्रियान्वयन मे विशेष अभिरूचि नही ली इसलिये तो रणमत सिंह ने अपने इन साथियों के साथ रीवा राज्य मे रहकर अंग्रेज विरोधी गतिविधियों मे तल्लीन रहे और यहाँ तक की वे रीवा स्थित आसबर्न के बगले (वर्तमान मार्तण्ड हाई स्कूल) को घेर लिये थे। परन्तु आसबर्न किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। इस घटना से रघुराज सिंह अत्यधिक भयभीत हो गयें। और रीवा राज्य की कानून व्यवस्था बनाकर रखने के लिये अपने राज्य मे 2000 सिपाहियों को आसबर्न की सेना मे भर्ती करवाकर अंग्रेजों का सहयोग किया।

27 अगस्त 1857 को रिसाले के चौदह सिपाहियों के विद्रोह कर दिया इस समय नागौद मे 50 वी बंगाल नेटिव इनफैक्ट्री बनी रही। कुँवर सिंह के इस ओर आने की सूचना पाकर यह रिसाला के विरूद्ध भेजा गया किन्तु रिसाले के कुछ सिपाहियों ने देश भक्त के विरूद्ध युद्ध करना उचित नही समझा और नागौद वापस आकार एजेन्सी मे आग लगाकर खूब लूटपाट की नागौद के राजा राघवेन्द्र सिंह जी नागौद वापस आकर एजेन्सी के अधिकारियो और उनके कर्मचारियो उनके परिवारजनो की सहायता करके उन्हे मिर्जापुर सुरक्षित पहुंचा दिया।

रणमत सिंह को जैसे नागौद की फौज के विद्रोही होने की सूचना मिली

वैसे ही वे तत्काल नागौद विद्रोहियो से जा मिले और वहाँ के अंग्रेजो तथा सहयोगियो का सफाया कर दिये। वे मेजर ऐलिस को खत्म कर देना चाहते थे। किन्तु वह बड़ी चालाकी से मिल्लसाय (जिला पन्ना) की ओर भाग गया।

भिल्लसाय युद्ध (अक्टूबर 1857) – रणमत सिंह अंग्रेजो का काल सिद्ध हो रहे थे। और अंग्रेज विरोधी भावना से कूट-कूट कर भर गये थे। अजीत सिंह घुड़सवारी की एक बड़ी सेना लेकर आजमगढ़ की सेना पर टूट पड़ा और आजमगढ़ की तोपों के मुह ठूसकर तोपो को बेकार कर दिया लेकिन तोपो के मुह मे बास डालते समय ही अजीत सिंह को तोप के गाले मे बुरी तरह से घायल कर दिया जिससे वे वीरगति को प्राप्त हुये। इस प्रकार अजीत सिंह की सहायता से रणमत को युद्ध क्षेत्र मे काफी राहत मिली थी। इस युद्ध से आजमगढ़ का सेनापति केशरी सिंह मारा गया। और रणमत सिंह को भी अपनी जीवन रक्षा हेतु घायल होकर भागना पड़ा था। इस भगदड़ मे रणमत सिंह की तलवार जिसकी भूँख पर तलवार रणमत सिंह बघेला खुदा हुआ था। जो की युद्ध स्थल मे ही छूट गई थी। जो केशरी सिंह के वंशजों के पास अभी सुरक्षित है।

इस भिल्लसाय युद्ध मे रणमत सिंह को रीवा, कोठी के अलाव बमुरहा के परिवार नागौद विद्रोही सैनिको तथा जसो के जागरीदार की सेना का भी सहयोग प्राप्त हुआ था। जसो के जागीरदार द्वारा रणमत सिंह के नाम नम्बर 1857 को लिखा पत्र प्राप्त हुआ है। यह पत्र ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी म्यूजियम को इसे रखने में गर्व से अनुभूति होगी इसी पत्र मे यह सब साबित होता है। कि जसो जागीरदार था, वह रणमत सिंह का विश्वस्त सहयोगी था।

रणमत सिंह की गतिविधियों बॉदा की ओर..........

भिल्लसाय युद्ध के पश्चात् रणमत सिंह ने अपनी अंग्रेज विरोधी गतिविधियॉ बॉदा क्षेत्र की ओर तेज करना प्रारम्भ की ओर शीघ्र ही बॉदा जिले के दो परगने छीबू एवं टरहुआ को पूर्ण रूपेण लिया इन क्षेत्रों मे मुख्य क्रान्तिकारी के रूप मे रीवा के सरदार रणमत सिंह धीर सिंह पंजाब सिंह और कर्वी के नारायण राव का दीवान राधागोविन्द का नाम उल्लेखनीय है, इन क्रान्तिकारियों को कोठी व सोहावल के राजाओं तथा कालिंजर के चौबो को भी मदद से प्राप्त की थी। सितम्बर 1858 तक के बिग्रेडियन कारपेन्टर ने डीबू परगने को भी क्रान्तिकारियों से मुक्त करवा दिया।

अंग्रेज रणमत सिंह की गोरिल्ला युद्ध पद्धति से भय खाते थे और नौगांव अभी रणमत सिंह ने उन्हे भयंकर परेशानी मे डाल रखा भिल्लसाय युद्ध के समय की रणमत को यह सूचना मिल गई थी कि नौगॉव मे भी विद्रोह हो गया। अत: वे अपने दलबल के साथ मौका पाते ही वहॉ पहुंचकर ऐजेन्सी को लूट लिया।

1857 ई. मे अंग्रेजो ने भी इसे सनद देकर एकराज्य स्वीकार कर लिया था। यह राज्य 1857 के विद्रोह का एक सक्रिय केन्द्र था।

इस राज्य के पिडरा गॉव के बाग मे रणमत सिंह के समक्ष दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजो ने इस गॉव पर आक्रमण करके कई लोगों को गोलियों से भून दिया तथा गॉव को लूट कर आगजनी की रणमत सिंह इस घटना को सुनते ही बरौधा पहुंचे और हतोत्साहित क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन करके उन्हे संगठित बने रहने का परामर्ष दिया। तत्पष्चात् वे चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गये।

डभौरा- युद्ध – डभौरा का युद्ध भी इतिहास प्रसिद्ध है जिस समय रणमत सिंह बिरसिंहपुर के जंगलो मे छिपे हुए थे उस समय इन्हे खबर मिली की डभौरा जिला रीवा मे हनुमान प्रसाद भूमिहार ब्राम्हण के नेतृत्व मे विद्रोहियो का एक अच्छा दल संगठित हो रहा है। अत: उसकी मदद के लिये वे शीघ्र ही डभौरा पहुंच गये। वहॉ का प्रमुख क्रंातिकारी नेता रणजीत सिंह दीक्षित ने रणमत सिंह को अपनी गढ़ी मे ठहरा कर काफी स्वागत सत्कार किया लेकिन वहॉ रणमत सिंह बॉदा की अंग्रेज फौज द्वारा घेर लिया गया। दोनो के मध्य घन-घोर युद्ध हुआ इसी बीच इनका पीछा करती हुई नौगॉव की अंग्रेज फौज पहुंच गई इससे अंग्रेजो का पलड़ा भारी हो गया फिर भी देश प्रेमी पीछे नही हटे और लगातार युद्ध मे रणजीत राय लड़ते-लड़ते देश के लिये बलिदान हो गये।

रणमत सिंह की गिरफ्तारी एवं फॉसी...........

सारे विद्रोहियो के शांत होने के बाद ठाकुर रणमत सिंह शायद सबसे ज्यादा समय (3 वर्ष) तक लगातार विद्रोहियों के गतिविधियों मे सक्रिय रहें। इनके नागौद भिल्लसाय चित्रकूट नौगॉव और क्योटी के भीषण युद्धो को देखकर कंपनी सरकार थर्रा गई उनके दिल मे रणमत सिंह का आंतक छा गया उन्हे गिरफ्तार करने का हर समय प्रयास किया किन्तु असफल रहे। तब उन्होने राजा रघुराज सिंह पर रणमत सिंह के गिरफ्तारी की बलात् जिम्मेदारी लाद दी गई साथ ही राजा को यह धमकी दी गई अगर वह रणमत सिंह को गिरफ्तार करने मे असफल होता है, तो उसे गद्दी से बेदखल कर दिया जायेगा।

अत: गद्दी छिन जाने के डर से रघुराज सिंह ने शीघ्र ही एक पत्र लिखकर रणमत सिंह को अपनी मद्द के नाम पर रीवा बुलवा लिया इस समय रघुराज सिंह इतना डर गये थे कि उन्होने गुप्त रूप से रणमत सिंह की मॉ से वे सभी गुप्त पत्रों केा जला देने व वापस करने के लिये कहा था जो उन्होने विद्रोहियों के सहयोग और समर्थन मे पत्र लिखे थे।

अत: रणमत सिंह ने अपनी मातृभूमि के ऊपर खतरा देखकर तुरन्त रीवा आ गये रीवा पहुंचने की सूचना दीवान दीनबन्धु जो पहले से ही रणमत सिंह बैमनस्य रखता था। आसबर्न के पास सूचना भेजकर रणमत सिंह को गिरफ्तार करवा दिया। तदुपरांत इन्हे बॉदा ले जाया गया जहॉ अंग्रेजो ने न्याय का नाटक करके 1860 मे इस बीर सपूत को फॉसी पर लटका दिया गया।

इस प्रकार वह बीर सपूत अपनी मातृभूमि के खातिर अपने आप को मौत की गोद मे हमेशा-हमेशा के लिये सुला दिया गया। एक प्रज्जवलित दीप जिसने मध्य भारत के विभिन्न ऑचलों मे घूम-घूम कर जन जागृति की किरणों को बिखेरा। इनकी प्रशंसा मे निम्न पंक्तियॉ कही जाती है।

रणमत चले गये कहने को अब रह गई कहानी ।
तपर्ण को आओ हम सब भरलें नैनो मे पानी।

हमारे राष्ट्र को ऐसे देश भक्त बीर शहीदों की आवश्यकता रही है। राष्ट्र ऐसे शहीदों के बलिदान से कभी उरिण नही हो सकता उनका नाम हमारे इतिहास के पन्नो मे मणि-माणिक के समान चमकता रहेगा और देष प्रेम भक्ति राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सद्भाव की प्रेरणा हमेशा देता रहेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. भगवानदास श्रीवास्तव – बुदेलखण्ड मे स्वाधीनता आंदोलन 1857 रणमत सिंह का रणकौशल
2. दीवान जीतन सिंह 1919 ई. – रीवा राज्य का दर्पण
3. विध्य क्षेत्र का इतिहास – प्रो राधेषरण

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

भारत में ग्रामीण आर्थिक विकास की कुँजी डेयरी उद्योग

डॉ. ए.के. पाण्डेय* डॉ. बीना शुक्ला**

* विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और इस मानव संस्कृति का जन्म जब से हुआ तभी से मनुष्यों ने पशुपालन को प्रमुखता से लिया है शुरू में पशुओं का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए आवागमन के लिए, मास और दूध के लिए साथ ही कृषि कार्यों में भी इनका प्रयोग करता था, किंतु आज के परिवेश में पशुओं का प्रयोग किसानों की आमदनी बढ़ाने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने व मांस, अण्डे, खाद इत्यादि की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे देश में श्वेत क्रांति का भी आगाज किया गया जिसके जनक डॉ. वर्गीज कुरियन कहलाए जाते हैं। सन् 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गुजरात में आणंद का दौरा किया था की अमूल की सफलता को खुद अपनी नजरों से देख सके। लौटते समय प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री न केवल सहकारिता की आणंद पद्धति से ही प्रभावित थे बल्कि पूरे देश में आन्दोलन को फैलाने में मदद करने के लिए कुरियन से आणंद में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का गठन करने का भी आग्रह किया।

देश में बढ़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ और दो चरणों में देश के सभी दुग्ध उत्पादक इलाकों को इसमें शामिल कर लिया गया। दूध उत्पादन में विश्व में 50वाँ स्थान रखने वाला भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक कुछ ही दशकों में बन गया।

आज भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है दूसरे नंबर में अमेरिका तीसरे में पाकिस्तान चौथे में चीन आता है। इसी तरह अण्डे के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बीक निर्यातक देश है।

पशुपालन व्यवसाय मानव मात्र के प्राचीनतम व्यवसायों में से एक है तथा यह आय अर्जन का महत्वपूर्ण साधन रहा है, परंतु आधुनिक युग में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह रीड की हठी साबित हो सकता है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ पशुपालन के क्षेत्र में हुए नवीनतम अनुसंधानों तथा श्वेत क्रांति के फलस्वरूप पशु उत्पादों में हुए मूल्य संवर्धन एवं उत्पादकता में आशातीत वृद्धि ने इस क्षेत्र को जहां एक नया स्वरूप प्रदान किया है, वहीं पशुपालन के कई नए क्षेत्र भी उभर कर सामने आये हैं।

भारत गांवों में बसता है हमारी 72% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण है तथा 60% लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। करीब 7 करोड़ कृषक परिवार में प्रत्येक दो ग्रामीण घरों में से एक डेयरी उद्योग से जुड़े हैं। भारतीय दुग्ध उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार देश में 70% दूध की आपूर्ति छोटे/सीमांत/भूमिहीन किसानों से होती है। भारत में कृषि भूमि की अपेक्षा गायों का ज्यादा समानता पूर्वक वितरण है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में डेयरी-उद्योग की प्रमुख भूमिका है।

दुग्ध उत्पादन में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का अपना विशेष स्थान है और यह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, संयोग से भारत विश्व में सबसे कम खर्च पर यानी 27 सेंट प्रति लीटर की दर से दूध का उत्पादन करता है (अमेरिका में 63 सेंट और जापान में 28 सेंट) यदि वर्तमान रुझान जारी रहता है तो मिनरल वाटर उद्योग की तरह दुग्ध प्रोसेसिंग उद्योग में भी बहुत तेजी से विकास होने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। अगले 10 वर्षों में तीन गुनी वृद्धि के साथ भारत विश्व में दुग्ध उत्पादों को तैयार करने वाला अग्रणी देश बन जाएगा।

भारत में दुधारू पशुओं की संख्या– पशुपालन और डेयरी विभाग ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की पशुधन आबादी गणना 2012 की तुलना में 4.6% बढ़कर 535.78 मिलियन के स्तर पर पहुंच गयी है।

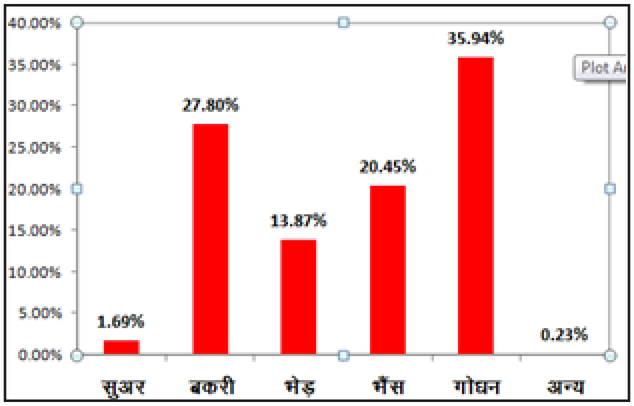

स्त्रोत-पशुधन जनसंख्या वितरण, पषुपालन विभाग

पशुधन: प्रमुख प्रजातियाँ

क्र	श्रेणी	जनसंख्या 2012 (मिलियन में)	जनसंख्या 2019 (मिलियन में)	% वृद्धि
1	गोवंश	190.90	192.49	0.83
2	भैंस	108.70	109.85	1.06
3	भेड़	65.07	74.26	14.13
4	बकरी	135.17	148.88	10.14
5	सुअर	10.29	9.06	-12.03
6	मिथुन	0.30	0.38	26.66

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

7	याक	0.08	0.06	-25.00
8	घोड़े और टट्टू	0.63	0.34	45.58
9	खच्चर	0.20	0.08	-57.09
10	गधा	0.32	0.12	-61.23
11	ऊँट	0.40	0.25	37.05
	कुल पशुधन	512.06	535.78	4.63

स्त्रोत-राष्ट्रीय संख्यकीय विभाग

20वीं पशुधन जनगणना के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित है:

1. देश के कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है जो पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6% अधिक है।
2. कुल गोजातीय आबादी (मावेशी, भैंस, मिथुन, याक) वर्ष 2019 में 302.79 मिलियन है जो पिछली गणना की तुलना में 1% अधिक है।
3. मादा मावेशी (गायों की कुल संख्या) 145.12 मिलियन है जो 2012 की तुलना में 18% अधिक है।
4. देश में भौसों में कुल संख्या 109.85 मिलियन है जो लगभग 1% अधिक है।
5. गायों और भैंसों के कुल दुधारू पशुओं की संख्या 125.34 मिलियन है जो 2012 की तुलना में 6.0% अधिक है।
6. देश में भेड़ 74.26 मिलियन है जो पिछली गणना की तुलना में 14% ज्यादा है।
7. देश में बकरी 148.88 मिलियन है जो 2012 की अपेक्षा 10.1% अधिक है।

सतना जिले में डेयरी उद्योग की स्थिति- सतना जिला मूलत: कृषि प्रधान एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्षेत्र है। जिले में सीमेंट उद्योग के बड़े कारखानों के अतिरिक्त अन्य कई बड़े उद्योग नहीं है। साथ ही मध्यम एवं लघु उद्योगों के क्षेत्र भी अधिक नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों की आर्थिक उन्नति का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है।

सतना जिले में दुधारू पशुओं की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। बढ़ते शहरी करण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहे पलायन तथा स्थानीय दुग्ध संगठनों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण सतना जिला पशुधन विकास में निरंतर पीछे छूटता जा रहा है।

वर्ष 2007 एवं 2009 की पशुगणना के आधार पर जिले में गायों की अत्यधिक कमी पायी गयी है। जबसे आधुनिक कृषि पर सरकार ने जोर दिया है तब से पशुओं की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जिले का मझगवां विकासखंड जिसका ज्यादातर क्षेत्र वनाच्छादित है। यहां निवासरत ग्रामीण परिवार आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर एवं भूमिहीन है। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले उन्हें वनोपज पर निर्भर रहना पड़ता था। इस क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन की गतिविधि प्रारंभ कर आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को सदुढ़ बनाया जा रहा है। डेयरी स्थापना से यहां निवासरत 350 परिवार वर्तमान में लाभान्वित हो रहे हैं।

समस्या- दूध उत्पादन के कारोबार के लिए कठोर परिश्रम उचित देखभाल, सतर्कता और अच्छे प्रबंध की आवश्यकता होती है। यदि व्यापार को व्यावसायिक उद्देश्य से शुरू करने की आवश्यकता है तो चीजों का प्रबंध करने के लिए बहुत से अनुभवी लोगों की जरूरत होती है। ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं है जिसमें 100 प्रतिशत सफलता निश्चित है और हमारे पास कठिन परिश्रम का कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्रत्ये व्यापार के कार्य करने की अपनी अलग प्रणाली समस्याएं और परेशानियां होती हैं। ऐसे कुछ बिंदु है जो दुग्ध उत्पादकों को असवुलता की ओर ले जाते हैं और उन्हें विफलता का सामना करना पड़ता है-

1. अच्छा बुनियादी ढाँचा और पशुओं को चारा खिलाने की लागत की आवश्यकता।
2. कुल खर्च और व्यापार में लाभ के बारे में लापरवाही।
3. सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों के बीच में जागरूकता की कमी।

प्रदेश के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादन में पशुओं के खाने के लिए भूसा तक नहीं है। थ्रेसर की जगह अब हार्वेस्टर से गहाई की जाती है, जिसके चलते भूसा नहीं मिल पाता। महंगे भूसे के चलते डेयरी उद्योग पर खतरा मंडराने लगा है। कुछ व्यवसायी इस धंधों को छोड़ भी चुके हैं। दुग्ध उद्योग की प्रमुख समस्या कच्चे दूध की उपलब्धता पर मौसम का प्रभाव होना है। देश के प्रत्येक भाग में प्रत्येक मौसम में दूध एवं उससे बने पदार्थों की मांग लगभग समान बनी रहती है परंतु दूध का उत्पादन आसमान तथा छितराया हुआ है वर्ष में अप्रैल से जुलाई तक कच्चे दूध की कमी तथा नवंबर से फरवरी तथा कच्चे दूध की उपलब्धता में 200 से 300 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी डेयरी व्यवसाय की क्षमता को प्रभावित करती है:-

1. विवेक रहित मूल्य नीति
2. यातायात के अपर्याप्त साधन

समाधान:

1. पशुधन व्यवसाय में सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि क्षेत्र एवं जलवायु के अनुरूप ही पशुओं का चुनाव किया जाये। इसके लिए उत्ताम नस्लों का चुनाव, उनकी उचित देखभाल, प्रजनन क्षमता, रोगों का निदान, पोषण आहार की पूर्ति आदि का प्रबंध कर उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए।
2. पशुपालन व्यवसाय को बीमा योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए।।
3. दूध प्रोसेसिंग कार्य में आत्मनिर्भरता।
4. समितियों के लिए बिजनेस प्लान तैयार करना।
5. पशु आहार समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराना एवं चारा बैंक की स्थापना करना।

पशुपालन के विकास के लिए चलाई गई प्रमुख योजनाएं निम्नवत है:-

- **मूल ग्राम योजना**-देश में वैज्ञानिकों के सामने पशुओं की अधिक संख्या तथा उनकी उत्पादकता एवं चुनौती बनी हुई है। सन् 1926 मे Royal Commission on Agriculture ने पशु सुधार के लिए आदर्श प्रजनन नीति (Ideal Breading Policy) का सुझाव सरकार को सुझाया।
- सघन पशु विकास योजना

डेयरी उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान- भारत देश में डेयरी उत्पादों की मांग आने वाले 8 से 10 वर्षों में तीन से चार गुना और बढ़ जाएगी। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए शहरों में विभिन्न डेयरी उद्योग खुल रहे हैं। और दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित की जा रही है। जिनके माध्यम से विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे-दही, माठा, चीज, पनीर, लस्सी, बटर, घी, खोवा आदि को बनाकर देश के कोने-कोने में भेजा जाता है।

इन सब में अमूल, मदर डेयरी, साँची जैसी कई सहकारी विपणन समितियाँ और कंपनियां अपना योगदान दे रही है। जिसे रोजगार के साथ-साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी सम्बल प्राप्त होता है और किसानों की

आय भी बढ़ती है। इसके अलावा डेयरी उद्योग से निकलने वाला अवशिष्ट भी बायो गैस और उपले बनाने के काम आता है इससे ईंधन की समस्या से भी लोगों को निजात मिलती है। साथ ही खेतों के लिए खास भी प्राप्त होती है जिससे खेतों की उर्वराशक्ति बढ़ती है। व उत्पादन ज्यादा होता है, जिस पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है।

आगामी दशक (वर्ष 2018 से 2027) के मध्य भारत में दूध का उपभोग लगभग 634 लाख टन होने का अनुमान है जबकि चीन में 77 लाख टन ही रहने की संभावना है।

इससे स्पष्ट है कि भारत दुग्ध का न केवल विश्व का सबसे बढ़ा बाजार है अपितु आने वाले समय में भी इसके सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान है। (वैश्विक वृद्धि औसत : प्रति व्यक्ति 13% कुल उपभोग 26%)

वर्ष 2012 और 2019 में सबसे ज्यादा पशुधन वाले राज्य

क्र.	राज्य	जनसंख्या वर्ष 2012 (लाख में)	जनसंख्या वर्ष 2019(लाख में)	% वृद्धि
1	उत्तर प्रदेश	68.7	67.8	-135
2	राजस्थान	57.7	56.8	-1.66
3	मध्यप्रदेश	36.3	40.6	11.81
4	पश्चिम बंगाल	30.3	37.4	23.32
5	बिहार	32.9	36.5	10.67
6	आन्ध्र प्रदेश	29.4	34.0	15.79
7	महाराष्ट्र	32.5	33.0	1.61
8	तेलांगना	26.7	32.6	22.21
9	कर्नाटका	27.7	29.0	4.70
10	गुजरात	27.1	26.9	-0.95

स्त्रोत-राष्ट्रीय सांख्यकीय विभाग

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. डॉ. त्रिवेदी आर.एन., डॉ. शुक्ला डीपी रिसर्च मेथेडोलॉजी कॉलेज बुक डिपोट।
2. डॉ. गुप्ता यू.सी. उधमिता विकास प्रकाशन वर्ष 2011।
3. डॉ. त्रिपाठी मधुसूदन भारत में लघु उद्योग राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली।
4. डॉ. डी.सी. पंत, भारत में ग्रामीण विकास कॉलेज बुकडिपो, जयपुर 2011।
5. डॉ. बघेल डी.एस., डॉ. बघेल किरण, अनुसंधान पद्धतियाँ, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल 2008।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

डॉ. भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार एवं वर्तमान दौर में उनकी प्रासंगिकता

डॉ. महेन्द्र सिंह राव *

* परियोजना अधिकारी, सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, नई दिल्ली, भारत

शोध सारांश – डॉ. भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, राजनीतिक विद्वान, न्यायविद, संविधान निर्माता एवं दलित नेता होने के साथ एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री भी थे। हालांकि अर्थशास्त्री के रुप में उनको बहुत ही कम लोग जानते हैं लेकिन उनके द्वारा दिये गए आर्थिक विचार उनकी उच्च कोटी की विद्धता को दर्शाने के साथ उनको महान अर्थशास्त्री के रुप में भी विशेष पहचान दिलाते हैं। उन्होंने भारतीय मुद्रा की समस्या के समाधान एवं मुल्य निर्धारण हेतु उचित स्वर्णमान मानक अपनाने की बात की तो वहीं भारत में कृषि क्षेत्र, मजदूरों, औद्योगिकरण, कराधान की समस्याओं तथा जल संसाधन नीति, महिलाओं के उत्थान आदि पर दिये गए विचार आज भी प्रासंगिक हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचारों एवं सिद्धांतों तथा वर्तमान दौर में इनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावना – डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रेल, 1891 को मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले के महू शहर में हुआ था। इनको सामान्यत: एक महान समाज सुधारक, राजनीतिक विद्वान, न्यायविद, संविधान निर्माता एवं दलित नेता के रुप में जाना जाता है लेकिन अर्थशास्त्री के रुप में उनको बहुत ही कम लोग जानते हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री भी थे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन ने कहा था कि 'डॉ. भीमराव अंबेडकर मेरे अर्थशास्त्र के पिता हैं'। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक एवं सामाजिक असमानता पैदा करने वाली पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने की पुरजोर वकालात की। वर्ष 1923 में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से डीएससी. (अर्थशास्त्र) डीग्री प्राप्त की एवं अपने शोधप्रबंध 'दी प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीस: इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन' में उन्होंने रुपये के अवमूल्यन की समस्या पर शोध किया। इसके अलावा वर्ष 1927 में इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से भी अर्थशास्त्र में पीएच.डी की डीग्री हासिल की। अत: ये पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएच.डी की दोहरी डीग्री हासिल की।

डॉ. भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार: डॉ. भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचारों का अध्ययन किया जाए तो उनके विचारों में आर्थिक तौर से एक सुदृढ़ राष्ट्र का साफ दृष्टिकोण दिखाई देता है। इन्होने अपने जीवन में अर्थशास्त्र से संबंधित प्रमुखत: तीन पुस्तकें लिखी जिनमें 1– भारतीय रुपये की समस्या: उत्पत्ति एवं समाधान (Problems of Rupees: Its origin and Its Solution), भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त (Administration and Finance of East India Company), भारत में प्रांतीय वित्त का विकास (The Evolution of Provincial Finance in British India) हैं।[1]

भारतीय रुपये की समस्या: उत्पत्ति एवं समाधान: डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय रुपये की समस्या के संबंध में वर्ष 1923 में प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीस: इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारतीय मुद्रा प्रणाली की समस्याओं के बारे में वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने मुद्रा मुल्य की स्थिरता पर विशेष ज़ोर दिया है। यह उसी प्रकार है जैसे मुद्रास्फिीति की स्थिति में मूल्य स्थिरता पर बल दिया जाता है। सामान्य रुप से मुद्रा स्फिीति की स्थिति में अर्थशास्त्रीयों एवं नीति निर्माताओं द्वारा मुद्रा के मूल्यों को स्थिर करने पर ध्यान देने के साथ देश में उत्पादन की मात्रा बढ़ाने हेतु त्वरित कदम उठाये जाते हैं। लेकिन डॉ. भीमराव अंबेडकर ने स्वर्ण मानक के संदर्भ में मुद्रा के मूल्यों को स्थिर रखे जाने पर ज़ोर दिया है। उनके अनुसार स्वर्ण प्रतिमान वह मानक है जिसके अंतर्गत मुद्रा के मूल्य को परिवर्तित किया जाता है। इसके पिछे उन्होंने यह तर्क दिया कि सोने के विनिमय मानक में स्थिरता नहीं है एवं चुंकि इसके अंतर्गत मुद्रा की मात्रा एवं मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी की समस्या पैदा हो जाती है इसलिए भारत जैसा विकासशील देश स्वर्ण विनिमय मानकों को सहन नहीं कर सकता है।

उन्होंने आंकड़ों एवं कारकों के माध्यम से यह भी सिद्ध किया कि स्वर्ण मानक के कारण कैसे व किस तरह के भारतीय रुपये ने अपनी क्रयशक्ति खो दी है। इसके पिछे उनका सुझाव था कि सरकार द्वारा अपने घाटे को विनियमित करने के साथ धन का व्यवस्थित प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार विनिमय दर की तुलना में मुद्रा की मूल्य स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दिये गए प्रतिबंधित एवं विनियमित स्वर्ण प्रतिमान के उपयोग के परिणामस्वरुप ही भारतीय रिजर्व बैंक जैसे वित्तीय सस्थाओं की स्थापना की गई जो आज भी देश की वित्तीय व्यवस्था के उचित संचालन में अपनी महत्तवपूर्ण भूमिका निभा रही है। अत: स्पष्ट है कि भारतीय मुद्रा की समस्या के संदर्भ में स्वर्ण प्रतिमान संबंधी इनके विचार बेहद महत्त्वपूर्ण रहे हैं।

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त: डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा इस पुस्तक में वर्ष 1792 से 1858 के दौरान भारत में ईस्ट इंडिया

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

कंपनी के प्रशासन एवं वित्त में परिवर्तन की ऐतिहासिक समीक्षा की गई है। इसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे एवं किस तरह सार्वजनिक/लोक वित्त हेतु ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार किये गए। इसके अलावा उनका विचार था कि देश की सुरक्षा अर्थात् सेना आदि पर अधिक धन व्यय करना देश के व्यापक हित में नहीं है एवं इसके लिए नागरिकों से जबरन धन संग्रहित करना लोकतांत्रिक या संसदीय दृष्टिकोण से अनुचित है। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने कुल बजट का 45 से 65 प्रतिशत धन सैन्य-शक्ति पर खर्च करती है एवं इसके लिए भूमि करों में 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती है, जबकि सोचने वाली यह है कि इंग्लैण्ड में इसी कर की राषि मात्र 10 प्रतिशत रही है। अत: उनका विचार था कि सरकार को नागरिकों से संग्रहित की गई कर की राशि को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यों पर खर्च करना चाहिए जिससे कि समाज में सामाजिक न्याय एवं समानता स्थापित हो सके।

भारत में प्रांतीय वित्त का विकास: डॉ. भीमराव अंबेडकर की यह पुस्तक उनके पीएच.डी. काल के दौरान प्रस्तुत किया गया शोध-प्रबंध है जो ब्रिटिश भारत में वर्ष 1833 से 1921 तक विकास केन्द्र के संबंधों का खुलासा करता है। इस पुस्तक में विशेष रुप से सार्वजनिक वित्त क समुचित उपयोग पर ज़ोर दिया गया है। उनके अनुसार 'सरकारों को जनता से संग्रहित धन का उपयोग न केवल नियमों, कानूनों व अधिनियमों के अनुरुप करना चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक प्राधिकारी धन के व्यय में विश्वसनीयता, मित्तव्ययिता एवं बुद्धिमत्ता से काम ले तथा जनता से प्राप्त किये गए एक-एक रुपये का हिसाब-किताब रख'।[2] उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सामूहिक उत्तरदायित्व ही समन्वय स्थापित करने की शक्ति है। उनके अनुसार 'विभाजित उत्तरदायित्व, कार्यों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा आदि से कभी भी शासन की उत्तम व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती एवं जहां शासन प्रणाली अच्छी नहीं है वहां वित्त व्यवस्था अच्छी होने की आशा नहीं की जा सकती है।' डॉ. भीमराव अंबेडकर के इस विचार के परिणामस्वरुप ही विभिन्न स्तरों की सरकारों (केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय ग्रामीण एवं शहरी निकायों) के बीच वित्त संसाधनों के विभाजन एवं वितरण पर सुझाव देने हेतु वित्त आयोग की स्थापना की गयी थी।

भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर विचार: डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारत में कृषि क्षेत्र की कई समस्याओं जैसे कृषि भूमि का असमान वितरण अर्थात् अधिकांश भूमि पर कुछ लोगों का अधिकार, छोटी जोतों की समस्या, कृषि कार्यों में अधिकांश आबादी का संलग्न होना आदि पर अपने विचार दिये। उनका कहना था कि भारत में कृषि क्षेत्र की इन समस्याओं के कारण ही समुचित परिणाम नहीं मिल रहे हैं जैसे कृषि भूमि के अनुपात में उत्पादन में बढ़ोतरी, पर्याप्त आय एवं कृषि में संलग्न आबादी के जीवन स्तर में सुधार एवं वृद्धि आदि। डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार कृषि में उत्पादकता न केवल भूमि जोतों के आकार पर निर्भर है बल्कि अन्य कारकों जैसे श्रम, पूंजी एवं अन्य पूंजीगत आदानों से भी संबंधित है। अत: पर्याप्त मात्रा में श्रम एवं पूंजी की गुणवत्ता के साथ उपलब्धता भूमि की उत्पादकता को काफी बढ़ा सकती है। इसके अलावा यदि इन संसाधनों की पर्याप्तता के साथ कृषि मशीनों की उपलब्धता, छोटी जोतों वाली भूमि को भी उत्पादक बना देती है। हालांकि वे मानते थे कि कृषि में मशीनों का उपयोग छोटी जोतों की तुलना में बड़ी जोतों में अधिक सफल साबित रहती है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण: डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने आर्थिक विचारों में महिलाओं के आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण पर भी बल दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाएं सदियों से पुरुषों द्वारा उपेक्षित एवं विभिन्न सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से दयनीय स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। महिलाओं के आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण के बिना किसी भी देश का आर्थिक विकास असंभव है इसलिए इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति एवं स्तर सुदृढ़ करना आवश्यक है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार 'मैं प्रगति की उस डिग्री के द्वारा समुदाय की प्रगति को मापता हूं जिसे महिलाओं ने प्राप्त किया है।' अत: उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि महिला के आर्थिक स्तर को उपर उठाने एवं उन्हें देश की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है।

श्रमिकों का उत्थान एवं कल्याण: डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा कारखानों एवं मिलों में कार्य करने वाले श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण, इनके सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में भी अपने महत्त्वपूर्ण विचार दिये गए। उनके अनुसार औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए तथा वे ट्रेड यूनियनों के गठन एवं इनके अधिकरों एवं हितों के लिए आंदोलनों तथा पूंजीवाद के खिलाफ हड़तालों के समर्थक थे। इस प्रकार श्रमिकों के शोषण को रोकने तथा इनके आर्थिक कल्याण हेतु कार्य के घंटे, अवकाश, न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संविधान में स्पष्ट निर्देश एवं अधिनियम का प्रावधान किया।

कराधान नीति: डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी के घोषणा पत्र में अपने आर्थिक विचारों के तहत कराधान संबंधी विचार भी प्रस्तुत किए गए। उनके देश की किसी भी सरकार को अपनी कर व्यवस्था में जनता पर इस कर नहीं लगाने चाहिए जिससे समाज के गरीब एवं कमजोर लोग प्रभावित होते हों। करदाताओं को कर देने में सुविधाजनक लगे इसके लिए उन्होंने 'कराधान क्षमता' शब्द दिया जिसका अर्थ है कि उत्तम कर वह होता है जो कि लोगों की आर्थिक क्षमता के अनुसार लगाया जाए।

निष्कर्ष: डॉ. भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, राजनीतिक विद्वान, न्यायविद, संविधान निर्माता एवं दलित नेता होने के साथ एक ऐसे प्रबुद्ध अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक भेदभाव एवं विषमताओं को मिटाने के साथ आर्थिक विकास के संदर्भ में भी महत्त्वपूर्ण विचार दिए। डॉ. भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचारों का यदि हम गहराई से अध्ययन करें तो पाते हैं कि वे आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भविष्यवक्ता थे। उन्होंने उस समय देश में विभिन्न आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में जो आर्थिक विचार एवं सिद्धांत दिए वे वर्तमान दौर के विभिन्न आर्थिक मुद्दों एवं समस्याओं यथा कृषि, भूमि सुधार, श्रम सुधार, भारतीय मुद्रा, कराधान नीति, मुद्रा के मूल्यों में स्थिरता हेतु स्वर्ण प्रतिमान पर जोर, प्रांतीय वित्त विकास एवं विभिन्न स्तर की सरकारों में राजस्व के बंटवारें हेतु वित्त आयोग का गठन आदि के दृष्टिकोण से बहुत महत्त्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। इनको अपनाकर देश अपने आर्थिक सशक्तिकरण के साथ समाज में सामाजिक न्याय एवं समानता स्थापित कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Ambedkar B. R. (13 August 1921) Provincial Decentralization of Imperial Finance in British India, University of London – Via Google book.
2. London School of Economics releases B. R. Ambedkar

Archieves, DNA India, 9 Feb. 2016.
3. Dr. B. R. Ambedkar :- As an Economist, International Journal of Humanities and Social Science Invention (www.ijhssi.org), Volum-2, Issue 3 & 1 March 2013, pp. 24-27
4. Essay on Ambedkar Ideas – his Economic and Philosophical thoughts. (www.sociologygroup.com), 12 March, 2017.
5. Dr. B. R. Ambedkar and His Economic thought (www.academia.edu).
6. Rajendra Kumar Arya and Topan Choure (2014) – "The Economic thought of Dr. Bhimrao Ambedkar with respect ot agriculture sector" Developing Country Studies, Vol. 4, No. 25, 2014
7. P. Abraham, "Notes on Ambedkar wates Resources Policy" Economic and Political weekly, Vol. 37, No 48, (Nov. 30, Dec. 6, 2002), pp.4772-4774.
8. प्रबुद्ध अर्थशास्त्र:– अम्बेडकर और उनकी आर्थिक दृष्टि 'फॉरवर्ड प्रेस'(मासिक पत्रिका), फारवर्ड प्रेम, 803/92 नेहरू प्लेस, नयी दिल्ली, 15 जून 2017.
9. डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन – 'आखरमाला' (समाचार पत्र) 6 दिसम्बर, 2016
10. मौर्य, राजेश एवं किरार,संजय :'डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक–आर्थिक विचार'(एक शोध पत्र), रिव्यू ऑफ रिसर्च, वोल्यूम–8, मई, 2019

Footnotes:-

1. http://www.drbrambedkarcollege.ac.in/sites/default/files/Recalling%20contribution%20of%20Baba%20Saheb% 20Bhim%20Rao%20Ambedkar%20as%20an%20 economist.pdf
2. प्रबुद्ध अर्थशास्त्र:– अम्बेडकर और उनकी आर्थिक दृष्टि 'फॉरवर्ड प्रेस'(मासिक पत्रिका), फारवर्ड प्रेम, 803/92 नेहरू प्लेस, नयी दिल्ली, 15 जून 2017.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव

डॉ. राजेश त्रिपाठी* अभिलाषा सिंह**

* एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्राचीनकाल से मानव और प्रकृति का अटूट सम्बन्ध रहा हैं। मानव के अस्तित्व में आने के बाद जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही हैं। प्रारम्भ में जनसंख्या सीमित थी, तथा उपयुक्त क्षेत्रों में निवास करती थी। उसकी क्रमिक वृद्धि आज एक ऐसे बिन्दु पर पहुँच गई है कि वह कई राष्ट्रों हेतु चिन्ता का कारण बनी हुई है।

मानव प्रकृति पर विजय उसकी आज्ञा मानकर ही प्राप्त कर सकता है। मानव अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग करता है, क्योंकि पर्यावरण उसे उन्नति का अवसर प्रदान करता है। अत: मानव द्वारा ही प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है।

जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरणीय प्रभाव भोजन, कपड़ा, मकान जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी आती है। प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु,जल, वनस्पति की सीमित उपलब्धता हो जाती है।

शब्द कुंजी – प्रकृति, मानव, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन।

प्रस्तावना – वर्तमान में मनुष्य ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इतना अधिक विकास किया है, कि उसका जीवन आरामदायक हो गया है। परन्तु यह भी सत्य है कि अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य जिस क्रूरता से पेड़ों और जंगलों को चारे और मकान आदि के लिए काटते जा रहे है। खेती की भूमि पर दबाव बढ़ने से उसका उपजाऊपन नष्ट होता जा रहा है। खेती के योग्य भूमि धीरे-धीरे बंजर और रेगिस्तान में बदलती जा रही है।

मानव अपनी ही संख्या बढ़ाकर दु:ख प्राप्ति को अनजाने में योजना बना रहा है। आज स्थिति यह उत्पन्न हो गयी है कि दुनिया के संसाधन, जनसंख्या के भार को सहन करने में अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से भोजन, वस्त्र एवं आवास की समस्या विकराल होती चली जा रही है।

भारत के सन्दर्भ में यदि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाये तो स्पष्ट होता है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या की समस्या वास्तव में भयावह है। इस सम्बन्ध में जो तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ एक क्षेत्र विशेष में किसी समय में निवास कर रहे लोगों की संख्या में परिवर्तन से हैं। यह परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी। ऐसे परिवर्तन को कुल संख्या में परिवर्तन और प्रतिशत परिवर्तन दोनों तरह से मापा जा सकता है। जहाँ तक भारत जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि का प्रश्न है, तो यहाँ जनसंख्या में नकारात्मक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि संसाधन की तुलना में यहाँ की जनसंख्या में खासतौर पर स्वतंत्रता प्राप्ति(1947) के बाद तीव्र गति से बढ़ी हैं। जिससे देश में जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion) की समस्या उत्पन्न हो गयी है।

यही कारण है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर चिन्ताजनक है। देश में मृत्युदर ह्रास का क्रम जारी है, परन्तु जन्म दर में कोई विशेष कमी दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। 20वीं शताब्दी के आरम्भ (1901) में भारत की जनसंख्या 23.84 करोड़ अनुमानित की गयी। सन् 1951 में 36.10 करोड़, 1981 में 68.33 करोड़ एवं सन् 2001 में 102.70 करोड़ थी जो 31 मार्च 2011 को राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अन्तरिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गयी।

वर्ष	जनसंख्या वृद्धि (करोड़ में)
1901	23.84
1951	36.10
1981	68.33
2001	102.70
2011	121.00

बढ़ती जनसंख्या की विकरालता का सीधा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। जो जनसंख्या के आधिक्य से अपना संतुलन बैठाती हैं। फिर प्रारम्भ होता है, असुंलित प्रकृति का क्रूरतम तांडव है, जिससे हमारा समस्त जैव मण्डल प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस बात की चेतावनी आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व माल्थस नामक अर्थशास्त्री ने अपने एक लेख 1798 में 'एन ऐसे ऑन प्रिन्सीपल्स ऑफ पापुलेशन' में जनसंख्या सम्बन्धी अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। माल्थस एक पादरी थे और उन्होंने यूरोप के कई देशों की जनसंख्या वृद्धि का गहन अध्ययन किया।

इस लेख में माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के दो उपाय हैं-

1. **नैसर्गिक प्रतिबन्ध Positive Check-** जब किसी देश में खाद्य-सामग्री की तुलना में जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो प्रकृति उसे रोकने के लिए बाढ़, भूकम्प, प्लेग, महामारी, अकाल, अनावृष्टि, भुखमरी, प्राकृतिक प्रकोप एवं युद्ध आदि लाती है।

2. **निवारक या निरोधक प्रतिबन्ध Preventive Check–** माल्थस कहते हैं कि यदि लोग निरोधक प्रतिबन्ध लगाकर बढ़ती जनसंख्या को रोकने का प्रयास नहीं करते हैं तो प्रकृति अपने क्रूर हाथों द्वारा नैसर्गिक उपाय अपनाती है। जैसे–आत्मसंयम, परिवार–नियोजन, ब्रह्मचर्य इत्यादि।

इस प्रकार बढ़ती हुई आबादी से पर्यावरण का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। पर्यावरण पर अनवरत् रूप से दबाव बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या एवं मानव द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में अनुपातिक असंतुलन पैदा हो गया है।

पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें साँस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। पर्यावरण यानी इनवायरमेन्ट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोन्नेर से हुई है, जिसका अर्थ है–पड़ोस।

भूमि, जल, वायु, पेड़–पौधें एवं जीव–जन्तु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण जिसका एक महत्वपूर्ण अंग वन है, वन वृक्षों से मिलकर बनते हैं। हमारे देश की परम्परा में भी वृक्षों को काटना पाप माना गया है। एक श्लोक में कहा भी गया है–

एक वृक्षोहि यो ग्रामें भवेत् पर्णफलान्वित:।
चैत्यों भवति निर्ज्ञातिरचनीय सूपजित:।।

अर्थात् यदि गाँव में एक वृक्ष, फल और फूलों से भरा हो तो वह स्थान हर प्रकार से अर्चनीय है।

पर्यावरण के दो प्रकार

- **प्राकृतिक पर्यावरण**
  - **जैविक घटक**
    - जीव जन्तु
    - पेड़–पौधें
  - **अजैविक घटक**
    - स्थल
    - जल
    - वायु
- **सामाजिक पर्यावरण**

इसका तात्पर्य है कि बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरणीय प्रभाव से भोजन, कपड़ा, मकान जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी, प्राकृतिक संसाधन जैसे–वायु, जल और वनस्पति की सीमित उपलब्धता, वनों का विनाश, प्राणवायु (आक्सीजन) की कमी, एवं कार्बनडाइ–आक्साइड की अधिकता, प्रदूषण में वृद्धि, मानव के जीवन स्तर में कमी, अत्यधिक कोलाहल, ध्वनि प्रदूषण की अधिकता, अनियंत्रित भीड़ इत्यादि। यदि हम भारत के सन्दर्भ में पर्यावरण पर प्रदूषण का दबाव 20 वर्षों में 475 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा है।

जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव इस प्रकार पड़ता हैं–

1. कचरें का उत्पादन कम करना
2. जैव विविधता का खतरा
3. वनों पर विनाश
4. शहरीकरण
5. भूमिक्षरण
6. जलवायु परिवर्तन
7. उत्पादकता
8. औद्योगीकरण
9. परिवहन विकास
10. प्रौद्योगिकी

इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आती हैं, एवं भोजन तथा खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि यदि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर लिया जाए एवं वनों के कटाव को रोक दिया जाए तो वायु,जल आदि का प्रदूषण काफी हद तक नियंत्रित हो सकता है। इस नियंत्रण से ही हमारा पर्यावरण जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है, अनुकूल बन पायेगा। ताकि वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली मानव पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. गौतम, अलका और रस्तोगी, सोनल, विद्या प्रकाशन मंदिर लिमिटेड, सामाजिक विज्ञान, कक्षा–9, पृ0सं0 212
2. डॉ0 सिंह, जे0पी0, समाजशास्त्र: अवधारणाएँ एवं सिद्धान्त, पी0एच0आई0 लर्निंग प्रा0लि0, 2013, पृ0सं0 546
3. प्रो0 गुप्ता, एम0एल0 और डॉ0 शर्मा, डी0डी0, समाजशास्त्र, साहित्य भवन, 2011, पृ0 1154
4. हमारा पर्यावरण, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, कक्षा–8, पृ0सं0 16
5. हमारा पर्यावरण, NCERT, कक्षा–7, पृ0सं0–3
6. पाण्डेय, प्रशान्त, योजना, जून–2004
7. हमारा पर्यावरण, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा, परिषद, कक्षा–6, पृ0सं0 7
8. www.Gyanglow.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

जजमानी व्यवस्था : वर्तमान परिदृश्य

डॉ. राजेश त्रिपाठी* अमित कुमार सिंह**

* एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय ग्रामीण जीवन का स्थायित्वपन उन्हीं के द्वारा निर्मित कुछ आधारभूत और मूलभूत संस्थाओं के कारण था जिसमें जजमानी व्यवस्था एक विशिष्ट संस्थाएँ थीं। जो विभिन्न जातियो के मध्य सामाजिक–आर्थिक संबंधों का एक स्वरूप तथा सेवाओं एवं वस्तु या नकद के वितरण की व्यवस्था रही है, जिसमें उच्च जाति के भूस्वामी परिवारों या किसानों को निम्न जाति के लोगों के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती रही हैं। सेवक जाति को 'कमीन' तथा सेवित जातियों को 'जजमान' कहा जाता है। इस व्यवस्था में परितोषण तीन रूपों में दिया जाता था तथा नगद मजदूरी नहीं दी जाती क्योंकि ग्रामीणों के आपसी संबंध आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ से आयोजक और कर्मचारी जैसे नहीं थे। यह व्यवस्था भारतीय गांवों में एक लंबे समय तक विद्यमान रही। मुद्रा के प्रचलन, शिक्षा के प्रसार, यातायात साधनों के विकास, औद्योगिकरण, नगरीकरण, परंपरागत मूल्यों में कमी, निम्न जातियों को दी जाने वाली सुविधाएं, समानता की भावना और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण जातियों के परंपरागत कार्यों और संबंधों में परिवर्तन आने लगें हैं और वर्तमान में विकासात्मक प्रक्रियाओं के कारण जजमानी व्यवस्था अस्तित्वहीन होती जा रही है।

शब्द कुंजी – जजमानी व्यवस्था, जजमान, कमीन, परितोषण, बाजार, आधुनिकता।

प्रस्तावना – प्राचीन ग्रामीण भारत में अनेक संस्थायें ऐसी पायी जाती थीं, जिन संस्थाओं ने ग्रामीण जीवन में समरसता, सहयोग और साहचर्य की भावना को बनाये रखा। ग्रामीण जीवन में बहुत स्थायित्व था यह स्थायित्वपन ग्रामीण जीवन के अन्दर उन्हीं के द्वारा निर्मित कुछ आधारभूत और मूलभूत संस्थाओं के कारण था। ये संस्थाएँ एक तरह से स्वचालित थीं और उनमें व्यक्तिवादिता के स्थान पर सामूहिकता अर्थात समूहवादिता की भावना विद्यमान थी। इन संस्थाएँ में वर्णव्यवस्था, ग्राम पंचायतें, जाति व्यवस्था, जाति पंचायतें, संयुक्त परिवार प्रणाली, जजमानी व्यवस्था आदि कुछ ऐसी ही विशिष्ट संस्थाएँ थीं और इन संस्थाओं की अपनी–अपनी विशिष्टतायें थीं और एक–दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति इनकी संरचना और संगठन को मजबूती प्रदान किये हुए थी।

जजमानी व्यवस्था को हम गाँव की एक ऐसी प्रथा के रूप में देखते हैं, जो विभिन्न जातियो के मधय सामाजिक–आर्थिक संबंधों का एक स्वरूप थी। जिसमें गाँव के प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष सेवाओं की आशा की जाती है। जजमानी व्यवस्था परम्परागत व्यावसायिक कर्तव्यों की व्यवस्था है। प्राचीन भारत में जातियां एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर होती थीं। एक ग्रामीण व्यक्ति परम्परागत विशिष्ट व्यवसाय उसकी जाति को सौंपी गयी विशेषज्ञता के आधार पर अपनाता था। व्यवसाय के विशिष्टिकरण ने ग्रामीण समाज में सेवाओं के आदान–प्रदान को जन्म दिया। सेवाकर्त्ता (servicing) और सेवित (served) जातियों के बीच यह सम्बन्ध व्यक्तिगत, अस्थाई ,सीमित तथा संविदात्मक (contractual) नहीं था, बल्कि यह जाति–अभिमुख, स्थाई और विस्तृत समर्थन देने वाला था। वह व्यवस्था जिसमें भूमिस्वामी (land owning) परिवार तथा उन भूमिहीन परिवारों में, जो उसे वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं, स्थाई सम्बन्ध मिलते हैं, उसे जजमानी व्यवस्था कहा जाता है।

यह व्यवस्था विभिन्न जातियों के बीच सेवाओं की अन्तर सम्बद्धता को स्पष्ट करती है। जिसमें प्रत्येक जाति का जो अपना परम्परागत/ आनुवांशिक व्यवसाय होता था वह उस व्यवसाय को सम्पादित करती थी। 'जजमानी' वैदिक शब्द है जिसका इस्तेमाल उस संरक्षक के लिए होता है जो समुदाय के लिए कोई यज्ञ संपन्न कराने के निमित्त से किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता है। अपने मूल अर्थ में जजमानी व्यवस्था में आर्थिक संबंध का मतलब सेवाओं के बदले उपहारों का विनिमय था या भविष्य में हो सकता था। अतरू यह कहा जा सकता है कि जजमानी व्यवस्था एक वितरण व्यवस्था है, सेवक जाति के लोगों को 'कमीन' कहकर पुकारा जाता है, जबकि सेवित जातियों को 'जजमान' कहा जाता है। सेवक जातियों को उनकी सेवा के बदले में नकद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है। सामान्यत: जजमानी व्यवस्था में परितोषण तीन रूपों में दिया जाता था –

1. सेवा के बदले सेवा के रूप में।
2. काम करने वाली जातियां अपने जजमानों से दैनिक, मासिक, वार्षिक और कुछ विशेष अवसरोंयथा मृत्यू, विवाह, जन्म, दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधान आदि त्योहारों पर भोजन, कपड़ा अथवा नगद पारितोषण प्राप्त करती थी जो जजमान की क्षमता पर भी निर्भर करता था।
3. पारितोषण कभी–कभी विशेष प्रकार की छूट के रूप में भी देखा जाता है जैसे छोटी–मोटी नौकरी दिलवाने, बिना किराए का मकान देना आदि के रूप में।

जजमानी प्रथा के अंतर्गत विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों में अपेक्षाकृत स्थायित्व पाया जाता था, जजमानी प्रथा में एक भूमिस्वामी या किसान को भिन्न–भिन्न काम करने वाली जातियों की सेवाएं स्थाई रूप से मिलती रहती थी। जजमानी संबंध प्रत्यक्ष एवं पारिवारिक आधार पर बने

हुए दिखाई पड़ते हैं, इसलिए सामान्यत: इन संबंधों को कोई भी परिवार तोड़ नहीं सकता था। कोई भी जजमान अपने कमीन से संबंध अपराधा और अक्षम्य कार्य करने पर ही तोड़ सकता था। कमीन भी अपने जजमान को छोड़ना नहीं चाहता था। किसी विशेष परिस्थिति में यदि कमीन गांव छोड़कर जाता तो वह अपने रिश्तेदारों को जजमानों की सेवा सौंपकर जाता, जिससे की जजमान और उसके संबंध बने रहें। कई बार आर्थिक संकट के समय एक कमीन अपनी जजमानी अधिकार को अपनी ही जाति के दूसरे व्यक्ति के यहां गिरवी रखता था या दे सकता था।

जजमानी व्यवस्था में नगद मजदूरी नहीं दी जाती क्योंकि ग्रामीणों के आपसी संबंध आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की तरह आयोजक और कर्मचारी जैसे नहीं थे। अधिकांश भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के रूप में ही होता था। उदाहरण के रूप में – बालक के जन्म की दावत के समय ब्रांहण नामकरण संस्कार कराता है, सुनार नवजात शिशु के लिये स्वर्ण आभूषण उपलब्धा कराता है, धोबी गन्दे कपड़े धोता है, नाई सन्देश वाहन का कार्य करता है, खाती वह पट्टा बनाता है जिस पर बच्चे को नामकरण के लिये बिठाया जाता है, लोहार लोहे का कड़ा बनाता है, कुम्हार कुल्हड़ आदि पानी पीने तथा सब्जियां आदि रखने के लिये उपलब्धा कराता है, पासी भोजन के लिये पत्तालें जुटाता है तथा भंगी दावत के बाद सफाई का काम करता है। वे सभी लोग जो इस प्रकार सहयोग करते हैं उपहार रूप में भोजन, वस्त्र और मान प्राप्त करते हैं जो आंशिक रूप से प्रथा पर, आंशिक रूप से जजमान के आर्थिक स्तर पर तथा आंशिक रूप से प्राप्तकर्ता के अनुरोधा पर निर्भर करता हैं।

हेराल्ड गुल्ड के अनुसार जजमानी प्रथा को संरक्षकों एवं सेवादारों के बीच अन्तर्पारिवारिक एवं अन्तर्जातीय संबंध कहा है जो अधीनस्थ एवं अधीनकर्ता के बीच होते हैं। संरक्षक लोग स्वच्छ जाति के होते हैं जबकि सेवादार अस्वच्छ एवं निम्न जाति के। यह कहा जा सकता है कि यजमानी प्रथा वितरण की व्यवस्था है जिसमें उच्च जाति के भूस्वामी परिवारों को विभिन्न निम्न जातियों, जैसे बढ़ई, नाई, कुम्हार, लोहार, धोबी, भंगी, आदि के द्वारा सेवाएँ या उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। सेवादार जातियों को 'कमीन' कहा जाता है जबकि सेव्यों को 'यजमान' कहा जाता है। प्रदत्ता सेवाओं के बदले सेवादारों को नकद या वस्तु के रूप में (अनाज, चारा, कपड़े, दूधा आदि) भुगतान किया जाता है।

योगेंद्र सिंह ने जजमानी व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था कहा है जो गाँवों में अन्तर्जातीय संबंधों में आपसी आदान द्प्रदान पर आधारित सम्बन्धें से नियंत्रित होती थी।

आर्थिक गतिविधियां मानव की प्राथमिक गतिविधियों में से एक हैं, एक आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव की आवश्यकताएं केवल भोजन, आवास एवं वस्त्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि कभी न संतुष्ट होने वाले और अपनी आवश्यकताओं को निरंतर उन्नत करते रहने वाले प्राणी के रूप में मानव ने न केवल साधान बदले, बल्कि उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती गई इनको पूरा करने के तरीके, काम के संगठन, विनिमय तथा वितरण के स्वरूप भी समय के साथ बदलते गए। इसलिए आर्थिक संरचनाओं का स्वरूप भी समय के अनुसार बदलता गया। यह स्वरूप संपूर्ण भारत में एक समान रूप से दिखाई नहीं पड़ता उत्तार भारत के क्षेत्रों में यह व्यवस्था अधिक देखने को मिलती रही है। प्राचीनकाल से ही जाति और पेशे के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है लोग अपनी जाति के अनुसार ही पेशे को अपनाते थे क्योंकि समाज की वही अपेक्षा थी। समाज का एक ऐसा ताना-बाना था जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए पेशे के चुनाव की आजादी नहीं थी। धीरे-धीरे कुटीर उद्योगों और अन्य प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ और वही लोग अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर नए-नए पेशों से जुड़ते चले गए। जजमानी व्यवस्था सभी गांवों में आदान-प्रदानात्मक (reciprocal) नहीं है। कोलेन्डा की मान्यता है कि भारत के बहुत से गांवों में इस प्रकार के सम्बन्धों में प्रबल जातियां शक्ति सन्तुलन अपनी ओर कर लेती हैं। योगेंन्द्र सिंह भी विश्वास करते हैं कि भारत के गांव आजकल आर्थिक संस्थाओं, शक्ति संरचना और अन्तरजातीय सम्बन्धों के अर्थ में बदल रहे हैं। आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख परिवर्तन भूमि सुधार है जो कि मध्यस्थता उन्मूलन, किरायेदारी सुधार, भूमि चकबन्दी, भूमि के पुनर्वितरण, सहकारी खेती के विकास तथा अन्तरूक्रिया, जजमानी व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया है।

जजमानी व्यवस्था भारतीय गांवों में एक लंबे समय तक विद्यमान रही परंतु जैसे-जैसे मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रचलन बढ़ने लगा धीरे-धीरे यह व्यवस्था टूटने लगी। शिक्षा के प्रसार,यातायात साधानों के विकास, औद्योगिकरण, परंपरागत मूल्यों में कमी, निम्न जातियों को दी जाने वाली सुविधाएं, समानता की भावना और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण जातियों के परंपरागत कार्यों और संबंधों में परिवर्तन आने लगें हैं। 1990 के दशक के आरंभ में भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की सर्वव्यापक प्रक्रिया ने एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार किया जिसमें परंपरागत व्यवसाय अब परंपरागत नहीं रह गए। इसलिए यह व्यवस्था भी जो आनुवंशिक व्यवसाय पर आधारित थी, में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। गांव के आसपास कस्बों के विस्तार और यातायात के नवीन साधानों ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है। जिससे व्यक्ति अपने परंपरागत व्यवसायों को छोड़कर अनेक नए उद्योगों तथा अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित हो रहा है जिससे इस परंपरागत व्यवस्था के ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

वर्तमान में जातियों के बदलते प्रतिमान, गांव में जाति वैमनस्यता बढ़ने,आधुनिकीकरण,नगरीकरण, बाजारीकरण ,वैश्वीकरण और उदारीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति ने ग्रामीण समाज की अनेक संस्थाओं को प्रभावित किया है जिनसे जजमानी व्यवस्था अछूती नहीं रह गई है। इन आधुनिक व्यवस्थाओं ने मानव जीवन को परंपरागत से आधुनिक बनाने की दिशा एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब व्यक्ति गांवों की परंपरागत नाई की शैली की अपेक्षा कस्बों और नगरों के हेयर कटिंग सैलून में जाना पसंद कर रहा है। परंपरागत कृषि अर्थात हल बैल की कृषि का स्थान यंत्रवत कृषि ने ले लिया है, कृषि में प्रयोग होने वाले परंपरागत साधनों यथा हल, हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, कुल्हाड़ी आदि साधनों का स्थान ट्रैक्टर, थ्रेसर तथा हार्वेस्टर ने ले लिया है जिससे गावों में परंपरागत लोहार की मांग कम हुई है। वही कुम्हारों द्वारा बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों का स्थान प्लास्टिक तथा डिस्पोजल के बर्तनों ने ले लिया है। कस्बों तथा नगरों में ड्राई क्लीनर्स की दुकानों ने गावों में धोबी के द्वारा धुलने वाले कपड़ों के कार्यों के स्वरूप को परिवर्तित किया है। सोने-चांदी के आभूषणों की नवीन प्रकार के डिजाइन और मॉडलों की मांग ने कस्बों तथा नगरों में सराफा बाजार को एक विस्तृत स्वरूप प्रदान किया है जिससे गावों में परंपरागत सुनार की मांग कम हुई है। कस्बों तथा नगरों में मैरिज हाल

तथा होटलों ने गांव से होने वाले विवाह के परंपरागत स्वरूप एवं कर्मकांड को आधुनिक तथा बाजारवादी बनाया है। जिसमें विभिन्न जातियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की मांग कम होने लगी है। इन सभी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप भी जजमानी व्यवस्था का परंपरागत स्वरूप विघटित होने लगा है।

जजमानी व्यवस्था के स्वरूप और संरचना में वर्तमान में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यह कहा जा सकता हैं कि इस व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तन कि ओर उन्मुख है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है। अपने जज़मानों के प्रति कमीन की श्रद्धा भी समाप्त होने लगी है और इनके संबंधों में प्रगाढ़ता नहीं रह गई है। जाति व्यवस्था की सामाजिक -आर्थिक पारस्परिक सम्बन्धों क़ी यह व्यवस्था धीरे-धीरे गांव में भी उस स्वरूप में अब देखने को नहीं मिलती जिस स्वरुप में पहले देखने को मिलती थी। आज गांव में यह व्यवस्था अपने बदले हुए स्वरूप में कुछ हद तक विद्यमान है जहां कुछ कमीन जातियों की सेवाएं विवाह मृत्यु ,त्यौहार आदि आदि विशेष अवसरों पर लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब इस व्यवस्था का वस्तु के रूप में भुगतान के संबंध में असहमति दिखाई पड़ती हैं और नई पीढ़ी का एक वर्ग नगद भुगतान ले रहा है या खुले व्यवसायों की ओर जा रहा है। जजमानी व्यवस्था ग्रामीण समाज की आधारभूत एवं उपयोगी संस्था रही है। साथ ही यह व्यवस्था सेवाओं के माधयम से ग्रामीण जीवन को एक सूत्र में बांधाने में सफल भी रही है। परन्तु वर्तमान में विकासात्मक प्रक्रियाओं के कारण यह व्यवस्था अस्तित्वहीन होती जा रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. वाइजर डब्ल्यू0एच0: दि हिन्दू जजमानी सिस्टम
2. गुप्ता एम0एल0 और शर्मा डी0डी0: भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र
3. लवानिया एम0एम0 और शशि के0 जैन: ग्रामीण समाजशास्त्र
4. दूबे श्यामाचरण: भारतीय समाज
5. सिंह योगेन्द्र: भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण-2006
6. आहूजा राम: भारतीय सामाजिक व्यवस्था-2005

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Effect of Weight Training and Plyometric Training on Anaerobic Capacity of Collegemen

Dr. Dilip Singh Chouhan*

*Assistant Professor (Physical and Yoga Education) JRN Vidya Peeth University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - The purpose of the study is to find out the effect of weight training and plyometric trainings on anaerobic capacity of college men. Forty fivecollege men studentswere selected as subject at random fromDepartment of Physical and Yoga Education, JRN Vidya Peeth University, Udaipurand their age ranged from 18 to 22 years. The study was formulated as pre and post test random group design, in which forty five college men were divided into three equal groups. The experimental group- I (n=15, WT) underwent weight training, experimental group- II (n=15, PT) underwent plyometric training and group III served as control group (n=15, CG) did not undergo any specific training. In this study, two training programs were adopted as independent variable, i.e.,weight training and plyometrictraining.The dependent variable was selected as anaerobic capacity, selected twovariables as maximum power and average power. Maximum power and average power measured by RAST (Running – Based Anaerobic Sprint Test),performance was recorded in seconds. The selected two treatment groups were performed alternative three days in a week for the period of eight weeks, as per the stipulated training program. The anaerobic capacity was testedbefore and after the training period. The collected pre and post data was critically analyzed with apt statistical tool Analysis of Co-Variance (ANCOVA), for observed the significant adjusted post-test mean difference of three groups. The Scheffe's post hoc test was used to find out pair-wise comparisons between groups. To test the hypothesis 0.05 level of significant was fixed in this study. The results proved that the selected training produced significant improvement and significant difference exist due to the effect of weight training and plyometric trainings on anaerobic capacity of college men students, when compared with the control group.

Key Words - Weight Training, Plyometric Training, Anaerobic Capacity, ANCOVA, Maximum Powerand, Average Power.

Introduction - Weight training produces increased strength, superior movement performance and general fitness, including enhanced function of the respiratory, cardiac and metabolic systems. Other improvements include an increase in muscle mass, strengthening of connective tissue and supportive tissue as well as improvements in posture and physique.

Plyometric training can take many forms, including jump training for the lower extremities and medicine ball exercises for the upper extremities. Jump training exercises were classified according to the relative demands they placed on the athlete. All the exercises are progressive in nature, with a range of low to high intensity in each type of exercise. The classification of exercises is jumps in place; standing jumps; multiple hops and jumps, bounding, box drills and depth jumps (Bompa, O.T. (1999).

Anaerobic capacity is defined as the maximal amount of ATP that can be supplied to the anaerobic energy system.Anaerobic exercise is an exercise intense enough to trigger lactate formation. It is used by athletes in non-endurance sports to promote strength, speed and power and by body builders to build muscle mass. Muscle energy systems trained using anaerobic exercise develop differently compared to aerobic exercise, leading to greater performance in short duration, high intensity activities, which last from mere seconds to up to about 2 minutes.

Methodology - In this study was formulated the Effect of Weight Training and Plyometric Trainings on Anaerobic Capacity of college men students. To achieve the purpose of the study, forty fivecollege men studentswere selected as subject at random from Department of Physical and Yoga Education, JRN Vidya Peeth University, Udaipur and their age ranged from 18 to 22 years. The subjects they were divided into three equal groups of fifteen each. The experimental group-I (n=15, WT) underwentWeight Training, experimental group-II (n=15, PT) underwent Plyometric Training and group III served as control group (n=15, CG) did not undergo any specific training. The selected two treatment group's was performed three days in a week for the period of eight weeks, as per the stipulated

training programsgiven below.

Analysis Of The Data - Analysis of covariance was used to determine the differences, if any, among the adjusted post test means on selected criterion variables separately. Whenever the *'F'* ratio for adjusted post test mean was found to be significant, the Scheffe's test was applied as post- hoc test. The level of significance was fixed at .05 level of confidence to test the *'F'* ratio obtained by analysis of covariance.

TABLE – I (see in last page)

Results- Table – I shows that the pretest mean and standard deviation on maximum power and average power. Scoresof WTG, PTG, and CG were 9.186 ± 50.6, 9.244 ± 16.3 and 8.813 ± 52.09and 6.782 + 18.29, 6.834 + 14.73 and 6.626 + 31.33 respectively. The obtained pretest *'F'*value of 3.17 and 3.30 were lesser than the required table *'F'* value 3.36. Hence the pretest means value of weight training, plyometric training and control group on maximum power and average power before start of the respective treatments were found to be insignificant at 0.05 level of confidence for the degrees of freedom 2 and 42. Thus this analysis confirmed that the random assignment of subjects into three groups were successful.

The post test mean and standard deviation on maximum power and average power scoresof WTG, PTG, and CGwere 9.697 + 12.61, 9.754+12.21 and 2.21 + 61.47 and7.170 + 18.65, 7.200 + 20.81 and 6.976 + 13.95 respectively. The obtained post test *'F'* value of 10.45 and 7.10 were higher than the required table F value of 3.36. Hence the post test means value of weight training, plyometric training and control group onmaximum power and average power were found to be significant at 0.05 level of confidence for the degrees of freedom 2 and 42. The results prove that selected two training interventions were produced significant improvement rather than the control group.

The adjusted post test means on maximum power and average power. Scores of WTG, PTG, and CG were 9.65, 9.69 and 9.29 and 7.170, 7.198 and 6.979 respectively. The obtained adjusted post test *'F'* value of 5.31 and 5.53were higher than the required table F value of 3.37. Hence the adjusted post test means value of weight training group,plyometric training group and control group on maximum power and average power were found to be significant at 0.05 level of confidence for the degrees of freedom 2 and 41. The results confirm that the selected two training interventions were produced significant difference among the groups.

In order to find out the superiority effects among the treatment and control groups the Scheffe's post hoc test were administered. The outcomes of the same are presented in the table - II.

TABLE – II: Scheffe's Post Hoc Test Mean Differences On Maximum Power And Average Power Among Three Groups (Scores in seconds)

Adjusted Post – test Mean on Maximum Power

WTG	PTG	CG	Mean Differences	Confidence Interval Value
9.65	9.69	-	0.04	0.03
9.65	-	9.29	0.36*	0.03
-	9.69	9.29	0.40*	0.03

Adjusted Post – test Mean on Average Power

WTG	PTG	CG	Mean Differences	Confidence Interval Value
7.170	7.198	-	0.03	0.03
7.170	-	6.979	0.19*	0.03
-	7.198	6.979	0.22*	0.03

* Significant at .05 level of confidence.

Table – IIshows the paired mean differences of weight training group, plyometric training group and control group on maximum power and average power. The paired wise comparisons results as follows:

First comparison: Group1 and 2: The pair wise mean difference of group 1 and group 2 values 0.04 and 0.03 were higher and equal than the confidential value of 0.03 Hence the first comparison was significant. The results of this comparison clearly proved that both training have produced similar effects on maximum power and average power.

Second comparison: Group 1 and 3: The pair wise mean difference of group 1 and group 3 values 0.36 and 0.19 were higher than the confidential value of 0.03. Hence the second comparison was significant. The results of this comparison clearly proved that plyometric training, have produced greater improvements on maximum power and average power than the control group.

Third comparison: Group 2 and 3: The pair wise mean difference of group 2 and group 3 values 0.40 and 0.22 were higher than the confidential value of 0.03. Hence the third comparison was significant. The results of this clearly proved that weight training and plyometric training have produced greater improvements on maximum power and average power than the control group.

DISCUSSION ON FINDINGS - The results of the study indicate that all the experimental groups namely theWeight Training GroupandPlyometric Training Grouphad shown significant changes in the selected dependent variables namely Maximum Power and Average Power.

Vipa Bernhardt(2016) to determine the effects of ultra-short, high-intensity interval functional-equipment training (SHIIFT) on anaerobic capacity and body composition. Results from our study show no significant improvement in body composition or anaerobic capacity after 2 weeks of the SHIIFT protocol.

UmeshMuktamath, D Maniazhagu, Vinuta Muktamatha, Basavaraj Ganiger (2010) investigation is to find out the effects of two modes of resistance training on speed, leg explosive power and anaerobic power of male college students. The study revealed that the speed, leg explosive power and anaerobic power were significantly improved due

to the influence of two modes of resistance training protocol.

Conclusions:

1. The maximum power and average power better in weight training group and plyometric training group than the control group.
2. Furthermore, both the experimental groups were produced similar improvement on maximum power and average power due to weight training group and plyometric training group.
3. The control group participants did not prove any significant development on maximum power and average power of college men students.

References:-

1. Bompa, O.T. (1999) Periodization training for sports, *Champign, Illinois: Human Kinetics*.
2. Dudley GA, Djamil R. (1985) *Incompatibility of endurance- and strength-training modes of exercise.* JAppl Physiol. 59(5):1446-51.
3. James C. Radcliffe and C. Farentinos (1999) *High-Powered Plyometrics*, 2: 0- 88011- 784 – 2.
4. KaukabAzeem (2016) *Influence of different intensities of resistance training on strength, anaerobic power and explosive power among males*. Br J Sports Med 2016;50:A75.
5. Kumar S.& Sharma S. K., (2021), Effects *of specific yogic and isometric training on motor fitness variables. International Journal of Physical Education Sports Management and Yogic Sciences,* 11: (1), (53- 56), Print ISSN: 2231-1394. Online ISSN : 2278-795X., Article DOI : 10.5958/2278-795X.2021.00008.4
6. Sridhar K.S. & Sharma S.K., (2019), "Effects of concurrent strength and endurance training on explosive power",IJPESMYS, 9: (1), (9-12), Print ISSN: 2231-1394. Online ISSN: 2278-795X. Article DOI : 10.5958/2278-795X.2019.00003.1
7. UmeshMuktamath, D Maniazhagu, VinutaMuktamatha, BasavarajGaniger,(2010) *Effects of two modes of resistance training on speed leg explosive power and anaerobic power of college men students.* British Journal of Sports Medicin. doi.org/10.1136/bjsm.2010. 078725.74
8. Vipa Bernhardt (2016) *Effects of ultra short high intenstiy interval functional equipment training on anaerobic capacity and body composition in healthy college students.* Moghaddam, Masoud. Texas A&M University - Commerce, ProQuest Dissertations Publishing, 2016. 10163077
9. Young, Warren B.; McDowell, Mark H.; Scarlett, Bentley J (2001) *The Effect of Agility, Plyometric, and Sprint Training on the Speed, Endurance and Power of High School Soccer Players.* Journal of Strength & Conditioning Research. 15(3):315-31.

TABLE – I : Analysis Of Covariance On Maximum Power And Average Power Of Experimental And Control Groups (Scores in seconds)

Variables	Test		WTG	PTG	CG	SV	SS	DF	MS	'F' Ratio
Maximum	**Pre test**	**Mean**	9.186	9.244	8.813	Between	16439.5	2	6219.7	3.17
		S.D +	50.6	16.3	52.09	Within	77698.4	42	1959.9	
	Post test	**Mean**	9.697	9.754	9.194	Between	28478	2	14239	10.45*
		S.D +	12.61	12.21	61.47	Within	57220.4	42	1362.9	
	Adjusted	**Mean**	9.65	9.69	9.29	Between	11967.2	2	5983.6	5.31*
						Within	46149.4	41	1125.597	
Average	**Pre test**	**Mean**	6.782	6.834	6.626	Between	3522.1	2	1761	3.30
		S.D +	18.29	14.73	31.33	Within	21478.1	42	533.3	
	Post test	**Mean**	7.170	7.200	6.976	Between	1.62	2	0.78	7.10*
		S.D +	18.65	20.81	13.95	Within	3.12	27	0.12	
	Adjusted	**Mean**	7.170	7.198	6.979	Between	3684.9	2	1842.4	5.53*
						Within	13652.5	41.1	332.9	

*Significant at .05 level of confidence. The required table value for test thesignificance were 3.36 and 3.37 with the df of 2 and 42, 2 and 41.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Effect of Yogic Exercises on Selected Physical and Physiological Variables Among College Men

Dr. Bhawani Pal Singh Rathore*

*Assistant Professor (Physical Education and Secretary Sports Board) JRN Rajasthan Vidya Peeth University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - The purpose of the study was to find out theeffect of yogic exercise on selected Physical and Physiological variables among University men students. To achieve this purpose, 30 male students studying diploma courses in yoga from the Department of Physical and Yoga Education, JRN Vidya Peeth University, Udaipur were randomly selected as subjects. The age of the subjects were ranged from 18 to 25 years. The subjects were further classified at random into two equal groups of 15subjects each. Group - I underwent yogic exercisefor five days per week for eight weeks and group - II acted as control. The selected criterion variables namely muscular endurance, cardio-respiratory endurance, breath holding time and resting pulse rate were assessed before and after the training period. The collected data were statistically analysed by using Analysis of Covariance (ANCOVA). From the results of the study it was found that there was a significant change on muscular endurance, cardio-respiratory endurance, breath holding time and resting pulse rateamong the yogic exercise group when compared with the control group.
Keywords- Yogic exercise, Physical and Physiological variables, muscular endurance, cardio-respiratory endurance, breath holding time, resting pulse rate.

Introduction - Physical fitness is not a static factor and it varies from individual to individual and in the same person from time to time depending on various factors (Lawrence, 2002).Physical fitness is one of the basic requirements of life andtotal fitness is essential (fitness) for healthy living (Hick, 1972).The concept of physical fitness in general athletic terms means the capability of the individual to meet the varied physical and physiological demands made by a sporting activity without reducing the person to an excessively fatigued state (Boucher, 1993).Physical training is any bodily activity that enhances or maintains physical fitness and overall health and wellness. It is performed for various reasons including strengthening muscles and the cardiovascular system, honing athletic skills, weight loss or maintenance, as well as for the purpose of enjoyment (Hardayal, 1991).Yoga is the oldest known science of self-development.

Yoga is the science of right living as such, is intended to be incorporated in daily life. It works in all aspects of the person: physical, mental, emotional, psychic and spiritual. Yoga aims at bringing the different functions into perfect coordination so that they work for the good of the whole body. Yoga focuses on harmony between mind and body. Yoga derives its philosophy from Indian metaphysical beliefs. The ultimate aim of yoga is to strike a balance between mind and body and attain self-enlightenment. According to Swami SatyaandSaraswathi, 'Yoga is not an ancient myth buried in oblivion. It is the most valuable inheritance of the present. It is the essential need of today and the culture of tomorrow. Yoga is an ancient system of physical and psychic that originated Indus valley civilization in south Asia. The fundamental purpose of yoga is to foster harmony in the body, mind and environment.

Methodology- The purpose of the studywas to find out the effect of yogic exercises on selected Physical and Physiological variables among College men.To achieve this purpose,30 male students studying diploma courses in yoga from the Department of Physical and Yoga Education, JRN Vidya Peeth University, Udaipur were randomly selected as subjects. The age of the subjects ranged from 18 to 25 years. The subjects were further classified at random into two equal groups of 15 subjects each. Group - I underwent yogic exercise for five days per week for eight weeks. On every training session the subjects practiced pranayama, asanas, and suryanamaskar followed by relaxation techniques for 45 minutes under the instruction and supervision of the investigator and group - II did not participate in the training programme apart from their regular activities andacted as control group. The subjects were assessed on selected criterion variables namely muscular endurance, cardio-respiratory endurance, breath holding time and resting pulse ratebefore and after the training period. The selected variables were measured by using standard testing procedures (Muscular Endurance: Sit ups

Test, Cardio respiratoryEndurance: Coopers 12 Minutes run/walk test, holding the breath for time:standard stop watch, resting pulse rate: radial pulse). The data collected from yogic exercise and control groups before and after completion of the training period on selected variables were statistically examined by applying analysis of covariance (ANCOVA). All the data were analyzed using SPSS statistical package. The level of confidence was fixed at 0.05 level of significance.

The Analysis of covariance on muscular endurance, cardio-respiratory endurance, breath holding time and resting pulse rate of the pretest and posttest scores of yogic exercise and control group have been analyzed and presented in the below table.

Table 1 (see below)

Results - The findings of the study shows that significant difference exists between yogic exercise group and control group on muscular endurance,cardio respiratory endurance,breath holding time and resting pulse rate, since the obtained 'F' ratio of 551.55, 92.24, 5.72, and 6.10respectively for adjusted posttest meanswere greater than the required table value 4.21 for significance at.05 level of confidence with df 1 and 27. The result of the study shows thatyogic exercise has its influence in the performance related variables among cricketers.

Conclusions - Based on the results of the study, it is concluded that there was a significant difference between yogic exercise group and control group on muscular endurance,cardio respiratory endurance, breath holding time and resting pulse rate. There was a significant increase on selected criterion variables namely muscular endurance, cardio respiratory endurance, breath holding time and significant decrease in resting pulse rate after eight weeks of yogic practice.

References:-

1. C. Boucher and R.M. Malina, eneticsof Physial Fitness and Motor Performance", Exercise and Sports Sciences Reviews, II, (1993), 3206.
2. Hardayal Singh, Science of Sports Training, (New Delhi: D.V.S. Publication, 1991), p.5.
3. Kumar S. & Sharma S. K., (2021), Effects *of specific yogic and isometric training on motor fitness variables. International Journal of Physical Education Sports Management and Yogic Sciences,* 11: 1, (53- 56), Print ISSN: 2231-1394. Online ISSN : 2278-795X., Article DOI : 10.5958/2278-795X.2021.00008.4
4. Lawrence E. Morehouse and Leonard Broses, Total Fitness on 30 minutes in a wee/c, (New York: Rockefeller Center, I75), p. 36.
5. O. Prashad,"Role of Yoga in Stress Management", West Indian Medical Journal, 53:3, June (2004), 191-194.
6. Rob Davis, Ross Bull and tan Roscoe, Physical educationand(the Study of Sport, (Mosby: An Imprint of Hard court Publishers Limited 2000), p. 121.
7. Robert H. Hick, Personal Health in Ecologic Perspective, (St. Louis: The C.V. Mosby Company, 1972), p. 99
8. Sridhar K.S. & Sharma S.K., (2019), "Effects of concurrent strength & endurance training on explosive power",IJPESMYS, 9:1, (9-12), Print ISSN: 2231-1394. Online ISSN: 2278-795X. DOI : 10.5958/2278-795X.2019.00003.1
9. Swami SatyanandaSaraswathi, Asana Pranayama Mudra Bandha, (Munger, Bihar: Yoga Publications Trust, 2002), p. 1.

Table 1: Analysis of Co Variance on Selected Variables Among Yogic Exercise And Control Groups

Variable name	Test	YEG	CG	SV	SS	df	MS	'F'Ratio
Muscular Endurance	Adjusted post-test mean	38.59	34.59	B:	130.35	1	130.35	551.55*
				W:	8.74	27	0.32	
Cardio Respiratory Endurance	Adjusted post-test mean	2478.00	2305.00	B:	1315.32	1	1315.32	92.24*
				W:	5139.45	27	190.35	
Breath Holding Time	Adjusted post-test mean	58.50	52.00	B:	302.81	1	302.38	5.72*
				W:	1429.38	27	52.94	
Resting Pulse Rate	Adjusted post-test mean	64.40	69.55	B:	394.25	1	394.25	6.10*
				W:	1745.01	27	52.94	

*Significant at 0.05 level of confidence (The table value required for significance at 0.05 level of confidence for df 1 and 28, 1 and 27 was 4.20 and 4.21 respectively)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Human Resource Management Issues in Recruitment and Election Procedure

Dr. Aalok Kumar Yadav*

*Principal, Indira Gandhi Govt. Polytechnic College, Chhindwara (M.P.) INDIA

Abstract - The purpose of this study was to assess the effectiveness of the recruitment and selection practices and processes of services organizations. The need to attract and select a highly capabilities and skilled workforce in a tight and competitive market made the necessity adoption of best practices in recruitment and selection by services based organizations. The basic objective of this research is to investigate and analyze the effectiveness of recruitment & selection in public sector universities, keeping in view procedural fairness, Transparency, gender issues, Line Manager Role, HR Competency and organizational & state politics influence. Recruitment and selection had been a very key area of research among the researchers of human resource management field. It includes determining present and future requirements of the organization in conjunction with its personnel planning and job analysis activities. Thus, it is the process which links the employers with the employees. It helps to increase the pool of job candidates at minimum cost. It helps increase the success rate of selection process by decreasing number of visibly under qualified or overqualified job applicants. Finally, it increases organization and individual effectiveness of various recruiting techniques and sources for all types of job applicants.
Keywords- Organizational Politics, Line and HR Management, Selection effectiveness, Manpower Planning, Employment.

Introduction - Since the industrial revolution economies started growing speedily in the developed countries and later on this process of growing industries and markets expanded to the whole world which turned into large completion among big companies operating in both public and private sectors. The world turned into global village which encouraged movement of Knowledge, Skills and Abilities across the cultures in the different countries in the world that caused the researchers focus towards the human resource management field to address different aspects related to the employees behavior particularly recruitment and selection, one of a key human resource management function. Effective recruitment and selection has always been one of a most pivotal for the organizations in the educational sector because of not having any absolute methodology for attracting, screening and finally finding the right person for the right job in an organization (Pounder, 1996). Researchers studying various human resource practices have been focusing continuously on recruitment & selection among other HR practices (e.g., Taseem & Soeters, 2006 and Huselid, 1995), while as on the other hand (Baber, 1999) has raised various observations on the previous studies in the area of recruitment and selection that their most of the focus has been the large firms which have different recruitment and selection procedures.

The basic objective of this research is to investigate and analyze the effectiveness of recruitment & selection in public sector universities, keeping in view procedural fairness, Transparency, gender issues, Line Manager Role, HR Competency and organizational & state politics influence.

Recruitment and selection had been a very key area of research among the researchers of human resource management field. In such case the coordination between line and HR management is very crucial to make the right selection, (Hsu, 2000) has indicated that HR officials do share their responsibilities with the line management and this effect seems stronger in the field of recruitment and selection, especially when it is the matter of the final selection.

Researchers have argued that it is the line management who has to support the HR management for the execution of their function because they actually control the employee directly. It helps increase the success rate of selection process by decreasing number of visibly under qualified or overqualified job applicants. Thus, it helps reduce the probability that job applicants once recruited and selected will leave the organization only after a short period of time. It meets the organizations legal and social obligations regarding the composition of its workforce. It

begins identifying and preparing potential job applicants who will be appropriate candidates.

Significance Of Study - It is necessary for organizations to select a right person for right job, so recruitment is one of the crucial activity for any company. The employees of the organization have great impact on the performance of the organization and it definitely must be treated seriously. Recruiting the wrong people for the organization can have adversely impact to the organization, which can lead to increased turnover rate, increased costs for the organization, and dragging down the morale of current workforce. Such employees are likely to show dissatisfaction, unlikely to give of their best, and end up pushing their performance into certain limit. Managers will have to spare their time on further recruitment exercises to assess the positions to be filled, and also the type of attitude, abilities, and skills needed to fill it. On the other hand, hiring the right employees for business can positively affect organization's performance, such as lower turnover rate, better company culture, greater production and bottom-line profit. Avoiding some of the common problems experienced by businesses as they recruit and select employees improves chances of success. Thus it is necessary to establish the right recruitment strategy in order to create a better customer experience and positive internal culture.

Poor hiring decisions can be reduced by investing recruitment process and in skilled recruiters. When recruiter choose a candidate based upon the qualifications demonstrated in the resume, the interview, employment history and background check, they will land the best fit for the position. Based on the decisions about a specific candidate upon specific evidence rather than any gut instincts. If recruiter hire people who can do the job instead of people that merely like, there will have higher productivity and quality in products or services.

Once effectively recruit and select the right employee, there is a positive effect. A new hire will do their job well. Employees will see that wise decisions have been made. Employers will gain respect from their workforce, and it will get higher productivity as a result of that respect. This positive attitude will affect the quality of products or services, and ultimately, customers' perceptions of company.

One of the reasons why effective recruitment and selection is important for any organization is the cost. There are many ways show effective recruitment practices can avoid financial losses. For example, if candidate's competency is precisely assessed, he or she may performed well and make great improvement that can enhance productivity.

The amount of time to hire a new employee will be decreased and the employee productivity will be increased simultaneously by establishing and maintaining an effective recruitment practices. Thus to make sure business owner and employees can realize the benefits much sooner, investing the time to develop an effective recruitment process is needed to be implemented.

Literature Review

It is an issue of services in today's fast-paced economy competition. Much more focuses has been brought to a better service and how these objectives can be achieved through the Human Resources Management. The growth of service organizations is important with the reason of customer interface. The importance of the relationship between the customer and the service provider is the point that distinguishes service organizations from manufacturing organizations is. Because of the amount of change that has taken place in the last several decades, it is increasingly clear that the source of competitive advantage in many industries has shifted from effective execution and reliable processes to the ability to provide satisfactory customer service to the ability to excel in the area of customer relationship on a grand scale. Human resources is one of the sources of competitive advantage because they fulfill the criteria for being a source of sustainable competitive advantage (Wright, et al. 1994).

As the world's economy globalizes and competitors proliferate, competitive advantage is a compelling reason to do a business with an organization has become increasingly important. Perhaps the most common approach to create competitive advantage is to be less expensive than competitors. For industries that are truly commoditized and hence actively competing for customers, cost seems to be a logical option. However, competing on cost is a difficult game to win. In addition, competition comes not only from small players in underdeveloped countries but from large corporations in developed countries. Southwest Airlines, Wal-Mart, and the retail chain Carrefour welcome a commoditized business environment.

The point is that traditional sources of competitive advantage such as cost and product are becoming more and more difficult to maintain. If survival depends on maintain a compelling reason for customers to choose one business over another, and it does playing field is tougher today than yesterday and will become even more difficult tomorrow as competitor and technologies proliferate.

It is often heard people are the most important variable for and organization's success. Gratton 1997 shows that most companies believe that rather than financial or technological resources, human resource can offer a competitive advantage. In a study of good companies that became great companies, Jim Collins (2001) identifies hiring the right people and putting them in the right positions as a common practice among the most effective companies. This step eliminating problems of managing and motivating people, the right ones are motivated, are committed to the success of the organization, and see that success linked to their personal success.

The success of a business or an organization is directly affected to the performance of those who work for that business. There is a linkage between HR practices,

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

competitive strategy and performance (Jackson 1987). Underachievement can be a result of workplace failures. Because hiring the wrong people or failing to anticipate fluctuations in hiring needs can be costly, it is important that conscious efforts are put into human resource planning (Biles et al, 1980). If organization does not have the right people although it possesses the latest technology and the resources, it will be a need to put strenuous effort to achieve the objective and results required. This is true across the business activities, for example restaurants, hospitals, and airlines industry.

Recruitment and selection are critical human resources functions for service companies. Recruitment is just the initial process to be carried on. Rynes (1990) suggested that "recruitment encompasses all organizational practices and decisions that affect either the number, or types, of individuals who are willing to apply for, or to accept, a given vacancy". Recruitment and selection also play important role in ensuring worker performance and positive organizational outcomes. As Mullins (2010) notes: 'If the HRM function is to remain effective, there must be consistently good levels of teamwork, plus ongoing co-operation and consultation between line managers and the HR manager.' In a highly competitive marketplace, businesses need to make sure they get value from its performance. Employing the wrong person for certain position is a costly mistake to make. Poor choices at the recruitment stage can be costly. The organizations need to ensure for candidates competencies are well qualified physically and intellectually to sustain competitive advantage in the marketplace. One of the reasons that businesses consider to start hiring, when employees are needed, is due to the high amount of cost in hiring. It is easy to forget that employing an employee, not only charging in terms of cost, but once add in the cost of recruiting, training and more, and the dollars will start growing. The future of industries depends upon the ability of the HR to innovate and bring in service orientation among all employees from top to bottom.

E-recruitment - Technology affects every organization and with economic, political and social changes, employees relations also affects. Profitability, growth, leverage, efficiency, management, capital and continued changes are in the focus of every organization in this modern world. Therefore, new competencies and challenges are evolving in an organization. Market structure, culture and environment can be improved by the positive impact of all the changes. Excellent customer services, cost effectiveness and targets are focused by human resource policies. Electronic media allows HR to fulfill its needs and take full advantage of the strategies available. Electronic recruitment is the process which is being used by many companies in today's environment to gain maximum share of the profit from the market. There are also some disadvantages in Electronic recruitment process. The electronic recruitment is more unsuitable, costly and time-taking process. A collection and gathering of candidate which selection of suitable candidates becomes easier. Earlier, managers of human resource consume about Earlier 80% of the time is consumed in short listing the candidates by the earlier mangers of human resource department. A major an important role is being played by electronic recruitment. Now candidates give their information online. Processing of applications is based on the software which is used for processing of applications and pool of candidates is used for the recruitment process of the employees.

Research Methodogy - The objective of this study is to focus recruitment and selection simultaneously in this research, therefore to collect the relevant and valuable data, we choose the head of the departments of the public sector universities, who were also the direct line managers to control the departmental and faculty members activities on daily basis and these were directly or indirectly part of recruitment and selection process of the faculty members in their department or section. The data was collected personally through a well designed questionnaire based on five point likert scale ranging from "Strongly agree" to "Strongly disagree". Analyses were made through the latest version of SPSS a well known software for the statistically data analysis, so that effective conclusion can be drawn. MS Excel latest version 2007 has also been used in summarizing various items under a single variable to be used in SPSS for further detailed analysis. Convenience sampling technique were used to collect data from the sample and in total 80 head of the departments showed willingness to fill the questionnaire and most of them were senior level officers. The researchers personally administered this questionnaire and remained present during the completion of the questionnaire to clarify any confusion to them as they were highly busy in their administrative and academic work. Any head of the department in teaching section whether he or she has this portfolio currently or had been in his career were requested to fill the questionnaire because in public sector universities the tenure for head of department is three years selected by rotation on the basis of seniority decided by the vice chancellor (CEO) of the university.

Human resource Personnel and Line management role - Researchers have suggested and agreed that human resource policies must be integrated with the overall strategic objectives of the organization, human resource managers and specialists needs very special attention to the recruitment and selection of employees to align its consistency with the overall organizational strategy and other subsequent functions of human resource management, this function should be treated as integrated process not taken as casual or an ad hoc activity (Hsu, 2000). The first interaction between an organization and applicant is actually happening on the recruitment and

selection stage when a new candidate perceive fairness treatment from the organization which has long lasting effects after this candidate joins the organization as employee (Cropanzana et al., 2007). Plychart (2006) has noted that the effective selection of an employee is only possible when the organizations have the capability to generate a larger pool of potential applicants. It has been argued that fairly treated applicants recommend the organization to others while as in case of not fairly not treated may go for litigation for their possible remedy (Bauer et al, 2001). Kandola and Fullerton, (1994) have argued that in order to remove the discrimination, the main principle is that process should be made in such a way that applicants will experience sameness in treating them during the whole selection process. Gilliland, (1993) suggested that fairness reaction by the applicants may have a relationship with the legal action against the recruiter. Mitsuhashi et al, (1998) has found in the context of Chinese firms effectiveness of HR practices between the line and HR executive and he noted that Line executive perceive lower HR department performance as compare to the them which they argued that are due to the lack of appropriate authority and huge governmental influences in their activities. Lews, (2002) has argued that in Chinese State Owned enterprises the management has not been able to foster proper human resource management practices, which has caused multiple issues for the organizational management like overstaffing and lack of having appropriate expertise required by the organizations. Hsu, (2000) has discussed that the human resource decision making sharing between HR specialist and line managers, he found that line managers has more influence over the human resource specialist in terms of recruitment and selection decision. Tulubas & Celep, (2012) have argued that it is the supervisor who has direct impact on the daily activities of the faculty members as they remain physically and personally very close to these faculty members. Armstrong, (1992) has described that the basic job of the human resource specialist is to provide assistance and support to the line managers, which doesn't mean that they control their activities.

Organization and state politics Vigoda, (2000) has identified that organizational politics has affecting negatively the employees reaction and has found that in the public sector organizations the employee prefer silence by showing negligent behavior if they feel politics around them, as they don't want to quite the job. Lee & Renzetti (1990) have declared that researchers who held researches on the recruitment & selection are actually talking a very sensitive area to be analyzed with some ethical & legal consequences, while as according to the (taylor, 2006) the research investigation in managerial practices which clashes with the common social norms and exposure of asymmetrical power relation can be threatening.

Hypothesis:

1. Recruitment procedure is not effecting on selection and recruitment.
2. Recruitment procedure is effecting on selection and recruitment.
3. Effective selection is not effecting on employee performance.
4. Effective selection is effecting on employee performance.
5. Training is not effecting on employee performance.
6. Training is effecting on employee performance.

Findings - The policy is explicit that our practices should be non-discriminatory, fair and should meet or exceed all legislative requirements. The policy is explicit that applicants should be assessed on merit for the post without reference to sex, marital status, religion, ethnicity, disability, sexual orientation, gender alignment or age. Selection for interview is carried out on the basis of the person specification and is carried out by at least two people. No personal information about candidates is known to the selection panel and this is done with a candidate number. This is intended to eliminate any discrimination at the short-listing stage. Interviews follow a competency-based approach and similar information is asked from each candidate. All applicants are asked to complete an Equal Opportunities Form for monitoring purposes. This information is part of our work -force monitoring and helps to identify any patterns of discrimination in ourrecruitment and selection processes. A specific positive impact on disability was identified as the policy supports about disability status and will guarantee to interview any disabled candidateswho meet the minimum specification and who would like to be considered under this scheme

Conclusion - Line management involvement in the recruitment and selection procedures depicts that they have more control over recruitment and selection procedures but actually it is also significant to see the aspect existence of human resource department section which we noted that universities are not focusing to establish this pivotal department for the larger interest of the universities, instead they just rely on the old pattern of human resource which is merely dealt by a small section having no relevant people to deal with the different human resource management function specially recruitment and selection. Effectiveness of the recruitment and selection fairness has been noted interrelated and interconnected which means that both have influence on each other. However the influence of organizational politics raises its severity to the extent of achieving the desired effectiveness of recruitment and selection, i.e., fetching large pool of applications and getting the right person on right job. We have noted in this study that universities key official, the vice chancellor (CEO) of the university and the first line managers are having effective control in the recruitment and selection, which shows the similar pattern of influence over the effectiveness of fairness of recruitment and selection in the public sector universities and we argue on the basis of previous literature discussed

in this study that this influence is being translated through entire line management on the direction of vice chancellor that is a key figure of organizational politics along with the registrar and concerned dean. We finally conclude that the universities are not effective in managing fairness of recruitment and selection because of the fact that organizational don't have effective and clear policy of recruitment and selection to achieve the basic objectives of recruitment (large pool of applications)and selection (right person on right job).

Recommendation - The human resource department which is currently working does not have professional human resource team. All the workers which are doing human resource work are not HR qualified. Even the authority in the human resource department does not have HR qualification. Due to this flaw, the human resource activities are being delayed and employees have to suffer a lot for the incompetency.

There is no authority which is exercised by the Middle or lower line management. Front line managers try to inter fare in the work of lower staff. There should be dedication of powers so that first line management can concentrate on the managerial issues rather than peeking nose in the work of lower staff. This can reduce the extra worries and work load and they can make more accurate decisions in their managerial issues that first line management can concentrate on the managerial issues rather than peeking nose in the work of lower staff. This can reduce the extra worries and work load and they can make more accurate decisions in their managerial issues.. Hence there is a famous proverb that there is always a room for improvement and being new department of its nature of services, it should follow other international organizations to improve its capacity building in the entire areas especially human resource department. There is a little factor of biasness which is destroying the main frame and structure of the organization. As favoritism is a normal practice in the department ignoring the capable and eligible employees.

References:-

1. Armstrong, M. (2004) Human Resource Management: Strategy and Action. London: Kogan Page.
2. Baillie, J. (2006) „Attracting Employees Who Surf the Internet ,People Management, 2:17,46-47.
3. Bartram, D. (2007) „Internet Recruitment and Selection: Kissing Frogs to Find Princes ,International Journal of Selection and Assessment, 8:4,261-274
4. Brinkerhoff, R.O., Achieving Results from Training, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 1987,pp. 40-47.
5. Brinkerhoff, R.O., Achieving Results from Training, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 2009, p. 39.
6. Brooke, B. (2010) ,'Explosion of Internet Recruiting'Hispanic, 11:12, 68.
7. Bauer, T. N., Truxillo, D. M., Sanchez, R. J., Craig, J. M., Ferrara, P., & Campion,M. A. (2011). Applicant reactions to selection: Development of the Selection Procedural Justice Scale (SPJS). Personnel Psychology, 54, 387-419.
8. Barber AE. (2011). Personnel recruitment research: Individual and organizational perspectives.Thousand Oaks, CA Sage.
9. Barber, A. E., Wesson, M. J., Roberson, Q. M., & Taylor, M. S. (2012). A tale of two job markets: Organizational size and its effects on hiring practices and job search behavior. Personnel Psychology, 52(4), 841-868.
10. Breaugh, J. A. & Starke, M. 2013. Research on Employee Recruitment: So Many Studies, So Many Remaining Questions. Journal of Management, 26(3): 405-434. Van den Brink, M., Brouns, M., & Waslander, S. (2006). Does excellence have a gender?: A national research study on recruitment and selection procedures for professorial appointments in The Netherlands. Employee Relations, 28(6), 523-539.
11. Carless, S. A. (2013). Graduate recruitment and selection in Australia. International Journal of Selection and Assessment, 15(2), 153-166.
12. Catano.V.M., Wiesner.W.H., Hackett.R.D.,& Methot.L.(2014). Recruitment and selection in Canada. Nelson Education Ltd.
13. Chan D, Schmitt N. (2014). Video-based versus paper-and-pencil method of assessment in situational judgment tests: Subgroup differences in test performance and face validity perceptions. Journal of Applied Psychology, 82, 143–159.
14. Cappelli, P. (2015) „Making the Most of OnLine Recruiting ,Harvard Business Review,79:3, 139-146.
15. Chen, A. (2015) „Creative IT Recruiters Are Looking to Find Their Niche in the OnlineRealm, 17th January, PC Week, 57.
16. Compton, R. L., Morrissey, W. J., Nankervis, A. R., & Morrissey, B. (2016). Effective recruitment and selection practices. CCH Australia Limited. Hsu, Y. R., & Leat, M. (2016). A study of HRM and recruitment and selection policies and practices in Taiwan. International Journal of Human Resource Management, 11(2), 413-435.
17. Dr. Sue Williams, Gloucestershire Business School, University of Gloucestershire"international Review of Business Research Papers" Vol.4 No.1 January 2008
a. Pp.364-373.
18. Drory.A,Gadot.E.V. (2016). Organizational politics and human resource management: A typology and the Israeli experience. Human Resource Management Review, 20, 194-202
19. Gilbert, T., "Performance Engineering", in What Works at Work: Lessons from the Masters,Lakewood Books, Minneapolis, 1988, p. 20.
20. Huber, John D., and Nolan McCarty. (2017). Bureaucratic Capacity, Delegation, and Political Reform. American Political Science Review 98 (3): 481–94.

21. Huselid, M. A. (2017). The impact of human resource management practices on turnover, productivity and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38(3), 635-672.
22. Kandola, R. and Fullerton, J. (2017) Managing the Mosaic: Diversity in Action. London, Institute of Personnel and Development. Kaufman, Herbert. (2017). The Growth of the Federal Personnel System. In The Federal Government Service, eds. Wallace S. Sayre. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 7–69.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

डिण्डौरी जिले के परधान जनजाति का साहित्य और संस्कृति

डॉ. बिन्दू परस्ते *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – जबलपुर जिले से 150 किलोमीटर दूर है डिण्डेरी जिला जहाँ सिर्फ सड़क मार्ग द्वारा ही पहूँचा जा सकता है। हम अपना स्वयं का वाहन ले जा सकते है अथवा बस के द्वारा भी पहुँच सकते है। जबलपूर से डिण्डौरी जिले के बीच का जो सफर है उसका उपना ही आनंद है। संपूर्ण मार्ग प्रकृतिक सौन्दर्य से भरपूर है। रास्ते में कई पहाड़ और पठार दिखाई देते है। माँ नर्मदा का पावन तीर्थ स्थल भी डिण्डौरी जिले के समीप स्थित है। लाखों श्रद्धालू प्रतिदिन माँ नर्मदा की परिक्रमा करने आते है। और माँ नर्मदा का वह पवित्र उद्गम स्थल जिले अमरकंटक कहा जाता है। रेवा मैया के दर्शन कर पुण्य लाभ लेते हुए लोग अपना जीवन धन्य करते है। माँ नर्मदा जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रेदश का कण- कण माता का ऋणी है जिसका पवित्र जल पीकर हम बड़े हुए है माता की महिमा अपरंपार है अमरकंटक से एक छोटे से कुंड़ से निकलकर माँ आगे आने पर विशाल रूप धारण करती है। रास्ते में अनेक गाँव और शहरों से होकर गुजरती है। डिण्डौरी जिला भी उनमं से एक है। जबलपुर से डिण्डौरी आते समय कई गॉव व तहसील पड़ती है। रास्ते में अनेक भयंकर जंगल मिलते है। पहाडों का सीना काटकर रोड़ बनाए गए है। आते समय एक ओर खाई रहती है और दूसरी ओर जंगल में पहाड मिलते है। जरा सी असावधानी खतरा पैदा कर सकती है। डिण्डौरी जिले में आदिवासी बाहुल्य है। रास्ते में मिलने वाल ग्रामीण भी अधिकांश आदिवासी ही रहते है। ये आदिवासी प्रकृति के पुजारी होते है इनके अपने गॉव के ग्राम्य देवता रहते है। परधान जनजाति के लोग प्राचीन कॉल से पुरोहित माने जाते है। परधान ठाकुर देव और बड़ा देव की पूजा आराधना करते है। उनका वाद्ययंत्र होता है। जिसे बाना कहते है। उसे बजाकर देव की स्तुती गीतों में माध्यम से करते हुए उनके गुणगान करते है। बाना वाद्ययंत्र परधान आदिवासियों का बहुत पुराना बजानेवाला बाजा है। आदिवासी गॉव-गॉव घूमकर बाना बजाकर देवता की आराधना करते है जिससे उन्हें अनेक प्रकार के दान प्राप्त होते है उस दान से वे अपना जीविकोपर्जन करते है। दान में उन्हे अनाज, गाय - भैंस, काँसे के बर्तन थाली लोटा बटकी, बटुआ और कई प्रकार की वस्तुएँ उन्हें प्राप्त होती है। ये अपना खेतिका काम भी बखूबी करते है। हल के द्वारा खेती का कार्य संपन्न करवाया जाता है। डिण्डौरी जिला उसमें आसपास के अधिकांश गाँवों में परधान आदिवासी समाज का निवास पाया जाता है। ये आदिवासी बहुत ही सीधे-साधे रहते है। किसी भी बात पर अंधा विश्वास कर लेते है। वर्तमान समय में परधानों आदिवासीयों ने पढ़ लिख कर समाज में अपना एक ऊँचा स्थान प्राप्त किया है।

डिण्डोंरी आदिवासी बाहुल्य जिला है। इसे जिला बने भले ही महज 18-20 बरस हुए हैं लेकिन इस क्षेत्र में आदिवासियों का इतिहास सदियों पुराना है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बहुलता होने के कारण सरकार द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के पर्व में सरकार द्वारा मनाया जाता है। यह हमारे प्रदेश के लिए बडे गौरव की बात है। डिण्डोंरी जिले के 927 गाँव में से 899 गाँवों में विभिन्न जनजातियाँ निवास करती हैं। हर जनजाति की अपनी खास पहचान सभ्यता, संस्कार, मान्यता, कर्तव्य एवं संस्कृति है। ये लोग सदियों से अपनी परंपराओं को निर्वाध रूप से आगे बढ़ा रहे है। दुनियाभर में लोकप्रिय है डिण्डोंरी का करमा नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में कई लोक नृत्य किए जाते है।, परधान जाति नृत्य और संगीत के शौकीन माने जाते है। उनके लिए संगीत ईश्वर की देन है। उनके नृत्यों को दो श्रेणियों अर्थात सामाजिक और धार्मिक नृत्यों में विभाजित किया गया है। धार्मिक नृत्यों को भगवान से आर्शीवाद प्राप्त करने, बाद अकाल और महामरी जैसी बुराईयों के कारण होने वाली समस्या से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक नृत्यों में सुआ, दशोरा, ढोहा और सुमरन हैं जबकि सामाजिक नृत्यों में करमा, रीना, थैला, बिलमा, झारपड़ और तामड़ी आदि बहुत लोकप्रिय है।

डिण्डोंरी जिले की विश्व प्रसिद्ध आदिवासी संस्कृति जिसमें मुख्य रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा, गोंड, परधान, अगरिया एवं वादी जाति की संस्कृति अब यूनाईटिड किंगडाम में भी देखी जा सकेगी। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने एवं प्रचारित प्रसारित करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में विश्व प्रसिद्ध फोटो ग्राफर एवं आदिवासी संस्कृति के स्कॉलर भारत पटेल पूरे जिले में भ्रमण कर सात दिवसों तक आदिवासियों की संस्कृति के जानकार एवं अध्येता श्री धनेश परस्ते निवासी गाड़ासरई डिण्डोंरी के साथ रहे। इस दौरान वह सुदूर ग्राम जैसे रहँगी, सिमरिया, सागर टोला, खाल्टे टोला, ऊपर टोला बरगाँव, गोरखपुर, माधोपुर, बछरगाँव, टिपटा, बल्लारपुर, बीजापुरी कंचनपुर, कुकर्रमठ, छाँटा, बजाग, समनापुर आदि अनेक गावों का भ्रमण किया। हस दौरान वह सूदूर ग्रामों में जाकर बैगा जाति के गोदना परधान जाति का बाना, गोंड जनजाति का गोदना व लोकनृत्य, अगरिया जनजाति का पत्थर को पिघलाकर लोहा निकालना एवं वादी जाति की महिलाओं द्वारा गोदना करने संबंधी विस्तार से जानकारी ली गई। गोदना के संबंध में ऐसी मान्यता है कि गोदना शरीर के अलंकरण के साथ-साथ सौभग्य सुहाग चिन्ह माना जाता है। गोदना भूत-प्रेतों विषैले जीव-जनतुओं एवं डरावनें हिंसक पशुओं से बचाता है। गोदना को महिलाएँ चिर स्थाई आभूषण मानती

है। उनका कहना है कि सोना-चाँदी आदि धातुओं के आभूषण तो मृत्यु होने पर छूट जाते है। किन्तु गोदना आभूषण मृत्यु के साथ जाता है अर्थात परलोक तक जाता है। गोदना शारीरिक सज्जा का अमिट रेखांकन है। उसके अलावा आदिवासीयों का शैला, रीना, करमा, ददरिया, दादरा आदि मुख्य लोकगीत एवं लोकनृत्य होते है। अगरिया जातियों द्वारा पहाड़ी जंगलों में स्थ्ज्ञित पत्थरों को घर ले जाकर अपनी विशिष्ट भट्टी में डालकर लोहा निकालते है। बादी जातियों की महिलाएँ सितम्बर माह में लगभग चार महीने के लिए परिवार सहित बैगा एवं गोंडों के गांव में जाकर गोदना गोदने का काम करती है। इस संबंध में आदिवासी संस्कृति के जानकार श्री धनेश परस्ते ने चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि आने वाली पीढ़ी तक में बैगा महिलाओं का गोदना समाप्त, हो जायगा। उसका कारण यह है कि गोदना गोदने वाले वादियों की संख्या 8 से दस है और गोदना गुदवान वाले बैगा परिवारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वों गोदना गुदवाने की कीमत दे सकें। जिस कारण से गुदना गुदाने की पारंपरिक परंपरा समाप्त होने के कगार पर दिख रही है। श्री धनेश परस्ते बताते है कि इसका एक कारण यह भी कि संविधान की पुस्तक में देश के अंदर स्थित विभिन्न जनजातियों की सूची में वादी जाति नही है ये विशुद्ध आदिवासी जाति दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि आदिवासी को मिलने वाली सुविधाओं से ये जाति वंचित है। वर्तमान समय में परधान जाति अपने पढ़ने की लगन के कारण कठिन से कठिन करिस्थितियों का सामना कर उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रही है। आज अनेक परधान आदिवासी म. प्र. लोकसेवा आयोग की कठिन परीक्षा की पास कर बडे-बडे उच्च पदों पर आसीन है। अनेक आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए, विपरीत समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे है। आगे बढ़ने की यही सोच उनमे अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रेरित करती है। बैकिंग के क्षेत्रों में भी उन्होंने बडे-बडे पदों पर पहुँचकर अपनी विद्धता का लोहा मनवाया है। कानून के क्षेत्र में उच्च पद में जज एवं उच्च पद के वकील बनकर अपने ज्ञान का परिचय दिया है। आज भले ही वे किंतने ही उच्च पदों पर पहुच गय हों लेकिन आज भी वे अपने गाँव अपने क्षेत्र की गलियों का भूलते नहीं है। अपने साहित्य और संस्कृति की अमिट छाप उनके व्यक्तित्व एवं कृत्विव में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्हें अपनी मातृभूमि से आज भी उतना ही प्रेम है जितना कि पहले था। अपने क्षत्र में विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहते है। आज हर क्षेत्र में परधान आदिवासियों अपनी विद्दवता का परचम लहराया है। सुदूर धने जंगलों में रहते हुए शहर की यात्रा अपने ज्ञान से की है। इनकी कुशाग्र बुद्धि ही इन्हें आगे बढ़ाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्री प्रेमचन्द परस्ते – छत्तीसगढ़ी बोली और लोकगीत
2. श्री बाबूराम मरकाम – छत्तीसगढ़ी जंगल पहाड़ के लोकगीत
3. श्रीमती गीता मरकाम – छत्तीसगढ़ी खेती के लोकगीत
4. डॉ. श्रीमती बिन्दू परस्ते – छत्तीसगढ़ी और उसका साहित्य
5. डॉ मनीषा सिंह मरकाम – उषा की शांत धार अबूझ रिश्ते
6. श्री धनेश परस्ते – आदिवासी साहित्य

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

मनरेगा योजना एवं ग्रामीणो के पलायन का अध्ययन (जनपद चित्रकूट ग्राम- चितरा गोकुलपुर के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. राजेश त्रिपाठी * अमृतांशू मिश्रा **

* एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (समाजशास्त्र) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – विगत कई वर्षों से मजदूर संगठन, नगर समाज संगठनो ने एक ऐसे ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की माँग करते हैं, जिसमें रोजगार गारंटी के साथ काम के अधिकार को संरक्षित करने के दूसरे उपाय भी हों। भारत की सांसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 को एक लम्बे संघर्ष और विभिन्न क्षेत्रों के कड़े विरोध के बाद 23 अगस्त 2005 को पारित किया, क्योंकि काम का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 मे दिये गये गरिमा के साथ जीने का अधिकार की पूर्व शर्त है। संविधान के अनुच्छेद 41 मे भी देश प्रत्येक नागरिक को काम के अधिकार की बात की गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 कम से कम एक ऐसा अस्त्र तो अवश्य है जिससे वे अपने बुनियादी अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं।

गारंटी शुदा रोजगार प्राप्त होने से उन्हें आर्थिक असुरक्षा से बचाया जा सकता है। मोल भाव करने की उनकी ताकत मे वृद्धी की जा सकती है और अपने अधिकारों के लिये लडने के वास्ते संगठित होने में उन्हें मदद किया जा सकता है अभी बहुत से लोग इस योजना से वंचित है जिसका प्रभाव गाँव मे गरीबी बढने से लोगो द्वारा रोजगार की तलाश मे शहरों की तरफ भागना पड़ता है।

भारत सरकार द्वारा 2 फरवरी 2006 से है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को देश के 200 जिलों मे लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 22 जिलों का चयन किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा बेरोजगारी और गरीबी मिटाने की दिशा मे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष मे 100 दिन का रोजगार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा। यह सभी कार्य इस योजना के लाभार्थीयों से अपेक्षा नहीं किया जा सकता है। इसके लिये इनके हकों एवं अधिकारों के लिये नगर समाज संगठनो को आगे आना होगा, तभी यह कानून अपने निश्चित लक्ष्यों को पाने मे पूरक हो सकता है।

इस कानूनी योजना के अमल मे ग्राम पंचायतो के साथ- साथ अन्य स्थानीय निकायों को भागीदार बनाया गया है, फिर भी इसे अमल में लाने के लिये करने में विशेष सावधानी बरतनी होगी और यह कार्य कुशल निगरानी तंत्र के जरिये ही सम्भव है।

परिवार के मात्र एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार देने से बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है, इसलिये बेरोजगारी जैसी समस्या से स्थायी हल सिर्फ गाँव मे रोजगार के अवसरों मे वृद्धी से ही मुमकिन है। इसीलिये तो भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2008 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 को सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना 5 सितम्बर 2006 को लागू की गई है। जिसके तहत उन सभी व्यक्तियों को आवेदन के बाद 100 दिन की अवधि में सार्वजनिक कार्यों में रोजगार पाने की हकदारी दी गई है, जो सरकार द्वारा मान्य न्यूनतम मजदूरी दर पर अकुशल श्रम करने को तैयार हो। अगर उन्हे रोजगार उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उन्हे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा। फिलहाल इस योजना में रोजगार की गारन्टी 100 दिन प्रति वर्ष प्रति परिवार रखी गई है।

पिछले कुछ वर्षों से मजदूर संगठन एक ऐसे राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी कानून की माँग करते आ रहे हैं, जिसमें काम पाने के अधिकार के साथ अन्य अधिकार भी उपलब्ध हो भारत की संसद ने 5 सितम्बर 2006 को एक लम्बे संघर्ष और विभिन्न क्षेत्रों में कडे विरोध के बाद इस कानून को पारित किया। प्रारम्भ में 300 जिलों को इस योजना में सम्मिलित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एक ऐसा हथियार है, जिसका उपयोग ग्रामीण मजदूर अपने सशक्तिकरण के लिए कर सकते है साथ ही मोलभाव की उनकीताकत में इजाफा कर सकता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के वास्ते संगठित होने में उनकी मदद कर सकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से व्यक्ति को प्राप्त अधिकार :

रोजगार की माँग का अधिकार- रोजगार की माँग किये जाने पर 15 दिन के अन्दर रोजगार प्राप्त करने का अधिकार 15 दिन में रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्तो का अधिकार:

1. कार्यक्षेत्र में कार्य करते समय पीने योग्य पानी तथा प्राथमिक उपचार पाने का अधिकार।
2. राज्य में वैधानिक निर्धारित मजदूरी दर को प्राप्त करने का अधिकार।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में मजदूरों की कार्य प्राप्त करने की प्रक्रिया।
4. प्रत्येक मजदूर को जो कार्य करना चाहता है, उन्हें सर्वप्रथम ग्राम पंचायत में अपना पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण कराना 5 वर्ष के लिए वैध होगा।
5. प्रत्येक मजदूर को काम करने के लिए स्वयं आवेदन करना होगा और यह आवेदन उतनी बार करना होगा जितनी बार कार्य की आवश्कता होगी।
6. प्रत्येक ग्राम पंचायत पंजीकत मजदूर को प्राप्त मजदूरी तथा बेरोजगारी भत्तो को दर्ज किया जायेगा।कि.मी. से अधिक दूरी पर रोजगार उपलब्ध कराने पर न्यूनतम मजदूरी से 10 प्रतिशत अधिक देना होगा।

7. प्रत्येक मजदूर को वही कार्य करना होगा जो उन्हें ग्राम पंचायत के द्वारा सौंपा जायेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में कार्य चयन की प्राथिमिकतायें :

1. इस योजना मे यह प्रवधान किया गया है कि राज्य रोजगार गारन्टी परिषद प्राथमिकता के आधार पर किये जाने वाले कार्यों की सूची तैयार करें।
2. कार्यों की प्राथिमिकतायें तैयार करने का प्रमुख आधार होगा स्थायी सम्पत्ति बनाने की क्षमता यह क्षमता क्षेत्रों की विविधता के आधार पर तैयार हो सकती हैं।
3. योजना के अर्न्तगत निम्नांकित कार्यों को उनकी वरीयता के आधार पर तय हो सकती हैं।
4. जल संग्रहण एवं जल संरक्षण सूखे को रोकने का कार्य (जिसमें माइनर और माइको सिंचाई कार्य सम्मिलित है)
5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों के भू-स्वामियों की भूमि विकास के कार्य की व्यवस्था से सम्बंधित कार्य।
6. बरहमासी सड़कों का निर्माण। ग्राम के मध्य सडक निर्माण (नाली निर्माण सहित) भी इसमें सम्मिलित हैं।

भूमि के लिये सिंचाई सुविधाओं के कार्य :

1. बाढ नियंत्रण एवं बाढ़ बचाव कार्य में जल अवरुद्ध क्षेत्र मे जल निकासी
2. अन्य कोई कार्य जिन्हें केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित करें।
3. सूची में वर्णित कार्यों के अर्न्तगत सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना सम्भावित लाभ :
4. इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप गाँव में शहरों की ओर पलायन कम हो जायेगा गाँव मे ही कार्य उपलब्ध होगा जिससे लोगों को शहरों की ओर नहीं भागना पडेगा।
5. पलायन के कारण उत्तापन समस्याओं को रोका जा सकेगा।
6. यह उम्मीद की जा सकती है, कि रोजगार गारण्टी योजना ग्रामीण परिवारों की भुखमारी एवं गरीबी मिटाने में सहायक होगी।
7. एन.आर.ई.जी.एस.महिलाओं के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण सॉत होगा. क्योंकी इसके अन्तर्गत लाभान्वित होने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक होगी।
8. योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुछ सार्थक स्थायी सम्पत्ति / सम्पदाका निर्माण हो जायेगा, जबकि ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में प्राय: ऐसा सम्भव नहीं ही पाता है।
9. गाँव में पहले से निर्मित कार्यों की मरम्मत पानी के स्रोतों तलाबों, एनीकेट से गाद निकालना एवं उनके रख-रखाव का कार्य नियमित रूप से किये जाने का प्रावधान है।
10. रोजगार की गारण्टी से ग्रामीण समाज का शक्ति समीकरण बदलेगा शक्ति को सामाजिक क्षमता के पुर्ननिर्माण के आधार के रूप मे देखा जायेगा।
11. चितरा गाँव मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अर्न्तगत काम पाने वाले लोगों की आर्थिक सामाजिक पृष्टभूमि का अध्ययन किया जायेगा।
12. नरेगा में कार्यरत ग्रामीण जनों के भुगतान की व्यवहारिक स्थिती एवं परिस्थितियों का अध्ययन किया जायेगा। गाँव से रोजगार हेतु विस्थापित हो रहे लोगों मे नरेगा के प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा।

नरेगा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु लोगो के सुझावों का अध्ययन किया जायेगा।

शोध प्रविधि - गाँव मे नरेगा योजना के अर्न्तगत कार्यरत 365 जॉब कार्ड धारकों मे से उत्तरदाताओं के चयन हेतू सोदेश्य निदर्शन विधि का प्रयोग कर 100 जाँब कार्ड धारकों का चयन किया गया।

उद्देश्य:

1. चितरा गाँव मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अर्न्तगत काम पाने वाले लोगों की आर्थिक सामाजिक पृष्टभूमि का अध्ययन किया जायेगा।
2. नरेगा में कार्यरत ग्रामीण जनों के भुगतान की व्यवहारिक स्थिती एवं परिस्थितियों का अध्ययन किया जायेगा।
3. गाँव से रोजगार हेतु विस्थपित हो रहे लोगों में नरेगा के प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा।

अध्ययन क्षेत्र- अध्ययन के लिये शोधकर्ता ने चितरागोकुलपुर गाँव चुना चितरा गाँव मुख्य मार्ग से दूरी 1 कि.मी. है। यह गाँव मुख्य मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। यह गाँव आर्थिक दृष्टी से पिछड़ा हुआ है, तथा इस गाँव के लोगों का आय का स्रोत मजदूरी है। गाँव के कुछ व्यक्ति खेती भी करते हैं परन्तु उससे वे महीने में इतना भी नहीं कमा पाते हैं जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। जिसे मैने समस्या का अध्ययन करके आवश्यक तत्वों का आकलन किया। चितरागोकुलपुर गाँव में विभिन्न जातियों और धर्मो के लोग निवास करते हैं, और विभिन्न आर्थिक स्थिति के लोग निवास करते हैं। साथ साथ इस क्षेत्र में वर्तमान मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्य चालू है। अध्ययन के लिये यह क्षेत्र सर्वथा उपयुक्त है, इस कारण अध्ययन के लिये शोधकर्ता ने चितरागोकुलपुर गाँव, चुना।

तालिका- 01

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	18 से 30	32	32.00
2	30 से 40	55	55.00
3	40 से ऊपर	13	13.00
		100	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है, कि नरेगा मे कार्यरत व्यक्तियों में प्रौढ वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक है, जिनका प्रतिशत 55 है, 40 वर्ष से ऊपर वालों का प्रतिशत 13 है, जो सबसे कम है। क्रमश: 18 से 30 वर्ष के लोगों की संख्या 32 प्रतिशत पायी गयी है।

अत: स्पष्ट है कि नरेगा में कार्यरत प्रौढ वर्ग के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक पाया गया है। इसका कारण प्रौढ वर्ग के लोगों की आर्थिक जरूरतें काफी अधिक हैं।उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है, कि जॉब कार्ड धारकों मे 78 प्रतिशत पुरुष हैं और 22 प्रतिशत स्त्री हैं।

तालिका- 02: शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक	09	09.00
2	मिडिल	01	01.00
3	सेकेण्डरी	03	03.00
4	उच्च शिक्षा	00	00.00
5	निरक्षर	87	87.00
	योग	100	100.00

अत: स्पष्ट है, कि नरेगा में कार्य करने में महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों ने सबसे अधिक उत्सुकता दिखलाई है।उपरोक्त सारणी मे 100 जॉब कार्ड धारकों में 9 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हैं और 1 प्रतिशत मिडिल शिक्षा हैं और 3 प्रतिशत सेकेन्डरी शिक्षा और 0 प्रतिशत लोगों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। निरक्षर उत्तरदाताओं का प्रतिशत 87 है, जो सबसे अधिक है।

अत: स्पष्ट है, कि नरेगा में कार्य करने वाले व्यक्तियों में निरक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है।संख्या

तालिका- 03: घर पर उपलबध आधुनिक संसाधन के आधार वर्गीकरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	गाड़ी	10	10.00
2	मोबाईल	44	44.00
3	टीवी	25	25.00
4	रेडियों	21	21.00
	योग	100	100.00

उपरोक्त सारणी से पता चलता है, कि 100 उत्तरदाताओं में 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास गाडी, 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास मोबाइल, 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास टी.वी. है और 21 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रेडियो है।

तालिका- 04: परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार वर्गीकरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	1 से 9	52	52.00
2	5 से 10	48	48.00
3	10 से अधिक	00	00.00
	योग	100	100.00

अत: उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जॉब कार्ड धारक उत्तरदाताओं के पास आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं।उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 100 उत्तरदाताओं में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या वाले परिवार का प्रतिशत 52 है, इनमें 1 से 5 तक की संख्या निवास करती है। 48 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 5 से 10 तक है, और 10 से अधिक सदस्यों की संख्या वाले परिवारों का प्रतिशत 0 है।

अत: स्पष्ट है कि, उत्तरदाता परिवार में निवास करने वालों मे सर्वाधिक 1 से 5 हैं, जिनका प्रतिशत 52 है।

तालिका- 05: घर पर उपलबध आधुनिक संसाधन के आधार वर्गीकरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	कच्चा	89	89.00
2	पक्का	05	05.00
3	मिश्रित	06	06.00
	योग	100	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 100 उत्तरदाताओं में 89 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मकान कच्चा बना है, 5 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता हैं जिनका निवास पक्का है, तथा 6 प्रतिशत मिश्रित मकान वाले उत्तरदाता हैं। अत: उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नरेगा में कार्यरत सर्वाधिक उत्तरदाताओं के मकान कच्चे बने हैं जिनका प्रतिशत 89 है।

निष्कर्ष – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्यरत चितरागोकुलपुर गाँव के लाभान्वित श्रमिकों के समग्र अध्ययन से निम्न तथ्य योजना के सम्बन्ध मे परिलक्षित है।

1. नरेगा में कार्यरत व्यक्तियों में प्रौढ वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक है।
2. महिलाओं ने जॉबकार्ड बनवाने में पुरूषों की आपेक्षा उत्सुकता कम दिखलाई है।
3. जॉब कार्ड धारकों में निरक्षरों की संख्या सबसे अधिक है।
4. नरेगा में कार्य करने वाले उत्तरदाताओं के पास आधुनिक संसाधनों में मोबाइल सर्वाधिक है।
5. उत्तरदाता परिवार में 1 से 5 तक की संख्या सर्वाधिक है, जिसका प्रतिशत 52 है।
6. गाँव में सर्वाधिक जॉब कार्ड धारकों के घर कच्चे बने हैं।
7. उत्तरदाताओं की मासिक आय सर्वाधिक 2000 से ऊपर है। : घर के खर्चे के आधार पर उत्तरदाता की आमदनी सामान्य है।
8. 92 प्रतिशत उत्तरआताओं का भोजन स्तर सामान्य है, जो सर्वाधिक है। नरेगा में कार्यरत लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है।
9. सर्वाधिक उत्तरदाताओं के घर में उपलब्ध सुविधाओं का सर्वाधिक प्रतिशत काफी खराब का है।
10. उत्तरदाताओ मे किये गये सर्वेक्षण से यह पता चला कि सामान्य जाति वर्ग के लोगों ने जॉबकार्ड केवल 1 प्रतिशत ही बनवाये है।
11. नरेगा में कार्यरत लोग सर्वाधिक सामान्य स्तर के हैं।
12. 1000 से 5000 वार्षिक आय वाले परिवारों ने जॉबकार्ड बनवाने मे उत्सुकता दिखलाई है।
13. गाँव मे जॉबकार्ड धारक व्यक्तियों के पास उपलब्ध आधुनिक संसाधन मे से मोबाइल की संख्या सर्वाधिक है जो 44 प्रतिशत है।

सुझाव:

1. शोध में निकाले गये निष्कर्षो के पश्चात निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं।
2. जॉब कार्ड धारकों को योजना की चरणबद्ध जानकारी देने की आवश्यकता है।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में महिलाओ की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए जॉब कार्ड बनाये जाने की आवश्यकता है।
4. गाँव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में दिलायी जाने वाली जैसे दवायें, बेरोजगारी भत्ता बच्चों की सुविधायें आदि को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
5. कार्य स्थल पर शारीरिक क्षति होने के कारण सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को लागू किये जाने की आवश्यकता है।
6. मजदूरी का भुगतान समय से किये जाने के लिये ग्राम प्रधानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. रूद्रदत्त सिंह: भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रकाशक ए.स. चन्द एवं कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली
2. कुरुक्षेत्र: 2007 दितम्बर।
3. योजना: 2004 सितम्बर।
4. रविन्द्रनाथ मुखर्जी: सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

ग्रामीण क्षेत्रों में बालविकास की समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. राजेश त्रिपाठी* अर्चना दुबे **

* एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (समाजशास्त्र) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – समाज एक विशाल व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत समूह समितियों संस्थाएँ आदि आती है एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है की वहाँ पर रह रहे लोगो का आचरण अच्छा हो अपने मूल्यों व कर्तव्यों के प्रति वे ईमानदार हो जिससे उस समाज में रह रहे बालको को अच्छा माहौल मिल सके क्योकि यही बालक आगे चलकर समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे अत: इनकी नींव मजबूत होनी अति आवश्यक है।

प्राचीन ग्रामीण समाज एक ऐसे समाज के अन्तर्गत आता था जहाँ पर समस्त सामाजिक कार्यो पर परम्पराओं एवं रुढियों का नियंत्रण होता था। ग्रामीण समाज के अन्तर्गत परिवार विवाह आदि एक प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के रूप में कार्य करती थी जो कि समस्त सामाजिक जीवन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती थी।

प्राचीन समय में समाज वर्णो में वटा था तथा सभी वर्णो का कार्य भी बटा था जिसमे पिता कि जगह पुत्र लेता था अर्थात ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सूद्र अपने निर्धारित कार्यो को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते जाते थे। इस तरह सभी वर्ण अपनी अगली पीढ़ी को बाल्यकाल से ही विकसित करने का प्रयास करते थे इस तरह माता पिता के संरक्षण में बच्चों का समुचित विकास होता था।

इस तरह सभी वर्ण अपनी अगली पीढ़ियों को तैयार करते रुकावट के समाज में सभी को उनके पिता द्वारा व्यावसायिक शिक्षा मिल जाति थी तथा पण में कर निर्धारित होने के कारण अपने पिता की जगह ले लेते थे इस प्रकारको का विकास पूरी तरह माता पिता पर निर्भर रहता था पर जैसे जैसे समाज में बदलाव होता गया तथा समाज परिवर्तन हुए और लोग परम्परागत व्यवसाय से अलग भी सोचने महसूस हुआ की की बाल विकास हेतु उन्हें अब ज्यादा सोचने की जरूरत है फिर विद्यालयों का प्रचलन हुआ शुरुआत में इनका भी क्षेत्र सीमित था और इनमें वेदों, पुराणों आदि की ही शिक्षा दी जाती थी वो भी उसे वनों को ही।

आधुनिक समय में जहाँ जाति, वर्ग रुढ़िया व परम्पराए लगभग दम तोड़ चुकी है लोग पूरी तरह स्वतंत्र है तथा किसी भी वर्ग या जाति के लोग शिक्षा तथा अन्य साधनों के द्वारा आगे बढ़ सकते है अत: लोगों ने बालको के विकास में काफी ध्यान देना शुरू कर दिया हैं इस वैज्ञानिक युग में मनोरंजन तथा अन्य सुख सुविधाओं से बच्चों का भंग करना शुरू कर दिया है टेलीवीजन, इन्टरनेट, मोबाइल, आदि ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहे है तथा टेलीवीजन व इन्टरनेट दिखाए जाने वाली कई ऐसी चीजे बच्चे सीख जाते हैं जो की वयस्कों के लिए होती है।

क्षेत्र परिचय – प्रस्तुत लघुशोध कार्य हेतु बस्था ग्राम पंचायत का चयन किया है। ग्राम बस्या रामनगर के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में स्थित है। ग्राम बरुवा में सामान्य पिछड़ी व अनुसूचित जातियां निवास करती है जिसमे विभिन्न सामजिक व आर्थिक स्तर के लोगरहते हैं।

क्षेत्र का सामान्य परिचय निम्नलिखित है

1. प्रधान श्री राम जी
2. जनसंख्या 3546
3. परिवारों की संख्या 716
4. मतदाता 1666
5. संपर्क मार्ग पक्की सड़क
6. प्रकाश व्यवस्था विद्युतीकरण है।
7. पेयजल स्रोत निजी/सार्वजानिक
8. विद्यालय प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल
9. थाना राजपुर
10. सचार सुविधाए मोबाइल

उद्देश्य:

1. उत्तरदाताओं की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितयों का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र में मालविकास सम्बन्धी वर्तमान परिस्थितयों का करना।
3. वर्तमान में विकास बालविकास में आने वाले अवरोधों/समस्याओं का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण क्षेत्र में बालविकास सम्बंधी चल रहे कार्यक्रमों का अध्यन करना।
5. गांवों उचित एवं आवश्यक बालविकास हेतु अभिभावको से सुझाव पास करना।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत लघु शोध कार्य करने हेतु बरूरा ग्रामपंचायत का किया जो रामनगर ब्लॉक के अन्तर्गत विकासखण्ड राजपुर जिला चित्रकूट के अन्तर्गत आता है। बरूआ गांव में सामान्य, पिछड़ी, अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं।

शोध कार्य हेतु गांव के अभिभावकों, शिक्षका एवं छात्रों में से 50 उत्तरदाताओं का चयन उदेश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा विभिन्न जाति धर्म एवं

समाजिक तथा आर्थिक परिस्थतियों द्वारा किया जयेगा।

तथ्यों का संकलन- तथ्यों के संकलन हेतु विषय के उद्देश्यों के अनुरूप एक अनुसूची का निर्माण किया जाएगा।

इस अनुसूची को लेकर क्षेत्र में उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क कर इसकी फील्ड टेस्टिंग की जाएगी।

फील्ड टेस्टिंग के पश्चात आवश्यक संसोधनों के उपरान्त अनुसूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी अनुसूची द्वारा उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क कर तथ्यों को संकलित किया जाएगा।

तथ्यों का वर्गीकरण/सारणीयन एवं विश्लेषण - प्राप्त तथ्यों का भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित कर मास्टर चार्ट पर वर्गीकृत किया जाएगा। इसके पश्चात वर्गों के अनुरूप सारणियों का निर्माण किया जाएगा। तत्पश्चात सारणियों के तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया जायेगा।

निष्कर्ष एवं सुझाव - प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर विषय से सम्बंधित निष्कर्ष प्राप्त किये जाएंगे।

इन निष्कर्षो के आधार पर उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किये जाएंगे।

तालिका संख्या-1: जाति के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	जाति	संख्या	प्रतिशत
1	सामान्य	23	46
2	पिछड़ी	07	14
3	अनुसूचित जाति	20	40
4	अनुसूचित जन जाति	00	00
5	अन्य	00	00
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता सामान्य जाति के हैं जिनका प्रतिशत 46 है। जबकि 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति 14 प्रतिशत पिछड़ी व अन्य का प्रतिशत शून्य है। अत: स्पष्ट है कि बाल विकास की समस्या के प्रति सर्वाधिक सामान्य जाति के उत्तरदाता जागरूक हैं।

तालिका संख्या-2: धर्म के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	धर्म	संख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	50	100
2	मुस्लिम	00	00
3	सिख	00	00
4	ईसाई	00	00
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता हिन्दू धर्म के हैं निका प्रतिशत 100 है जबकि अन्य धर्मो का प्रतिशत शून्य है।

अत: स्पष्ट है कि क्षेत्र में केवल हिन्दू धर्म के लोग ही निवास कर रहें हैं।

तालिका संख्या-03: उम्र के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	उम्र	संख्या	प्रतिशत
1	08 से 18	02	04
2	18 से 28	02	04
3	28 से 38	19	38
4	38 से 48	17	34
5	48 से अधिक	10	20
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 28-38 आयु वर्ग के हैं जिनका प्रतिशत 38 है। जबकि 38 से 48 आयु वर्ग में 34 प्रतिशत, 48 से अधिक आयु वर्ग में 20 प्रतिशत 18 से 28 आयु में 4 प्रतिशत 8 से 18 में 4 प्रतिशत आयु वर्ग के लोग हैं।

स्पष्ट है कि 28 से 48 वर्ष की उम्र के लोगों का ध्यान एवं रूचि बाल विकास की समस्याओं के प्रति अधिक है।

तालिका संख्या-04: व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1	मजदूरी	10	20
2	कृषि	17	34
3	व्यापार	06	12
4	नौकरी	08	16
5	अन्य कार्य	09	18
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक बालको के अभिवावकों का व्यवसाय कृषि है, जिनका प्रतिशत 34 है।

अन्य अभिवावकों में नौकरी 16 प्रतिशत, व्यापार 12प्रतिशत, मजदूरी 20 प्रतिशत व अन्य कार्य का प्रतिशत 18 है।

तालिका संख्या-05: शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	शिक्षा	संख्या	प्रतिशत
1	प्राइमरी	18	36
2	माध्यमिक	10	20
3	उच्च	07	14
4	निरक्षर	15	30
5	अन्य	00	00
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकतर बालकों के अभिवावकों की शिक्षा प्राइमरी स्तर की है। जिनका प्रतिशत 36 है। जबकि माध्यमिक शिक्षा 20 प्रतिशत,उच्च शिक्षा 14 प्रतिशत, निरक्षर 30 प्रतिशत व अन्य का प्रतिशत शून्य है।

अत: स्पष्ट है कि बाल विकास की ओर रूचि लेने वाले उत्तरदाताओं की शिक्षा का स्तर निम्न है।

तालिका संख्या-06: मासिक आय के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	मासिक आय	संख्या	प्रतिशत
1	1000 से 2000	12	24
2	2000 से 3000	19	38
3	3000 से 4000	4	8
4	4000 से 5000	5	10
5	5000 से अधिक	10	20
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक बालकों के अभिववाकों की मासिक आय 2000 से 3000 है उनका प्रतिशत 38 है।

जबकि 1000 से 2000 में 24 प्रतिशत, 3000 से 4000 में 8 प्रतिशत, 5000 से अधिक में 20 प्रतिशत व 4000 से 5000 में 10 प्रतिशत लोग पाये गए हैं।

तालिका संख्या-07: परिवार के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	परिवार का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1	एकल	13	26
2	संयुक्त	37	74
3	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बालकों के परिवार में पुरूषों की संख्या अधिक है जिनका प्रतिशत 74 है, जबकि महिलायें 26 प्रतिशत ही है।

निष्कर्ष:

1. 40 प्रतिशत लोग सामान्य जाति के निवास करते हैं।
2 36 प्रतिशत बालको के अभिभावकों में सर्वाधिको की शिक्षा प्राइमरी स्तर की है।
3. 34 प्रतिशत बालकों के अभिभावक कृषि पर आश्रित है।
4. 38 प्रतिशत बालको के अभिभावको की मासिक आय 2000-3000 के बीच है।

जो निम्न आय स्तर को दर्शाती है।

5. 82 प्रतिशत बालको के परिवार एकल हैं।
6. 54 प्रतिशत बालको के द्वारा मोबाइल का उपयोग मनोरजन के साधनों में सबसे अधिक होता है।
7. हालांकि बच्चों के अभिभावकों के शिक्षा का स्तर निम्न है किन्तु वर्तमान में शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है।

सुझाव:

1. बालको के अभिभावकों में सर्वाधिक 38 प्रतिशत की मासिक आय 2000 से 3000 के बीच है। जो इनके निम्न आय के स्तर को दर्शाती है। अत उन्हें सरकारी योजनाओं को अधिकाधिक अपनाने का प्रयास करना चाहिए।
2. बालको के अभिभावकों में सर्वाधिक शिक्षित लोगों में प्राइमरी स्तर का प्रतिशत सबसे अधिक जो दर्शाता है कि पूर्व में लोगों का शिक्षा के प्रति रूझान कम था. किन्तु वर्तमान में लोग बच्चों की शिक्षा के बारे में ध्यान दे रहे हैं।
3. बालकों के ज्यादातर अभिभावक कृषि पर आश्रित है और उनका स्तर निम्न है।अत: लोगो को आय के अन्य स्रोतों की तलाश भी करनी चाहिए। जिससे अपने आय के स्तर को बढा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डी.के. अग्रवाल, भारतीय सामाजिक समस्यायें, विवेक प्रकाशन. नई दिल्ली।
2. पचौरी, डॉ. गिरीश (2006) शिक्षा के सामाजिक आधार, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
3. सक्सेना, डॉ. सरोजा, शिक्षा समाजशास्त्र साहित्य पब्लिकेशन्स, आगरा।
4. एम.एल.गुप्ता एवं डी0डी0 शर्मा, गामीण समाजशास्त्र साहित्य भवन, आगरा।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

ग्रामीण किशोरियों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता का स्तर एवं सम्बन्धित संस्थाओं की भूमिका (जनपद चित्रकूट ग्राम- चितरा गोकुलपुर,ब्लॅक कर्वी के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. राजेश त्रिपाठी* डॉ. जितेन्द्र कुमार कुशवाहा**

* एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान (समाजशास्त्र) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – गैर/सरकारी संगठनो एवं शिक्षकों द्वारा ग्रामीण नागरिकों को एवं अभिवावकों को इस प्रकार का परामर्श दिया जाये जिससे उनके बच्चे स्वस्थ एवं शिक्षित हो सके चिकित्सालय के माध्यम से डाक्टरों की सलाह के अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देकर स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके।

प्रस्तावना – स्वास्थ्य मानव जीवन की एक अनमोल सम्पत्ति मनुष्य के जीवन और उसी के लिए स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी अन्य वस्तु की कल्पना कर पाना कठिन है। मानव जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकार हुए संविधान में इसे राज्य सूची में शामिल किया गया है। यहाँ राज्य का यह है कि सार्वभीम स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुँच हो तथा भुगतान असामध्येता की वजह से किसी को भी स्वास्थ्य सेवाओं से न होना पडे।

सामान्यत: स्वास्थ्य से तात्पर्य बीमारियों से मुक्त होने से समझा जाता है, परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से इसे स्वस्थ नहीं कहा जाता है। स्वस्थ होने का तात्पर्य 'शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ्य व्यक्ति से। अर्थात व्यक्तियों की वह सामान्य स्थिति जिसमें वह बिना किसी परेशानी के अपनी कार्यक्षमता का पूरा प्रयोग कर सके तथा उसे अपने द्वारा किये गये कार्यो से पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त हो, ऐसे व्यक्तियों को हम स्वस्थ क सकते है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सुख, शान्ति, सन्तुष्टि तथा सफलता प्राप्त करने के लिए हर दृष्टि से स्वस्थ होना आवश्यक है।'

स्वास्थ्य किसी भी समाज की आर्थिक प्रगति के लिये अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति अथवा समाज स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है वह आधुनिक युग की दौड़ में पीछे रहने के लिये बाध्य है क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति और व्यक्तियों से निर्मित समाज अपने गुणों के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हो पाते है।

भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो योजनायें बनाई गई है, वह उन्हें हासिल करने में कितनी सफल रही है, इसका सटीक मूल्यांकन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हम इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को भी सम्मिलित नभग 72 प्रतिगत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अत: मह एक महत्वपूर्ण है जहाँ पर स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवाओं की तरफ सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत के नगरीय क्षेत्र (90.3 प्रतिशत) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र (59.4 प्रतिशत) में साधारता कम है। अत: शिक्षा एवं जागरुकता के अभाव में ग्रामीणों में स्वास्थ्य के प्रति निम्न भ्रान्तियां व्याप्त है।

ग्रामीण क्षेत्र में रोगों को देवी-देवताओं का अभिशाप एवं प्रतात्माओं के प्रभाव का प्रतिफल माना जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशत: रोगों को उपचार झाद-फूक या टोने-टोटके से किया जाता है।

भारतीय ग्रामीण समाज सदियों से अशिक्षा तथा रूढिवादिता का शिकार रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोग व स्वास्थ्य को एक संयोग का विषय माना जाता है। ग्रामीणों में यह धारणा व्याप्त है कि रोग, जन्म, विवाह एवं मृत्यु आदि घटनाओं का नियन्त्रण ईश्वर द्वारा होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चत करने हेतु प्रशिक्षित डाक्टरों का अभाव है, क्योकि ज्यादातर चिकित्सक अपनी सुख-सुविधाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य नहीं करना चाहते है। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर मरीज का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो डाक्टर व कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है, वे पूरे मनोयोग से कार्य न करके लापरवाही करते है। इस स्थिति से निपटने हेतु अभी हाल में सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 'कम्युनिटी मानीटरिंग' के तहत गावं के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा अपने निकट के चिकित्सा केन्द्रो पर डाक्टर व कर्मचारियों की उपस्थिति चिकित्सा केन्द्रों पर दवाओं की उपलब्धता एवं डाक्टरों द्वारा इलाज में की जाने वाली लापरवाही के सम्बन्ध में प्रतिदिन रिर्पोट दी जायेगी। इस रिपोर्ट की समीक्षा करके शासन द्वारा दोषियों के खिलाफ कारवाई की जायेगी।

शारीरिक परिवर्तन- लड़कियों किशोरावस्था के प्रारम्भ होने तक अपनी लम्बाई की अधिकतम सीमा तक पहुँच जाती है, परन्तु जिन लड़कियों विकास की गति मंद होती किशोरावस्था को अंत तक ही अपनी लम्बाई की अधिकतम सीमा तफ पहुँच पाती है। किशोरावस्था के अंत तक बालकों की जननेन्द्रियां लगभग परिपक्व हो जाती है। इनकी गोण-योन विशेषताएँ भी लगभग परिपक्व हो जाती है। फलस्वरूप लड़के और लड़कियाँ क्रमश: वयस्क आदमी और स्त्री की भांति प्रतीत होने लग जाते है। लड़के और लड़कियों में बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि लड़कों में वीर्यपतन तथा लड़कियों में मासिक धर्म प्रारम्भ हो जाता है।

आन्तरिक विकास किशोरावस्था में आन्तरिक शारीरिक विकास को

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

यदि देखा जाये तो कहा जा सकता है कि उनकी लम्बाई और चौड़ाई के अनुपात में ही आन्तरिक अंगों का विकास होता रहता है।

गत्यात्मक विकास – मांस पेशियों में शक्ति का विकास मांस पेशियों के आकार से सम्बन्धित इस दिशा में हुए अध्ययनों में यह स्पष्ट हुआ है कि लड़कियों की सत्रह वर्ष की अवस्था तक मांसपेशीय शक्ति का विकास अधिकतम हो जाता है, परन्तु लड़कों में यह विकास बीस या इक्कीस वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होता है।

उद्देश्य :

1. ग्रामीण किशोरियों में स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी का स्तर ज्ञात करना।
2. ग्रामीण किशोरियों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी जागरुकता का स्तर ज्ञात करना।
3. किशोरियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में स्थानीय संस्थाओं के अन्तर्गत आंगनवाड़ी की भूमिका का अध्ययन करना।

उपकल्पना :

1. ग्रामीण परिवारों की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण किशोरियों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का अभाव है।
2. ग्रामीण किशोरियों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरुकता का अभाव होने के कारण योजनाओं का सही क्रियान्वयन न होना तथा योजनाओं का नि:शुल्क लाभ नहीं उठाया रही।

भूमिका – वर्तमान समय में किशोरियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किशोरिया अपने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरुक नहीं है। सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं द्वारा मिल रही नि:शुल्क योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार (10 से 19) वर्ष की आयु के व्यक्तियों को किशोरावस्था माना जाता है। किशोरावस्था का समय 10 से 19 वर्ष के बीच का समय है जो एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवधि के दौरान बाल्यावस्था किशोरावस्था में परिवर्तित होती है, जिसमें योवन कारणआरम्भ होने के फलस्वरूप शारीरिक, मानसिक, एवं सामाजिक परिवर्तन होते है।

1. किशोरियों में शारीरिक परिवर्तन।
2. किशोरियों में मानसिक परिवर्तन।
3. मासिक धर्म।

किशोरी स्वास्थ्य सम्बन्धी राज्य द्वारा चलायी जा रही योजनायें:

1. राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना।
2. किशोरी बालिकाओं में अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रमा
3. किशोरी सुरक्षा योजना।
4. किशोरी शक्ति योजना।
5. किशोरी बालिकाओं के लिये पोषाहार कार्यक्रमा
6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना द्वारा किशोरियों को आंगनवाड़ी पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है।

किशोरी स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्र में चल रही योजनायें :

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
2. समेकित बाल विका कार्यक्रम।

अध्ययन क्षेत्र – जनपद चित्रकूट के ग्राम चितरा गोकुलपुर को अध्ययन हेतु चयन किया गया है।

तथ्य संकलन के स्रोत :

प्राथमिक स्रोत– इसके अंतर्गत साक्षात्कार अवलोकन, पी. आर. ए. अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक स्रोत– इसके अन्तर्गत समाचार-पत्र, इंटरनेट, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय में उपलब्ध सामग्री एवं पुराने शोध कार्यो के अध्ययन का प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन

तालिका क्रमांक 01: जाति

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	10	20.00
2.	पिछड़ा वर्ग	24	48.00
3.	अनुसूचित जाति	16	32.00
4.	अनुसूचित जनजाति	00	00.00
	योग	**50**	**100**

विश्लेषण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 20 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य वर्गके है, 48 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ा वर्ग के है शेष 32 प्रतिशत उत्तरदाताअनुसूचितजातिकेहै।अर्थात् सर्वाधिक उत्तरदाता अनुसूचित जाति के है।

तालिका क्रमांक 2: आयु

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	13-15 वर्ष	30	60.00
2.	16-19 वर्ष	20	40.00
	योग	**50**	**100**

विश्लेषण : उपरोक्तसारणी,से स्पष्टवर्ग के शेष 40है कि सर्वाधिक 60 प्रतिशत उत्तरदाता 13से 15 15 वर्ष आयु वर्ग के हैं शेष 40 प्रतिशत उत्तरदाता 16 से 19 वर्ष आयु वर्ग के हैं। अर्थात् सर्वाधितक उत्तरदाता 13-15 वर्ष आयु के हैं।

तालिका क्रमांक 3: शिक्षा

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	कक्षा 5वीं से 8वीं	37	74.00
2.	कक्षा 9वीं से 10वीं	13	26.00
	योग	**41**	**100**

विश्लेषण : उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 74 प्रतिशत उत्तरदाता कक्षा 50 से 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण किये हुये है जबकि 26 प्रतिशत उत्तरदाता, कक्षा 9वीं से 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण किये हुये है।

तालिका क्रमांक 4: परिवार के व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण

N= 50

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि	28	56.00
2.	मजदूरी	22	44.00
	योग	**50**	**100**

विश्लेषण : उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कि जिसमें सर्वधिक 56 प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है शेष 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार के लोग मजदूरी कार्य में संलग्न हैं।

तालिका क्रमांक 05 : परिवार की मासिक आय

N= 50

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	1000-2000	08	16.00
2.	2000-4000	33	66.00
3.	4000-6000	09	18.00
4.	6000 से अधिक	00	00.00
	योग	**50**	**100**

विश्लेषण : उपरोक्त सारणी से परिवार की मासिक आय को प्रदर्शित कर रही है, जिसमें 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 1000 से 2000 के बीच है तथा सबसे कम 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 2000 से 4000 के बीच है शेष 18 प्रतिशत उत्तराताओं की मासिक आय 18 प्रतिशत है। अत: स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं की मासिक आय 2000 से 4000 के बीच है।

तालिका क्रमांक 06: राशनकार्ड की उपलब्धता

N= 50

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	ए.पी.एल.	25	50.00
2.	बी.पी.एल.	14	28.00
3.	अन्त्योदय	06	12.00
4.	नहीं बना	05	10.00
	योग	**50**	**100**

विश्लेषण : उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास ए.पी.एल. राशनकार्ड है, 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास बी.पी.एल. राशनकार्ड है, 12प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास अन्त्योदय राशनकार्ड है शेष 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं का किसी भी प्रकार का कोई राशनकार्ड नहीं बना है।

तालिका क्रमांक 07: आवास के आधार पर वर्गीकरण

N= 41

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	कच्चा	28	68.29
2.	पक्का	03	7.32
3.	मिश्रित	10	24.39
	योग	**41**	**100**

विश्लेषण : उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 68.29 प्रतिशत उत्तरदाता कच्चे आवास में निवास कर रहे है 7.32 प्रतिशत उत्तरदाता पक्के आवास में निवास कर रहे हैं शेष 24.39 प्रतिशत उत्तरदाता मिश्रित आवास बनाकर निवास कर रहे है। अत: स्पष्ट है सर्वाधिक उत्तरदाता कच्चे आवास मेंनिवास कर रहे है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये है:

1. अध्ययन में सर्वाधिक 48 प्रतिशत किशोरियों पिछड़ा वर्ग के पाये गये है।
2. अध्ययन में सर्वाधिक 60 प्रतिशत उत्तरदाता 13 से 15 आयु वर्ग की पायी गयी।
3. अध्ययन में सर्वाधिक 74 प्रतिशत उत्तरदाता कक्षा 5 से 8 वीतक की शिक्षा ग्रहण कर रही है।
4. अध्ययन में सर्वाधिक उत्तरदाताओं के परिवार में कृषि कार्य होता है।
5. अध्ययन में सर्वाधिक परिवार की मासिक आय 2000-4000 के मध्य पायी गयी है।
6. सर्वाधिक 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास ए.पी.एल. कार्ड उपलब्ध है।
7. सर्वाधिक 68.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास कच्चा आवास पायागया।
8. अध्ययन क्षेत्र में 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं के घरों में लकड़ी केमाध्यम से ईंधन का प्रयोग किया जाता है।
9. सर्वाधिक 78 प्रतिशत उत्तरदाता पेयजल हेतु सरकारी नलों का प्रयोग करते हैं।
10. सर्वाधिक 52 प्रतिशत उत्तरदाता शौचालय का प्रयोग करते हैं।
11. अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक 60 प्रतिशत किशोरियों को माहवारी होती है।
12. अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक 40 प्रतिशत किशोरियाँ किशोरावस्था मेंबदलाव का सर्वाधिक कारण चिंता है।

सुझाव:

1. गैर सरकारी संगठन एवं शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को इस प्रकार परामर्श दिया जाए एवं शिक्षित किया जाये कि अपने बच्चो स्कूल मे एवं उच्च शिक्षा प्रदान करवाये।
2. मजदूरी वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये सामाजिककार्यकर्ता द्वारा यह परामर्श दिया जाये कि वे शासन द्वारा संचालित सुविधाओं एवं योजनाओं का भरपूर लाभ उठायें।
3. आंगनवाड़ी एवं ए.एन.एम. द्वारा गांव में जाकर किशोरी और उसकी मॉ को परामर्श दे ताकि किशोरी मासिक धर्म से संबंधित समस्याओंके बारे में मॉ से खुलकर चर्चा करें एवं डॉक्टर से सलाह ले।
4. जगनवाड़ी एवं ए.एन.एम. द्वारा समस्याग्रस्त किशोरियों को चिन्हित करके, शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराये एवं जिला चिकित्सालय के योग्य एवं अनुभवी चिकित्सकों की सलाह लेकर उनका उचित उपचार करायें।
5. किसी भी आपत्तिजनक घटना को किशोरियों अपने माता-पिता से चर्चाकरे एवं सतर्क रहें और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस से सम्पर्ककरें।
6. समस्याग्रस्त किशोरियाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बन्धित डॉक्टरों की सलाह लें।
7. सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनो द्वारा किशोरियों को व्यक्तिगतसाफ-सफाई हेतु समय-समय पर जानकारी उपलब्ध कराना चाहिये।
8. आंगनवाड़ी एवं ए.एन.एम. द्वारा किशोरियों को उनके शरीर में होने वाले बदलाव को खुलकर उनकी समझ बनाना ताकि वह भटकाव से बच सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. बाल मनोविज्ञान बाल विकास, प्रीती वर्मा, डी. एन. श्रीवास्तव,अग्रवाल पब्लिकेशन।
2. अधिगम एवं विकास के मनोसामाजिक आधार, डी. पी. सिंह, तेलंग अमृतांशु प्रकाशवेद, रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर।
3. भारत में महिलाएं, साख्यिकीय प्रोफाइल, राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान,S-सीरी इंस्टीट्यूशन एरिया, हौज खास नई दिल्ली।
4. महिला विकास कार्यक्रम, डॉ. आशुरानी, सचदेव जे.के., महिला एवं बाल विकासविभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

पुलिस प्रशासन एवं सामाजिक सामंजस्य

डॉ. राजेश त्रिपाठी* कृष्णपाल सिंह परमार **

* एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (समाजशास्त्र) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – समाज में कानून व व्यवस्थाओं को बनाऐ रखने का दायित्व पुलिस प्रशासन का है इसके लिए पुलिस को नागरिको के सहयोग की आवश्यकता होती है। कई बार पुलिस एवं नागरिको के मध्य तनाव व मतभेद की घटनाऐं घटित होती है। जिसके लिए तत्कालीन परिस्थिति, काल, देश, व अन्य विभिन्न कारक उत्तरदायी है।

पुलिस प्रशासन व नागरिको के मध्य तनाव के पीछे इतिहासिक, राजनैतिक, मानसिक परिस्थितियां उत्तरदायी है। समाज में कानून व्यवस्था को बनाऐ रखने के लिए पुलिस के द्वारा जनता के विरूद्ध कठोर निर्णय लेने पड़ते है, जो समाज में अशांति, आस्थिरता, असुरक्षा तथा अविश्वास की भावनाओं को बढ़ाती है।

शब्द कुंजी– अनुछेद, अधीनियम, सामंजस्य, TADA, POTA.

प्रस्तावना – पुलिस प्रशासन एवं समाज के मध्य सामंजस्य को परिभाषित करने के लिए कोई आदर्श परिभाषा उपलब्ध नहीं है। ये संबंध देश, काल,परिस्थिति एवं अन्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। राज्य में कानून व व्यवस्थओं को सुचारू रूप से बनाऐ रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर है। किन्तु इस दायित्व के निर्वाहन के लिए पुलिस को जनता के सहयोग की आवश्यकता है। बदलते समय में न केवल अपराध व अपराधी आधुनिक हुए है वहीं पुलिस पर इनकी रोकथाम व समाज में सद्भाव को बनाऐ रखने की जिम्मेदारी भी है। इसके लिए कई बार पुलिस प्रशासन द्वारा जनता के विरूद्ध कठोर निर्णय लेने पड़ते है जो दानों के मध्य तनाव व अविश्वास को बढ़ता है।

कुछ न्यायविदों द्वारा इस अवधारणा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। Redelet के अनुसार पुलिस पब्लिक रिलेशन पब्लिक का मतलब पुलिस और जनता के पारिस्परिक रवैये और पुलिस अपेक्षित और निष्पादित कार्यो के लिए सामान्य जन संपर्क समुदायिक सेवाओं और सामुदायिक भागादारी को शामिल करना है। वर्तमान समय में बदलते वैश्विक प्रतिमानों के दौरान के समय अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति एवं स्वरूपों ने (साइबर अपराध, मानव तस्करी एवं मादक पदार्थ) पुलिस की जिम्मेदारी को बढ़ाया है। बदलते समय में पुलिस की कार्य पद्धति व जिम्मेदारियों में परिवर्तन आया है पुलिस का कार्य कानून व व्यवस्था से बढ़ कर समाज में नैतिक दायित्वों के प्रति जिम्मेदार बनाया है।

पुलिस प्रशासन का इतिहास – भारत में पुलिस प्रशासन की अवधारणा वैदिक काल से चली आ रही जिनके उल्लेख ग्रंथों व शिला लेखों में मिलता है। मौर्य काल में (324BC&183BC) चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य संचालन के लिए पुलिस की स्थापना पुलिस की स्थापना, संचालन व नियनतर्ण व कर्तव्यों का वर्णन किया है। मुगल एवं सलतनत काल में भी पुलिस व्यवस्था के समान एक इकाई कार्यरत रही है। किन्तु तत्कालीन समय तक ये इकाईयां सेना का अंग होती थी जो युद्ध आदि स्थिति में सीमा पे कार्य करती थी।

वर्तमान पुलिस प्रशासन का ढांचा सर्वप्रथम ब्रिटिस काल के दौरान तैयार हुआ। ब्रिटिस शासन ने भारत में '1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम' के द्वारा पुलिस प्रशासन के व्यवस्थित रूप रेखा रखी। जिसमें आगे सुधार करते हुए लार्ड कार्नवालिस द्वारा सुधार करते हुए भारतीयों को सिविल सेवा में सम्मिलित होने का अधिकार दिया। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में पुलिस प्रशासन को संविधान की धारा 264 व 7वीं अंकसूची के अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। आजादी के 75 वर्ष पर्ण होने के बाद भी समय समय पर इसमें सुधार हेतु विभिन्न आयोगों का गठन किया जाता रहा है, नेशनल पुलिस कमीशन 1977, माली मेहता आयोग 2000 व एवं पुलिस एक्ट ड्राफटिंग आयोग 2005, इन सभी के दौरान पुलिस कार्य पद्धति, चयन प्रक्रिया एवं दायित्वों के संबंध में समय समय पर विभिन्न सुझाव दिये गये।

पुलिस प्रशासन एवं समाज के संबंध – आजादी के 75 साल बाद भी पुलिस एवं जनता के मध्य सामंजस्य व सहयोग की कमी बनी हुई है। पुलिस द्वारा अपनाऐं जाने वाले पुराने पैतरें जनता में उनके प्रति अविश्वास को बढ़ाया है इसका अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा रहा है।

1. **राजनैतिक हस्ताक्षेप–** 1967 के बाद बड़े पैमाने पर पुलिस कार्य में राजनैतिक संगठनों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया है। राजनैतिक दलों द्वारा विपक्ष को दबाने, अपराधियों को सह देने एवं गैर कानूनी गतिविधियों के संचालन आदि कार्यों में पुलिस को अपने दायित्वों के निर्वाहन से रोका गया।

इन्दिरा गांधी द्वारा 1975 में देश में आपात काल लगाकर विपक्ष एवं

जनता को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन कर अनुचित प्रयोग किया गया जो पुलिस प्रशासन की कार्य शैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया।

2. इतिहासिक कारक- 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलनकारी, स्वतंत्रता सेनानी आदि स्वितंत्रता संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम लाया गया। जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की संपत्ति की सुरक्षा करना, अभिजात वर्ग को समर्थन प्रदान करना था।

ब्रिटिश शासन के दौरान पुलिस द्वारा अमानवीय कृत्यर किऐ गऐ है जैसे किसानो से जबरन कर वसूलना, कमजोर वर्ग को प्रताड़ित करना। 13 अप्रैल 1919 में जलिया वाला गोली कांड में पुलिस बर्बरता का एक प्रमाण है। वर्तमान में आजादी के 75 वर्ष बाद भी नागरिको में पुलिस की वही बर्बरता पूर्ण छवि बनी हुई है।

3. मनोवैज्ञानिक कारक- जनता में पुलिस प्रशासन की छवि एक भ्रष्ट, गैर जिम्मेंदार संस्था है। पुलिस व नागरिको के मध्य। तनाव का एक कारण मनोवैज्ञानिक है जनता में पुलिस के प्रति पूर्व धारणा इनके सहयोग को रोकती है इसके अतिरिक्त बढ़ते अपराध के कारण पुलिस के दायित्वों में भी वृद्धि हुई है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक दिन में 15-16 घंटो से अधिक कार्य लिया जाता है, जो इनके दैनिक जीवन के साथ इनके व्यवहार को भी प्रभावित करता है, इस पर भी इनकी आय नाम मात्र की होती है।

4. मानवाधिकार और पुलिस- पुलिस द्वारा कई बार अपने दायित्वों के निर्वाहन के दौरान मानव अधिकारों का उलंघन किया जाता है, TADA (टेरिस्टे एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज) 1985, POTA (आतंकवाद निरोधी अधिानियम) 2001, जैसे कानूनों का पुलिस द्वारा गलत प्रयोग किया गया, पुलिस द्वारा निर्दोश लोगो को जेलो में बंद किया गया बिना किसी कार्यवाही के एनकाउंटर किया गया। ये घटनाऐं नागरिकों के संविधान द्वारा प्रदान किये गये मूल अधिकारो का हनन है। मानवधिकार आयोग द्वारा समय समय पर पुलिस द्वारा किये गये कार्यो की जांच की जाती है ताकि उनके द्वारा अधिकारों का अनुचित प्रयोग न किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. गोयल, भीनी, सिम्बायोसिस लॉ स्कोल पुणे- महानगरी क्षेत्र में पुलिस- सार्वजनिक संबंधो को परिभाषित करना।
2. भुयान, आसिम पुलिस एवं नागरिक संबंध, Sentinel Digital Desk, 2019
3. Sharma R.K, Singh Chranjeev, Mehta Akshat & Police Reforms In India A Critical Appraisal, Research Journal Social Sciences,Volume 16, 2008

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बालकों एवं बालिकाओं की गणितीय अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. श्रुति चव्हाण* शाहिदा सिद्दीकी **

* मार्गदर्शक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह शोध-पत्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बालकों एवं बालिकाओं की गणितीय अभिवृत्ति पर आधारित है।

आज के वैज्ञानिक युग में गणित विषय का योगदान और उसके महत्व को देखते हुए बालक-बालिकाओं के गणितीय अभिवृत्ति के अन्तर को समझने का प्रयास किया गया है। आज का विद्यार्थी भविष्य के समाज का निर्माता है, उसके व्यक्तित्व विकास की दिशा से समाज की दिशा निर्धारित होती है।

विद्यार्थी का समाज के विकास में योगदान को देखते हुए शोधार्थी द्वारा इस विषय का चयन किया गया है।

प्रस्तावना – शिक्षा के स्वरूप में उच्चतर माध्यमिक स्तर प्रधानत: एक तरह का लॉचिंग पैड है, जहाँ से विद्यार्थी को आगे कैरियर का चुनाव करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि या तो वह विश्वविद्यालयी शिक्षा प्राप्त करे या कोई अन्य शिक्षा प्राप्त करे। इस समय तक विद्यार्थी की रुचियाँ व योग्यता विस्तृत रूप से निर्धारित हो जाते हैं और इन दो वर्षों में गणित शिक्षण उनकी योग्यताओं को प्रखर बनाने में सहायता करता है। विद्यालयों में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना।

डेविड व्हीलर के अनुसार- 'बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीय अभिवृत्ति कैसे विकसित की जाए।'

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार परिवर्तन कर उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है।

किसी भी देश की प्रगति और समृद्धि उसके विज्ञान, गणित और तकनीकी के क्षेत्र के मापदण्ड से निर्धारित होता है जो युवाओं को दी जा रही शिक्षा का नतीजा है।

फ्रीमेन के अनुसार- 'प्रवणता एक योग्यता, विशेषताओं का समूह है, जो यह संकेत करता है कि व्यक्ति किस विशेष ज्ञान, योग्यता या प्रतिक्रियाओं के समूह जैसे भाषा बोलने की योग्यता, संगीतज्ञ बनने की योग्यता, यांत्रिकी कार्य करने की योग्यता का विकास करना।'

किसी व्यक्ति की गणित विषय के प्रति रुझान या झुकाव को गणितीय अभियोग्यता या गणितीय अभिवृत्ति करते हैं।

उद्देश्य :

1. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों एवं बालिकाओं की गणितीय अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बालकों एवं बालिकाओं की गणितीय अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ :

1. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बालकों एवं बालिकाओं की गणितीय अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता।
2. अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बालकों एवं बालिकाओं की गणितीय अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता।
4. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता।

विधि एवं प्रक्रिया – अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए ग्वालियर (म.प्र.) जिले के 08 विद्यालयों से 160 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

विद्यार्थियों में गणितीय अभिवृत्ति का स्तर ज्ञात करने के लिए डॉ. अली इमाम (लखनऊ) एवं डॉ. ताहिरा खातून (अलीगढ़) द्वारा निर्मित प्रमापीकृत परीक्षण MAS-IAKT Scale (Individual Assessment of Knowledge and Critical Themping) का प्रयोग किया गया है।

प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय विधियों में एक दिश प्रसरण विश्लेषण (One Way ANOVA) का प्रयोग किया गया है।

उपलब्धियाँ :

परिकल्पना क्रमांक- 1 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बालकों एवं बालिकाओं की गणितीय अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता। (तालिका क्रमांक- 2, देखें आगे पृष्ठ पर)

F-ratio तालिका के अनुसार यह स्पष्ट है कि 0.01 विश्वास स्तर पर 1 between group df और 78 within group df पर F-ratio का मान 6.9 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर F-ratio का मान 3.90 है, जबकि

तालिका क्रमांक– 2 में F-ratio का गणना द्वारा प्राप्त मान 0.7866 है, जो कि F-ratio के दोनों विश्वास स्तरों के मान से बहुत कम है।

अत: परिकल्पना दोनों विश्वास स्तरों पर सत्य सिद्ध होती है। अर्थात् दोनों समूहों में दोनों विश्वास स्तरों पर सार्थक अन्तर नहीं है।

मध्यमान के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति और बालिकाओं की गणितीय अभिवृत्ति लगभग समान है।

परिकल्पना क्रमांक– 2 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों एवं बालिकाओं की गणितीय अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता। (तालिका क्रमांक– 3, देखें आगे पृष्ठ पर)

F-ratio तालिका के अनुसार 0.01 विश्वास स्तर पर 1 between group df और 78within group df पर F-ratio का मान 6.96 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर F-ratio का मान 3.96 है। तालिका क्रमांक– 3 में F-ratio का गणना द्वारा प्राप्त मान 2.6946 है, जो कि F-ratio के दोनों विश्वास स्तरों के मान से कम है। अत: परिकल्पना दोनों विश्वास स्तरों पर सत्य सिद्ध होती है।

अर्थात् दोनों समूहों में दोनों विश्वास स्तरों पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति और बालिकाओं की गणितीय अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है। अत: मध्यमान के आधार पर हम कह सकते हैं, कि अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति और बालिकाओं की गणितीय अभिवृत्ति लगभग समान है।

परिकल्पना क्रमांक– 3 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता। (तालिका क्रमांक– 4, देखें आगे पृष्ठ पर)

F-ratio तालिका के अनुसार 0.01 विश्वास स्तर पर 1 between group df और 78 within group df पर F-ratio का मान 6.96 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर F-ratio का मान 3.96 है।

तालिका क्रमांक– 4 में F-ratio की गणना द्वारा प्राप्त मान 0.2992 है, जो कि F-ratio के दोनों विश्वास स्तरों के मान से बहुत कम है। अत: परिकल्पना दोनों विश्वास स्तरों पर सत्य सिद्ध होती है।

अर्थात दोनों समूहों में दोनों विश्वास स्तरों पर सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति में थोड़ा अन्तर पाया जाता है।

अत: मध्यमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति लगभग समान है।

परिकल्पना क्रमांक– 4 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता। (तालिका क्रमांक– 5, देखें आगे पृष्ठ पर)

F-ratio तालिका के अनुसार 0.01 विश्वास स्तर पर 1 between group df और 78 within group df पर F-ratio का मान 6.96 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर F-ratio का मान 3.96 है।

तालिका क्रमांक– 5 में F-ratio की गणना द्वारा प्राप्त मान 0.3838 है जो कि F-ratio के दोनों विश्वास स्तरों के मान से बहुत कम है।

अत: परिकल्पना दोनों विश्वास स्तरों पर सत्य सिद्ध होती है। अर्थात् दोनों समूहों में दोनों विश्वास स्तरों पर सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है।

अत: मध्यमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति लगभग समान है।

निष्कर्ष :

1. शा.उ.मा. विद्यालय क बालक–बालिकाओं और अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बालक–बालिकाओं की गणितीय अभिवृत्ति लगभग समान है।
2. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति में कुछ कम अन्तर है अर्थात् गणितीय अभिवृत्ति लगभग समान है।
3. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों की गणितीय अभिवृत्ति में कम अन्तर पाया जाता है। अर्थात् गणितीय अभिवृत्ति समान है।

सुझाव :

1. विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती। अत: विद्यालय प्रबन्धन, विषय, शिक्षक का यह दायित्व है कि विद्यार्थियों को विषय चयन करने हेतु उसकी योग्यता के अनुसार मार्गदर्शन करना चाहिए। विद्यार्थियों की गणितीय अभिवृत्ति का मूल्यांकन करते हुए उन्हें रुचि के अनुसार विषय लेने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
2. कई बार छात्र की बातें अपने माता–पिता, भाई–बहनों से नहीं कह पाते, अपने शिक्षकों से साझा करते हैं। लेकिन केवल उन्हीं शिक्षकों से जिन पर उन्हें भरोसा है।

   अत: प्रत्येक शिक्षक को अपने छात्रों से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों पर उसका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए।
3. सभी माता–पिता अपनी क्षमता से बढ़कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं।

अपने बच्चों को उच्च पदों पर आसीन देखना चाहते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब माता–पिता अपनी महत्वाकाँक्षाएँ अपने बच्चों पर थोपने लगते हैं। उनकी क्षमता योग्यता, अभिरुचि जाने बिना किसी विशेष क्षेत्र में जाने का दबाव बनाते हैं। जब स्थिति काफी बिगड़ जाती है और बच्चों का भविष्य भी दाँव पर लग जाता है।

अत: प्रत्येक पालक, शिक्षक का यह दायित्व है कि वह ऐसी स्थिति निर्मित न होने दें, जो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. शर्मा आर.ए. शिक्षा अनुसन्धान, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ
2. श्रीवास्तव डॉ. डी.एस. वर्मा, डॉ. प्रीति, शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी, साहित्य प्रकाशन, आगरा
3. https://epamsiwan.blogspot.com/2021/08/concept-of-attitude-abhivritti-ki.html?m=1

तालिका क्रमांक– 1

विद्यालय का प्रकार		विद्यालय की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
शहरी	शासकीय	02	40
	अशासकीय	02	40
ग्रामीण	शासकीय	02	40
	अशासकीय	02	40
योग		**08**	**160**

तालिका क्रमांक– 2

विद्यार्थी	मध्यमान (Mean)	Source of variance	Sum of square	df	Mean square (varience)	F-Ratio	P Value
अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालक	78.72	Between group	151.25	1	151.25	0.7866	0.3778
अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालक	75.95	Within group	14996.3	78	192.260		
	Total		**15147.55**	**79**			

तालिका क्रमांक– 3

विद्यार्थी	मध्यमान (Mean)	Source of variance	Sum of square	df	Mean square (varience)	F-Ratio	P Value
अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालक	77.67	Between group	510.05	1	510.05	2.6946	0.1471
अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बालिका	72.62	Within group	14764.15	78	189.28		
	Total		**15274.22**	**79**			

तालिका क्रमांक– 4

ंविद्यार्थी	मध्यमान (Mean)	Source of variance	Sum of square	df	Mean square (varience)	F-Ratio	P Value
शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक	76.27	Between group	57.823	1	57.82	0.2992	0.5859
ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक	77.97	Within group	193.166	78	193.166		
	Total		**15124.75**	**79**			

तालिका क्रमांक– 5

विद्यार्थी	मध्यमान (Mean)	Source of variance	Sum of square	df	Mean square (varience)	F-Ratio	P Value
शहरी क्षेत्र के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक	76.25	Between group	94.6125	1	94.6125	0.3838	0.5373
ग्रामीण क्षेत्र के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक	78.73	Within group	246.4921	78	246.4921		
	Total		**19320.99**	**79**			

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Appraisal of Sports Emotional Intelligence in Tribal Male Hockey Players of Jashpur Chhattisgarh

Raju Raj Kujur* Dr.Yuwraj Shrivastava**

*Research Scholar (Physical Education) Dr. C.V.Raman University, Bilaspur (Chhattisgarh) INDIA
** Associate Professor (Physical Education) Lovely Professional University, Phagwara (Punjab) INDIA

Abstract - The role of emotional intelligence in sports performance has been highlighted by many researchers. The present study is an effort to assess the sports emotional intelligence of tribal male hockey players in the Jashpur district of Chhattisgarh. The study area for the present study was the Jashpur district of Chhattisgarh. It is considered a Nursery of Hockey in Chhattisgarh State. In the present study, 100 male tribal hockey players were selected with selection criteria being participation in district / intercollegiate level tournaments. The average age of the male tribal hockey players was 21.69 years. A purposive sampling technique was employed for the selection of subjects. To assess sports emotional intelligence, SEIT (Sports Emotional Intelligence Test) standardized by Agashe and Helode (2008) was preferred. This test is based on Goleman's classification. This Hindi Inventory comprises 15 items of which 3 items each for tapping self-awareness, self-regulation, self-motivation, empathy and social skills respectively. This test is highly reliable as suggested through the test-retest coefficient of 0.71. The concurrent and construct validity of this test is also established through scientific methods. The result revealed that 13% of selected tribal male hockey players of Jashpur Chhattisgarh possess a high level of sports emotional intelligence and 23% had a low level of sports emotional intelligence. The majority i.e. 64% selected tribal male hockey players of Jashpur Chhattisgarh possess a moderate level of sports emotional intelligence. This fact is also verified by X^2 =43.82 at .01 level of statistical significance. It was concluded that the tribal male hockey players of Jashpur Chhattisgarh somewhat lack in sports emotional intelligence parameters and need to be trained more methodologically to improve sports emotional intelligence in them.

Keywords - Sports emotional intelligence, hockey, tribal.

Introduction - Competitive sports involve emotion and emotions are an integral part of competitiveness. Kleinginna et al. (1981) opined that the neural-hormonal system of our body mediates the subjective and objective factors that give feelings such as pleasure, anger etc.

Emotion is also related to labelling processes and gives rise to various physiological responses. Emotions are often linked to goal-directed behaviour but sometimes it disrupts performance. Studies conducted by Hanin (2012); Laborde et al. (2016) had scientifically proved the link between emotions and sports performance. These studies have shown that emotions affect sportspersons' cognitive ability, psychological functioning, perceptual abilities and neuromotor coordination. Beedie et al. (2000) reported a moderate impact of emotions on sports performance while Craft et al. (2003) reported a decrease in performance when the level of anxiety is not within the optimal zone of functioning. This led sports scientists to identify emotions and channelize them for better performance outcomes (Jekauc and Brand, 2017).

Mayer and Salovey (1997) stated that the construct of emotional intelligence is based on the reflection of emotion. According to Mayer et al. (2000), emotional intelligence is the capacity to distinguish and articulate emotion, and incorporate emotion in thought process and reasoning while regulating own emotion with others also.

The term emotional intelligence is first found in the work of Mayer and Salovey but popularized by Daniel Goleman. Goleman through his scientific work created interest in the concept of emotional intelligence. (Conte, 2005)

Goleman described emotional intelligence with the help of self-awareness, self-regulation, motivation, empathy and social skills.

The self-awareness part of EI is fully knowing the strength and weaknesses and ability of an individual to respond in certain circumstances. The knowledge of strengths and weaknesses gives the individual power of motivation and the ability to listen to meaningful advice. It also gives individual wisdom about taking help from others in a given stressful situation. Self-regulation is the second component of Goleman's concept of emotional intelligence.

With mastery of this skill, an individual becomes approachable and able to deal with stressors properly as well as create a congenial environment for other team members. Goleman described motivation as a factor of EI in a different way. Goleman described motivation as enjoying the work at hand rather than doing it for success or financial gains. Empathy is one of the core elements of emotional intelligence. It makes an individual analyze the problems from every perspective because he can understand the emotions and feelings of others thereby acting accordingly. Empathy allows an individual to shun biased views and able to become a good listener. The final component of emotional intelligence is social skills. In a team setting such as hockey a player needs to have good non-verbal communication, leadership qualities and expressiveness so that he can gel together with other team members. There are possible theories about the relation between high EI and competitive edge for a sportsperson. There is no denying that competitive sports come with full of emotions and Martinez et al., 2013 reported that psychological and emotional demands are on the rise to become an accomplished sportsperson. Laborde et al. (2015) stated that long hours of physical training and years of preparation require motivation and the athletes also have to cope with intense pressure in modern-day sport. The literature on emotional intelligence suggests that managing, regulating and understanding the emotion of oneself and others is the key to performance because the decision-making is affected by these facts. Hanin et al. (2012) in their study reported that it is essential to have a coping mechanism, tolerance and mood regulation ability for successful performance in sports and all of these have their base in emotions.

Although the potential of tribal male hockey players is considered to be immense, there is not much representation of tribal male players at the international level. This is equally true for the tribal-dominated region of Chhattisgarh where some of the pockets are considered a nursery of hockey and one among them is Jashpur. A notable hockey player from Jashpur is Vincent Lakra who represented Indian hockey in the world cup. But apart from a few selections, the tribal players from Jashpur failed to shine at the international level. Since psychological factors also play a big part in excelling in field hockey, it was decided to assess the sports emotional intelligence of tribal male players in the Jashpur district of Chhattisgarh. This will provide a scientific picture of the psychological potentiality of tribal male hockey players in the Jashpur district of Chhattisgarh.

Review of Literature:

Nanda (2001) in a study reported that tribal students had inferior mental health when compared with non-tribal students.

Agashe and Shambharkar (2014) reported significantly more hostile behaviour in tribal sportspersons as compared to non-tribal sportspersons.

Nagma Parveen (2016) reported a significant effect of gender on the emotional intelligence of hockey players. Kosta and Nayak (2019) while preparing a profile of elite players of kho-kho found that they possess a high level of sports emotional intelligence.

Deore (2021) in a study found that the female wrestlers with rural upbringing had a lower level of emotional intelligence as compared to female wrestlers with urban upbringing.

Rodriguez-Romo et al. (2021) in their study reported that experience plays a major role in managing emotions in sports and thereby more experienced athletes control their negative moods better than less experienced athletes.

Aims & Objective: The present study aimed to determine the level of sports emotional intelligence in male tribal hockey players of Jashpur Chhattisgarh.

Hypothesis: It was hypothesized that the majority of the male tribal hockey players of Jashpur Chhattisgarh will show a moderate level of sports emotional intelligence.

Methodology : The Following Methodological Steps Were Taken To Conduct The Present Study.

Sample : The study area for the present study was the Jashpur district of Chhattisgarh. It is considered a Nursery of Hockey in Chhattisgarh State. In the present study, 100 male tribal hockey players were selected with selection criteria being participation in district / intercollegiate level tournaments. The average age of the male tribal hockey players was 21.69 years. A purposive sampling technique was employed for the selection of subjects.

Tools:

Sports Emotional Intelligence Inventory:

To assess sports emotional intelligence, SEIT (Sports Emotional Intelligence Test) was standardized by Agashe and Helode (2008). This test is based on Goleman's classification. This Hindi Inventory comprises 15 items of which 3 items each for tapping self-awareness, self-regulation, self-motivation, empathy and social skills respectively. This test is highly reliable as suggested through the test-retest coefficient of 0.71. The concurrent and construct validity of this test is also established through scientific methods.

Procedure:

1. 100 male tribal hockey players from the Jashpur district of Chhattisgarh were selected with selection criteria being participation in district and intercollegiate level tournaments.
2. After taking written permission to participate voluntarily in the present study, they were subjected to SEIT of Agashe and Helode in a congenial and quiet atmosphere. - The response of each subject for every statement was marked and tabulated numerically as per the manual. After scoring the subjects were placed in high, moderate and low categories of sports emotional intelligence.

3. Scores above 201 were treated as high EI, scores between 181 to 201 were treated as moderate EI and scores below 181 were treated as low EI.
4. After classification, the Chi-square test was employed to find if there is any difference in frequency distribution in three categories of sports emotional intelligence. Result is given in table 1.

Result and Discussion

Table 1: Frequency Distribution and Chi-Square Statistics for Sports Emotional Intelligence among Tribal Male Hockey Players of Jashpur Chhattisgarh

Categories of Sports Emotional Intelligence	Frequency	Percentage (%)	X^2
High(More than 201)	13	13%	$X^2 = 43.82$ ($p<.05$)
Moderate (Between 181-201)	64	64%	
Low (Less than 181)	23	23%	
Total	100	100.0	

X^2 (df=2) = 5.99 at .05 level and 9.21 at .01 level

The distribution of tribal male hockey players based on categories of sports emotional intelligence revealed that 13% of selected tribal male hockey players of Jashpur Chhattisgarh possesses a high level of sports emotional intelligence and 23% had a low level of sports emotional intelligence. The majority i.e. 64% selected tribal male hockey players of Jashpur Chhattisgarh possesses a moderate level of sports emotional intelligence.

The calculated chi-square value of 43.82 is statistically significant at .01 level of significance and scientifically approves the result that the majority of the male tribal hockey players of Jashpur Chhattisgarh possess a moderate level of sports emotional intelligence.

Figure 1: Bar Diagram Showing Frequency Distribution Based on Categories of Sports Emotional Intelligence

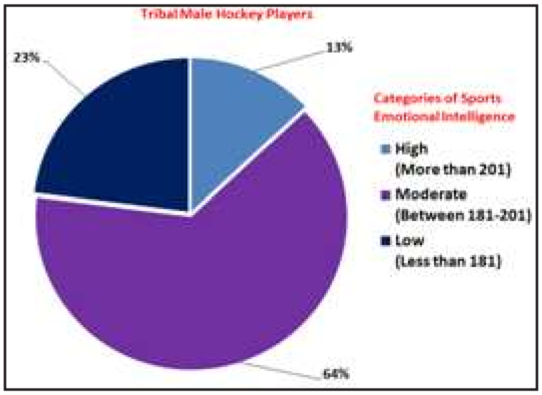

The literature on emotional intelligence suggests that it has great value as far as sports performance is concerned. This fact is verified by several scientific studies. The result of the present study revealed a moderate level of emotional intelligence in tribal male hockey players thereby not conducive to the high level of performance.

In a study conducted by Rawte (2013) it was found that the tribal male adolescent athletes of Chhattisgarh had a moderate level of self-confidence. Hence the result of the present study is consistent with previous findings that male tribal hockey players lack that extra psychological quality such as emotional intelligence for high performance.

Conclusion: It was concluded that the tribal male hockey players of Jashpur Chhattisgarh somewhat lack in sports emotional intelligence parameter and need to be trained more methodologically to improve sports emotional intelligence in them.

References:-

1. Agashe, C.D. and Helode, R.D. (2008). Sports Emotional Intelligence Test. Psycho-Scan, Vardha.
2. Agashe, C.D. and Shambharkar, K. (2014). A Comparative Study of Hostile Aggression between Tribal and Non Tribal Sportspersons. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports, Volume No.15, No.2, 112-113.
3. Beedie, C.J., Terry, P.C. and Lane A.M. (2000). The profile of mood states and athletic performance: Two meta-analyses. J. Appl. Sport Psychol.; 12:49–68.
4. Conte, J.M. (2005). A review and critique of emotional intelligence measures. J. Organ. Behav.; 26:433–440.
5. Craft, L.L., Magyar, M.T., Becker, B.J. and Feltz, D.L. (2003). The relationship between the competitive state anxiety. J. Sport Exerc. Psychol.; 25:44–65.
6. Deore, M.M. (2021). A comparative study of sports emotional intelligence between rural & urban female wrestling players of Aurangabad. International Journal of Multidisciplinary Educational Research, Vol. 10, Issue 1(1).
7. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. Bantam Books, Inc.
8. Hanin Y.L. (2012). Emotions in sport: Current issues and perspectives. In: Tenenbaum G., Eklund R.C., editors. Handbook of Sport Psychology. John Wiley & Sons; Hoboken, NJ, USA: . pp. 31–58.
9. Jekauc, D. and Brand, R. (2017). Editorial: How do Emotions and Feelings Regulate Physical Activity? Front. Psychol.7; 8:1145.
10. Kleinginna, P.R. and Kleinginna, A.M. (1981). A Categorized List of Emotion Definitions, with Suggestions for a Consensual Definition. Motiv. Emot.; 5:345–379.
11. Kosta, S. and Nayak, A. (2019). Sports emotional intelligence profile of high achiever female kho-kho players. International Education and Research Journal, Vol. 5, No. 3.
12. Laborde, S., Dosseville, F. and Allen M.S. (2016). Emotional intelligence in sport and exercise: A

systematic review. Scand. J. Med. Sci. Sports.; 26:862–874.

13. Laborde, S., Lautenbach, F. and Allen, M.S. (2015). The contribution of coping-related variables and heart rate variability to visual search performance under pressure. Physiol. Behav.; 139:532–540.
14. Martínez, A., Moya-Faz, F.J. and Garcés de Los Fayos Ruiz E.J. (2013). Inteligencia emocional y deporte: Situación actual del estado de la investigación. Cuadernos de Psicología del Deporte. 2013;13:105–112.
15. Mayer, J.D. and Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence. In: Salovey P., Slyter P.S.D., editors. Emotional Developement and Emotional Intelligence: Educational Implications. Basic Books; New York, NY, USA, pp. 3–31.
16. Mayer, J.D., Salovey, P. and Caruso, D.R. (2000). Models of emotional intelligence. In: Sternberg R.J., editor. Handbook of Intelligence. Cambridge University Press; Cambridge, UK: 2000. pp. 396–420.
17. Nagma Parveen (2016). Emotional intelligence between male and female Hockey players: A psychological study. International Journal of Physical E ducation, Sports and Health 2016; 3(6): 60-62.
18. Nanda, A. K. (2001). Mental health of high school students: a comparative study. Ind. Psych. Rev., 56 (1) : 2-7.
19. Rawte, B.R. (2013). Self confidence profile of tribal male adolescent athletes of Chhattisgarh. International Journal of Creative Research Thoughts, Vol. 1, Issue 3, 782-785.
20. Rodriguez-Romo, G., Blanco-Garcia, C., Diez-Vega, I. and Acebes-Sanchez, J. (2021). Emotional Intelligence of Undergraduate Athletes: The Role of Sports Experience. Front. Psychol., 28

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

छिन्दवाड़ा जिले में जल जीवन मिशन स्कीम की उपयोगिता का अध्ययन

जिन्सा रानी मरकाम *

*शोधार्थी, शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – जल जीवन मिशन की शुरूआत भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2019 को की गयी। देश के लगभग 50 प्रतिशत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ अभी भी लोगों को पानी की समस्या होती है, उन क्षेत्रों में पीने के पानी को पहुँचाने के लिए इस स्कीम का शुभारम्भ किया गया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति विभाग के आँकड़ों के अनुसार अभी तक 18.33 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी राज्यों के ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना है। बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ पानी जैसी समस्या भी बढ़ती जा रही है, ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है और लोगों को कई किमी. दूर पैदल चलकर जल लाना पड़ता है। जल की कमी से किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को देख कर सरकार ने जल जीवन मिशन स्कीम (JJM स्कीम) की शुरूआत की है। इस मिशन के अनुसार जिन इलाकों में शुद्ध जल नहीं है, वहाँ हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से जल पहुँचाया जाएगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए उन लाभार्थियों को पात्र माना जाएगा जिनके घर में पानी का कनेक्शन नहीं है।

शब्द कुंजी – जल जीवन मिशन स्कीम (JJM स्कीम), हर घर जल, नल कनेक्शन, स्कूल (पाठशाला), आँगनवाड़ी।

प्रस्तावना – भारत में कुल घरों की संख्या 19,31,99,823 है। जल जीवन मिशन की कार्यालय वेबसाइट 2022 के आँकड़ों के अनुसार अब तक देश के 9,45,47,334 परिवारों तक जल कनेक्शन पहुँच चुका है, जो की निर्धारित लक्ष्य का लगभग 48.94 प्रतिशत है। 15 अगस्त 2019 में नल कनेक्शन वाले घर की स्थिति 3,23,62,838 (16.75 प्रतिशत) थी। मिशन के शुभारंभ के बाद कुल प्रदान किये गये नल कनेक्शन की कुल संख्या 6,21,84,496 (32.19 प्रतिशत) हो गयी। हमारे देश में अभी बचे हुए 51 प्रतिशत परिवारों तक पेयजल सुविधा पहुँचाने पर काम चल रहा है। केन्द्र के अहम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के तहत राज्य में हर घर तक नल से जल पहुँचाया जाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगभग 3600 छोटी-बड़ी जल योजनाओं पर अभी तक युद्धस्तर पर काम चल रहा है।

अध्ययन क्षेत्र : छिन्दवाड़ा जिला भारत में मध्यप्रदेश राज्य के जिलों में से एक है। जिला जबलपुर संभाग का हिस्सा है। छिन्दवाड़ा जिला मध्यप्रदेश राज्य में क्षेत्रफल (11,815 वर्ग कि.मी.) में प्रथम स्थान पर है, और राज्य के क्षेत्रफल का 3.85 प्रतिशत है। जिले में कुल 13 तहसील तथा 11 विकासखण्ड हैं, जिसमें ग्राम पंचायत 808 तथा कुल 1985 ग्राम हैं। जिले का गठन 1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश राज्य के गठन के साथ किया गया। यह जिला सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में स्थित है। दक्षिण में जिले की सीमा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर एवं अमरावती जिले के मैदानी भाग से लगती है एवं उत्तर में नर्मदा घाटी में स्थित होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले इसकी सीमा बनाते है। पश्चिम और पूर्व में क्रमश: बैतूल तथा सिवनी जिला स्थित है।

छिन्दवाड़ा जिले का विस्तार सतपुड़ा पठार के दक्षिण-पश्चिम में $21^{0}28'00''$ से $22^{0}49'00''$ उत्तरी अक्षांश तथा $78^{0}14'30''$ से $79^{0}24'20''$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित हैं. इस जिले की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 104 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण का विस्तार 136 किलोमीटर है। जो समुद्र सतह से 1164 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

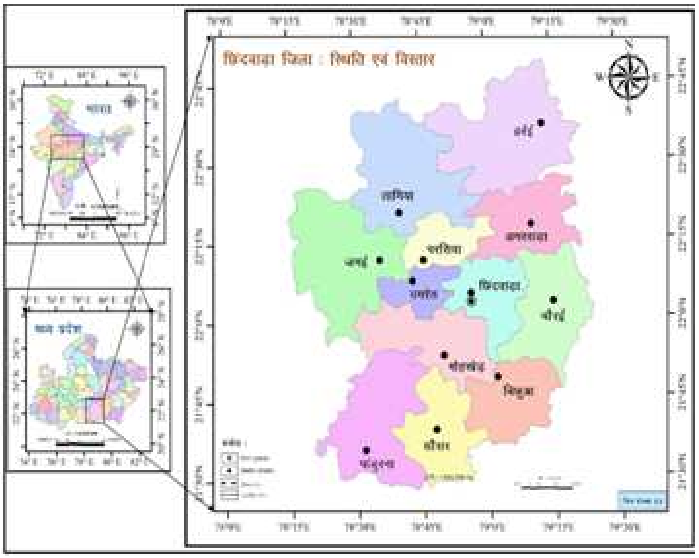

उद्देश्य :

1. जिले में नल जल योजना से नल कनेक्शन देने के रूप में वार्षिक प्रगति दर्शाना है।
2. जिले में शालाओं और आँगनवाड़ियों में नल कनेक्शन से जल कार्य

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

की प्रगति की स्थिति को जानना है।

आँकड़ों का संकलन एवं विधितंत्र : अध्ययन क्षेत्र के जल जीवन मिशन हर घर जल के अध्ययन के लिए द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक आँकड़े व्यक्तिगत पर्यवेक्षण द्वारा एकत्रित किये गये हैं। द्वितीयक आँकड़े पेयजल और स्वच्छता विभाग एवं जल शक्ति विभाग की विभागीय वेबसाइट, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छिन्दवाड़ा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छिन्दवाड़ा द्वारा आयोजित कार्यशाला, जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, जल संसाधन पुस्तिका भोपाल, छिन्दवाड़ा जिले से संबंधित वेबसाइट एवं समाचार पत्र-पत्रिकाओं आदि से प्राप्त किये गये हैं। इनके माध्यम से प्राप्त आँकड़ों का सारणीयन वर्गीकरण कर आवश्यक सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर विश्लेषण किया है।

अध्ययन क्षेत्र में जल जीवन मिशन की स्थिति का वर्गीकरण : छिन्दवाड़ा जिले में कुल आवासीय घरों की संख्या 3,86,609 है, जो हमारे देश के कुल ग्रामों का 0.20 प्रतिशत तथा मध्यप्रदेश के कुल ग्रामों का 3.17 प्रतिशत है। जिले में 15 अगस्त 2019 की नल कनेक्शन वाले घरों की संख्या 87,783 (22.71 प्रतिशत) थी। इस मिशन के शुभारंभ के बाद कुल प्रदान किए गये नल कनेक्शन की संख्या 72,284 (18.70 प्रतिशत) तथा 23 अप्रैल 2022 के अनुसार जिले में नल कनेक्शन की संख्या 1,60,067 (41.40 प्रतिशत) है। छिन्दवाड़ा जिले में अभी बचे हुए 2,26,542 (58 प्रतिशत) परिवारों तक पेयजल सुविधा पहुँचाने पर काम चल रहा है। केन्द्र सरकार के अहम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के तहत राज्य के जिले में हर घर तक नल से जल पहुँचाया जाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिले में लगभग 700 छोटी-बड़ी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नल-जल योजनाओं पर अभी तक काम चल रहा है। जिसमें कुल लागत अभी तक लगभग 22,860.67 लाख रूपये आबंटित हुई है।

तालिका क्रमांक : 1.1 मध्यप्रदेश एवं जिला छिन्दवाड़ा : जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की वार्षिक प्रगति (2019-2022)

क्र.	जल जीवन मिशन प्रगति वर्ष	म.प्र. राज्य	प्रतिशत	छिन्दवाड़ा जिला	प्रतिशत
1	15 अगस्त 2019	13,53,151	11.07	87,783	22.71
2	2020	17,72,303	14.49	89,761	23.22
3	2021	43,77,092	35.80	1,32,786	34.35
4	23 अप्रैल 2022	49,03,626	40.10	1,60,067	41.40
5	कुल बचे हुये घर 2022-2024	73,24,241	59.90	2,26,542	58.60
6	कुल नल कनेक्शन घरों की संख्या	122,27,867	100.00	3,86,609	100

स्त्रोत:जल जीवन मिशन पुस्तिका,पी.एच.ई विभाग, जिला छिन्दवाड़ा - 2021 एवं जल जीवन मिशन, डाशबोर्ड (www.jjm.gov.in)

उपर्युक्त तालिका क्रमांक 1.1 में मध्यप्रदेश राज्य एवं छिन्दवाड़ा जिला में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की वार्षिक प्रगति (2019-2022) को प्रदर्शित किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य में जल जीवन मिशन के तहत कुल नल कनेक्शन घरों की संख्या 122,27,867 है एवं छिन्दवाड़ा जिले में जल जीवन मिशन के तहत कुल नल कनेक्शन घरों की संख्या 3,86,609 है। वर्ष 2019 में मध्यप्रदेश राज्य में नल कनेक्शन की संख्या 13,53,151 (11.07 प्रतिशत) तथा छिन्दवाड़ा जिले में नल कनेक्शन की संख्या 87,783 (22.71 प्रतिशत) थी। 23 अप्रैल 2022 में मध्यप्रदेश राज्य में नल कनेक्शन की संख्या 49,03,626 (40.10 प्रतिशत) तथा छिन्दवाड़ा जिले में नल कनेक्शन की संख्या 1,60,067 (41.40 प्रतिशत) हो गई।

अत: मध्यप्रदेश राज्य में कुल बचे हुये नल कनेक्शन घरों की संख्या 73,24,241 (59.90 प्रतिशत) तथा छिन्दवाड़ा जिले में कुल बचे हुये नल कनेक्शन की संख्या 2,26,542 (58.60 प्रतिशत) है।

8. जिले में स्कूल एवं आँगनवाड़ियों की स्थिति : इसके अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले के स्कूल एवं आँगनवाड़ियों में नल कनेक्शन की स्थिति को तालिका क्रमांक 1.2 में दर्शाया गया है-

तालिका क्रमांक : 1.2 छिन्दवाड़ा जिला : स्कूल एवं आँगनवाड़ियों में नल कनेक्शन की स्थिति (2020-2022)

क्र.	वर्ष	आँगनवाड़ी की संख्या	प्रतिशत	स्कूल की संख्या	प्रतिशत
1	अक्टूबर 2020	684	21.30	473	22.43
2	अप्रैल 2021	1146	35.68	947	44.92
3	अप्रैल 2022	1603	49.92	993	47.10
4	कुल बचे हुये 2022-2024	1608	50.08	1115	52.90
5	कुल संख्या	3211	100	2108	100

स्त्रोत: जल जीवन मिशन पुस्तिका,पी.एच.ई विभाग, जिला छिन्दवाड़ा - 2021 एवं जल जीवन मिशन, डाशबोर्ड (www.jjm.gov.in)

उपर्युक्त तालिका क्रमांक 1.2 में छिन्दवाड़ा जिले के स्कूल एवं आँगनवाड़ियों में नल कनेक्शन की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आँगनवाड़ियों की कुल संख्या 3211 तथा जिले में स्कूलों की कुल संख्या 2108 है। जिले की क्रमशः वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में नल कनेक्शन वाली आँगनवाड़ियों की संख्या 684, 1146 एवं 1603 है जिसका प्रतिशत क्रमशः बढ़ते क्रम में 21.30, 35.68 एवं 49.92 है। तथा नल कनेक्शन वाले स्कूल की संख्या क्रमशः वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में 473, 947 एवं 993 है, जिसका प्रतिशत क्रमशः बढ़ते क्रम में 22.43, 44.92 एवं 47.10 प्रतिशत है।

अत: जिले में 23 अप्रैल 2022 से 2024 तक नल कलेक्शन के लिए कुल बची हुई आँगनवाड़ियों की संख्या 1608 (50.08 प्रतिशत) तथा नल कलेक्शन के लिए कुल बचे हुये स्कूलों की संख्या 1,115 (52.90 प्रतिशत) है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन से लाभ : अध्ययन क्षेत्र छिन्दवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन से निम्नलिखित लाभ हैं-

1. ग्रामीण समुदायों (विशेषकर महिलाओं) के जीवन स्तर में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए हर बार घर के लिए पानी लाना और कभी दूसरे लोगों के नलकूपों से भी पानी भरकर लाना एक समस्या बनी हुई थी, जिसके लिए अक्सर या हमेशा की तरह 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। कई बार इन नलकूपों के मालिक अपने नलकूपों से पानी भरने से मना कर देते हैं। कभी-कभी असहज स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे तकरार और यहाँ तक कि हाथापाई भी हो जाती है। हर बार गाँव की महिलाओं को ही समस्या का सामना करना पड़ता था।

2. ग्रामीण परिवार को निर्धारित शुल्क पर नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता से पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति को 55 ली. के मान से पेयजल आपूर्ति घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्राप्त होगा।
3. ग्रामीण परिवार को जहाँ पेयजल जल में फ्लोराइड, टी.डी.एस, नाइट्रेट एवं आयरन, खारापन की अधिकता बाधा बनी हुई थी, वहाँ इस समस्या से निजात पाया जा सकेगा।
4. ग्रामीण स्वच्छता एवं पेयजल आपूर्ति में कई संस्थानों की सहभागिता होती है, जैसे-ग्रामसभा, ग्रामपंचायत इत्यादि। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य जल समिति/ग्राम जलापूर्ति समिति का होता है। जो ग्राम पेयजल सुरक्षा हेतु नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन रख-रखाव एवं प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी है, जिसमें एक प्रमुख दायित्व जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा निगरानी है।
5. अशुद्ध जल रोगाणु संक्रमण व अस्वच्छता जनित अनेक रोगों जैसे-डायरिया (दस्त), पेचिश, हैजा, टायफाइड आदि का कारण है। भूजल स्त्रोतों में फ्लोराइड एवं आर्सेनिक की अधिकता से फ्लोरोसिस एवं आर्सेनिक डर्मेटायटिस रोग भी उत्पन्न होने लगे हैं। वर्तमान में इन सभी समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया गया है।
6. गर्मियो के दौरान भी हर घर को और पशुओं तक शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति की जा सकेगी।
7. सभी पंचायतों एवं जल समिति में विभिन्न जल संबंधी गतिविधियों में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने हेतु बेहतर परिणाम एवं रफ्तार से काम करने योग्य बनाया जा रहा हैं।

निष्कर्ष : जल हम सभी के जीवन से प्राण की तरह जुड़ा हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल स्त्रोतों को विभिन्न उपायों जैसे कि वर्षा जल संचयन, आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स आदि के सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया जाता है। स्त्रोतों को निरंतरता प्रदान करने के उपायों में डेडिकेटेड बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स, वर्षाजल संचयन से रिचार्ज, मौजूदा जल भंडारों आदि के पुनरूद्धार, वॉटरशेड/स्प्रिंगशेड पद्धति का उपयोग, विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस आदि शामिल हैं। जल शक्ति अभियान-'कैच द रैन' देशभर में जल संरक्षण के लिए की गई एक और पहल है।

बेहतर रिचार्ज के लिए खासकर शुष्क और अर्ध-शुष्क इलाकों में राज्य सरकार के द्वारा मौजूदा नहरों के जाल को सुदृढ़ करना, विस्तार एवं नई नहरों का निर्माण करना है, ताकि वर्षा के मौसम में जलाशयों/बाँधों से बाढ़ के नियंत्रण के अतिरिक्त जल को तालाबों/झीलों आदि तक स्थानांतरित किया जा सके तथा भूजल को भी रिचार्ज किया जा सके।

अनेक क्षेत्रों पर कार्य की प्रगति और उनकी क्वालिटी, पेयजल आपूर्ति की नियमितता, स्थानीय समुदाय, खासकर ग्राम पंचायत/जल समिति की भागीदारी, सिंगल विपेज स्कीम में स्त्रोतों की निरंतरता आदि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तत्काल उपचारात्मक कदम उठाएँ ताकि मिशन से जुड़े कार्यो को निर्बाध रूप से पूरा किया जा सके, इसके लिए यह जरूरी है, कि प्रत्येक निर्माण स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड लगें हों, जिनमें वहाँ चल रहे जल आपूर्ति कार्यों का पूरा विवरण, लागत का अनुमान एवं प्रदान किए जाने वाले नल कनेक्शनों की संख्या तथा ठेकेदार, पी.एच.ई. विभाग इंजीनियर, ग्राम पंचायत/जल समिति के अध्यक्ष की जानकारी आदि शामिल हो। कार्यान्वयन एजेंसियों को बिलों का भुगतान करने के लिए थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाए, जिसमें ग्राम पंचायत/जल समिति के प्रतिनिधि भी शामिल हों। प्रत्येक गाँव को हर घर जल घोषित करने के लिए उसका औपचारिक रूप से प्रमाणीकरण हो, जिसके लिए ग्राम सभा बुलाई जाए और यह प्रस्ताव पारित किये जाएँ, कि इस गाँव के प्रत्येक घर और सार्वजनिक संस्थान में नल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति हो रही है। इसके लिए सभी राज्यों से आग्रह किया गया था कि वे पंचायती राज दिवस के दिन 24 अप्रैल से यह प्रक्रिया प्रारम्भ कर दें। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक सेचुरेटेड गाँवों का प्रमाणीकरण पूरा न हो जाए तथा उसे आईएमआईएस पर अपलोड न कर दिया जाए। संबंधित एजेंसियाँ किसी भयंकर सूखे का पूर्वानुमान लगाती हैं, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तय मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का अनुपालन किया जाना होगा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को उम्मीद है, कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, पंचायती राज संस्थाएँ, आईएसए, सेक्टर पार्टनर्स, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ, केआरसी, और अन्य हितधारक 2022-24 के दौरान कार्यों की गति में तीव्रता लाएंगें तथा पूर्ण समन्वय के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएंगें, ताकि 'हर घर जल' के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. जल जीवन मिशन: विकिपीडिया-एक मुक्त ज्ञानकोश (wikipedia.org)
2. www.jjm.gov.in
3. जिला छिन्दवाड़ा सांख्यिकी पुस्तिका-2018,2020
4. जिला सेन्सस पुस्तिका-2011
5. जल जीवन मिशन पुस्तिका,पी.एच.ई विभाग, जिला छिन्दवाड़ा - 2021
6. जल जीवन मिशन, डाशबोर्ड (www.jjm.gov.in)
7. द्विवेदी, धीप्रज्ञ (2017) पेयजल और ग्रामीण स्वच्छता को प्राथमिकता : कुरूक्षेत्र, इण्डिया वॉटर पोर्टल हिन्दी।
8. श्रीवास्तव, रामनारायण (2019) जल जीवन मिशन : हिन्दुस्तान, इण्डिया वॉटर पोर्टल हिन्दी।
9. भट्ट, हिमांशु (2020) बिहार में केवल 1.1 प्रतिशत घरों को ही मिल रहा नल से जल : इण्डिया वॉटर पोर्टल हिन्दी।
10. बरोका, अरूण (2022) जल जीवन संवाद : अप्रैल पुस्तिका, नई दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Analysis of Consumer Behavior and Marketing

Dr. Balmukund Baghel *

***Principal, Govt. Polytechnic College, Narsinghpur (M.P.) INDIA**

Abstract - This paper explores the analysis of consumer behavior and marketing The behavior displayed by consumers in the search, purchase, use, evaluation and disposal of products and services that will meet their needs. Consumer behavior is influenced by various factors like personal, environmental and decision making. And these factors can be helpful for marketers in their marketing. The vision of a successful business can be realized only when the businessman or entrepreneur is able to understand the consumer behavior correctly and formulate a sales strategy by giving top priority to the consumer.
Keyword- Consumer behavior, marketing, strategies, Factors.

Introduction - Business and consumer are complementary to each other, both cannot be seen in isolation. If one is separated then the other becomes incomplete. Where the most important requirement of the businessman after the establishment of the business is to attract the consumer to buy his product, to add more and more consumers to retain them, on the other hand the consumer is looking for such a product which will be useful for him. as well as available at a reasonable cost and which are easy to use and have the desired quality and satisfy him, those products should suit his fashion, interest. In other words, giving priority to the consumer is the means of survival of the business. The customer is also given the status of God, so it becomes necessary that the businessman should make or sell the goods keeping in mind his customer's interest, fashion demand, his need. And for this it is necessary that he understands the behavior of his consumer.

what is consumer behavior- Consumer behaviour is the study of individuals, groups, or organizations and all the activities associated with the purchase, use and disposal of goods and services. Consumer behaviour consists of how the consumer's emotions, attitudes and preferences affect buying behaviour. Consumer behaviour emerged in the 1940–1950s as a distinct sub-discipline of marketing, But in today's time it has become the most essential part of marketing, if you want to succeed as an entrepreneur or businessman, then first collect the necessary information for the behavior of your target customer, analyze them, then only move forward.

The study of consumer behaviour formally investigates individual qualities such as demographics, personality lifestyles, and behavioural variables (such as usage rates, usage occasion, loyalty, brand advocacy, and willingness to provide referrals), in an attempt to understand people's wants and consumption patterns. Consumer behaviour also investigates on the influences on the consumer, from social groups such as family, friends, sports, and reference groups, to society in general (brand-influencers, opinion leaders). Research has shown that predicting consumer behavior is a difficult task, as consumer behavior varies from person to person, even to marketing experts; However, new research methods, such as ethnography, consumer neuroscience, and the use of information technology tools such as machine learning, big data analysis, have simplified this task to some extent, and work is being done in this area day by day .

Consumer Behavior - Marketing Strategies - Marketing strategies are generally based on prevailing implicit beliefs about consumer behavior. Decisions based on clear assumptions and sound theory and research are more likely to be successful on the ground and in daily lifeGreater knowledge and experience of consumer behavior can be a significant competitive advantage when designing marketing strategies. Because planning is done, it can reduce the chances of wrong decisions and failure in the market to a great extent. Theories of consumer behavior are useful in many areas of marketing, some of which are listed below -

Analyzing Market Opportunity- Consumer behavior helps in identifying the unfulfilled needs and wants of consumers. This requires scanning the trends and conditions operating in the market area, customer's lifestyles, income levels and growing influences.

Target market selection- Scanning and evaluation of

market opportunities helps in identifying different consumer segments with different and exceptional needs and requirements. Learning to identify these groups, making buying decisions, enables the marketer to design products or services as per the requirements.

Illustration - Consumer studies show that many existing and potential shampoo users do not like bottle packing which is expensive but they want a shampoo pack that can be used once or twice and is less costly as Rs.1 or 02. Available in packs that can be used as per the requirement. Companies started working in this direction and 01 or 02 rupees pouches landed in the market and this strategy was successful and it got wide support from customers and companies increased shampoo sales, they got desired returns

Marketing mix decision- Once the unmet needs and wants of the consumer are identified, the marketer has to determine the exact mix of the four P's, i.e. product, price, place and promotion.

Promotion- Promotion is the most successful medium of influencing consumer behavior, advertising is the most successful medium to connect with the consumer, which includes using all the channels available in the market ranging from digital marketing, personal selling, sales promotion, promotion and direct marketing and sales

Marketers have to decide which would be the most popular and suitable method to reach the consumers effectively. Should it be advertising alone or should it be combined with sales promotion techniques? The company should know its target consumers, their location, their taste, interest, fashion, demand preferences and accordingly choose the medium keeping in mind the consumer which media they have access to, lifestyle etc.

Factors Influencing The Consumers' Behaviour - Marketers need to know that what are the factors that influence consumer behavior the most and should prepare their strategy keeping this in mind, many factors affect consumer behavior, which is not possible to be bound within any limits, yet some commons Factors that should be taken into account in particular are -

1. Psychological Factors
2. Social Factors
3. Cultural Factors
4. Personal Factors
5. Economic Factors

1. Psychological Factors - If analyzed psychologically, there are some common things which affect every consumer like Motivation, Perception, Learning, Attitude and Belief.

i. Motivation -When a person is motivated enough, it influences the buying behaviour of the person. A person has many needs such as the social needs, basic needs, security needs, esteem needs and self-actualization needs. Out of all these needs, the basic needs and security needs take a position above all other needs. Hence basic needs and security needs have the power to motivate a consumer to buy products and services

ii. Perception -Consumer perception is a major factor when the consumer sees the advertisement of a product in television, newspaper, social media and the information he receives gives rise to an impression about the product in his mind. that influence consumer behavior. Hence consumer perception has a great influence on the buying decision of the consumers.

iii. Learning -When a person buys a product, using that product creates an image in his mind that how useful that product really is. Learning through experience comes over a period of time. A consumer's learning depends on skill and knowledge. While a skill can be acquired through practice, knowledge can only be acquired through experience.

iv. Attitude and Belief. -Consumers have certain attitudes and beliefs that influence the purchase decisions of the consumer. Based on this approach, the consumer behaves in a particular way towards a product. This attitude plays an important role in defining the brand image of a product. Therefore, marketers try very hard to understand consumer attitudes to design their marketing campaigns.

2. Social Factors- Man is a social being, he spends his life in the midst of the society, which has to be maintained by all the relations, apart from this, there is harmony and harmony with many people of the society. So social factor definitely influences consumer behavior.

i. Family- Family plays an important role in shaping the buying behavior of an individual. A person develops preferences from childhood by watching his family buy the product and continues to buy the same product even when he grows up.

ii. Reference Groups-Reference group is a group of people with whom a person associates himself. Generally, all the people in the reference group have common buying behavior and influence each other.

iii. Roles and status-A person is influenced by the role that he holds in the society. If a person is in a high position, his buying behavior will be influenced largely by his status. A person who is a Chief Executive Officer in a company will buy according to his status while a staff or an employee of the same company will have different buying pattern.

3. Cultural Factors- Culture is an integral part of a person's life, which he adopts from childhood, whose effect is clearly visible on his personality, so culture also affects shopping. When a person comes from a particular community, then his behavior is related to that particular community. is highly influenced by the culture concerned. Some cultural factors are-

i. Cultural Factors have strong influence on consumer buyer behavior. Cultural Factors include the basic values, needs, wants, preferences, perceptions, and behaviors that are observed and learned by a consumer from their near family members and other important people around them.

ii. Subculture- Within a cultural group, there exists many subcultures. These subcultural groups share the same set of beliefs and values. Subcultures can consist of people from different religion, caste, geographies and nationalities. These subcultures by itself form a customer segmen

iii. Social Class - Each and every society across the globe has form of social class. The social class is not just determined by the income, but also other factors such as the occupation, family background, education and residence location. Social class is important to predict the consumer behavior.

4. Personal Factors- Factors that are personal to the consumers influence their buying behavior. These personal factors differ from person to person, thereby producing different perceptions and consumer behavior.

Some of the personal factors are: Age, income. Occupation, life style.

5. Economic Factors- Consumer behavior has a lot to do with the economic situation because the more a person's sources of income, the more his purchasing power will be affected and he decides on that basis that he knows what to buy and what not.

i. Personal income -A lot depends on personal income, if the income of the person is so much that after fulfilling the basic needs, more money is left then definitely his purchasing power will increase but on the other hand he knows from his income only by meeting the needs of the household. And if he does not have extra money left, then in such a situation he will buy only the unavoidable things because his budget does not allow that he can go out of it.

ii. Family Income- Family income is the total income from all the members of a family. When more people are earning in the family, there is more income available for shopping basic needs and luxuries. Higher family income influences the people in the family to buy more. When there is a surplus income available for the family, the tendency is to buy more luxury items which otherwise a person might not have been able to buy.

iii. Consumer Credit- When a consumer is offered easy credit to purchase goods, it promotes higher spending. Sellers are making it easy for the consumers to avail credit in the form of credit cards, easy installments, bank loans, hire purchase, and many such other credit options. When there is higher credit available to consumers, the purchase of comfort and luxury items increases.

Conclusion - The vision of a successful business can be realized only when the businessman or entrepreneur is able to understand the consumer behavior correctly and formulate a sales strategy by giving top priority to the consumer and always travel to keep the customer engaged and engaged with his business. He should manufacture and sell products keeping in mind the satisfaction, interest, fashion, demand, taste, lifestyle of consumer, overall he should be customer oriented. He should keep making efforts to understand the customer behavior and should also do innovation keeping the customer at the center, Only then can he set the stage for success.

References:-

1. https://clootrack.com/knowledge_base/major-factors-influencing-consumer-behavior/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_behaviour\
3. Kotler,. Ph., (2003). Marketing Insights from A to Z: 80 Concepts Every Manager Needs To Know. Hoboken, New Jersey,John Wiley & Sons
4. Kotler, Ph., Keller, K. L., (2015). Marketing Management 15th ed. Essex, England, Pearson Education Limited
5. https://www.moneycontrol.com/financials/brightcomgroup/results/consolidated-yearly/LGS#LGS
6. The Economic Times https://economictimes.indiatimes.com
7. https://money.bhaskar.com/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

A Sociological Research on Impact of Mgnrega in Rural Community of Sanchi Block in Raisen District

Deepak Garg* Dr. Usha Vaidya**

*Research Scholar, Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA
**Professor (Humanities and Liberal Arts) Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee act (MGNREGA) was introduced in India on September 2005 to provide at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every rural household whose adult members is agree to do unskilled work. The main focus is to facilitate the social protection for the people living in rural India by providing employment opportunities & contributing towards overall development of local people. The present research was attempted to figure out the impact of MGNREGA on economic & social development of beneficiaries, it was carried out in the area of Sanchi Block of Raisen District. This research shows the improvement and development in the social and economical status of rural people. MGNREGA has played a great role as a lifeline in rural India.
Keywords- MGNREGA, Socio-Economic Development, Unemployment, Poverty, Nationwide, Lockdown, Rural Development.

Introduction - Rural India has seen various problems since independence. Rural development has been a serious issue for states with large number of rural population as various programs were started for the development of poor people living in rural areas. Rural areas play an important role in country's development because agriculture is the backbone of every country, and it is done only in rural areas. The policies of Government for rural areas are acting as drive engines for the growth of the country. The government acts as a source by framing various schemes & programs for the development of rural areas of the country in order to use the resources for betterment of rural people. The employment scheme like MGNREGA plays a very important role in a state like Madhya Pradesh which had faced many challenges in development because of its population & unemployment. The introduction of programs like MGNREGA have helped to provide a way to the development process & can therefore be termed as an advantage for the rural people due to its demand which makes the authorities responsible for providing employment to rural people. MGNREGA acts as a lifeline for the rural people in India and it has been proved once again with the experience of COVID-19 nationwide lockdown. The nationwide lockdown for more than three months resulted in millions of workers losing their jobs all over the country. Unskilled laborers in urban and rural areas who worked as unprofessional employees were the worst problem. As per the edited guidelines of the lockdown, MGNREGA work was allowed from April 20, the number of households who got work in the same month was the lowest in previous years at 95 lakhs. Once the work started the number went up to 3.05 crores in May. The scheme turned out to be the main source of livelihood for millions of migrants and other workers in rural India providing a job with daily basis. A possible outcome of this was increasing the rate of unemployment in country. In the month of July, national unemployment rate fell to 7.4 percent from its peak of 23.5 per cent in April 2020. Rural unemployment specifically saw a significant drop to 6.5 per cent from 22.9 per cent during the same period (CMIE 2020). Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh & West Bengal are the states from where mostly migrants returned could bring down the unemployment rates by providing work under MGNREGA. Reports suggest that the scheme not only helped the unqualified workforce but also provided base to the graduates and professional degree holders who lost their jobs in the cities and returned to villages.

Analysis Of The Study - Researchers from all over the world have studied the various outlooks related to rural development. In India, rural development has been targeted by researchers by using MGNREGA as a topic. It is an aspiring effort to fight poverty by promising employment to those who demand work and competent information of capital in rural areas. The findings of their study revealed that the MGNREGA program has changed the lives of the beneficiaries. The value of socio-economic index indicated that in the initial years of implementation of the program, about 36 percent of the beneficiary households were in poor

socio-economic strata which decreased to 12% in 2013-14, while beneficiary households in good socio-economic strata increased significantly. MGNREGA plays a great role and has a positive impact on the rural development. The research founded that there are better opportunities to the development of rural areas by effectively implementing program and choosing right beneficiaries for the program.

Sethuraman (1972) said that in the arrangement of employment with assurance at minimum wages is the strategy to get rid of unemployment, poverty and illiteracy. The money distributed for eliminating regulates the minimum wages and also minimum income per head. Rural works are the crucial instrument for eradicating rural poverty & under employment.

Sharma (2000) said that, The rural employment programs should focused on enhancing productivity and income of poor people, it would help them to cross the poverty line. The low-income employment in the rural areas can be managed into a better level by enhancing agricultural productivity and providing adequate infrastructural facilities, and thus a steady rural employment growth be ensured.

Venkatesh (2009), MGNREGA will prove to be an extremely cost-effective way of increasing employment directly and indirectly, reviving the rural economy, providing basic consumption stability to poor householdsand improving thebargaining power of rural workers.MGNREGA is playing a vital role in diminishing employment crisis in rural working population through providing 100 days of substituteemployment. MGNREGA has all potentials to boost rural economy, stabilizeagricultural productivity and to reduce rural-urban migration of the labour force unities for poor.The sharp increase in MGNREGA wages in 2011 had raised the wages in the economy as a whole.

Basu (2011), MGNREGA had a more direct and positive impact on reducing distress migration. The migration had reduced in sample areas by 60 percent due to the availability of work under MGNREGA.

Editorial (2016), The main characteristics of the MGNREGA are slow moving and low spending rather than wastages and leakages.

Objectives:

1. To know the impact on income of rural people
2. To know the impact on rural labor migration
3. To know the assets developed in rural areas

Hypothesis:

1. H_1 : MGNREGA has a significant impact on income generation of rural
2. H_2 : MGNREGA has significant impact to stop rural labor migration
3. H_3 : MGNREGA has a significant impact in developing rural assets

Research Methodology And Data Collection - The research is empirical in nature. The research is basically based on primary and secondary sources of data. This includes interview schedule, books, journals and websites. Structured questionnaire was administered to collect the primary data.

Primary Data: Primary data is collected with the help of MGNREGA job card holders of Sanchi block of Raisen district.

Secondary Data: Secondary data is collected from the MGNREGA website / brochures, relevant articles, journals, websites and magazines.

Sample Size: The population for this research is selected from Sanchi block of Raisen district in Madhya Pradesh state that have job cards issued from Gram Panchayat and had worked at least one time under MGNREGA scheme. The sample size of 100 job card holders of Sanchi block were asked to respond to the interview schedule.

Interview Schedule: This interview schedule comprises of 13 questions which directly or indirectly gives us clarity about the topic we have studying about. It was done successfully during the interaction with the respondents of the Sanchi block.

Data collected from 5 villages from Sanchi Block, shown below-

Table 1: Shows the selected villages and respondents

S.	Villages	Respondents
1	Gulgaon	20
2	Ratatalia	20
3	Diwanganj	20
4	Sonari Salamatpur	20
5	Kachnariya	20
	Total	**100**

Description of the tool:

Part I- Demographic details of the respondents

Part II- Details related to MGNREGA scheme

Statistical Analysis: The primary data collected from the interview schedule was analyzed statically using Excel and SPSS software and create tables and graphs.

Table 2 (see in last page)

Demographic Profile of the Respondents

Table 2 shows a brief demographic profile of the selected respondents. Majority of the respondents were belong to the age group of 31-40 years and have nuclear family system. As far as education of the respondents is concerned, majority were found to be 6th to 10th. However,

Do you think your income has increased due to MGNREGA scheme?

Table 3 (see in last page)

As per table 3 the data shows that from Gulgaon village 16 workers said that Yes there income is increased while 4 workers denied the statement, from Ratatalia village again 16 workers said Yes there income is increased while 4 workers denied the statement, from Diwanganj village 14 workers said Yes there income is increased while 6 workers denied the statement, from Sonari Salamatpur village again 16 workers said that Yes there income is increased while 4 workers denied the statement and from Kachnariya village 15 workers said that Yes there income is increased while 5

workers denied the statement.

As per the analysis of above data it shows that from all the 5 villages' total 77 workers stated that YES their income is increase due to MGNREGA and 23 denied the statement. Result: Majority of 77 workers out of 100 is agreed that their Income is increased; hence the hypothesis H_1 is proved and accepted.

Did MGNREGA stop the migration from rural to urban areas?

Table 4 (see in last page)

As per table 4 the data shows that from Gulgaon village 9 workers said that Yes MGNREGA is effective to stop migration from rural to urban while 11 workers denied the statement, from Ratatalia village 7 workers said that Yes while 13 workers denied, from Diwanganj village 14 workers said Yes while 6 workers denied, from Sonari Salamatpur village 8 workers said Yes while 12 workers denied the statement, from Kachnariya village 9 workers said that Yes while 11 workers denied the statement.

As per the analysis of above data it shows that from all the 5 villages total 47 workers out of 100 are agreed but majority of workers are denied that MGNREGA is not so much effective to stop the migration from rural to urban, there is no big difference in statements, only 3 votes are more for NO, but finally we take the big figure to reach the result.

Result: In this statement we conclude that majority of the workers denied that MGNREGA is effective to stop migration; hence the hypothesis H_2 is not proved and rejected.

Assets developed under MGNREGA?

Table 5

S.	**Villages**	**Works Done**
1	Gulgaon	7
2	Ratatalai	4
3	Diwanganj	5
4	Sonari Salamatpur	7
5	Kachnariya	5
	Total	**28**

Figure: 3

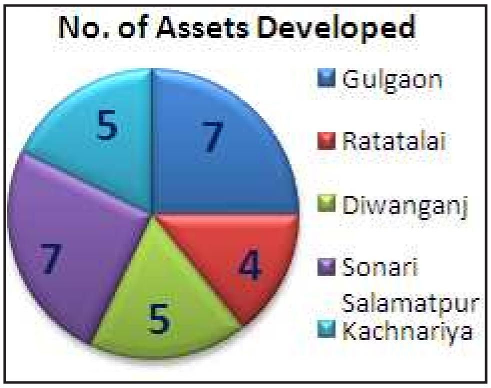

As per the above table the data shows that in Gulgaon village there are 7 assets are developed in different categories of work, in Ratatalia village there are 4 assets are developed, in Diwanganj village there are 5 assets, in Sonari Salamatpur village there are 7 assets and in Kachnariya village there are 5 assets are developed in different categories of work.

It shows that there are total 28 assets are developed in 5 villages in different categories of work under MGNREGA.

Result: 28 assets are developed in 5 villages under MGNREGA in different categories; hence the hypothesis H_3 is proved and accepted.

Findings

Major Findings: We have done research on 100 MGNREGA job card workers of 5 villages of Sanchi block in Raisen district, on the basis of which we are concluding the findings out of 100. Out of the total MGNREGA job card workers, 64 workers are males and 36 workers are females, i.e., the number of male members in MGNREGA is comparatively higher than that of the women members working under the scheme.

Then, as per different age groups, members of ages between 18 to 30 years are 19, members of ages between 31 to 40 years are 43, members of ages between 41 to 50 years are 23, and members of ages above 50 years are 15. It states that the maximum number of workers lie in the age group of 31 to 40 years.

As per different religions, we found that out of the total MGNREGA workers, people who are Hindus hold 81, Muslim people are 12, both Christians and Sikhs are nil, and people who belong to some other religion are only 7. It states that almost all the MGNREGA workers are Hindus. As per different castes, people of SC caste are 4, people of ST caste are 16, people of OBC caste are 41, people of General caste are 29, and Minorities are 19. It states that the maximum number of workers here belongs to OBC caste.

As per different literacy levels, 15 MGNREGA workers are illiterate, 26 of them have studied primary classes (1 st to 5 th), 53 are those who have studied secondary classes (6th to 10th), and only 6 people are there who are literate and are studying in classes above 10th . It states that the maximum number of workers have only studied in school till 10th standard.

As per the analysis of data we found that from Gulgaon village 16 workers said that Yes there income is increased while 4 workers denied the statement, from Ratatalia village again 16 workers said Yes there income is increased while 4 workers denied the statement, from Diwanganj village 14 workers said Yes there income is increased while 6 workers denied the statement, from Sonari Salamatpur village again 16 workers said that Yes there income is increased while 4 workers denied the statement and from Kachnariya village 15 workers said that Yes there income is increased while 5 workers denied the statement.

So the analysis of 100 respondents from all the 5 villages' total 77 workers stated that YES their income is

increase due to MGNREGA and 23 denied the statement

In this research we found that the Gulgaon village 9 workers said that Yes MGNREGA is effective to stop migration from rural to urban while 11 workers denied the statement, from Ratatalia village 7 workers said that Yes while 13 workers denied, from Diwanganj village 14 workers said Yes while 6 workers denied, from Sonari Salamatpur village 8 workers said Yes while 12 workers denied the statement, from Kachnariya village 9 workers said that Yes while 11 workers denied the statement.

So, finding of the data shows that from all the 5 villages total 47 workers out of 100 are agreed but majority of workers are denied that MGNREGA is not so much effective to stop the migration from rural to urban, there is no big difference in statements, only 3 votes are more for NO, but finally we take the big figure to reach the result.

The research data shows that in Gulgaon village there are 7 assets are developed in different categories of work, in Ratatalia village there are 4 assets are developed, in Diwanganj village there are 5 assets, in Sonari Salamatpur village there are 7 assets and in Kachnariya village there are 5 assets are developed in different categories of work. There are total 28 assets are developed in 5 villages in different categories of work under MGNREGA.

Therefore, all three hypothesis $H_{1,} H_{2,} H_3$ is excepted and it can be said that there is a significant impact of MGNREGA of the respondents in selected Sanch block of Raisen district in M.P.

Future Scope Of Research: The research was restricted to two factors which are 'urban migration' and 'Socio-Economic conditions of unskilled workers'. But there are other factors also which influence these two factors, which can be taken for the further research. The research was restricted to Sanchi Gram Panchayat of Raisen district. The future research can be extended to other areas as well.

Conclusion: MGNREGA is an effective device for poverty alleviation and improving socio-economic condition of the poor particularly rural people. It has played a significant role in bringing positive change in the life of rural people specially women. It has been observed that men and women after working under MGNREGA have gained protection and opportunity to start saving their wages in the banks. The recognition for the rural people has increased which led to their active participation in solving the common problems of the locality in general and individual problems of women in particular. It was found from the research results that MGNREGA had clear-cut objectives to provide job opportunities for rural masses The objectives of the act is to maintain equality among the various groups of the society and to promote standard of living thereby contributing to economical improvement of the people of the rural areas. It was revealed from hypothesis testing that the program has done a great job in improving the economies of rural areas by raising their socio-economic status. The research also revealed that there is a need to amend the structure of the program by introducing more transparent and responsible system and to make it objective specific and goal oriented. The above evidence and observations unambiguously indicate that the role of the MGNREGA on overall poverty reduction and development of rural India is visible. The act and the operational guidelines require the states and the panchayati raj institutions to monitor the implementation of the scheme in a variety of ways Gaps in the envisaged monitoring mechanisms

References:-

1. Basu, A. K. (2011). Impact of Rural Employment Guarantee Schemes on seasonal labour market: Optimum compensation and workers welfare. The Journal of EconomincInequality , 11 (1), 1-34.
2. Sethuraman, S. (1972). Seasonal Variations for Rural Works Program. Economic and Political Weekly, 7(24), 1149-1155.
3. Sharma, K. (2000, April). Unemployment and Povery in Rural Areas. Kurukshetra, 48(7), 2-8.
4. Venkatesh, A. (2009). Economic crisis and rural livelihoods. Chennai: M. S. Swaminathan Research Foundation.
5. Editorial (2016), The main characteristics of the MGNREGA are slow moving and low spending rather than wastages and leakages.
6. Prof. Shamsher Singh (2020) MGNREGA as a lifeline in COVID-19
7. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/additional-rs-40000-crore-allocated-to-mgnregs-under-fifth-tranche-of-covid-stimulus/articleshow/75785760.cms?from=mdr

Table 2: Demographic Profile of the Respondents

Demographic Profile of the Respondents	Attributes	Villages					Total
		Gulgaon	Ratatalia	Diwanganj	Sonari Salamatpur	Kach-nariya	
GENDER	Male	12	13	14	12	13	64
	Female	8	7	6	8	7	36
	Total	20	20	20	20	20	100
AGE	18-30 years	3	2	6	3	5	19
	31-40 years	10	9	7	9	8	43
	41-50 years	5	6	3	4	5	23
	Above 50 years	2	3	4	4	2	15
	Total	20	20	20	20	20	100
EDUCATIONAL STATUS	Illiterate	3	3	3	3	3	15
	1st to 5th	6	5	5	4	6	26
	6th to 10th	10	12	11	11	9	53
	Above 10th	1	0	1	2	2	6
	Total	20	20	20	20	20	100
RELIGION	Hindu	16	16	16	14	19	81
	Muslim	2	2	3	5	0	12
	Sikh	0	0	0	0	0	0
	Christian	0	0	0	0	0	0
	Others	2	2	1	1	1	7
	Total	20	20	20	20	20	100
CATEGORY	ST	2	1	0	0	1	4
	SC	4	3	2	3	4	16
	OBC	7	9	8	7	10	41
	General	3	3	6	4	4	20
	Minorities	4	4	4	6	1	19
	Total	20	20	20	20	20	100
FAMILY TYPE	Nuclear	14	13	13	14	15	69
	Joint	6	7	7	6	5	31
	Total	20	20	20	20	20	100

Source: Primary Data

Table 3

Status	Gulgaon	Ratatalai	Diwanganj	Sonari Salamatpur	Kachnariya	Total
Yes	16	16	14	16	15	**77**
No	4	4	6	4	5	**23**
Total	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**100**

Figure: 1

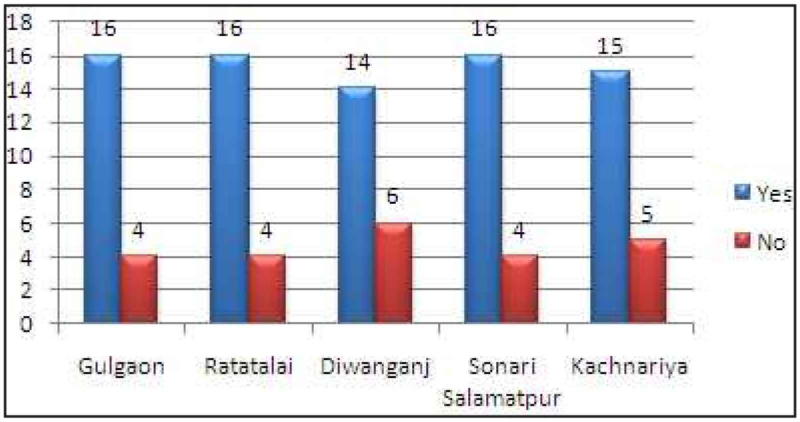

Table 4

Status	Gulgaon	Ratatalai	Diwanganj	Sonari Salamatpur	Kachnariya	Total
Yes	9	7	14	8	9	**47**
No	11	13	6	12	11	**53**
Total	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**100**

Figure: 2

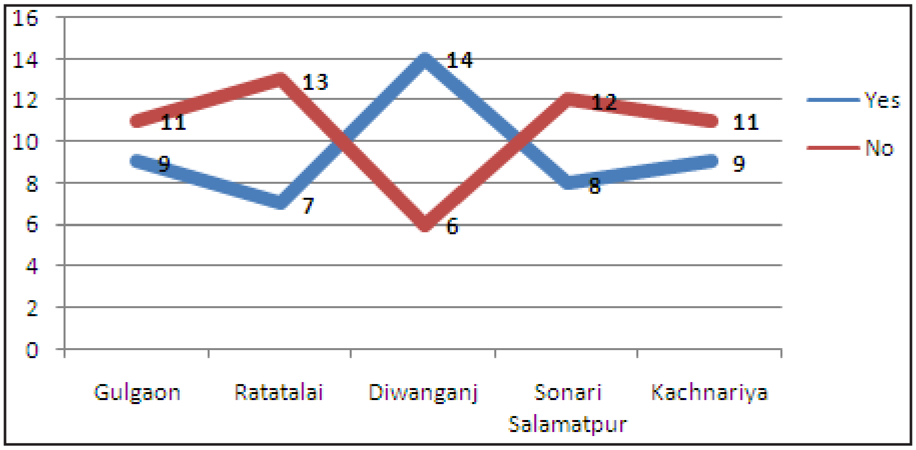

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

बाँछड़ा समुदाय में वेश्यावृत्ति का समाजीकरण

डॉ. यामिनी पड़ियार*

* पोस्ट डॉक्टारोल फैलो, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस. आर.), नई दिल्ली, भारत

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध पत्र वेश्यावृत्ति के समाजीकरण पर आधारित है। समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी मे सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता हैं, अत: इसे सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं। समाजीकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता तथा अन्य अनगिनत विशेषताएँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होती है और जीवित रहती है। समाज से बाहर व्यक्ति, व्यक्ति नहीं हैं। समाज से पृथक वह असहाय है। समाज से दूर होकर वह चल-फिर नहीं सकता, बोल-चाल नहीं सकता। समाज के अभाव मे व्यक्ति का जीवन यदि असम्भव नहीं तो कठिन एवं दूभर अवश्य है, किन्तु समाज कोई ऐसा जादुई करिश्मा नहीं कर देता कि जन्म लेते ही बच्चा चलने-फिरने लगे, बोलने-चालने लगे, समझने-समझाने लगे। ऐसा तो सामूहिक जीवन के दौरान जीवन पर्यन्त चलने वाली एक प्रक्रिया के द्वारा सम्भव होता है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते है।

सीखने की प्रक्रिया – समाजीकरण सीखने एक सीखने की प्रक्रिया हैं। इसके द्वारा व्यक्ति समाज मे, संस्कृति, आदर्श, मूल्य और परम्परा के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। चलना, बोलना, खाना तथा कपड़ा पहनना, पढ़ना लिखना आदि क्रियाएं व्यक्ति समाज मे सीखता है। किन्तु समाज मे सभी प्रकार की क्रियाओं को सीखना समाजीकरण नहीं है। झूठ बोलना, चोरी करना, शराब पीना व अन्य नशा करना, जुआ व सट्टा खेलना, मिलावट व कालाबाजारी करना आदि आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली क्रियाओं को सीखना समाजीकरण नहीं है। ये क्रियाएं सीखने की प्रक्रिया के नकारात्मक पक्ष हैं।

प्राथमिक अभिकरण:

- **परिवार –** समाजीकरण करने वाली संस्थाओं मे परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्था हैं। बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार में ही उसका पालन-पोषण होता हैं और परिवार मे ही वह संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। परिवार में माता-पिता के संरक्षण में वह जो कुछ भी सीखता है वह उसके जीवन की स्थाई पूंजी हो जाती है। परिवार मे ही उसे समाज के रीति-रिवाज, मूल्य, रूढ़ियों, प्रथाओं आदि से परिचित कराया जाता हैं। परिवार से ही वह स्नेह, प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग, दया, क्षमा, परोपकार, सहिष्णुता, आज्ञापालन आदि उच्च-कोटी के गुण सीखता हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि, 'परिवार शिशु की प्रथम पाठशाल हैं।'
- **क्रीड़ा समूह –** परिवार के बाद बच्चा खेल-समूह के संपर्क में आता हैं। ये सारे बच्चे अलग-अलग परिवारों से होते हैं। अत: उनका व्यवहार, रूचियाँ आदि भिन्न प्रकार के होते हैं। इनके साथ वह अनुकूलन करना सीखता हैं। नेतृत्व तथा आज्ञाकारिता के गुणों का विकास भी बच्चे में खेल-कूद समूह से ही होता हैं।
- **पड़ोस –** परिवार के बाद पड़ोस से ही बच्चे का पाला पड़ता हैं। वह अपने परिवार की तुलना पड़ोस से करता हैं। यदि पड़ोस अच्छा है तो वह अच्छी बातें सीखता है। यदि पड़ोस बुरा है तो वह समाज विरोधी बातें सीखता हैं।
- **नातेदारी समूह –** नातेदारी समूह के अंतर्गत रक्त से संबंधित एवं विवाह द्वारा स्थापित सभी नातेदार आते हैं। माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी, चाचा-चाची, मामा-मामी, सास-ससुर, साला-साली, देवर-भाभी तथा अन्य संबंधियों से उसके विशिष्ट रिश्ते होते हैं। इन्हीं रिश्तों के संदर्भ मे उसे प्रत्येक के साथ-साथ अलग-अलग व्यवहार करना पड़ता हैं।
- **विवाह –** विवाह के बाद जहाँ अनेक नये उत्तरदायित्वों का निर्वाह उसे करना पड़ता हैं वहीं विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ अनुकूलन भी करना पड़ता हैं। स्त्रियों के लिये यह अपेक्षाकृत अधिक जटिल हैं, क्योंकि उन्हें पति के घर जाकर रहना पड़ता हैं। अनेक नये रिश्तेदार बनते हैं जिनके साथ उसे विशिष्ट प्रकार के संबंध स्थापित करने पड़ते हैं।

विचलित व्यवहार – जब व्यक्ति का व्यवहार या आचरण सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, परम्पराओं, आदर्शों, प्रतिमानों के अनुरूप होता है तो ऐसे सामाजिक व्यवहार को समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार की श्रेणी मे रखा जाता है और इसे समाजशास्त्रीय शब्दावली मे सामाजिक अनुरूपता कहा जाता है। व्यक्ति के ऐसे व्यवहार की सर्वत्र प्रशंसा होती है और उसे समाज मे सम्मान प्राप्त होता है, दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति का ऐसा व्यवहार समाज द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।इसके विपरीत जब व्यक्ति का व्यवहार या आचरण सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, परम्पराओं, आदर्शों, प्रतिमानों आदि के अनुकूल नही होता तो व्यक्ति के ऐसे व्यवहार को समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहार या विचलित व्यवहार की श्रेणी मे रखा जाता है और समाजशास्त्रीय शब्दावली मे इसे सामाजिक विचलन (विचलित व्यवहार) कहा जाता है। समाज मे ऐसे व्यवहार को करने की व्यक्ति को छूट नही दी जा सकती क्योंकि ऐसा करने से सामान्य सामाजिक संबंधों को क्षति पहुँचती है।वेश्यावृत्ति को भी विचलित व्यवहार की श्रेणी मे रखा जाता है।

सामान्य तौर पर विचलन का अभिप्राय सामान्य दिशा से हट जाना या घूम जाना होता है। शब्द-,कोश मे विचलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखि

अर्थों मे किया गया है-

(अ) व्यक्तिक्रम, दिशा-भेद, पथ से हटना, स्थान परिवर्तन।

(ब) दृष्टिकोण का स्वीकृति स्थिति से विचलन।

इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से विचलन व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है जिसमे व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों व आदर्शो से हटकर चलता है अथवा उनकी उपेक्षा करता है। वास्तव मे विचलन अवांछित व्यवहार का ही एक रूप है और कानून से विचलन ही अपराध है। बेकर के अनुसार 'समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का किसी व्यक्ति या समूह द्वारा उल्लंघन ही विचलन है।'

अध्ययन के उद्देश्य:

1. बाँछड़ा समुदाय की महिलाओं का वेश्यावृत्ति करने हेतु समाजीकरण की प्रक्रिया को जानना।

शोध प्रश्न:

1. क्या वेश्यावृत्ति के समाजीकरण को रोकने हेतु शिक्षा और महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की योजनाएँ विफल हो रहीं हैं?

शोध विधि - प्रस्तुत अध्ययन अन्वेषणात्मक है इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले में देह व्यापार करतीं हुई बाँछड़ा समुदाय की महिलाओं को सूचीबद्ध करते हुए शोध किया गया है।

तथ्य संकलन- प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक और द्वैतयिक तथ्यों को संकलित किया गया है जिससे सटीक तुलना कर वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

प्राथमिक तथ्य - प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची कों काम में लेकर अवलोकन पद्धत्ति को अपनाया गया है। शोध प्रतिवेदन में महिलाओं के गोपनीयता के अधिकार की रक्षा की गई है, उनका वास्तविक नाम उजागर नहीं किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र - मध्यप्रदेश के नीमच और मन्दसौर जिले के उन क्षेत्रों का चयन किया जाएगा जहाँ बाँछड़ा समुदाय की महिलाएँ देह व्यापार के कार्य में संलग्न है।

निदर्शन विधि - प्रस्तुत अध्ययन हेतु सौद्धेश्यपूर्ण विधि से निदर्शन चयन किया जाएगा जिसमें कुल 100 महिलाओं का चयन किया गया है जिसमें उनके आयु वर्ग को मुख्य आधार माना गया है। वेश्यावृत्ति में कम आयु अथवा (वर्जिन) महिलाओं की माँग अधिकतम होती है और आयु बढ़ने के साथ-साथ इनकी माँग और प्रस्थिति पर प्रभाव पड़ने लगता हैं और इनकी समस्याएँ भी उभर कर आने लगतीं हैं। अत: 18 वर्ष से 24 वर्ष की 25 महिलाएँ, 25 वर्ष से 30 वर्ष की 25 महिलाएँ, 31 वर्ष से 35 वर्ष की 25 महिलाएँ, 36 वर्ष से 40 वर्ष की 25 महिलाओं का चयन किया गया है। उक्त 100 महिलाओं से उनकी सुविधानुसार तथ्य संकलन किया गया हैं।

वेश्यावृत्ति की प्रेरणा

चित्रसंख्या : 01- वेश्यावृत्ति करने की प्रेरणा

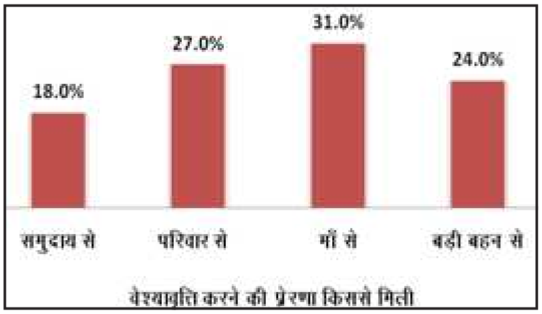

चित्र संख्या 01 में वेश्यावृत्ति करने की प्रेरणा के अनुसार उत्तरदाताओं का विवरण दिया गया है जिसमें 18 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि उन्हें वेश्यावृत्ति करने की प्रेरणा समुदाय से मिली है और 27 प्रतिशत के अनुसार उन्हें वेश्यावृत्ति करने की प्रेरणा परिवार से मिली है एवं 31 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि उन्हें वेश्यावृत्ति करने की प्रेरणा उनकी माँ से मिली है जबकि 24 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि बड़ी बहन से उन्हें वेश्यावृत्ति करने की प्रेरणा मिली।

वेश्यावृत्ति की आयु

सारणी एवं चित्र संख्या : 02 - वेश्यावृत्ति प्रारम्भ करने की आयु

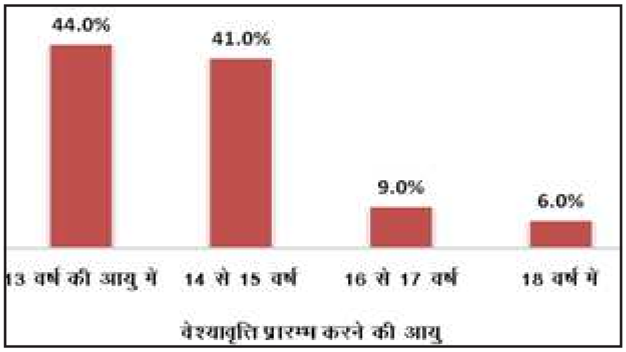

चित्र संख्या 02 में उत्तरदाताओं द्वारा वेश्यावृत्ति प्रारम्भ करने की आयु का विवरण दिया गया है जिसमें 44 प्रतिशत उत्तरदाता ने 13 वर्ष की आयु में और 41 प्रतिशत ने 14 से 15 वर्ष की आयु में एवं 9 प्रतिशत ने 16 से 17 वर्ष की आयु में जबकि 6 प्रतिशत ने 18 वर्ष की आयु में वेश्यावृत्ति प्रारम्भ की।

समुदाय में वेश्यावृत्ति

चित्र संख्या : 03 - समुदाय की सभी महिलाएँ वेश्यावृत्ति करती है

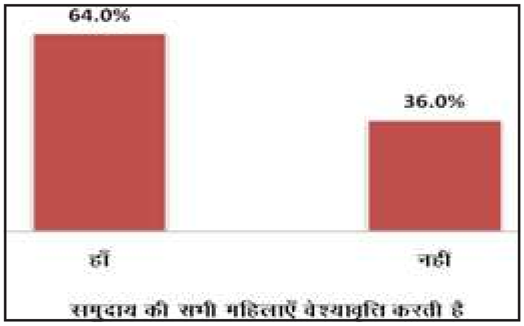

सारणी एवं चित्र संख्या 03 में समुदाय की सभी महिलाओं द्वारा वेश्यावृत्ति करने के प्रश्न पर उत्तरदाताओं के मत का विवरण दिया गया है जिसमें 64 प्रतिशत उत्तरदाता ने माना समुदाय की सभी महिलाएँ वेश्यावृत्ति करती है और 36 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार समुदाय की कुछ महिलाएँ वेश्यावृत्ति नहीं करती है।

दैनिक आमदनी - चित्र संख्या 04 में उत्तरदाताओं की माहवारी के दिनों के अतिरिक्त दैनिक आमदनी का विवरण दिया गया है जिसमें 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं की 2000रू. और 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं की 1500रू. एवं 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं की 1000रू. तथा 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं की 500रू. औसतन दैनिक आमदनी हो जाती है।

चित्र संख्या : 04 - माहवारी के दिन छोड़ कर दैनिक आमदनी

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

निष्कर्ष – 18 से 40 वर्ष की आयु की बाँछड़ा समुदाय की महिलाओं के वेश्यावृत्ति के समाजीकरण और प्रस्थिति के संदर्भ में प्राथमिक तथ्य संकलन द्वारा विभिन्ना चरों के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें पाया गया कि 64 प्रतिशत महिलाएँ 5वीं तक पढ़ी है और 32 प्रतिशत 8वीं तक पढ़ी है एवं 3 प्रतिशत 10वीं तक पढ़ी है जबकि 1 प्रतिशत महिलाएँ 10वीं से अधिक पढ़ी है।8 प्रतिशत उत्तरदाता कच्चे मकान में रहते है और 72 प्रतिशत उत्तरदाता पक्के मकान में रहते है एवं 13 प्रतिशत उत्तरदाता कच्चे-पक्के मकान में रहते है जबकि 7 प्रतिशत उत्तरदाता किराए के मकान में रहते है। 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास दुपहिया वाहन है और 18 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि उन्हें वेश्यावृत्ति करने की प्रेरणा समुदाय से मिली है और 27 प्रतिशत के अनुसार उन्हें वेश्यावृत्ति करने की प्रेरणा परिवार से मिली है एवं 31 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि उन्हें वेश्यावृत्ति करने की प्रेरणा उनकी माँ से मिली है जबकि 24 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि बड़ी बहन से उन्हें वेश्यावृत्ति करने की प्रेरणा मिली। 21 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना कि उनकी विवाह करने की इच्छा हुई थी और 24 प्रतिशत उत्तरदाता पढ़कर नौकरी करना चाहते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. क्लॉसन, जॉन ए. (सं.) (1968) समाजीकरण और समाज, बोस्टन, लिटिल ब्राउन एंड कंपनी
2. मैकिओनिस, जॉन जे, (2013), समाजशास्त्र (15 वां संस्करण), बोस्टन, पियर्सन. पी, 126.
3. बिलिंगहैम,एम. (2007) सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इन स्ट्रेच, बी. एंड व्हाइटहाउस, एम. पी.336
4. कार्लसन, एन.आर.य और अन्य, (2005) मनोविज्ञान : व्यवहार का विज्ञान, पियर्सन
5. मैकिओनिस, जॉन जे, (2013), समाजशास्त्र (15 वां संस्करण), बोस्टन, पियर्सन. पी, 130.
6. रिडले, एम. (2003) नेचर वाया नेचर : जीन्स, एक्सपीरियंस, एंड व्हाट मेक्स यू ह्यूमन, हार्पर कॉलिन्स

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Forensic Evidentiary Value in National and International Judiciary System

Pragati Singh Dangi* Prince Gupta**

***Faculty of Law, Ram Krishna Dharmarth Foundation University, Bhopal (M.P.) INDIA**
**** Dean, Faculty of Law, Ram Krishna Dharmarth Foundation University, Bhopal (M.P.) INDIA**

Introduction - Forensic science technology has resulted in significant scientific advances in the decision-making process in criminal cases, but more research is needed to determine the exact impact of forensic evidence in determining the rate of conviction and acquittal. It was also necessary to determine which kind of forensic evidence might be used in specific types of instances. The concepts of forensic evidence applicability in courts, as well as a comparison of the rules of applicability in different countries like United States, United Kingdom, Germany along with India.

The applicability of scientific evidence in the United States, is divided into two sections: Laws on Expert Evidence in the United States and The Basics of Admissibility.

The rules of admissibility in the United Kingdom, including the relationship between the four admissibility tests of Assistance, Relevant Expertise, Impartiality, and Evidentiary Reliability, as well as the background of the Law Commission Report, Law Commission Recommendation, and Government Response. In Germany's Principles of Scientific Evidence, and the admissibility of DNA evidence is then examined individually in Germany. Finally, the principles of scientific evidence admissibility in India are examined.[1]

Criminal cases including forensic evidence are handled by courts around the world. The admissibility of scientific evidence in federal courts has undergone a revolution in the recent decade.

Principles for accepting forensic evidence in united states : The case of Frye v. United States was the first major decision in the United States on the admissibility of scientific evidence. There were two parts to the Frye test. The theory or scientific technique comes first, followed by acceptance.[2]

Associate Justice Stephen Breyer made the following observation about the role of science in court cases in the Joiner Case, which dealt with the admissibility of scientific evidence: "In this age of science, science should expect to find a warm welcome, perhaps a permanent home, in our courtrooms." The reason is straightforward. The principles and techniques of science are increasingly being used in legal issues. The general public - those who live in our technologically complex society and whom the law must serve – cares about the proper resolution of those disputes, not just the litigants. Our judgments should be based on sound scientific and technical knowledge so that the law may respond to the public's requirements." . Justice Breyer further pointed out that federal judges are often generalists, not specialists, and that few have scientific and technology expertise or experience.[3]

Chief Justice Rehnquist, concurring in part and dissenting in part from the majority judgement, was not less confidence in the federal trial judiciary's abilities, but he was less comfortable that the Court's ruling would provide them with the tools they needed to do their jobs. "The Court expresses its confidence that federal judges can undertake a 'preliminary' assessment of whether the thinking or methodology underpinning the testimony is scientifically sound, and whether that reasoning or methodology may be properly applied to the facts at hand," he wrote. [4]

The Court goes on to say that one of the "key questions" in determining whether something is "scientific knowledge" is "whether it can be (and has been) tested." Following this line are three quotations from treatises, one of which argues that "the falsifiability, refutability, or testability of a theory is a criterion of the scientific quality of a theory." I have no faith in federal judges, but I'm not sure what it means when it's asserted that a theory's scientific status is determined by its 'falsifiability,' and I suppose some of them are as well. I have no doubt that Rule 702 entrusts the gatekeeping role for determining the admission of proffered expert testimony to the judge. However, I do not believe it obligates or empowers them to become amateur scientists in order to fulfil that function.[5]

Expert witnesses are only authorised to testify about matters that are scientific, technical, or involve specialised knowledge that is beyond the capabilities of the jury to comprehend on its own, according to the statutes. Lawyers and experts should be aware that Rule 702, as construed

by the courts, lays forth the steps [6] that a trial judge must take to resolve challenges to expert testimony's admissibility. The trial must determine if the expert opinion:

1. is supported by sufficient facts or data
2. was achieved via the application of reliable procedures and principles
3. is the result of a reliable application of the methodology to the facts of the case. However, in order to make the judgements, the trial judge is fully reliant on the parties to provide the information required, which implies that if the parties are to succeed, lawyers and specialists must be well-versed in presenting details to the trial judge.[7]

Applicability Fundamentals : When determining whether expert testimony is admissible, the trial judge must consider whether the evidence is "relevant" to the problems in the case, "reliable" as defined by Daubert/Kumho Tire and Rule 702, "useful" to the jury, and "fit" the issues in the case.

Frye's "general acceptance" test was the "dominant criteria for determining the admissibility of innovative scientific evidence" from 1923 to 1993.The test determines admissibility by determining if a sufficient majority of the relevant scientific community accepts the scientific concept underlying the evidence.[8]

The Court expanded the reach of trial judges under Daubert in two subsequent cases, General Electric Co. v. Joiner and Kumho Tire Co. v. Caemichae, by shielding their decisions from review, allowing them to consider conclusions rather than just methodology, and extending the gatekeeping role to non-scientific evidence.[9]

In joiner, the Court held that the trial court's Daubert admissibility decisions should be reviewed by the appellate court under the abuse of discretion standard,19 and that the trial court could exclude testimony based on disagreement with the experts' interpretations of studies rather than their methods alone, because "conclusion and methodology are not entirely distinct from one another." In Kumho Tire, the Court expanded the Daubert analysis beyond scientific evidence to include "technical" and "other specialised knowledge" as well as the "technical" and "other specialised knowledge" included in Rule 702. The absence of distinctions in the statutory language, the equal giving of latitude in evidence to non-scientific experts, and the difficulties of distinguishing between "scientific" and "technical" or "other specialised" expertise all contributed to the Court's decision. The revision of Rule 702 in 2000 was the most recent change in federal admissibility analysis.[10]

"Any step that renders the analysis inaccurate renders the expert's testimony inadmissible," the court stated. This is true regardless of whether the step fully modifies or simply misapplies a reliable methodology".[11]

The classic common law test of "helpfulness" developed by Lawton, L.J. in the landmark case R. v. Turner is still used by English courts. In England and Wales (common law) countries, the four elements for admissibility of expert opinion are: [12]

1. assistance,
2. appropriate expertise,
3. impartiality, and
4. evidential reliability.

The first limb of the common law admissibility test known as "The Turner Test," referred to as "Assistance," ensures that expert testimony is only accepted when it has adequate probative value, which implies that the evidence must assist the court in resolving a disputed issue. The second limb, "Relevant Expertise," and the third limb, "Impartiality," confirm that expert evidence is admissible in criminal trials where a minimum threshold of general reliability, referred to as "reliability in the round," is met. The fourth leg, "Evidentiary Reliability," is concerned with issues that go beyond the expert's judgement, such as the expert's soundness in his or her field of knowledge and technique, as well as the validity of any assumptions made.[13]

These are referred to as "proof of fact," because "fact" also refers to "truth." If the court requires such factual evidence, the first three limbs of the common law test must be applied in the same way they are for opinion evidence. Only if the court requires the expert's advice or help, the witness is an expert in the relevant field, and the evidence offered by the witness is unbiased could the witness provide expert evidence of fact to the court.[14]

Although the expert Evidence Of Fact is not covered by the common law criteria mentioned above in the case of Meads, it is noted in "Phipson on Evidence" that "Evidence Of Fact" is preferred as expert evidence where the level of knowledge necessary is of a very low order.[15]

The Forensic Science Advisory Council, judges, scientists, and other key participants in the criminal justice system should collaborate to devise a new test for determining the admission of expert evidence in criminal trials, according to the Committee of the Law Commission. The Law Commission issued "Expert evidence in criminal prosecutions in England and Wales" (Law Com No 325)50 in March 2011 after being encouraged by the previous Parliament (House of Commons Science and Technology Committee report of 29 March 2005 "Forensic science on trial"). The Law Commission report was largely based on a public consultation held in April-July 2009, as well as the Forensic Science on Trial Report, and it used four high-profile appeal cases involving unreliable or conflicting expert evidence (Dallagher – ear prints; Clark and Cannings – sudden infant death syndrome; and Harris and others– shaken baby syndrome).[16]

In Germany, the court must appoint an expert who has been accredited by a state-level public-law body. The body known as 'Kammern' keeps track of such experts who are appointed in order to minimise future difficulties in finding a suitable expert in a certain field. However, depending on the occasion and circumstances, the court may appoint

experts other than those who have registered with the 'Kammern,' which happens rather frequently. In the preliminary judicial investigation, the public prosecutor also retains experts. At the trial hearing, the defendant has the option of requesting that the expert witness be allowed to testify. If the defendant's expert witness is demonstrably more knowledgeable than the expert recruited by the court, the defendant's motion cannot be denied.[17]

An expert can also be called into question by the defendant on a variety of legal grounds. Before a 'Kammern' may accredit an expert, he must pass a selection process that examines his personal and professional capacity to prepare reports as well as if the candidate possesses above-average expertise.

Accreditation is granted for a period of five years. Accredited experts must be screened on a regular basis by the Kammern for which they have applied. Their certification can be extended as long as they match the conditions. The most commonly used criteria include an above-average level of experience in a certain topic, the ability to write an expert report, and impartiality and independence requirements. All expertise, on the other hand, can be found among recognised professionals. In some domains, such as DNA analysis, the German Federal Criminal Office and the numerous State Criminal Offices have a high level of knowledge. Expert registrations in Germany are not tied to criminal proceedings.[18]

German DNA Evidence : Blood samples were not allowed to be taken for genetic fingerprinting or DNA analysis in Germany until March 1997. The Code of Criminal Procedure (StPO) permitted for the collection of blood samples from suspects in criminal cases. Originally, section 81a of the StPO was primarily used to determine the accused's blood alcohol level in cases of traffic offences, as well as to determine criminal culpability at the time of the crime and, in some situations, to determine the suspect's competency to stand trial. Because the purpose for which blood might be collected is not defined in section 81a of the StPO, the collecting of blood samples in order to obtain genetic fingerprints was commonly viewed as legal among the police community.[19]

Admission and Presentation of Evidence in Germany," by Burkhard Bastuck and Burbard Gopfert. The formation of gene databanks is expressly prohibited by Loy. L.A.Int'l & Comp. L. Rev. 609 (1994). Following that, in March 1997, the Parliamentary Act that altered the stop and the Administrative Offenses Act went into force.[20]

The convictions in three major cases were overturned by the appellate court due to the incorrect application of scientific evidence. Dallagher, Clarke, and Harris are their names. In 2009, the UK government commissioned the Law Commission to investigate and produce a report on the criminal law miscarriages of justice that happened in some recently determined cases, and the report was submitted to Parliament in 2011, as stated above.[21]

References:-

1. Paul W. Grimm, Chief Magistrate Judge, United States District Court, District of Maryland 1.
2. Frye v. United States 293 F.1013 (D.C. Cir. 1923)
3. Federal Rules of Evidence. 1975; 2000 available at: https://www.law.cornell.edu/rules/fre (last visited on June16, 2015)
4. Daubert v. Merell Dow Pharmaceuticals, Inc 509 U.S. 579 (1993)
5. Kumho Tire Company, Ltd. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999)
6. Supra note 1 at 14
7. Daubert, 509 U.S. at 589-91
8. Daubert, 509 U.S. at 585
9. 522 U.S. 136 (1997)
10. Kumho Tire, 526 U.S. at 141 (internal quotation marks omitted)
11. Id., at 147-148 (internal quotation marks omitted)
12. Rule 702. Testimony by Expert Witness available at: https://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_702 (Last Visited on January 19, 2015)
13. R (Doughty) v Ely Magistrates Court [2008] EWHC 522 (Admin) at [24]
14. R (Doughty) v Ely Magistrates Court [2008] EWHC 522 (Admin) at [24]
15. Tooth v. Jarman [2006] EWCA Civ 1028, [2006] 4 All ER 1276
16. Dallagher [2002] EWCA Crim 1903, [2003] 1 Cr App R 12 at [29]
17. Meads [1996] Criminal Law Review 519
18. (17th ed 2010) para 33-19
19. V.R. Dinkar, "*Scientific Expert Evidence*" 175 (Eastern Law House , Kolkata, 2013)
20. *R v Harris and others* [2005] EWCA Crim 1980
21. [2012] 2 Cr App R 5

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Restructuring of Non Corporate Small and Medium Enterprises and Impact of Taxation Reforms: Sole Proprietorships

CA. Pankaj Shah* Dr. Rajendra Sharma**

*Research Scholar, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA
** Professor, PMB Gujarati Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

Introduction - In India the most common form of business structure vehicle for Small and medium organizations is through proprietorship, partnerships and Limited liability partnerships. These entities are easy to form and require less compliances and regulations. These small and medium enterprises contribute significantly to the nation's GDP and generate employment in the country. Overall 20416841 small and medium non corporate entities are doing business in India [1]. According to Europe India SME Business council report SME sector is infact giving employment to six crore people in India and its industrial production is around forty five percent of total industrial yield. Export of Indian products is indispensible in maintaining balance of payments and SME contribution is around forty percent of total exports [2]. The growth of SME is sought to be achieved by restructuring the businesses in a way that it results in business synergies with minimal tax implications from perspective of Income tax, Goods and Service tax and Stamp duty. Such restructuring helps in expansion by adding more skills, promoters, capital to fuel growth in the entity and tap the unexplored potential or address the requirements of ensuing opportunity. Banks, creditors and employees are also important stakeholders in any restructuring

Implications under tax laws: Income tax law is the primary stakeholder in any restructuring process as the provisions of capital gains tax gets triggered on any transaction which is covered within the wide ambit of 'transfer' being charging provision of levy of capital gain tax. Apart from this other important consideration is eligibility to set off and carry forward earlier losses post restructuring resulting in tax synergy. Depreciation is also an important deduction from income and its eligibility to be claimed in post restructuring exercise can also significantly impact the decision. Many entities enjoy tax holidays on various infrastructure projects and the continuation of such deductions post restructuring is very important criteria before finalizing the restructuring. If a restructuring is carried out only with a motive of tax benefit it can be disregarded by invoking the provisions of General Anti Avoidance Rules (GAAR) under Income tax Act so commercial rationale of any exercise is sine qua non before entering into any restructuring.

Goods and Service tax statute also has an important say in deciding the optimal structure of business as eligibility of Input tax credit post restructuring could be significant as the normal GST rates are around eighteen percent. Further for very small businesses below taxable limit the magnitude of increase in aggregate turnover and tax applicability is important indicator for such exercise.

Stamp duty laws are also relevant especially if the business is including immovable properties and assets. Though the duty is leviable on instruments however the divergence of rate in different states shall impact the proposed structure for respective domicile.

Sole proprietorships: Indeed a sole proprietorship is the oldest and simplest form of business organization in India but still a 'sole proprietorship firm' is not a separate legal person or entity and any action would be considered in the name of its sole proprietor (individual or HUF) and not in the name of proprietorship concerned [3]. In such form of organization the ownership and management of business is embedded inseparably and ultimately both are one and the same entity. The proprietor shall be operationally, financially and legally responsible towards the obligations of the business entity.

Though it is a easiest tool to start a business but it also has certain inherent limitations like the entity comes to an end with death or proprietor and the successor shall not be entitled to carry forward of losses or benefits in Income tax or other laws which were bestowed to the proprietorship. Also the liability of proprietor is unlimited in this form of business and there are impediments to growth as it is not preferred by banks for lending and limitations of capital availability to the extent available with the proprietor. For High net worth proprietors this form of business results in higher tax rate due to super rich taxes levied in form of

surcharge which takes the effective tax rate as high as 42.74% as against the corporate tax rates which are as low as 17%.

However if the volume of business is limited without any significant growth ambitions then the existing structure has many benefits to offer. Since proprietorship regime is a pass through vehicle therefore from income tax perspective there is a single tax as against companies wherein corporate profits are separately taxed on distribution of dividends. Various concessions are available like books of accounts are not required to be maintained in presumptive scheme of taxation for such proprietorships. Deduction of personal investments in Chapter VI-A of Income tax which are not related to business but still allowable as deduction also brings down the effective tax rate in proprietorship. Earning is freely available for withdrawal without any separate tax on distribution or withdrawal for the proprietor [4]. Further from non tax perspective the proprietor is having full control over the entity. From asset protection perspective it is pertinent to note that corporate entities are prone to faster recovery and liquidation due to Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 which is not presently applicable on proprietorships.

Modes of restructuring of Proprietorships-The restructuring can be done is following manners:

1. Conversion of capital asset of proprietor into stock in trade
2. Conversion of stock in trade of business to capital asset of proprietorship
3. Conversion of proprietorship into company
4. Conversion of proprietorship into partnerships

Each mode of restructuring has its own pros and cons and has suitability according to the situation it seeks to address which shall be discussed with illustrations in these scenarios.

Internal restructuring within proprietorship qua assets: Normally a partner can easily introduce his personal assets into business or withdraw business asset for his personal use since the business is pass through structure however certain provisions in Income tax need to be kept in mind in case of restructuring of assets within firm.

1. Conversion of asset into stock in trade - When a personal asset is brought into business as stock in trade earlier the same was not considered a transfer or transaction subjected to tax as held by Supreme Court in case of Bai Shirinbai K. Kooka [5]. It was observed that

"*if you cannot distinguish a business from its proprietor, then the cost of a thing for the purpose of the business would be its value at the time the proprietor of the business acquired it. Such value from a businessman's point of view would be the value for which he acquired it when he did so for value, or its market value on the date of acquisition, when he paid no value for it.*"

Subsequently an amendment has been brought into Income tax Act to bring such deeming transactions to tax in Section 2(47)(iv) of the Act. The provisions deem cases where asset is converted by the owner thereof into, or is treated by him as, stock-in-trade of a business carried on by him, such conversion or treatment as transfer. In case of immovable properties the stamp duty value thereof is considered as deemed sale consideration as per Section 50C of the Act. However there is a practical problem that nothing has been received as the converted capital asset now stock in trade has not fetched anything, so a concession is provided that the capital gains though accrued would crystallize on actual sale of stock in trade as contemplated in Section 45(2) of the Income tax Act.

Practically this kind of conversion is prevalent in land owners entering into Joint Development agreements with Builders and developers. The differential saving to a landowner is around 10% of profits since the business profit is taxed at 30% as against long term capital gain taxable at 20%. A real life situation is explained hereunder wherein structuring of asset within proprietorship resulted in tax efficiency

Issue: An individual owning 10 hectares of land since 1981 planned to commercially exploit the land appreciation by developing a colony jointly with a builder. There was an apprehension that if the land is developed and sold as such or on entering into Joint development agreement the gross appreciation may be treated as business profits from business of real estate and tax at the rate of 30% plus applicable surcharge would be levied and special benefits like exemption on reinvestment of proceeds in new house or bonds under S.54F, 54EC, etc would be denied.

Analysis: Bombay High Court in case of **Chaturbhuj Dwarkadas Kapadia V. CIT (260 ITR 491)** held that capital gains are to be taxed in the year in which license to enter the property has been given by the Assessee. Therefore if the land is not converted in to Stock in trade the non the date of Agreement for Construction between Land owners and the firm capital gains will crystallize and liability to pay tax immediately would arise.

However if the land is converted first in to Stock in trade and the agreement is entered, then as per Section 45(2) liability to pay capital gains tax would get deferred till actual sale of constructed property is executed. Further, the aforesaid decision of Bombay high Court in case of Chaturbhuj (Supra) shall not apply since at the time of entering in to agreement the asset would be business asset (stock in trade) in hands of land owners. Provisions of 'capital gains', stretched meaning of 'transfer 'would not be applicable since the transaction would be dealt with in accordance with provisions of Chapter IV of Income tax Act. In its ordinary sense, the term "transfer" cannot include entrusting development work to another person. However, under the Act, the term "transfer" is artificially defined in section 2(47) to include several things that otherwise under general law may not amount to a "transfer". Be that as it may, the extended definition of transfer is applicable only

on "transfer in relation to capital assets" and thus excludes its ambit on stock in trade or business assets [7]

2. Conversion of stock in trade into capital asset – When a business asset in form of stock in trade is sought to be withdrawn or to be converted into capital asset, the same was also not a taxable transaction as held by Supreme Court in case of Sir Kikabhai Premchand [6]. It was held that

"In the instant case disregarding technicalities it was impossible to get away from the fact that the business was owned and run by the assessee himself. In such circumstances it was wholly unreal and artificial to separate the business from its owner and treat them as if they were separate entities trading with each other and then by means of a fictional sale introduce a fictional profit which in truth and in fact is non-existent. Cut away the fictions and one reach the position that the man is supposed to be selling to himself and thereby making a profit out of himself which on the face of it is not only absurd but against all canons of mercantile and income-tax law. He may keep it and not show a profit. He may sell it to another at a loss and cannot be taxed because he cannot be compelled to sell at a profit. But in this purely fictional sale to himself he is compelled to sell at a fictional profit when the market rises in order that he may be compelled to pay to Government a tax which is anything but fictional. The appellant's method of book-keeping reflected the true position. As he made his purchases he entered his stock at the cost price on one side of the accounts. At the close of the year he entered the value of any unsold stock at cost on the other side of the accounts thus cancelling out the entries relating to the same unsold stock earlier in the accounts; and then that was carried forward as the opening balance in the next year's accounts. This cancelling out of the unsold stock from both sides of the accounts left only the transactions on which there had been actual sales and gave the true and actual profit or loss on his year's dealings. In the same way, the appellant had reflected the true state of his finances and given a truthful picture of the profit and loss in his business by entering the bullion and silver at cost when he withdrew them for a purely non-business purpose and utilized them in a transaction which brought him neither income nor profit nor gain."

To bring the aforesaid transactions with self the statute has recently introduced section 28(via) which provides that the fair market value of inventory as on the date on which it is converted into, or treated as, a capital asset determined in the prescribed manner shall be deemed to be profits of business under Income from business and profession.

This provision has created practical hardship as the withdrawal or conversion of stock in trade results in immediate cash outflows and does not result in any cash inflows. Also the benefits of period of holding of such stock are not considered for indexation and holding period of capital asset for long term/short term determination purposes [8]. Such provision hinders the proprietor's inherent right to use his own asset/property held as stock in trade.

Issue: A builder has unsold flats in a building as stock in trade which are not expected to be sold at desired price due to prevailing market conditions therefore in order to exploit the unsold stock commercially the same is leased out on rent.

Analysis: When the intention of holding an asset is changed from holding it for sale to use it for leasing or yielding separate income it may be considered as an event of conversion of the same from stock in trade to capital asset. This would result in immediate tax outgo at the rate of 30% on the profits considering market value of such flats. Therefore the benefits of temporary commercial deployment would be overrun by the immediate tax liability on notional profits. Also such conversion can be treated as deemed supply and may trigger GST liability.

No stamp duty implications are involved in the aforesaid restructuring exercises.

Conversion of Proprietorship to Company: The restructuring of proprietorship business can be done by converting it into partnership firms or corporatization into a company which can significantly pave its way towards expansion and growth as such exercise will make available to its disposal more owners capital from other partners or shareholders, Higher borrowing ability from banks owing to its perpetual succession and separation of ownership and management and divesting control is smoothly possible with transfer of shares or reconstitution of firm through deed. Corporate structure may also limit the personal liability of the promoters.

Section 47(xiv) of Income tax in order to encourage corporatization of proprietorship firm into company provides for exemption from capital gains on such transaction subject to satisfaction of certain conditions i.e. all assets and liabilities of the proprietorship to become assets and liabilities of the company, shareholding of proprietor to be atleast 50 percent of voting power in company for next five years from date of conversion. Another additional condition to get the benefit on conversion is that the proprietor shall not get any other direct or indirect benefit apart from allotment of shares in the successor company.

There could be some delay in allotment of shares to proprietor in the converted company entity but when the desired shares were ultimately held by proprietor, the exemption under section 47(xiv) cannot be denied [9]. If the shareholder receives any other benefit apart from receipt of shares in the company then the exemption would be denied by Income tax. However if there is a revaluation of assets and as a result of which if higher number of shares are allotted to the proprietor it would not be regarded as receipt of some extra benefit and the entity would be eligible for exemption [10]. Transfer of credit balance of assessee-proprietor in capital account of proprietorship concern on

conversion of concern into a private limited company, to assessee's account by company could not be treated as deemed dividend [11]

To prevent any mischief the statute has provided for defense in Section 47A(3) which provides that if the aforesaid conditions are violated then the year of violation. However there may be instances that the proprietor enjoys the benefit of exemption and later on dilution of his stake may violate any condition if the company is in loss as such loss would be adjusted against the gain from S.47A(3) of Act. Tax is always levied on Successor Company in case of violation of conditions.

In case of succession of entity by the company depreciation under Section 32 shall be apportioned in number of days usage during the year in the year of conversion. Cost of acquisition and period of holding of proprietor shall be deemed to be cost of acquisition in the hands of company as per S.49(1) of Income tax and period of holding would include the holding period of proprietor as per S.2(42A) of Income tax Act.

In SEBI laws related to listed companies Schedule III provides in Regulation 4 that a newly formed entity through conversion from either a sole proprietorship or a partnership to a limited Company will be bestowed to enjoy the benefit of continuity and the entity is deemed to be in continuation of the old entity [15].

Conversion of Proprietorship into Partnership firm: Normally when the proprietorship business is transferred to partnership the interest in business of the proprietor is diluted and interest of other partners is created in the business. In absence of any specific exemption for such conversion it shall be considered as transfer for purpose of computing capital gains in the hands of proprietor.

For purpose of computing capital gains Section 45(3) of Income tax would come into play which provides that the value of asset contributed by the partner recorded in the books of accounts of the firm shall be deemed to be sale consideration in the hands of partner. Now when the partnership firm records the value of all assets and liabilities at book value then the Sale consideration and Cost of acquisition in hands of proprietor are equal resulting in no capital gains. Therefore inspite of the fact that there is no exemption for such conversion in Income tax, the transaction becomes tax neutral from Income tax persp ective.

The restructuring will be entitled to the benefit of depreciation in hands of successor entity. Also cost of acquisition and period of holding of proprietorship benefit will be to the successor firm as the restructuring is held be qualifying as 'succession' [12]. Loss of the earlier entity shall also be available to successor firm for set off and carry forward.

Conversion of proprietorship into partnership may not disentitle the benefits of tax holiday under Section 10A of Income tax Act. Specific provisions are there is statute to ensure continuation of such benefits to the successor business entity like subsection (9) and (9A) to Section 10A of the Income tax Act.[13]. Similarly on conversion of proprietorship business to partnership business as a whole with all assets and liabilities as industrial undertaking the benefits of S.80IB of Income tax were held to be allowable [14]

With regard to GST liability on stock moved from proprietorship to the new firm (in case of re-structuring of business) it shall be exempt in terms of Schedule-2 of CGST/SGST Act subject to the condition that the existing proprietorship ceases to be a taxable person after such re-structuring. Further the Input tax credit will also be allowed to be carried forward in hands of successor firm.

Conclusion and Findings: Though proprietorship is a simple form of organization still when business restructuring strategies are applied to them it can bring in operational and financial synergies in business. Such strategies have to be designed keeping in mind the taxation and other legal aspects which may have significant impact thereon. There are various tax and legal issues which are still open and the position has not been settled in law and it is suggested that the government should bring in specific provisions to bring certainty on such issues so that there is less litigation and effective implementation of such strategies.

References:-

1. https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/statistics-data for FY 2020-21
2. http://www.eisbc.org
3. Sai Kripa Associates v. Kstar Naturalle Resources (P.) Ltd. [2019] 111 taxmann.com 519 (NCLT - New Delhi)
4. Shukla S, Sole Proprietorship - Analysing Tax Implications, [2009] 180 Taxman 61 (MAG)
5. CIT vs. Bai Shirinbai K. Kooka [1962] 46 ITR 86 (SC)
6. Sir Kikabhai Premchand vs. CIT [1953] 24 ITR 506 (SC)
7. ITO vs. Vilas Babanrao Rukari (HUF) and CIT vs. Chaitanya Properties (P.) Ltd [2016] 67 taxmann.com 201 (Karnataka)
8. CIT v. Abhinandan Inv. Ltd.[2015] 63 taxmann.com 263 (Delhi), Deensons Trading Co. (P.) Ltd.v. ITO[2017] 81 taxmann.com 71 (Chennai)
9. ITO vs. Sanjay Singh [2012] 19 taxmann.com 88 (Delhi)
10. ACIT vs. Nayan L. Mepani [2012] 18 taxmann.com 59 (Mumbai)
11. DCIT vs. Radhe Sham Jain [2012] 28 taxmann.com 255 (Chd.)
12. CIT v. Madhukant M. Mehta [1981]132 ITR 159 (Guj.)].
13. CIT vs. Bullet International [2014] 44 taxmann.com 354 (Allahabad)
14. CIT vs. Prisma Electronics [2014] 51 taxmann.com 77 (Allahabad)
15. Securities & Exchange Board of India v. Prebon Yamane (I) Ltd. [2015] 63 taxmann.com 61 (SC)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

The Historical Milieu of Asceticism: A Study from the Literary Records of the Vedic Age

Krishna Ketan*

*Department of History, Bareilly College, Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly (U.P.) INDIA

Abstract - Studying the literature of the vast and prominent Vedic pantheon reveals a complex history of the class of holy men who were different from the brahmans in their religious practices performed, social status, and Respect in the Vedic society. This article is a close analysis of the little-studied but unusually detailed accounts of these mysterious renouncers who wandered in forests and their quest for the ultimate truth. It first discusses how ascetics are described in different literary sources and how these can be interpreted. The following sections describe the reason for their renunciation of worldly pleasures and the deep connection of their practices with them. The study of the activities of the mysterious yet one of the most influential classes of holy men that wandered the lands of ancient India offers a fresh perspective on the region's religious history. It also adds to the burgeoning study of Indian society, showing that the society was undergoing rapid transformation. It suggests too how historians can make productive use of these literary accounts, sources well suited to comparisons and combinations with other disciplinary approaches.

Introduction - The hymns of the *Rg Veda* mention a class of holy men that are described as the "silent ones" (*munis*), who wore the wind as a girdle, wear garments soiled of the yellow hue, and who drunk with their own silence, following the wind's swift course go where the Gods have gone before.[1] The *muni* is all-knowing and pervades the mind of men, for he has drunk from the magic cup of *Rudra*, which is poison for ordinary mortals.[2]

The Vedas mentioned that the deities gained their status, or even created the entire universe, through the power of their inner ascetic heat (*tapas*) acquired through the rigorous practice of physical and spiritual self-discipline. The earliest reference of the word *tapas* and compound words from the root *tap* appears in many ancient Vedic scriptures, including the Rg Veda (10.154.5), Satapatha Brahmana (5.3 - 5.17), as well as the Atharva Veda (4.34.1, 6.61.1, 11.1.26). These texts describe *tapas* as the process that ultimately led to the spiritual birth of *rsis* (sages of spiritual insights).[3] The Atharva Veda describes all the gods to be born of *tapas* (*tapojâs*), and the creation of all earthly life from the sun's *tapas* (*tapasah sambabhivur*). [4]

After about the 7th Century BC, asceticism had become very widespread, and it was through the ascetics, rather than the orthodox sacrificial priests, that the new teachings developed and spread. Some ascetics lived in solitary, dwelling in the depths of the forests, and bore the fangs of hunger, thirst, heat, cold, and rain. Others dwelt in "penance grounds" on the outskirts of towns, where, they performed extreme austerities of sitting near blazing fires in the hot sun, lying on beds made of thorns, hanging heads downwards for hours from the branches of trees, or holding their arms motionless above their heads. However, most of the new developments in thought came from ascetics of less rigorous discipline, whose chief practices were the mental and spiritual exercises of meditation.

The original motive of Indian asceticism was the desire for the acquisition of knowledge. By the time of the Upanishads, even among the brahmans, the faith in the cosmic mystery of the sacrifice started waning. Although sacrificial mysticism did not immediately vanish, the rite was seen to be a means of obtaining prosperity, long life, escaping the cosmos, and securing a place in heaven. In the eastern parts of the Ganga Basin, Brahmanism was not so deeply rooted as in the west, and older non-Aryan currents of belief flowed more strongly.

There is adequate evidence to conclude that organized ascetical institutions existed in northern India arguably by the 6th and certainly by the 5th century BC. The earliest evidence we possess pointing to the existence of independent ascetical codes within the Brahmanical tradition comes from the grammatical treatise Astadhyayi of Panini, commonly assigned to the 4th B.C.E.[5] The idea that ritual religion can and must be overcome at some point in a person's life is the basis of Brahmanical renunciation. This idea is based on the prevalent Upanishadic doctrine that was methodically developed in the monistic theology of *Advaita* Vedanta, according to which rites serve to perpetuate *samsara*—a life characterized by recurrent births

and deaths—and that giving up rites is a necessary prerequisite for obtaining liberating knowledge. First of all, the non-ritual state of renunciation is frequently portrayed as the pinnacle of the ritual. As we shall see, internalization is viewed in this sense as a process of abandoning ceremonies and ritual accouterments. The *Brahtsamnyasa Upanishad* mentions:

"Rites bind and knowledge frees people. Therefore, wise ascetics refrain from performing rites." [6]

"An ascetic who offers the entirety of the phenomenal universe in the fire of knowledge is a great ascetic and a true fire-sacrifice after having stored the sacred fires within himself." [7]

Renunciation entails obtaining the freedom from attachment to material possessions and from pursuing all other goals to concentrate all of one's energies on acquiring the knowledge that confers absolute freedom.

False renunciation occurs when a person does not seek knowledge. He has neglected his regular obligations without fulfilling the related duty to pursue knowledge, and as a result, he faces dire repercussions.

Through knowledge, they become aware of the Supreme Intelligence and its essence; and through bhakti, reciprocate the love and sweetness they experience from the Supreme Being.[8]

His soul gradually penetrated the cosmos' mysteries and reached regions that were far from the relatively drab skies where the great gods lived in glory and brightness. He achieved a realm of truth and bliss that was beyond birth and death, joy and sorrow, good and evil by moving "from darkness to darkness deeper yet" and solving the secret beyond all mysteries. He also ultimately and thoroughly understood the essence of the cosmos and of himself. And with this transcending insight came the further knowledge that he was absolutely free. He had discovered the pinnacle of salvation—the crowning achievement of the soul. The hermit who completed his mission was a conqueror above all conquerors. He was the greatest being in the cosmos.

Professor Huxley harshly criticised the Hindu ideal.[9] He asserts that the summum bonum of the Hindu is an almost somnambulistic condition of impassivity, which, were it not for its recognised holiness, might be mistaken for insanity. It causes people to give up their possessions, relationships, and families. The emotionless, attenuated monk who is dicant, self-hypnotized into cataleptic trances that the deluded mystic interprets for foretastes of ultimate union with Brahma, is all that is left of a man after practising the religion of the Vedas. Professor Huxley is thinking about Yogin from a later time, who confuses religion with hocus-pocus and other superstitious practises. In actuality, the Upanishad religion is one of absolute freedom, and in actuality, Upanishad believers do believe that it is generally wise to retire from active life once one has completed one's duties in active life. Professor Huxley's opinion is only an objective and a singular perspective to a much deeper subject.

Yajnavalkya's actions not only introduced a new way of thinking but also the new order of life which the relationship of *atman-brahma* permeates throughout India. Yajnavalkya bids his beloved Maitreyi farewell at the end of the grihastha stage. All the temporal interests, including the wife, kids, house, and property, now relinquished. It is an interesting truth that the greater religion of the Upanishad, at least in theory, begins where the faiths of other peoples are happy to end their duties. What more is required when the young Brahman has been disciplined, taught how to live a righteous, god-fearing, god-protected life, insured the safe continuation of his race through pious offspring, and has ultimately been admitted to the heavenly house of the glorious Fathers?[10]

The final step sees the abandonment of all worldly interests and the severing of all ties of affection, desire, and passion. Aside from the knowledge that he is the brahma, he has no set residence and lives and survives as he sees fit. This self-realization results in the annihilation of ignorance, and along with it, the phantom world of misery and joy vanishes from view. The soul breaks the chain that keeps it imprisoned by its transmigration to the world, or illusion, when it realises at last that it is brahma, i.e. truth.

" When one realize that success ensues to the solitary man, he neither abandons nor becomes abandoned. He shall always walk alone, without a companion, in order to attain success" [11]

Asceticsm was inspired by a desire for knowledge, the curiosity for wisdom which could not be fulfilled by the four Vedas. It was not merely a means for escaping an unhappy and unsatisfying world. Thus the expansion of asceticism in the milieu of India is not only a yardstick for the measurement of psychological uncertainties of the times, but also of their intense desire for knowledge . Therefore, it is wrong to stigmatize asceticism as mere "life-negation".

References :-

1. **केश्यग्निं केशी विषं केशी बिभर्ति रोदसी । केशी विश्वं स्वर्दृशे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥1॥**
   मुनयो वातरशना: पिशङ्गा वसते मला । वातस्यानु ध्राजिं यन्ति यद्देवासो अविक्षत ॥2॥ -Rig Veda,Hymn 10.CXXXVI.1-2
2. Rig Veda, Hymn 10.CXXXVI. 7
3. Walter O. Kaelber (May, 1976), Tapas, Birth, and Spiritual Rebirth in the Veda , History of Religions, Vol. 15, No. 4, page 344-345
4. Atharva Veda, 8.1.10
5. Panini - Ashtadhyayi- 4.3.110-111
6. Brahtsamnyasa Upanishad - 272
7. Brahtsamnyasa Upanishad - 272
8. M. Bloomfield (1906-1907), The Religion of the Veda And The Ancient Religion of India, Seventh Series, Page- 281
9. Professor Huxley, Evolution and Ethics, Page- 65
10. Shukla Yajurveda , Chapter - 7
11. Manusmriti, Chapter- 6, Verse- 42

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

वनौषधीय पौधे : नई दवाओं के आगामी स्रोत

डॉ. आशीष खिमेसरा *

* वरिष्ठ शोधार्थी (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – बीमारियों के इलाज के लिए त्वरक गति से ज्ञान का विकास जारी रहा और पौधों से उत्पन्न नई दवाओं की संख्या भी उसी तरह से बढ़ती गई। प्रकृति ने हमारे देश को औषधीय पौधों की एक विशाल संपत्ति दी है।

मानव अस्तित्व के शुरुआत से ही मानव जाति का परिचय पौधों से हुआ और उन्होंने इनका कई तरीकों से प्रयोग किया। भोजन की तलाश में और विभिन्न बीमारियों से निपटने के लिए आदि मानव ने पोषण के लिए उपयुक्त पौधों और विशिष्ट औषधीय गुणों वाले पौधों के बीच भेद ज्ञात करना शुरू किया। पौधों और मनुष्य के बीच का यह रिश्ता बढ़ता गया और कई पौधों का प्रयोग दवाओं के रूप में किया जाने लगा। बीमारियों के इलाज के लिए त्वरक गति से ज्ञान का विकास जारी रहा और पौधों से उत्पन्न नई दवाओं की संख्या भी उसी तरह से बढ़ती गई। प्रकृति ने हमारे देश को औषधीय पौधों की एक विशाल संपत्ति दी है। औषधीय पौधों के उपयोग के रिकार्ड किए गए सबसे पुराने साक्ष्य भारत, चीन, मिस्र, ग्रीक, रोमन और सीरिया के ग्रंथों में पाए जाते हैं जो लगभग 5000 साल पुराने हैं। इस स्तर पर पूरी दुनिया में भारत का एक अनूठा स्थान है जहां चिकित्सा की कई मान्य स्वदेशी प्रणालियां जैसे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग और नेचुरोपेथी लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं।

वनौषधियाँ क्या है?

विभिन्न बीमारियों के उपचार या स्वास्थ्य संवर्धाक के रूप में वनौषधियाँ को देखा जाता है। पौधों में जैविक रूप से सक्रिय पदार्थ होते हैं जिन्हें फाइटोकैमिकल (द्वितीयक उपापचयज) के रूप में जाना जाता है। फाइटोकैमिकलों में दवा जैसे गुण होते हैं जिन्हें औषधीय या चिकित्सीय माना जाता है। रोगों के उपचार के लिए पौधों सहित इन तमाम स्वदेशी या स्थानीय औषधीय विधियों से उपचार करने के विज्ञान को एथनोफार्माकोलॉजी कहा जाता है।

वनौषधियों की आवश्यकता क्यों?

वनौषधियाँ में आमतौर पर अनेक प्रकार के औषधीय रूप से सक्रिय तत्व होते हैं जिनके नैदानिक (उपचार संबंधी) प्रभाव होते हैं। वनौषधियाँ किफायती होती है लेकिन ये लोगों के लिए प्रभावी होती हैं और उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं तथा इनके दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। यह देखा गया है कि चयापचयजों की उपस्थिति के कारण कई पौंधों में औषधीय प्रभाव होते हैं। पौधों के चयापचयज प्राथमिक और माधयमिक चयापचयों सहित कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्राथमिक चयापचय ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें ग्लूकोज, स्टार्च, पॉलीसेकेरॉइड, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड शामिल हैं, जो वृद्धि और विकास के लिए लाभकारी हैं। पौधे द्वितीयक चयापचयज भी संश्लेषित करते हैं, जैसे, अल्कालॉइड, पॉलीफिनोल्स (फ्लेवोनॉइड, फिनोलिक्स टेनिन, ग्लाइकोसाइड्स), सेपोनिन्स, टरपीन्स (कैरॉटिनॉइड और स्टेरॉइड, एंथ्राक्विनोन्स और वाष्पशील तेल), जो बायोएक्टिव फाइटोकैमिकल हैं। ये फाइटोकैमिकल प्राकृतिक यौगिक हैं जो शाकाहारियों, कीटों और रोगजनकों से पौधों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दवाओं, स्वादिष्ट मसालों और मनोरंजक दवाओं के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। भारत के लोग वैज्ञानिक ज्ञान और उचित मार्गदर्शन के बिना हजारों वर्षों से पौधों को दवाओं के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दवाओं के रूप में पौधों के प्रयोग को एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली की तरह माना जाता है। यह वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया गया है कि पौधो के प्रत्येक भाग– फूल, जड़ और तना, पत्तो, फल, बीज और यहां तक कि संपूर्ण पौधा भी– में औषधीय गुण विद्यमान होते हैं। हालांकि, कुछ अध्ययनों से पता चला है कि कुछ पौधो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए प्रयोगात्मक मॉडल पर चिकित्सीय प्रभावकारिता की जांच करने के लिए वनौषधियाँ पौधों पर उचित नैदानिक अनुसंधान का संचालन करना आवश्यक है क्योंकि वे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कुछ अणुओं को नियंत्रित करते हैं।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

तालिका 1: फाइटोकैमिकलों के वर्ग

फाइटोकैमिकल	संरचना	उदाहरण
अल्कलॉइड्स	हीटरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन एटम	मॉर्फाइन, कैफीन, बर्बेरिन, कोडीन
ग्लाइकोसाइड्स	कार्बोहाइड्रेट और गैर कार्बोहाइड्रेट अणुओं से व्युत्पन्न	एमिग्डेलिन, जेन्टिओपिक्रिन, एंड्रोग्राफोलाइड, सेनोसाइड
पॉलीफिनोल्स (फ्लेवोनॉयड्स, फिनोलिक्स टैनिन्स)	फिनोल निहित सुगंधित एलिफेटिक रिंग	क्वेरसेटिन, कैम्फेरॉल व क्वेरसिट्रिन, कैफिक अम्ल, फ्लावोन्स, रुटिन, नरिन्जिन, हेस्पेरिडिन तथा क्लोरोजेनिक, टैनिक अम्ल, गैलिक अम्ल और एलेजिक अम्ल
सैपोनिन्स	ट्रिटर्पीन या स्टेरॉइड एग्लिकोन से जुड़ा शुगर (शर्करा)	डायसजेनिन और डिजाजेनिन
टर्पीन (कैरोटिनॉइड्स, स्टेरॉइड)	लंबी असंतृप्त एलिफेटिक चेन (आइसोप्रीन इकाइयाँ)	आर्टिमिसिनिन, α-कैरोटीन, β-कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटीन और जीयाजैंथिन
एन्थ्राक्विनोन्स	फिनोलिक और ग्लाइकोसाइडिक यौगिकों के व्युत्पन्न	रीन, सेनिनोसाइड, पोरामाइड और ल्यूटीयोलिन

नई दवाओं के स्रोत के रूप में पौधों का महत्व – वनौषधियाँ पूरी दुनिया में व्यापक रूप से प्रचलित हैं। सदियों से, जुकाम, एलर्जी, पेट की खराबी और दांत दर्द जैसी सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए लोगों का झुकाव प्राकृतिक उपचार की ओर रहा है। हाल ही के वर्षों में, रोगों और बीमारियों की रोकथाम के लिए संश्लेषित दवाओं के मुकाबले प्राकृतिक दवाओं की ओर अधिक ध्यान गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एचओ.) का अनुमान है कि 4 अरब लोग (दुनिया की आबादी का 80%) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के कुछ पहलुओं के लिए वनौषधियाँ का प्रयोग करते हैं। वनौषधियाँ को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए एक आवश्यक घटक के रूप में डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा मान्यता दी गई है। पुरातन काल से ही, मानव सभ्यता भोजन, दवा, कपड़ा और आवास के रूप में कई पौधों का प्रयोग कर रही है। शाकाहारी खाद्य पदार्थों में कई 'उत्तम पोषक तत्व', जैसे सुरक्षात्मक ऑक्सीकरण रोधी, फाइटोकैमिकल्स और सूक्ष्म पोषक तत्व, उच्च मात्रा में विद्यमान होते हैं, जो स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं और रोगों से बचाते हैं। पौधों की कई औषधीय भूमिकाएं होती हैं जैसे प्रति.ऑक्सीकारक, प्रतिविषाणुज, कैंसररोधी, रोगाणुरोधी, कवकरोधी और परजीवी रोधी। पौधों में फ्लेवोनॉइड, फीनोलिक्स, एंथोसियानिन और विटामिन जैसे मुक्त मूलक समार्जक अणु होते हैं जिनमें प्रति.ऑक्सीकारक गतिविधियां बहुत अधिक होती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पुष्टि हुई है कि फाइटोकैमिकलों के प्रति.ऑक्सीकारक गुण मानव शरीर में मुक्त मूलकों को कम करने में प्रभावी होते हैं। फाइटोकैमिकल हृदय रोग, लीवर–गुर्दे संबंधी रोग, मधुमेह, कैंसर और न्यूरोडिजनरेशन विकारों सहित कई बड़े–बड़े रोगों के खतरे को भी कम कर सकते हैं। पौधों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न कई वनौषधियाँ हैं जिन्हें मानव जाति की विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए वर्तमान में उपयोग किए जाने वाली महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है।

दवा की पारंपरिक प्रणाली – आयुर्वेद एक प्राचीन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है जो भारत में कुछ 3,000–5,000 वर्ष पहले विकसित हुई थी। चिकित्सा की आयुर्वेदिक प्रणाली के प्राचीन साहित्य के अनुसार, भारत में वैदिक काल के दौरान इसका प्रयोग किया गया। पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में लगभग 700 पौधों का वर्णन किया गया है। यह चिकित्सा प्रणाली एक पूरक चिकित्सा के रूप में दुनिया के अन्य भागों में व्यापक रूप से प्रचलित है। भारत की आयुर्वेदिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से रोगों से रक्षा करना है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ 'जीवन का विज्ञान' है। अनुमान है कि भारत में अधिकतर ग्रामीण और आदिवासी गांवों में स्थानीय स्वास्थ्य सेवा परंपराओं में लगभग 7,500 पौधों का प्रयोग किया जाता है। हर्बल उपचार चिकित्सा की आयुर्वेदिक प्रणाली का सबसे लोकप्रिय रूप है।

हर्बल आधारित चिकित्सा, स्वास्थ्य उत्पाद, औषधि, पूरक आहार, पौष्टिक औषध, और सौंदर्य प्रसाधनों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। वर्तमान में, प्राकृतिक उत्पाद उपयोग में आने वाली सभी दवाओं के 50प्रतिशत से अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और 252 दवाइयों को डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा आधारभूत और आवश्यक माना जाता है। ये दवाइयां पूर्ण रूप से फूल वाले पौधों से उत्पन्न होती हैं। पिछले तीन दशकों के दौरान 50 प्रतिशत तक अनुमोदित की गई हर्बल दवाइयां पौधों, सूक्ष्मजीवों, कवक और जानवरों सहित प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राकृतिक उत्पादों से बनी हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन.एम.पी.बी.), ने समूचे भारत में औषधीय पौधों के प्रयोग का दस्तावेजीकरण करने में गहरी रूचि दर्शाई है। भारत वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपेथी) की पारंपरिक पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने में आगे बढ़ रहा है।

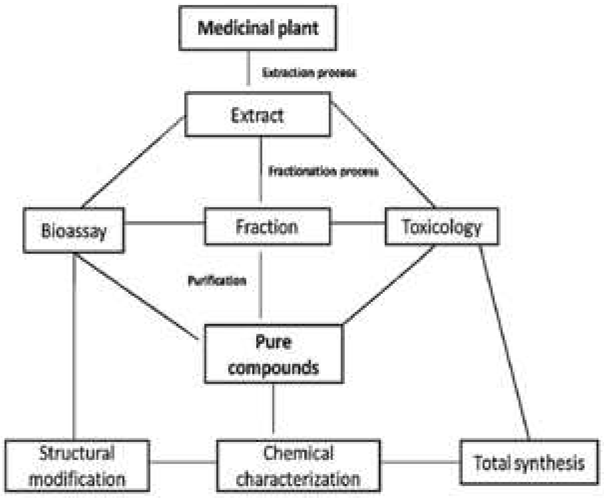

वनौषधियों का विकास और चुनौतियां – पौधों पर आधारित दवाओं का विकास तब हुआ जब पृथक्करण, शुद्धिकरण और पौधों के सक्रिय यौगिकों के लक्षण वर्णन का रसायन विज्ञान विकसित हुआ। वनौषधियाँ चिकित्सा लागत प्रभावी है, इसके दुष्प्रभाव बहुत कम हैं और यह एलोपेथिक दवाई की दुकान से खरीदी गई दवाओं से सस्ती हैं। वनौषधियों में जड़ी.बूटी, वनौषधियाँ सामग्री, वनौषधियाँ निष्कर्षण और वनौषधियाँ उत्पाद शामिल हैं जिनमें पौधों के अलग–अलग भाग सक्रिय तत्वों के रूप में मौजूद होते हैं।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

यह अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है कि आधुनिक दवा विकास में वनौषधियाँ पौधो और उनके यौगिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औषधीय पौधो नई दवाओं के विकास के प्राकृतिक संसाधान हैं।

पिछले 2-3 दशकों, में औषधीय पौंधों से दवा के विकास के अनुसंधान की सफलता के बावजूद, भावी प्रयासों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक वनौषधियाँ उत्पाद की गुणवत्ता अक्सर संदेहयुक्त होती है; कच्चे माल का मानकीकरण वनौषधियाँ उद्योग के लिए एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। वनौषधियाँ पौधो विकास, प्रसंस्करण और संग्रह के दौरान आसानी से दूषित हो सकते हैं। मिलावट और भारी धातु संदूषण वनौषधियाँ में सूचित दो प्रमुख समस्याएं हैं। औषध उद्योग में नई वनौषधियों के विकास के लिए और दवा की खोज के अन्य प्रयासों के साथ तालमेल रखने के लिए बायोएक्टिव यौगिकों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार की आवश्यकता है।

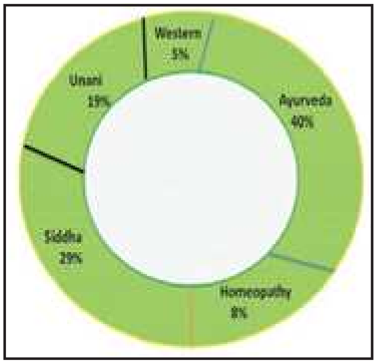

वनौषधियाँ या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग में विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का प्रतिशत (%)

निष्कर्ष – पिछले दशक के दौरान, संभावित दवा पदार्थ के स्रोत के रूप में वनौषधियाँ की जांच में फिर से दिलचस्पी उत्पन्न हुई है। वर्तमान में प्रयोग होने वाली कृत्रिम दवाइयों के अक्सर मानव शरीर पर जहरीले दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जांच के बेहतर तरीकों की सहायता से पौंधों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से नई प्राकृतिक दवाओं के विकास और लक्षण वर्णन के लिए और अधिक शोध और अध्ययन की आवश्यकता है। हालांकि अब जैव प्रौद्योगिकी के तरीकों से पौधों से उच्च शुद्धता के बायोएक्टिव यौगिकों को पृथक करना संभव हो गया है।

वनौषधियाँ के विकास के क्रम में सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं, कुछ विश्वविद्यालयों और औषधियों की परंपरागत प्रणालियों पर काम करने वाले संस्थानों के साथ मिलकर आयुष मंत्रालय (भारत सरकार) काम कर रहा है। तालिका 2 में औषधीय पौधों, जैव सक्रिय यौगिकों और उनके उपचारात्मक प्रभावों को दर्शाया गया है। औषधीय पौधों को आधुनिक औषध विकास में प्रयोग किए जाने वाले घटकों का एक समृद्ध स्रोत समझा जाता है। वनौषधियाँ का दौर पुन: आने वाला है और विज्ञान के इस क्षेत्र में क्रमबद्ध तरीके से अनुसंधान की व्यापक जरूरत है। इस प्रकार आयुष की भूमिका मानव रोगों के उपचार और स्वास्थ्य देखभाल में अहम हो जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भेषजगुणविज्ञान: डॉ. अलख नारायण सिंह,चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी,1998
2. भैषज्यरत्नावली:प्रोफेसर सिद्धिनन्दन मिश्र,चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2009
3. कायचिकित्सा:डॉ. विद्याधर शुक्ल,चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2011
4. चरक संहिता का संक्षिप्त स्वरूप: डॉ. निशि अरोड़ा, चौखम्बा विश्वभारती, वाराणसी,2006
5. आयुर्वेदीय पञ्चकर्म-चिकित्सा:आचार्य मुकुन्दीलाल द्विवेदी, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, 2012
6. आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय: डॉ. विद्याधर शुक्ल, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, 2012
7. आयुर्वेदीय रसशास्त्र: डॉ. चन्द्रभूषण झा, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2014
8. वनौषधियों का अर्थशास्त्र: डॉ. आशीष खिमेसरा, अमन प्रकाशन, कानपुर, 2013

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

तालिका 2: औषधीय पौधों के उत्कृष्ट बायोएक्टिव यौगिक

क्रम सं.	पौधों की प्रजाति	सामान्य नाम	सक्रिय एजेंट	मान्य औषधीय कार्रवाई
1.	टैक्सस ब्रीवीफोलिया	पेसिफिक यू	टैक्सॉल	ट्यूमर रोधी
2.	कैथेरेन्थस रोजियस	सदाबहार	अल्कालॉइड (विन्ब्लास्टाइन और विन्क्रिस्टाइन)	कैंसररोधी
3.	कैंपटोथेका एक्युमिनेट	टेप्पी ट्री	टोपोटीकेन आइरेनोटीकेन	कैंसररोधी एजेंट (गर्भाशय और फेफड़ों की छोटी कोशिका के कैंसर का उपचार)
4.	पोडोफाइलम पैल्टाटम	मेएप्पल	अल्कालॉइड (इटोपोसाइड और टेनियोसाइड)	कैंसररोधी एजेंट
5.	करक्युमा लोंगा	हल्दी	फ्लेवोनॉइड (करक्युमिन)	कैंसररोधी, प्रज्वलनरोधी, यकृतसंरक्षी
6.	सिलिबम मैरिएनम	मिल्क थिसल	फ्लेवोनॉइड सिलिमेरिन (सिलिबिनिन)	कैंसररोधी, प्रज्वलनरोधी, हेपेटिक विकारों के लिए लीवर टॉनिक
7.	रिकिनस कम्युनिस	अरण्डी	अल्कालॉइड (रिसिनाइन), लेक्टिन (रिसिन)	यकृतसंरक्षी, प्रतिऑक्सीकारक, हाइपोग्लाइकेमिक, ट्यूमररोधी
8.	टरमिनेलिया चेबुला	हर्र	टैनिन्स, शिकिमिक अम्ल यौगिक, ट्रिटर्पनॉइड, एलेजिक अम्ल	प्रतिऑक्सीकारक, मधुमेहरोधी, रीनोसंरक्षक (renoprotective), यकृतसंरक्षी
9.	विथानिया सोम्निफेरा	अश्वगंधा	स्टेरॉइडल लेक्टोन्स, विदएनोलॉइड्स, नोटेबली विदएफरिन ए	केमो निवारक (chemopreventive), कैंसररोधी, स्मृतिवर्धक और इम्युनोमोड्यूलेटर, पार्किंसंस और अल्जाइमा विकृतियों में प्रयुक्त
10.	जिन्जिबर ऑफिसिनेलिस	अदरक	मोनो और सेसक्विटर्पेनॉइड, जिन्जेरोन एवं जिन्जेरोल्स	कैंसररोधी, प्रतिऑक्सीकारक, यकृतसंरक्षी, हाइपरकोलेस्टरोलेमिक, एथिरोस्क्लेरोटिक रोधी
11.	अजाडिरक्टा इंडिका	नीम	लिमोनॉइड्स (निम्बिडिनिन), द्वि तथा त्रि-टर्पिनॉइड्स	कार्सिनोमा निरोधी, केमो निवारक, कोलोन कैंसर निरोधी, एलर्जी रोधी, रक्त शोधक
12.	पाइपर नाइग्रम	काली मिर्च	पिपेरिडाइन, डिहाइड्रोपाइपर्नोनेलिन	प्रति कार्सिनोजेनिक, प्रति हाइपरलिपिडेमिक, मिरगी में उपयोगी
13.	टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया	गिलोय	डाइटर्पिनॉइड, फ्यूरेनोलेक्टोन्स (टाइनोस्पोरिन), आइसोक्विनोलीन, अल्कालॉइड्स	इम्युनोमोड्यूलेटर, केमो निवारक, कार्डियो संरक्षी (हृदय संबंधी), मधुमेहरोधी
14.	एलोवेरा	घृतकुमारी	एलोइन और इमोडीन, कैम्पेस्टेरॉल, β-सिसेस्टेरॉल	चिकित्सीय गुण, प्रतिविषाणुज और ट्यूमररोधी गतिविधियाँ, मधुमेहरोधी, यकृतसंरक्षी, पूतिरोधी
15.	ऑसीमम सैंक्टम	तुलसी	एपिजेनिन, टेक्सॉल और अर्सोलिक अम्ल, सिट्रल	मधुमेहरोधी, यकृतसंरक्षी, जीवाणुरोधी, कवकरोधी, ज्वररोधी तथा कैंसररोधी गुण
16.	बरबेरिस वल्गेरिस	बारबेरी	बर्बेरीन	मधुमेहरोधी, यकृतसंरक्षी, रोगाणुरोधी
17.	बर्जीनिया सिलिएटा	पाखानभेद	आई.एस.-01246	गठियारोधी
18.	डिजिटेलिस लेनाटा	तिल पुष्पि	डाइगोक्सिन	हृदय रोगों में प्रयुक्त
19.	नाइजेला सेटिवा	काला जीरा	थाइमोक्विनोन	मधुमेहरोधी, कैंसररोधी, रोगाणुरोधी, हेपेटो-रेनल संरक्षी और जठर संरक्षी
20.	सिन्कोना रोबस्टा	क्विन्वा	क्विनीन	मलेरियारोधी, परजीवीरोधी प्रभाव
21.	आर्टेमीसिया एब्सिन्थियम	मीठा नागदौन	आर्टेमिसीनिन	मलेरियारोधी दवा
22.	स्वर्टिया चिरटा	चिरायता	ऑफेलिक अम्ल, स्वर्टियामेरिन,मैनजेफिरन और एमेरोजेनटिन	मधुमेहरोधी प्रभाव, प्रतिविषाणुज, हेपेटो-रेनल संरक्षी
23.	एलियम सैटिवम	लहसुन	एलिसिन	कार्डियो संरक्षी, प्रज्वलनरोधी
24.	टर्मिनेलिया अर्जुना	अर्जुन	अर्जुनिक अम्ल, टैनिक अम्ल, टैनिन्स, सैपोनिन्स, गालिक अम्ल और फाइटोस्टेरॉल्स	कार्डियो संरक्षी, कैंसररोधी एजेंट, यकृतसंरक्षी
25.	फाइलेन्थस एम्बिलका	आँवला	एम्बिलकेनिन ए, एम्बिलकेनिन बी, प्यूनिग्लूकोनिन तथा पेडुनक्युलेजिन	प्रतिविषाणुज, रोगाणुरोधी गुण, कैंसररोधी, यकृतसंरक्षी और मधुमेहरोधी

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Doctrine of Frustration of Contract

Aprajita Bhargava*

***Project Co-Ordinator, R.D.Public School, Betul (M.P.) INDIA**

Introduction - Black's Law Dictionary defines the term 'contract'[1]: An agreement between two or more parties, creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law. Contracts are voluntary agreements reached between individuals which have benefit for both the parties. The contract happens through a communicative process between the individuals. In almost all the cases, an agreement is formed when one person makes an offer, and the other accepts it. Contract law is based on the principle that parties bargain to form agreements to exchange goods and services and, in the case of a dispute; the courts have to give effect to it. The contract makes provision for the discharge of a contract only where, after its formation, a change of circumstances makes contractual performance illegal or impossible. In English law, such a situation is provided for by the doctrine of frustration[2]. Originally this term was confined to the discharge of maritime contracts by the 'frustration of the adventure', but now it has been extended to cover all cases where an agreement has been terminated by supervening events beyond the control of either party.

Meaning And Definition - Black's Law Dictionary defines the term 'frustration'[3]: the prevention or hindering of the attainment of a goal, such as contractual performance. A valid contract becomes void if it subsequently becomes illegal or its performance becomes impossible due to change in subsequent events. The impossibility could be due to flood, fire, natural disaster, epidemics, strike, riot, civil war, etc. The contract is said to be frustrated. It has accumulated a lot of deadwood, particularly in the cross-referencing between Indian Law and Common Law. The Indian courts have extensively referred to the common law judgments on impossibility.

A contract may be frustrated when something occurs after the formation of the contract which renders it physically or commercially impossible to fulfill the contract or transforms the obligation to perform a radically different obligation from that undertaken to perform while executing the contract.

Force Majeure Clause: Black's Law Dictionary defines Force Majeure Clause[4]: A contractual provision allocating the risk of loss if performance becomes impossible or impracticable, especially as a result of an event or effect that the parties could not have anticipated or controlled. The development in relation to frustration of contracts made the contracting parties mindful in stipulating terms that could prevent frustration of the contract. The modality was to make express provisions on all things which could frustrate a contract, like war, floods, and other natural calamities. Once an express provision was made, the express provision would apply. However to require a person to do something impossible or near impossible, even if expressly agreed, would be struck down by the courts as void. The clause on impossibility in standard terms of the contract is called force majeure clause. The stipulation makes it possible for the party to extend the performance of contract as well as retain the option of terminating the contract.

Develpoment Of The Doctrine In The English Law: Before 1863, it was a general rule of the law of contract that a person was absolutely bound to perform any obligation which had been undertaken, and could not claimed to be excused by the mere fact that performance had subsequently become impossible. The classic decision on the rule as to absolute contracts first was highlighted in Paradine v. Jane. Where a lessee who was sued for arrears of rent pleaded that he had been evicted and kept out of possession by an alien enemy; such an event was beyond his control, and had deprived him of the profits of the land from which he expected to receive the money to pay the rent. He was nevertheless held liable on the ground that, "where the law creates a duty or charge and the party is disabled to perform it and hath no remedy over, there the law will excuse him... but when the party of his own contract creates a duty or charge upon himself, he is bound to make it good, if he may, notwithstanding any accident by inevitable necessity, because he might have provided against it by his contract."[5]

However this approach proved too strict and potentially unjust even for the 19th century courts. Who were in many respect strong supporters of the concept of freedom of contract, taking the view that it was not for the court to interfere to remedy perceived injustice resulting from a freely negotiated bargain.

The modern law has developed from the classic

decision in Taylor v. Caldwell[6]. Where the facts were that the defendants had agreed to permit the plaintiffs to use a music-hall for concerts on four specified nights. After the contract was made, but before the first night arrived, the hall was destroyed by fire. Blackburn J., held that the defendants were not liable for damages since the doctrine of the sanctity of contracts applied only to a promise which was positive and absolute, and not subject to any condition express or implied. It was held that, "as subject to an implied condition that the parties shall be excused in case, before the breach, performance becomes impossible from the perishing of the thing, without default of the contractor… the principle seems to us to be that, in contracts in which the performance depends on the continued existence of a given person or thing, a condition is implied that the impossibility of performance arising from the perishing of the person or thing shall excuse the performance. In none of these cases is the promise other than positive, nor is there any express stipulation that the destruction of the person or thing shall excuse the performance; but that excuse is by law implied."

Scope Of Frustration: The doctrine of frustration currently operates within rather narrow confines. This is so for two principle reasons. The first is that the courts do not wish to allow a party to appeal to the doctrine of frustration in an effort to escape from what has proved to be a bad bargain. As per a prominent case[7] 'The frustration is not lightly to be invoked to relieve contracting parties of the normal consequences of imprudent commercial bargains'.

The second is that parties to commercial contracts commonly make provision within their contract for the impact which various possible catastrophic events may have on their contractual obligations. Thus, force majeure clauses, hardship and intervener clauses are frequently inserted into the commercial contracts. The effect of these clauses is to reduce the practical significance of the doctrine of frustration because; where express provision has been made in the contract itself for the vent which has actually occurred, then the contract is not frustrated.[8] Therefore the wider the ambit of contractual clauses, the narrower is the practical scope of the doctrine of frustration.

The Theoretical Basis Of Doctrine Of Frustration: Considerable judicial attention has been paid to the theoretical basis on which the doctrine of discharge of a contract by frustration rests. This is because of a perceived need to explain why a finding of frustration does not constitute a reallocation of risks nor permit an escape from a bad bargain.[9]

The House of Lords in successive pronouncements have set forth a number of learned, but often contradictory, opinions concerning this issue. A number of theories have been put forward at various times. There is no general agreement on the appropriate test to be applied.

There are only briefly four principal tests or theories which have been advanced.[10]

(i) Implied Term: The preponderance of judicial opinion at one time favored the view that frustration of a contract depends upon the implication of a term. But this does not explain discharge where the performance of the contract is made legally impossible by a change in the law or its operations.[11]

A contract would therefore be frustrated if a term could be implied that, in the events that subsequently happened, the contract would come to an end. The expression 'an implied term' is ambiguous. It may be used in a subjective sense. It may mean a term which the court reads into the contract in order to give effect to what it regards as the parties real intention at the time of contracting. The number of objections may be raised to such an implied term. Particularly, it is difficult to see how the parties could be taken, even impliedly, to have provided for something which never occurred to them[12]. Lord Wright said[13], "It is not possible, to my mind, to say that if they had thought of it, they would have said: 'Well, if that happens, all is over between us'. On the contrary, they would almost certainly on the one side or the other have sought to introduce reservations or qualifications or compensations."

The widespread use of force majeure clauses which specify what is to happen on the occurrence of an event which affects one or both parties' performance.

However, the implied term test has been subject to considerable criticism and was later finally laid to rest in National Carriers Ltd v Panalpina (Northern) Ltd[14]. It was observed that test was artificial since there could be a genuine common intention to terminate the contract upon the occurrence of the event. Therefore, it was accepted that the meaning of the contract must be taken to be, not what the parties did intent, but that which the parties, as fair and reasonable men, would presumably have agreed upon if, having such possibility in view, and they had made express provision as to their several rights and liabilities in the event of its occurrence.

(ii) Just And Reasonable Result: The discharge of a contract by frustration occurs not because of the actual or imputed will of the parties but by operation of law. The doctrine of frustration is, as Lord Summer pointed out, 'a device, by which the rules as to absolute contracts are reconciled with a special exception which justice demands'.[15] The court exercises a positive function as it releases the parties from further performance of obligations which they would otherwise be bound to perform by declaring a contract to have been frustrated. The recognition of these facts led certain of the judges to the conclusion that the basis of doctrine of frustration was the desire of the courts to reach a just and reasonable result.[16]

(iii) Disappearance Of The Foundation Of The Contract: The doctrine of frustration has also been based upon a theory of the disappearance of the 'basis or the foundation of the contract'. There was requirement of some test which would recognize that frustration did not depend on the

intentions of the parties, but which would not permit contracts to be too easily discharged. The first such test to be formulated was that of the 'disappearance of the foundation of the contract'. The question to be asked was whether the events that had occurred were of a character and extent so sweeping as to cause the foundation of the contract to disappear.[17] The theory has been rejected by the House of Lords in National Carriers Ltd v Panalpina (Northern) Ltd.[18]

(iv) Radical Change In The Obligation: There is now general agreement that the appropriate test to apply to determine whether a contract has been frustrated is that of a 'radical change in the obligation'. In Davis Contractors Ltd. v Fareham U.D.C., Lord Radcliffe said, "Frustration occurs whenever the law recognizes that without default of either party a contractual obligation has become incapable of being performed because the circumstances in which performance is called for would render it a thing radically different from that which was undertaken by the contract. Non haec in foedera veni[19]. It was not this that I promised to do…there must be…such a change in the significance of the obligation that the thing undertaken would, if performed, be a different thing from that contracted for.[20]"

This test has been adopted by the House of Lords in various cases and was reformulated by Lord Simon in National Carriers Ltd v Panalpina (Northern) Ltd.[21]

This approach has sometimes been called the 'construction' theory, because it requires court to construe the terms of contract in the light of its nature and the relevant surrounding circumstances when it was made to determine the original obligation undertaken by the parties. The court must then consider whether there would be radical change in that obligation if performance were enforced in the circumstances which have subsequently arisen. A mere rise in cost or expense will not suffice.

The Test For Frustration: Although the existence of the doctrine of frustration is now firmly established, its juristic basis remains rather uncertain. However in Lauritzen AS v Wijsmuller BV[22], Bringham L.J sets out five propositions which describe the essence of the doctrine of frustration. These propositions he stated were "established by the highest authority" and were "not open to questions." The first proposition was that the doctrine of frustration has evolved "to mitigate the rigour of the common law's insistence on literal performance of absolute promises." And that its object was "to give effect to the demands of justice, to achieve a just and reasonable result". Secondly, Frustration operates to "kill the contract and discharge the parties from further liability under it" and therefore it cannot be "lightly invoked" but must be kept within "Very narrow limits and ought not to be extended." Thirdly, Frustration brings a contract to an end "forthwith, without more and automatically". Fourthly, the essence of frustration is that it should not be due to the act or election of the party seeking to rely on it. Finally, Frustrating event must take place "without blame or fault on the side of the party seeking to reply to it."

Risks And Its Incidence: Black's Law Dictionary defines the term 'risk'[23]: the uncertainty of a result, happening, or loss, the chance of injury, damage or loss. The doctrine of frustration is principally concerned with the incidence of risk " who must take risk of the happening of the supervening event? The application of the doctrine must not cause a reallocation of risks; the object of the application is to find a satisfactory way of allocating the risk of supervening events. It is the duty of the courts to determine whether the contract, on its true construction, has made provision for that risk.

(a) Express Provision: Where the contract makes provision (that is full and complete provision, so intended) for a given contingency, this will preclude the court from holding that the contract is frustrated.[24]

(b) Foreseen Events: The question is whether events which were foreseen by the parties at the time of contracting can be relied upon to establish frustration. It may be argued that the parties must be taken to have assumed the risk of an event which was present in their minds at the time of contracting. It is however depends upon the construction of contract, whether there is any express provision in the contract that will be binding in case of happening of foreseen events, or whether, in the absence of any express provision, the issue is left open so as to allow incidence of risk to be determine by the law relating to frustration. For example in the case of W.J. Tatem Ltd v. Gamboa,[25] the fact that seizure of the ship was within the contemplation of the parties did not preclude the operation of frustration since the contract made no express provision for the contingency.

(c) Prevention Of Performance In Manner Intended By One Party: The question is whether a contract will be frustrated by an event which prevents performance in a manner intended by one party alone. In Blackburn Bobbin Co. Ltd. v. Allen (T.W.) & Sons Ltd.[26]

A agreed to sell and deliver to B.B. at Hull a quantity of Finnish birch timber. A found it impossible to fulfill his contract because the outbreak of war cut off its source of supply from Finland. B.B. was unaware of the fact that timber from Finland was normally shipped directly form a Finnish port to England, and that timber merchant did not, in practice, holds stocks of it in England.

The court of Appeal held that there was no frustration. The event that has happened was merely that an event had occurred which rendered it practically impossible for defendants to deliver and it had not been provided for in the contract. To free A from the liability, it would have been shown that the continuance of the normal mode of shipping the timber from Finland was a matter which both parties contemplated as necessary for the fulfillment of the contract. Since this is not the case. A bored the risk.

(d) Delay: Frequently, we have seen that, delay is caused due to happening of a subsequent event in the performance of contract. Such delay brings financial loss to one of the

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

parties. In commercial transactions, one has to accept the risk of delay. The delay must be such as to render the adventure absolutely nugatory.[27] Delay must be such that it puts an end in a commercial sense to the undertaking. On this point, Lord Roskill, in Pioneer Shipping Ltd. v. B.T.P. Tioxide Ltd.,[28] has provided guidance, "It is often necessary to wait upon events in order to see whether the delay already suffered and the prospects of further delay from that cause will make any ultimate performance of the relevant contractual obligations 'radically different'…from that which was undertaken by the contract. But, as has often been said, businessmen must not be required to await events too long. They are entitled to know where they stand. Whether or not the delay is such as to bring about frustration must be a question to be determined by an informed judgment based upon all the evidence of what has occurred and what is likely thereafter to occur."

It is for the tribunal to decide whether or not the contract has been frustrated. Even where delay is prima facie sufficient, where both the parties are responsible for it, the rule that reliance cannot be placed on a self-induced frustration will preclude discharge.[29]

Effects Of Frustration

(v) Common Law

(a) Contract generally determined automatically: Generally the contract is not merely dischargeable at the option of one or other of the parties. The contract is brought to an end forthwith and automatically held in Hirji Mulji v Cheong Yue Steamship Co. Ltd.[30]

(b) Future obligations discharged: The effect of frustration at common law is to release both parties from any further performance of contract. All obligations falling due for performance after the frustrating event occurred are discharged held in Appleby v Myers.[31]

(c) Accrued obligations remain: Legal rights or obligations already accrued and due, before the frustrating event occurred, are left undisturbed held in Chandler v Webster.[32]

(vi) Law Reform (Frustrated Contracts) Act, 1943

(a) Underlying principle: It has been stated that the fundamental principle underlying the Act is prevention of the unjust enrichment of either party to the contract at the other's expense and not the apportionment of the loss caused by the frustrating event between the parties.[33]

(b) Expense incurred by payee: This Act gives to the court a discretionary power to allow the payee to set off against the sum so paid or payable a sum not exceeding the value of any expenses which the payee has incurred in or for the purpose of performing the contract before the frustration.[34]

(c) Arbitration: There are very few reported decisions on the interpretation of the 1943 Act: most disputes simply concern the amount of each party's liability, and are referred to arbitration.[35]

Development Of The Law In India: The Indian contract act was written down in 1872. By that time, Taylor v. Caldwell[36] case was decided introducing the doctrine of frustration on the grounds of impossibility. The principle that a contract which had become opposed to the law could not be enforced had always existed. The two formed the basis for the following formulation of the principle in the Indian contract act, 1872. Section 56 provides:

56. Agreement to do impossible act – An agreement to do an act impossible in itself is void.

Contract to do act afterwards becoming impossible or unlawful – A contract to do an act which, after the contract is made, becomes impossible, or, by reason of some event, which the promisor could not prevent, unlawful, becomes void when the act becomes impossible or unlawful.

This section provides for three situations. The initial impossibility is that an agreement to do an impossible act is void. It applies to the case where the act was impossible at the time of making of the agreement. The second situation relates to a contact that was lawful when made. However, a subsequent changes in the law or events makes it unlawful to perform the contract. The laws made by the state take precedence over contractual obligations. The third situation is after a contract is made, the changes in the situation make it impossible to perform the contract.

This provision codified the common law principle. However, the difference was this: once the principle became a statutory provision, the Indian courts did not have to introduce the conceptual basis of law. In contrast, the common law courts, based on the system of precedence, could not escape from justifying the principle. The Indian courts had all along insisted that section 56 has provided a positive law, and thus the Indian courts, unlike the British courts, need not go into intention of the parties. As the Supreme Court noted in Naihati Jute Mills Limited v. Khyaliram Jagannath[37], "The necessity of evolving one or the other theory was due to the common law rule that courts have no power to absolve a party to the contract from his obligation. On the one hand, they were anxious to preserve the sanctity of contract while on the other the courts could not shut their eyes to the harshness of the situation in cases where performance became impossible by causes which could not have been foreseen and which beyond the control of the parties. Such a difficulty has, however not to be faced by the courts in this country… so far as the courts in this country are concerned they must look primarily to the law as embodied in section 32 and 56 of the Contract Act."

In fact, the common law cases displayed a wide array of approaches and conflicting theories. In no small measure, this made the Indian courts confine themselves to the statutory provisions. The Supreme Court, referring to the common law cases concluded that, "These differences in the way of formulating legal theories really do not concern us so long as we have a statutory provision contained in the Contract Act. In deciding cases in India, the only doctrine

that we have to go by is that of supervening impossibility or illegality as laid down in the section 56 of the Indian Contract Act, 1872 taking the 'impossible' in its practical and not literal sense. It must be borne in mind, however, that section 56 lays down a rule of positive law and does not leave the matter to be determined according to the intention of the parties."

Conclusion: Frustration occurs whenever the law recognizes that without default of the either party a contractual obligation has become incapable of being performed because the circumstances in which performance is called for would render it a thing radically different from that which was undertaken by the contract. The researcher is of the view that force majeure clauses help the parties to avoid or lessen their obligations in case of happening of a supervening event which is beyond their control. If force majeure clauses is not present in the contract then the concept of frustration of contract as present in the common law and recognized by section 56 of the Indian Contract Act, 1872 would operate to save the parties from any liability because of the non-performance of the contract.

References :-

1. Indian Contract Act, 1872, Bare Act, Kanoon Prakashan.
2. Indian Contract Act, 1872, by R.K.Bangia.
3. Indian Contract Act, 1872, by Avtar Singh.

Footnotes:-

1. Garner Black's Law Dictionary, 9th Edition, p. 365.
2. See generally, Treitel, Frustration and Force Majeure (1994).
3. Garner Black's Law Dictionary, 9th Edition, p. 740.
4. Garner Black's Law Dictionary, 9th Edition, p. 746
5. (1646) Aleyn 26, available at https://saifdingankar.wordpress.com/
6. (1863) 3 B. & S.826, available at https://saifdingankar.wordpress.com
7. Pioneer Shipping Ltd v B.T.P. Tioxide Ltd. (The Nema) (1982) A.C. 724,752.
8. Joseph Constantine SS. Line ltd. v. Imperial Smelting Corp. ltd. (1942) A.C. 154, 163.
9. Pacific Phostates co. ltd. v. Empire transport (1920) LLR 189 at p 190.
10. In National carriers Ltd v. Panalpina (Northern) ltd. (1981) A.C. 675.
11. In the heyday of the implied contract theory legal impossibility was sometimes said to differ from other categories of frustration: Joseph Constantine SS. Line ltd. v. Imperial Smelting Corp. ltd. (1942) A.C. 154, 163.
12. Davis Contractors ltd v. Fareham U.D.C (1956) A.C. 696.
13. Denny, Mott & Dickson Ltd. v. Fraser (James B.) & Co. ltd. (1944) A.C. 265.
14. (1981) A.C. 675, 693.
15. Hirji Mulji v. Cheong Yue S.S. Co. Ltd. (1926) A.C. 497, at p. 510.
16. Joseph Constantine SS. Line ltd. v. Imperial Smelting Corp. ltd. (1942) A.C. 154, at p. 186.
17. F.A. Tamplin Steamship Co. Ltd. v. Anglo-Mexican Petroleum Products Co. ltd. (1916) 2 A.C. 397, at p 406.
18. (1981) A.C. 675.
19. It was not this, that I promised to do.
20. (1956) A.C. 696 at p. 729. This statement was explicitly approved by the House of Lords in In National carriers Ltd v. Panalpina (Northern) ltd. (1981) A.C. 675.
21. (1981) A.C. 675.
22. (1990) 1 Lloyd's Rep. 1
23. Garner Black's Law Dictionary, 9th Edition, p. 1442.
24. Bank Line Ltd. v. Capel (A) & Co. (1919) A.C. 435 at p. 455; Joseph Constantine SS. Line ltd. v. Imperial Smelting Corp. ltd. (1942) A.C. 154, at p. 163.
25. (1939) 1 K.B. 132.
26. (1918) 2 K.B. 467.
27. Bensaude & Co. v. Thames and Mersey Marine Insurance Co. (1897) 1 Q.B. 29, per Lord Esher at p. 31.
28. (1982) A.C. 724 at p. 752.
29. Paal Wilson & Co. A/S v. Partenreederei Hannah Blumenthal (1983) 1 A.C. 854.
30. (1926) A.C. 497.
31. (1867) L.R. 2 C.P. 651.
32. (1904) 1 K.B. 493.
33. B.P. Exploration (Libya) Co. Ltd v. Hunt (No. 2) (1979) 1 W.L.R. 783.
34. Gamerco S.A. v. I.C.M. / Fair Warning (Agency) Ltd. (1995) 1 W.L.R. 1226.
35. Pioneer Shipping Ltd v. B.T.P. Tioxide Ltd. (1982) A.C. 724.
36. (1863) 3 B. & S.826.
37. AIR 1968 SC 522.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जनजातीय महिलाओं का आर्थिक विकास (झाबुआ जिले थांदला विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)

हेमता डुडवे *

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और उनकी गरीबी दूर करना है। ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीण को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर हो साथ ही उनकी पारिवारिक आय का बढ़ाना है।

शब्द कुंजी – अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह, आर्थिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण।

प्रस्तावना – ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास की धुरी है। ऐसा केवल इसलिए नहीं है, क्योंकि ग्रामीण आबादी अधिक है, बल्कि ऐसा इसलिए भी है कि ग्रामीण विकास का क्षेत्र तमाम प्रयासों के बावजूद अपेक्षाकृत पिछड़ी अवस्था में है। हमारे देश का विकास गाँवों के विकास से सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है। महात्मा गाँधी ने कहा था कि भारत गाँवों का देश है, यदि गाँवों की कायापलट दी जाए तो समूचे राष्ट्र का कायाकल्प हो सकेगा। वास्तव में गाँवों की खुशहाली में ही देश की खुशहाली निहित है।

स्वतंत्रता के पश्चात् ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना से लेकर वर्तमान तक विभिन्न योजनाओं द्वारा ग्रामीण विकास के संबंध में अभी तक केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा लगभग 150 योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन किया जा चुका है। कुछ योजनाएं आज भी संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य निर्धन परिवारों को प्रगतिशील बनाने के साथ ही सहकारी भावनाओं के साथ काम करने हेतु तैयार करते हुवे उत्पादन बढाना और रोजगार में वृद्धि करना है। शासन द्वारा संचालित की जा रही, ग्रामीण विकास और कल्याण की भावना को ध्यान रखते हुवे, सामाजिक न्याय एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ देश में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से ही विकास और कल्याण की अनेक योजनाओं और कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय इन योजनाओं और कार्यक्रमों की संख्या बहुत कम थी। समय के साथ इन योजनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। पिछले कुछ दो दशकों से शासन द्वारा विभिन्न अवसरों पर नई-नई योजनाएँ प्रारंभ की गई है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में क्रियान्वित उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय वृद्धावस्था, पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, पर्यावरण सुधार कार्यक्रम, सामूहिक बीमा योजना, सामूहिक विवाह कार्यक्रमों आदि योजनाएँ प्रारम्भ की गई है। केन्द्र शासन के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा भी ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये है। इन योजनाओं को और अधिक प्रभावशाली तरीके से सफल बनाने के लिए पंचायतों के माध्यम से संचालित की गई है। अन्ततः यही कहा जा सकता है कि कुछ कारणों से ग्रामीणों क्षेत्रों में इन योजनाओं व कार्यक्रमों से अपेक्षित परिणाम नही मिल रहे है।

साहित्यि समीक्षा

1. **दत्ता एवं सेनापोती** (2011) ने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से संबंधित अपने विश्लेषण में पाया है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, पूंजी निर्माण, छोटी बचत, गरीबी उन्मूलन, निरक्षरता, बेरोजगारी की ओर मदद करता है। यह उम्मीद की जाती है कि स्व-सहायता समूह आंदोलन ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देगा। अंतिम विश्लेषण में हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए स्व सहायता समूह सबसे प्रभावी साधान हैं।
2. **राजेन्द्रन** (2012) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म वित्त क्रांति, विकास का एक नवीन उत्पाद है, जो संस्थागत साख व्यवस्था से बाहर किए गए गरीबों को वित्तीय समावेश प्रदान करता है और संस्थागत साख की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। लेखक ने साहित्य समीक्षा में मिश्रित तस्वीर के रूप में सूक्ष्म वित्त और स्व-सहायता समूहों के प्रभाव को दिखाया है और स्पष्ट किया है कि विकासशील देशों में गरीब परिवारों की गरीबी से बाहर निकालने का एक प्रभावी साधन और उपकरण है, जहां यह गरीबी उन्मूलन, सशक्तीकरण और दर्शन और अभ्यास बन जाता है। भारत में किए गए अध्ययनों की साहित्य समीक्षा से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि सूक्ष्म वित्त और स्व-सहायता समूहों ने आर्थिक कल्याण के मामले में गरीबों के विकास में योगदान दिया है और गरीबी और सशक्तीकरण को कम करने के लिए सभी विकास कदम उठाए है।
3. **रावत** (2014) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि वास्तव में

राजनीतिक सशक्तिकरण की अनुपस्थिति में आर्थिक सशक्तिकरण सफल नहीं होगा। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सूक्ष्म वित पोषण की योजना सशक्तिकरण को बढावा देने का निर्माण करती है।

4. दवे एवं शिवहरे (2016) अपने शोध पत्र में स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म वित के माध्यम से अस्तित्व में आने से पहले वित पोषण के कई औपचारिक और अनौपचारिक रूप से पहले से मौजूद है। जिनका विचार समाज के कमजोर वर्गो को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना था ताकि वे सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लेने की प्रणाली में भाग ले सकें, हालांकि यह नहीं हुआ है। ग्रामीण महिलाओं के कमजोर वर्गों के लिए सूक्ष्म वित आय के उच्च स्तर में योगदान दे सकता है।

5. ज्योति (2017) के शोध कार्य से यह स्पष्ट होता है कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा करने विशेष रूप से स्व सहायता समूहों के माध्यम से किसी भी व्यावसायिक उद्यम की सफलता के लिए बाजार जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार ने ग्रामीण भारत के डिजिटलीकरण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। भारत में ई-गवर्नेंस प्रोग्रामिंग में साझा सार्वजनिक पहुँच, बुनियादी ढाँचे और आईसीटी सक्षम सार्वजनिक सेवा वितरण और स्थानीय भाषा सामग्री सहित ग्रामीण कनेक्टिविटी बुनियादी ढाँचे के विकास, कौशल विकास सुनिश्चित करना शामिल है हालांकि, यह एक लंबी प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आशय- ग्रामीण विकास मंत्रालय का का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से उनकी निर्धनता दूर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरूआत की थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य निर्धन ग्रामीण परिवारों की आजीविका में वृद्धि कर उनकी आय बढ़ाना है। इस योजना के लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है। आजीविका-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य सहायता समूहों तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 प्रखण्डों 2.5 लाख ग्राम पंचायतों एवं 6 लाख गाँवों के गरीबी की रेखा के नीचे जीवनव्यापन करने वाले 7 करोड परिवारों को 8 से 10 वर्ष की अवधि में आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने के सक्षम बनाना है।

नि:संदेह रूप से इन सब योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में काफी हद तक ग्रामीण लोगों का बेरोजगारी की भयावहता से विमुक्त होकर गरीबी, अज्ञानता एवं निरक्षरता के जाल से भी निकालना संभव हुआ है। रोजगार योजनाओं को ओर अधिक प्रभावी बनाने के लिए इन योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासन एवं निरीक्षण पद्धति को और अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- राज्यों में गरीबी के अनुपात के आधार पर राशि आवंटित की जाएगी और उन्हें इसी सीमा में योजनाएं संचालित करनी होगी, ताकि आवंटित राशि का अधिक से अधिक लाभ मिले। 'ग्रामीण निर्धन परिवारों की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके सशक्त एवं स्थाई बनाकर लाभदायक स्वरोजगार एवं मजदूरी वाले रोजगार के अवसर प्राप्त कराने में समर्थ बनाना है जिससे उनकी गरीबी कम हो। जिससे उनके परिवार एवं उनकी जीवनशैली में लगातार उल्लेखनीय सुधार हो।'

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मूल्य- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सभी गतिविधियों को संचालित करने वाले महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य निम्न प्रकार है-

समाज के अत्यंत गरीब लोगों को शामिल करना और सभी प्रक्रियाओं में उनकी सार्थक भूमिका सुनिश्चित करना सभी प्रक्रियाओं और संस्थाओं की पारदर्शिता तथा जवाबदेही। योजनाओं उनके क्रियान्वयन और निगरानी के सभी स्तरों पर गरीब लोगों और उनकी संस्थाओं का स्वामीत्व और उनकी अहम भूमिका, सामुदायिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता।

महिलाओं के स्व-सहायता समूह - महिलाओं का स्व-सहायता समूहों में संगठित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ या तो खेतिहर श्रमिक हैं या फिर आर्थिक दृष्टि से उनका स्तर निम्न हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएँ निरक्षर या नाम मात्र की साक्षर हैं। ऐसी महिलाएँ अपने स्वयं-सेवी संगठनों का निर्माण कर सकती हैं। स्व-सहायता समूहों का उद्देश्य बचत एवं ऋण कार्यो को बढ़ावा देना तथा उत्पादन ईकाइयों में इन महिलाओं के रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इनके द्वारा महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बहुआयामी सुधार होगा। इन स्वयं सेवी समूहों में बचत एवं ऋण कार्यो को प्रोत्साहन देने और आय एवं उत्पादक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से महिलाओं का बेहतर आर्थिक विकास होगा। साथ ही इन महिलाओं एवं उनके परिवारों में आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भरता आएगी। इन परिवारों के बेहतर कल्याण के लिए बच्चों को कृषि क्षेत्र में बाल श्रम के रूप में बाधय करने की बजाय पाठशाला भेजने के लिए सक्षम करना होगा। अपने जीवन में पहली बार ये गैर-लाभान्वित ग्रामीण महिलाएँ समूहों में संगठित हो पाएँगी। इन स्वयं सेवी समूहों के निर्माण द्वारा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति, जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। अत: इन समूहों के निर्माण द्वारा अनेक सहयोगी क्रिया-कलापों जैसे प्रशिक्षण तथा जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया महिलाओं में आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में मदद करेगी और समाज में नीति-निर्माणात्मक स्थिति प्राप्त करने में भी सहायता करेगी। स्वयं सेवी समूहों से महिलाओं को उनके संबंधित गाँवों के सामान्य रूप से सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों में सहभागिता एवं योगदान के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों के विषय में भी इन महिलाओं को प्रोत्साहित करेगा।

शोध अध्ययन का उद्देश्य:

1. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का ज्ञात करना।
2. आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र- झाबुआ जिले के थांदला विकासखण्ड को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया।

अध्ययन का समग्र- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लाभार्थी सदस्य अनुसूचित जनजाति की समस्त महिलाओं को प्रस्तुत अध्ययन के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया।

अध्ययन की इकाई- झाबुआ जिले की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लाभार्थी सदस्य अनुसूचित जनजाति की स्वयं सहायता समूह की महिला उत्तरदाता को प्रस्तुत अध्ययन की इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

निदर्शन विधि– प्रस्तुत अध्ययन हेतु स्तरीकृत निदर्शन विधि का उपयोग कर उत्त्तरदाताओं को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित कियार गया है।

जिले का चयन – प्रस्तुत अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला झाबुआ को उद्देश्यपूर्ण विधि के आधार पर चयनित किया गया।

गांवों का चयन– प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु झाबुआ जिले थांदला विकासखण्ड के 10 गांवों को दैव निदर्शन विधि द्वारा चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

उत्तरदाताओं का चयन– अध्ययन में चयनित प्रत्येक गांव से 06 स्वयं सहायता समूह की जनजाति महिलाओं उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि का प्रयोग कर कुल 60 स्वयं सहायता समूह सदस्य का अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

तथ्यों का संकलन– प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकडों का संग्रहण किया गया तथा उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

प्राथमिक संमक– प्राथमिक आंकडों का संग्रहण निर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्रत्येक उत्तरदाताओं से सम्पर्क एवं कर साक्षात्कार कर, क्षेत्र का निरीक्षण एवं अवलोकन तथा समूह चर्चा के माध्यम से एकत्र किये गये। साक्षात्कार अनुसूची में अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप प्रश्नों का समावेश किया गया।

द्वितीयक संमक– द्वितीयक तथ्यों का संकलन जनजातियों से सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन, शोध पत्र-पत्रिकाएँ, शासकीय प्रतिवेदन, जनगणना प्रतिवेदन, जिला सांख्यिकीय विभाग, पंचायत कार्यालय, समाचार-पत्र, इंटरनेट, विभिन्न पुस्तकों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन आदि के आधार पर किया गया है।

तालिका क्रं. 1 : उत्तरदाताओं के आयु की स्थिति

क्रं.	आयु वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	20-30	12	20.00
2.	30-40	27	45.00
3.	40-50	09	15.00
4.	50-60	08	13.34
5.	60 से अधिक	04	6.66
	योग	60	100

स्त्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर।

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि चयनित उत्तरदाताओं में 20 से 30 आयु वर्ग में 20.00प्रतिशत है, 30 से 40 आयु वर्ग में 45.00 प्रतिशत है, 40से 50 आयु वर्ग में 15.00 प्रतिशत है, 50 से 60 आयु वर्ग में 13.34 प्रतिशत है, 60 से अधिक आयु वर्ग में 2.22 प्रतिशत है अत: निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है इसमें सबसे अधिक 40 से 50 आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की 6.66 प्रतिशत है।

तालिका क्रं. 2: उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति

क्रं.	शैक्षणिक का स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	06	10.00
2.	साक्षर	09	15.00
3.	प्राथमिक+माध्यमिक	32	53.33
4	हाईस्कूल+हायर सेकेण्डरी	09	15.00
5	स्नातक और अधिक	04	6.67.
	योग	60	100

स्त्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर।

स्वयं सहायता समूह में शैक्षणिक स्थिति से संबधी जानकारी में 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षत है, 15.00 प्रतिशत उत्तरदाता साक्षर है, 53.33 प्रतिशत उत्तरदाता माथमिक+माध्यमिक पास है, 15.00 प्रतिशत उत्तरदाता हाई स्कूल+हायर सेकेण्डरी पास है 6.67 प्रतिशत उत्तरदाता पास है।

तालिकाक्रं. 3: व्यावसायिक स्वरूप के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रं.	व्यवसाय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि	13	21.67
2.	कृषि+मजदूरी	07	11.67
3.	खुली मजदूरी	05	8.33
4.	कृषि+स्वयं सहायता समूह	28	46.66
5.	स्वयं का व्यवसाय	07	11.67
	योग	**60**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उपरोक्त तालिका में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण कार्य प्रवृति तथा व्यवसाय की स्थिति को दर्शाया गया है। जिसमें कुल सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक कृषि एवं स्वयं सहायता समूह सें संबंधित कार्यो में संलिप्त है। जोकि कुल सर्वेक्षण का 46.66 प्रतिशत है। कृषि कार्यों में 21.67 प्रतिशत, कृषि तथा मजदूरी करने वाले 11.67 प्रतिशत उत्तरदाता कार्य करते है। जबकि खुली मजदूरी करने वाले उत्तरदाता 8.33 प्रतिशत है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता कृषि एवं ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यों में संलिप्त होकर अपनी अजीविका संचालन करते है।

तालिका क्रं. 4: पारिवारिक वार्षिक आय के आधार पर उत्तरदाताओं की स्थिति

क्रं.	वार्षिक आय प्रवर्ग (राशि रू. में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	50000 से कम	16	26.66
2.	50000 -100000	34	56.66
3.	100000-150000	07	11.68
4.	150000से अधिक	03	5.00
	योग	**60**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उक्त तालिका में पारिवारिक वार्षिक आय की स्थिति के आधार पर उत्तरदाता की स्थिति का अध्ययन किया गया है। जिसके अध्ययन से स्पष्ट हैं कि कुल सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में से 56.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं की पारिवारिक वार्षिक आय पचास हजार से एक लाख रूपये के श्रेणी प्रवर्ग से संबंध रखते है जबकि पचास हजार से कम आय वर्ग में 26.66 प्रतिशत उत्तरदाता कुल सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में से है। जबकि डेढ़ लाख से अधिक प्रवर्ग में 5.00 प्रतिशत उत्तरदाता है। जिससे स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाता की आय बहुत निम्न आय वर्ग से संबंध रखते है। जोकि गरीबी की स्थिति को दर्शाता है। लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इन निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

तालिका क्रं. 5: उत्तरदाताओं के परिवारों की वार्षिक व्यय राशि

क्रं.	व्यय विवरण (वार्षिक)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	50000-100000	27	45.0
2.	100000-150000	30	50.00
3.	150000 से अधिक	03	5.00
	योग	**60**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में से पारिवारिक वार्षिक व्यय करने वाले प्रवर्ग में जबकि पचास हजार से एक़ लाख से अधिक खर्च करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 45.00 है। जबकि एक लाख से डेढ़ लाख तक श्रेणी में 50.00 प्रतिशत उत्तरदाता है जबकि डेढ़ लाख से अधिक खर्च करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 5.00 है। इस तरह से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं की आय सीमित है और खर्चे अधिक है। वह अपने खर्चो को पूरा अन्य स्रोतों से राशि लेकर पूरा करते है। जिसमें मिशन से ऋण लेकर अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते है।

तालिका क्रं. 6: स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या के आधार पर उत्तरदाताओं की स्थिति

क्रं.	समूह में सदस्यों की संख्या	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	10-12	54	90.00
2.	13-15	04	6.66
3.	16 से अधिक	02	3.34
	योग	**60**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में कुल सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में 90.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 12 लोगों की है। वहीं कुछ समूहों में 16 से भी अधिक सदस्य देखें गये है। इससे स्पष्ट है कि एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में 10-12 सदस्य मिलकर स्वयं सहायता समूह के उद्धेश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होते है।

तालिका क्रं. 7: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जानकारी के स्त्रोंत के आधार पर उत्तरदाता की स्थिति

क्रं.	एनआरएलएम के बारे में जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	पंचायत के माध्यम	13	21.66
2.	ग्राम संगठन	11	18.34
3.	ग्राम सचिव	03	5.00
4.	दुसरे समूह	09	15.00
5.	रिश्तेदार के द्वारा	03	5.00
6.	एनआरएलएम के माध्यम	21	35.00
	योग	**60**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उपर्युक्त तालिका में एनआरएलएम की जानकारी के स्रोत के आधार पर प्रचार-प्रसार की स्थिति का अध्ययन किया है। जिसमें अध्ययन क्षेत्र में कुल सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में मिशन की जानकारी सर्वाधिक 35.00 प्रतिशत जानकारी मिशन के माध्यम से प्रदान की गई है वहीं रिश्तेदारों से 5 प्रतिशत जानकारी प्रदान की गई है। जबकि ग्राम सचिव के माध्यम से 5 प्रतिशत लोगों को जानकारी प्रदान की गई है। अत: तालिका स्पष्ट है कि मिशन अपने प्रचार-प्रसार की समुचित रूप से करता है।

तालिका क्रं. 8: उत्तरदाताओं के द्वारा स्वयं सहायता गठन के समय बचत की राशि

क्रं.	बचत (रूपये में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	50 से कम	22	36.66
2.	50-100	35	58.33
3.	100-200	02	3.33
4.	200 से अधिक	01	1.68
	योग	**60**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में से 36.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बचत का स्तर स्वयं सहायता गठन के समय 50 रू से भी कम थी वहीं सर्वाधिक उत्तरदाता ऐसे भी है जिनकी संख्या 58.33 प्रतिशत है इनकी बचत का स्तर 50 से 100 रू. स्वयं सहायता समूह के गठन के समय थी। जबकि 3.33 प्रतिशम उत्तरदाताओं की बचत 100 से 200 अधिक थी। उक्त स्थिति के अध्ययन करने स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में समूह गठन के पूर्व सदस्यों की लोगों की बचत बहुत कम थी अर्थात उनकी आय का स्तर बहुत कम था खर्चे अधिक थे। जिसके कारण उन्हें अपना जीवन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

तालिका क्रं. 9: सदस्यता के बाद उत्तरदाताओं की बचत का स्वरूप

क्रं.	बचत का स्वरूप	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	वृद्धि	46	76.66
2.	कमी	02	3.34
3.	यथावत्	12	20.00
	योग	**60**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उक्त तालिका में समूह के सदस्य बनने के बाद उत्तरदाता की बचत की प्रवृति तथा स्थिति का अध्ययन किया गया है। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित उत्तरदताओं में से 76.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनने के बाद उनकी आय में तीव्र वृद्धि हुई है। जबकि 3.34 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे भी है जिनकी बचत के स्तर में कमी आयी है। लेकिन 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता के बचत के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है। अत: मिशन में जुडने के बाद लोगों की बचत के स्तर में वृद्धि होती है।

तालिका क्रं. 10: स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण लेने का कारण

क्रं.	ऋण लेने का कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि कार्य	10	16.66
2.	लघु उद्योग	06	10.00
3.	कुटीर उद्योग	29	48.34
4.	व्यवसायिक कार्य के लिये	03	5.00
5.	कुक्कुट, मत्स्य पालन	12	20.00
	योग	**60**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उक्त तालिका में स्वयं सहायता समूह से ऋण लेने के कारणों को स्पष्ट किया गया है। जिसमें सर्वेक्षण के दौरान पाया गया है कि कुल सर्वेक्षित उत्तरदाता में से 48.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ऋण कुटीर उद्योग कार्य के लिए ऋण लिया है। 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता ने कुक्कुट तथा मत्स्य पालन के लिए ऋण लिया हुआ हैं। वहीं कृषि कार्यों के लिए 16.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समूह से ऋण प्राप्त किया हुआ है। जबकि लघु तथा कुटीर उद्योग के लिए क्रमश: 05.00 तथा 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्टार्टअप तथा मेक इन इंडिया के लिए उद्यम स्थापित करने के लिए स्वंय सहायता समूह से ऋण लेकर अपना व्यवसाय तथा उद्यम स्थापित किया हुआ है।

तालिका क्रं. 11: स्वयं सहायता समूह में सदस्याओं की आर्थिक स्थिति

क्रं.	आर्थिक स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	वृद्धि	43	71.66
2.	कमी	03	5.00
3.	यथावत्	14	23.34
	योग	**60**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उपर्युक्त तालिका में अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षित उत्तरदाता की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल उत्तरदताओं में 71.66 प्रतिशत उत्तरदाता की आर्थिक स्थिति पहले अधिक सुदृढ़ हुई है क्योकि समूह में जुडने से उनकी आय के स्तर में तीव्र वृद्धि हुई है। वहीं 5.00 प्रतिशत उत्तरदाता ने आय में कमी बताई है। जबकि 23.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि उनकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात आय यथावत रही है।

सुझाव- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्तर में वृद्धि करने का शासन का उद्देश्य निश्चित ही प्रभावकारी है। इसके परिणाम भी परिलक्षित हो रहे है। लेकिन अपेक्षित परिणाम भी नहीं मिल रहे है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार है:

1. स्वयं सहायता समूह के गठन, संचालन एवं कार्य नियोजन हेतु सभी कार्यकरिणी की सभी सदस्याओं जो नियमित रूप से सम्पर्क एवं संवाद आवश्यक है।
2. कई महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नही होने से वे अपना पूर्ण सहयोग नही दे पाती है, ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य सदस्यों विशेषकर पुरूष सदस्यों को मानसिक तौर पर तैयार होने की आवश्यकता है।
3. ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास व मान्यताओं के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है।
4. कई रीति-रिवाजों की प्रासंगिकता लगभग समाप्त हो गई है, उनके निर्वाह में अनावश्यक ऋण का बोझ बढ़ जाता है। ऐसे रीति-रिवाजों को सामूहिक रूप से विरोध किया जाना चाहिए।
5. महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। एक शिक्षित महिला ग्रहस्थी स्वयं सहायता समूह में अपने पूर्ण व बेहतर सहयोग प्रदान करने में सक्षम होती है। यही इस मिशन का उद्देश्य है।

निष्कर्ष- झाबुआ जिले के थांदला विकासखण्ड के 10 गांवों में संचालित स्वयं सहायता समूह की 60 जनजातीय महिलाओं का अध्ययन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया इस अध्ययन के द्वारा प्रमुखरूप से यह पाया गया कि 30-40 आयु वर्ग की महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति औसतन प्राथमिक एवं माध्यमिक है। जिनमें से अधिकांश 46 प्रतिशत के लगभग कृषि कार्य एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं आजीविका मिशन से जुडकर उनकी आय में वृद्धि हुई है। उनमें अंधविश्वास के स्थान पर चिकित्सा उपचार की प्रवृत्ति बढ़ी है मनोरंजन के साधन के रूप में मोबइल का उपयोग बढ़ा है। आकस्मिक एवं नियोजन खर्च के लिए साहरा के बजाय समूह द्वारा ऋण लने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। रोजगार की उपलब्धता बढ़ी है पलायन की स्थिति सुधार आया है। बचत की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और परिणाम स्वरूप इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Dutta, Biraj and Senapoti Bristi (2011), ECONOMIC EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH SHGs IN DIBRUGARH DISTRICT,ASSAM: A SWOT ANALYSIS, Indian Journal of Commerce & Management Studies, ISSN-2240-0310, pp. 28-33
2. Rajendran K.(2012), MICRO FINANCE THROUGH SELF HELP GROUPS –A SURVEY OF RECENT LITERATURE IN INDIA, International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, ISSN- 2277 3622, pp. 110-125
3. Rawat,Roshni(2014), Women empowerment through SHGs, Journal of Economics and Finance, ISSN-2321-5933,pp.01-07
4. Dube, Paritosh and Shivhare, vivek (2016), Role of micro finance industry in Addressing the Empowerment of Rurl Women in india, International journal of Recent trends in Engineering &Research, ISSN-2455-1457,pp.305-309
5. Jyothi (2017), Self-help groups- Empowerment through participation (An impact Assessment study), International Journal of Advanced Education and Research ISSN- 2455-5746, pp. 15-18
6. गुप्त कमला (2001) ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम स्वशक्ति परियोजना, डॉ. अम्बेडकर सामाजिक शोध पत्रिका, महू।
7. मौर्य राजेश (2000) स्वयं सहातया समूह द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, डॉ. अम्बेडकर सामाजिक शोध पत्रिका, महू।
8. शर्मा प्रेमनारायण, संजीव कुमार, वाणी, विनायक सुषमा, (2006) 'महिला सशक्तिकरण एवं विनायक समग्र विकास' भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।
9. श्री निवासन जी 'नेशनल लाइवलीहुड्स मिशन', कुरूक्षेत्र, नं. 12 अक्टूबर 2011।107. सिंह चरणदाधीच, सी.एल.एवं अनंत एस. वित्तीय समावेशन और सामाजिक बदलाव योजना , अंक 8 अगस्त 2015।
8. प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार भारत 2015 अध्याय ग्रामीण और शहरी विकास, पृष्ठ634-688।
9. ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- स्वयं सहायता समूह के चरण एवं सूक्ष्म वित संबधित पुस्तिका।
10. ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ राज्य ग्रामीण आजीवका मिशन- समूह से समृद्धि की ओर (पत्रक)।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Vigilance Administration for Frauds in PSU Banks - With Special Reference to Oriental Bank of Commerce

Rajat Kumar Sharma* Dr. Ruhi Sethi**

*Research Scholar,Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
** Research Supervisor,Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Introduction - In recent years, instances of financial frauds have regularly been reported in India. Banking frauds have increased manifold resulting in a very serious cause of concern for regulator i.e. Reserve Bank of India (RBI). RBI defines fraud as "A deliberate act of omission or commission by any person, carried out in the course of a banking transaction or in the books of accounts maintained manually or under computer system in banks, resulting into wrongful gain to any person for a temporary period or otherwise, with or without any monetary loss to the bank". The institute of Internal auditors (2009) defines fraud as "Any illegal act characterised by deceit concealment or violation of trust. Frauds are perpetrated by parties and organisations to obtain money, property or services to avoid payment or loss of services or to secure personal or business advantage". Frauds impacts organisations in several areas including financial, operational and psychological.

As per the RBI, bank frauds can be classified into three broad categories: Deposit related frauds, Advances related frauds and Services related frauds.

Although the technology helped the bank to reduce the number of frauds but it also laid a path for new type of fraud i.e. Cyber frauds. Due to increased use of technology in the banking system, cyber frauds and internet banking frauds have proliferated. Internet Banking Fraud is a fraud or theft committed by some unknown persons using online technologyto illegally remove money from a bank account and/or transfer money to other account in adifferent bank. Internet Banking Fraud is a form of identity theft and is usually madepossible through techniques such as phishing, lottery fraud scam etc. Now internet banking is widely used to check account details, print accounts statement, make online purchases, pay utility bills, transfe rfunds to others etc. Generally, password is provided to customers to secure transactions. But due to some ignorance or silly mistakes customer can easily fall into the trap of internet scams or frauds done by the fraudsters. The ways used by fraudsters to defraud peoples are like phishing, spam, spyware, cardskimming, Hacking etc.

According to KPMG-CII report on banking sector "The Indian Banking sector is expected to become the fifth largest in the world by 2020 and third largest by the year 2025". While the banking industry in India has witnessed a steady growth in its total business and profits, the amount involved in Bank frauds has also been on the rise. This unhealthy development in the Banking sector produces not only losses to Banks but also affects their credibility adversely. As per Business Today, RBI report says that Bank frauds rise over 72% to Rs 41167 Crore in 2017-18 as against Rs 24000 Crore approx in 2016-17 and further increased to Rs 71542 Crore in 2018-19. In the last two years, Banks in India have lost a total of Rs. 112709 Crore, on account of various banking frauds. With various measures initiated by the RBI, numbers of banking fraud cases have declined during the years, but amount of money lost has increased in these years. The Reserve Bank of India report, says total 5,917 fraud incidents were reported in various banking operations in the year 2017-18. Of this, maximum 2,526 were advances related cases, while 2,059 were cyber frauds. In the year 2018-19 as many as 6801 cases were reported by bank and financial institution to RBI.

The correlation between rising level of NPAs of public sector banks and frauds probably indicates lack of requisite standards of corporate governance leading to more instances of high value loan default and possible collusion between corporate entities and high rank bank officials. Also, in case of private banks, high number of fraud cases with relatively low cost of fraud indicates very nature of fraud - online/cyber/technology related frauds with a high frequency of occurrence and relatively low associated cost.

About the Bank and Its structure: Oriental bank of Commerce, known as OBC is a Public Sector Undertaking (PSU) established in 1943 in Lahore (Now in Pakistan). It is established by Late Sh Rai Bahadur Lala Sohan Lal. Its Head Quarter was established in Lahore and its first branch was also opened in Lahore. But after partition, it has shifted its Head Office from Lahore (Pakistan) to Amritsar (India) and it closed all its branches in Pakistan. In 1951 it again shifted its Head Office from Amritsar to New Delhi. In 2012 its Corporate Office was shifted from New Delhi to

Gurugram and at present its corporate office is at Gurugram. In April 1980, Oriental Bank of Commerce was nationalized with other 5 Banks. After nationalization the Bank grew with very high speed. At the time of nationalization OBC was ranked 19th among 20 nationalized Banks. In 1997, two Banks namely Punjab Co-operative Bank and Bari Doab Bank was merged into OBC. In 2004 one more Bank i.e. Global Trust bank merged into OBC which made its presence all over the country. Its Branch Network and ATM network expanded a lot in these years and soon it came at number 8 in all nationalized Banks.

In 2003, OBC has joined hands with M/s Infosys Technologies Ltd and M/s Wipro Ltd to convert all its branches into Core Banking Solutions (CBS) and OBC was the first Bank to convert all its branches and offices into CBS. In 2006, OBC has launched Internet Banking in all its branches. In 2013, OBC tied up with M/s IDBI Capital market Services Ltd and M/s Karvy Stock Broking Limited for trading services. OBC has tied up with many institutions to expand its business and income e.g. with LIC of India for Insurance business, Kotak Mohindra & Reliance for mutual fund business, ILFS for online/ off line share trading, Oriental Insurance Company for Health Insurance i.e. medi-claim policies, Citi bank for Credit cards and SBI for Co- branded credit cards and thus step into all fields. For selling its loan products, OBC has tied up with many institutions e.g. BSNL, DHVBN/UHBVN, Maruti Suzuki, Escorts, DAV School Group, Defence personnel etc.

Why the Vigilance Department: Vigilance creates a sense of watchfulness and alertness against any mishap, loss or damages. The preventive measures creates a sense of adhering to the extant guidelines and policies of the organisation and to check any financial indiscipline that may lead to financial loss. The punitive role creates a sense of fear among the persons indulging in violating the system with malafide intention and thus exposing the organisation to financial and reputational risk. Honest and system abiding persons, however, derive their strength from the Vigilance Department.

Vigilance plays a vital role in an organisation more specifically in banks where staff is exposed to cash and cash equivalent transaction on daily basis. Vigilance department ensures that elements of doubtful integrity are weeded out within the policy framework of the Bank, where as those with sound integrity and sincerity find their place in elite group of the organisation. It should be deeply rooted in our mind and conscience that Vigilance activity and operational functions are the basic objectives. It is true that without vigilance, the business growth may lead to recklessness and similarly without business activity & Growth the vigilance is meaningless. Without risk taking, management of business is not at all possible and without risk awareness any business would lead to disaster. The punitive action taken against the persons of dubious integrity is to create deterrence for all.

Finally, vigilance in any organisation including Bank is an integral part of management activity. The objective is not to cripple the functioning of the organisation but to enhance its efficiency and effectiveness of the decisions. Effective vigilance is required for overall growth of an organisation.

Frauds in Banking Industry: RBI defines fraud as "A deliberate act of omission or commission by any person, carried out in the course of a banking transaction or in the books of accounts maintained manually or under computer system in banks, resulting into wrongful gain to any person for a temporary period or otherwise, with or without any monetary loss to the bank".

The institute of Internal auditors (2009) defines fraud as "Any illegal act characterised by deceit concealment or violation of trust. Frauds are perpetrated by parties and organisations to obtain money, property or services to avoid payment or loss of services or to secure personal or business advantage". Frauds impacts organisations in several areas including financial, operational and psychological.

As per the RBI, bank frauds can be classified into three broad categories: Deposit related frauds, Advances related frauds and Services related frauds.

Table 1 (see in next page)

If we see the share of Public Sector Banks in these fraud accounts, the share of Public Sector Banks is significantly very high.

Table 2 (see in next page)

Modus Operandi in Frauds: The major portion in fraud accounts are of Credit related accounts and these fraud accounts have the maximum impact on the health of the banking industry because of having high amount involved and cumbersome process of detecting. The frauds may be due to lack of supervision by the bank officials, lack of knowledge on the part of officials handling these accounts, weak regulatory system in place, collusion between the staff, borrowers and third party agencies, lack of technology, lack of awareness in both staff and customers and typical legal system.

Modus Operandi in deposit related Frauds: If we see the modus operandi of all the reported frauds, we will came to know that modus operandi in deposit type of frauds are of mainly lack of alertness on the part of Bank officials. Fraudsters always in search of those Bank branches where there is no alertness in the staff. They roam around the branches and also inside the branches and watch the system being followed by the staff. It may be the cash management system or handling the cheques clearance system. They try of befool the officials working on the cash desk by keeping them in conversations and steal the cash from their desk.

Modus Operandi in Cyber Frauds: If we see the modus operandi in Cyber frauds, we see that the modus operandi in these frauds is of misuse of technology. As the Banks

improves their technology to put a check on frauds, fraudsters also improved their system to misuse and do frauds with public accounts. Cyber Frauds are of three types:-

1. Internet banking Frauds
2. ATM Frauds
3. Card Frauds

The modus operandi in Internet banking Frauds are as under:-

References:-

1. CVC Manual 2017
2. Vigilance Manual of OBC Bank 2019.
3. Newspapers/ Magazines
4. Google Search Engine
5. The Indian Institute of Internal Auditors (2009) IIPF Practice guide, Internal auditing and Fraud.
6. B. P. Gupta, V. K. Vashistha, H. R. Swami, (2008) Banking and Finance, Ramesh Book Depot.
7. Mr. Rupesh. D. Dubey and Dr. Anita Manna, E-Banking Frauds and Fraud Risk Management
8. Mr Madan Lal Bhasin, (2016) Frauds in the Banking Sector: Experience of a Developing Country.
9. Mr Charan Singh (2016), Frauds in the Indian Banking Industry
10. http://www.rbi.org.in/scripts/otherlinks.aspx

Table 1

	2018-19		**2019-20**	
Area of Operation	**Number of frauds**	**Amount Involved (in crores)**	**Number of frauds**	**Amount Involved (in crores)**
Advances	3,604	64548	4610	182051
Off-balance Sheets	33	5538	34	2445
Forex Transactions	13	695	8	54
Card/Internet	1866	71	2678	195
Deposits	593	148	530	616
Inter Branch Accounts	3	0	2	0
Cash	274	56	371	63
Cheques/DDs etc	189	34	202	39
Others	200	244	250	174
Total	6799	71543	8707	185644

Table 2

	2018-19		**2019-20**	
Banks and Groups	**Number of frauds**	**Amount Involved (in crores)**	**Number of frauds**	**Amount Involved (in crores)**
Public Sector Banks	3568	63283	4413	148400
Private Sector Banks	2286	6742	3066	34211
Foreign Banks	762	955	1026	972
Financial Institutions	28	553	15	2048
Small Finance Banks	115	8	147	11
Payment Banks	39	2	38	2
Local Area Banks	1	0.02	2	0.43
Total	6799	71543	8707	185644

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

भारत की औद्योगिक नीति (वर्ष 1956, 1991 एवं 1914 के संदर्भ में)

सुमन भंवर*

* शोधार्थी, शासकीय महाविद्यालय, गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – उद्योग नीति के अंतर्गत देश की आर्थिक संरचना प्रातिक संसाधनों की स्थिति, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था और उद्योगों में संलग्न पूंजीपतियों की संलग्न एवं सामान्य कृषकों की घोषणाएँ– आदि पर निर्भर करती है।

औद्योगिकी नीति की पृष्ठभूमि – स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार की भारत के विषय में कोई स्वतंत्र नीति नहीं ही थी। क्योंकि उस समय बाजार का रूप ही निर्धारित नहीं था फलत: औद्योगिक विकास का कोई भी लक्ष्य तय नहीं था।

आजादी के पश्चात् 20 अप्रैल 1956 को औद्योगिक नीति का प्रारंभ किया गया। जो तीन श्रेणियों में बँटा हुआ था।

1. **राज्य का एकाधिकार क्षेत्र –** अनुसूची 'ए' में 17 उद्योगों का शामिल किया गया। जिनको भावी विकास का पूर्ण दायित्व राज्यों पर निर्धारित किया गया। प्राय: इसमें नये उद्योगों की स्थापना करना जिनका दायित्व राज्य सरकारों पर डाला गया। तथा वही उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित किए जोयेंगे जिनके लिए पूर्व में स्वीकृति प्रदान की गई है। इस श्रेणी में प्रतिरक्षा उद्योग, अणुशक्ति, लोहा और इस्पात, भारी प्लान्ट तथा मशीनरी, कोयला, खनिज तेल, रेल यातायात, हवाई जहाज व पानी के जहाजों का निर्माण आदि उद्योगों को ही निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई।
2. **निजी क्षेत्र –** शेष उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है। इन उद्योगों की भविष्य में स्थापना निजी उद्यमियों द्वारा की जायेगी।

इन उद्योगों के अन्तर्गत– कुटीर एवं लघु उद्योगों के विस्तार का लक्ष्य निश्चित किया गया। यह संभावना की गई कि इस क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान कि जा सकेंगे। राष्ट्रीय आय का समान वितरण किया जायेगा। स्तीनीय उद्योगों को प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जा सकता है। बड़े उद्योगों को हर संभव रोजगार की जरूरत को देखते हुए उन्हें प्रोत्साहन और सहायता दी जायेगी।

शासन का यह उद्देश्य है कि औद्योगीकरण से समस्त देश को लाभ मिल सके। औद्योगिक विकास के लिए देश यें पर्याप्त यात्रा यें प्रबंधकी विकास की जरूरत है। इसी यें 1956 यें औद्योगिक नीति में तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें विदेशी पूंजी की भी आवश्कता होगी।

अक्सर यह भी देखने को मिलता रहा हैं कि राज्य का बढता हुआ हस्तक्षेप सभवतं राज्य एकाधिकार को जन्म देगा। अत: इस हस्तक्षेप के कारण आशंका बनी रहती है कि औद्योगीकरण के कारण प्रगति धीमी न हो जाय जिससे औद्योगीकरण पिछड़ सकता है।

बाद में शासन ने 1991 में औद्योगीकरण की नई औद्योगिक नीति की संधारणा बनाई। सरकार ने 24 जुलाई 1991 के अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसमें औद्योगिक विकास के लिए लाई सेन्स व्यवस्था बड़ाने, तकनीकी विकास और उद्यमशीलता के विकास पर जोर दिया गया।

वर्ष 1991 में निर्धारित किये गये:

1. विदेशी विनिमय अर्जित करके आयातों का भुगतान करना और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था स्थापित करना।
2. उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जो जिससे घरेलू उद्योगों को बढावा मिल सके।
3. पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण का विकास करना।
4. लघु स्तरी क्षेत्र की सहाता में वृद्धि करना।
5. विदेशी विनिमय एवं प्रोद्योगिकी सहयोग को प्रोत्साहित करना।
6. सभी निर्माण क्रियाओं को प्रतियोगिता के लिए मुक्त छोड़ना। इसें केवल सामरिक महत्त्व के निर्माण को अलग रखा जयेगा।
7. उत्पादिता एवं रोजगार में निरंतर सुधार करना।

उक्त उद्योगों की सफलता या प्रगति हेतु 18 प्रमुख उद्योगों को लाई सेन्स लेना अनिवार्य किया गया। जिनमें कोयला लिग्नाइड पेट्रोल शराब बनाना, चीनी उत्पादन, जानवरों की चर्बी और तेल का निर्माण करना। एस्बेस्टाज प्लावुड की सुविधाओं का विस्तार करना। प्रदेशों की नीति का अंग बनायेगा।

2. कुल उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया। जैसे हथियार या गोला बारूद तथा प्रतिरक्षा संबंधी उपकरण में शक्ति कोयला एवं लिग्नाइट, खनिज तेल, लोह रेत, कोमियम, जिप्सन, स्वर्ण, हीरा का खनन, ताम्बा, जस्ता, आदि का खनन रेल यातायत इस प्रकार 836 वस्तुओं का उत्पादन आरक्षित किया गया।

उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी निवेश जैसे अन्य उद्योगों को 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमति दी गई। सरकारी उद्यागों को अधिक विकासोन्मुखी बनाना जायेगा। पंजीकरण की समस्त योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के अलावा अन्य नगरों में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करना और कामों के लिए सरकारी अनुमति की आवश्कता नहीं है।

औद्योगिक नीति के मूल्यांकन के लिए कुछ बिन्दुओं की चर्चा करना जरूरी है। उद्योगों का लाइसेन्स की व्यवस्था को कुछ उद्योगों को मुक्त रखा गया। जिससे औद्योगिक विस्तार की गुजाइश बढाई जा सकें। उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी अंश पूंजी 51 प्रतिशत तक निवेश से भारत में औद्योगिक विकास के लिए सहयोगी वातावरण बढाना, सभी क्षेत्रों

में रोजगार के अवसर बढाना। निवेशकों की सुविधा में सुधार लाना और व्यापार को आसान बनाना जिससे औद्योगिक विकास प्रगति की ओर ले जाना सरल होगा। उद्यमियों और अन्य निवेशकों के लिए आकर्षक सुविधाएँ बढाना। जिससे उद्योगों का विकास हो और क्षेत्री संतुलन ठीक ढंग से कार्यरत बने। मध्यप्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति सन् 2014।

उक्त नवीन नई नीति 2014 के कुछ आकर्षक प्रावधान निम्नानुसार इसके पूर्व 1910 की उद्योग संवर्धन नीति की सुविधाओं पर प्रकाश डालना जरूरी है।

इस नीति की अधिसूचना के बाद 2210 की समापन नीति से एक वर्ष के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने वाली इकाई को वर्तमान नीति 2010 के अंतर्गत प्रोत्साहनों का पैकेज चुनने की स्वतंत्रता होगी। किन्तु एक बार विकल्प चुनने के लिए इसे बदला नहीं जा सके।

एकल बिंदु प्रणाली में अपने प्रस्ताव पंजीकृत कराने होंगे। इस पंजीकरण का संख्या ऑनलाईन ट्रैक किया जा सकेगा। जिसमें निवेशकों को किसी भी दिये गये समय पर अपने निवेश प्रस्ताव की स्थिति ज्ञात कर सके।

यह नीति मध्यप्रदेश शासन के अधिकारिक राजपत्र में उसकी अधिसूचना की निथि से प्रभावी होगी। और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक प्रभावी होगी। मध्यप्रदेश 2014 की कार्य नीति के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार होंगे:

1. मध्यप्रदेश निवेश सुविधा अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत एकल बिन्दु प्रणाली से सुदृढ बनाकर इसे अधिक प्रभावी बनाना।
2. सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाकर सभी निवेशकों के लिए एक उपयुक्त परिवेश बनाना ताकि वे आसानी से अपना व्यापार कर सके।
3. क्षेत्र विशेष में अपने मामूली उपलब्धता के आधार पर समान प्रकार के सूक्ष्म और लघु स्तर के उद्योगों की कलेक्टरों के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
4. पर्यावरण संरक्षण हेतु उपयुक्त प्रावधान प्रदान करना तथा हरित प्रधान र्का नीति के माध्यम से उद्योगों को जल संरक्षण के उपयोग के लिए प्रोत्साहन देना।
5. निजी क्षेत्र की सक्रि य भागीदारी उद्योगों के लिए विश्वस्तरीय अधोसंरचना सुविधाओं का विकास करना।
6. औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सरकारी और निजी भूमि उपलब्ध कराने में निवेशकों को सहायता प्रदान करना।
7. उद्योगों के लिए भूमि की भावी आवश्कताओं को ध्यान रखते हुए भूमि बैंक की स्थापना करना।
8. स्थानीय उद्यमियों को सुदृढ बनाने हेतु अनुशसीकरण को प्रोत्साहन देना।
9. कौशल विकास के प्रसासों द्वारा युवाओं के लिए रोजगार बढाना।
10. वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों में जो निवेश को आकर्षित करना।

नई नीति 2014 की प्रमुख आवश्कताएँ।

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों हेतु निम्नांकित कदम उठाये गये है।

1. तीनों उद्योगों के लिए उद्योगों की जनशक्ति आवश्कताओं के निराकरण हेतु कौशल विकास कार्यक्रम पर बल देना।
2. मौजूदा औद्योगिक कल्टरों की अधोसंरचना सुविधाओं को उन्नत बनाना।
3. मातृ इकाई के आसपास नई विक्रेता इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देना।
4. अधिकतम विकास के लिए लघु मध्यम उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को बढाने हेतु प्रोत्साहन देना।

(ख) विपणन सहायता के लिए राज्य सरकार का निम्नलिखित उपाय दिये है।

1. विपणन कार्यक्रमों का आयोजन किया है। जिससे मान इकाइयों को कार्यक्रम भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।
2. लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए विक्रेताओं के बीच कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।
3. औद्योगिक मेंलों का आयोजन किया जाएगा।
4. मौजूदा औद्योगिक कलेक्टरों में उद्योसंरचना विकास के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

तकनीकी उन्नन हेतु निम्नांकित सुधार अपेक्षित है।

1. निवेशों का आवश्कतानुसार विस्तार किया जायेगा।
2. सूक्ष्म और लघु नवनिर्माण उद्योगों को नई इकाइयों के समकक्ष निवेश में सहायता मिलेगी।

अतिरिक्त रूपे 10 लाख या विद्यमान निवेश का 50 प्रतिशत राशि संयंत्र और मशीनरी विस्तार के लिए निवेश करती है उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

हरित औद्योगीकरण:

1. म.प्र. शासन हरित और स्वच्छ प्रौद्योगीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण अपशिष्ट में की और पुनर्चक आदि के माध्यम से पर्यावरण अनुकूलन विकास को बढावा देने हेतु सहयोग करना।
2. म.प्र. सरकार द्वारा प्रदूषण पैदा करने वाले ऐसे उद्योगों का उन्हें निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में पुन: स्थापित किये जाने हेतु सुविधा दी जायेगी।
3. लघु, मध्यम, वृहद् एवं मेगा उद्योगों के अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में प्रदूषण नित्रण विशेष अनुदान दिया जायेगा।

कौशल विकास की दृष्टि से निम्नांकित योजनाएं बनाई जायेगी।

1. कौशल विकास के दायरे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढावा देने के लिए उद्योग अनुकूलन प्रोत्साहन दिया जायेगा।
2. सभी जिलों में जिला अग्रणीय बैंक सहयोग से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पूंजी के दोहन के लिए विकासखण्ड स्तरी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये है।
4. सरकारी आईटी आई और पोलेटेकनीक कालेजों की स्थापना की जायेगी।

इस प्रकार म.प्र. राज्यों में नई उद्योग नीति के प्रोत्साहन से उद्योगों के नवजीवन मिलेगा जिससे औद्योगिक प्रगति की धारा आगे बढती रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अर्थशास्त्र-डॉ. अनुपम अग्रचाल और सौम्या रंजन, एस.बी.पी.डी. पब्लि., आगरा 2019
2. म.प्र. में कृषि- म.प्र. : एक परिचय, जितेन्द्र भदौरिया और राकेश गौतम, मेकग्राफ हिल्स, प्रा.लि. चैन्नई, 2020
3. भारतीय आर्थिक नीति- डॉ. पी.डी. माहेश्वरी,डॉ. शीलचंद्र गुप्ता, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल 2011
4. कृषि अर्थशास्त्र- डॉ. जयप्रकाश मिश्र, साहित्य भवन पब्लि., आगरा, 2003

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Relevance of Yoga in Promoting Immunity During COVID 19

Sachin Verma*

***Research Scholar (Sociology) Janta Vadic College, Baraut (Baghpat) (U.P.) INDIA**

Abstract - National governments are deeply divided over whether traditional, complementary and integrative practices have value for human beings relative to COVID-19. We witness a double standard. Medical doctors explore off-label uses of pharmaceutical agents that may have some suggestive research while evidence that indicates potential utility of natural products, practices and practitioners is often dismissed. In this Invited Commentary, a long-time JACM Editorial Board member BhushanPatwardhan, PhD, from the AYUSH Center of Excellence, Center for Complementary and Integrative Health at the Savitribai Phule Pune University, India and colleagues from multiple institutions make a case for the potential roles of Ayurvedic medicine and Yoga as supportive measures in self-care and treatment. Patwardhan is a warrior for enhancing scientific standards in traditional medicine in India. Patwardhan was recently appointed by the Ministry of AYUSH, Government of India, as Chairman of an 18 member expert group known as ''Interdisciplinary AYUSH Research and Development Taskforce'' for initiating, coordinating and monitoring efforts against COVID-19. He was last seen here in an invited commentary entitled ''Contesting Predators: Cleaning Up Trash in Science'' (JACM, October 2019). We are pleased to have this opportunity to share the recommended approaches, the science, and the historic references as part of the global effort to leave no stone unturned in best preparing our populations towithstand COVID-19 and future viral threats.
Keywords-Yoga, Intergetive Health,covid19, Traditional Medicine.

Introduction - The coronavirus disease 19 (COVID-19) pandemic is unique and unprecedented in several aspects and has challenged health care systems. At present, the global momentum is unabated, and a second wave is anticipated. The experience and lessons learnt from the earlier severe acute respiratory syndrome(SARS) epidemics appear inadequate and call for better approaches and strategies in public health and medical care. Conventional mainstream medicine is at the forefront when it comes to curbing this menace, especially at the critical care stage. The current prophylactic measures are insufficient, andsuggested options such as hydroxychloroquine (HCQ) are still under investigation. The prophylactic and therapeutic potential of traditional and complementary medicine systems such as Ayurveda and Yoga is not really being considered during this crisis and global hunt for effective preventive and treatment measures. In this commentary, we have attempted to highlight the knowledgeandpractices FromAyurveda andYogathatmight be effectively utilized in the prophylaxis and adjuvant therapy of COVID-19. Several of our recommendations in this paper are driven by the emerging dynamics of the causative organism SARS coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and the unravelling of the pathophysiology of COVID-19.While we focus here on prophylaxis and the protection of vulnerable target organs, Ayurveda and Yoga as an add-on therapy may support patients of COVID-19 by improving the quality of standard care. Research and therapeutic strategies for COVID-19 have focused on agents to attack the virus or immunize against it. This leaves aside the consideration of the host—one of the most important factors in disease dynamics. Ayurveda pays particular attention to the host and recommends measures for a healthy lifestyle rather than the mere prescription of medicine. Charaka Samhita, the classic of Ayurveda, describes epidemic management and defines immunity as the ability to prevent disease and arrest its progress to maintain homeostasis. The concept of building strength of mind and body to cope with various stressors, including infection, is a cornerstone of Ayurveda practice. Similar to innate and acquired immunity, the Ayurveda concept of immunity (Bala or strength) is classified as natural (Sahaja), chronobiologic (Kalaja), and acquired (Yuktikrut). The holistic approach of Ayurveda toward promoting health (Swasthavritta) includes personalized interventions based on host and environmental factors. The interventions include therapeutic cleansing procedures (known as Panchakarma) and certain immunomodulators (known as Rasayana). Local and systemic interventions

to boost the immune system have been advocated to manage respiratory illnesses.

Ayurveda For Covid Prophylaxis - The choice of specific Ayurveda therapeutic agents and practices is based on certain individual geneticcharacteristics known as Dosha Prakriti types (Vata, Pitta, and Kapha).In our opinion, several general measures described below may be useful to reduce the risk of SARS-COV-2 infection and complement therapeutic management as add-on treatment.

Local Prophylaxis - The eyes, nose, and mouth are the main portals of entry of droplets carrying the SARS-COV-2. Prior to the final assault in the lungs, the virus gains access to the throat region and stays for some hours. The fatty acid coat of the virus adheres to the moist mucosal layers, which helps it gain entry into the cells by binding to specific cell receptors. Ayurveda classics mention several interventions that are likely to target these entry portals.This may help to improve the innate immunologic response of the mucus membranes and may thus inhibit the virus transmission to the lungs. These measures may hence function as ‘‘physiological masks’’ barricading the viral invasion. The general measures for respiratory illnesses described in Ayurvedic texts such as consumption of hot water, hot food, and herbal decoctions, gargling with medicated water, steam inhalation, and local applications may be helpful for symptomatic relief in mild cases.

Medicated water - Drinking hot or warm water is a popular home remedy for many ailments. Ayurveda also advocates this as a measure for improving digestion of Ama, a proinflammatory product of impaired metabolic disorders. The presence of Ama is linked to increased susceptibility to infections. Traditionally, warm water is consumed in many parts of India for diverse disorders of fever, inflammation, metabolism, and allergy such as rhinitis and asthma. Several spices that are popularly used in the kitchen are added as single or multiple agents to the boiling water and consumed as medication throughout the day. These spices include dry ginger (Zingiber officinale), yashtimadhu (Glycyrrhiza glabra), and nut-grass (Cyperus rotundus) rhizomes; khus (Vetiveria zizanioides) and Indian sarsaparilla (Hemisdesmus indicus) roots; coriander (Coriandrum sativum) and fennel (Cuminum cyminum) seeds; and cinnamon (Cinnamomum verum) and catechu (Acacia catechu) barks.

Mouth rinse and gargle - Warm liquids and oils are used as gargles (gandusha)or mouth rinses (kavala) to cleanse the mouth and m7throat thoroughly. This can also have a systemic effect.The oils or oily decoctions clean the oral cavity, pharynx, and tonsillar area and are likely to coat the mucosa as biofilm and induce additional immunomodulatory, antioxidant, and antimicrobial benefits. The paramount role of host mucosal immunity in controlling infectious agents is well known. Turmeric (Curcuma longa) rhizome, yashtimadhu or liquorice (Glycyrrhiza glabra) stem, neem (Azadiracta indica) and catechu (Acacia arabica) barks, and natural salt may be used to prepare medicated water/solutions for gargles/mouth rinse. Gargles with these medicated decoctions have demonstrated beneficial effects in xerostomia (dry mouth), postoperative sore throat, oral ulcers, gingivitis, and bacterial growth. Glycyrrhizin, an active component in liquorice was found to be more effective than common antivirals in inhibiting the replication of SARS virus and inhibited its adsorption and penetration.Yoga texts recommend cleansing of the nasal passage with salt water (Jala neti).The efficacy of salt water in upper respiratory infections has been reported in randomized controlled trials (RCTs), although more conclusive evidence is needed.

Nasal oil application - Ayurveda recommends the application of medicated oils made from butter oil (Ghee) and vegetable oils such as sesame or coconut in the nostrils. This may protect the respiratory tract from pathogen entry. This procedure known as nasya is well described in Ayurveda.6 Application of pure sesame oil was found to be effective for the treatment of dry nasal mucosa.Similar to gargles and mouth rinses, nasal oil application possibly forms a biofilm and can help as a barrier to the entry of the virus particles. Researchers of Traditional Chinese Medicine have already proposed the use of nasal oil application for preventing SARS-COV-2 infection.

Steam inhalation - Steam inhalation and hot fomentation (with aromatic oils such as menthol) provide satisfactory clinical relief in nasal and throat congestion, bronchoconstriction, headache, and sinusitis. Its role in improving nasal conditioning, improving nasal mucus velocity, and reducing congestion and inflammation has been reported in several clinical studies.

Systemic Prophylaxis - Ayurveda advocates several non-pharmacological measures that are critical to overall health, including diet, sleep, mental relaxation, lifestyle behavior, and Yoga. Several studies have endorsed the role of Yoga breathing techniques (pranayama), postures (asanas), and procedures (yogic kriya) in improving lung health and exercise tolerance. The recommended daily diet30 includes fresh hot soups of vegetables (radish, trigonella leaves, drum stick vegetable pods) and pulses (lentils, green gram/ mung beans, chickpeas) seasoned with spices such as ginger (Zingiber officinale), garlic (Allium sativum), cumin seeds (Cuminum cyminum), and mustard (Brassica nigra) seeds (black whole mustard).

Rasayanas as Immunomodulators - Rasayana, a specialty of Ayurveda, deals with measures for rejuvenation. Rasayana therapy comprises lifestyle, diet, and medicine that have properties to enhance growth, retard aging, induce tissue regeneration, and stimulate immunity. Due to its effects on improving immunity, Rasayana therapy may have direct relevance to the prophylaxis and management of SARS-COV-2 infection. The botanicals used in Rasayana therapy have been found to be effective in immunomodulation and restoration of immune haemostatsis. Shi etal.described the immune response to

SARS-COV-2 infection in two phases. The first protective phase of adaptive immune response in the host that may eliminate the virus in a large proportion of subjects. In relatively few cases, the viral infection progresses, causing intense release of proinflammatory cytokines (cytokine storm). The cytokine storm results in severe inflammation, leading to lung damage and co-attendant multi-organ failure. Thus, although antivirals are important, a robust and well-contained immune response to maintain immune homeostasis will be critical for good recovery and reduced mortality. This requires a favorable Th1/ Th2 cytokine balance. Several Rasayana botanicals described in Ayurveda are used in clinical practice for strengthening immunity. Based on our research data, we find Withania somnifera (Ashwagandha), Tinospora cordifolia (Guduchi), Asparagus racemosus (Shatavari), Phylanthus embelica (Amalaki), and Glyceriza glabra (Yashtimadhu) are potential immunomodulators.Such Rasayana botanicals may be considered for COVID-19 prophylaxis and as an add-on treatment. Here, we present a few details on Ashwagandha as an example. We have carried out several in vitro, animal, and clinical studies over the last two decades to demonstrate primarily the immunomodulatory and antioxidant effects of Ashwagandha. We have largely focused on its clinical benefit in inflammation, arthritis, and cancer, but it has been used in several other disorders.The selective Th1 upregulation by aqueous extract of Ashwagandha roots has been shown in a mice model.Ashwagandha aqueous extract has a broad-spectrum dose-dependent role in immune homeostasis.Based on available data, we suggest that when used appropriately, Ashwagandha may be effective in improving host immunity through the modulation of key targets relevant to COVID-19. We have demonstrated the clinical effects of Ashwagandha containing Ayurvedic formulation to be equivalenttoHCQinaRCTfor treat ingrheumatoid arthritis.

Ayurveda For Covid Prophylaxis - depicts potential mechanisms of action of Ashwagandha in prophylaxis (antiviral, immune boosting, vascular integrity) and management (pyrexia, anti-inflammatory, conserving alveoli) related clinical targets of COVID-19. We therefore suggest that selected Ashwagandha formulations may be effective as a prophylactic and adjunct treatment of COVID-19. In our opinion, Ashwagandha might be a better and safer alternative to disease-modifying drugs such as HCQ. We recommend further research to determine the clinical efficacy of Rasayana drugs such as Ashwagandha, Guduchi, Amalaki, and Yashtimadhu.

Yoga for Mental Health - Poor mental health conditions, including stress and depression, are known to increase the risk of acute respiratory infections.Rising numbers of COVID-19 cases and deaths possibly raise stress and anxiety, while loneliness and depressive feelings are likely due to mandatory social distancing measures. Consideration of the mind is another distinction of Ayurveda and Yoga. Several measures for mental health are described, including pranayama and meditation. Pranayama is known to improve lung function. Meditation is found to reduce inflammation markers and influence markers of virus-specific immune response.Yoga including meditation could be a simple and useful home-based practice for the prevention and post-recovery management of COVID-19. Discussion Modern medical care and health systems are being tested to the hilt for effective management of COVID-19. However, there are several gaps. We must remember the basic principle in medicine that "prevention is better than cure." The simple and feasible measures based on Ayurveda and Yoga could be quickly advertised in public-health campaigns through electronic and print media and information brochures for public distribution and display at prominent locations. The Ministry of AYUSH, Government of India, has already issued a very useful advisory in this context. People are overstressed by the compulsions of social distancing and physical barrier methods. They are likely to find comfort and support in some of the deeply rooted traditional practices that may protect them from the infection and its associated debilitating conditions. Noticeably, these interventions have the advantages of simplicity, affordability, and acceptability and appear promising as feasible measures for large-scale implementation. Ayurveda, Yoga, and meditation have a potential role to engage the community in creating a more positive health environment. Admittedly, there is need for more research. It was welcome news to learn that the United States National Institutes of Health, National Center for Complementary and Integrative Health has engaged a stress-related initiative and is reportedly considering others. Another timely initiative is the launch of the traditional, complementary, and integrative health and medicine COVID-19 support registry to document practices and products.The evidence presented here should draw the attention of stakeholders, including the World Health Organization, to the unexplored potential of traditional medicine systems and adopting integrative approaches in the search for solutions for the COVID 19 crisis. It is high time to embrace integration with an open mind.

References :-

1. Cyranoski D. ''We need to be alert'': scientists fear second coronavirus wave as China's lockdowns Nature 2020 [Epub ahead of print]; DOI: 10.1038/d41586-020-00938-0
2. World Health Organization. Off label use of medicines for COVID 19. WHO reference number:WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Off-label_use/2020.1 Online document at: https:// apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331640/WHO-2019nCoV-Sci_Brief-Off-label_use-2020.1eng.pdf, April 8, 2020. Accessed
3. World Health Organization. WHO SOLIDARITY Clinical

trial for COVID 19 treatments. Online documenta at: https:// www.who.int/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments, accessed April 8, 2020.
4. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019(COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease control and Prevention. JAMA 2020 Feb 24 [Epub ahead of print]; DOI: 10.1001/jama.2020.2648.
5. Acharya Y, ed. Charaka Samhita. Varanasi, India: Chaukhamba Surbharati, 1992.
6. Vinjamury SP, Vinjamury M, Sucharitakul S, et al. Panchakarma: Ayurvedic detoxification and alliedtherapies— is there any evidence? In:Evidence-BasedPractice in Complementary and Alternative medicine. Berlin: Springer, 2012:113–137.
7. Balasubramani SP, Venkatasubramanian P, Kukkupuni SK, et al. Plant-based Rasayana drugs from ayurveda. Chin J Integr Med 2011;17:88–94.
8. Chandran S, Dinesh K, Patgiri B, et al. Unique contributions of Keraleeya Ayurveda in pediatric health care j Ayurveda Integr Med 2018;9:136–142.
9. Thatte U, Chiplunkar S, Bhalerao S, et al. Immunological and metabolic responses to a therapeutic course of Basti in obesity. Indian J Med Res 2015;142:53–62.
10. Patwardhan B, Bodeker G. Ayurvedic genomics: establishing a genetic basis for mind–body typologies. J Altern Complement Med 2008;14:571–576.
11. Paradkar H ed. Ashtanga Hrudaya of Vagbhata. Varanasi, India: Chaukhambha Surbharati Prakashan, 2003:287–294.
12. Acharya YT, ed. Shri Dalhanacharaya Nibandhasamgraha commentary of Sushruta Samhita.Varanasi, India: Chaukumba Sanskrit Sansthan, 2003:761–765.
13. VN, Tillu G. Cancer, inflammation, and insights from Ayurveda. Evid Based Complemen Alternat Med 2012;2012:306346.
14. Shrungeswara AH, Unnikrishnan MK. Evolution of dietary preferences and the innate urge to heal: drug discovery lessons from Ayurveda. J Ayurveda Integer Med 2019;10: 222–226.
15. Amruthesh S. Dentistry and Ayurveda—IV: classification and management of common oral diseases. Indian J Dent Res 2008;19:52–61.
16. Shanbhag VK. Oil pulling for maintaining oral hygiene—a review. J Tradit Complement Med 2017;7:106–109.
17. Novak N, Haberstok J, Bieber T, et al. The immune privilege of the oral mucosa. Trends Mol Med 2008;14: 191–198.
18. Agarwal A, Gupta D, Yadav G, et al. An evaluation of the efficacy of licorice gargle for attenuating postoperative sore throat: a prospective, randomized, single-blind study. Anesth Analg 2009;109:77–81.
19. Vanka A, Tandon S, Rao SR, et al. The effect of indigenous Neem Azadirachta indica [correction of (Adirachta indica)] mouth wash on Streptococcus mutans and lactobacilli growth. Indian J Dent Res 2001;12:133–144.
20. Cinatl J, Morgenstern B, Bauer G, et al. Glycyrrhizin, an active component of liquorice roots, and replication of SARS-associated coronavirus. Lancet 2003;361:2045–2046. Downloaded by 139.167.238.110 from www.liebertpub.com at 05/16/ 20. For personal use only.
21. Muktibodhananda S. Hatha Yogo Pradipika. Light on Hatha Yoga. 4th ed. Munger, India: Bihar School of Yoga, 2012:202–205.
22. D, Mitchell B, Williams CP, et al. Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2015;4:CD006821.
23. Johnsen J, Bratt B, Michel-Barron O, et al. Pure sesame oil vs isotonic sodium chloride solution as treatment for dry nasal mucosa. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 127:1353–1356.
24. Fan W, Zeng J, Xu Y. A theoretical discussion of the possibility and possible mechanisms of using sesame oil for prevention of 2019-nCoV (COVID-19 coronavirus) from the perspective of colloid andinterface science. ResearchGate 2020; DOI: 10.13140/RG.2.2.31786.98248.
25. Abbott DJ, Baroody FM, Naureckas E, et al. Elevation of nasal mucosal temperature increases the ability of the nose to warm and humidify air. Am J Rhinol 2001;15:41–46.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

दादा भाई नौरोजी का आर्थिक चिन्तन

डॉ. प्रवीण ओझा*

*प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) बी.एल.पी. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय अर्थव्यवस्था का जहाँ भी उल्लेख किया जाता है तो वहाँ यह जिक्र अवश्य आता है कि प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ गौरव का विषय यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गौरवमय एवं अनुकूल व्यापारिक परिस्थितियों के कारण ही देश को यह विशेषण प्राप्त हो सका था। परन्तु दुख का विषय यह रहा कि यही उन्नत भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजी शासन काल में अपने अधोपतन के निम्न स्तर तक जा पहुँची और भारत दयनीय आर्थिक दुष्चक्र का शिकार बन गया। इसके अनन्तर ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कुटीर उद्योगों का पतन, ग्राम स्वावलम्बन का समापन, कृषि का व्यावसायीकरण, अनौद्योगीकरण, पूंजी निर्गमन आदि तत्व भारतीय आर्थिक पराभव का कारण बने। भारत के इस आर्थिक पराभव का अहम कारण पूंजी निर्गमन या धन का निष्कासन या ड्रेन वैल्थ था जो निर्धनता का भी कारण था। आश्चर्य की बात यह है कि इस अहम मुद्दे पर लोगों का ध्यान भी नहीं केन्द्रित हो रहा था। इस ओर ध्यान आकर्षित करने का श्रेय प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी को जाता है।

कॉंग्रेस के उदारवादी युग के युग के नेता दादा भाई नौरोजी की राजनीतिक सफलताओं के साथ-साथ उनका आर्थिक चिन्तन भी बहुत महत्वपूर्ण तथा देश के लिये उपयोगी था। एलफिंस्टन कॉलेज, मुम्बई से शिक्षित आपको वहीं सहायक प्राध्यापक नियुक्त किया गया। यह पद पाने वाले प्रथम भारतीय थे, उन्होंने दादा भाई नौरोजी एण्ड कम्पनी नामक सफल कम्पनी की स्थापना एवं संचालन किया। वे ईस्ट इण्डियन एसोसिएशन के भी संस्थापक थे जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों की समस्याओं को सामने लाना था। उन्होंने बड़ौदा के दीवान बनकर वहाँ भी आर्थिक सुधार लागू करने का प्रयास किया जो वहाँ के अंग्रेज रेजिडेन्ट के विरोध के कारण संभव न हो सका। इंग्लैण्ड की संसद में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कहलाने का श्रेय भी उन्हें ही प्राप्त है। वे सन् 1886, 1893 एवं 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। ऐसी अपार योग्यताओं के धनी दादा भाई नौरोजी का आर्थिक चिन्तन देश के लिये अत्यधिक उपयोगी रहा। दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता थे जो ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के स्थान पर उसमें सुधार करना चाहते थे। उस समय भारतीय प्रबुद्ध वर्ग में यह धारणा थी कि भारत का भविष्य अंग्रेजी शासन के साथ जुड़ा है अत: सुधारों की माँग पर इस वर्ग का ध्यान अधिक केन्द्रित था। दादा भाई का मानना था कि यदि भारत से अनैतिक रूप से होने वाला यह धन का निर्गमन अथवा निष्कासन बन्द हो जाये तो देश की समस्त समस्याओं को समाधान किया जा सकता है।

उन्होंने भारत की समस्त समस्याओं की जड़ धन के निर्गमन को ही माना जिसे उन्होंने आर्थिक दोहन का नाम दिया। भारत के राष्ट्रवादी चिन्तकों दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त आदि ने आर्थिक दोहन का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिससे भारत की उत्तरोत्तर बढ़ती हुयी निर्धनता के कारणों का आंकलन किया जा सके। यह आर्थिक दोहन भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का दुष्परिणाम था। 'निर्यात की तुलना में आयात का अधिक होना और उससे प्राप्त धन का इंग्लैण्ड जाना इसका प्रमुख रूप था। अंग्रेजों द्वारा बिना कुछ दिये या बहुत कम देकर बहुत अधिक मात्रा में भारतीय धन एवं संसाधनों (कच्चा माल इत्यादि) को इंग्लैण्ड भेजना ही आर्थिक दोहन या धन का निर्गमन कहलाता है।' भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान उन्नीसवीं शताब्दी एवं बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में यह आर्थिक दोहन उच्चतम स्तर पर था। इस अवधि में बड़ी मात्रा में सोने चाँदी की मुद्राओं, कच्चे माल, खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं के रूप में धन इंग्लैण्ड को भेज दिया जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी जितना राजस्व अर्जित करती थी उसी धन का प्रयोग यहाँ से माल खरीदकर इंग्लैण्ड को भेजने में करती थी। परिणामत: भारतीय माल के विक्रय के बदले सोने चाँदी की मुद्रा प्राप्त नहीं होती थीं। बीसवी शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारत की कुल राष्ट्रीय आय का दस प्रतिशत भाग किसी न किसी रूप में इंग्लैण्ड भेज दिया जाता था। इसी आर्थिक लूट की ओर भारतीयों का ध्यान आकृष्ट करना, इसके लिये विरोध दर्ज करना, इसके स्वरूप, कारणों, परिणामों पर गहन चिन्तन एवं इसे आम बहस का मुद्दा बनाने में सफलता दादा भाई नौरोजी के आर्थिक चिन्तन के कारण ही संभव हो सकी। सुप्रसिद्ध आर्थिक चिन्तक वेरलेस्ट के अनुसार प्लासी के युद्ध के पाँच वर्षो के भीतर लगभग 4.94 मिलियन पौण्ड का माल एवं सोना भारत से बाहर गया। आई.सी. सिन्हा के मतानुसार सन् 1757 से 1780 ईस्वी के बीच अकेले बंगाल से 38 मिलियन पौण्ड का आर्थिक दोहन हुआ। इससे भी बढ़कर तथ्य यह है कि भारतीय राजस्व का एक चौथाई भाग होम चार्ज के रूप में इंग्लैण्ड भेज दिया जाता था। विलियम डिग्वी के अनुसार तो 'प्लासी के युद्ध (सन 1757 ई.) से वाटरलू के युद्ध (सन 1856 ई.) तक भारत से 50 करोड़ पौण्ड से 100 करोड़ पौण्ड तक की सम्पत्ति का निष्कासन हुआ।' यदि दादा भाई ने इसे बहस का मुद्दा न बनाया होता तो यह क्रम अनवरत चलता रहता और किसी का ध्यान भी इस नुकसान का आंकलन करने की ओर न जाता।

इस सम्बन्ध में उनके विचारों को उन्होंने, सर्वप्रथम 1876 में एक लेख 'पॉवर्टी इन इण्डिया' में रखा तथा 1906 में प्रकाशित उनकी पुस्तक 'पॉवर्टी एण्ड दि अन ब्रिटिश रूल इन इण्डिया' में अपने विचारों तथा आर्थिक दोहन की समस्या के विविध पहलुओं का विस्तृत चित्रण किया तथा यह तथ्य स्पष्टत: उद्घाटित किया कि किस प्रकार अंग्रेज भारत का शोषण कर यहाँ

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

का धन विदेश भेज रहे हैं। उनके विवरणानुसार – 'एक ओर तो व्यापार के द्वारा भारतीय धन इंग्लैण्ड भेजा जा रहा है तथा दूसरी ओर अंग्रेज अधिकारियों को अत्यधिक वेतन देकर अप्रत्यक्ष रूप से धन इंग्लैण्ड भेजा जा रहा है क्योंकि ये अधिकारी अपनी रकम राशि अपने साथ लेकर इंग्लैण्ड इंग्लैण्ड चले जाते हैं। इस प्रकार अंग्रेज धनी होते जा रहे हैं और भारतीय निर्धन।' उनके इन क्रान्तिकारी आर्थिक विचारों से तत्कालीन आर्थिक एवं राजनीतिक जगत में खलबली मच गयी थी तथा अपनी पुस्तक में वे लिखते हैं– 'भारत की कीमत व खून पर ही (अंग्रेजी) साम्राज्य का निर्माण हुआ है और उसे स्थापित रखा गया है। इन युद्धों पर हुए अत्यधिक व्यय तथा प्रतिवर्ष भारत से करोड़ों रूपये विदेश जाने के कारण भारत इतना चुस गया है कि आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत मर रहा है। आपने (अंग्रेजों) भारत से निरन्तर धन खींचकर भारत की ऐसी स्थिति की है।' दादा भाई नौरोजी ने देश से धन के निर्गमन या निकासी की संगणना भी की। उनकी पुस्तक पॉवर्टी एण्ड अन ब्रिटिश रूल इन इण्डिया में उन्होंने रेलवे के ब्याज को निकालकर 1835 से 1872 तक की इंग्लैण्ड को भारत से धन की निकासी की वार्षिक औसत राशि को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया है।

वर्ष	**वार्षिक औसत राशि (पौण्ड में)**
1835-1839	53,47,000
1840-1844	59,30,000
1845-1849	77,60,000
1850-1854	74,48,000
1855-1859	77,30,000
1860-1864	1,73,00,000
1865-1869	2,46,00,000
1870-1872	2,74,00,000

स्त्रोत– पॉवर्टी एण्ड अन ब्रिटिश रूल इन इण्डिया, पृष्ठ–34

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत से आर्थिक दोहन के कौन से विविध प्रकार व्याप्त थे यथा– कम्पनी कर्मचारी द्वारा वेतन से बचत की राशि का इंग्लैण्ड में निवेश, ब्रिटिश उत्पादित माल की खरीददारी, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज (जो भारत में निवेश किया गया है) तथा होम चार्ज। इंग्लैण्ड में कार्यरत कर्मचारी जो भारत के प्रशासनिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक कार्य करते थे, उन पर किया गया ० होमचार्ज कहलाता था जिसमें रेलवे तथा सिंचाई कार्यों पर किये गये निवेश तथा अन्य सार्वजनिक निवेश पर वार्षिक ब्याज राशि का भुगतान असैनिक विभागों में कार्यरत अंग्रेजों का वेतन, इण्डिया ऑफिस का ० एवं अंग्रेज पदाधिकारियों को पेंशन इत्यादि सम्मिलित थे निष्कासन के संबंध में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि – 'यह निष्कासन दो प्रकार का होता है –प्रथम यूरोपीय अधिकारियों द्वारा अपनी बचत को इंग्लैण्ड भेजने से तथा इंग्लैण्ड में दिया जाने वाला वेतन एवं पेंशन भी इसका कारण है। द्वितीय निष्कासन उन यूरोपीयों द्वारा जो ब्रिटिश शासन तंत्र के अधिकारी नहीं हैं, द्वारा धन विदेश में भेजने से होता है, जिसके कारण भारत में पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। अंग्रेज इसी निष्कासित धन को पूंजी के रूप में पुन: भारत में लाते हैं एवं समस्त व्यापार, उद्योगों एवं सार्वजनिक उपक्रमों पर एकाधिकार स्थापित करते हैं। इस प्रकार ये भारत का और अधिक शोषण कर पूंजी का निष्कासन करते हैं। इस सारे पाप का मूल कारण निष्कासन ही है।'

वे प्रथम आर्थिक चिन्तक थे जिन्होंने सर्वप्रथम आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। उन्होंने भारत के आर्थिक संकट एवं पिछड़ेपन, दरिद्रता, आर्थिक दोहन एवं दमनकारी आर्थिक नीतियों का सशक्त विश्लेषण कर परिवर्तन की मांग की। उन्होंने निर्धनता को गंभीर विषय बताया। उनके शब्दों में– 'भारत कई प्रकार से गंभीर रूप से विपन्न है और निर्धनता से दबा हुआ है। मेरी राय में आज का यह बहुत गंभीर विषय है।' वे इसके लिये ब्रिटिश शासन को ही पूर्णत: उत्तरदायी मानते थे। निर्धनता को ज्वलंत समस्या मानकर उन्होंने इसके समाधान पर बल दिया। उनका विचार था कि भारत के सभी संसाधनों का दोहन इंग्लैण्ड के हित में किया जा रहा है, जो प्रमुख बुराई है और भारत की दरिद्रता का कारण भी। उन्होंने लिखा– 'सम्पूर्ण भौतिक 5,00,00,000 पौण्ड में से 1,20,00,000 पौण्ड तो साफ तौर पर ही खुले आम इंग्लैण्ड को ले जाए जाते हैं और राष्ट्रीय पूँजी अथवा दूसरे शब्दों में इस देश की उत्पाद क्षमता में निरन्तर वर्ष, प्रतिवर्ष गिरावट ही आती जा रही है।' वे इसे ही निर्धनता का मूल कारण मानते थे। जबकि अंग्रेज इस बात को मानने को तैयार न थे। अंग्रेज इस बात पर जोर देते थे कि भारतीयों की निर्धनता का मुख्य कारण जनसंख्या का अधिक होना है। इस पर दादा भाई नौरोजी ने प्रतिक्रिया दी –'अधिक जनसंख्या का तर्क दिया जाता है किन्तु वे ब्रिटेन द्वारा की गयी निकासी से उत्पन्न बर्बादी को भूल जाते हैं।' 1895 में उन्होंने कहा कि 'भारत भूख से मर रहा है। .... यह सत्य है कि भारतवासी एक प्रकार के दास हैं। उनकी दशा अमेरिकी दासों से भी बुरी है, क्योंकि अमेरिकी दासों के स्वामी अपनी सम्पत्ति के रूप में अपने दासों की देखभाल तो करते हैं।' उन्होंने इन आर्थिक समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया से आम जन को जोड़ने के सार्थक प्रयत्न किये। वे प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की जर्जरता को समझकर उसकी स्पष्ट व्याख्या की तथा भारत के उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय का भी मूल्यांकन किया।

विविध मदों से जो भारतीय धन इंग्लैण्ड की ओर प्रवाहित हो रहा था उसके औचित्य पर दादा भाई नौरोजी ने प्रश्न चिन्ह लगाया। आर्थिक दोहन के कारणों व परिणामों से भारतीयों को परिचित कराया, धन के प्रवाह के मापन पर बल दिया। इस समस्या को एक आर्थिक सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया इससे उत्पन्न निर्धनता की समस्या की मीमांसा की। उनके इन आर्थिक विचारों ने भारतीय जन मानस को उद्वेलित कर दिया। उनका जीवन काल 04 सितम्बर 1825 से 30 जून 1917 था। इस युग में भारतीयों में तथ्यपूर्ण तरीकों से राजनीतिक चेतना जाग्रत करने का श्रेय उनके इन आर्थिक विचारों को दिया जाता है। उन्होंने विविध प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक दमनात्मक नीतियों का शिकार है। अपनी पुस्तक के माध्यम से अंग्रेजी शासन की दमनकारी आर्थिक नीतियों को सर्वप्रथम उन्होंने जनता के समक्ष रखा एवं उसकी कठोर आलोचना की। भारतीय आर्थिक इतिहास लेखन में यह उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने भारतीयों को प्रेरणा दी कि दमन के विरूद्ध वे एकजुट होकर आवाज उठायें तभी उनका आर्थिक उन्नयन संभव है। इसका सकारात्मक प्रभाव भी जनमानस पर दृष्टिगोचर होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नौरोजी, दादा भाई – पॉवर्टी एण्ड अन ब्रिटिश रूल इन इण्डिया।
2. दत्त, रमेश चन्द्र – द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया।
3. नौरोजी , दादा भाई – आलेख– पॉवर्टी इन इण्डिया।
4. विलियम, डिग्बी – प्रोस्परस ब्रिटिश इण्डिया।
5. वुल्फ, एच. – को ऑपरेशन इन इण्डिया।
6. विलियम बोल्ट्स – कन्सीडरेशन ऑन इण्डियन अफेयर्स।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Justice in Islam

Dr. Saptmuni Dwivedi *

*Faculty (Law) A.P.S. University, Rewa (M.P.) INDIA

The Meaning of Justice - In the Islamic worldview, justice denotes placing things in their rightful place. It also means giving others equal treatment. In Islam, justice is also a moral virtue and an attribute of human personality, as it is in the Western tradition. Justice is close to equality in the sense that it creates a state of equilibrium in the distribution of rights and duties, but they are not identical. Sometimes, justice is achieved through inequality, like in unequal distribution of wealth. The Prophet of Islam declared:

"There are seven categories of people whom God will shelter under His shade on the Day when there will be no shade except His. [One is] the just leader." (*SaheehMuslim*)

God spoke to His Messenger in this manner:

"O My slaves, I have forbidden injustice for Myself and forbade it also for you. So avoid being unjust to one another." (*Saheeh Muslim*)

Thus, justice represents moral rectitude and fairness, since it means things should be where they belong.

The Importance of Justice - The Quran, the sacred scripture of Islam, considers justice to be a supreme virtue. It is a basic objective of Islam to the degree that it stands next in order of priority to belief in God's exclusive right to worship (*Tawheed*) and the truth of Muhammad's prophethood. God declares in the Quran:

"God commands justice and fair dealing..." (Quran 16:90)

And in another passage:

"O you who believe, be upright for God, and (be) bearers of witness with justice!..." (Quran 5:8)

Therefore, one may conclude that justice is an obligation of Islam and injustice is forbidden. The centrality of justice to the Quranic value system is displayed by the following verse:

"We sent Our Messengers with clear signs and sent down with them the Book and the Measure in order to establish justice among the people…" (Quran 57:25)

The phrase **'Our Messengers'** shows that justice has been the goal of all revelation and scriptures sent to humanity. The verse also shows that justice must be measured and implemented by the standards and guidelines set by revelation. Islam's approach to justice is comprehensive and all-embracing. Any path that leads to justice is deemed to be in harmony with Islamic Law. God has demanded justice and, although He has not prescribed a specific route, has provided general guidelines, on how to achieve it. He has neither prescribed a fixed means by which it can be obtained, nor has He declared invalid any particular means or methods that can lead to justice. Therefore, all means, procedures, and methods that facilitate, refine, and advance the cause of justice, and do not violate the Islamic Law are valid.[1]

Equality in Justice - The Quranic standards of justice transcend considerations of race, religion, color, and creed, as Muslims are commanded to be just to their friends and foes alike, and to be just at all levels, as the Quran puts it:

"O you who believe! Stand out firmly for justice, as witnesses to Allah, even if it be against yourselves, your parents, and your relatives, or whether it is against the rich or the poor..." (Quran 4:135)

According to another Quranic passage:

"Let not the hatred of a people swerve you away from justice. Be just, for this is closest to righteousness…" (Quran 5:8)

With regards to relations with non-Muslims, the Quran further states:

"God does not forbid you from doing good and being just to those who have neither fought you over your faith nor evicted you from your homes..." (Quran 60:8)

The scholars of the Quran have concluded that these rulings apply to all nations, followers of all faiths, as a matter of fact to all humanity.[2] In the view of the Quran, justice is an obligation. That is why the Prophet was told:

"…If you judge, judge between them with justice…" (Quran 5:42)

"We have revealed to you the scripture with the truth that you may judge between people by what God has taught you." (Quran 4:105)

Furthermore, the Prophet was sent as a judge between peoples, and told:

"…Say: I believe in the Scripture, which God has

sent down, and I am commanded to judge justly between you..." (Quran 42:15)

The Quran views itself as a scripture devoted mainly to laying down the principles of faith and justice. The Quran demands that justice be met for all, and that it is an inherent right of all human beings under Islamic Law.[3] The timeless commitment of the Quran to the basic standards of justice is found in its declaration:

"And the Word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice. None can change His Words." (Quran 6:115)

To render justice is a trust that God has conferred on the human being and, like all other trusts, its fulfillment must be guided by a sense of responsibility beyond mere conformity to set rules. Thus, the Quran states:

"God commands you to render trusts to whom they are due, and when you judge between people, judge with justice…" (Quran 4:58)

The reference to justice which immediately follows a reference to fulfillment of trusts indicates that it is one of the most important of all trusts.[4]

Justice and the Self - The Quranic concept of justice also extends justice to being a personal virtue, and one of the standards of moral excellence that a believer is encouraged to attain as part of his God-consciousness. God says:

"…Be just, for it is closest to God-consciousness…" (Quran 5:8)

The Prophet himself instructed:

"Be conscious of God and be just to your children."[5]

The Quran tells the believers:

"…When you speak, speak with justice, even if it is against someone close to you…" (Quran 6:152)

Specific Examples of Justice Encouraged in the Quran

The Quran also refers to particular instances and contexts of justice. One such instance is the requirement of just treatment of orphans. God says:

"And approach not the property of the orphan except in the fairest way, until he [or she] attains the age of full strength, and give measurement and weight with justice…" (Quran 6:152, also see 89:17, 93:9, and 107:2)

Fair dealings in measurements and weights, as mentioned in the above verse, is also mentioned in other passages where justice in the buying, selling, and by extension, to business transactions in general, is emphasized. There is an entire chapter of the Quran, Surah al-Mutaffifeen ('The Detractors in Giving Weights,' 83) where fraudulent dealers are threatened with divine wrath.

References to justice also occur in the context to polygamy. The Quran demands equitable treatment of all wives. The verse of polygamy begins by reference to orphaned girls who may be exposed to depravation and injustice. When they reach marriageable age, they should be married off, even if it be into a polygamous relationship, especially when there is inequality in the number of men and women, as was the case after the Battle of Uhud when this verse was revealed. But, as the **Quran states:**

"If you fear that you can not be just, then marry only one…" (Quran 4:3)

In conclusion, 'to render justice', in the words of Sarkhasi, a noted classical Islamic jurist, 'ranks as the most noble of acts of devotion next to belief in God. It is the greatest of all the duties entrusted to the prophets…and it is the strongest justification for man's stewardship of earth.'

"O you who believe! Have fear of God, and be among the truthful." (Quran 9:119)

Ask the average person to define truthfulness and the answer will most likely be restricted to something about truthful speech. Islam, however, teaches that truthfulness is far more than having an honest tongue. In Islam, truthfulness is the conformity of the outer with the inner, the action with the intention, the speech with belief, and the practice with the preaching. As such, truthfulness is the very cornerstone of the upright Muslim's character and the springboard for his virtuousness deeds.

The great sage and scholar of Islam, Ibn al-Qayyim, said: "Truthfulness is the greatest of stations, from it sprout all the various stations of those traversing the path to God; and from it sprouts the upright path which if not trodden, perdition is that person's fate. Through it is the hypocrite distinguished from the believer and the inhabitant of Paradise from the denizen of Hell. It is the sword of God in His earth: it is not placed on anything except that it cuts it; it does not face falsehood expect that it hunts it and vanquishes it; whoever fights with it will not be defeated; and whoever speaks it, his word will be made supreme over his opponent. It is the very essence of deeds and the well spring of spiritual states, it allows the person to embark boldly into dangerous situations, and it is the door through which one enters the presence of the One possessing Majesty. It is the foundation of the building of Islam, the central pillar of the edifice of certainty and the next level in ranking after the level of prophethood."[5]

By practicing truthfulness, a person betters himself, his life is made upright and due to it, he is elevated to praiseworthy heights and raised in ranks in the sight of God as well as the people. As the Prophet Muhammad, may the mercy and blessings of God be upon him, related:

"I order you to be truthful, for indeed truthfulness leads to righteousness, and indeed righteousness leads to Paradise. A man continues to be truthful and strives for truthfulness until he is written as a truthful person with God. And beware of falsehood, for indeed falsehood leads to sinning, and indeed sinning leads to the Fire. A man continues to tell lies and strives upon falsehood until he is written as a liar with God." (Saheeh Muslim)

So, truthfulness is something which is to be cultivated till it becomes implanted in a person's soul and disposition and therefore reflected throughout the person's character.

Ali b. Abi Talib, the cousin and son-in-law of the Prophet Muhammad, mentioned the positive reciprocal effect of behaving truthfully with people in this worldly life:

"Whoever does three things with regards to people, they will necessitate three things from him: whenever he speaks to them he is truthful; whenever they entrust him with something he does not betray them; and whenever he promises them something he fulfils it. If he does this, their hearts will love him; their tongues will praise him; and they will come to his aid."

As for the Next Life, through God's Grace and Mercy, the obedient ones - practitioners of truthfulness - will reach a station in Paradise alongside those most fortunate of souls mentioned in the revelation.

"And whosoever obeys God and His Messenger, such will be in the company of those whom God has blessed: the Prophets, the truthful ones, the martyrs, and the righteous. And how excellent a company are such people!" (Quran 4:69)

In fact, truthfulness is an essential attribute of every single prophet who graced the earth. We are told in the Quran:

"And mention in the Book, Abraham: surely he was a most truthful Prophet." (Quran 19:41)

"And mention in the Book, Ishmael: surely, he was a man true to his word, and he was a Messenger, a Prophet." (Quran 19:54)

"And mention in the Book, Enoch: surely he was a most truthful Prophet." (Quran 19:56)

We also read in the Quran how a man incarcerated alongside the Prophet Joseph addressed him with the words:

"Joseph! O most truthful one!..." (Quran 12:46)

…and that Mary, the mother of Jesus, was also declared truthful in the Words of God:

"The Messiah (Jesus), son of Mary, was no more than a Messenger; many were the Messengers that passed away before him. His mother (Mary) was a truthful one, a Believer…." (Quran 5:75)

… and the Companions of God's Messenger, the "believers" mentioned time and time again in the Quran, also reached the lofty ranks of the truthful ones:

"The believers are but those people who believed in God and His Messenger without ever feeling doubt thereafter, and strove with their souls and possessions in the way of God; those are the ones who are the truthful." (Quran 49:15)

Hence, to tread the path of truthfulness is to tread the path of the most righteous of God's creation. And as for ways and means to engender this most noble of virtues into our daily lives, then we have been left an ocean of teachings from God's Final Messenger to humanity, the Prophet Muhammad, detailing and describing precisely what the virtue, nay!, the *injunction* of truthfulness requires. One from among these vast and numerous sayings of God's Messenger is his plea:

"Guarantee for me six things and I will guarantee Paradise for you: tell the truth when you speak, fulfill your promises, be faithful when you are trusted, safeguard your private parts, lower your gaze, and withhold your hands (from harming others)."

And God confirmed the truthfulness of these words of His Beloved Messenger with His Own True Word:

"For Muslim men and women, for believing men and women, for devout men and women, for truthful men and women, for patient men and women, for humble men and women, for charitable men and women, for fasting men and women, for men and women who guard their chastity, and for men and women who engage much in God's praise: for them has God prepared forgiveness and a great reward." (Quran 33:3 5)

The Islam gives much more emphasis to the concept of justice and they are big lovers thereof. They give highly respect to a woman and oppose tyranny and injustice.

References:-

1. Mohammedan Law, By- Aqil Ahmad Revised By- Prof. I. A. Khan, Central Law Agency, 24th edition, reprint 2013
2. An Introduction to the Study of Jurisprudence By- Dr. T.P. Tripathi, Allahabad Law Agency Publications, First Edition- 2013
3. Studies In Jurisprudence and Legal Theory By- Dr. N.V. Paranjape, Central Law Agency, Sixth Edition- 2011
4. Principles of Mohammedan Law By- Mulla
5. An Introduction to Islamic Law (1964) By- Schacht Joseph

Internet:-

1. Meaning of Justice in Islam- www.google.com (google search)
2. The Importance of Justice in Islam- www.google.com (google search)
3. Equality in Justice in Islam- www.google.com (google search)
4. Justice and the self- www.google.com (google search)
5. Teachings of Prophet Mohammed- www.google.com (google search)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

वर्तमान राजनीतिक विकास में मतदान व्यवहार की भूमिका (उत्तर प्रदेश की किठौर विधान सभा क्षेत्र के संदर्भ में)

हितेश रस्तोगी *

* शोधार्थी, चौधारी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव का बहुत महत्व है। भारत जोकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ होने वाले आम चुनावों पर विश्वभर के चुनाव विश्लेषकों व पर्यवेक्षकों की दृष्टि रहती है। स्थानीय चुनाव व विधानसभा, लोकसभा के चुनावों में मतदाता के मतदान के व्यवहार में भारी परिवर्तन देखा जाता है। इस शोध–पत्र में उन कारणों के बारें में जाना गया कि कैसे स्थानीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों का महत्व अलग–अलग होता हैं। इस शोध –पत्र में बुलंदशहर विधानसभा चुनाव में मतदाता के मतदान व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कि मेरठ जनपद के मतदाता कैसे मतदान करते है ? जातिवाद ,धर्म, विकास के मुद्दे, मीडिया की भूमिका, स्थानीय उम्मीदवार, बाहुबल व अन्य तत्व मतदान को कैसे प्रभावित करते है ?

शब्द कुंजी – निर्वाचन, लोकतंत्र, मतदान।

प्रस्तावना – लोकतंत्र के संदर्भ में यदि मतदान व्यवहार का अर्थ स्पष्ट करें तो यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्रों के पर्याप्त विस्तृत होने के कारण जनता का प्रत्यक्ष रूप से शासन संचालन में भाग लेना संभव न होने के कारण चुनाव और मतदान व्यवहार को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है और जैसे –2 भारत में लोकतंत्र लोक लुभावन नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणाओं से लोकप्रिय हुआ है उसके साथ ही निर्वाचन और मतदान व्यवहार का अध्ययन भी व्यापक समर्थन प्राप्त करने में लगा है अत: एक तरह से इसको समझना लोकतंत्र के आधार को समझना है साधारणत: इसका अभिप्राय: यही है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता है मतदान व्यवहार में सर्वप्रथम यह अध्ययन किया जाता है कि कौन से तत्व व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं और कौनसे तत्व उसे इस संबंध में निरुत्साहित करते हैं। द्वितीय स्तर पर इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किन तत्वों से प्रभावित होकर व्यक्ति एक विशेष उम्मीदवार और एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं इस दृष्टि से मतदान व्यवहार का अध्ययन चुनाव से पूर्व भी किया जाता है और चुनाव के बाद भी किया जाता है।

किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव का बहुत महत्व है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में होने वाले आम चुनावों पर विश्वभर के चुनाव विश्लेषकों व पर्यवेक्षकों की नजर रहती है। स्थानीय चुनाव व विधानसभा, लोकसभा के चुनावों में मतदाता के मतदान के व्यवहार में भारी परिवर्तन देखा जाता है। इस शोध पत्र में में उन कारणों के बारें में जाना गया कि कैसे स्थानीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों का महत्व अलग–अलग होता हैं। इस शोध कार्य में मुख्यत: बुलंदशहर विधानसभा चुनाव में मतदाता के मतदान व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता कैसे मतदान करते है ? जातिवाद ,धर्म, विकास के मुद्दे, मीडिया की भूमिका, स्थानीय उम्मीदवार, बाहुबल व अन्य तत्व मतदान को कैसे प्रभावित करते है? आज चुनाव में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जीत सुनिश्चित करने के बारें में सोचा जाता है।

साहित्यावलोकन – कुमार संजय (2014) की पुस्तक में भारतीय युवाओं और चुनावी राजनीति के बीच महत्वपूर्ण संबंध का विवेचन किया गया है। पुस्तक में कई प्रासंगिक सवाल जवाब पर गहन विचार विमर्श किया गया है। एक युवा उम्मीदवार एवं युवा मतदाताओं के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही यह बताया गया है कि युवा उम्मीदवार चुनावी राजनीति में तो पूर्ण उत्साह के साथ भाग लेते है किंतु मतदान के समय इनकी भागीदारी कम हो जाती है। पुस्तक में राजनीतिक मुद्दों के बारे में युवाओं की जागरूकता एवं चुनावी राजनीति में युवाओं के हित और भागीदारी का विश्लेषण किया गया है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है यहाँ के युवाओं का एक बड़ा प्रतिशत अपने कैरियर के विकल्प के रूप में राजनीति शुरू करने के विषय में चर्चा इस पुस्तक में की गई है। साथ ही यह भी चर्चा की है कि भारतीय युवाओं में उनके हित तथा लिंग सहित कई आधार पर इनमें परस्पर मतभेद है। साथ ही सामाजिक स्तर पर भी युवाओं के अपने हित है। इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तक में युवाओं के राजनीतिक दृष्टिकोण तथा राजनीति से अपेक्षा इत्यादि विषय पर चर्चा की गई है। हालांकि हाल ही में सम्पन्न आम चुनाव में जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब युवा मतदान में भी बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहें है।

बाजोरिया, जयश्री (2009) की पुस्तक में भारत की चुनावी राजनीति का विभिन्न दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है। पुस्तक सात विभिन्न अध्यायों में विभक्त है। भारतीय चुनावी राजनीति को प्रभावित करने वाले कारकों यथा– जाति, धर्म आदि का विवेचन किया गया है। साथ ही संसद की

पृष्ठभूमि तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमिका का अध्ययन किया गया है। भारत में वर्ष 1991 में लागू आर्थिक सुधार कार्यक्रम एवं इसमें लोकतांत्रिक राजनीति की भूमिका के विषय में चर्चा की गई है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है किन्तु सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ 2004 में सम्पन्न आम चुनाव में 230 पंजीकृज राजनीतिक दल , 5400 से अधिक चुनावी उम्मीदवार एवं 714 मिलियन मतदाताओं ने भावी सरकार के निर्वाचन में अपनी जिम्मदारी का निर्वहन बखूबी किया। साथ ही मतदाताओं ने बेहतर प्रशासन, सामाजिक आर्थिक समानता और गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों को चुनाव में विशेष महत्व दिया। साथ ही इस पुस्तक में नेताओं के भ्रष्टाचार एवं गिरते नैतिक पतन की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। गठबंधान की राजनीति के लाभ हानि पर प्रकाश डाला। प्रस्तुत पुस्तक में मतदाता की जवाबदेही पर अलग से चर्चा की गई है किंतु मतदान व्यवहार का समग्र अध्ययन किया जाता तो अधिक प्रभावी होता।

भार्गव, बी. एस. (1989) के अनुसार सरकारें समय- समय पर लोककल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती रहती है। यह योजनाएं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों ही सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से भी चलाई जाती है। सरकारों द्वारा गरीबी उन्मूलन, सामाजिक उत्थान आदि के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य में सामाजिक व आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जहां समय समय पर सरकारों द्वारा इसे राजनीतिक स्वार्थो या वोट बैंक के लिए भी भुनाया जाता रहा है। सामाजिक व आर्थिक विकास को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है।

काटजू , मंजरी (2005) के इस आलेख में भगवाकरण का भारतीय चुनावी राजनीति पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। भारतीय राजनीति में भगवाकरण के इतिहास व मंदिर आंदोलन व इसके विभिन्न आयामों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। साथ ही इसके आनुशांगिक संगठनों व भारतीय जनता पार्टी सहित विभिन्न भगवा संगठनों व पार्टी का यथा स्थान उल्लेख किया गया है। भगवा राजनीति के तहत चुनावी राजनीति के दौरान विभिन्न नारों एवं मुद्दों एवं भावनात्मक मुद्दों के प्रभाव का उल्लेख इसमें किया गया है। भारतीय चुनावी राजनीति में भगवाकरण के प्रभाव व इसकी क्रियान्विति मतदान व्यवहार होने वाले असर का उल्लेख इस आलेख किया गया है। इस आलेख भारतीय राजनीति में भगवाकरण के असर को प्रभावी रूप से स्पष्ट किया गया है।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक शोध विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण विधिा का प्रयोग किया गया है।

शोध की जनसंख्या व प्रतिदर्श के लिए प्रस्तुत शोध पत्र में मेरठ जनपद की किठौर विधानसभा के मतदाताओं का चयन शोध पत्र हेतु किया गया है। वहीं प्रस्तुत शोध हेतु न्यादर्श के लिए यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा 200 मतदाताओं का चयन प्रतिदर्श के रूप में किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों की व्याख्या हेतु सांख्यिकीय विधिा के अन्तर्गत प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण, परिणाम एवं व्याख्या - प्रदत्तों का संकलन करने के पश्चात् प्राप्त प्रदत्तों की उद्देश्य के अनुसार विश्लेषण एवं व्याख्या- उत्तरदाताओं का लिंग, आयु, जाति, आर्थिक व शैक्षणिक आधार पर वर्गीकरण करने पर कुल उत्तरदाताओं की संख्या में से-

लैंगिक संरचना के आधार कुल उत्तरदाताओं की संख्या में से 47.5 प्रतिशत उत्तरदाता महिला लिंग से है और 52.5 उत्तरदाता पुरुष लिंग से हैं। आयु के आधार पर वर्गीकरण करने पर ज्ञात हुआ कि 36 प्रतिशत उत्तरदाता 18 से 25 वर्ष से तक आयु वर्ग से संबंधित है। इसी प्रकार 25 प्रतिशत उत्तरदाता 26 वर्ष से 35 वर्ष आयु - वर्ग के हैं और 25 प्रतिशत उत्तरदाता 36 से 45 वर्ष तक आयु वर्ग से एवं अन्य उत्तरदाता 45 वर्ष से अधिक वर्ष से अधिक आयु- वर्ग संबंधित है। उत्तरदाताओं की जाति संरचना का वर्गीकरण करने पर ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 20.5 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य वर्ग से है जबकि 49.5 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा 30 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति से संबंधित है। आर्थिक संरचना का वर्गीकरण करने पर ज्ञात होता है कि 27.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का व्यवसाय मजदूरी है और 64.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का व्यवसाय कृषि है, जबकि 2 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी नौकरी करते है तथा 5.5प्रतिशत अन्य व्यवस्थाओं में कार्यरत है। शैक्षिक स्तर पर वर्गीकरण करने पर ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 80.5 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित एवं 19.5 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित है।

प्रश्न (1) : क्या आप राजनीतिक दलों के जारी घोषणा-पत्रों को पढ़ते है?

क्र.	विवरण	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	39	19.5
2	नहीं	161	80.5
	कुल योग	200	100

उपर्युक्त तालिका के अनुसार उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि क्या वे चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जारी घोषणा पत्रों को पढ़ते हैं कि नहीं? तो 19.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे घोषणा-पत्रों को पढ़ते हैं तथा 80.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि वे घोषणा- पत्रों को नहीं पढ़ते हैं। जिससे स्पष्ट है कि तीन चौथाई से भी अधिक उत्तरदाता घोषणा-पत्रों को नहीं पढ़ते है अर्थात् घोषणा-पत्रों से अनभिज्ञ रहते है।

प्रश्न (2): क्या राजनीतिक दलों के घोषणा- पत्र मतदान को प्रभावित करते है?

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	43	21.5
2	नहीं	45	22.5
3	कह नहीं सकते	132	66
	कुलयोग	200	100

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या वे चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जारी घोषणा पत्रों से प्रभावित होते हैं तो 21.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि घोषणा- पत्र मतदाताओं को प्रभावित करते हैं तथा 22.5 प्रतिशत ने घोषणा-पत्रों को प्रभावहीन बताया। वहीं दूसरी ओर 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न पर जानकारी न होना बताया। जिससे स्पष्ट है कि लगभग दो तिहाई उत्तरदाताओं ने घोषणा- पत्रों को मतदान व्यवहार की दृष्टि से उनके प्रभाव के संबंध में जानकारी नहीं होना बताया।

प्रश्न (3):क्या चुनाव के समय मुफ्त में दी गई सुविधाओं की घोषणा

मतदाताओं को प्रभावित करती है?

क्र.	विवरण	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	143	71.5
2	नहीं	57	28.5
	कुल योग	200	100

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि चुनाव के समय मतदाताओं के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणा मतदाताओं को प्रभावित करती है, तो लगभग 71.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ कहा तथा 28.5 ने नहीं कहा। इस प्रकार तीन–चौथाई वर्ग का मानना है कि मुफ्त की योजनाएं वर्तमान में प्रभावित करने लगी है।

प्रश्न (4): उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के समय सरकार द्वारा चलाई गई मुफ्त राशन के कार्यक्रम से मतदाता प्रभावित हुए हैं?

क्र.	विवरण	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	133	66.5
2	नहीं	67	33.5
	कुल योग	200	100

उत्तरदाताओं से पूछा गया कि सरकार द्वारा चलाई गई मुफ्त राशन की योजना ने 2022 में विधानसभा चुनाव को प्रभावित किया है? तो 66.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हां कहा तथा 33.5प्रतिशत ने नहीं कहा। जिससे ज्ञात होता है कि मुफ्त राशन की योजना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मुफ्त राशन योजना ने लाभ पहुँचाया।

प्रश्न (5): क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव- 2022 में मतदाताओं के लिए सुरक्षा का मुद्दा अहम रहा?

क्र.	विवरण	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	153	76.5
2	नहीं	47	23.5
	कुल योग	200	100

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव–2022 में मतदाताओं के मत देने का एक मुख्य कारण सुरक्षा भी रहा है तो 76.5 प्रतिशत ने हाँ कहा तथा केवल 23.5 ने नहीं कहा। अत: विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के विजय होने का कारण आम नागरिकों को मिलने वाली सुरक्षा भी थी।

निष्कर्ष– अध्ययन के निष्कर्ष से ज्ञात है कि अधिकांश उत्तरदाता घोषणा–पत्रों को नहीं पढ़ते है अर्थात् वे घोषणा–पत्रों से अनभिज्ञ रहते है,तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जारी घोषणा–पत्रों की जानकारी न होना बताया, जो कि दर्शाता है कि आम जन घोषणा–पत्रों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान पहली बार था कि कोई सरकार सुधारी कानून–व्यवस्था को मुद्दा बना रही थी। जबकि पिछले चुनावों में सत्तारूढ़ दल के सत्ता से हाथ धोने के पीछे प्रदेश की खराब कानून–व्यवस्था ही उत्तरदायी रही थी। इसके अलावा योगी सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन बांटकर एक ऐसा लाभार्थी वर्ग पैदा किया जो खामोश तो था लेकिन भाजपा की सरकार के प्रति समर्पित था। विधानसभा चुनाव में भाजपा की बंपर जीत में कई सारे मुद्दों के बीच राशन और शासन सबसे प्रभावी थे। इस प्रकार भाजपा को विधानसभा 2022 में पुन: विजयी बनाने में मुफ्त राशन योजना और सुरक्षित शासन की मुख्य भूमिका रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कोठारी रजनी,कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स : पूना संग्रम प्रेस – 1970
2. कश्यप सुभाष, दल बदल और राज्यों की राजनीति : मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ – 1970
3. जौहरी जे. सी., रिफलेक्शन ऑन इण्डियन पॉलिटिक्स : एस . चन्द– 1974
4. बाल अलेन, आधुनिक राजनीति और शासन : दिल्ली दि मैकमिलन कम्पनी – 1973
5. जायसवाल के. पी., हिन्दू पॉलिटिक्स कलकत्ता – 1942
6. प्रभा प्रसाद सिंह, पॉलिटिकल वायलेंस इन इण्डिया : नई दिल्ली अमर उजाला प्रकाशन – 1999
7. चौपड़ा जे. के., पॉलिटिक्स ऑफ अलेक्शन्स रिफार्ल्स इन इंडिया, नई दिल्ली मित्तल पब्लिकेशन्स – 1989
8. डॉ. धर्मवीर, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक समाजशास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर –2008
9. नारंग ए. एस., भारतीय शासन एवं राजनीति, नई दिल्ली गीतान्जली पब्लिशिंग हाउस – 2009
10. चौधारी वी. एन. व कुमार युवराज, भारत में राजनीतिक प्रक्रियायें : हिन्दी क्रायान्वयन निदेशालय –2013
11. प्रो. त्रिपाठी श्री प्रकाश मणि, राजनीतिक अवधारणायें एवं प्रवत्तियाँ : शारदा प्रकाशन नई दिल्ली – 2003

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

मुरार विकासखंड के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की त्वचा का तुलनात्मक अध्ययन

निधि यादव* डॉ. मंजू दुबे**

* शोधार्थी (गृहविज्ञान) शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष (गृहविज्ञान) शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सुंदर नमीय चमकीली कांति युक्त त्वचा से व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ता है। 'त्वचा सीधे व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है क्योंकि यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है'।[1] 'त्वचा शरीर का बाहरी आवरण होती है जिसे बाहय त्वचा (एपिडर्मिस) भी कहते हैं। यह उत्सर्जित प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है जो उपकला उमक की कई परतों द्वारा निर्मित होती है और अंतर्निहित मांसपेशियों, अस्थियों, अस्थिबंद (लिगारमेंटस) और अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करती है'।[2] 'यह हानिकारक जीवाणुओं, कर्मियों फफूंद आदि के प्रवेश को रोकती है इनसे सुरक्षा करती है त्वचा युक्त संरचना जैसे रोम, नाखून आदि की सहायता से शरीर की कोमल अंगों को सुरक्षित रखती है। त्वचा जल अवरोधी का कार्य करती है तीव्र प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है'।[3] 'यह चोट के प्रति संवेदनशील है और उसमें अपनी मरम्मत करने की उल्लेखनीय क्षमता है। बहरहाल अपनी इस लोच के बावजूद त्वचा लंबे समय तक दाब अत्यधिक बल या घर्षण बर्दाश्त नहीं कर सकती'।[4] बच्चे अक्सर धूल मिट्टी में खेलते हैं और जमीन पर भी लेटते तथा बैठते हैं। आजकल बच्चे रेडीमेड स्नैक्स पसंद करते हैं उनकी दिनचर्या भी नियमित नहीं है इससे उनके त्वचा का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। बच्चों के त्वचा के स्वास्थ्य का ध्यान रखना माता-पिता का दायित्व है अत: बच्चों की त्वचा के स्वास्थ्य पर शोध कार्य करना आवश्यक है। मुरार विकासखंड के विद्यार्थियों की त्वचा की स्थिति ज्ञात करने के लिए मैंने अपने शोध का विषय- 'मुरार विकासखंड के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की त्वचा का तुलनात्मक अध्ययन' चुना है। इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है।

उद्देश्य:

1. ग्रामीण बालक एवं बालिकाओं की त्वचा के स्वास्थ्य का अध्ययन करना।
2. शहरी बालक एवं बालिकाओं की त्वचा के स्वास्थ्य का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की त्वचा के स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – मुरार विकासखंड के विद्यार्थियों की त्वचा का अध्ययन करने हेतु ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों में विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 12 वर्ष के 150 बालक एवं बालिकाओं का तालिका क्रमांक एक में दर्शाए समंको के अनुसार दैव निदर्शन विधि से चयन किया गया। चयनित विद्यार्थियों की त्वचा के स्वास्थ्य स्तर को ज्ञात करने हेतु लक्षण परीक्षण विधि का उपयोग किया गया तत्पश्चात संकलित समको का वर्गीकरण एवं विश्लेषण का निष्कर्ष प्राप्त किए गए।

वर्गीकरण एवं विश्लेषण:

तालिका क्रमांक – 1: विद्यार्थियों की आवास एवं लिंगानुसार स्थिति

आवास	बालक		बालिका		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
ग्रामीण	39	52.0	36	48.0	75	50.0
शहरी	36	48.0	39	52.0	75	50.0
योग	75	100.0	75	100.0	150	100.0

तालिका क्रमांक-2:ग्रामीण बालक एवं बालिकाओं की त्वचा के लक्षण

लक्षण	बालक		बालिका		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
नरम व चमक युक्त	08	20.51	09	25.0	17	22.66
सूखी	20	51.28	04	38.88	35	45.35
अत्यधिक	10	25.64	11	30.55	21	28.00
झुर्रियॉयुक्त	01	2.56	02	5.55	03	4.00
योग	39	100.0	36	100.0	75	100.0

तालिका क्रमांक – 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विद्यालयों के 8 (20-51%) बालक तथा 9 (25.0%) बालिकाएं कुल 17 (5.66%) विद्यार्थियों की त्वचा चमक युक्त व नरम पाई गई। सूखी त्वचा वाले कुल 34 (45.33%) विद्यार्थियों में 20 (51.28%) बालक तथा 14 (28.88%) बालिकाएं पाई गई। 21 (28.0%) विद्यार्थियों की त्वचा अधिक सुखी पाई गई जिसमें 10 (25.64 %) बालक तथा 11 (30.55%) बालिकाएं सम्मिलित हैं 1 (2.56%) तथा 2 (5.55%) बालिकाएं कुल 3 (4.0%) विद्यार्थियों की त्वचा झुर्रियों युक्त पाई गई।

तालिका क्रमांक -3: शहरी बालक एवं बालिकाओं की त्वचा के लक्षण

लक्षण	बालक		बालिका		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
नरम व चमक युक्त	08	21.05	11	29.72	19	25.33
सूखी	21	57.89	21	54.05	42	56.00
अत्यधिक	07	18.42	05	13.51	12	15.0

झुर्रियॉयुक्त	00	2.63	02	2.70	02	2.66
योग	36	100.0	39	100.0	75	100.0

तालिका क्रमांक – 3 में शहरी बालक एवं बालिकाओं की त्वचा के लक्षण दिखाई दर्शाए गए हैं। तालिका दर्शाती है कि शहरी विद्यालयों में 8 (21.5%) बालक तथा 11 (29.72%) विद्यार्थियों की त्वचा नर्म व चमक युक्त पाई गई। सूखी त्वचा के 42 (56.0%) विद्यार्थी पाए गए जिनमें 21 (57.9%) बालक तथा 21 (54.05%)– बालिकाएँ सम्मिलित हैं। अत्यधिक सूखी त्वचा के 12 (16.0%) विद्यार्थी पाए गए हैं– जिनमें 7 (18.42%)– बालक तथा 05 (13.51%) बालिकाएं पाई गई। केवल 02 (2.70%) बालिकाओं की त्वचा झुर्रियों युक्त पाई गई तथा बालकों की संख्या निरंक पाई गई । अधिकांश विद्यार्थियों की त्वचा सूखी पाई गई।

तालिका क्रमांक – 4: मुरार विकासखंड के ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की त्वचा के तुलनात्मक लक्षण

लक्षण	बालक		बालिका		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
नरम व चमक युक्त	17	11.33	19	12.66	36	24.00
सूखी	37	24.66	39	26.0	76	50.66
अत्यधिक	21	14.00	13	8.66	34	22.66
झुर्रियॉयुक्त	00	00	04	2.66	02	2.66
योग	75	75.00	75	50.00	150	100.00

तालिका क्रमांक – 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुरार विकासखंड के सर्वे क्षेत्र 150 विद्यार्थियों में से 3 (24.0%) विद्यार्थियों की त्वचा नम व चमक युक्त पाई गई अर्थात वे सामान्य स्वस्थ अवस्था में पाए गए जिनमें 17 (11.3%) ग्रामीण तथा 19 (12.66%) शहरी विद्यार्थी हैं। इस प्रकार स्वस्थ त्वचा के विद्यार्थियों की संख्या ग्रामीण की अपेक्षा शहरी विद्यार्थियों की अधिक पाई गई। मुरार विकासखंड में 114 (76.0%) विद्यार्थी अस्वस्थ पाए गए जिनमें 76 (50.66%) सूखी त्वचा वाले 34 (22.66%) अत्यधिक सूखी त्वचा वाले तथा 2 (2.66%) झुर्रियां युक्त पाए गए। त्वचा का स्वस्थ होना थायमिन, नियासिन, विटामिन बी समूह, विटामिन ए एवं कैलशियम की कमी को प्रदर्शित करता है ।

निष्कर्ष– प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित निष्कर्ष हैं:

1. मुरार विकास खण्ड में 114 (76.00%) विद्यार्थियों की त्वचा अस्वस्थ्य पाई गई है, जिसमें 58 (38.66%) ग्रामीण तथा 56 (37.33%) शहरी हैं।
2. ग्रामीण विद्यार्थियों में सूखी त्वचा का प्रतिशत अधिक है।
3. ग्रामीण विद्यार्थियों में सूखी त्वचा के बालकों की संख्या बालिकाओं की तुलना में अधिक है।
4. शहरी विद्यालयों में भी सूखी त्वचा के विद्यार्थियों का प्रतिशत अधिक है।
5. शहरी विद्यालयों में भी सूखी स्वचा के बालकों की संख्या बालिकाओं की तुलना में अधिक है।
6. सूखी त्वचा के ग्रामीण विद्यार्थियों का प्रतिशत शहरी विद्यार्थियों की तुलना में अधिक है।
7. विद्यार्थियों में थायमिन, नियासिन, विटामिन बी समूह एवं कैलशियम तथा विटामिन ए की कमी पाई गई है।

सुझाव– विद्यार्थियों को अपनी त्वचा स्वस्थ्य रखने के लिये निम्नलिखित उपाय कराना चाहिये:

1. प्रात:काल एवं सोते समय हाथ–पेर धोना चाहिये।
2. अहार में सम्पूर्ण अनाज (अंकुरित), मेवे, पीले नारंगी फल, दूध, दही, मख्खन, मावा व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिये।
3. तले हुये भोज पदार्थ एवं फास्ट–फूड का सेवन करने बचना चाहिये।
4. प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिये।
5. तनाव रहित रहकर पर्याप्त नींद लेना चाहिये।
6. दिनचर्या नियमित रखनी चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. https://www.libraticomstepiccs
2. https://www.him.wlkipediaorg>wiki
3. https://www.dubtnut.com>qa-hindi
4. https://www.jagran.com>health
5. https://skimkraftcom.trons/ate.goo/
6. कालगो, संगला, 'पोषण एवं पोषण स्तर', रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
7. शर्मा, सुमन, 'स्वास्थ्य समस्या और समाधान', विश्व भारती पब्लिकेशन, नयी दिल्ली।
8. ढ्रोरा, आशारानी, 'लेडीज वेल्थ गाईड', पुस्तक महल, दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

साहित्यिक लेखन मे व्यंग्य विधा की भूमिका

डॉ. गुलाब सिंह डावर*

* सहायक प्राध्यापक (हिंदी) शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरोद, जिला उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – व्यंग्य की उत्पत्ति 'अज्ज धातु मे 'वि'उपसर्ग व 'णयत'प्रत्यय लगने से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ताना कसना। दूसरें शब्दों मे,व्यंग्य एक साहित्यिक अभिव्यक्ति अथवा रचना है , जिसके द्धारा व्यक्ति अथवा समाज की विसंगतियों और विडंबनाओ अथवा उसके किसी पहलू को रोचक तथा हास्यास्पद ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। साहित्यिक लेखन मे व्यंग्य जीवन की अनेक विषमताओ, विद्रुपताओ और विसंगतियों को रेखांकित करता है। व्यंग्य की धारा कभी तेज और कभी मंद रूप से साहित्य मे सदैव प्रवाहित होतीं रही है। व्यंग्य साहित्य के अनेक क्षेत्रो, अलग – अलग रूपों मे व्याप्त हो रहा है, लेकिन धीरे–धीरे व्यंग्य एक स्वतंत्र विधा के रूप मे स्थापित हो गया है। व्यंग्य का अर्थ है व्यंजन शक्ति के माध्यम से अर्थ निष्पत्ति। व्यंग्य साहित्य की एक विधा है, जिसमे उपहास ,मजाक और इसी क्रम मे आलोचना का प्रभाव रहता है। कालांतर मे व्यंग्य के साथ हास्य भी जुड़ गया और हास्य का पक्ष इतना प्रबल हो गया की इसे हास्य व्यंग्य कहने लगे है। अंग्रेजी व्यंग्यकार इसे 'सटायर' 'विट'और ह्यूमर आदि नाम से पूकारने लगे।

परिभाषा– विभिन्न साहित्यकारों ने समय– समय पर व्यंग्य कों अपने शब्दों मे परिभाषित किया है। हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य कों परिभाषित करते हुए लिखा है **'व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है,जीवन कि लोचना करता है, विसंगतियों ,मिथ्याचारो और पाखंडो का पर्दापाश करता है।'** इसी क्रम मे आचार्य हजारीप्रसाद द्धिवेदी के अनुसार **'व्यंग्य वह है जहाँ अधरोष्ठ मे हँस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो और फिर भी कहने वाले कों जवाब देना अपने कों और भी उपहासास्पद बनाना हो जाता है।'** शरद जोशी के अनुसार **'व्यंग्य की पहचान है कि ऐसा साहित्य जो कष्ट सहती सामान्य जिन्दगी के करीब है या उससे जुडा है। यदि ऐसा न हो तो कही गड़बड़ है।'** मेरीडिथ ने व्यंग्यकार कों समाज की गंदगी साफ करने वाला ठेकेदार कहा है उनके अनुसार **'व्यंग्यकार नैतिकता का ठेकेदार होता है। बहुदा वह समाज की गंदगी की सफाई करने वाला होता है,उसका कार्य सामाजिक विक्रतियो की गंदगी कों साफ करना होता है।'** एन्साक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार **'व्यंग्य अपने साहित्यिक रूप मे, हास्यापद और बेढंगी स्थितियों से उत्पन्न विनोद और अरुचि कों सही– सही अभिव्यक्ति देने वाला साहित्य रूप है, बशर्ते कि उसमे हास्य स्पष्ट रूप से दृश्मान हो और वह कथन साहित्कता से परिपूर्ण हो।'**[1] भारतीय विद्धानों की तरह पाश्चात्य विद्धानों ने भी अपने ग्रंथो मे व्यंग्य की परिभाषाये दी है जो हमें अच्छी तरह से समझने मे हमारी मदद करते है।

हिंदी व्यंग्य साहित्य – हिंदी व्यंग्य कों सम्मानजनक स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है , इस देश मे तेजी से बढती हुई अनेक विसंगतियों ने व्यंग्य कों उर्वरा भूमि प्रदान की, जिसके फलस्वरूप हिंदी साहित्य की सभी विधाओं मे व्यंग्य समाहित होता चला गया। कविता ,कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि के बाद साहित्य के क्षेत्र मे व्यंग्य कों एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप मे प्रतिष्ठित होने का गौरव प्राप्त हुआ। हिंदी के आलोचक वर्ग हिंदी व्यंग्य साहित्य कों हास्य से अलग देखने के पक्ष मे नहीं है। अधिकांश समालोचक आक्षेप लगाते हुए भी नहीं थकते है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इसी सम्बन्ध मे अपनी मान्यता कों स्पष्ट करते हुए अपने इतिहास ग्रन्थ 'हिंदी साहित्य का इतिहास' मे लिखा है 'शिष्ट और परिष्कृत हास्य का जैसा सुन्दर विकास पश्चात्य इतिहास मे हुआ है, वैसा अपने यहाँ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदी साहित्य के प्रारम्भिक युग से लेकर रीतिकालीन साहित्य तक व्यंग्य का एक प्रकार से अभाव–सा ही रहा है। यूँ छूट–पुट, यदा–कदा, व्यंग्य के संकेत मिल जाते है। केवल संत कवि कबीरदास कों छोड़कर और किसी साहित्यकार ने व्यंग्य का खुलकर अपनी रचनाओ मे प्रवेश नहीं किया है, यह सच है की इन 650 वर्षो मे कबीर के समान व्यंग्य चिन्तक कोई दूसरा कवि हिंदी मे नहीं हुआ।'[2]

प्रारंभिक अवस्था – स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व व्यंग्य विधा अपने युवापन मे थी, किन्तु आजादी के पश्चात जीवन और समाज के परिवर्तन के साथ ही हिंदी व्यंग्य मे भी अनेक नवींन मोड़ आये है। फलस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे समाज मे परिवर्तन के कारण व्यंग्य मे भी परिवर्तन के चिन्ह एकदम साफ और स्पष्ट दिखाई देते है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तरों पर हम जिन मूल्यों से जुड़े हुए थे, हमारे जो आदर्श और मान्यताएँ थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उनमे तेजी से परिवर्तन हो रहे है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक और सामूहिक हित के स्थान पर व्यक्तिगत हितो कों प्राथमिकता देने संलग्न दिखाई देता है। दूसरी विधाओ जैसे लघुकथा, रिपोर्ताज, यात्रा –वृत, ललित गद्य की विधा मे भी व्यंग्य का यथास्थान प्रयोग किया जा रहा है। स्वातंत्र्योतर गद्य की सर्वाधिक सशक्त और उल्लेखनीय विधा के रूप मे व्यंग्य की प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ी घटना है।

द्धिवेदीयुग तथा समकालीन साहित्यकार – भारतेंदु तथा समकालीन साहित्यकारों ने व्यंग्य की जो परम्परा चलाई ,उन्होंने सामाजिक विषमताओ के प्रति व्यंग्य कों हथियार बनया। उसका स्वरूप मुख्यत: सुधारवादी और आदर्श परख था , तब से वर्तमान तक हिंदी व्यंग्य लेखन ने एक लम्बी यात्रा पूर्ण की है। वर्तमान व्यंग्य लेखन का स्वरूप उसके चरित्र और प्रस्तुतिकरण

मे अनेक परिवर्तन परिलक्षित होते है । व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई एवम् शरद जोशी ने अपनी रचनाओ से व्यंग्य कों स्वतंत्र विधा के रूप मे स्थापित किया है । ये व्यंग्यकार एक अलग भाषाई तेवर के साथ व्यंग्य लेखन करते है। शिल्प की सजगता इनके व्यंग्य लेखन की विशेषता है। भाषा मे वक्रता के द्वारा ये शब्दों और विशेषणों का विशिष्ट संयोजन करते है । कहना न होगा की यह विधा निरंतर विकसित होती हुई साहित्य की अन्य विधा के समकक्ष स्थापित हो रही है ।

व्यंग्य मे समाज एवं जनहित के मध्य गहरे द्वंद्व कों उकेरा है। सामाजिक अनुभवजन्य लेखक की लेखनी जब चलती है, तब उसकी रचना मे व्यंग्य की आग स्वत: प्रज्ज्वलित होती है। उनकी प्रखर संवेदनशीलता समाज को जागरुक करने की दिशा मे अग्रसर दिखाई देती है। व्यंग्य का मूल लक्ष्य पाठको कों प्रेरित करना एवं उनकी आँखे खोलना है । समाज का परिवेश जब अनेक प्रवंचनाओ से घिर जाता है,तब रचनाकार अपने व्यंग्य का उपयोग एक सशक्त शस्त्र की तरह करता है। सभी रचनाकार अधिक गंभीर होकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जिन्दगी की तीखी आलोचना भी करता है, तब जीवन से साक्षात्कार कराने वाले दर्पण मे व्यंग्य की छवि उभरती है। कई व्यंग्यकार ने अपनी रचना मे भारतीय समाज मे अव्यवस्था, धूर्तता, चाटुकारिता,आडम्बर एवं अन्य विद्रूपताओ पर तीखे प्रहार किये है । अपने समसामयिक परिवेश मे व्याप्त असंगतियों ,विसंगतियों ,अंतर्विरोधों, दुराचारों कों अनुवीक्षण यन्त्र से देखने और उन्हें ध्वस्त करने का साहस रखने वाले व्यंग्यकारो के रूप मे अपने आप कों प्रतिष्ठित करता है। व्यंग्य साहित्य मे वर्तमान जीवन के यथार्थ प्रतिबिम्ब कों आसानी से देख सकते है।

व्यंग्य का विधा के रूप मे प्रयोग स्वतन्त्रता के बाद स्पष्ट रूप से हुआ है । हरिशंकर परसाई की कृतियाँ 'विकलांग श्रद्धा का दौर' 'सदाचार का तावीज' 'भूत के पाँव पीछे' 'ठिठुरता हुआ गणतन्त्र' और श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास 'रागदरबारी' एवं अन्य रचनाकार शंकर पुणताम्बेकर ,गोपाल चतुर्वेदी, के. पी. सक्सेना, ज्ञान चतुर्वेदी, शरद जोशी आदि अनेक साहित्यकारों ने व्यंग्य कों साहित्य की सशक्त विधा के रूप मे स्थापित किया है। इन रचनाकारों ने सामाजिक एवं राजनैतिक विसंगतियों पर चोट करके उनमे बदलाव लाने की पहल की है । व्यंग्यकार शरद जोशी ने मंच एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यंग्य कों साहित्य एवं समाज मे स्थापित किया है। प्रमुख व्यंग्यकारों मे हरिशंकर परसाई और शरद जोशी का नाम सर्वोपरी व प्रमुख स्थान है । अन्य व्यंग्यकारों मे श्रीलाल शुक्ल, रविन्द्रनाथ त्यागी ,ललित बोधी से लेकर ज्ञान चतुर्वेदी,प्रेम जन्मेजय, गिरीश पंकज, हरीश नवल आदि व्यंग्य लेखन के माध्यम से सक्रिय होकर लेखन कर रहे है। सभी व्यंगकार अपनी-अपनी विशेषताओं कों इसमें समेटे हुए है, जो उनके वैशिष्ट्य कों परिभाषित करता है।

इक्कीसवी शताब्दी मे व्यंग्य की यात्रा लोकप्रिय होती गई ।'जीवन यश, समृद्धि,पद और पावर हमारे पास ही बनी रहे । हर व्यक्ति अपने प्रभामंडल कों इतना प्रभावशाली बनाना चाहता है कि दूसरे उसे उस प्रभामंडल से चमत्कृत रहे ।'[3] व्यंग्य विधा मे कुछ लोगो ने अपना स्थान बनाया उनमे अविनाश वाचस्पति ,अशोक चक्रधर , के. पी. सक्सेना ,नरेन्द्र कोहली,रविन्द्र प्रजापत, श्रीलाल शुक्ल, हुल्लड़ मुरादाबादी, डॉ. शिव शर्मा, यशवंत व्यास,कमल नाथ आदि का नाम महत्वपूर्ण है।

द्विवेदी युग मे हास्य व्यंग्य की रचना करने वाले कवियों मे ईश्वरीय प्रसाद शर्मा तथा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के नाम भी उल्लेखनीय है। कविता के क्षेत्र मे व्यंग्य कविताएं अनादि काल से चली आ रही है। संत साहित्य मे विशेषत: कबीर के काव्य व्यंग्य से परिपूर्ण है उन्होंने सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग्य पूर्ण शैली मे प्रहार किया है। जातिभेद ,हिन्दू- मुसलमानों के धर्म आडम्बर, गरीबी- अमीरी, रुदिवादिता आदि पर कबीर के व्यंग्य बड़े मारक है, उनके अनेक उद्हरण कबीर की व्यंग्य क्षमता के प्रमाण है । सूरदास का 'भ्रमर गीत' सूर की गोपियों के व्यंग्य से सराबोर है। व्यंग्य कों प्रगति का सबसे अच्छा अवसर भारतेंदु युग मे मिला। इस युग मे कविता ही नहीं लेख, निबन्ध,नाटक,कहानी सब मे व्यंग्य का समुचित प्रयोग मिलता है। सबसे अधिक व्यंग्य का प्रयोग प्रहसनो मे हुआ। भारतेन्दु की 'अंधेर नगरी' और 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' 'मुकरिया' इसके अच्छे उदाहरण है । औपनिवेशिक भारत की मूल समस्या हमें दिखाई देती है। पराधीन भारत की समस्याए वर्तमान भारत से अलग थी । गुलाम भारत की विडम्बनापूर्ण परिस्थितियों,अंग्रेजी साम्राज्यवाद और उनकी शोषक दृष्टि के आक्रोश कों देखा जा सकता है । वस्तुत: इस युग मे भारतेंदु मंडल का कोई लेखक या कवि न बचा,जिसने व्यंग्य का प्रहसनो या कविताओ मे प्रयोग न किया हो। द्विवेदीयुग मे भी यही परम्परा जारी रही । व्यंग्य कों हास्य ,परिहास या चुहल आदि का पर्याय माना जावे ? या इसमे कही कुछ अंतर है। व्यंग्य कों हास्य आदि पर्याय मानना ठीक नहीं है। व्यंग्य की अभिव्यक्ति वैयक्तिक संदर्भो से लेकर सामाजिक विसंगतियों तक कों प्रकाश मे लाना लेखक का उद्देश्य होता है । अत: व्यंग्य मात्र मनोरंजन नहीं है, तथा न ही हास्य कहा जा सकता है । छायावादोतर काल के हास्य व्यंग्यकारो मे प्रथम: वर्ग बेढब बनारसी , गोपाल प्रसाद व्यास ,बरसाने वाले चतुर्वेदी व द्वितीय वर्ग मे हरिशंकर परसाई, रविंद्रनाथ त्यागी ,शरद जोशी ,श्रीलाल शुक्ल, नरेन्द्र कोहली आदि। उक्त व्यंग्यकारों मे दूसरे वर्ग के लेखको ने वर्तमान जीवन की विसंगतियों,राजनैतिक पैतरे बाजियों आदि कों लेकर तीखी व्यंग्य रचनाये लिखी है ,जहाँ शुद्ध हास्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन प्रदान करना है ,उसमे कही कोई अन्य गंभीर उद्देश्य निहित नहीं रहता है। व्यंग्य मे प्राय: उद्देश्य पर विशेष दृष्टि अवश्य रहती है। श्रीलाल शुक्ल ने 'रागदरबारी' उपन्यास मे मोहभंग की स्थितियों के यथार्थ कों सजीव रूप मे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। रविन्द्र नाथ त्यागी के लेखन कों हम हास्य और व्यंग्य का संयोजन कह सकते है ,इनके व्यंग्य लेखन न केवल पाठको कों प्रफुल्लित करते है बल्कि उसे सोचने क लिए बाध्य भी करते है।

'व्यंग्य विधा का सशक्त शिल्पकार व्यंग्यकार शरद जोशी के लेख मे आचार्य पाराशर ने लिखा है की व्यंग्य की रचना धर्मिता की भाषा शैली एवं दृष्टि से इतना सशक्त होना चाहिए की वह पाठको के हृदय कों झंकृत कर दे । व्यंग्यकार समाज की विद्रुपताओ कों रेखांकित करता है ।'[4] साहित्य की हर विधा का अपना एक विशिष्ट महत्व् रहता है , जो समाज के जनमानस कों प्रभावित एवं संप्रेषित करता है । व्यक्ति से समाज का निर्माण होने के कारण उसका समस्त व्यवहार समाज मे प्रतिबिम्ब की तरह परिलक्षित होता है। हास्य व्यंग्य की यह विधा दुधारी तलवार है ,जिसमे व्यक्ति अपने बुराइयो के इशारे कों भी, समझ कर अपने व्यवहार एवं आचरण कों सुधार कर समाज के अनुकूल बनाता है। वही हास्य एवं व्यंग्य की आवश्कताओ कों भी पूरा करता है । व्यंग्य मे कथ्य और शिल्प की धार झूठ की परतो कों काटती हुई सत्य तक पहुँच जाती है।

व्यंग्य आज कई तरह से लिखा जा रहा है। इस विधा के माध्यम से गंभीर से गंभीर बात कों इस तरह कह दिया जाया है की वह तीर- सा असर

छोडती है। शरद जोशी का एक व्यंग्य पाठको कों लाभार्थ प्रस्तुत है ,व्यंग्य बोद्धिक परिहास की और सोचभरी प्रतिक्रिया भी,उसका स्वरूप निषेधात्मक लगता है, पर उसकी परिणिति विधेयात्मक। कई बार पारम्परिक जड़ताओ पर प्रहार कर हम नवीनता के अनुकूल मार्ग की तलाश करते है ,और कभी नक्काल आधुनिकताओ के विरुद्ध सामाजिक जागृति के लिए व्यंग्य कों हथियार बना लेते है। हर विधा अपना स्वरूप गढ़ती है , पर व्यंग्य परिहास और मारक चोट के माध्यम से अपने लक्ष्य कों संचालित करती है।'उसके भीतर प्रहार की ताकत है ,विषयों की जीवटता है ,मुहावरे रचने की ताकत है,पर भाषा की व्यंग्दार लोच का आभाव उसके व्यंग्य कों मारकपन कों भोथरा कर देता है।'[5] व्यंग्यो और चिंता ही व्यंग्यात्मक टिप्पणियों मे विषय वैविध्य है ,और मसखरी का भी वैचारिक अंदाज विसंगतियो और निर्ममताओ, मूल्यहीनता और जड़ता शासन या समाज व्यवस्था की क्रूरता या अमानवीयता व्यंग्यकार की व्यंजना व्यक्तिपरक नहीं बल्कि परिवेश और तीक्ष्णता के माध्यम से अपनी भीतरी करुणा, कोमलता कों उबल देती है।'गरीबी, भूखमरी ,भ्रस्टाचार,अपराध , आतंकवाद ,साम्प्रदायिकता सभी के समाचार ,चाय के प्याले की भाँप की तरह उड़ जाते है, मैं जान ही नहीं पाता की इन सबके प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है।'[6] व्यंग्य मे घर –पड़ोस एक धूरी –सी है ,जहाँ व्यक्ति और समाज ,देश और विश्व विज्ञान और घटनाये, अखबार की तरह आते है ,और लेखक के नजरिये उसके सोच ,उसके परिहास और उसकी व्यंग्य वक्रोक्ति के साथ लक्ष्य संचालन करती है। व्यंग्य अभिव्यक्ति है, एक व्यक्ति के भीतर छूपी कूटनीतियों कों भी उजागर करता है ,साथ ही सामाजिक विसंगतियों ,विद्रुपताओ एवं विषमताओ कों रेखांकित करता है।

उपसंहार– व्यंग्य वर्षो से अपने स्वतंत्र अस्तित्व की लड़ाई लड़ता आया है,किन्तु अब वह धीरे द्धीरे एक स्वतंत्र विधा के रूप मे स्थापित हो गया है। आजादी के बाद 60 के दशक मे व्यंग्य अधिक प्रचलित हुए। नब्बे के दशक के बाद उदारीकरण की नीति आई, व्यंग्य मे नया आयाम हुआ। व्यंग्य की उत्पत्ति परिस्थितियों से होती है। समय की विद्रुपताओ के भीतर से उपजे असंतोष से होता है। घटनाओ से होता है। व्यंग्य एक माध्यम है ,जिसके द्धारा व्यंग्यकार जीवन की विसंगतियों ,खोखलेपन और पाखंड कों दुनिया के सामने उजागर करता है।अपनी रचनाओ मे ऐसे पात्रो और स्थितियों की योजना करता है जो इन अवांछित स्थितियों के प्रति पाठको कों सचेत करते है। इस विधा मे सामाजिक विसंगतियों का चित्रण अभिधा मे न होकर व्यंजना के माध्यम से होता है। सामान्य– सा विचलन ही व्यंग्य लिखने के लिए बाध्य करता है ,समाज के धडकते हुए परिस्थिति पर लिखना,नैतिकता की स्थापना करना व्यंग्य मे दिखाई देता है है।एक सफल व्यंग्यकार रागात्मक,अपनों से जुडाव ,शुक्ष्मता कों चासनी मे डूबोकर ,मखमल मे लपेटकर लोक धर्म, शास्त्रअनुमोदित पुराणों,व विभिन्न धर्मो के उदाहरण के माध्यम से अनमोल विचार, सुन्दर ,अदभुत ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। व्यंग्य तर्क प्रदान करता है। सामाजिक चेतना का महाभाष्य है। देशकाल सापेक्ष चिंतन बनकर प्रस्तुत होता है। बाहर से हँसाए अन्दर से रुलाये वही व्यंग्य है। वह फुलझड़ी की तरह आता और मानव मन कों गुदगुदाकर चला जाता है। सामाजिक मूल्यों के विघटन कों केंद्र मे रखकर समकालीन साहित्यक परिदृश्य मे व्यंग्य का लगातार सृजन हो रहा है। शक्ति,क्षमता,न्यायशील व्यंग्य के ब्रहमास्त्र है। वह समाज का सिहावलोकन है ,अत: यह कहना अन्योक्ति नहीं है कि ,व्यंग्य मनोरंजन नहीं वरन विरेचन है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यंग्य :अर्थ,परिभाषा ई– बुक भूमिका नेट
2. आचार्य रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहास,कमल प्रकाशन नईदिल्ली
3. साप्ताहिक :ऋषिमुनी 30 से 06 मई 1995
4. दैनिक अवंतिका दिनांक 21 मई 1997
5. व्यंग्यकार प्रो .बी.एल.आच्छा ने आचार्य पाराशर के इक्कावन व्यंग्य :ई–बुक भूमिका
6. व्यंग्य :दैनिक अवन्तिका 11 अप्रैल 2002

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जैविक खेती की भूमिका

डॉ. सुचेता सिंह *

* अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय स्वीशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – हमारे देश में वर्तमान समय में महिलाऐं स्वावलम्बी हुयी है। उनके आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि हुई है। अपने हक के प्रति चेतना आई है, किंतु महिलाओं में यह परिवर्तन की लहर शहरो में ही देखने को मिलती है। ग्रामीण महिलाओं में आज भी आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। क्योंकि ग्रामीण महिलाएं अधिकतर असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती है। असुरक्षित माहौल में कठोर परिश्रम के बावजूद उन्हे कम पारिश्रमिक मिलता है। यह विडम्बना है, कि अधिकांश विकासशील देशों के परंपरागत समाज में महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता से वंचित रखा जाता रहा है। खासतौर से ग्राम समाजो में उनके कार्यो के उत्पादकता और आमदनी की गणना नगण्य होने से समाज में उनकी महत्ता कम ही होती है। जिससे ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास एवं मनोबल की कमी पाई जाती है।

ग्रामीण महिलाओं की परेशानियां और समस्याऐं उनके जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। पारिवारिक दायित्वों एवं मातृत्व के कार्यो में संलग्नता के कारण आर्थिक उत्पादकता एवं आमदनी शून्य रहती है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा की कमी सामान्य जागरूकता का अभाव भी उनकी प्रगति में बाधक तत्व का काम करते है। भारत में पितृ सत्तात्मक समाज होने के कारण उनकी समाज में निम्नतर स्थिति होती है। उनके विचार तथा निर्णयों को अहमियत नहीं दी जाती है। जिससे उनके आत्मविश्वास एवं मानसिक स्तर में बदलाव नहीं हो पाता है। जो उनके आर्थिक प्रगति में बाधक होती है। प्राय: यह माना जाता है, कि यदि महिलाएं रोजगारशुदा होती है या फिर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है, तो वे अपने स्वास्थ्य तथा बच्चों के पालन–पोषण पर अधिक खर्च करती है। जो परिवार, समाज और देश की प्रगति में सहायक सिद्ध होता है।

भारत में जैविक खेती का प्रारंभ – ऑर्गेनिक फॉर्मिंग खेती की वह प्रणाली है जिसमें रासायनिक खादो तथा कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग नहीं होता बल्कि उसके स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक खादो का प्रयोग होता है। इसे हम ऑर्गेनिक फॉर्मिंग कहते है।

भारत में जैविक खेती की परंपरा तथा महत्व प्रारंभिक काल से हो रहा है। पूर्ण रूप से जैविक खादो पर आधारित फसल पैदा करना जैविक खेती कहलाती है। दुनिया के लिये भले ही यह तकनीक नवीन है, परंतु हमारे देश में परंपरागत रूप से जैविक खाद पर आधारित खेती होती आई है। हमारे देश में जैविक खेती का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में जैविक खेती विकास के तीन अयाम है और विभिन्न वर्ग के किसानों ने अलग–अलग कारणों से जैविक खेती को अपनाया है। इसमें पहला वर्ग वह है, जो ऐसे क्षेत्रो में बसा है, जहां परंपरागत तरीके से बिना किसी निवेश या बहुत कम निवेश से खेती की जाती है। दूसरा वर्ग वह है जिन्होने परंपरागत रसायन आधारित कृषि के प्रतिकूल प्रभावों के कारण हाल ही में जैविक खेती को अपनाया है। तीसरा वर्ग वह है, जिन्होने इसके व्यावसायिक पहलू को समझा तथा बढ़ती बाजार मांग तथा संभावित अधिक कीमत के कारण इसे अपनाया। जैविक खेती से प्रदूषणमुक्त खाद् तो प्राप्त होते ही है, साथ ही ग्रामीण विकास की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इस ग्राम्य विकास की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रमुख योगदान हो सकता है। सामान्यत: देखने में यह आता है, कि जैविक खेती द्वारा 20–40 प्रतिशत उपज लागत में कमी आय में वृद्धि के साथ–साथ मिट्टी की गुणवत्ता में भी बढ़ोत्तरी होती है।

ग्रामीण महिलाओं की कृषि में भागीदारी – भारत में महिलाओं ने पारिवारिक दायित्वो का निर्वाह करते हुये भी अपने–अपने कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हॉसिल की है। घर संभालने के अतिरिक्त कृषि में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखा जाय तो कृषि क्षेत्र में कुल आय का 60–70 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं द्वारा किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष यदि एक पुरूष 12–12 घण्टे काम करता है। तो उसी अवधि में एक महिला 3485 घंटे अर्थात 3 गुना अधिक काम करती हैं। महिलाओं को कृषि में योगदान किसी क्षेत्र विशेष की खेती पर भी निर्भर करता है। विश्व खाद एवं कृषि संगठन के अनुसार हमारे भारत में कृषि में महिलाओं का योगदान 32 प्रतिशत है। कृषि संबंधी रोजगारो में 48 प्रतिशत महिलाएं है। साथ ही 7.5 करोड़ महिलाएं पशु पालन तथा दुग्ध उत्पादन संबंधित व्यवसाय जुड़ी है। बागवानी में जहां महिलाओं की भागीदारी 79 प्रतिशत है। वहीं फसल कटाई के उपरांत किये गये कार्यो में 51 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में है। जहां जैविक खेती अपनाई जा रही है।

भारत में महिलाओं ने पारिवारिक एवं मातृत्व दायित्वों का निर्वहन करते हुये भी कृषि के क्षेत्र से सदैव भरपूर भागीदारी की है। पुरूषो के मुकाबले महिलाएं अच्छी प्रबंधक भी सिद्ध हो चुकी है। चाहे वह किसी भी आयु, धर्म, जाति की हों। महिलाओं की सक्रियता और प्रगति के कारण उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है। जैविक खेती में सभी जरूरत की वस्तु घर, खेत और पशु से ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए महिलाऐं अपना अधिकतम् सहयोग दे पाती है। अत: गांवों में महिलाओं को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता के साथ अनुसंधान और विपणन सहयोग भी देना चाहिए। जैविक खेती में

महिलाओं की सक्रिय भागीदारी राष्ट्र के उत्थान के लिए अपरिहार्य है। साथ ही यह भी सत्य है, कि महिलाओं के संगठित हुये बिना उनके आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की बात सोची भी नहीं जा सकती।

जैविक खेती में ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर :

1. जैविक बीज की उपलब्धता में काफी कमी है। इसलिए कृषक बीज पैदा करके इसकी उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। जिससे आय में वृद्धि के साथ-साथ जैविक खेती के उत्पादन क्षेत्र में भी वृद्धि होगी।
2. जैविक खेती से प्राप्त कच्चे पदार्थो का ग्रामीण स्तर पर मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। महिलाऐं अपने जैविक उत्पादो का प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण करके अधिक लाभ कमा सकते है।
3. फल, सब्जियों एवं दालो से संबंधित प्रसंस्करण इकाईयों को स्थापित करके रोजगार के अवसरो एवं आय में वृद्धि की जा सकती है।
4. जैविक खेती में अनेक आदानों का प्रयोग होता है। जैसे जैविक खेती में कम्पोस्ट, गोबर गैस स्लरी, जैव पीड़क नाशियों, जैव उर्वरको की आवश्यकता होती है। अत: उन आदानों का उत्पादन एवं विपणन ग्रामणी महिलाओं द्वारा स्वयं किया जा सकता है। जिससे गांवो में ग्रामीण युवतियों को रोजगार मिल सकता है।
5. यदि ग्रामीण महिलाओं को जैविक खेती से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इससे उनके कौशल का विकास होगा तथा आत्मविश्वास बढ़ेगा एवं रोजगार के अवसरो का सृजन होगा।
6. ग्रामीण महिलाऐं अपने उत्पादो का स्वयं विपणन करके भी रोजगार की प्राप्ति कर सकते है।
7. जैविक प्रमाणीकरण से भी व्योक्तियों को रोजगार की प्राप्ति होती है।
8. जैविक खेती में फसल विविधिकरण एवं फसल चक्रो पर विशेष बल दिया जाता है। जिससे वर्ष भर रोजगार के अवसरों की उपलब्धता रहती है।

उपरोक्त वर्णित सभी माध्यमों को अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाऐं रोजगार शुदा हो सकती है। तथा आमदनी को बढ़ा सकती है। महिलाओं के लिए कृषि वार्षिक आय का साधन है। वहीं दूसरी ओर दुधारू पशु भी महिलाओं के लिए आय का साधन है। रोजाना महिलाऐं 3-6 घण्टे अपने पशुपालन में काम करती है। यदि पशुपालन प्रबंधन से संबंधित तकनीकी जानकारी गांवों में महिलाओं को समय-समय पर दी जाय, तो वह कुशल पशुपालक बन सकती है। तथा लाभ कमा कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है।

मछली उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संसाधन और उत्पादो में महिलाओं की सहभागिता के साथ यदि जरूरी है, कि उन्हे इस व्यवसाय को जीवकोपार्जन के साधन के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाय। इसके अतिरिक्त महिलाऐं प्राकृतिक संसाधन जैसे खाद्य प्रदार्थो को एकट्ठा करके छोटे पौधो के रूप में ईधन हेतु लकड़ियां एकत्र करने को व्यवसाय का रूप अपना सकती है। फसल उत्पादन के कार्यो जैसे - पौधा लगाना, निदाई कर खरपतवार हटाने से लेकर कटाई उपरांत के कार्यो में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बागवानी में पौधा लगाने कटाई-छटाई करने खाद् डालने जैसे कार्यो में महिलाओं की मुख्य भूमिका होती है। अर्थात बागवानी करने वाली महिलाओं को वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराई जाय तो आमदनी में वृद्धि की जा सकती है।

भारत सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किये गये है। जो कृषकों को जैविक खेती के प्रति परिवर्तित करने में मददगार साबित हो सकते है।

परंपरागत कृषि विकास योजना - देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 2016 में प्रारंभ की गयी है। इसके अंतर्गत किसानों को समूहों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। जहां जैविक खेती अधिक होती है।

कृषि मंत्रालय तथा उसके तीन महत्वपूर्ण पोर्टल - कृषि उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि विशेष रूप से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय ने तीन कृषि पोर्टल शुरू किये है।

1. स्वायत्ता हेल्थ कार्ड पोर्टल।
2. उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली पोर्टल।
3. पार्टी सेपटरी गारंटी सिस्टम पोर्टल।

इनका प्रमुख उद्देश्य जैविक खेती प्रक्रिया का प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना उर्वरक की गुणवत्ता का नियंत्रण तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के निर्गत को अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेही बनाना है।

निष्कर्ष - भारत वर्ष में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की आय का मुख्य साधन खेती है। पिछले कुछ वर्षो में जैविक कृषि क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुयी है। साथ ही जैविक उत्पादो की मांग में भी तेजी से इजाफा हुआ है। प्रमाणिकरण प्रक्रिया के आधीन पंजीकृत 2099 संचालको में से 427 खाद् प्रसंस्कर्ता है। 753 व्यक्तिगत किसान है लगभग 5.97 लाख छोटे व मझोले किसान, 919 समूह रूप में पंजीकृत है। लघु व सीमांत किसानो की अधिकता के कारण विश्व के कुल जैविक उत्पादकों में से अकेले भारत में लगभग आधे उत्पादक है। विश्व के अनेक देशो में गत 25 वर्षो में निजी एवं शासकीय संस्थाओं द्वारा जैविक खेती, जैविक क्षेत्रो एवं जैविक उत्पादों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे यह साबित होता है, कि यदि हमारे देश में ग्रामीण महिलाओं को जैविक उत्पादो तथा जैविक खेती के संबंध में समुचित जानकारी तथा प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराया जाय, तो गांवों की आर्थिक प्रगति संभव है। साथ ही महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता आएगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुरूक्षेत्र - मई 2019
2. योजना - जनवरी 1997
3. कुरूक्षेत्र - मार्च 2000

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

भारतीय कृषक श्रमिक व समस्याएं

धनीराम अहिरवार *

*शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी लगभग आज भी 13 प्रतिशत है तथा भारत की लगभग 53 प्रतिशत आबादी आज भी कृषि व कृषि से संबंधित गतिविधियों में संलग्न है इसीलिए भारत आज भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत में कृषि आज भी मानसून की कृपा पर निर्भर है इसलिए यहाँ किसानों और खेतिहर मजदूरों की गतिविधियाँ मानसून की तीव्रता पर निर्भर करती हैं। यदि मानसून अच्छा हुआ तो फसल भी अच्छी होगी अन्यथा नहीं होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की कल्पना बिना कृषि के सम्भव नहीं हैं और भारतीय कृषि की कल्पना बिना कृषक मजदूर के संभव नहीं हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल श्रमिकों की संख्या में कृषि श्रमिकों की हिस्सेदारी द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र की अपेक्षा वर्ष 2005-06 में 58 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011-12 मे घटकर 49 प्रतिशत हो गई और वर्ष 2019-20 में घटकर 41 प्रतिशत हो गई।

भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की हिस्सेदारी :-

क्षेत्र	वर्ष (श्रमिकों की हिस्सेदारी)		
	2005-06	2011-12	2019-20
प्राथमिक क्षेत्र	263(58%)	228(49%)	205(41%)
द्वितीयक क्षेत्र	85	111	138
तृतीयक क्षेत्र	105	128	155
योग	**453**	**467**	**498**

भारत में कृषि श्रमिकों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती जा रही हैं जो कि वर्ष 2004-05 मे लगभग 258 मिलियन थी वह वर्ष 2011-12 में घटकर 228 मिलियन रह गई जिसमें लगभग 30 मिलियन की कमी आयी हैं। राज्यों की स्थिति को देखा जाए तो सबसे अधिक कृषि श्रमिक राज्य उत्तर प्रदेश मे हैं जिसकी संख्या 2004-05 में लगभग 43 मिलियन थी जो कि वर्ष 2011-12 में घटकर लगभग 34 मिलियन हो गई जिसमें लगभग 8 मिलियन की कमी आयी है प्रतिशत में जो कि 28 प्रतिशत है। गाँवों में कृषि श्रमिक आज सबसे निचले पायदान पर हैं सरकार द्वारा इनके उत्थान के लिए चलाये गये सरकारी प्रयास भी पर्याप्त नहीं हैं। कृषि श्रमिक अपनी अजीविका के लिए शहरों के ओर तेजी से पलायन कर रहा हैं।

कृषि श्रमिकों की राज्यवार स्थिति :-

राज्य	कृषि श्रमिक(मिलियन में)		कृषि श्रमिकों मे कमी (मिलियन में)
	2004-05	2011-12	
उत्तर प्रदेश	43.30	34.83	8.47
कर्नाटका	17.60	12.91	4.69
पश्चिम बंगाल	15.50	11.79	3.71
बिहार	21.30	17.67	3.63
राजस्थान	17.40	13.83	3.56
अन्य	143.83	137.31	6.52
कुल	**258.92**	**228.36**	**30.57**

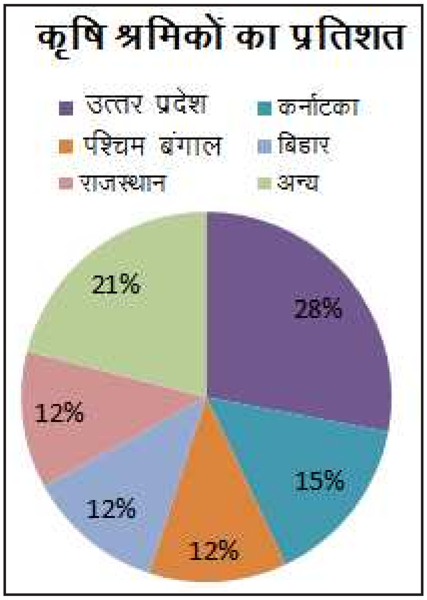

भारतीय कृषक श्रमिकों की समस्याएं:

1 **ऋणग्रस्तता :-** भारतीय कृषि श्रमिकों को औसतन कम मजदूरी मिलने के कारण और वर्ष में कई महीनों बेरोजगार होने के कारण उनकी निर्धनता में भी वृद्धि हो जाती हैं जिस कारण वे अपने पारिवारिक व सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाहन हेतु महाजनों से ऋण लेना पड़ता हैं जिसके पारिणाम स्वरूप उनके ऊपर ऋण का भार बढ़ता जाता हैं। वर्ष 2005 में जारी एनएसएसडी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों पर औसतन 12585 रूपए का ऋण भार है।

2 **निम्न मजदूरी की समस्यां :-** भारत में मजदूरी दर कम होने के साथ-साथ मजदूरी दर में भिन्नता भी मौजूद है। एक पुरूष श्रमिक की अपेक्षा एक महिला व बच्चों को कम मजदूरी दी जाती हैं जिस कारण से इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती हैं और इस कारण से उनका जीवन स्तर व स्वास्थ्य निम्न कोटि का बना रहता हैं तथा इनकी श्रम कुशलता में कमी आती है।

3 **मौसमी रोजगार की समस्यां :-** अधिकांश कृषि श्रमिकों को वर्षभर रोजगार कृषि में नहीं मिल पाता हैं। उनकी मांग कृषि कार्य की बुवाई व कटाई के समय लगभग वर्ष के 4 माह ही होती है। कृषि के अधुनिकीकरण व मशीनीकरण के कारण भी इसमें और कमी देखी गई है।

4 **आवास की समस्यां :-** कृषि श्रमिकों की आवासीय स्थिति अत्यंत दयनीय हैं। इनके घर स्वयं की जमीन पर नही होते जिस कारण से इन्हें बंधुवा मजदूरी के लिए भी विवस होना पड़ता है। इनके माकान कच्ची मिट्टी के बने होते हैं जिस कारण सर्दी व बरसात में सुरक्षा का अभाव होता है। समस्त परिवार व पशु एक ही कमरे में रहने के लिए विवश होते है जिसका परिणाम यह होता हैं कि इनके स्वस्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

5 **कृषि साख की समस्यां :-** ठेका व बटाई तथा छोटे व सीमान्त किसान जो कि कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं उन्हें अपनी कृषि कार्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए साख उपलब्ध न हो पाना भी कृषि श्रमिकों की एक समस्यां हैं।

6 **रोजगार सृजन की धीमी गति :-** सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार देने वाली योजनाएँ व अन्य योजनाओं का उदासीन रवया व दम तोड़ रही सरकारी योजनाएँ के कारण भी कृषि श्रमिकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

7 **ग्रामीण कुटीर उद्योग-धंधों की दयनीय स्थिति :-** कृषि श्रमिकों को कृषि के अतिरिक्त गाँवों के कुटीर उद्योगों से भी कुछ दिनों का रोजगार प्राप्त हो जाता हैं किन्तु वैश्वीकरण से गॉवों के परंपरागत कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया है जिससे बेरोजगारी की फौज बढ़ती जा रही हैं।

8 **बाढ़ की समस्यां :-** भारतीय कृषि उत्पादन पर बाढ़ की समस्यां भी हैं जो कि कृषि श्रमिकों को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। बाढ़ के कारण कृषि उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता हैं जिसमें मुख्य रूप से उत्तर भारत बुरी तरह से प्रभावित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्य प्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण 2016, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन
2. Agricultural Statistics at a Glance 2020, government of India, Ministry of Agriculture &Farmers Welfare Department of Agriculture
3. The National Sample Survey Sixteenth Round July 1960- June 1961, Government of India
4. LABOUR IN INDIAN AGRICULTURE: A GROWING CHALLENGE, Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), 2015
5. https://www.hindinotes.org
6. https://www.jagranjosh.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

The Effect of Integrated Use of Organic and Inorganic Nutrients on Yield and Quality of Groundnut (*Arachis Hypogaea L.*) in Bikaner, Rajasthan (India)

Neeraj Kumar Yadav* Dr. Harish Kumar**

*Research Scholar, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
** Research Supervisor, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - Arachis hypogaea Linn., is gotten from two Greek words, Arachis meaning a vegetable and hypogaea importance subterranean, alluding to the development of units in the dirt.Arachis hypogeal is Scientific name of peanut (groundnut).Peanut is otherwise called nut, earthnut, monkey nut, manilla nut, pinda, goober and top dog of oilseeds, unusual vegetable and energy case. Today it is a significant oilseed and food crop. India is the **second largest producer of groundnut** in the world. At the same time, its highest production in the country is in **Gujarat**. Peanuts in Rajasthan are the highest in **western Rajasthan**. **Bikaner district** is the highest in groundnut production, where does it go to **Rajkot in Rajasthan**, where most peanuts are produced. About 50% of the total groundnut production of the country comes from this state.
Bikaner tops the country with **40 to 50 percent production**, record production per hectare, oil and Gota production.
Keywords- Physic-Chemical properties of Soil, Vermicompost, FYM, Organic Manure.

Introduction - Peanut or groundnut (*Arachis hypogaeaL.*) is an economically important oilseed, feed, and food crop is widely cultivated in tropical and subtropical regions of the world (Variath and Janila, 2017). All parts of the plant can be used. The seed provides 50 to 65% oil (Linnemann, 1990; Boye-Goni et al., 1990) and 25 to 35% proteins (Knauft and Ozias-Akins, 1995), while the rest of the plant parts provide livestock fodder. The roots have nodules which provide nitrogen to soil, thus improves soil fertility. Arachis hypogaea Linn., is gotten from two Greek words, Arachis meaning a vegetable and hypogaea importance subterranean, alluding to the development of units in the dirt.Arachis hypogeal is Scientific name of peanut (groundnut).

Peanut is otherwise called nut, earthnut, monkey nut, manilla nut, pinda, goober and top dog of oilseeds, unusual vegetable and energy case. Today it is a significant oilseed and food crop.

General Status In Rajasthan

1. India is the **second largest producer of groundnut** in the world. At the same time, its highest production in the country is in **Gujarat**.
2. Peanuts in Rajasthan are the highest in **western Rajasthan**,
3. **Bikaner district** is the highest in groundnut production, where does it go to **Rajkot in Rajasthan**, where most peanuts are produced.
4. About 50% of the total groundnut production of the country comes from this state.
5. Bikaner tops the country with **40 to 50 percent production**, record production per hectare,oil and Gotaproduction.
6. Indian groundnuts are accessible in various assortments Bold or Runner, Java or Spanish and Red Natal. The fundamental groundnut assortments delivered in India are TBG - 39 (Trombay Bikaner groundnut 39).Kadiri-2, Kadiri-3, BG-1, BG-2, Kuber, GAUG-1, GAUG-10, PG-1, T-28, T-64, Chandra, Chitra, Kaushal, Parkash, Amber.

Study Area: Area of Bikaner District, Rajasthan: 30,247 km².

1. **Bikaner District, Rajasthan** is located between Latitude 28.0229° and longitude of 73.31 19°.
2. It is surrounded on the east by Churu District on the south by Jaisalmer, Jodhpur, and some part of Nagaur District, and on the west by Bahawalnagar district of the Pakistani Punjab and on the north by the

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

SriGanganagar.

3. In Rajasthan, this region falls under agro-climatic zone I-C (Hyper arid partial Irrigated North-Western Zone).
4. The base and most extreme rainfalls during developing season were 70 mm and 80 mm individually.

Experimental Station: Bikaner Agricultural Research Station, Bikaner was established in 1997 to cater research and extension needs of Agro climatic zone Ic (Hyper arid partially irrigated western plain) of Rajasthan. Zone occupies an area 7.71 mha geographical area spread over Bikaner, Jaisalmer district and Sardarsahar, Ratangarh, Bidasar and Sujangarh tehsils of Churu district.

Materials and Methids

Initial Physico-Chemical Properties Of Experimental Soil

S.	Soil Characteristics	Values
1	Mechanical Composition	
	(i) Coarse sand (%)	24.40
	(ii) Fine sand (%)	56.60
	(iii) Silt (%)	9.40
	(iv) Clay (%)	7.40
	(v) Textural class	Loamy sand
2	Physical Properties	
	(i) Bulk density (Mg m^{-3})	1.52
3	Chemical Properties	
	(i) pH	8.50
	(ii) ECe (dS m^{-1}) at 25^0C	2.54
	(iii) CEC [c mol (p^+) kg^{-1}]	5.15
	(iv) Exchangeable Na [c mol (p^+) kg^{-1}]	1.08
	(v) $CaCO_3$ (g kg^{-1})	16.08
	(vi) Organic carbon (g kg^{-1})	1.80
	(vii) Available N (kg ha^{-1})	133.60
	(viii)Available P (kg ha^{-1})	9.48
	(ix) Available K (kg ha^{-1})	159.15

Details Of The Treatment

Treatments	Symbol
(1) Main plot treatment	
A. Organic Manure	
(i) Control	OM_0
(ii) FYM @ 10 t ha^{-1}	OM_1
(iii) Vermicompost @ 5 t ha^{-1}	OM_2
B. Moisture Regimes	
(i) 0.4 IW/CPE	IW_1
(ii) 0.6 IW/CPE	IW_2
(iii) 0.8 IW/CPE	IW_3
C. Sub plot treatment	
(2) Salinity levels	
(i) Control	SL_0
(ii) 6 dS m^{-1}	SL_1
(iii) 12 dS m^{-1}	SL_2

Methods For Soil Analysis (see in last page)

Methods For Plant Analysis (see in last page)

Result and Discussion- In the course of presenting the results of the experiment entitled "The effect of integrated use of organic and inorganic nutrients on yield and quality of groundnut (*Arachis hypogea L.)* in Bikaner, Rajasthan(India)**"** was conducted during Kharif season of the year 2020-21." In the preceding chapter, significant variations in the criteria used for treatment evaluation were observed. Variations found significant or those assuming a uniform trend have been discussed in this chapter to establish cause and Effect relationship along with the existing evidences available in literature.

Soil physic-chemical properties - The significant decrease in bulk density and increase in saturated hydraulic conductivity and moisture retention of soil at crop harvesting due to application of organic manures compared to control (no organic manure) was observed.

"The role of organic matter in improving the physical properties is well known. Soil organic matter imparts desirable physical environment to soils by favorably affecting soil structure expressed through soil porosity, aggregation, bulk density and water storage capacity (Benbi et ai., 1998)" Decomposition of organic matter improved soil permeability and increased water stable aggregates as a result of complex series of polysaccharides synthesized by the soil microbes flourishing in decomposing organic matter and by their secretory products which acted as soil building materials. Thus, the increase in aggregation and improvement in soil structure brought significant reduction in bulk density with the application of organic manures could be attributed to the fixing of low density material with dense mineral fraction of the soil.

"The findings corroborate with the result of Maheswarappa et al. (1999), Srikant et al. (2000), Prakash et al. (2002) Selvi et al. (2005) and Singh et.al. (2012) who observed a decrease in bulk density with increase in organic matter content in soil".

Water expense components - A perusal of data indicated that profile water depletion and total water expense decreased significantly, whereas, water expense efficiency increased significantly with the addition of organic manures during both the years and in pooled mean analysis. "Reduction in profile water depletion and total water expense under FYM and vermicompost treated plots may be a direct consequence of the reduced water losses under these plots, more specifically, the percolation + seepage losses. Reduction in percolation + seepage by incorporation of lantana has been observed to reduce total water use (Bhagat et al., 1999 and Bhagat et al., 2003) which in turn developed denser rooting and high dry matter yield result in higher water expense efficiency (Arora et al., 1993)."

Best ways to increase peanut production

As a groundnut producer, it is necessary to take care of 3 things to get the highest yield of groundnut;

1. Good alternative to peanuts
2. Plant nutrition for peanuts
3. Crop protection measures
4. **Booster to increase peanut yield**

5. Research findings suggest that most of the soils in Bikaner are deficient in zinc, boron and iron (micronutrients). In addition to the basic utilization of essential nutrients, especially nitrogen, phosphorus and potassium, the groundnut crop also requires certain micronutrients at minimal doses.

6. Soil requirements

7. Groundnut plants require loamy or loamy soil with good drainage for optimum performance. The soil should be deep and the pH of the soil should be 5.5 to 7 with a high fertility index. It has been observed that heavy soil is not suitable for cultivation as its harvesting is difficult and the pods get damaged. Adequate supply of calcium in the soil is essential for the production of well-developed and mature groundnuts. This condition can be aggravated in soils with low organic matter.

- **Fertilization - NPK @ 6:8:10 Kg/Acre**
- **Urea -13kg/acre**
- **Gypsum- 50kg/acre ,**
- **SSP- 50kg/acre**
- **Temperature-** 20 to 30 °C
- **pH Value** -6.5 – 7
- **Sunlight** -Medium

Watering-Low

Conclusion- During the last few years, agricultural production has increased significantly in developed and developing countries due to the adoption of high yielding varieties, intensive cropping methods and use of fertilizers. But the lack of nitrogen and micro-elements and their high value have given great importance to the possibilities of using bio-fertilizers, organic farming and ecological farming.

1. Vermicompost (earthworm manure) - Vermicompost is full of micro and macro nutrients, vitamins, growth hormones and sedentary micro flora. Elements like N, P, S, K, Be, Zn etc. are found in abundance in manure, due to which plant growth and crop yield are increased.
2. Farm Yard Manure - By using this type of manure, the amount of nitrogen, potash and phosphorus becomes available to the plants and the yield of the crop becomes good.
3. It supplies both nutrients and micronutrients to the plants.
4. It increases the water holding and fertile capacity of the soil.
5. The use of organic manure increases the amount of carbon in the soil, which increases the fertility of the soil.
6. The use of organic manure in the fields leads to rapid growth of microorganisms in the soil.
7. Increases the water holding capacity of the soil, due to which crops require less water.
8. With the use of chemical fertilizers, only some specific elements are available to the plants, while the use of organic manure also full fills the necessary elements.
9. There is no adverse effect on the crops due to excessive application of organic manure. Whereas chemical fertilizers can burn crops.
10. The use of organic manure keeps the environment balanced, so that the surrounding environment is not polluted.

References:-

1. Ayer and Bansal KC and Sinha (2003) Assessment of drought resistance in 20 accessions of Triticum aestivum and related species. Total dry matter and grain yiield stability national Journal of agricultural and food chemistry Vol.1,pp7-14.
2. Barma NCD(2005) Genetic study of morpho physiological traits related to heat tolerance in spring wheat. Department of Genetics and Plant Breeding, Bangladesh Agric. Univ. Mymensingh. Vol.34pp123-129.
3. Bangladesh. Barma NCD, Islam MA, Hakim(2011). Genetic variability and selection response to heat tolerance through membrane thermostability in spring wheat (Triticum aestivum L)Department of plant breeding, india Agriculture university National Journal of agricultural and food chemistry Vol.25 pp 258-260.
4. Blum A, Sullivan CY and Naguyen(2009) The effect of plant size of wheat in responses to drought stress II. Water deficit, heat and ABA. Aust. J. Plant Physiol. 24: 43-48.
5. Westcot (1998)"Water quality for agriculture and irrigation", Paper No. 29, Rev.1, FAO, Rome, pp.174-179.
6. Godfrey, Hawkesford, M. J., Powers, S. J., Millar, S. &Shewry, P. R. (2010). Effects of crop nutrition on wheat grain composition and end use quality. Journal of agricultural and food chemistry, 58 (5): 3012-3021.
7. Gooding, M., Smith, G., Davies, W. &Kettlewell, P. (2013). The use of residual maximum likelihood to model grain quality characters of wheat with variety, climatic and nitrogen fertilizer effects. The Journal of Agricultural Science, 128 (2): 135-142.
8. Groos, Gay, Perretant, M.-R., Gervais, L., Bernard, M., Dedryver, F. &Charmet, G. (2002). Study of the relationship between pre-harvest sprouting and grain color by quantitative trait loci analysis in a white× red grain bread-wheat cross. Theoretical and Applied Genetics, 104 (1): 39-47.
9. Groos, C., Robert, N., Bervas, E. &Charmet, G. (2016). Genetic analysis of grain proteincontent, grain yield and thousand-kernel weight in bread wheat. Theoretical and Applied Genetics, 106 (6): 1032-1040.
10. Gupta, R. & MacRitchie, F. (2015). Allelic Variation at Glutenin Subunit and Gliadin Journal of Cereal Science, 19 (1): 19-29.
11. Hermansson&Svegmark, K. (1996). Developments in the understanding of starch functionality. Trends in Food Science & Technology, 7 (11): 345-353.
12. Humphreys, D. & Noll, J. (2002). Methods for

characterization of preharvest sprouting resistance in a wheat breeding program. Euphytica, 126 (1): 61-65.
13. Johansson, Prieto-Linde, M. L. &Jönsson, J. Ö. (2001). Effects of wheat cultivar and nitrogen application on storage protein composition and breadmaking quality. Cereal Chemistry, 78 (1): 19-25.
14. Ritcha, M.C. (1999). Effect of high temperature exposure on grain growth in wheat (Triticum aestivum L.) M.Sc. (Ag.) Thesis, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.
15. Ritcha, M.C., Shukla, D.S. and Pande, P.C. (1994). Biochemical basis of high temperature tolerance in developing grain of wheat (Triticum aestivum L.). Indian. J. Expt. Biol. 32 : 296-298.

Methods For Soil Analysis

S.	Item of Analysis	Methods	References
	Physical Properties		
1.	Bulk Density	Undisturbed Core Sampler Method	Blake,Hartge (1950)
2.	SHC	Constant Head Method	Klute,Dirksen
3.	Moisture retention at 33 & 1500 kPa	Pressure plate membrane apparatus	Gardner(1986)
4.	Mechanical Analysis	International Pipette Method	Piper (1950)
	Chemical Properties		
1.	Preparation of extract	Saturated Soil paste and Extract as per method (3a) USDA Hand Book No.60	Richards (1954)
2.	PH	Systronic PH meter Model 322-1	Richards (1954)
3.	Organic Carbon	Walkey and Black rapid titration method	Walkey ,Black(1934)
4.	Cation Exchange Capacity(CEC)	Method no.19 of USDA Hand Book No.60	Richards (1954)
5.	ECe(Electrical Conductivity)	With the help of EC meter, Method no.(4b) of USDA Hand Book No.60	Richards (1954)
6.	Total N	Macrokjeldahi Digestion	Bremner,mulvaney (1982)
7.	Total P	$HCLO_4$ Digestion	Jackson (1973)
8.	Total K	HF Digestion	Jackson (1973)
9.	Available N	AlkainePotasiumpermangate method	Subbiah,asija (1956)
10.	Available P	spectrophotometer	Olsen et al. (1954)
11	Available K	by flame photometer	Jackson (1973)
12	NH_4^+,NO_3^-	Steam Distillation	Keeney and Nelson (1982)
13	Microbial Biomass C	Fumigation Extraction	Vance et al (1987)
14	Microbial Biomass N	Fumigation Extraction	Brookes et al (1985)
15	Microbial Biomass P	Fumigation Extraction	Brookes et al (1982)
16	Dehydrogenase Activity	TTC Substrate	Casida et al (1969)

Methods For Plant Analysis

S.	Item of Analysis	Methods	References
1	Digestion of plant material	Wet Digestion of plant material With Conc.$H_2SO_4$and H_2O_2 (extract -1)	Jackson (1973)
2	Digestion of plant material	Wet Digestion of plant material With Conc. HNO_3 and Perchloric acid Method no.(54-a) of USDA Hand Book No.60 (extract -2)	Richards (1968)
3	N-Content	Wet Digestion of plant Sample With Conc. H_2SO_4 and estimate on Colorometer	Snel and Snell (1949)
4	P-Content	Wet Digestion of plant Sample With Conc. HNO_3 and Perchloric acid by using vanado molybdophosphoric acid yellow colour Method	Jackson (1973)
5	K-Content	Wet Digestion of plant Sample With Conc. H_2SO_4 by using Flame photometer	Jackson (1973)
6	Protein Content	By Multiplying percentage N in seed with a factor 6.25	A.O.A.C (1956)
7	Oil Content	Soxhlets Ether extraction method	A.O.A.C (1956)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Conflict, Resolution and Security in India and Europe:2022

Dr. Bijay Kumar Yadav*

***Associate Professor, Gitarattan International Business School, Pitampura, New Delhi INDIA**

Introduction - We are all living in an era of multiple conflicts now a day. It may be at any level; interpersonal, intergroup, interstate/intra-state or at the international stage. To resolve these conflicts is the greatest need and challenge not only to our polity and civil society but also to our national and international security.

The Conflict resolution process do not attempt to impose any preconceived resolutions to the parties in conflict, but they only try to facilitate a peaceful solution through dialogues, discussions, negotiations and other collaborative processes. While dialogues alone, might not lead to an eventual settlement of a conflict but it certainly is a necessary pre-requisite and will remain a fundamental component for resolution of any conflict.

Thus India is the largest democracy in the world and has a long record of engaging in dialogue with those who oppose the state and what it stands for. Amartya Sen attributes India's democratic longing for peaceful existence to dialogical traditions, heterodoxy, and public reasoning in Indian ethos.

The Indian heritage and religious philosophical beliefs provide an important orientation towards resolution of conflicts. It has given birth to many religions of the world and they have lived in peaceful coexistence with each other since hundreds of years. This has been possible because of India's ethos of plurality, humanism and openness, its sense of adaptability and the power of assimilation. The ancient Indian heritage of Buddhist, Hindu, Medieval Sufi & saints' teachings, Vedantic, Advaitic and Jain Philosophy all embrace peace and love.

Amartya Sen traces the tradition of secularism in India back to the tolerant and pluralist thinking in the writings of Amir Khusrau in the fourteenth century and to the non-sectarian devotional poetry of Kabir, Nanak, Chaitanya and others. And this 'tradition got its firmest official backing from Emperor Akbar' who believed in tolerant multiculturalism..

The religious-philosophical treatise of ancient India be it the Upanishads, Brahma Sutra or the Bhagvad Gita, believe in pacifism and humanitarianism but also accepted violence as legitimate when it is a matter of safeguarding order as a whole. The Indian tradition does not categorically prohibit the use of violence, in spite of it extolling Ahimsa (non-violence) as the greatest virtue. Mahatma Gandhi too considered it as the prime factor in attaining peace and harmony ultimately leading to conflict reconciliation.

Earlier iterations of the EU-India Summit have largely focused on trade and investment issues.[1] The 15th EU-India Summit, held virtually on 15 July 2020, gave greater attention to security issues.

Media reports prior to the Summit observed that "in the public eye and in strategic circles in New Delhi, the value of the EU as partner has been constantly underestimated before, since it is not a traditional hard power, many could not imagine a role for Europe in dealing with the security pressures New Delhi is facing."[2] This might be changing, however, as the current global order—where the centrality of the United Nations-led system, as well as multilateralism are key—appears under threat.

The 15th EU-India Summit culminated with the release of two crucial documents: the EU-India Joint Declaration of 2020, and the EU-India Strategic Partnership: A Roadmap to 2025. Both documents made salient references to issues of foreign policy, security and strategic technologies, arguably reflecting the ongoing transformation in EU-India security cooperation.

The introductory article of the Roadmap committed to "further strengthen and expand EU-India dialogue mechanisms on foreign policy and security issues of common interest."[3] Three key aspects of security directly related to the UN system – peacekeeping, nuclear cooperation, and maritime security – found prominent mention in the documents.

While these three areas represent traditional security concerns, they have gained significance due to unfolding global dynamics and are essential to the conduct of international security governance. In contrast to emerging security concerns (like Artificial Intelligence for instance), these have established legal frameworks and enduring historical trajectories. In addition, India and EU partnership in security can act as a stabilising force in the global order

given both their steady support to multilateralism, and their profile as rising powers.

This creates unique convergences of interest and can facilitate an expansion of security cooperation, which in turn can create greater understanding towards emerging security concerns and also buttress the overall relation between India and EU. This brief discusses security cooperation between India and the EU in the peacekeeping, nuclear issues, and maritime domains. It considers recent events, ponders the meaning of the 15th EU-India summit, and offers policy recommendations to strengthen the partnership.

Internal Conflict of India and resolution- One of the prominent examples of engaging the civil society leadership in mobilizing public opinion towards resolution of conflict was the first talks between the Maoists and the government of Andhra Pradesh in 2004. Since 1967, the left-wing revolutionary movement known as Naxalism3 has been active with the aim of overthrowing the state through violence; it has been active across eleven states in the South and Central India.

By the 90's the conflict had reached such a violent stage wherein the large sufferings of the rural society merited civil society intervention, so much so that a group of civil liberties activists, former bureaucrats, journalists and lawyers formed the Committee of Concerned Citizens (CCC), to mobilise public opinion in favour of the talks, henceforth ensuing the peace process.

It was only after consistent, persistent and sustained efforts of not less than five years that the CCC succeeded in building a public constituency. Subsequently, in 2002 and 2004 it brought the revolutionaries and the State government to the table for negotiations.4 Another prominent civil society organization formed by the women, is the Naga Mother's Association (NMA)5 which has been working since more than two decades to address conflict related issue in Nagaland.

Indigenous Conflict Resolution Institutions in India- The tribal communities of the North East India practice and believe in their indigenous institutions of governance and conflict resolution. The Sixth schedule of the Indian Constitution also known as the "mini Constitution"6 further upholds and protects these unique norms, practices and institutions from the outside influence, helping these indigenous Conflict Resolution mechanisms to sustain even today.

The indigenous communities of Khasi, Jaintia and Garo Tribes of the Meghalaya state use their own traditional mechanisms like Nokma (considered peacemakers as they are called first to resolve petty quarrels, thefts and marital discord cases) and Dorba (a three-level arrangement of Governance giving directives on daily administration and disposal of cases on community conflicts).

In the state of Manipur, the traditional Kuki conflict resolution institution of Hemkham7 (present day cease-fire) Toltheh, and Salam Sat are used for resolving family related conflicts. The Kuki Village court is one of the fastest courts in the world where there is no pending of cases and the court restores the sinner back to his/her normal life.

The indigenous dispute resolution mechanism in the villages, like the Nyaya panchayat (council of Justice /village Courts), Gram Kachahari's, Khap Panchayats9 in the North West and Katta Panchayats in Tamil Nadu are also continuing their traditional dispute resolution practices. However, today the main challenge is how to fully explore and address the competencies and compatibilities of these traditional institutions of conflict resolution and peace building in relation to their modern state based counterparts.

Politics as an instrument of Conflict resolution- Politics deals not only with the State and its institutions, but is beyond that. It cannot be separated from the social fabric of which it is a part of and where it operates, but should be seen as one of the vital elements of the complete social process. Political parties, political activities, governance issues, elections etc. are life line of the democratic political processes, having a great role in voicing and articulating the demands of the grieved citizens, thus helping in establishing a vital link between the civil society and the state.

Some examples of good governance can be seen by setting up of inter –state water tribunals by the Indian Government to resolve the major interstate water conflicts; Garib Kalyan Melas in Gujrat,11Krushi Mahotsav,12Gunotsav,13Samras Yojana14 etc. Another example of the successful story was the striking of the peace deal in Nagaland, which is one of the oldest armed ethnic conflict and it took more than sixty years to strike the breakthrough with the culmination in the Naga Peace Accord.15 Assam Accord16 was another Memorandum of Settlement (MoS) initiated by the Indian Government.

India, Europe and Conflict Resolution- In a significant move, India and the European Union have discussed increasing maritime security cooperation and the prospect of co-development and co-production of defense equipment. The deliberations took place at the first-ever India-EU Security and Defense Consultations held in Brussels pursuant to a decision taken at the India-EU summit in July 2020.

The Indian Embassy in the Belgium capital said India's participation in Permanent Structured Cooperation (PESCO) also figured in the talks and It said the wide-ranging discussions on Friday covered the evolving security situation in Europe, India's neighborhood and the Indo-Pacific.

PESCO is a part of the EU's security and defiance policy. Its establishment in December 2017 has raised cooperation on defence among the participating EU member states to a new level. The embassy said the two sides noted a number of positive developments in the area of security and defence cooperation in recent years,

including the establishment of a regular maritime security dialogue.

"During the consultations, the two sides also discussed various means of increasing India-EU cooperation on maritime security, implementation of the European code of conduct on arms export to India's neighborhood, cooperation in co-development and co-production of defence equipment, including India's participation in PESCO," it said in a statement."Both sides agreed to increase India-EU defense and security cooperation as an important pillar of the bilateral strategic relations," it said. The talks took place under the shadow of the crisis in Ukraine.

1st-ever India-EU Security and Defence Consultations held in Brussels- First-ever India-European Union (EU) Security and Defence Consultations held in Brussels, Belgium. The consultations were held in accordance with the decision taken at India-EU Summit in July 2020. Consultations were co-chaired by Joint secretary of Ministry of Defence Somnath Ghosh and Joint Secretary (Europe West) of Ministry of External Affairs (MEA) Sandeep Chakravorty from India and Director Security and Defence Policy, from European Union.

Pillars of EU-India Security Cooperation- The economic fallout caused by the COVID-19 pandemic appears to aggravate funding issues for peacekeeping operations, which already had been constrained due to budget cuts by key financial supporters, such as the United States.[4] At the same time, there are predictions that the impact of the pandemic might lead to destabilisation of states that were already weak and fragile, to begin with, and thereby require more peacekeeping deployments. Further, peacekeeping missions are already involved in the immediate response to the global health crisis.[5] Coordinated peacekeeping efforts and strong partnerships are needed if the international community wants to address this current scenario. India and the EU, two of the most vocal and active peacekeeping supporters in the world, had envisioned peacekeeping cooperation in the early years of their strategic partnership. In a communication from the European Commission, the EU expressed the idea to formalize regular cooperation and to further engage India in the area of conflict prevention, peacekeeping and peace building.[6]

An ambitious list of possible avenues for implementation was included in the 2005 Joint Action Plan.[7] At the recent India-EU summit, Indian Prime Minister Narendra Modi reminded the two actors that their partnership is "vital for global peace and stability", and stressed that the India-EU partnership can play an important role in the current pandemic.[8]

Indian peacekeepers have shown their commitment to assist countries during the pandemic, continuing their regular mission duties, such as providing infrastructure, despite the COVID-19 threat.[9] India has also deployed a substantial number of medical personnel and recently announced upgrades to two of its field hospitals in the Democratic Republic of the Congo and South Sudan to assist more COVID-19 patients.[10] The EU's CSDP missions, i.e. the EU military training mission in Somalia, have started to provide advice to medical teams of the Somali army to tackle the COVID-19 emergency.[11] Moreover, the EU has announced a •60-million package to support a regional response in the Horn of Africa to streamline efforts to manage the pandemic; this is done through the supply of personal protective equipment and assistance to vulnerable groups such as refugees.[12] India and the EU's immediate responses to the COVID-19 pandemic, apart from reflecting their commitment to helping the international community, follow the traditional pattern of their peacekeeping contributions: India primarily provides military troops to the UN missions, and the EU sends its personnel through its own CSDP missions and acts as the largest UN peacekeeping financer.

Given this set-up, it can be argued that cooperation can take two paths: India can participate in CSDP missions, or the two can collaborate in UN peacekeeping. The first strategy is difficult for various reasons, primary of which is that India has said that it will participate only in UN-led missions.[13] Furthermore, India is yet to build familiarity with CSDP missions– something for which both partners are responsible.[14] As a consequence, the interoperability between CSDP and UN missions, instead of their complementarities, has been highlighted in the past. Nascent steps to change this took place in 2018 when the Indian Navy escorted a World Food Programme vessel in support of the CSDP Operation ATALANTA, and in 2019 when a delegation of European Union military representatives visited Indian authorities in Mumbai and New Delhi.[15] The other way forward would be for India and EU to partner in the field of UN peacekeeping.

The problem, however, is that their contributions vary significantly both geographically and in nature. India's most significant contributions have been to the UN missions in the Democratic Republic of Congo and South Sudan; these have seen only minor European troop contributions, and therefore there is no interaction on the ground. Furthermore, India's contribution to UN peacekeeping is predominantly in the form of military contingents. Training cooperation thus necessarily would have to involve military-to-military interaction between India and the EU. A step forward in this regard could be reached as the EU is planning on assigning a security adviser to New Delhi, who could establish these crucial interactions between their militaries.

Despite the obstacles, India and the EU have engaged in joint activities outside the mission scenario. First, both are strongly committed to the Women, Peace and Security (WPS) agenda initiated by the UN in 2000, which requires the inclusion of women in all phases of the peace process and in addressing the gendered impacts of conflict. India

has answered to the UN's call for more female deployments through its decision to send an all-female police unit (AFPU) to Liberia (2007-2016), as well as a Female Engagement Team (FET) to the DRC (2019-); it has also pledged to assemble additional AFPUs and FETs.[10] Moreover, the country's peacekeeping personnel undergo trainings on gender issues. Similarly, the EU has aimed to integrate a gender perspective into its field activities and increase the number of women in CSDP missions and operations.[11]

The common priority area has so far translated into the financing of a female military officers' course in Delhi by European member states. There is space for an exchange of best practices and lessons learnt between actors committed to the WPS, given that the number of women in both UN and CSDP missions remains low, particularly in senior positions, and gender-mainstreaming in the planning of missions is far from being achieved.

Second, both India and EU have been actively involved in trainings of third countries. India, for instance, has sent mobile training teams to Vietnam (2017) and Myanmar (2018) and has offered training to Kazakhstan's first-ever peacekeeping contingent. Since 2016, India has organised annual training courses for African partners together with the US.The EU, for its part, has training missions in Somalia, Mali, Niger and the Central African Republic, and financially supports African peacekeeping training centres and invites third countries to CSDP trainings.

Finally, there has been direct interaction between India and the EU, through the participation of military and police of European member states in training at the Indian peacekeeping training centre.[12] While these initiatives are predominantly bilateral, their formats could easily be replicated under an EU frame.

Overall, in the last 15 years since the signing of their strategic partnership, India and EU's cooperation in peacekeeping has met with little enthusiasm. Consequently, peacekeeping fell behind other security areas, such as maritime security or non-proliferation, where regular security dialogues are already in place.[13] The recent joint summit declaration reflects the prioritisation of other security areas and does not explicitly mention peacekeeping.

Similarly, the summit outcome document A Roadmap to 2025 has given only limited space to the topic and sounds less ambitious than, for instance, the 2005 Joint Action Plan. Peacekeeping is mentioned twice in the document, once regarding the aim for regular security consultations between the EU and India and exchange on strategic priorities, and another regarding consultations on UN peacekeeping including the WPS agenda. Otherwise, it is indirectly touched upon, as the Roadmap aims at strengthening the military-to-military exchanges and "further enhance mutual understanding through seminars, visits and training courses hosted by defence institutes on both sides."[14]

It could be argued that the low salience of the issue in the documents indicates that peacekeeping – once identified as a promising area for cooperation– has been put on the backburner at least in terms of a larger-scale partnership. At the same time, it could be read as a much-needed realistic outlook towards what can possibly be achieved in the short run.

During the consultations- Discussions covered the evolving security situation in Europe, Indo-Pacific and India's neighbourhood. Both the sides noted number of positive developments in security and defence cooperation area in recent years. The Maritime Security Dialogue met in February 2022, for the second time. First-ever joint naval exercises between India and EU were held in June 2021. The two sides also discussed various means of increasing India-EU cooperation on maritime security, implementation of the European code of conduct on arms export to India's neighbourhood, cooperation in co-development and co-production of defence equipment including India's participation in Permanent Structured Cooperation (PESCO).

Policy Recommendations

Peacekeeping – Experts have argued that UN peacekeeping could today be at a transformative moment due to the COVID-19 pandemic and its expected impacts on the UN endeavour.[15] India and the EU, as some of the largest contributors to UN peacekeeping, have a lot at stake in shaping the future of this instrument. This, in turn, could move peacekeeping higher up on the agenda of their security partnership. In the meantime, the most feasible avenue to move the cooperation forward appears to be the field of UN peacekeeping training.[16] Here, the reiteration of prioritising the WPS agenda and increasing the number of women in peacekeeping—during the last peacekeeping summits and in policy documents—could serve as a good starting point.[16] Moreover, both India and the EU have in the past conducted trainings for third countries, sometimes engaging the same partners, i.e. Vietnam and several African countries.[15] India and the EU could join hands in their training efforts. Smaller projects like this might eventually pave the way for the earlier more ambitious vision of India-EU cooperation in peacekeeping.

Nuclear Cooperation –Nuclear cooperation between India and the EU takes place along three vertices: energy cooperation, research and development, and nuclear diplomacy. While there has been substantial engagement on each of these in the past, what is missing is a sustained pace and direction. Therefore, these engagements, despite their intensity, has been mostly episodic and driven by external developments.

For instance, the landmark India-USA Civil Nuclear Agreement (2008) generated a dynamic Indian outreach to Europe. Initially, the India-EU Energy Panel in 2005 proved to be beneficial towards germinating the seeds of the landmark India-USA Civil Nuclear Agreement by facilitating dialogue on nuclear energy cooperation.18. In the latter phases, the Indian outreach to the members of

the NSG intensified in 2008 for the India-specific NSG waiver – and European states played an indispensable role in the process. While the Annual India-EU Disarmament dialogue is a welcome step, an India-EU High Technology Dialogue – along the lines of the US-India High Technology Cooperation Group would be beneficial. It can identify potential areas of technology cooperation and along with nuclear, can supplement the already identified sectors of 5G, AI and Outer Space. The Roadmap[19] lists establishing a joint Working Group for Outer Space, and envisions further cooperation through the existing Working Group on Information and Communication Technology; these already provide the elementary foundation for an India-EU High Technology Dialogue.

Maritime security – The EU should become a part of IONS meetings and naval exercises, what would build-up India's role in the Indian Ocean Region and strengthen its position towards China. The EU, as an important strategic trade partner of China, could act not only as India's ally in defence of the liberal system of international law of the sea and the institutional framework of the international maritime cooperation but also as a factor encouraging China to cooperate and make adjustments to its maritime policy. India should consider the support of the EU to join the Quad,[20] as part of the Quad-plus concept in the same context. The current US administration is highly critical about Europe and its expansion of the military budgets and capacities, in order to share the part of the responsibility for liberal global order. The participation of the EU naval forces in strengthening the security architecture in the Indian Ocean would be probably welcomed in Washington. The EU should become part of the Sagarmala project and extend its contribution to the process of expanding the maritime infrastructure in the Bay of Bengal and Arab Sea. EU members from all its subregions have untapped potential in maritime technologies. The good practices of the Integrated Maritime Policy as a unique, global programme of the holistic approach towards maritime governance can be utilised in India and other Bay of Bengal countries. The joint EU-India project of defence industry cooperation of naval shipyards should be created. The level of military spending on the Navy in China is growing following the New Maritime Silk Road programme. In such technological military competition, the EU and India should combine forces.

Conclusion- The resolution of the conflicts needs to be undertaken collectively, by all the stakeholders to the conflict.

The needs and the aspirations of the conflicting parties should be addressed and taken into cognizance for any meaningful resolution.

A lasting political solution lies not from outside, but from within, it lies in the hands of people living together from time immemorial. Hence, it is the civil society that should ring in the resolution and facilitate in the establishment of peace.

Harnessing the wisdom of indigenous conflict resolution practices reflect a deeper concern for social harmony and well-being of the one hand (positive peace) and conflict transformation and violence reduction on the other (negative peace) offers a unique historical opportunity for all those interested in delegitimizing war and violence and promoting the development of peace.

Ethno-graphic considerations and cultural norms need to be studied and analyzed in detail, because they help in building the trust deficits of the conflicting parties.

The Resolution Processes should try and build bridges across traditional divide between ancient, indigenous and modern perspectives.

A sustained political dialogue will certainly have a transformative effect to the conflict, even if no political agreement is agreed to. Continuously articulating of views helps in mapping those issues which have the potential to move towards reconciliation.

EU-India relations today appear different than they were in the first two decades of the 21st century. The three principal aspects of the security cooperation between India and the EU surveyed in this brief suggest interesting developments in the field of security cooperation itself – and this is noteworthy. The areas of peacekeeping, nuclear cooperation and maritime security represent disparate challenges and opportunities and differential levels of India-EU cooperation. However, they cumulatively suggest novel trends and merit greater engagement by analysts and practitioners alike.

As the second decade of the new millennium unfolds, the world is undergoing irreversible changes – an unprecedented pandemic, an overbearing China, an unpredictable United States – these are but manifestations of the deeper global churning. India and EU are well-placed to explore and expand their security cooperation, while their response to these challenges can generate a novel dynamic in the global order and may even act as a stabilising force in an era of uncertainty. While mutual convergences of trade, technology and connectivity should be leveraged, the salient arenas of cooperation in the security dimension of India-EU relations should be kept in view.

References:-

1. Sen, Amartya. The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity. London: Penguin, 2005.
2. Rev. Dr. Selvam Robertson, Christian identity and witness in the present Day Hindutva Nationalism, june23, 2019, Accessed on: 5-01-2020, https://robertsonselvam.wordpress.com/blog/.
3. Naxal is a loose term used to denote groups waging a struggle on behalf of the landless laborers and tribal/ indigenous communities against the landlords, industry and the central and the state government.
4. Conflict Resolution, Learning lessons from the

Dialogue processes in India. The Centre for Humanitarian Dialogue and the Delhi Policy Group, July 2011.

5. NMA is a prominent civil society organization formed by women in Nagaland to address problems of conflict and violence and it helps in creating a platform to address the disparate voices.
6. SIXTH SCHEDULE." Ministry of External Affairs. Accessed on: January 9, 2020. https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/S6.pdf
7. This is a traditional Conflict resolution mechanism wherein killing/violence is stopped and negotiations begins.
8. These are traditional village-based dispute resolution courts dealing with petty civil and criminal cases within the village.
9. Khap panchayat is the union of a few villages, mainly in north India though it exists in similar forms in the rest of the country. Lately they have emerged as quasi-judicial bodies that pronounce harsh punishments based on age-old customs and traditions, often bordering on regressive measures to modern problems.
10. Upadhyay, Anjoo Sharan and Priyankar Upadhyaya 2016. Traditional Institutions of Dispute Resolution in India: Experiences from Khasi and Garo Hills in Meghalaya. Berlin: Berghof Foundation.
11. The mela or the fair is held at different locations across the state, poor people are given benefits of various government schemes. Various government departments take part in the mela, including Social Justice & Empowerment Department, Tribal Welfare Department and Women & Child Development Department.
12. Krushi Mahotsav is unique initiative of the Gujarat Government that helps agro-sector of the state scale newer heights and celebrates the qualitative change it brings with it in the lives of the farmers.
13. Gunotsav is a quality enhancement initiative of the State for bringing about improvement in learning levels of students at Elementary level.
14. Village people gather and decide representatives from among them unanimously for the administration of Gram Panchayat, where many persons give up their rights, act in unsparing way for society and adopt noble approach for higher purpose of welfare of the people and also initiate developmental works in the village.
15. The Naga Peace accord signed on 3 August 2015 between the Government of India and the Nationalist Socialist Council of Nagaland to end insurgency.
16. Signed Between representatives of Indian Government and the leaders of the Assam Movement signed on 15th August 1985 in the presence of then Prime Minister, Rajiv Gandhi in New-Delhi.
17. Peter Coleman, Morton Deutsch, Eric C. Marcus ed., The Handbook of Conflict resolution Theory and Practice, Third Edition, 2014, Jossey-Bass a Wiley-Bass.
18. Directorate-General for External Policies, Evaluation of the EU India Strategic Partnership and the potential for its revitalization, Gulshan Sachdeva European Parliament, 2015
19. Garima Mohan "Europe can be a key ally for India", Hindustan Times, July 14, 2020.
20. European External Action Service, "EU-India Strategic Partnership: A Roadmap to 2025", July 2020.

Footnote:-

1. Sen, Amartya. The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity. London: Penguin, 2005.
2. Rev. Dr. Selvam Robertson, Christian identity and witness in the present Day Hindutva Nationalism, june23,2019, Accessed on: 5-01-2020, https://robertsonselvam.wordpress.com/blog/.
3. Naxal is a loose term used to denote groups waging a struggle on behalf of the landless laborers and tribal/indigenous communities against the landlords, industry and the central and the state government.
4. Conflict Resolution, Learning lessons from the Dialogue processes in India. The Centre for Humanitarian Dialogue and the Delhi Policy Group, July 2011.
5. The mela or the fair is held at different locations across the state, poor people are given benefits of various government schemes. Various government departments take part in the mela, including Social Justice & Empowerment Department, Tribal Welfare Department and Women & Child Development Department.
6. SIXTH SCHEDULE." Ministry of External Affairs. Accessed on: January 9, 2020. https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/S6.pdf.
7. Peter Coleman, Morton Deutsch, Eric C. Marcus ed., The Handbook of Conflict resolution Theory and Practice, Third Edition, 2014, Jossey-Bass a Wiley-Bass.
8. Directorate-General for External Policies, Evaluation of the EU India Strategic Partnership and the potential for its revitalization, Gulshan Sachdeva European Parliament, 2015.
9. Upadhyay, Anjoo Sharan and Priyankar Upadhyaya 2016. Traditional Institutions of Dispute Resolution in India: Experiences from Khasi and Garo Hills in Meghalaya. Berlin: Berghof Foundation.
10. Gunotsav is a quality enhancement initiative of the State for bringing about improvement in learning levels of students at Elementary level.
11. Village people gather and decide representatives from among them unanimously for the administration of Gram Panchayat, where many persons give up their

rights, act in unsparing way for society and adopt noble approach for higher purpose of welfare of the people and also initiate developmental works in the village.

12. Prime Minister Narendra Modi, "15th India-EU (Virtual) Summit: Opening Remarks" (speech, July 15, 2020).
13. "Indian peacekeepers continue to provide humanitarian, healthcare assistance amidst COVID-19 threat", The Hindu, April 21, 2020.
14. European Council, "Women, peace and security: Council adopts conclusions", December 10, 2018.
15. Nicolas Blarel and Jayita Sarkar, "Substate Organizations as Foreign Policy Agents: New Evidence and Theory from India, Israel, and France", Foreign Policy Analysis, Volume 15, Issue 3, July 2019, Pages 413–431.
16. "India helps train Vietnam UN peacekeeping force", Customs news, December 5, 2017.
17. Shyam Saran, How India Sees The World, (New Delhi: Juggernaut Publication, 2017), pp. 243-245
18. The Naga Peace accord signed on 3 August 2015 between the Government of India and the Nationalist Socialist Council of Nagaland to end insurgency.
19. Signed Between representatives of Indian Government and the leaders of the Assam Movement signed on 15th August 1985 in the presence of then Prime Minister, Rajiv Gandhi in New-Delhi
20. Peter Coleman, Morton Deutsch, Eric C. Marcus ed., The Handbook of Conflict resolution Theory and Practice, Third Edition, 2014, Jossey-Bass a Wiley-Bass.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Monitoring, Assessment and Prediction Modelling of Water Quality in Rural Area of Sri Ganganagar District of Rajasthan

Shweta Yadav* Dr. Harish Kumar**

*Research Scholar, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
** Research Supervisor, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - The main objective of the present study is to determine the physic-chemical parameters Ground water in the district is under stress as indicated by the categorization of the blocks on the basis of stage of development. Three blocks fall under the 'Over Exploited' category which means the development of ground water already exceeds the recharge the area receives and the remaining five blocks are under severe stress because they fall under the 'Notified' category implying no further development of ground water is permitted. Water is considered the basis of life. Water is essential not only for human beings but also for the existence of animals and plants. Nature has made us water available in unlimited quantities in the form of lakes, ponds, rivers, ground water and seas, but due to the rapidly increasing population and indiscriminate use of water resources, the water crisis is deepening. At present, we need to be alert and not only stop the unwise exploitation of ground water but also proper management of aquifers by proper technology of recharge. In the present research paper, Physic-Chemical Analysis of Ground Water Samples in Sriganganagar District (Ganganagar panchayat samiti), Rajasthan, (India) has been selected for the study area. The result is compared with the drinking water standard prescribed by Bureau of Indian Standards and it is found that water quality of the many palaces in the study area not fit for drinking. Depletion of ground water table is being observed at many places due to excessive groundwater exploitation and it is a matter of long term concern. The main objective of the present study is to determine the physic-chemical parameters.
Keywords- Ground water quality, Hydro-geochemistry water, Drinking Water.

Introduction - Water is the basic necessity for the functioning of all life forms that exits on earth. It is safe to say that water is the reason behind earth being the only planet to support life. This universal solvent is one of major resources we have on this planet. It is the impossible for life to function without water. After all it makes for almost 70.7%of the useable water.

Water (Chemical formula H20) is an inorganic, transparent, tasteless, odorless and almost colorless chemical substance that is the main constituent of the Earth's hydrosphere and the fluid of all known organisms (in which it acts as a solvent) .It is vital to all known forms of life, even though it provides no calories or organic nutrients. Its chemical formula, H_2O, indicates that each of its Molecules contains one oxygen and two hydrogen atoms linked by covalent bonds. The hydrogen atom is attached to the oxygen atom at an angle of 104.45°.

The water resources are degrading gradually due to rapid development of urban areas. That's why this is a very important concern to purify water for drinking purpose and make it safe, healthy and odorless (Sharma et al., 2005).[5]

A systematic statistical study of various parameters of water quality helps us to quantify the overall water quality and concentration of various dissolved minerals in it and guide us for necessary implementation for water quality management (Kumar and Sinha, 2010). The speedy growth of industrialization has further affected water quality due to overexploitation of resources (Patil and Patil, 2010)[6]. A systematic statistical study of various parameters of water quality helps us to quantify the overall water quality and concentration of various dissolved minerals in it and guide us for necessary implementation for water quality management. (Kumar and Sinha, 2010)[4]. Urbanization further affected the groundwater quality due to over exploitation of resources and improper waste disposal habits (Raja and Venkatesan,2010)[8].The lack of freshness of water resources is a big challenge in the environment which lead to underdevelopment of the continents, Shortage water resources for drinking and sufficient sanitation. Entire global water resources have only about 2.5% of fresh water and rest of the water is saltwater (Ranjan, et al., 2006)[10].(Muralidharan *et al.*2002)[6] have studied fluoride in

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

shallow aquifers in Rajgarh Tehsil of Churu District Rajasthan. They reported that low concentration of fluoride in wells nearer to the surface storage structures indicates the influence of recharge from leaky reservoirs, causing a dilution in fluoride concentration.

Research design: It is a Diagnostic and experimental research, data type-Primary and secondary with random and seasonal sampling to analyze the following hypothesis- There is no significant level of relations among the water samples and different variables (pH, Temperature, Turbidity, Odour, Colour, TDS (total dissolved solids), Total alkalinity, Total Hardness, Chloride, Fluoride, Sulphate, Nitrate,) Water sample collected in clean plastic bottles each of one liter size bacteriological samples collected in 125 ml sterilized bottles and preserved in ice box bacteriological samples tested within 24 hrs of collection and comical samples were analyzed within 4 days of samples collections.

Study Area: Area of Sri Ganganagar District: 11154 sq km.

The latitudinal position of Sri Ganganagar district: 28 degree 4 minutes north latitude to 30° 6 minutes northern latitude.

Longitudinal position of Sri Ganganagar district: from 72 degree 3 minutes east longitude to 75° 3 minutes east longitude.

Kona village (in Ganganagar tehsil, Sriganganagar district) is in the most northerly state of Rajasthan. Sri Ganganagar district has both international and inter-state boundaries. The beginning of the international border with Pakistan is from Hindmalkot in Sri Ganganagar district.

Climate and weather: The climate of Sri Ganganagar is very hot. The temperature reaches 52°C in summer and falls around -2°C in winter. Normal temperature rang between 25 to 35°C.

The average annual rainfall is only 20 cm. In terms of the amount of rainfall, climate and water supply, this district falls in the sandy and dry region of Rajasthan, the surface run-off of water in this entire area is not equal.

It is surrounded on the east by Hanumangarh District on the south by Bikaner District and on the west by Bahawalnagar district of the Pakistani Punjab and on the north by the Punjab and Canals IGNP, **Gang canal and Ghaggar River basin in Sri Ganganagar** district of Rajasthan. The present work is an attempt to examine the water quality parameters of the **Ganganagar Tehsil, District SriGanganagar of Rajasthan.**

Materials And Methids

Groundwater sampling: 8 samples have been taken (post monsoon period oct. 2021) for water analysis from **Ganganagar tehsile of Sriganganagar district** (open and bore wells).

Detail of parameters units

S.	Parameters	Units
1.	Odour	-
2.	Colour	TCU
3.	pH Value	-
4.	Total Dissolved Solids	mg /lit.
5.	Total Hardness	mg /lit.
6.	Total Alkalinity	mg /lit.
7.	Chloride	mg /lit.
8.	Nitrate	mg /lit.
9.	Fluorides	mg /lit.
10.	Turbidity	NTU
11.	EC	µS/cm

Detail of Parameters Methodology

S.	Parameter	Methodology
1.	Odour	Spectrophotometer method
2.	Colour	Spectrophotometer method
3.	Turbidity	Nephelometer
4.	PH	Electrometric PH Measurement
5.	Totalalkalinity	Titration with 0.02N H_2SO_4
6.	TotalHardness	Titration with Na_2EDTA
7.	Chloride	Titration with $AgNO_3$
8.	Fluoride	Ion Selective electrode method
9.	Nitrate	UV Spectrophotometric method
10.	TDS	Evaporation method
11.	EC	Conductivity Method

S	STATION NAME	BLOCK	SOURCE	ID
1.	Gurudwara chak moti singh wala	Hindmal kot	Open Well	W1
2.	Radha Krishna Mandir	Hindmal kot	Open Well	W2
3.	Shiv Mandir	Hindmal kot	Tube Well	W3
4.	Bala ji food	Hindmal kot	Open Well	W4
5.	SGN Khalsa School	3-Pulli	Open Well	W5
6.	SGN Khalsa PG College	3-Pulli	Tube Well	W6
7.	Dr. B R A Govt. College	3-Pulli	Tube Well	W7
8.	DAV School	3-Pulli	Open Well	W8

Details Of Sample Points Location and Id

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Table (see in last page)

Result And Discussion

Hydro-geochemistry: Hydro geochemical studies of ground water in Sanganer Tehsil (Rajasthan) were carried out by Mehta *et al.,*(2004)[5]

Chemical Quality: Chemical analysis is done in two ways. Some chemical analyzes are performed on the site (pH, temperature, turbidity, odour, colour, conductivity) of the sample itself. And some are done in the laboratory (Total alkalinity, Total Hardness, Chloride, Fluoride, Nitrate, TDS). Chemical analysis forms the basis of interpretation of quality of water in relation to source, geology, climate and use (Raghunath 2002)[9].

Prasad *et* al (2004)[7]have analysed the results of the physic-chemical parameters such as pH, EC, TDS, total hardness, nitrate and sulphate. According to them strong positive correlation was obtained between EC and TDS. The data obtained from the analysis of ground water samples taken during post (June 2021) monsoon period is given in the table 3.1 and fig. 3.1.

Report of the chemical examination of water (The junior Chemist, PHED, Laboratory) (see in last page)

Note

Acc.: acceptable, EC: Electro conductivity, T.A:Total Alkalinity, T.H: Total Hardness, TDS: Total Dissolved Solids Cl^-: Chloride, F^-: Fluoride, NO_3^-: Nitrate

Various Graph of physical-chemical parameter analysis of Ground water samples.(a) pH, (b) Total alkalinity, (c) Total Hardness, (d) Chloride, (e) Fluoride, (f) Nitrate, (g) TDS, (h) Turbidity.

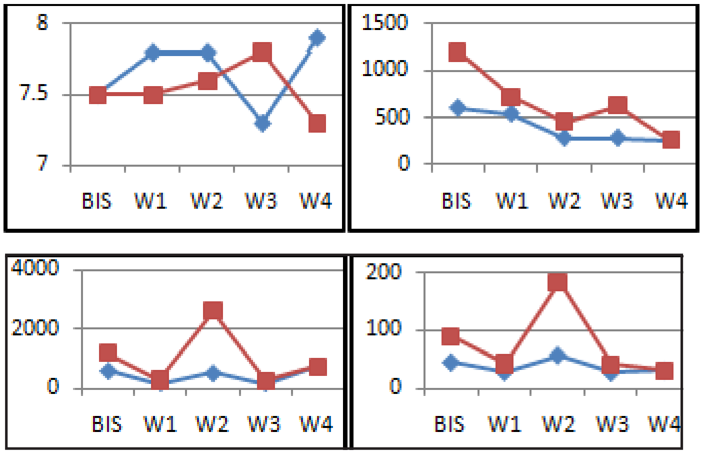

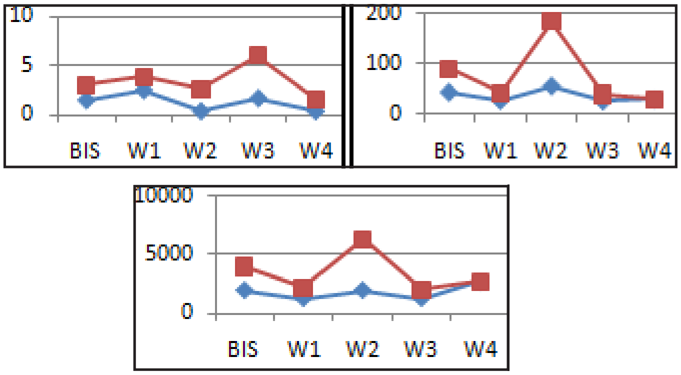

Parameters

Colour: Commonly caused by the extraction of colouring materials from the humus of forests or deposit of vegetable matter in swamps and low lying area. Colour may also be caused by iron, manganese or industrial pollution. According to the BIS guideline, the normal value of the colour of the ground water is 25 TCU. Whereas in the sample, the value of colour has been obtained zero. Which is below the maximum standard value, so there is no impurity in the sample, therefore, this water is considered suitable for drinking and irrigation view of colour.

Taste and Odour: According to the BIS guideline, the normal value of Odour of the ground water is inoffensive. Whereas in the sample, the value of has been obtained also Acceptable for all samples. So there is no impurity in the sample, Therefore, this water is considered suitable for drinking and irrigation view of odour and taste.

Turbidity: According to the BIS guideline, the normal value of Turbidity of the ground water is inoffensive. Whereas in the sample, the value of has been obtained also Acceptable for all Samples. So there is no impurity in the sample, Therefore, this water is considered suitable for drinking and irrigation view of Turbidity.

PH Ideally: According to the BIS guideline, the normal value of pH of the ground water is 6.5-8.5. Whereas in the samples, the value of pH has been obtained in normal range (7.3 to 7.9). And the value of minimum, maximum, mean and standard deviation of samples is 7.3, 7.9, 7.6305, 0.2175 obtained. Which is normal range. Therefore, this water is considered suitable for drinking and irrigation view of pH.

Chloride: According to the BIS guideline, the normal value of chloride of the ground water is 1000 mg/l. Whereas in the sample, the value of has been obtained 1800 for W6 (Ganganagar panchayat samiti) and Remaining samples values is obtained significantly below the BIS guideline, and the value of minimum, maximum, mean and standard deviation of samples is 40 mg/l, 3060 mg/l, 626.11 mg/l, 664.23 mg/l. Which is significantly below the BIS guideline (maximum standard value 1000mg/l).Therefore, this water is considered suitable for drinking and irrigation view of Chloride. water is considered suitable for drinking and irrigation view of data, while it is not in the W6 data.

Fluoride: According to the BIS guideline, the normal value of Fluoride of the ground water is 1.5 mg/l. Whereas in the sample, the value of has been obtained 2.5-W1, 1.6-W3, 2.2W6, 4.3 W7 mg/l. and Remaining samples values is obtained significantly below the BIS guideline, and the value of minimum, maximum, mean and standard deviation of samples is 0.3mg/l, 12.2mg/l, 2.77mg/l, 3.04 mg/l. The obtained data shows that the fluoride content is normal for Maximum samples. Hence water is considered suitable for drinking and irrigation view of fluoride.

Nitrate: According to the BIS guideline, the normal value of nitrate of the ground water is 45 mg/l. Whereas in the sample, the value of has been obtained 57-W2, 127-W6, 82-W8, and Remaining samples values is obtained significantly below the BIS guideline, and the value of minimum, maximum, mean and standard deviation of samples is 1mg/l, 194mg/l, 57.55mg/l, 51.66mg/l. The obtained data shows that the fluoride content is normal for Maximum samples. But the fluoride content is found to be above to normal value for the W1, W3, W4, W5, W7, samples. Hence water is considered suitable for drinking and irrigation view of nitrate.

Total dissolved solids: According to the BIS guideline, the normal value of TDS of the ground water is 2000 mg/l. Whereas in the sample, the value has been obtained to be 2700-W4, 4300-W6mg/l. and Remaining samples values is obtained significantly below the BIS guideline, and the value of minimum, maximum, mean and standard deviation of samples is 390mg/l, 6955mg/l, 1901.25mg/l, 1413.8mg/l. Hence water is considered suitable for drinking and irrigation view of W1, W2, W5, W7, and W8.

T.H (Total Hardness): According to the BIS guideline, the normal value of TH of the ground water is 600 mg/l. Whereas in the sample, the value obtained is 2100-W6 mg/l and Remaining samples values is obtained significantly below the BIS guideline, and the value of minimum, maximum, mean and standard deviation of samples is 60mg/l, 1930 mg/l, 388.05mg/l, 375.97mg/l. The obtained data shows that the TH content is normal for W1, W2, W3, W4, W5, W7, and W8.

Hence water is considered suitable for drinking and irrigation view of sample Obtained data is significantly below the BIS guideline (maximum standard value 600mg/l). Therefore, this water is considered suitable for drinking and irrigation view of TH.

Total alkalinity: According to the BIS guideline, the normal value of Total alkalinity of the ground water is 600 mg/l. Whereas in the sample, the value of has been obtained significantly below the BIS guideline, and the value of minimum, maximum, mean and standard deviation of samples is 180,600,341.11,122.63. Therefore, this water is considered suitable for drinking and irrigation view of Total alkalinity.

Biological Contamination: According to bacteriological examination report, Colliform Organism (MPN per 100 ml) and E.Coli Organism (per 100 ml) are not present in the taken sample. Therefore, this water is considered suitable for drinking and irrigation view of Biological Contamination.

Conclusion- A hydro chemical study was carried out using the standard methods from a 2-panchayat samiti of Sriganganagar districts, Rajasthan (India) during the post-monsoon seasons (oct. 2021) for diagnosing groundwater quality. The results show that all the parameters did not fall within the BIS guideline acceptable limits for drinking and irrigation purposes.

Colour and odour in the post-monsoon is acceptable. E.C in the post-monsoon varied from 0.6 to 10.7 (mean 2.8861 and S.D 2.2044).Turbidity concentration in the post-monsoon varied from 0 to 6.1mg/l (mean 0.4277mg/l and S.D 1.2276mg/l).pH of groundwater in the post-monsoon varied from 7.2 to 7.9(mean 7.6305 and S.D 0.2175).T.A concentration in the post-monsoon varied from 180 to 600 mg/l (mean 341.11 mg/l and S.D 122.63mg/l).Total Hardness concentration in the post-monsoon varied from 60 to 1913mg/l (mean 388.05mg/l and S.D 375.97mg/l).chloride concentration in the post-monsoon varied from 40 to 3060mg/l (mean 626.11 mg/l and S.D 664.23mg/l).Fluoride concentration in the post-monsoon varied from 0.3 to 12.2 mg/l (mean 2.77 mg/l and S.D 3.04mg/l). Nitrate (NO_3^-) concentration in the post-monsoon varied from 1 to 194 mg/l (mean 57.55 mg/l and S.D 51.66mg/l). TDS concentration in the post-monsoon varied from 390 to 6955 mg/l (mean 1901.25 mg/l and S.D 1413.81mg/l).

The hydro chemical constituents indicate that various processes, including mixing of anthropogenic contamination and water–rock interaction, influence groundwater pollution. The total dissolved solids, positive ions (calcium, magnesium, potassium, sodium and iron etc.) and negative ions (bi-carbonate, carbonate, chloride, fluoride, nitrate and sulfate etc.) and silica etc. are displayed in ground water. The alkalinity of water refers to the dissolution of dissolved bicarbonate, carbonate and hydroxyl ions in water. Total alkalinity also occurs due to the dissolution of the elements (such as borate, phosphate, silicate and other alkaline salts).

Groundwater samples are mainly controlled by the chemical weathering of rock-forming minerals influencing the groundwater quality. In many Panchayat Samitis of Sriganganagar district. High amount of chloride, fluoride, nitrate, TDS, TH, TA has been found in ground water which is harmful for human beings, drinking and irrigation.

In dug wells, evaporation dominance is observed making salinity increase by increasing Na^+ and Cl^- with relation to the increase of TDS. Therefore, periodical monitoring of the groundwater is required to assess its condition. This will be helpful in managing the groundwater from further degradation.

References:-

1. Bhargava Devika and Bhardwaj Nagendra, "Study of

fluoridecontribution through water and food to human population in fluorosis, endemic villages of North-Eastern Rajasthan," *African Journal of Basic& Applied Sciences,* 1, 3-4 (2009) 55-58.
2. Carroll, D. "Rainwater as a chemical agent of geologic processes are view", U.S Geological Survey water supply paper 520-f, (1962) 97-104.
3. Gupta S.C., "Chemical character of ground water in Nagaur district, Rajasthan."/«J/a« J. *Environ. Hlth.*33, 3 (1978) 178.
4. Kumar N and Sinha D K, "Drinking water quality management through correlation studies among various physicochemical parameters: a case study."International Journal of Environmental Sciences, 1, 2 (2010) 253-259.
5. Mehta A., Senapati T. and Duggal R., "Study on hydrochemistry of groundwater in Sanganer Tehsil,Jaipur,
6. District, Rajasthan."*International Journal of Geology, Earth & Environmental*^/e/ice, 4, 3(2014)183-193.
7. Murlidharan D., Nair A.P. and Sathyanarayan U., "Fluoride in shallow aquifers in Rajgarh Tehsil of Chum District, Rajasthan: An arid environment." *Current Science,* 83, 6 (2002) 699-702.
8. Prasad B.C. and Narayana T.S., *Nat. Environ. Poll. Tech.,* 3, 10 (2004) 104.
9. Patil VT and Patil PR, "Physicochemical analysis of selected groundwater sample of Amalner town in Jagaon district, Maharashtra, India."Electronic Journal of Chemistry, 7, 1 (2010) 111-116.
10. Raghunath, H.M. "Groundwater", Willey Eastern Ind. Ltd., New Delhi, pp. 299,(2002) 1987.
11. Raja G and Venkatesan P,"Assessment of Groundwater Pollution and its impact in and around Punnam Area of Karur District, Tamilnadu,"*India. E-Journal of Chemistry*, 7, 2 (2010) 473-478.
12. Raju NJ, Ram P and Dey S,"Groundwater Quality in the Lower Varuna River Basin, Varanasi District, Uttar Pradesh."Journal of the Geological Society of India, 73, 2 (2009) 178-192.
13. Ranjan SP, Kazama S and Sawamoto M,"Effects of climate and land use changes on groundwater resources in coastal aquifers."*Journal of Environmental Management*, 80, 1 (2006) 25-35.
14. U.Mathur N., Bhatnagar P. and Bakre P., "Assessing Mutagenicity of Textile Dyes from Pali (Rajasthan) Using Ames Bioassay." App. Eco.and Environ. Res. 4, 1 (2005) 111-118.
15. Meenakshi and Maheshwari, "Fluoride in Drinking Water and Its Removal." J.Hazardous Materials, 137, 1 (2006)456-463.
16. Dhehi G.S., Brar M.S. and Malhi S.S., "Heavy Metal Concentration of Sewage Contaminated Water and its Impact on Underground Water, Soil and Crop Plants in Alluvial Soils of North-Western India." Commun. In Soil Sci. & Plant Analysis, 38, 9-10 (2007) 1353-1370.

Details Of Sample Points Location and Id

Well Id	Block	STATION NAME	Types of Well	Latitude	Longitude	Elevation
W1	Hindmalkot	Gurudwara chak moti singh wala	OpenWell	30.14040	73.91557	199.44 ±103 m
W2	Hindmalkot	Radha Krishna Mandir	OpenWell	30.14008	73.75333	199.38 ±105 m
W3	Hindmalkot	Shiv Mandir	Tube Well	30.13251	73.75283	199.23 ±108 m
W4	Hindmalkot	Bala ji food	OpenWell	30.1315	73.75200	185.52 ± 95 m
W5	3-pulli	SGN Khalsa School	OpenWell	30.1308	73.6597	172.38±102m
W6	3-pulli	SGN Khalsa PG College	Tube Well	30.1235	73.5974	168.0±93m
W7	3-pulli	Dr. B R A Govt. College	Tube Well	30.1210	73.6258	156.63±103m
W8	3-pulli	DAV School	Open Well	30.1109	73.6067	125.07±102m

Report of the chemical examination of water (The junior Chemist, PHED, Laboratory)

Well ID	Odour	E.C	Colour	Turbidity	pH	T.A	T.H	(Cl^-)	(F^-)	(NO_3^-)	TDS
W1	Acc.	2.1	0	0	7.8	540	180	260	2.5	29	1300
W2	Acc.	2.5	0	0	7.8	280	520	580	0.4	57	2000
W3	Acc.	1.8	0	0	7.9	280	170	340	1.6	28	1300
W4	Acc.	3.1	0	0	7.3	260	740	900	0.4	31	2700
W5	Acc.	0.7	0	0	7.5	180	100	300	1.3	14	900
W6	Acc.	6.9	0	0	7.6	170	2100	1800	2.2	127	4300
W7	Acc.	1.1	0	0	7.8	350	100	70	4.3	12	800
W8	Acc.	1.0	0	0	7.3	280	200	100	1.2	82	700

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Analysis of Sedition Law: A Study

Dr. Sunil Kumar Pandey* Abhishek Jain**

*Principal, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA
**B.A.LLB (Hons) 09th Sem., Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Indiscriminate use of sedition law (IPC Section 124-A) has led to widespread criticism of the law, with many demanding for its outright abolition. While the constitutionality of the law has been subjected to various touchstones by the Supreme court in various judgements since the Kedarnath vs Union of India, the one on which many are adamant is the freedom of speech and expression under Article 19 of the Indian Constitution. In this article, we argue the multidimensional perspectives of the law, starting from its history, and why the law per se shouldn't be abolished, though its misuse must be checked.
Keywords- Indiscriminate, sedition, touchstones, speech, expression, perspectives.

Introduction - "Our concern is the misuse of the law and no accountability of the executive. If you go see the history of charging of this question, there is minimal conviction and conviction rate is low." ~CJI

Dissent lies at the very heart of democracy. Gandhiji while defending his case against Sedition charges before Justice Broomfield famously stated that no government can claim 'right to affection'[2]. Healthy dissention only strengthens democracy and ensures the responsibility of the government. At the same time, abstractions like government, citizenship, rights, etc only become lifelike due to the existence of the State. State's existence then becomes paramount, therefore anti-state elements must be checked. Gandhi viewed the state as a necessary evil, Sedition must also be understood in a similar backdrop. While the sedition law was introduced by British rulers to check disaffection and disapprobation against the British government, in independent India, the law has been interpreted by the Indian judiciary from time to time and has effectively been indigenised to suit Indian needs. Its indiscriminate use remains a major challenge.

Section-124a Indian Penal Code[3] : Sedition. -Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, the Government established by law in India, shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine.

Explanation 1.- The expression "disaffection" includes disloyalty and all feelings of enmity.

Explanation 2.- Comments expressing disapprobation of the measures of the Government with a view to obtain their alteration by lawful means, without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section.

Explanation 3.- Comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the Government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section.

History: It makes immense sense to delve into the history of the Sedition law in order to trace its roots.

Section 124A was not included in IPC when came into force in 1860, as an offence under section 124A IPC through special Act XVII of 1870[4]. Section 124-A was not inserted in the original Indian penal code drafted by Sir Macaulay in 1860. It was Sir James FitzJames Stephen who subsequently got it inserted in 1870 in response to the Wahabi movement that had asked Muslims to initiate jihad against the colonial regime. While introducing the Bill, he was of the view that Wahabis are waging war against British rule for that they're asking and preaching to Muslims that it is their sacred religious duty to wage war. Stephen himself was interested in having provisions similar to the UK Treason Felony Act 1848 because of his strong agreement with the Lockean contractual notion of allegiance to the king and deference to the state[5].

The first case in which an Indian was tried for sedition was against Jogendra Chunder Bose (the editor of Bangobasi Newspaper)[6] and his associates in 1891. This was a time when the vernacular press was becoming more and more assertive and the Vernacular Press Act[7], passed by Lytton in 1878, aimed at curbing anti-British ideas was being met with great opposition by the Indic writers. On the other hand, the 'Social Reforms' being effected by the British

were being perceived as antithetical to the norms of the Dharmic Civilization.The Age of Consent Act was enacted by the British government on March 19,1891. The following Act amended section 375 and the age of consent for sexual intercourse was raised from ten to twelve years, this made sexual intercourse an offence amounting to rape, if done with any girl below the age of twelve, whether with or without her consent. On 26 March 1891 the Bengali newspaper BANGOBASI publishedanarticles on the Age of Consent Act, attacking theAct as being opposed to Hindu traditions and morality[8](Queen-Empress vs Jogendra Chunder Bose[9]). The trial was never completed as the jury was deeply divided over many issues and Bose apologized before a retrial.Other famous cases include Bal Gangadhar Tilak (1897, 1906 and 1909), M Gandhi (1922) and Vinayak Damodar Savarkar.

Constituent Assembly Debates: "Shri K.M. Munshi presented his draft Article V which later on became Article 19 of the Indian Constitution. He submitted his draft to the sub-committee on fundamental rights in March 1947, the said Article V was read as under

Article V-(1) There shall be liberty for the exercise of the following rights, subject to public order and morality:

(a) The right of the citizens to freedom of speech and expression."

Mere publication or utterance of seditious, slanderous, libelous, or defamatory matter shall be actionable or punishable in accordance with the law[10].

That, the constituent assembly and founding fathers were well aware of the limitations imposed by the British interpretation of the law. Shri K.M. Munshi in Draft Article 13 of the constitution, replaced the term 'Sedition' which later on becomes Article 19 an Volume 2 | Issue 2 November 2021 Issn: 2582-7340 to fundamental rights, sedition there replaced with words "which undermines the security of, or tends to overthrow, the State". Shri Munshi stated that the only reason for the replacement of the term 'Sedition' was to ensure against misuse and not to give a free pass to acts against the State (which was distinguished from the government).Shri K.M. Munshi stated "now that we have a democratic Government a line must be drawn between criticism of Government which should be welcome and incitement which would undermine the security or order on which civilized life is based, or which is calculated to overthrow the State"[11].

Abhinav Chandrachud, in his book concludes, "In the end, Article 19(1)(a) of the Constitution, gave all the citizens of India the right to free speech and Article 19(2) enabled the state to make laws relating to 'libel, slander, defamation, contempt of court,' 'any matter which offends against decency or morality, and laws restricting any speech which either undermined the security of the state, or had the tendency to overthrow the state. In other words, the right to the freedom of speech and expression was subjected to four broad exceptions: defamation, contempt of court, obscenity and speech which threatened the existence of the state ...Munshi won both battles he fought for free speech; sedition was removed from the enumerated exceptions and cast in a narrower form, and hate speech was removed altogether from the enumerated exceptions"[12] (Chandrachud, 2017).

Post-Independence Developments: Cases

1. Kedar Nath Singh vs State of Bihar[13]- The Supreme Court upheld the constitutionality of the law but at the same time, introduced certain safeguards. The court held that only those matters that had the intent or tendency to incite public disorder or violence would be made penal in this section of the Indian Penal Code.
2. Balwant Singh vs State of Punjab(1995)[14]- The Supreme Court held that casual raising of slogans by one or two individuals cannot amount to disaffection or violence against the state. In other words, Sedition was accepted as an overt act.
3. Arup Bhuyan vs State of Assam[15]- The Supreme Court held that only speech that amounts to incitement against imminent lawless action can be criticized.

1. Shreya Singhal vs Union of India[16]- The apex court held a clear distinction between advocacy and incitement, stating that only the latter would be punished. It is in this case that the Supreme court struck down section 66A of the IT act and upheld the right to freedom of expression as fundamental in nature.
2. Vinod Dua vs Union of India[17]- The Supreme Court bench of Judges Vineet Saran and U. U. Lalit stated that every journalist will be entitled to protection under the judgment. "It must however be clarified that every Journalist will be entitled to protection in terms of Kedar Nath Singh, as every prosecution under Sections 124A (sedition) and 505 (publishing or circulating rumours) of the IPC must be in strict conformity with the scope and ambit of said Sections as explained in, and completely in tune with the law laid down in Kedar Nath Singh," the court said[18].

Thus, the so-called 'colonial' law has been revised and its ambits have been defined from time to time by the Supreme Court. In these interpretations, the court has effectively indigenized the law, taking away, for all intents and purposes, the coloniality hangover.

Post-Independence: The Public Discourse

The effective position of governments, across the political spectrum, has been its indiscriminate use (or misuse) to muzzle dissenting points of view. Right from the Jawahar Lal Nehru government, that slapped Sedition charges against the Begu Sarai candidate of the Communist Party- to the entire Kudankulam Village for their protest against the Nuclear Power plant. The government headed by the first Prime Minister Jawaharlal Nehruwhich passed the very controversial First Amendment reimposed this law. While introducing the first amendment to the Constitution in 1951, Nehru had stated that "Now so far as I am concerned that particular Section (124A IPC) is highly objectionable and

obnoxious and it should have no place both for practical and historical reasons, if you like, in any body of laws that we might pass. The sooner we get rid of it the better." However, through the first amendment in 1951,his government not only reimposed the sedition law but also relations with a foreign state' and 'public order'— as grounds for imposing 'reasonable restrictions' on free speech[19].

The most oft-criticized cases of our present times that come to mind are against Arundhati Roy, Arun Jaitley, Kanhaiya Kumar, Stan Swamy, Vinod Dua and Disha Ravi.

But thankfully, the Supreme court has acted as a torchbearer to prevent the fundamental rights of the citizens. The law, that exists in its current form is the judicial innovation of the Supreme Court of India. The court, as the guardian of our fundamental rights has the duty cast upon it to strike down laws that unduly restricts the freedom of speech and expression and ensure citizens enjoys their fundamental rights, which is the topic of concern here in this case.However, the freedom must be protected again becoming a license for vilification and condemnation of the Government set up by law, in words that affect viciousness or tend to make public issue.Every citizen enjoys the right to express their thoughts about the governments in both ways whether he likes it or by way of criticism, so long that comment does not have malafide intentions of inciting violence against government established by the law or public disorder.The Supreme Court must, as the guardian of Citizens' fundamental rights, must chalk out the right balance between the right to freedom of speech and expression (Article 19(1)(a)) and the power of the government to impose 'reasonable restrictions' on the same pretext of guaranteeing the security of State. The tasks, therefore is to chalk out the legality of the sections 124A and 505 of the Indian Penal Code, so that they do not impinge individual freedom and autonomy[20].

That the law is being misused by successive governments, is generally agreed upon, in the entire political milieu. Still, there exist substantial arguments both for and against retaining the law.

On one hand, quite a few people have vehemently opposed the law, chiefly on the ground that it violates 'free speech' and can be effectively used by the government to curb voices of dissent. The second argument advanced by some scholars is that the law is itself a colonial import and since the United Kingdom, which notoriously introduced the law in India, abolished it in 2009, so should India. Right from Tilak, who refused to budge from his position when slapped with sedition, to Mahatma Gandhi, who famously stated before Judge Broomfield, "affection cannot be manufactured or regulated by law[21]. If one has no affection for a person or system, one should be free to give the fullest expression to his disaffection so long as it does not contemplate, promote or incite to violence"[22]. As Upendra Baxi states, "Is the situation then of (in Frantz Fanon's terms) 'black skins, white masks' or of colonial origins, and postcolonial misuse? What Gandhiji said — the law may not be used to 'manufacture affection' under pain of a penal sanction — was as true then as it remains now"[23]. Ashutosh Varshney states, "Democracies do not charge peaceful protestors with sedition," taking a cue from the book 'How Democracies Die' which is centered upon the idea: "Since the end of the Cold War, most democratic breakdowns have been caused not by generals and soldiers but by elected governments themselves"[24].

While on the other hand, another section of scholars believe that the law is required in a country like India, lest the government shall have to deal with an iron fist. Soli Sorabjee, former Attorney General of India, says, "I don't think we can really repeal the sedition law. We require it in certain cases.Thus, we do require the law to meet certain situations, but the mere misuse of the law is no grounds to repeal it. The remedy is to check the misuse of the law."[25] Subhash C Raina states, "Well any group of people or any person who tries to create disaffection towards the government, causing incitement to violence is seditious. However, calling for removing the law from the statute book needs to be debated further. Even the Indian Penal Code (IPC) is a legacy of the British. It does not mean that we should erase the complete IPC. We have amended the IPC at times in different areas, for example, we have amended the rape laws, we amended Section 377 of the IPC. Thus, there doesn't seem to be an immediate need to amend Section 124-A of the Indian Penal Code. This is because we have a strong and independent judiciary. Thus, there is a procedure of trial and the trial is under a due process of law. This due process of law is not violated. The report of the Law Commission as well in August 2018, also said that there need to be certain restrictions placed on the sedition law and those restrictions may perhaps make sure that the law is not violated." Others also point out the low conviction rate. As per the data by National Crime Records Bureau, the cases of sedition rose from 47 in

Conclusion: As J Sai Deepak states in his book, "if one wants to have a discussion on free speech, it has to be comprehensive and across the board. Thus, Section 153-A of the Indian Penal Code, 295-A (blasphemy)of the Indian Penal Code, and also by way of expression, by way of books, what amounts to obscenity (obscene publications), all these questions need to be answered Thus, if we are for free speech absolutism, there has to be some sort of uniformity across the country. We cannot use free speech as a convenient tool to evade certain discussions"[26] (Deepak, 2021). Thus, there should be an honest discussion over the misuse of the law by the executive, which in the words of CJI NV Ramanna, "The use of sedition is like giving a saw to the carpenter to cut a piece of wood and he uses it to cut the entire forest itself."

Way Forward:-

1. The burden of proof may be shifted to Plaintiff in order to ensure its usage in specific circumstances only.

2. Provisions may be made stringent if accusations are found to be incorrect.

References:-

1. The Constitution of India
2. Case Laws
3. Indian Penal Code
4. Law & Development Book by Subash C. Raina
5. Republic of Rhetoric: Free Speech & the Constitution of India Book by Abhinav Chandrachud
6. Articles Published by Observer Research Foundation
7. Wikipedia
8. Blog.ipleaders.in
9. India That is Bharat Book by J Sai Deepak

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Environmental Law and Human Rights Protection in Contemporary Situation

Hema Iyer* Dilip G. Kapdeo**

***Lecturer, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA**
**** LLB, 5th Sem., Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - The glaciers and ice are melting and the sea levels are rising. The weather patterns are changing worldwide and this is due to climatic change which is affecting the life of earth dwellers. When the earth suffers, human life also suffers. Climate change increasingly interferes with the fundamental internationally recognised Human Rights such as Right to life, Right to Health, Right to Culture, Right to Food, Right to Self Determination, Right to Property and Right to Development. The sufferer is everyone on this planet without anyone to be spared. The importance of environment protection for fulfilling human rights cannot be ignored at global level.
Keywords - Writ Petitions and Environmental Laws, Indian Constitution.

Introduction - Almost two dozen research papers were read based on the above keywords. Abstracts were also read to understand if the paper has a relevance to the topic in question and a few selected based on that. Book on Indian Constitution by M P Jain was referred for constitutional provisions. A few books were read on Environmental Issues which have been mentioned in this paper elsewhere as credit.

Indian Persperctive: In Vedic India, civilization lived in harmony with nature. They even worshipped the nature in the form of rivers, mountains, trees and animals like cow as sacred entities and it became part of their day to day social, cultural, religious lifestyle and the practice still continues. To respect and protect even small animals the practice of associating every god with an animal and tree was done. Religious deterrents have always helped which the normal teaching cannot achieve. Thus, the protection of nature is engrained in the mind of every average Indian. Later emperors like Ashok the Great of early India, provided for environmental protection by way of providing tree lined streets, clean lakes and rivers and development of forest.

After the Mughal invasion there was a lot of degradation as they were primarily plunderers which led to a lot of battles leaving no spare moment for our rulers to concentrate on protection of environment. Felling of trees, hunting of animals, degradation of flora and fauna in the country took place and the forest cover shrunk considerably in size. Whereas, thereafter under the British rule many laws were enacted for protection of the environment between1800 to 1947.

The Indian Penal Code deals with sections that deals with the prevention of air, water and noise pollution. It was the time of industrial development in England and such simultaneous problems were faced there. Factories were being set-up in India also and such laws were passed here to check degradation of the environment.

Code of Criminal Procedure has Section 133 which deals with public nuisance. Many more such acts were brought which the British felt imperative as a support to their commercial activities like *The Shore Nuisances (Bombay and Colaba Act 1853)* imposed restrictions on sea shore line and keeping it clean. *Merchant Shipping Act 1858* for prevention of oil spills in sea waters. *The Fisheries Act 1897. The Bengal Smoke Nuisance Act 1905. The Bombay Smoke Nuisance Act 1912. The Animals Protection Act 1912. The Indian Forest Act 1927.*

Human rights are interwoven and inter-dependent with healthy environment. It is a well-established fact that human rights laws can make positive contribution for environmental protection and there should be a deeper understanding between the two. The relationship between the two is simple. In 2011 the United Nations Human Rights Commission initiated action in this regard. The Stockholm Meet in 1972 on environment is credited as the initiation point in the modern world. The Rio Summit which emphasised on sustainability can be the initiation of environment and human rights in a single compartment. There is still a long way to go with the existing Human Rights in relation to trans-boundary pollution and global rights. For the concern towards human sustainability it is important to correlate both. Human have a solemn responsibility to protect and improve the environment not only for the present but for the future generations. Every right we enjoy today imposes upon corresponding duties. Human Rights focus

helps us to achieve better standards of environmental quality through the active intervention of the States in controlling the pollution with the focus on the general health and private life.

The Human Rights can be categorised as the existing human rights of equality, freedom, right to livelihood and the additional responsibility of a safe and clean environment. Similarly, there are civil and political rights besides economic, social, and cultural rights. These rights taken together are responsible for the overall development for the human beings. These rights can also be categorised as the first generation and the second-generation rights. Though considerable time has passed with the fight on environmental issues at local, national and global levels. Much is yet to be achieved towards sustainable development .It has been observed that theoretically the Human Rights should protect the environment but in practice it is not so .There is a need to define most basic rights to be known as substantive rights though they are hard to define but clean water ,air and food security can be termed as substantive rights which is the fundamental right of every human irrespective of geographical boundaries.

On the global front the correlation between human rights and environment was recognised by UN General assembly in 1960s. In 1972, the environment and the right to life was recognised by the United Nations Conference on Human Environment which stated that man is both the creation and maker of what is desired. It is necessary to take responsibility for intellectual, moral, social, and spiritual growth of humanity. Though human has a natural right yet the Stockholm declaration felt the need to link human rights and environmental protection. Human has fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life and a good environment permits high quality of life with dignity. Thereafter, in 1982 the World Charter of Nature by the UN stressed upon uninterrupted functioning of natural systems without degradation for the continuous sustainability of what the nature has provided.

Many other areas of global concerns like the Ramsar Convention concentrated on wetlands in 1971. World Heritage Convention 1972 identified certain sites which needs special attention for restoration and preservation. The International Convention on Trade of Endangered Species in 1973 sensitised upon the species of fauna becoming extinct due to illegal trade. The Basel Convention was on control of transport of hazardous waste were a few milestones and many more can be credited for the cause. It was the 2002 World Summit on Sustainable Development provided the right of access to environmental information and public participation in decision making. Although the progress in this field has been very slow. Nonetheless, the initiation is commendable.

On the domestic front also legal measures have been implemented and promoted. Article 51a of the Indian Constitution, says, that it should be duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers, and wildlife with a sense of compassion for all living creatures. Article 47 provides the State shall regard the raising of the level of nutrition and standard of living of its people and the improvement of public health is a primary duty of the State. Article 48 deals with organisation of agriculture and animal husbandry. It directs the State to organise agriculture and animal husbandry sectors on eco- friendly and scientific lines .Article 48 of the constitution says the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the Forest and Wildlife of the country.

Right to environment is a fundamental right and without which development of India is not possible; Articles 21 ,14 and 19 were human rights but have now been used in context to environmental protection also.

Article 21 of the Constitution deals the Right to Life and Liberty with dignity and this extends to people who have their means of livelihood dependent on nature.

Various writs under Article 226 and 32 in High Courts and Supreme Court respectively can be a tool for third party interest in the protection of environment and human rights. Environmental protection act was enacted for protecting right to life after the (in)famous Bhopal Gas Tragedy at Union Carbide Factory. There is a dynamic relationship between Environmental Protection and Human Right laws. Article 21 guarantees fundamental right to life.The right to environment free of disease and infection is inherent in it. Right to a healthy environment is important attribute of right to live with human dignity.

After independence in 1947 the constitution was adopted and the stress was on economic development and poverty alleviation. Resource conservation was not the primary aim. A few disasters which saw human lives being sacrificed forced us to adopt the Environment Protection Act in 1986 bringing all other related laws under the umbrella. The Indian constitution, through amendments, is among the very few in world provide specific provisions on environmental protection and added Articles 48a and 51a in the constitution of India. A dedicated Ministry of Environment was established in 1980.

Some landmark cases and judgments: This is the first environmental pollution incident reported in India was in 1905. In this case the plaintiff sued the defendant's adjacent factory for discharging waste liquids from its manufacturing process into a municipal drain that passed through the plaintiff's garden .He claimed that the liquid had an unpleasant smell and was harmful to the health of nearby residence ,especially his own and secondly, it damaged it's health ,comfort and the market value of his garden property .The defendant admitted to foul smelling his liquid waste but denied that was harmful or what damaged the plaintiff's property. He said his factory was licensed by the government and produced legally. The judgement was later appealed to the Calcutta High Court. The High Court rejected the

above argument and came to the conclusion that the defendant is accountable for such harm and had no such right to discharge any kind of liquid into the municipal drain. Due to such actions the damage has actually been cost to the plaintiff. Therefore, he is entitled to substantial damages.

In this case the plaintiff NGO wrote a letter to the SC stating that illegal limestone mining in the Mussoorie Dehradun area is destroying the regions fragile ecosystem. The court treated the letter as a writ petition and heard the parties.

The Court issued a detailed order giving various directions, routing that the reasons for the order would be set out in the subsequent judgements. The Court stressed that industrial development is a necessary condition for the country's economic growth. However, if people try to achieve growth through random and reckless mine operations, resulting in loss of property and life, creating basic infrastructure imbalances and also ecological ones there may ultimately be no real economic growth and no real prosperity. It was important to find an appropriate balance. When giving thesis authorities must consider all the facts and provide advocate safeguards.

MC Mehta filed a writ petition under articles 21 and 32 of the Constitution. He demanded the closure of Shri Ram Food and Fertilizer as it manufacturers hazardous substances and it's located in the density populated area of Kirti Nagar. When the petition was pending there was a leakage of oleum gas from one of its units which killed many people and affecting the health of several others. The incident occurred a few months before the Environmental (Protection) act came into force and became the driving force behind such an effective law.

In the judgement Chief Justice Bhagwati mentioned that all these chemical industries are dangerous but they cannot be removed from the country because they are a means of livelihood. Safety measures are to be adopted by such industries to mitigate such unpleasant incidents to occur in future. These industries are important for the country's economic growth so they cannot be closed but precautionary measures and checks to be practiced.

In the case of MC Mehta versus Union of India a writ petition had been filed in the Supreme Court to prevent leather terrorist from dumping household and industrial waste in the river Ganga. He asked the Court to stop sewage discharge into the river unless certain treatment plant has been installed to curb water pollution.

The Court held that polluted water can cause various water borne diseases and is extremely harmful to the public. It further ruled that, it was the industries' responsibility to ensure the waste was properly handled and subsequently released. Mahapalika was also held accountable for failing to perform its duties and for failing to act to prevent water pollution according to the Court. It ordered Mahapalika to take immediate action in this regard. The Court also ordered the federal government to make publications for the general public awareness on environmental issues. It went on to say that the decision will apply to all the Mahapalika who have jurisdiction over the Ganga. The decision is still considered as the most important in our country's environmental law. The decision evolved new areas and interpretations of legislation with respect to fundamental rights.

In the case of Subhash Kumar versus state of Bihar petitioners had filed a public interest lawsuit against two Steel manufacturing legends for dumping waste into a nearby Bokaro river posing a health risk to the public. The petitioner made the State Environmental Protection Agency also party as they did not take appropriate measures to prevent such pollution. State Pollution and Control Board claimed that it actually monitored the quality of sewage entering the river; the defendant companies claimed that they followed the Board's instructions concerning the prevention of pollution.

The Court found that the board had taken effective steps to prevent the water discharge from the factories into the river and dismissed the lawsuit.

In the case of MC Mehta versus Kamal Nath & Ors the issue started when the Indian express published an article reporting that a private company- Span Motels Private Ltd. Had launched a project called Span Club. The article caught the attention of the Supreme Court. The company owner had direct contact with the family of former Minister of Environment and Forest Kamal Nath. By the time Kamal Nath was a minister in 1994, Span Motels had occupied 27.12 acres of land, including forest land. The motel used bulldozer to change the course of the river Beas and divert the river's flow. The river was diverted to protect the motel from future flooding. The question raised was whether the construction activities carried out by the Motel Company were reasonable. However, the Supreme Court ruled that the States Forest lands leased to the Motel were on the banks the river Beas. The areas are ecologically fragile and should not be turned into private property. This case applies the principle of public trust which stipulates that the public cannot use, rivers, costs, forests, air, and other properties. The Motel was ordered to pay damages and erect a wall no more than 4 m apart. The court also banned the Motel from discharging untreated influent into the river and asked the HP Pollution Commission to keep a check on it.

Taj Mahal case commonly known as the Taj trapezium case was fought by MC Mehta and the Union of India. In 1984, Mehta visited the Taj Mahal and noticed that the white marble of Taj Mahal was turning yellow. To find out he filed a petition in the Supreme Court. The petitioner said that pollution is the main cause of Taj Mahal white marble turning yellow emissions of harmful gases such as sulphur dioxide and oxygen become acid rain. The acid rain damaged the monument and turned the marble yellow. Therefore, the petitioner requested the protection of the monument. The

Supreme Court found that in addition to chemicals, socio economic factors also affected the mining of the Taj Mahal. People living in the concerned zones are at the risk of air pollution. Court ordered that 292 industries operate on safer fuels like propane instead of coal/coke; otherwise, they would have to relocate.

In the case of Samir Mehta versus Union of India, the environmentalist filed claimed for damages from the sinking of a ship named MV Rak carrying large quantities of coal, fuel, oil, and diesel. When the ship sank on Mumbai Southern coast, a layer of oil formed on the sea surface causing major damage to the Mangroves and Marine ecosystem.

Conclusions: In the Indian context the name of Shri Sunder lal Bahuguna can be taken with respect for his Chipko Aandolan in the then Uttar Pradesh against deforestation. Similarly the Bishnoi community in Rajasthan is very famous for wildlife protection. Similarly Shri Kailash Satyarthi of Madhya Pradesh has done laudable work for human rights, in particular with children, for which he was awarded the Noble Prize. The proactive efforts of advocate M.C. Mehta cannot be ruled out as the main contributor in sensitising the courts and the public when it comes to environment and human rights.

Mankind and nature are inseparable. With the advent of science and technology in the last few decades, the human life is becoming easier. The political, economic, social, cultural and religious development is closely linked with the science and technology. Unfortunately, it has a degrading effect on the Mother earth in the form of over exploitation of resources given by the nature and also posing threat of pollution which not only affects our planet earth but also it's dwellers including all living and non living creatures. A stage has come when a balance has to be maintained between the so called sustainable development so that not only the present generation, but the future generations should lead a healthy and rich life in consonance with the nature. Although, the progress in this direction is very slow, but the awareness at present has become notable which will help mankind towards achieving this goal despite so many differences.

References:-

1. Indian constitution by M P Jain
2. Environmental Law by Dr P S Jaiswal
3. International Law and the Environment by Patricia Bernie and Alan Boyle, Second Edition.
4. J.C Galastaun and Dunia Lal Seal, 82 Ind Cas 348, 1905
5. Rural Litigation and Entitlement Kendra, Dehradun v. State of UP &Ors, 1985 AIR 652, 1985 SCR (3) 169
6. M.C Mehta vs Union of India (Shriram Foods & Fertilizer Industries), 1987 AIR 1086, 1987 SCR (1) 819
7. MC Mehta versus Union of India , 1988 AIR 1115, 1988 SCR (2) 530
8. Subhash Kumar versus State of Bihar, 1991 AIR 420, 1991 SCR (1) 5
9. MC Mehta versus Kamal Nath &Ors, (1997) 1 SCC 388
10. M.C Mehta vs Union of India, JT 1998 (7) SC 275, (1998) 9 SCC 93
11. Samir Mehta versus Union of India, National Green Tribunal, MANU/GT/0104/2016

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Female Consciousness in Anita Desai's Fiction

Dr. Humera Qureishi*

*Assistant Professor (English) Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - The last decade of the 20 century witnessed a remarkable and creative surge in Indian English Writing in general and in fiction in particular. Among all, the female writers have written about their own problems and sexual politics that defines gender relationship. Almost all of them solidly rooted in the Indian ethos, different from the Western behavioural patterns. Their feminine sensibility is determined by the Indian cultural determinants and their literary manifestations are intimately related to feminine experiences. The present paper focuses not only the lives of women as they have been experiencing or as they imagine living, but also how women can live afresh with independent identity.
Keywords- Gender, Relationship, Feminine, Sensibility, Indian Culture.

Introduction - In the end of the twentieth century witnessed a remarkable and creative surge in Indian English Writing in general and in fiction in particular. After the writings of the triumvirate comprising of Raja Rao, R.K. Nayrayan and Mulk Raj Anand, the second generation that contributed to the works of their preceedings counterparts, included the writers like Anita Desai, Khushwant Singh , Kamla Markandaya, Ruth Prawar Jhabavala, Shobha De, Nayantara Shagal and Shashi Deshpande. But there is another batch of 21 centry writers who started turning the wheel of fiction writing to the full swing. With the publication of Salman Rushdie's Midnight's Children in 1980s, the Indian English fiction made its presence felt in the world literature in English. Rushdie's success opened up new vistas for the new Indian English fction wiriters, like Anita Desai, Amitav Ghosh, Shashi Tharoor, UpmanyuChatterjee, Rohinton Mistry, Firdaus Kanga, Farrukh Dhondy, Vikram Seth, Anurag Mathur, Amot Chaoudhary, Shashi Deshpande, Manju Kapoor, Geeta Hariharan, Bapsi Sidhwa, Namita Gokhale, Rama Mehtam, Kavery Nabmisan, Nalinaksha Bhattacharya, Neena Alexander Arundhati Roy, Kiran Desai and Jhumpa Lahiri.

In the Indian women's writings, Anita Desai holds a unique place as she candidly explores the emotional world of women, the problems of adjustments, depression, disillusionment, hopelessness, and existential anxieties in her writings. In the critical perspectives, she is rightly considered to be a combination of an Indian Jane Austen and Virginia Woolf. Her artistic short stories, trend-setting novels and carefully constructed other literary articles have earned her a literary fame of a serious and skilful author of the world in our modern age. In Indian writing she has established herself for her remarkable contribution to the development of art and ethos or novel-writing techniques. Her novels create the cloned effects on our mind and heart for the varying Indian social values and present the microcosmic study of man-woman relationship in the changed atmosphere of the modern times. Besides other things, her novels deals with mostly, the urban city life in contact with nature and the socio-psycho attitudes of human mind caught in the crucible of tradition and change.

Anita Desai was born in 1937, in Missouri, a hill station of India and educated in Delhi's queen Mary's Higher Secondary School and Miranda House and graduated in 1957 from Delhi University. Her father was D.N. Mazumdar, a Bengali businessman, and mother Toni Nime, a german. Anita Desai published her first story at the age of nine. With her novel 'Cry, The Peacock' (1971) she stepped into the field of novel writing and achieved a literary height. Her published works include novels, children's books and short stories. 'Clear Lights of Day' (1980), 'In Custody' (1984) and 'Fasting, Feasting' (1999) were all short-listed for the coveted Booker prize and 'The Village by the Sea' won the guardian Award for children's fiction in 1982 and the 1978 National Academy of Letters Award for Fire on the Mountain (1977). Anita Desai is a fellow of the Royal society of Arts and Letters in New York and of Girton College at the University of Cambridge. She teaches in the writing program at MIT and divides her time between India, Boston, Massachusetts and Cambridge, England. In Custody was filmed in 1993 by Merchant Ivory Productions directed by Ismail Merchant, starring Shashi Kapoor, Shabana Azmi and Om Puri.

Anita Desai is one of the most brilliant and subtle writers

to have ever described the meeting of Eastern and Western culture. She achieves the cohesive design of content and form in her psychological novels and bridges a thought-provoking harmony over different stress of feeling and sensibility found in the different settings of human society. In her novels, we find a fine match between 'What is life?' and 'how it has to be lived?' with natural make-up. Among her novels, she commands a rich galaxy of characters both male and female, though articulates especially the feminine psyche from childhood to youth. She does not generate mute-characters, nor are their problems concerned with food, clothes and shelter. Instead, most of her protagonists are alienated from the world, from the society, from families and even from their own selves because they are not common people but the individuals made to stand against the general current of life and who fight that current and struggle against it to get the aspired world.

Anita Desai adnores the mantle of exploring the problems of the modern Indain society in its varying aspects. Like Kamala Markandaya, Anita Desai concentrates not only on the superficial springs. 'Where Shall we Go This Summer?' (1975) is her fourth novel fearful fatigue of life with the unborn child. The novel analyses the story of a middle-aged woman, Sita, who is fed-up with the mundane routine of a meaningless existence. She feels suffocated in her well ordered, posh flat in Bomaby and struggles hard to break away from it all. She wants to go back to the islands of Manori were she has spent her many golden days of childhood with her family to seek peace pleasure and a great pause in her life. The novel is shorter is size but deeper in meaning. The structured pattern of the novel is strikingly similar to that of Virginia Woolf's 'To the Lighthouse'.

Anita Desai's novels epitomizes the emerging women's search for self-hood in the Indian context. One of the recurrent themes of Desai's novels is an individual's nostalgia for a conscious independent identity in a conservative Indian society. Her characters are usually women who are haunted by a peculiar sense of doom, withdraw themselves into a sequestered world of their own, become Neurotic, self destructive and unhappy. These women characters are too introverted to be able to cope with their personal circumstances and adjust themselves to life and meet its problem both courageously and adequately. This results into conflict between the individual and the society. Monisha in 'Voices in the City' wants to break free from the gilded cage, Sita in 'Where shall we Go This Summer?' is in search of herself, and she experiences a painful emptiness within herself and her family. Maya's cry and yearnings for independence is heard in 'Cry, the Peacock' a peacock whose plumes are nipped. Maya's unhappiness in 'Cry, the Peacock' is the craving of a tortured mind for compassion and understanding. But Gautam, her husband offers her logic and wisdom and is impervious to her suffering.

In 'Voices in the City' the protagonist Monisha, has a servile existence within the confines of a traditional Hindu family. She learns to block her feelings. Her husband, Jiban is even more insensitive and de-humanized than Gautam and no amount of pain can movehim. Monisha, with her stigma of childlessness and her world confined to the barred room within the prison of the joint family, has no means of escape. She knows no happiness, with her dull and colourless husband. Her sister Amita wonders:

How and why it was that Monisha had been married to this Boring nonentity, this blind moralist, this complacent quitter of Edmund Burke and Wordsworth, Mahatma Gandhi and Tagore, this rotund, minute-minded and limited official. (p. 198)

In the end the choice left open to her is either that of an unbearable existence or of death. She chooses the latter, she wanted privacy, solitude, a deeper meaning in life but her life was a repetition of monotonous activity, akin to that led by generations of women. Like the detachment of Monisha in 'Voices in the City' and that of Maya in 'Cry, the Peacock', Sita in Where Shall We Go this Summer? Runs away to Manori and thus, rejects the life she is forced to live. All these women voice the need for real love. They seek a high degree of emancipation in a society which chains its women with creeds and conventions and this leads to intense psychological pressures, mental disorders and even death. Though these women fail in their quest, they are most realistic, human and natural than the 'Sati-savitris' and the 'Pati Vratas' of earlier novels.

Most of Desai's novels focus on marital disharmony and such alienated souls like Monisha, Sita and Maya who are misfits in their existential realities. In 'Fasting, Feasting', Anita Desai expands her vision and focuses on two different types of women, both victims of their destiny yet one drowns and the other sails trough the violent currents of life and tries to find nexus with the family and society. Both Anamika and Uma strive to establish their nexus but Anamila fails while Uma survives, although such a survival is debatable. Both Uma and Anamik exist in a conservative, fanatic and transitional society from which there is no escape, yet each one finds her escape in her own way. Anamika is one more example of the burning bride , but Uma is a shade different from the typical, traditional, timid girl dictated by her father and husband. Yet amidst subjugation she holds her won and establishes her nexus with the family and society. As evident from the mother's order for her when she commands: "you know you failed your exams again. You're not being moved up. What is the use of going back to school? Stay at home and look after your baby brother." (P.22)

The title is higly symbolic, besides its feastings on foods as both Uma and Anamika's family indulge into, it also relates to emotional, mental and sexual fasting feasting. The novel probes deeper into the thought processes and relations of every member of the family. There is a specific

stress on culture both of the East and the West. Presently similar dilemma of the individual in diverse cultures, Desai had found a human link between Indian and American cultures.

In 'Fasting, Feasting' Anita Desai widens the margin of feminine roles. Despite social inhibitions and male dominance every female character such as Uma, Aruna, Mama, Mrs. Palton and Melanie, has a distinct shift in their approach to life. According to Jasbir Jain:

Post feminism shifts the issues from identity to

relationships, from a concern with oppression to the one with the concept of freedom. It clearly drives home the point that to be a feminist is not to be non-human. Post-feminism redefines feminine roles in order to stress, the point that 'self' does not exist in isolation. (Jain,1999:195-6)

Compared with Kamala Markandaya, Anita Desai is a very different sort of writer, both in her choice and treatment of themes. Her novels contain figures suffering more from the battles raging within them than from outside influences. The central stage, in her novels, is occupied by the unhappy, unfulfilled, 'mad' women who try to resolve the battles raging within them. Anita Desai portrays a women's inner world, their sensibilities and frustrations. Her characters strive to find a balance between the yearnings of their inner-self for emancipation and dignity and the outer world, which seems insensitive to their problems. Maya in 'Cry, the Peacock', Monisha is 'Voices in the City', Sita in 'Where Shall We Go This Summer' suffer because they find themselves unsuited to play the traditional female role. Faced with a hostile environment, these sensitive female characters reacts and earn the label of insanity.

'Fire on the Mountain' is the story of women and at the centre there is Nanda Kaul, an elegant lonely old woman. She is a widow of the vice-chancellor, retires in her old age to the hill station resort of Kasauli Mountain , in an old house once built and bwelt in by British expatriates, and left behind after 1947. She lives here all by herself, and maintains a stoic posture of proud indifference to the rest of the world. It's a letter from her daughter Asha, who jus thrusts her granddaughter upon the old lady without even seeking her consent. There was a time when Nanda Kaul had done everything for everybody in the large family. But now she wants her own peace. Asha's daughter Tara has a strained conjugal relations but Asha persuades her to have a try to make it up with her husband and go on a foreign trip. Since Raka, Tara's daughter was recovering from serious illness, she was sent to Nanda Kaul, her great grand-mother. Though initially, Nanda was annoyed at the thought of fresh responsibilities and loss of privacy, now hse increasingly realizes her own affinity with the child. She fantasizes the past in order to make it interesting to the child. In the mean time Nanda Kaul is visited by Ila Das, her childhood friend who is serving as a social worker in the area. She tries to stop child marriages in that area but invites wrath of a parent Preet Singh who raped and murdered the old lady to take revenge. The news was a shock for Nanda and she realizes the fantasies she was weaving all these days was false and the truth had gripped her in the form of humiliated and mutilated body of Ila Das. She dies while holding the telephone. Raka comes with the news that there is a fire on the mountain. But her Nani cant not answer her call.

Ila Das represent another aspect of a woma's ordeal in a sexist society. Her father spends all the money on the son's education, which comes to no use when earning becomes a dire necessity. Still she shoulders the responsibility of her mother and sister. The following passage from Simsone de Beauvoir's observations on the plight of the married woman seems to be particularly relevant in studying Nanda Kaul's personality.

A married woman determined, in spite of her conditions to go on living in a clear-sighted and genuine manner may have no other resort then a stopic pride.

Being in every material way dependent, she can know only an inner, abstract freedom; she refuses to accept ready-made principles and values, she uses her judgment, she questions, and thus she escapes conjugal slavery; but for her aloofness, her fidelity to the rule: 'bear and abstain', constitute but a negative attitude. (Beauvoir, 1985:184)

Baungartner's Bombay is the tenth novel of Anita Desai, which is considered to be the darkest novel she has ever written. It is about the protagonist Hugo Baumgartner who escapes to India from the Nazi Germany. His struggle continues in a politically torn india struggling to carry on after the British Rule. Before writing this novel, all her protagonist was chiefly women belonging to various age groups and in constant conflict with the society, and their reactions to the changing situations in modern indie distinguishes her from other women writers. She began portraying the male as her chief protagonist from her ninth novel 'In Custody' and the same followed in 'Baumgartner's Bombay'.

The emergent woman of the seventies is demonstrated best in women characters of Desai's novels. The self-sacrificing and patient Rukmini of Kamala Markandaya's Nectar in a Sieve is displaced by intelligent, rebellious women in search of emotional fulfillment and who are willing to face the challenges of life. Maya the heroine of 'Cry, the Peacock' is unique in resisting patriarchal defined notions of ideal womanhood. Her female consciousness is a new beginning and a rise of the New Woman in Indian fiction. Desai's mother characters are also not traditional, self-effacing women. Sita in Where Shall We Go This Summer for instance, revolutionizes the concept of motherhood by refusing to give birth to her child in a hostile world, Bim's mother in 'Clear Light of Day' is totally selfish and self absorbed, and Monisha's mother in 'Voices in the City' by having an extramarital affair goes against conventions. In 'Clear Light of Day' Bim sacrifices her marriage to shoulder

the responsibilities of her siblings. She is not scared of future and does not seek security in arms of a male partner; Bim has an elder brother Raja, younger sister Tara and younger retarded brother Baba. Tara marries Bakul and leaves India and Raja decides to leave for Hyderabad. Bim carries on with her life on her own terms.

Thus, Anita Desai employs a distinct narrative strategy that not only enforces rhythm pattern t o her story but also marks the regular alternating from past to present in a zigzag movement that inscribes time not as linear or circular but as the swing of the pendulum. Metaphorically it is emblematic of the passage from childhood to adulthood, form colonization to decolonization, from trauma to creativity with a constant search for emotional fulfillment. Anita Desai's women characters represent the creative release of feminine sensibility by venturing into, not ordinary, but their emotional urges by revealing the deeper forces at work in creating the feminine sensibility.

References:-

1. Beauvoir, Simone de. The Second Sex. (Trans. H. M. Parshley) Penguin Books Ltd, Hammanondsworth: 1984,Pp.495.print..
2. Desai, Anita. Baumgartner's Bombay Random House, 2012:240 http://books.google.co.in//books/about/Baumgartner_s_Bonaby.html.27Nov2012web
3. Desai, Anita. Clear Light of Day. Allied Publisher Pvt. Ltd. New Delhi:1980.Print
4. Desai, Anita. Cry, the Peacock. Vision Books, New Delhi: 1963.Print
5. Desai, Anita. Fire on the Mountain, Allied Publishers: new Delhi: 1977.Print
6. Desai, Anita. Voices in the City, Peterowen, London: 1965. Print
7. Desai, Anita. Where Shall we go this Summer?. Orient Paperbacks,New Delhi: 1982 Print
8. Jain, Jasbir. Stairs to the Attic: The Novels of Anita Desai, Print Well Publishers & Dist, Delhi: 1999,Pp195-96. Print.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Provision for the Redressal of Sexual Harassment at Work Place

Gayatri Yadav*

*Assistant Professor, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Sexual Harassment is an issue that plagues many of the workplaces and other aspects of corporate and social lifestyle with the introduction of The Sexual Harassment of Women at Workplace (prevention, prohibition and redressal) Act 2013, it has become essential for organizations of professionals to have an in depth understanding of these laws.

Women's life since past have always been under the dominance of men in the society.

Sexual harassment has been one of those prime factors which has not degraded the position of women in society but also discourages them in taking active participation in any social or economic development.

Sexual harassment of women at workplace is an issue which has created fear in the minds of women who refused to oppose it. Fear of leaving job or being thrown out of job which would result in jeopardizing their career. Due to such incidences career such as acting, modelling is not supported by their families because they know without compromise there is no success.

The number of complaints registered with the national commission for women concerning sexual harassment of women at workplace has been showing an increase trend lately but during the last few years and current year shows and increased trend. Out of every five women, one gets sexually harassed at the workplace.

For the prevention of this severe problem which was violating the fundamental rights of women to equality under article 14 and 15 of the constitution of India as its her right to live a dignified life under article 21 of the constitution of India, which was passed by the parliament and came into force from 9th December 2013, which gives women's right to deal with the offender/harasser herself of file a criminal complaint against the individual. The challenge is to make women aware about the law and its applicability.

Keywords - Sexual Harassment, Work Place, Fundamental, Women, Equality.

Introduction - Workplace harassment is a form of discrimination that violates Title 7 of the Civil Rights Act of 1946 and other federal regulations. People say women's safety is in their own hand. Many of you agree with it, but why? What if we teach everyone that women safety is not on women's hands and is every individual's duty to make them safe and secure? Nowadays topic naming woman harassment at workplace is getting popular. The question again arises that why they are getting harassed? Aren't they aware of their own rights? Yes they know what they are facing and they also know how to cure it but they hesitate because by raising their voice they think society will not accept them as well as their parents will restrict them from going home to office. Some of the women think that by raising their voice against harassment they will not get promotion and their family is depend upon her. In India girls don't raise their voice just because of society pressure. There are many kinds of harassment. Basically harassment is based upon sex, cast, race etc. Harassment can occur physically as well as mentally. In office when boss of the women demands for physical relation with her so he will give her promotion on the other hand when she deny to make any physical relation he will demote her and also fear of losing job. When somebody gives you fear or any uncomfortable situation in which you try to quit it comes under mentally harassment, on the other side when someone physically torture you to do something which you don't want to do and at last you do it comes under physically harassment .

In our country these cases are increasing day by day, women are getting victim of this every time. When these cases is shown on news channel or articles published on news paper many family restricts there girls to go out and also they don't give permission to their girl child for doing jobs as we see many times when a girl go to any place for tuitions or to do internship the main question of their family to her is that how many girls are there with her in that place if her family found that there is no girl with her they

don't allow her to do it because of the fear of sexually harassment . Sexual harassment at the workplace offence can be made by a manger, coworker or even a non-employee like a client, contractor or vendor, if the conduct creates an inappropriate environment at workplace or interrupts an employee's success, it is considered unlawful sexual harassment. Sexual harassment even includes any unwelcome verbal or physical behavior that creates inappropriate environment at workplace.

Different ways in which sexual harassment at workplace occurs: If any member of the workplace shares sexually inappropriate images or videos such as pornography with co workers:

1. if any of the member of workplace sends seductive letters, notes, or e-mails.
2. if any member of the workplace tells pornography jokes or shares sexual anecdotes.
3. if any member of the workplace makes inappropriate sexual gestures to co worker.
4. if any member of the workplace stare coworker in a sexually suggestive or offensive manner or whistling.
5. if any member of the workplace makes sexual comments about appearance, clothing or boy parts.
6. if any member of the workplace touches coworker inappropriately.
7. if any member of the workplace rubs coworkers any body part in bad sense.
8. if any member of the workplace ask them to get intimate by offering them promotion.
9. if any member of the workplace ask sexual questions for example about their sexual history or their sexual oriented.

Harassment can include sexual harassment or unwelcome sexual request for sexual advances, request for sexual favor and other verbal or physical harassment of a sexual nature. Sexual harassment is unwelcome sexual behavior which could be expected to meet a person feel offended, humiliated or intimated. It can be physical, verbal and written.

In above lines unwelcome behavior doesn't means involuntary unwelcome behavior word is a critical word. In this the consent of the victim is also taken by different circumstances i.e. sexual request, vulgar jokes etc. definition of sexual harassment of women at workplace by the international instruments is ''violence against women and discriminatory treatment which is a broad definition compared to the national laws.'' National laws focus on the illegal conduct more.

In general sense it is known as unwelcome sexual favor and other verbal or physical conduct of a sexual nature that tends to create a hostile or offensive work environment. Sexual harassment is a major problem in school, universities and institutions, and its percentage is increasing day by day. Sexual harassment is one of the biggest problems our women are facing today in different sectors of life. We rarely pass through a week without a reminder of these kinds of incidents which should be termed as ''social problem''.

Sexual harassment at workplace a growing problem: Yes, sexual harassment at workplace is a growing problem and all are trying their best to combat this problem by adopting new policies and measures. The definition of sexual harassment varies from person to person and from jurisdiction to jurisdiction. The definition of sexual harassment in simple words is ''any unwanted or inappropriate sexual attention. It includes touching, looks, comments, or gestures''.

A key part of sexual harassment is that it is one sided and unwanted. There is a great difference between sexual harassment and romance and friendship, since those are mutual feelings of two people. Often sexual harassment makes the victim feel guilty, but it is important for the victim to remember that it is not her fault; the fault lies totally on the person who is the harasser. Sexual harassment affects all women in some form of the other. Lewd remarks, touching, wolf whistles; looks are part of any women's life, so much so that it is dismissed as normal. Working women are no exception. In fact, working women most commonly face the backlash to women taking new roles, which belongs to male domains within patriarchy. Sexual harassment at work is an extension of violence in everyday life and is discriminatory, exploitative, thriving in the atmosphere of threat, terror and reprisal.

Many times fear is involved in sexual harassment because it isn't physical attraction, it's about power. In fact, many sexual harassment incidents takes place when one person is in a position of power over the other; or when a woman has an untraditional job such as police officer factory worker, business executive, or any other traditionally male job.

It has also been observed that there are lots of sexual harassment incidents taking place in the workplace, but the victims fear to report the same to the higher officials or the concerned authorities. They fear to file a complaint against such offenders who does such heinous acts. The fear is due to the fear of boss, fear of guilt in the society that they might have to face, fear of being thrown out of the job or being demoted, fear that it will jeopardize their career as in it will put a blot on their resume and would render them un-hirable. Some women have lack of knowledge- they do now know what exactly qualifies a sexual harassment and fail to report the same.

Countries that are facing sexual harassment at workplace problem: It will not be right to say that some countries are facing this problem and some are not because every country is facing this problem daily. No female worker is safe and the sense of security is lacking in them. There are certain developments in laws of many countries to protect women workers from sexual harassment.

Sexual harassment is major problem in school,

college's universities and institutions, and its percentage is increasing day by day. Surveys on college campus show the number of respondents reporting have been sexually harassed ranging from 40-70 percent. Two percent of campus harassment involves a professor demanding sex in return for good grade. Most cases involve male and female students. Sexual harassment includes many things such actual or attempted rape or sexual assault, unwanted deliberate touching, leaning over, cornering, or pinching, un wanted sexual teasing, jokes, remarks, or questions, whistling at someone, kissing sounds, howling, and smacking lips, touching an employee's clothing, hair, or body, touching or rubbing oneself sexually around another person.

Who is a harasser and who is harassed: It is commonly thought that workplace sexual harassment is limited to interactions between male bosses and female subordinates. This is not true. In fact, sexual harassment can occur between any co-workers, including the following:

1. Subordinate harassment by a superior;
2. Men can also be sexually harassed by women;
3. Same sex harassment – men can harass men; women can harass women;
4. offenders can be supervisors, co-workers, or non-employees such as customers, vendors, and suppliers.

The supreme court of India defined sexual harassment as any unwelcome sexually determined behavior (whether directly or by implication) such as;

1. Physical contact and advances,
2. A demand or request for sexual favors,
3. Sexually colored remarks,
4. Showing pornography,
5. Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

A key part of the definition is the use of the word unwelcome. Such unwelcome or uninvited conduct/act is totally prohibited. Sexual or romantic interaction between consenting people at work may be offensive to observers or may also lead to the violation of the workplaces policy, but it is not sexual harassment.

Challenges faced by the women at their workplace: There are many challenges faced by women at the workplace firstly, she doesn't complain about what is being done with her. Many people in the workplace judge her by her clothes or appearance; if she came from rural area and is very shy her co-workers takes advantages, they sometimes crack lewd jokes by which she started getting uncomfortable people sometime touch their body inappropriate ways. She hesitate to complain about them because by complaining she may loose her job, she will not get promotion, the society will blame the women only and her parents will restrict her from going out of the home. In India because of these reasons women don't file petition. Some of the women file the case but they takes their complaints back or they don't speak anything against the harasser in the court proceedings because her family thinks that by this case people will get to know that she was the prey of harassment at workplace so their reputation will be degraded. Thereafter the confidence of harasser builds up and again someone again becomes the victim of sexual harassment.

An act of sexual harassment includes any one or more of the unwelcome acts or behavior, whether directly or by implication [section 3(2)] explains the following:

1. Any physical contact and advance; or
2. Any demand or request for sexual favors;
3. Making sexual colored remarks; or
4. Showing pornography; or
5. Any unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

The following circumstances, among other circumstances, if it occurs or is present in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment, may also amount to sexual harassment under [section3(2)] of The Sexual Harassment of Women at Workplace (prevention, prohibition and redressal) Act 2013

1. Implied or explicit promises of preferential treatment in her employment; or
2. Implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment; or
3. Implied or explicit threat about her present or future employment status; or
4. Interference with her work or creating and intimidating or offensive or hostile work environment for her; or
5. Humiliating treatment likely to affect her health or safety.

The entire purpose of this research paper stems backs to the landmark judgment by the Supreme Court of India in Vishaka v. State of Rajasthan[1]. It was in fact in this case for the very first time, that sexual harassment at the workplace was acknowledged to be a human rights violation, and elaborate guidelines were put into place. Sexual harassment at workplace was becoming an intolerable and uncontrollable menace[2]. Amidst various other developments, controversies and delays, the Indian legislature finally enacted the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (Act No. 14 of 2013)[3], with an objective to protect women against sexual harassment at workplace and to put in place a redressal mechanism to handle complaints[4].

The Sexual Harassment of Women at Workplace (prevention, prohibition and redressal) Act 2013: The act makes it completely illegal to sexually harass women in the workplace. The act is for any woman who is harassed in any workplace. It is not necessary for the woman to be working at the workplace in which she is harassed. A workplace can be any office, whether government or private. The Act has effectively adopted and revised the guidelines laid down in the Vishaka judgment with added provisions of rigour and compliance.

Vishaka Guidelines: The landmark judgment in August 1997 (Vishaka & others vs. State of Rajasthan & others), the Supreme Court stated that every instance of sexual harassment is a violation of "Fundamental Rights" under Article 14, 15 and 21 of the Constitution of India, and amounts to Right to Freedom under Article 19 (1)(g).

The Supreme Court from this case laid down comprehensive guidelines regarding sexual harassment at workplace.

Facts of the case – A 50- something social worker, Bhanwari Devi was gang raped by group of upper class, influential men, because she has tried to stop the child marriage in her village near Jaipur. Bhanwari Devi was determined to get justice and therefore lodged a case against the offenders. However the accused were acquitted by the trail court, because everyone, including the village authorities, doctors and police dismissed her situation.

This injustice inspired several women's group and NGOs to file a petition in the Supreme Court under the collective platform of Vishaka (Vishaka & others vs. State of Rajasthan & others, 1997). They all demanded justice for Bhanwari Devi and urged action against sexual harassment at workplace.

Sexual harassment defined by Supreme Court is any unwelcome gestures, behavior, words or advances that are sexual in nature. The court, for the first time, drew upon an international human rights law instrument, the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW), to pass a set of guidelines popularly known as the Vishaka Guidelines, which includes:

1. It is the onus of the employer to include a rule in the company code of conduct for preventing sexual harassment.
2. Organizations must establish complaint committees that are headed by women.
3. Initiate disciplinary actions against offenders and safeguard the interest of the victim.
4. Female employees shall be made aware of their rights.

Before 1997, women experiencing sexual harassment at workplace had to lodge a complaint under the Indian Penal Code, ss. 354 and 509. Subsequently the 'Complaints' as envisaged in the Vishaka judgment has de facto authority and legal status.

Pursuant to Vishaka judgment, the Central Civil Services (Conduct) rules 1964 were amended in 1998 to incorporate r. 3C which prohibits sexual harassment of working women.

The Central Civil Services (Conduct) rules 1964 r. 3C states that:

1. No government servant shall indulge in any act of sexual harassment of any women at her workplace.
2. Every government servant who is in charge of a workplace shall take appropriate steps to prevent sexual harassment of any women at the workplace.
   Though not mentioned categorically, this rule applies to all women, whether working in a government set up or coming in contact with the government officials/office.

In Medha Kotwal Lele & Others vs. Union of India, the Supreme Court directed that the complaints committee as envisaged in the Vishaka guidelines will be deemed to be an enquiry authority for the purposes of the Central Civil Services (Conduct) rules, 1964 and the report of the complaint committee will be deemed to be an enquiry report under those rules.

In pursuance of this direction, the Central Government (Department of Personnel and Training) has amended the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, r. 14, sub-r (2) to incorporate the necessary provisions.

Thereafter emerging from the Vishaka judgment, after several drafts THE PROTECTION OF WOMEN AGAINST SEXUAL HARASMENT AT WORK PLACE BILL, 2010 was cleared by the Parliament on November 4. 2010.

The bill provides protection not only to the women employees, but to any women who enters the work place as a client, customer, apprentice, daily-wage worker or in ad hoc capacity.

Students, research scholars in colleges/universities and patients in the hospitals have also been covered.

The Vishaka Guidelines this way continue as mechanism to resolve issues as in no way should working women be discriminated at the workplace against male employees. Working with full dignity is the fundamental right of working women. The right to work is an inalienable right of all working women.

Preventing sexual harassment at workplace: Everyone knows that any form of sexual harassment is illegal in the workplace. Despite various laws and policies issued to prevent such indecent behaviors at work, sexual harassment remains prevailing within the working environment and unfortunately people don't know what sexual harassment really means. What makes it worse is that women often fall victims because of poor understanding of sexual abuse.

With growing number of women joining the labour force, gender diversity at the workplace becomes inevitable. However, being in a male dominated territory, women in the workplace becomes a minority group. A problem such as sexual harassment continues to occur and discourages women to elevate their career. No wonder that sexual abuse issue has emerged as global concern.

Sexual harassment usually involves unwanted physical contact or verbal abuse, such as sexist jokes and comments, sexual threat and intimidation, unwelcome sexual advance, sexual innuendo, or public humiliation. Even subtle conducts related to sexual stuffs, if they make you feel uncomfortable, you can file a sexual harassment claim to the perpetrators. Then the question is how do you save yourself, and maybe other fellow women, from sexual harassment?

Sexual harassment is an unwelcome advance of a sexual nature, sexual favor requests, or other verbal or physical conduct. When such conduct is used while making employment decisions or as a condition of one's employment, it is called **quid pro quo harassment.**
Situations such as:

1. A supervisor implies to an employee that the employee must sleep with him to keep a job.
2. A sales clerk makes demeaning comments about female customers to his coworkers.
3. An office manager in a law firm is made uncomfortable by lawyers who regularly tell sexually explicit jokes.
4. A cashier at a store pinches and fondles a coworker against her will.

These examples and many more like these shows the sexual harassment behaviors at workplace. This is in recognition of the fact that behaviors that do not meet the legal definition of sexual harassment may still be perceived as sexual harassment to victims and has similar negative psychological consequences.

Once sexual harassment has occurred, the most critical thing that an employer can do is to take such incidents and/or complaints about such incidents seriously. The victim's immediate step should be taking steps to investigate the situation and follow the company's/ organization's policies on sexual harassment. Employees, supervisors, managers or customer who find themselves the victim of sexual harassment in the workplace, it is recommended to consult with the organization or company's policy on sexual harassment and follow it.

But the question arises how to save you from being a victim of sexual harassment at workplace?
Here's some of the ways to do so:

Be confident: Harassers often target and attack those who look weaker. In order to prevent any bad misconducts, you have to gain strength and be confident. When you face some unpleasant attitudes from other male employees, don't show your weakness. Even when you feel intimated and maybe frightened, you have to fight back and say no with all your power.

Speak up: Sometimes, severe sexual harassment begins with trivial things such as jokes. While it might seem harmless at first, you should be cautious. Don't let it just pass. When your supervisor says something like, 'Haha', maybe you need to sleep with me if you want to keep your job,' be extra-careful. It should send a red signal that might lead to more serious conducts. If such a thing happens to you, you should speak up and report such incidents to the senior business heads or the HR manager.

Respect yourself first: If you want other people to respect you, first you need to respect yourself. It means that you should maintain a professional image. Wear something decent and professional at work. Don't let your male co-workers peek at your revealed cleavage. While you might not intend to, just try not to create any sexual temptation.

Get back-up supporter: Do not let your guard down. When you work in a place predominantly filled with men, you should keep yourself surrounded with colleagues you trust. This way, you can control your social circle and prevent any unwelcome advances from unfamiliar people.

As more women are seeking careers outside their home, business leaders should take immediate action to curb and control sexual harassment issues. Leaders should find a method to create a safe, healthy, and woman-friendly working environment.

The need of the hour is to protect, safe ourselves from being harassed and take a stand for ourselves and for people near us who are or becoming the victim of sexual harassment at workplace.

Conclusion: Sexual harassment at work place is a multidimensional problem. The issue of sexual harassment at work place extends far beyond individual woman and her happiness to, work force productivity, economic development, social and family relations and much more. The problem needs the multidimensional solution too. In spite of Supreme Court guidelines, voluntary organizations reports, statutory commission's reports and commissions advice, the legislature has not done much to curb the sexual harassment at work place and to protect women against sexual harassment at workplace. "It is impossible to think about the welfare of the society unless the condition of women is improved. It is impossible for a bird to fly on only one wing". Since law is an effective weapon for bringing about justice and the constitution has been devised so as to achieve this objective, Parliament can enact a comprehensive law to prevent sexual harassment of women at work place incorporating the Supreme Court guidelines. Law alone is not enough to root out this social evil. A holistic approach and social movement are also necessary to solve this problem. Society has to change its attitude so women can come out and participate in public life without feeling threatened. What needs to be inculcated is a sense of mutual respect between men and women.

The promotion of safe workplace and protection of women from sexual harassment at the workplace is need of the hour and requires full support and cooperation of all sections of the society, legislature, judiciary, lawyers, NGOs, Public Servants, organizations, teachers, police, media persons and others.

And the most important aspect is that women itself has to take a stand for themselves. Any individual who is being harassed has to raise his/ her voice and not care about what would be the circumstances of that, as today it's "YOU" tomorrow it would be "SOMEONE ELSE".

References:-

1. Preventing and Responding to Sexual Harassment at Work: Guide to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, India (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—sro-new_delhi/documents/

publication/wcms_630227.pdf)
2. Sexual Harassment in the Workplace (https://www.ncsl.org/research/labor-and-employment/sexual-harassment-in-the-workplace.aspx)
3. R.V. Kelkar(CRPC)
4. K.D. Gaur(IPC)
5. Dr. J.N. Pandey (Constitutional law of India)

Footnotes:-

1. AIR 1997 SC 3011 (AIR is All India Reporter).
2. MOST WOMEN ARE ABUSED, HARASSED AND ASSAULTED AT WORK, SAYS SURVEY available at https://economictimes.indiatimes.com/news/company/corporate-trends/most-women-are-abused-harassed-and-assaulted-at-work-says-survey/articleshow/27036953.cms?intenttarget=no
3. Hereinafter referred to as “the Act” or “the Sexual Harassment Act”.
4. KNOW YOUR RIGHTS: HOW LAW PROTECTS AGAINST SEXUAL HARASSMENT available at http://www.hindustantimes.com/india-news/know-your-rights-how-law-protects-against-sexualharassment/article1-1154664.aspx

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

A Study of "Rights of an Arrested Person" Under Laws

Abhimanyu Sharma* Shalini Gautam**

***Assistant Professor, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA**
**** LLM, 3rd Sem., Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - The Indian legal system depends on the concept of "innocent till proven guilty." The arrest of a person can violate Article 21 of the Constitution, which states, "no person shall need his right to life and personal liberty except a procedure established by law." The procedure must be fair, transparent, and not casually or repressive. This idea comes from the concept of Natural Justice, where even a guilty person is treated with human treatment.An arrested person, even if convicted of a crime, has certain inalienable rights that cannot be deviated from by law-enforcing authorities such as the police. These include rights to know grounds of arrest, right to bail, right to fair trial, right against self-incrimination etc. These laws and rights must be implemented properly to help reduce custodial deaths in India.
Keywords- Rights of arrested person, Detention, Warrent, Offence, judicial pronouncement,Article 22, Constitution, Police officer. Custodial violence.

Introduction - One of the basic tenets of our legal system is the benefit of the presumption of innocence of the accused till he is found guilty at the end of a trial on legal evidence. In a democratic society even the rights of the accused are sacrosanct, though accused of an offence, he does not become a non-person. Rights of the accused include the rights of the accused at the time of arrest, at the time of search and seizure, during the process of trial and the like. The accused in India are afforded certain rights, the most basic of which are found in the Indian Constitution. The general theory behind these rights is that the government has enormous resources available to it for the prosecution of individuals, and individuals therefore are entitled to some protection from misuse of those powers by the government. An accused has certain rights during the course of any investigation; enquiry or trial of an offence with which he is charged and he should be protected against arbitrary or illegal arrest. Police have a wide powers conferred on them to arrest any person under Cognizable offence without going to magistrate, so Court should be vigilant to see that theses powers are not abused for lightly used for personal benefits. No arrest can be made on mere suspicion or information. Even private person cannot follow and arrest a person on the statement of another person, however impeachable it is.

The police has been given various powers for facilitating the making of arrests, the powers are subject to certain restraints. These restraints are primarily provided for the protection of the interests of the person to be arrested, and also of the society at large. The imposition of the restraints can be considered, to an extent, as the recognition of the rights of the arrested person. There are, however, some other provisions which have rather more expressly and directly created important rights in favour of the arrested person.[1]

Various powers for facilitating the making of arrest have been given, but they are subject to certain restraints. These restraints are primarily provided for the protection of the interests of the person to be arrested, and also of the society at large. These restrictions can be considered to an extent as the recoginition of the rights of the arrested person. The other provisions pertaining to the rights of the arrested persons are:[2]

Rights of the Arrested Person.

1. **Right To Silence:** The 'right to silence' is a principle of common law and it means that normally courts or tribunals of fact should not be invited or encouraged to conclude, by parties or prosecutors, that a suspect or an accused is guilty merely because he has refused to respond to questions put to him by the police or by the Court. The Justice Malimath Committee writes about the origin of the right to silence that "it was essentially the right to refuse to answer and incriminate oneself in the absence of a proper charge. Not initially, the right to refuse to reply to a proper charge." The Justice Malimath Committee's assumption is that the right to silence is only needed in tyrannical societies, where anyone can be arbitrarily charged. It assumes that whenever a charge is "proper", there is no need for protection of the accused. In this backdrop it becomes necessary to examine the right to silence and its companion

right against self-incrimination. These are the two aspects of fair trial and therefore cannot be made a subject matter of legislation. Right to fair trial is the basic premise of all procedural laws. The very prescription of procedure and the evolution of procedural law have to be understood in the historical context of the anxiety to substitute rule of men by rule of law. In law any statement or confession made to a police officer is not admissible. Right to silence is mainly concerned about confession. Breaking of silence by the accused can be before a magistrate but should be voluntary and without any duress or inducement. To ensure the truthfulness and reliability of the facts he stated the magistrate is required to take several precautions. Right to silence and the right against self-incrimination have been watered down quite considerably by interpretation than by legislation. The defendant if he so desires can be a witness in his trial. His confession outside the court either to the police officer or to the magistrate is admissible. He is encouraged to betray his colleagues in crime on promise of pardon. He is expected to explain every adverse circumstance to the court at the conclusion of evidence with the court having jurisdiction to draw adverse inference while appreciating the evidence against him.

The constitution of India guarantees every person right against self incrimination under Article 20 (3) "No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself". It is well established that the Right to Silence has been granted to the accused by virtue of the pronouncement in the case of Nandini Sathpathy vs P.L.Dani, no one can forcibly extract statements from the accused, who has the right to keep silent during the course of interrogation (investigation). By the administration of these tests, forcible intrusion into one's mind is being restored to, thereby nullifying the validity and legitimacy of the Right to Silence. In 2010 The Supreme court made narco-analysis, brain mapping and lie detector test as a violation of Article 20(3).

2. Right To Know The Grounds of Arrest: Firstly, according to Section 50(1) Cr.P.C. "every police officer or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested or other grounds for such arrest."

Secondly, when a subordinate officer is deputed by a senior police officer to arrest a person under Section 55 Cr.P.C., such subordinate officer shall, before making the arrest, notify to the person to be arrested the substance of the written order given by the senior police officer specifying the offence or other cause for which the arrest is to be made. Non- compliance with this provision will render the arrest illegal.

Thirdly, in case of arrest to be made under a warrant, Section 75 Cr.P.C. provides that "the police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested, and if so required, shall show him the warrant." If the substance of the warrant is not notified, the arrest would be unlawful.

Indian constitution has also conferred on this right the status of the fundamental right. Article 22(2) of the constitution provides that "no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be, of the grounds of such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by a legal practitioner of his choice."

The right to be informed of the grounds of arrest is a precious right of the arrested person. Timely information of the grounds of arrest serves him in many ways. It enables him to move the proper court for bail, or in appropriate circumstances for a writ of habeas corpus, or to make expeditious arrangement for his defence.

In re, Madhu Limaye the facts were: Madhu Limaye, Member of the Lok Sabha and several other persons were arrested. Madhu Limaye addressed a petition in the form of a letter to the Supreme Court under Article 32 mentioning that he along with his companions had been arrested but had not been communicated the reasons or the grounds for arrest. One of the contentions raised by Madhu Limaye was that there was a violation of the mandatory provisions of Article 22 (1) of the Constitution. The Supreme Court observed that Article 22 (1) embodies a rule which has always been regarded as vital and fundamental for safeguarding personal liberty in all legal systems where the Rule of Law prevails. The court further observed that the two requirements of Clause (1) of Article 22 are meant to afford the earliest opportunity to the arrested person to remove any mistake, misapprehension or misunderstanding in the minds of the arresting authority and, also to know exactly what the accusation against him is so that he can exercise the second right, namely of consulting a legal practitioner of his choice and to be defended by him.

Whenever that is not done, the petitioner would be entitled to a writ of Habeas Corpus directing his release. Hence, the Court held that Madhu Limaye and others were entitled to be released on this ground alone.

It appears reasonable to accept that grounds of the arrest should be communicated to the arrested person in the language understood by him; otherwise it would not amount to sufficient compliance with the constitutional requirement. The words "as soon as may be" in Article 22(1) would means as early as is reasonable in the circumstance of the case, however, the words "forthwith" in Section 50(1) of the code creates a stricter duty on the part of the police officer making the arrest and would mean "immediately".

If the arrest is made by the magistrate without a warrant under Section 44, the case is covered neither by any of the section 50, 55 and 75 nor by any other provision in the code requiring the magistrate to communicate the grounds of arrest to the arrested person. The lacuna in the code, however, will not create any difficulty in practice as the magistrate would still be bound to state the grounds under Article 22(1) of the Constitution.

The rules emerging from decision such as Joginder Singh v. State of U.P. and D.K. Basu v. State of West Bengal, have been enacted in Section 50-A making it obligatory on the part of the police officer not only to inform the friend or relative of the arrested person about his arrest etc. but also to make entry in a register maintained by the police. The magistrate is also under an obligation to satisfy himself about the compliance of the police in this regard.

3. Information Regarding The Right To Be Released On Bail: Section 50(2) Cr.P.C. provides that "where a police officer arrests without warrant any person other than a person accused of a non- bailable offence, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released in bail that he may arrange for sureties on his." This will certainly be of help to persons who may not know about their rights to be released on bail in case of bailable offences. As a consequence, this provision may in some small measures, improve the relations of the people with the police and reduce discontent against them.

4. Right To Be Taken Before A Magistrate Without Delay: Whether the arrest is made without warrant by a police officer, or whether the arrest is made under a warrant by any person, the person making the arrest must bring the arrested person before a judicial officer without unnecessary delay. It is also provided that the arrested person should not be confined in any place other than a police station before he is taken to the magistrate. These matters have been provided in Cr.P.C. under section 56 and 76 which are as given below:

56. Person arrested to be taken before Magistrate or officer in charge of police station- A police officer making an arrest without warrant shall, without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to bail, take or send the person arrested before a Magistrate having jurisdiction in the case, or before the officer in charge of a police station.

76. Person arrested to be brought before Court without delay- The police officer or other person executing a warrant of arrest shall (subject to the provisions of section 71 as to security) without unnecessary delay bring the person arrested before the Court before which he is required by law to produce such person.

Provided that such delay shall not, in any case, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the Magistrate's Cou

5. Right Of Not Being Detained For More Than 24 Hours Without Judicial Scrutiny: Whether the arrest is without warrant or under a warrant, the arrested person must be brought before the magistrate or court within 24 hours. Section 57 provides as follows:

57. Person arrested not to be detained more than twenty-four hours- No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a Magistrate under section 167, exceed twenty-four hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the Magistrate's Court.

This right has been further strengthened by its incorporation in the Constitution as a fundamental right. Article 22(2) of the Constitution proves that "Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate." In case of arrest under a warrant the proviso to Section 76 provides a similar rule in substance.

The right to be brought before a magistrate within a period of not more than 24 hours of arrest has been created with a view-

i. To prevent arrest and detention for the purpose of extracting confessions, or as a means of compelling people to give information;
ii. To prevent police stations being used as though they were prisons- a purpose for which they are unsuitable;
iii. To afford to an early recourse to a judicial officer independent of the police on all questions of bail or discharge.

In a case of Khatri(II) v. State of Bihar, the Supreme Court has strongly urged upon the state and its police authorities to ensure that this constitutional and legal requirement to produce an arrested person before a Judicial Magistrate within 24 hours of the arrest be scrupulously observed. This healthy provision enables the magistrate to keep check over the police investigation and it is necessary that the magistrates should try to enforce this requirement and where it is found disobeyed, come heavily upon the police.

If police officer fails to produce an arrested person before a magistrate within 24 hours of the arrest, he shall be held guilty of wrongful detention.

In a case of Poovan v. Sub- Inspector of Police it was said that whenever a complaint is received by a magistrate that a person is arrested within his jurisdiction but has not been produced before him within 24 hours or a complaint has made to him that a person is being detained within his jurisdiction beyond 24 hours of his arrest, he can and should call upon the police officer concerned; to state whether the allegations are true and if so; on what and under whose custody; he is being so helped. If officer denies the arrest, the magistrate can make an inquiry into the issue and pass appropriate orders.

6. Rights at Trial

i. Right To A Fair Trial: The Constitution under Article 14 guarantees the right to equality before the law. The Code of Criminal Procedure also provides that for a trial to be fair, it must be an open court trial. This provision is designed to ensure that convictions are not obtained in secret. In

some exceptional cases the trial may be held in camera. Every accused is entitled to be informed by the court before taking the evidence that he is entitled to have his case tried by another court and if the accused subsequently moves such application for transfer of his case to another court the same must be transferred. However, the accused has no right to select or determine by which other court the case is to be tried.

ii. **Right To A Speedy Trial:** The Constitution provides an accused the right to a speedy trial. Although this right is not explicitly stated in the constitution, it has been interpreted by the Hon'ble Supreme Court of India in the judgment of Hussainara Khatoon. This judgment mandates that an investigation in trial should be held "as expeditiously as possible". In all summons trials (cases where the maximum punishment is two years imprisonment) once the accused has been arrested, the investigation for the trial must be completed within six months or stopped on an order of the Magistrate, unless the Magistrate receives and accepts, with his reasons in writing, that there is cause to extend the investigation

7. **Right To Consult A Legal Practitioner:** Article 22(1) of the Constitution provides that no person who is arrested shall be denied the right to consult a legal practitioner of his choice. Further, as has been held by the Supreme Court that state is under a constitutional mandate (implicit in article 21) to provide free legal aid to an indigent accused person, and the constitutional obligation to provide free legal aid does not arise only when the trial commences but also attaches when the accused is for the first time produced before the magistrate, as also when remanded from time to time. It has been held by the Supreme Court that non-compliance with this requirement and failure to inform the accused of this right would vitiate the trial. Section 50(3) also provides that any person against whom proceedings are instituted under the code may of right be defended by a pleader of his choice. The right of an arrested person to consult his lawyerbegins from the moment of his arrest. The consultation with the lawyer may be in the presence of police officer but not within his hearing.

8. **Rights Of Free Legal Aid:** In Khatri(II) v. State of Bihar, the Supreme Court has held that the state is under a constitutional mandate (implicit in Article 21) to provide free legal aid to an indigent accused person, an and the constitutional obligation to provide free legal aid does not arise only when the trial commences but also attaches when the accused is for the first time produced before the magistrate, as also when remanded from time to time. However this constitutional right of an indigent accused to get free legal aid may prove to be illusory unless he is promptly and duly informed about it by the court when he is produced before it. The Supreme Court has therefore cast a duty on all magistrates and courts to inform the indigent accused about his right to get free legal aid. The apex court has gone a step further in Suk Das v. Union Territory of Arunachal Pradesh, wherein it has been categorically laid down that this constitutional right cannot be denied if the accused failed to apply for it. It s clear that unless refused, failure to provide free legal aid to an indigent accused would vitiate the trial entailing setting aside of the conviction and sentence.

9. **Right To Be Examined By A Medical Practitioner**

Section 54 now renumbered as Section 54(1) provides:

54. Examination of arrested person by medical practitioner at the request of the arrested person

When a person who is arrested, whether on a charge or otherwise, alleges, at the time when he is produced before a Magistrate or at any time during the period of his detention in custody that the examination of his body will afford evidence which will disprove the commission by him of any offence or which will establish the commission by any other person of any offence against his body, the Magistrate shall, if requested by the arrested person so to do direct the examination of the body of such person by a registered medical practitioner unless the Magistrate considers that the request is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice.

10. **Right Of The Accused To Produce An Evidence:** The accused even has right to produce witness in his defence in case of police report or private defence. After the Examination and cross examination of all prosecution witness i.e. after the completion of the prosecution case the accused shall be called upon to enter upon his defence and any written statement put in shall be filled with the record. He may even call further for cross examination. The judge shall go on recording the evidence of prosecution witness till the prosecution closes its evidence.

The accused in order to test the veracity of the testimony of a prosecution witness has the right to cross-examine him. Section 138 of Indian Evidence Act, 1872 gives accused has a right to confront only witnesses. This right ensures that the accused has the opportunity for cross-examination of the adverse witness. Section 33 of Indian Evidence Act tells when witness is unavailable at trial, a testimonial statement of the witness maybe dispensed by issuing commission. The testimony at a formal trial is one example of prior testimonial statements which can be used as documentary evidence in a subsequent trial.

When in the course of investigation an accused or any other person desiring to make any statement is brought to a magistrate so that any confession or statement that he may be deposed to make of his free will is record. Confession statements by accused to the police are absolutely excluded under Section 25, Evidence Act.

Judicial Pronouncements

- **Joginder Kumar v. State of U.P:** In order to have transparency in the accused- police relations the Supreme Court held that right of arrested person upon request, to have someone informed about his arrest and right to consult privately with lawyers are inherent in Articles 21 and 22 of

the Constitution. The Supreme Court observed that no arrest can be made because it is lawful for the Police officer to do so. The existence of the power to arrest is one thing. The justification for the exercise of it is quite another. The Police Officer must be able to justify the arrest apart from his power to do so. Arrest and detention in police lock-up of a person can cause incalculable harm to the reputation and self-esteem of a person. No arrest should be made by Police Officer without a reasonable satisfaction reached after some investigation as to the genuineness and bona fides of a complaint and a reasonable belief both as to the person's complicity and even so as to the need to effect arrest.

The Supreme Court issued the following requirements:

1. An arrested person being held in custody is entitled, if he so requests, to have one friend, relative or other person who is known to him or likely to take an interest in his welfare told as far as practicable that he has been arrested and where is being detained.
2. The Police Officer shall inform the arrested person when he is brought to the police station of this right.
3. An entry shall be required to be made in the Diary as to who was informed of the arrest.

These protections from power must be held to flow from Articles 21 and 22 (1) and enforced strictly.

- **D.K. Basu v. State of W.B:** The frequent instances of police atrocities and custodial deaths have promoted the Supreme Court to have a review of its decisions like Joginder Kumar, Nilabati Behera etc. Therefore, the Supreme Court issued in the following requirements to be followed in all cases of arrest or detention till legal provisions are made in that behalf as preventive measures.

1. The police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrestee should bear accurate, visible and clear identification and name tags with their designations. The particulars of all such police personnel who handle interrogation of the arrestee must be recorded in a register.
2. That the police officer carrying out the arrest of the arrestee shall prepare a memo of arrest at the time of arrest and such memo shall be attested by at least one witness, who may be either a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrest is made. It shall also be countersigned by the arrestee and shall contain the time and date of arrest.
3. A person who has been arrested or detained and is being held in custody in a police station or interrogation centre or other lock-up shall be entitled to have one friend or relative or other person known to him or having interest in his welfare being informed, as soon as practicable, that he has been arrested and is being detained at the particular place, unless the attesting witness of the memo of arrest is himself such a friend or a relative of the arrestee.
4. The time, place of arrest and venue of custody of an arrestee must be notified by the police where the next friend or relative of the arrestee lives outside the district or town through the Legal Aid Organization in the District and the police station of the area concerned telegraphically within a period of 8 to 12 hours after the arrest.
5. The person arrested must be made aware of this right to have someone informed of his arrest or detention as soon as he is put under arrest or is detained.
6. An entry must be made in the diary at the place of detention regarding the arrest of the person which shall also disclose the name of the next friend of the person who has been informed of the arrest and the names and particulars of the police officials in whose custody the arrestee is.
7. The arrestee should, where he so requests, be also examined at the time of his arrest and major and minor injuries, if any, present on his/her body, must be recorded at that time. The "Inspection Memo" must be signed both by the arrestee and the police officer effecting the arrest and its copy provided to the arrestee.
8. The arrestee should be subjected to medical examination by a trained doctor every 48 hours during his detention in custody, by a doctor in the panel of approved doctors appointed by Director, Health Services of the concerned State or Union Territory. Director, Health Services should prepare such a panel for all Tehsils and Districts as well.
9. Copies of all the documents including the memo of arrest, referred to above, should be sent to illaqa Magistrate for his record.
10. The arrestee may be permitted to meet his lawyer during interrogation, though not throughout the interrogation.
11. A police control room should be provided at all Districts and State headquarters, where information regarding the arrest and the place of custody of the arrestee shall be communicated by the Officer causing the arrest, within 12 hours of effecting the arrest and at the police control room it should be displayed on a conspicuous notice board.

The Court emphasized that failure to comply with the said requirements shall apart from rendering the concerned official liable for departmental action, also render him liable to be punished for contempt of Court and the proceedings for contempt of Court may be instituted in any High Court of the country, having territorial jurisdiction over the matter. The requirements flow from Articles 21 and Article 22 (1) of the Constitution and need to be strictly followed. The requirements are in addition to the constitutional and statutory safeguards and do not detract from various other directions given by the Courts from time to time in connection with the safeguarding of the rights and dignity of the arrestee.

Suggestion: Under the Constitution, the arrested person's rights are to grant the accused person some fundamental rights for safety and living. Ultimately, we all are citizens of Indian society, and our protection is the responsibility of the police authorities, no matter if a person is held against

the bar. The accused person faces many problems like custodial violence, torture, I'll treatment etc.

Bail system :

1. The bail system should be thoroughly reformed so that it should be possible for poor to obtain pre trail release as easily as the rich.
2. The amount of bond the court fixes to release the accuse on personal bond should not be merely on the nature of the charge but on the financial capacity of the accused and the probability of absconding.
3. When the accused is released on personal bond the court and the police should not insist upon inquiring into his solvency as a condition of his personal bond.

Custodial violence : The blamed and convicted in criminal framework for the nation have the right to live with poise. Along these lines, they should not be subjected to the cruel treatment.

To prevent the custodial violence steps should be taken :-

1. Body cams – Just like police in some foreign countries are required to wear body cams at all times, the police in India need to do the same. Body cams with all the requirements like audio recording, GPS tracking, etc. need to be made available as soon as possible as they would act as a deterrent for the police.
2. Separate rooms with CCTV cameras installed must be set up in police stations for the purpose of interrogation.
3. Even though the CCTV cameras are being installed in the police stations gradually, there has to be a proper procedure to ensure that the cameras work properly and are being checked on a regular basis. During interrogations, there has to be a higher level officer keeping a watch from the CCTV cameras.
4. All the police stations must be made to put up posters which contain the rights of arrested persons. The instructions should be in English as well as in the language of that locality. This would ensure that the unaware people who are brought into custody get to know their rights and exercise it.
5. Lastly, an Anti Torture law must be made as soon as possible containing strict punishments for the offenders.

So basically a person should know the right of arrested person and and awareness programmes should be run by the government so that people are aware of their rights at the time of arrest and after detention .

Conclusion: It is generally believed that in spite of the various safeguards in the Cr.P.C. as well as the in the Constitution, the power of arrest given to the police is being misused till this day. It is also believed that the police often use their position of power to threaten the arrested persons and take advantage of their office to extort money. There have also been innumerable reports on custodial violence that lead many to believe that deprivation of basic rights of the arrested persons has become commonplace nowadays.

The Mallimath Committee in its Report on the reforms in the Criminal Justice System has stated that the accused has the right to know the rights given to him under law and how to enforce such rights. There have also been criticisms that the police fail to inform the persons arrested of the charge against them and hence, let the arrested persons flounder in custody, in complete ignorance of their alleged crimes. This has been attributed to the Colonial nature of our Criminal Justice System where the duty of arrest was thrust upon the Indian officers while the Britishers drew up the charge against the accused. Thus, it is entirely possible that the English origins of the Indian Criminal Justice system may have resulted unwittingly in the rights of the arrested persons falling through the cracks.

There is imminent need to bring in changes in Criminal Justice Administration so that state should recognize that its primary duty is not to punish, but to socialize and reform the wrongdoer and above all it should be clearly understood that socialization is not identical with punishment, for its comprises prevention, education, care and rehabilitation within the framework of social defence. Thus, in the end we find that Rule of law regulates the functionary of every organ of the state machinery, including the agency responsible for conducting prosecution and investigation which must confine themselves within the four corners of the law.

It is the duty of the police to protect the rights of society. It must be remembered that this society includes all people, including the arrested. Thus, it is still the police's duty to protect the rights of the arrested person. Hence, in light of the discussed provisions, a police officer must make sure that handcuffs are not used unnecessarily, that the accused is not harassed needlessly, that the arrested person is made aware of the grounds of his arrest, informed whether he is entitled to bail and of course, produced before a Magistrate within twenty-four hours of his arrest.[3]

References:-

Book:-

1. CRPC By -RV Kelkar Internet:
2. http://www.legalservicesindia.com/article/article/rights-of-arrested-person-1635-1.html.
3. http://lawpeedia.blogspot.in/2013/01/rights-of-arrested-person.html.
4. https://www.lawfarm.in/blogs/arrest-and-rights-of-arrested-person

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

ग्रामीण सामाजिक-अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण बैंकों की भूमिका

संजय सिंह* डॉ. देवी प्रसाद तिवारी**

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) टी. आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, रामपुर बाघेलान, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – किसी देश के आर्थिक विकास में ग्रामीण बैंकिंग के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि गांधी ने कहा था 'असली भारत गांव में निहित है' और गांव की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के बिना आर्थिक नियोजन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मुर्गियाँ, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) 2 अक्टूबर, 1975 में स्थापित किए गए थे और ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य लक्ष्य उन ग्रामीण लोगों को ऋण प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों, खेतिहर मजदूरों और यहां तक कि छोटे उद्यमियों को भी। वर्तमान अध्ययन ग्रामीण ऋण संरचना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में आरआरबी द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन करने का एक मामूली प्रयास है। इस पेपर का उद्देश्य ग्रामीण ऋण और प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र लैंडिंग में आरआरबी द्वारा निभाई गई भूमिका का विश्लेषण करना है।

वर्तमान शोध पत्र प्रकृति में खोजपूर्ण है और द्वितीयक डेटा का उपयोग करता है। प्रासंगिक द्वितीयक डेटा मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के डेटाबेस के माध्यम से एकत्र किया गया है। बैंकर और जर्नल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स जैसी पत्रिकाओं को भी संदर्भित किया गया है। इस पत्र में आरआरबी द्वारा निभाई गई भूमिका में भारत और गुजरात राज्य की ग्रामीण ऋण संरचना की जांच करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन केवल विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि आरआरबी द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम, विशेष रूप से प्राथमिकता वाले और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तक सीमित है, जो 2002-2003 से वर्ष 2008-2009 तक छह साल की अवधि के लिए है। डेटा का विश्लेषण करने और इस अध्ययन में निष्कर्ष निकालने के लिए प्रतिशत और विकास दर जैसे गणितीय उपकरण।

शब्द कुंजी –ऋण और अग्रिम, प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र, ग्रामीण ऋण।

प्रस्तावना – आधुनिक अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ बैंकों के कार्यो और सेवाओं से काफी प्रभावित होती हैं। बैंकिंग क्षेत्र आर्थिक प्रणाली का मुख्य भाग है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था है और वास्तविक भारत गांवों में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आजादी के 60 साल बाद भी, भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी बुनियादी ढांचे और किसानों की अन्य पुरानी समस्याओं के मामले में विकलांग है। वास्तव में, आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास ग्रामीण क्षेत्र द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 70% से अधिक भारतीय कृषि पर निर्भर हैंय 60% उद्योग कृषि आधारित हैंय राष्ट्रीय आय का 50% ग्रामीण क्षेत्र द्वारा योगदान दिया जाता है और कृषि क्षेत्र भारत के लिए सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक है। वित्तीय संस्थानों और विशेष रूप से बैंकों द्वारा इस तरह के एक आवश्यक और महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा की जाती है। कमजोर वर्गों की वित्तीय और बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का गठन किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों, भूमिहीन किसानों, छोटे व्यापारियों, लघु उद्यमों आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए, ग्रामीण लोगों के दरवाजे तक बैंकिंग सेवा लेने के उद्देश्य से 1975 में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। खासकर उन जगहों पर जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सामान्य तौर पर, आरआरबी वाणिज्यिक बैंक होते हैं लेकिन वे सहकारी समितियों के कुछ सिद्धांतों को अपनाते हैं जैसे कि क्षेत्रों में स्थान, सीमित क्षेत्र में ग्रामीण आबादी के लिए काम आदि। इस प्रकार वे हाइब्रिड संस्थान हैं। आरआरबी दो संस्थानों, राष्ट्रीय कृषि बैंक और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियंत्रण में काम करते हैं। इस अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य देश के प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रदान किए गए ऋणों और विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के ऋण जैसे फसल ऋण, सावधि ऋण, ग्रामीण कारीगरों को ऋण, खुदरा व्यापार, लघु ऋण के संदर्भ में प्रदर्शन का विश्लेषण करना है। बड़े पैमाने के उद्योग और स्वयं सहायता समूह आदि।

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)-एक अवलोकन: भारत में ग्रामीण लोगों जैसे छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों और वर्गों का अनौपचारिक क्षेत्रों द्वारा ऋण सुविधा के नाम पर शोषण किया गया है। ग्रामीण ऋण बाजार में औपचारिक और अनौपचारिक वित्तीय संस्थान और एजेंसियां शामिल हैं जो भारत में ग्रामीण जनता की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र बहुत अधिक ब्याज दरों पर ऋण देता

हैय इस तरह के ऋणों से जुड़े नियमों और शर्तों ने भारत की ग्रामीण आबादी में आर्थिक और गैर-आर्थिक दोनों स्थितियों को डराने की एक विस्तृत संरचना को जन्म दिया है। कुल औपचारिक ऋण की आपूर्ति अपर्याप्त है और ग्रामीण ऋण बाजार अपूर्ण और खंडित हैं। इसके अलावा, औपचारिक क्षेत्र ऋण का वितरण असमान रहा है, विशेष रूप से देश में क्षेत्र और वर्ग, जाति और लिंग के संबंध में।

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का इतिहास वर्ष 1975 का है। यह नरसिम्हम समिति है जिसने भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नींव रखी। समिति ने क्षेत्रीय रूप से उन्मुख ग्रामीण बैंकों की आवश्यकता महसूस की जो भारत में ग्रामीण लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं का समाधान करेंगे। कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त संस्थागत ऋण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 26 सितंबर 1975 और आरआरबी अधिनियम, 1975 पर प्रख्यापित एक अध्यादेश के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। आरआरबी ग्रामीण अर्ध-शहरी क्षेत्रों से वित्तीय संसाधन जुटाते हैं और ज्यादातर छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को ऋण और अग्रिम प्रदान करते हैं। बैंक शाखाओं के वर्गीकरण के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण क्षेत्र को 10,000 से कम आबादी वाले स्थान के रूप में परिभाषित करता है। आरआरबी संयुक्त रूप से भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के स्वामित्व में हैंय आरआरबी की जारी पूंजी मालिकों द्वारा क्रमश: 50%, 15% और 35% के अनुपात में साझा की जाती है। आरआरबी के उद्देश्यों को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:

1. लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ती एवं उदार ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।
2. मजदूर, कारीगर, छोटे उद्यमी और अन्य कमजोर वर्ग।
3. ग्रामीण गरीबों को साहूकारों से बचाना।
4. एक उत्प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करना और इस प्रकार विशेष क्षेत्र में आर्थिक विकास में तेजी लाना।
5. ग्रामीण लोगों में बैंकिंग की आदत विकसित करना और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए बचत जुटाना।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
8. पिछड़े क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सरकार के अन्य प्रयासों से आच्छादित नहीं हैं?
9. अविकसित क्षेत्रों का विकास करना और इस प्रकार क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करना।

साहित्य की समीक्षा

नाथन, स्वामी (2002) के अनुसार, वित्तीय उदारीकरण के वर्तमान चरण की नीतियों का ग्रामीण ऋण पर तत्काल, प्रत्यक्ष और नाटकीय प्रभाव पड़ा है। सामान्य रूप से ग्रामीण बैंकिंग में और विशेष रूप से गरीबों को तरजीही ऋण देने और प्राथमिकता वाले क्षेत्र में संकुचन हुआ है।

चव्हाण और पल्लवी (2004) ने 1975-2002 की अवधि में ग्रामीण बैंकिंग के विकास और क्षेत्रीय वितरण की जांच की है। चव्हाण का पेपर सामाजिक और विकास बैंकिंग की अवधि के दौरान भारत के पूर्व, उत्तर पूर्व और मध्य भाग के ऐतिहासिक वंचित क्षेत्र द्वारा किए गए लाभ का दस्तावेज है। 1990 के दशक में इन लाभों को उलट दिया गया था: ग्रामीण ऋण जमा अनुपात में ग्रामीण शाखाओं में कटौती भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे तेज थी। वित्तीय उदारीकरण की नीतियों ने भारत में ग्रामीण बैंकिंग में क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट रूप से खराब कर दिया है।

प्रोफेसर दिलीप खानखोजे और डॉ. मिलिंद साठे (2008) ने भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उत्पादक दक्षता के संदर्भ में प्रदर्शन में भिन्नता को मापने के लिए विश्लेषण किया है और यह आकलन करने के लिए कि 1993-94 में इन संस्थानों की दक्षता में पुनर्गठन के बाद वृद्धि हुई है या नहीं।

डॉ. एम. सैयद इब्राहिम (2010) ने 'भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन मूल्यांकन' विषय पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने विलय के बाद की अवधि में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

कार्यप्रणाली: वर्तमान पेपर डायग्नोस्टिक और खोजपूर्ण प्रकृति का है और इसमें सेकेंडरी डेटा का उपयोग किया गया है। प्रासंगिक माध्यमिक को मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के डेटा बेस के माध्यम से एकत्र किया गया है। जर्नल ऑफ बैंकर और जर्नल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकर्स को भी संदर्भित किया गया है। इस पेपर में देश की ग्रामीण ऋण संरचना और आरआरबी द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच करने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन केवल 2002-03 से शुरू होकर वर्ष 2008-09 तक की सात वर्षों की अवधि के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विशेष रूप से प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम जैसे विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित है। डेटा का विश्लेषण करने और इस अध्ययन में निष्कर्ष निकालने के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किए गए विभिन्न क्षेत्र-वार ऋण ग्रामीण ऋण बाजार में आरआरबी का महत्वपूर्ण स्थान है। जरूरतमंद लोगों को दिए जाने वाले कर्ज को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और दूसरा गैर-प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बैंक ऋण भारतीय वित्तीय नीति का एक सक्रिय साधन है जिसका उद्देश्य ऋण वितरण के भीतर क्षेत्रीय संतुलन को बहाल करना और समाज के कमजोर वर्गों को ऋण देना है। प्राथमिकता क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसे बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिक क्षेत्र की अवधारणा को पहली बार 1968 में वित्तीय प्रणाली में लाया गया था, जब सरकार ने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लगाया था। बैंकों को निर्देश दिया गया था कि वे प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सूचीबद्ध क्षेत्रों को कुछ प्रतिशत ऋण दें। 1968 में 3 सेक्टर थेय कृषि, लघु उद्योग और निर्यात। धीरे-धीरे, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत खंडों की सूची में वृद्धि हुई। वर्तमान में इसमें कृषि, लघु उद्योग, लघु परिवहन संचालक, निर्यात, लघु व्यवसाय आवास, स्व-नियोजित व्यक्ति, पेशेवर, शिक्षा आदि शामिल हैं। हाल ही में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से सूक्ष्म वित्त को भी प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया गया है।

आरआरबी द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए गए ऋण में अल्पकालिक ऋण, सावधि ऋण, ग्रामीण कारीगरों को ऋण, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार और स्वयं सहायता समूह आदि शामिल हैं।

प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले दोनों क्षेत्रों को जारी किए गए वर्ष-वार ऋण का पता चलता है। तालिका से यह देखना महत्वपूर्ण है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को जारी किए गए ऋण गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र को

प्रदान किए गए ऋणों की तुलना में अधिक प्रतिशत हैं।

फसलों के लिए ऋण (अल्पकालिक ऋण) और कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ (सावधि – ऋण) कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। 70% से अधिक आबादी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करती है। आरआरबी इस क्षेत्र की देखभाल अल्पकालिक और सावधि ऋण प्रदान करके कर रहे हैं। तालिका 2 फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए वर्ष-वार ऋण प्रदान करती है।

फसल के लिए अल्पकालिक ऋण साल दर साल बढ़ रहे हैं। अल्पकालिक ऋणों का संवितरण रु. 2002-03 में 4,834 करोड़ रुपए जो बढ़कर रु. 2008-09 में 22,851 करोड़ रु. वर्ष 2006-07 में प्रतिशत की उच्च दर यानी 35.43 दर्ज की गई।

आरआरबी द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए सावधि ऋणों का संवितरण काफी उत्साहजनक नहीं है। इसे 2002-03 में 1, 045 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2008 में 3, 648 करोड़ रुपये कर दिया गया है इस अवधि में वृद्धि 3.49 गुना थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋणों का वितरण (करोड़ रुपये में) भारत में ग्रामीण ऋण नीति में ग्रामीण समुदाय को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण सहित कई प्रकार की ऋण सेवाओं के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। तीन दशक के संचालन के दौरान, आरआरबी कृषि बनाम गैर-कृषि को ऋण का वितरण (%) आरआरबी देश में कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए उन्हें ऋण प्रदान कर रहे हैं। इस संदर्भ में, आरआरबी द्वारा प्रदान किए गए कुल ऋणों को दो समूहों अर्थात् कृषि और गैर-कृषि में वर्गीकृत किया गया है।

कृषि के लिए बकाया ऋण बनाम गैर-कृषि (%) स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी सूचना विभाग, नाबार्ड, जून-2009। आरआरबी अपने कृषि ऋणों में काफी सफल रहे हैं। संदर्भाधीन अवधि के दौरान, बैंक अपने बकाया ऋणों में वर्ष 2002-03 में 46% के साथ 2008-09 में 64% तक की वृद्धि की प्रवृत्ति को चिह्नित करने में सक्षम रहे हैं।

निष्कर्ष: भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तविक विकास ग्रामीण जनता की गरीबी, बेरोजगारी और अन्य सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन से मुक्ति पर आधारित है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। तीन दशक बीतने के साथ, आरआरबी को अब ग्रामीण भारत के कायाकल्प की आशा की दृष्टि से देखा जाता है। वर्तमान अध्ययन में ग्रामीण ऋण संरचना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका का गहन विश्लेषण किया गया है। ग्रामीण ऋण संरचना में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र शामिल हैं। दोनों क्षेत्रों को ऋण वितरण में जबरदस्त उपलब्धि मिली है। प्राथमिकता वाला क्षेत्र पूरे अध्ययन के दौरान ऋण प्रतिशत में उच्च थे। आरआरबी ने अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए अल्पावधि और सावधि ऋणों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को धन उधार दिया है। अध्ययन अवधि के दौरान फसलों के लिए अल्पकालिक ऋणों का संवितरण उत्साहजनक है और यह सावधि ऋणों की तुलना में उच्च दर का गठन करता है। साथ ही प्राथमिक क्षेत्र में विभिन्न समूहों को आरआरबी द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2007-08 और 2008-09 में उच्च वृद्धि दर्ज की गई। जब गैर-कृषि गतिविधियों के लिए ऋणों की तुलना की जाती है, तो कृषि में सबसे अधिक हिस्सा दर्ज किया जाता है। हालांकि, यह बैंकों और प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वे गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र को भी पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के मामले को देखें। फसल के लिए अल्पकालिक ऋण और कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए सावधि ऋण के बीच के अंतर को कम करने की आवश्यकता है। बैंकों को अधिक मात्रा में सावधि ऋण प्रदान करके कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आम तौर पर गैर-कृषि क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कई तरह से मदद करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, आरआरबी इस क्षेत्र के लिए ऋण के प्रतिशत में वृद्धि कर सकते हैं। यह निष्कर्ष ग्रामीण बैंकिंग संस्थानों और नीति निर्माताओं के लिए उपयुक्त क्रेडिट संरचना को विकसित करने और आकार देने में काफी उपयोग हो सकता है क्योंकि आरआरबी भारत में ग्रामीण ऋण संरचना का अभिन्न अंग हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भट्ट, नितिन और थोराट, वाई.एस.पी. (2006)। भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: सुधारों का संस्थागत आयाम। जर्नल ऑफ माइक्रोफाइनेंस, 3 (1), पीपी: 65-94।
2. नाबार्ड, वार्षिक रिपोर्ट, विभिन्न मुद्दे।
3. भारतीय रिजर्व बैंक, भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट और रिपोर्ट, विभिन्न मुद्दे।
4. दूसरी नरसिम्हन समिति, 1997, बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति, भारत का राजपत्र-असाधारण अधिसूचना, भाग III खंड 3 (ii), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
5. शाहजहां, के.एम. (1998)। 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बैंक ऋण: कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे'। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 33, संख्या 42-43 अक्टूबर 17-30।
6. सुब्रमण्यम, जी. (1993)।'भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उत्पादकता वृद्धि: 1979-89', मात्रात्मक अर्थशास्त्र के जर्नल, 9, 209-223।
7. सैयद, इब्राहिम एम। (2012)। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका- एक विश्लेषण इंटरनेशनल मैनेजमेंट जर्नल वॉल्यूम। 1 नंबर 1-2 (जनवरी-दिसंबर)।
8. सैयद, इब्राहिम, (2010)। 'भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन मूल्यांकन', अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान- सीसीएसई, खंड -3, संख्या 4.अक्टूबर।
9. ठाकुर, एस. (1990)। भारतीय बैंकिंग के दो दशक: सेवा क्षेत्र परिदृश्य, चाणक्य प्रकाशन नई दिल्ली, भारत।
10. त्यागराजन, एम। (1975)। 'व्यावसायिक बैंकिंग का विस्तार- एक आकलन', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 10, 1819-1824।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Need of A Comprehensive Legislation on Data Protection in India - With Special Reference to 2008 Amendments in Information Technology Act

Sagar Pandey* Sharjil Khan**

***Assistant Professor, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA**
**** B.A.LLB. Hons IX sem, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - Any one of the three perspectives—legal, technical, or political—can be used to study the term "data protection." The current article explores the legal dimensions of problems and difficulties India is currently facing due to a lack of comprehensive legislation and seeks to offer solutions. Protection of data is essential in the modern technological age due to things like mobility, data mining, cloud computing, etc., as well as for the person to whom it belongs. When we consider the global situation, many nations have passed and implemented data protection laws to deal with certain unforeseen situation but in the case of India however there are some provisions in the Indian Constitution, criminal laws, information technology laws, intellectual property laws, and contract law, it is necessary to have a legal system that is up to par with those in other nations in order to ensure that personal data is only used in ways that are both explicit and legitimate.

The Information Technology Amendment Act 2008 deals with the data protection as a right to privacy while other laws (Indian Penal Code 1860, Intellectual Property Rights) protects it as individual's property. After analyzing the provisions of the Information Technology Amendment Act 20008 we can see that the focus of the Act is on information security rather than data protection and even though it deals with the regulation of personal data use on Information Technology networks within India, it does not have personal data processing or transfers within its scope.

It is not like India has never tried to take a firm stand on the matter. After the decision of the Hon'ble Supreme Court in Justice Puttuswami vs. Union of India where the right to Privacy was regarded as an intrinstice part of life and liberty under Article 21, The Committee headed by Justice
B.N. Srikrishna submitted a report on "Data Protection Framework" to the Government.
This report was a guiding factor which lead to introduction of the Bill- **The Protection Data Protection Bill, 2019** in Lok Sabha on 11 December, 2019 but by some of the reasons the bill was withdrawn on 3rd August 2022.So now again India is at the same position where even after several problems and issues, it does not have its own data protection law.
Keywords- Data Protection, Public Domain, Mobility, Data Mining, Cloud Computing.

Introduction - When the question of how to identify someone arises, his biological and biometric traits can be used to do so. As time went on, advances in technology and electronic information influenced how much information was needed for activities like online banking, online shopping, and healthcare. Without these records, a person may be denied access to some basic freedoms, such as the opportunity to enrol in school or receive a pension after leaving the Government Services.

The analysis of this fact reveals that data usage and presence are inevitable. Therefore, what can be done is to make sure that the data supplied is protected and to stop its improper use, which would be both illegally detrimental to the person sharing the data and a threat to society.

The Information Technology Act 2000 was amended in 2008 with intent to shore up the weakness in the legislation. After this amendment, the Act imposes civil and criminal liability in case of offences involving use of a computer which is violating the right to privacy directly or indirectly (Sections inserted by 2008 Amendment which deals with privacy rights are – 43A, 66, 66C, 67C, 72A).

But some recent instances shows that Information Technology Amendment Act 2008 is not sufficient to deal with certain major issues. So it is needed on the part of India to enact an explicit Data protection legislation.

Concept of Data Protection and how does it come with the ambit of Right to privacy.

Concept of Data Protection is gaining momentum

Worldwide. The term 'Data Protection' is derived from the German Term – Datenschutz. The term "data protection" refers to a collection of privacy laws, regulations, and practises that are designed to reduce the invasion of one's privacy
brought on by the collection, storage and dissemination of personal data. Data Protection is somehow related to the right to privacy.

The Term Privacy cannot be defines in simple words as its meaning depends upon the context, circumstances and environment. According to Adam Carlyle – "Privacy is the rightful claim of the individual to determine the extent to which he wishes to share of himself with others. It means right to withdraw or to participate as he sees fit. It also means the individual's right to control dissemination of information about himself; it is his own personal possession."

It is the requirement of Privacy and data protection that other individuals or even the State should not get information about others automatically. A person should be in a position that he can exercise a substantial control over his data. To safeguard the one's data, Data protection is the legal, administrative, technical or physical deterrent.

While Privacy may be understood as the safeguard from possible abuses of information or searches, the term data protection means the tool law uses protect individual from above threats. **Article 21 of the Indian Constitution** protects the right to privacy and promotes the individual's dignity.

However, it is not only related to privacy but also to certain other rights like freedom, liberty and autonomy.

Individual's information like his name, address, telephone number, profession, family etc if passed, the interested parties will be exposed to intrusion in privacy.

So, one can observe that Data protection comes within the scope of right to privacy as former will governing factor to safeguard the information, its collection, the way it is processed and stored by automated means.

Historical Timeline Of Data Protection Law

- **1983 –** Right of Informational Self- Determination was recognized German Federal Constitutional Court.
- **1995 –** The European Union passed the Data Protection Directive in order to protect citizens' rights with regard to the transfer of personal data among EU member states.
- **2000 – Safe Harbor Arrangement.** In order to improve the flow of information between the two regions, these guidelines were created to address the disparities in data privacy legislation between the European Union and the United States.
- **2009 – Personal Data Privacy and Security** bill was proposed which contained provisions with regard to punish identity theft and violations of data privacy and would improve the security of personal data by businesses and government organisations, place limitations on data sharing, and increase restrictions on data collection.. The bill never passed.
- **2016 –** The General Data Protection Regulation (GDPR) contains provisions that aim to unify the European Union under one set of stricter rules. These provisions include a right for data subjects to be forgotten, affirmative consent, thorough and prompt notification of data breaches, plain language for terms of service agreements, and fines of upto 4% of an organization's total worldwide annual turnover if found in violation.

International Scenario Regarding Data Protection

United States of America - currently no data protection law applicable to all industries on the federal level, every state in the Union has their own data privacy laws. For Example, the California Consumer Privacy Act (CCPA), which has a far wider range of application, and the State of New York's 23 NYCRR 500, which is applicable to financial institutions operating in New York.

Japan - In Japan, Protection of Personal Information Act (APPI) deals with the protection of data privacy issues. It was first adopted in 2003 and was one of the first data protection regulations in Asia.

China - The People's Republic of China passed the Personal Information Protection Law (PIPL), which came into effect in November 2021.Since the implementation of the PIPL, all companies
conducting business in China, regardless of whether they have any physical presence there, are now required to abide by the law in order to avoid being subject to fines up to 50,000,000 CNY (roughly 6 million EUR) or 5% of global annual turnover, in addition to personal fines of up to 1 million CNY for individuals found responsible. Even the suspension or termination of business licences may occur in the case of serious violation.

Australia - The law which governs privacy and data protection in Australia at Central level is the Privacy Act 1988. It regulates the handling of personal information by private sector organizations and federal government agencies through the 13 Australian Privacy Principles set out within the Privacy Act. Most of the Australian States and territories also have their own data protection legislation.

Critical Analysis Of Provisions Of Information Technology Amendment Act 2008 Ensuring Data Protection - According to, **Section 43A** of the Information Technology Amendment Act 2008, For the purpose of protection of sensitive personal data of an individual, the "body corporate" is responsible to implement and maintain reasonable security practices and procedures. The Section provides a means of redress in the event that someone suffers an unjust loss or gains an undue advantage.Further, the Section **explained** the terms- **Body Corporate** as company or firm, sole proprietorship or other association of individuals engaged in commercial or professional activities and **Reasonable security practices and procedures** and **sensitive personal data or information**.

Section 66 deals with **Computer related offences**. According to Section 66 of the IT Act, if the accused engaged in dishonest or fraudulent acts that resulted in the destruction or alteration of the information stored in the computer resource, he may face up to three years in prison, a fine up to five lakh rupees, or both. Dishonestly and fraudulently will have same meaning as assigned to it under Section 24 and Section 25 of the Indian Penal Code, 1860 respectively

Section 66C imposes liability in case a person is using e-mail account or password or electronic signature of someone else fraudulently or dishonestly. The offender shall be punished with Imprisonment for 3 Years and fine upto Rs. 1 lakh.

Section 72A deals with **Punishment for disclosure of information in breach of lawful contract.** The service provider is duty bound to maintain privacy of the users/ registrants by framing appropriate “Terms of Service” and “Privacy Policy” statements. Otherwise, he will be liable for three years imprisonment or with five lakh rupees fine or with both

Need of Comprehensive Legislation on Data Protection In India:

1. Vagueness is there in the present framework.
2. Obligation of India under International Law.
3. To meet the globally accepted norms.
4. To ensure Data Localisation and progress of Nation’s digital economy.
5. Some Recently highlighted Instances related to data breach in India.
6. To Resolve Issues related with information imbalance and need for facilitating data ownership.
7. Required Safeguard to distinct categories of data can be provided.
8. To regulate the cross-border flow of the data.
9. To have provisions for obtaining the consent in advance and follow data protection guidelines.

About The Journey Of The Personal Data Protection Bill, 2019

Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India : In the Case of Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India, The Supreme Court held that Privacy being a natural right is inherited in all the natural persons and the restrictions may be imposed if the state passes three tests – having a legislative mandate, pursuing a legitimate state purpose and it must be proportionate. Hon’ble Supreme Court also held that a transformative, rights-oriented data protection law is required.

Recommendations by Justice Srikrishna Committee report: After the Judgment of Puttaswamy case, A ten-member committee led by retired Supreme Court Justice BN Shrikrishna was established by the Central government in July 2017 to look into data protection-related concerns, provide recommendations for how to handle them, and create a data protection bill. The Report titled – **A Free and Fair Digital Economy,** was submitted on 27 July 2018 with following recommendations.

1. The data should be used, shared, disclosed, collected or otherwise processed only for clear, specific and lawful purposes.
2. The Law will be enforced in structured and phased manner and will not have retrospective application and there is need to amend Aadhaar Act to bolster data protection.
3. An Independent regulatory body – Data Protection Authority will be set up under data protection law which will be responsible for the enforcement and effective implementation of the law. The Union Government shall establish an appellate tribunal to hear and dispose the case if any of the parties are aggrieved by the DPA order.
4. In the event of a violation of the data protection law, a fine up to the predetermined upper limit or a percentage of the total global turnover of the prior fiscal year, whichever is higher, may be imposed.
5. In case of public welfare, law and order, emergency situation, state can process data without consent of the user.
6. The law will apply to both public and commercial organisations handling personal data.
7. Sensitive personal data includes passwords, financial information, health information, official identifiers, sex life, sexual orientation, biometric and genetic information, and information that identifies a person’s caste, tribe, religion, or political associations. This list is not all-inclusive because DPA can notify further categories.
8. The Basis of processing personal data will be consent but a modified consent framework will be adopted by law to apply a product liability regime to consent to make data fiduciary liable for protecting the interests of data principal.
9. Personal data determined to be critical will be subject to the requirement to process only in India and transfers outside the country will need to be subject to safeguards
10. The data principals should be able to restrict or prevent their personal data from display as soon as the objective of disclosing data has ended or consent is withdrawn by him.

Personal Data Protection Bill, 2019 and its withdrawal: The Personal Data Protection Bill, 2019 was introduced in Lok Sabha in December 11, 2019. The Bill defined the term personal data and data processing. The Bill was applicable on both government and private entities incorporated in India and also entities incorporated overseas. Consent is the ground for data processing. The data which comes under Sensitive personal data is specified. The Data Protection Authority (DPA) is set-up under the Bill to Draft specific regulations for all data fiduciaries across different

sectors and supervise and monitor data fiduciaries. The bill mentions the Obligations of data fiduciary – to process data for specific, clear and lawful purpose and to take transparency and accountability measures and also rights of individual like to get conformation of their data processing, correction of inaccurate, incomplete or out-of-date personal data and put restriction on data disclosure. Under some conditions, personal data may be sent outside of India (apart from sensitive personal data that is critical).

The Central government can exempt any of its agencies from provisions of the Bill on certain grounds specified in this regard. Penalties can also be imposed for processing or transferring personal data in violation of the Bill – Rs.15 Crore or 4% of Annual turnover of fiduciary, in case of failure to conduct a data audit – Rs.5 Crore or 2% annual turnover of fiduciary and re- identification and processing of de-identified personal data without consent- 3 years or fine or both. However, the Bill was withdrawn on August 3, 2022. The Joint Committee of Parliament proposed 81 Amendments and made 12 recommendations so it is needed to be worked upon. Some tech companies have issue with the data localization provisions in bill (Means companies are responsible to store a copy of certain sensitive personal data within India and prohibition has been imposed on transmission of undefined "critical personal data" outside India. According to some Stakeholders, the bill provides large exemptions to government departments, prioritses the interests of big corporations and does not adequately respect one's fundamental right to privacy.

Suggestions And Conclusion: Now since the Personal Data Protection Bill, 2019 is withdrawn; following considerations can be taken into account while drafting new data protection law for India.

1. The focus of the new law should be on personal data that is – name, phone number, chat history, credit history, profile details etc. of the individuals rather than non-personal data example – data about traffic and diversions, soil trends, weather patterns, or aggregate data such as number of cab users in a locality.
2. The over-reliance on consent for data processing (there are some exceptions) neither accommodates for business reality, where obtaining consent for every act of processing is expensive and just not practical, nor empowers the person who will be bombarded with consent requests. So like EU's GDPR new law should allow data processing without businesses needing or resort to consent each time.
3. The data regulator must be strong and coordinate with other regulators like RBI, National Health Authority, TRAI and other sectoral regulators.
4. The proposed law should enable and encourage cross-border data flows and limit data localization only to clearly and narrowly defined critical data.
5. India is currently one of the remaining few nations in the world without an extensive, contemporary data protection legal framework. The Government must act quickly to develop a framework that puts India on level with its contemporary nations, given its ambition to promote a global image of a digital economy with a thriving data services industry. Data protection rules, unlike other laws, cannot function independently in a domestic setting and must cooperate with their international counterparts.

For now as per news reports, revised data protection framework will be tabled during the budget session in February, 2022 so it is very much possible to have a data protection law in near future.

References:-

1. Information Technology Amendment Act 2008(India)
2. Personal Data Protection Bill 2019 (India)
3. Constitution of India,1950
4. Vakul Sharma (2017). Information Technology Law and Practice. Haryana: LexisNexis
5. Dr. J.P. Mishra (2014).An introduction to cyber law. Prayagraj : Central Law Publications
6. Atul Kumar Tiwari (2004). Threat to Privacy in Cyber Age – Need for an effective Veil.
7. Indian Bar Review.31(3&4),467-476.
8. Atul Singh, (2016) Protecting Personal Data as a property right, Retrieved from: file:///C:/Users/WORK/Downloads/p9_atul%20(2).pdf
9. Vijay Pal Dalmia ,(2017) Data Protection laws in India – Everything you must need to know, Retrieved from https://www.mondaq.com/india/data-protection/655034/data- protection-laws-in-india—everything-you-must-know.
10. Dan Simmons, (2022) 17 Countries with GDPR like Data Privacy Laws, Retrieved from: https://insights.comforte.com/countries-with-gdpr-like-data-privacy-laws.
11. EPERI, (2018) Data Privacy Act : A Brief History of Modern Data Privacy Laws, Retrieved from: https://blog.eperi.com/en/data-privacy-act-a-brief-history-of-modern- data-privacy-laws
12. Justice K.S. Puttaswamy and Anr. v. Union of India (2017) 10 SCC 1
13. https://www.financialexpress.com/opinion/data-protection-why-a-comprehensive-law-is- needed/1694205/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Critical Analysis of Encounter Killing Cases

Aparna Dwivedi* Shreya Mishra**

*Assistant Professor, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA
** B.A LL.B IX Sem, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Encounter killings violate the fundamental right of right to life and personal liberty. This abuse can be either physical or verbal to that extent which may even cause death due to police misconduct. Encounter killings is a crime which caused by those agencies which are meant to protect and maintain the law and order of a place. Encounter killing is defined as a occurrence between the criminal accused and civil security which results in killing of the criminal. The human rights of fair trial and audi alteram partem are there by voilated due to the encounter killing. Every time when encounter happens police does not only takes law into its own hand but also twist the matter according to their convenience which is the main reason behind failure of criminal justice system. The paper raises questions about the compensatory aspect of police excesses and encounter killings. It is a doctrinal research. The primary sources of data collection are statues.
Keywords- Encounter killing , police brutality, constitutional remedy, rule of law and the victim Compensation.

Introduction - Encounterkillingisdefined as the incidents in which the allegations of individual being in custody before there death and when their body is recovered it has some marks of beating or torture. It is also defined as killing caused by police officials without any prior permission. Police officers generally claim in this situation is that the accused was trying to escape or was attacking any one of them and in order to confine him or in defence they had to fire .

The constitution of India in its preamble describes that India is a democratic and republic state. It also enshrines the principle of rule of law which states that every law making authorities or all offices are duty bound to maintain the law and order of the state. The citizens of India have themselves given to them their constitution and also elect a representative to govern them. Encounter killings destroy the democratic nature of our country and gives an arbitrary immunity to police by violating the right if fair trial of victim. Encounter killings are used by police as a source for multifarious purposes. The act of tampering with the internal investigation of matter or trying to slow down the trial procedureallamount to encounter killings. Where as the encounters which are held genuinely are considered to be important part of self defense.

A total of 44 encounters have taken place from 2017 till 1st January 2019 with the maximum number of encounters in Odisha (04) between 2016-17 and Uttar Pradesh (06) in 2017-2018 (Sabha, 2019). On the other hand, the statistical data given by a few independent agencies portray a different image altogether. From 2017 till December 2019, 5,178 encounters have taken place in Uttar Pradesh out of which a police official takes the credit of killing 103 victims (WEEK, 2019). The amount of pride that this official takes in committing so many[1]encounters displays a grim image of the impunity of the police officials and the gravity of the situation.

Rule of law and principles of natural justice: Rule of law has been derived from England and is stated in the preamble of the Indian constitution and the doctrine is defined in part 3 of the constitution. Rule of law means law is above all and no one is above it be it any person or authority . Law has been given a high standard by the legislature and in any situation law is considered to top most and everything is governed according to law .According to Prof. A. V. Dicey there are three tenets of Rule of Law a) Supremacy of Law; b) Equality before Law; and c)Predominance of Legal Spirit. The Supremacy of law upholds law in the highest regard and attempts to deter the authorities from being arbitrary while using their discretionary powers. Equality before law entails that no man, be it a government official, the crown, or a common man is above the law. The punishment for an act would be the same for anyone of them. Meaning thereby, all classes of persons would be subjected to the same law.

In past we have seen many incidences where the government officials and authorities have exceeded their power to secure there position and voilated the basic human rights and we have also seen the people who tried standing against the wrong and results they had to face. So as to secure the citizen and provide them with complete security

rule of law must be included in the constitution of any country.

The concept of natural justice includes two principles a) Rule against bias which means no one should be a judge in his own cause and b) Rule of fair hearing which means that all the parties must be given a fair chance of being heard. When talking about rule against bias it is said for the police officials who commit the encounter killing and become the judge of that very case by themselves they take the law in there own hands and the accused or victims never get the fair chance of hearing or trial or to keep his side . The police officials think themselves of the oblivation to get the victim justice for which they create awhole fake encounter. These encounters never get investigated and the truth never comes out .

The concept of audi alteram partem under the topic of natural justice means that the arrested person must get the notice of reason of his arrest and must be heard . He should also be provided with a lawyer if he is unable to hire one.He must be given a chance to prove his side that of the said crime he has been convicted he has done or not . All the fake encounter that are taking place are proving all these principles as of no use .Even in the case where police doubts a person of being involved in any of the terrorists activity or is involved with any kind of terrorist organization then the police must arrest him for further procedure and not terminate him then and there .

Fake Encounters are very usual in India. Given the circumstances of every case it is difficult to identify if these cases are genuine encounters or fake encounters very openly violating human rights. The various factors that encourage encounter killings are the slow functioning of the judiciaryand the non-professional behaviour of the police , conducting an examination poorly are not only permit encounter killings but lead to miscarriage of justice. It is believed that encounter killings are not the solution but the problems itself . These factors make it difficult to identify if the police official had misused his power or not. The practice of encounter killings in India violates principles of international law, human rights, and the basic conceptions of justice. The primary issue surrounding encounter killings is the lack of witnesses. As per the common practice the accused/s are apprehended during the wee hours of the morning resulting in the absence of any eye witnesses.

Section 96 of The Indian Penal Code 1860 talks about the acts done in private defense. The section lays down that any act which is done in private defense would not be an offence .Section 99 provides for any act where there is no reasonable cause for the apprehension of life to a person then a death caused in this scenario will be punishable. But the extent to which the right of private defense cannot utilized by inflicting more harm than necessary. It must be in proportion to the imminent dangerOn a comparative note, the former defines the power of a police officer but the latter limits the power, providing way for punishment when the power is exceeded. Police personnel are not expected to go beyond their power to arrest someone especially when it costs a citizen his/her life. The very basis of the argument lies in the reasonableness of the force used at the time of conducting the arrest..

Who is a victim: A 'victim/s' is defined as a person or group or agency who has suffered injury or damage due to the unlawful activity of another person (Paranjape, 2014). An act or an omission of an act which is not punishable under criminal law per say is defined as 'Abuse of power', but such an act or omission is usually against the common norms of the society and violate the human right of a person. Any person who suffers losses like physical, monetary, permanent disability due to the ultra-vires act of another person (usually in a position of power) is considered to be a victim of Power. The judgment in the case of **people 's Union for Civil Liberties v. State of Maharashtra, 2014),** where for the first time ever the phrase 'victim/criminal' i.e. the criminal who is killed is actually killed in an encounter is recognized as a victim of the encounter in the eyes of judiciary was used or given .

Constitutional safeguards and Judicial trends: A democratic state has the principal where when the fundamental rights suchas right to life and personal liberty have been voilated there is a rule for remedy that is given to that very person whose right have been voilated the most common form of the remedy us compensation . The frequent misuse of power by the police officials to unashamedly violation of human rights is an vicarious liability of the state . And the state here becomes liable to pay the compensation to the family members and to the ones who are affected by the death of the deceased or accused. Only declaring the act of police as invalid and unlawful does not compensate them and is surely not sufficient to act as remedy for the person whose fundamental rights have been voilated. There's a need to take a prominent step in this regard . The same has been held by the supreme court in various instances.

Article 21 of Constitution of India guarantees right to life and personal liberty detailing that under no circumstances can a citizen be deprived of his right to life by any official. In a fake encounter, when an accused is killed by the police then he is deprived of his right to life without a reason. It was held by the Supreme Court that right to life is a basic human right and is guaranteed to every person and even the authorities working for the state or the State itself has no power to violate it under any circumstances. In (**People Union for Democratic Rights v. Police Commissioner, 1989)**, under Article 32 of the Constitution compensation was awarded to victims of Police Atrocities. **In (Saheli, A Women's Resource Centre through Mrs. Nalini Bhanot v. Commissioner of Police, Delhi Police, 1990), t**he victim died in police custody due to beating the officer-in-charge of that Police Station. Therefore, the mother was paid compensation of Rs.

75,000.

D.K. Basu v. State of West Bengal, 1997: In the landmark judgement the court not only paid compensation to the victim's family for custodial torture but also laid down 11 guidelines describing the procedure of arrest, detention and interrogation of the accused .

Extra Judicial Execution Victim Families Association (EEVFAM) & Others v.Union of India & Others, 2013: In the landmark judgement the Supreme Court iterated that every time a situation arises where the fundamental rights of a citizens are violated especially the right to life; either by the agencies working under the orders of the state or the state itself, then the court will suo moto take cognizance of the matter. The court also ordered that compensation must be provided to the families of the victims of fake encounters. It was held in People's Union for CivilLiberties v. State of Maharashtra, 2014) the compensation to the next of kin of the victim of an encounter must be granted in accordance with the scheme under Sec. 357 A of the Code of Criminal Procedure. It was also held in this judgement that the officer accused of encounter killing must not be given any gallantry awards or promotion and must be provided with legal aid if required.

State v. Sajjan Kumar, 2019: Supreme Court observed that merely by awarding compensation to the dependents of the victim of encounter killings is not enough to let them overcome the loss and consider. rehabilitation. The agony and the suffering are unimaginable. The provision of compensation should not be considered as an alternate to punishment as compensation would be a way out for the most heinous crimes across the globe without any punishment whatsoever. In-spite of years and years of independence police is considered as an instrument of oppression and harassment (Arnesh Kumar v. State of Bihar, 2014). Common man has never been able to consider police as their friend; even though the concept of police-mitr (friend of police) has been introduced in various cities. The entire plethora of judgements above describes that though state has made multiple attempts to ensure safety of citizens and attempting to rehabilitate the victims of encounter killings by paying them compensation there is still a lot of distrust among the citizens.

The famous Vikas Dubey Encounter case 2020: On 10 July 2020 the Uttar Pradesh Police killed a deep rooted gangster Vikas Dubeyin an alleged encounter . The story which was given by the police about the encounter matched with a dramatic movie .The accused was transferred from Ujjain to Kanpur to Uttar Pradeshby special task force. In the transit the vehicle carrying the accused was said to have been collapsed in an accident where in the accused tried to flee away after snatching the pistol of a policeman The police stated that Dubey was surrounded by the police from all the sides and was demanded to surrender but Dubey in return started shooting . In the self defense counter attack the police ceased fire causing gangster's death. Here in the case matches so much with a dramatic movie scene .The death of the gangster was not investigated properly and not even the true cause of death was found .Also the genuineness of encounter was not disclosed and even the police officer who took the action was not inquired. And also was not even punished for the act . The investigation is still pending and the whole nation is still in a dilemma that whether the encounter was real or just a fake heroism story by the officials .

Hyderabad Gang Rape Case 2019: Telangana police men shoot dead the four accused of gang rape and burning the victim who was a doctor in Hyderabad. The police gave the same repeated statement that they had to shoot in self defense as the four accused tried to escape while the crime scene was re constructed.

Conclusion: Every human being is given some of the basic unique qualities such as of free will and to have own thoughts and manipulative. When a human has the power to have the selfish thoughts he does not has the ability to value the greater and good community thoughts and commits crime as a result of those thoughts. When a police official commits an encounter killing, he makes a selfish choice of serving quick justice and thereby, basking in the glory of committing that act. Based on this theory, the justice system can anticipate this move and take preventive measure by:

1. Conducting sensitization workshops and trainings for police officials.
2. The powers of the police force must be laid down clearly.
3. The senior most official of the police station must keep the record of behaviour of the officials working under him so that the problematic behaviour can be noticed in advance and can be sent to a counsellor if required. The counselling must continue for as long as required.
4. A zero-tolerance policy must be formulated for police brutalities.

Regarding compensation, the mechanism through which the compensation is passed on to the next of kin mustbe reformulated so as to ensure no delay takes place and the victims of encounters receive the money timely. As the saying goes justice delayed is justice denied. The loss of a family member is irrevocable and moreover of receiving compensation after an unaccountable period of time would hamper the rehabilitation of the family too.

Fake encounters can never be a desired amount of justice for the victims and is only a joke to the justice system and the judiciary of the country. The credibility of rule of law is challenged by such incidents. The improvised manner of encounter can never be a substitution of the trial procedure and conviction through that. The system of separation of power is established for a very important reason . The three branches are legislature, executive and judiciary. If the police officers and law officers would take the function of judiciary the entire system of democracy

would collapse.

Extrajudicial killings in the form of staged encounter voilated the basic fundamental rights such as the article 14 and 21 whichprovides right of equality and protects the right to life and personal liberty. Every person is entitled to fair trial procedure and anything which deprives that of this particular right shall be punished. When the police officials do the encounters they do the job of the judiciary which is against the principles of audi alteram partem and the natural justice. The essentials of a fair trial are fairness, reasonableness and justice.

There is a need of major alteration in the administration system and the police force .Currently the need of law is expert trail and efficient trail of the convicted people. To restore the faith of general public in the police force some major amendments are needed .

References:-

1. V. Janaki Amma and Ors. v. Union of India, 1 ALD 19 (High Court of Judicature of Andhra Pradesh 2004).Arnesh Kuman v. State of Bihar, 8 SCC 273 (2014).
2. D.K. Basu v. State of West Bengal, 1 SCC 416 (1997).
3. Extra Judicial Execution Victim Families Association (EEVFAM) & Others v. Union of India & Others, 2 SCC 493 (2013).
4. Gauri Shankar Sharma v. State of Uttar Pradesh (Supp) SCC 656 (1990).
5. Goals, T. G. (2015). Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions. Retrieved August 07, 2019, from https://www.globalgoals.org/16-peace-justice-and-strong-institutions.
6. Democracy (Rep.). Retrieved March 01, 2019, from The Economist Intelligence Unit website:https://www.eiu.com/n/democracy-index-2018/.
7. Intelligence Unit, T. (n.d). Democracy Index 2019 A year of democratic setbacks. Retrieved June 05, 2020, from https://www.eiu.com/topic/democracy-index.
8. Kumar, J. (2020, January 09). Law Relating To Encounter Killings By The Police. Retrieved March 26, 2020, from https://www.livelaw.in/columns/law-relating-to-encounter-killings-by-the-police151457?infinite scroll=1
9. Pandey, A. (2019, December 6). Hyderabad rape-murder accused shot dead in early morning police

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Copyright Issues in Cyberspace

Yashi Shrivasatava* Shubhra Singh**

*Assistant Professor, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA
** Assistant Professor, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - In Indian context, the Intellectual property rights are dealt under Indian Copyright Act, 1957. The Act does not have specifically any section dealing with piracy of computer software from the internet. Though the Act takes care of offline piracy but when it comes to software, it fails deal with online piracy. Theultimate object of the copyright is to encourage authors, composers, directors to crate original works by way of providing them the exclusive right to reproduce, publish the works for the benefit of the people. When the limited right i.e. term of copyright is over, the works belong to the public domain and anyone may reproduce them without permission. The copyright subsists in original literary, dramatic, musical, artistic, cinematographic film, sound recording and computer programme as well. Today, copyright serves a variety of industries including production and distribution of books, magazines and newspaper, media or entertainment that is dramatic and musical works for performances, publication of musical works and cinema, broadcasting. As copyrights are IntellectualPropertythey travel from country to country more easily and quickly than other kinds of property. Progress in technology has made copying of copyright material easy and simple. Consequently, the control of copyright infringement is difficult and many times impossible. It is often noted that books, recorded tapes or video cassettes of films or computer programs can be taken from one country to another without any difficulty and thousands of copies can be made from it and distributed all over the world.

Introduction - Infringement Of Copyright In Cyberspace: Digital technology has made possible taking content from one site, modifying it or just reproducing it on another site. This has posed new challenges for the traditional interpretation of individual rights and protection. Downloading files or works, uploading, saving transforming or creating a derivative work is just a mouse click away. Copyright law grants the owner exclusive rights to authorize reproduction of the copy righted works preparation of derivative works, distribution etc.

Copyright In A Work Shall Be Deemed To Be Infringed:

a) when any person, without a license granted by the owner of the copyright or the Registrar of copyrights under this Act, or in contravention of the conditions of a license so granted or of any condition imposed by a competent authority under this Act-

i) Does anything, the exclusive right to do which is by this Act conferred upon the owner of the copyright;

ii) permits for profit any place to be used for the communication of the work to the public where such communication constitutes an infringement of copyright in the work, unless he was not aware and had no reasonable ground for believing that such communication to the public would be an infringement of copyright or

b) When any person;

i) makes or sale or hire, or sells or lets for hire, or by way of trade displays or offers for sale or hire or

ii) distributes either for the purpose of trade or to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright; or

iii) by way of trade exhibits in public; or

iv) imports into India

In all above mentioned cases copyrighted work shall be considered as infringed. It is upon the software copyright owner to prove the deceptive similarity, prima facie case & irreparable loss to claim the damages from infringer.

Copyright Issues In Cyberspace: Copyright infringement occurs when one site contains links to copyrighted materials contained in another site against the wishes and knowledge of the copyright owner. Though the person who provides the link may not be making copies themselves, some courts have found the link provider to be partially responsible for copyright infringement.

- **Linking: -** "Linking" means when a website visits another website on the Internet without leaving that particular website. By clicking on a word or image in one web page, the user can view another web page somewhere else in the world, or on the same server as the original page. The question arises how linking leads to copyright issues? Linking damages the rights and interests of the owner of the page that is linked in two ways:

- **Linked-to sites: -** through these the owner can lose income as their revenues are often tied to the number of viewers who visit their home page, and may create the impression in the minds of users that the two linked sites endorse each other or are somehow linked to each other.
- For example, A makes a homepage for his website, and on the homepage he places some advertisements, from which he can make some money and it contains links to various subordinate pages. Then, B creates his website, which contains links to A's subordinate pages. This is called deep linking. Because of this, the website visitors to B's site will be able to gain access to A's material, without even visiting or seeing A's advertisements.
- In ***Shetland Times, Ltd. v. Jonathan Wills*** and Another, the Shetland News's "deep link" to embedded pages of the Shetland Times's web site, through the use of Times' web site's news headlines, was held to be an act of copyright infringement under British law and an injunction was issued for the same.
- **In lining**: - "In lining" is the process of displaying a graphic file on one website that originates on another website. In in lining, a user at a certain site canview a particular video featured on some other site, without leaving that particular site.
- **Framing: -** "Framing" is the process of allowing a user to view the contents of one website while it is framed by information from another site. Framing may trigger a dispute under copyright and trademark law, because a framed site alters the appearance of the content and creates the impression that its owner endorses or is associated with the framer.

Computer Software And Computer Law: A computer programme is defined under **section 2(ffc)** of the Copyright Act, as a "set of instructions expressed in words, codes, schemes or in any other form, including a machine readable medium, capable of causing a computer to perform a particular task or achieve a particular results".

Computer software is also a "computer programme" within the meaning of the Copyright Act. This computer software is also subject matter of copyright protection under the Copyright Act. Computer programs are included in the definition of literary work under the Copyright Act. Owner of the computer software possesses various rights including the right to grant software licenses. Software licenses can be of various types.

Software Licenses:

- **Freeware licenses**: Freeware is defined as computer software that is copyrighted, available for use, free of charge, and available for an unlimited time. Freeware licenses are generally created and distributed free of cost by software developers who want to contribute something to the society. However, freeware licenseshave some limitations as well. For e.g. - A freeware license is personal, nonexclusive, non-transferable and with limited use. There are many freeware licenses restricting the use of software for commercial purposes. The license is non-exclusive as it does not confer any exclusive rights on a particular user. The freeware license is non-transferable and does not permit the licensee to transfer any rights to a third person.
- **Open Source Licenses:** As the word itself indicates, this license is open for all without any limitations. To qualify as "open source" particular software must comply with several conditions. Once any person has developed such open source license, then there must be free distribution, redistribution of such software. Owner of the Open source license cannot restrict any person from selling, modifying, distributing or using such license for genetic research etc.
- **Shareware:** shareware is also known as "try before you buy" software. There is usually a limited period for shareware software. After this, users who have taken trial period must either buy the software or uninstall it from their computers. The trial period could be in terms of number of days.
- **Demo ware:** Demo ware is meant only for demonstrations. The demo ware does not have any functional features; it only serves to demonstrate the features to potential users.

Copyright Issues In Music Related Work: The Indian film industry joins several regional language industries in India, but none are as large or as successful as Bollywood, which churns out Hindi language films.Songs have been a major part of the films since the dawn of the Indian film industry, and represent the most popular form of music in India.In Indian film music, influence of western music is apparent from early Indian movies,' and Indian music eventually started imitating western music. Though Indian film music remains extremely popular with the Indian public, the genre of music is relatively unknown to foreign audiences.' Renowned Indian film music director Ilaiyaraja,who penned most of the musical hits for the South Indian film industry in the 1970s and 1980s, warned other players in the Indian film music industry to stop using songs composed by him without prior permission and expressed his desire for stronger copyright laws.' He also made it clear that advertising agencies, television channels, and TV show producers should obtain permission from his licensing agency, before using his songs in any other productions. Copyright infringement in the form of unauthorized derivative works and reproductions of copyrighted musical works occurs frequently in India.

Because Indian courts do not enforce the copyright laws thoroughly it leads to lacks awareness of infringement among public. This creates an environment of stifled creativity. The infringement also expresses disregard for crediting the owners and authors of the original copyrighted works.Indian copyright law provides protection for works created in India.The Indian Copyright Act of 1957 ("Indian Copyright Act") is borrowed from Great Britain's copyright law. The Indian Copyright Act provides protection to various works - including original literary, dramatic, and musical

works, films, and sound recordings.The copyright holder is further granted exclusive rights to reproduce, distribute, perform, and translate the work, among other rights. The Act extends no protection to concepts and ideas, and only safeguards original works. Any violation of these exclusive rights is considered copyright infringement. India is home to a booming entertainment industry.This industry comprises of composers and lyricists who work on songs that make up an Indian film. In 2010 Amendment, composers and lyricists received a small share of royalties for the work they did for Indian films. The amendment in addition to increasing the royalty rate for authors, composers and lyricists, conforms to international treaties so that Indian copyright will be protected abroad.To keep up with technological changes the Indian Copyright Act was amended on previous occasions. Additionally, big names in the Indian film and music industry have voiced their opposition to music copyright infringement. Awareness among the top names in the Indian film and music industry of copying previously copyrighted songs has grown, and peers are not afraid to speak up about the violations. When film composers notice that their work was being infringed by their collaborators it reflected poorly on the creative output of Indian composers and projected the view that profit is more important than producing a truly original, creative piece. The increasing knowledge that the Indian film industry infringes copyright has awakened a desire to foster originality in Indian film music.

Though India's status in the global economy is growing, it still remains a developing country. India's increasing awareness of copyright infringement within its film industry, coupled with increasing threats of piracy are good motivations to advance enforcement of India's copyright and other intellectual property laws. As mentioned in the Background section, the TRIPS Agreement offers a structure for developing countries to ensure their IPRs comply with appropriate regulations.

Issue Of Jurisdiction: As we are aware of that the internet is an intangible space, the determination of jurisdiction is always a problematic issue to deal with. In online infringement, there are various countries or regions involved. The question arises which jurisdiction would be applicable- the local jurisdiction or the jurisdiction of another country. There are ways through which it is decided – it can be decided based on the origin of the matter, or based on place of storage, or even in the place where the material is finally used or displayed. What makes difficult to punish an individual is that different countries can have conflicting laws. The other issue is to determine whether or not such infringement has taken place, as it becomes very difficult to determine whether or not an individual is responsible for any infringement with the increasing complexity of the cyberspace. After the infringement case is established, the determination of what jurisdiction is to be applied is another trouble. The problem becomes all the more difficult to sort when there are conflicting laws in different countries regarding the matter. And lastly, the lack of feasibility as well as higher costs makes it rather difficult to punish a person. Therefore, it is important to have clear cut rules about the determination of jurisdiction when it comes to online copyright infringement.

Both The Copyright Act 1957 and The Information Technology Act, 2000 in India deal with the several facets of piracy. With the rising problems of internet piracy, the need for strong copyright laws to deal with complex internet piracy cases has become essential with more and more technological advancements. Because India did not sign the "WIPO Internet Treaties" there is no equivalent legislation in India to the US DMCA or EU directive implementing the WIPO Internet Treaties. The present Copyright Act of India does not have provisions regarding the 'technological protection measures' nor the protection of 'electronic rights management information'. Some of the provisions in Indian Penal Code, 1860 (IPC) may be sufficient to provide legal protection for technological measures. One can rely on section 23 of the IPC which is 'wrongful gain or wrongful loss" in the case of unauthorized access to the 'protected work'. Section 28, which speaks of 'counterfeiting', may be effectively utilized to arrest the copying of protected works.

India enacted, the Information Technology Act (IT Act) 2000 to address problems created by 'cyberspace' regarding conduct of electronic commerce but the act has not laid down any concrete framework to deal with specific copyright violations of the Internet. Again, there are provisions that may be construed to seek to address some aspects of copyrights as is obvious from the Section 43- which relates to penalty for damage to computer, system.

Apart from these two major legislations, the government has taken some initiatives like Non-profit organizations like NASSCOM (National Association of Software and Service Companies) which has been actively working as a partner with the Government of India and State Governments in formulating IT policies and legislations in India. Work done by NASSCOM is commendable as it launched the country's first 'anti-piracy' hotline and India's first anti-piracy toll-free hotline. State Governments are establishing special police cells for arresting the piracy of copyrighter works.

The main legislation for the protection of art from copyright issues is the Copyright act of 1957. But, the act was not satisfactory. That is why the copyright act was amended in 2012 to bring under its umbrella the various forms of online piracy that takes place. Section 65 A of The new copyright (amendment) act, 2012 states that "any person, who circumvents an effective technological measure applied to protect any of the rights conferred by this Act, to infringe such rights, shall be punishable with imprisonment which may extend to two years and shall also be liable to fine." This section protects the owners of

copyrighted materials in case of a breach. And such punishment is bound to deter several cybercriminals from using or misusing the copyrighted data. This section is meant for “protection of technological measures” and is a key to curb digital piracy.

A section in the amendment act provides “Protection of Rights Management Information”.The section states that “any person, who knowingly- (1) removes or alters any rights management information without authority, or (2) distributes, imports for distribution broadcasts or communicates to the public, without authority, copies of any work, or performance knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority shall be punishable with imprisonment which may extend to two years and shall also be liable to fine.” This is essential to protect unauthorized access and misuse of sensitive information.

Another piece of legislation that deals with digital piracy is the Information Technology Act, 2000 provides for punishment with up to 3 years of imprisonment and fines up to Rs 2 lakhs for illegal online distribution of copyrighted content.

A rather new measure that the Indian courts have taken to reduce the cases of digital piracy in India is the “john doe” order”. John Doe orders require very little information about the accused and his identity is unknown at the time of filing of the petition. All the above-mentioned pieces of legislation along with these new John Doe orders help block potential threats before the release of new movies and govern the entire digital piracy scenario in India. However, several different aspects of digital piracy are still not dealt with, by Indian legislation. There are several issues and challenges regarding online piracy in India that still need a lot of work.

References:-

1. Mr. Atul SatwaJaybhaye, CYBER LAW AND IPR ISSUES: THE INDIAN PERSPECTIVE, Bharati Law Review, April – June, 2016 166.
2. Gunmala Suri, IPR Management: Emerging Cyberspace Issues in Society: A Critical Analysis.
3. Arun Kumar B. R, Issues of Cyber Laws and IPR in Software Industry and Software Process Model, International Journal of Computer Applications.
4. M. Monirul Azam, THE EXPERIENCES OF TRIPS-COMPLIANT PATENT LAW REFORMS IN BRAZIL, INDIA, AND SOUTH AFRICA AND LESSONS FOR BANGLADESH.
5. Harini Ganesh, Music Infrigement in India, The John Marshall Review Of Intellectual Property Law.
6. Karnika Seth, Protecting Intellectual Rights and the Cyber Space.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

National Education Policy 2020: Higher Education

Dr. Bhanwar Lal Raigar*

***Assistant Professor, Department of ABST, Faculty of Commerce, SRRM Government College, Jhunjhunu (Raj.) INDIA**

Abstract - Education policy plays an important role in the development of any country. Education is main resource for achieving many benefits such as full human potential, developing an equitable society, and promoting national development.In 1968, first national policy on education (NPE) has launched forpromoting higher education among rural and urban. In 1986, second national policy on education has launched forpromoting education at all economic levels and focus on adult education and the empowerment of minorities. In 1992 and 2005, national policy on education (NPE) also revised by variousformer government. In 2020, Narendra Das Modi, prime minister launchedthe national education policy (NEP) 2020 which focus on reimagining vocational education,catalyzing quality academic research in all fields by introducing the regulatory mechanism,curbing commercialization of education, effective governance and leadership for higher education,internationalization of professional education, promotion of Indian languages, arts, and cultureThe national education policy (NEP) 2020 is the first education policy of the 21st century and replaces the34th year old National Policy on Education (NPE), 1986.This paper discusses about the history of education policy. Further, this paper focus onkey features of national education policy 2020 in higher education. Here, we discuss about education structure pattern, course structures, subject pattern, syllabus pattern, examination pattern and result patternin MP higher education institution after adopting NEP 2020.
Keywords: National Education Policy 2020,NEP 2020, Higher Education, Pattern,MP and Key Features.

Introduction - In India, nation education policy 2020 is expected to give big leap to higher education. Policy lays out broad goals and suggests a course of action. It indicates direction and frameworks for creating the roadmap towards goals. The national education policy (NEP 2020), launched on 29 July 2020, outlines thevision of India's new education system. It focuses on key reforms in higher education thatprepare the next generation to thrive and compete in the new digital age. It also focuses on five pillars such as affordability,accessibility, quality, equity and accountability to ensure continual learning, providing qualityeducation and creating lifelong learning opportunities for all, leading to full and productiveemployment and decent work as enlisted in United Nations Sustainable Development Goals2030, forms the thrust of NEP 2020. The new policy replaces the previous National Policy onEducation, 1986 and forms a comprehensive framework to transform both elementary andhigher education in India by 2040.

"The quality is more than quantity is a sound theory because it is true in practice. Instead,I hold that what cannot be proved in practice cannot be sound in theory."says Mahatma Gandhi. The primary goal of the NEP 2020 is to ensure that all Indians receive a quality education at an affordable price.The NEP 2020 calls for key reforms in both school and higher education that prepare thenext generation to thrive and compete in the new digital age. Thus, there is much emphasisupon multidisciplinary, digital literacy, written communication, problem-solving, logicalreasoning, and vocational exposure in the document.On this background of big and ambitious dreams not converted in reality, New Education Policy2020 poses again such question mark "Can we really attain the goal?" Always we have miserably failed in an appropriate resource allocation. For example, 6 % of GDP budget for educationdiscussed and recommended in all previous education commissions and policy documentsbut it never became a reality. Now in NEP 2020 also assures of 6 % GDP budget to educationbut for provisions and implementation the NEP 2020 document only says, Central and StateGovernments will make efforts for such allocations.

As India moves towards becoming a knowledge society and economy and keeping inview the requirements of the fourth industrial revolution, characterized by increasingproportion of employment opportunities for creative, multidisciplinary and highly skilledworkforce the higher education system must.Given these requirements of the 21st century, the aim of a quality university or collegeeducation must be to develop good, well-rounded, and creative individuals. 21st century capabilities across a range of disciplines including the sciences, social sciences,

arts, humanities, languages, as well as professional, technical and vocational crafts. A quality higher education must enable personalaccomplishment and enlightenment, constructive public engagement, and productivecontribution to society. It must prepare students for more meaningful and satisfying lives andwork roles, and enable economic independence. Quality university and college education must, therefore, aim to be both a joy and an opportunity, to which all citizens must haveaccess if they so desire.

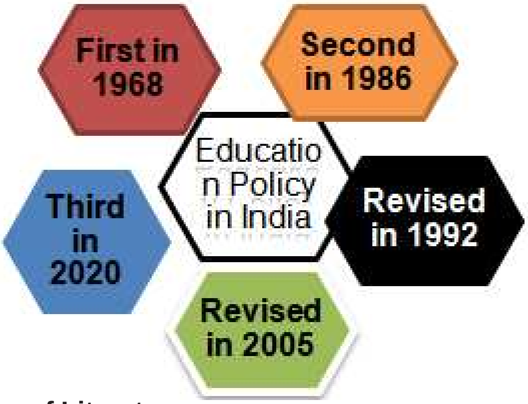

Review of Literature

Kaurav, Dr. Rahul Pratap Singh, Suresh, Prof. K.G., Narula,Dr. Sumit and Baber, Ruturaj (Dec. 2020) their paper named "new education policy: qualitative (contents) analysis andtwitter mining (sentiment analysis)" highlights that the currentpolicy is third in sequence and replaces the NEP1986. The NEP 2020 provides a concrete path to education in the country. Under NEP 2020, the top universities across the world will be able to starttheir campuses in the country. Under the NEP2020, there is an extensive focus on reshapingthe curriculum. The board examinations will bereformed and there is much emphasis on thedevelopment of critical thinking among thestudents and offering experiential learning tothem. The most important thing is that there willbe an emphasis on teaching students all the subjects in their native language. The NEP 2020 addresses the need to create professionals infields ranging from agriculture to artificial intelligence. India should be prepared for what'sto come.

Kurien, Ajay and Chandramana, Dr. Sudeep B. (Nov. 2020) their paper named "Impact of New Education Policy 2020 on Higher Education" describe that the NEP 2020 addresses the need to develop professionals in a variety offields ranging from Agriculture to Artificial Intelligence. India needs to be ready for the future.And the NEP 2020 paves the way ahead for many young aspiring students to be equipped with the right skillset. The new education policy has a laudable vision, but its strength will depend on whether it isable to effectively integrate with the other policy initiatives of government like Digital India,Skill India and the New Industrial Policy to name a few, in order to effect a coherent structuraltransformation. Effective and time-bound implementation is what willmake it truly path-breaking.

Aithal, P.S.and Aithal, Shubhrajyotsna (Aug. 2020) their paper named "Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards Achieving its Objectives"describe that Higher education is an important aspect in deciding the economy, social status, technology adoption, andhealthy human behavior in every country. Improving GER to include every citizen of the country in highereducation offerings is the responsibility of the education department of the country government. National Education Policy of India 2020 is marching towards achieving such objective by making innovative policiesto improve the quality, attractiveness, affordability and increasing the supply by opening up the highereducation for the private sector and at the same time with strict controls to maintain quality in every highereducation institution. All highereducation institutions with current nomenclature of affiliated colleges will expand as multi-disciplinaryautonomous colleges with degree giving power in their name or becomes constituent colleges of their affiliated universities. An impartial agency National Research Foundation will fund for innovative projectsin priority research areas of basic sciences, applied sciences, and social sciences & humanities.

Sawant, Dr. rupesh G. and Sankpal, Dr. Umesh B. (Jan. 2021) their paper named "national education policy 2020 andhigher education: a brief review" described that The actual transformations of NEP 2022 will start from the academic year 2021-22 and will continue until theyear 2030, where the first level of transformation is expected to visible. The mission is aspirational but the successfull implementation depends upon how would implementers understand the challenges and try to overcome it. It requires great deal of acceptance, commitment, optimism, change in attitude, and mind-set. No doubt, the Government of India took a giant leap forwardby announcing its new education policy i.e. the National Education Policy 2020 (NEP 2020), almost three decades after the lastmajor revision was made to the policy in 1986. Even, the drafting committee of NEP 2020 has made a great attempt to design thepolicy that considers diverse viewpoints, global best practices in education, field experiences and stakeholders' feedback. The mission is aspirational but the implementation roadmap will decide if this will truly foster an all-inclusive education that makeslearners industry and future ready.

Venkateshwarlu, B. (Feb. 2021) his paper named "a critical study of nep 2020: issues, approaches, challenges, opportunities and criticism" highlights that All higher education institutions with current nomenclature of affiliated colleges will expand as multi-disciplinaryautonomous colleges with degree giving power in their name or becomes constituent colleges of their affiliated universities. Animpartial agency National Research Foundation will fund for innovative projects in priority research areas of basic sciences, appliedsciences, and social sciences & humanities. The system will transform itself as student centric with the freedom to choose core and allied subjects

within a discipline and across disciplines. Faculty members also get autonomy to choose curriculum, methodology, pedagogy and evaluation models within the given policy framework. These transformations will start from the academic year 2021-22and will continue until the year 2030 where the first level of transformation is expected too visible.

All higher education institutions with current nomenclature of affiliated colleges will expand as multi-disciplinary autonomous colleges with degree giving power in their name or becomes constituent colleges of their affiliated universitiy Moerman, Lee (July 2006) his paper named “Accounting for Intellectual Property: Inconsistencies and Challenges” highlights that author describe about an International Standard for Intangible Assets, IAS 38, Intellectual Property: A ‘Right’ or ‘Asset’ or Both? And Challenges. Potential solutions may lie in the harmonization across regimes, how this may be affected remains a challenge for policy makers in a globalized environment.

Objectives of the study: The present study will be based on the following objectives:

1. To study the history of education policy in India.
2. To study the key features of national education policy 2020 in higher education.
3. To Study theeducation structure pattern, course structures, subject pattern, syllabus pattern, examination pattern and result pattern in MP higher education institution after adopting NEP 2020.

History of Education Policy in India: Education is main resource for achieving many benefits such as full human potential, developing an equitable society, and promoting national development.Education policy plays an important role in the development of any country.In India, mainly 3 education policy has been launched yet to. In 1968, Based on the report and recommendations of theKothari Commission (1964–1966),Indira Gandhi’s, the former primeminister, launched a first national policy on education (NPE) forpromoting higher education among rural and urban. The decision to adoptHindi as a national language proved controversial. The policy called for the use and learning of Hindi to promote a common language throughout India.In 1986, Rajiv Gandhi, the former prime minister, launched second national policy on education forpromoting education at all economic levels and focus on adult education and the empowerment of minorities.The policy calledfor the expansion of scholarships, subsidies, allowances, adult education, and various othermethods to promote social integration.In 1992, the former Prime Minister PVNarasimha Rao revised the NPE and focus on common entrance examination for professional and technical examination. In 2005, the former prime minister Dr. Manmohan Singh also revised the NPE and focus on common minimum program.In 2019, the Ministry of Human ResourceDevelopment (MHRD) released a Draft on NEP,2019, which was trailed by several ideas and consultations offered by the stakeholders and public. The Draft NEP discusses reducingcurriculum content to enhance essential learningand critical thinking.In 2020, Narendra Das Modi, prime minister launchedthe national education policy (NEP) 2020 which focus on reimagining vocational education, catalyzing quality academic research in all fields by introducing the regulatory mechanism, curbing commercialization of education, effective governance and leadership for higher education, internationalization of professional education, promotion of Indian languages, arts, and culture.The national education policy (NEP) 2020 is the first education policy of the 21st century and replaces the34th year old national policy on education (NPE), 1986.

Key Features of National Education Policy 2020 in Higher Education: The main goal of NEP 2020 for higher education institution is provided quality education to all students. It aims to increase the GER from 26.3% (2018) to 50% by 2035. New seats around 3.5 crore will be added to highereducation institutions. In NEP 2020, mainly focus on vocational education in higher education. It aims at building the overall personality of students by strengthening infrastructure for open and distance learning,online education and increasing the use of technology in education. Institutions will have the option to runopen distance learning (ODL) and online programs, provided they are accredited to doso, to enhance their offerings, improve access, increase GER, and provide opportunities forlifelong learning. The national research foundation will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education. One of the key thrust areas of NEP 2020 is to encourage high R&D investments fromgovernment and private sectors. This will encourage innovation and innovative mindsets. Tofacilitate the same, there is a need for a strong industry commitment and close interventionwith academia for industry led skilling / upskilling/ reskilling.The NETF envisaged to be established under NEP 2020 is a step in the right direction. Thehosting of Quality Ed-Tech tools in all the dimensions of teaching learning delivery wouldenable institutions of learning to adapt quickly.NEP 2020 adopted three tier system of universities in India, which is to beimplemented in coming decade such asresearch intensive universities (RIU), teaching intensive universities (TIUs) anddegree awarding institutions/ universities (DAUs).NEP 2020 is included the key features such as holistic multidisciplinary education,national research foundation will be created for fostering a strong research culture and building research capacity, for regulation higher education commission of India (HECI) will be set up as a single regulatory body, rationalized institutional architecture forhigher education institutions, for motivating, energizing, and building capacity of faculty, for established mentoring mission, financial support for studentsefforts, open and distance learning, online education and digital education, technology in education, promotion of Indian languages, student and faculty mobility and financing education.The

policy envisages broad based, multi-disciplinary, holistic under graduate education withflexible curricula, creative combinations of subjects, integration of vocational educationand multiple entry and exit points with appropriate certification. UG education can be of 3or 4 years with multiple exit options and appropriate certification within this period. Forexample, certificate after 1 year, advanced diploma after 2 years, bachelor's degree after 3years and bachelor's with research after 4 years.An academic bank of credit is to be established for digitally storing academic creditsearned from different HEIs so that these can be transferred and counted towards final degree earned.

Higher education institutions will be transformed into large, well resourced, vibrant multidisciplinary institutions providing high quality teaching, research, and community engagement.NEP makes recommendations for motivating, energizing, and building capacity of facultythrough clearly defined,independent, transparent recruitment, freedom to design curricula/pedagogy, incentivizing excellence, movement into institutional leadership. Faculty not delivering on basic norms will be held accountable.A national mission for Mentoring will be established, with a large pool of outstanding senior/retired faculty including those with the ability to teach in Indian languages that would bewilling to provide short and long-term mentoring/professional support to university/college teachers.Financial support for student'sefforts will be made to incentivize the merit of students belonging to SC, ST, OBC, and otherSEDGs. The national scholarship portal will be expanded to support, foster, and track theprogress of students receiving scholarships.This will be expanded to play a significant role in increasing GER. Measures such as onlinecourses and digital repositories, funding for research, improved student services, credit-basedrecognition of MOOCs, etc., will be taken to ensure it is at par with the highest quality in-class programmes.A comprehensive set of recommendations for promoting online education consequent tothe recent rise in epidemics and pandemics in order to ensure preparedness with alternativemodes of quality education whenever and wherever traditional and in-person modes of education are not possible, has been covered. A dedicated unit for the purpose of orchestratingthe building of digital infrastructure, digital content and capacity building will be created inthe MHRD to look after the e-education needs of both school and higher education.An autonomous body, the national educationaltechnology forum (NETF), willbe created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration. Appropriate integration oftechnology into all levels of education will be done to improve classroom processes, supportteacher professional development, enhance educational access for disadvantaged groupsand streamline educational planning, administration and management. To ensure the preservation, growth, and vibrancy of all Indian languages and use mother tongue/local language as a medium of instruction in more HEI programmes.Internationalization of education will be facilitated through both institutional collaborationsand student and faculty mobility and allowing entry of top world ranked Universities to opencampuses in our country.Professional EducationAll professional education will be an integral part of the higher education system. Standalone technical universities, health science universities, legal and agricultural universitiesetc will aim to become multi-disciplinary institutions.Adult EducationThe policy aims to achieve 100% youth and adult literacy.The Centre and the States will work together to increase the public investment in Educationsector to reach 6% of GDP at the earliest.This 'imagined' autonomy is envisaged through replacement of UGC (University Grants Commission) and AICTE (All IndiaCouncil for Technical Education). New body Higher Education Commission of India is based on the idea of division offunctionsand separation of activities.

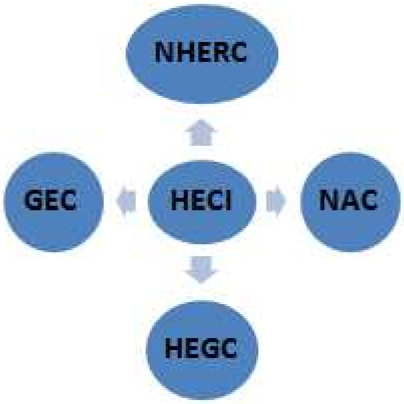

HECI(higher education commission in India) is single overarching umbrellabody forregulate to entire higher education in India excluding medical and legal education. Ithasfour independent verticals such as NHERC (national higher education regulatory council) for regulation, GEC (general education council) for standard setting, HEGC (higher education grantscouncil)for funding and NAC (national accreditation council for accreditation).

Key Features of MP Higher Education Institution after Adopting NEP 2020: Madhya Pradesh (MP) is the first state which applied national education policy NEP 2020 in India. In MP, Higher education institutions applied education structure pattern,course structures, subject pattern, syllabus pattern, examination pattern and result pattern according to NEP 2020 from academic session 2021-22. New3 to 4 year bachelor degree replaces the old 3 years bachelor degree program. In MP, at present 3 to 4 year bachelor degree is applied in higher education institutions.Starting with the bachelors' degree, the NEP lays out stage wise distribution of the3 to 4 year bachelor's degree. A student would now have the option of multiple exitoptions such as study for 1 year, 2 year, 3 year or 4 year. According to the same, the studentwould be offered a certificate for 1 year

education, diploma for 2 year education, bachelor's degree for 3 year course and bachelor's degree with research for 4 year course.Another good thing is the focus of the NEP on the all-round flexibility in course structures. It is full of impressive phrases like holistic and multi-disciplinary.

In MP, after adopting NEP 2020 course structure will be flexible. Now subject will be classified in various categories such as major subject, minor subject, elective subject, vocational subject, foundation subject and project work. Major subject contain two papers, minor subject contain one paper, elective subject contain one paper, vocational subject contain one paper, foundation subject contain four papers and project work contain four options. Major is main part to apply for post graduate. Students can choice a multi-disciplinary subject such as arts students can choice a science or commerce subject as elective subject. Similarly commerce student can choice a science or arts subject and science student can choice a commerce or arts subject as elective subject. This type benefit was not available in the earlier policy.According NEP 2020 syllabus pattern will be divided into three parts. First part contains subject introduction like as Class name, session, code of subject, title of subject, types of subject, learning outcome and job opportunity available after complete this subject. Second part contains content of subject which divided in 5 or 6 units with no. of lecture to specify each unit. Third part contains reference books or material related to content of subject.In NEP 2020, result pattern will be show in many options such as credit, grade point, credit point, grade and SGPA. Major has 6 credits each paper. Miner and elective subjects have 6 credits. Vocational and project work have 4 credits. Foundation subject has 3 credit each paper. Grade point scale is following: grade point 0,4,5,6,7,8,9 and 10 respectively grade as F, P, C, B, B+, A, A+ and O and respectively marks range as 0-34.99, 35-39.99, 40-49.99, 50-59.99, 60-69.99, 70-79.99, 80-89.99 and 90-100.The undergraduate courses would be credit based and an Academic Bank of Creditor ABC would be available to digitally store the credit.

Conclusion: NEP 2020 is aimed to revamp higher education in India. Higher education is an important aspect in deciding the economy, social status, technology adoption, and healthy humanbehavior in every country.The primary goal of the NEP 2020 is to ensure that all Indians receive a quality education at an affordable price.

In this paper, we discuss about the history of national education policy 2020, Key features of national education policy 2020 in higher education and key features of MP higher education institution after adopting NEP 2020 such as education structure pattern, course structures, subject pattern, syllabus pattern, examination pattern and result pattern.We found that there is students would have an optionto exit at different stages and also re-enter the higher education system, bringingwith them the credits earned. The 3 yearsof graduation has been upgraded to 4 years. All courses are multi-disciplinary. With multi-disciplinary approach, a stream student (arts) cans choice another stream (science or commerce) subject as elective subject. For those students who have completed 4 years of bachelors' program withresearch, there would be an option of a one year master's degree. Now result pattern will be show in many options such as credit, grade point, credit point, grade and SGPA. NEP 2020 will be focus on vocational education. The main objective of adopting vocational education is to provide various employment opportunities in India.

References:-

1. Kaurav, Dr. Rahul Pratap Singh, Suresh, Prof. K.G., Narula,Dr. Sumit and Baber, Ruturaj (2020), "new education policy: qualitative (contents) analysis andtwitter mining (sentiment analysis)", Journal of Content, Community & Communication, Vol. 12 Year 6, December – 2020, ISSN: 2395-7514 (Print).
2. Kurien, Ajay and Chandramana, DrSudeep B. (2020) "Impact of New Education Policy 2020 on Higher Education",https://www.researchgate.net/publication, Conference: AtmaNirbhar Bharat: A Roadmap to Self-reliant India, At: Thiruvalla.
3. Aithal, P.S. and Aithal, Shubhrajyotsna (2020) "Analysis of the Indian National Education Policy2020 towards Achieving its Objectives", International Journal of Management, Technology, and Social, Sciences (IJMTS), ISSN: 2581-6012, Vol. 5, No. 2, August 2020.
4. Sawant, Dr. rupesh G. and Sankpal, Dr. Umesh B. (2021),"national education policy 2020 andhigher education: a brief review", International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), Volume 9, Issue 1 January 2021 | ISSN: 2320-2882.
5. Venkateshwarlu, B. (2021), "a critical study of nep 2020: issues, approaches, challenges, opportunities and criticism", internationaljournal of multi-disciplinary educationalresearch, Peer Reviewed and Refereed Journal, VOLUME:10, ISSUE:2(5), February:2021, ISSN:2277-7881.
6. Smitha, Dr. S (2020), "National Education Policy (NEP) 2020- Opportunities and Challenges in Teacher Education", International Journal of Management (IJM), Volume 11, Issue 11, November 2020, pp. 1881-1886, ISSN 0976-6510.
7. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
8. https://www.ugc.ac.in/pdfnews/5294663_Salient-Featuresofnep-Eng-merged.pdf
9. Hindustan Times
10. The Times of India

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

स्मार्ट कृषि- दूसरी हरित क्रांति के सहायक के रूप में

डॉ. पंकज जायसवाल *

* अध्यक्ष (भूगोल विभाग) साई पी.जी. कॉलेज, फतेहपुर, बाराबंकी (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – बहुत पहले एक बार हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हर चीज इंतजार कर सकती है, लेकिन खेती इंतजार नहीं कर सकती। यही कारण रहा कि आगामी भारत की सरकारों ने कृषि उत्पादकता और कृषि विकास की निरंतर बढ़ोतरी को बहुत अधिक महत्व दिया। आज जबकि भारत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा रहा है बावजूद इसके हमारी अर्थ व्यवस्था में कृषि की भूमिका अब भी सब से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी सरकार मानती है कि भूखे पेट रहकर किसी भी तरह की प्रगति नहीं की जा सकती और वैसे भी भारत की 72.2 प्रतिशत की आबादी ग्रामीण पृष्ठभूमि की है। परन्तु जहां एक ओर उपरोक्त तथ्य सही है तो वहीं दूसरी ओर गाहे बगाहे हमें यह स्वीकार करना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा घटा है। इस समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा करीब 20.2 प्रतिशत के आसपास है। बारहवी पंचवर्षीय योजना (2012-17) वर्ष में तो कृषि की औसत वृद्धि दर ऋणात्मक -0.2 प्रतिशत रही है। भारत सरकार ने इन निराशाजनक रुझानों को बदलने के पक्के प्रयास किये हैं। आज जब भारत विकास के लिए महत्वाकांक्षी है, तो इसे देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और प्रबंधकों के सामने चुनौतियां एकदम स्पष्ट हैं। ये चुनौतियां है- कृषि की विकास दर 4 प्रतिशत से अधिक कैसे हो? इसके लिए किस प्रकार के तकनीकी उपाय अपनाये जाने चाहिए? अनुसंधान और प्रसार के प्रयासों में किस तरह के बदलाव लाये जायें। जिससे किसानों खासतौर पर बारानी खेती वाले इलाकों के किसानों की आवश्यकता सही तरह से पूरी हो सके। क्या फसल आधारित दृष्टिकोण की बजाय फार्म प्रबंधन आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए? कृषि प्रसार प्रणाली का पुनर्गठन कर उसमें किस तरह नई जान फूंकी जाये जिससे नवीनतम प्रौद्योगिकी और फार्म प्रबंधन विधियां कृषक समुदाय तक पहुंच सके। कृषि में किन सुधारों की आवश्यकता है जिनसे कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के फलस्वरूप किसानों को उपज का अधिक मूल्य मिल सके।

अब हम उन अनुप्रयोगों के संदर्भ में बात करेंगे जिनके माध्यम से भारत उपरोक्त कृषि चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेगा और दूसरी हरित क्रांति के परिवेश में से अपने कदम रख सकेगा।

अनुसंधान और प्रसार : हरित क्रांति लाने में कृषि अनुसंधान और प्रसार प्रणाली की केन्द्रीय भूमिका रही है। स्वतंत्रता के समय खाद्यान्न का उत्पादन 5 करोड़ टन था जो अब छ: गुना से भी अधिक बढ़कर 31 करोड़ टन से अधिक हो गया है। अब हम पटसन और अन्य रेशों, दूध, गेहूं, चावल, फलों और सब्जियों, अंडा तथा मछली के अग्रणी उत्पादकों में से एक हैं। हमारा अनुसंधान केवल अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के विकास और उत्पादन के बेहतर तरीकों तक ही सीमित नहीं रहा। बेहतर पशुधान प्रबंधन, जलजीव और समुद्री जीव पालन, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और इस्तेमाल तथा खेती के उन्नतशील औजारों और मशीनरी के विकास में भी हमें उल्लेखनीय सफलतायें मिली हैं। अनुमान है कि कृषि उत्पादन में आकलित विकास का लगभग आधा नयी खोजों और प्रौद्योगिकी के विकास से संभव हुआ है।

ऐसे में कृषि अनुसंधान और प्रसार प्रणाली को यह सुनिश्चित करना होगा कि समस्याओं के जो समाधान उपलब्ध हैं वे वास्तव में तक पहुंचे ताकि वे जल्द से जल्द उनका लाभ ले नीतिगत ढांचा भी अपनाना होगा कि किसानों की आमदनी बढ़े।

सूचना: वर्ष 1974 में कृषि विज्ञान केन्द्रों की शुरूआत से ही ये संगठन अनुसंधान प्रयोगशालाओं से किसानों और अन्य उपयोगकर्ताओं तक प्रौद्योगिकी की जानकारी पहुंचाने वाले महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुए हैं। कृषि समुदाय की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के प्रति प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन, परिष्करण और प्रदर्शन का प्रभावी साधन बन सकते हैं। ये किसानों को उच्च स्तरीय अनुसंधान और प्रशिक्षण का लाभ पहुंचा सकते हैं। अब तक 731 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हो चुकी हैं। इनमें से अभी तक 657 कृषि विज्ञान केन्द्र ऐसे है जिनके पास अपना प्रशासनिक भवन है, तो 521 ऐसे कृषि विज्ञान केन्द्र है जिनमें किसान के लिए हॉस्टल की सुविधा है।

कृषि आधारित सभी उन्नत अर्थव्यवस्थायें ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्थायें हैं। इसलिए किसानों के ज्ञान भण्डार को अधिक से अधिक व्यापक बनाने के हर संभव उपाय करने होंगे ताकि वे नई प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। किसानों की सूचना संबंधी आवश्यकतायें केवल प्रौद्योगिकी तक सीमित न होकर बहुमुखी हैं। उन्हें व्यवसाय के रूप में खेती, खेती के नये तरीकों, नई नीतियों, दूसरे किसानों के श्रेष्ठ तरीकों और बाजार संबंधी आसूचना की आवश्यकता है। अत: समय पर सूचना उपलब्ध होना हमारी कृषि के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

नॉलेज बैंक: आज हमारी प्रसार सेवाओं को विश्वसनीय सूचनाओं की मांग और तेजी से पूरा करने के लिए कमर कसनी होगी। नई सूचना प्रौद्योगिकी और संचार साधनों के माध्यम से यह संभव है। ये साधन न केवल शोधकर्ताओं और किसानों के बीच के भौतिक अवरोध को समाप्त करते हैं बल्कि किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार सूचना भी उपलब्ध कराते हैं। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लगभग 350 से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक संपर्क से जोड़ने का फैसला किया है ताकि वे किसानों के लिए सूचना प्राप्ति का केन्द्र बन सकें। यही कृषि विज्ञान केन्द्र अपनी स्थापना वाले प्रत्येक जिले में 'नॉलेज बैंक' के रूप में कार्य कर सकेंगे।

गतिशील और विकासमान अर्थव्यवस्था में कृषि विज्ञान केन्द्रों को प्रत्येक जिले का ऐसा केन्द्र बिन्दु बनना होगा जहां से कारगार भागीदारी के जरिये सूचना, ज्ञान और प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने वालों तक पहुंच सकें। उन्हें किसानों की जरूरतों के बारे में जानकारी अनुसंधान कर्त्ताओं तक पहुंचाने का कारगार माध्यम बनना होगा। ताकि अनुसंधान कार्यक्रमों को जरूरत के अनुरूप बनाया जा सके। उन्हें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि अनुसंधान के नतीजे विशाल प्रयोगशालाओं से निकलकर भारतीय किसानों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करें।

जीन तकनीक अपनाकर दूसरी हरित क्रांति लाने का प्रयास: इक्कीसवीं शताब्दी की इस दुनिया में वैज्ञानिक किसी भी सजीव से अपनी जरूरतों की कोई भी जीन निकालकर, किसी अन्य सजीव में आरोपित कर सकने में समर्थ हैं। यही नहीं वैज्ञानिक डी.एन.ए. अणुओं को काट कर किसी अन्य जगह चिपका सकते हैं। आणविक जीव विज्ञान तथा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी विकास के कारण उक्त सभी उपलब्धियां संभव हुई हैं।

हम कृषि क्षेत्र में एक और क्रांति के युग में प्रवेश कर चुके हैं। यह क्रांति जीन क्रांति कहलाती है, जो जैव प्रौद्योगिकी के विकास से संभव हुई है। केन्द्र सरकार ने लगभग 4 साल पहले बी.टी. कपास के व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति दे दी है। यह सरकार के पर्यावरण विभाग के जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के द्वारा प्रदान की जाती है। जीईएसी द्वारा बी.टी. कपास की तीनों प्रजातियों मेक-12-162 व मेक-184 के उत्पादन की अनुमति दे दी गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इन परीक्षणों के परिणामों से संतुष्ट होने के बाद ही बी.टी. कपास के व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति दी गयी है। समिति ने यह भी संकेत दिया कि कुछ अन्य जी.एम. फसलों के जैव सुरक्षा मूल्यांकन के बाद व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति दी जायेगी। जिन फसलों के व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति दी जानी है वे हैं बैंगन, टमाटर, अरहर व मटर आदि। आशंका यह की जा रही थी कि बी.टी. कपास की फसल को चारे के रूप में लेने से पशुओं और उनके दूध को पीने से मनुष्यों पर घातक प्रभाव पड़ सकता है लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसको प्रमाणित नहीं किया जा रहा है। सामान्यतया यह प्रवृत्ति रही है कि किसी भी नयी प्रौद्योगिकी का पहले विरोध ही किया गया है।

कपास देश की प्रथम ट्रांसजैनिक फसल है जिसके देश में व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति दी गई। बी.टी. अवयव विगत पचास वर्षों में जैव कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन किसी को इससे परेशानी नहीं हुई। ट्रांसजेनिक फसलों के उत्पादन से जैवविविधता तक हमारी पहुंच दिनों दिन बढ़ती जा रही है। परंपरागत माध्यम से ऐसा संभव न था। इस बात की भी आवश्यकता है कि जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान व नीति उन गरीबों की जरूरतों के अनुसार ही हो जो पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। किसानों द्वारा ट्रांसजैनिक फसलों को तभी अपनाया जायेगा, जब सामान्य खतरों व हानियों, मानव स्वास्थ्य व पोषण पर पडने वाले दीर्घ कालीन प्रभाव व पर्यावरण तथा कृषि की हानि से संबंधित शंकायें दूर कर दी जायेगी। उपरोक्त संपूर्ण विवरण के आधार पर यह कहा जाना प्रासंगिक ही होगा कि भारत सरकार कृषि क्षेत्र को उन्नतिशील बनाने के लिए सही किसानों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। उसकी यह प्रतिबद्धता हमें इस बार के बजट मे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। जिस तरह से किसानों के ऋण माफ किये गय है। उसको देखते हुए कृषि में निवेश और अधिक बढ़ाने की बात कही जा रही है वर्तमान में पूर्व में किये गये कृषि मे निवेश की अपेक्षा इस सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में निवेश में अधिक वृद्धि की गई है। एवं 4070018 हे0 जमीन पर सिचाई की सुविधा प्राप्त है, इससे साफ तौर पर इंगित होता है कि भारत सरकार ने कृषि जगत से जुड़े नकारात्मक रुझानों को दूर करने का दृढ़ निश्चय ले लिया है। उसकी इसी मानसिकता का ही दीर्घकालिक परिणाम है कि वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान उत्पादन (गेहूँ,चावल, दाल, मोटा अनाज) का रिकार्ड 31074 मिलियन टन रहा है इसके साथ ही सरकार ने फैसला किया है कि किसानों के बीच खेती किसानी के अनुभव नयी तकनीकों की जानकारी देने और बाजार का ज्ञान कराने हेतु अब गांवों में किसान विद्यालय खोले जायें बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के अधिक से अधिक खाद्यान उत्पादन किया जा सके, ताकि इन विद्यालयों में कृषि के साथ पशुपालन औद्योगिकी, विपणन आदि कई ट्रेंडों की जानकारी रखने वाले प्रशिक्षक तैनात होंगे। न्याय पंचायत स्तर पर खोले जा रहे इन विद्यालयों को सरकार संसाधन उपलब्ध करायेगी, किसानों की आय को दोगुनी करने एवं खाद्यान उत्पादन को बढ़ाने हेतु भारत सरकार कृषि को स्मार्ट बनाने के लिए कई योजना संचालित कर रही है जो कृषि क्षेत्र में डिजिटल आधारित स्मार्ट कृषि को प्राथमिकता दे रहे है इसके अन्तर्गत मुख्यत: इलेक्ट्रानिक एवं मोबाइल ऐप आधारित कृषि पर जोर दिया जा रहा है। सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण उपकरण एवं आईटी सिस्टम आधारित कृषि की अभी भारत में शुरूआत ही हुई है। भारत को स्मार्ट कृषि से जुड़ी हुई चुनौतियों एवं सम्भावनाओं को बारीकी से समझकर नीतियो का निर्माण कर एवं उनके अनुपालन द्वारा किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है, इस सन्दर्भ में मोबाइल ऐप किसानो एवं कृषि को स्मार्ट बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे है जिनसे तमाम प्रकार की सूचना एवं जानकारी प्राप्त हो जाती है।

किसानों को सटीक जानकारी देते मोबाइल ऐप: कृषि क्षेत्र तक सही एवं समय पर जानकारी प्रदान करने वाले मोबाइल ऐप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समय पर सूचना की आवश्यकता होती है। स्मार्ट कृषि हेतु आज ऐसे मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध है जो नवीनतम कृषि जानकारी जैसे कीटों और बीमारियों की पहचान, मौसम के बारे में रीयल-टाइम डेटा, तूफानों के बारे में पूर्व चेतावनी, स्थानीय बाजार सर्वोत्तम मूल्य, बीज, उर्वरक आदि की जानकारी किसानो को उनके द्वार तक देते हैं। नीचे तालिका में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप्स को दर्शाया गया है जो स्मार्ट कृषि की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) एवं डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर किसानों को उनके द्वार पर सटीक जानकारी दे रहे हैं।

विभिन्न सरकारी संस्थाओं, निजी कंपनियों द्वारा भी कई ऐप विकसित किए गए हैं जो स्मार्ट कृषि तकनीकों का उपयोग कर सही समय पर सटीक जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं जैसे सोलापुर अनार, केन एडवाइजर, पशु पोषण, कृषि वीडियो एडवाइज ऐप इत्यादि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मोबाइल ऐप की महत्ता को समझते हुए एक खास मोबाइल ऐप गैलरी का निर्माण भी किया है जहां पर 355 कृषि मोबाइल ऐप की विस्तृत जानकारी एवं डाउनलोडिंग लिंक उपलब्ध है।

(https:www.krishi.icar.gov.in/mobileapp/)

तालिका 1 - (निचे देखे)

और व्यापारियों से आग्रह कर रही हैं कि वे ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार का उपयोग करें और कोविड-19 के खतरे के बीच नीलामी स्थल पर भौतिक उपस्थिति से बचें और इसलिए किसानों ने 585 मंडियों में ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन बोली लगाना शुरू भी कर दिया

है जिसको स्मार्ट कृषि के अंतर्गत स्मार्ट मार्केटिंग का नाम दिया जा रहा है। ये सभी कदम दूसरी हरित क्रांति के लिए सहायक हैं। इस बार की हरित क्रांति की विशेषता यह होगी कि ये केवल खाद्यान्न उत्पादन पर ही आधारित नहीं होगी बल्कि खाद्यान्न उत्पादन में जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। (पानी, खाद, बिजली, मिटटी आदि) उनके टिकाऊ प्रबंधन पर भी आधारित होगी ताकि एक तरफा विकास न हो, सर्वमुखी विकास हो। अंतत: 21वीं सदी की हरित क्रांति को टिकाऊ हरित की संज्ञा के साथ साथ स्मार्ट किसान, स्मार्ट मार्केटिंग एवं स्मार्ट खेती के नाम से भी जानी जायेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. भूगोल और आप, अंक–4, नवम्बर दिसम्बर 2005
2. कुरूक्षेत्र, अंक–7, मई 2007
3. कृषि भूगोल, प्रोफेसर बी0एन0 सिंह, 2007
4. भूगोल और आप, अंक–7, संख्या–2, मार्च–अप्रैल 2008
5. योजना विशेषांक, मार्च 2008
6. कुरूक्षेत्र, अंक– 9, जुलाई 2008
7. योजना, विशेषांक, अगस्त 2008
8. कुरूक्षे, अंक–2, दिसम्बर 2011
9. एक नजर में कृषि सांख्यिकी 2015
10. संयुक्त राष्ट खाद्य एवं कृषि संगठन
11. आर्थिक संवेक्षण 2020–21
12. कुरूक्षेत्र, अंक– 2, दिसम्बर 2021
13. योजना विशेषांक, जनवरी 2022
14. कुरूक्षेत्र, अंक– 3, जनवरी 2022
15. आर्थिक समीक्षा 2021–22

क्र.	मोबाइल ऐप	विशेषता
1.	किसान सुविधा	किसान सुविधा प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके किसानों की मदद करने के लिए विकसित एक सर्वव्यापी मोबाइल ऐप है। ऐप किसानों को मौसम, बाजार मूल्य, डीलरों, पौधों की सुरक्षा, आईपीएम, बीज, विशेषज्ञ सलाह, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
2.	पूसा कृषि	इस मोबाइल ऐप को किसानों के खेतों तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा विकसित तकनीकों को ले जाने के लिए लांच किया गया है। इसमें विकसित फसलों की नई किस्मों से संबंधित जानकारी, कृषि मशीनरी और इसके कार्यान्वयन और उत्पादन प्रौद्योगिकियों की विस्तृत जानकारी है।
3.	मृदा स्वास्थ्य	यह एप्लिकेशन किसानों के द्वारा दी गई मृदा की जांच रिपोर्ट उन तक आसान तरीके से पहुंचाता है। स्मार्ट ऐप कृषि की ग्लोबल पोजिशनिंग तकनीकी का उपयोग कर किसान खेत के सटीक स्थान एवं मृदा गुणवत्ता को अंकित करता है।
4.	कार्ड मोबाइल ऐप	ऐसे ऐप की ग्लोबल पोजिशनिंग तकनीकि का उपयोग कर किसान खेत के सटीक स्थान एवं मृदा गुणवत्ता को अंकित करता है।
5.	भुवन ओलावृद्धि ऐप	इस मोबाइल ऐप द्वारा ओलावृष्टि के कारण फार्म को हुई हानि का डाटा तस्वीरों और भौगोलिक स्थान के साथ दर्ज होता है जिससे ओलावृष्टि से नुकसान का आकलन कर किसान को बीमा देने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। स्मार्ट कृषि के डेटा एनालिटिक्स का उपयोग इस मोबाइल द्वारा होता है।
6.	ई–नाम मोबाइल ऐप	इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य व्यापारियों / मंडियों द्वारा फसल मूल्य किसानों और अन्य हितधारकों को उनके स्मार्ट फोन पर सही समय पर उपलब्ध कराना है। इसमें स्मार्ट कृषि के डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया गया है तथा किसानों को बिडिंग की सुविधा भी दी गई है।
7.	एग्री–मार्केट ऐप	एग्री–मार्केट मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किसान अपने मोबाइल डिवाइस के 50 किमी. के भीतर फसलों का बाजार मूल्य जानने के लिए कर सकता है। यह ऐप मोबाइल का उपयोग करने वाले व्यक्ति की लोकेशन अपने आप कैप्चर कर लेता है तथा 50 किमी. के अंतर्गत बाजारों के जीपीएस एवं कीमत की जानकारी किसान को देता है।
8.	राइस एक्सपर्ट	यह भा. कृ. अनु. प. राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक द्वारा वर्ष 2017 में विकसित ऐप है। इसे चावल संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से फसल में विभिन्न पारिस्थितिकी के लिए चावल की किस्में, पोषक तत्व उपलब्धता, खरपतवार नियंत्रण, सूत्रकृमि प्रबंधन कीट प्रकोप एवं नियंत्रण, रोग संबंधी समस्याएं व निवारण, फसल प्रबंधन, श्रम कम करने हेतु उपलब्ध कृषि मानकीकरण आदि जानकारी दी गई है। यह ऐप चावल में त्वरित समाधान के लिए प्रश्नों के उत्तर, चित्र द्वारा समस्या का आकलन और आवाज़ के माध्यम से नैदानिक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
9.		भा. कृ. अनु. प. राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली ने 12 प्रमुख फसलों अर्थात। चावल, कपास, गोभी, फूलगोभी, बैंगन, अरहर, मूंगफली, टमाटर, सोयाबीन, चना, मिर्च, मिंडी के लिए वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कीटनाशक और फफूंद नाशक ऐप विकसित किया है। कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए विवेकपूर्ण कीटनाशक चयन, शोधकर्ताओं, कृषि प्रसारकर्मियों और किसानों को लेबल के साथ कीटनाशकों के चयन और उपयोग के लिए सहायता करना इन ऐप का मुख्य उद्देश्य है।

(स्रोत – एक्सटेंशन डाइजेस्ट: मोबाइल ऐप एम्पावारिंग फार्मर्स, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध संस्थान , मैनेज हैदरगढ़ 2017 : प्रतिभाजोशी व अन्य मोबाइल ऐप का कृषि में बढ़ता उपयोग भा.कृ.अनु.प. नम्बर 2019)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

हिन्दी राम काव्य का विकास

कवीन्द्र कुमार भारद्वाज *

*सहायक प्राध्यापक (हिंदी) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हाटपीपल्या, जिला-देवास (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – हिंदी राम काव्य का सीध संबंध रामावत संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय से हैं।रामावत संप्रदाय का संबंध विष्णु चतुस्संप्रदाय में से श्री संप्रदाय से है।रामानंद रामानुजाचार्य की परंपरा में एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुए।उन्होंने राम भक्ति पर विशेष बल दिया।उन्होंने भक्ति भावना को ऊँच-नीच और बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का काम भी किया । रामानंद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी भक्ति धारा में सगुण भी उपस्थित है और निर्गुण भी।निर्गुण धारा के महत्वपूर्ण कवि कबीर जिनके बारे में कहा जाता है जिन्होंने भक्ति को नौ खंड में फैलाया;वे भी रामानंदी चेतना से परिपूर्ण रहे हैं। सगुण धारा में अनंतानंद रामानंद के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। अनंतानंद के ही शिष्य कृष्ण प्योहारी हुए और उनके शिष्य स्वामी अग्रदास।स्वामी अग्रदास मधुर उपासना के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह सत्य है कि मर्यादामूलक भक्ति से पूर्व राम की मधुर उपासना प्रारंभ हो चुकी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम से पूर्व निर्गुण राम और रसिक संप्रदाय के राम की भक्ति प्रचलन में आ चुकी थी। अग्रदास से जो रसिक राम भक्ति का निर्झर बह निकला वह रीतिकाल आते-आते काफी वृहद और व्यापक हो गया। रसिक संप्रदाय में दास्य भाव की भक्ति नहीं होती है ।रसिक संप्रदाय में सख्य भाव से सीताराम दंपत्ति की सेवा सुश्रुषा की जाती है और उनके विहार में आनंद अनुभूत किया जाता है। हनुमान जी की भी रसिक संप्रदाय में महत्वपूर्ण भूमिका है।उन्हें रसिक भक्ति का आचार्य घोषित किया गया ।उनके आचार्यत्व में रसिक भक्ति अपने लक्ष्य की और आगे बढ़ती है। आमतौर पर यह माना जाता है की राम भक्ति प्राय: मर्यादावादी ही है किंतु ऐसा नहीं है। माधुर्य उपासना से संबंधित रसिक संप्रदाय का बड़ा भारी काव्य उपलब्ध है और वह अभी भी जारी है।

आमतौर पर हम तुलसीदास निर्मित राम छवि को ही केंद्र में पाते है।रामचरितमानस की सफलता ने तुलसी के राम को केंद्र में ला दिया। रामचरितमानस में लोक और काव्य तथा दर्शन और लोक भाषा का ऐसा गुँफन हुआ है कि तुलसीदास से इतर जो राम की छवियाँ थी वह भ्रांति पूर्ण लगने लगी। निश्चित रूप से आज भी मर्यादामूलक भक्ति का ही प्रचलन ज्यादा और सर्व सहज है। इसका कारण यह भी है कि रसिक राम भक्ति सिद्ध साधकों की परंपरा में ही सुरक्षित है।वही दूसरी और निर्गुण राम भक्ति भी इतनी सहज रूप में समाज व्याप्त नहीं है।

राम भक्ति की शुरुआत में संस्कृत महाकाव्यों में राम को विष्णु का अवतार माना गया। पुराणों में भी प्राय: ऐसा ही माना गया।लेकिन रामानंद ने राम को पूर्ण ब्रह्म माना। उनका एक छंद मिलता है जिसमें छंद के अंत में एक टेक आती है –'श्री राम जी पुरन ब्रह्म है' यथा 'ब्रह्मा विष्णु महेश नारद कोटि अठासी देवता हैं। इंद्रादिक सनकादिक गवाही श्री राम जी पुरन ब्रह्म हैं।'

निश्चित रूप से रामानंद ने राम को पूर्ण ब्रह्म घोषित किया और ब्रह्म के लिए राम का नाम मान्य हो चला ।इसीलिए निर्गुण कवियों ने पूर्ण ब्रह्म को राम का नाम दिया। कबीर अपने राम के बारे में घोषित करते हैं –'दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना राम नाम का मरम है आना।'

स्पष्ट है कि कबीर के राम दशरथ सूत नहीं है वह अवतारी नहीं है वह राम कथा के नायक भी नहीं है । वे तो अगोचर ब्रह्म हैं। संत सिंगाजी भी अपने राम के बारे में घोषणा करते हैं --

'रूप नहीं रेख नहीं ना ही कोई कुल गोत्र रे ।
बिन देही के साहिब मेरो झिलमिल देखूँ जोत रे।।'

मलूक दास ने भी यही कहा कि

'हमहीं दशरथ हम ही राम। हमरै और हमरे काम।।
हम ही रावण हम ही कंस।हम ही मारा अपना वंश।।'

निर्गुण संत कवियों के निर्गुण राम पुराणों में अभिव्यक्त राम नहीं है।वे शांति व क्रांति दोनों के पर्याय हैं। कबीर, दादू, रैदास ,रज्जब,मलूक दास के निर्गुण राम के अपने-अपने सामाजिक निहितार्थ भी मौजूद है ।कबीर के बाद निर्गुण कवियों ने राम को अधिक महत्व दिया और मलूक दास ने तो बकायदा राम अवतार लीला की रचना की और दरिया साहब ने ज्ञान रत्न व तुलसी साहब ने घट रामायण की रचना की।

कबीर दास ने कहा था ‘दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना राम नाम का मरम है आना' किन्तु परिवर्ती जो निर्गुण कवि थे उन्होंने राम को तो ब्रह्म ही माना लेकिन रामकथा का उपयोग योग परक प्रतीकों के रूप में किया-'घट में रावण राम जो लेखा ।भरत शत्रुघ्न दशरथ पेखा।।' निश्चित रूप से राम कथा को तो स्वीकार किया लेकिन राम कथा को निर्गुण दृष्टि से प्रस्तुत करने का कार्य परवर्ती निर्गुण कवियों ने किया। जहाँ तक प्रबंध काव्य का सवाल है; विष्णु दास कृत रामायण कथा पहला राम प्रबंध काव्य माना जाता है।यह इतिवृत्तात्मक शैली में लिखा हुआ है और दर्शन और विचार गांभीर्य की दृष्टि से इसका महत्व नहीं है लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि और भाषा के सहज प्रभाव की वजह से यह महत्वपूर्ण रचना है। विष्णु दास के बाद ईश्वर दास की रचना मिलती है भरत मिलाप और अंगद पेज भरत मिलाप में भरत की दास्य भक्ति अभिव्यक्त हुई है ।मर्यादावादी स्वर ईश्वर के यहाँ पर भी देखा जा सकता है। विष्णु दास और ईश्वर दास के काव्य का अवलोकन करे तो तुलसीदास के आने की आहट सुनाई देती है।तुलसीदास एक चतुर पाठक व चतुर आलोचक भी है।कबीर की उक्ति 'राम नाम का मरम है आना' का वे निर्ममता से खंडन करते है। वे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते

कि कोई उनके राम को अवतारी मानने से इनकार करे। उनकी दृष्टि में जो ऐसा करते हैं वह अधर्मी और पाखंडी है। राम दशरथ सुत के रूप में भक्तों के हित हेतु अवतरित होते हैं। मर्यादा रक्षण में तुलसी सदैव तत्पर रहते हैं और तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ऐसी छवि गढ़ी की उनके आगे अन्य छवियां धूमिल सी लगने लगी। तुलसीदास के पश्चात महत्वपूर्ण राम काव्य के कवि केशव है।निश्चित रूप से वे आचार्य कवि हैं भक्त कवि नहीं। उनका रचना काल भक्ति काल के परिधि में ही आता है। रामचंद्रिका भी राम कथा पर आधारित है लेकिन इसमें न तो दार्शनिक धार्मिक आदर्श है और न ही यह कोई लोक शिक्षण प्रदान करता है।यह महाकाव्य 39 प्रकाश में विभाजित है। इसमें अध्याय नहीं है इसमें प्रकाश है इसमें राम सीता के विहार का वर्णन भी है।उनके राम निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है वरन् राजा राम है। सेनापति के कविता रत्नाकर में चौथी और पांचवी तरंगों में रामकथा वर्णित है। पद्माकर ने भी रीतिकाल में मर्यादावादी दृष्टि राम काव्य रचा है। रीतिकाल में माधुर्य भक्ति के अन्तर्गत जानकी रसिक चरण, जनक राज किशोरी शरण, राम प्रिया शरण, राम चरण दास, जीवाराम आदि महत्वपूर्ण कवि हुए। रीतिकाल में ही सिख गुरु गोविंद सिंह का राम काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने गोविंद रामायण की रचना की।उनका मर्यादा वादी स्वर दिखाई देता है किंतु एक निर्गुण संप्रदाय के गुरु द्वारा रचित यह राम काव्य निश्चित ही महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने 'प्रयाग राम गमन' की रचना की।बालमुकुंद ने 'श्री राम स्त्रोत' रचना की। राम काव्य में विशेष परिवर्तन द्विवेदी युग में हुआ।वह युग सुधार का युग था और इस काल में राम काव्य में मध्ययुगीन आलौकिकता के स्थान पर लौकिकता दिखाई देती है। रामचरित उपातयाय कृत 'रामचरित चंद्रिका' , 'रामचरित चिंतामणि' और मैथिलीशरण गुप्त कृत लीला ,पंचवटी, साकेत आदि प्रमुख राम काव्य है। मैथिलीशरण गुप्त के राम निश्चित रूप से अवतार तो है लेकिन वह जननायक गुणों से विभूषित हैं।वे ईश्वर के रूप में स्वर्ग से नहीं आए हैं वरन् वे धरा को ही स्वर्ग बनाने आए हैं। राम का एक नया रूप उभर कर सामने आता हैं। निराला की 'राम की शक्ति पूजा' छायावाद की एक महत्वपूर्ण रचना है। निश्चित रूप से तुलसीदास ने कहा राम कथा संशय को दूर करने वाली है लेकिन निराला की राम खुद संशय ग्रस्त हो जाते हैं –'स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर फिर संशय' ।निश्चित रूप से राघवेंद्र को संशय हिला रहा है ।एक हलचल है ।कई बार स्थिरता के विरुद्ध हलचल नकारात्मक नहीं होती सकारात्मक भी होती है। रुढ़ चेतना को हिला कर सजीव कर देती है।अति–मानवीय को मानवीय,लौकिक और हृदय स्पर्शी बना देती है।पंत ने भी राम पर संक्षिप्त कविताएँ लिखी। स्थिर राघवेंद्र को हिलाने वाले संशय का असर गहरा हुआ। इसी संशय के आयामों को लेकर नरेश मेहता राम काव्य से संबंधित एक लंबी कविता 'संशय की एक रात' लेकर उपस्थित हुए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिंदी साहित्य का इतिहास – आचार्य रामचंद्र शुक्ल
2. राम भक्ति में रसिक संप्रदाय – भगवती प्रसाद सिंह
3 कबीर – आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
4. हिन्दी साहित्य का इतिहास – संपादक डॉ. नगेंद्र
5. राम कथा उत्पत्ति और विकास – कामिल बुल्के

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं के समाजिक तनाव पर यौगिक क्रियाओं का प्रभाव का अध्ययन

डॉ. महेश कुमार मुछाल* विजय पवांर**

* एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक पशिक्षण विभाग, दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत, बागपत, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत
** शोध छात्र, शिक्षक पशिक्षण विभाग, दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत, बागपत, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – योग भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। योग एवं उसकी साधना साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं परम उपयोगी विद्या है। व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन तथा आध्यात्मिक उत्थान में योग की महती भूमिका है। आधुनिक वैश्विक एवं शैक्षिक परिदृश्य में छात्र-छात्राएं विभिन्न प्रकार के तनाव से ग्रस्त रहते हैं जिनमें एक अत्यन्त महत्वपूर्ण जो जीवन शैली को सर्वाधिक प्रभावित करता है वह है- सामाजिक तनाव। हमारा भविष्य कैसा होगा? असफल होने पर स्वयं का उत्तरदायित्व क्या होगा? अभिभावकों और समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप सफलता प्राप्त न होने पर क्या होगा? आदि प्रश्नों पर विचार करके यह तनाव और अधिक बढ़ जाता है। यह तनाव न केवल छात्रों की उपलब्धि को ही प्रभावित करता है अपितु छात्रों के सर्वांगीण विकास को नकारात्मक रूप से बाधित करता है। इस नकारात्मक परिस्थिति से बचने और निकलने के लिए एकमात्र सर्व उपयुक्त मार्ग है- यौगिक क्रियाओं का निरंतर अभ्यास। अत: शोधार्थी ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के विकास क्षेत्र बड़ौत में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के सामाजिक तनाव को मापने के लिए प्रोफेसर आभा रानी बिष्ट की इइडड मापनी का प्रयोग किया। शोधार्थी ने विद्यालय में अध्ययनरत 100 बालिकाओं (50 योगाभ्यासी तथा 50 गैरयोगाभ्यासी) का चयन किया। प्राप्त आंकड़ों के सारणीकरण एवं सांख्यिकीकरण द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष एवं परिणाम प्राप्त हुए। योगाभ्यासी बालिकाओं की अपेक्षा गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं में सामाजिक तनाव अधिक पाया गया। योगाभ्यासी बालिकाओं की दिनचर्या गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं की अपेक्षा अधिक संयमित, संतुलित, सकारात्मक व उत्साह पूर्ण पाई गई।

शब्द कुंजी – सामाजिक तनाव एवं यौगिक क्रिया।

प्रस्तावना – किशोरावस्था में शिक्षा एक संक्रमण काल से गुजरती है। यह समय भविष्य की आधारशिला होता है। प्रतिस्पर्धा के युग में स्वयं को साबित करना एवंम एक सफल जीवन के लिए स्वयं को तैयार करना आदि चुनौतियों के साथ-साथ अभिभावकों व समाज की अपेक्षाओं का दबाव बालक बालिकाओं में कुंठा में तनाव उत्पन्न करता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति, तकनीकी गैजेट्स का जीवनचर्या में अधिकाधिक प्रयोग, तामसिक खानपान एवं रहन सहन सभी में जो परिवर्तन हुआ है वह एक ऐसे सामाजिक परिवर्तन के रूप में उभर कर सामने आया है जिसने न केवल बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को बाधित किया है अपितु सामाजिक तनाव में जीवन जीने को विवश कर दिया है। किशोरावस्था विद्यार्थियों तथा माता-पिता के लिए समान रूप से उच्च तनाव का समय है क्योंकि यह समय उनके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का ऐसा संक्रमण काल है जिसमें बालक बालिकाएं अत्यधिक तनाव व दबाव के कारण आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा बैठते हैं। शोध निष्कर्षो से ज्ञात होता है कि आसन प्राणायाम षटकर्म ध्यान आदि यौगिक क्रियाओं का अभ्यास चिंता और तनाव को कम करने में मददगार साबित हुआ है। भारद्वाज व अन्य (2011) कार्यरत महिलाओं के विभिन्न प्रकार की चिंता एवं तनाव के स्तर पर योगिक क्रियाओं के सकारात्मक प्रभाव को बताया वही ठाकुर व अन्य (2011) ने केंद्रीय विद्यालय के अध्यापकों के सामाजिक तनाव तथा नींद की गुणवत्ता पर यौगिक क्रियाओं को सकारात्मक प्रभाव को बताया। अमित व अन्य (2009) योगाभ्यास सामाजिक तनाव को कम करने एवं शैक्षिक प्रदर्शन उन्नत करने में सहायक होता है। निष्कर्ष के रूप से विद्यार्थियों में शैक्षिणिक परिवेश, पारिवारिक वातावरण एवं शारीरिक अस्वथ्यता सामाजिक तनाव तथा अनेकों प्रकार के तनावों को कम करने के लिए यौगिक क्रिया रामबाण की तरह कार्य करती है। हंसराज(2020) ने बताया की योग का महत्व मानव जीवन की हर एक मनोवैज्ञानिक अवस्था में अत्यन्त आवश्यक है। योग मनुष्य को सुखपुर्वक एवं स्वस्थ्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया है।

शोध का औचित्य: शोध साहित्य का विश्लेषण करने से पता चलता है कि अभी तक विद्यार्थियों के समाजिक तनाव पर योगाभ्यास अथवा योगिक क्रियाओं के प्रभाव से संबंधित अधिकांश शोध कार्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर हुए हैं अभी तक पूर्व माध्यमिक स्तर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्यनरत बालिकाओं के सामाजिक तनाव पर योगिक क्रियाओं के प्रभाव से संबंधित शोध कार्य नहीं हुआ है। शोधार्थी द्वारा उक्त विषय का चयन करने का कारण यह भी है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिकता, शहरीकरण और तकनीकी आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हमारी जीवन शैली खान-पान, रहन-सहन में परिवर्तन कर अस्वस्थ वातावरण को जन्म दिया है। शैक्षिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा विद्यार्थियों के न केवल शारीरिक स्वास्थ्य अपितु मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक दक्षता को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारम्भ केंद्र सरकार द्वारा

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से 2004 में किया गया। देश के दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं बी0पी0एल0 परिवारों की शिक्षा से वंचित बालिकाओं की शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले गए ताकि शिक्षा के मौलिक अधिकार की प्रतिपूर्ति हो सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के सामाजिक तनाव पर योगिक क्रियाओं के अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है इस प्रश्न का उत्तार जानने के लिए शोधार्थी ने उक्त विषय का चयन किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारम्भ केंद्र सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से 2004 में किया गया। देश के दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं बी0 पी0 एल0 परिवारों की शिक्षा से वंचित बालिकाओं की शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले गए ताकि शिक्षा के मौलिक अधिकार की प्रतिपूर्ति हो सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के सामाजिक तनाव पर योगिक क्रियाओं के प्रभाव पर अध्ययन नही हुआ इसलिए प्रस्तुत शोध अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

शोध के उद्देश्य:

1. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी बालिकाओं के सामाजिक तनाव का अध्ययन करना।
2. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं का सामाजिक तनाव का क्षेत्र के आधार पर अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना:

1. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी बालिकाओं के सामाजिक तनाव के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है।
2. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की ग्रामीण योगाभ्यासी एवं ग्रामीण गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं के सामाजिक तनाव के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है।
3. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की शहरी योगाभ्यासी एवं शहरी गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं के सामाजिक तनाव के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है।

शोध का सीमांकन- योग दर्शन एवं यौगिक क्रियाओं का प्रशिक्षण अपने आप में एक वृहद दर्शन और प्रक्रिया है अत: प्रस्तुत शोध में योग दर्शन की यौगिक क्रियाओं को संक्षेपित व सारगर्भित रूप में ही कराया जाएगा। शोध अध्ययन के लिए उत्तार प्रदेश राज्य में बागपत जिले के बड़ौत ब्लॉक में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं का चयन किया गया।

अनुसंधान प्रविधि -अनुसंधान विधि- प्रस्तुत शोध पत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श विधि एवं न्यादर्शन- शोध कार्य में न्यादर्श हेतु जिला बागपत के बड़ौत ब्लॉक के में संचालित दो कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में से एक विद्यालय का चयन लॉटरी विधी से किया गया जिसमें अध्ययनरत् 100 बालिकाओं में से 50 बालिकाओं को योगभ्यासी समूह में तथा 50 बालिकाओं के गैर-योगाभ्यासी समूह में रखा गया।

शोध उपकरण- आंकड़ो को एकत्रित करने के लिए **'डॉ. आभा बिष्ट** द्वारा निर्मित तनाव बैटरी मापनी में प्रयुक्त समाजिक तनाव मापनी (पॉइव पवान्इट स्केल) का प्रयोग किया गया। प्रयुक्त मापनी की विश्वसनीयता अर्ध विच्छेदन विधि द्वारा 0.81 ज्ञात की गई।

प्रदत्तों का एकत्रीकरण - न्यादर्श के चुनाव के पश्चात् पूर्व परीक्षण कर बालिकाओं के परीक्षा तनाव सम्बन्धित आंकड़ो का एक्त्रीकण परीक्षा तनाव मापनी द्वारा किया गया। तत्पश्चात् नियन्त्रित बालिकाओं के समूह को एक माह तक षट्कर्म, प्रणायाम एवं आसन नियमित रूप से कराये गयें। मापनी की सहायता से पुन: आंकड़ों का एकत्रीकरण करके सांख्यकिकीय विधियों का प्रयोग किया गया।

प्रदत्ता एकत्रीकरण की प्रक्रिया - प्रस्तुत परीक्षण को अधिकतम 100 विद्यार्थियों पर एक साथ प्रशासित किया गया। विद्यार्थियों को पृथक करके बैठाया गया ताकि विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अथवा आपस में उत्तारों की नकल ना कर सकें। विद्यार्थियों को परीक्षण पत्र वितरित करने के पश्चात उस पर दिये गये निर्देशो को पढ़ कर सुनाया गया तथा परीक्षण पत्र पर दिये गये उदाहरणों को विद्यार्थियों को समझाया गया।

प्रक्रिया - प्रक्रिया में चार चरण शामिल किये गये थे तथा नीचे नमूने की आरेखीय रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

प्रथम चरण - प्रतिदर्श का चुनाव

द्वितीय चरण - पूर्व-परीक्षण

निम्न परीक्षण 100 योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियो पर किये गये

- विद्यार्थियों के सामाजिक तनाव को मापने के लिए आभारानी बिष्ट (1987) द्वारा निर्मित प्रमाणिक सामाजिक तनाव मापनी का प्रयोग किया गया है।

तृतीय चरण :- प्रयोगात्मक उपचार।

प्रथम माह -सूक्ष्म क्रियाएं :- अंगसंचालन - 5 मिनट प्रत्येक दिन

षटक्रिया या षट्कर्म :-कपालभाति - 5 चक्र प्रत्येक दिन 5 मिनट के लिए

- त्राटक - 2 मिनट प्रत्येक दिन

आसन :- ध्यानात्मक आसन - 2 से 3 मिनट प्रत्येक दिन

ध्यानात्मक आसन पर्देमासन

प्राणायाम-

1. अनुलोम-विलाम- 5 चक्र प्रत्येक दिन 2 मिनट के लिए।
2. शीतली - 5 चक्र प्रत्येक दिन 2 मिनट के लिए।
3. शीतकारी - 5 चक्र प्रत्येक दिन 2 मिनट के लिए।
4. भ्रामरी -5 चक्र प्रत्येक दिन 2 मिनट के लिए।
5. ध्यान - 2 मिनट प्रत्येक दिन ।

द्वितीय माह- सूक्ष्म क्रियाएं :- अंगसंचालन - 7 मिनट प्रत्येक दिन

षटक्रिया या षट्कर्म-कपालभाति - 15 चक्र प्रत्येक दिन 5 मिनट के लिए

त्राटक - 3 मिनट प्रत्येक दिन

आसन :- ध्यानात्मक आसन - 5 मिनट प्रत्येक दिन

प्राणायाम:-

अनुलोम-विलोम- 10 चक्र प्रत्येक दिन 5 मिनट के लिए।

1. शीतली - 7 चक्र प्रत्येक दिन 2 मिनट के लिए।
2. शीतकारी - 7 चक्र प्रत्येक दिन 3 से 4 मिनट के लिए।
3. भ्रामरी - 10 चक्र प्रत्येक दिन 5 मिनट के लिए।

ध्यान :- 10 मिनट प्रत्येक दिन।

तृतीय माह

सूक्ष्म क्रियाएं :- अंगसंचालन - 7 से 10 मिनट प्रत्येक दिन

षटक्रिया या षट्कर्म-कपालभाति - 30 चक्र प्रत्येक दिन 10 से 15 मिनट के लिए

1. त्राटक - 5 मिनट प्रत्येक दिन

आसन :- ध्यानात्मक आसन - 5 से 8 मिनट प्रत्येक दिन

प्राणायाम :-अनुलोम-विलोम- 10 चक्र प्रत्येक दिन 10 से 12 मिनट के लिए।

1. शीतली - 10 चक्र प्रत्येक दिन 5 मिनट के लिए।
2. शीतकारी - 10 चक्र प्रत्येक दिन 5 मिनट के लिए।
3. भ्रामरी - 20 चक्र प्रत्येक दिन 10 मिनट के लिए।

ध्यान :- 15 मिनट प्रत्येक दिन।

चतुर्थ चरण :- पश्च-परीक्षण

उन्ही छात्रों पर पूर्ववत शोध उपकरणों का प्रयोग करके आंकडे एकत्रित किये गये।

शोध चर-प्रस्तुत शोध कार्य में यौगिक क्रियायें स्वतन्त्र चर तथा समाजिक तनाव को आश्रित चर के रूप से निर्धारित किया गया।

सांख्यिकीकरण- प्राप्त आंकड़ों के सांख्यिकीकरण के लिए मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात (टी परिक्षण) का प्रयोग किया।

सांख्यिकी विश्लेषण एवं व्याख्या- शोधकर्ता ने आंकडों के एकत्रीकरण के पश्चात् विवरणात्मक एवं अनुमानित सांख्यकिकी का प्रयोग किया।

तालिका संख्या-1 समाजिक तनाव के स्तर के आधार पर विवरण।परीक्षा

तनाव स्तर	(योगाभ्यासी)	प्रतिशत	(गैर-योगाभ्यासी)	प्रतिशत
उच्च स्तर	0	0.00%	21	42.00%
मध्यम स्तर	35	70.00%	23	46.00%
निम्न स्तर	15	30.00%	6	12.00%

तालिका संख्या 1. के अवलोकन से ज्ञात होता है कि, योगाभ्यासी बालिकाओं में 35(70 प्रतिशत) मध्यम स्तर तथा निम्न स्तर में 15 (30 प्रतिशत) बालिकाओं में सामाजिक तनाव पाया गया। वही दूसरी ओर 21(42 प्रतिशत) गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं में उच्च स्तर, 23(46 प्रतिशत) बालिकाओं में मध्यम स्तर में तथा 6(12 प्रतिशत) बालिकाओं में निम्न स्तर का समाजिक तनाव पाया गया।

आलेख संख्या **1.** से प्रदर्शित होता है, कि योगाभ्यासी बालिकाओं में सर्वाधिक बालिकाऐं मध्यम स्तर के सामाजिक तनाव तथा सबसें कम बालिकाऐं निम्न स्तर के समाजिक तनाव से सम्बन्धित है। दूसरी ओर गैर-योगाभ्यासी सर्वाधिक बालिकाऐं मध्यम स्तर के सामाजिक तनाव, तथा सबसे कम निम्न स्तर वाली बालिकाऐं पायी गयी।

आरेख संख्या 1 बालिकाओं का समाजिक तनाव का विवरण।

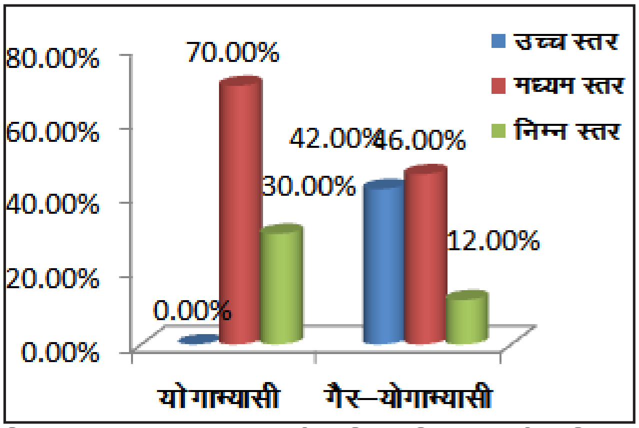

तालिका संख्या 2 कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं में समाजिक तनाव का विवरण।

सामाजिक तनाव	कुल बालिका	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	सार्थकता
योगाभ्यासी बालिका	50	116.76	15.027	8.033	**सार्थक**
गैर-योगाभ्यासी बालिका	50	152.38	27.517		

(स्वतन्त्रता स्तर = 98)

0.05 सार्थकता स्तर, 0.01

उपरोक्त तालिका 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय की 50 योगाभ्यासी बालिका एवं 50 गैर-योगाभ्यासी बालिका के **समाजिक तनाव** संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 116.76 तथा 152.38 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 15.027 तथा 27.517 प्राप्त हुआ। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के सामाजिक तनाव में सार्थकता अन्तर की जाँच के लिए टी-अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित टी-अनुपात का मान 8.033 पाया गया। जो कि मुक्तांश 98 पर 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.57 से अधिक है।

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 'कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के सामाजिक तनाव मे असमानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के सामाजिक तनाव के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के सामाजिक तनाव के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है', को अस्वीकृत किया जाता है।

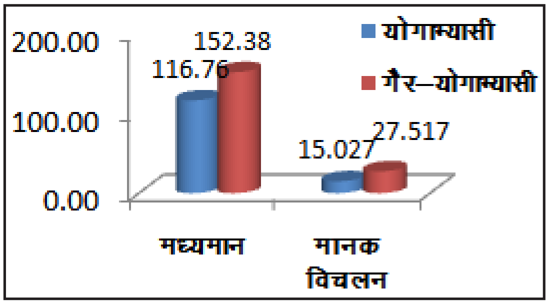

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

आरेख संख्या 2 योगभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं का विवरण।

आरेख संख्या 2. से अवगत होता है कि गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं में योगाभ्यासी बालिकाओं की अपेक्षा अधिक सामाजिक तनाव पाया गया है।

तालिका संख्या 3. कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय की ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं में सामाजिक तनाव में तुलना।

सामाजिक तनाव (ग्रामीण)	कुल बालिका	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	सार्थकता
योगाभ्यासी	20	114.05	13.363	6.525	सार्थक
गैर-योगाभ्यासी	20	158.80	27.609		

(स्वतन्त्रता स्तर = 98)

0.05 सार्थकता स्तर, 0.01 सार्थकता स्तर

उपरोक्त तालिका 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय की 20 योगाभ्यासी बालिका एवं 20 गैर-योगाभ्यासी बालिका के **समाजिक तनाव** संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 114.05 तथा 158.80 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 13.363 तथा 27.609 प्राप्त हुआ। ग्रामीण क्षेत्र कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के सामाजिक तनाव में सार्थकता अन्तर की जाँच के लिए टी-अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित टी-अनुपात का मान 6.525 पाया गया। जो कि मुक्तांश 98 पर 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.57 से अधिक है।

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 'ग्रामीण क्षेत्र कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के सामाजिक तनाव मे असमानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के सामाजिक तनाव के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'ग्रामीण क्षेत्र कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के सामाजिक तनाव के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है,' को अस्वीकृत किया जाता' है।

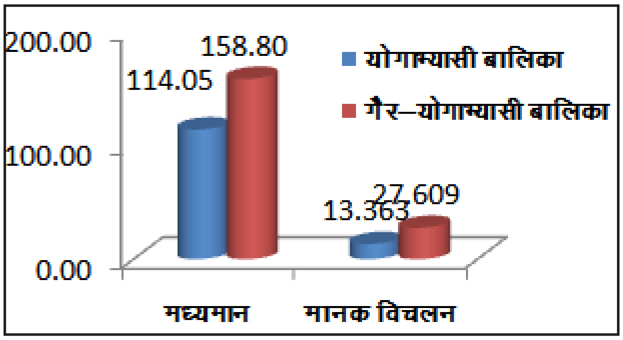

आरेख संख्या 3 ग्रामीण योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं का विवरण।

आरेख संख्या 3. से अवलोकित होता है, कि ग्रामीण क्षेत्र की योगाभ्यासी बालिकाओं में गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं की अपेक्षा कम सामाजिक तनाव है।

तालिका संख्या 4. कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय की शहरी क्षेत्र की बालिकाओं में समाजिक तनाव में तुलना।

सामाजिक तनाव (शहरी)	कुल बालिका	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	सार्थकता
योगाभ्यासी	30	118.57	16.004	5.144	सार्थक
गैर-योगाभ्यासी	30	148.10	27.066		

(स्वतन्त्रता स्तर = 58)

0.05 सार्थकता स्तर, 0.01 सार्थकता स्तर

उपरोक्त तालिका 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र की कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय की 20 योगाभ्यासी बालिका एवं 20 गैर-योगाभ्यासी बालिका के समाजिक तनाव संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 118.57 तथा 148.10 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 16.004 तथा 27.066 प्राप्त हुआ। शहरी क्षेत्र की कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के सामाजिक तनाव में सार्थकता अन्तर की जाँच के लिए टी-अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित टी-अनुपात का मान 5.144 पाया गया। जो कि मुक्तांश 98 पर 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.57 से अधिक है।

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 'शहरी क्षेत्र की कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के सामाजिक तनाव मे असमानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में शहरी क्षेत्र की कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के सामाजिक तनाव के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'शहरी क्षेत्र की कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के सामाजिक तनाव के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है', को अस्वीकृत किया जाता'है।

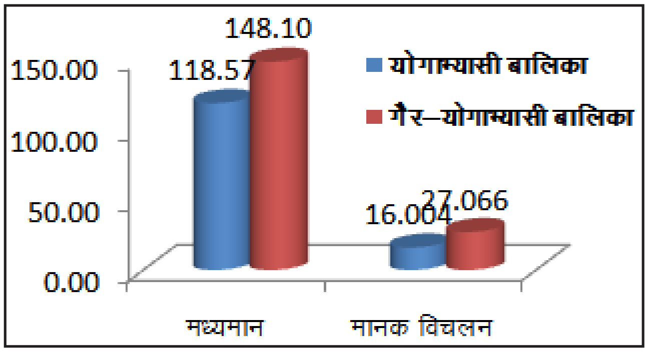

आरेख संख्या 4 शहरी क्षेत्र के योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं का विवरण।

आरेख संख्या 4.से प्रदर्शित होता है कि योगाभ्यासी बालिकाओं में परीक्षा तनाव गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं की अपेक्षा कम है।

निष्कर्ष एवं परिणाम: आंकड़ो के सांख्यकीकरण करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि नियमित यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करने पर समाजिक तनाव में सार्थक रूप से कमी आती है। परिकल्पनाओं के आधार पर योगाभ्यासी बालिकाओं में सर्वाधिक मध्यम स्तर के समाजिक तनाव, तथा उससे कम निम्न स्तर के समाजिक तनाव वाली बालिकाऐं पायी गयी। गैर-योगाभ्यासी बालिकोंओं में सर्वाधिक मध्यम स्तर के समाजिक तनाव, तथा उससे कम निम्न स्तर वाली बालिकाऐं पायी गयी। योगाभ्यासी बालिकाओं में समाजिक तनाव में कमी पायी गयी तथा क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र की गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं में योगाभ्यासी बालिकाओं की अपेक्षा सामाजिक

तनाव अधिक है वही दूसरी और शहरी क्षेत्र की योगाभ्यासी बालिकाओं में सामाजिक तनाव गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं से कम है। कुमार, लखेड़ा (2020) के शोध परिणाम भी यौगिक क्रियाओं के सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों पर प्रदर्शित होते है।

शैक्षणिक सुझाव : सामाजिक व्यवहार यदि छात्रों का सुदृढ़ है तो वह किसी भी परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में छात्रों के विभिन्न प्रकार के तनावों जैसे परीक्षा तनाव सामाजिक तनाव कैरियर सम्बन्धित तनाव को कम करने के लिए शिक्षक एवं अभिभावक दोनों को सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के यौगिक क्रियाओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण विद्यार्थियों को नियमित रूप से देना चाहिए साथ ही घर का ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें बच्चें किसी न किसी शारीरिक क्रियाओं में संलग्न रहे, चाहे वह कोई खेल हो या यौगिक क्रियाऐं। विभिन्न शोध अध्यनों के निष्कर्षो से यह ज्ञात होता है कि यौगिक क्रियायें (षट्कर्म, प्रणायाम एवं आसान) विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुनियोजित करते है तथा साथ ही अनेक प्रकार के अप्रत्याशित तनावों एवं व्याधाओं से मुक्त रखते है। शिक्षकों को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे वह विद्यार्थियों को समस्या से भयमुक्त कर पायें एवं अभिभावकों को घर का वातावरण इस प्रकार से तैयार करना चाहिए जिससे छात्र का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे वह अपना अधिगम कार्य ठीक प्रकार से कर पाए साथ ही अभिभावकों को अधिक जागरूक होने के साथ-साथ अपने व्यवहार में लचीलापन लाने की आवश्यकता है ताकि उनके बच्चे अपनी बातों को निर्भय होकर उनसे साझा कर पाएँ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. Banerjee, S. (2011). Effect of various counselling strategies on academic stress of secondary Level students. Unpublished Ph.D. Thesis, Punjab University, Chandigarh.
2. Batni devi and Meetu (2003) Effectiveness of selected yogic ezercise on anziey and adjustment of eleventh grades. Recent Research in Education and psychology, vol 8 (1) 85-88.
3. Bhuyan, B., & Mishra, P. K. (2019) Effects of yoga on performance in a letter-cancellation task under academic examination stress.
4. Bisht, A.R. (1980). A study of stress in relation to school climate and academic achievement (age group 13-17). Unpublished doctoral thesis, Education, kumaon university.
5. https://theyogainstitute.org/how-can-yoga-help-students-alleviate-examination-stress-and-make-them-perform-better/
6. J. V. Rama Chandra Rao (2015). Academic Stress among Adolescent Students, Conflux Journal ofEducation, ISSN 2320-9305 E-ISSN 2347-5706 vol 2(9). http://cjoe.naspublishers.com/
7. Krishan, L. (2014). Academic Stress among Adolescent In Relation To Intelligence and Demographic Factors, American International Journal of Research In Humanities, Arts And Social Sciences, ISSN (print): 2328-3734, ISSN (online): 2328-3696, ISSN (cd-rom): 2328-3688 pp123-129.
8. Rajendran, V. G., Jayalalitha, S., & Adalarasu, K. (2022). EEG Based Evaluation of Examination Stress and Test Anxiety Among College Students. *Irbm*, *43*(5), 349-361.
9. Rani, J.N. and Rao, K.V.P. (2005) Impact of yoga training on body image and depression Andhra Unversity, Vishkhapatnam Psychological Studies, Vol 50(1)98-100.
10. Singh, R. (2022). A comparative study on effects of yoga and physical workout on psycho-physiological variables during examination stress in senior secondary school students.
11. राय, पी. एन., (2007). अनुसंधान परिचय, आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा प्रकाशन, आगरा।
12. सिंह, ए.के. (2009). मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, दिल्ली।
13. कुमार, एस. एवं लखेड़ा एस. (2020) उच्च माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत् योगाभ्यासी एवं गैर-योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन एवं शैक्षिक तनाव में तुलनात्मक अध्ययन, शोधप्रबन्ध, हे0न0ब0 गढ़वाल वि0वि0 श्रीनगर।
14. गुप्ता एवं गुप्ता, (2008), शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
15. सिंगल, पी0 (2021) विद्यार्थियों को परीक्षा में अगर अच्छें नंबरों से होना है पास तो इन बातों का का रखें विशेष ध्यान, जीवन उत्साह https://www.jeevanutsahnews.in/?p=46119
16. बेरॉन (1992) सन्दर्भित सामान्य मनोविज्ञान, अरूण कुमार सिंह (2010)दिल्ली मोतीलात बनारसी दास, पृ0 संख्या 754-756।
17. मनानी, प्रीति एवं गौतम, मुकेश कुमार (2011) एग्जामिनेशन एन्जाइटी एज ए डिटरमेन्ट ऑफ डिप्रेशन एण्ड सुसाइडल आइडिएशन एट हायर सकेण्डरी लेवल फोर्थ एनुअल इशु डी0 ई0 आई0 फोएरा पृ0 149-150।
18. सिंह, जोगेन्दर (2012) नो टेशन, अमर उजाला(उडान), आगरा संस्करण 08 फरवरी पृ0 1।
19. मुछाल, एम0 के0 (2004) योग के वैज्ञानिक पहलू, योजना, वोल्यूम 52 न0 2।
20. मुछाल, एम0 के0 (2005) मानसिक अवसाद एवं योग, योजना, वोल्यूम 49 न0 2।
21. मुछाल, एम0 के0 (2006) तनाव मुक्ति में योग, योजना, वोल्यूम, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली वर्ष, 51 न0 1।
22. मुछाल, एम0 के0 (2009) प्राणायाम: रोगोपचार की सामर्थ्यदायी प्रक्रिया, योजना प्रकाशन, विभाग नई दिल्ली, वोल्यूम 52 न0 2।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

मध्यप्रदेश में कर्मचारी बीमा योजना का अध्ययन

गीतांजली कर्डक* डॉ. पी.के सनसे**

* शोधार्थी, वाणिज्य अध्ययन शाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोध निर्देशक, भेरूलाल पाटीदार शासकीय महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – कर्मचारी राज्य बीमा योजना की अवधारणा कर्मचारियों के लिए उनके सामाजिक जीवन को सुरक्षित करने के लिए बहुत उपयोगी है। इस अध्ययन का उद्देश्य म.प्र. में कर्मचारी राज्य बीमा के निष्पादन की पहचान करना है। अध्ययन के स्त्रोत के रुप में द्वितीय समंको का उपयोग किया गया और 2015 से 2020 की अवधि को शामिल किया है। अध्ययन मुख्य रुप से चिकित्सा आकस्मिकताओं पर केन्द्रित है जैसे कि बीमारी, मृत्यु, मातृत्व या रोजगार की चोट और व्यावसायिक बीमारी के कारण विकलांगता।

प्रस्तावना – कर्मचारी राज्य बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा के उपायों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कई छोटे संगठनों में काम करने वाले व्यक्तियों एवं उनके परिवार के स्वास्थय की देखरेख सुविधा उपलब्ध करता है। सामाजिक सुरक्षा की समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। यह लोगो के बीच अंतर को मिटाने में मदद करती है, जो अक्सर लोगों के बीच असमानता को कम करने के लिए एक अच्छा कार्य वातावरण देकर समाज में कम आय की स्थिति के कारण होती है। सामाजिक सुरक्षा कानूनी अधिकारो के रुप में अधिकारों या लाभो को सुनिश्चित करके राष्ट्रीयता, जातियता लिंग के आधार पर भेदभाव के कारको को मिटा देती है। सामाजिक सुरक्षा एक प्रकार की सहायता है जों किसी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करती है कि उसे बीमारी, चोट, वृद्धावस्था अपंगता एवं मृत्यु के बाद भी सहायता अवश्य मिलेगी।

अध्ययन की पृष्ठभूमि – कर्मचारी राज्य बीमा एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कामगार वर्ग कों स्वास्थ्य बीमा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसके फण्ड का प्रबंध कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क.रा.बी. अधिनियम 1948 में निर्धारित नियमो एवं विनियमों के अनुसार किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए सन् 1942 में स्वास्थ्य बीमा योजना पर एक रिर्पोट बनाने के लिए बी.पी. अदारकर को नियुक्त किया गया था। यह रिपोर्ट 1948 में क.रा.बी. अधिनियम का आधार बनी। क.रा.बी.अधिनियम 1948 की घोषणा ने एक एकीकृत आवश्यकता आधारित सामाजिक बीमा योजना की कल्पना की, जो बीमारी, अपंगता, रोजगार चोट के कारण मृत्यु। जिसके परिणामस्वरुप मजदूरी की अर्जन क्षमता की हानि होती है। अधिनियम कामगारों और उनके आश्रितों को यथोचित चिकित्सा देखरेख उपलब्ध करता है।

साहित्य की समीक्षा :

1. **रशीदा के.एन. (2015) –** इस अध्ययन में सभी कर्मचारियों को बीमारी के हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ, अवकाश लाभ और अधिकांश कर्मचारी क.रा.बी.निगम द्वारा प्रदान की जाने वाले अन्त्येष्ठ खर्चे का भुगतान के बारे में जानकारी है। बड़ी संख्या में श्रमिक सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए क.रा.बी. औषधालयों का उपयोग कर रहे है। उनमें से अधिकांश व्यवसायिक खतरों के लिए है।
2. **श्री जयशंकर शर्मा (2015) –** इस अध्ययन में क.रा.बी. योजना की सभी हितलाभों के बारे में तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में विविध संशोधन एवं प्रावधानो के बारे मे बताया तथा क.रा.बी. निगम एवं भविष्य निधि संगठन मे व्याप्त सदस्यो से साक्षात्कार किया। निष्कर्ष में क.रा.बी. अस्पतालों में आधुनिक तकनीक युक्त उपकरणों की कमी व अच्छी दवाईयो की उपलब्धता नही है। इस हेतु क.रा.बी. निगम को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जिससे कामगार वर्ग उपर्युक्त सुविधा का भरपूर लाभ उठा सके।

अध्ययन का उद्देश्य – मध्यप्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा के निष्पादन की स्थिति का अध्ययन करना।

अध्ययन की प्रविधि – यह शोध द्वितीयक समंको पर आधारित है जो पहले से ही एकत्र किया गया है और अन्य स्त्रोतों से आसानी से उपलब्ध होते है। इस शोध अध्ययन की अवधि 2015 से 2020 तक की है।

समंको का विश्लेषण और व्याख्या :

क.रा.बी. के लाभ :

1. **चिकित्सा हितलाभ –** क.रा.बी. चिकित्सा आकस्मिकताओं जैसे बीमारी, प्रसूति, मृत्यु या रोजगार चोट और व्यावसायिक बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में श्रमिकों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। क.रा.बी. योजना बीमित व्यक्तियों के लिए उपचार, चिकित्सा देखभाल, नकद हितलाभ और अन्य सहायता प्रदान करती है।

क.रा.बी. अधिनियम में 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले व्यवसायों को रोजगार देने वाले व्यवसायों और प्रतिष्ठानों के लिए पंजीयन और अनुपालन अनिवार्य है।

2. **क.रा.बी. योजना में चिकित्सा हितलाभ की पात्रता –** क.रा.बी. योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाले कुछ मुख्य हितलाभ बीमारी, हितलाभ, विकलांगता हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ मातृत्व/प्रसूति हितलाभ और चिकित्सा हितलाभ है। क.रा.बी. योजना के चिकित्सा हितलाभ की प्राप्ति बीमित व्यक्ति और परिवार के सदस्यों को उस दिन से जब वह व्यक्ति बीमा योग्य रोजगार में प्रवेष करता है। किसी व्यक्ति के चिकित्सा पर

व्यय की कोई सीमा नहीं है।

3. क.रा.बी. चिकित्सा देखरेख का लाभ – म.प्र.क.रा.बी. के पास 42 औषधालय और 6 अस्पताल 1 एनेक्सी वार्ड तथा 240 बीमार चिकित्सा व्यवसाय कार्यरत है। ये चिकित्सालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, देवास, उज्जैन और नागदा शहरों मे स्थित है तथा एक एनेक्सी वार्ड मंदसौर में है। एक बीमित व्यक्ति को चिकित्सा देखरेख क.रा.बी. अस्पताल या औषधालयो से प्राप्त होती है और उसे ओ.पी.डी. सेवाएँ, पेंशन सेवाएँ, नैदानिक सुविधाएँ मुफ्त दवाएँ और मरहम पट्टी आदि प्रदान की जाती है।

यदि गंभीर बीमारियो के मामले मे जिनका इलाज की सुविधा क.रा.बी. अस्पताल ये नही किया जा सकता है, परिवहन पर आकस्मिक व्यय, परिचालको के लिए यात्रा व्यय (यदि आवश्यक हो) का भुगतान क.रा.बी. निगम द्वारा किया जा रहा है। सुपर-स्पेशियलिटी, उपचार के लिए पात्रता बीमित व्यक्ति (स्वयं के लिए) के लिए बीमा योग्य रोजगार में 3 महीने (कम से कम 39 दिनों के लिए भुगतान किए गए अंशदान के साथ) और बीमित व्यक्ति द्वारा बीमा योग्य रोजगार के लिए 6 महीने (कम से कम 78 दिनों के लिए भुगतान किए गए अंशदान के साथ है। उनके परिवार के सदस्य को चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है क.रा.बी. निगम के द्वारा बीमितो को गंभीर बीमारी होने पर शल्य चिकित्सा के लिए रेफरल व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के ख्यात एवं प्रतिष्ठित अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था करवाई जाती है। जिन बीमारी का इलाज बीमा अस्पतालों मे संभव नही है तो वह निगम द्वारा अधिकृत किए गए कुछ प्रमुख अस्पतालों मे मरीज को रेफर कर देते है। उन अस्पतालों मे मरीज का उपचार, नैदानिद सुविधा और शल्य चिकित्सा जैसे कार्य किये जाते है और इसके लिए बीमित को कोई भुगतान नही करना होता है। वहाँ के पूर्ण व्ययो का भुगतान सीधे निगम द्वारा ही किया जाता है। कुछ क.रा.बी. अस्पतालो मे उपलब्ध सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं के माध्यम से टाई-अप व्यवस्था के माध्यम से रेफरल आधार पर क.रा.बी. पैनलबद्ध चिकित्सा संस्थानो के माध्यम से सुपर स्पेशियलिटी उपचार प्रदान किया जाता है।

4. वृद्धावस्था एवं सेवानिवृत्ति लाभ– क.रा.बी. चिकित्सा हितलाभ को बढाया गया है जिस मे बीमित व्यक्ति जो वृद्धावस्था कि कारण या काम संबंधित चोट के कारण विकलांगता के कारण रोजगार से बाहर हो जाते है। ऐसे व्यक्तियो के लिए आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग, कृत्रिम डेन्वर, चश्मा, श्रवण यंत्र, कार्डियल पेसमेकर, आदि के साथ-साथ क.रा.बी. सुविधाओ मे चिकित्स देखरेख नि:शुल्क प्रदान की जाती है।

5. बीमित व्यक्ति एवं हितलाभ– जिस कर्मचारियों की मजदूरी या वेतन के रुप में प्रतिमाह रु. 1000/- या उससे कम आय है उनका क.रा.बी. में पंजीकरण अनिवार्य है। नियोक्ता को 4.75% से तथा कर्मचारियों को सकल वेतन का 1.75% हिस्सा देना होता है अर्थात कुल अंशदान 6.5% है जो वर्ष 2019 में यह अंशदान दर कम होकर 4% हो गया जिसमे नियोक्ता का अंशदान की दर 3.25% तथा कर्मचारियों के लिए दर 0.75% है। इस फण्ड की निगरानी क.रा.बी. अधिनियम के तहत स्थापित क.रा.बी.निगम द्वारा की जाती है। नियोक्ता को निगमन के 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रुप से पंजीयन करना होता है। क.रा.बी. निगम चिकित्सा हितलाभ और नकद हितलाभ बीमित कार्ड धारक और उसके परिवारजन के चिकित्सा देखरेख के प्रावधान है। अब क.रा.बी.निगम के देश के किसी भी शहरों में क्षेत्रीय कार्यालयो, औषधालयों, और अस्पतालों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया है। जिसके प्रशासन एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

तालिका-1: म.प्र. मे क.रा.बी. निगम में बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	बीमित व्यक्तियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	2015-16	511630	1985124
2	2016-17	546800	2121585
3	2017-18	792130	3073464
4	2018-19	949710	4063369
5	2019-20	1047260	5062427

स्रोत – क.रा.बी. निगम वार्षिक रिर्पोट

उपरोक्त तालिका-1 में पिछले चार वर्षों की तुलना में बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

तालिका -2: म.प्र. मे क.रा.बी. योजना में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या

क्र.	वर्ष	योजना में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या
1	2015-16	448190
2	2016-17	481530
3	2017-18	718720
4	2018-19	944310
5	2019-20	953610

स्रोत – क.रा.बी. निगम वार्षिक रिर्पोट

उपरोक्त तालिका -2 में वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक क.रा.बी. योजना के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की बढ़ती हुई संख्या को दर्शाती है।

निष्कर्ष :

1. यह अध्ययन म.प्र. में क.रा.बी. योजना के निष्पादन को दर्शाता है।
2. यह योजना मुख्य रुप से चिकित्सा आकस्मिकताओं पर केन्द्रित है जैसे आश्रितजन, बीमारी, प्रसूति, मृत्यु, रोजगार चोट और व्यावसायिक बीमारी के कारण अपंगता।
3. म.प्र. में क.रा.बी. के चिकित्सा ढांचा है। जिसमें 6 बीमा अस्पताल, 42 औषधालय, 1 एनेक्सी वार्ड है। ये अस्पताल इन्दौर, देवास, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और नागदा में तथा 1 एनेक्सी वार्ड मंदसौर में है।
4. पिछले चार वर्षो की तुलना में वर्ष 2020 में बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। क.रा.बी योजना के तहत 9.53 लाख कर्मचारी शामिल है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक योजना है। जो पूरी तरह से कर्मचारियों के चिकित्सा बीमा से संबंधित है। यह योजना बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा देखरेख की सुविधाएँ, नकद हितलाभ और अन्य सहायता प्रदान करती है।इस अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि म.प्र. में कितने बीमित व्यक्तियों का बीमा है, कितने लाभार्थी है और कितने लोगों को क.रा.बी. योजना के तहत कवर किया जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. रशीदा के.एन. (2015) – धर्मदय पंचायत, केरल में कर्मचारियो की राज्य बीमा सेवाओं की जागरुकता और उपयोग-पुस्तकालय पेशेवरों

के प्रचार के लिए सोसायटी खण्ड-2
2. श्री जयशंकर शर्मा (2015) - कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विश्लेषणात्मक शोध जबलपुर जिले के संदर्भ में Scholarly Research Journal For Inter Disciplinary Studies
3. दुबे आर एन (2009) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी ,रायपुर
4. वेबसाइट: http://www.esic.nic.in
5. क.रा.बी. निगम की वार्षिक रिपोर्ट (2015 से 2020)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Phytochemical Screening of Active Phytocontents of Guizotia Abyssinica Plant Seeds by Different Solvent

Dr. S.K. Udaipure*

*Prof. & Head (Chemistry) Govt. N.M.V. College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - Many plant Species used in the treatment of different diseases. Plant derived active compound have played an important role in the development of clinically useful agents. Guizotia abyssinica plant seeds are used for many disease treatment. Aim of the present study is investigate the phytochemical analysis of Methanol, petroleum ether, Chloroform and Acetone extracts of Guizotia abyssinica plants. Qualitative analysis of phytochemical Screening reveals the presence of Phenol, Saponins, Alkaloids, Protein and Carbohydrates. Current research describes a simple, effective and reproducible Comparative phytochemical analysis of natural seeds.
Keywords- Medicinal plants, Phytochemicals, Guizotia abyssinica, Antioxidant activity.

Introduction - Plants have been an important Source of medicine for thousands of years. Plants are the source of many modern medicine. Phytochemicals are responsible for the healing properties of plants. Plants turn out many secondary metabolites together with flavonoids, Alkaloids, Steroids, Saponins, terpenoids and glycosides to safeguard themselves from the attack of present infectious agent, insects, pest and environmental stresses.[1]

Niger (Guizotia abyssinica) is an oil seed plant cultivated for over 5000 years.It is widely grown in Southern India and Ethiopia. In India, it is cultivated on the slopes of hills and plains along the coasts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odessa, Maharashtra, Bihar, Karnataka, and West Bengal. G. abyssinica dicotyledonus plant, medium to fine branches, growing up to 2 m high. The plant grows very well in poorly drained, heavy clay soils. An important feature of this plant is that it provides good seed yield even under poor growing conditions. Niger is heavily cultivated for the extraction of Oil used for soap, lighting, lubrication and used as biodiesel. Niger oil absorbs the fragrance of flowers used as a base oil in the perfume industry. The plant is used in various Indian communities for the treatment of rheumatism, rheumatoid arthritis and infectious diseases.[2]

Phytochemicals are basically divided into two groups of Primary and secondary metabolites based on the activity of plant metabolism. Primary or basic metabolites include regular carbohydrates, amino acids, proteins and chlorophyll while secondary metabolites include alkaloids, saponins, Steroids, flavonoids, tannins and more.[3]

Materials and Methods

Collection of Samples - Guizotia abyssinica seeds are collected from forest region of Betul, M.P., India were Collected in the winter season. The plant calibrated taxonomically and was preserved for extraction.

Preparation of Solvent Extracts of plants - Guizotia abyssinica seeds were properly cleaned with running water then properly removed with purified water. The Seeds dried for 5 days at ambient temperature for shade. Second, dried seeds were coarsely used with a mortar and pestle and then a mechanical blender was used to ground them further. 30gm 340 ml of organic Solution of Methanol & D.W. were collected from the sample extraction at Soxhlet. The extraction was completed in 8 days at 65°c. In order to form a paste, extract were then evaporated at 45^0C and further transfer to sterile and refrigerated once used. [4][5]

Identification tests for Phytochemical Constituents - Phytochemical analysis was performed to determine the presence of bioactive Compounds like carbohydrates, proteins, starch, amino acids, steroids, glycosides, flavonoids, alkaloids, tanning, Saponins, Phenols and resins by the following procedure [6][7]

1. Test for Alkaloids - 5ml of the prepared extracts were volatilized to standing. The residue was taken in 5 ml of acid, saturated with chemical compound and filtered. The filtrate was one by one tested with following reagents:

(A) Wagner's Test - To few ml of each of the sample solution, Wagner's reagent (iodine in potassium iodide) was added, which resulted in the formation of reddish brown precipitate indicating the presence of alkaloids.

(B) Mayer's Test - To 1ml of each of the sample solution few drops of Mayer's reagent (Potassium mercuric chloride solution) was added. Formation of cream white precipitate indicates the presence of alkaloids.

2. Test for flavonoid - To 4cc of extract add 1.5cc 50% methanol solution. The solution was heat and metal chemical element was further to this solution, 5-6 drops of centered HCl was further, red color made up our minds for flavonoids and Orange color for flavones.

3. Test For Phenols - To the crude extract 2ml of 22 metal chloride resolution was extract and black coloration was firm for the presence of phenols.

4. Test for terpenoids (Salkowski Test) - 5cc of each extract was mixed during a try of cc of Chloroform and con. H, SO_4 (3ml) was strictly extra to create a layer. A brown coloration of the bury face was intentional to indicate positive results for the presence of terpenoids.

5. Test for Quinones - About 0.5 gm of plant extract was taken and extra 1 c.c. of extract and 1cc of con. H, SO_4 was extract formation of red color shows the presence of quinones. One drop of ethanol take a look at resolution is placed on a filter paper, followed by one drop of 0.2% ethanolic phenylacetonitrile resolution and one drop of 0.1 N hydroxide. A positive response is indicated by the appearance of a blue or violet stain edged by a yellow ring.

6. Test for saponins - To 0.5 ml of filtrate, added 5ml of distilled water and shaken vigorously for a stable persistence froth. Frothing which persisted on warming indicates the presence of saponins.

7. Test for Tannins - To 5ml of extract, few drops of 5% ferric chloride solution were added. The appearance of violet indicates the presence of Saponins.

8. Test for Fatty Acids - About 0.5 ml of extract was mixed 5 ml of ether. The extract was allowed to evaporate, on filter paper and dried. The appearance of transparence on filter paper indicates the presence of fatty acids.

9. Test for Steroids - To a 3 cc of extract add a 3 cc Chloroform and 3 cc of con. H, SO_4 shake well; chloroform 1 layer show chromatic color light.

10. Test for Glycosides - To the solution of the extract add glacial carboxylic acid, few drops baseball metal Chloride and 1cc red vitriol further and determined for a brown coloration at the junction of two layers and additionally the bluish in experienced colorize the upper layer.

11 Test For Carbohydrates - For 2ml test solution added 2 drop of the molisch's reagents (a solution of á-napthol in 95% ethanol). Therefore solution is then poured slowly in to a tube containing 2 cc of center red vitrial So 2 layers kind. Purple to ruby violet color at the junction of 2 layers indicates the presence of macromolecule.

12. Test for Proteins

Xanthoprotein Test - The extracts are treated with a few drops of Con.$HNO_{3;}$ the yellow color indicates the presence of protein

13. Check Amino Acids.

Nanhydrin Test - In 1ml of boiled sample with a 0.1% acetone solution of ninhydrin, the appearance of pink indicates the presence of amino acids.

Results and Discussion

Observations:

Table- 1 Phytochemical Screening of extract of Guizotia abyssinica

S.	Phyto chemicals	Petrolium Ether	Chloro -form	Acetone	Methanol
1	Alkaloids	+ve	+ve	+ve	+ve
2	Terpinoid	+ve	+ve	+ve	+ve
3	Phenols & Tannins	+ve	+ve	+ve	+ve
4	Saponins	+ve	-ve	-ve	-ve
5	Flavonoids	+ve	+ve	+ve	-ve
6	Quinines	-ve	-ve	+ve	+ve
7	Proteins	+ve	-ve	+ve	+ve
8	Steroids	+ve	+ve	-ve	-ve
9	Cardiac Glycosides	+ve	-ve	-ve	+ve
10	Carbo-hydrates	-ve	-ve	+ve	+ve
11	AminoAcid	-ve	+ve	-ve	-ve

This study has discovered the presence of healthful chemical constituents. Phytochemical experiments are expected to assist on the accurate identification of high quality materials where plant chemistry differs between different species. All solvents namely Methanol, Ethanol, Petroleum ether, Chloroform and seed water, natural leaf and callus produce highly variable effects on the presence of nutrients bioactive substances such as alkaloids, flavonoids, Terpenoids.[8][9]

The selection of Crude plant extracts for screening programs has the potential of being heaps of thriving in initial steps than the screening of pure compounds isolated from natural merchandise. The plant extracts provision of secondary metabolites i.e. alkaloids, flavonoids, terpenoids, tannins, Glycosides, Steroids etc. Plant extract are known to be effective on steroids. Which are very important compounds because they are related to compounds such as sex hormones and it has been reported that steroids have Cardiotonic activities and antibacterial properties.[10] The phytochemical analysis of the Guizotia abyssinica are important and has in every business interest analysis institutes and medicine prescribed medication Companies for the manufacturing of the new drugs for treatment of various diseases.[11]

Conclusion- It can be concluded from the present study that Guizotia abyssinica and linum usitatissimum contains a major secondary bioactive compounds such as Alkaloid's, flavonoids, terpenoids, tannins, Glycosides are commercial value and can lead to great interest in phyto pharmaceuticals.[12] Healthful plant plays a major role in preventing various diseases.[13] The medicinal drug, medicament, antioxidant, anti-abortifiecient of the various elements of plants is because of the presence of the on prime of mentioned secondary metabolites.[18] The present study provides proof that solvent extract of Guizotia abyssinica and Linum usitatissimum is contains medicinally

necessary bioactive compounds and this justifies the utilization of plant species as ancient medication for treatment of various diseases.[14][15] Additional purification, identification and characterization of the bio active chemical constituent's Compounds would be our priority in future Studies.

References:-

1. ShaliniS. And SampathkumarP.(2012) Phytochemical screening and anti microbial activity of plant extracts
2. Mohan Kumar BN, Basavegowda, Vyakaranahal BS, Deshpande VK, Kenchanagoudar PV. Influence of sowing dates on production of seed yield in niger (Guizotiaabyssinica Cass.). Karnataka J Agric Sci, 2011; 24(3):289 – 93.
3. Savithramma N, Linga Rao M, Suhrulatha D. Screening of medicinal plants for secondary metabolites. Middle East J Sci Res, 2011; 8(3):579-84
4. Jigna P, Sumitra CV. In vitro antimicrobial activity and phytochemical analysis of some Indian medicinal plants. Turk J Biol, 2007; 31: 53-8.
5. Bhumi G, Savithramma N. Screening of pivotal medicinal plants for qualitative and quantitative phytochemical constituents. Int J Pharm Pharm Sci, 2014; 6: 63-5.
6. Govindasamy C. and Srinivasan R. (2012) In vitro antibacterial activity and
7. Yadav RNS, Agarwala M. Phytochemical analysis of some medicinal plants. J Phytol, 2011; 3(12): 10-4.
8. Xie, D.W., Dai, Z.G., Yang, Z.M., Tang, Q., Deng, C.H., Xu, Y., Wang, J., Chen, J., Zhao,D.B., Zhang, S.L., Zhang, S.Q., Su, J.G., 2019. Combined genome-wide association analysisand transcriptome sequencing to identify candidate genes for flax seed fatty acid metabolism.Plant Sci.286, 98–107.
9. Zhang, J.P., Xie, Y.P., Dang, Z., Wang, L.M., Li, W.J., Zhao, W., Zhao, L., Dang, Z.H., 2016.Oil content and fatty acid components of oilseed flax under different environments in China.Agron.J. 108 (1), 365–372.
10. Rajwade, A.V., Kadoo, N.Y., Borikar, S.P., Harsulkar, A.M., Ghorpade, P.B., Gupta, V.S.,2014.Differential transcriptional activity of SAD,FAD2 and FAD3 desaturasegenes in developing seeds of linseed contributes to varietal variation in alpha-linolenic acid content.Phyto chemistry98, 41–53.
11. Baghel S, Bansal YK. Synergistic effect of BAP and GA3 on in vitro flowering of GuizotiaabyssinicaCass.-a multipurpose oil crop. Physiol Mol Biol Plants, 2014; 20(2): 241–47.
12. Baghel S, Bansal YK. Micropropagation and in vitro flowering of a biodiesel plant nigerGuizotiaabyssinica (Cass.). Asian J Exp Biol Sci, 2013; 4(4): 532-39.
13. Kiran Kumari SP, Sridevi V, Chandana Lakshmi MVV. Studies on phytochemical screening of aqueous extract collected from fertilizers affected two medicinal plants. J Chem Biol Phys Sci, 2012; 2(3):1326-32.
14. Ramadan MF. Functional properties, nutritional value, and industrial applications of niger oilseeds (Guizotiaabyssinica Cass.). Crit Rev Food Sci Nutr, 2012; 52:1-8.
15. Sarin R, Sharma M, Khan A. Studies on Guizotiaabyssinica L. oil: biodiesel synthesis & process optimization. BioresourTechnol, 2009; 100: 4187-92.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Evaluation of Extract Ants for Determining Available Zinc in Soil and Response of Applied Zinc by Plant

Dr. S.K. Udaipure*

***Prof. & Head (Chemistry) Govt. N.M.V. College, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Abstract - Relative efficiency of five extract ants [for predicting responses to application of zinc to maize was studied in the greenhouse with deep black soils of Madhya Pradesh. Highest Predictable relationship of extractable zinc in soils with zinc uptake was found with natural ammonium acetate (PH. 4 -6) when maize (Ganga 101) was grown as the indicator crop. The next best relationship was found with dithizone ammonium acetate extractable zinc. Greenhouse assays showed that the soils cntaining 0-50 PPM or less dithizone extractable zinc responded to soil applied zinc whereas others containing above 0-50 ppm dithizone extractable zinc where as others containing above 0-50 ppm dithizone extractable of zinc did not respond to soil application of Zinc .The concentration of zinc in plants grown in untreated pots was low in low zinc soils, and was high in high zinc soils, The zinc concentration of maize plants was generally increased by soil application of zinc regardless of initial level. Foliar application of zinc further increased the zinc concentration generally.

A negative correlation observed between zinc and phosphorus uptake in untreated pots changed to positive relation when zinc was applied either in soil or on foliage.

Introduction - Madhya Pradesh is a State characterized by a variety of soil types and different agro-climatic zones, with large variations in fertility status. The variability of soils of this State poses a serious problem in finding a suitable extract ant for various micronutrients which can desuitably employed for soils of the whole State. Extract ants being currently employed in determining the availability of zinc are either mineral acids, salts or chelating agents. These extractants fail to give satisfactory presictability in soils having a wide range of pH, texture, calcium carbonate anf organing matter because available zinc level is related to these properties (Martens et al. 1966 Chatterjee & Das 1964; Bandopadhya and Adhikari1968)

The present study was concerned with :

1. The correlation of available soil zinc with uptake by plants.
2. Response of soil and foliar applications of zinc sulphate; and
3. The uptake of zinc by plants following application of zinc sulphate.

Experimental: A green house study with bulk soil samples (0-12cm) collected from ten locations of deep black soil zone of Madhya Pradesh, India extending over Hoshangabad districts was made. The Soils contained varying levels of ammonium acetate dithizone extractable zinc. The experiment was conducted with 5 kg soil in polythene lined pots growing maize (Ganga 101) as the indicator crop N, P_2O_5 and K_2O were applied @300, 225 and 150 ppm respectively . The fertilizer sources were urea, ammonium dihydrogen phosphate and potassium chloride, all of A.R. grade added in solution form.

The treatments under study were control, soil application and foliar spray of zinc with three replications in randomized block design. The soil application was made at the rate of 10 ppm ZnSO4.7H2O and foliar spray was done with zinc sulphate (0.6%) containing lime (0.3% Ca(OH)2] till the plants were sufficiently wet. Eight seeds were sown in each pot, which were thined to four plants after germination. The uprooted plants were buried in the respective pots. The crop was grown for a period of six weeks and watered with dematerialized water. Two foliar sprays were done after 21 and 28 days of sowing . The plant tops were harvested washed with acidified detergent solution, rinsed three times in dematerialized water, dried at70oC weighted, ground and analyses for zinc by dithizone method in triadic digested plant extract as for zinc by dithizone method in triadic digested plant extract as given by black (1965) soil pH(1:2 soil water ratio)organic carbon and calcium carbonate were determined by standard procedures and texture by Bouyoucos hydrometer method (Piper 1950)

Results Anf Discussion: The locations and characteristics of soil, zinc uptake in untreated pots and zinc extracted by various extracted by various extract ants have been

presented in table 1. The effect ofapplied zinc on yield, its content and up take in maize has been presented in table 2

Correlation of soil with zinc uptake byplants : The extractant N NH4OAc (pH 4.6 Lyman & Dean 1942) is expected to extract more zinc neutral 1N NH 4OAc . These values varied from 1.82-7.48 ppm with an average value of 4.9 ppm. A highly positive significant correlation (r=0.876, P +0.01) is found to exist between N NH4OAc (pH 4.6) extractable zinc and zinc uptake by maize. These results are in conformity with those reported by Grewal et al (1968) for Punjab soils.

The range of zinc extracted by dithizone + emmonium acetate 23.0 ppm .The average value obtained by 0.1 N HCI is highest amongest thefive extractants used. This may be due to the fact that HCI is a strong mineral acid, which is capable of extracting more zinc than natural salt solutions, However only a non significant positive correlation is found to exist between 0.1 N HCI extractable zinc and zinc uptake by maize crop. These results are in agreement with the findings or Grewal et al (1968) and Martens (1968)

The range of zinc extracted by 2 N Mg Cl2 (Stewart & Berger 1965) is from 0.15 - 1.1 ppm with an average of 0.55 ppm. The correlation between 2 N Mg Cl2 extractable zinc and zinc uptakes is not signficant in contracts to the results reported by Grewal et al. (1968) and Martens (1968) N neutral NH4OAc extracted zinc ranging from 1010-0.79 ppm with an average value of 0.35 ppm. The correlation between N neutral NH4OAc extractable zinc and uptake of zinc is found to be nonsignificant,which is is conformity with the results reported byRanadive et al (1964) and Chatterjee and Das (1964). Very low amounts of Zinc are extracted by n neutral ammonium acetate. Adsorbed zinc is expected to be available but ammonium acetate is not able to exchange all the adsorbed zinc therefore N neutral ammonium acetategives very low values (Elgabaly 1950) N neutral ammonium acetate replaces only those fractions of adsorbed zinc which are held poorly on clay particles. Shaw and Dean (1952) also reported inability of ammonium acetate to extract appreciable quantities of available zinc.

Response of zinc applicaton choosing the critical value of 0.5 ppm dithizone extractable zinc (Brown et al 1962) two out of five zinc low soils (<0.5ppm) responded to soil application of zinc whereas three out of five high soils (>0.5ppm) responded to zinc application. The reason for not getting response in zinc low soil can not be attributed to any single factor like pH, organic carbon, calcium carbonate or clay content. It seems that many of these factors may be influencing the availability of zinc in soils at any one time .

The zinc uptake of the plant material varied considerably from on soil to another. The concentration of the plant in the control pots renged from 9.66 - 26.02 ppm (averaging 18.81 ppm) in low zinc soils as against 18.12 - 44.10 ppm (averaging 30.14ppm) in high zinc soils .The zinc concentration in maize plant was generally increased by soil applicationof zinc regardless of intial level the varation being from 20.16-48.30 ppm (average 31.61ppm) foliar application of zinc further increased tha zinc concentration in general excepting in soil No. 4 (however difference was not significant as compared to control) the variation being from 15.67-79.20 ppm (averaging 41.67 ppm) This shows that plants were able to absorbed soil applied zinc and foliar application of zinc further increased the absorption .

Total zinc uptake in control pots was much greater in zinc high soils (range 0.476 - 0.748 mg/pot) than in the low zinc soils (range 0.359 - 0.509 mg/pot) however no definite trend was observed in soil or foliar applied zinc . There was a positive correlation between the yield of maize and zinc uptake in foliar applied pots (r=0.755, p=0.05)

The correlation between uptake of zinc and phosphorus content of plants grown in eight soils (excluding soil No. 2 and 4) showed that in case of control pots, there was a significant negative correlation (r=-0.668) but this relationship was found to be positively significant when zinc was applied either in soil or on foliage . (soil r = 0.812 foliar r = 0.932)

References:-

1. Bandopadhya A. K & Adhikari M. (1968) soil sci 105, 244
2. Balck C.A (1965) Methods of soil Analusis Am Soc. of Agron Madison Wisconisn U.S.A
3. Brown A. L Krantz B.A & Martin P.E (1962)Proc Am. Soc Agron 26, 167
4. Chatterjee R.KDas S.C (1964) I Indian Soc. Sci 12 297
5. Elgabaly M. M. (1950) Soil Sci 69 167
6. Grewal J. S. Randhawa N. S. & Bhumnla D.R (1968) I Indian Soc. Soil Sci 16, 88
7. Lyman C & Dean L.A (1942) Soil Sci 54 315
8. Martens D.C ChestersG. & Peterson L.A (1966) Proc Sci Soc Am 30, 67

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं में सामाजिक चिंतन

छत्रवीर सिंह राठौर *

* शोधार्थी (हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विभाग) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – अटल विहारी वाजपेयी एक विचारवान शीर्ष बौद्धिक व्यक्ति रहे हैं, उनका वैचारिक चिंतन अनेक आयामी, अनेकमुखी, अनेक कोणीय मानवता सापेक्ष है। उनके वैचारिक चिंतन के तहत राष्ट्रीय चिंतन, अन्तर्राष्ट्रीय चिंतन, राजनीतिक चिंतन, सामाजिक चिंतन और आर्थिक चिंतन प्रमुख रूप में हैं। उन्होंने कविता और गद्यरूप में अपने विविध विचारों को आकार दिया, मूर्तरूप दिया। स्वभावगत बौद्धिक गुणवत्ता के आधार पर उन्होने कविता और गद्यलेखन में ऊँचाइयों को स्पर्श किया, साथ ही अपने विराट व्यक्तित्व के आधार पर प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर आसीन हुए। उनकी लोकप्रियता का बड़ा आधार उनके बौद्धिक विचार तथा उनका वैचारिक चिंतन, बना। वे बहुत अच्छे भाषणकर्ता व्यक्ति रहे हैं। वे धारा प्रवाह बोलते थे। लोक उनके भाषणों को सुनने के लिए यथास्थान ठहर जाते थे।

अटल बिहारी वाजपेयी का वैचारिक चिंतन अद्‌भुत एवं अद्धितीय है। उनका चिंतन, समाज, देश तथा व्यापक मानवता सापेक्ष है। उनके विचारों में भारतीय संस्कार, भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय सांस्कृतिक गहराई और उत्कर्ष मुखरित है। राष्ट्रीय चिंतन, अन्तर्राष्ट्रीय चिंतन, राजनीतिक चिंतन, सामाजिक चिंतन और आर्थिक चिंतन अटल जी के चिंतन के विविध पहलू हैं। उनके वैचारिक चिंतन में मूल्यों, मानकों, सिद्धांतों की अभिव्यक्तियाँ हैं। अटल जी ने अपने आचरण और विचारों के द्वारा भारतीय समाज तथा विश्व समाज को नवीन-नवीन रचनात्मक संदेश प्रदान किया। उनकी कविताएँ समाज, देश, मानवता के लिए पावन संदेश हैं। विश्वसनीय आलोक हैं। बिना किसी लाग लपेट के निर्भीकता पूर्वक देश-समाज के लिए प्रस्तुत अटल जी के विविध विचार वास्तव में सुदीर्घगामी लोकोपकारक हैं। नैतिक, मानवीय, राष्ट्रीय मानदण्डों पर केन्द्रित अटल जी के राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचार समाज देश को नयी दिशा देने में समर्थ हैं, सक्षम हैं।

शब्द कुंजी – वैचारिक चितंन, सामाजिक चितंन, राष्ट्रीयता, समन्वयात्मक, सौहार्द।

प्रस्तावना – कहना न होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रमुख वैचारिक चिंतन, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास और देश की मजबूती, एकता, अखण्डता, बन्धुत्व पर केन्द्रित विशेष महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है। देश की सुरक्षा, मजबूती की चिंता उनके राष्ट्रीय चिंतन का प्रमुख पहलू है। वे भारत के प्रमुख राजनेता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने-माने जाते हैं। उनका देशानुराग अप्रतिम, अद्‌भुत एवं अद्धितीय रहा है। यथा-

'दिन दूर नहीं खण्डित भारत को,
पुन: अखण्ड बनाएँगें,
गिलगिट से गारो पर्वत तक,
आजादी पर्व मनाएँगें।'

देश की एकता, अखण्डता और विकास की चिंता और दृढ़ संकल्प भावना उनके वैचारिक चिंतन का प्रधान विषय है। उनके राष्ट्रीय विचारों में होश, जोश, स्फूर्ति और क्रान्तिदर्शिता है। देश प्रेम की गहरी अनुरागपूर्ण भावना है। अटल जी की राष्ट्रीयता, देश प्रेम की गति तूफानी है, उफनाती प्रखर जवानी का जोश उनके राष्ट्रीय चिंतन में सर्वत्र मुखर है। देश की एकता-अखण्डता की रक्षा हेतु अटल जी के विचारों में व्यापक जोश हैं, यथा -

'किसने ऐसा दूधपिया जो रोके गति तूफानी,
यह जीवन का ज्वार चली, उफनाती प्रखर जवानी।
युवक हारते नहीं और यौवन कभी नहीं हारा,
एक निमिष की बात नहीं है चिर संघर्ष हमारा।'

चिरसंघर्षशील अटल जी का राष्ट्रीय वैचारिक चिंतन अनुपम है अद्‌भुत एवं अद्धितीय है। अटल जी के राष्ट्रीय चिंतन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, देशानुराग है, अटल जी का राष्ट्रीय चिंतन, उनकी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएँ दिनकर, नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान तथा मैथिलीशरण गुप्त के समकक्ष हैं। उनकी अधिकांश कविताएँ राष्ट्रीय चिंतन से ओतप्रोत हैं। उनकी कविताएँ वास्तव में प्रबल और प्रखर से प्रखरतर हैं। शत्-शत् आघातों, प्रत्याघातों को सहते हुए भी हमारा हिन्दुस्थान अपनी विकास की ऊँचाइयों की ओर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा है। बहुत प्राचीन देश है भारत। विशाल भारत, विराट् भारत, अद्‌भुत एवं अद्धितीय भारत, दुनिया का सिरमौर भारत।

'शत शत आघातों को सहकर,
जीवित हिन्दुस्थान हमारा।
जग के मस्तक पर रोली-सा,
शोभित हिन्दुस्थान हमारा।'

अटल जी का सामाजिक चिंतन- समाज के बारे में अटल जी के विचार समन्वयात्मक हैं। समरसतामूलक हैं। बन्धुत्व, प्रेम, एकता भाईचारा प्रधान हैं। अटल जी का सामाजिक चिंतन। अटल जी के सामाजिक चिंतन में जातिवाद, भाई-भतीजावाद, सम्प्रदायवाद, कुल कुटुम्बवाद को स्थान नहीं है। समाज में जातिवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पद से

27 मई 1996 को कहा था कि- 'जातिवाद का जहर समाज के हर वर्ग में पहुँच रहा है। यह स्थिति सबके लिए चिंताजनक है। हमें सामाजिक समता भी चाहिए और सामाजिक समरसता भी चाहिए।'

समाज में सभी धर्मों का आदर जरूरी है, हर कोई व्यक्ति पूजा पद्धति स्वेच्छा से ग्रहण करता है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय समाज के अंग हैं। हिन्दू होने का मुझे गर्व है, हिन्दू धर्म का स्वरूप हिन्दू धर्म द्वारा निर्मित होता है। हिन्दुत्व भारतीय जीवन दर्शन है। भारतीय मानवीय सहिष्णुता ही हिन्दुत्व है। 'भारतीय समाज में वास्तव में हिन्दू धर्म भगवत प्राप्ति की मानव-आकांक्षा हेतु एक परमानन्ददायक दीर्घ संगीत है, ऐसा धर्म भारत तथा विश्व के लिए एक तेजोवलय है।'

'भारतीय समाज, हिन्दू समाज को अंधविश्वास, रूढ़िवाद, जातिवाद तथा हर तरह की संकीर्णता से मुक्त कर बन्धुत्व, आत्मीयता, समरसता के दृढ़ सूत्र में आबद्ध करने के लिए हमें देशव्यापी अभियान चलाना है। मुझे अपने हिन्दुत्व पर गर्व हैं किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं मुसलिम विरोधी हूँ, समाज में हिन्दू उदारता, सहिष्णुता, मनुष्यता के लिए जाने जाते हैं। जातीय, साम्प्रदायिक सद्भाव एकता से भारतीय समाज मजबूत होगा।'

अटल बिहारी वाजपेयी जी की सामाजिक सोच, उनका सामाजिक चिंतन उदार, सहिष्णु तथा सर्वधर्म समभाव मूलक है। हमारे समाज में हिन्दूधर्म और मानवधर्म अभिन्न हैं। कहा गया है कि-

'हिन्दू धर्म कि मानव धर्म,
है अभिन्न दोनों का मर्म।'

'गुरुकुल' शीर्षक काव्य से - मैथिलीशरण गुप्त

बाल विवाह, दहेज प्रथा, रूढ़िवादिता, मिथ्याडम्बर, पाखण्ड, संकीर्ण सोच आदि पर भी अटल जी के सामाजिक विचार स्पष्ट हैं। उन्होंने इन सब बातों को समाज के विकास में बाधक बताया है। समाज में शिष्टाचार, सौहार्द्र, भाईचारा के बारे में अटल जी की अवधारणा संवेदनात्मक है। सामाजिक एकता और बन्धुत्व अटल जी के सामाजिक चिंतन का मेरूदण्ड और मानदण्ड है। समाज में कटुता, वैमनस्य, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष अहितकर हैं, पतन कारक हैं विघटन कारक हैं। जबकि बन्धुत्व, शान्ति एकता विकास सूचक हैं। सामाजिक न्याय के अटल जी पुरजोर समर्थक हैं प्रबल पोषक हैं। सामाजिक न्याय की आकांक्षा उनके सामाजिक विचारों का आधार है। ऊँच-नीच, स्पृश्यता, छुआछूत, रूढ़िगत सामाजिक मान्यताओं के विरूद्ध उनका सामाजिक विचार एक प्रकार से सामाजिक समानता पर केन्द्रित व्यापक मानवता सापेक्ष है।

भेदभाव रहित अटल जी के सामाजिक विचार समाज तथा देशहित में हैं। राष्ट्र के उत्थान के लिए, विकास के लिए शान्ति जरूरी है, अतएव समाज में एकता, शान्ति रहेगी तभी तो समाज का, देश का टिकाऊ विकास होगा। 'हम चाहते हैं कि समाज में एकता कायम रहे, लोगों में सौहार्द्र रहे, लोग समाज की एकता के द्वारा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करें।'

मानव, मानव सभी एक समान हैं। एमाज में जातीय एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्र के द्वारा दृढ़ एकता से राष्ट्र की ताकत बढ़ती है। राष्ट्र जीवन की मजबूती के लिए देश में, सामाजिक- साम्प्रदायिक एकता का शंखनाद होना चाहिए। 'समाज के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह अपने आदर्शों और विश्वासों के लिए देशहित में काम करें तथा देश के विकास में सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करता चले। सामाजिक ताना-बाना मजबूत बनाएँ तथा समाज, देश के विकास में योगदान करें।'

'शरीर को स्वस्थ्य
चित्ता को प्रफुल्ल
और विवेक को जागृत
रखकर ही हम
अनिश्चित भविष्य का विश्वास पूर्वक
सामना कर सकेंगे तथा
समाज के नव निर्माण में योगदान कर सकेंगें।'

प्रत्येक सामाजिकों का सुखभाग समान होने पर समाज में एक नवीन, नवीन आलोक छा जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अटल जी की दृढ़ आस्था सामाजिक एकता तथा सामाजिक न्याय की भावना पर केन्द्रित राष्ट्र सापेक्ष हैं। व्यक्ति समाज की इकाई हैं और समाज दहाई है। व्यक्तियों के समूह का नाम समाज है। समाज, सामाजिक सम्बन्धों का जाल है। हर एक व्यक्ति का अकेले महत्व है तथा उसका सामाजिक महत्व भी है। सामाजिक एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना से समाज, व्यक्ति तथा देश का चहुमुखी विकास होता है। सामाजिक अशान्ति में विकास नहीं हो सकता।

'भारत विश्व समाज और संस्कृति तथा सभ्यता का जनक है। जब दुनिया के अनेक तथाकथित विकसित और अन्य देशों के निवासी जंगलों में पशुवत जीवन व्यतीत किया करते थे तब भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए तक्षशिला, नालन्दा, ओदन्तपुरी और काँची जैसे उच्चस्तरीय ज्ञान-विज्ञान के शिक्षा केन्द्र थे। हमारे वेदों को तो दुनियाँ ने आदि ग्रन्थ माना है। वेद और उपनिषद समाज निर्माण के आदर्श है, प्राचीन आदर्श। हमारा समाज और भारतीय जन जीवन तथा संस्कृति, सभ्यता, वेदों, उपनिषदों, रामायण और गीता आदि प्राचीन आर्य ग्रन्थों के ज्ञानामृत से आपूरित है। हमने, विश्व को सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि दी है। हम आयातित संस्कृति के पीछे, नहीं दौड़े समाज में समरसता बनाए रखें।'

त-मतान्तर के बावजूद भी अटल जी समाज में एकता, अटूट एकता के पक्षधर हैं। हरहाल में समाज में एकता जरूरी है, अनिवार्य है। अनेकता में एकता हमारे देश का गौरव है। 'विविधता में एकता भारतीय सामाजिक जीवन की विशेषता रही है, हमने समाज में एकरूपता की नहीं, अपितु एकता की कामना की है। फलत: देश में अनेक उपासना पद्धतियाँ, पन्थों, दर्शनों, जीवन-प्रणालियों, भाषाओं, साहित्यों और कलाओं का विकास हुआ जो सम्पन्नता की द्योतक हैं। हमें समाज में उनके प्रति, अपनत्व और गौरव का भाव लेकर चलना होगा, किन्तु विविधता के नाम पर विभाजन को प्रोत्साहन देना, भूल होगी। भारतीय सामाजिक धारा तथा सांस्कृतिक चेतना कभी किसी एक उपासना पद्धति से बँधी नहीं रही और न उसका आधार प्रादेशिक ही रहा है। मजहब अथवा क्षेत्र के आधार पर पृथक समाज तथा संस्कृति की चर्चा करना तर्क विरूद्ध ही नहीं प्रत्युत भयावह भी है, क्योंकि वह राष्ट्रीय एकता पर ही कुठाराघात करती है।'

सम्पूर्ण अर्थ में अटल जी का सामाजिक चिंतन एकता, बन्धुत्व, सामाजिक समत्व पर केन्द्रित समाज को सुदृढ़ मजबूत बनाने की दिशा में बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है। विश्वसनीय सामाजिक दिशादृष्टि है। 'देश से अमीर और गरीब के भेद को मिटाना होगा। जातिगत, सम्प्रदायगत भावों को भगना होगा। एक ऐसे समाज की रचना के लिए कटिबद्ध होना होगा, जिसमें सब लोगों के लिए विकास के समान अवसर और स्वतन्त्रता होगी और जन्म, वंश अथवा आजीविका के आधार पर कोई छोटा या बड़ा नहीं माना जाएगा। भारतीय समाज को, विशेषकर हिन्दू समाज को, अंधविश्वास,

रूढ़िवाद तथा हर तरह की संकीर्णता से मुक्त कर आत्मीयता के दृढ़ सूत्र में आबद्ध करने के लिए हमें एक देशव्यापी अभियान चलाना है। स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद समाज-सुधार का कार्य पीछे रह गया है। हमें उसे पुन: उठाना है और इस सामाजिक चेतना के कार्य में सभी देशवासियों का सहयोग प्राप्त करना है। समाज में छुआ-छूत एक अभिशाप है। स्पृश्यता एक कलंक है, समाज में व्याप्त हर तरह की कुरीतियाँ, कुप्रथाएँ विकास में बाधक होती है। मानवता का आचरण सर्वोच्च माना गया है।'

निष्कर्ष- अटल बिहारी वाजपेयी जी दो टूक शब्दों में कहते है कि- 'समाज में, सामाजिक न्याय के लिए काम करते रहना होगा, समाज में गरीबों के लिए अंधविश्वास से लड़ना होगा, लड़ेंगे, रूढ़ियों से संघर्ष करेंगें, सामाजिक समानता के लिए अंधविश्वासों, रूढ़ियों के ऊपर बज्रपात करना आवश्यक होगा, तो हम करेंगे। यह तर्क का युग है, विज्ञान का युग है।'

अटल जी शुरू-शुरू में 'जनसंघ' के संस्थापकों में से एक थे। भारतीय जनसंघ ही आगे चलकर 'भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आया। अटल जी कहते हैं कि- 'जनसंघ' समस्त भारतीयों को एक मानता है और उन्हें हमेशा के लिए बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक के रूप में बाँटने का विरोधी है। लोकतंत्र में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का निर्णय राजनीति के आधार पर होता है, मजहब, भाषा, समाज तथा जाति के आधार पर नहीं। सभी अल्पसंख्यकों के प्रति जनसंघ समान व्यवहार का हामी है यदि उनके साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो वह गलत है और जनसंघ उसके खिलाफ अपनी आवाज उठायेगा, उठाता रहेगा। भारतीय समाज एकता में बंधा रहे, इसका प्रयास होता रहेगा।'

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि- अटल बिहारी वाजपेयी जी का सामाजिक चिंतन समाज सापेक्षक तथा राष्ट्र की एकता, अखण्डता और शान्ति तथा विकास की दिशा में रचनात्मक, सकारात्मक विचार हैं। उन्होंने अपने साहित्यकार जीवन और राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में सामाजिक चेतना का बड़ा रचनात्मक वैचारिक कार्य किया है। उनके सामाजिक विचार उनकी पुस्तकों में संग्रहीत हैं। उनके सामाजिक चिंतन में समाज के नव निर्माण का संकल्प है। बाल विवाह, दहेज प्रथा सामाजिक अभिशाप है। अटल जी के सामाजिक विचार मानवता प्रधान हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'बिन्दु-बिन्दु विचार' शीर्षक संग्रह से, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भाषण, 27 मई 1996, सम्पादक-डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
2. बिन्दु-बिन्दु विचार, पृष्ठ संख्या-101, अटल बिहारी वाजपेयी, सम्पादक-डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
3. 'बिन्दु-बिन्दु विचार' शीर्षक संग्रह से, पृष्ठ संख्या-102, अटल बिहारी वाजपेयी, सम्पादक-डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
4. 'कुछ लेख कुछ भाषण', पृष्ठ संख्या-88, अटल बिहारी वाजपेयी, सम्पादक- डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
5. 'कुछ लेख कुछ भाषण' पृष्ठ संख्या-71 अटल बिहारी वाजपेयी, सम्पादक- डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
6. 'चिंतन के स्वर सेय 'न दैन्यं न पलायनम्' शीर्षक कविता से, अटल बिहारी वाजपेयी
7. 'कुछ लेख कुछ भाषण' शीर्षक संग्रह से, पृष्ठ संख्या-259, अटल बिहारी वाजपेयी, सम्पादक- डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
8. 'कुछ लेख, कुछ भाषण' शीर्षक पुस्तक से, पृष्ठ संख्या-260, अटल बिहारी वाजपेयी, सम्पादक- डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
9. 'कुछ लेख, कुछ भाषण' शीर्षक पुस्तक से, पृष्ठ संख्या-262, अटल बिहारी वाजपेयी, सम्पादक- डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
10. 'कुछ लेख, कुछ भाषण' शीर्षक पुस्तक से, पृष्ठ संख्या-263, अटल बिहारी वाजपेयी, सम्पादक- डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
11. 'कुछ लेख, कुछ भाषण' शीर्षक पुस्तक से, पृष्ठ संख्या-265, अटल बिहारी वाजपेयी, सम्पादक- डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Impact of Hydrogen Peroxide and Potassium Persulfate on Photocatlytic Degradation of Methyl Green dye

Dr. David Swami*

* Department of Chemistry, S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - Hydrogen peroxide is widely used in industries because of its versatility. Textile industries are one of the biggest industries of a country and hydrogen peroxide provides a cheap and effective source in bleaching the raw materials used to make our clothes. Potassium persulphate is used a bleacting and oxidizing agent it is a colourless solid used in the production of dyes. Addition of H_2O_2 and $K_2S_2O_8$ in photocatalytic degradation it increase the photocatalytic activity significantly. We have investigated the effect of addition of both hydrogen peroxide and potassium persulphate. The aim of the present study is to carry out the Impact of hydrogen peroxide and potassium persulphate on photocatalytic activity of Methyl green dye.

Introduction - Textile dye and their degradation by products originated through oxidation, hydrolysis and other chemical reaction are highly carcinogenic.[1] To perform the waste water treatment the conventional chemical and physical methods are not destructive but only transfer the pollutants from one phase to another phase.[2] Advanced oxidation processes have been propsed as the Alternative method for water purification using TiO_2 as photo catalyst appears as the most emerging distructive technology of this method is its destructive nature. It does not involve mass transfer and it can be carried out under ambient condition. The degradation rate has been studied at different H_2O_2 and $K_2S_2O_8$ concentrations. This study confirms that addition of H_2O_2 and $K_2S_2O_8$ to TiO_2 suspension it lead to an increase in the rate of Photoxidation.

Experimental: Methyl green was obtained from Loba Chemie. Photo catalyst TiO_2 was obtained from the S.D. Fine Company. All Solutions were prepared in doubly distilled water. Photo catalytic experiments were carried out with 50 ml of dye solution (3.8x10-5 mol dm-3) using 300mg of TiO2 photo catalytic under exposure to visible irradiation in specially designed double-walled slurry type batch reactor vessel made up of Pyrex glass (7.5 cm height, 6 cm diameter) surrounded by thermostatic water circulation arrangement to keep the temperature in the range of 30$\pm$0.3.c. Irradiation was carried out using 500 w halogen lamp surrounded by aluminum reflector to avoid irradiation loss. During photo catalytic experiments after stirring for 10 min slurry composed of dye solution and catalyst was placed in dark for ½ h in order to establish equilibrium between adsorption and desorption phenomenon of dye molecule on photo catalyst surface. Then slurry containing aqueous dye solution and TiO2 was stirred magnetically to ensure complete suspension of catalyst particle while exposing to visible light. At specific time intervals aliquot (3ml) was withdrawn and centrifuges for 2 min at 3500 rpm to remove TiO2 particle from aliquot to assess extent of decolourisation photo metrically. Changes in absorption spectra were recorded at 480 nm on double beam UV-Vis, spectrophotometer (Systronic Model No. 166) Intensity of visible radiation was measured by a digital luxmeter (Lutron LX 101). pH of solution was measured using a digital pH meter[3].

Results and Discussion: An aliquot was taken from the reaction mixture at regular time interval and the absorbance was measured spectra photo metrically at max value of 630 nm. The absorbance of the solution was found to decrease with increasing time. Which indicates that the concentration of Methyl green dye decreased with increasing time of exposure.

Effect of H_2O_2 and $K_2S_2O_8$: It was observed that H_2O_2 and $S_2O_8^{2-}$ addition was beneficial to facilitate for the photo oxidation of the dye. The reactive radical intermediates $SO_4^{\bullet-}$ and $^{\bullet}OH$ formed from these oxidants by reactions with the photogenerated electrons known exert a dual function as strong oxidant themselves and as electron scavengers, thus inhibiting the electron-hole recombination at the semiconductor surface [106]. The photocatalytic degradation rate increased as the concentration of H_2O_2 increased from 3.56×10^{-4} s^{-1} to 5.37×10^{-4} s^{-1} and it reached the optimum at 5.37×10^{-4} s^{-1}. After this the rate started decreasing as the concentration of the H_2O_2 increased. H_2O_2 has two functions in the process of photocatalytic degradation. It can accept a photo generated electron from

the conduction band and thus promoted the charge separation and it also forms $^{\bullet}OH$ radicals.

$H_2O_2 + TiO_2 (e^-_{CB}) \longrightarrow {}^{\bullet}OH + OH^-$ (1)

$H_2O_2 + h\nu \longrightarrow 2{}^{\bullet}OH$ (2)

Excess H_2O_2 might act as a hole or an $^{\bullet}OH$ scavenger and form peroxocompounds, which are detrimental to the photocatalytic action. This is an explaination for the need of an optimal concentration of H_2O_2 for the maximum effect.

$H_2O_2 + 2h^+_{vE} \longrightarrow O_2 + 2H^+$ (3)

$H_2O_2 + {}^{\bullet}OH \longrightarrow HO_2^{\bullet} + H_2O$ (4)

$HO_2^{\bullet} + {}^{\bullet}OH \longrightarrow H_2O + O_2$ (5)

$K_2S_2O_8$ could also trap the photogenerated conduction band electron resulted in the formation of sulphateradical anion ($SO_4^{-\bullet}$), a strong oxidizing agent (standard oxidation potential = 2.6 eV), which could participate in degradation process. With increase in $K_2S_2O_8$ concentration from 2.0 × 10^{-6} mol dm^{-3} to 8.0 × 10^{-6} mol dm^{-3}, rate constant values increased form 3.49 × 10^{-4} s^{-1} to 5.25 × 10^{-4} s^{-1}. At optimal concentration of $K_2S_2O_8$, a rate constant value has been found to be 5.25 × 10^{-4} s^{-1}. After this the rate started decreasing as the concentration increased. A possible explanation of this behavior might be the light absorption from dye molecule led to the photosensitization of the molecule, which is accompanied by the excitation of an electron from the lower to the upper energy level. Following this, the excited dye molecules injected electrons to the $S_2O_8^{2-}$. The resulted $SO_4^{\bullet-}$ radicals, strong oxidizing agents, attack the chromophore group in dye leading to the decolorization of the solution. The decrease in rate constant values above optimum concentration might be due to adsorption of sulphate ions formed during the reaction on surface of catalyst deactivating a section of photocatslyst.

$S_2O_8^{2-} + e^-_{aq} \longrightarrow SO_4^{\bullet-} + SO_4^{2-}$ (6)

$S_2O_8^{2-} + e^-_{cb} \longrightarrow SO_4^{\bullet-} + SO_4^{2-}$ (7)

$SO_4^{\bullet-} + e^-_{cb} \longrightarrow SO_4^{2-}$ (8)

$SO_4^{\bullet-} + H_2O \longrightarrow {}^{\bullet}OH + SO_4^{2-} + H^+$ (9)

Table : Effect of H_2O_2 and $K_2S_2O_8$: [MG] = 2.5 × 10^{-5} mol dm^{-3}, pH = 10.0

TiO_2 = 100 mg / 100 mL, Light intensity = 20 × 10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

[Oxidant] × 10^6 mol^{-1} dm^3	H_2O_2		$K_2S_2O_8$	
	k × 10^{-4} s^{-1}	$t_{1/2}$ × 10^3 s^{-1}	k × 10^{-4} s^{-1}	$t_{1/2}$ × 10^3 s^{-1}
0.0	3.37	2.05	3.37	2.05
2.0	3.56	1.94	3.49	1.98
4.0	3.91	1.77	3.72	1.86
6.0	4.45	1.55	4.68	1.48
8.0	5.37	1.29	5.25	1.32
10.0	3.45	2.00	3.10	2.23
12.0	2.41	2.87	2.49	2.78
14.0	1.88	3.68	2.18	3.17

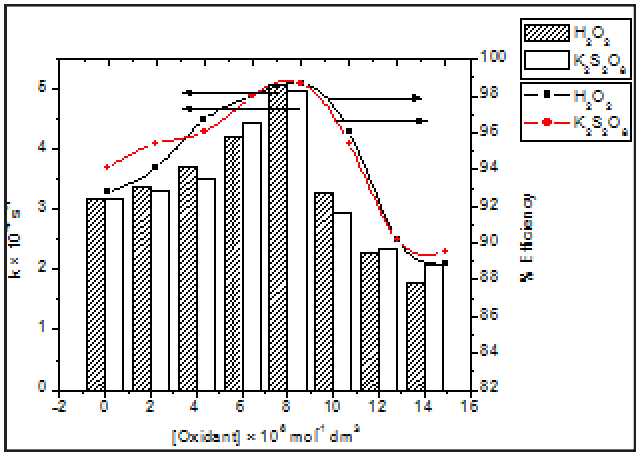

Fig: Effect of oxidant H_2O_2 and $K_2S_2O_8$

Conclusion: This study confirms that photo assisted mineralization of Methyl green dye can be effectively carried out utilizing TiO_2 with visible light. Hydrogen Paroxide is well known electon ecceptor and a green oxidant played Vital role in photocatalytic degradation. Addition of powerful oxidizing agen such as $K_2S_2O_8$ suspension caused to an ancrease in the rate of photooxidation. The addition of H_2O_2 and $K_2S_2O_8$ oxidants increased the photocatalytic activity significantly.

Acknowledgement: Author acknowledgment the support and Laboratory facilities provided by Chemistry Department S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.)

References:-

1. Nam S. and Tratnyek P.G. Water Res. 34 (2000) 1837-1875.
2. Saien J. and Soleymani A.R., Journals of Hazardous Material (2006) 1-7.
3. Graetzel C., Jirousek M. and Graetzel M., J.Mole. Cotal.60 (1990)375.
4. Arsalan B.I., Balcioglu I.A. and Bahnemann D.W., Dyes and Pigments, 47(2000) 207.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Juvenile Criminals: Is There A Solid System For Them?

Manaswi Agrawal*

*Research Scholar, University of Technology, Jaipur (Raj.) INDIA

Abstract - This study demonstrates the system of Juvenile Justice present inside the Indian Judiciary System. A regenerative approach to dealing with juvenile offences has long been developed by the legal system in India. However, a move towards a harsher strategy for successfully reducing juvenile offences was achieved with the introduction of the "Juvenile Justice Act 2015". The 2015 Act authorised teens between 16 and 18 years can be summoned as adults when they were caught in the most severe offences. Here, this study has showcased the political and juridical reasons for making such a judiciary transformation as well as the benefits of addressing children who have been arrested for violating the law without using a corrective strategy. The salient features as well as the advantages and limitations has also been showcased in this study.
Keywords: Juvenile Justice Act, Juvenile Justice, Crime, Offence, Child, United Nation, Juveniles.

Introduction - The subject of this study is based on the Juvenile Justice of India and children below the age of 18 come under this judiciary system. "Juvenile Justice Act" 2015 is originally derived from the act of 2000, is the latest act for the young offenders who have committed some crimes. This study will briefly discuss the prolonged history of Juvenile Justice in India along with the modern Juvenile Justice system present in the country. The main features of the "Juvenile Justice Act" 2015 will be demonstrated in this study in context to its application in different areas. The advantages and limitations of the "Juvenile Justice Act" 2015 will also be discussed in this study.

History of Juvenile Justice in India: In many industrialised nations, like the UK and the USA, a global drive for the unique rehabilitation of teenage offenders has started in this era. The approach for treating the young person who committed a crime in this manner started at the end of the 1800s[1]. Throughout the past, young offenders received similar treatment as adult offenders. On November 20, 1989, the General Assembly of the United Nations passed a Declaration on the Child's Human Rights for evaluating this purpose[2]. The purpose of this agreement is to secure the safety of young offenders. According to the Agreement, minors shall not be subjected to court procedures or public trials to protect their ability to reintegrate into society. The "Juvenile Justice Act" of 1986 must be repealed in accordance with the Agreement, and the proposed law must be passed in its place.

Therefore, The Indian Government has also developed a new act called the "Juvenile Justice Act" 2000 which is also referred to as the Care and Protection of Children Act[3]. The earlier Children Act of 1960 was repealed by the "Juvenile Justice Act" of 1986, which was also put into action. This was done to implement the UNGA's Basic Fundamental Standards for the Execution of Juvenile Justice, which was enacted in November 1985[4]. The law largely maintained the same structure for the protection of the interests and rights of juveniles across the nation, with the notable exclusion of Jammu & Kashmir[5]. It has also specified several key rules for the execution of law as well as the method of actions that should be undertaken when young offenders execute serious offences.

Overview of the Indian Juvenile Justice System: Every individual younger than 18 years of age is considered a juvenile or a minor in the Indian legal system regulating the system of juvenile justice[6]. A teenager in confrontation with the legislation, regardless of the kind of offence under this section, had to serve a 3 years maximum institutional care before the "Juvenile Justice Act" of 2015 has been passed[7]. This type of children was not subject to an imprisonment sentence or a punishment of more than 3 years. On January 15, 2016, the 2015 Act, which had substituted the 2000 Act, went into effect. It permitted teenagers between the ages of 16 and 18 who were accused of extreme offences to be prosecuted as adult persons[8].

"Juvenile Justice Boards (JJBs)" had to be established throughout each district of the nation in order to carry out an initial assessment of instances of juvenile crimes[9]. These proceedings were meant to evaluate the child's physical and psychological potential as well as their capacity to understand the repercussions of the specific crime that has been committed[10]. This represented a significant shift from

the custom of regarding children as "doli incapax," or as being unable to understand the repercussions of their acts[11]. The Board may choose to send the matter to a special court for children for a hearing after the completion of the entire investigation process. In this process, if the child is determined convicted in court, he or she will be taken to a secure location for rehabilitation and correction until he or she aged 21[12]. The Children's Court is required to evaluate such a juvenile once they turn 21. The children may be freed on supervision if it is found that they have changed. However, if not, the juvenile is sent to prison for adults where they need to serve the remaining duration of their punishment, which will be based on the type of crime they have committed[13].

Features of Juvenile act 2015

The foremost change in the "Juvenile Justice act", of 2015 is the transformation in terminology from "Juvenile" to "child in conflict with the law" inside the act. The main significance of this act is to fulfill the goals of the "United Nations Convention on the Rights of the Child", which India ratified on December 11, 1992. As per this act, "a child in conflict with the law" is defined as someone who commits an offense before turning 18 years old[14]. It mainly repeals the "Juvenile Justice Act", of 2000.

One of the important highlighted points in this amendment act is that it provided a clear definition of offenses committed by children which are categorized into three types: petty, serious, and heinous. According to the law, different offenses carry different prison sentences. Heinous offenses attract a maximum of 7 years, serious offenses between 3-7 years, and petty offenses a maximum of 3 years imprisonment[15]. The legislation also outlines the roles and responsibilities of the "Juvenile Justice Board" and the Child Welfare Commission with more clarity[16]. The "Juvenile Justice Board" is composed of a first-class in which one should be a woman with two social workers. It is designed to be a child-friendly forum, ensuring that young offenders are not taken to regular criminal courts. Besides these, it has also various other important functions, such as, it can transfer the matter to CWC, conduct regular inspections of jails, pass orders for the child to get admission to schools, and many more[17].

The State government has set up a Child Welfare Committee following the provisions of the Act. It has been set up in every district to promote care, protection, treatment development, rehabilitation, and also basic amenities[18]. The aforementioned points of this act include several other significant features that make a clear differentiation between conflicts in children's law who needs special care and protection. It makes it compulsory to register childcare institutions. Additionally, the "Central Adoption Resource Authority" granted statutory status. According to Section 15 Juvenile act, there are three criteria that the "juvenile justice board" can consider in the trial of a minor as an adult[19]. These criteriainclude Mental and physical capacity, Circumstances in the offense that has been committed, and lastly, the ability to understand the consequences of that offense.

Therefore, it is necessary to stimulate and open a platform where there could be open and better communication between parents and children in all classes so that crime can be reduced in the long run. However, it has been surveyed that children from economically weaker sections mainly children from slum areas are more likely to commit crimes[20]. Thus, it is very important to create a better environment for raising children in slum areas to avoid their attachment to juvenile crimes.

Advantages and Limitations of "Juvenile Justice Act", 2015

As per the advantages, many rehabilitation and societal reintegration procedures connected to learning, healthcare, de-addiction, treating illnesses, technical programs, training programmes, and personal development education have to be undertaken while the juvenile is residing in a secure environment at the trial[21]. Whenever the child finally leaves the facility that is providing care, this is meant to help children adapt to a more useful societal role. The Act also highlights the necessity of instilling in a child an understanding of human rights and their respect which mandates that children be treated in a sense that encourages the evolution of their dignity sense[22]. Another one of the main advantages of this act states that all the juveniles need to be registered at the childcare facilities in order to maintain and improve overall transparency of the judiciary system[23].

As per the limitations, it has been noticed that the issue was not the contents of the preceding Act, but rather with how those provisions were applied in practice. In numerous states, the treatment facilities that were supposed to be created in accordance with the 2000 Act either were not created or were in an operational position[24]. However, some of them were functioning properly, but they experienced challenges posed by a limited budget, poor personnel training, and an absence of treatment plans for the juveniles. Therefore, the motivation for creating new regulations was criticized because it was not primarily focused on strengthening the organizational and physical framework for the rehabilitation of juvenile offenders[25]. One of the main disadvantages that has been seen in the context of this Law is that it violates Article 14 of the Indian Constitution. As the article states that equality is provided to every citizen as their basic right, the "Juvenile Justice Act" treats the children aged between 16-18 years in a different manner[26]. In context to the psychological assessment of these Juvenile Criminals, there are no proper method present which makes this system unorganized in some way[27]. Several district magistrates have a limited knowledge about the law and its implementation, which necessitates a proper training system for the administrative workers that are related to this law and its application.

Conclusion: Conclusively, in order to answer the subject that asks if there is a distinct system has been established for Juvenile criminals, it has been found that there are some distinct features available in this "Juvenile Justice Act" 2015 which makes a proper foundation for the justice system for the Juveniles. The development of this act from the earlier days to the modern context has been evaluated in this study in a concise manner. There were both challenges and advantages found in this system which has been demonstrated elaborately in this study. However, the Indian government need to build proper infrastructure and available all the resources required to make this Juvenile Justice system successful.

References:-

1. Nanjunda, DevajanaChinnappa. "Juvenile Delinquents and the Juvenile Justice System in India: A Perception after the Fact." *Humanities, Arts and Social Sciences Studies (Former Name Silpakorn University Journal Of Social Sciences, Humanities, And Arts)* (2019): 256-270.
2. Raha, Swagata. "Treatment of Children as Adults under India's Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015: A Retreat from International Human Rights Law." *The International Journal of Children's Rights* 27.4 (2019): 757-795.
3. Agarwal, Deepshikha. "Juvenile delinquency in India—Latest trends and entailing amendments in Juvenile Justice Act." *People: International Journal of Social Sciences* 3.3 (2018): 1365-1383.
4. Snehil, Gupta, and Rajesh Sagar. "Juvenile justice system, juvenile mental health, and the role of MHPs: Challenges and opportunities." *Indian journal of psychological medicine* 42.3 (2020): 304-310.
5. Bajpai, Asha. "The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015: an analysis." *Indian Law Review* 2.2 (2018): 191-203.
6. Abrams, Laura S., Matthew L. Mizel, and Elizabeth S. Barnert. "The criminalization of young children and overrepresentation of black youth in the juvenile justice system." *Race and social problems* 13 (2021): 73-84.
7. Babar, A. V. "The law for juvenile injustice: Critical analysis of the Juvenile Justice (Care and Protection) Act, 2015." *Journal of Legal Studies and Research* 4.2 (2018): 2278-4322.
8. Prasad, Pupul Dutta. "Reimagining Counselling in the Juvenile Justice System." *Economic & Political Weekly* 55.9 (2020).
9. Kumar, Shailesh. "Shifting epistemology of juvenile justice in India." *ContextoInternacional* 41 (2019): 113-140.
10. Kumari, Kiran, and Rahat Hayat. "Juvenile Justice in India: Historical Context." *Bayan College International Journal of Multidisciplinary Research* 2.1 (2022).
11. Rout, Sakshi Saranya. "A Revised Juvenile Justice Act-Call of the Hour." *Jus Corpus LJ* 1 (2020): 1.
12. Joshi, Medha. "Child Rights and Juvenile Justice in India." (2021).
13. Dhaka, Sharwan Kumar. "Juvenile Delinquency in Delhi (India)-Latest Trends and New Amendments in Juvenile Justice." *RESEARCH JOURNEY* (2021): 102.
14. Bedi, Shruti. "The Juvenile Justice Law in India: Are you Old Enough to Commit a Crime?." *Vietnamese Journal of Legal Sciences* 5.2 (2021): 16-30.
15. Khanam, Annie. "A comprehensive review of Indian Juvenile Justice System and neighboring Asian countries reflecting effectiveness of Life skills Education as an intervention for Juvenile Delinquents." *Women and Children's Perspectives*: 195.
16. Baglivio, Michael T., et al. "The role of adverse childhood experiences (ACEs) and psychopathic features on juvenile offending criminal careers to age 18." *Youth Violence and Juvenile Justice* 18.4 (2020): 337-364.
17. Paul, Sini. "Child Adoption In India: From A Human Rights Perspective." *Journal of Multidisciplinary Cases (JMC) ISSN 2799-0990* 2.01 (2022): 28-35.
18. Saini, Ritu, and Ramveer Singh. "To Analyze Psychosocial Conditions in Post-shelter Homes in Haryana and Objectively Review the 2015 Juvenile Justice Act."
19. Duarte, Catherine D. P., Leslie Salas-Hernández, and Joseph S. Griffin. "Policy determinants of inequitable exposure to the criminal legal system and their health consequences among young people." *American Journal of Public Health* 110.S1 (2020): S43-S49.
20. Rani, Nadendla Roja. "A Critical Analysis on Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015."
21. Singh, Deepak. "An analysis of section 15 of the Juvenile Justice Act, 2015." *Christ ULJ* 8 (2019): 1.
22. Trépanier, Jean. "The roots and development of juvenile justice: an international overview." *Youth and Justice in Western States, 1815-1950: From Punishment to Welfare* (2018): 17-69.
23. Chaudhury, Arpita, and Suman Chakraborty. "Understanding juvenile delinquency cases of India (2010-2015) through statistical measures." (2019).
24. Shah, Malika Galib. "Children of conflict: an analysis of the Jammu and Kashmir Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2013." *Indian Law Review* 4.1 (2020): 105-119.
25. Barma, John Deb, et al. "Profile of juvenile offenders brought to a teaching hospital in Northeast India." *Indian Journal of Forensic and Community Medicine* 5.1 (2018): 19-21.
26. Naaz, Seema, and Zubair Meenai. "Alternative care in India: issues and prospects." *Rajagiri Journal of Social Development* 11.1 (2019): 3-18.
27. Rajendra, K. M., et al. "Swatantra Clinic: A descriptive study on the specialized child mental health service for children in difficult circumstances at a tertiary care

center in India." *Asian Journal of Psychiatry* 66 (2021): 102864.

Footnotes:-

1. Nanjunda, DevajanaChinnappa. "Juvenile Delinquents and the Juvenile Justice System in India: A Perception after the Fact." *Humanities, Arts and Social Sciences Studies (FORMER NAME SILPAKORN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES, AND ARTS)* (2019): 256-270.
2. Raha, Swagata. "Treatment of Children as Adults under India 's Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015: A Retreat from International Human Rights Law." *The International Journal of Children's Rights* 27.4 (2019): 757-795.
3. Agarwal, Deepshikha. "Juvenile delinquency in India —Latest trends and entailing amendments in Juvenile Justice Act." *People: International Journal of Social Sciences* 3.3 (2018): 1365-1383.
4. Snehil, Gupta, and Rajesh Sagar. "Juvenile justice system, juvenile mental health, and the role of MHPs: Challenges and opportunities." *Indian journal of psychological medicine* 42.3 (2020): 304-310.
5. Bajpai, Asha. "The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015: an analysis." *Indian Law Review* 2.2 (2018): 191-203.
6. Abrams, Laura S., Matthew L. Mizel, and Elizabeth S. Barnert. "The criminalization of young children and overrepresentation of black youth in the juvenile justice system." *Race and social problems* 13 (2021): 73-84.
7. Babar, A. V. "The law for juvenile injustice: Critical analysis of the Juvenile Justice (Care and Protection) Act, 2015." *Journal of Legal Studies and Research* 4.2 (2018): 2278-4322.
8. Prasad, Pupul Dutta. "Reimagining Counselling in the Juvenile Justice System." *Economic & Political Weekly* 55.9 (2020).
9. Kumar, Shailesh. "Shifting epistemology of juvenile justice in India." *ContextoInternacional* 41 (2019): 113-140.
10. Kumari, Kiran, and Rahat Hayat. "Juvenile Justice in India: Historical Context." *Bayan College International Journal of Multidisciplinary Research* 2.1 (2022).
11. Rout, Sakshi Saranya. "A Revised Juvenile Justice Act-Call of the Hour." *Jus Corpus LJ* 1 (2020): 1.
12. Joshi, Medha. "Child Rights and Juvenile Justice in India." (2021).
13. Dhaka, Sharwan Kumar. "Juvenile Delinquency in Delhi (India)-Latest Trends and New Amendments in Juvenile Justice." *RESEARCH JOURNEY* (2021): 102.
14. Bedi, Shruti. "The Juvenile Justice Law in India: Are you Old Enough to Commit a Crime?." *Vietnamese Journal of Legal Sciences* 5.2 (2021): 16-30.
15. Khanam, Annie. "A comprehensive review of Indian Juvenile Justice System and neighboring Asian countries reflecting effectiveness of Life skills Education as an intervention for Juvenile Delinquents." *Women and Children's Perspectives*: 195.
16. Baglivio, Michael T., et al. "The role of adverse child-hood experiences (ACEs) and psychopathic features on juvenile offending criminal careers to age 18." *Youth Violence and Juvenile Justice* 18.4 (2020): 337-364.
17. Paul, Sini. "Child Adoption In India: From A Human Rights Perspective." *Journal of Multidisciplinary Cases (JMC) ISSN 2799-0990* 2.01 (2022): 28-35.
18. Saini, Ritu, and Ramveer Singh. "To Analyze Psychosocial Conditions in Post-shelter Homes in Haryana and Objectively Review the 2015 Juvenile Justice Act."
19. Duarte, Catherine D. P., Leslie Salas-Hernández, and Joseph S. Griffin. "Policy determinants of inequitable exposure to the criminal legal system and their health consequences among young people." *American Journal of Public Health* 110.S1 (2020): S43-S49.
20. Rani, Nadendla Roja. "A Critical Analysis on Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015."
21. Singh, Deepak. "An analysis of section 15 of the Juvenile Justice Act, 2015." *Christ ULJ* 8 (2019): 1.
22. Trépanier, Jean. "The roots and development of juvenile justice: an international overview." *Youth and Justice in Western States, 1815-1950: From Punishment to Welfare* (2018): 17-69.
23. Chaudhury, Arpita, and Suman Chakraborty. "Understanding juvenile delinquency cases of India (2010-2015) through statistical measures." (2019).
24. Shah, Malika Galib. "Children of conflict: an analysis of the Jammu and Kashmir Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2013." *Indian Law Review* 4.1 (2020): 105-119.
25. Barma, John Deb, et al. "Profile of juvenile offenders brought to a teaching hospital in Northeast India." *Indian Journal of Forensic and Community Medicine* 5.1 (2018): 19-21.
26. Naaz, Seema, and Zubair Meenai. "Alternative care in India: issues and prospects." *Rajagiri Journal of Social Development* 11.1 (2019): 3-18.
27. Rajendra, K. M., et al. "Swatantra Clinic: A descriptive study on the specialized child mental health service for children in difficult circumstances at a tertiary care center in India." *Asian Journal of Psychiatry* 66 (2021): 102864.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

संस्कृत वाङ्मय में ऐतिहासिक साहित्य परम्परा

ऋषिका चुण्डावत*

* एम.ए (संस्कृत), बी.एड, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना - यह आरोपित किया कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का अभाव था।[1] लोएस के अनुसार हिन्दू इतिहासकार नहीं थे। भारत में मनुष्य प्रकृति के समक्ष अपने को तुच्छ और असमर्थ पाता है। फलस्वरूप उसमें नगण्यता तथा जीवन की निस्सारता जन्म लेती है, उसे जीवन की अनुभूति एक भयानक दु:स्वप्न के रूप में होती है और दुस्वप्न का कोई इतिहास नहीं होता है।[2] विन्टरनित्स की मान्यता है कि भारतीयों ने मिथक, आख्यान तथा इतिहास में कभी भी स्पष्ट विभेद नहीं किया और भारत में इतिहास रचना 'काव्य रचना' से ऊपर नहीं उठ सकी।[3] इसी प्रकार मैकडॉनल्ड के अनुसार भारतीय साहित्य का दुर्बल पक्ष इतिहास है जिसका यहाँ अस्तित्व ही नहीं था। इसी विचारधारा का समर्थन एलफिन्स्टन, फ्लोट, मैक्समूलर, वी. ए. स्मिथ जैसे विद्वानों ने भी किया है। 11वीं शती के मुस्लिम लेखक अल्बरूनी इससे मिलता-जुलता विचार व्यक्त करते हुए लिखता है- हिन्दू लोग घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते। घटनाओं के तिथिक्रमानुसार वर्णन करने में वे बड़ी लापरवाही बरतते हैं।[4]

'आर्य इतिहास लिखना नहीं जानते थे', 'संस्कृत साहित्य यथार्थ के धरातल से सर्वथा असम्पृक्त एवं नितान्त अलंकारपूर्ण एवं कृत्रिम है।'

प्रस्तुत कथन संस्कृत संस्कृति-सभ्यता पर पाश्चात्यों द्वारा किये गए आक्षेपों में विश्रुत होकर अन्यतम है। नेत्र निमिलित उल्लू द्वारा भास्वर भास्कर की अस्वीकृतिवत् ही उक्त आरोप सर्वथा तथ्य शून्य आधारहीन व निर्मूल है। वस्तुत: ब्रह्मानन्द सहोदर काव्य रस समर्चक-समाराधक रससिद्ध सारस्वत-पुत्र अपनी विशिष्ट रससिद्ध शैली और परम्परा में प्रभूत इतिहास सर्जन-संरक्षण-संवर्द्धधन अनवरत करते रहे, दूसरे शब्दों में संस्कृत ऐतिह्यसरिता का सतत्, अविचल, अविरल क्रमबद्ध प्रवाह मानव जाति के आदिम ग्रन्थरत्न ऋग्वेद से वीरकाव्य, पुराणादि एवं अवान्तरकालिन काव्य, रूपक, गद्य, साहित्य पर्यन्त अक्षुण्ण बना रहा।

वैदिक वाङ्मय में ऐतिह्य तत्त्व - वेदों की प्राचीनता पर सम्पूर्ण विश्व सारस्वत समुदाय एकमत है। वैदिक युग में 'वेद' शब्द के अन्तर्गत ब्राह्मण-अरण्यक उपनिषद्-वेदाङ्ग-पुराण इतिहासादि सम्पूर्ण साहित्य का अन्तर्भाव हुआ है।

'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामथेयम् - ताभ्य: पञ्चवेदान्निरमीयतसर्ववेदपि - शाचवेदमसुरवेद मितिहासवेदं पुराणवेदमिति।'[5]

ऋक्संहिता में यत्र-तत्र प्रत्यक्ष रूपेण ऐतिहासिक सामग्री का निदर्शन हुआ है-

'त्रितं कूपेऽवहितमेतत् सूक्तं प्रतिबभौ ! ब्रह्मेतिहासमि श्रमृऽ: मिंश्र गाथामिश्र भवति ।'[5]

निरूक्तकार यास्क ने ऋचाओं के विशदीकरण हेतु ब्राह्मणग्रन्थ एवं प्राचीन आचार्यों की कथाओं को 'इतिहासमाचक्षते' कहकर उद्धृत किया है। छान्दोग्य उपनिषद् में सनत्कुमार से ब्रह्म विद्या अध्ययन के समय अपनी अधीत विद्याओं में नारद मुनि ने 'इतिहास-पुराण' को पंचम वेद कहा-

'ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्वणम् इतिहास-पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्।'[6]

धर्मार्थ-काम-मोक्षाणामुपदेश समुच्चितम।पुरावृत्तां तथा युक्तिमृतिहासंप्रचक्षते।।[7] ....,History[8], इतिहास[9] इत्यादि शब्दों एवं परिभाषाओं के आलोकानुसार वैदिक वाङ्मय सर्वाङ्गपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री सिद्ध होता है। संहिता ब्राह्मण-आरण्ययक-उपनिषद् एवं वेदाङ्ग साहित्य में यत्र- तत्र सर्वत्र ऐतिहासिक सामग्री पाश्चात्य शैली के अनुरूप घटना प्रधान, निरस एवं शुष्क रूप में नहीं अपितु क्रान्तदष्टा कवि की उर्वर कल्पना-शक्ति, मेधा से सम्पुटित, व्यञ्जना, वक्रोक्ति संवलित होकर सरस सुधारस रूप में प्रवाहमाण है।

डॉ. पुरूषोत्तम लाल भार्गव ने अपनी पुस्तक 'इण्डिया इन द वैदिक एज' में वैदिक इतिहास को तीन काल खण्डों में विभक्त कर प्रस्तुत किया है- (अ) ऋग्वेद काल (ब) उत्तार वैदिक काल (स) ब्राह्मण-उपनिषद्काल। ऋग्वेदिक युग में इक्ष्वाकु, सुद्यम्नु, प्रांशु व शर्याति वंशों से सगर पर्यन्त सम्राटों का विस्तृत वर्णन है। डॉ. द्वारिका प्रसाद मिश्र ने जम्बुद्वीप, देवलोक तथा पितृलोक का निर्णय करते हुये इन्द्र, वरूण एवं यम की ऐतिहासिकता प्रमाणित की है।[10]

'इन्द्र' देव समुदाय एवं आर्यों के आदि निवास स्थान के शासक का सामान्य नाम है। इनके व्यक्ति वाचक नाम अलग है। यथा एक इन्द्र का नाम - पकस्थम है, जो कुरियम का पुत्र था। चमुरि, धुनि, शिग्र, शम्बर एवं शुष्ण से युद्ध करने वाले इन्द्र का नाम सुमन्त था, तो अर्बुद को पराजित करने वाला इन्द्र आश्विन था। मनु का विवरण भी इसी भांति पारसी और वैदिक साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। भारतीय अपना वंश मनु से निरूपित करते हैं, अन्य मनुओं से उसका पार्थक्य नियमित करने के लिये उसे वैवस्त मनु कहा है।[11] ईव और एडम की तुलना से यम-यमी संवाद की ऐतिहासिकता सम्पुष्ट हैं। विवंगद्वान के पुत्र यिमक्षेत (जमशेद) की एकरूपता वैदिक यम के साथ की गयी है। जमशेद ने हिमानी युग में अनर्थकारी हिमप्लावन से ईरान की रक्षा की थी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह जलप्लावनध्प्रलय था, जिसने मनु के समय पृथ्वी को डूबो दिया। मनु अन्तत: सूक्ष्म रूप से जीव संतति एवं राष्ट्रक्षा में सफल रहे।[12]

ऐतिहासिक दृष्टि से इन्द्र, यम, मनु, वरूण आदि के पश्चात शर्याति,

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

सुद्यम्नु, इक्ष्वाकु, प्रांशु आदि का विवरण प्रारम्भ होता है। राजा सुदास, हरिश्चन्द्र, दिवोदास, सगर आदि इस युग के प्रसिद्ध राजा थे। ऋग्वेद में उपलब्ध दानस्तुतियाँ, नराशंसी गाथाएँ, यज्ञकथायें, आख्यान आदि ऋग्वेदिक ऐतिह्यता को सिद्ध करती है।

उत्तरवैदिक काल विस्तार युग है, इस कालखण्ड में अखिल भारतवर्ष में विविध राजकुल स्थापित हुये। यथा शूरसेन में यादवों की साम्वत शाखा, पाञ्चाल में पाँच राजवंश, सरयूतट (कोसल) में इक्ष्वाकु, सदानीरा तट पर विदेह राज्य इक्ष्वाकुवंशी निमिमाधव द्वारा राज्य स्थापित किये गये। इसी प्रकार, विशाल ने वैशाली, दधिवाहन ने अंग, वृहद्रथ ने मगध तथा राम के पुत्र एवं भतीजों ने भी विविध नगर बसाये-कुश ने कुशावती, लव ने श्रावस्ती, भरत पुत्र तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना की।

शतपथ ब्राह्मण में मिथिला, विदेह, दुष्यन्त, उग्रसेन का वर्णन उपलब्ध है। ताण्ड्य महाब्राह्मण विदेहवंश एवं तैत्तिरीय कालकंज असुर एवं वाराह अवतार का साक्षी है। शुनःशेप, अहिल्या, खाण्डव, कुरूक्षेत्र, मत्स्य, काशी, कुरूमाञ्चल, ऐतेरेय ब्राह्मण में वर्णित है। गोपथ एवं शतपथ ब्राह्मण में अंग, अन्धु, काशी, पुण्ड्र, मत्स्य, कौशाम्बी, विप्लक्ष, प्रस्रवण और विनशन उल्लेखित है।

निष्कर्ष यही हैं कि अखिल ज्ञान-विज्ञान- इतिहास - साहित्य- कला-शिल्प आदि के उत्स से वैदिक वाङ्मय अपनी ऐतिहासिकता में स्वतः प्रामाण्य है।

पुराण - पुराण अर्थात् प्राचीन,अपने नामकरण अनुसार 'पुराणं पञ्चलक्षणम्' एवं श्रीमद्भागवत पुराण का 'दशभिरूलक्षणैर्युक्तम् पुराणम्' लक्षण पुराणों को शत प्रतिशत प्रमाणिक ऐतिहासिक सिद्ध करता है। प्रागैतिहासिक काल, मानव जन्म की कथा (सर्ग), प्रलय (विसर्ग), सामायिक आवास-निवास, आजिविका उद्योगों (वृत्ति) रक्षा के उपायों (राजनैतिक संस्थायें), विभिन्न वंशों का वर्णन, वंशों के राजनीतिक-सांस्कृतिक क्रियाकलापों, मानव जीवनोपयोगी सांस्कृतिक-सामाजिक-दार्शनिक-धार्मिक संस्थाओं, विभिन्न विप्लवों, जय-पराजय के कारणों, उन्हें दूर करने के उपायों, प्रजा की सुख शान्ति हेतु निर्मित आश्रमों इत्यादि घटनाओं के साक्षी-समालोचक-समीक्षक पुराण ग्रन्थ रहे हैं, अतएव प्रत्येक दृष्टि से पुराण संस्कृत ऐतिह्य वल्लरी के महत्तवपूर्ण उपादान सिद्ध होते हैं।[13] पुराणेतर ऐतिहासिक साहित्य में निज राष्ट्र गौरव का यह गान श्रवणीय ही है-

'अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने ।
यतो हि कर्म भूरेषा यतोऽन्या भोगभूमयः ।
अत्र जन्मसहस्त्राणां सहस्त्रेरपिसत्तम ।
कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्य संचयात् ।
गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे ।
स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः मनुष्याः ।'[14]

अष्टादश पुराणों में प्रथम ब्रह्मपुराण एवं अन्तिम ब्रह्मण्ड पुराण माना जाता है। विभिन्न पुराण ग्रन्थों के अवलोकन से सहजरूपेण प्राच्य भारतीय ऐतिहासिक गौरव का निदर्शन होता है।[15]

सार रूप में यह कहना उचित है कि भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास अत्यन्त गौरवपूर्ण रहा है। परन्तु दुर्भाग्यवश हमें अपने प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिये उपयोगी सामग्री बहुत कम मिलती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे ग्रन्थों का प्रायः अभाव-सा है जिन्हें आधुनिक परिभाषा में 'इतिहास' की संज्ञा दी जाती है। यह भी सत्य है कि हमारे यहाँ हेरोडोटस, थ्यूसीडाइडीज अथवा लिवी जैसे इतिहास-लेखक नहीं उत्पन्न हुए जैसा कि यूनान, रोम आदि देशों में हुए। किन्तु भारतीयों के इतिहास विषयक ज्ञान पर पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लगाये आरोप सत्य से परे है। वास्तविकता यह है कि प्राचीन भारतीयों ने इतिहास को उस दृष्टि से नहीं देखा,जैसे कि आज के विद्वान् देखते हैं। उनका दृष्टिकोण पूर्णतया धर्मपरक था। उनको दृष्टि में इतिहास साम्राज्यों अथवा सम्राटों के उत्थान अथवा पतन की गाथा न होकर उन समस्त मूल्यों का संकलन-मात्र था जिनके ऊपर मानव जीवन आधारित है। अतः उनकी बुद्धि धार्मिक और दार्शनिक ग्रन्थों की रचना में ही अधिक लगी, न कि राजनैतिक घटनाओं के अंकन में। तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का भी अभाव था। प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ के निवासियों में अति प्राचीन काल से ही इतिहास बुद्धि विद्यमान रही। वैदिक साहित्य, बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में अत्यन्त सावधानीपूर्वक सुरक्षित आचार्यों की सूची (वंश) से यह बात स्पष्ट हो जाती है। वंश के अतिरिक्त गाथा तथा नाराशंसी साहित्य, जो राजाओं तथा ऋषियों के स्तुतिपरक गीत है, से भी सूचित होता है कि वैदिक युग में इतिहास लेखन की परम्परा विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त 'इतिहास तथा पुराण' नाम से भी अनेक रचनायें प्रचलित थी। इन्हें 'पञ्चम वेद' कहा गया है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान कल्हण के विवरण से पता चलता है कि प्राचीन भारतीय विलुप्त तथा विस्मृत इतिहास को पुनरुज्जीवित करने की कुछ आधुनिक विधियों से भी परिचित थे। वह लिखता है - 'वही गुणवान् कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग-द्वेष से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों के निरूपण में ही अपनी भाषा का प्रयोग करता है।'

श्लाघ्यः स एव गुणवान् रागद्वेषबहिष्कृता । भूताऽर्थ कथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ।।[16]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भगवान सिंह,प्राचीन भारत के इतिहासकार,पृ.सं.60,सस्ता साहित्य मंडल,नई दिल्ली,2016
2. Essay on the Civilization of India, China, Japan, p.15.
3. It has never been the Indian way to make a clearly defined distinction between myth, legend and history. Historiography in India was never more than a branch of epic poetry. History of Indian Literature, Vol.I. p. 208.
4. The Hindus do not pay much attention to the historical order of things, they are very careless in relating the chronological succession of things. Sachau: Alberuni's India II, 10.
5. निरुक्त 4/6
6. छान्दोग्योपनिषद 7/1
7. तारानाथ तर्क वाचस्पति,वाचस्पत्यम, ओरिएंटल बुक सेण्टर, दिल्ली,2002
8. के.सी.श्रीवास्तव,प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति,पृ.सं.10,यूनाइटेड बुक डिपो,इलाहाबाद,2009-10
9. डॉ.श्याम शर्मा,संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक,पृ .सं.18,देवनागर प्रकाशन,जयपुर,1986
10. डॉ.द्वारिका प्रसाद मिश्र,भारतीय आद्य इतिहास का अध्ययन,पृ.सं.13
11. डॉ.शक्ति कुमार शर्मा,कश्मीर का सांस्कृतिक इतिहास,पृ.सं.13,

देवनागर प्रकाशन,जयपुर,1977

12. Iran and its culture,F.C.Dowr

13. **सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशोमन्वतराणि च। वंशानुचरितं चौव पुराणं पञ्चलक्षणम् ।।**
(के.सी.श्रीवास्तव,प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति,पृ.सं.5)
सर्गोऽश विसर्गश्च वृत्तो रक्षन्तरापिच। वंशोवंशानुचरितम् संस्था हेतुरपाश्रय ।।
दशभिलक्षणैर्युक्तम् पुराणं तद्विदोषदु: केचित् पंचविधं ब्रह्मन् महदल्प व्यवस्थया।।
(भागवत् पुराण 12/79)

14. ब्रह्मपुराण 19/23-26

15.(i) ब्रह्मपुराण में तीन सौ अस्सी तीर्थो का वर्णन यथा पुष्कर, नैमिषारण्य, प्रयाग, धर्मारण्य, चम्पकारण्य, गया, प्रभास, कनखल आदि। विन्ध्याचल, मलय, सहयाद्रि आदि पर्वतों, इनसे निसृत नदियों एवं मैसूर, केरल, उड़िसा का यथातथ्य वर्णन है।
येवायं संप्रयच्छन्ति सूर्याय नियतेन्द्रिया:।
ब्राह्मणा: श्त्रिया वैश्या स्त्रिय: शूद्रक्षसंयता।।
भक्ति भावेन सततं विशुद्धेनान्तरात्मना।
भक्तिमतान् कामान् प्राप्नुवन्ति परां गतिम्।। 28/37-38
(ii) भगवत पुराण में शिशुनाग, नंद मौर्य वंश का वर्णन है।
(iii) गरुड़ पुराण में कुरु, इक्ष्वाकु राजवंशों का वर्णन है।

16. राजतरंगिणी 1.7

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Organizational Learning in Banking Sectors Through Performance Evaluation, Learning from Failures, Collaboration and Cross-Functional Teams, External Partnerships and Networks

Shrey Chhangani*

***PG Student (Management Studies) Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - Organizational learning is vital for the banking sector as it enables banks to adapt to market changes, improve risk management, enhance decision-making, foster innovation, provide customer-centric solutions, develop talent, and build organizational resilience. By embracing a culture of learning and knowledge-sharing, banks can position themselves for long-term success in a highly competitive industry. This paper discusses the concept and importance of organizational learning through performance evaluation, learning from failures, collaboration and cross-functional teams, external partnerships and networks.

Introduction - Organizational learning in the banking sector refers to the process by which banking institutions acquire, share, and apply knowledge to improve their performance, adapt to changes, and innovate. It involves the continuous acquisition, creation, and utilization of knowledge to enhance decision-making, optimize processes, and foster a culture of learning and improvement.Organizational learning in the banking sector is a multifaceted process that involves various components. Performance evaluation, learning from failures, collaboration and cross-functional teams, and external partnerships and networks are key drivers of organizational learning in the banking sector.

Performance evaluation: Banks use performance evaluation mechanisms to assess individual and team performance. Regular feedback sessions and performance reviews help identify areas for improvement, provide guidance, and recognize achievements. By linking learning objectives to performance evaluations, banks encourage continuous learning and development.Performance evaluation and feedback are important processes in the banking sector to assess employee performance, provide guidance, and support professional development. They help align individual goals with organizational objectives, identify areas for improvement, and recognize achievements. Here are some key aspects of performance evaluation and feedback in the banking sector:

1. **Goal setting**: Performance evaluation in the banking sector begins with setting clear and measurable goals for employees. These goals are aligned with the bank's strategic objectives and may include targets related to sales, customer service, risk management, compliance, and professional development. Well-defined goals provide a basis for evaluating performance and tracking progress.
2. **Performance metrics**: Banks establish performance metrics and key performance indicators (KPIs) that align with the specific roles and responsibilities of employees. These metrics can include factors such as sales targets, customer satisfaction scores, compliance adherence, operational efficiency, and risk management indicators. Clear performance metrics provide a basis for objective evaluation.
3. **Regular performance reviews**: Banks conduct regular performance reviews to assess employee performance. These reviews can be conducted on a quarterly, biannual, or annual basis, depending on the organization's policies. Performance reviews provide an opportunity for managers to provide feedback, discuss strengths and areas for improvement, and set new goals.
4. **360-degree feedback**: In the banking sector, 360-degree feedback is often employed to gather input from multiple sources, including supervisors, peers, subordinates, and customers. This comprehensive feedback provides a well-rounded assessment of an employee's performance, considering different perspectives. It helps identify blind spots, strengths, and areas for development.
5. **Performance discussions**: Performance evaluations in the banking sector involve one-on-one discussions

between managers and employees. These discussions provide an opportunity for employees to share their achievements, challenges, and career aspirations. Managers provide constructive feedback, guidance, and support to help employees improve their performance and meet their goals.

6. **Development plans**: Based on performance evaluations, banks create individual development plans for employees. These plans outline specific actions and learning opportunities to support professional growth and address areas for improvement. Development plans can include training programs, coaching, mentoring, job rotations, or special projects.

7. **Performance-based incentives**: In the banking sector, performance evaluations often play a role in determining compensation and incentives. Employees who meet or exceed their performance targets may be eligible for bonuses, promotions, or other forms of recognition. Performance-based incentives serve as a motivational tool and reward high performers.

8. **Performance improvement plans**: In cases where an employee's performance is below expectations, banks may implement performance improvement plans. These plans outline specific actions and timelines to address performance gaps, provide additional support, and set clear expectations. Regular monitoring and feedback help employees in the performance improvement process.

9. **Ongoing feedback**: Performance evaluation in the banking sector is not limited to formal review periods. Ongoing feedback is encouraged, where managers provide timely and constructive feedback to employees on their performance. This feedback helps employees course-correct, make improvements, and stay aligned with organizational goals.

10. **Career development discussions**: Performance evaluations often include discussions about career development. Managers and employees discuss career aspirations, growth opportunities within the organization, and steps to achieve professional goals. These discussions foster employee engagement and retention by demonstrating a commitment to their long-term development.

By implementing robust performance evaluation and feedback processes, banks can assess and improve employee performance, align individual goals with organizational objectives, and support professional development. Effective performance management contributes to a high-performance culture and enhances overall organizational success.

Learning from Failures: Banks recognize the importance of learning from failures and mistakes. They establish mechanisms to capture and analyze failures, conducting post-mortem reviews to identify root causes, and implementing corrective actions. This enables the organization to learn from its mistakes, improve processes, and prevent similar issues in the future.By analyzing and understanding failures, banks can identify root causes, implement corrective measures, and prevent similar mistakes in the future. Here are some key aspects of learning from failures in the banking sector:

1. **Post-mortem analysis**: When a failure occurs, banks conduct post-mortem analysis to understand the causes and consequences of the failure. This analysis involves a thorough examination of the processes, decisions, and actions leading up to the failure. By identifying the underlying factors, banks can gain insights into what went wrong and why.

2. **Root cause analysis**: Banks perform root cause analysis to delve deeper into the fundamental reasons behind the failure. This analysis aims to identify the core issues or deficiencies that contributed to the failure. It involves asking "why" repeatedly to uncover the underlying causes rather than merely addressing surface-level symptoms.

3. **Risk assessment and mitigation**: Learning from failures involves enhancing risk assessment and mitigation strategies. Banks evaluate the risks associated with the failure and identify gaps in risk management processes. This analysis helps banks strengthen their risk assessment frameworks, implement more effective controls, and develop mitigation strategies to prevent similar failures in the future.

4. **Process improvement**: Failures often highlight areas where processes can be improved. Banks identify bottlenecks, inefficiencies, and shortcomings in their operations, and work towards streamlining processes and eliminating redundancies. Process improvement initiatives aim to enhance operational efficiency, reduce errors, and increase overall effectiveness.

5. **Employee training and development**: Failures provide opportunities for learning and skill development among employees. Banks offer training programs and professional development opportunities to address knowledge gaps and skill deficiencies exposed by failures. These programs help employees acquire new competencies, stay updated with industry best practices, and develop the skills needed to prevent similar failures in the future.

6. **Communication and transparency**: Learning from failures requires open and transparent communication within the organization. Banks encourage employees to report failures and near-misses without fear of retribution. Open dialogue promotes a culture of learning, where failures are seen as opportunities for improvement rather than as grounds for punishment. Transparent communication also helps disseminate lessons learned throughout the organization.

7. **Implementing corrective measures**: Learning from failures involves implementing corrective measures to address the issues identified. Banks develop action plans

to rectify the root causes of the failure and prevent recurrence. These measures may include revising policies and procedures, strengthening internal controls, enhancing training programs, or adopting new technologies.

8. **Knowledge sharing and organizational learning**: Failures provide valuable lessons that can be shared across the organization. Banks encourage knowledge sharing and organizational learning by documenting and disseminating the lessons learned from failures. This can be done through internal communication channels, training programs, knowledge repositories, and lessons learned workshops. Sharing these lessons helps prevent the repetition of mistakes and promotes a culture of continuous improvement.

9. **Collaboration and industry-wide learning**: Banks also engage in collaborative learning with industry peers and regulatory bodies. Sharing experiences and insights with other institutions helps create a collective learning environment. Industry associations, forums, and conferences facilitate the exchange of best practices, emerging risks, and regulatory updates, fostering a culture of continuous learning at an industry level.

Learning from failures is a critical component of risk management, innovation, and continuous improvement in the banking sector. By analyzing failures, implementing corrective measures, and fostering a culture of learning, banks can enhance their resilience, improve their operations, and mitigate future risks.

Collaboration and cross-functional teams: Banking institutions promote collaboration among different teams and departments to facilitate knowledge exchange and learning. Cross-functional teams are formed to tackle complex challenges, leveraging diverse expertise and perspectives. Collaboration and cross-functional teams play a significant role in the banking sector by fostering innovation, enhancing problem-solving, and improving organizational effectiveness. Some key aspects of collaboration and cross-functional teams in the banking sector:

1. **Enhanced decision-making**: Collaboration brings together individuals with diverse perspectives, expertise, and backgrounds. Cross-functional teams in the banking sector leverage this diversity to make well-informed and comprehensive decisions. By involving representatives from different departments, such as operations, risk management, marketing, and technology, banks can consider multiple viewpoints and ensure decisions are well-rounded and aligned with organizational goals.

2. **Innovation and problem-solving**: Collaboration and cross-functional teams are catalysts for innovation in the banking sector. They encourage the exchange of ideas, insights, and best practices among team members from different functional areas. This interdisciplinary collaboration sparks creativity, encourages out-of-the-box thinking, and leads to innovative solutions to complex problems. By leveraging the collective knowledge and expertise of diverse team members, banks can drive transformative change and stay ahead in a rapidly evolving industry.

3. **Improved customer experience**: Collaboration across functions is vital in delivering a seamless and exceptional customer experience. Cross-functional teams bring together individuals responsible for various touchpoints of the customer journey, such as product development, marketing, customer service, and operations. This collaboration ensures a holistic understanding of customer needs and enables the design and delivery of customer-centric solutions. It helps banks anticipate customer preferences, address pain points, and provide personalized experiences.

4. **Streamlined processes and efficiency**: Collaboration and cross-functional teams enable banks to streamline processes and improve operational efficiency. By breaking down silos and collaboration between departments, banks can eliminate redundancies, optimize workflows, and reduce bottlenecks. Cross-functional teams can identify process inefficiencies, propose process improvements, and implement changes that enhance productivity and reduce costs.

5. **Risk management and compliance**: Collaboration between risk management, compliance, and other functional areas is crucial for effective risk management and regulatory compliance in the banking sector. Cross-functional teams facilitate communication, coordination, and alignment of efforts to ensure adherence to regulatory requirements. By working collaboratively, banks can identify and mitigate risks more effectively, ensure compliance across the organization, and maintain robust control frameworks.

6. **Agile project management**: Collaboration and cross-functional teams are integral to agile project management practices in the banking sector. These teams work together in an iterative and collaborative manner, allowing for frequent feedback and adaptation. Cross-functional collaboration enables banks to respond quickly to changing market conditions, customer needs, and emerging opportunities. Agile project management practices enhance flexibility, speed, and responsiveness in delivering projects and initiatives.

7. **Knowledge sharing and learning**: Collaboration fosters knowledge sharing and learning within the banking sector. Cross-functional teams provide a platform for employees with different areas of expertise to share knowledge, experiences, and best practices. This sharing of insights and lessons learned enhances organizational learning, improves problem-solving capabilities, and promotes a culture of continuous improvement. It also facilitates the development of cross-functional skills among team members, fostering professional growth and career development.

8. **Stakeholder engagement**: Collaboration and cross-

functional teams enable effective engagement with external stakeholders in the banking sector. By collaborating closely with external stakeholders, banks can build strong relationships, gather feedback, and tailor their products and services to better meet customer expectations.

In summary, collaboration and cross-functional teams are essential for driving innovation, improving decision-making, streamlining processes, managing risks, and enhancing the overall effectiveness of banks. By leveraging the diverse expertise and perspectives of team members, banks can achieve better outcomes, deliver superior customer experiences, and navigate the complex and dynamic landscape of the banking industry.

External partnerships and networks: Banks actively engage in partnerships and networks with external entities, such as industry associations, academic institutions, fintech companies, and research organizations. These provide access to external knowledge, emerging trends, and innovative practices, enabling banks to stay updated and learn from external expertise.External partnerships and networks are crucial for the banking sector as they enable institutions to leverage external expertise, access new markets, drive innovation, and enhance customer value. Here are some key aspects of external partnerships and networks in the banking sector:

1. **Fintech collaborations**: Banks actively collaborate with fintech companies to tap into their innovative solutions, technologies, and business models. These partnerships can take various forms, including joint ventures, strategic investments, or collaborations through innovation labs or incubator programs. Collaborating with fintech firms helps banks stay ahead of emerging trends, leverage disruptive technologies, and enhance their digital capabilities.
2. **Strategic alliances**: Banks form strategic alliances with other financial institutions, technology providers, or non-banking entities to expand their reach, diversify their offerings, and leverage synergies. These alliances can include joint ventures, shared services agreements, or co-branding partnerships. Strategic alliances help banks access new markets, share resources, and provide customers with a broader range of products and services.
3. **Supplier partnerships**: Banks establish partnerships with suppliers to ensure a reliable supply of goods and services necessary for their operations. Supplier partnerships can involve long-term contracts, collaborative development projects, or preferential purchasing arrangements. Strong supplier partnerships help banks manage costs, improve efficiency, and maintain high service levels.
4. **Regulatory collaborations**: Banks collaborate with regulatory bodies and industry associations to navigate the complex regulatory landscape and shape industry standards. These collaborations involve participating in regulatory discussions, providing feedback on proposed regulations, and sharing best practices. By collaborating with regulators, banks can contribute to the development of a balanced regulatory framework and foster an environment conducive to innovation.
5. **Customer-centric partnerships**: Banks form partnerships with non-banking entities to enhance their value proposition to customers. These partnerships provide customers with convenient access to a wide range of offerings, enhance customer loyalty, and create cross-selling opportunities.
6. **Research and academic collaborations**: Banks collaborate with research institutions and academia to access cutting-edge research, insights, and expertise. These collaborations can involve joint research projects, knowledge-sharing initiatives, or academic-industry partnerships. By engaging with research institutions, banks can stay informed about emerging trends, gain access to specialized knowledge, and drive innovation in the industry.
7. **Industry networks and associations**: Banks actively participate in industry networks and associations to stay connected with peers, share best practices, and stay abreast of industry developments. These networks facilitate knowledge exchange, professional development, and collaboration among industry professionals. Industry associations also play a role in advocacy, representing the interests of the banking sector and shaping industry policies.
8. **Cross-border collaborations**: Banks engage in cross-border collaborations and partnerships to expand their global presence, access international markets, and serve multinational clients. These collaborations can involve partnerships with foreign banks, correspondent banking relationships, or participation in international consortia. Cross-border collaborations enable banks to leverage global expertise, tap into new customer segments, and facilitate international trade and finance.
9. **Startup ecosystems and accelerators**: Banks actively engage with startup ecosystems and accelerators to foster innovation and support the growth of early-stage fintech companies. Banks provide mentorship, resources, and investment opportunities to startups, benefiting from their innovative solutions and entrepreneurial mindset. Collaborating with startups allows banks to stay at the forefront of emerging technologies and business models.
10. **Social and environmental partnerships**: Banks form partnerships with social enterprises, non-profit organizations, and environmental initiatives to drive positive social and environmental impact. These partnerships can involve funding projects, promoting sustainable finance, or supporting community development initiatives.

Collaborating in the social and environmental space helps banks fulfill their corporate social responsibility, enhance their reputation, and contribute to sustainable development.

In summary, external partnerships and networks are instrumental in the banking sector for accessing new technologies.

Conclusion: In a nutshell, organizational learning in the banking sector is facilitated by performance evaluation, learning from failures, collaboration and cross-functional teams, and external partnerships and networks. By effectively evaluating performance, embracing failures as learning opportunities, fostering collaboration, and leveraging external expertise, banks create a culture of continuous improvement, innovation, and knowledge sharing. This enables them to adapt to changes in the financial landscape, enhance customer satisfaction, and drive sustainable growth. These practices enable banks to adapt, grow, and enhance their competitiveness in a rapidly changing industry.

References:-

1. Al-Hawari, M., & Ward, T. (2006). The relationship between organizational commitment and knowledge sharing in the Jordanian banking sector. International Journal of Bank Marketing, 24(3), 188-202.
2. Edmondson, A. (2002). The local and variegated nature of learning in organizations: A group-level perspective. Organization Science, 13(2), 128-146.
3. Garvin, D. A. (1993). Building a learning organization. Harvard Business Review, 71(4), 78-91.
4. Hasan, I., &Marton, K. (2003). Development and efficiency of the banking sector in a transitional economy: Hungarian experience. Journal of Banking & Finance, 27(12), 2249-2271.
5. Loonam, J., Devitt, F., & Conboy, K. (2018). Overcoming barriers to knowledge sharing in banking: An analysis of the impact of organisational culture and structure. International Journal of Information Management, 43, 61-70.
6. March, J. G., & Olsen, J. P. (1976). Ambiguity and choice in organizations. Universitetsforlaget.
7. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.
8. Ribeiro-Soriano, D., Dominguez-Lopez, F., & McCarthy, I. P. (2015). The effect of knowledge management on innovation performance in SMEs. Journal of Business Research, 68(4), 579-587.
9. Tsang, E. W. (1997). Organizational learning and the learning organization: A dichotomy between descriptive and prescriptive research. Human Relations, 50(1), 73-89.
10. Van de Ven, A. H., Polley, D. E., Garud, R., & Venkataraman, S. (1999). The innovation journey. Oxford University Press.
11. Yang, C. C., & Hsiao, C. H. (2012). Knowledge management enablers: A case study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 4311-4316.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Secularity of the Sec 125 CrPC

Dr. Priyanka*

***Assistant Professor (Law) Bhagwant University, Ajmer (Raj.) INDIA**

Abstract - The basic aim of this article is to look into the secularity of the Sec 125 of CRPC. The prime question which this article looks upon is whether this section is secular enough to look upon all the sections of the society equally excluding the factors such as caste, creed, religion and gender. It also looks upon the basic factors or reasons for the inclusion of this section in CRPC and the uniformity of this section upon all the classes.

Maintenance may be granted to dependent children, parents and legally wedded wives, including but not limited to a divorced spouse, mistress, illegitimate children, etc.In certain cases under personal law, the Indian courts have adopted a lenient view and granted the husband the right to receive maintenance. Such right however, is conditional and typically conferred upon the husband, only if he is incapacitated due to some accident or disease and rendered incapable of earning a livelihood. Such an entitlement is not available to an able person, doing nothing for a living or a 'wastrel'.The remedy under Section 125 is speedy and inexpensive, as compared to personal laws. The provision relating to maintenance under any personal law is however, distinct and separate from Section 125. There is no conflict between both the legal provisions. A person is entitled to maintenance under Section 125 despite having obtained an order under the applicable personal law.
Key Words: Secularity, Uniformity, Maintenance.

Introduction - The concept of 'maintenance' in India is covered both under Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Section 125) and the personal laws. This concept further stems from Article 15(3) reinforced by Article 39 of the Constitution of India, 1950 (the 'Constitution'). Under Indian law, the term 'maintenance' includes an entitlement to food, clothing and shelter, being typically available to the wife, children and parents.

The object of maintenance is to prevent immorality and destitution and ameliorate the economic condition of women and children.Maintenance can be claimed under the respective personal laws of people following different faiths and proceedings under such personal laws are civil in nature. Proceedings initiated under Section 125 however, are criminal proceedings and, unlike the personal laws, are of a summary nature and apply to everyone regardless of caste, creed or religion. The object of such proceedings however, is not to punish a person for his past neglect. The said provision has been enacted to prevent vagrancy by compelling those who can provide support to those who are unable to support themselves and have a moral claim to support. Maintenance can be claimed either at the interim stage, i.e., during the pendency of proceedings, or the final stage.[1]

Section 125 of the Code of Criminal Procedure serves as an essential economic umbrella to the weaker sections of the society who the lack of means to support their survival and to maintain themselves. The main objective of this section is to alleviate the status and economic condition of the neglected wives and the divorcees who are discarded. This section serves as a guardian to the Wives, Children and Parents who benefit the maximum from this section. To enforce the social duty of preventing the vagrancy and destitution, that in most severe cases often lead to crimes. Section 125 ensures that maintenance is granted irrespective of the Personal laws of the Hindus (Section 24 of the Hindu Marriage Act, 1955), Muslim (Women (Protection Of- Rights On Divorce) Act, 1986) and Parsis (The Parsi Marriage and Divorce Act, 1936).Though there are separate personal laws governing marriage in every marriage, but Section 125 works on the secular realm. There is no conflict between the two provisions as the provisions relating to maintenance are distinct and separate.[2]

Definition Of The Term Maintenance: Maintenance is the process of maintaining or preserving someone. A state of providing financial support for a person's living expenses or a support so much in need of. The term has been generally interpreted to include food, clothing and shelter. However, in recent time it has been held that any other requirements, i.e., necessary for a person to remain fit healthy and alive is also to be included within periphery of

the term 'maintenance'. It is based on the premise that the wife is entitled to live as per the standard and status of her husband. Under Indian law, the term 'maintenance' includes an entitlement to food, clothing and shelter, being typically available to the wife, children and parents. It is a measure of social justice and an outcome of the natural duty of a man to maintain his wife, children and parents, when they are unable to maintain themselves.

Origin And Development Of Provisions Of Maintenance:

(a) Concept of maintenance: The law of maintenance is varied and extensive. In India, different communities have different religions of their own and their maintenance laws are also different with certain common features. Generally, maintenance means maintenance of wife, children, parents, grandparents, grand children and in some cases maintenance of poor relations (Muslims).

(b) In Mulla's book, Mahomedan Law, in Chapter XIX, Maintenance has been defined to include "food, raiment and lodging". This definition of "maintenance" is not exhaustive. The word "maintenance" includes other necessary expenses for mental and physical well-being of a minor, according to'his status in society. Educational1 expenses were included in the definition.

(c) Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 provides for maintenance of wives, children and parents. The provision of maintenance is a factor for social justice, and specially formed to protect women, children, old and infirm parents and comes under the constitutional1 area of Article 15 (3) read with Article 39 of the Constitution of India.

(d) Generally speaking, Hindu Marriage Act, 1955 does not extend to a person who is a Buddhist, Jain or Sikh by religion. In a similar way, according to the provisions of "The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956", the said act of 1956 applies to any person who is a Buddhist, Jain or Sikh by religion and so on (Ref. Sec 2(b)). This Act of 1956, however does not extend to any person who is a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion (Ref- Section 2(c) of 1956 Act). In case of material considerations, it would be revealed that provisions of maintenance in chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 is basically secular in nature and provisions of the said chapter is applicable to all sections of communities in India, whatever may be their caste or religion i.e., personal laws. It must however be very emphatically stated that personal laws is relevant for coming at a decision regarding the validity of the marriage, etc and such consideration cannot be totally excluded from due consideration at the relevant time.

It can be said that such maintenance laws in Cr. P.C., 1973 have their roots in the vagrancy laws in England. The provisions of maintenance laws of Hindu Personal law and Muslim Personal law have their original roots in the Hindu Dharmashastras and in the holy Koran. The Christian personal laws have root in doctrines of the holy Bible.

Order For Maintenance Under Sec 125 Of CrPC:

Order for maintenance of wives, children and parents.-

a) If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain
b) His wife, unable to maintain herself, or
c) His legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or
d) His legitimate or illegitimate child (not being a married daughter) who has attained majority, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or
e) His father or mother, unable to maintain himself or herself,

It is a natural and fundamental duty of every person to maintain his wife, children and old age parents if they are unable to maintain themselves or they have no means or position to maintain themselves. The provisions of the Code invoke a man to realise his natural duty and responsibility as a father and it serve as a special purpose to avoid vagrancy. The sole purpose and object of these provisions is to enable the discarded wife, helpless and deserted children's and destitute parents to secure the much needed relief because without these provisions of law the perpetrator will escape the responsibility causing a burden to his wife and children and indirectly the compels them to become vulnerable to various crimes. At the time of enactment of this code section 125 is intended to be applicable to all irrespective of their personal Laws although maintenance is a Civil remedy yet it has been made a part of this Code to have a quick remedy and proceedings and S.125 is not a trail as non-payment of maintenance is not a criminal offence. Right to seek maintenance Under Section 125 of the Cr.PC is an independent right. It should be kept in view that the provision relating to maintenance under any personal law is distinct and separate. There is no conflict between the two provisions.[3]

Person Entitled To Receive Maintenance: Maintenance under section 125 of the code of criminal procedure 1973 applies to any relationship where one person has a legal duty to maintain another person.

a) Husbands and wives are responsible for each other's maintenance.
b) The parents of a child share responsibility for the maintenance of that child.
c) Children have a duty under certain circumstances to maintain their parents.

Maintenance may be granted to dependent children, parents and legally wedded wives, including but not limited to a divorced spouse, mistress, illegitimate children, etc

1. Wife: Wife can claim maintenance only if she is a legal wedded wife and not just a mistress. But, if she is living in adultery or being married to any other man she cannot claim maintenance. Marriage must be a valid one as per the personal law of both the parties, but when the marriage is proved illegal the wife cannot claim for maintenance. Wife

means and connotes divorced wife or divorced by mutual consent, but the divorced wife can claim maintenance as long as she does not remarry.

For Hindus, a legally valid marriage requires that:

a) both parties are Hindus,
b) the marriage is performed in accordance with customary rites of the parties,
c) neither party has a living spouse at the time of marriage,
d) neither party is of unsound mind at the time of marriage,
e) the male is at least 21 years old,
f) the female is at least 18 years old and
g) both parties are not related by sapinda or within prohibited degrees of relationships.

For Hindus, the second wife cannot claim maintenance because a second marriage is forbidden by law and is not recognised as being valid. The second wife is entitled to claim maintenance only if the husband concealed his first marriage from her.

For Muslims, a legally valid marriage requires that:

a) both parties are Muslims of sound mind
b) both parties have attained puberty (presumed at the age of 15),
c) both parties consent to the marriage,
d) the parties are not temporarily or permanently prohibited from marrying each other,
e) the woman is not married to another man or observing iddat for another man,
f) a proposal (ijab) is made,
g) an acceptance of the proposal (qubul) is made,
h) both proposal and acceptance are made at the same occasion and signify the establishment of marriage with the immediate effect,
i) the proposal and acceptance are not repugnant to the Shariat,
j) the proposal and acceptance are witnessed by two men or a man and two women who are Muslim adults of sound mind, know the bride and groom with certainty and understand the proposal and acceptance.

Live-in relationships are presumed to be a marriage. The wife who lives separately without sufficient reasons or due to personal mutual agreement cannot claim maintenance. "Wife" includes a divorced woman, but she must not be remarried on the date that she files an application for maintenance. A divorced Muslim wife can claim maintenance even if the iddat period has passed, but she must not be remarried. The age of the wife is irrelevant in claims of maintenance – she may be a minor or a major. Additionally, the wife must not be living in adultery.

2. Child: Child means a person who has not reached 18 years and who is incompetent to enter into any contract. A child need not be a minor, but it must be by reason of physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself." Unable to Maintain itself" means unable to earn one's livelihood. The Basic Duty of Parents to maintain their children a) Both parents of a child have a legal duty to maintain their children. This means reasonable support to give children a proper living and upbringing. It includes money for food, accommodation, clothing, medical care and education. b) It is the primary responsibility of parents to maintain their child. Even if the child is cared for by someone else, the mother and father both have a duty to maintain the child. If a child is adopted, the adoptive parents have a duty to maintain the child. c) The duty to maintain a child is supposed to be shared between the two parents in proportion to their respective means. This means that the duty must be shared on the basis of how much money each of them earns and what they posses. The cost of raising a child will not necessarily be divided half and half between mother and father because the wages and resources. Of each parent must be taken into account. However, one parent will have to carry 100 % of the cost of maintenance if the other parent has no income or property. If one parent has some income and the other parent earns more, then the child expenses might be divided accordingly, Such as 20 % of the parent with small income and 80 % for the other parent.

3. His Fathers Or Mothers:- Both the mother and the father, whether natural or adoptive, can claim maintenance from any one or more of their children. Daughters are also liable to pay maintenance to the mother and the father. A step-mother can claim maintenance only if she is a widow and does not have natural-born sons or daughters.

Conditions For Granting Maintainance: Person from whom maintenance is claimed must have the ability to pay maintenance. Ability means being employed, owning land, having a source of income **or** having a healthy body capable of work.

1. The person must have neglected the claimant or refused to pay maintenance.
2. Persons claiming maintenance must be unable to maintain themselves. If a person is healthy, adequately educated or capable of pursuing gainful employment no maintenance is given. Wives and elderly parents are generally given maintenance. The mere fact that the wife is earning does not disentitle her from claiming maintenance. The question is whether she is able to maintain the same standard of living that subsisted prior to the neglect or divorce with her own earnings without having to depend on another.[4]

Cancellation Of Order Of Maintenance: Section 125 also lays down certain provisions in which the spouse is not eligible to the maintenance amount. The provisions are as follows:

A. If the wife is living in adultery
B. If the wife refuses to live with her husband without sufficient means
C. If by mutual consent they have decided to live separately
D. If the competent Civil court announces a decision
E. If the wife remarries to another man after the divorce,

then the maintenance amount is cancelled with effect from the date of marriage.

Failure To Comply With The Order: Section 125 (3) specifies the action that can be taken by the Magistrate on failure on compliance with the order which is as follows:

A. For every breach of the contract a warrant is issued for levying the amount

B. The imprisonment of one month is a last resort when recourse to attachment and sale fail.

Judicial Precedents:

Shamima Farooqui v Shahid Khan (CRIMINAL APPEAL NOS.564-565 OF 2015): This is a case from Lucknow where a lady named Shamima Farooqui was ill treated by her husband named Shahid Khan, who later got remarried. She filed an application in the year 1998 but was taken up in the year 2012. Her husband Khan was a Nayak in the Army who earned Rs 17,654 per month, including some perks. Rs 2000 was granted to her initially by family court which later was increased to Rs 4000 after discovering that she had no means other than this to support her life.

However the High Court reduced it to Rs. 2000 per month, taking note of the fact that the husband had retired from his job of Nayak in the Army in the year 2012. This drew the Apex Court's ire which declared that Rs 2000 were not sufficient do it was again increased to Rs. 4000. In this case, the bench consisting of Justice Dipak Misra and PC Pant pronounced that husband who has sufficient means and earns stable income that is enough to support himself is under the legal obligation to pay the maintenance amount to his wife.[5]

Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum: Ms. Shah Bano Begum was married to a lawyer named Mr. Mohd. Ahmed Khan. They lived together for 43 years and had five children. In 1978, Mr. Khan threw Ms. Begum out of the shared household and Ms. Begum applied for maintenance from Mr. Khan under Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Cr.P.C, 1973). Pending her application, Mr. Khan dissolved the marriage by pronouncing a triple talaq (divorce on the triple utterance of the word "talaq" by a Muslim husband) and paid Ms. Begum 3000 rupees as mahr (money/valuable property promised to a Muslim woman for her financial security under the marriage contract) and a further sum of maintenance for the iddat period (a period of 3 months that a Muslim woman has to observe before she can remarry after her divorce). Mr. Khan argued that Ms. Begum's claim for maintenance should be dismissed as Ms. Begum had received the amount due to her on divorce under the Muslim personal law. The lower court granted Ms. Begum's claim for maintenance, which was set at 179 rupees per month by the High Court in a revision application. Mr. Khan appealed to the Supreme Court in 1985 and the Court held that a payment made pursuant to personal laws cannot absolve a husband of his obligation to pay fair and reasonable maintenance under Section 125 Cr.P.C, 1973 and a husband can be liable to pay maintenance beyond the iddat period.[6]

Conclusion: The section 125 CRPC is a measure of social justice and specially enacted to protect women and children irrespective of their caste, creed, gender and religion. By virtue of judicial pronouncements and other steps, rights of women has been restored but it will become fruitful only when under lying thinking are changed, the women should emancipate themselves educationally, economically and socially for their well being only and then they can understand their rights and worth and thereafter the social upliftment of the whole community is possible. It is evident from the recent judicial decisions that the Indian courts have been progressively liberal in deciding cases pertaining to maintenance. This Section provides a summary remedy and is applicable to all persons. It has no relationship to the personal law of the parties. It provides speedy remedy and a summary mode for enforcing the order.

The society changes continuously so shall the law, in order to match the need of the society. The women, children, and parents being the most essential part of the family as well as the society shall be taken care of and it is a responsibility on the part of the state to make such law to protect their interests. Section 125 is broad enough and secular in nature in order to include all the religions followed in India by different people across the country. But we need to ensure that there is no misuse of the same.

References:-

1. https://www.ibanet.org
2. https://www.lawfarm.in
3. Prasad B M and Mohan Manish: The Code of Criminal Procedure, LexisNexis, Haryana, 21st edition, 2015
4. https://factly.in
5. http://supremecourtofindia.nic.in
6. www.law.cornell.edu

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

प्राचीन भारतीय राजनीति व शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा

जगपाल सिंह शक्तावत*

* विजिटिंग फैकल्टी (राजनीति विज्ञान) मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक कौटिल्य ने भी अपना अध्ययन एंव अध्यापन कार्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में किया था। इस प्रकार कौटिल्य का वैचारिक सृजन भी प्राचीन शिक्षा से ही हुआ था। इसलिये प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर भी चिंतन किया जाए जिसमें राजनीति विज्ञान भी एक महत्वपूर्ण विषय था।

प्राचीनकाल में राजनीतिक विचारों सहित अन्य विषयों का ज्ञान देने वाली शिक्षा प्रणाली की उत्तम व्यवस्था थी और उस समय की गुरु-शिष्य परम्परा आज भी आदर्श है। प्राचीनकाल की शिक्षा से आज की शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले उपनिषद काल में जहाँ स्त्री शिक्षा पर ग्रहण या निषेध लगा हुआ था, वहीं आज स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त है। प्राचीनकाल में शिक्षा मौखिक ही होती थी क्योंकि छात्रगण भोजपत्रों अथवा वृक्षपत्रों, मिट्टी या तख्ती पर लिखते थे या कण्ठस्थीकरण (कण्ठ-विद्या) में रूचि लेते थे किन्तु आज ये सारी समस्याएँ समाप्त हो गयी है। उस समय अध्ययन के विषय चतुर्दश विद्याएँ इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन सहित वेद तथा वेदांग होते थे, किन्तु आज अनेक ज्ञान-विज्ञान, संयुक्त आधुनिक विषय भी विकसित हुए हैं। आज अनेक पुस्तकालय भी स्थापित होकर उन्नत हुए हैं। सरकार पुर्णरूपेण शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए कटिबद्ध है।[1] प्राचीनकाल में छात्र गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरु को पिता के तुल्य मानते थे क्योंकि पिता केवल जन्मदाता थे जबकि गुरु ज्ञान देता था, किन्तु आधुनिक समय में यह गुरु-परम्परा लुप्तप्राय हो रही है। प्राचीनकाल में शिक्षा नि:शुल्क थी, किन्तु आज की शिक्षा सशुल्क दी जा रही है। प्राचीनकाल में छात्र गुरु के पास पढ़ने जाते थे परंतु आज ट्यूशन पढ़ाने वाले गुरु भी धन के लोभ से छात्र-छात्राओं के घर पहुँच रहे हैं। आज देश में कुछ संस्कृत पाठशालाएँ गुरुकुलों का रूप धारण किए हुए हैं। आज की शिक्षा प्रणाली धनात्मिका है, जबकि प्राचीनकाल की श्रद्धात्मिका थी।[2] इसलिये वर्तमान में कौटिल्य- चन्द्रगुप्त मौर्य जैसी गुरु-शिष्य परम्परा प्रासंगिक तथा अनिवार्य है।

प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रारम्भ वैदिक युग से अवश्य माना जाता है। किन्तु समय के साथ- साथ इसमें अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वेदों के बाद उत्तरवैदिक युग आता है जिसमें संहिताओं, उपनिषदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों, स्मृतियों और पुराणों का वर्चस्व रहा है। इस युग में ईश्वर अथवा ब्रह्म पर अधिक गहन एवं विविधतापूर्ण विचार किया गया है। इस काल के बाद सूत्रकाल का आरम्भ होता है जिसमें षड्दर्शनों की परम्परा का विशेष महत्व है। षड्दर्शनों में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तार मीमांसा आदि दर्शन माने जाते हैं। प्राचीन भारत की शिक्षा-व्यवस्था के विकास एवं इतिहास का एक प्रारम्भिक सिंहावलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि भारत की अपनी मौलिक वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली का विकास बौद्ध युग तक विशुद्ध भारतीय शिक्षा के रूप में होता रहा है।[3]

600 ई. पू. के बाद प्राचीन भारतीय सभ्यताओं तथा संस्कृतियों का विकास अधिकांशत नगरीय केन्द्रों में हुआ जोकि राजनीतिक सत्ताओं के प्रतीक और राजनीतिक विचारों के तत्कालीन केन्द्र बिन्दु भी थे। पाटलिपुत्र (बिहार), कौशाम्बी, मथुरा (उत्तर प्रदेश), वैशाली, कन्नोज, तक्षशिला उज्जैन (अवंति अर्थात् वर्तमान मध्यप्रदेश का भाग) इसके महत्वपूर्ण केन्द्र थे। फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्रियों के विवरणों में इन नगरों के उत्थान अथवा पतन का स्पष्ट संकेत मिलता है।[4]

प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा के केन्द्र – प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा के केन्द्र निम्नलिखित है जो कि प्राचीनकाल में शिक्षा व धर्म के साथ-साथ राजनीतिक गतिविधियों व राजनीतिक विचारों के महत्वपूर्ण स्थल रहे-

1. तक्षशिला – तक्षशिला प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र रहा है, जिसकी स्थापना वैदिक युग में हुई थी। तक्षशिला रावलपिण्डी (पाकिस्तान) के पश्चिम की ओर पश्चिमी पंजाब में लगभग 35 किमी की दूरी पर स्थित है एवं गान्धार राज्य की राजधानी रही थी। इसकी स्थापना राजा भरत ने की थी और अपने पुत्र तक्ष को इस राज्य का राजा बनाया था, इस तरह तक्ष के नाम पर ही इस स्थान का नाम 'तक्षशिला' पड़ गया।

कौटिल्य के राजनीतिक विचारों व चिंतन के निर्माण में तक्षशिला शिक्षा केन्द्र का महत्वपूर्ण आधारभूत योगदान रहा। बौद्ध ग्रंथों व चीनी यात्रियों के वृत्तांतों में उल्लिखित सातवीं शताब्दी ई.पू. से चौथी शताब्दी ई. तक ज्ञान व विद्या के केन्द्र बने रहे तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही आचार्य कौटिल्य ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी एवं तत्पश्चात् वे स्वयं भी यहाँ के आचार्य रहे थे। इनके सान्निध्य में ही इनके शिष्य चन्द्रगुप्त मौर्य ने भी यही से शिक्षा ग्रहण कर कौटिल्य के मार्ग निर्देशन में मौर्य साम्राज्य का निर्माण कर प्रसिद्धि प्राप्त की।

2. मिथिला – मिथिला भारत का एक प्रसिद्ध वैदिककालीन शिक्षा का केन्द्र रहा था और इसे विदेह के नाम से जाना जाता था। भगवान राम की पत्नी सीता को वैदेही भी कहा जाता था, क्योंकि वह विदेह के राजा जनक की पुत्री थी। मिथिला नामक नगर मध्यभारत के मिथिला राज्य की राजधानी थी साहित्यकार जयदेव के गीतगोविन्द देवी महात्म्य, मालतीमाधव, श्रीमद्भागवत तथा कालीदास के मेघदूत आदि पर बहुमूल्य टीकाओं की रचना यहीं की गयी थी।

3. **कैकय–** कैकय में स्थापित गुरुकुल भी वैदिक युग में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। यह गुरुकुल मध्यभारत में स्थित राज्य की राजधानी कैकय के रूप में निर्मित किया गया था। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकयी इसी राज्य की थी। इस गरुकुल की स्थापना कैकय नरेश अश्वपति के द्वारा की गई थी।

4. **काशी –** काशी प्राचीन भारत का ऐसा शिक्षा केन्द्र था, जो वेदिक काल से लेकर आज लगभग 4000 वर्ष बाद भी शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र बना हुआ है। काशी को बनारस के नाम से जाना जाता है।[5]

5. **जगद्दला –** जगद्दला बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा है। इसका निर्माण 11 वीं शताब्दी ई. में पालवंश के राजा रामपाल द्वारा तथा बंगाल का रानावती नगर भी राजा रामपाल के द्वारा ही बसाया गया था।

6. **ओदन्तपुरी –**ओदन्तपुरी (उदन्तपुरी) नामक बौद्ध विश्वविद्यालय मगध राज्य में स्थित एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा का केन्द्र था। यहाँ पाल वंश के शासन से पूर्व पाल वंश के संस्थापक गोपाल द्वारा आठवीं सदी के मध्य में किसी समय एक महाविहार स्थापित किया गया था।

उक्त केन्द्रों के अतिरिक्त पाटलिपुत्र (पटना), धार (मध्यप्रदेश), कन्नोज (उत्तरप्रदेश), कर्नाटक (दक्षिण), नासिक (पश्चिम), उज्जैन (मध्यप्रदेश) तन्जौर, अयोध्या (उत्तरप्रदेश) व कल्याणी (महाराष्ट्र) आदि स्थानों पर भी गुरुकुलों की स्थापना की गई थी।[6]

प्राचीनकाल में शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। शिक्षा भी राजनीति को प्रभावित करती है अर्थात् यह निर्विवाद सत्य है कि विज्ञान एवं तकनीकी ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों एवं राज्यशिल्प को गहराई तक प्रभावित किया है। विज्ञान व तकनीकी के बढ़ते हुए प्रभाव ने राजनय के स्वरूप को ही बदल दिया है और समय व दूरी के कारक समाप्त हो गये हैं।[7]

चाणक्य राजनीतिक विचारों के साथ ही विज्ञान व तकनीकी (खान, खनिज, रत्न, अभियांत्रिकी) के विषयों का भी प्रखर ज्ञाता था।[8] इन विषयों का ज्ञान व उसकी कृति अर्थशास्त्र में वर्णित विषय उसको समकालीन दृष्टिकोण से प्रासंगिक बनाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ.पंकज राठौड़, डॉ.हेमेंद्र सिंह सारंगदेवोत,कौटिल्य का ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं राजनीतिक दर्शन,संस्कृत भारती,नई दिल्ली,2020
2. डॉ. आर. पी. पाठक, भारतीय परम्परा में शैक्षिक चिन्तन, पृ.सं. 27
3. डॉ. श्याम बिहारी पाठक, प्राचीन भारत में शिक्षा, पृ.सं. 10, 11,कला प्रकाशन 2010
4. एस. पी. व्यास, राजस्थान में शहरीकरण और व्यापारिक मार्ग, पृ.सं. 8,राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर2019
5. हुकम चन्द जैन, भारतीय ऐतिहासिक स्थल कोश, पृ. 101–104 जैन प्रकाशन मंदिर जयपुर
6. डॉ.पंकज राठौड़, डॉ.हेमेंद्र सिंह सारंगदेवोत,कौटिल्य का ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं राजनीतिक दर्शन,पृ.39
7. डॉ. एम. पी. रॉय, राजनय सिद्धांत एवं व्यवहार, पृ.सं. 24
8. Sunil Sen Sarma,Kautilya's Arthasastra in the light of Modern Science and Technology, Pg- No- 1&4, D.K.PRINTWORLD PVT.LTD,2001

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Eternity of Synonyms of Bharat

Dr. Madhusudan Choubey*

*Associate Professor (History) Shaheed Bhima Nayak Govt. Post Graduate College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - In the journey of millions of years of development of our country from ancient times till date, it has been addressed with different names. Historical, mythological, cultural, geographical, social grounds lie in the background of these naming of our country. Undoubtedly, our nation is the only country in the world, in relation to whose name there have been so many alternatives, and their eternity has also remained.

The main synonyms of our country have been as follows- Saptasandhav, Aryavart, Jambudweep, Revakhand, Brahmadesh, Yin-Tu, Bharat, Bharatvarsha, Hindustan, India etc. In Article 1 of the Constitution of India, a provision has been made regarding the name of the country that- "Bharat, that is India, shall be a Union of States.[1]
Keywords- Synonym, Eternity, Naming, Saptasandhav, Aryavarta, Jambudweep, Revakhand, Brahmadesh, Bharat, Bharatvarsh, Hindustan, India etc.

Introduction - Generally, any country has only one name. Sometimes the examples of changing the names of some countries are also recorded in history. But India is such a country in the world, whose many names have been popular. These nomenclatures have their own history and their own reasons. These names reflect the long historical journey of our country.

Explanation of country's synonyms and the basis of these synonyms is presented in this research paper.

1. **Saptasandhav:** In the world's first book, Rigveda, the noun Saptasandhav has been used for India. It is located in the northwestern part of India. It was the initial abode of the Aryans, the creators of the Vedic civilization. It is also called the land of the Aryans.

The basis of the naming of Saptasandhav is the seven rivers flowing here. The names of these rivers are as follows- Indus, Saraswati, Vitasta (Jhelum), Asikni (Chenab), Parushni (Ravi), Shatudri (Sutlej) and Vipasa (Vyas). These rivers are mentioned in 'Nadisukta' of Rigveda.[2]

Presently, this area includes the Indian and Pakistani Punjab and the territories of Jammu and Kashmir. The Aryans have described it as 'Devkrityoni' i.e. created by the gods, expressing their reverence for their motherland.[3]

2. **Aryavarta:** Due to being the abode of Aryans, India was called Aryavarta. The Aryans started and developed the Vedic civilization. This civilization existed from 1500 to 600 BC. It was divided into two parts, Rigvedic and Uttarvedic. The areas of the country where the Aryans had expanded during the Vedic period were named as Aryavarta. Most of the present North India was contained in it. It extended from the Kumbha River in Kabul to the Ganges River in India. In Manusmriti, the boundaries of Aryavarta have been told from the eastern sea to the western sea and from the Himalayas to the Vindhyachal mountain.

3. **Jambudweep:** Vedic, Buddhist and Jain texts and the inscriptions of Ashoka, the third emperor of the Maurya dynasty, have mentioned the Jambudweep synonym for India. Its literal meaning is the land area with abundance of Jambui.e. Jamun trees. It is also called Sudarshan Island.

Jambudweep included most of the present continent of Asia. Our country was also a part of it. Jambudweep is one of the seven continents mentioned in the Puranas. The other six continents are as follows – Plaksadweep, Salmalidweep, Kusadweep, Kraunkadweep, Sakadweep and Pushkardweep.

There is a description in the Vishnu Purana that the fruits of the Jambu tree located in Jambudweep were as huge as elephants. Falling on the top of the mountains, a river of juice was formed from these.[4] This river was called Jambundi. Jambudweep consisted of nine regions and eight mountains. According to the Markandeya Purana, the expansion of Jambudweep was more in the middle region than in the north and south. This region was also called Ilavarta or Meruvarsha.[5]

4. **Bharatvarsha:** In Vedic and Puranic literature, other literature and records, our country has been called Bharatavarsha. The literal meaning of Bharatavarsha is – as far as the boundaries of India are extended. The word year also has a meaning boundary.

The name of the country 'Bharatvarsha' is found in Vayupuran, Matsyapuran, Mahabharata, Ashtadhyayi

composed by Panini and Hathigumpha inscription of famous king Kharavela of Kalinga (present Orissa). In the Hathigumpha inscription, it has been called 'Bhardhavas' in Prakrit language.

The word Bharatvarsha is derived from Bharat. Various grounds are found for naming India. The discussion of the main bases is as follows-

A. On the basis of Dushyant's son Bharata : According to the world's biggest epic Mahabharata, composed by Ved Vyas, in Hastinapur, the glorious king Dushyant of the Puru dynasty was born. He married Shakuntala as a Gandharvavivah. King Dushyant and Shakuntala had a son, who was named Bharat. On the basis of this Bharat, our country was named Bharat.[6]

Bharat, who had the qualities of bravery since childhood, later became the Chakravarty emperor of the country. His kingdom was spread over the entire Indian subcontinent from east to west and from north to south. This region was called Bharatavarsha and the people living in this region were called the progeny of bharat.

In the context of Bharata, it is said that he used to play with lions in his childhood and count their teeth by opening their mouths. Bharata's character is mentioned in Adiparva, one of the eighteen parvas of the Mahabharata. He is counted among the sixteen best kings of Mahabharata.[7]

Drama Abhijnanasakuntalam composed by great poet Kalidas: Mahakavi Kalidas has written the story of Dushyant and Shakuntala's love and marriage in his world famous play 'Abhigyanshakuntalam'. Shakuntala was the daughter of Rishi Vishwamitra and Apsara Menaka. He was brought up in the hermitage of sage Kanva. King Dushyant comes to the forest to play hunting. In this sequence, he reaches Kanva Rishi's ashram, where he meets Shakuntala. Dushyant doesGandharvavivah with Shakuntala.[8]

Dushyant forgets Shakuntala due to the curse of Durvasa Rishi. Later, on seeing the ring given by Dushyant, he remembers everything. Dushyant and Shakuntala are finally reunited. Kanva Rishi had blessed that- "Bharat Chakravarti will become the emperor and the name of this land will be known in his name."

B. On the basis of Bharata, the son of Rishabhdev : According to Jainism, the name of our country Bharat is named after Bharata, the son of Rishabhdev. According to Jainism, there were twenty-four Tirthankaras in total. Rishabhdev was the first Tirthankara and the founder of Jainism. He is also called Adinath. Rishabhdev's father was a Kshatriya king. His name was Nabhiraj. Rishabhdev was married to Nanda (Yashavati) and Sunanda. According to Jain belief, a hundred sons and two daughters were born to these two wives. Among them the name of the eldest son was Bharat. After the exile of Rishabhdev, Bharat became the successor of his kingdom due to being the eldest son.

Bharat was very capable. He expanded his kingdom with his bravery and became the Chakravarti emperor. It is mentioned in Vishnu Purana that- "This land has been known as Bharatavarsha ever since the father handed over the kingdom to his son Bharata and went to the forest to perform penance." Before this our country was named Ajnabhavarsha or Ajnabhakhanda and Hemvart was prevalent.

C. On the basis of Dasaratha's son Bharata : King Dasaratha was born in the Ikshvaku dynasty in Tretayuga. His four sons were Rama, Lakshmana, Shatrughna and Bharata. The country was named Bharat after Dasaratha's son Bharata. Valmiki's Ramayana and Ramcharitmanas created by Tulsidas have given the entire saga of the great hero Ram and his contemporaries. There was complete preparation for the coronation of the eldest son Rama, but Dasharatha's youngest queen and Bharata's mother Kaikeyi had demanded the throne for her son Bharata from the promised king and fourteen years of exile for Rama. Bharata refused to accept the kingdom against his mother's wish. Tyagi Bharat, who took care of Ayodhya for fourteen years by keeping Khadauof the JyeshthaBhrata Ram on the throne, is highly respected in the Indian public. The country was named India after this Bharat.[9]

D. On the basis of Bharatjan : The mention of Bharat dynasty is found in the Vedic period. Some scholars present the argument for naming the country Bharat on the basis of these Bharatas. They were settled in the banks of river Saraswati. There was a famous king named Sudas in Bharat dynasty. In the Rigveda, there is a mention of Dasharagyai.e. the war of ten kings. Sudas had defeated the confederacy of the then ten major kings in this war arising out of the dissatisfaction of Vishwamitra, the priest of King Sudas.[10] Some other kings were also involved in this union. Due to the achievements and fame of this dynasty, the country was named Bharat.

5. Hindustan: Hindustan is a famous name of our country. This name was given by the Iranians (Persians). They were the residents of Iran. Iran was formerly known as Persia. The first foreigners to attack India in ancient times were the Iranians.

6th century BC The Iranians invaded India through the land route located in the north-west. The western boundary of India extended up to the Indus River.

In Persian language 'S' is pronounced 'H', so for Iranians the Indus River became the Hindu River and the country along the Indus River or Indus place became Hindusthan or Hindustan.

6. India: The name India is given by the Greeks. The Greek invasion took place for the first time in India under the leadership of Alexander (Sikandar), who was ambitious to become a world winner. After this, many more attacks of Greeks took place on India. They called the Indus river as Indus and named the country of this river as India.

Greek Seleucus was defeated by Chandragupta Maurya in 305 BC. was defeated. Megasthenes, who came to the court of Chandragupta Maurya as an ambassador of

Seleucus, composed a treatise named 'Indica' in relation to India.[11] It is clear that for the Greeks our country was India.

The Europeans who came to India in modern times ie Portuguese, French, Dutch, Danes, British etc. also called our country as India. In the Constitution of India made after independence, along with Bharat, India was also recognized as the name of the country.

Conclusion: In this way it is clear that from the beginning till today our country has been adorned with many nouns. Each nomenclature has a background, with which lies history and proud achievements. Due to our prosperity in ancient times, our country was called the country of 'golden bird' and 'rivers of milk and curd'. Threading many synonyms in the long journey of history, our country has got constitutional names like Bharat and India at present.

References:-

1. Constitution of India, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, Government of India, 2022.
2. Rigveda, Vishwa Books Pvt Ltd, Delhi, 2014.
3. Gupta, Dr. Mohanlal, History of Ancient India, Rajasthani Library, Jodhpur, 2016.
4. Vishnupuraan, Gita Press, Gorakhpur, 2005.
5. Markandeyapuraan, Gita Press, Gorakhpur, 2005.
6. Mahabharata, Gita Press, Gorakhpur, 2012.
7. Mahabharata, Gita Press, Gorakhpur, 2012.
8. Kalidas, Abhijnanasakuntalam, Diamond Publications, New Delhi, 2005.
9. Ramcharitmanas, Geeta Press, Gorakhpur, 2014.
10. Gupta, Dr. Mohanlal, History of Ancient India, Rajasthani Library, Jodhpur, 2016.
11. Gupta, Dr. Mohanlal, History of Ancient India, Rajasthani Library, Jodhpur, 2016.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

गंगा और प्रदूषण

डॉ. मुकेश मारू*

* संचालक, एम.टी.एम.कान्वेन्ट सेकेण्डरी स्कूल, ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आज गंगा नदी के किनारे उन्तीस शहर, सत्तर नगर और हजारो गांव बसे हुए है। आज गंगा नदी मे 1.3 अरब लीटर गन्दा पानी हजारो मृत जानवरो के शवो के साथ मिल रहा है। इसके किनारे स्थित हजारो कारखानो का गन्दा पानी भी मिल रहा है। नगर निगम और नगरपालिका द्वारा संचालित शौचालयो का लगभग 80 प्रतिशत गन्दा पानी और गन्दगी भी गंगा नदी में मिलती है। लगभग 15 प्रतिशत पानी गृह उद्योग द्वारा इसमे मिल जाता है। गंगा नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण मृत जानवरो, जीवो और मानवो के शरीर के अंगो से होता है। पिछली शताब्दी की अपेक्षा आज गंगा नदी के किनारे स्थित शहर नगर और गांवो की जनसंख्या तेजी से अधिक मात्रा मे बढ रही है। किन्तु प्रदुषण के नियंत्रण के बारे में कोई ठोस कदम नही उठाया जा रहा है। अभी ताजे आंकडे इकट्ठे किये गये है। इसके अनुसार वाराणासी में इकट्ठे किये गये पानी से 50000 बेक्टेरीया रोग पैदा करने वाले कीटाणु प्रति 100 मि. ली. लीटर पानी मे पायें गये है। इसका परिणाम गंगा के पानी का प्रयोग कई प्रकार की बिमारीयो जैसे हैजा यकृत खराबी, दस्त , पेट की खराबी और कई बीमारीयो का कारण है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में एक तिहाई मृत्यु का कारण दूषित पानी का प्रयोग किया जाता है। पवित्र परम्परा जिसके अनुसार मानव शरीर को दाह संस्कार किया जाता है। प्राय: कई बार मानव शरीर को आधा जलाया जाता है। एवं गंगा में फेक दिया जाता है। कई जगह गंगा के किनारे मानव शरीर के अध जले शरीर के ढेर पाये जाते है। जो स्वास्थ्य के लिए एक बडा खतरा है। वाराणसी में प्रत्येक वर्ष लगभग 40000 मानव के दाह संस्कार किया जाता है। अधिकतर लकडी की चिता पर कई हजारो घटना ऐसी भी है। कि जिनको पयाप्त लकडी नही मिलती अथवा पूर्ण दाह संस्कार नही कर पाते वे अपने मुर्दो को गंगा में फेक देते है। कई जानवरो के शव जिन्हे हिन्दु पवित्र मानते है। को भी मरने के बाद गंगा में फेक दिया जाता है। गंगा में कई मानवो और जानवरो के शव तेरते रहते है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते है। गंगा के किनारे हजारो शवो को जलाया जाता है। दाह संस्कार करने के बाद बहुत सारी वस्तुए गंगा मे फेक देते है। जैसे राख, अधजली लकडीया, गंगा की लहरो पर तैरती है। राख दिखाई देती हैं जो कि फूलो मे और पानी के झाग में मिल जाती है। कुछ दूर तैरती हुई ऐसी बहुत सारी वस्तुए नदी के तल मे बैठ जाती हैं एवं सम्पूर्ण पानी में मिल जाती है। यह हाल है पवित्र गंगा का वाराणासी के घाट पर।

औद्योगिक प्रदूषण भी गंगा को प्रदूषित करने मे एक प्रमुख कारण है ऋषिकेश और प्रयाग राज के बीच लगभग 146 औद्योगिक कारखाने है। इनमे से 144 कारखाने उत्तरप्रदेश के और 2 कारखाने उत्तराखण्ड के है। प्रमुख रूप से प्रदूषित करने वाले चमडा उद्योग है। विशेषकर कानपुर जो प्रमुख रूप से खतरनाक रसायन क्रोमीयम एवं टाक्सीक का प्रयोग करते है। एवं बाकी बचे हुए व्यर्थ पदार्थो को गंगा में बहा देते है। मैदानो से समुद्र तक दवा उद्योग बिजली उपकरण उद्योग कागज उद्योग रंग उद्योग कपडा उद्योग खाद उद्योग एवं कई अन्य कारखाने जो गन्दा और रासायनिक अपशिष्ट नदीयो में बहा देते है।

उत्तर भारत का चमडा उद्योग जहा जानवरो की चमडी को भिन्न रंग और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पकाया जाता है। के द्वारा खतरनाक अपशिष्ट जिनमे क्रोमानियम सल्फेट अमोनियम और अन्य तरल नदीयो में बहा दिया जाता है। जिनसे गंगा प्रदूषित होती है। उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वहा पर चमडा उद्योग कारखाने संचालित है। कानपुर शहर मे कारखानो के संचालको को 17 सितम्बर 2010 को नोटिस जारी कर 15 दिनो में उन्हे बन्द करने को कहा गया था। अथवा वैधानिक कार्यवाही की सूचना दी गई थी।

इलाहबाद की एक कानूनी बेंच के 19 जनवरी 2011 को उ.प्र. के मुख्य सचिव को उन सभी के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा गया। जो अपने उद्योगो द्वारा गंगा को प्रदूषित करते है। उन्होने कहा है कि संगम स्थल पर गंगा का पानी गन्दा हो रहा है। और पानी का रंग भूरा हो रहा है। गंगा दिन प्रतिदिन मैली होती जा रही हैं लगभग 170 कारखाने (चमडा बनाने, रंगने) वाराणसी और कानपुर के बीच लगभग 450 कि.मी. एरिया को गंगा के प्रदूषित करने का कारण बताया गया है। केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जय राम नरेश ने रिपोर्टस को कहा था कि 2010 में सभी कारखानो पर कार्यवाही करने तथा उन्हे बन्द करने को कहा था समय दिया था पन्द्रह दिन का। उन्होने कहा था 1996 मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा कारखानो द्वारा बहाया जा रहा अपशिष्ट खतरनाक पानी गंगा नदी में नही जाने दिया जावे क्योकि यें सभी उद्योग गंगा के किनारे स्थित है।

गंगा को प्रदूषित करने के लिए केवल कारखाने ही उत्तरदायी नही है। किन्तु शहरो नगरो तथा गांवो द्वारा बहाया जाने वाला नाली शौचालयो का पानी भी एक घटक है। नायलॉन एवं रेशम उद्योग द्वारा बहाया गया अपशिष्ट भी एक प्रमुख कारण है। खाद्य उद्योग में जीवाणु नाशक पदार्थ होता है। डी. डी. टी. आदि खतरनाक वस्तुओ के उत्पादन पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाबन्दी लगा रखी है। क्योकि यह मानव जीवन और वन्य जीवन दोनो पर हानिकारक है। पानी का रोकना अथवा किसी मकसद से पानी के मार्ग को बदलना यह भी प्रदूषण का एक मुख्य कारण हैं वाहनो के द्वारा भी वातावरण भारी मात्रा में प्रदूषित हो रहा है। उक्त सभी कारण गंगा को प्रदूषित कर रहे है। यह सत्य

अनुसंधान कार्य कर्ताओ ने 2010 को खोजा। दशाब्दीयो के प्रयासो के उपरान्त सरकार ने गंगा को जीवित रखने का प्लान बनाया 11000 करोड़ रूपये पानी को पम्प द्वारा साफ करने का (1985 से 2000)कार्य किया किन्तु भारत की यह पवित्र नदी अभी भी अपवित्र है। अपशिष्ट पदार्थ और गन्दा पानी आज भी गंगा के पानी में बहाया जा रहा हैं पित्ताषय की बीमारी का प्रमुख कारण है। गंगा के प्रदूषित पानी के सेवन से इस बात का पता लगाया गया हैं कि जो व्यक्ति गंगा अथवा इसकी सहायक नदीया के किनारे रहते है। उन्हे यह बीमारी होती है। मुम्बई की डाक्टर्स टीम ने इस का अध्ययन किया और पता लगाया कि गंगा के जल में भारी धातुओ के कण पाये गये हैं जो कि लोगो के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस बात को 2011 में प्रकाशित किया गया एच. पी. बी. के द्वारा इस बात का सत्यापन कर लिया गया है। कि बिहार के वैषाली जिले के गंडक नदी के किनारे स्थित गांवो मे पित्तशय की बीमारी होना पाया गया है।

इस सब के अतिरिक्त हमे यह भी जानना होगा कि वे कोन से कारण है। जिससे की गंगा की जीवाणु नाशक क्षमता लगातार समाप्त होती जा रही है आइये कुछ उन महत्वपूर्ण कारणो का भी हम अध्ययन करे।

गंगा क्षेत्र की तेजी से बढती हुई आबादी तथा मनुष्य के अधिकाधिक उपभोगवादी होते द्रष्टिकोण के कारण पारितंत्र मे होने में होने वाले पारिस्थितिक परिवर्तनो तथा उन परिवर्तनो के कारण मनुष्य सहित समूचे गंगा पारितंत्र पर अब तक पडे या भविष्य मे पड़ने वाले प्रभावो का समेकित ऑकलन किया जाना अभी बाकी है। भारत सरकार के पर्यावरण विभाग के तत्वाधान मे गंगा क्षेत्र के कई विश्वविद्यालयो तथा अनुसंधान संस्थानो मे संचालित समन्वित गंगा अनुसंधान परियोजना के निष्कर्ष सामने आने पर इस पक्ष पर विस्तृत प्रकाष पड़ने की आषा है।

यहां अब तक किए गए गंगा पारितंत्र छिट फुट पारिस्थितिक अध्ययनो तथा विश्व की अन्य नदी प्रगालियो थ्रोर स्थिर जलीय पारितंत्रो के संबंध मे किए गए पारिस्थितिक अध्ययनो से प्राप्त सूचनाओ के आधार पर गंगा पारितंत्र मे हुए पारिस्थितिक परिवर्तनो के संभावित प्रभावो का विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व के कई क्षेत्रो मे वैज्ञानिको ने जल धाराओ के किनारे ओर जलग्रहण क्षेत्रो मे स्थित जंगलो के काट दिए जाने पर संबद्ध जलीय पारितंत्र के तापमान उसके जलप्रवाह की गति उसमे विद्यमान पोषक तत्वो कार्बनिक पदार्थो तली पर जल की ऊपरी परतो मे पाए जाने वाले जीव समुदायो की संख्या ओर उनके प्रकार आदि को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। पारितंत्र मे हाने वाले यें सभी परिवर्तन किसी न किसी रूप मे मनुष्य को भी प्रभावित करते है।

नदी के किनारो पर स्थित प्राकृतिक वनो का विनाश उसके पानी के तापमान पर सीधा प्रभाव डालता हैं ग्रीष्मकाल मे किसी वन विहीन खुले क्षेत्र का तापमान सघन वन की वायु तथा भूमि की तरह के ताप की तुलना मे काफी अधिक हो जाता है। वन विहीन और वनो से अच्छा दिन क्षेत्र की जल धाराओ के तापमान से भी ऐसा ही अंतर पाया जाता है। एक अध्ययन के अधिकतम तापमान मे 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर पाया गया। वनो की कटाई से नदी की जल के तापमान पर पढने वाले प्रभावो का आकलन करने के लिए किए गए एक अन्य अध्ययन मे देखा गया कि नदी तट के जंगल साफ कर दिए जाने के बाद उसके पानी का वार्षिक तापांतर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जबकि वनो की उपस्थिति मे तापांतर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है। वनो की उपस्थिति किसी जल धारा के दैनिक तापीय परिवर्तनो को भी सीमित रखती है। जंगल के बीच मे बहती नदी की जलधारा के ताप मे ग्रीष्मकाल मे दिन भर मे एक डिग्री से. ग्रे. अधिक का अंतर नही पाया गया जबकि वृक्षो की अनुपस्थिति मे यह अंतर 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। वन विहीनता की स्थिति मे नदी के पानी का औसत ताप ग्रीष्म और शरद दोनो ही ऋतुओ मे वनच्छादित दशा की तुलना मे अधिक होता है। किसी भी पारितंत्र का तापमान उसके जैव घटको को सीधे प्रभावित करता है। इस प्रकार जंगलो की कटाई से किसी भी जलधारा के तापमान मे होने वाला परिवर्तन प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो प्रकार से उसके जीव समुदायो को प्रभावित करता है। तापमान का पानी की श्यानता पर सीधा प्रभाव पडता है। पानी की श्यानता मे होने वाला परिवर्तन उसमे निलम्बित करेगा विशेषता या गाद के नीचें बैठने की गति को प्रभावित करता है। 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर गाद के नीचे बैठने की दर डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना मे दुगनी हो जाती है। तापीय परिवर्तन पानी के घर्षण गुणांक को भी प्रभावित करते है। चार से बीस डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान मे प्रति एक डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के साथ पानी के प्रवाह की गति 0.5 प्रतिशत बढ जाती हैं इसी प्रकार तापमान मे होने वाली वृद्धि पानी मे निलंबित ठोस पदार्थो से संयुक्त पोषक तत्वो के मुक्त होने की गति को बढा देती है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान मे होने वाली थोडी सी वृद्धि भी बडी मात्रा मे फास्फोरस के मुक्त होने का कारण बन जाती है। क्योकि तापमान बढने के साथ उसके मुक्त होने मे सहायक परिवर्तनो की दर मे चरघातांकी वृद्धि होती है। पोषक तथ्यो की अधिक मात्रा मे उपलब्धि अनेक सूक्ष्म जैविक अभिक्रियाओ को प्रभावित करती है। यह भी एक स्थापित तथ्य है कि पानी का ताप जितना अधिक होगा उसमे खुली आक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम होती हैं इस प्रकार कार्बनिक प्रदूषण की दशा मे तापमान अधिक होने पर पानी मे आक्सीजन न्यूनता की स्थिति उत्पन्न होने की संभवना अधिक होती हैं पदार्थो का **अपघटन तथा आक्सीजन की आवश्यकता** – गंगा के प्रवाह में मिलने वाले विभिन्न पदार्थो को उनके निम्नीकरण और विलोपन की प्रक्रिया के आधार पर दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है। वे कार्बनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवो द्वारा निम्नीकृत और अपघटित होकर परितंत्र में विलीन हो सकते जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते है। इस वर्ग के मुख्य पदार्थ है विभिन्न प्रकार की शर्कराए मंड वसाए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बहुलक आदि। घरेलू मल जल मे ऐसे पदार्थो की प्रधानता होती है। औद्योगिक स्त्रोतो मे आने वाले कतिपय अन्य प्राकृतिक तथा संश्लेशित कार्बनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवो द्वारा आक्सीकृत हो सकते है। भी इसी श्रेणी मे आते है। जिन पदार्थो का जैव आक्सीकरण और निम्नीकरण नही हो सकता वे अजेव निम्नी करणीय पदार्थ कहलाते है। इन पदार्थो का निम्नीकरण और विलोपन रासायनिक आक्सीकरण और अन्य प्रक्रियाओ द्वारा समपन्न होता है। ये पदार्थ जैव निम्नीकरणीय पदार्थो की तुलना मे बहुत अधिक समय तक परितंत्र मे ज्यो के त्यो पडे रहते है। विभिन्न कीटनाशियो शाकनाशियो लवकनाशियो तथा अन्य अनेक संश्लिष्ट रसायनो को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थो का निम्नीकरण दो प्रकार से हो सकता है। वायु जीवी सूक्ष्म जीवों द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले वायवीय आक्सीकरण द्वारा या अवायुजीवी सूक्ष्म जीवो की श्वसन क्रिया के लिये आक्सीजन आवश्यक होती हैं और उसकी अनुपस्थिति मे वे अपना अस्तित्व बनाए नही रख सकते जबकि अवायुजीवी सूक्ष्म जीव आक्सीजन की अनुपस्थिति मे भी अपना अस्तित्व बनाऐं रख सकते हैं इसलियें गंगा जल

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

की ऊपरी आक्सीजन घनी परतो में वायुजीवी सूक्ष्म जीवो का बाहुल्य होता है। जबकी गहरी आक्सीजन न्यूनता वाली परतो में अवायुजीवियो की अधिकता होती हैं वायुजीवी सूक्ष्म जीव चूकि कार्बनिक पदार्थो का निम्नीकरण आक्सीजन की सहायता से ही कर सकते है। इसलियें इस प्रक्रिया मे आक्सीजन खर्च होती है। सूक्ष्म जीवो द्वारा जैव पदार्थो के निम्नीकरण में उपयुक्त होने वाली आक्सीजन खर्च होती है। सूक्ष्म जीवो द्वारा जैव पदार्थो के निम्नीकरण में उपयुक्त होने वाली आक्सीजन की मात्रा पारितंत्र की बायोकेमिकल आक्सीजन की डिमांड कहलाती है।

पारितंत्र मे विद्यमान जैव पदार्थो के निम्नीकरण में उपयुक्त होने वाली आक्सीजन का स्त्रोत पानी मे घुली आक्सीजन ही हो सकती है। जिसकी मात्रा सीमित है। 20 डिग्री से.ग्रे. तापमान पर स्वच्छ पानी मे घुलित आक्सीजन की मात्रा लगभग 9 मिली प्रति ग्राम लीटर होती है। स्पष्ट है कि नदी में कार्बनिक प्रदूषको की मात्रा बहुत अधिक होने पर सूक्ष्म जीवो द्वारा उनके निम्नीकरण के लिये आवश्यक आक्सीजन का उपयोग बढेगा। अर्थात पारितंत्र की बायोमेडिकल आक्सीजन की डिमांड मे अभिवृद्धि होगी जिससे जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा घटेगी और एक निश्चित सीमा के बाद जल में आक्सीजन न्यून्ता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गम्भीर आक्सीजन न्यून्ता की स्थिति में पारितंत्र में अवायुजीवी सूक्ष्म जीवो का प्रभुत्व बढ़ता है। और धीरे धीरे समूचे पारितंत्र पर उनका वर्चस्व स्थापित हो जाता है। ऐसी स्थिति में कार्बनिक अवशेशो तथा जैव पदार्थो का अवायु निम्नीकरण होने लगता है। और किण्वन तथा पुयन की प्रक्रियाए प्रभावी हो उठती है। कार्बोहाइड्रेट अवशेशो का निम्नीकरण किण्वन की क्रिया द्वारा होता है। जबकि प्रोटीन का पूयन द्वारा। इन प्रक्रियाओ के परिणाम स्वरूप कार्बनिक अवशेशो के निम्नीकरण से विभिन्न प्रकार के अल्कोहलीय यौगिको, कीटोनो, कम अणुभार वाले अम्लो, मीथेन तथा सडे अण्डो की सी दुर्गंध वाली हाइड्रोजन सल्फाइड आदि का उत्पादन होने लगता है। ऐसे आक्सीजन रहित सडांध युक्त पानी में किसी वायुजीवी प्राणी का अस्तित्व असंभव हो जाता है।

साथ ही साथ व्यापक दुर्गंध संबद्ध जलीय पारितंत्र के निकटवर्ती क्षेत्रो के लिये एक नई समस्या उत्पन्न कर देती है। जैव स्त्रोतो से उत्पन्न कार्बनिक पदार्थो जैसे घरेलू , मल, जल पशुओ के मलमूत्र और कारखानो से बाहर आने वाले प्राकृतिक यौगिक के अलावा नदी के जल मे विभिन्न प्रकार के संश्लेशित कार्बनिक पदार्थ तथा अनेक अकार्बनिक रसायन भी मिलते रहते है। इन यौगिको का भी सूक्ष्म जीवो के माध्यम से जैव आक्सीकरण या पारितंत्र में चलने वाली रासायनिक क्रियाओ के माध्यम से रासायनिक आक्सीकरण होता रहता है। ये प्रक्रियाए भी आक्सीजन खर्च करती है। रासायनिक आक्सीकरण में खर्च होने वाली आक्सीजन पारितंत्र की केमिकल आक्सीजन डिमांड कहलाती है। इस प्रकार विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी पारितंत्र की घुलित आक्सीजन कम करने मे सहयोग देते है।

तेलीय पदार्थ– नदी के प्रवाह पथ मे स्थित प्रेट्रोलियम परिशोधन इकाईयो वनस्पति उद्योग तेल मिलो साबुन उद्योग रंग रोगन इकाइयो लाख तथा पोलिथीन इकाइयो रबर उद्योग तथा ऐसे ही अन्य कई स्त्रोतो से भारी मात्रा मे तैलीय पदार्थ उसके जल में मिलते रहते है। जो पारितंत्र के कई प्रकार से प्रभावित करते है। कारो स्कूटरो तथा बडे मोटर वाहनो की मरम्मत तथा सफाई करने वाले मोटर वाहन रखरखाव केन्द्रो से और वृहद औद्योगिक प्रतिष्ठानो मे मशीनो की धुलाई सफाई के दोरान भी कॉफी मात्रा में तैलीय पदार्थ बाहर आते है। जो निकास जल के साथ गंगा के प्रवाह में मिलते रहते है। पारितंत्र को प्रदूषित करने वाले विभिन्न तैलीय पदार्थो को उनके संरचनात्मक संगठन के आधार पर दो वर्गो मे विभाजित किया जा सकता है। एक वर्ग में जैव स्त्रोतो से उत्पन्न वसीय पदार्थ शामिल किये जा सकते हैं। दूसरे में खनिज तेल या कच्चे पेट्रोलियम के जैव स्त्रोतो से उत्पन्न वसीय पदार्थ मुख्यत: ग्लिसराल तथा विभिन्न श्रृंखला लंबाई वाले वसीय अम्लो के संयोग से बने ट्राइग्लिसराइड एस्टर होते है। वसाओ का निर्माण करने वाले वसीय अम्ल संतृप्त या असंतृप्त होते है। वसीय अम्लो के अणुभार तथा उनकी संतृप्ता के स्तर के अनुसार वसीय पदार्थ सामान्य ताप पर ठोस अवस्था मे होने पर वे वसा और द्रव होने पर तैल कहलाते हैं जल प्रदूषण की दृष्टि से वसा तथा तेल दोनो का महत्व समान है। कच्चा प्रेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बनो (केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त योगिको) का मिश्रण होता है। जो सीधी और शाखायुक्त श्रृंखलाओ वाले या जटिलता के विभिन्न स्तरो वाली चक्रीय रचनाओ वाले हो सकते है। वसाओ की भांति हाइड्रोकार्बन भी संतृप्त या असंतृप्त हो सकते है। कच्चे प्रेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्रेट्रोल, डीजल, केरासीन, बेंजीन, पैराफिन, मोम और परिष्कृत तेल खनिज प्राप्त होते है। इनमें से कोई प्रभाज उच्चवर्गीय पौधो या प्राणियो द्वारा आहार या अन्य किसी भी रूप मे पोषको की प्राप्ती के लिये उपयोग मे नही लाया जाता। केवल कुछ सूक्ष्म जीव इनके आक्सीकरण में समर्थ होते है। अपने विलायक गुणो के कारण कुछ विशेष परिस्थितियो मे ये पदार्थ उच्चवर्गीय पोधो और प्राणियो के लिए अत्याधिक विशाक्त सिद्ध होते है। जैव कोशिकाओ और उतको पर एक परत बनाकर वे कोशिकाओ की पारगम्यता को प्रभावित कर सकते है। जिससे पोषक तत्वो के अभिग्रहण और उत्सर्जी पदार्थो के निश्तारण की प्रतिक्रियाए प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है। तेलीय पदार्थो का घनत्व पानी से कम होता है। और वे उसमे मिश्रणीय नही है। इसलिए नदी के प्रवाह में पहुचने वाले तेलीय पदार्थ पानी की सतह पर तैरते रहते है। और उसके उपर एक चिकनी परत का निर्माण कर देते है। इससे वायु से पानी मे आक्सीजन का मिश्रण अवरूद्ध हो जाता है। परिणाण स्वरूप आक्सीजनकी न्यन्ता की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बढ जाती हैं।

कीटनाशी रसायन– गंगा के प्रवाह में विभिन्न स्त्रोतो से आने वाले कीटनाषी रसायन भी मिलते रहते है। जो पारितंत्र पर व्यापक और दूरगामी प्रभाव डालते है। गंगा में पहुचने वाले कीटनाषक रसायनो के मुख्य स्त्रोत कृषि क्षेत्रो से आने वाला वह जल शहरो के मल जल विकास प्रणाली तथा विभिन्न प्रक्रमो मे दौरान कीटनाशक रसायनो का उपयोग करने वाले या उनका उत्पादन करने वाले उद्योग है। वर्षा जल के माध्यम से भी कीटनाशको का गंगा में प्रवेश हो सकता है। एक अध्ययन में देखा गया की की मिट्टी में छिडके गये कीटनाशी डाइऐलड्रीन का 0.07 प्रतिशत अंश वहा जल के साथ बह गया। एक अन्य अध्ययन में 280 वर्ग मील क्षेत्रफल के अपवाह तंत्र से एक मील मे पहुचने वाले पानी मे आर्गेनोक्लोरीन मे कीटनाशियो की मात्रा 68 नैनो ग्राम प्रति लीटर तथा कीचड मे 44 प्रतिशत नेनो ग्राम प्रति लीटर पाई गई। जल विलेय कीटनाशी पानी में घुलकर गंगा में पहुचते है। जबकि अविलेय कीटनाशी कणिकीय पदार्थो पर प्रतिशोधित होकर निलम्बन के रूप में गंगा की धारा में पहुच जाते है। सामान्य स्थिति में कृषि क्षेत्रो से गंगा में पहुचनें वाले कीटनाशियो की मात्रा आधक नही होती लेकिन इन रसायनो के छिडकाव के तुरन्त पश्चात भारी वर्षा होने की स्थिति में इनकी

काफी मात्रा गंगा में पहुच सकती हैं हवाई छिडकाव के दौरान कीटनाशी रसायनो का बहुत कम हिस्सा ही लक्ष्य तक पहुचता है शेष हवा में फैल जाता है। हवा में तैरते धूल के कण इसे अधिशोधित कर लेते है। वर्षा होने पर हवा में स्थित में कीटनाशी पानी के साथ जमीन पर या गंगा के प्रवाह मे पहुच जाता है। जो गंगा जल में बेहद जहरीली स्थिति पैदा कर रहै है।

धात्विक यौगिक– विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानो से आकर गंगा में मिलने वाले दूषित जल मे अनेक प्रकार के धात्विक यौगिक भी विद्यमान होते है। जिन धातुओ से इन यौगिको का निमार्ण होता है। उनमे अनेक विभिन्न जीवो पर कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव डालती हैं ये प्रभाव अनेक कारको से प्रभावित हो सकते है। कई धातुओ के कुछ यौगिक हानिकारक नही होते जबकि उनके अन्य यौगिक घातक प्रभाव डालते है। इनमे कई यौगिक बहुत स्थायी प्रकृति के होते है। और पारितंत्र मे दीर्घकाल तक बने रहते है। विभिन्न यौगिको के आपस में क्रिया करते रहने और नये यौगिक को जन्म देते रहने के कारण स्थिति और भी जटिल हो जाती कई धात्विक यौगिक कारखानो से बाहर निकलते समय हानिकारक रूप में नही होते लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण में अन्य यौगिको से क्रिया करके या सूक्ष्म जीवी अभिक्रियाओ के परिणाम स्वरूप घातक विषयो में बदल जाते है। कुछ धातुए एकल रूप में उतनी हानिकारक न होते हुए भी अन्य धात्वीय यौगिको की उपस्थिति में घातक प्रभाव वाली हो जाती है। कीटनाशियो की भांति अनेक धात्वीय यौगिको में भी जैव उतको मे संचित होने और खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर उचे पोशी स्तरो पर अधिकाधिक सान्द्रीत होते जाने अर्थात जैव आर्वधन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो धात्वीय प्रदूषण की गंभीरता और जटिलता बहुत बडा देती है। क्योकि इस स्थिति में जल मे इन पदार्थो की सान्द्रता अत्यल्प होने पर भी उच्च पोशी स्तर पर स्थित प्राणियो के शरीर में उनकी इतनी अधिक मात्रा संचित हो सकती है। कि उन पर घातक प्रभाव भी पड सकते है।

रोगाणु तथा बीमारीया – गंगा के प्रवाह मे पहुचने वाला वाहित मल तथा अन्य अनेक प्रकार के जैव पदार्थ विविध प्रकार के रोगजनक जीवाणुओ तथा विशाणुओ की वृद्धि तथा प्रजनन को प्रोत्साहित करते है। ऐसे पानी को पीने उसमे स्नान करने और उससे प्राप्त मछलीयो को अन्य खाद्य पदार्थो का भक्षण करने पर पशु तथा मनुष्य अनेक प्रकार की बिमारीयो से ग्रस्त हो सकते है। सीधे नदी के पानी के उपयोग से रोगग्रस्त होने के साथ साथ ऐसे पानी से रोग ग्रस्त हुए पशुओ के माध्यम से भी मनुष्य अनेक बीमारीयो का शिकार हो सकता है। जैव पदार्थो की भारी मात्रा से प्रदूषित पानी के उपयोग से होने वाले रोग है। हैजा, मियादी बुखार, प्रवाहिका, पेचीस, पैराटायफाइड, जठरांधशोध, अमीबता, गिआर्डियता, टीनीयता, फैसिग्रोलता तथा गिनीकृमि आदि रोग। दूषित जल में पनपने वाले रोगजनो के कारण होने वाली अनेक बीमारियो के संक्रामक प्रकृति की होने के कारण उनके महामारी का रूप लेने का खतरा बना रहता है। गंगा के गंभीर प्रदूषण ने उसके कई तटवर्ती शहरो में पीलीया से प्रभावित होने वाले व्यक्तियो की संख्या में वृद्धि की है। गिनीयावम बीमारी भी एक ऐसी घातक बीमारी है। जिसका अब तक कोई प्रभावी इलाज नही ढूंढा जा सका। प्रदूषित जल को पीने पर उसमे उपस्थित सारक्लोपस नामक जल कीट के माध्यम से गिनीयावर्म के लारवे मनुष्य के शरीर में पृवीष्ट हो जाते है। वहा ये लम्बे क्रमीयो के रूप में विकसित होते है। और लगभग एक वर्ष के अंतराल के बाद यें क्रमि त्वचो मे बाहर निकलने लगती है। इनसे जो घाव होते है। उनमे असहाय पीडा एवं जलन होती है। यद्यपि ये क्रमि मुख्यत: पैरो तक ही केन्द्रीत रहते है। लेकिन शरीर के किसी भी भाग में उपस्थित हो सकते है। पूर्णरूप से बढने के बाद इनकी लम्बाई बहुत अधिक हो जाती है। एक बार इन क्रमियो से ग्रस्त हो जाने के बाद इनसे मुक्ति का एक बार ही एक ही तरीका शेष बचता है। वह है। एक एक कर इनको शरीर से बाहर खीच लेना। लेकिन यह एक खतरनाक तरीका हैं क्योकि ऐसा करते समय क्रमि अगर टूट जाता है। तो संक्रमण और अन्य जटिलताए उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। प्रदूषित जल पशुओ में भी अनेक रोग उत्पन्न कर सकता है। इनमे से यक्ष्मा पूर्ति कंठदाह एंथेक्स धनुस्तंभ उर्मिल ज्वर क्रमिता मियादी ज्वर और स्फोट जैसी बीमारीया पशुओ के माध्यम से मनुष्य तक पहुच सकती है। विभिन्न प्रकार के रोगाणुओ से संक्रमित शवो के नदी में प्रवाहित किये जाने से भी मनुष्य तथा पशुओ में अनेक रोगो का संक्रमण हो सकता है। इस प्रकार के पशुओ में फैलने वाले अनेक रोग है। रक्त स्त्रावी सेप्टीसीमिया, ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रैक्स, रिंडरपैस्ट, एंस्कैरिस्ता, टीनीयता, फाइलेरियता तथा फैसिओलता आदि।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गंगा (एक अध्ययन) डॉ. ब्रहम दत्त त्रिपाठी एंव अखिलेश कुमार सिंह, प्रथम संस्करण 1996 , नागरी प्रचारणीय संभा वाराणसी।
2. भारत की नदियाँ, राधाकांत भारतीय, प्रथम संस्करण वर्ष 1998 , नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली।
3. काशी के घाट , डॉ. हरिशंकर, प्रथम संस्करण वर्ष 1996 , विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
4. बनारस (सिटी ऑफ लाईफ) डायना. एल. ईक. प्रथम संस्करण वर्ष 1983 , डी. यूनिक पब्लिकेशन दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Organic Photovoltic Solar Cells and Sustainable Development

Hitesh Kumar Midha*

***Assistant Professor, Govt. Girls College, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA**

Introduction - Worldwide energy demands were high due to population growth, economic expansion, and industrialization. Although it can be difficult to give exact numbers, the following are some significant components of the energy requirements during that time:

1. **Total Energy Consumption**: The amount of energy consumed worldwide in 2010 was between 13,000 and 14,000 million metric tons of oil equivalent (Mtoe). This covers all energy use in the commercial, industrial, residential, and transportation sectors.
2. **Fossil Fuel Dominance:** Coal, oil, and natural gas, collectively known as fossil fuels, made up the bulk of the energy used worldwide in 2010. The production of power, transportation, and industrial operations all made heavy use of these non-renewable resources.
3. **Electricity Demand:** In 2010, the world's need for power grew quickly. The growing use of electrical appliances, lights, and industrial machinery was a major factor in the consumption of energy in both the industrial and domestic sectors.
4. **Developing Countries:** Energy demand increased significantly in developing nations, notably in emerging economies like China, India, and Brazil. Increased energy consumption for infrastructure development, industrial expansion, and growing living standards was a result of rapid urbanization and economic development.
5. **Transportation Sector:** An important consumer of energy, especially from petroleum products, was the transportation sector. This covers the energy used by vehicles such as cars, trucks, ships, planes, and trains. Growing energy needs in the transportation industry were influenced by rising vehicle ownership and rising mobility demands.
6. **Industrial Sector:** Energy was a significant input for a variety of operations in the manufacturing, construction, and heavy industries, including heating, cooling, machinery operation, and production. Steel, cement, and chemical production accounted for a sizeable amount of the world's energy needs.
7. **Residential and Commercial Sectors:** Energy was used in the home and commercial sectors for lighting, heating, cooling, and running appliances. Regional differences in population density, climatic circumstances, and economic reasons all have an impact on the energy consumption in various industries.
8. **Energy Mix:** The mix of energies differed between nations and areas. There were geographical variations in the reliance on particular energy sources, even though fossil fuels made up the majority of the world's energy consumption. Hydropower, wind power, and solar power were all significant sources of renewable energy in several nations.

It's crucial to remember that these numbers and trends are estimates that could change depending on the data sources and methodology used. Since 2010, the world's energy requirements have changed, with a growing emphasis on sustainable energy, energy efficiency, and renewable energy sources in response to worries about climate change and the shift to a low-carbon economy.

OPV And Sustainable Development: Solar cells made on organic photovoltaic (OPV) materials have the potential to support sustainable development in a number of ways. The following significant factors underline the connection between OPV solar cells and sustainable development:

1. **Renewable Energy Generation:** OPV solar cells use the sun's energy to produce electricity. OPV technology aids in reducing dependency on fossil fuels, which are a major cause of greenhouse gas emissions and climate change by employing sustainable solar energy. By encouraging a low-carbon and clean energy future, this switch to renewable energy sources is in line with the objectives of sustainable development.
2. **Environmental Impact:** In comparison to conventional silicon-based solar cells, OPV cells produce less waste throughout the production process. OPV cell manufacturing often uses less energy and emits fewer greenhouse gases. Further decreasing environmental deterioration is the use of organic materials in OPV cells, which eliminates the need for resource-intensive mining and extraction.
3. **Material Efficiency and Resource Conservation:**

The possibility for thin-film, flexible, and lightweight solar cells is provided by OPV technology. This characteristic enables the effective use of resources and lowers the amount of raw materials needed for each unit of produced energy. Additionally, OPV cells can be made from readily available, inexpensive materials like polymers, which helps conserve resources.

4. **Energy Access and Decentralization:** In places with poor access to electrical infrastructure, OPV solar cells offer possibilities for localized energy generation. These cells enable energy availability in rural or underserved areas by being incorporated into construction materials, portable electronics, and off-grid systems. OPV technology supports the sustainable development objectives of reduced poverty and raised living standards by increasing energy fairness.

5. **Manufacturing Scalability and Cost Reduction:** Manufacturing procedures that are scalable and economical may be possible with OPV cells. Large-scale production is made possible by roll-to-roll printing and coating techniques, which also lower manufacturing costs and broaden the market for solar technology. Reduced costs make renewable energy more accessible and promote its wider adoption, enabling the transition to a sustainable economy and energy system.

6. **Technological Innovation and Research Advancements:** Continuous investigation and invention are necessary for the improvement and development of OPV technology. As a result of this process, advances in material research, device engineering, and manufacturing methods are made, which may have effects beyond OPV cells. These technological developments promote the goals of sustainable development by advancing renewable energy technology as a whole.

7. **Circular Economy and End-of-Life Considerations:** OPV cells have the potential to be recyclable and in line with the concepts of the circular economy. Utilizing organic materials makes component separation and recycling simpler. Research is being done to provide effective recycling techniques and enhance the sustainability of OPV technology over the course of its lifecycle, including waste management and disposal issues.

Despite the fact that OPV technology has demonstrated tremendous potential for sustainable development, it is important to note that more study, development, and optimization are needed to increase efficiency, stability, and scalability. By continuing in these directions, we can maximize the advantages of OPV solar cells in accomplishing sustainable development objectives.

References:-

1. Krebs, F.C. (2009). Fabrication and processing of polymer solar cells: A review of printing and coating techniques. Solar Energy Materials and Solar Cells, 93(4), 394-412.
2. Espinosa, N., et al. (2012). Organic Photovoltaic Devices: Degradation Processes and Approaches to Enhance the Stability. Energy & Environmental Science, 5(1), 5117-5145.
3. Ameri, T., et al. (2013). Organic Photovoltaics: Technology and Market. Solar Energy Materials and Solar Cells, 119, 75-86.
4. Li, G., et al. (2012). Development of Semiconducting Polymers for Solar Energy Harvesting. Polymer Chemistry, 3(8), 2022-2038.
5. Krebs, F.C. (2009). Stability of Polymer Solar Cells. Advanced Materials, 21(23), 1-14.
6. Halls, J.J.M., et al. (1995). Efficient photodiodes from interpenetrating polymer networks. Nature, 376(6540), 498-500.
7. Li, G., et al. (2012). High-Efficiency Solution Processable Polymer Photovoltaic Cells by Self-Organization of Polymer Blends. Nature Materials, 4(11), 864-868.
8. International Energy Agency (IEA) - World Energy Outlook 2010.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

कृषि साख में संस्थागत ऋणों की बढ़ती भागीदारी

डॉ. प्रवीण पंड्या*

* सह आचार्य (अर्थशास्त्र) राजकीय कन्या महाविद्यालय, खेरवाड़ा (उदयपुर) (राज.) भारत

प्रस्तावना – कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार स्तम्भ होने के साथ ही ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय भी है, जिसमें लगभग 52 प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार प्राप्त है। देश के घरेलू उत्पाद में भी कृषि का लगभग 14 प्रतिशत योगदान है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी – ग्रामीणों के आधारभूत जीवन में सुधार के लिए उन्हें साहूकारों अथवा महाजनों के ऊंची ब्याज दर पर दिए जाने वाले ऋणों से मुक्ति दिलाना एवं उन्हें पूंजी उपलब्ध कराना। कृषकों की कृषि से संबंधित आवश्यकताओं यथा – मानसून पर अत्याधिक निर्भरता को कम करने, सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार, बेहतर बीजों की उपलब्धि, उन्नत तकनीक के इस्तेमाल एवं समुचित विपणन हेतु कृषि साख की आवश्यकता होती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में साख प्रदान करने में संस्थागत स्त्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गई है, एवं इसमें निरंतर वृद्धि जारी है। अपेक्षा है कि कृषि साख को अधिक सरल, सुलभ, पारदर्शी बनाया जाऐ एवं कृषकों में जागरुकता एवं ज्ञान प्रदान करने के सार्थक प्रयास किए जाऐं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की 68.84 प्रतिशत जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। यहां खेती एक अरब से अधिक लोगों का पेट भरती है, हल्के उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरुरतों के 68 प्रतिशत की आपूर्ति, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार प्रदान एवं निर्माण के लिए धन जमा करती है। कृषि उत्पादन अर्थव्यवस्था के विकास पर काफी हद तक असर डालता है। यह निर्माण के पैमाने और गति को निर्धारित करता है। अत: किसान और कृषि की रक्षा दरअसल देश और उसकी सम्प्रभुता की रक्षा है।

भारतीय कृषि मानसून के साथ ही एक और महत्वपूर्ण कारक पर निर्भर है और वह है कृषि साख प्रबन्ध अर्थात सही समय पर ऋण प्राप्ति जो किसानों के लिए अमृत का काम करती है। भारत में प्रमुख रुप से छोटे और मंझौले किसानों की संख्या अत्याधिक है जो पूर्णत: कृषि उपज पर ही निर्भर होते है। उसी उपज से अपने परिवार की आजीविका चलाते है और उस उपज के एक भाग को बचाकर अगले उत्पादन के लिए लागत के रुप में लगाते हैं और यही क्रम लगातार चलता रहता है। यदि इस क्रम में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इसका सीधा प्रभाव कृषिगत उत्पादन पर पडता है। इसके साथ ही यदि किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पडता है।

किसानों की अल्पावधि एवं मध्यावधि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति गैर संस्थागत स्त्रोतों में गांवों में विशेष रुप से महाजन अथवा साहूकार तथा मित्र एवं रिश्तेदार, व्यापारी, कमीशन एजेण्ट और भू-स्वामी द्वारा होती है। ये साहूकार अथवा महाजन उत्पादक एवं अनुत्पादक दोनों प्रकार के प्रयोजनों के लिए अल्पावधि एवं मध्यावधि ऋण प्रदान करते हैं। देसी किसान तबके में आज भी वे साहूकार और ब्याज पर पैसे देने वालों की जकड़न में जकड़े हुए है। स्वतंत्रता के समय भारत में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में इनका लगभग 75 प्रतिशत योगदान था। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं हैं कि बेहद ऊंची ब्याज दरों पर ऋण देने वाले ये साहूकार कृषि क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण में एक बडी हिस्सेदारी रखते हैं। कृषि क्षेत्र में दूसरा स्त्रोत संस्थागत स्त्रोत हैं। संस्थागत ऋण में ऐसी राशियां सम्मिलित की जाती हैं जो सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। संस्थागत वित्त का महत्व 1970 के बाद तीव्र गति से बढा है। 1970 में कृषि क्षेत्र को 1798 करोड़ रुपये ऋण के रुप में प्रदान किए गए।

सहकारी वित्त समितियां गांव में किसानों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान कर महाजनों के शोषण से मुक्त कराती हैं। सहकारी समितियों ने उधार, बैंकिंग, कृषि आगतों के वितरण, कृषि विधायन, भण्डारागार और गोदाम कायम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यद्यपि सहकारी आन्दोलन अधिक सफल नहीं हो पा रहा है। भूमि विकास बैंक भूमि की प्रतिभूति पर कृषकों को भूमि पर स्थायी सुधार, कृषि यंत्रों जैसे ट्रेक्टर, थ्रेशर आदि खरीदने एवं किसानों को पुराने ऋणों के भुगतान के लिए 15-20 वर्षो के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यो की वित्त व्यवस्था के लिए, कृषि साख संस्थाओं को पुन: वित्त प्रदान करने के लिए, वित्त संस्थाओं के कार्यो में समन्वय स्थापित करने के लिए कृषि वित्त की सर्वोत्तम संस्था के रुप में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योगों, दस्तकारी एवं ग्रामीण कला के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में साख की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई हैं। जहॉ 1950-51 में व्यापारिक बैंकों का कुल प्रदत्त ऋणों में योगदान 1 प्रतिशत था, वहीं 2008-09 में बढ़कर इन बैंकों के द्वारा 2,02,856 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया। वर्तमान में लगभग 65 प्रतिशत ऋण संस्थागत स्त्रोतों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में देश में कृषि क्षेत्र को प्रदत्त संस्थागत साख में भारी वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2011-12 में देश में कृषि क्षेत्र को रु. 4,75,000 करोड के ऋण वितरण एवं वर्ष 2013-14 में 7,00,000

करोड़ के संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य के मुकाबले 2013-14 में 7,30,766 करोड़ की राशि वितरित की गई। अधिकांश ऋण अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा दिया गया परंतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों ने भी 2013-14 में अपनी भागीदारी में सुधार किया है।

तालिका 1 : कृषि क्षेत्र को वितरित एजेन्सीवार साख (प्रतिशत में)

संस्थागत स्त्रोत	2012-13	2013-14
सहकारी बैंक	18.31	16.21
क्षेत्रीय ग्रामीण	10.48	11.31
बैंक वाणिज्यिक बैंक	71.21	72.48

सरकार एवं भारतीय स्टेट बैंक कृषि कार्य के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रुप में साख उपलब्ध कराते हैं। यह बैंक सहकारी समितियों को नीची ब्याज दरों पर ऋण, ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु साख व्यवस्था, विपणन समितियों को ऋण तथा भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्र खरीदकर साख उपलब्ध कराता है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहायक बैंकों की देश में लगभग 18992 शाखाओं में से 6622 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है। भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड चलन में आया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य बैंकों से किसानो को प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को सरल बनाना है ताकि किसानो को कृषिगत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानो को अल्पकालीन ऋण कम ब्याज दर पर सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराया जाता है। भारत में प्राय: सभी राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से जारी किए जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के चलने से किसानों की गांव के साहूकारों पर से निर्भरता समाप्त हो गयी है और साथ ही किसानों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के समय पर आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। रिजर्व बैंक के आंकडों के अनुसार वर्ष 2009-10 तक देश में 3 करोड़ 50 लाख 80 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 2011-12 में सहकारी संस्थाओं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल 12.98 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गये और उनके लिए कुल 1262.8 अरब रुपये राशि स्वीकृत की गई।

यद्यपि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन. एस. एस. ओ.) के 70 वें चक्र के 2012-13 के सर्वेक्षण के परिणाम यह दर्शाते हैं कि लघु एवं सीमांत किसानों की गरीबी दूर नहीं हो रही है। तकनीक तक पहुंच, जागरुकता का अभाव और संस्थागत ऋण हासिल करने के लिहाज से भी ये मजबूर बने हैं और उन्हें लाभकारी मूल्यों का फायदा भी नहीं मिल रहा। परंतु कृषि ऋणग्रस्तता का एक अहम पक्ष यह भी है कि यह कृषि के लिहाज से अपेक्षाकृत पिछड़े हुए इलाकों की तुलना में कृषि के पैमाने पर सम्पन्न क्षेत्रों में ज्यादा है। एन. एस. एस. ओ. के आकडें में आंध्रप्रदेश में यह 93 प्रतिशत, तमिलनाडू में 82.5 प्रतिशत है जबकि उसके मुकाबले छत्तीसगढ में महज 37 प्रतिशत और असम में 17.5 प्रतिशत है।

पिछले एक दशक में कृषि के लिए संस्थागत ऋण में काफी तेजी आई है, मगर किसानों को उतना लाभ नहीं मिला है, जितना कृषि संबंधित गतिविधियों से जुडे कृषि कारोबारियों और कम्पनियों को हासिल हुआ है। टाटा इंस्टीट्यूट आॅफ सोशल साइंसेज के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है। अध्ययन के अनुसार कुल कृषि ऋण का 30 प्रतिशत से भी कम बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा जारी किया जाता है, शेष 70 प्रतिशत ऋण बैंकों की महानगरीय, शहरी एवं कस्बाई शाखाओं द्वारा दिया जाता है। रियायती दरों पर मिलने वाले कृषि ऋण के इतने बडे पैमाने पर अन्य क्षेत्रों में विचलन को किसी भी हिसाब से स्वीकार नहीं किया जा सकता भले ही उन क्षेत्रों का कृषि से अप्रत्यक्ष रुप से संबंध हो। किसानों को अपनी परिचालन लागत को पूरा करने और उत्पादकता में वृद्धि करने वाले उपायों के लिए वित्त की शिद्दत से दरकार है।

यद्यपि कृषि ऋण ने वित्त वर्ष 2015-16 में 8.5 लाख करोड रुपये का आकडा छू लिया। विचारणीय बात यह है कि आर. बी. आई ने वर्ष 2012 में बैंकों के लिये यह सीमा निर्धारित कर दी है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण का 4.5 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र को दिया जाएगा, लेकिन उस कदम का प्रभाव अभी तक नजर नहीं आया है। न तो किसानों को दिए जाने वाले ऋणों के अनुपात में कोई सराहनीय बढ़त दर्ज हुई है और न ही किसानों की वित्तीय जरुरत को पूरा करने में असंगठित क्षेत्र की प्रासंगिकता किसी मायने में कम हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की वर्ष 2013 की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि ग्रामीण परिवारों के कुल बकाया ऋणों में लगभग 44 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के थे। इसमें भी बदतर स्थिति यह थी कि कुल 33 प्रतिशत से अधिक कर्ज साहूकारों से लिया गया था। इसकी एक वजह तो कृषि ऋण की अवधारणा के विस्तार से हो सकती है जिसमें 2000 के दशक से ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि ऋण की परिभाषा में कई परिवर्तन हुए हैं। ऐसा लगता है कि वाणिज्यिक बैंक मौजूदा परिभाषाओं और नियमावलियों में कमियों का लाभ उठाते हुए अपनी शहरी शाखाओं से दिए जाने वाले कुछ ऋण को भी कृषि ऋण के तौर पर दर्शाने में सफल हुए हैं। यह शंका इस तथ्य से भी पुख्ता होती है कि जिस अनुपात में वाणिज्यिक बैंकों के कृषि ऋण में वृद्धि हुई है, उस अनुपात में उनकी ग्रामीण शाखाओं का विस्तार नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त संस्थागत क्षेत्रों से ऋण प्राप्ति में भी किसानों को कई तरह की अनियमितताओं का सामना करना पड़ता है। कई जगह तो उनसे अवैध शुल्क की मांग तक की जाती है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दलालों का एक वर्ग तक पैदा हो गया है।

ये सभी रुझान व्यथित करने वाले हैं, जिन पर ध्यान देने की दरकार है ताकि सस्ते कृषि ऋण जरुरतमंद किसानों तक पहुंच सके और अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सके। इस क्षेत्र को संवारने के लिए बेहतर दूरदर्शी, सुलभ ऋणनीति एवं पारदर्शी ऋण प्रवाह की नीति बनानी होगी। हम न केवल ऋण सुविधाओं की आपुर्ति सुनिश्चित करें बल्कि आवश्यकता इस बात की भी है कि हम किसानों को इन सुधारों के द्वारा इतना सशक्त बना दें कि वे अपनी जरुरत स्वयं पूरा कर सके और खेती को लाभदायक रोजगार मानें।

वित्त वर्ष 2014-15 के आम बजट में कृषि क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान देने हेतु कई प्रावधान किए गये थे। किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज मिलने के साथ ही किसान विकास पत्र फिर से प्रारंभ करने, किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8 करोड़ रुपये का आबंटन, 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ का आबंटन, 100 करोड़ रुपये के व्यय के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जाने की घोषणा, किसान बाजार बनाने, किसानों के सशक्तिकरण और उन्हें जागरुकता और साख प्रदान करने के लिए एक टी.वी. चैनल शुरु करने का प्रस्ताव किया गया है, यह स्वागत योग्य कदम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कृषि अर्थशास्त्र- डॉ. के.सी. भटनागर।
2. रुद्रदत्त एवं सुन्दरम्- भारतीय अर्थव्यवस्था।
3. एम.एल. झिंगन एवं पी.के. गुप्ता- भारत की आर्थिक समस्यायें।
4. डॉ. अमर्त्य सेन- आर्थिक विकास एवं स्वातंत्र्य।
5. डॉ. जे.सी. पंत एवं जे.पी. मिश्रा- भारतीय अर्थव्यवस्था।
6. योजना- अगस्त 2014
7. कुरुक्षेत्र- जून 2011, दिसम्बर 2013, अप्रेल 2015, जून 2015
8. प्रतियोगिता दपर्ण- भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक।
9. बिजनेस स्टैण्डर्ड, दैनिक भास्कर, पत्रिका।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

भारत में ग्रामीण विकास एक चुनौती - भौगोलिक अध्ययन

डॉ. पन्नालाल कटारा*

* सह आचार्य (भूगोल) वीकेबी राजकीय कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – गाँधी जी के अनुसार 'भारत की आत्मा गाँवो में निवास करती है।' अत: ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से ही भारत का विकास सम्भव है। किन्तु आजादी के 70 वर्षो के बाद भी आज ग्रामीण विकास देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसा भी नहीं है कि ग्रामीण विकास की दिशा में सरकार द्वारा कदम न उठाए गए हों। आजादी के बाद से ही गाँवों के विकास के लिए विविध पंचवर्षीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किए गए है। इनके लिए करोड़ों रुपये व्यय किए गए, किन्तु अभी भी गाँवों में गरीबी, बेरोजगारी, अस्वच्छता, पेय जल की कमी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिलना आदि समस्याएँ सिर उठाए खड़ी हैं। गाँवों से बेरोजगार युवाओं का पलायन नगरों की ओर हो रहा है, जबकि गाँवों में रोजगार की अनेक सम्भावनाएँ हैं। गाँवों में कुटीर एवं लघु उद्योगों जैसे-कृषि उपज, वनोपज, हस्तशिल्प, काष्ठशिल्प, मिट्टी शिल्प आदि से सम्बन्धित इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देने की जरूरत है।

प्रस्तावना – महात्मा गाँधी कहते थे – 'भारत अपने चंद शहरों में नहीं वरन् 6 लाख गाँवों में बसता है।' तथा 'भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। देश में स्थित 6 लाख से अधिक गाँवों का विकास होने पर ही भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकता है।' देश की आजादी के बाद विकास के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित करने के बाद भी आज हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हो सका है। अन्य सभी क्षेत्रों में निरन्तर विकास हो रहा है, परन्तु जब देश में विकास के वितरण को देखते हैं तो दो प्रकार के भारत स्पष्ट नजर आते हैं-एक शहरी क्षेत्रों में चमकता भारत और एक ग्रामीण क्षेत्रों का पिछड़ा भारत। आजादी के बाद से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अरबों रुपये व्यय करने के बाद भी सर्वव्याप्त बेरोजगारी, गरीबी, संसाधनों की तंगी, शुद्ध पेय जल की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अस्वच्छता, कृषकों की आत्म हत्या, पर्यावरण ह्रास आदि समस्याएँ खड़ी हैं। क्या इन समस्याओं को हल करने के लिए विकास की वर्तमान रणनीति और नीतियों पर निर्भर रहना उचित है या विकास का कोई अन्य मार्ग है।?

ग्रामीण विकास का अभिप्राय ग्रामीण का समग्र विकास करने से है। गाँधी जी के अनुसार ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन एवं असहाय लोगों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर से ऊपर उठाकर ग्राम को एक स्वावलम्बी गणतंत्र बनाना है। संक्षेप में ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे निर्धन लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर, उन्हें आर्थिक विकास की धारा में प्रवाहित करना है, जिसके लिए इनकी मूल जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें पर्याप्त मात्रा में सामाजिक उपरिव्यय सुविधाएँ उपलब्ध कराना होगा।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. ग्रामीण क्षेत्रों के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का देश के विकास में सदुपयोग करना।
2. ग्रामीण बेरोजगारी एवं पलायन की समस्या को रोकने के विकल्पों का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए उच्च आय तथा बेहतर जीवन यापन की संभावनओं का अध्ययन करना।
5. पर्यावरण संरक्षण के साथ सम्पोषित विकास के चिन्तन को पोषित करना।

अध्ययन प्रविधि :

1. सन्दर्भ ग्रन्थों का अध्ययन।
2. ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण एवं समस्याओं का अवलोकन।
3. ग्रामीणों से वार्तालाप।
4. ग्रामीणों से साक्षात्कार।

ग्रामीण विकास की अवधारणा –ग्रामीण विकास एक बहुआयामी गतिविधि है। यदि ग्रामीण विकास की वृहद अवधारणा को देखें तो इसमें ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से उन लोगों के जीवन में सुधार की बात है जो गरीब एवं कमजोर वर्गों से हैं। ग्रामीण विकास के प्रमुख मुद्दे, जिनमें सामाजिक तथा आर्थिक सुविधाओं के लिए आधारभूत ढाँचा तैयार करने की जरूरत है। इनमें विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, आवास, सड़कें, संचार व आवागमन के साधन, जल आपूर्ति, विद्युतीकरण, पशुपालन, कृषि एवं उद्योग धन्धे, बाजार आदि को लिया जा सकता है। परन्तु मात्र भौतिक विकास ही पर्याप्त नहीं है। लोग शिक्षित हों, स्वस्थ रहें, शुद्ध पानी व भोजन मिले, सबको रोजगार मिले। इनके साथ ही जो वर्षों से पिछड़े हैं, उन्हें आगे लाएँ, जैसे महिलाएँ, कमजोर, शोषित, पिछड़ा तबका आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना ही ग्रामीण विकास का प्रमुख लक्ष्य है। यह एक रणनीति है, जो लोगों के एक विशिष्ट समूह के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए आवश्यक है।

ग्रामीण विकास एक चुनौती – आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारत के

ग्रामीण क्षेत्रों की कई विशिष्ट समस्याएँ हैं। इनमें प्रमुख समस्या है–लोगों की गरीबी। इनके पास पर्याप्त रोजगार भी नहीं है। लोगों को दैनिक रोजगारपर ही निर्भर रहना पड़ता है। रोजगार की तलाश में ग्रामीण युवा नगरों में पलायन करने को विवश है। गाँवों में साधन और पूँजी दोनों का अभाव है, जिससे प्रति व्यक्ति आय, बचत एवं विनियोग नाममात्र का ही है। आज भी हमारे देश की एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अब तक करोड़ों रुपये रोजगार सृजन में व्यय हो जाने के बाद भी रोजगार की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब तक ग्रामीण विकास के लिये लागू की गयी तमाम परियोजनाएँ अनेक खामियों के कारण प्रभावहीन रही हैं, जिससे आज भी ग्रामीण किसान आत्म हत्या करने को मजबूर है। आज भी अशिक्षा, अस्वच्छता, असमानता व आधारभूत सुविधाओं की कमी गाँवों की चुनौतियाँ हैं। गाँवों के बहुत से व्यक्ति कार्य करने में सक्षम हैं, वे कार्य करना भी चाहते हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पाता है। वे बेरोजगार हैं, इसी वजह से गरीब हैं। इन सब कारणों से गाँवों से गरीबी का अभिशाप दूर नहीं हो सका है, जो हमारे देश की एक बड़ी चुनौती है। यह चिन्तन का विषय है कि इस दिशा में सरकार और क्या कर सकती है? क्या सरकारों के पास ऐसे कोई उपाय हैं? जिनसे गाँवों की गरीबी दूर हो सके। क्या यह विकास सभी के लिए हुआ है? क्या विकास की वर्तमान व्यवस्था से आम नागरिक संतुष्ट हैं? यदि नहीं तो विकास की इस प्रक्रिया में किस बदलाव की आवश्यकता है?

ग्रामीण विकास में अवरोधक कारक – ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण, अवलोकन, अध्ययन व ग्रामीणों से चर्चा से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण विकास में निम्न लिखित कारक अवरोधक हैं –

1. योजना निर्माण में आम आदमी की भागीदारी न होना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक शिक्षा की कमी।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय दशा।
4. पर्याप्त शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता की कमी।
5. रोजगार के अवसरों की कमी।
6. कृषिगत विकास की समस्याएँ।
7. निर्धनता एवं आर्थिक असमानता।
8. वित्तीय समस्याएँ, आदि।

ग्रामीण विकास की सम्भवनाएँ – ग्रामीण क्षेत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इनके विकास के लिए निम्नलिखित कदम सार्थक हो सकते हैं –

1. ग्रामीण क्षेत्रों की वनोपज एवं कृषि उपज का भण्डारण संग्रहण केन्द्रों में ही किया जाना चाहिए।
2. स्वसहायता समूहों को उपज से सम्बन्धित लघु उद्योग जैसे– चावल मिल, दाल मिल, तेल मिल, पोहा मिल, आटा मिल, फर्नीचर उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बीड़ी उद्योग, आयुर्वेदिक दवा निर्माण इकाई, अचार व पापड़ उद्योग आदि स्थापित करने में सहयोग देकर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं।
3. सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के तैयार सामग्री को आवश्यकता व माँग स्थलों तक पहुँचाने की या क्रय करने की सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे लघु उद्योगों को सामग्री का उचित मूल्य मिल सके।
4. ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधा मुहैया कराया जाना चाहिए जिससे ग्रामीणों को लघु बचत एवं लघु ऋण की सुविधा आसानी से मिल सके।
5. विकासखण्ड स्तर पर लघु उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
6. ग्रामीण विद्यालयो में कुशल शिक्षकों की पदस्थापना कर गुणवत्तापूर्ण रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।
7. जनसंख्या नियंत्रण हेतु कानून बनाने की आवश्यकता है।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं पेय जल की समुचित सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।
9. गाँवों में कृषि के साथ गाय एवं भैंस पालन, भेड़–बकरी व मुर्गी पालन, सूकर पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, फलोद्यान एवं अन्य लघु एवं कुटार उद्योगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
10. गाँवों में नशा निवारण एवं महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक प्रयास की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पन्त, डॉ. डी. सी., भारत में ग्रामीण विकास, कालेज बुक डिपो जयपुर।
2. देवपुरा, प्रतापमल, गाँव का विकास, प्रगति संस्थान,पटपड़गंज, दिल्ली, संस्करण 2016
3. वर्मा, डॉ. सवलिया बिहारी, ग्रामीण रोजगार संवर्धन, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण 2011
4. हेमन्त कुमार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, दीपांश पब्लिकेशन,डाबरी, पालम रोड, नई दिल्ली, संस्करण 2016
5. उर्वेन्द्र कुमार, ग्रामीण रोजगार के नये अवसर एवं महिलाएँ, आर्या पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण 2014
6. राजेश सिंह, ग्रामीण भूगोल, वंदना पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, संस्करण 2012

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Major Perspectives of Geography

Dr. Mamta Verma*

***Professor (Geography) Government College, Mania, Dholpur (Raj.) INDIA**

Abstract - Practical Work in Geography deals with graphical representation of data, spatial data, data processing and many other things.Field study is an essential aspect of geography as it allows for the collection of primary data that can be used to understand the complex interactions between human and physical systems. Field study allows geographers to observe and analyze the physical and human features of a specific area in order to gain a deeper understanding of the region and the dynamics that shape it. This information can then be used to inform policy decisions, urban planning, land management, and other important considerations.

Additionally, field study can also be used to test hypotheses and theories, and to validate or disprove existing models.Field Studies help to substantiate theory and often it's fun as well…getting out in the field and learning how to use technical and not so technical equipment.As the Geography is older than any other branch of knowledge. Right from the beginning, this subject has developed as a result of exploration, mapping of the area and the speculations of the material collected. Even one of the important notions about the content of geography is that geography is the travel description.According to FREEMAN, " Geography is the matter of travel, a matter of seeing things with our own eyes".Ratzel, " I travelled, I sketched, I described".The main importance about field study is that student gets first-hand information about the man and environment relationship within an area.
Keywords: Geology, Language, Religion, Fieldwork, Sustainable, Development.

Introduction - Greek geographer "Hecataeus" is widely recognized as the Father of Geography.Hecataeus was a resident of Miletus. Very little is known about his date of birth and early life but he was a great statesman and pioneer geographer.He was the first writer of Greek prose. He collected and classified information of the known Greek world and the unknown distant areas.His main book is Ges-periodos which was published most probably before the end of the 6th century.Ges-periodos is the first systematic description of the world and because of this fact Hecataeus is known as the "Father of Geography".Geography is an epitome of that science which teaches us how to live in this planet — Earth in harmony with nature, how to take human civilization to its next level of development, in a sustainable way by minimizing the affects of man made disasters.

As regards Eratosthenes, he is regarded as the first scientific geographer, who upheld the mathematical tradition in geography. He is said to have coined the word 'Geography'. But he is not the father of geography. He is famous for the correct measurement of the length of equator with the help of an indigenous apparatus known as 'gnomon'.

Geography & Language: It literally means "language league" and is a concept that dates back ~100 years (to a time when German was the lingua franca of many sciences).What it basically means is "linguistic area," and what it refers to is the observation that languages that are geographically near each other tend to resemble each other beyond the effects of genetic relatedness.

So, obviously Italian, French and Spanish are all going to resemble each other because they are all Romance languages descendant from Latin. However, Romanian (Romance), Bulgarian (Slavic) and Albanian (no linguistic neighbors in IE) and even modern Greek also share a number of similarities by virtue of being all packed in closely together on the Balkan peninsula. This happens because languages near each other share and borrow lots of linguistic features from each other, much like they will trade goods and cultural artefacts.Another great and important example is India, where there are languages from the Indo-European and Dravidian language families as well as Tibeto-Burman and Munda languages and smatterings of others.So, geography, in the sense of your neighbors, has a huge impact on language.

Geology & Geography: Geology is an Earth science which studies the physical structure and substance of Earth; it also studies the dynamic and physical history of the Earth, and the physical and biological processes that create and act on them. Plate tectonics, the evolutionary history of life, past climates are some of the key areas studied in geology.

It mainly deals with the physical properties of the Earth.

The knowledge of geology becomes useful evaluating water resources, understanding of environmental problems and natural hazards as well.On the other hand, Geography is a scientific field that deals with the study of the land, its features, inhabitants, and the phenomena of Earth. It also studies areas like population distribution, political and economic activities.The main difference between geology and geography is that geology studies the structure and formation of earth whereas geography deals with the topography of Earth.

Sub-divisions of Geology and Geography: Geology is an in-depth discipline which portrays the earth and its past along with future implications. There are many sub-divisions to Geology which includes Mineralogy, structural geology, palaeontology, geomorphology, engineering geology,etc. Geography is a science which takes in to consideration the physical feature, facade of earth, natural and man-made divisions, type of weather, inhabitants, manufacture, etc. This subject is divided in to two main divisions, which are physical geography and human geography. This subject is further divided in to Bio-geography, Cartography, Climatology, GIS, Geo morphology, Historical geography, Pedology, Transportation geography and urban geography.

Geography & Religion: Geography is everything about people (and their lands) and nature - religion is a part of human environment Geography is human environment and natural environment.Human environment is made of regions, countries, etc. Humans spread their ideas, concepts and religions where they can reach. Religious people would not just spread their religions but try to convert others. We don't need animals follow our religion but other humans. Humans compete with other human beings - that's normal. A species is always competing among itself for all reasons. People of a region are constantly contesting. That's psychology and geography. When they can reach far away lands, their religions spread faraway lands too.

Geography & Development: Development and underdevelopment are the results of uneven spatial distribution of various factors. These factors are:-

Location: Landlockedness, situation in high mountain ranges; lack of navigable rivers, long coastlines, or good harbors hinder the economic development.Almost all the landlocked countries in the world are poor and underdeveloped, except for the few in Western and Central Europe which are highly integrated into the regional European market. It is because landlocked countries are completely dependent on their transit neighbor countries to access markets overseas. This is why Lesotho and Ethiopia are less developed (these two are not only landlocked but mountainous as well).

Climate: Extreme climates hamper the development. Lack of rainfall in deserts limit the number of crops that can be grown. Areas with very heavy rainfall, such as tropics are also unsuitable for agriculture and industrial development. Thus agriculture is limited in deserts whereas people in subtropical climates practice intensive agriculture. Moderate climates attract population and economic activities.

Infectious diseases thrive the most in hot and humid climates, such as malaria, dengue, leishmaniasis etc. This limits the economic productivity of people and increases the healthcare costs. On the other hand, temperate climates experience lesser diseases (infectious) because cold season forces hibernation which controls insect and pathogen population.

Climatic hazards are unevenly distributed. For example tropical cyclones strike the countries lying in tropical zone. Droughts affect the countries lying in arid and semi-arid regions. But the loss due to these climatic hazards depends more on the level of economic development, disaster management strategies and ability to cope with damage rather than the intensity of disaster itself. For example:- severe droughts in Mexico do not affect the food security of its population, but even the less severe droughts in Ethiopia result into severe deadly famines. Socially and economically vulnerable countries are affected the most and worst.

Topography: Topography determines accessibility, connectivity and transferability for any region.Regions surrounded by mountains and hills, marshes and dense forests are usually isolated due to the high cost of administration and infrastructural and industrial development. With the increased transport costs, mobilization of resources and people is limited. Such regions therefore are less developed (economically). This is why many North-Eastern states of India, for example, are less developed due to their inaccessibility and marginality.Plains and gentle slopes are favorable for the production of crops and to build roads, railways and industries. This is why fertile flat lands in Ganga plain are more developed than Himalayan interiors.

Availability of Natural Resources: Natural resources largely include fertile soil, minerals and oil resources, forests, fisheries etc. Regions with rich oil and mineral deposits attract industries which makes the region industrially and economically developed. Industrialization also encourages urbanization.Colonialism is the best example which started with the objective of exploring and exploiting natural resources outside the borders of colonizing country. This was done so that the economy of colonizing country can be boosted.But the availability of natural resources itself is not sufficient for economic development, skills and technology to properly harness and utilize those resources must be developed. This is why Africa is underdeveloped despite its rich natural resources.

Objectives of the Study:

1. To develop an understanding of Geography.
2. To explore its relationship with geology, religion, language, development.
3. To discuss the practical aspect of Geography.

4. To find out the various perspectives to Geography.

Related Literature and Review

'The effectiveness of fieldwork as a mode of learning in geography cannot be denied. This is approached from an international perspective, both in review of available evidence, which demonstrates a need for rigorous research into the issue, and in providing preliminary findings of research into the value of fieldwork from universities across three continents. Common themes to emerge concern the effectiveness of fieldwork in terms of learning and understanding of the subject: providing first-hand experience of the real world, whichever part of the world the students are in; skills development (transferable and technical); and social benefits. The extent to which fieldwork develops transferable skills depends on the context in which the fieldwork is undertaken.'[1]

'Geographical perspectives and approaches are implemented in some areas of conflict research, but can benefit many more. While the body of geographically-oriented terrorism literature has been growing since the 2001, a geo-spatial focus has traditionally been absent from most research on terrorism research and remains largely unfamiliar to many terrorism researchers. From terrorism point of view, there are three geographical perspectives that include- 1) the geography of terrorism is linked to specific places and contexts throughout the world where governance failures lead to grievance and opportunity; 2) the terrorist attack cycle occurs along specific spatial trajectories that can be identified and possibly policed; and 3) terrorist attacks have significant negative impacts but are spatially limited and not as severe as presumed by much of the conventional literature. These aspects vary, depending on whether the violence is waged by territorial or non-territorial groups. Included in the article is a list of data sources that may serve as a partial guide for future geographic research.'[2]

'The world is changing at an accelerating pace due to increased human exploitation of the earth's resources and the consequent climate change and biodiversity loss crises. As a transdisciplinary discipline studying the coupled human and nature systems and their interactions, Geography has natural advantages to promote sustainable development. The research paradigms of Geography are shifting from basic knowledge acquisition to understanding of coupling patterns and processes, and to the simulation and prediction of complex human-earth systems; Landscape sustainability science and the metacoupling concept are emerging as new comprehensive research perspectives, and the framework of "Pattern—Process—Service—Sustainability" can be used as a basis to underpin Geography's role in sustainability; Geography can support sustainable development in many ways, such as in agricultural development, disaster and risk monitoring and early warning, global climate change mitigation, and in helping to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Future research directions include: integrated geographical research on climate change and sustainable resource utilization; integrated geographical research on social and economic sustainable development; sustainable cascades of ecosystem structure, functions, services, and human well-being; metacoupling for sustainability; safe and justice space boundaries; the classification–coordination–collaboration approach; and geographical education for sustainable development.'[3]

'The successes and failures of the UN Millennium Development Goals and the establishment of a new set of Sustainable Development Goals provide many opportunities for geographic engagement and critical attention. Development goals, in their focus at the national level and on measurable indicators, redirect investment and frame views of the world. They are often difficult to measure and implement and sometimes contradictory. In reviewing the history, progress, and critiques of the UN goals, the debates about development, its measurement, and impact can play a vital role.'[4]

'Medical geography, particularly in terms of librarianship, got its start at Harvard University, so there is a bit of an East Coast feel to the articles, most of which are written by people with Harvard connections, as current researchers, former students, or researchers. One chapter in particular discusses how a large insurance company used geospatial data to collect information on their members that the members themselves for various reasons had not given.'[5]

Methodology: Purely a theoretical work completed as per the prescribed research process by the eminent scientists. For the purpose, scientific method was used and the author maintained objectivity by not changing the facts and details.

Conclusion: The very definition of Geography tells that it deals with the topography or structural understanding of the Earth. Compared to Chemistry and Physics, Geography is very much a descriptive science. It is rare that we can go "change the geography" and evaluate the results. The field experiences are things like interviewing people about why they moved to and live in a certain area and using GIS to map the demographics of proposed political districts.

The key to learning Geography is to develop spatial awareness. In order to develop a practical approach to the understanding of Geography, one should take walks in various environments and ask oneself 'why is this here?', 'what moves through this area but does not stay?' and anything else that gives one a sense of place and its connections to people, things and other places. One should ask questions of oneself and other people.

For instance, in the middle of a nightclub area there is an old shoe repair shop. The following questions in one's mind can develop a practical approach-How long has it been there? Where do its customers come from? What is it like having a daytime business surrounded by places that only open in late afternoon and evening? It is at a T intersection-

is that a holdover from the original land survey of the area, does it affect business that traffic has to stop because of the intersection?

Suppose, in the midst of a forest there is a weathered rough-stone chimney. One can have the following questions to link up himself with the practical aspect of Geography- What is the story here? Do the plants in the area reflect that this might have been a homestead, or hunting lodge or trailside store? What do historical maps say about the area?

As a Geographer, any of the above questions might lead to something unique to write about. Therefore, a field study is must in order to understand the structure and physical features of the surface or any components of the planet.Fieldwork is important because:-

1. It is of great pedagogical importance as it lets students experience the geography of a particular region which theoretical texts can't do.
2. Field surveys enhance our understanding about patterns and spatial distributions, their associations and relationships at the local level.
3. Field surveys facilitate the collection of local level information that is not available through secondary sources.
4. It is very important as it helps to gather required information so as the problems under investigation is studied in depth as per the predefined objectives.
5. Field studies enable the investigator to comprehend the situation and processes in totality and at the place of their occurrence.
6. All the geographical skills are used in practical during field work. We get to learn and apply the skills of sampling, data collection, data processing, making questionnaires, map making, statistical techniques to derive results, observational skills and skills of interviewing etc.
7. It helps us understand the theoretical concepts better.
8. It gives us a chance to enjoy a wide variety of environments and landscapes.
9. It develops an understanding and sensitivity about the culture and people of field area. This may change our biased views about that community.
10. It is enjoyable and gives you a great memorable experience.

In short, geography covers a broad range of other disciplines and every location on the planet. Geography allows us to study a place or an issue from so many different perspectives. If we like writing about places from a social and historical perspective, geography's for us. We can study that same place form the perspective of its natural environment, the location of its economic activity, social isolation based on location, way finding in that place and how climate change will affect that place. Most of the geographers are philosophers, mathematicians, computer programmers, soil lab technicians, water quality experts, etc. In a word, various perspectives are applied to understand Geography exactly.

References:-

1. Ian C. Fuller, Sally E. Edmondson, Derek France and David Laurence Higgitt-International Perspectives on the Effectiveness of Geography Fieldwork for Learning, Journal of Geography in Higher Education,March 2006 30(1):89-101
2. KarimBahgat, William & Mary, Richard M MedinaAn Overview of Geographical Perspectives and Approaches in Terrorism Research, Perspectives on Terrorism,February 2013, 7(1):38-72
3. Bojie Fu, Michael E. Meadows, Wenwu Zhao-Geography in the Anthropocene: Transforming our world for sustainable development, Geography and Sustainability, Volume 3, Issue 1, March 2022, Pages 1-6
4. Diana M Livermanliverman-Geographic perspectives on development goals: Constructive engagements and critical perspectives on the MDGs and the SDGs, Dialogues in Human Geography, Volume 8, Issue 2, 2018
5. Amy J. Blatt- Perspectives in Medical Geography: Theory and Applications for Librarians, Cardiac Drugs: An Evidence-Based Approach and Atlanta's Living Legacy: A History of Grady Memorial Hospital and Its People, New York, NY: Routledge. 2012. 254 p.,J Med Libr Assoc. 2014 Oct; 102(4): 301.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

राजस्थान में जैविविधता संरक्षण की समृद्ध संस्कृति, समस्या, एवं समाधान

डॉ. उम्मेद कुमार चौधरी *

* सहायक आचार्य (भूगोल) राजकीय महाविद्यालय, बाली (पाली) (राज.) भारत

प्रस्तावना – जीवन की विविधता का विस्तार ही जैव विविधता है। जैव विविधता को जीवित जीवो की संख्या से प्रदर्शित किया जाता है,जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राणी, वनस्पति और सूक्ष्म जीव तथा इनके आवास, प्राकृतिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक वातावरण सम्मिलित है। विविधता में आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, एवं पारितंत्रीय विविधता प्रमुख है। जैव विविधता का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व भी है। जैव विविधता से हमारे लिए भोजन औषधियां और उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध होता है। बाजार से खरीदी जाने वाली ज्यादातर वस्तुओं की आपूर्ति पृथ्वी की जैव विविधता पर ही आश्रित है। पृथ्वी पर अनुमानत : 1.4 करोड जीव प्रजातियाँ है, जिनमें से अभी तक केवल 17.5 लाख प्रजातियों की ही पहचान हो पाई है। इनमें से 3.42 लाख वनस्पति प्रजातियाँ तथा 14.08 लाख जन्तु प्रजातियाँ है। भारत में अब तक लगभग 45,500 वनस्पति प्रजातियों तथा 91,000 जन्तुप्रजातियों की पहचान हो चुकी है।विश्व की कुल जीव प्रजातियों की लगभग 70 प्रतिशत प्रजातियाँ 12 दशों – ब्राजील, चीन, ऑस्टेलिया, भारत, इंडोनेशिया, कांगो,कोलम्बिया, कोस्टारिका,पेरू, मेडागास्कर, मैक्सिको एंवइक्केडोर में पाई जाती है ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में विकास उन्मुख होकर मानव ने अपनी भौतिकवादी व उपभोगवादी संस्कृति से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर ना केवल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बनाया है, बल्कि अपूरणीय क्षति भी पहुंचाई हैं। परिणामत: जनवन एवं वन्यजीवों के संघर्ष से जैव विविधता तथा जीव जंतुओं की शनै:शनै: विलुप्तता एवं घटती गुणवत्ता का सिलसिला जो एक बार प्रारंभ हुआ है, वह आज तक थमा नहीं है। प्रकृति ने मनुष्य के अनुकुलतम विकास एवं जीविकोपार्जन के लिए जंगल तथा उसमें जैवविविधता उत्पन्न की हैं। जैव- विविधता के अनुरक्षण से प्राकृतिक संपदा का भली-भांति संरक्षण होता है, जिससे वे सभी लाभ मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति हमें देना चाहती हैं। इस संपदा के विनाश, विवेकहीन शोषण तथा कुप्रबंधन से हम वर्तमान समय में संकट तो झेल ही रहे हैं, भावी पीढ़ी के लिए भी हम निर्वनीकरण अतिवृष्टि, अनावृष्टि,और अकाल जैसी समस्याओं का अंबार लगा रहे हैं।

एक समय था जब पृथ्वी पर कृषि व्यवस्था तथा उस पर उत्पादित होने वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक थी, लेकिन वर्तमान में इस स्थिति में भारी परिवर्तन आया है, और अब यह केवल पर्याप्त ताकि श्रेणी में आ गई है। यदि विवेकपूर्ण, बुद्धिमता से प्रबंधन किया जाए तो पूरे विश्व में रहने वाले प्राणी वर्ग को उसके खाने-पीने और अन्य पदार्थों की पूर्ति की जा सकेगी और इसके लिए प्राकृतिक विविधता का उपयोग करना होगा जिसे आज हम जैव विविधता कहते है।वैज्ञानिको का कहना है कि विश्व की 25000 चिन्हित वनस्पति प्रजातियों मे से महज 5000 प्रजातियों का ही औषधीय प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही वानस्पतिक विविधता के एक छोटे से अंश से ही हमारी खाद्यान्न की आपूर्ति हो रही है। लगभग 1700 ऐसी वनस्पतिया है जिन्हे खाद्यान के रूप में उगाया जा सकता है। इनम से मात्र 30 से 40 वनस्पति फसलों से पूरे विश्व को भोजन उपलब्ध हो रहा है। पृथ्वी पर मनुष्य की खाद्य आवश्यकताओं की लगभग 50 प्रतिशत पूर्ति केवल तीन प्रजातियों गेंहू, चावल व मक्का से होती है, जबकि पृथ्वी पर 30,000 वनस्पति प्रजातियाँ खाने योग्य है।

हमारी धरती पर जीव जन्तु एंव वनस्पतिया सर्वत्र पायी जाती है इन्हे रंग रूप आकार-प्रकार एंव गुण धर्म के आधार पर अनेक वर्गो में विभाजित किया गया है। यदि सम्पूर्ण पृथ्वी को एक इकाई माना जाये तो इस पर मौजूद सभी जीव जन्तुओ और वनस्पतियों की विविधता ही जैव विविधता है।जैव विविधता एक समूहवाची शब्द है इसके अंतर्गतअनुवांषिक विविधता, प्रजातीय विविधता, एंव पारितंत्रीय विविधता प्रमुख है।इसमें न केवल वेप्रजातियां शामिल है जिन्हें हम दुर्लभ संकटग्रस्त या लुप्तप्राय मानते हैं, बल्कि हर जीवित वस्तु तथा तत्व भी शामिल है। पृथ्वी के सभी प्रकार के प्राणी, पशु और सूक्ष्म-जीव जंतु समाहित हैं। वस्तुत: इसमें प्रजातियों के अंदर, प्रजातियों के बीच तथा पारितंत्र की विविधता सम्मिलित हैं।

जैव विविधता मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है-

आनुवांषिक विविधता (Genetic Diversity) – अनुवांशिक विविधता के अंतर्गत जीवगत जातियों के जीनों का वर्णन होता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के पौधों और जीवो के जीन भंडारों का अध्ययन किया जाता है।किसी प्रजाति का निर्माण जिन मूल तत्व से हुआ है यदि उनमें कोई परिवर्तन होता है तो निश्चय ही प्रजातियों में भी वही परिवर्तन दिखाई देने लगता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार इन जींस के परिवर्तन को आनुवांशिक विविधता का नाम दिया गया है।

प्रजातिय विविधता (Species Diversity)-सामान्यत: किसी क्षेत्र विशेष में मिलने वाली अधिकाधिक प्रजातियों को प्रजाति विविधता के अंतर्गत माना गया है। यह प्रजातियां सामान्यत:एकही प्रकार की स्थिति में रह सकने वाली, परस्पर प्रजनन कर संख्या में वृद्धि करने वाली तथा मिलकर

पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक होती है। इनकी विवेचना और कार्यप्रणाली विशेषता इन बातों पर निर्भर करती है कि इनकी आवासीय स्थिति और पारिस्थितिकी तंत्र को अनावश्यक छेड़ा जाए। जैविक विविधता में प्रजाति विविधता की विशिष्ट भूमिका होती है। जीवो के वर्गीकरण की लघुतम इकाई जिसके सदस्यों में सर्वाधिक समानता पाई जाती हैं, और वे परस्पर संतानोत्पत्ति करने में समर्थ होते हैं। दीर्घकालीन पृथकतत्व के कारण एक ही जाति के विभिन्न वर्गों में उल्लेखनीय स्थानीय भिन्नताएंभी मिलती है। प्राय: मुख्य जीवोया पौधों के नाम पर जातियों का नामकरण कर दिया जाता हैं।

पारिस्थितिकी विविधता(Ecosystem Diversity)– पर्यावरण के समस्त जीवित व अजीवित कारकों की पारस्परिक अंतर क्रिया तथा उनके समाकलन से उत्पन्न तंत्र से पारिस्थितिकी तंत्र चलता है जिसमें जैविक और अजैविक सँघटक सम्मिलित होते हैं।यह विविधता मूल रूप से नहीं बल्कि आवश्यक रूप से प्रजातिय विविधता पर आधारित होती हैं जिसमें आवास की प्रचुरता, जैविक भागीदारी और पारिस्थितिकी गतिविधियां प्रमुख रूप से सम्मिलित होती हैं अलग-अलग स्थान विशेष की जैविक विविधता अलग-अलग तथा स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित होती हैं। जहां वृद्धि हेतु कुछ विशेष कारण होते हैं वहीं इनके नष्ट होने अथवा कम होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं।

राजस्थान में वन्य जीवों के सम्मान व संरक्षण की समृद्ध धार्मिक-सामाजिक मान्यताए – जैव विविधता का संरक्षण और उसका निरंतर उपयोग करना भारत के लोकाचार का एक अंतरंग हिस्सा हैं। अभूतपूर्व भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं ने मिलकर जीव जंतुओ की इस अद्भुत विविधता में योगदान दिया है जिसमें हर स्तर पर अपार जैविक विविधता देखने को मिलती है।दुनिया में सभी प्राचीन सभ्यताओं की बुनियाद में मनुष्य का प्रकृति के प्रति प्रेम और आदर का रिश्ता रहा है। इसी से पेड़, पर्वत, पहाड और नदी आदि की पूजा का प्रचलन प्रारम्भ हुआ।

सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ों और हडप्पा की खुदाई से मिले अवशषों (साक्ष्य) से पता चलता है कि उस समय समाज में मूर्ति पूजा के साथ ही पेड़-पौधों एंव जीव जन्तुओं की पूजा की परम्परा विद्यमान थी। भारतीय साहित्य, चित्रकला और वास्तुकला में वृक्ष पूजा पशु पक्षियों की पूजा के अनेक प्रसंग मिलते है। अजंता के गुफाचित्रों और सांची की आकृतियों में वृक्ष पूजा के दृष्य है। हमारे सबसे प्राचीन ग्रन्थों और वेदों में प्रकृति की परमात्मा (ईश्वर) स्वरूपमें स्तुति वर्णित है। इसके साथ ही रामायण, महाभारत और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रन्थों मे भी वृक्ष पूजा और प्रकृति पूजा की विविध विधियों का विस्तार से वर्णन मिलता है।

राजस्थान में प्राचीन काल से ही जैव-विविधता के संरक्षण और उसके उपयोग की विधिवत समृद्ध संस्कृति रही है– वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के अनगिनत उदाहरण देखने को मिलते है। थार क्षेत्र में बिरनोई समाज ने खेजड़ली गांव में प्रकृति संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी तरह दशनोंक में करणीमाता के मंदिर में चूहों को अभयदान देकर मारवाड़ ने जीव संरक्षण का संदेश विश्व को दिया है। ऐसा ही संरक्षण का एक सराहनीय उदाहरण मेवाड़ क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे बांसी में विद्यमान हैं, जहां तत्कालीन स्थानीय शासक श्री हरीसिंह ने जलीय जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने हेतु एक आदर्श शिलालेख के रूप में स्थाई रूप से तालाब के किनारे लगवाया ताकि आमजन व शासक वर्ग आदेश को पढ़कर संरक्षण में भागीदार बने। आधी शताब्दी से भी पहले लगाया गया, यह शिलालेख तत्कालीन शासक वर्ग के वन्य प्राणी संरक्षण के प्रयासों का एक अमिट दस्तावेज है।

राजस्थान में कोबरा सांप को बचाया व पूजा जाता है। खाकल देव व तेजाजी के मंदिरों में सांपों की मूर्तिया रखी जाती हैं। लंगूर-बंदरों को भगवान का रूप मानकर भोजन व पूरा मान-सम्मान दिया जाता है। बिल्ली तथा सारस पक्षी को मारना पाप समझा जाता है। दशहरा के दिन नीलकंठ के दर्शन करना पवित्र माना जाता हैं। आदिवासी समाज में भी भुंजगा (Black Drongo), गणेला (Tree Pie) आदि का धार्मिक महत्व हैतथा मादा डुचकी (Female Indian Robin) को पवित्र पक्षी मानते है। चीटियों को आटा डालना, मोर व कबूतरों को चुग्गा ड़ालना व श्राद्ध पर कौओं को भोजन देने की परम्परा राज्य में हर कहीं है। आदिवासी लोग खागल (Flying Fox) को पूज्य मानते है क्योंकि ये रात्रीचर प्राणी महुआ के बीजों पर ढ़के फलावरण को खाकर साफ बीज वृक्ष के नीचे डाल देते है। सुबह इन बीजों को आदिवासी संग्रह कर लेते है। इससे लोगों को बीजों की सफाई के श्रम से निजात मिल जाती है। इसी तरह उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में मामेर क्षेत्र में मोरो का बहुत सम्मान किया जाता है। यहां के स्थानीय निवासी अपने किसी प्रियजन के मरने पर उसकी याद में एक छोटा सा मंदिर बनाते है, जिसे 'देहरी' कहा जाता हैं। इस देहरी पर बाघ, मुर्गा सहित अनेक प्राणियों का चित्रांकन किया जाता है। अन्य प्राणियों के चित्र छूट सकते है, परन्तु मोर का चित्रांकन अवश्य ही किया जाता है। राज्य भर में दिवाली के त्योहार पर नर मोर की पूंछ के पंखों से अलंकारी गहने बना कर गौधन व दूसरे पशुओं के सींगों व गले में बांधने का रिवाज है। पंखों के गहने सौभाग्यकारी व पशुओं को रोग रहित बनाये रखने में उपयोगी माने जाते है।वर्षा ऋतु में लाल रंग का मखमली कीटनुमा प्राणी वीरबहुरी या इन्द्रगोप निकल आता है, तो उसे खुशियों के आगमन का संकेत माना जाता है। पूर्वी राजस्थान में इस कीटनुमा जीव को 'तीज' के नाम से जाना जाता है एवं इसे तीज त्योहार का प्रतीक माना जाता है।

ओरन/देवबनी – ओरन जैव-आनुवांशिक विविधता से समृद्ध है और वन्य जीवों के लिए एक आश्रय स्थल है। ओरन संस्कृत शब्द अरण्य से बना है जिसका अर्थ जंगल होता है। यह स्थानीय देवताओं या संतों के नाम पर संरक्षित जंगल से छोटे से भाग होते है। मंदिर अथवा लोक देवताओं के स्थान के चारों ओर उगे वृक्षों, वन क्षेत्रों तथा वनस्पतियों को धार्मिक मान्यताओं के कारण पीढी-दर पीढी संरक्षण प्रदान किया जाता है, इन्हें देववन, देवबनी (प्रतिबंध वन, भगवान का जंगल) ओरन बजी, खो आदि नाम से संबोधित किया जाता है। ओरन मनुष्य और जानवरों के लिए छाया, ईधन की लकडी, चारा यहां तक की भोजन, औषधि और आजीविका भी प्रदान करते है। ये स्थानीय समुदायों द्वारा एक जटिल प्रबंधन प्रणाली में नियंत्रित होते है। राजस्थान में लगभग 6,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 25,000 ओरन है, इनमें से 5,370 वर्ग किलोमीटर ओरन थार रेगिस्तान में है। राज्य के लगभग 7.5 मिलियन पशुचारक और 54.5 मिलियन पशुधन ओरन पर निर्भर है।

केसर छांटा – राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में केसर छिडककरवन क्षेत्रों के संरक्षण की परम्परा है। केसर रंग का छिडकाव करने के पश्चात्, हरे वृक्षों टहनियों आदि काटने पर स्वयंमेव ही सामाजिक प्रतिबंध लग जाता है। इस परम्परा के अन्तर्गत ओरन को एक समारोह द्वारा चिन्हित किया जाता

है, जिसमें गंगा जल या केसर का दूध जंगल के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र के आस-पास डाला जाता है, जिसे बाद में ओरन या देव-बनी (भगवान का जंगल) घोषित किया जाता है। इस समारोह को दूध जल या केसर छांटा कहा जाता है। इस तरह संरक्षित वन क्षेत्र को देववन, ओरन, बनी आदि नाम से संबोधित किया जाता है।

पवित्र वृक्षों की सुरक्षा – राजस्थान की लोक संस्कृति में मनुष्य और वृक्षों का गहरा संबंध है। ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्ष पूजा से अभी भी बहुत से स्तरों पर लोग जुडें हुए है। गांवों में 'वृक्ष में राम रो बासों' (वृक्ष में राम का निवास की मान्यता है) पेडों से लोगों के गहरे जुडांव का परिचायक है। राज्य में कई वृक्षों में देवी – देवताओं का वास मानते हुए उनकी पूजा की जाती है। इससे इन वृक्षों की सुरक्षा होती है, पीपल, बरगद, खेजडी, आवला, आदि प्रमुख है। लोक जीवन में पीपल के पेड में परमेश्वर का वास माना जाता है, वृक्षों में भी 'नीम में नारायण' का रूप देखते है। गांव-गांव 'गोगा खेजडी' की पूजा का विधान है। इसके साथ ही दूसरे लोक देवी-देवताओं के नाम से भी वृक्षों के पूजन का विधान है। गांव-गांव माताजी, भैरूजी, भोमियाजी आदि देवी-देवताओं के नाम से ओरन भूमि आरक्षित रख कर वृक्ष संरक्षण की समृद्ध परम्परा रही है। राजस्थान की लोक संस्कृति में वृक्ष पूजन परम्पराओं से जुडा है। उसके तमाम सुख, समृद्धि और जीवन से जुडी उम्मीदें वृक्षों से ही है। इसलिए कथाओं धार्मिक मान्यताओं, लोक कथा, कहानियों और लोकोक्तियों में वृक्ष के महत्व को ही व्यजित किया गया है।

विश्नोई समाज की भूमिका – आज भी विश्नोई संप्रदाय के लोग अपने गुरू जम्भोजी द्वारा 500 वर्ष पहले दी गई सीख की पालना करते हुए मरूस्थल में निवास करने के साथ हरे वृक्षों, वन्य जीव-जन्तुओं के संरक्षण के तौर-तरीकों एवं नियमों का पालन करते हुए प्राकृतिक आवासों का संरक्षण कर रहे है।

वीर प्रसूता राजस्थान की धरा न केवल दश पर मरने वाले जांबाज पैदा किए हैं अपितु वृक्षों के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले स्त्री-पुरूष भी इसी मरूधरा के पुत्र-पुत्री है। वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की अनोखी घटनाएं सम्पूर्ण विश्व में संभंवत: राजस्थान में ही हुई है। विश्नोई समाज ने वृक्षों को बचाने के लिए प्राण देने के **अद्वितीय उदाहरण** प्रस्तुत किए हैं। इस परंपरा को खडाना (साका) कहा जाता है। इस प्रकार का **पहला साका** सम्वत् 1661 में जोधपुर जिले के रामासडी गांव में हुआ था। जहां दो विश्नोई स्त्रियों, कर्मा एवं गौरा ने खेजड़ी वृक्ष बचाने के लिए गांव की चौहट्टे पर स्वेच्छा से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। **दूसरा साका** नागौर जिले में हुआ जब मेड़ता परगने के पोलावास ग्राम में सम्वत् 1700 के चैत्र बदी तीज को राजोद ग्राम के ठाकुरों द्वारा होली जलाने के लिए वृक्ष काटने के विरोधा में बधेजी ने तलवार से अपनी गर्दन कटवा दी।

तीसरा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण साका जोधपुर जिले के खेजड़ली ग्राम में हुआ। यहां भाद्रपद शुक्ल दशमी सम्वत् 1787 को जोधापुर रियासत के कारिन्दों द्वारा खेजड़ी के वृक्षों को कटने से बचाने के लिए सर्वप्रथम एक नारी अमृता देवी ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हीं का अनुसरण करते हुए उनकी तीनों पुत्रियों व उनके पति ने भी अपनी जान दे दी। इसके पश्चात् भी जब जोधपुर रियासत के अधिकारियों की वृक्ष काटे जाने की जिद जारी रही तो ग्रामवासियों ने भी अमृता देवी व उसके परिवार का अनुसरण करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। कुल मिलाकर गांव के 363 व्यक्तियों ने वृक्ष बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया।

वृक्षों की रक्षा के लिए आत्म बलिदान की एक और घटना जोधपुर जिले की तिलासनी में गांव में घटित हुई। किरपों भाटी द्वारा वृक्षों को काटने के विरोध में खींवजी, मोटो व नेतू नैण ने अपने प्राण त्यागे।उल्लेखनीय है कि विश्नोई समाज के प्रवर्तक जंभोजी ने विश्नोई समाज के 29 नियमों में वृक्ष एवं वन्य जीव संरक्षण को शामिल किया है। विश्नोई समाज ने अपने गुरु जंभेश्वर जी के इन वचनों को चरितार्थ किया है कि :-

'जीव दया पालणी, रूंख लीला नहीं घावै।'
'करे रूंख प्रतिमाल, खेजडा रखत रखावै।'

राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण की मुख्य समस्याएं :

राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के सामने अनेक समस्याएं हैं –

1. **अधिवासों की क्षति –** विगत् वर्षो में बढती जनसंख्या तथा नगरीकरण के कारण जैव विविधता क्षेत्रों को बहुत क्षति पहुचीं है एवं उन सामाजिक मान्यताओं को भी आघात पहुंचा है जिनसे अभी तक यह संरक्षित थें। विकास परियोजनाओं यथा रेल, सडक, राजमार्ग व आवासीय बस्तियों आदि ने भी बहुत नुकसान पहुचाया है। बीकानेर – जैसलमेर में बालुरेत में बढती खेती ने चारागाहों को हटा दिया है।

2. **अतिक्रमण –**आबादी एवं कृषि विस्तार हेतु बढती भूमि की मांग ने वन क्षेत्रों में अतिक्रमण को बढावा दिया है और सरकारों के नियमितकरण ने समस्या को और विकराल बना दिया है। यदि इसे रोका नहीं गया तो वनों , अभयारण्यों तथा जैव विविधता क्षेत्रों का कुशल प्रबंधन करना अत्यन्त कठिन हो जाएगा।

3. **अवैध शिकार –**अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय बाजारों में वन्य प्राणी उत्पादों की बढती मांग ने जीवों के अवैध शिकार को बढावा दिया है। शिकार के कारण हुबारा तथा गोडावन जैसे पक्षी थार मरूस्थल से लुप्त हो गये हैं तथा बाघो की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।

4. **खनन गतिविधियां –**राजस्थान खनिज संपदा से सम्पन्न हैं और अधिकांश खनिज वन क्षेत्रों में ही पाये जाते है। बढती खनन गतिविधियों ने न केवल हरियाली , वृक्षों तथा वन संपदा का विनाश किया है बल्कि प्राकृतिक आवासों को भी क्षति पहुंचाई है। खनन अपशिष्टों को वन तथा सार्वजनिक भूमि पर फेंकने से पर्यावरण को भी गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही है।

5. **पशु चराई –**राज्य में पशु एवं मानव संख्या अनुपात लगभग 1:1 है। लोग अपने पशुओं को वनों तथा संरक्षित क्षेत्रों में चराई हेतु ले जाते है। एक ओर वर्ष के अभाव, जलवायु परिवर्तन तथा अकाल की स्थितियों के कारण घास, झाडियां तथा वनस्पतियों का उद्भव पूरा नहीं हो पाता है तो दूसरी ओर मृदा तथा वन्य जीवन पर दुष्प्रभाव पडता है। कई बार वनकर्मियों तथा ग्रामीणों के मध्य संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती है।

6. **वनाग्नि –**राज्य के अधिकांश वन शुष्क पतझडी होने के कारण घास – पतियों में जल्दी आग लग जाती हैं। ग्रामीणों, मवशी पालकों तथा आदिवासियों के लघु वन उपज संग्रहण गतिविधियों के समय जलती बीडी/सिगरेट जंगल में छोड़ देने से ऐसी घटनाएं होती रहती है।

7. **अन्य प्रजातियों का प्रभाव –**अन्य पादप प्रजातियों के अतिक्रमण से भी स्थानीय वनों की विविधता, प्रजातिगत समुदायों तथा पारिस्थिति की तंत्रों के ढाचें में विघ्न उत्पन्न होता है। जैसे थार मरूस्थल में जूली फ्लोरा, लेन्टाना, चूहों, पक्षियों तथा नील गायों का वर्चस्व बढ़ गया है।

8. **भूमि समतलीकरण एवं क्षारीयता –**खेती तथा आवासीय उद्देश्यों से भूमि का समतलीकरण भी एक बडी समस्या है जिसमें स्थानीय प्रजातियों

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

एवं ईको सिस्टम में असंतुलन उत्पन्न होता है। विकास कार्यो जैसे सडक, रेलवे व अन्य ढाचांगत निर्माण भी वन्य जीवों का कोरीडोर समाप्त कर देते हैं। भूमि की लवणता क्षारीयता में प्रतिदिन हो रही बढोतरी भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है।

9. परम्परागत ज्ञान में कमी –आधुनिक विकास की होड में तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की बढती प्रवृति ने वनों, वन्य जीवों तथा पर्यावरण संरक्षण के परम्परागत तरीकों, विश्वासों तथा लोक मान्यताओं से आमजन को दूर कर दिया है। फलत: नव पीढी धार्मिक संरक्षित वृक्षों – कुंजों का उतना सम्मान नहीं करती है, जितना आदिकाल से चला आ रहा है।

भावी रणनीति – पृथ्वी पर लगभग 18 लाख जीव प्रजातियों की पहचान की गई है, जो धरती की जैव विविधता को समृद्ध बनाती है। वर्तमान में इनमें से कई प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है,जो चिन्ता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार अगली सदी के दौरान प्रजाति विलोप का सबसे बड़ा अकेला कारण कंटिबंधीय वनों का विनाश होगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी भी एक प्रजाति का अतिदोहन भी अन्य प्रजातियों के विलुपत्ता का कारण बन सकता है।इसलिए प्रकृति के इस नाजुक संतुलन के साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए वरना प्रकृति खुद उसी पर पलटवार कर पर्यावरणीय संकट उपस्थित कर सकती है।

विश्व में आज लगभग 4,000 जन्तु प्रजातियाँ तथा 60,000 वनस्पति प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है। आज पृथ्वी पर अनेक प्रत्येक 8 में से एक चिडीया प्रत्येक 4 में सें एक स्तन पायी, प्रत्येक 4 में सें एक कोणाधारी वृक्ष, प्रत्येक 3 में सें एक उभय चर, प्रत्येक 7 में सें 6 कछुए, प्रत्येक 4 में सें 3 मछली प्रजातियाँ विलुप्त होने का खतरा झेल रही है।भारत से वर्ष 1900 से जेरडॉन कॉर्सर पक्षी, 1935 से गुलाबी सिर वाली बतख तथा वर्ष 1946 सेचीता पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके है। वर्तमान में जैव प्रजातियों की विलुप्तता प्राकृतिक दर से हजार गुणा अधिक है।

जैवविविधता का समस्त भूमडल पर हो रहे क्षरण को रोकने हेतू अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जैवविविधता संरक्षण एंव संवर्धन हेतू सामूहिक प्रयास किये गये जिसके फलस्वरूप वर्ष 1994 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संधि का सदस्य बनने के बाद भारत सरकार द्वारा विद्यमान संरचना को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाये गयें है। इस दिशा में कानून एंव न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संसद के अनुमोदन एंव महा महिम राष्ट्रपति की सहमति से दिनांक 5 फरवरी, 2003 को स्थापित किया गया जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्या 18) एक महत्वपूर्ण कदम है। उक्त अधिनियम में जैव संसाधनों एवं उनकी विविधता के संरक्षण, उनके अवयवों के सतत् उपयोग तथा इन संसाधनों, इनकें ज्ञान व सम्बन्ध विषयों के व्यावसायिक उपयोग से होने वाले लाभों के उचित एंव साम्यपूर्ण रीति से हित धारकों में बंटवारे की व्यवस्था की गई है। वन्य प्राणियों के लिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, जहां मानवीय हस्तक्षेप कम हो अथवा हटाया जाये, की धारणा दो कारणों से संसाधनको ताले में बंद करके रखना नहीं माना जाना चाहिए। **प्रथम,** बहुत कम प्रतिशत में वन क्षेत्र ऐसे है जिन्हें पुर्ण संरक्षित किया जाना जरूरी है और **दूसरा**, केवल इस तरीके से ही वन्य गुण संपदा को सुरक्षित किया जा सकता है। यदि अभी हम इनको सुरक्षित नहीं कर पाते है तो ये भावी आर्थिक संसाधन हमेशा के लिए समाप्त हो जायेंगे। अत: राज्य में जैव विविधता संरक्षण की निम्न उल्लेखित रणनीति अपनानी होगी।

1. राज्य में कम से कम 5 प्रतिशत भू–क्षेत्र संरक्षण हेतु आरक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें 3 प्रतिशत वन भूमि तथा 2 प्रतिशत बाह्य वन अधिवास शामिल हो।
2. राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के, वन क्षेत्र को 9 प्रतिशत तथा बाहरी वन्य क्षेत्र को 20 प्रतिशत मानते हुए हम संरक्षित क्षेत्रों को वन क्षेत्र का 33 प्रतिशत तथा गैर वन अधिवासों का 10 प्रतिशत का लक्ष्य बना सकते है।
3. इन समस्त वन्य संपदाओं को ताला बंद नहीं किया जाना चाहिए। इनमें राष्ट्रीय उद्यानों के कोर क्षेत्र में से लगभग 16.5 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र तथा 5 प्रतिशत गैर वन क्षेत्र को काम में लिया जाना चाहिए। शेष संपदा, जहां संसाधनों का उपयोग, वन्य जीव संरक्षण के उदेष्यों के साथ स्वीकार्य हो, का अभयारण्य के रूप में प्रबंधन किया जाना चाहिए।
4. मरू क्षेत्र में बायोस्फेयर रिवर्स के सिद्धांत अपनाये जाने चाहिए जिससे स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिना रूकावट के वन्य प्राणी संरक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा सके।
5. सुचारू विकास एवं जन सहभागिता हेतु ग्राम्य स्तर पर सूक्ष्म नियोजन किया जाना चाहिए।
6. तकनीकी नवाचारों को बढावा देने हेतु विशिष्ट अधिवास आधारित अनुसंधान किया जाना चाहिए।
7. प्रसार–प्रसार, प्रशिक्षण हेतु अधिकाधिक स्वंय सेवी संस्थाओं की सहभागिता ली जानी चाहिए।
8. स्थानीय और आदिवासी समुदाय अपने जीवन के तरीकों के माध्यम से वन क्षेत्रों की रक्षा करते है और उनकी पांरपंरिक प्रथाएं और ज्ञान उत्कृष्ट है। अत: शासन एवं प्रशासन को स्थानीय समुदाय की वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण से जुडी सामाजिक – धार्मिक भावनाओं को प्रश्रय दिया जाना चाहिए।
9. सरकार द्वारा कई संरक्षित क्षेत्रों में कोर और बफर क्षेत्रों को पर्यटन के लिए खोल दिया गया है, जो स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों दोनों के लिए समस्या पैदा कर रहा है। जैसे गैर–लकडी वन उत्पादों, स्थानीय संस्कृति और पशुपालन पर आधारित आजीविका गायब हो रही है। इसका तत्काल समाधान करना चाहिए। जिससे आमजन व प्रशासन में बढ़ते टकराव को रोका जा सकें।
10. संरक्षण हेतु विकसित क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण एवं सतत् मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
11. प्रोजेक्ट टाईगर की तर्ज पर ही संकटग्रस्त जीवों एवं पादपों हेतु परियोजनाऐं बनाई जानी चाहिए। जैसे कि – प्रोजेक्ट गोडावन , प्रोजेक्ट भेडिया , प्रोजेक्ट सागवान , प्रोजेक्ट धौक।
12. जैव विविधता के संरक्षण के लिए ग्राम/पंचायत स्तर की रणनीति और कार्य योजना विकसित की जा सकती है।
13. समुदायों की आजीविका की जरूरतों और प्रथागत अधिकारों की उचित मान्यता के साथ संरक्षण को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. गायत्री प्रसाद, डॉ. राजेश नौटियाल 'पर्यावरण भूगोल' शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
2. डॉ. सतीष कुमार शर्मा 'वन्य जीव प्रबंधन' आर्य पब्लिकेशन, उदयपुर।

3. डॉ. रतन जोशी 'जैव भूगोल एवं जैव विविधता' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
4. प्रमोद कुमार,देवेन्द्र कुमार 'जैव विविधता एवं संरक्षण' राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमिक, जयपुर।
5. राजस्थान सुजस पर्यावरण विशेशांक, जून, 2022
6. सुनील कुमार शर्मा 'जैव विविधता के संरक्षण में धार्मिक मान्यताएं'।
7. डॉ. सूरज जिद्दी 'जैव विविधता एक चिंतन'।
8. जैव विविधता प्रबंध समितियों के गठन एवं संचालन हेतु दिशा निर्देश, राजस्थान राज्य जैव विविधता बॉर्ड जयपुर द्वारा प्रकाशित।
9. जैव विविधता अधिनियम 2002, राजस्थान जैव विविधता नियम 2010, राजस्थान राज्य जैव विविधता बॉर्ड जयपुर द्वारा प्रकाशित।
10. 'राजस्थान के प्रमुख संकटग्रस्त वन्य जीव' राजस्थान राज्य जैव विविधता बॉर्ड जयपुर द्वारा प्रकाशित।
11. वानिकी समाचार, राजस्थान वन विभाग, जयपुर द्वारा प्रकाशित।
12. Rajasthan State Biodiversity Board : Government of Rajasthan.
13. www.discoveredindia.com
14. www.forest.rajasthan.gov.in
15. www.environment.rajasthan.gov.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

A Comparative Study of Kinesthetic Perception of Male and Female Basketball Players

Pravita Khatri*

*Asst. Prof., J.A.V. Girls Degree College, Baraut (Baghpat) (U.P.) INDIA

Abstract - The aim of the study was to compare the Kinesthetic perception of male and female Basketball players. Twenty males and twenty female Basketball players were selected as a subject. Age of the subjects ranged from 18 to 24 years. The subject of the study was residing in the institute campus, they had a similar routine work, diet, rest, sleep etc. All of them were participating in the regular activity classes in accordance with the requirement of the Institute curriculum. All subjects had basketball as their match practice or advanced course. The scores of the subjects on the kinesthetic obstacle test were used as the criterion measure for the study. In order to analyse, the data, the t-ratio was used to compare the means of different groups. The level of significance was set at .05. On the basis of analysis of date, the conclusion was drawn that there is no significant difference between male and female Basketball players in their kinesthetic perception.

Introduction - To be good sportsman one has to develop various qualities within himself. A sportsman should have good kinesthetic perception ability, stability, speed, strength; suppleness; endurance and skill (personal skill; rhythm; handling object etc.).

For a sportsman it is extremely important to have information about what the muscles are doing and their position during a movement. It is also successfully argued that this muscle sense called kinesthetic, is equally necessary for the successful execution of well learned skills kinesthesia is a keenly developed sense required of beginners and experts alike for proficiency in many motor skills.

With the development of sensitive electronics apparatus in the 1940's and 1950's it has become possible to delineate rather, exactly just what kind of receptors seem to result in various kinds of kinesthetic adjustment to tasks. At the behavioural level, some of the best studies were carried out before the turn of the century. Sadly, the majority of the work since that tiem has often consisted of one attempt efforts, without the benefit of solid theoretical bases. Indeed it could be said that measurement of kinesthesia has probably provided almost as many physical educators with advanced degrees as have studies of strength and fitness.

Research has shown that the propioceptors provide feedback that aids future performances of a similar nature. Also, it has been argued that in order to develop skill, the child must "get the feel" of what he is like to execute the skill correctly. Kinesthetic sense is important in virtually every skill. An example of kinesthesis is the ability of a Basketball player continually to make spikes or to adjust after having missed one.

To perform competently in Basketball an individual must have good kinesthetic sense, or body awareness. An individual must be able to control the position of the body, and to know where each body part is at all times. Kinesthetic awareness enables the child to jump, to turn quickly or slowly, to change directions suddenly, and to perform any other movement necessary for the smooth execution of a skill. The integration of all four aspects of perception is required for complete perceptual development – development that is necessary for participation in any Basketball skill, whether it is cognitive (mental) or psycho motor (physical). Coach should be aware that perceptual development is continuous, perception is an essential part of performance at all levels of skills. Adequate perceptual development allows athlete to use his or her physical abilities at the optional level for the highest possible level of performance.

It is commonly seen that adults develop certain amount of awkwardness in their movements, which certainly affects their participation in various games and sport activities. Keeping this in view the research scholar will make an attempt to compare how far the both sex groups differ in kinesthetic perception, which is an essential element to perform any skill effectively.

Procedure : Each subject was allowed on practice trial of walking through the course without being blindfolded. Then the subject walked through in course blindfolded for the

test.

1. The subject scored 10 points for each station he successfully cleared, without touching the obstacles. There were 10 stations for a maximum score of 100 points.
2. There was a 10 points penalty for touching any part of the body against an object. After such penalty the subject was directed to the centre fine and one step ahead of the particular station.
3. There was a 5 points penalty for each occurrence of getting outside the marked area. Upon such occurrences the subject was directed back into the centre of the line at the nearest point form which he went astray.
4. The final scores were recorded to represent the kinesthetic perception of the subjects.

In order to analyze, the data, the t-ratio was used to compare the means of different groups. The level of significance was set at .05.

Statistical Analysis of Date and Results of the Study : The statistical analysis of data collected on forty subjects were analysed by applying 't' ratio to find out the significant difference if any between the means of the score of male and female Basketball players on the bais of kinesthetic perception test, Results are presented in Table.

Significance of Difference between the means of Selected Group

Group	N	Mean	Mean Difference	t-ratio
A	20	52.25	2	0.42*
B	20	50.25		

- Not significant at .05 level of confidence

Tabulate $t_{.05}(38) = 2.02$

Group A – Female Basketball Players.

Group B – Male Basketball Players.

Analysis of data presented in Table 2 indicates in Table 2 indicates that the calculated 't' ratio of t=0.42 of the means of Group-A which was 52.25 and 50.25 of Group-B on the basis of score of kinesthetic perception ability test was found in significant at .05 level of confidence as the calculated 't' value i.e., 0.42 which as less than tabulated 't' value i.e., 2.0 at 38 degree of freedom.

Discussion : It is observed from the findings that there exists no significant difference between the kinesthetic perception of male and female Basketball players. This reasons could be attributed to the fact that the nature of the game Basketball is such that for both sex's court dimension, height of the net size of the ball, the specificity of rule interpretation, trends of tactics, playing system, player dependenced in negative tactic etc. are the same.

Another reasons could be that both the groups were undergoing a similar curriculum and had been adequately trained, no differences were detected.

The other reasons could be that apart from kinesthetic sense the visual and auditory senses play a very significant role in playing the game by both males and females. The result of findings might be due to similar physiological make up of both groups.

The other reasons could be that the subjects were in the age group of 18-24 years. In this group of age all the senses are well developed.

On the basis of the result of the study it is stated that the hypothesis stated earlier that there would not have any difference between the kinesthetic perception ability among male and female Basketball players, is accepted.

Conclusion : With in the limitations of the present study and on the basis of the analysis of data, the following conclusion was drawn.

There is no significant difference between the male and female Basketball players in their kinesthetic perception.

References:-

1. Benson, Carolyn R. "A Factor Analysis of Balance, Kinesthesis, and Motor Pattern for Projecting an object with and without vision. **"Completed Research in Health, Physical Education and Recreation"** 7 (1965) : 112.
2. Bucher, A. Charles. **Foundation of Physical Education and Sports,** 9th ed. London : The C.V. Mosby Co.
3. Chew, Richard A. "Verbal, Visual and Kinesthetic Error Feedback in the Learning of Simple Motor Task. **"Research Quarterly"** 47 May 1976 : 254.
4. Clarke, H. David**. Research Processes in Physical Education,** 2nd ed. New Jersey : Prentice Hall Inc.,
5. Clinger, Andrea Elsa. "A Comparison of Selected Measures of Static and Dynamic Kinesthesis." **Complete Research in Health, Physical Education and Recreation,** 21 (1980): 135.
6. Cratty, Bryant J. **Movement Behaviour and Motor Learning.** 3rd ed. London : Kimpton Publishers, 1975.
7. Dowell, Martha N. "The Serial-Position Curve in Kinesthetic Short-Term Memory." **Completed Research in Health, Physical Educatioin and Recreation,** 4 (1962) : 30.
8. Durentinin, Carol Lauise. "The Relationship of a Purported Measure of Kinesthesis to the Learning of a Simple Motor Skill, The Basketball free throw, projected with and without vision". **Complete Research in Health, Physical Education and Recreation,** 10 (1968) : 51.
9. Fae, Witle, "Relationship of Kinesthetic Perception to a Selected Motor Skill for Elementary School Children." **Research Quarterly**, 35 (October 1962) : 476.
10. Fernald, F. **Introduction to Psychology.** tth ed. Dobuque, Iowa: WCB Publishers, 1965.
11. Griggs, Dean B. "The Effect of Pain on Kinesthetic Peception", **Completed Research in Health, Physical Education and Recreation,** 11 (1169) : 94.
12. Kukushkin, G.I. **The System of Physical Education in USSR.** Moscow : Radugi Publishers, 1983.

13. Lenin, V.L. **Notes on Plekhanov's Second Drat Programme**. Moscow : PMC Publishers, 1974.
14. Llewellyn, H. Jack and Judy, A. Blucker. **Psychology of Coaching; Theory and Application.** Delhi : Surjeet Publications, 1982.
15. Nelson, K. Jack and Barry, L. Johnson. **Practical Measurement for Evaluation in Physical Education.** Delhi : Surjeet Publications.
16. Oxendine, B.Joseph. **Psychology of Motor Learning.** New Jersey: Prentice Hall.
17. Phillips, D. Allen and James E. Hornak. **Measurement and Evaluation in Physical Education.** New York : John Willey and Sons, 1979.
18. Singer, N. Robert, **Motor Learning and Human Performance.** 2nd ed. New York : McMillan Publishing Co., Inc., 1975.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

भारतीय लोक सेवा में भ्रष्टाचार और सूचना का अधिकार

इम्तियाज अहमद*

* असिस्टेण्ट प्रोफेसर, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ(उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – भ्रष्टाचार एक बहुआयामी एवं सर्वव्यापी परिघटना है, जो भ्रष्ट अर्थात बुरे या बिगड़े हुए आचरण अर्थात चरित्र को रूपांतरित करता है, किन्तु अधिकांशत: लोकप्रशासन के विद्धानों तथा समाज वैज्ञानिकों ने प्रशसनिक भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में धन की उपस्थिति व सार्वजनिक पद के दुरूपयोग को अनिवार्य स्थिति माना है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्तिगत लाभ के लिये सार्वजनिक सत्ता का दुरूपयोग करना, जिससे कानून भंग होता हो या समाज के मानदंडों का विचलन होता हो, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार की बहुआयामी धारणा में इसके विविध तरीकों में से कुछ इस प्रकार हैं– अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन न करना, पद में निर्धारित कर्तव्यों का पालन न करना, पद का दुरूपयोग करना, नियमों की अनदेखी करना, अपात्र को प्राथमिकता देना, सरकारी धन का दुरूपयोग करना, सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपने सगे, सम्बन्धियों को अन्य तरीके से लाभ पहुंचाना आदि को शामिल किया जा सकता है। भ्रष्टाचार की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 में भ्रष्टाचार की परिभाषा में उल्लेखित है कि 'जो व्यक्ति शासकीय कर्मचारी होते हुए या होने की आशा में अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिये विधिक पारिश्रमिक के अलावा कोई घूस लेता है या स्वीकार करता है अथवा लेने के लिये तैयार हो जाता है या लेने का प्रयत्न करता है या किसी कार्य को करने या ना करने के लिये उपहार स्वरूप या अपने कार्य करने में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या उपेक्षा या किसी व्यक्ति की कोई सेवा या कुसेवा का प्रयास केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार या संसद या विधान मण्डल या किसी लोक सेवक के संदर्भ में करता है तो उसे तीन वर्ष तक कारावास का दण्ड या अर्थदण्ड अथवा दोनों दिये जा सकेंगे।' भ्रष्टाचार की व्यापक अवधारणा से शोधकर्ता के द्धारा मात्र लोक सेवा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में तथा इसके निवारण हेतु गठित संस्थाओं की भूमिका एवं भ्रष्टाचार निवारण में सूचना अधिकार के बारे में विचार–विमर्श, इनके प्रभावी हेतु सुझाव सुझाया जायेगा, प्रस्तुत शोध–पत्र विवरणात्मक व वर्णनात्मक शोध पद्धति के माध्यम से किया जायेगा।

शब्द कुंजी – पारदर्शिता, भारतीय लोक सेवा, भ्रष्टाचार, सूचना का अधिकार, कानून, कारावास, पारिश्रमिक।

भारत में लोक सेवा में व्याप्त भ्रष्टाचार – भारत में लोक सेवाओं के प्रभावी विस्तार को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है जिसके अन्तर्गत संविधान के अनु0 312 के द्धारा संसद को संघ या राज्य के लिये एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की शक्ति प्राप्त है, का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र भारत में प्रभावी लोक सेवाओं की वर्तमान संरचना ब्रिटिश भारत की विरासत मानी जाती है, लेकिन भारतीय प्रशासन की प्राचीन पुस्तक कौटिल्य द्धारा रचित 'अर्थशास्त्र' में 40 प्रकार के भ्रष्टाचारों का उल्लेख किया गया है।[1] मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक तथा औरंगजेब द्धारा रिश्वत को रोकने के अनेक उपायों का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश काल में भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर था इस दौर में पुलिस, सरकारी अधिकारी, न्यायधीश के अलावा गवर्नर जनरलों पर भी ब्रिटेन वापसी के बाद भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप के आधार पर मुकदमे चलाये गये। प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते है, फलस्वरूप लोक सेवा में भ्रष्टाचार अनवरत बढ़ता चला गया। सम–सामयिक प्रशासनिक वातावरण में लोक सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्पूर्ण प्रक्रिया से सम्बद्ध है अर्थात भर्ती प्रक्रिया से लेकर सेवानिवृत्ति तक, प्रत्येक चरण में भ्रष्टाचार अपनी गहरी जड़ें जमा चुका है, इसलिये इससे मुक्त होना अत्यन्त कठिन कार्य प्रतीत होता है। सरकार के द्धारा लोक सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये सरकार के स्तर पर और साथ ही लोक सेवाओं में से भी यह प्रयास किया जाता है कि प्रशासन मे लोक सेवकों की सचरित्रता प्रकट हो किन्तु दूसरा पहलू यह भी है कि लोक सेवा में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक कारण प्रमुख कारक सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग भी है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता।[2] भ्रष्टाचार के कारणों मे स्वार्थ, भौतिकतावादी प्रवृत्ति, आर्थिक विषमता, भाई–भतीजावाद तथा नैतिक मूल्यों का ह्रास आदि शामिल है। इसके अलावा लाल फीताशाही, सरकार की आर्थिक नीतियाँ, आवश्यक वस्तुओं की कमी, वैश्वीकरण–उदारीकरण के कारण उपभोक्तावादी संस्कृति में वृद्धि, चुनावी खर्चो का निरंतर बढ़ता आकार भ्रष्टाचार में लिप्त संस्थाओं तथा व्यक्तियों के लिये कठोर दण्ड का अभाव व न्याय में देरी इत्यादि को भी प्रमुख कारण माना जा सकता है।[3] भ्रष्टाचार रूपी सर्वव्यापक समस्या की समाप्ति के लिये सरकार के द्धारा समय–समय पर समितियों व आयोगों का गठन करते हुए इनके सुझावों को प्रभावी तरीके से लागू करने का प्रयास भी किया है, किन्तु भ्रष्टाचार का प्रभाव कमोवेश सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। लोक सेवाएं भी इससे मुक्त नहीं है बल्कि भारत में विविध क्षेत्रों में होने वाले घोटालों में राजनीतिक प्रशासन व प्रशासनिक तन्त्र की मिली भगत के आरोप भी लगते रहे हैं। भारत के चर्चित प्रमुख घोटाले जैसे– मारूती घोटाला, चारा घेटाला, बोफोर्स घोटाला, नोट

फार वोट, हवाला घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला, आई0पी0एल0 घोटाला, हेलीकाप्टर खरीदी में घोटाला, व्यापम घोटाला, कोल घोटाला आदि ऐसे घोटाले हैं जिन्होंने शासन-प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास की जड़ों को हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विभिन्न सरकारों के द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये प्रयास किये हैं, जिसके तहत भ्रष्टाचार निरोधक अभिकरणों यथा-केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल तथा जनसूचना आयोग का गठन किया गया है। इनके प्रयासों से भ्रष्टाचार में कमोवेश सुधार भी हुआ है।[4]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग-इस संस्था की स्थापना के. संथानम समिति की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार हेतु फरवरी 1964 को एक संकल्प द्वारा की गई थी। यह एक बहु सदस्यीय सांविधिक निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति (गृह मंत्री/लोकसभा में विपक्ष का नेता) की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होती है। इनका कार्य काल 04 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। अपने कार्यकाल के पश्चात् वे केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी पद के योग्य नहीं होते हैं।[5] इस आयोग ने भ्रष्टाचार को उसकी प्रकृति, क्षेत्र व विषयवस्तु के आधार पर 27 प्रकारों में विभाजित किया है। यह आयोग ऐसी सभी शिकायतों के संबंध में जांच करता है, जिसमें किसी शासकीय अधिकारी पर अनुचित उद्देश्य या भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरो लगा देने मात्र से वह जांच योग्य नहीं हो जाता बल्कि आरोपों के साथ साक्ष्य भी लगा होना चाहिए। इस हेतु सरकारी कार्यालयों से सूचना अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके उपयुक्त सहायक साक्ष्य अथवा आवश्यक सूचना को संलग्न करने से लगे आरोपों को बल मिलता है। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारियों तथा उनके समकक्ष कर्मियों के भ्रष्टाचार मामलों की जांच करना, प्रतिवर्ष राज्य सतर्कता आयुक्तों का वार्षिक अधिवेशन बुलाना आदि इसके प्रमुख कार्य है।[6]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई) केन्द्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेन्सी है, जिसकी स्थापना के. संस्थान समिति की सिफारिश पर 1963 में की गई थी। इसका एक मुख्य ध्येय भ्रष्टाचार की रोकथाम करना है। सी.बी.आई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। वह गृह मंत्रालय के एक संकल्पन द्वारा स्थापित हुई थी, बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वहां एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में रही। बाद में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का भी इसमें विलय कर इसे स्वतंत्र निकाय बना दिया गया।[7] यह संस्था भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों, आर्थिक अपराधों और परम्परागत अपराध के मामलों की जांच का कार्य करती है। यह सामान्य रूप से अपनी गतिविधियों को केन्द्र सरकार और संघशासित प्रदेशों तथा उनके सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, कर्मचारियों के द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी अपराधों तक सीमित रखती है। यह लोकपाल एवं केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की सहायता करती है और इनके लिये एक जांच अभिकरण के रूप में कार्य करता है।[8]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947-भ्रष्टाचार निवारण हेतु स्वतंत्र भारत में लाया गया यह पहला अधिनियम था। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 से 165 तक में भ्रष्ट लोक सेवकों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये भ्रष्टाचार सम्बन्धी परिभाषा एवं इसके विविध तरीकों एवं के वैधानिक उपबन्धों के बारे में बताया गया है।[9] अधिनियम के द्वारा एक नये अपराध 'पद कर्तव्य के निर्वहन में अपराधिक कदाचार' को परिभाषित किया गया है, जिसके लिये न्यूनतम एक वर्ष व अधिकतम सात वर्ष की सजा का प्रावधान था। अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि यदि लोक सेवक ने वैधानिक शुल्क तथा वेतन के अलावा कोई परितोषण ग्रहण किया है तो यह माना जायेगा कि लोक सेवक इस अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार किया है।

अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1952 - यह अधिनियम, 1947 के अधिनियम में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिये अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1952 लाया गया। इसके द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 165 के अधीन उल्लिखित इस अधिनियम के द्वारा 165 में (क) उपधारा अपराधों को दुष्प्रेरित करना भी अपराध बना दिया गया। इसमें यह उपबन्ध किया गया था कि भ्रष्टाचार से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई विशेष न्यायधीशों के द्वारा ही की जायेगी।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं संशोधित अधिनियम 2018- इस अधिनियम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947, अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1952 और आई0पी0सी0 की कुछ धाराओं के संशोधनों को शामिल किया गया है। इस अधिनियम की धारा-2 में लोक सेवक शब्द को विस्तृत रूप से परिभाषित तथा लोक सेवकों के कर्तव्य की नवीन अवधारणा को शमिल किया गया था। इसकी विशेषताओं में से मुख्यत: यह है कि- सभी अपराधों को इस अधिनियम की धारा 3 में रखा जाना, जुर्माने में वृद्धि, न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में शीघ्र सुनवाई जैसे प्रावधान इस अधिनियम में किये गये।[10]

2018 में 30 वर्ष पुराने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 कहलाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि न केवल रिश्वत लेने वाले ही नहीं बल्कि रिश्वत देने वालों को भी भ्रष्टाचार के दायरे में लाने के साथ ही दण्ड का भी प्रावधान किया गया है।[11] इसके साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले अधिकारियों के लिये संरक्षण, लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पूर्व केन्द्र व राज्यों के मामलों में क्रमश: लोकपाल एवं लोकायुक्त से अनुमति लेना, रिश्वत देने वाले को अपना पक्ष रखने के लिये कम से कम 7 दिन तथा अकधिकतम 15 दिन का समय दिया जाना जैसे प्रमुख प्रावधान किये गये।

प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) - प्रवर्तन निदेशालय केन्द्र सरकार के अधीन एक संस्था है जो देश में भ्रष्टाचार निरोधक अभिकरण के रूप कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में इसकी सक्रियता की वजह से चौतरफा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी स्थापना 1956 में की गई जो कि यह एक गैर संविधानिक संस्था है। यह एक ऐसी खुफिया अभिकरण है, जो हमारे देश में वित्ता से सम्बन्धित अपराधों पर अपनी नजर बनाये रखती है और साथ ही मनी लॉड्रिंग से जुड़ें मामलों की जांच करती है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। विगत कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों के संदर्भों में यह अतिसक्रिय हो गया है, परन्तु इससे पूर्व बहुत कम ही आम जन को इसके बारे में पता था। इसकी अति सक्रिया की भी आलोचना की जाती है और इस पर राजनीतिक प्रभाव से कार्य करने का आरोप लगता रहता है, चाहे सरकार किसी भी दल की हो। ऐसे आरोपों से संस्था की शाख को धक्का

लगता है, ऐसे में इसे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक उपकरण के रूप में सूचना का अधिकार– ऐसा कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक एकजुटता की शुरुआत सूचना का अधिकार कानून से हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि शासन व प्रशासन में गोपनीयता की संस्कृति, सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसके परिणामस्वरूप सत्ता के दुरुपयोग और निजी उद्देश्यों के लिए धान के विचलन के कारण निवेश कम होता है।[12] नतीजतन, सरकार के सामाजिक खर्च से कोई सार्थक लाभ नहीं मिलता है, उदाहरण के लिए, शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, डॉक्टर और नर्स स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं जाते हैं, राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न नहीं मिलता है और इस प्रकार जन मानस को आजीविका सहायता से जुड़े अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने हमें पहली बार वैधानिक रूप से सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। परन्तु इससे पहले समय–समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में अभिनिर्धारित किया की– जानने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) ए के तहत आता है। इसका समुचित प्रयोग करके सार्वजनिक कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं और उन कर्तव्यों को भी सामने ला सकते हैं जिनका निर्वहन अधिकारियों द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा, कुछ देशों में सूचना का अधिकार कानून को भ्रष्टाचार विरोधी या राज्य आधुनिकीकरण एजेंडे (उदाहरण के लिए मेक्सिको और चिली) के एक हिस्से के रूप में देखा गया है, दक्षिण एशिया में, विशेष रूप से भारत में। इसके द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान भी खोज सकते हैं। हम सार्वजनिक परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी भी पूछ सकते हैं।[13] हम फाइलों का निरीक्षण कर सकते हैं और किसी भी हेराफेरी की जांच कर सकते हैं। सरकार विकास कार्यों के लिए बड़ी रकम खर्च करती है। हम अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों की जानकारी मांग सकते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम की सहायता से निविदाओं, अनुबंधों, भुगतानों तथा इंजीनियरिंग कार्यों के प्राक्कलन आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सूचना का अधिकार कानून प्रयोग करके भ्रष्टाचार व अनियमितता को उजागर करने वाले कुछ उदाहरण जैसे– सन् 2008 में योगाचार्य आनंदजी और सिमप्रीत सिंह जैसे आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा इस कानून के तहत किये गये आवेदनों ने राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों के बीच मिली भगत के संबंधों को प्रकाश में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 31 मंजिला इमारत, जिसमें केवल छह मंजिल ही बनाने की अनुमति थी, जोकि मूल रूप से युद्ध विधवाओं और दिग्गजों के आवास के लिए थी। इसके बजाय, फ्लैट कई राजनेताओं, नौकरशाहों और उनके रिश्तेदारों के पास चले गए। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की वजह से महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा और राज्य के अन्य अधिकारी भी जांच के दायरे में आए।

सन् 2007 में, असम में स्थित एक भ्रष्टाचार विरोधी गैर–सरकारी संगठन, (कृषक मुक्ति संग्राम समिति) के सदस्यों ने एक आरटीआई आवेदन डाला, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए भोजन के वितरण में अनियमितताओं का खुलासा हुआ, इसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की गई और इस मामलें में कई सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया।[14]

सन् 2008 में पंजाब स्थित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से प्राप्त जानकारी से पता चला कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थानीय शाखाओं के प्रमुख नौकरशाहों ने कारगिल युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के लिए कार खरीदने के लिए पैसे का प्रयोग किया, एयर–कंडीशनर और होटल के बिलों का भुगतान–किया गया। स्थानीय अदालतों ने धोखाधडी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप लगाया और धन को प्रधान मंत्री राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया गया।[15]

वैष्णवी कस्तूरी एक दृष्टिबाधित छात्रा, को 2007 में बैंगलोर में भारतीय प्रबंधन संस्थान में सीट से वंचित कर दिया गया था, जो देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में से एक है – प्रवेश परीक्षा में उसके प्रभावशाली स्कोर के बावजूद भी सुश्री वैष्णवी कस्तूरी को इस संस्थान में प्रवेश नहीं मिल पाया, वह जानना चाहती थीं कि क्या यह उनकी शारीरिक अक्षमता के कारण है। उन्होंने सूचना का अधिकार के माध्यम से संस्थान से उनकी चयन प्रक्रिया का खुलासा करने का अनुरोध किया। उसके आरटीआई आवेदन करने की वजह से आईआईएम को अपने प्रवेश मानदंड को सार्वजनिक करना पड़ा। उक्त कुछ मामलों के माध्यम से कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार कानून ने अधिकारियों, कार्यालयों तथा संगठनों में पार्दर्शिता को बढ़ावा दिया है साथ ही जवाबदेयता को सुनिश्चित करने में भी महति भूमिका अदा की है। हाल के समय में सरकार द्वारा इस कानून में थोड़ा संशोधन किया गया जिससे कानून की स्वतंत्रता तथा प्रभावशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना को बल मिला है तथा कानून की पैनापन भोथरा हो गयी। सूचना का अधिकार कानून के दायरें में राजनीतिक दलों को भी रखना समय की मांग तथा भ्रष्टाचार पर लगान लगाने हेतु आवश्यक भी है।

निष्कर्ष – इसमें कोई संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार, जो समानता, विकास न्याय और सुव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए शासन एवं प्रशासनिक तंत्र की गंभीर विकृति को प्रदर्शित करता है और सामान्यत: गरीबों पर असमान रूप से बोझ डालता है। गरीब व्यक्ति बिना किसी भ्रष्टाचार के भी, राज्य के साथ किसी भी इंटरफेस में, ऊपर उल्लिखित अभिकरणों से, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तिहीनता के कारण ही वंचित रहता हैं। हालाँकि, आम जनमानस तथा समाज का नुकसान तब और बढ़ जाता है जब राज्य की संस्थाएँ भ्रष्टाचार से ग्रसित हो जाती हैं। प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम को एक प्रभावी साधन माना गया है। इस अधिनियम का सही तरीके से प्रयोग करके शासन तथा प्रशासन में गोपनीयता के बजाए खुलापन अर्थात पारदर्शिता को स्थापित किया जा सकता है। अक्सर शासन और प्रशासन में जवाबदेयता से बचने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इस कानून को लागू करके सर्वाजनिक सत्ता पर प्रयोग करने वालों की जवाबदेही और उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किया जा सकता है। आवेदकों और अधिकांश जनता इस अधिनियम के प्रति न ही अधिक जागरूक है और न ही इन लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम को सही तरीके से उपयोग करने के तौर तरीकों का पता है। परिणामस्वरूप सरकारी कार्यक्रम, जनोपयोगी सेवाएं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि सभी जनता तक सही रूप से अभी तक भी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में वंचित समूह सार्वजनिक कल्याणकारी योजानाओं का लाभ अक्सर उसे सरकार द्वारा भ्रष्ट आचरण, अक्षमता और भाई–भतीजावाद के बाद से कुछ बचे तो अंत में लाभ पाते हैं।

अक्सर निर्वाचन के समय पर, हमारी राष्ट्रीय तथा राज्य की राजनीति

में भ्रष्टाचार एक केंद्रीय मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आता है जो आम लोगों को उलझाता और उत्तेजित करता है। ऐसे अवसरों पर, संदर्भ और उत्प्रेरक दोनों अक्सर भिन्न होते हैं मीडिया, न्यायपालिका, राजनीति, सिविल सेवाओं में सक्रियता या, जैसा कि व्यापक सभ्य समाज में अक्सर होता है। आम नागरिक बढ़ते भ्रष्टाचार को असहाय निराशा के साथ देखता है क्योंकि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के नए आयाम हर बार बड़े आकार के साथ प्रकाश में आता है, जो एक बार फिर शासन और प्रशासन करने वालों की दुर्भावना की पुष्टि करता है, सार्वजनिक कल्याण के साथ उनके खतरनाक समझौते, संगठित अपराध और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा को दर किनार कर भ्रष्टाचार पनप रहा है, क्योंकि रक्षा सौदे में दलाली के मामलें इस बात को स्पष्ट कर देते हैं।

अध्ययन से स्पष्ट है कि लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार के प्रमुख अभिकरणों ने शासन की इच्छाशक्ति तक भ्रष्टाचार निवारण में अपनी भूमिका निभाई है। सूचना का अधिकार कानून के आने से इन अभिकरणों की महत्ता और जवादबेही पर दबाव बढ़ा है। आरटीआई अधिनियम ने भारत सरकार राज्य सरकारों तथा संस्थाओं के मामलों में भ्रष्टाचार और गोपनीयता की संस्कृति को कम करते हुए अधिकाधिक शासन सुधार, जवाबदेही और सरकारी मामलों में पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त किया है। देश भर में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ने और अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आरटीआई आवेदनों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम लोगों को रिश्वत को ना कहने में सक्षम बनाता है। इसका इस्तेमाल नीतिगत बदलाव लाने के साथ-साथ भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए किया जाता रहा है। यह एक व्यापक कार्य है जिसके परिणाम कुछ लोगों को यह कहने के लिए प्रेरित करते हैं कि यह स्वतंत्रता के बाद से सबसे महत्वपूर्ण कानून है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. पंराजपे डॉ. एन.वी. 'विधिशास्त्र एवं विधि के सिद्धान्त', सैन्ट्रल लॉ एजेन्सी - 2003 पृ. 47
2. बाबेल डॉ. बसंती लाल,'दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973', सैन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन - 2019पृ. 113
3. प्रसाद अनिरूद्ध,'विधि शास्त्र के मूल सिद्धान्त', ईस्टर्न बुक कम्पनी लखनऊ, तृतीय संस्करण, 2004 पुनःमुद्रण 2007 पृ. 93
4. पाण्डेय डॉ. जय नारायण,'भारत का संविधान', सैन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहबाद 48वां संस्करण 2015 पृ. 89
5. शर्मा एस. डी., 'एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एन्सीएन्ट इण्डिया', हार्मन पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली, 1988 पृ. 97
6. बसु डी.डी.,'भारत का संविधान एक परिचय', 13वां संस्करण, 2020 पृ. 25
7. धमालका, अंजु आर. शुक्ला भट्टाचार्य, 'ह्यूमन राईट्स एण्ड ऐमरजेन्सी', शिल्पा पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1989पृ. 88
8. न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक, 2010 तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 पृ. 77
9. सिंह डॉ. सुरेन्द्र,'सूचना का अधिकार', राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर तृतीय संस्करण, 2019, पृ. 19
10. भारत का विधि आयोग की 195वीं रिपोर्ट पृ. 132
11. बसु रूमकी,'संवैधानिक मूल्य और नैतिक जीवन' सैन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन - 2019 पृ. 123
12. मंगलानी, रूपा,'भारतीय शासन एवं राजनीति', राजस्थान हिन्दी साहित्य अकादमी जयपुर, प्रथम संस्करण, 2005, पृ. 119
13. गुप्ता डी.सी.,'इण्डियन गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स', विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0 लि0, नई दिल्ली, 2007, पृ. 23
14. अहलूवालिया, एम. एस.'1991 के बाद से भारत में आर्थिक सुधार: क्या क्रमिकता ने काम किया?' जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, 16 (3): 2002, पृ. 67-88।
15. बोरा, एस.के.,'सूचना का अधिकार अधिनियम: सुशासन की कुंजी' मानविकी और सामाजिक विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल: वॉल्यूम - 2, अंक- 2, 2013, पृष्ठ.11।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

वैश्वीकरण - श्रम एवं रोजगार पर प्रभाव

डॉ. रिटा बिष्ट *

* डीन (शिक्षा) प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना - 90 के दशक में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत विश्वभर में अपनाएं गए सुधारवादी उपयों की परिणति आज उदारीकरण एवं निजीकरण की सीमा से निकलकर विश्वव्यापीकरण के रूप में परिलक्षित हो रही है। प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजीय एवं बौद्धिक संपदा का निर्बाध आदान-प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थवैज्ञानिकों के अनुसार, वैश्वीकरण मुख्य रूप से चार घटकों के रूप में लागू किया जा सकता है। जैसे, व्यापार अवरोधकों को कम करना, पूंजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह होना, टेक्नोलॉजी का निर्बाध आवागमन होना तथा ऐसा वातावरण कायम करना जिससे विभिन्न देश में श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के नीतिनिर्धारक सिद्धांतो का सर्वानुमति से विश्व के सभी देश पालन करें, इसके लिए सभी देशों के मध्य आपसी सहमति से एक वैश्विक सिद्धांतो का निरूपण किया गया।

भारत सरकार का उद्देश्य नवीन नीतियों उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (L.P.G.) के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़कर आर्थिक विकास को गतिमान करना था। वैश्वीकरण के निर्देशक सिद्धांत एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत रोजगार एवं श्रम का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जा सकें। यह माना जाता है कि आर्थिक विकास के लिए अवरोधक के रूप में श्रम की गतिशीलता में कमी, श्रम प्रतिस्पर्द्धा में कमी तथा श्रमिकों का असमान विस्थापन भी है।

उद्देश्य - शोध पत्र का उद्देश्य भारत में रोजगार एवं श्रम पर वैश्वीकरण के प्रभावों का विश्लेषण करना है। साथ ही वैश्वीकरण की अवधि में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण तथा पुरूष एवं महिला में रोजगार की प्रवृत्ति को स्पष्ट करना है।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध में विषय निरूपण विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। शोध पत्र के उद्देश्य प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से द्वितीयक समंको का सहारा लिया गया है। साथ ही विश्लेषणात्मक विधि के माध्यम से द्वितीयक समंको के आधार पर तथ्यों का सारिणी प्रदर्शन भी किया गया हैं

शोध की परिकल्पना - शोध विषय 'रोजगार एवं श्रम' अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक घटक है जो देश के आर्थिक विकास की दशा एवं दिशा निर्धारित करता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में रोजगार एवं श्रम एक महत्वपूर्ण घटक रहा है जिससे संबंधित प्रमुख परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं -

1. भारत में श्रम बाहुल्य एवं सस्ता है।
2. वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ यह परिकल्पना बनती है कि यहां रोजगार के अवसरों में कमी एवं श्रम का स्वाभाविक रूप से शोषण हुआ है।
3. साथ ही यह भी तथ्य स्पष्ट है कि पुरूषों के रोजगार में नकारात्मक वृद्धि हुई है।

विश्लेषण - विश्वव्यापीकरण का निहितार्थ 'विश्व एक बाजार' के रूप में है। वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों में से रोजगार एवं श्रम पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाना उचित होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र लगभग 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराता है। हमारी मुख्य ताकत सस्ता एवं सुलभ श्रम की बहुलता रही है। गांधी दर्शन से लेकर सभी समाजवादी अर्थशास्त्रियों का यह मानना रहा है कि हमारे श्रमिक पूंजीवादी क्षेत्रों की तुलना में कम कुशल एवं तकनीकी रूप से पिछड़े हैं। ऐसी स्थिति में वैश्वीकरण के माध्यम से विकसित देशों की प्रतिस्पर्द्धा में अपने श्रमिकों की हालत कुछ **'हाथियों के झुंड में एक चूहे का घुसना'** (Integration of a mouse into herd of elephant) जैसी रही है।

वैश्वीकरण के प्रारंभ में यह दावा किया गया था कि इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, भारतीय श्रम की विदेशों में मांग बढ़ेगी, श्रमिकों में प्रतिस्पर्द्धा एवं कुशलता में वृद्धि होगी। अंततः बेरोजगारी एवं गरीबी दोनों में कमी होगी। किन्तु वैश्वीकरण के युग में रोजगार की स्थिति बदत्तर हो गई। रोजगार वृद्धि दर जो 1984-94 के दौरान 2.04 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी गिरकर 1994-2000 के दौरान 0.98 प्रतिशत तथा 2009-10 में यह 0.53 प्रतिशत हो गई।

वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर विश्व आयोग ने उल्लेख किया है कि 'समग्र विश्व के लिए उपलब्ध अनुमानों से पता चलता है कि पिछले दशक के दौरान खुली बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। भारत में इसका मुख्य कारण कृषि रोजगार में वृद्धि दर का नकारात्मक हो जाना था। साथ ही कषि की उपेंक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के बोझ को कम करना था इसके लिए सरकार ने एक तरफ नई भर्तियों पर पाबंदी लगा दी तो दूसरी ओर पूंजी प्रधान कार्य संस्कृति (कम्प्यूटर) को अपनाया गया।'

संगठित क्षेत्र जो विकास का इंजन समझा जाता है, पर्याप्त मात्रा में रोजगार पैदा करने में विफल रहा है। वैश्वीकरण की अवधि (1991-2010) के दौरान संगठित सरकारी क्षेत्रों में रोजगार में अप्रत्याशित कमी दर्ज कीय गई है। तालिका क्रमांक- 01 में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति देखी जा सकती है -

तालिका क्रमांक - 01 : संगठित सर्वाजनिक क्षेत्र में रोजगार (लाख व्यक्ति)

मद/क्षेत्र	वर्ष		
	1991	2005	2010
1. कृषि	5.56	4.96	4.78

2. खनन और उत्खनन	9.99	10.14	11.03
3. बिजली, गैस एवं जल	9.05	8.60	8.35
4. विनिर्माण	18.52	11.30	10.66
5. निर्माण	11.49	9.11	8.59
6. व्यापार	1.50	1.84	1.71
7. परिवहन, भंडारण एवं संचार	30.26	27.51	25.29
8. वित्त, बीमा, स्थावर संपदा	11.94	14.08	14.13
9. सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	92.27	92.52	90.51
योग	**190.58**	**180.07**	**175.05 (-15.53)**

स्त्रोत :- आर्थिक समीक्षा 2011-12

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे, कृषि, विनिर्माण, निर्माण, परिवहन, संचार तथा सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाओं में रोजगार में कमी दर्ज की गई है। वहीं मात्र खनन, वित्त, बीमा आदि क्षेत्रों में कुछ मात्रा में रोजगार में वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण की अवधि में संगठित सरकारी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि नकारात्मक रही है। यह कमी 1991 से 2010 की अवधि में (-15.53) प्रतिशत ऋणात्मक रही है।

तालिका क्रमांक - 02 : संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार (लाख व्यक्ति)

मद/क्षेत्र	वर्ष		
	1991	2005	2010
1. कृषि	8.91	9.80	9.23
2. खनन और उत्खनन	1.00	0.79	1.61
3. बिजली, गैस एवं जल	0.60	0.49	0.64
4. विनिर्माण	44.81	44.89	57.84
5. निर्माण	0.73	0.49	0.91
6. व्यापार	3.00	3.75	5.02
7. परिवहन, भंडारण एवं संचार	0.53	0.85	1.66
8. वित्त, बीमा, स्थावर संपदा	2.54	5.23	15.52
9. सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	14.85	18.20	21.4
योग	**76.77**	**84.52**	**107.87 (+31.11)**

स्त्रोत :- आर्थिक समीक्षा 2011-12

वैश्वीकरण की अवधि में (1991 से) संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई है जो 1991 से 2010 की अवधि में +31.11 अंको की रही है। किंतु चिंता की बात यह रही है कि निजी क्षेत्रों में कृषि, विद्युत, व्यापार, परिवहन आदि आधारभूत क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि नगण्य रही है। जबकि निर्माण क्षेत्र, वित्त, बीमा एवं सामुदायिक या वैयक्तिक सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि अधिक हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण ने श्रमिकों का संगठित क्षेत्र से ढकेलकर असंगठित क्षेत्र की ओर अग्रसर किया है।

सामान्यत: यह माना गया है कि संगठित क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां अधिक सुरक्षित तथा दीर्घकालिक लाभ की होती हैं। किन्तु वैश्वीकरण की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में निरंतर गिरावट आई है। जो 1991 से 2010 की अवधि में **(-11.95 लाख)** कम हुआ है। जबकि इसी अवधि में संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि **(+31.11 लाख)** हुई है। अत: वैश्वीकरण से दो तथ्य स्पष्ट हुए हैं -

1. संगठित सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुये हैं जिससे बेरोजगारी और नियमतीकरण, निम्न मजदूरी, अंशकालीन नौकरियाँ, कम या सुरक्षाविहीन नौकरियों की समस्याएं बढ़ गई हैं।
2. दूसरी ओर निजी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या बढ़ी है। किन्तु रोजगार सुरक्षा, लाभदायक वेतन तथा आदर्श रोजगार की दशाओं में कमी जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। वैश्वीकरण के कारण अधिक लाभ जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं जबकि अधिक लाभ शोषणात्मक कुशलता का नतीजा है। वैश्वीकरण के द्वारा श्रम की पराश्रितता की प्रक्रिया तीव्र हुई है, मजदूर संघो की सौदा शक्ति कमजोर हुई है, श्रमिकों को नौकरी के नुकसान से बचाने के लिए मजूदर संघों को मजबूर होकर मजदूरी एवं वेतन में कटौती, मंहगाई भत्ते एवं अन्य लाभों पर नियायती सौदेबाजी करने के लिए विवश होना पड़ रहा है।

इस प्रकार वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था के अनौपचारीकरण एवं श्रम के अनियमतीकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया है। वैश्वीकरण ने श्रम प्रबंधन के समक्ष अनेक चुनौतियाँ खड़ी कर दी है जैसे -

1. श्रम शक्ति का अधिक मात्रा में अनियमतीकरण करना, जिससे उन्हें नौकरी सुरक्षा के लाभ से वंचित किया जा सके।
2. श्रमिकों को मजबूर करना कि 'काम नही तो मजूदरी नहीं' के सिद्धांत को तालाबंदी के समय लागू करना।
3. अतिरिक्त श्रम की मात्रा को कम करना तथा श्रमिकों पर काम के बोझ को बढ़ाना।
4. कार्यावधि में वृद्धि तथा मजदूर संघों को कमजोर करना।

अत: वैश्वीकरण की अवधि में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार के अवसरों को कम कर श्रमिकों पर अनियमतीकरण का दबाव बनाए रखना है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (I.L.O.) के प्रतिवेदन 2004 में उन लोगों की पहचान करते हुए जिन्हें वैश्वीकरण से अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है, कहा गया है, कि 'विकसित देशों की भांति वैश्वीकरण से जिन लोगों को अधिकतम लाभ हुआ है, वे हैं- हिस्सेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या ठेकेदार। इसके विरूद्ध वैश्वीकरण का जिन पर दुष्प्रभाव पड़ा है उनमें गरीब, सम्पत्तिविहीन और अकुशल श्रमिक हैं।'

निष्कर्ष - वैश्वीकरण की अवधि में संगठित सार्वजनिक क्षेत्र एवं संगठित निजी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति एवं उनकी दिशा का निरूपण किया गया है। विश्लेषण में स्थापित परिकल्पना को काफी हद तक सत्य पाया गया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व समग्र आर्थिक विकास के सुनहरे दावे किये गयें, विशेषकर विकासशील देशों (भारत) जहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की बहुलता है। वैश्वीकरण के माध्यम से विकसित देश इनका प्रयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। पश्चिमी देशों ने गरीब देशों को व्यापार अवरोधकों एवं संरक्षण तथा अनुदान समाप्त करने के लिए मजबूर किया किंतु अपने यहाँ इन्हें जारी रखा (स्टि्गलिज) परिणामस्वरूप भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग, कृषि, खनन, व्यापार, बीमा आदि क्षेत्रों में नौकरियों में तेजी से गिरावट हुई। जैसे-जैसे सरकारी क्षेत्र कम हुआ, निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ। वैसे-वैसे श्रम की

जगह पूंजी एवं टेक्नोलॉजी का प्रतिस्थापन बढ़ता गया। अतः वैश्वीकरण से रोजगार एवं श्रम पर प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिन्हा वी0सी0, 'भारतीय आर्थिक नीति', मयूर पेपरवैक्स, नोएडा, 2008
2. दत्त एवं सुंदरम्, 'भारतीय अर्थव्यवस्था', एस सन्द एवं कं0 न्यू दिल्ली, 2009
3. मिश्र एवं पुरी, 'भारतीय अर्थव्यवस्था' हिमालया पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009
4. डॉ0 माहेश्वरी पी0डी0 एवं डॉ0 गुप्ता ,'भारतीय आर्थिक नीति', कैलाश पुस्तक सदन, 2006
5. प्रतियोगिता दर्पण 'भारतीय अर्थव्यवस्था' विशेषांक 2013
6. आर्थिक समीक्षा 2011-12
7. आर्थिक समीक्षा 2010-11

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Youth Subcultures and Identity Formation: Study of Subcultures Among Indian Youth and their Impact on Identity Development

Dr. Anjali Jaipal*

***Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA**

Abstract - Youth subcultures refer to distinct social groups formed by young people, characterized by unique styles, behaviors, and interests that set them apart from mainstream culture. These subcultures serve as a means for youth to express themselves, create a sense of belonging, and navigate the complexities of adolescence. Identity formation, on the other hand, is the process by which individuals develop a sense of self, encompassing personal values, beliefs, and social roles. This paper investigates how engagement in various subcultures among Indian youth impacts their identity development, focusing on cultural, social, and psychological dimensions. This paper explores the relationship between youth subcultures and identity formation among Indian youth. By examining various subcultures prevalent in India, such as hip-hop, gaming, fashion, and political activism, the study delves into how these groups shape personal and social identities. The research highlights the influence of globalization, social media, and urbanization on the emergence and evolution of these subcultures. Through a comprehensive analysis, the paper aims to understand the role of peer influence and cultural exchange in the identity development of Indian youth.
Keywords: Youth Subcultures, Identity Formation, Indian Youth, Cultural Identity, Social Media, Globalization, Urbanization, Peer Influence.

Historical Context and Evolution of Youth Subcultures in India: India has a rich history of youth subcultures, influenced by its diverse cultural heritage and rapid socio-economic changes. Traditionally, youth subcultures were often linked to regional, religious, or caste-based affiliations. With globalization and technological advancements, contemporary subcultures have emerged, drawing inspiration from global trends and local nuances. This section traces the evolution of youth subcultures in India, highlighting key phases and transitions that have shaped their current form. It examines how historical contexts, such as colonialism, independence, and economic liberalization, have influenced the formation and transformation of youth subcultures.

Major Youth Subcultures in Contemporary India: Contemporary India hosts a plethora of youth subcultures, each with distinct characteristics and cultural practices. This section delves into several prominent subcultures, including:

Hip-Hop Culture: The rise of hip-hop in urban India, influenced by global hip-hop movements and localized expressions.

Gaming Communities: The growing popularity of gaming and e-sports, fostering a unique subculture among tech-savvy youth.

Fashion and Lifestyle Tribes: The influence of fashion, streetwear, and lifestyle choices in forming subcultural identities.

Political Activism: Youth involvement in political movements and social causes, shaping their ideological identities.

The Role of Social Media in Shaping Youth Subcultures: Social media has become a pivotal tool in the creation and propagation of youth subcultures. Platforms like Instagram, YouTube, and TikTok facilitate the exchange of ideas, styles, and cultural practices, enabling youth to connect with like-minded individuals and communities globally. This section explores how social media influences the formation of youth subcultures in India, emphasizing its role in identity construction. It discusses the impact of digital influencers, online communities, and virtual interactions on shaping youth identities, highlighting both positive and negative aspects.

Globalization and Cultural Exchange: Globalization has led to an unprecedented cultural exchange, blending global trends with local traditions. Indian youth subcultures are increasingly influenced by global music, fashion, and lifestyle trends, leading to hybrid identities that reflect both global and local elements. This section examines the dynamics of cultural exchange and its impact on identity formation among Indian youth. It explores how global

influences are adapted and reinterpreted within the Indian context, resulting in unique subcultural expressions that resonate with local realities.

Urbanization and Socio-Economic Factors: Urbanization and socio-economic changes have significantly impacted the formation and evolution of youth subcultures in India. Rapid urbanization has led to the emergence of new social spaces and opportunities for youth to engage in subcultural activities. This section analyzes the relationship between urbanization, economic development, and the rise of youth subcultures. It explores how urban environments provide fertile ground for subcultural growth, influencing identity formation through access to diverse cultural resources and opportunities for social interaction.

Peer Influence and Identity Development: Peer groups play a crucial role in the identity formation process, especially during adolescence and young adulthood. Youth subcultures often emerge from peer interactions, providing a sense of belonging and mutual support. This section investigates the influence of peer groups on identity development among Indian youth engaged in subcultures. It discusses how peer relationships contribute to the adoption of subcultural practices, values, and beliefs, shaping personal and social identities. The section also explores the dynamics of conformity and individuality within peer-influenced subcultures.

The Influence of Educational Institutions on Subcultural Development: Educational institutions play a significant role in the development and sustenance of youth subcultures. Schools and colleges serve as microcosms of society where young individuals interact, exchange ideas, and form groups based on shared interests and values. This section explores how educational settings facilitate the formation of subcultures, focusing on the role of student clubs, extracurricular activities, and informal peer networks. It also examines the impact of educational policies and institutional cultures on subcultural dynamics and identity formation among Indian youth.

Gender and Youth Subcultures: Gender is a crucial factor in understanding the participation and identity formation within youth subcultures. This section investigates how gender influences the creation, membership, and experiences of subcultures among Indian youth. It explores the ways in which subcultures provide spaces for challenging traditional gender roles and expressing diverse gender identities. The section also addresses the intersectionality of gender with other social categories, such as caste and class, and how these intersections shape the subcultural experiences of young individuals.

The Economic Dimension of Youth Subcultures: Youth subcultures are often closely tied to patterns of consumption and economic activities. This section examines the economic dimension of youth subcultures, focusing on how consumption practices and the commodification of subcultural styles influence identity formation. It also explores the economic opportunities created by subcultures, such as careers in fashion, music, and digital content creation. The section highlights the role of market forces in shaping subcultural trends and the potential for economic empowerment through subcultural engagement.

Resistance and Counter-Culture Movements: Youth subcultures often emerge as forms of resistance against dominant cultural norms and socio-political structures. This section explores the role of subcultures as counter-cultural movements that challenge mainstream values and advocate for social change. It examines the ways in which Indian youth use subcultures to express dissent, raise awareness about social issues, and mobilize for political action. The section also considers the impact of such resistance on identity formation and the broader implications for social and political dynamics in India.

The Role of Traditional Media in Youth Subcultures: While digital media has a significant impact on youth subcultures, traditional media such as television, radio, and print also play an important role in shaping subcultural identities. This section explores how traditional media platforms influence the formation and evolution of youth subcultures in India. It examines how media portrayals of subcultures impact public perception, the dissemination of subcultural styles, and the creation of new subcultural trends. The section also looks at how traditional media intersects with digital media to influence youth identity and subcultural participation.

Rural Youth Subcultures: Dynamics and Identity Formation: Youth subcultures are often studied within urban contexts, but rural areas also foster unique subcultural formations. This section investigates the dynamics of youth subcultures in rural India, focusing on how rural settings influence subcultural expressions and identity formation. It examines the role of local traditions, agricultural practices, and rural socio-economic conditions in shaping subcultural identities. The section also explores the impact of migration, connectivity, and exposure to urban subcultures on rural youth identities and subcultural practices.

Psychological Impact of Subcultural Involvement: Engagement in youth subcultures can have significant psychological effects on individuals. This section delves into the psychological impact of subcultural involvement on Indian youth, examining aspects such as mental health, self-esteem, and personal development. It explores how belonging to a subculture provides emotional support, fosters a sense of identity, and influences self-perception. The section also considers potential challenges, such as peer pressure, identity conflicts, and the stigmatization of certain subcultures, and their effects on the psychological well-being of youth.

The Intersection of Technology and Youth Subcultures: Technology plays a pivotal role in the development and sustenance of youth subcultures. This section explores how

technological innovations, gadgets, and the broader digital culture influence subcultural identities among Indian youth. It examines the impact of smartphones, wearable technology, virtual reality, and other digital advancements on the formation and evolution of subcultures. The section also looks at how technology facilitates new forms of expression and interaction within subcultures, shaping the ways in which youth engage with and experience these groups.

Subcultures and Artistic Expression: Artistic expression is a key component of many youth subcultures, serving as a means for individuals to convey their identities and connect with others. This section delves into the various forms of artistic expression prevalent in Indian youth subcultures, including music, visual arts, and performance. It examines how these art forms act as markers of subcultural identity, influence group dynamics, and contribute to the overall cultural landscape. The section also explores the role of DIY (do-it-yourself) culture and independent art movements in fostering subcultural creativity and innovation.

Policy Implications and Youth Subcultures: Youth subcultures often interact with and are influenced by various policy frameworks. This section investigates the policy implications of youth subcultures in India, focusing on governance, regulation, and support systems. It examines how government policies, educational institutions, and non-governmental organizations address the needs and challenges of youth subcultures. The section also discusses the potential benefits of supportive policies, such as funding for cultural programs, safe spaces for expression, and mental health resources, in promoting positive identity formation and the well-being of youth involved in subcultures.

Conclusion: This paper has explored the multifaceted relationship between youth subcultures and identity formation among Indian youth. By examining historical contexts, contemporary subcultures, and the influence of social media, globalization, and urbanization, the research highlights the complex interplay of factors shaping youth identities. The findings underscore the importance of subcultures as spaces for self-expression, community building, and cultural innovation. The paper concludes with implications for future research and policy, emphasizing the need to support diverse subcultural expressions and their positive impact on identity development.

References:-

1. Hebdige, D. (1979). Subculture: The Meaning of Style. Routledge.
2. Bennett, A. (1999). Subcultures or Neo-Tribes? Rethinking the Relationship between Youth, Style and Musical Taste. Sociology, 33(3), 599-617.
3. Brake, M. (1985). Comparative Youth Culture: The Sociology of Youth Cultures and Youth Subcultures in America, Britain, and Canada. Routledge & Kegan Paul.
4. Gelder, K. (Ed.). (2005). The Subcultures Reader. Routledge.
5. Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford University Press.
6. Leung, L. (2013). Generational differences in content generation in social media: The roles of the gratifications sought and of narcissism. Computers in Human Behavior, 29(3), 997-1006.
7. Appadurai, A. (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. University of Minnesota Press.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

Family Dynamics in Urban vs. Rural Areas in India

Dr. Sandhya Jaipal*

***Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA**

Abstract - India, with its vast and diverse population, presents a unique tapestry of family structures and dynamics. The dichotomy between urban and rural areas is stark, influencing family life in profound ways. Urban areas are characterized by rapid industrialization, modernization, and a shift towards nuclear families, whereas rural areas tend to uphold traditional joint family systems. This paper investigates these contrasting family dynamics, examining factors such as socio-economic status, cultural practices, gender roles, and access to education and healthcare. This research paper explores the nuanced differences in family dynamics between urban and rural areas in India. By examining various socio-economic, cultural, and structural factors, this study aims to highlight how these differences impact family relationships, roles, and functions. The analysis draws on a range of sources, including academic literature, government reports, and statistical data, to provide a comprehensive understanding of the evolving nature of Indian family structures.

Keywords: Family Dynamics, Urban, Rural, India, Socio-economic Factors, Cultural Differences, Family Structure.

Historical Context of Family Structures in India: The traditional Indian family has long been a joint family system, where multiple generations live under one roof, sharing resources and responsibilities. This structure is rooted in agrarian lifestyles, where land and labor were pivotal to survival. In contrast, urbanization and modernization have ushered in nuclear family setups, especially post-independence, as economic opportunities in cities attracted younger generations away from their ancestral homes.

Evolution of Family Dynamics in India

Traditional Joint Family System: The traditional Indian joint family system has been the cornerstone of rural family life for centuries. This system, where multiple generations cohabit and share resources, provided economic stability and social security. Joint families were particularly effective in agrarian societies, where labor-intensive agricultural practices necessitated large families. The patriarchal structure of these families ensured that property and responsibilities were handed down through generations, maintaining familial ties and continuity.

Shift to Nuclear Families: Urbanization and economic liberalization in India, especially post-1990, catalyzed a shift towards nuclear family systems. The increasing opportunities in urban centers attracted young individuals who often moved away from their ancestral homes, creating smaller, independent family units. This migration, driven by aspirations for better employment, education, and living standards, altered the traditional family fabric.

Urban Family Dynamics

Dual-Income Households: The economic demands of urban living have led to the rise of dual-income households. Both partners working is often essential to sustain the high cost of living in cities. This shift has implications for gender roles within the family. While men traditionally were the breadwinners, urban women increasingly contribute financially, challenging and transforming traditional gender norms.

Childcare and Education: Urban families place a high premium on education, often investing significantly in their children's academic and extracurricular activities. The competitive urban environment drives parents to seek the best educational opportunities, from private schools to tutoring. Childcare arrangements, such as daycare centers and nannies, are common, reflecting the nuclear family's need to balance work and family life.

Elderly Care: With smaller family units and greater physical distances from extended family members, elderly care in urban areas poses unique challenges. Retirement homes and assisted living facilities are becoming more common, though they are sometimes seen as a departure from traditional familial responsibilities. This shift reflects changing attitudes towards aging and elder care in urban contexts.

Rural Family Dynamics

Agriculture and Family Labor: In rural India, agriculture remains the primary occupation, and family labor is crucial for managing farms. The joint family system supports this need by pooling labor resources. Children often assist in farming activities from a young age, contributing to the family's livelihood. This reliance on family labor perpetuates

larger family sizes and the joint family structure.

Social Norms and Marriages: Marriage practices in rural areas are deeply rooted in tradition. Arranged marriages are prevalent, often involving extensive family negotiations and considerations of social status, caste, and economic stability. Early marriages are also common, influenced by cultural norms and economic considerations. These practices reinforce traditional family structures and gender roles.

Access to Healthcare and Education: Rural areas face significant challenges in accessing quality healthcare and education. Limited infrastructure and resources result in lower literacy rates and inadequate healthcare services. These disparities impact family dynamics, as health issues and lower educational attainment perpetuate cycles of poverty and reinforce traditional roles within the family.

Intersecting Influences

Migration and Remittances: Migration from rural to urban areas significantly impacts family dynamics. While young family members move to cities for better opportunities, they often send remittances back home, providing financial support to rural households. This economic support can elevate the standard of living in rural areas but also creates a physical and emotional distance between family members.

Technology and Communication: Technology bridges the gap between urban and rural family members. Mobile phones and the internet facilitate communication, allowing families to stay connected despite physical distances. However, the digital divide remains a challenge, with rural areas having less access to technology compared to urban centers.

Gender Roles and Family Dynamics

Evolving Gender Roles in Urban Areas: Urbanization has accelerated the transformation of gender roles within families. Women's increasing participation in the workforce challenges traditional domestic roles. Urban women often juggle careers and household responsibilities, leading to more equitable sharing of domestic duties among partners. This shift is also reflected in attitudes towards female education and career aspirations, promoting gender equality.

Traditional Gender Roles in Rural Areas: In contrast, rural areas maintain more traditional gender roles. Women are primarily responsible for household chores, child-rearing, and supporting agricultural activities. Men typically engage in external economic activities. These roles are reinforced by cultural norms and limited access to education and employment opportunities for women.

Government Interventions and Policies

Educational Initiatives: Government initiatives aimed at improving education in rural areas are crucial for changing family dynamics. Programs like the Midday Meal Scheme and the Right to Education Act aim to increase school enrollment and retention rates. Improved educational access for girls is particularly transformative, as it can delay marriages and increase female participation in the workforce.

Healthcare Programs: Health interventions, such as the National Health Mission, focus on improving maternal and child health in rural areas. These programs provide critical healthcare services, promoting better family health and planning. Access to healthcare can reduce infant mortality rates and improve overall family well-being.

Employment Schemes: Employment schemes like the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) provide rural households with work opportunities, enhancing economic stability. These programs reduce migration pressures by providing local employment, thereby supporting traditional family structures.

Challenges in Bridging the Urban-Rural Divide

Economic Disparities: Economic disparities between urban and rural areas remain a significant challenge. Rural areas lag in infrastructure, education, and healthcare, perpetuating cycles of poverty and limiting opportunities for social mobility. Addressing these disparities requires comprehensive policy interventions and sustained investment.

Cultural Resistance: Cultural resistance to change can hinder the transformation of family dynamics. Traditional practices and norms are deeply entrenched, particularly in rural areas. Efforts to promote gender equality, education, and healthcare must navigate these cultural landscapes sensitively to be effective.

Urbanization Pressures: Rapid urbanization poses its own set of challenges. Overcrowding, inadequate infrastructure, and social dislocation can strain urban family dynamics. Ensuring sustainable urban development and equitable access to resources is essential to address these pressures.

Opportunities for Integration and Development

Promoting Cultural Exchange: Cultural exchange programs can foster understanding and appreciation between urban and rural populations. Initiatives that encourage urban youth to engage with rural communities, and vice versa, can bridge cultural gaps and promote social cohesion.

Leveraging Technology: Expanding access to technology in rural areas can drive educational and economic development. Digital literacy programs and improved internet connectivity can empower rural families, providing them with tools to access information, services, and opportunities.

Strengthening Policy Frameworks: Strengthening policy frameworks to address the unique needs of urban and rural families is crucial. Policies must be tailored to the specific challenges and opportunities in each context, promoting inclusive and sustainable development.

Socio-Economic Factors

Economic Opportunities and Family Structure: Urban

areas offer diverse economic opportunities, leading to higher incomes but also greater living costs. This economic shift often results in smaller family units as dual-income households become necessary to maintain a certain standard of living. In contrast, rural areas, where agriculture remains the primary occupation, families often stay larger to pool labor resources and manage agricultural tasks.

Education and Employment: Education levels significantly influence family dynamics. Urban families generally have better access to educational facilities, leading to higher literacy rates and more progressive attitudes towards gender roles and family planning. Rural families, however, face challenges such as limited access to quality education, which can perpetuate traditional roles and larger family sizes.

Cultural and Social Factors

Marriage Practices: Marriage practices vary widely between urban and rural areas. In urban settings, there is a growing trend towards love marriages and delayed marriages due to career considerations. Rural areas still predominantly practice arranged marriages, often at a younger age, influenced by traditional and social norms.

Gender Roles: Gender roles in urban families are gradually evolving, with increasing female participation in the workforce and more equitable distribution of household responsibilities. Conversely, rural areas often maintain traditional gender roles, with women primarily responsible for domestic tasks and men for earning income.

Family Planning and Size: Urban families tend to have fewer children, influenced by access to contraception, family planning services, and the high cost of raising children. In rural areas, larger families are common, driven by the need for labor in agricultural activities and limited access to family planning resources.

Structural Differences

Housing and Living Arrangements: Urban families typically live in smaller housing units such as apartments, which necessitate smaller family sizes. The lack of space and high living costs in cities contribute to the prevalence of nuclear families. In contrast, rural families often live in larger, multi-generational homes, supporting the joint family system.

Mobility and Migration: Urban areas see higher rates of mobility and migration due to job opportunities. This mobility often leads to the fragmentation of extended families as younger members move away for employment. Rural areas experience less migration, maintaining more stable, extended family structures.

Impact of Urbanization on Rural Family Dynamics: Urbanization exerts a significant influence on rural family dynamics. As rural youth migrate to cities for better opportunities, the traditional joint family system is increasingly under pressure. Remittances sent back home can improve rural household incomes but also lead to shifts in traditional power dynamics and family roles.

Case Studies

Urban Case Study: Mumbai: Mumbai, as a metropolitan city, exemplifies urban family dynamics in India. The city's fast-paced life, high living costs, and diverse job market have led to a predominance of nuclear families. Dual-income households are common, with significant emphasis on children's education and career success. The social fabric is marked by greater acceptance of diverse family forms, including single-parent households and live-in relationships.

Rural Case Study: Bihar: Bihar, a predominantly rural state, showcases traditional family dynamics. The joint family system remains strong, supported by agricultural livelihoods and deep-rooted cultural norms. Marriage practices are traditional, with early marriages still prevalent. Educational attainment and gender roles reflect more conservative values, although government interventions are gradually bringing change.

Comparative Analysis

Family Support Systems: Urban and rural family support systems differ significantly. Urban families often rely on external support systems such as daycare centers, domestic help, and social services. In rural areas, family support is largely internal, with extended family members playing crucial roles in childcare and eldercare.

Intergenerational Relationships: Intergenerational relationships in urban areas can be strained due to physical distance and differing lifestyles. In rural families, close living arrangements foster stronger intergenerational bonds, although they can also lead to conflicts due to rigid adherence to traditional roles.

Technological Influence: Technology has a varying impact on family dynamics in urban and rural areas. Urban families extensively use technology for communication, education, and work-life balance. In rural areas, while technology is gradually making inroads, its impact is less pronounced due to limited access and infrastructural challenges.

Conclusion: Family dynamics in urban and rural India are shaped by a complex interplay of socio-economic, cultural, and structural factors. While urban areas exhibit a trend towards nuclear families driven by economic and lifestyle changes, rural areas continue to uphold traditional joint family systems. Understanding these dynamics is crucial for policymakers, social workers, and scholars to address the unique challenges and opportunities in each context. Future research should focus on longitudinal studies to track the evolving nature of family structures and the impact of ongoing urbanization and policy interventions.

References:-

1. Chakraborty, P., & Gupta, S. (2018). Urbanization and Family Change in India. Journal of Family Studies, 24(3), 231-249.
2. Desai, S., & Vanneman, R. (2015). India Human Development Survey-II. National Council of Applied

Economic Research.
3. Goel, S., & Kumar, P. (2017). Gender Roles and Family Dynamics in Urban India. Asian Journal of Women's Studies, 23(2), 172-187.
4. Singh, R., & Mukherjee, S. (2019). Rural Family Structures and Economic Development. Economic and Political Weekly, 54(15), 45-53.
5. Chakraborty, P., & Gupta, S. (2018). Urbanization and Family Change in India. Journal of Family Studies, 24(3), 231-249.
6. Desai, S., & Vanneman, R. (2015). India Human Development Survey-II. National Council of Applied Economic Research.
7. Goel, S., & Kumar, P. (2017). Gender Roles and Family Dynamics in Urban India. Asian Journal of Women's Studies, 23(2), 172-187.
8. Kaur, R. (2016). Changing Gender Roles in Urban Indian Families. Journal of Contemporary Family Studies, 29(4), 311-330.
9. Sinha, A. (2018). Rural Employment and Family Welfare: An Analysis of MGNREGA. Development Economics Review, 35(2), 101-119.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

भारत में शहरीकरण: मुद्दे और चुनौतियाँ

डॉ. दिनेश कुमार कठुतिया*

* शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर चांपा (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – स्वतंत्रता के बाद भारत में शहरीकरण की गति तेज हो गई, जिसका मुख्य कारण देश द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना था, जिसने निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया। भारत में शहरीकरण तेजी से हो रहा है। 1901 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या 11.4% थी। यह संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 28.53% हो गई, और 2011 की जनगणना के अनुसार 30% से अधिक हो गई, जो 31.16% पर खड़ी थी। 2007 में UN State of the World Population रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक देश की 40.76% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। विश्व बैंक के अनुसार, 2050 तक भारत, चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया की शहरी आबादी में प्रमुख वृद्धि का नेतृत्व करेगा।

भारत में शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि कई समस्याओं का कारण बन रही है, जैसे कि झुग्गियों की बढ़ती संख्या, शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में कमी, और पर्यावरणीय क्षति। इस शोध पत्र में शहरीकरण से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, शहरीकरण।

प्रस्तावना – शहरीकरण भारतीय समाज की एक आम विशेषता बन गई है। उद्योगों के विकास ने शहरों के विकास में योगदान दिया है। औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप, लोग रोजगार की तलाश में औद्योगिक क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगे हैं। इसका परिणाम कस्बों और शहरों के विकास में हुआ है। शहरीकरण को एक विशेष क्षेत्र में जनसंख्या के केंद्रित होने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। मिशेल के अनुसार, शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग शहरों की ओर बढ़ते हैं और कृषि से अन्य शहरी गतिविधियों की ओर बदलते हैं।

विश्व बैंक के अनुसार, भारत में कुल जनसंख्या का शहरी आबादी का प्रतिशत 2015 में 32.75% था। शहरी आबादी का मतलब उन लोगों से है जो शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा परिभाषित किया गया है। इसे विश्व बैंक की जनसंख्या अनुमानों और संयुक्त राष्ट्र विश्व शहरीकरण संभावनाओं के शहरी अनुपातों का उपयोग करके गणना किया जाता है। इस पृष्ठ में शहरी आबादी (% कुल) के लिए नवीनतम मूल्य, ऐतिहासिक डेटा, पूर्वानुमान, चार्ट, सांख्यिकी, एक आर्थिक कैलेंडर और समाचार शामिल हैं।

शहरीकरण के कारण: शहरों के विकास के लिए कई कारण हैं। वे इस प्रकार हैं:

औद्योगिकीकरण: औद्योगिकीकरण शहरीकरण का एक प्रमुख कारण है। इसने रोजगार के अवसरों का विस्तार किया है। ग्रामीण लोग बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर गए हैं।

सामाजिक कारक: कई सामाजिक कारक जैसे कि शहरों का आकर्षण, बेहतर जीवन स्तर, बेहतर शैक्षिक सुविधाएं, और प्रतिष्ठा की आवश्यकता लोगों को शहरों की ओर पलायन करने के लिए प्रेरित करती है।

रोजगार के अवसर: ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं। लेकिन भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है। सूखे या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

आधुनिकीकरण: शहरी क्षेत्रों की विशेषता अत्याधुनिक तकनीक, बेहतर बुनियादी ढांचा, संचार, चिकित्सा सुविधाएं आदि हैं। लोग महसूस करते हैं कि वे शहरों में आरामदायक जीवन जी सकते हैं और इस प्रकार शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं।

ग्रामीण-शहरी परिवर्तन: यह एक दिलचस्प पहलू है कि न केवल शहरों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि ग्रामीण समुदाय भी शहरी संस्कृति को अपना रहे हैं। अब ग्रामीण समुदाय अपनी अनूठी ग्रामीण संस्कृति को बनाए नहीं रख रहे हैं। ग्रामीण लोग शहरी लोगों की भौतिक संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। ग्रामीण-शहरी परिवर्तन को निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है:

शिक्षा का प्रसार: ग्रामीण लोगों के बीच साक्षरता दर बढ़ी है। वे अधिक आधुनिक हो गए हैं।

शहरीकरण का प्रभाव: उच्च शहरीकरण दर के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। शहरीकरण का प्रभाव इस प्रकार संक्षेप में बताया जा सकता है:

सकारात्मक प्रभाव:

1. ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्रों में पलायन।
2. शहरी केंद्रों में रोजगार के अवसर।
3. परिवहन और संचार सुविधाएं।
4. शैक्षिक सुविधाएं।
5. जीवन स्तर में वृद्धि।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) ने जेएनएनयूआरएम को समेकित करने और शहरी सुधारों में इसकी व्यापक भूमिका की परिकल्पना की। बारहवीं योजना के दौरान, जेएनएनयूआरएम के घटक निम्नलिखित

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

हैं:

1. शहरी अवसंरचना शासन (UIG)
2. राजीव आवास योजना (RAY)
3. RAY के तहत शामिल नहीं किए गए शहरों में झुग्गी पुनर्वास।
4. क्षमता निर्माण।

योजना में उन कारणों को भी उजागर किया गया है जो इस कार्यक्रम की सफलता में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं:

1. शहरी योजना को मुख्यधारा में लाने में विफलता।
2. अपूर्ण सुधार और परियोजना कार्यान्वयन में धीमी प्रगति।
3. परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने में देरी।
4. विभिन्न नियामकों से अनुमोदन प्राप्त करने में देरी।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. भारत में शहरीकरण को समझना।
2. भारत में शहरीकरण के मुद्दों और चुनौतियों का अध्ययन करना।

अनुसंधान पद्धति: यह अध्ययन एक वर्णनात्मक विधि है। माध्यमिक डेटा विभिन्न स्रोतों जैसे कि पाठ्यपुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों और वेबसाइटों से एकत्र किया गया है।

भारत में शहरीकरणरू मुद्दे और चुनौतियाँ : हालाँकि भारत दुनिया के कम शहरीकृत देशों में से एक है, जहाँ केवल 27.78 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, लेकिन शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत के शहरीकरण में कई जटिल मुद्दे और चुनौतियाँ शामिल हैं, जिन्हें संबोधित करना आवश्यक है।

शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ

1. **जनसंख्या वृद्धि और आधारभूत संरचना का अभाव:** भारत में शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने शहरों में आवश्यक बुनियादी ढाँचे पर भारी दबाव डाला है, जिससे आवास, पानी, बिजली, और परिवहन जैसी बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं।
2. **शहरी झुग्गियाँ और असमानता:** शहरों में गरीब लोगों के लिए आवास की कमी के कारण झुग्गियों की संख्या में वृद्धि हुई है। झुग्गी क्षेत्रों में जीवन स्तर बहुत निम्न है, और यह असमानता की एक महत्वपूर्ण समस्या है। झुग्गियों में रहने वाले लोग अक्सर स्वच्छता, पेयजल, और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहते हैं।
3. **पर्यावरणीय प्रभाव:** शहरीकरण के परिणामस्वरूप प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। वायु, जल, और ध्वनि प्रदूषण शहरी क्षेत्रों में आम हो गए हैं। इसके अलावा, हरियाली का अभाव और प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन भी पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।
4. **परिवहन समस्याएँ:** शहरों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ परिवहन सुविधाओं की मांग भी बढ़ गई है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में परिवहन नेटवर्क को इस मांग के अनुरूप विकसित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रैफिक जाम और सड़कों पर भीड़भाड़ जैसी समस्याएँ पैदा हो रही हैं।
5. **सामाजिक मुद्दे:** शहरीकरण के परिणामस्वरूप सामाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही हैं। आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि, सामाजिक असमानता, और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक सामाजिक मूल्यों का पतन जैसी समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं।
6. **रोजगार की चुनौतियाँ:** हालाँकि शहरीकरण ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है, लेकिन इसमें एक असमानता भी देखी जा रही है। अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर कम हो गए हैं, जबकि कुशल और शिक्षित लोगों के लिए अवसरों की वृद्धि हुई है। इससे सामाजिक असमानता और बढ़ रही है।
7. **प्रशासनिक चुनौतियाँ:** शहरीकरण के साथ प्रशासनिक चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं। शहरों की बढ़ती आबादी और जटिल संरचना के चलते प्रशासनिक सेवाओं की मांग बढ़ गई है। लेकिन प्रशासनिक ढाँचा इस बढ़ती मांग को पूरा करने में अक्षम हो रहा है।
8. **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी:** तेजी से हो रहे शहरीकरण के बावजूद, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में कमी है। गरीब तबके के लोगों के लिए इन सेवाओं का अभाव बना हुआ है।

शहरीकरण के संभावित समाधान :

1. **योजनाबद्ध शहरीकरण:** शहरीकरण के मुद्दों को हल करने के लिए योजनाबद्ध शहरीकरण आवश्यक है। सरकार को शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाएँ बनानी चाहिए और उनके कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए।
2. **बुनियादी ढाँचे का विकास:** शहरों में आवश्यक बुनियादी ढाँचे का विकास करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार को पानी, बिजली, परिवहन, और आवास जैसी बुनियादी सेवाओं के विकास में निवेश करना चाहिए।
3. **पर्यावरणीय संरक्षण:** शहरीकरण के साथ-साथ पर्यावरणीय संरक्षण भी आवश्यक है। इसके लिए हरियाली बढ़ाने, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अपनाने, और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है।
4. **झुग्गी सुधार और पुनर्वास:** शहरी झुग्गियों की समस्याओं को हल करने के लिए झुग्गी सुधार और पुनर्वास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इसके तहत झुग्गी निवासियों को बेहतर आवास, स्वच्छता, और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
5. **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार:** शहरीकरण के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी आवश्यक है। सरकार को गरीब तबके के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
6. **कुशलता विकास:** शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कुशलता विकास कार्यक्रमों की जरूरत है। इसके तहत अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जा सकता है, जिससे उनकी रोजगार संभावनाएं बढ़ेंगी।
7. **शहरी प्रशासन में सुधार:** शहरी प्रशासन में सुधार के लिए प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत करना आवश्यक है। इसके तहत प्रशासनिक सेवाओं का डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
8. **ग्रामीण क्षेत्रों का विकास:** शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी आवश्यक है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जाती है, तो शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोका जा सकता है।

निष्कर्ष: भारत में शहरीकरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ आने वाली चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शहरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान खोजने के लिए योजनाबद्ध प्रयासों की

जरूरत है। इसके लिए सरकार, निजी क्षेत्र, और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा ताकि शहरीकरण के लाभों का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके और इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भगत, आर.बी. (1992). भारत में शहरी विकास के घटक हरियाणा के संदर्भ में: हाल के जनगणना से निष्कर्ष। नगरलोक, वॉल्यूम 25, संख्या 3, पृष्ठ 10-14।
2. ब्रॉकरहॉफ, एम. (1999). विकासशील देशों में शहरी विकास: भविष्यवाणियों और अनुमानों की समीक्षा। जनसंख्या और विकास समीक्षा, वॉल्यूम 25, संख्या 4, पृष्ठ 757-778।
3. ब्रॉकरहॉफ, एम. और ब्रेन्नम, ई. (1998). विकासशील क्षेत्रों में शहरों की गरीबी। जनसंख्या और विकास समीक्षा, वॉल्यूम 24, संख्या 1, पृष्ठ 75-114।
4. ब्रीस, जी. (1969). नव-विकसित देशों में शहरीकरण। प्रेंटिस हॉल, नई दिल्ली।
5. देशपांडे, एस. और देसपांडे, एल. (1998). 'भारत में श्रम बाजार के उदारीकरण का प्रभाव: एनएसएसओ के 50वें दौर के आंकड़े क्या दिखाते हैं?'। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम 33, संख्या 22, पृष्ठ L21-L31।
6. डेविस, किंग्सले और गोल्डन, एच.एच. (1954). 'पूर्व-औद्योगिक क्षेत्रों में शहरीकरण और विकास'। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन, वॉल्यूम 3, संख्या 1।
7. डेविस, किंग्सले (1962). 'भारत में शहरीकरण - अतीत और भविष्य', टर्नर, आर. (सं.) में। भारत का शहरी भविष्य, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस, बर्कले।
8. डेविस, के. (1965). मानव जनसंख्या का शहरीकरण। साइंटिफिक अमेरिकन, वॉल्यूम 213, संख्या 3, पृष्ठ 41-53।
9. कुंडू, ए. (1983).'शहर के आकार वितरण के सिद्धांत और भारतीय शहरी संरचना - एक पुनर्मूल्यांकन'। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम 18, संख्या 3।
10. कुंडू, ए. (1994). 'भारत में छोटे और मध्यम शहरों के विशेष संदर्भ के साथ शहरीकरण का पैटर्न', चड्ढा, जी. के., भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय मुद्दों में।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

दलित चिंतन एवं हिन्दी साहित्य

भूपेन्द्र बहादुर सिंह*

* शोधार्थी (हिन्दी) डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – दलित चिंतन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। दलित चिंतन को जानने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम 'दलित' शब्द को जानें और समझें। हिन्दी शब्दकोशो में 'दलित' का अर्थ मसला हुआ, मर्दित, दबाकर रखा हुआ आदि बताया गया है अर्थात् समाज का वह हिस्सा जिसे दबाकर रखा गया, जिनका शोषण किया गया, जिन्हें अस्पृश्य समझा गया, जानवरों से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर किया गया, वे ही दलित हैं। दलित शब्द को परिभाषित करने की जो समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित होती है वह उपर्युक्त अर्थों से एकदम स्पष्ट हो जाती है क्योंकि दलित कौन है ? यह सवाल अपने आप में काफी पेचीदा है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक परम्परा में जिन्हें शूद्र या अछूत कहकर सम्बोधित किया गया वे ही आज के समाज में दलित कहे जाते हैं। इस बात का निर्णय करना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि इस ब्राह्मणवादी परम्परा में ऐसे अछूतों और दबे कुचले लोगों का कोई प्रमाणित तथ्य अथवा इतिहास प्राप्त नहीं होता है जो कुछ थोड़ा बहुत इतिहास हमें मिलता भी है तो उसकी निष्पक्षता पर संदेह होता है।

प्रख्यात दलित साहित्यकार कँवल भारती ने अपनी पुस्तक 'दलित विमर्श की भूमिका' में रेखांकित किया है कि डॉ0 अम्बेडकर पहले भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास में दलितों की स्थिति को रेखांकित किया है। उन्होंने इतिहास लेखन में दो तथ्यों को स्वीकार किये जाने की बात कही है। पहली बात यह स्वीकार कर लेनी चाहिए कि एक समान भारतीय संस्कृति जैसी कोई चीज कभी नहीं रही और यह कि भारत तीन प्रकार का रहा– ब्राह्मण भारत, बौद्ध भारत और हिन्दू भारत। इनकी अपनी –अपनी संस्कृतियाँ रहीं।

'भारत का इतिहास ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच परस्पर संघर्ष का इतिहास रहा है।'[1] ब्राह्मणवाद की विजय के परिणामस्वरूप इन्हीं बौद्धों को शायद, दलित, शूद्र या अंत्यज कहकर सामाजिक क्रिया–कलापों एवं सहभागिता से दूर किया गया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तब उन्होंने संविधान में ऐसी ही सामाजिक रूप से अछूत समझे जाने वाले, सामाजिक क्रियाकलापों से दूर यायावर जीवन व्यतीत करने वाली, सुदूर जंगलों, स्थानों पर रहने वाली, सामाजिक रूप से उपेक्षित जाति वर्गो को एक सूची में सम्बद्ध किये जाने की व्यवस्था दी जिन्हें अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारतीय संदर्भो में इन्हीं अनुसूचित जातियों को दलित माना जाता है।

सामान्यतया दलित साहित्यकारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जिन्हें अनुसूचित जाति एवं जनजाति कहा जाता है, वे ही वास्तव में दलित हैं। कँवल भारती, ओम प्रकाश बाल्मीकि, प्रो0 कालीचरण 'स्नेही', डॉ0 विवेक कुमार आदि उपर्युक्त तथ्य को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आयामों से भी साहित्यकारों ने दलित वर्ग को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। डॉ0 कँवल भारती के शब्दों में 'वास्तव में दलित व्यक्ति वही होगा या हो सकता है जो सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से हीन हो। जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया, जिसे शिक्षा ग्रहण करने एवं स्वतंत्र व्यवसाय करने से मना किया गया और जिस पर सछूतों ने सामाजिक निर्योग्यता की संहिता लागू की, वही और सिर्फ वही दलित है। इसके अंतर्गत वही जातियाँ आती हैं जिन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति कहा गया है।'[2]

सुप्रसिद्ध आलोचक डॉ0 मैनेजर पाण्डेय अपने एक दलित विमर्श सम्बन्धी साक्षात्कार में कहते हैं कि 'मैं जब दलित शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो मेरे ध्यान में वे हैं जिन्हें भारतीय वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा जाता है या जिन्हें समाज में अछूत माना जाता है। मैं यहाँ स्त्रियों को दलितों में शामिल नही कर रहा हूँ। भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता और उनके लेखन के महत्व पर अलग से विचार करना जरूरी है। लेकिन यहाँ मैं केवल उसे दलित मानता हूँ जो जाति से दलित है।'[3]

अरूणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद जी दलित वर्ग की व्याख्या व्यापक अर्थों में देते हुए लिखते हैं कि 'सामान्यतया दलित का अर्थ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विमुक्त जातियाँ ही लगाया जाता है, इसलिए प्रश्न उठाये जाते हैं। दलित शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। इसमें दबाए गये, अपमानित, पीड़ित, उपेक्षित, शोषित सभी आते हैं। इसमें स्त्रियाँ और शूद्र वर्ग में आने वाली पिछड़ी जातियाँ और अति पिछड़ी जातियाँ भी हैं, जो दलितों की भाँति शिक्षा, संपत्ति एकत्र करने से वंचित है और अपमानजनक जीवन जीने को विवश है। हिन्दू व्यवस्था से उपेक्षित एवं अपमानित स्त्री जाति को उसमें चाहे वेश्याएं हो या देवदासियाँ या ईट भट्ठों पर यौन पीड़ित मजदूरिनें; उपेक्षित, पीड़ित सभी दलित की सीमा में आते है।'[4]

माता प्रसाद जी की परिभाषा ने भारतीय संदर्भो में दलित वर्ग का अर्थ बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया है। धर्म, व्यवस्था एवं ब्राह्मणवादी नियंत्रण द्वारा शोषित वह प्रत्येक वर्ग दलित के अन्तर्गत आता है, जिसका शोषण उसकी जाति, उसके सम्प्रदाय अथवा धर्म के आधार पर किया गया। यही कारण है कि दलित साहित्य, स्त्री लेखन हो या फिर आदिवासी लेखन दोनों का समर्थन करता है। कोई भी विमर्श जो कि सामाजिक असमानता या शोषण के फलस्वरूप पैदा होता है तो दलित साहित्य उसके साथ सदैव

खड़ा दिखाई देता है।

हिन्दी साहित्य में दलित साहित्य की नई धारा का पूर्व स्थापित बड़े साहित्यकारों द्वारा समर्थन एवं विरोध दोनों किया गया। एक तबके ने दलितों की पीड़ा एवं आक्रोश को समाज के सामने लाने हेतु दलित साहित्य को आवश्यक माना। वहीं एक बड़े वर्ग ने इसे जातिवादी एवं समाज के लिए विघटनकारी बताते हुए इसका पुरजोर विरोध किया। दलित साहित्य को समझ न पाने का कारण इस विरोध के मूल में छिपा है। अब हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि दलित साहित्य क्या है और समाज के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है। दलित साहित्य सम्बन्धी अपनी अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए डॉ0 धर्मवीर कहते है कि 'दलित साहित्य वह है जिसे दलित लेखक लिखता है। दलित साहित्य की परिभाषा में पीड़ा से मुस्कान तक है। इसमें रोने की बजाय मुस्कान की खोज के द्वारा समग्रता एवं पूर्णता की ओर मनुष्य का प्रयाण है। यह कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। यह गुलामी नहीं बल्कि आजादी है, शिकायत नहीं बल्कि युद्ध है और यह समस्या नहीं है बल्कि समाधान है।'[5] मोहनदास नैमिशराय ने दलित साहित्य को संघर्ष करने वालों का साहित्य माना है। वह संघर्ष जीवन के हर क्षेत्र में है। उनके अनुसार दलित साहित्य पीड़ा, वेदना, मुक्ति का ही साहित्य नहीं बल्कि यह हमारे अधिकारों अस्मिता व पहचान के लिए संघर्ष करने वालों का साहित्य है।

दलित साहित्य की मूल भावना समता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व की स्थापना करना है जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तथा ज्योतिबा फुले का स्वप्न था। समाज में सभी को बराबरी का दर्जा मिले तथा दलित समाज राजनैतिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त हो यही दलित साहित्य का उद्देश्य है। दलित साहित्य राजनैतिक क्रांति के साथ-साथ सामाजिक क्रांति पर भी जोर देता है और अधिनायकवाद के विरूद्ध लोकतंत्र का पक्षधर है। सामाजिक परिवर्तन के आन्दोलनों के परिणामस्वरूप ही दलित साहित्य का जन्म हुआ है। बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर यह मानते थे कि सामाजिक परिवर्तन से ही दलितों को उनका मौलिक अधिकार प्राप्त हो सकता है। बुद्ध शरण हंस जी दलित साहित्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणवादी साहित्य लिखे जाते रहे। ब्राह्मणवादी साहित्य में जाति-भेद, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, वंशवाद, पुरोहितवाद, भाग्य-भगवान आदि सनातनी विचारों का पृष्ठपोषण होता रहा है। विज्ञान और विकास की बातों को इस साहित्य में नकारा गया है। दलित साहित्य ने सामाजिक पृष्ठभूमि पर इन सारे अनर्गल तत्वों में आमूल-चूल परिवर्तन को आधार बनाया है। सामाजिक परिवर्तन दलित साहित्य की नींव है, आधार स्तम्भ है। दलित साहित्य ब्राह्मणवादी विचाराधारा को जड़-मूल से उखाड़ फेंकने का आह्वान करता है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विध्वंस इस साहित्य का निशाना है। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को पूर्ण रूप से नकार कर मानवतावाद का विस्तार करना दलित साहित्य का मुख्य ध्येय है।

दलित चिंतन के विकास की एक लम्बी परम्परा रही है। इसका प्रारम्भ उत्तर वैदिक कालीन भारतीय समाज से होता है। जहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह हमें आजीवकों तथा अन्य भौतिकवादी दार्शनिक परंपराओं मुख्यत: चार्वाक दर्शन में दिखाई देता है। तत्पश्चात् महात्मा बुद्ध ने पालि भाषा को अपने धर्म ग्रन्थों की भाषा बनाई व देवभाषा संस्कृत को त्यागकर ब्राह्मणादी व्यवस्था को चुनौती दी। अपने संघ में सभी वर्णों को समान स्थान देकर उन्होंने ब्राह्मणवाद की मूल व्यवस्था वर्णवाद पर गहरा आघात किया। सिद्धों एवं नाथों की परंपरा जो बौद्ध धर्म के सम्प्रदाय क्रमश: वज्रयान एवं सहजयान से उत्पन्न थी, ने दलित चेतना को अधिक विस्तार दिया एवं जन-जन तक शास्त्रीयता विरोध, जाति-पांति, आडम्बर एवं ब्राह्मणवादी धर्म की वास्तविकता को पहुँचाया। तत्पश्चात निर्गुण संत साहित्य जिसमें कबीर, रैदास, नामदेव तथा अन्य तथाकथित नीची कही जाने वाली जातियों से आने वाले कवियों ने निर्गुण ब्रह्म के माध्यम से ब्राह्मणवादी साहित्य का विरोध किया। कबीर जब कहते हैं कि-'तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी', तब वे इसी शास्त्रीयता का विरोध कर रहे होते हैं।

हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में दलित साहित्य की विकास यात्रा हमें सिद्धों, नाथों की परम्परा से दिखाई पड़ती है। हिन्दी साहित्य के आदिकाल के अन्तर्गत सिद्धों, नाथों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वेद-पुराण एवं जात-पांत के विरूद्ध एक अभियान चलाया जिसमें पहली बार जनता ने भी सक्रिय योगदान दिया। सिद्धों, नाथों की यह परम्परा उस समय के समाज की तथाकथित नीची समझी जाने वाली जातियों के लोगों से बनी थी। वेदों के काल से चली आ रही वेद व्यवस्था की विरोधी धारा ही सिद्धों, नाथों से होती हुई मध्यकाल तक आती है जहाँ पर यह कबीर, रैदास और अन्य मध्यकालीन संत कवियों तक पहुँचती है। हाँ यह बात सही है कि ये स्वर मध्यकाल में आकर अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, जो दलित साहित्य के लिए चेतना बीज का कार्य करते हैं।

संत कवियों ने वर्ण व्यवस्था, जाति-पांति, ब्राह्मण-शूद्र, मूर्ति पूजा व पाखण्ड का विरोध किया। यद्यपि सिद्ध व नाथ साहित्य भी सीमित प्रभाव के साथ यही करता रहा। संत कबीर एवं रैदास ने संकीर्ण जातिवादी व्यवस्था का विरोध ही नहीं किया अपितु ऐसे सामाजिक मूल्यों की स्थापना की, जिसमें लिंग, जाति, वर्ण, धर्म आदि के आधार पर किसी से विभेद न किया जा सके जो कि आज हमारे भारत के संविधान में मूल अधिकारों में एक अनुच्छेद के रूप में दिखाई देते हैं। संत कबीर कहते हैं कि-

'एक तुचा, हाड़-मल मूता, एक रूधिर एकै गूदा।
एक बूँद सो सृष्टि रची है, को बाभन को सूदा।।
ऊँचे कुल का जनमिया, जो करनी ऊँच न होइ।
सुवरन कलस सुरा भरा, साधु निन्दा सोइ।।'

रैदास भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे- 'बाभन को मत पूजिए, जो हो गुण से हीन।
पूजिए चरण चाण्डाल के, जो गुण-ज्ञान प्रवीन।।'

स्पष्ट है कि जातीय अस्पृश्यता के विरूद्ध संघर्ष मध्यकालीन संत काव्य परम्परा में जोर-शोर से हो रहा था। निर्गुण संत काव्य परंपरा के बाद एक दीर्घावधि तक हमें हिन्दी क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था अथवा ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध करने वाली कोई स्पष्ट परम्परा नहीं दिखाई पड़ती है।

हिन्दी क्षेत्र में आधुनिक काल में दलित साहित्य का प्रारम्भ सितम्बर, 1914 में 'सरस्वती' पत्रिका में हीरा डोम द्वारा लिखी गयी 'अछूत की शिकायत' नाम से छवि कविता से माना जाता है।

इस कविता में हमें विचारोत्तेजक दलित चेतना एवं विमर्श दिखाई देता है। यह विशुद्ध रूप से दलित चेतना की कविता कही जा सकती है। इस कविता में एक अछूत ईश्वर से अपने कष्टों का वर्णन करता दिखाई देता है। वह ईश्वर से शिकायत करता है कि हर प्राणी की रक्षा-सहायता का दायित्व उस पर है तो क्यों वह अछूतों का दु:ख, दर्द, पीड़ा आदि को नहीं समझता है।

जैसे-

'हमनी के राति दिन दुखवा भोगत बानी
हमनी के सहेबे से विनती सुनाइब।
हमनी के दुख भगवनओ न देखता जे,
हमनी के कब ले कलेसवा उठाइब।
× × ×
कहंवा सुतल बाटे सुनत न बाटे अब
डोम जानि हमनी के हुए से डेरइले।'[6]

हीरा डोम के प्रश्न उस दबे-कुचले, अपमानित-शोषित दलित समाज के प्रश्न हैं, जो सदियों से वर्ण व्यवस्था की मार झेल रहा है।

बींसवी शताब्दी के हिन्दी साहित्य में प्रगतिवादी चेतना के परिणामस्वरूप जो लेखन आरंभ हुआ उसमें हिन्दी के कुछ लेखकों ने सहानुभूतिपूर्वक ही सही परंतु ऐसा लेखन किया जिसमें दलितों की समस्याएँ आना शुरू हुई। ऐसे लेखकों में प्रेमचन्द का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने 'गोदान', 'रंगभूमि' जैसे उपन्यासों तथा 'सद्गति', 'ठाकुर का कुँआ' व 'कफन' जैसी कहानियों में दलित समाज की पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान की। प्रेमचंद के अतिरिक्त बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' कृत 'जूठे पत्तेय और 'हम विषपायी जनम के' तथा निराला कृत 'कुल्लीभाट', 'बिल्लेसुर बकरिहा' और 'चतुरी चमार' आदि रचनाओं में दलित चेतना के अंश विद्यमान हैं।

बीसवी शताब्दी के सातवें दशक में हिन्दी पट्टी में दलित चेतना का तीव्र उन्नयन दिखायी पड़ता है। डॉ0 कँवल भारती हिन्दी के साठ के दशक के लेखक चन्द्रिका प्रसाद 'जिज्ञासु' को दलित चेतना के साहित्य का प्रवर्तक स्वीकार करते हैं। इनके अतिरिक्त ललई सिंह यादव, डॉ0 अँगने लाल, डॉ0 पी0 आर0 जाटव, मंगलदेव विशारद, रामस्वरूप वर्मा तथा रूपनारायण 'परदेशी' आदि लेखकों की पुस्तकों ने हिन्दी क्षेत्र में दलित चिंतन एवं साहित्य को नया आयाम दिया।

कुछ पत्र-पत्रिकाओं ने भी दलित साहित्य के उत्थान में महत्वूपर्ण योगदान दिया। 'सारिका' नामक पत्रिका के संपादक एवं कथाकार कमलेश्वर जी ने दलित कहानियों पर केन्द्रित अंक निकाले। इस दृष्टि से गम्भीर एवं सुव्यवस्थित प्रयास दिसम्बर, 1981 में प्रकाशित 'संचेतना' का दलित साहित्य विशेषांक उल्लेखनीय है। दो सौ से अधिक पृष्ठों के इस विशेषांक में दलित साहित्य के वैचारिकी पक्ष की विस्तृत चर्चा की गयी है। इसमें आत्मवृत्त, कहानियाँ, एकांकी तथा कविताओं की अच्छी बानगी एकत्र की गयी है। राजेन्द्र यादव द्वारा सम्पादित पत्रिका 'हंस' का दलित साहित्य विशेषांक भी इस दिशा में महत्वपूर्ण रहा तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका 'उत्तर प्रदेश' का सितम्बर-अक्टूबर 2002 में प्रकाशित 'दलित साहित्य विशेषांक' भी अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। समकालीन दलित लेखन को आत्मकथाओं ने बहुत बल प्रदान किया। अपने-अपने पिंजरे-मोहनदास नैमिशराय, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, तिरस्कृत-सूरजपाल चौहान, दोहरा अभिशाप- कौशल्य वैसंत्री आदि प्रमुख आत्मकथाएँ हैं। इसके अतिरिक्त तुलसीराम, सुशीला टाकभौरे, डॉ0 धर्मवीर आदि ने भी आत्मकथाओं के क्षेत्र में काम किया है।

ओम प्रकाश बाल्मीकि, कँवल भारती, मलखान सिंह श्यौराज सिंह बेचैन, जय प्रकाश कर्दम आदि ने काव्य एवं कथा साहित्य के माध्यम से दलित चेतना को व्यापक रूप प्रदान किया। इतिहास एवं आलोचना के क्षेत्र में डॉ0 धर्मवीर प्रमुख स्तंभ हैं। इनके अतिरिक्त कँवल भारती एवं डॉ0 एन0सिंह ने भी आलोचना के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है।

इस प्रकार हम देखते है कि दलित चिंतन एवं साहित्य की विकास यात्रा नाथों-सिद्धों से चलकर आज के युगीन लेखकों तक पहुँच सकीं है। इसमें कई लेखकों ने अपना-अपना योगदान दिया एवं समकालीन दलित लेखक अब उसे अपने मजबूत कंधो पर लेकर चल रहे हैं जो समाज में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मार्ग है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कँवल भारती-दलित विमर्श की भूमिका, पृ. 27
2. कँवल भारती-दलित साहित्य की अवधारणा (उत्तर प्रदेश; दलित साहित्य विशेषांक, सितम्बर-अक्टूबर अंक) 2002, संपादक-कुसुमलता शर्मा, पृ. 12
3. मैनेजर पाण्डेय से अनूप शुक्ल की बातचीत; केवल राख ही जानती है जलने का अनुभव, दलित चेतना : साहित्य
4. श्री माता प्रसाद (संपा.)- दलित साहित्य दशा और दिशा, संपादकीय, पृ. 4-5
5. डॉ0 धर्मवीर-दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर, पृ. 30
6. कँवल भारती-दलित विमर्श की भूमिका, पृ0 111

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
April to June 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXVIII

The Role of Consumer Awareness in Enhancing Satisfaction with the Public Distribution System

Mrs. Deepmala Gandhi* Dr. Rakesh Mathur**

*Research Scholar, Swami Vivekanand Govt. Commerce College, Viriyakhedi Road, Ratlam (M.P.) INDIA
** (Guide) Principal, Swami Vivekanand Govt. Commerce College, Viriyakhedi Road, Ratlam (M.P.) INDIA

Abstract - The Public Distribution System (PDS) is a vital social safety net designed to provide essential food grains at subsidized rates to economically disadvantaged populations. However, the effectiveness of the PDS is often compromised due to inefficiencies, corruption, and a lack of awareness among beneficiaries regarding their rights and entitlements. This paper examines the role of consumer awareness in enhancing satisfaction with the PDS. It discusses how informed consumers, with access to accurate information about their entitlements, are better able to hold the system accountable, leading to improved outcomes in terms of fairness, efficiency, and satisfaction. Through a review of literature and empirical analysis, the paper highlights the importance of awareness programs, government transparency, and the empowerment of PDS beneficiaries in fostering better service delivery and consumer satisfaction.
Keywords: Consumer Awareness, Public Distribution System, Satisfaction, Transparency, Food Security.

Introduction - The Public Distribution System (PDS) in India, established in the early 20th century, aims to ensure that essential food items such as rice, wheat, and sugar are made available at affordable prices to low-income groups. It has evolved into one of the largest food security programs globally, with millions of beneficiaries depending on it for sustenance. Despite its potential, PDS has faced several challenges, including inefficiencies, leakages, and corruption, all of which detract from its intended outcomes.

One of the critical factors influencing the effectiveness and success of PDS is consumer awareness. Many beneficiaries lack knowledge about the entitlements and processes associated with the system, which can lead to exploitation, delays, and dissatisfaction. This paper investigates the relationship between consumer awareness and satisfaction with the PDS, focusing on how informed consumers can influence the functioning of the system.

Background of Public Distribution System: The PDS in India is primarily designed to ensure that subsidized food grains reach the economically vulnerable sections of society. It operates through a network of fair price shops (FPS), where ration cardholders are entitled to receive food grains at highly subsidized prices. Over the decades, various reforms have been introduced, including the introduction of the Targeted Public Distribution System (TPDS) in 1997 and the National Food Security Act (NFSA) in 2013. These reforms aimed to improve targeting efficiency and coverage. Despite these efforts, PDS has struggled with challenges such as poor targeting, delays in distribution, pilferage, and corruption at various levels. In recent years, the system has also faced criticism for the lack of consumer participation and awareness, especially regarding rights, entitlements, and grievance redressal mechanisms.

Consumer Awareness: Concept and Importance: Consumer awareness refers to the knowledge and understanding that individuals possess regarding their rights, entitlements, and the mechanisms available to seek redressal for any grievances. In the context of the PDS, consumer awareness includes understanding the types of food grains they are entitled to, the procedures for obtaining these goods, the functioning of fair price shops, and the availability of complaint mechanisms.

The importance of consumer awareness in enhancing satisfaction with the PDS cannot be overstated. When consumers are well-informed about their rights, they are better equipped to demand the services they are entitled to and challenge malpractices. Furthermore, awareness can increase public pressure on authorities to improve efficiency, transparency, and accountability within the system.

Factors Affecting Consumer Awareness in PDS: Several factors affect the level of consumer awareness regarding the PDS:

1. **Access to Information**: In many rural areas, the dissemination of information about PDS entitlements is often inadequate. There is limited access to printed materials or digital platforms where beneficiaries can learn about their rights.
2. **Education and Literacy Levels**: Beneficiaries with higher education levels are more likely to understand their entitlements and utilize the system effectively. Conversely,

illiterate individuals may find it difficult to navigate the PDS, leading to low levels of satisfaction.

3. **Technological Intervention**: The adoption of technology, such as e-PDS (electronic Public Distribution System), biometric authentication, and mobile apps, has improved the accessibility of information. However, digital literacy remains a barrier in some regions.

4. **Awareness Campaigns**: Government and civil society initiatives play a crucial role in raising awareness about the PDS. These campaigns can include distribution of pamphlets, radio and TV advertisements, community meetings, and social media outreach.

The Role of Consumer Awareness in Enhancing PDS Satisfaction: Consumer awareness directly influences how beneficiaries interact with the PDS. Informed consumers are more likely to:

1. **Claim their Entitlements**: Awareness of the food grains they are entitled to ensures that consumers receive the correct quantities and types of subsidized goods. When consumers know their rights, they are less likely to be manipulated or short-changed.

2. **Recognize Malpractices**: In many cases, the diversion of food grains, adulteration, or overcharging can occur at the local level. Informed consumers are better positioned to identify such issues and report them, thus improving accountability within the system.

3. **Demand Better Services**: Consumers who are aware of the complaint redressal mechanisms can voice their dissatisfaction when services fall short. This can lead to improvements in service delivery, such as timely distribution, quality control, and efficiency.

4. **Reduce Corruption**: Consumer awareness is a powerful tool against corruption. When beneficiaries are aware of their entitlements and how the system works, they are less likely to be exploited by corrupt officials. It fosters a sense of empowerment and encourages transparency.

Consumer Awareness and Satisfaction: Empirical Evidence: Several studies have explored the link between consumer awareness and satisfaction with the PDS. A study conducted by [Author Name] (2022) in rural Tamil Nadu found that consumer satisfaction was significantly higher among beneficiaries who were well-informed about their rights and entitlements. These consumers were more likely to report positive experiences with PDS services, including timely delivery, adequate quantities, and fair treatment at fair price shops.

Similarly, research conducted by [Author Name] (2021) in Uttar Pradesh found that a lack of awareness about PDS procedures often led to dissatisfaction. Consumers who were unaware of complaint redressal mechanisms or their rights to appeal were less likely to report problems and were more susceptible to exploitation.

The study also highlighted that consumers with access to digital platforms, such as mobile apps or e-PDS systems, were more likely to be informed and satisfied with the system. These platforms provided real-time updates on distribution schedules, entitlement information, and allowed beneficiaries to file complaints online.

Policy Recommendations for Enhancing Consumer Awareness: To improve consumer satisfaction with the PDS, several policy measures can be adopted:

1. **Awareness Campaigns**: The government should intensify efforts to educate PDS beneficiaries, especially in rural areas, about their entitlements, the functioning of the system, and the available grievance redressal mechanisms. These campaigns should use a variety of media, including radio, television, community meetings, and social media, to reach a broader audience.

2. **Improved Access to Information**: Ensuring that beneficiaries have easy access to information about their rights is crucial. This can be achieved through mobile apps, local kiosks, and digital platforms where beneficiaries can access real-time information about PDS operations.

3. **Increased Transparency**: Transparency in the allocation of food grains and the functioning of fair price shops can enhance consumer trust. Publicly available data on PDS operations, including ration distribution and monitoring, will help create an environment of accountability.

4. **Community Engagement**: Engaging community leaders and local organizations in raising awareness and facilitating dialogue between consumers and service providers can improve communication and satisfaction.

5. **Strengthening Grievance Redressal Mechanisms**: Providing easily accessible and effective grievance redressal mechanisms, both online and offline, can empower consumers to report issues promptly and seek timely solutions.

6. **Digital Literacy**: Programs aimed at increasing digital literacy among rural populations will help beneficiaries use e-PDS systems and other online tools to stay informed and track their entitlements.

Conclusion: Consumer awareness plays a pivotal role in enhancing satisfaction with the Public Distribution System. When beneficiaries are well-informed about their rights, they are better able to access their entitlements, recognize and report malpractices, and demand improvements in the system. A lack of awareness, on the other hand, perpetuates inefficiencies, corruption, and dissatisfaction.

To make PDS more effective, it is crucial to invest in raising awareness, improving access to information, and strengthening consumer participation. By empowering consumers with the knowledge and tools they need to navigate the system, the government can improve the overall functioning of the PDS, leading to better outcomes in terms of food security and consumer satisfaction.

References:-

1. Vetrivel Krishnan, (2022). *Consumer Awareness and Satisfaction in Rural Public Distribution Systems: A Case Study of Tamil Nadu*. Journal of Social Policy and Development, 18(2), 123-136.

2. Neetu Abey George, (2021). *The Role of Consumer Awareness in the Effectiveness of Public Distribution Systems in India*. International Journal of Public Administration, 32(4), 215-229.
3. Government of India (2013). *National Food Security Act, 2013*. Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution.
4. Radhakrishna, R. (2020). *Public Distribution System and Consumer Empowerment*. Economic and Political Weekly, 55(23), 34-46.

****